Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

G. K. U.
HARIDWAR LIB.

d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PRAGATI MANJUSHA 1982 SEP-DEC

Public Domain. Gurukul Kangri Collection,

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

111892

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

111892

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

- भारत-चीन: एशियाई प्रभुत्व का प्रश्न
- भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी सहायता
- भारतीय बुद्धिजीवी
- साहित्य और राजनीति
- भारतीय वन्य-जीवन

111892
77
15-12-82
111892

पी.एस.सी. (म.प्र.)

बी.पी. एस.सी.

फॉरेस्ट रेन्जर (उ.प्र.), जूनियर एकाउन्टेंट

आर.एस.सी. परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सामग्री

दिसम्बर 82

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी. सी. एस. परीक्षा 1981 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले हमारे पाठक

श्री राजीव रौतेला

'प्रगति मंजूषा' के विषय में सम्मति

प्रिय सम्पादक

आपको यह सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है कि इस वर्ष की की 'उ० प्र० सिविल सेवा परीक्षा' में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेरी इस सफलता का कुछ श्रेय 'प्रगति मंजूषा' को भी जाता है। यद्यपि परीक्षा में मेरा माध्यम अंग्रेजी था फिर भी आपकी पत्रिका में प्रकाशित समसामयिक निबन्धों तथा सामान्य-ज्ञान सम्बन्धी सामग्री से मुझे विशेष सहायता मिली। आशा है, आप अपनी पत्रिका का वर्तमान स्तर बनाए रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

आपका

राजीव रौतेला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिसम्बर—1982
वर्ष—5
अंक—11

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

[राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र को समर्पित]

इस अंक का मूल्य—रु० 4.00
पृष्ठ संख्या—88

सम्पादक
रतन कुमार दीक्षित

●

सह-सम्पादक
प्रदीप कुमार वर्मा 'रूप'

●

उप-सम्पादक
जी. शंकर घोष, राकेश सिंह सेंगर

■

मुख्य कार्यालय
436, ममफोर्डगंज
इलाहाबाद-211002

●

शाखा कार्यालय
ए-7, प्रेस एन्क्लेव
साकेत, नई-दिल्ली

●

डी. 47/5, कबीर मार्ग,
क्ले स्क्वायर, लखनऊ

विज्ञापन सम्पर्क-सूत्र :
169/20 ख्यालीगंज, लखनऊ
दूरभाष : 43792

■

सज्जा : कोलोरेड, इलाहाबाद

●

चन्दे की दर
वार्षिक : रु. 44.00, अर्द्धवार्षिक : रु. 22.00
सामान्य अंक (एक प्रति) : रु. 4.00
(चन्दा मनीआर्डर द्वारा मुख्य कार्यालय को ही भेजें)

©पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन सुरक्षित है। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है।

स्थायी स्तम्भ

■ समसामयिक सामान्य ज्ञान / 2
■ राष्ट्रीय सामयिकी / 6
■ अन्तर्राष्ट्रीय सामयिकी / 9
■ भारतीय संविधान / 24
■ व्यक्तित्व विकास / 35
■ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन / 40
■ क्रीड़ा जगत / 60
■ क्षेत्रीय संगठन / 79
■ Focus on Banking/Civil/Defence Services Examination / 81

आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लेख

■ भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी सहायता / 26
■ साहित्य और राजनीति / 36
■ भारत-चीन : एशियाई प्रभुत्व का प्रश्न ? / 42
■ भारतीय बुद्धिजीवी (1) / 49
■ भारत में वन्यजीवन / 53
■ भारत में बाघ परियोजना / 56

विशेष आकर्षण

■ मध्य प्रदेश पी. एस. सी. परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन वस्तुपरक परीक्षण / 17
■ जूनियर एकाउन्टेन्ट/आडीटर्स/परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन वस्तुपरक परीक्षण /20
■ आर.एस.सी./फॉरेस्ट रेन्जर/सुपरवाइजर कानूनगो / बी.पी.एस.सी. परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र (2) / 61
■ बिहार पी. एस. सी. परीक्षा हेतु सामान्य विज्ञान का मॉडल प्रश्न-पत्र (2) / 65

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समसामयिक सामान्य ज्ञान

शब्द संक्षेप—

- I.F.T.U.—इण्डियन फेडरेशन ऑव ट्रेड यूनियन्स
- G.A.T.T.—जनरल एग्रीमेण्ट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड
- A.S.L.V.—आग्मेण्टेड सैटेलाइट लाचिंग वीइकॅल
- R.R.B.—रीजनल रूरल बैंक
- N.F.D.C.—नेशनल फिल्म डिवेलॅपमेण्ट कार्पोरेशन
- A.G.S.O.C.—एशियन गेम्स स्पेशल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी
- F.T.Z.—फ्री ट्रेड जोन

महत्वपूर्ण पुस्तकें—

- लीडर्स—रिचर्ड निक्सन
- वॅन हन्ड्रेड इयर्स ऑव सालिट्यूड—ग्रेबियल गार्सिया मरकुएरा
- द वीट एण्ड द चैक—फ़ास्वा मित्तरां
- स्माल इज पॉसिबल—जार्ज मैकरोबी
- इण्डियन ड्रामा : ट्रेडीशनल सोसाइटी इन ट्रांनजीशन-एम. चेलापति राव
- बापू के आशीर्वाद—आनन्द हिंगोरानी
- द वर्जिन लैण्ड्स—लियोनिद ब्रेझनेव
- मेनी वर्ल्ड्स—के. पी. एस. मेनन
- प्रोटेट ऑव ए रेवलूशॅनरि : बी. पी. कोइरला—भोला चटर्जी

महत्वपूर्ण आंकड़े—

- 23 देशों में कुल 152603 मेगावाट क्षमता के 272 परमाणु रिएक्टर है जिनमें 1981 में विश्व के कुल उत्पादन को 9% विद्युत पैदा हुयी। उत्पादन की दृष्टि से क्रमशः अमेरिका, फ्रान्स, जापान, सोवियत संघ एवं पश्चिमी जर्मनी सबसे आगे है।
- छठीं योजना के लिये 46 हजार गांवों के विद्युतकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पिछले दो वर्षों में केवल 13664 गांवों में विद्युत पहुँचायी गयी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के कुल 15.5% व 13.5% पद पर कार्यरत है।
- वर्तमान विश्व खाद्य उत्पादन 15330 मिलियन टन होने के बावजूद लगभग 4450 मिलियन व्यक्ति न्यून पोषित है। 22 विकासशील देश अन्न की भयंकर कमी का सामना कर रहे हैं।
- भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में 1 करोड़ मामले विचाराधीन है।
- यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों में 11.5 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार हैं।
- चालू वित्त वर्ष में 24.95 लाख टन गेहूं अमेरिका से आयात किया जायगा।
- चालू वित्त वर्ष में 16.17 अरब रुपये मूल्य की खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात किया जायगा।
- हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण वर्ष 1981 में 548.7 करोड़ रु. की हानि हुई।
- 1980-81 में 25978 एवं 1981-82 में 29837 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराये गये।
- 1981-82 में भारत में 4660750 व्यक्तियों ने आय कर दिया।
- वर्ष 1982-83 के लिये गन्ने का मूल्य 13 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

निर्वाचन व नियुक्तियां—

- फिलिप गोंजालेज—प्रधानमंत्री, स्पेन
- मासुहिरो नाकासोन—प्रधानमन्त्री, जापान
- यूरी आन्द्रोपोव—राष्ट्रपति, सोवियत संघ/महासचिव, सोवियत साम्यवादी दल
- रमीज अलिया—राष्ट्रपति, अल्बानिया
- शिवराज जैन—अध्यक्ष, कोल इण्डिया
- वूस्यूक्वियन—विदेशमन्त्री, चीन
- झांग एपिंग—रक्षामन्त्री, चीन
- एस. सी. जमीर—मुख्यमन्त्री, नागालेण्ड
- अमिनंतार फनफनी—प्रधानमन्त्री, इटली
- भारत में दृष्टिहीनों, कुष्ठ रोगियों एवं क्षय रोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 90 लाख, 32 लाख एवं 1 करोड़ है।
- छठीं योजना में 230789 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करनी है। इनमें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● ए. एम. खुशरो—सदस्य, योजना आयोग

● रघुराज—अध्यक्ष, इन्टरनेशनल, एयर ट्रान्सपोर्ट एसोशिएशन

● ए. टी. बम्बावाला—उपाध्यक्ष, एशियन डिवेलपमेन्ट बैंक

● वी. रामालिंग स्वामी—अध्यक्ष, ग्लोबल अँडरवाइजॅरि कमिटी ऑन मेडिकल रिसर्च (वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन)

● आई. पी. खोसला—बंगलादेश में भारतीय उच्चायुक्त

● एस. एस. भटनागर—पनामा व कोस्ट रीका में भारतीय राजदूत

● जी. सिंह—घाना व अपर वोल्टा में भारतीय राजदूत

● मोहर लाल कमपानी—अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में प्रथम लेफ्टि गवर्नर

● पॉल बूजा—राष्ट्रपति, कैमरून

● रूड ल्युबर—प्रधानमन्त्री, नीदरलैंण्ड

त्यागपत्र व पद निवृत्ति

● हुआंग हुआ—विदेशमन्त्री, चीन

● गेंग बिआओ—रक्षामन्त्री, चीन

● गिओवनी स्पादोलिनी—प्रधानमंत्री, इटली

● लियोपोल्डो काल्बो—प्रधानमन्त्री, स्पेन

● जे. बी. जसोकी—मुख्यमन्त्री, नागालैण्ड

● अरुण शोरी—अधिशासी सम्पादक, इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप

● हक्सी लेशी—राष्ट्रपति, अल्बानिया

निधन

● प्रमोद दास गुप्त—प्रख्यात मार्क्सवादी नेता

● [illegible]—प्रख्यात असमी कवि

● के. पी. एस. मेनन—प्रख्यात भारतीय राजनयिक व लेखक

● ललिता—दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना

● आचार्य विनोवा भावे—सर्वोदयी नेता

● उमाकान्त मालवीय—प्रख्यात हिन्दी कवि व लेखक

● लियोनिद ब्रेझनेव—राष्ट्रपति, सोवियत संघ

● आर. एल. किर्लोस्कर—सुप्रसिद्ध उद्योगपति

● बी. डी. एन. साही—हिन्दी के विख्यात कवि व आलोचक

● नरेन्द्र बेदी—हिन्दी फिल्म निर्माता व निर्देशक

● डा. कार्ल हेलर—गर्भ निरोधक औषधि के आविष्कारक

प्रमुख अतिथि

● फ्रांस्वा मित्तरां—राष्ट्रपति, फ्रांस

● क्लाड शेसों—विदेश मन्त्री, फ्रांस

● सर फ्रैंक कूपर—ब्रिटिश रक्षा सचिव

● जास अन्तावियो समारांच—अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

● ए. आर. एस. दोहा—विदेशमन्त्री, बंगलादेश

● एफ. जमील—विदेशमन्त्री, मालद्वीप

● स्टीफन ओलसजोवस्की—विदेश मन्त्री, पोलैण्ड

● गेस्टन थार्न—अध्यक्ष, यूरोपीय आर्थिक समुदाय

● लार्ड लेन—मुख्य न्यायाधीश, इंग्लैंड

● डा. अब्दुल रहमान—प्रशासकीय निदेशक, यूनीडो

पुरस्कार व सम्मान

● विश्व सुन्दरी उपाधि—अलबर्ट हॉल (लन्दन) में आयोजित विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता में 22 वर्षीय मारियासेल अल्वेरेज लेब्रोन (डोमिनिकन रिपब्लिक) 1982 की विश्व सुन्दरी चुनी गयी। सारी एसफोम (फिनलैंण्ड) उपविजेता रहीं।

● सोवियत लैंण्ड नेहरू पुरस्कार-प्रसिद्ध साहित्यकार डा. राम विलास शर्मा, विख्यात कहानीकार श्रीमती इस्मत चुगताई और डा. भीष्म साहनी सहित देश के 18 लेखकों, पत्रकारों और साहित्यकारों का सोवियत लैंण्ड नेहरू पुरस्कार 1982 के लिये चयन किया गया।

बुकर पुरस्कार—आस्ट्रेलिया के लेखक टामस केनेली को उनके पुस्तक "शिन्डलरर्स आर्क" पर ब्रिटेन के प्रमुख साहित्यिक बुकर पुरस्कार 1982 प्राप्त हुआ। 1981 में सलमान रुशीदी को यह पुरस्कार 'द मिडनाइट चिल्ड्रेन' के लिये प्राप्त हुआ था।

● जवाहर लाल नेहरू फेलोशिप—प्रमुख भाषाविद डी. पी. पटनायक व प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार बालन नाम्बियर को 1983 का जवाहर लाल नेहरू फेलोशिप प्रदान किया गया है।

● केन्द्र सरकार ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (जयपुर), आशा निकेतन (भोपाल) व विजय मर्चेन्ट को 1981 में विकलांगों की सर्वोत्तम सेवा करने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चर्चित व्यक्ति—

● लेक वालेसा—11 नवम्बर 82 को पोलैण्ड की मार्शल लॉ सरकार ने सालिडारिटी यूनियन के नेता लेक वालेसा को 11 महीनों के पश्चात रिहा कर दिया गया।

● बेगम नुसरत भुट्टो—प्रतिबन्धित पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अध्यक्षा 53 वर्षीया बेगम नुसरत भुट्टो को काफी विलम्ब के पश्चात 12 नवम्बर को पाकिस्तानी सरकार ने इलाज के लिए पश्चिमी जर्मनी जाने के लिये इजाजत प्रदान की।

● यूरी आन्द्रोपोव—लियोनिद ब्रेझनेव की मृत्यु के पश्चात रूसी खुफिया सेवा के. जी. बी. के भूतपूर्व प्रधान यूरी आन्द्रोपोव को सोवियत साम्यवादी दल का अध्यक्ष चुना गया है। सोवियत सुप्रीम सोवियत ने उनको तत्पश्चात सोवियत संघ का राष्ट्रपति निर्वाचित किया है।

● लियोनिद ब्रेझनेव—देखिये अन्तर्राष्ट्रीय समाचार

● आचार्य विनोबा भावे—15 नवम्बर 82 को पवनार में 88 वर्षीय सर्वोदयी नेता विनोबा भावे का देहान्त हो गया। वे अपने भूदान कार्यक्रम के लिये काफी चर्चित रहे हैं।

● रोजर मूर—54 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता अपनी नवीनतम फिल्म 'आक्टोपसी' की शूटिंग के सिलसिले में हाल में भारत आये थे। वे फिल्मों में 'जेम्स बाण्ड' की भूमिका निभाया करते हैं।

चर्चित स्थल—

● काबुल—काबुल से 60 मील [illegible] सुरंग में दुर्घटना से लगभग चार हजार रूसी सैनिक व अफगानी नागरिकों की मृत्यु हुई।

● सौराष्ट्र—नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में भीषण चक्रवात के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में 500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई।

● बड़ौदा—गुजरात के प्रमुख नगर में साम्प्रदायिक दंगों के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बढते हुए शराब वजुआघरों इन दंगों का प्रमुख कारण बताया गया।

● नाईजीरिया—नाईजीरिया में साम्प्रदायिक दंगों के कारण लगभग 500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

संविधान विधेयक/नीतियां—

● ब्रिटिश नागरिकता कानून—25 अक्टूबर 1982 को ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसके अनुसार संसद की स्वीकृति मिलने पर 1 जनवरी 1983 से ब्रिटिश महिला नागरिक भी अपने पति व वाग्दत्ता को विधिवतः ब्रिटेन ला सकेंगें।

● विमानाअपहरणविरोधी विधेयक 1982—भारतीय संसद ने विमान अपहरण विरोधी विधेयक पारित कर दिया है जिसके अनुसार नागरिक विमानों के अपहरण के साथ साथ विमान पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये हिंसात्मक कार्यों या विमान को नष्ट करने या नष्ट करने के प्रयासों या वायुगमन को संकटमय बनाने वाले कार्यों को दण्डनीय माना गया है।

● नयी स्वास्थ्य नीति—2 नवम्बर 82 को संसद में नयी स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गयी। इसके अनुसार, (1) सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पुनः संरचना (2) चिकित्सा व स्वास्थ्य मानवशक्ति का पुनः विनविन्यास, (3) वैयक्तिक चिकित्सकों के समुचित उपयोग के साथ साथ इस दिशा में सामुदायिक सक्रियता जाग्रत करना (4) स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी अभिकरणों का अधिक से अधिक लाभ उठाना (5) इस शताब्दी के अन्त तक सभी को स्वास्थ्य के लिये सुविधाएं

● नयी पर्यटन नीति—4 नवम्बर 82 को पहली बार भारत की पर्यटन नीति की घोषणा की गयी। इसके अनुसार (1) पर्यटन को विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले उद्योग का दर्जा दिया गया। (2) विदेशी पर्यटकों के साथ साथ घरेलू पर्यटकों को समुचित व सस्ते परिवहन व आवास स्थल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। (3) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकारी व निजी क्षेत्र का समान रूप से सक्रियता का आह्वान किया गया तथा (4) पर्यटन के माध्यम से राष्ट्रीय अखण्डता की भावना को बलवती बनाने के कार्यक्रमों का निरूपण किया गया। (5) इस दशक के अन्त तक 3.5 मिलियन विदेशी पर्यटकों के भारत आगमन की सीमा निर्धारित की गयी।

● विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति—यू. जी. सी ने नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये हैं। इन सिद्धान्तों के अनुसार राज्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व उच्चतर शिक्षा के विद्यमान सुविधाओं का सर्वेक्षण होना चाहिए। सर्वेक्षण करते समय यू. जी.सी. (वि.अनु.आ.) को सहभागी बनाना चाहिए।

अन्तरिक्ष—

● सैल्युत-7—सोवियत अन्तरिक्ष यात्री अनातुले बेरेजेवोय और वालन्तीन लेबदेव ने अपने अन्तरिक्ष यान में टिके रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने 13.2 करोड़ कि.मी. की यात्रा की।

● कोलम्बिया—11 नवम्बर 82 को केप केनेवरल से कोलम्बिया ने अपनी पांचवी तथा प्रथम व्यावसायिक उड़ान भरी। शटल में विलियम लिनोमर तथा जोसेफ एलन सहित चार अन्तरिक्ष यात्री व दो संचार उपग्रह थे। 12 नवम्बर को दोनों उपग्रह पृथ्वी से 296 कि. मी. की ऊंचाई पर अन्तरिक्ष में सफलता पूर्वक स्थापित किये गये। शटल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अन्तरिक्ष यात्रियों का अन्तरिक्ष में पैदल चलने का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 17 नवम्बर को कोलम्बिया अपनी पांच दिन दो घण्टे और एक मिनट की यात्रा के पश्चात कैलिफोर्निया के मोजेव मरुभूमि पर उतर आया।

विज्ञान व तकनीकी—

● तकनालॉजी नगर—जुलाई 82 में प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी के अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां बसे भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भारत के विकास कार्य- [illegible] प्रवासी वैज्ञानिकों ने भारत में एक तकनालॉजी नगर की स्थापना का प्रस्ताव किया था, जहां वे भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दे सकें और अनुसन्धान कार्यों में सहायता कर सकें। इस सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है।

● अन्टार्कटिका अभियान—अन्टार्कटिका को भारत का दूसरा अभियान दल 27 नवम्बर 82 को गोवा से चाटर्ड नार्वेजियन जहाज 'पोलर सर्किल' से रवाना होगा। बाईस सदस्यीय दल का नेतृत्व भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. वी. के. रैना करेंगे। भारतीय मौसम विभाग के डा. सी. आर. श्रीधरन उपनेता होंगे। यह दल वहां 60 दिन ठहर कर उतनी सूचनाएं एकत्रित करेगा जिससे वहां एक स्थायी स्टेशन स्थापित किया जा सके।

सम्मेलन/समारोह—

● 4था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-1 से 14 नवम्बर 82 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, सं. रा. अमेरिका, सोवियत संघ सहित 36 देश और 21 भारतीय राज्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 54 विदेशी और 3000 भारतीय कम्पनियों ने भी भाग लिया। इस मेले का प्रमुख उद्देश्य भारतीय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को सम्पूर्ण विश्व के सामने रखना है।

● भारत उत्सव—पिछले आठ महीनों से ब्रिटेन में चल रहे 'भारत उत्सव' का समापन 14 नवम्बर को लन्दन में हुआ। इन आठ महीनों के दौरान 20 सरकारी कार्यक्रम और 80 वैयक्तिक कार्यक्रम सम्पूर्ण ब्रिटेन में प्रदर्शित किये गये। लगभग 2 मिलियन लोगों ने भारत उत्सव के कार्यक्रम को देखा।

विविधा—

● 31 अक्टूबर 82 से यूरोप से विदेशी पर्यटकों हेतु भारत भ्रमण के लिये चार्टर्ड उड़ानों की सेवाएं प्रारम्भ हुई हैं।

● 5 नवम्बर को श्रीमती गांधी ने बम्बई में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डिवेलॅपमेन्ट के प्रथम कार्यालय का उद्घाटन किया है।

● राजस्थान स्थित बिरला इन्सीट्यूट ऑव साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी ने हिन्दी में कार्य करने वाला कम्प्यूटर विकसित किया है।

● नवम्बर 82 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोवियत गैस पाइप लाइन पर अमेरिकी प्रतिबन्ध हटा लिया है।

● भारत और सोवियत संघ के सहयोग से भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू पर एक वृत्त चित्र के निर्माण करने का निश्चय किया है।

● सर. रिचर्ड अटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म 'गान्धी' का उद्घाटन समारोह 30 नवम्बर 82 को नई दिल्ली में होगा।

● प्रसिद्ध उद्योगपति और भारतीय विमान चालकों में अग्रणी जे. आर. डी. टाटा ने अक्टूबर 82 में एक इंजन वाले लेपर्ड मॉथ विमान से करांची से बम्बई तक पहुंच कर 50 वर्ष पूर्व की ऐतिहासिक उड़ान को दोहराया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय सामयिकी

- भारत-बंगला देश व्यापार
- द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट
- असम समस्या : छठाँ चक्र भी विफल
- नागालैण्ड में सत्ता परिवर्तन
- भारत-फ्रांस सहयोग

भारत-बंगला देश व्यापार

भारत बंगला देश संयुक्त आयोग की पहली बैठक 17 नवम्बर को नयी दिल्ली में हुई जिसका परिणाम दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों के विस्तार के रूप में सामने आया। इससे पूर्व यानी 16 नवम्बर को दोनों देशों के अधिकारियों ने तकनीकी और आर्थिक सम्बन्धों के बारे के विस्तृत बात-चीत की। बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री ए. आर. शमसुद दोहा की इस अवसर पर हुई भारत यात्रा से थोड़े ही दिनों पूर्व बंगला देश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद भारत आये थे और सात अक्टूबर को उनके साथ भारत के कुछ राजनीतिक समझौते हुए थे।

भारत-बंगलादेश संयुक्त आयोग की बैठक के बाद जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देश व्यापार में विस्तार को प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के विस्तार के लिए मिलकर कार्य करने का फैसला किया है। भारत अगले 3 वर्षों तक बंगला देश से प्रतिवर्ष 50 हजार टन यूरिया तथा 20 हजार टन अखबारी कागज खरीदेगा। 1983 में 20 हजार टन विटूमिन आयात किया जायेगा। इसके बदले में भारत बंगलादेश को प्रतिवर्ष एक लाख टन उच्चग्रेड का स्टीम कोयला निर्यात करेगा। भारत ने तीन से पांच लाख टन विशेष तरह का हल्का वाष्पशील कोयला निर्यात करने का प्रस्ताव भी किया है। यह बंगलादेश की जरूरत पर करेगा। संयुक्त आयोग की बैठक में बंगलादेश से जायरानी साड़ी के आयात पर भी बातचीत की गयी है। बंगला देश से भारत 4 हजार टन छपाई का कागज भी मंगायेगा।

संयुक्त आयोग ने आर्थिक व वित्तीय मामलों, व्यापार व वाणिज्य, उद्योग तथा विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम तैयार कर उन्हें लागू करने के लिए चार उपसमितियों का गठन किया है। इन समितियों के सदस्य दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। बाद में जरूरत के अनुसार और समितियों का गठन भी किया जा सकेगा। दोनों पक्षों ने संयुक्त उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है और भारत इसके लिए वित्तीय साधान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है। संयुक्त उद्योगों के लिए अन्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी वित्तीय मदद ली जा सकेगी। एक दूसरे के ट्रकों को माल लेकर अपने यहाँ आवागमन की सुविधा देने पर भी सहमति प्रकट की गयी है। इस पर समझौते का मसविदा तैयार करने के लिए शीघ्र ही अधिकारियों की बैठक बुलायी जायेगी। बंगलादेश में लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहयोग देने के प्रश्न पर बात-चीत के लिए भारतीय विशेषज्ञों का एक दल ढाका जायेगा।

प्रस्तुति : बच्चन सिंह, 'दैनिक जागरण', वाराणसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंगला देश के विकास में सहायता करने के लिए भारत ने 6 करोड़ रुपये का माल उपलब्ध किया है, जिसका सरकारी-गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। बंगला देश में संयुक्त परियोजनाएं आरंभ करने की सम्भावनाओं की खोज का भी भारत ने आश्वासन दिया है। भारतीय विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव के अनुसार भारतीय निजी उद्यमी भी बंगलादेश के औद्योगीकरण में सहायक हो सकते हैं।

भारत और बंगलादेश के राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास होते रहे हैं। यह बात दूसरी है कि उन प्रयासों का अपेक्षित परिणाम अब तक सामने नहीं आया है। बंगला देश की यह शिकायत रही है कि भारत से बंगलादेश के लिए बहुत सा सामान जाता है किंतु बंगला देश से भारत नाममात्र का ही सामान मंगाता है लिहाजा दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन बुरी तरह गड़बड़ है। भारत इस व्यापार संतुलन को ठीक तो करना चाहता है किंतु पिछला इतिहास बताता है कि बंगलादेश शिकायत तो करता है लेकिन भारत को उन वस्तुओं की आपूर्ति करने में भी कोताही बरतता है जिनके बारे में वह सहमत हो चुका होता है। भारत को निर्यात के नाम पर बंगलादेश सिर्फ अखबारी कागज देता है जो निहायत घटिया किस्म का होता है। वह भारी मात्रा में जूट पैदा करता है किंतु उसे भारत को न देकर सुदूर देशों को निर्यात करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता की जूट मिलें मरणासन्न हो गयीं। बंगला देश में प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है किंतु भारत से कोयला, कपड़ा, सूत, लोहा, इस्पात, उर्वरक, इस्पात तथा मशीनिरी आदि मंगाता है।

भारत और बंगलादेश के बीच व्यापारिक सम्बन्धों का सिलसिला शेख मुजीबुर्रहमान के जमाने से ही शुरू हुआ जब 1973 में दोनों देशों ने व्यापारिक समझौते किये। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद स्थिति बदल गयी और बंगलादेश भारत से तो सामान मंगाता रहा किंतु स्वतः कुछ नहीं किया। अक्टूबर 1979 में उक्त समझौते की समीक्षा की गयी लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। 1980 में दूसरा व्यापार समझौता 3 वर्ष के लिए हुआ किन्तु कोई फर्क नहीं हुआ और व्यापार लगभग एक तरफा ही रहा। बंगलादेश के लिए भारत से प्रति वर्ष 50 से 60 करोड़ रुपयों का माल जाता रहा जबकि उसके बदले भारत को मिलने वाले बंगला देशी माल की कीमत लगभग दो करोड़ ही रही। संयुक्त आयोग की बैठक में बंगला देश ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ अपना व्यापार संतुलन ठीक करेगा किन्तु यह नहीं बताया गया कि यह संतुलन ठीक होगा कसे। क्योंकि बातचीत में न तो जूट के निर्यात की चर्चा की गयी और न ही प्राकृतिक गैस के निर्यात की। बंगलादेश यदि भारत को भेजने वाले सामानों का स्तर भी थोड़ा बढ़ा दे तो गनीमत समझनी चाहिए।

द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट

द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट 5 नवम्बर को संसद के पटल पर रखी गयी। केन्द्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए मंत्री स्तर की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग की प्रत्येक सिफारिश पर अन्तिम निर्णय के लिए यह समिति उन सिफारिशों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार करके केन्द्र को अपना निर्णय देगी।

आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश में एक ऐसा कानून लागू करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें यह अनिवार्य व्यवस्था होगी कि जो व्यक्ति किसी समाचार पत्र के प्रकाशन व्यवसाय में लगा है वह अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता। आयोग ने कहा है कि शुरू में यह बात उन सभी लोगों पर लागू होती है, जो एक या एक से अधिक भाषाओं के दैनिक पत्रों पर नियंत्रण करते हों जिनकी प्रसार संख्या कुल मिलाकर एक लाख से अधिक हो।

द्वितीय प्रेस आयोग का गठन 29 मई 1978 को किया गया था और इसे भारतीय प्रेस के विकास तथा स्थिति का अध्ययन करने और भावी विकास के बारे में सुझाव देने का काम सौंपा गया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के त्यागपत्र देने के बाद अप्रैल 1980 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के. के. मैथ्यू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आयोग ने इस वर्ष अप्रैल माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी।

आयोग ने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उनमें एक यह भी है कि समाचार पत्र में विज्ञापन छपे अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार सम्पादक को होना चाहिए तथा सम्पादकीय स्वतंत्रता को हर प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। आयोग ने समाचार पत्रों और विज्ञापन का अनुपात और पृष्ठ के आधार पर मूल्य तय करने के सवाल पर विचार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि बड़े समाचार पत्रों में सम्पादकीय स्वतंत्रता में मालिकों और प्रबन्धकों का हस्तक्षेप रोकने के लिए सम्पादक और प्रबन्धकों के बीच में ट्रस्टी बोर्ड बनाये जांय। रिपोर्ट में समाचार पत्र विकास निगम की स्थापना करने और विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय को विभाजित करके सार्वजनिक उद्योगों के विज्ञापन का काम स्वतंत्र निगम को सौंपने का सुझाव दिया गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आयोग ने प्रमुख प्रतियोगी संवाद समितियों के विकास पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि देश में भारतीय भाषाओं की प्रथम श्रेणी की संवाद समिति विकसित की जानी चाहिए। आयोग ने जहाँ एक ओर समाचार पत्रों के लिए आचार संहिता बनाने जैसे काम को अस्वीकार किया है वहीं यह भी कहा है कि प्रेस परिषद के अधिकार बढ़ाये जाने चाहिए।

आयोग के चार सदस्यों ने प्रेस को अन्य व्यापार के नियंत्रण से मुक्त करने की सिफारिश का इस आधार पर विरोध किया है कि इससे अखबारों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा।

आयोग ने कुल मिलाकर 278 सिफारिशें की हैं किन्तु सरकार अभी तक किसी के बारे में भी राय तय नहीं कर पायी है। यों तो आयोग की सिफारिशों के विभिन्न अंश पिछले दिनों अखबारों में प्रकाशित होते रहे हैं और उन पर बहसें भी होती रही हैं किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाय और उसकी छोटी-बड़ी हर सिफारिश पर सार्वजनिक तौर पर बहस हो और कोई भी निर्णय बौद्धिक मंथन के बाद ही लिया जाय।

असम समस्या: छठाँ चक्र भी विफल

असम में विदेशी घुसपैठियों की समस्या पर त्रिपक्षीय वार्त्ता का छठां चक्र भी समाधान के अभाव में समाप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि वार्त्तालाप का अगला चक्र नई दिल्ली में 6 दिसम्बर से आरम्भ होगा। जो वार्त्ता आगामी 6 दिसम्बर से होगी, आशा व्यक्त की जा सकती कि वह सु-परिणाम लायेगी। क्योंकि वार्त्तालाप के छठें चक्र में केन्द्रीय सरकार और असम नेताओं के बीच की खाई अब काफी हद तक कम हो गई है।

विपक्षी दलों के प्रतिनिधि के रूप में दोनों के पक्षों मध्य मध्यस्थ के रूप में सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका श्री रवीन्द्र नाथ वर्मा निभा रहे हैं। यदि उनकी भूमिका इसी तरह निष्पक्ष रही तो दोनों पक्ष एक-दूसरे के दृष्टिकोण से विधिवत् परिचित होकर समाधान की राह पर चलने का प्रयास करेंगे।

यह ध्यान देने योग्य है कि छठें चक्र के वार्त्तालाप में श्री रवीन्द्र वर्मा ने 4 सूत्रीय नव-प्रस्ताव को वार्त्ता का आधार माना था। किन्तु उनके 4 सूत्रीय नव-प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अखिल असम छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि वे उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि असम के केवल कुछ ही हजार विदेशियों का निष्कासन होगा। श्री वर्मा द्वारा निर्मित 4 सूत्रीय प्रस्ताव के अन्तर्गत सन् 1961 और 1971 के मध्य आगत विदेशियों को चार वर्गों में विभक्त किया गया है और सुझाव के रूप में यह रक्खा गया है कि प्रथम दो वर्गों में आने वाले विदेशियों को नागरिक के रूप में राज्य में रहने दिया जाय। वे दोनों वर्ग हैं—

1. वे लोग, जिन्होंने नागरिकता के लिये प्रार्थना पत्र दिये और नागरिकता के प्रमाण-पत्र प्राप्त किये।
2. वे लोग, जिन्हें असम सरकार ने राज्य में बसा लिया है और जो नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र दे चुके हैं, लेकिन सम्बद्ध प्रार्थनापत्र उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाये हैं। ये तो रहे दो वर्गों वाले।

तीसरा वर्ग उन विदेशियों से सम्बद्ध है जिन्हें राज्य-सरकार ने ही बसाया है, किन्तु जिनके नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित कर लिये गये हैं। चौथे वर्ग में वे विदेशी हैं जिनके नाम मतदाता सूचियों में नहीं है। और चार सूत्रीय नव-प्रस्ताव के माध्यम से यह सिफारिश की गई है कि ऐसे लोगों के राज्य से बाहर कर दिया जाय। किन्तु असम छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे प्रथम दो वर्गों के विदेशियों को स्वीकारने के लिये तैयार नहीं हैं। उनका यह भी कहना है कि तीसरे वर्ग के विदेशियों के दावों पर फैसला करते समय न्यायाधिकरणों ने यदि 'असम अप्रवासक' (असम से निष्कासन) कानून पर ध्यान दिया तो सभी हिन्दू शरणार्थियों का राज्य में रहना वैध मान लिया जायेगा। कानून की धारा 2 में यह प्राविधान है कि पाकिस्तान से जो हिन्दू उपद्रवों अथवा उपद्रवों के भय के कारण असम आ गये थे, उन्हें राज्य अथवा देश से बाहर नहीं किया जायेगा।

आशा की जाती है कि आगामी 6 दिसम्बर से होने वाले वार्त्तालाप में उक्त विवादों को हल करने का प्रयास किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि मार्च, 83 में विधान सभा के चुनाव भी होंगे। यह भी जानने योग्य है कि इस राज्य में पिछले कई वर्षों से राष्ट्रपति शासन लागू है और इस शासन की संवैधानिक अवधि भी 12 मार्च, 1984 को समाप्त हो जायेगी।

हमारे संविधान की धारा 365 (5) के प्राविधानों के अनुरूप देश के किसी भी राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता जबकि असम में ऐसा करना केन्द्र की सम्मति से आवश्यक हो गया है स्थिति यह है कि सरकार के लिये अब संविधान में इसके लिये संशोधन की आवश्यकता आ पड़ी है।

वैसे तो यह अवधि सिर्फ त्रिपक्षीय वार्त्ताओं के चक्कर में खर्च होती रही, किन्तु कहीं से कोई रोशनी परिणाम पर नहीं पड़ती।

(शेष पृष्ठ 59 पर)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तरराष्ट्रीय सामायिकी

■ सोवियत संघ : लियोनिद् ब्रेझनेव नहीं रहे...एन्द्रोपोव नये महासचिव

■ साम्यवादी विश्व : पोलैण्ड सॉलिडैरिटी पर प्रतिबंध, वालेसा रिहा

■ भारतीय उपमहाद्वीप : इंदिरा-जिया वार्ता : संयुक्त आयोग के गठन पर सहमति

■ मध्य पूर्व : अरब-इस्राइल : क्या निकटता बढ़ेगी ?

■ चीन-सोवियत संघ संबंध : बीजिंग-मास्को वार्ता : क्या दरार भरी जायेगी....?

■ पाकिस्तान-चीन संबंध : जिया की चीन यात्रा : आगे-आगे देखिये होता है क्या ?

■ ईरान-इराक युद्ध : तेहरान द्वारा नयी शुरुआत....।

■ पड़ोसी देश : श्रीलंका : जयवर्धने पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित

सोवियत संघ

लियोनिद ब्रेझनेव नहीं रहे' एन्द्रोपोव नये महासचिव !

एक लम्बे अरसे तक विश्व राजनीति में एक विवादास्पद व्यक्तित्व बने रहने वाले सोवियत राष्ट्रपति श्री लियोनिद ब्रेझनेव का 10 नवंबर 1982 को भारतीय समयानुसार अपराह्न 1.30 बजे देहावसान हो गया। वे 75 वर्ष के थे। सरकारी तौर पर जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उनकी मृत्यु हृदयगति रूकने से हुयी। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे।

1964 में निकिता ख्रुश्चेव के उपरांत सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में 18 वर्षों के बृहत् कार्यकाल में ब्रेझनेव ने अनेक उथल पुथल का सामना किया। जिस समय ब्रेझनेव ने पद ग्रहण किया, मास्को के स्मृति-पटल पर क्यूबा मिसाइल संकट (1962) की यादें यथेष्ट रूप से ताजा थीं, सोवियत अर्थ व्यवस्था विश्रृंखलित हो चली थी; सैनिक क्षेत्र में मास्को वाशिंगटन से कहीं पीछे था चीन-सोवियत दरार पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी........। किन्तु ब्रेझनेव ने न केवल इन सब विसंगतियों में सोवियत संघ को एक प्रशंसनीय सम्बल प्रदान किया वरन् निशस्त्रीकरण एवं महाशक्तियों के मध्य 'तनाव शैथिल्यीकरण' की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि इन दोनों ही क्षेत्रों में उनके जीवनकाल में कोई ठोस उपलब्धि न हो सकी।

ब्रेझनेव को 5 अमरीकी राष्ट्रपतियों-लिंडन जानसन, रिचर्ड निक्सन, जेरॉल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर तथा रोनाल्ड रीगेन के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप से वे अफगानिस्तान, पोलैण्ड, पश्चिमी एशिया तथा मध्य अमेरिका के संदर्भ में रीगेन प्रशासन की नीतियों से नितान्त क्षुब्ध रहे। मृत्यु से केवल 4 दिन पूर्व रेड स्क्वॉयर में पारम्परिक सैनिक वर्षगांठ के दौरान उन्होंने सोवियत संघ के प्रति, "वैचारिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अतिक्रमण' की नीति रखने वाले राष्ट्रों को कड़ी चेतावनी दी। संकेत वाशिंगटन की ओर था। हो सकता है, पूर्व पश्चिम (East-West) संबन्धों को नियमित करने में भावी सोवियत प्रशासन इसी दृष्टिकोण को आधार बनाये।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक शांति-संतुलन (Balance of peace) के ब्रेझनेव हमेशा प्रबल समर्थक रहे। संयुक्त राष्ट्र के द्वितीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रेझनेव के इस आश्वासन कि, "सोवियत संघ कभी भी परमाण

प्रस्तुति : नन्द लाल, प्रवक्ता, राजनीति विभाग, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्त्रों के प्रयोग में पहल नहीं करेगा'' के लिये विश्व उन्हें हमेशा स्मरण करेगा। मूल रूप से ब्रेझनेव एक अभियन्ता थे। एक सर्वगुण सम्पन्न व्यवस्थाकार की भाँति ब्रेझनेव ने हमेशा सोवियत जनमानस की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारने का प्रयास किया। यद्यपि मृत्यु से कुछ समय पूर्व ब्रेझनेव ने स्वयं स्वीकार किया था कि सोवियत अर्थव्यवस्था अभी भी 'विसंगतियों' से ग्रस्त है किन्तु सोवियत संघ ने ब्रेझनेव की शासनावधि में आर्थिक क्षेत्र में चौतरफा प्रगति की है। सैनिक दृष्टि से भी मास्को पहले की तुलना में बहुत अधिक सशक्त है। इन उपलब्धियों का श्रेय निश्चित रूप से दिवंगत सोवियत नेता को है।

विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों तथा अन्य नेताओं ने सोवियत राष्ट्रपति की मृत्यु पर गम्भीर संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति रीगेन ने ब्रेझनेव को पिछले दो दशकों का विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता बताते हुए 'भावी सोवियत नेतृत्व के साथ संबंधों को सुधारने'' की इच्छा प्रकट की है।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक, जैसी कि आशा थी, सोवियत जासूसी संस्था के.जी.बी के प्रधान यूरी एन्द्रोपोव को कम्युनिस्ट पार्टी का नया महासचिव निर्विरोध रूप से चुना गया है। एन्द्रोपोव ने अपने पहले ही भाषण में यह कह कर कि, साम्राज्यवादियों से शांति का आग्रह करना व्यर्थ है···· भविष्य में सोवियत संघ सैन्य शक्ति के माध्यम से विश्व में शांति स्थापना के लिये कार्यरत रहेगा, नये सोवियत नेतृत्व की नीतियों की ओर संकेत कर दिया है। पर्यवेक्षकों का ऐसा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दोनों महाशक्तियों के मध्य सम्बन्धों में और कटुता आयेगी।

जहाँ तक भारत के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों का प्रश्न है, इनमें ब्रेझनेव के उपरांत कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। सोवियत संघ की एशियाई नीति के तहत, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को मद्देनजर रखते हुए, भारत को स्थान प्रदान किया गया है विश्व राजनीति के वर्तमान ध्रुवीकरण के संदर्भ में, वह पूर्ववत् बना रहेगा ऐसी आशा की जा सकती है।

साम्यवादी विश्व :

पोलेण्ड : सॉलिडैरिटी पर प्रतिबंध; वालेसा रिहा !

पिछले 25 महीनों से पोलण्ड के राजनीतिक विकास घटनाक्रम के नवीनतम् चरण के रूप में 11 नवम्बर 82 को ''सॉलिडैरिटी'' के नेता श्री लेक वालेसा को लगभग 11 महीनों की नजरबंदी के उपरांत रिहा करने के आदेश पोलैण्ड की जारुजेल्स्की-सरकार द्वारा जारी किये गये। सरकारी तौर पर यह घोषणा की गयी है कि वालेसा ने मार्शल लॉ प्रशासक जनरल जारुजेल्स्की को पत्र लिख कर उनसे श्रमिक अशांति पर वार्ता करने का प्रस्ताव रखा था। 12 नवम्बर को वालेसा रिहा कर दिये गये।

इसके पूर्व 9 अक्टूबर को स्वतंत्र मजदूर यूनियन के प्रति पोलिश साम्यवादी दल की उग्रवादिता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी, जब पोलिश संसद द्वारा पारित एक कानून के अन्तर्गत 'सॉलिडैरिटी' पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया; हड़ताल करने के अधिकार पर सीमा लगा दी गयी तथा भविष्य में ट्रेड यूनियनों को स्थानीय स्तर तक ही सीमित कर दिया गया। इस प्रकार नये कानून के लागू होने के ही साथ ही पोलैण्ड की सभी ट्रेड यूनियनें स्वतः भंग हो गयीं। नये कानून के अन्तर्गत जिन नये मजदूर संगठनों की स्थापना होगी यद्यपि वे सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होंगी किन्तु इस व्यवस्था में, सरकारी तन्त्र के प्रश्रय एवं सशक्त संगठनात्मक ढांचे के कारण साम्यवादी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, यह निश्चित है। प्रारम्भ में फैक्ट्री स्तर पर ट्रेड यूनियनों का गठन किया जायेगा; क्रमशः तीन वर्ष के समयकाल में शनैः शनैः इन्हें एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान किया जायेगा।

पोलिश सरकार की इस प्रकार की उग्रवादी नीति इस तथ्य का परिचायक है कि किस प्रकार साम्यवादी तंत्र के समक्ष पिछले कुछ समय में लगे प्रश्न चिन्हों से साम्यवादी दल का नेतृत्व भी चिंतित है। 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सॉलिडैरिटी' की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर ग्डांस्क, लूबिन आदि प्रमुख शहरों में व्यापक पैमाने पर श्रमिकों की हड़ताल तथा गिरफ्तारी ने इस प्रकार के विकास की प्रक्रिया को तनिक तीव्र कर दिया, यद्यपि इस प्रकार का विधेयक कुछ समय पूर्व से ही अनौपचारिक स्तर पर सरकार के विचाराधीन था। लेक वालेसा को रिहा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने की सरकारी पेशकश अस्तुत के अन्त में भी की गयी थी बशर्ते कि वे सरकारी तन्त्र के अन्तर्गत भविष्य में गठित श्रमिक संगठनों के प्रति अपना समर्थन दें किन्तु प्रस्ताव को वालेसा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि नये कानून के अन्तर्गत कुछ उन निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, जिन्हें श्रमिक संगठनों के गठन का आधार बनाने की माँग 'सॉलिडैरिटी' द्वारा 1980 में की गयी थी। चूंकि नये श्रमिक संगठनों के गठन के वास्तविक आधारों की जानकारी अभी अप्राप्य है अत: 'सॉलिडैरिटी' द्वारा प्रस्तावित किन आधारों को नये श्रमिक संगठनों के गठन के मसौदे में शामिल किया गया है, यह कहना मुश्किल है। वैसे सैद्धांतिक स्तर पर, नये कानून के अन्तर्गत श्रमिक संगठनों को प्रचार माध्यमों के उपयोग से वंचित कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ आवश्यक सेवाओं (सेना, पुलिस, जेल तथा मंत्रालय) में श्रमिकों से ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार ले लिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में श्रमिकों को यूनियन बनाने का अधिकार तो दिया गया है किन्तु उन्हें हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार जिन तथ्यों की जानकारी प्राप्त है, उनमें से सभी तथ्य ऐसे हैं जिनके विरोध में सॉलिडैरिटी' ने अपना जेहाद शुरू किया था। इसलिये निकट भविष्य में 'सॉलिडैरिटी' तथा 'पोलिश कम्युनिस्ट पार्टी' के मध्य कोई सामञ्जस्यपूर्ण समझौता हो सकेगा, इसकी बहुत कम संभावना है।

लेक वालेसा ने किन विषयों पर जनरल जारुजेल्स्की से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की है, इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत अधिकारिक टिप्पणी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक नहीं प्राप्त हुयी है।

इस प्रकार सॉलिडैरिटी पर प्रतिबन्ध के साथ ही किसी भी कम्युनिस्ट देश में कम्युनिस्ट पार्टी से पृथक श्रमिक संगठन के इतिहास का एक

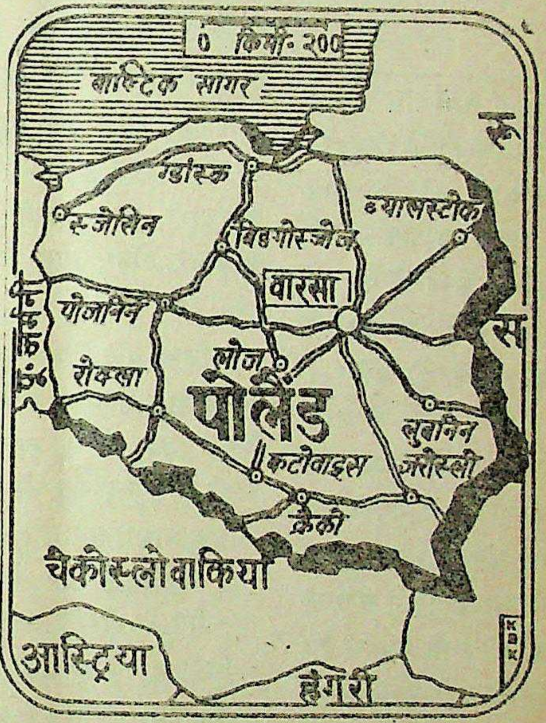

चरण पूरा हो गया। किन्तु जारूजेल्स्की सरकार के इस कदम से पोलैण्ड में उहापोह की स्थिति में कोई कमी नहीं आयेगी। स्वतंत्र श्रमिक संघों में सरकार के इस दमनात्मक दृष्टिकोण से चिनगारी और उभरेगी। कम्युनिस्ट सरकार और पोलिश चर्च के मध्य भी सम्बन्ध और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पोलैण्ड के आर्कबिशप ने 'सॉलिडैरिटी'' पर प्रतिबन्ध लगाने के सरकारी कदम की कटु आलोचना की है।

सॉलिडैरिटी पर प्रतिबन्ध लगाने की जारूजेल्स्की सरकार की नीति के विरुद्ध सर्वाधिक कटु प्रतिक्रिया रीगन प्रशासन की रही है। रीगन ने स्पष्ट शब्दों में पोलैण्ड पर आर्थिक प्रतिबंध और अधिक कड़े करने की बात कही है। ऐसी स्थिति में पहले से ही विश्रृंखलित पोलैण्ड की अर्थ-व्यवस्था को श्रृंखलाबद्ध रूप प्रदान करने में और अधिक कठिनाई का सामना पोलैण्ड की कम्युनिस्ट सरकार को करना पड़ेगा।

किन्तु लेक वालेसा की रिहाई के आदेश के तुरन्त बाद रीगन प्रशासन ने सोवियत संघ पर दिसम्बर, 1981 में आरोपित समस्त आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लिये हैं। दिसम्बर में ये प्रतिबन्ध पोलिश घटनाक्रम में सोवियत उत्तरदायित्व के आधार पर लगाये गये थे। उल्लेखनीय है कि प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पश्चिमी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूरोप से साइबेरिया तक बहुचर्चित गैस पाइप लाइन के निर्माण हेतु अमरीकी वस्तुओं के विक्रय पर भी रोक लगाया गया था। रीगेन प्रशासन द्वारा इस प्रतिबन्ध को भी हटा लिया गया है।

भारतीय उपमहाद्वीप :

इंदिरा-जिया वार्ता : संयुक्त आयोग के गठन पर सहमति !

तीन 'एशियान' देशों की अपनी यात्रा के मार्ग में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक की भारतीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के साथ भारत-पाक सम्बन्धों पर 1 नवम्बर 1982 को साढ़े तीन घंटे की वार्ता त्वरित परिणामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। दोनों देशों के मध्य पिछले एक वर्ष में 'अयुद्ध संधि, या 'मैत्री संधि' सम्बन्धी विवादास्पद मुद्दों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस संक्षिप्त वार्ता ने परस्पर समझ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। कम से कम अभी तो यही प्रतीत होता है। वार्ता दीर्घकालिक रूप से कितनी सफल रही इसका अनुमान दिसम्बर में दोनों देशों के विदेश सचिवों की वार्ता के उपरांत (जब पाकिस्तान के अयुद्ध संधि तथा मैत्री संधि" के भारतीय प्रस्तावों पर साथ-साथ विचार किया जायेगा) ही निर्धारित किया जा सकेगा।

ठोस अर्थों में दोनों नेताओं की वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम "भारत-पाक सम्मिलित आयोग" (Indo-Pak Joint Commission) के गठन पर सहमति रही। आयोग के गठन क्षेत्र तथा कार्यों का निर्धारण दिसम्बर में विदेशसचिवों की बैठक के दौरान किया जायेगा। उसी के उपरांत आयोग कार्य करना शुरू करेगा।

इसी प्रकार पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद की स्थिति (कि पहले पाकिस्तान के अयुद्ध संधि के प्रस्ताव पर बातचीत की जाय या पहले संयुक्त आयोग का गठन किया जाय) समाप्त सी हो गयी है। वार्ता की एक और प्रमुख उपलब्धि के रूप में दोनों देशों के मध्य एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्तर्गत दोनों देशों को अपने-अपने बंदियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का परस्पर अधिकार होगा तथा राजदूत इनसे मिल भी सकेगें।

किन्तु यदि पिछले 1-2 वर्षों के भारत-पाक सम्बन्धों के टेढ़े-मेढ़े मार्गों के परिप्रेक्ष्य में 1 नवम्बर 82 की वार्ता का मूल्यांकन किया जाय तो अधिक आशान्वित होने का कोई कारण नहीं क्योंकि बैंकाक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जनरल जिया ने पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति तथा कश्मीर के प्रश्न पर जिस प्रकार के तर्क दिये हैं, उससे लगता है कि भारत के प्रति पाकिस्तान उसी प्रकार की दोहरी नीति बनाये रखना चाहता हैं जैसी भूतकाल में रही है।

इसके अतिरिक्त एक और तथ्य ऐसा है जिसके चलते संयुक्त आयोग के गठन का ही मसला खटाई में पड़ सकता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार संयुक्त आयोग का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से सांस्कृतिक तथा आर्थिक सहयोग के विषयों पर विचार करना होगा है किन्तु पिछले जून में जब से एक संयुक्त आयोग के गठन का प्रस्ताव भारतीय पक्ष द्वारा किया गया है तब से अब तक बराबर पाकिस्तान यह इच्छा प्रकट करता रहा है कि संयुक्त आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक किया जाना चाहिये ताकि इसके द्वारा सैनिक तथा राजनीति मसलों पर भी विचार किया जा सके जबकि भारतीय पक्ष की ओर से हमेशा इसका विरोध किया जाता रहा है क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इस प्रकार के राजनीतिक तथा सैनिक मसलों को समय-समय पर शिखर वार्ताओं (Summit Talks) के माध्यम के सुलझाया जा सकता है।

जनरल जिया 'संयुक्त आयोग' के गठन पर इतने अप्रत्याशित रूप से क्यों सहमत हो गये ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञातव्य है कि चीन तथा उत्तरी कोरिया की यात्रा पूरी करने के उपरान्त जनरल जिया दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा पर गये हैं। मुख्य रूप से उनके यात्रा कार्यक्रम में इण्डोनेशिया, मलेशिया तथा सिंगापुर हैं। ये तीनों ही राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पश्चिम समर्थक देशों के रूप में जाने जाते हैं। एक संभावना यह भी व्यक्त की गयी है कि जनरल जिया मार्च 1982 में आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की अमरीका विरोधी दृष्टिकोण को कुछ कम करने का प्रयास करें। इसके लिये वे अभी से भूमिका बना रहे हैं।

वैसे भी पाकिस्तान आंतरिक विद्रोह की अग्नि में झुलस रहा है। हो सकता है "तीसरी दुनिया" के अनेक देशों की भांति जनरल जिया भी पाक जनता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का ध्यान भौतिक गतिविधियों से हटाकर वैदेशिक उपलब्धियों की ओर आकृष्ट करना चाहते हों।

मध्य-पूर्व :

अरब-इस्राइल : क्या निकटता बढ़ेगी ?

लेबनॉन के पिछले कुछ दिनों के दुःखद घटनाक्रम और उसमें इस्राइली उत्तरदायित्व के चलते संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान द्वारा इस्राइल के संयुक्त राष्ट्र से निष्कासन का जो प्रस्ताव रखा गया था, वह 13 अक्टूबर 82 को 9 के मुकाबले 74 मतों से अस्वीकृत हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में लीबिया तथा अल्जीरिया तथा इन दो अरब देशों सहित वियतनाम, क्यूबा, अल्बानिया, निकारगुआ, ग्रीनेडा तथा अफगानिस्तान ने मत दिया। भारत सहित अनेक एशियाई, अफ्रीकाई, लातीनी अमरीकी तथा कम्युनिस्ट देश, जिनकी कुल संख्या 31 रही, मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव पर विचार के दौरान ही अमरीकी प्रतिनिधि ने धमकी दी थी कि यदि इस्राइल को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित किया जाता है तो अमरीका न केवल संयुक्त राष्ट्र को समस्त आर्थिक सहायता बन्द कर देगा वरन् स्वयं भी सदस्यता छोड़ देना चाहेगा।

पिछले अंक में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से रीगेन द्वारा प्रस्तावित पश्चिम एशियाई शांति योजना को इस्राइल ने पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। रीगेन प्रस्ताव में पश्चिमी तट को जॉर्डन के साथ जोड़ने तथा स्वशासी फिलीस्तीनी राज्य बनाने की बात कही गयी है। इसी प्रकार अरब राष्ट्रों के फेज़ प्रस्ताव, जिसके अन्तर्गत एक स्वायत्त फिलिस्तीनी राज्य की तुरन्त स्थापना की बात कहीं गयी थी, को भी इस्राइल ने अस्वीकार कर दिया था।

22 अक्टूबर को इस्राइली प्रधानमन्त्री ने एक प्रसारण के दौरान नये शांति प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में किसी अरब-इस्राइल संघर्ष की कोई आशा नहीं है, इसलिये किसी नये शांति प्रस्ताव या प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। बेगिन के इस प्रकार के तर्क के कुछ ठोस आधार हैं : (क) लेबनॉन में इस्राइली उग्रवादिता तथा नरसंहार के बावजूद काहिरा-तेल अवीव के मध्य हुए समझौते पर कोई आंच नहीं आयी है ? (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि सीरिया को यह एहसास अब एक बार पुनः हो गया है कि सैनिक क्षमता में उसके लिए इस्राइल की समकक्षता प्राप्त कर पाना असम्भव है : (ग) जहाँ तक जॉर्डन का प्रश्न है, इसके पास इस्राइल से संघर्ष करने की न ही इच्छा शक्ति है और न ही सैनिक क्षमता। इसी प्रकार फिलिस्तीनी गुरिल्लों के लिये इस्राइल पर किसी प्रकार आक्रमण करने के लिये ठौर की समस्या होगी जबकि लेबनॉन से बहिष्कृत किये जाने के पूर्व उन्हें इस प्रकार का एक ठौर सहज ही प्राप्त था। अधिकांश फिलिस्तीनी लेबनॉन छोड़ चुके हैं; जो अब भी बेक्का घाटी में हैं, वे सीरियाई सैनिकों को आड़ में यद्यपि अब भी समय-समय पर इस्राइली सेनाओं पर आक्रमण क सकते हैं किन्तु यह भी दुष्कर प्रक्रिय होगी। एक तथ्य सुनिश्चित मा लिया जाना चाहिये कि भविष्य लेबनॉन के संदर्भ में चाहे जो समझौत भी हो, किन्तु लेबनॉन के दक्षिणी भा (Southern Lebanon) के विष में किसी भी प्रकार के समझौते प तभी सहमति होगी जबकि फिलिस्ती सीमा अतिक्रमणों का भय इससे क होता हो। यद्यपि इस्राइल ने इ आधार पर फिलिस्तीनियों को लेबनॉ से निकालने में सफलता प्राप्त की वि उसकी सीमाओं को फिलिस्तीनियों खतरा है, किन्तु फिर भी समस्य वास्तव में अभी वहीं की वहीं क्योंकि पश्चिमी किनारे तथा गाज दर्रे के 1,00,000 फिलिस्तीनी अभ भी वहीं हैं; उन्हें न तो इस्राइ वहाँ से निकाल पा रहा है और न ह उनके लिये कोई पृथक व्यवस्था करने के ही पक्ष में इस्राइल है।

कई अंकों पूर्व 'लेबनान' पर ह टिप्पणी के दौरान हमने यह विचा व्यक्त किया था कि 6 जून के बाद के घटनाक्रम से पी. एल. ओ. को कम से कम एक लाभ यह अवश्य हुआ कि फिलिस्तीनी स्वायत्तता का प्रश्न एक बार पुनः उभर कर विश्व के सामने आ गया है और विश्व जनमत का निर्माण निश्चय ही फिलिस्तीनियों के पक्ष में हुआ है। सबरा तथा चतिला के फिलिस्तीनी शिविरों में इस्राइली सेनाओं द्वारा नरसंहार, इसके विरुद्ध स्वयं इस्राइली जनता की व्यापक प्रतिक्रिया; इस्राइल के मुख्य न्यायाधीश द्वारा घटना की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ली सरकारी जांच तथा वरिष्ठ स्राइली सैनिक अधिकारियों द्वारा ागपत्र; स्वयं रक्षामंत्री शेरॉन द्वारा रसंहार के लिये इस्राइली सेना के त्तरदायित्व की स्वीकारोक्ति—इन मस्त तथ्यों ने फिलिस्तीनी स्वायत्तता तथ्य को अवश्यंभावी बना दिया ।

लेबनॉनी घटनाक्रम के सम्बन्ध यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि मशः अरब-इस्राइल निकटता के क्षण स्पष्ट हो रहे हैं । 13 अक्टूबर ो संयुक्त राष्ट्र में इस्राइली निष्का-न के प्रस्ताव को ईरान द्वारा रखा ाना महत्वपूर्ण है । ज्ञातव्य है कि रब राष्ट्रों के फज शिखर सम्मेलन प्रस्तावों का सार यही था कि यदि स्राइल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के हत् 1967 के बाद अरब राष्ट्रों के धिकृत प्रदेशों को खाली कर दे तथा फलिस्तीनियों के लिये एक पृथक वायत्त राज्य की स्थापना कर दे तो रब संघ इस्राइल को मान्यता देने प्रश्न पर विचार कर सकता है । कन्तु उग्रवादी-अरब राष्ट्र इस्राइल किसी भी प्रकार के सामञ्जस्य के रूत विरोधी हैं । शनैः शनैः अरब ाष्ट्र भी यह महसूस कर रहे हैं कि श्चिमी एशिया में इस्राइल का स्तित्व और अरबों की तुलना 'अधिक समर्थ सैनिक क्षमता''—क वास्तविकता बन चुकी है । राफत पहले ही कह चुके हैं कि, अरब एकता एक झूट है ।' नरमवादी रब राष्ट्र इस्राइल के साथ अब तक क सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं, ह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि स्राइली निष्कासन के ईरानी प्रस्ताव [illegible] लीबिया तथा अल्जी-रिया, इन दो उग्रवादी अरब राष्ट्रों द्वारा ही किया गया । ईरानी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले अधिकांश देश या तो कम्युनिस्ट विचारों के समर्थक ।

अन्य बातों के अतिरिक्त, अब अमरीका भी इस तथ्य से परिचित हो चुका है कि पश्चिमी एशिया में इस्रा-इल एक सशक्त शक्ति का स्थान प्राप्त कर चुका है । किसी भी संभा-वित अरब सैनिक गठबन्धन की तुलना में इस्राइल अधिक शक्तिशाली पड़ेगा, यह भी वाशिंगटन समझता है । किन्तु अमरीका की एक समस्या और है : वह यह कि खाड़ी के क्षेत्र सूडान तथा मिस्र जैसे कुछ पश्चिम समर्थक राष्ट्रों का अस्तित्व भी निरापद होना चाहिए । यही कारण है कि अपनी विश्वपरक कूटनीति के अन्तर्गत अमरीका इस्राइल तथा नरमवादी अरब राष्ट्रों के मध्य एक संतुलन की स्थापना करना चाहता है, इसी कारण वाशिंगटन तेल अवीव के प्रति कोई उग्र कदम उठाने में असमर्थ है ।

चीन-सोवियत संबंध :

बीजिंग-मास्को वार्ता : क्या दरार भरी जायेगी...?

8 अक्तूबर 82 को एक लंबे समय के उपरांत चीन तथा सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर संबंधों के सुधार की दिशा में बीजिंग में वार्ता शुरू हुयी । लगभग 20 वर्षों के परस्पर द्वेषपूर्ण संबन्धों के उपरांत यह बातचीत इस कारण विशेष महत्व पूर्ण रही कि अब दोनों ही साम्यवादी राष्ट्रों ने बातचीत के शर्त के रूप में पूर्वकाल में अपनायी गयी अपनी हठ-धर्मिता को काफी हद तक छोड़ दिया है । इस बार बीजिंग द्वारा यह नहीं कहा गया कि चीन-सोवियत वार्ता तभी सफल हो सकती है जब सोवियत संघ द्वारा हिन्द-चीन, अफगानिस्तान अथवा चीन-सोवियत सीमा के सम्बन्ध में एक सकारात्मक रवैया अपनाया जाय, ठीक इसी प्रकार सोवियत संघ भी इन मुद्दों पर चीन के साथ वार्ता करने को सहमत है, जबकि इसके पूर्व मास्को ने हमेशा इसका विरोध किया था । इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन जटिल मुद्दों पर तुरन्त कोई सम-झौता हो जायेगा किन्तु दोनों देशों के साम्यवादी दलों के मध्य संबन्धों की शुरूआत हो गयी है । इस संदर्भ में एक और तथ्य उल्लेखनीय है कि हाल में सम्पन्न चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 12 वीं कांग्रेस में फ्रांसीसी साम्य-वादी दल से सम्बन्धों को सामान्य बनाने का निर्णय लिया गया है । ज्ञातव्य है कि फ्रांसीसी साम्यवादी दल अपने विचारों में सोवियत समर्थक है ।

13 नवम्बर 82 को चीनी विदेश विभाग द्वारा जारी ही एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ब्रेझनेव की मृत्यु से, दिसम्बर के अन्त में विभिन्न द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मास्कों में पूर्व-प्रस्तावित बीजिंग-मास्को वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा । यह हो सकता है कि इसके कारण यह वार्ता कुछ सप्ताह विलम्ब से प्रारम्भ हो ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिवंगत सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद् ब्रेझनेव की अन्तेष्टि में चीनी विदेशमन्त्री हुवांग हुआ की उपस्थिति की इस तथ्य का सूचक मानी जा सकती है कि निकट भविष्य में बीजिंग-मास्को दरार कुछ भरी जायेगी।

पाकिस्तान-चीन संबंध :

जिया की चीन यात्रा : आगे-आगे देखिये होता है क्या ?

अक्टबर के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान के मार्शल लॉ प्रशासक जनरल जिया-उल-हक ने चीन की छः दिवसीय यात्रा की। यद्यपि यात्रा के बाद कोई संयुक्त विज्ञप्ति तो नहीं जारी की गयी किन्तु कि अमरीकी साप्ताहिक को दिये गये अपने साक्षात्कार में जनरल जिया ने कहा कि, "चीन हमेशा पाकिस्तान का सच्चा मित्र रहा है ....संकट के समय हमेशा चीन ही पाकिस्तान के काम आता रहा है।"

जनरल जिया ने चीनी प्रधानमन्त्री के साथ अपने दो दौर की बातचीत में भारतीय उप-महाद्वीप का वातावरण शांतिपूर्ण बनाये जाने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

यद्यपि सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि चीन एवं पाकिस्तान के मध्य कश्मीर के प्रश्न पर कोई वार्ता नहीं हुई किन्तु एक पाकिस्तानी संवाददाता से बातचीत करते हुए चीनी प्रधानमन्त्री ने कहा कि, "संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन ने कश्मीर के प्रश्न पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है।

चीन और पाकिस्तान के मध्य संबन्धों को घनिष्ठ बनाने की प्रक्रिया क्या रंग लायेगी यह आने वाला समय ही बतायेगा।

ईरान-इराक युद्ध :

तेहरान द्वारा नयी शुरूआत ...।

सितम्बर 1980 में शत-अल-अरब जलमार्ग पर प्रभुसत्ता के परस्पर दावों के आधार पर प्रारंभ ईरान-इराक युद्ध में, अक्टूबर-नवम्बर के दौरान उग्रवादिता से पुनः आक्रामक स्थिति पैदा हो गयी है। 2 नवम्बर 82 को ईरानी सेनाओं ने ईराकी सीमा के 10 किमी. भीतर घुसकर, ईराकी सेना पर आक्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में ईराकी सैनिक मारे गये। ईरान के इस नवीन और अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक रुख ने 26 महीनों से चले आ रहे 'खाड़ी युद्ध' के निकट भविष्य में शांत होने की संभावनाओं को न्यून कर दिया है।

इसके पूर्व 10 जून 82 को इराक की क्रांति कमान परिषद ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की थी जिसे प्रारम्भिक रूप से अस्वीकार करने के बाद ईरानी सरकार ने युद्ध समाप्त करने के लिये तीन शर्तें रखी थी : (क) ईरानी क्षेत्रों से इराकी सेनाएँ लौट जांय; (ख) युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान की पूर्ति हेतु इराक, ईरान को समुचित मुआवजा दें; तथा (ग) इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन को पद से हटाया जाय जिनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण युद्ध इतने दीर्घकाल तक चलता रहा (युद्ध के कारणों तथा इतिहास के विस्तृत विवरण के लिये कृपया देखिये प्रगति मंजूषा, अगस्त, 82; पृष्ठ 8-9) युद्ध की समाप्ति के लिये ईरानी शर्तें अभी भी बरकरार हैं, किन्तु राष्ट्रपति सद्दाम को पदच्युत देखने में इराक की कितनी रुचि है, इसका अनुमान ईरानी संसद के अध्यक्ष (Speaker) श्री रफसंजानी के इस कथन से लगाया जा सकता है कि, "यदि सद्दाम हुसेन को पद से हटा दिया जाय तो ईरान मुआवजे की शर्त समाप्त कर सकता है।"

ज्ञातव्य कि ईरान की पहली शर्त स्वतः ही पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब युद्ध इराक की सीमा के 10 किमी. भीतर हो रहा है। मुआवजे एवं सद्दाम को हटाये जाने की ईरानी मांग का सीरिया के अतिरिक्त अन्य सभी खाड़ी के राष्ट्र विरोध कर रहे हैं।

"इस्लामिक कान्फ्रेन्स ऑरगेनेइजेशन (ICO) द्वारा युद्ध को समाप्त करने के लिये प्रस्तुत योजना को 2 नवम्बर को ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्ला खुमैनी द्वारा यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया कि इससे 'इराक की आक्रमणकारी प्रवृत्ति को और बढावा मिलेगा। इसी प्रकार गुट निरपेक्ष देशों की समन्वय समिति द्वारा किया जा रहा शांति का प्रयास पहले ही असफल हो चुका है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पड़ोसी देश :

श्रीलंका : जयवर्धने पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित

20 अक्तूबर 82 को श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिये सम्पन्न चुनावों में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके श्री जूनियस जयवर्धने ने एक राजनीतिक इतिहास का निर्माण किया है। उन्हें लगभग 52.92 प्रतिशत मत प्राप्त हुए है जबकि उनके प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी 'श्रीलंका फ्रीडम पार्टी' (SLFP) के उम्मीदवार हेक्टर कोबाक दुआ को कुल मतों का 39 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुआ।

श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के चुनाव में पराजित होने के कई कारण बताये जा सकते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में दल की मुख्य नेतृत्वकर्त्री श्रीमाओ भण्डारनायके न तो स्वयं चुनाव लड़ सकीं और न ही अपने दल के लिये प्रचार कर सकीं। श्रीलंका की ससद दो वर्ष पूर्व ही उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित कर चुकी है। पिछले 5 वर्षों में SLFP काफी हद तक विशृंखलित हो चुकी है। दल के विरोधी गुट का नेतृत्व स्वयं उनके पुत्र अनुश भण्डारनायके के हाथों में है, जबकि अनुश का विरोध स्वयं दल का एक अन्य गुट कर रहा था। इसके अतिरिक्त फ्रीडम पार्टी के सदस्यों ने चुनाव प्रचार के दौरान भी संगठित ढंग से कार्य नहीं किया। इन सभी ऋणात्मक तत्वों का पूरा लाभ विजयी यूनाइटेड नेशनल पार्टी' को प्राप्त हुआ।

1977 के चुनावों की तुलना में इस बार दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया है। जहाँ 1977 में 'यूनाइटेड नेशनल पार्टी' को 50.6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। इस बार इसे 52.92 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। जफना के अतिरिक्त शेष 22 निर्वाचकीय जिलों में जयवर्धनेने अपने प्रतिद्वन्द्वियों को पराजित किया। इससे अधिक महत्वपूर्ण SLFP की दृष्टि से चुनाव परिणाम रहे : 1977 के 29% की तुलना में इस बार के चुनावों में 39% मत इस दल ने प्राप्त किया।

चुनाव ने इस तथ्य को भी स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका में वामपंथ दलों का प्रभाव घट रहा है। इस बार के चुनावों में सोवियत समर्थक 'कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया और कोबाकदुआ को अपना समर्थन दिया जब "लंका सम समाज पार्टी" (LSSP) (जो श्रीलंका में सर्वाधिक पुराना वामपंथी दल है) के उम्मीदवार डा. डिसिल्वा को मात्र 58,000 मत प्राप्त हुए। जबकि 'पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट' की स्थिति इससे कहीं अच्छी रही। मुख्य रूप से यह विद्यार्थियों द्वारा समर्थित दल है। इस दल के प्रत्याशी रोहना वीजीवीरा को 2,75,000 मत प्राप्त हुए।

राष्ट्रपति जयवर्धने ने चुनाव परिणामों के उपरांत घोषणा की कि जुलाई 1983 में संसद के प्रस्तावित चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है क्योंकि प्रायः सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी पार्टी को व्यापक बहुमत प्राप्त हुआ है। किन्तु यह तर्क अपने में किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि जयवर्धने की सरकार अगले 1 वर्ष में अपना दायित्व किस प्रकार से वहन करेगी और अपनी किस प्रकार की छवि आम जन मानस के स्मृतिपटल पर अंकित करेगी? इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है।

वैसे जयवर्धने के सामने मूल्यवृद्धि और परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्यायें होंगी। जयवर्धने ने संसद की कार्य विधि बिना किसी चुनाव के 1987 तक बढ़ाने के लिये एक जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है। क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि जयवर्धने संसदीय चुनावों में अपनी विजय के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। इसके ठोस कारण भी हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग (तामिल भाषी) में मतदान बहुत निराशा जनक रहा है। इस क्षेत्र में 'तामिल यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट' (TULF), जो संसद में विरोधी दल भी हैं, ने, यह प्रदर्शित करने के लिये कि तामिल भाषी क्षेत्र स्वयं एक राष्ट्र है, इन मतदाताओं से 20 अक्टूबर के चुनावों का बहिष्कार का आह्वान किया था। यह आह्वान सफल रहा क्योंकि जफना के महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत मात्र 44 रहा जबकि सामान्य तया इस क्षेत्र में 80% मतदान होता रहा है। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य अध्ययन वस्तुपरक परीक्षण

1. म.प्र. के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रवि शंकर शुक्ल थे। बताइये इस प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे ?
(अ) पट्टभि सीतारमैया (ब) सत्यनारायण सिन्हा
(स) सी. एम. पुनाचा (द) हरिविष्णु पाटस्कार

2. इन्दौर म. प्र. का सबसे पुराना और प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केन्द्र है। बताइये इस समय राज्य में कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं ?
(अ) 6 (ब) 11
(स) 10 (द) 8

3. म. प्र. में कितने दूरदर्शन केन्द्र हैं ?
(अ) 2 (ब) 1
(स) 3 (द) एक भी नहीं

4. म. प्र. का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। बताइये राज्य का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन है ?
(अ) सरगुजा (ब) खण्डवा
(स) नीमच (द) मन्दसौर

5. म. प्र. का सर्वाधिक कोयला भण्डार कहाँ स्थित है ?
(अ) कोरबा (ब) सोहागपुर
(स) छिंदवाड़ा (द) नरसिंहपुर

6. म. प्र. में वर्तमान समय में 10 विश्वविद्यालय हैं। बताइये इनमें सर्वाधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन है ?
(अ) विक्रम विश्वविद्यालय (ब) सागर विश्वविद्यालय
(स) जबलपुर विश्वविद्यालय (द) इन्दौर विश्वविद्यालय

7. म. प्र. का एकमात्र पुलिस महाविद्यालय कहाँ स्थित है ?
(अ) रायगढ़ (ब) भिण्ड
(स) सागर (द) ग्वालियर

8. म. प्र. से लोकसभा के 40 स्थान हैं। बताइये इस राज्य में विधान सभा में कुल कितने स्थान हैं ?
(अ) 284 (ब) 305
(स) 290 (द) 320

9. नये मध्यप्रदेश का निर्माण 1 नवम्बर 1956 को हुआ था। बताइये इसके निर्माण की सबसे बड़ी इकाई थी—
(अ) मध्य भारत (ब) विंध्य प्रदेश
(स) भोपाल राज्य (द) महाकोशल

10. म. प्र. के वित्त मंत्री शिवभानु सिंह सोलंकी हैं। म. प्र. के वन मंत्री कौन हैं ?
(अ) भंवर सिंह पोर्ते (ब) कर्नल अजय मुशरान
(स) डा. राजेन्द्र जैन (द) तारा सिंह वियोगी

11. म. प्र. के वर्तमान मंत्रिमण्डल में 37 सदस्य हैं। बताइये इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है ?
(अ) 5 (ब) 6
(स) 4 (द) 3

12. महानदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर। बताइये म. प्र. की अधोलिखित नदियों में कौन नदी उत्तर की ओर बहती है ?
(अ) ताप्ती (ब) इन्द्रावती
(स) चम्बल (द) वैनगंगा

13. ताप्ती का उद्गम स्थल मुलताई बैतूल जिले में पड़ता है। बताइये नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक किस जिले में पड़ता है ?
(अ) बस्तर (ब) रीवा
(स) जबलपुर (द) शहडोल

14. म. प्र. का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ?
(अ) भोपाल (ब) जबलपुर
(स) सागर (द) उपर्युक्त में कहीं नहीं

15. चम्बल घाटी योजना में म. प्र. के अतिरिक्त और कौन सा राज्य सम्मिलित है ?
(अ) उत्तर प्रदेश (ब) बिहार
(स) महाराष्ट्र (द) राजस्थान

16. म. प्र. में 'राज्य वन अनुसंधान संस्थान' कहाँ स्थित है ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(अ) बिलासपुर (ब) होशंगाबाद
(स) जबलपुर (द) रीवा

17. नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल, नेपानगर खण्डवा जिले में स्थित है। बताइये ओरियण्ट पेपर मिल अमलाई कहाँ स्थित है ?
(अ) बैतूल (ब) विदिशा
(स) शहडोल (द) पश्चिमी निमाड़

18. म. प्र. के अधोलिखित किस जिले में मैंगनीज का विशाल भण्डार स्थित है ?
(अ) बिलासपुर (ब) जबलपुर
(स) बालाघाट (द) सरगुजा

19. मलजखण्ड (जबलपुर) में म. प्र. का विशाल तांबा भण्डार सुरक्षित है। बताइये राज्य में लोह अयस्क का सर्वाधिक विशाल भण्डार कहाँ स्थित है ?
(अ) रोवघाट (ब) बेलाडिला
(स) दल्ली, राजहरा (द) जबलपुर

20. भिलाई स्टील प्लान्ट म. प्र. के दुर्ग जिले में स्थित है। बताइये 'भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड' कहाँ स्थित है ?
(अ) भोपाल (ब) कोरबा
(स) बुरहानपुर (द) कटनी

21. खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनता है। बताइये म. प्र. में कत्था उद्योग का प्रमुख केन्द्र—
(अ) सिवनी (ब) रतलाम
(स) शिवपुरी (द) मण्डला

22. म. प्र. का पश्चिमी भाग कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बताइये सूती वस्त्रोद्योग की दृष्टि से म. प्र. का राष्ट्र में कौन सा स्थान है ?
(अ) प्रथम (ब) द्वितीय
(स) तृतीय (द) पंचम

23. म. प्र. में अधिकांश वर्षा होती है—
(अ) बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से।
(ब) अरब सागर से आने वाली दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से।
(स) बंगाल की खाड़ी से आने वाली उत्तर-पश्चिमी मानसून से

24. म. प्र. में प्लास्टिक उद्योग का मुख्य केन्द्र इन्दौर है। बताइये राज्य में 'मोपेड' बनाने का कारखाना कहाँ है ?
(अ) बुधनी (ब) ग्वालियर
(स) रायपुर (द) इन्दौर

25. म. प्र. राज्य उद्योग निगम का मुख्य कार्यालय भोपाल में स्थित है। बताइये म. प्र. वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है ?
(अ) इन्दौर (ब) भोपाल
(स) जबलपुर (द) उज्जैन

26. अमर कंटक ताप विद्युत केन्द्र शहडोल जिले में सोहागपुर क्षेत्र में है। बताइये चम्बल नदी पर बनाया गया गांधी सागर जल विद्युत केन्द्र किस जिले में स्थित है ?
(अ) ग्वालियर (ब) मंदसौर
(स) नीमच (द) विदिशा

27. बस्तर जिले में प्रस्तावित बोध घाट जल विद्युत परियोजना म. प्र. की किस नदी से सम्बन्धित है।
(अ) तवा (ब) गोपद
(स) इन्द्रावती (द) क्षिप्रा

28. 'म्हू-नीमच' प्रांतीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव केन्द्र के समक्ष विचाराधीन है। बताइये म. प्र. से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान संख्या —
(अ) 6 (ब) 5
(स) 7 (द) 8

29. भारतीय रेलवे 9 क्षेत्रों के अन्तर्गत विभाजित है। म. प्र. के रेल मार्ग तीन क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, ये तीन क्षेत्र हैं —
(अ) पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य
(ब) दक्षिण-पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी
(स) दक्षिण, मध्य तथा उत्तर-पश्चिमी
(द) मध्य, पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी

30. म. प्र. की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या का लगभग प्रतिशत —
(अ) 13.09% (ब) 20.19%
(स) 12.1% (द) 16.23%

31. गोण्ड, बैग, मुड़िया, कोरकू, संथाल, भारिया, उंराव, माड़िया, मुन्दा तथा भुमिया आदि म. प्र की कुछ प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ हैं। इनमें गोण्ड सर्वाधिक हैं। बताइये म. प्र के किस जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या रहती है ?
(अ) झाबुआ (ब) सरगुजा
(स) बस्तर (द) मण्डला

32. 'घोटुल' क्या है ?
(अ) मुड़िया आदिवासियों के गांव के बाहर की झोपड़ी।
(ब) भील जाति का प्रमुख नृत्य।
(स) आदिवासियों का साप्ताहिक बाजार।
(द) भुमिया जाति का प्रमुख पर्व।

33. खुजराहो म. प्र. के छतरपुर जिले में है। यहाँ के विख्यात मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने 950-1050 ई. में कराया था। बताइये बाज बहादुर तथा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रानी रूपमती की प्रणय गाथा से सम्बन्धित स्थल माण्डू किस जिले में स्थित है ?

(अ) मण्डला (ब) धार

(स) रीवां (द) रायगढ़

34. प्रसिद्ध सूफी सन्त मोहम्मद गौस का मकबरा किस नगर में स्थित है ?

(अ) भोपाल (ब) इन्दौर

(स) छतरपुर (द) ग्वालियर

उत्तरमाला

1अ, 2स, 3ब, 4द, 5ब, 6ब, 7स, 8द, 9द, 10ब, 11स, 12स, 13द, 14ब, 15द, 16स, 17स, 18स, 19ब, 20ब, 21स, 22स, 23ब, 24ब, 25अ, 26ब, 27स, 28द, 29ब, 30अ, 31स, 32अ, 33ब, 34द ।

■ मध्य प्रदेश सरकार ■

भगवत दयाल शर्मा —राज्यपाल

केबिनेट मन्त्री

अर्जुनसिंह (मुख्यमन्त्री)	—सामान्य प्रशासन, गृह, सूचना प्रकाशन, संस्कृति, ऊर्जा, सांख्यिकी और सार्वजनिक ब्यूरो ।
शिवभानुसिंह सोलंकी (उपमुख्यमन्त्री)	—वित्त, बीस सूत्रीय कार्यक्रम ।
कृष्णपालसिंह	—विधि, विधायी कार्य एवं पर्यटन ।
कु. विमला वर्मा	—लोक निर्माण, नर्मदा योजना और परिवहन ।
झुमकलाल भेड़िया	—वाणिज्य, उद्योग और खनिज संसाधन ।
डॉ. टुमनलाल	—पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मुनिप्रसाद शुक्ला	—राजस्व ।
दिग्विजयसिंह	—बड़ी एवं मध्यम सिंचाई, कमांड एरिया डेवलपमेंट
डॉ. कन्हैयालाल शर्मा	—स्थानीय शासन ।
तेजलाल टेंभरे	—कृषि, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
चन्द्रप्रभाष शेखर	—आवास और पर्यावरण ।
रेवानाथ चौरे	—लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ।
बी. आर. यादव	—पशु चिकित्सा, पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी ।
बंशीलाल घृतलहरे	—हरिजन कल्याण और शालेय शिक्षा ।
भँवरसिंह पोर्ते	—आदिमजाति कल्याण ।
श्रीमती देवेन्द्र कुमारी	—लघु सिंचाई ।
मनकूराम सोढ़ी	—पृथक राजस्व ।
हाजी इनायत	—जेल, वक्फ व उर्दू अकादमी ।
तारासिंह वियोगी	—श्रम, पुनर्वास और जनशक्ति नियोजन ।
कर्नल अजय मुशरान	—वन, खेल और युवा कल्याण
डॉ. राजेन्द्र जैन	—सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ।

राज्य मन्त्री

भवानीलाल वर्मा	—राजस्व ।
नाथूराम अहिरवार	—पुनर्वास, सहकारिता ।
दुर्गादास सूर्यवंशी	—धार्मिक न्यास, धर्मस्व राजस्व एवं मानव शक्ति योजना ।
विट्ठल भाई पटेल	—पंचायत और ग्रामीण विकास
मोतीलाल वोरा	—महाविद्यालयीन शिक्षा, विज्ञान एवं तकनालाजी, परिवहन, स्थानीय शासन ।
सत्यनारायण अग्रवाल	—गृह, सामान्य प्रशासन ।
श्रीमती कमला देवी	—समाज कल्याण ।
तनवंतसिंह कीर	—बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग ।
कु. गंगा पोटाई	—कृषि और पिछड़ा वर्ग विकास
विजय गुरू	—सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ।
बालेन्दु शुक्ला	—ऊर्जा ।
विजय कुमार पाटनी	—उद्योग और खनिज संसाधन

उप मन्त्री

सत्यव्रत चतुर्वेदी	—बड़ी व माध्यम सिंचाई, कमांड एरिया परियोजना ।
भारतसिंह	—वन, खेल, युवा कल्याण ।
कैप्टन जयपालसिंह	—सूचना प्रकाशन, उड्डयन ।
मोहनलाल	—स्कूली शिक्षा विभाग ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामान्य अध्ययन वस्तुपरक परीक्षा

1. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों की वर्तमान संख्या 6 है। किस संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूलाधिकार का अन्त कर दिया गया ?
(अ) 44 वें (ब) 42 वें
(स) 45 वें (द) 41 वें

2. भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए ?
(अ) 44 वें (ब) 41 वें
(स) 42 वें (द) 40 वें

3. संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 15 भाषाएं किस अनुसूची के अन्तर्गत आती हैं ?
(अ) चतुर्थ (ब) पञ्चम
(स) सप्तम् (द) अष्टम्

4. भारत राज्य संघ की सरकार का संसदीय स्वरूप है। संसदीय प्रणाली की सरकार की विशिष्ठताओं में से एक यह है कि :
(अ) मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी है
(ब) मन्त्रि मण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है
(स) मन्त्रिमण्डल राज्य के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है
(द) मन्त्रि मण्डल सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है।

5. एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है
(अ) राज्य के मुख्यमन्त्री द्वारा
(ब) भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(स) प्रधान मन्त्री द्वारा
(द) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।

6. भारत के एक नागरिक को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जाता है और हवालात में रखा जाता है। अपने को न्यायालय में पेश करवाने हेतु उसको निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा प्रार्थना करनी चाहिये ?
(अ) अधिकार पृच्छा
(ब) उत्प्रेषण
(स) परमादेश
(द) बन्दी-प्रत्यक्षीकरण

7. भारत का सर्वोच्च न्यायालय—
(अ) एक अपीलीय न्यायालय है
(ब) एक दीवानी न्यायालय है
(स) एक फौजदारी न्यायालय है
(द) सरकार के विरुद्ध मुकदमों के लिये न्यायालय है।

8. भारत में आपात-स्थिति की घोषणा की जा सकती है—
(अ) प्रधान मन्त्री द्वारा
(ब) राष्ट्रपति द्वारा
(स) संसद द्वारा
(द) एक प्रान्त के राज्यपाल द्वारा

9. भारत का संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था
(अ) 26 जनवरी 1950 को
(ब) 26 नवम्बर 1949 को
(स) 15 अगस्त 1947 को
(द) 30 जनवरी 1948 को

10. निम्नलिखित में से कौन राज्य सभा की सभाओं का सभापतित्व करता है ?
(अ) अध्यक्ष लोकसभा (ब) भारत का राष्ट्रपति
(स) उपाध्यक्ष लोकसभा (द) भारत का उपराष्ट्रपति

11. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है ?
(अ) प्रधानमन्त्री (ब) अध्यक्ष, राज्य सभा
(स) राष्ट्रपति (द) उपराष्ट्रपति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

12. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है ?
(अ) स्पीकर (ब) राष्ट्रपति
(स) प्रधान मन्त्री (द) उप-राष्ट्रपति

13. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है :
(अ) प्रधान मन्त्री को
(ब) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
(स) संसद को (द) उपराष्ट्रपति को

14. राज्यसभा को
(अ) धन विधेयक स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है
(ब) एक प्रान्त के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार है
(स) धन विधेयक अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है
(द) मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार है

15. भारत में संसद की लोक लेखा समिति क्या होती है?
(अ) भारत के नियन्त्रक महालेखानिरीक्षक के प्रतिवेदन का परिनिरीक्षण करके सभी अनियमितताओं की रिपोर्ट संसद में विचार हेतु प्रस्तुत करने वाली समिति
(ब) संसद की आय-व्यय का हिसाब रखने वाली समिति
(स) संसद-सदस्यों का वेतन निश्चित करने वाली समिति
(द) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा संसदीय चुनावों में व्यय की गयी राशि का निरीक्षण करने वाली समिति

16. भारत में आंचलिक परिषदों (Zonal Council) का मुख्य कार्य क्या हैं ?
(अ) अन्तरराज्यीय सम्बन्धों पर परामर्श देना ।
(ब) अपने अन्चल के आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन हेतु विमर्श करना
(स) सीमा विवाद, अन्तरराज्यीय यातायात सम्बन्धी विषयों पर राज्य तथा केन्द्र सरकार को परामर्श देना
(द) उपरिलिखित सभी कार्य करना ।

17. राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक कितने समय के लिये प्रभावकारी रह सकता है ?
(अ) 6 सप्ताह (ब) 6 सप्ताह 5 दिन
(स) 6 माह, 6 सप्ताह (द) एक वर्ष छह सप्ताह

18. निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति तथा नियन्त्रण करती है ?
(अ) केन्द्र सरकार (ब) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
(स) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग
(द) राष्ट्रीय विकास परिषद ।

19. अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं ?
(अ) 15 (ब) 16 (स) 17 (द) 18

20. निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजी को अपनी राज्य-भाषा के रूप में स्वीकार किया है ?
(अ) तमिल नाडु (ब) मिजोरम
(स) केरल (द) नागालैंड

21. अशोक मौर्य के इतिहास में प्रसिद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है
(अ) उसने अनेक फरमान जारी किये
(ब) उसने दूर देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया
(स) उसने अपनी जनता के कल्याण के लिए अनेक सुधार आरम्भ किये
(द) उसने युद्ध को एक राज्य की नीति के रूप में त्याग दिया

22. हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस नगर में स्थित था ?
(अ) मोहन-जो-दड़ो (ब) काली बंगन
(स) चान्हू-दड़ो (द) हड़प्पा

23. सिन्धु घाटी सभ्यता का सम्बन्ध किस पोताश्रय से था
(अ) ताम्रलिप्ति (ब) लोथल
(स) बारीगाजा (द) उपरिलिखित सभी से

24. मूलतः यूरेशिया वासी आर्यों का भारत आगमन कब हुआ ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(अ) ई. पू. 1500 (ब) ई. पू. 5000
(स) ई. पू. 900 (द) उपरिलिखित सभी
कालों में पृथक समूहों में

25. "महाभारत युद्ध" का सम्भावित काल क्या है ?
(अ) ई. पू. 5000 (ब) ई. पू. 10000
(स) ई पू 1750 (द) ई. पू. 950

26. गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था
(अ) कपिल वस्तु (ब) वैशाली
(स) बोध गया (द) लुम्बिनी

27. "धर्मचक्रप्रवर्तन" कहते हैं
(अ) गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश को
(ब) अशोक की धर्म-विजय की योजना को
(स) द. पू. एशिया में धर्म प्रचार की आयोजना को
(द) हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित कुम्भ मेले के उद्घाटन को

28. निम्नलिखित में से कौन नृपति स्वयं साहित्यकार नहीं था, यद्यपि वह साहित्य का संरक्षक था ?
(अ) हर्ष वर्द्धन (ब) कृष्णदेव राय
(स) भोज परमार (द) चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

29. निम्नलिखित में से कौन अपनी कालावधि में सड़कों के निर्माण के लिये प्रसिद्ध नहीं है ?
(अ) शेर शाह (ब) औरंगजेब
(स) अशोक (द) डलहौजी

30. निम्नलिखित में से कौन कला / साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध नहीं है ?
(अ) लॉर्ड रिपन (ब) हाल सातवाहन
(स) राज राज प्रथम चोल
(द) फिरोज शाह तुग़लक़

31. "बाजार नियन्त्रण नीति" के प्रणेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है ?
(अ) मुहम्मद-बिन-तुगलक (ब) औरङ्गजेब
(स) अलाउद्दीन खिलजी (द) लॉर्ड चेम्सफर्ड

32. किस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर आए ?
(अ) वन्दीवाश का युद्ध (ब) ताली कोटा का युद्ध
(स) बकसर का युद्ध (द) पानीपत का तृतीय युद्ध

33. 1761 के प्रसिद्ध युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया; यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है ?
(अ) पानीपत का तृतीय युद्ध
(ब) प्लासी का युद्ध (स) अरकॉट की लड़ाई
(द) बन्नी हट्टी की लड़ाई।

34. अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरम्भ किया गया
(अ) लॉर्ड मेकॉले द्वारा
(ब) लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा
(स) राजा राम मोहन राय द्वारा
(द) वॉरेन हेस्टिंग्ज द्वारा

35 "आइन-ए-अकबरी" लिखी गयी थी
(अ) अकबर द्वारा (ब) फैजी द्वारा
(स) अबुल फजल द्वारा (द) राजा टोडरमल द्वारा

36. 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत "नेहरू रिपोर्ट" में संस्तुति की गयी थी
(अ) भारत को तत्काल औपनिवेशिक स्वराज्य देने की
(ब) भारत को तत्काल स्वतन्त्रता प्रदान करने की।
(स) नागरिक अवज्ञा आन्दोलन को तीव्रतर करने की
(द) स्वदेशी वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग करने की

37. गांधी की "डांडी यात्रा" (12 मार्च 1930 को प्रारम्भ) कहाँ से कहाँ तक थी ?
(अ) डाँडी से सूरत (ब) बारडोली से डाँडी
(स) डाँडी से साबरमती (द) साबरमती से डाँडी

38. जिस समय भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुयी उस समय ब्रिटेन का प्रधान मन्त्री था
(अ) विन्स्टन चर्चिल (ब) क्लीमन्स एटली
(स) लॉर्ड शैम्बर्लेन (द) सर डेविड टॉमसन

39. "सती" प्रथा तथा ठगी का अन्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है ?
(अ) सर हेनरी हार्डिन्ज (ब) लॉर्ड डलहौजी
(स) लॉर्ड बैन्टिक (द) लॉर्ड ऑक्लेन्ड

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

40. 1857 में, लॉर्ड कैनिंग के समय भारत के प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी। यह विश्वविद्यालय है
(अ) बम्बई (ब) इलाहाबाद
(स) मद्रास (द) कलकत्ता

41. भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ?
(अ) द. प. मानसून से (ब) पू. द. मानसून से
(स) उ. प. मानसून से (द) उ. पू. मानसून से

42. निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती ?
(अ) कृष्णा (ब) कावेरी
(स) सिन्धु (द) तुंगभद्रा

43. निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है ?
(अ) मानसून प्रदेश (ब) विषुवती प्रदेश
(स) भूमध्य सागरीय प्रदेश
(द) उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश

44. भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 22.7% भाग में वन हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का कितना प्रतिशत भाग होना चाहिये ?
(अ) 25 (ब) 28 (स) 30 (द) 33

45. निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का सर्वाधिक है ?
(अ) केरल (ब) असम
(स) बिहार (द) उड़ीसा

46. मरीन नेशनल पार्क की स्थापना कहां की गयी है ?
(अ) केरल व महाराष्ट्र (ब) असम व प. बंगाल
(स) गुजरात व तमिलनाडु
(द) आं. प्र. व कर्नाटक

47. सं.रा.अ. व कनाडा के मध्य स्थित विश्व की सर्वाधिक बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है ?
(अ) लेक सुपीरियर (ब) वूलर-लेक
(स) कैस्पियन सी (द) डेड सी

48. समुद्र, पृथ्वी के सतह क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरते हैं ?
(अ) 70.8% (ब) 92%
(स) 2.5% (द) 0.65%

49. विश्व के किस देश में रेल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार है ?
(अ) स. रा. अ. (ब) सो. सं
(स) भारत (द) नॉर्वे

50. सबसे अधिक और सबसे कम औसत वर्षा वाले राज्यों का सही क्रम—
(अ) असम तथा जम्मू व कश्मीर
(ब) मेघालय तथा राजस्थान
(स) पं. बंगाल व राजस्थान
(द) असम व उड़ीसा

111882

51. सिन्दरी महत्वपूर्ण है
(अ) तेल शोधन के लिये
(ब) ऐलुमिनियम-उत्पादन के लिये
(स) मशीन-औजार उद्योग के लिये
(द) उर्वरक उत्पादन के लिये

52. निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक आयोजित नगर है ?
(अ) कलकत्ता (ब) पटना
(स) मद्रास (द) चन्डीगढ़

53. वृहद् ज्वार-भाटा आता है जब चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक कोण बनाते हैं
(अ) 180° का (ब) 90° का
(स) 45° का (द) 33° का

54. पारादीप बन्दरगाह स्थित है
(अ) केरल में (ब) उड़ीसा में
(स) आं. प्र. में (द) तमिलनाडु में

55. सूर्य ग्रहण होता है जब
(अ) चन्द्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है
(ब) सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है
(स) सूर्य और पृथ्वी के बीच चन्द्रमा आ जाता है
(द) चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं।

56. बराबर मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाए कहलाती हैं ?
(अ) आइसोहेलाइन्स (ब) आइसोबार्स
(स) आइसोथर्मस् (द) आइसोहाइट्स्

(शेष पृष्ठ 86 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संघीय मंत्रिमंडल : संगठन

■ प्रस्तोत्री : उर्मिला लाल*

भारत का संविधान ब्रिटिश संवैधानिक तंत्र की भांति शासन के संसदीय प्रकार की स्थापना करता है। ब्रिटिश संविधान की ही भांति भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में नाममात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका का अन्तर द्रष्टव्य हैं। संविधान सभा में यह आम मत रहा कि यद्यपि औपचारिक रूप से शासन की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं किन्तु वास्तविक अर्थों में उसकी भूमिका ब्रिटिश सम्राट की भांति होनी चाहिये और उसे मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर कार्य करना चाहिये क्योंकि मन्त्रिमण्डल ही व्यवस्थापिका के निचले अथवा लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

संवैधानिक मान्यता-प्राप्त अंग :

यहाँ यह जानना रुचिपूर्ण होगा कि जहाँ ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व पूर्णतया परम्पराओं पर आधारित है वहीं भारतीय संविधान स्पष्ट लिखित प्रावधानों के तहत् मन्त्रिमण्डल के गठन की व्यवस्था करता है। 42 वें संविधान संशोधन के उपरांत संविधान के अनु. 74(1) अनुसार "राष्ट्रपति के सहयोग के और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा और अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति इस प्रकार के परामर्श के अनुकूल ही कार्य करेंगे। सामान्य रूप से अथवा किसी अन्य कारण से यदि राष्ट्रपति यह विचार रखते हों कि मंत्रिपरिषद अपने द्वारा प्रदत्त परामर्श पर पुनर्विचार करें तो राष्ट्रपति इस प्रकार के पुनर्विचार के उपरांत दिये गये परामर्श के अनुकूल कार्य करेंगे।"

प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के विषय का मात्र अनु. 75 (1) में अप्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है। अनु. के अनुसार "प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा उसी के परामर्श पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।"

मंत्रिमण्डल का संगठन :

मंत्रिमण्डल के विभिन्न सदस्यों का चयन तथा उनके मध्य विभागों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। चूँकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में भी भारतीय संविधान किसी स्पष्ट प्रावधान की व्यवस्था नहीं करता है अतः सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों का चयन तथा मंत्रिमण्डल का विघटन आदि राष्ट्रपति के विवेक-अधिकार हैं किन्तु ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की परम्परायें भारत में भी मंत्रिमण्डल के निर्माण एवं चयन आदि की व्यवस्था को नियमित करती है। संसदीय परम्पराओं के अनुकूल लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

संविधान इस बात का कोई प्रावधान नहीं करता कि मंत्री पद पर नियुक्त किये जाने के समय किसी भी व्यक्ति के लिये संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है किन्तु अनु. 75 (5) के अनुसार यदि मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य अपने पद ग्रहण के 6 माह के भीतर संसद के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता है तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। अर्थात् मंत्रिपद पर बने रहने के लिये 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय संविधान इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिये। जब 1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी पहली

*अनुसंधात्री, राजनीति विज्ञान, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बार भारत की प्रधानमंत्री हुयीं, उस समय वे राज्यसभा की सदस्या थीं। इस प्रकार, यद्यपि मंत्रिमण्डल के गठन में राष्ट्रपति की केन्द्रीय भूमिका होती है किन्तु पिछले 35 वर्षों के भारतीय गणतंत्र के संसदीय शासन के इतिहास में इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति ने हमेशा ब्रिटिश संसदीय प्रथाओं तथा परम्पराओं का पालन किया है और आत्म-इच्छा का प्रयोग न करके लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तथा उसकी इच्छा एवं परामर्श को ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का आधार बनाया है। इसी प्रकार मंत्रिमण्डल के विभिन्न सदस्यों के मध्य विभागों के वितरण तथा समय-समय पर उनके विभागों के परिवर्तन में भी प्रधानमंत्री का परामर्श ही अन्तिम रहा है।

इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से अपने सहयोगियों के चयन में प्रधानमंत्री पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। परन्तु मन्त्रिपरिषद् के गठन के कुछ व्यावहारिक आधार भी हमेशा रहे हैं जिनका विचार प्रायः प्रत्येक प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता हैं : (1) साधारणतया वह अपने दल के वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा नहीं करता; (2) प्रायः मन्त्रियों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा समुदायों को सम्यक् तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार के अन्य व्यावहारिक आधारों का ध्यान भी प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिपरिषद के गठन के दौरान रखा जाता है ताकि मन्त्रिपरिषद को एक सुगठित तथा सुव्यवस्थित कलेवर प्रदान किया जा सके।

मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल :

सामान्य बोलचाल की भाषा में मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रिमण्डल-दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है किन्तु दोनों के एक महत्वपूर्ण तकनीकी अन्तर है यद्यपि इस प्रकार का कोई अन्तर संविधान द्वारा नहीं किया गया है। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद (Council of Minister) में तीन वर्गों के मन्त्री होते हैं : कैबिनेट स्तर के मन्त्री, राज्य मन्त्री एवं उपमन्त्री। तीनों प्रकार मन्त्रियों को सम्मिलित रूप से मन्त्रिपरिषद की संज्ञा दी जाती है। मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट (Cabinet) एक छोटी सी संस्था है या इस प्रकार कहा जाय कि मन्त्रिमण्डल मन्त्रिपरिषद का ही संक्षिप्त अंश है। इसमें विभिन्न विभागों के प्रधान ही शामिल होते हैं। जिन्हें केन्द्रीय अथवा कैबिनेट स्तर का मन्त्री कहा जाता है। कैबिनेट की बैठकों में राज्य मन्त्रियों अथवा उपमन्त्रियों को तभी आमन्त्रित किया जाता है जब उनके विभाग से सम्बन्धित किसी मामले पर विशिष्ट विचार होना हो।

संविधान में मन्त्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या के विषय में कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। समय की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर इनकी संख्या निर्धारित की जाती रही है। अलग-अलग अवसरों पर इसकी कुल सदस्य संख्या 24 से 60 तक रही है।

मंत्रियों के वेतन :

मंत्रिपरिषद इस प्रकार एक सूत्रबद्ध संस्था है जिसमें तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं। 1952 के 'सैलरीज् एण्ड एलाउंज ऑव मिनिस्टर्स एक्ट' के अनुसार विभिन्न मन्त्रियों के वेतन इस प्रकार हैं—

केन्द्रीय या कैबिनेट स्तर के मन्त्री :	2,250 रुपये वेतन तथा 400 रुपये प्रतिमाह भत्ता।
राज्य मन्त्री :	2,250 रुपये प्रतिमा[illegible] वेतन।
उपमन्त्री :	1,750 रुपये प्रतिम[illegible] वेतन।

अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि इ[illegible] वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त मन्त्रिगण संसद सदस्य के रूप में किसी वेतन के हकदार नहीं होंगे। परन्तु उन्हें बिना किराये का आवास तथा कुछ अन्य सुविधायें प्राप्त होंगी।

ज्ञातव्य है कि दोनों सदनों के सदस्य समान रूप से मंत्रिपद पर नियुक्त किये जा सकते है। ये मंत्रिगण दोनों सदनों की कार्यवाही में समान रूप से भाग ले सकते हैं किन्तु मतदान का अधिकार उन्हें उस सदन में प्राप्त होगा, जिसका वह सदस्य होगा। (अनु 88)

मंत्रिगण प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किये जाते हैं।

[अगले अंक में : प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी सहायता

■ डॉ. बद्री विशाल त्रिपाठी*

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की प्रवृत्ति वर्तमान युग की एक प्रमुख विशेषता है। सम्प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब क्षेत्रों और गरीब राष्ट्रों की समस्याओं के निदान के प्रति जनमानस में व्यापक चेतना परिलक्षित होती है। आर्थिक सहायता के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अब विकासशील राष्ट्रों को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त करने लिये अग्रसर हो रहे हैं। विदेशी आर्थिक सहायता की यह प्रवृत्ति वस्तुतः गरीब देशों के आर्थिक विकास प्रयास में सहभागिता के विचार की सूचक है। विदेशी आर्थिक सहायता से आशय पूंजी और प्राविधिक ज्ञान का रियायती शर्तों पर एक देश से दूसरे देश को किया जाने वाला हस्तांतरण है। हस्तांतरण की यह प्रक्रिया विश्वपूंजी और श्रम बाजार में प्रचलित शर्तों से आसान शर्तों पर होता है। विदेशी आर्थिक सहायता की अवधारणा में एक निहित तत्व यह है कि हस्तांतरित होने वाले संसाधनों में सहायता का पक्ष अवश्य होना चाहिये। यदि किसी राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को कड़ी शर्तों पर संसाधनों का भारी मात्रा में हस्तांतरण किया जाता है तो उसे विदेशी आर्थिक सहायता की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्राप्त सहायता प्राप्तकर्ता देश के लिये लाभदायक हो तथा आर्थिक सहायता की मात्रा भले ही कम हो लेकिन सहायता की प्रकृति इस प्रकार अवश्य होनी चाहिये जो प्राप्तकर्ता देश के आर्थिक विकास में स्थाई अनुकूल प्रभाव डाले। सरल रूप में यह कहा जा सकता है कि विदेशी आर्थिक सहायता बाह्य पूंजी का वह अंश है जो किसी देश को रियायती शर्तों पर ऋण तथा अनुदान व भेंट के रूप में प्राप्त होती है। शर्त के अनुसार ऋण का भुगतान प्राप्तकर्ता देश को स्वदेशी मुद्रा में या विदेशी विनिमय के माध्यम से आसान किस्तों पर नीची ब्याज दर पर करना रहता है। दूसरी ओर अनुदान व भेंट के रूप में प्राप्त विदेशी सहायता का भुगतान प्राप्तकर्ता देश को नहीं करना पड़ता है।

विदेशी सहायता का औचित्य :

सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आकांक्षा तीव्र आर्थिक विकास करना है और वे पिछड़ेपन से जन्य आर्थिक विकास स्तर के अन्तराल को अत्यन्त कम समय में घटाना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वे विदेशी सहायता की अपेक्षा करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास-प्रक्रिया के प्राथमिक चरण में विदेशी आर्थिक सहायता का औचित्य इस कारण माना जाता है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास प्रयासों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण समस्या विनियोग योग्य संसाधनों के कमी की होती है। विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्तकर्ता देश के विनियोग योग्य संसाधनों में वृद्धि उत्पन्न कर देती हैं। इस माध्यम से वे पूंजीगत उपकरण, प्राविधिक ज्ञान एवं आवश्यक वित्त प्राप्त करके अपनी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरे, विदेशी सहायता के माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्था को दुर्लभ उत्पादक तत्व, तकनीकी ज्ञान, उपलब्ध हो जाता है। उत्पादन तकनीक का परम्परावादी और अपेक्षाकृत कम सक्षम होना विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये सामान्य बात है। विदेश सहायता के माध्यम से सरलता पूर्वक विकसित देशों से विभिन्न क्षेत्रों के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात किया जा सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उनके विकास अनुभव और दीर्घकालीन शोध प्रयासों के धनात्मक परिणामों का सुगमतापूर्वक विकासशील देशों में हस्तांतरण किया जा सकता है। श्रेयस्कर तो यही होता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आन्तरिक संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी का विकास घरेलू क्षेत्र में ही किया जाये,

*अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन यह प्रयास अधिक समय की अपेक्षा करता है और इतने अधिक समय तक विकासशील अर्थव्यवस्थायें प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं। अतएव वे विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के शोध अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सकती है। तीसरे, विकासशील अर्थव्यवस्थायें अपने प्रारंभिक विकास चरणों में बहुधा गैर-निर्मित पदार्थों विशेषकर कच्चे पदार्थों का निर्यात करते हैं और बदले में विभिन्न निर्मित वस्तुओं का आयात करते है। विदेशी व्यापार की अपेक्षित अवस्था तो वही है जब निर्यातों से आयातों का भुगतान हो जाये। लेकिन विकासशील देशों के आयात उनके निर्यातों की तुलना में अधिक होते हैं। इस कारण उनके समक्ष विदेशी विनिमय प्राप्त करने की समस्या बनी रहती है। विदेशी आर्थिक सहायता के माध्यम से वे विदेशी विनिमय की प्राप्ति कर लेते हैं और भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने या कम करने में सफल हो जाते हैं।

"विदेशी सहायता के निष्पादन स्तर की भौतिक माप करना कठिन है। क्योंकि विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के विकास एवं प्रसार में विदेशी सहायता के साथ-साथ घरेलू विनियोग की प्रभूत मात्रा सम्मिलित है। लेकिन विदेशी सहायता के निष्प्रादन स्तर को गुणात्मक आधार पर आंका जा सकता हैं। विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थायें विकास प्रयासों द्वारा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थों के मध्य व्याप्त आर्थिक विकास स्तर के अन्तराल को घटाना चाहती है।"

इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता द्वारा वे अपनी उत्पादक क्रियाओं का प्रसार करके आयात प्रतिस्थापन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

अपनी आधारिक विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राष्ट्र आर्थिक सहायता देने में तत्पर हो रहे हैं। सम्प्रति सहायता प्रदान करने वाले देशों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: सहायता संघ के देश, समाजवादी देश और अन्य देश। सहायता संघ के पश्चिमी देशों और समाजवादी देशों की सहायता प्रदान करने के प्रति पृथक-पृथक विचारधारायें हैं। सहायता संघ के पश्चिमी देशों जिसमें आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैण्ड्स, नार्वे, स्वीडेन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं तथा जिसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ है; का आर्थिक सहायता का दृष्टिकोण इस उपागम पर आधारित है कि विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में गरीबी और दुर्दशा की स्थिति विद्यमान है और कहीं की भी गरीबी सर्वत्र की समृद्धि के लिये खतरा है। अतएव विकसित देशों की आर्थिक सहायता के माध्यम से गरीब देशों की गरीबी का निवारण किया जाना चाहिये। गरीबी से आशय समाज में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के अभाव से है जो व्यक्ति की आधारिक या आवश्यक आवश्यकताओं से सम्बद्ध है। प्रारंभिक अवस्था में इन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति का पक्ष कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध रहता है अतः सहायता के प्रति पश्चिमी विचारधारा यह मानती है कि सहायता कार्यक्रमों में कृषि विकास कार्यक्रमों को वरीयता दी जानी चाहिए। यह विचारधारा आधारिक अवस्थापना के अतिरिक्त औद्योगिक विकास के लिये निजी क्षेत्रक को अधिक महत्व देती है, और यह मानती है कि सरकार का उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश या उसके द्वारा उद्योगों का स्थापित किया जाना संसाधनों की बर्बादी है। अस्तु पश्चिमी विचारधारा इस प्रकार की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने में अधिक तत्परता नहीं प्रदर्शित करती है।

आर्थिक सहायता के प्रति समाजवादी देशों की विचारधारा उक्त पश्चिमी उपागम से पृथक है। समाजवादी देशों जिनमें बुलगारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया और रूस सम्मिलित हैं, की आर्थिक सहायता नीति इस उपागम पर आधारित है कि दीर्घकाल तक विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थायें औपनिवेशिक शासन के अधीन रही हैं और वे पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के उद्योगों के लिये कच्चे पदार्थों के पूर्ति की स्रोत और उनके निर्मित सामानों की बाजार मात्र रही हैं। इस कारण उनकी गरीबी का मुख्य कारण उनका दीर्घकालीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्थिक शोषण रहा है। अतएव समाजवाद के प्रति समाजवादी विचारधारा का लक्ष्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शोषण से मुक्त करना है और इसके लिये अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों को विकसित करने के लिये वे अधिक तत्परता प्रदर्शित करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता का कारण अवस्थापनागत सुविधाओं और आधारिक उद्योगों की कमी है। विदेशी आर्थिक सहायता के माध्यम से इनका विकास होने पर विकासशील अर्थव्यवस्थायें प्राप्त सहायता का भुगतान आन्तरिक उद्योग निर्मित सामानों के निर्यात से कर सकेंगी। अतः उन्हें ऋणों के भुगतान के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता में कमी आ जायेगी। इस प्रक्रिया से सहायता और व्यापार का सामंजस्य स्थापित हो जायेगा। सहायता संघ और समाजवादी देशों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड न्यूजीलैंड, ईराक, ईरानआदि सम्मिलित है से भी आर्थिक सहायता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इस विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि आर्थिक सहायता

स्तर निरपेक्षतः नीचा था। औद्योगिक कार्यकलाप अत्यन्त निम्नस्तरीय और कतिपय वस्तुओं के उत्पादन तक ही सीमित था क्योंकि आधारिक अवस्थापना अत्यन्त कमजोर थी। इसी कारण कृषि उत्पादिता और उत्पादन का स्तर भी अत्यन्त नीचा था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कृषि, उद्योग, परिवहन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भारी विनियोग की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के समय शीघ्र विनियोग योग्य रिजर्व बैंक में सिक्के, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुओं के रूप में 11800 करोड़ रुपये की राशि थी। इसके अतिरिक्त 1273 करोड़ रुपये की धनराशि अन्य रूपों, यथा युद्ध पूर्व ऋण, ब्रिटिश साम्राज्य के पास जमा डालर, ब्रिटिश शासन की देनदारी में मिलनी थी। देश के विभाजन के फलस्वरूप विस्थापितों के पुनर्वास और विविध अपरिहार्य विकास कार्यों में व्यय के कारण उक्त धनराशि अधिक समय के लिये पर्याप्त न थी। इस कारण भारत ने विदेशी सहायता के प्रति प्रोत्सहनात्मक दृष्टिकोण अपनाया।

"सामान्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह दावा होता कि वे ऋण प्राप्तकर्ता देश की जरुरत की प्रकृति के अनुसार ऋण देते है। लेकिन वास्तविक कार्यविधि इससे भिन्न होती है। सहायता के रूप में ऋण लेने वाले देश में बिभिन्न विकसित अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आते है और वे सहायता की योजनाओं पर विचार करते है जो किसी न किसी न रूप में सहायता प्रदान करने वाले देशों के हितों की रक्षा करते है अथवा उसके लिये लाभदायक होते है"

के प्रति दो भिन्न-भिन्न विचारधारायें है और विभिन्न अर्थव्यवस्था के सहायता कार्यक्रम अपनी-अपनी विचारधाराओं से विशिष्टतः प्रभावित होते हैं। वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं के निदान के लिये अपनी-अपनी नीतियों को अधिक श्रेयस्कर और प्रभावी सिद्ध करने का प्रयास करते है तथा विपरीत विचारधारा के हानिकारक प्रभावों को भी स्पष्ट करने का प्रयास करते है। परन्तु विचारधारा की विभिन्नता के बावजूद उनमें एक समान अंतर्निहित तत्व यह है कि वे सभी आर्थिक सहायता देने के लिये अग्रसर हो रहे हैं और उनमें मानवीयता के विकास की भावना किसी न किसी रूप में निहित है।

भारत में विदेशी सहायता :

स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रत्येक समूह से उनकी पृथक विचार धाराओं के बावजूद आर्थिक सहायता प्राप्त की है। स्वतंत्रता के समय भारत का आर्थिक विकास

1949-50 से विदेशी सहायता का प्रवाह आरंभ हुआ। 1950-51 तक विदेशी व्यापार से प्राप्त राशि और अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के अतिरिक्त 32 करोड़ रुपये का ऋण विदेशी सहायता के रूप में ले चुके थे। अप्रैल, 1951 से नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई जिसमें विविध प्रयोजनों के लिये अधिक विनियोग की आवश्यकता अनुभव हुई। स्वतंत्रता के बाद और विशेषकर नियोजित विकास प्रक्रिया में हमारे निर्यात व्यापार की मात्रा और संरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ, उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ी। लेकिन इसके बाद भी विविध आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रभूत मात्रा में विदेशी आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। अस्तु विदेशी सहायता के प्रति प्रोत्साहनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। विदेशी सहायता का उपयोग ऊर्जा, इस्पात

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योग और कृषि विकास के लिये किया गया। लगातार कई वर्षों तक खाद्यान्नों के आयात पर पी. एल. 480 के माध्यम से आर्थिक सहायता ली गयी। स्वतंत्रता के बाद मार्च, 1981 तक सहायता प्रदान करने वाले सभी देशों से भारत को कुल 28599 करोड़ रुपये की पूंजी अधिकृत की गयी जिसमें से भारत ने लगभग 22763 करोड़ रुपये की राशि उपयोग में प्रयुक्त कर लिया है। विभिन्न अवधि योजनाकाल में इतना अधिक विदेशी सहायता का स्वागत इसी कारण किया ताकि अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाया जा सके और विकसित विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के तुल्य आर्थिक विकास स्तर को प्राप्त किया जा सके। प्रति व्यक्ति आय स्तर के मध्य व्याप्त अन्तराल कम किया जा सके। भारत में विभिन्न देशों से विभिन्न विकास मदों के लिए सहायता अधिकृत की गयी। सर्वाधिक

विदेशी सहायता (करोड़ रु० में)

अवधि	अधिकृत	प्रयुक्त	प्रयोग की दर
1 तृतीय योजना के अंत तक	5711.6	4508.8	78.9 प्रतिशत
2. वार्षिक योजनाओं में	3172.1	3229.6	101.8 "
3 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में	4172.2	4183.7	100 3 "
4. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में	9743.8	7309·5	76·0 "
5. 1979-80 और 1980·81 में	5699·4	3531·9	61·9 "
6. योग	28599·1	22763.5	79 2 "

में मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि उपरलिखित तालिका में दिखाई गयी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिकृत विदेशी सहायता और प्रयुक्त विदेशी सहायता के मध्य अन्तराल रहा है और मार्च 1981 तक अधिकृत विदेशी सहायता का 79.2% प्रतिशत भाग ही उपयोग किया जा सका है।

सहायता औद्योगिक विकास के लिए अधिकृत की गयी। मार्च 1980 तक कुल अधिकृत सहायता का 44.62 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास के लिए 16.78 प्रतिशत भाग कृषि विकास के लिए और 9.10 प्रतिशत भाग यातायात और संचार सुविधाओं के विकास के लिये किया गया। इसी प्रकार प्रयुक्त सहायता का भी सर्वाधिक भाग उद्योग और कृषि के क्षेत्र में ही रहा है।

बाह्य ऋणों का विभिन्न मदों में वितरण (प्रतिशत में)

मद	कुल अधिकृत सहायता का प्रतिशत	कुल प्रयुक्त सहायता का प्रतिशत
1· परिवहन और संचार	9.10	9.93
2. ऊर्जा परियोजनायें	9.04	6.14
3. स्पात और स्पात परियोजनायें	4.04	5.60
4. लौह परियोजनायें	2.79	1.46
5. औद्योगिक विकास	44.61	51.67
6. कृषि विकास	16.77	10.47
7. खाद्य सहायता	4.63	5.78
8. तेल और तेल परियोजना	2.59	3.22
9. ऋण परिशोधन	3.50	4.37
10. विविध	2.93	1.26
योग	100.00	100.00

स्रोत—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनान्स 1979-80

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

विदेशी सहायता का मूल्यांकन:

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत को विदेशी सहायता के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा मिली है। आधारिक अवस्थापना के निर्माण कृषि विकास और प्राविधिक शिक्षा के सुधार में उल्लेखनीय सुविधा मिली है। लेकिन विदेशी सहायता अब विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कारण भी बन रही है। विदेशी सहायता जन्य कुछ विशिष्ट कठिनाइयों और समस्याओं का विश्लेषण यहाँ किया गया है।

विदेशी सहायता के माध्यम से विभिन्न सहायता प्रदान करने वाले देश प्राप्तकर्ता देश पर विभिन्न प्रकार के अनपेक्षित आर्थिक और राजनैतिक दबाव डालते हैं। यद्यपि ऋण समझौतों पर इस प्रकार की कोई दृश्य शर्त नहीं होती है। परन्तु ऋण प्राप्त करने वाले देश ऋण प्राप्ति हेतु विभिन्न कसौटियों को पूरा करना होता है। सहायता प्रदान करने वाला देश यह उम्मीद करता है कि ऋण लेने वाला देश एक विशेष प्रकार की आर्थिक नीति अपनाये। विश्व बैंक द्वारा भारत के आर्थिक विकास की समीक्षा करना और उसके बाद रुपये के मूल्य में 33 प्रतिशत के अवमूल्यन की सिफारिश करना उनके अप्रत्यक्ष दबाव का एक प्रमुख उदाहरण है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता सुधारने का माध्यम लेकर अमरीका इस प्रक्रिया में विशेष रूप से संलग्न था। 1966 में सहायता करने वाले देशों द्वारा सहायता की घोषणा करने में देरी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को समय से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय अमरीका ने भारत को विदेशी सहायता बन्द कर देने की धमकी दी थी। तारापुर का ऊर्जा संयंत्र विदेशी सहायता न मिलने का शिकार रहा है। इसके लिए अपेक्षित ईंधन मिल सकने की संभावना अभी हाल के प्रयासों के फलस्वरूप हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में कतिपय औपचारिकतायें अभी भी शेष हैं, वे चाहे जिस प्रकृति की हों। बहुधा विदेशी सहायता की प्रकृति अनिश्चित होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में किसी भी विकास योजना के किसी समय स्थगित या अवरुद्ध हो जाने की सम्भावना सदैव बनी रहती है। विदेशी सहायता पर निर्भरता जितनी ही अधिक होती है, सहायता देने वाले देशों का दबाव और धमकी उतनी अधिक और अधिक प्रभावी होती है।

सहायता प्रदान करने वाले देशों की एक मुख्य प्रकृति यह होती है कि वे प्रदत्त सहायता का मुख्य भाग निबद्ध सहायता के रूप में देते हैं। विदेशी सहायता के रूप में सहायता प्राप्तकर्ता देश विदेशी सहायता का प्रयोग किसी विशेष परियोजना के लिए तथा किसी विशेष देश से सामग्री खरीदने के लिए ही ऋण का उपयोग कर सकते हैं। शर्तयुक्त सहायता के माध्यम से ऋणदाता देश अधिक मजबूत स्थिति में हो जाता है और इसके माध्यम से वह अपने अप्रचलित साज-सामान, मशीनरी और अप्रचलित तकनीक को विकासशील देशों में भेज देता है। पहले विदेशी सहायता के नाम पर मशीन या अन्य सामग्री देना और फिर मशीनों के कल-पुर्जे एवं उसके रख रखाव की सामग्री ऊँची कीमत पर बेचना और लाभ कमाना विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य बात है। शर्तयुक्त सहायता के माध्यम से अपने देश के कूड़ की कीमत लेना और अपना वर्चस्व स्थापित करना ही विकसित अर्थव्यवस्थाओं की नियत है। 1965-66 और 1966-67 में अमरीका ने पी. एल. 480 के माध्यम के नाम पर जो गेहूं हमें दिया, यद्यपि उस समय हमें अत्यन्त जरूरत थी, वह सम्भवतः वहाँ जानवरों से प्रयोग लायक ही था। विदेशी सहायता के छद्मवेश उसने इससे भी लाभ अर्जित कर लिये। इसी कारण कुल सहायता का बहुत छोटा भाग अनुदान और शर्तहीन सहायता के रूप में होता है। भारत को भी विदेशी सहायता का बहुत छोटा भाग अनुदान और शर्तहीन सहायता के रूप में मिला है। निम्नलिखित तालिका से यह प्रतीत होता है कि भारत को मिलने वाली कुल विदेशी सहायता (प्रयुक्त) का केवल 31.9% भाग शर्तहीन सहायता और केवल 11.3% भाग अनुदान के रूप में मिला है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तालिका-2

विदेशी सहायता में अनिबद्ध सहायता और अनुदान (करोड़ रुपये में)

अवधि	कुल विदेशी सहायता	अनिबद्ध सहायता	अनिबद्ध सहायता का कुल सहायता में%	अनुदान	कुल सहायता में अनुदान का%
तीसरी योजना के अंत तक	4508.8	1761.6	40.8	336.9	7.9
वार्षिक योजनाओं में	3229.6	592 6	18.4	223.0	6 9
चतुर्थ योजना में	4183.7	1263.5	30.2	152.0	3.6
पांचवीं योजना में	7309 5	2983.5	40.8	1157.0	15.8
1979-80 और 1980-81 में	3531·9	667·8	18.9	700.9	19.8
योग	22763.5	7269.9	31.9	2570·6	11.3

(स्रोत : इकनामिक सर्वे, 1981-82) पृष्ठ 145

सामान्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह दावा होता है कि वे ऋण प्राप्तकर्ता देश की जरूरत की प्रकृति के अनुसार ऋण देते हैं। लेकिन वास्तविक कार्य-विधि इससे भिन्न होती है। सहायता के रूप में ऋण लेने वाले देश में विभिन्न विकसित अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आते हैं और वे सहायता की योजनाओं पर विचार करते हैं जो किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान करने वाले देश के हितों की रक्षा करते हैं अथवा उसके लिए लाभदायक होते हैं। सहायता प्रदान करने वाले देश या उसके विशेषज्ञ इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि सहायता इस प्रकार दी जाय ताकि सहायता ग्रहण करने वाले देश में सहायता देने वाले देश की प्रशंसा हो, उत्कृष्टता स्थापित हो और सहायता लेने वाले देश का आर्थिक ढांचा सहायता दाता देश के आर्थिक ढांचे का अनुकरण करे। इस प्रक्रिया से वस्तुतः सहायता प्राप्त करने वाला देश सहायता देने वाले देश के आर्थिक उपनिवेश बन जाते हैं, जबकि दावा यह किया जाता है कि सहायता सम्बद्ध देश की आवश्यकता के अनुरूप मुहैय्या की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में विदेशी सहायता का बहुत बड़ा अंश बड़े-बड़े संयंत्रों और कारखानों के लिए दिया जाता है। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण आयुर्वेदीय स्वास्थ्य सेवाओं, परम्परागत उत्पादन तकनीक को विकसित करने के लिए अपेक्षित विदेशी सहायता नहीं मिली। उन्नत पश्चिमी स्वास्थ्य सेवाओं और प्राविधिक ज्ञान के लिए विदेशी सहायता मिली जिसके दूरगामी प्रभाव इस प्रकार रहे हैं कि भारतीय हवा, मिट्टी और पानी में पले-बढ़े युवा डाक्टर और प्रविधि विशेषज्ञ जब देश के विकास प्रयास में कुछ योगदान करने लायक हो जाते हैं तो विदेशों में जाकर रहने के प्रति विशेष तत्परता दिखाने लगते हैं। विभिन्न बड़े संयंत्रों में विदेशी सहायता की बैशाखी पर सवार विदेशी तकनीशियन और प्रशासनिक अधिकारी अपना वर्चस्व बनाये रखते हैं। विदेशी सहायता के माध्यम से जो आयातित मशीनरी और उपकरणों के लिए भारत को ऊंची कीमत देनी पड़ी है। इस कारण यह संदेहास्पद प्रतीत होता है कि भारत को जो आर्थिक सहायता मिली है उसका मुख्य प्रेरक तत्व विकास करना रहा है। सत्यता तो यह प्रतीत होती है कि विदेशी सहायता में कोई न कोई शर्त ऐसी अवश्य होती हैं जो सहायता प्रदान करने वाली सरकार के हितों का पोषण करती हैं। टेरेसा हेयटर ने अपनी एक पुस्तक 'एड ऐज इम्पीरियलिज्म' में लिखा है कि सहायता बिना शर्त के वित्तीय संसाधनों का विकसित देशों से विकासशील देशों के लिये हस्तांतरण नहीं है। उनके अनुसार, "साधारणतया सहायता सम्बद्ध शर्तें स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्षतः उन सरकारों के हितों की पूर्ति के लिये होती हैं जो सहायता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिये साधारणतया सहायता के दाता देश से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिये सहायता का उपयोग किया जाना चाहिये, अमरीका की सहायता को अमरीकी जहाजों से ही ले जाना चाहिये।" इस कथन में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यदि पूर्ण सत्यता न भी हो तो भी यह विदेशी सहायता की नियति का स्पष्ट परिचायक है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी सहायता की एक मुख्य विशेषता यह है कि विदेशी पूंजी बहुधा अपने साथ विदेशी प्रौद्योगिकी भी लाती है। विकसित देशों की यह प्रौद्योगिकी पूंजी का भारी मात्रा में उपयोग करती है, श्रम को विस्थापित करती है और ऊर्जा तथा गैर-नवकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का भारी मात्रा में उपयोग करती है इससे जनित रोजगार अवसरों का लाभ समाज के आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली लोगों को ही मिल पाता है। इस प्रौद्योगिकी से निर्मित सामान का उपयोग भी समाज के जनसामान्य लोग नहीं अपितु विशिष्ट वर्ग के लोग ही कर पाते हैं। समाज के इस विशिष्ट वर्ग के लोग ही विभिन्न परियोजनाओं के नीति निर्धारण और प्रशासन में संलग्न रहते हैं और इसमें समाज के बहुसंख्यक लोगों पर वर्चस्व बनाने में उन्हें सहायता मिलती है। स्पष्टतः विदेशी सहायता थोपी गयी प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित देशों के हितों के साथ विशिष्ट वर्ग के हितों का पोषण करती है। इसी प्रकार के आशय की पुष्टि करते हुये 25 नवम्बर 1976 को इन्टर नेशनल चैम्बर आफ कामर्स की इण्डियन नेशनल कमेटी के समक्ष भाषण करते हुये तत्कालीन विदेश मंत्री वाई. बी. चह्वाण ने यह स्वीकार किया था कि विदेशी पूंजी अपने साथ ऐसी प्रौद्योगिकी लेकर आयी जो अतिरिक्त श्रम वाले देशों की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी।" अतिरिक्त श्रम वाले देशों में पूंजी की कमी रहती है वस्तु यह पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी उनकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती है। ठीक यही स्थिति भारत की है। भारत में विदेशी सहायता के साथ-साथ उत्पादन की पश्चिमी तकनीक आयी। परिणामतः कहीं-कहीं बड़े कारखाने स्थापित हुये, स्थानीय लोग विस्थापित हो गये। उन्हें उन संयंत्रों में रोजगार भी नहीं मिला क्योंकि वे उच्च प्राविधिक की अपेक्षा करते हैं जो स्थानीय में नहीं था और न होना उनकी गरीबी के परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक भी है। विदेशी सहायता के दबाव और मोह के कारण हम अपनी परिस्थिति के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित नहीं कर सके। भारत में निर्विवाद रूप से उत्पादन की परम्परागत तकनीक में परिष्करण की आवश्यकता है और ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित करने की जरूरत है जो कम पूंजी और अधिक श्रम के सहयोग से उत्पादन में योगदान कर सके। उक्त समस्त विश्लेषण यह निर्देश करता है कि कोई भी शर्त बिना प्रतिबन्ध और अनुदान बिना दबाव के नहीं दिया जाता है। यदि कदाचित ऐसा हो भी तो अनुदान देने वाले देशों में मनोवैज्ञानिक अहंकार पैदा हो जाता है। अनुदान प्राप्तकर्ता की प्रकृति याचक जैसी ही जाती है जो उसकी मनः स्थिति और कार्य विधि को किसी न किसी रूप में वांछित दिशा से विपरीत प्रभाव डालता है।

विदेशी सहायता के सन्दर्भ में एक मुख्य समस्या विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के कठिनाई की है। पुनर्भुगतान की प्रक्रिया में पूंजी और ब्याज के वापसी की है। अधिकतर विदेशी सहायता से प्राप्त राशि उन परियोजनाओं में प्रयुक्त हुई जिनकी परिपक्वता अवधि अधिक है। फलतः प्रतिफल प्राप्ति में विलम्ब होता है और दूसरी ओर ब्याज सहित पूंजी की राशि युक्त ऋण भार बढ़ता जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके कारण कुल विदेशी सहायता का बहुत बड़ा भाग विदेशी ऋण के पूंजी और ब्याज के भुगतान के प्रति चला जाता है। एक ओर ऋण के कम लाभदायक उपयोग और अधिक परिपक्वता अवधि और दूसरी ओर ब्याज की ऊंची दर और कठिन भुगतान शर्तों के कारण पूंजी पर प्रतिफल अत्यन्त कम हो जाता है। इस कारण ऋणों की वापसी की समस्या अत्यन्त कठिन होती जा रही है। वर्ष 1980-81 तक विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कुल 22763.5 करोड़ रुपये में से मार्च, 1981 तक कुल 9635.1 करोड़ रुपये की राशि ऋण भुगतान के रूप में वापस की जा चुकी है। प्रत्येक वर्ष विदेशी सहायता की प्रभूत धनराशि विदेशी ऋण के परिशोधन में ही चली जा रही है। वर्ष 1980-81 में प्राप्त कुल विदेशी सहायता 2164 करोड़ रुपये में 867 4 करोड़ रुपये ऋण परिशोधन के रूप में ही चली गयी, अर्थात उस वर्ष प्राप्त कुल विदेशी सहायता का केवल 35 6 प्रतिशत भाग ही विकास कार्यों में प्रयोग किया जा सका है। इससे यह प्रतीत होता है कि विदेशी सहायता का परिणाम बढ़ने के बावजूद विकास कार्यों में प्रयोज्य विदेशी सहायता की मात्रा घटती जा रही है। और अर्थ व्यवस्था पर ऋण सेवाओं का बोझ उत्तरोत्तर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ता जा रहा है जिसके भुगतान के लिए हम अपने दिन-प्रतिदिन के प्रयोग की अति-आवश्यक वस्तुयें यथा चाय, चीनी, तिलहन, कहवा आदि का निर्यात अत्यन्त नीची

भारत के विविध समाजार्थिक क्षेत्रों में प्रगति हुई है लेकिन कई विकसित देशों की तुलना में इसका आय अन्तराल बढ़ गया है। पिछले तीन दशक में भारत में प्रति

तालिका

ऋण परिशोधन (करोड़ रुपये में)

अवधि	पूंजी	ब्याज	कुल
प्रथम योजना	10.5	13.3	23.8
द्वितीय योजना	55.2	64.2	119.4
तृतीय योजना	305.6	237.0	542.6
वार्षिक योजनायें	606.6	375.9	982.5
चतुर्थ योजना	1584.2	860.8	2445.0
पांचवी योजना	2531.6	1232.8	3770.4
1978-80	570.1	313 9	884.0
1980-81	569.3	298.1	867.4
योग	6233.1	3396.0	9635.1

कीमतों पर करते हैं। विभिन्न रूपों में विदेशी सहायता के माध्यम से प्राप्त ऋणों की वापसी का विवरण ऊपर दी गयी तालिका में दिया गया है।

विदेशी सहायता के निष्पादन स्तर की भौतिक माप करना कठिन है। क्योंकि विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के विकास एवं प्रसार में विदेशी सहायता के साथ-साथ घरेलू विनियोग की प्रभूत मात्रा सम्मिलित है। लेकिन विदेशी सहायता के निष्पादन स्तर को गुणात्मक आधार पर राष्ट्र के विकास लक्ष्यों और विदेशी सहायता में निहित संकल्पनाओं के आधार पर आंका जा सकता है। विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थायें विकास प्रयासों द्वारा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्याप्त आर्थिक विकास स्तर के अंतराल को घटाना चाहती हैं। गरीबी, बेरोजगारी और भुगतान संतुलन में घाटे की समस्या का निदान करना चाहते है। इसी सदर्भ में विदेशी सहायता का प्रयोग किया गया है। यदि इन उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में विदेशी सहायता का विश्लेषण किया जाय तो यह प्रतीत होता है कि इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके है। नियोजन काल में यद्यपि

व्यक्ति आय वृद्धि 1.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नही रही है जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति अत्यन्त अनुकूल रही है। सतत आ रही विदेशी सहायता के बावजूद भारत में गरीबों की संख्या और उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 1962 में भारत सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ समिति ने 1960-61 की कीमतों पर यह अनुमान लगाया कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग व्यय 20 रुपये प्रतिमाह होना चाहिये इससे कम व्यय करने वाले लोग गरीबी की रेखा से नीचे होंगे इस आधार पर विशेषज्ञ समिति ने यह अनुमान लगाया कि देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। तब से विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के अनुमानों से यह सिद्ध होता है कि भारत में गरीबी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं।

आर्थिक सहायता से विविध उद्योगों की स्थापना और आयात प्रतिस्थापन के प्रयासों के बाद भी भारत की निर्धनता और विदेशों पर आयात की निर्भरता बढ़ती गयी। फलतः विदेशी विनिमय के संदर्भ में सतत घाटे की स्थिति बनी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाली सहायता निर्धारित मान की तुलना में अत्यन्त कम रही है। विकसित देशों से गरीब देशों को मिलने वाली सहायता अंकटाड द्वारा निर्धारित दरों से भी कम रही है। 1964 में अंकटाड ने निर्धारित किया था कि विकसित देशों को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत भाग सहायता के रूप में विकासशील देशों को देना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 में यह प्रस्ताव पारित किया कि विकसित देशों को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत भाग विकासशील देशों को सहायता के रूप में देना चाहिये। लेकिन विकसित देशों से मिलने वाली सहायता इस घटी हुई दर के तुल्य भी न हो सकी। विकसित देशों से मिलने वाली सहायता उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0 35 प्रतिशत के आसपास ही रही है। यह अनुमान किया जाता है कि वर्तमान दशक में उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.40 प्रतिशत भाग से अधिक राशि विदेशी सहायता के रूप में न आ सकेगी। इस प्रकार अब विकासशील देशों का विकास विकसित देशों की उदारता के आधार पर नहीं हो सकता है।

विदेशी सहायता की उपयोगिता, इस विश्लेषण से प्रतीत होता है, की विकास संदर्भों में कम हो जाती है। विदेशी सहायता अपने आप में विकासशील देशों के विकास के लिये सहायक हो सकती है बशर्ते कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो। सहायता मूल रूप में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली के अनुरूप हो। सहायता का मुख्य भाग अनिबद्ध सहायता के रूप में होना चाहिये, ताकि प्रयोग में किसी प्रकार की बाध्यता न हो। विदेशी सहायता प्रचलित विकास प्रविधि को गति प्रदान करने के लिये होनी चाहिये न कि अपने देश के आर्थिक प्रारूप को आरोपित करने वाले राष्ट्रों को पैसे आर्थिक उद्देश्यों को भी आरोपित करने का प्रयास नहीं होना चाहिये। इन सब के साथ यह भी आवश्यक है कि विदेशी सहायता के रूप में मान्य विकसित राष्ट्र अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कम से कम 0.7 प्रतिशत भाग अवश्य दें। और सहायता के साथ-साथ सहायता देने वाले देशों की मधुर स्थिति की जरूरत देते रहें। इस समय विश्व के 140 देश विकासशील देश की कोटि में हैं जहां विश्व की कुल 75 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन वे विश्व की सम्पत्ति के केवल 20 प्रतिशत के स्वामी हैं। विश्व के संसाधनों पर समग्र मानवीयता अधिकार है। देश की राजनैतिक सीमा बनाकर प्रकृतिजन्य संपदा से विश्व के बहुत बड़े जन-समूह को वंचित करना मानवीयता के हित में नहीं है। प्रकृतिजन्य संपदा पर सबका समान अधिकार है इस परिप्रेक्ष्य में यह सोचना नितांत भ्रामक है कि एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका या दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देशों के रहते, जहां की अधिकांश जनसंख्या गरीबी कुपोषण भुखमरी और अशिक्षा का शिकार है, दुनिया के कुछ विकसित हिस्से दीर्घकाल तक समृद्धि और वैभव पूर्ण विलासी जीवन बिता सकते हैं। ■

पृष्ठ 35 का शेष

किया जाय। पहली श्रेणी में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है उनके साथ अनुकूल सम्बन्ध बनाने की सर्वोत्तम पद्धति यह है कि उनकी ही प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया जाय। कहा जाता है जिन लोगों को उनकी बात-चीत द्वारा समझाना कठिन होता है, उन्हें उनकी लेखनी के माध्यम से जाना जा सकता है। अतः ऐसे अधिकारियों को आप उनकी लेखनी द्वारा समझाने का प्रयत्न करें। मौखिक प्रशंसा भले ही देर से प्राप्त हो, ऐसा अधिकारी मन ही मन सदैव आपको प्रशंसात्मक दृष्टि से मूल्यांकित करेगा।

दूसरी श्रेणी के अधिकारियों को गम्भीरता के साथ देखें क्योंकि आप पायेंगे कि अन्य की अपेक्षा आप इनसे अधिकतम सीख सकते हैं। इनकी चेतावानियों में वह प्रशासकीय सावधानियां हुयी हैं जोकि प्रशासक को बरतनी चाहिये और इनकी प्रशंसा यह दर्शाती हैं कि प्रशासन में मानवीयता का पुट उसे और कार्यसक्षम बनाने में सहायक होता है। अब बची तीसरी श्रेणी के अधिकारियों की बात। ऐसे अधिकारियों का मित्रवत व्यवहार नए अधीनस्थों को छलावे में डाल देता है। एक वरिष्ठ अधिकारी को मित्र समझ बैठना अधीनस्थ की सबसे बड़ी भूल होगी।

वरिष्ठ जन का यह मित्रवत व्यवहार वस्तुतः इस बात का परीक्षण है कि आप प्रशासकीय तौर तरीकों की कितनी जानकारी रखते हैं। सिगरेट पीने से स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं कि मन मुताबिक इस स्वतन्त्रता का लाभ उठायें। तभी पिये जब बाध्य किया जाय। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज एक प्रशासक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जनता के प्रति अपने सम्बन्धों का निर्धारण किस स्वरूप में करें। हरेक प्रशासक का यही उद्देश्य रहता है कि तीनों स्तरों पर अनुकूल सम्बन्ध रहें जिससे समस्याओं को शीघ्रता के साथ सुलझाया जा सके। किन्तु इनमें से अनेक इस प्रयत्न में सफल नहीं होते। इस विफलता का एक प्रमुख कारण यह है कि ऐसे लोग यह प्राप्त करने के पूर्व प्रशासकीय व्यक्तित्व के इस पक्ष पर भली-भांति विचार नहीं करते। फल-स्वरूप, आरम्भिक चरण में ही उन्हें जो कटु अनुभव उठाने पड़ते हैं, वे आगे चल कर उनकी वस्तुपरक निर्णय-क्षमता को कुंठित कर देते हैं जिसका प्रभाव सम्पूर्ण प्रशासन की कार्य कुशलता पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

अतएव ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासकीय भूमिका ग्रहण करने के पूर्व ही उसके इस महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार किया जाए।

अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि बहुधा इन अधिकारियों का स्वभाव कैसा होता है। एक श्रेणी तो ऐसे लोगों की है जो स्थितिप्रज्ञ मुद्रा में बैठे हुए मुखाकृति की गतिविधि से आलोचना और प्रशंसा को अभिव्यक्त करने में विश्वास करते है। ब्रिटिश संस्कारों से प्रभावित ये अधिकारी इस नियम के कायल हैं कि एक प्रशासक स्वयं को अपने परिवेश से जितना अधिक दूर रखेगा उसके निर्णय उतने ही वस्तुपरक होंगे। यह धारणा तत्कालीन प्रशासकीय उद्देश्यों के अनुरूप थी जहां प्रशासक का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद की परिस्थितियां पूर्णतया भिन्न हैं। जहां राज्य का रूप कल्याणकारी हो वहां परिवेश से दूर रह कर एक प्रशासक कभी भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता। किन्तु अनेक अधिकारी अभी भी प्राचीनता के मोह से मुक्त नहीं हो सके हैं और एक नए अधिकारी की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इनके साथ अनुकूल सम्बन्ध कैसे बनाए जाएं। इस समस्या को जटिल बनाने का एक और कारण यह भी है कि एक अधिनस्थ की हैसियत से आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं का पता नहीं लगा पाते। फलस्वरूप तमाम निष्ठावान प्रयत्नों के बावजूद आप को महसूस होता है कि आप अपने वरिष्ठ को प्रसन्न नहीं कर सके हैं। प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती है और कार्य कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। अतएव इसके अभाव में एक नए अधिकारी का हतोत्साहित हो जाना स्वाभाविक है। फिर भी इस परिस्थिति से बचने के लिए कुछ सुझाव हैं जिन पर आपको आगे की पंक्तियों में विश्लेषण मिलेगा इसके अतिरिक्त अधिकारियों के दो प्रकार होते हैं। यद्यपि मूलतः ऐसे लोग एक जैसे होते हैं, इनके व्यवहार में अन्तर रहता है। एक श्रेणी में ऐसे अधिकारी आते हैं जो कभी-कभी आपको बहुत ही कठोर और अमानवीय लगेंगे और कभी-कभी उसके ठीक विपरीत। कभी चेतावनियों का बाहुल्य रहेगा तो कभी प्रशंसा का, इसके विपरीत कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो आपसे आरम्भ से ही मित्रवत् रूप से व्यवहार करते हैं। यह आपको प्रोत्साहित करेंगे, अपने अनुभव सुनवाएंगे और हर सम्भव रूप से आपको सहज बनाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप सिगरेट पीने के आदी हैं और इन्हें इस तथ्य की जानकारी हो जाती है तो यह आपको न केवल सिगरेट पीने की स्वतन्त्रता देंगे बल्कि उसके लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। सम्भवतः आप यह महसूस करें कि इनसे अच्छा वरिष्ठ अधिकारी तो मिल ही नहीं सकता। ठहरिए, जरा कुछ आगे की पंक्तियों की प्रतीक्षा कीजिए।

यह तो हुई अधिकारियों के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं की बात। आइये, अब इनके सुलझाने पर विचार

(शेष पृष्ठ 34 पर)

111872

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साहित्य और राजनीति

■ हरीश मिश्र

साहित्य और राजनीति की बहस काफी पुरानी है। इस मुद्दे पर यूरोप में रूसो से लेकर आज तक न्यूनाधिक चर्चा छिड़ी हुयी है। वैसे मध्ययुग तक भारतीय साहित्य में इस सिलसिले में कोई खास चिंतन नहीं हुआ। भारतीय वाङ्मय की एक दीर्घ परंपरा रस-छंद-अलंकार आदि के तर्क-वितर्क में गोते खाती रही और बाद की, जिसे हम आधुनिक भारतीय साहित्य कहते हैं, यूरोपीय विचारधारा से दोस्ती कर बैठी। वस्तुतः यूरोप में पूंजीवाद का प्रथम विकास हुआ और वहीं साहित्य और राजनीति की बहस ने सर्वप्रथम जोर भी पकड़ा। फिर तो यह चर्चा संक्रामक हो गयी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में विश्व के अधिकांश देशों में राजनैतिक संघर्ष प्रकटतः सक्रिय हो उठे थे। कुछ देशों में सामंतवाद पूंजीवाद सफाया अभियान प्रखर हो रहा था तो कुछ मुल्क 'उपनिवेशवाद पूंजीवाद' से हाथा-पाई कर रहे थे। राजनैतिक विजय की ललक से हर देश के नागरिक राष्ट्रीय या वर्गीय स्तर पर भरपूर थे। राजनीति की इस बहुआयामी क्रिया-शीलता से साहित्य भी अछूता नहीं रह सका। देशकाल परिस्थिति के मुताबिक राजनीतिक संघर्ष और विचार विश्वसाहित्य के व्यापक फलक पर प्रतिफलित हुये। यह प्रक्रिया आज तक अनवरत जारी है।

सामंती युग में साहित्य और राजनीति का सवाल विशेष रूप से चिन्ता के केन्द्र में नहीं होता। इस युग में राजनीतिक शक्तियां एक ही वर्ग-शासक वर्ग तक सीमित होती हैं। फलतः कला, साहित्य और संस्कृति की व्याख्याएं पूर्णतया उसकी गिरफ्त में होती हैं। अलावा इसके सामंती युग का प्राथमिक संक्रमण अपेक्षाकृत काफी शिथिल होता है, जिसमें वर्गीय संघर्ष राजनीतिक स्तर पर दो तरफा चैतन्य नहीं होते। यही कारण है कि इस युग की रचनात्मक विधाओं में राजनैतिक अभिव्यक्ति इकहरी होती है। सामंती युग के पूंजीवादी काल में संक्रमण और पूंजीवाद के विकास व पराजय की स्थितियां अपने परवर्ती कालों की अपेक्षा गुणात्मक एवं मात्रात्मक स्तर पर भिन्न होती हैं। वर्ग लगातार राजनैतिक चेतना से लैस और आमने-सामने होते जाते हैं। जीवन के हर अंग से राजनीति का प्रश्न इस कदर चिपक गया होता है कि उससे त्राण पाना असंभव हो जाता है।

आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर बहुरुपिये राजनैतिक संघर्ष पैंतरेबाजी कर रहे हैं। हर देश की अपने-अपने ढंग की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक समस्याएं हैं। सिर्फ उसकी राजनीति ही नहीं बल्कि समाज के अन्य संदर्भ भी भयंकर आकुल हैं और उन संदर्भों की मुख्य अकुलाहट परस्पर राजनीतिक एकीकरण की है। आइए, इस सर्वाधिक ज्वलंत प्रसंग पर साहित्य के जरिये एक विश्लेषणपरक निगाह दौड़ायी जाय।

समाज के विविध वैचारिक और राजनैतिक द्वंद व मिलन नदियों और सागर जैसे हैं। नदियां अलग-अलग क्षेत्रों, अलग अलग मार्गों और भिन्नामों से बहती हैं। फिर, एक नदी दूसरी से भेंट करती है, दूसरी-तीसरी से और अंततः सभी सागर में समा जाती हैं। वैचारिक द्वंद्वों की टकराहट भी इसी तरह परस्पर एक होती जाती है। यद्यपि क्रियाविधि, अभिव्यक्ति माध्यम और रूप भिन्न होते हैं, लेकिन अंततः सभी एक ही प्रकार के स्वाद में परिणत हो जाते हैं। नदियों का मीठा जल सागर में मिलते ही खारा हो जाता है। सागर अथाह है और नदियों की गरिमा उसी की सीमा में सुरक्षित है। राजनीति विचार का क्रिया रूप है। राजनीति विचार को भौतिक शरीर देती है। जैसे नदियां सागर में समाने से अपने को रोक नहीं सकती, विचार भी राजनीति में समाने से रोके नहीं जा सकते। वे चाहे जिस नाम से हों और चाहे जिस रूप में हों।

राजनीति क्या है? सत्ता को मुट्ठीबन्द करने की प्रक्रिया। यह कि उसका अंतिम लक्ष्य सत्ता तक पहुंचने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का है । सत्ता प्राप्ति के तौर तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सत्ता हथियाने और सुरक्षित रखने का एकमात्र बुनियादी तत्व है-विचार दर्शन । राजतंत्र, प्रजातंत्र, तानाशाही आदि सभी के पार्श्व में एक विचार दर्शन है। शेष अन्य चीजें-शासन, फौज आदि दोयम् । हिटलर, मुसोलिनी सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार हैं, जैसे कि लेनिन और माओ । साहित्य निर्विचार नहीं हो सकता और इसी लिये अराजनीति भी नहीं हो सकता । सृजन विषय की उद्दाम कामना से उत्तेजित एक संघर्ष का नाम है । यह विजय एक लेखक द्वारा दूसरे लेखक से आगे बढ़ जाने तक ही सीमित नहीं रह सकती । रचना की प्रयोजनशीलता इससे भी आगे है । सार्थक लेखन सार्थक बोलना है । उसकी सिद्धि एक विशेष प्रकार के विचार की विजय में है । बोला जाना सिर्फ बोला जाना नहीं है । बोले जाने की सार्थकता किये जाने में है । स्पष्ट है कि सार्थक सृजन तभी होता है, जब सर्जक को आभास होता है कि कुछ ऐसा है जो नहीं किया जा रहा है और जिसे जन व देशहित में किया जाना आवश्यक है । अर्थात लेखन का अभिप्राय ही यही है कि कुछ अनपेक्षित मूल्यों, संदर्भों को धूलिसात् करना और कतिपय अपेक्षित मूल्यों को स्थापित करना । कुछ जाने और किये जाने की आकांक्षा ही साहित्य की बुनियाद में है । यही सम्बन्ध साहित्य और राजनीति की नातेदारी निर्मित करता है ।

वर्गीय समाज स्थिर नहीं होता । उसमें वर्ग संघर्ष निरन्तर गतिशील रहते हैं । और ये संघर्ष समाज पर्यन्त विस्तृत होते हैं—राजनीति से लेकर कला, संस्कृति तक । बावजूद इसके इन सघर्षों का एक केन्द्रीय मोर्चा होता है । वह है राजनैतिक मोर्चा । अन्य मोर्चों पर चालू संघर्ष राजनीतिक लड़ाई के सहयोगी होते हैं। समाज व्यवस्था में, व्यवस्था राजनीति में और राजनीति सत्ता में केन्द्रीभूत होती है । राजनीति और सत्ता बेहद करीब होते हैं । लेकिन राजनीति की सत्ताप्राप्ति की प्रक्रिया में अन्तसंम्पृक्त से सभी तत्व उसे अग्रसारित करते हैं और आगे भी शक्ति और गति देते हैं । सवाल है कि जब राजनीति ही सर्वेसर्वा है तो क्यों न संघर्ष वहीं स्थिर किया जाय? यद्यपि यह तय है कि सभी सामाजिक संघर्ष राजनीति में ही प्रक्षेपित होते हैं, फिर भी बहुआयामी संघर्ष मूल रूप में कभी एकीभूत नहीं हो सकते । नौसेना, नभ सेना और थल सेना-तीनों एक सेना की इकाईया हैं । तीनों का उद्देश्य शत्रु को मात देना है । तीनों की समर शैली भिन्न है और सक्रियता क्रम परस्पर आगे पीछे है । तथापि तीनों का महत्व और उपस्थिति समान और आवश्यक है । साहित्य और राजनीति कार्यनीति के स्तर पर एक होते हुए भी राजनीति में समानधर्मी नहीं होते । उदाहरणार्थ एक वर्ग के नेता और लेखक के कथन में फर्क नहीं होता । अंतर सिर्फ शैली में होता है । काबिले गौर है कि शैली में बदलाव और विकास साहित्य और राजनीति में लगभग निरंतर होते रहते हैं । यहाँ तक कि क्रान्तिकारी राजनीति और क्रांतिकारी साहित्य का शिल्प भी बदलता रहता है । लेनिन ने क्रान्ति का जो शिल्प गढ़ा उसे माओ ने विकास और परिवर्तन के माध्यम के संवारने की कोशिश की । संभव है कि आगे कुछ और बदलाव आये । ध्यान देने की बात है कि राजनीति की सक्रियता को प्रभावित करती है, सिर्फ साहित्य को ही नहीं बल्कि समाज के अन्य अंगों को भी । कारण कि राजनीति अधिक प्रत्यक्ष रूप में दिन प्रति दिन के जीवन को प्रभावित होकर भी काम चला सकती है । पर राजनीति के प्रभाव से वह अपने को कदापि मुक्त नहीं कर सकता । हमेशा यही कहा जाता है कि मुक्ति संग्राम से प्रेमचन्द्र प्रभावित थे न कि प्रेमचन्द से मुक्ति संग्राम प्रभावित था । यदा-कदा यह स्थिति राजनीति के आगे तो नहीं जाती, बल्कि पूर्णएक हो जाती है । मसलन कि हिन्दी का भक्ति आंदोलन । वस्तुतः भक्ति आंदोलन महज एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था । क्योंकि साहित्यक आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल अलग होता है और उसका दायरा भी संकुचित होता है । भक्ति आंदोलन के बाहर और भीतर एक प्रकार की राजनैतिक चेतना थी । साहित्य उस वक्त सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रचार का एक मात्र सशक्त माध्यम नजर आया । अतः साहित्य ने राजनीति की भी प्रत्यक्ष भूमिका अदा की ।

वास्तव में तटस्थ होना संभव नहीं । आमतौर पर तटस्थता शब्द का वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहाँ दो विवाद में हों और एक तीसरा न इस तरफ हो और न उस तरफ । जाहिर है कि तीसरा तभी मौन होता है, जब दोनों विवादी उससे सबल हों या उसकी निगाह में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों एक जैसे हों। पहली स्थिति संभव है—लेकिन दूसरी स्थिति वर्गीय समाज में संभव नहीं। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। स्वार्थवश ही एक के पक्ष में मध्यवर्गीय व्यक्ति चुप होता है। चुप होने से विवादियों में तात्कालिक सबल पक्ष को फायदा पहुंचता है। अंततः तटस्थ की तटस्थता वर्गीय समाज में सबल के पक्ष में जाती है। फिर तटस्थता बहाने बाजी के अतिरिक्त और क्या है? साहित्य में यह तथाकथित तटस्थता कई बहानों के माध्यम से व्यक्त होती है। 'कला कला के लिये' इनमें से सर्वप्रथम है। कला कला के लिये होती-तो गणित की तरह हर जगह सम रहती। यह रोमन कला-साहित्य है, यह भारतीय साहित्य है—इन विभाजनों का आधार क्या है? सिर्फ यही कि कला में जनजीवन, जातीय व परम्परागत रंग होते हैं और यह कि कला के निर्माण में मनुष्य की आशाएं आकांक्षाएं प्रतिच्छायित हुयी हैं। कला मनुष्य के लिये है और जब मनुष्य के लिये है, तो मानवीय चेतना के सर्वांगों से वह कैसे वंचित रह सकती है? वास्तव में यह नारा समाज के एक महत्वपूर्ण मोर्चे को शिथिल करने के लिये दिया गया। इसकी मुख्य राजनीतिक चाल यह है कि चेतना की विभिन्न ईकाईयों को असंलग्न रखा जाय। बगैर विकल्प दिये कहना कि दुनियां की हर विचारधारा गलत है, क्या यह कहना नहीं है कि—जब सारी विचारधाराएं गलत हैं, तो ज़हमत क्यों मोल लेते हो। मौजूदा व्यवस्था को ही, बेहतर होगा, मान लो। यह कहना कि दुनियां की हर विचारधारा ठीक है तो क्या प्रकारान्तर से यह कहना नहीं हुआ कि—जब सब ठीक हैं, तो इसी को क्यों नहीं मान लेते? विश्व मंच पर घनेरों लेखक आजकल कह रहे हैं कि हम मानवतावादी हैं। सोचने की बात है कि दुनिया का वह कौन सा रचात्मक साहित्य है, जो मानवतावादी है। मनुष्यता तो साहित्य की परम मित्र है—इससे कौन इंकार कर सकता है। किन्तु बात और गंभीरता से सोचने की है। मानवतावाद शब्द आज जनवाद के विकल्प में प्रयोग किया जाने लगा है। जनवादी साहित्य के विरोध में लोग मानवता वादी साहित्य की वकालत करते हैं। वस्तुतः वे अपने को पूंजीवादी कहने से सकुचाते हैं और एवज में मानवतावाद की दुहाई देते हैं। सिर्फ लेखक होने के नाते ही नहीं बल्कि मनुष्य होने के नाते वैचारिक आजादी इंसान का मूलभूत अधिकार है। और कम से कम लेखक को इस मायने में ईमानदार होना चाहिये। रचनाकार होने के नाते उसे किसी भी विचार के पक्ष में होने का नैतिक अधिकार है। किन्तु झूठ बयाबी का हरगिज नहीं। सवाल उठता है कि तालस्ताय सरीखे लेखकों को किस श्रेणी में रखा जायेगा। वे न तो पूंजीवादी हैं और न तो जनवादी और न तो सामंतवादी ही। यह घालमेल बहुत से लेखकों में होता है फिर भी वे महान रचनाकार होते हैं। कारण कि वे इस मामले में साफ होते हैं कि वे कहना क्या चाहते हैं? उनमें बदलाव की एक छटपटाहट होती है और वे समाज की सारी विकृतियों को नंगा करते हुये कहते हैं—इसे सुधारो नहीं बल्कि बदल दो। जिस लेखक की दृष्टि जितनी साफ होगी उसका लेखन उतना ही गहरा और साफ होगा। रचना के रूप में अन्तर्विरोध पात्रों का संगम होता है। चरित्रों का यह अन्तर्विरोध कभी वैमनस्य पूर्ण होता है और कभी अवैमनस्य पूर्ण। वैमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोधों की स्थिति में लेखकीय पक्षधरता का रेखांकन अनिवार्य हो जाता है। स्व-दृष्टि के अनुसार अच्छे के साथ उसकी सहानुभूति होती है और बुरे के साथ घृणा। अच्छे के प्रकाश और बुरे के विनाश तक की चिन्ता लेखकीय सीमा से जुड़ी है और पश्चात का संघर्ष रानीति के हाथों आ जाता है। मतलब कि लेखक अपने वैचारिक संघर्ष को समाज में चल रहे राजनैतिक वैचारिक संघर्ष से जोड़ता है।

पहले ही संकेत किया जा चुका है कि साहित्य के जरिये व्यक्त होने वाली राजनीति जनसंगठनों द्वारा व्यक्त होने वाली राजनीति से भिन्न होती है। अभिव्यक्ति की भिन्नता से ही हम पहचान करते हैं कि एक नेता है और दूसरा कवि-साहित्यकार। बहस में जाने से पूर्व ये शब्दावलियां द्रष्टव्य हैं—साहित्य की राजनीति, राजनीति का साहित्य, राजनीतिक साहित्य और साहित्यिक राजनीति। ऊपरी तौर पर इनमें कोई खास अंतर नजर नहीं आता। लेकिन, भीतर से काफी फर्क है। 'साहित्य की राजनीति' नकाबपोश लेखकों का सबसे बड़ा हथियार है। हर खेमा इनका अपना है। बिना सार्थक लेखन के ही गोष्ठियों में भाषणबाजी करते नजर आयेंगे ये। 'राजनीति का साहित्य' से मतलब उस साहित्य से है जिस पर व्यवस्था मुहर लगाती है या जिसमें व्यवस्था द्वारा इस्तेमाल किये जाने का लचीलापन है। व्यवस्था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमेशा अपने हित के समर्थक साहित्य को प्रोत्साहन देती है। 'राजनीतिक साहित्य' का सीधा सम्बन्ध राजनीतिक दलों से सम्बन्धित सपाट साहित्य से है या जिस साहित्य की कलात्मकता जीवन बोध से विलग और बेहद तकनीकी होती है। अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है—साहित्यिक राजनीति। यहीं रचनाकार अपनी राजनीतिक भूमिका की पहचान स्थापित करता है। यहीं वह साहित्य और राजनीति के समन्वय के दौर से गुजरता है। यहीं वह घोषणा करता है कि वह किसके साथ है और किसके खिलाफ। इसी कोष्ठक में कैद होकर राजनीति अपने स्थूल रूप को गँवा बैठती है। यहीं आकर लेखक समाज दृष्टा हो जाता है और यहीं आकर वह राजनीति पर भी नजर रखता है और मुंशी प्रेमचन्द के इन शब्दों की सीमा तक पहुंच जाता है—साहित्य राजनीति के आगे-आगे चलनेवाली मशाल है। आगे चलने वाली मशाल का मतलब है कि राजनीति का सिर्फ वर्तमान होता है। लेकिन साहित्य के पास खूबसूरत भविष्य होता है। सत्ता का वर्तमान नष्ट हो जाय, तो वह भहरा उठेगी। साहित्य वर्तमान से भी बेहतर वर्तमान का मंगलाकांक्षी होता है। सत्ता साहित्य पर तात्कालिक स्वार्थों के कारण अंकुश रखती है, लेकिन साहित्य राजनीति को सुन्दर से सुन्दरतम में बदल देने के लिये सत्ता से टकराता है। यहां भी ध्यान देने की बात है कि साहित्य इन क्षणों में भी अकेला नहीं होता। ऊपर से नीचे तक संघर्ष की प्रक्रिया विद्यमान होती है। संघर्ष से जुड़े लोगों को साहित्य मनोरम ढंग से समझाने की कोशिश करता है—देखो संघर्ष का इतिहास है। ऊपर बैठे लोग क्या कर रहे हैं और हो क्या रहा है। वह हमेशा समाज का एक जीवंत दस्तावेज पेश करता है। सत्ता तक पहुंच जाने तक राजनीति भटक भी जाती है—लेकिन सर्जक भटकाव से हमेशा सतर्क रहता है। ऐसा मूल्य विचारों व तद-जन्य राजनीति से प्रतिबद्ध लेखकों से ही संभव है। ■

VISIT WRITE OR RING 52384

ASIA BOOK CO.

9, University Road, Allahabad.

BOOKS FOR P. C. S. EXAM:

1.	एम० पी० श्रीवास्तव	: प्राचीन भारतीय संस्कृति कला और दर्शन	40.00
2.	Chaudhary	: English Grammer and Translation	10.00
3.	ओम प्रकाश मालवीय	: आधुनिक हिन्दी निबन्ध	15.00
4.	ओम प्रकाश मालवीय	: सामान्य हिन्दी	8.00
5.	पी० सी० एस० गाइड	: प्राचीन भारतीय संस्कृति	20.00
6.	पी० सी० एस० गाइड	: भारतीय इतिहास I	20.00
7.	पी० सी० एस० गाइड	: भारतीय इतिहास II	20.00
8.	पी० सी० एस० गाइड	: समाजशास्त्र	20.00
9.	पी० सी० एस० गाइड	: हिन्दी साहित्य	12.00
10.	पी० सी० एस० गाइड	: राजनीतिक शास्त्र	14.00
11.	पी० सी० एस० गाइड	: विधि I	18.00
12.	पी० सी० एस० गाइड	: विधि II	20.00
13.	पी० सी० एस० गाइड	: विधि III	16.00
14	पी० सी० एस० गाइड	: भारतीय दर्शन	20.00
15.	पी० सी० एस० गाइड	: समाज कार्य	25.00
16.	पी० सी० एस० गाइड	: प्रारम्भिक गणित	12.00

नोट : पुस्तकों के लिए आर्डर करते समय 10/- रु. अग्रिम मनीआर्डर द्वारा भेजें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ डॉ. भुवनेश्वर सिंह गहलौत*

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : उद्भव तथा विकास

1857 के गदर के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास तेजी से हुआ। ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन, पूना सार्वजनिक सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसियेशन जैसे राजनीतिक संगठनों का सीमित कार्यक्षेत्र में पर्याप्त प्रभाव था किन्तु इनकी कोई निर्धारित नीति या कार्यक्रम नहीं था। राजनीतिक एकता तथा मिलकर काम करने की भावना 1876 में स्थापित इंडियन एसोसियेशन ने फूंकी। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसियेशन, मद्रास महाजन सभा, बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसियेशन, करांची की सिंध सभा, इंडियन लीग, कलकत्ता की ईस्ट बंगा ल एसोसियेशन तथा यूनाइटेड इंडियन कमेटी आदि संगठनों ने राजनीतिक विचारों की आधार शिला रखने का प्रयास किया। जनता में भी एक राष्ट्रव्यापी संगठन स्थापित करने की इच्छा विद्यमान थी किन्तु एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो एक उचित योजना बनाकर सगठन की नींव रखें। यह काम एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एलन आक्टेवियन ह्यूम ने किया। उन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन तथा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व उन्होंने वाइसराय तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श किया था।

विपिन चन्द्रपाल का यह मत सर्वथा सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस का जन्म भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासकों के हस्तक्षेप के कारण हुआ। यह हस्तक्षेप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की हीनता बल्कि सबलता का परिचायक था। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांति का रूप धारण करने से रोकने के लिए तथा वफादार लोगों को उग्रपंथियो से अलग ब्रिटिश प्रशासन का आधार मजबूत करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के सभाकक्ष में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल 62 प्रतिनिधि आये थे किन्तु धीरे-धीरे उसकी सदस्य संख्या एवं प्रभाव क्षेत्र दोनों में वृद्धि होने लगी। 1888 में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 1248 हो गयी। कुछ ही वर्षों में कांग्रेस की ओर जनसमुदाय आकर्षित होने लगा। जाति, रंग, प्रांत, वर्ग, आर्थिक-स्तर आदि का भेद बिना कोई भी कांग्रेस का सदस्य बन सकता था।

काफी समय तक कांग्रेस के आलोचकों का यह मत रहा कि कांग्रेस कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। यद्यपि कॉंग्रेस की स्थापना एवं विकास में पारसियों, मराठियों तथा मद्रासियों की तुलना मे बंगालियो का योगदान अधिक नही था फिर भी कॉंग्रेस को 'बंगाली कांग्रेस' कहा जाने लगा। कुछ इसे कतिपय शिक्षित अल्पसंख्यकों का सगठन तथा हिन्दू कॉंग्रेस भी कहते थे किन्तु उसके आदर्शों व उद्देश्यो से ही स्पष्ट हो जाता था कि कॉंग्रेस एक सर्वजातीय संगठन था। सर सैय्यद अहमद के अतिरिक्त देश के लगभग सभी गणमान्य व्यक्ति कांग्रेस के सदस्य बन गए।

कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चन्द्र बनर्जी भारतीय ईसाई थे। द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नामक पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैय्यब भी मुसलमान तथा चौथे व पाँचवे अध्यक्ष जार्ज यूल और वेडरबर्न अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल दो मुसलमान आये थे जबकि 1890 के छठें अधिवेशन में 22 प्रतिशत मुस्लिम सदस्य थ। कांग्रेस की प्रारम्भिक योजनाओं तथा प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य एक दो वर्गों का नहीं बल्कि सभी का उद्धार करना था। कांग्रेस ने जनता के लिए केवल राजनीतिक अधिकारों की ही नहीं

*उप संपादक, अमृत प्रभात, इलाहाबाद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपितु आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की मांग की।

कांग्रेस के जन्म के पश्चात प्रथम बीस वर्षों में जिन नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों एवं योजनाओं का निरुपण किया वे अधिकतर वकील, प्रशासक, लेखक तथा अध्यापक थे। इनके विचार में भारत को अपनी आवश्यकताएं अंग्रेज जनता एवं संसद के सम्मुख एक संतुलित एवं सुग्राह्य ढंग से रखने की आवश्यकता थी। इनमें से अधिकांश भारतीय समाज के उच्च वर्ग तथा पाश्चात्य शिक्षा की देन थे। उनके मत में ब्रिटेन के माध्यम से भारत का पश्चिम से संबन्ध अभिशाप नहीं बल्कि वरदान था। कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं का मूलमन्त्र ही अंग्रेजी राज के प्रति राजभक्ति था। कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि स्वायत्त शासन प्राकृतिक व्यवस्था और परमपिता परमेश्वर की इच्छा के समान है। प्रत्येक राष्ट्र स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बने यह स्वयं सिद्ध प्राकृतिक नियम है। दादा भाई नौरोजी ने संयुक्त राज्य (यू. के.) अथवा उसके उपनिवेशों के समान स्वायत्त शासन या स्वराज्य की चर्चा की। फिरोजशाह मेहता ने 1890 में कहा कि मुझे विश्वास है कि अंततः ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हमारी बात मान लेंगे। मुझे अंग्रेजी सभ्यता तथा संस्कृति के जीवन तथा सफलता के सिद्धान्तों में अटूट विश्वास है। सरदार दयाल सिंह मजीठिया, आनन्द मोहन बोस, अम्बिका चरण मजूमदार तथा रहमतउल्ला सयानी को भी ब्रिटिश शासन में अटूट श्रद्धा थी।

कांग्रेस के प्रारम्भिक उद्देश्यों की रूपरेखा भी उसके संस्थापकों व नेताओं के विचारों के अनुसार निर्धारित हुई। प्रथम अधिवेशन में वोमेश चन्द्र बनर्जी ने कांग्रेस का उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीयों पर परस्पर मैत्री उत्पन्न करना, जातीय, धर्म तथा प्रांतीय मतभेदों को दूर करके राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, महत्वपूर्ण तथा जटिल सामाजिक प्रश्नों के प्रति शिक्षित वर्ग को विशेष रूप से आकर्षित कराना तथा भविष्य में लोकहित कार्यों की रूपरेखा बनाना बताया था।

कांग्रेस ने प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक शाही आयोग द्वारा जांच कराने; भारत के लिए राज्य सचिव को भारत परिषद समाप्त करने, सैनिक व्यय में कटौती करने, भारतीय लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में भी लेने। लोक सेवाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने, लोक सेवाओं में भारतीयों को प्रशिक्षण देने, न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग करने, भूमि कर कम करके स्थायी बंदोबस्त करने, भारत को ब्रिटिश संसद में सीधे प्रतिनिधित्व देने तथा भारत से इंग्लैंड को प्रतिवर्ष जाने वाले धन को रोककर देशी उद्योगों का विकास करने आदि मांगें सरकार के समक्ष रखी।

इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने नमक कर को एक उत्पाद, सूतीमाल पर उत्पादन को अनुचित तथा नागरिकों को मुद्रा विनिमय पूर्ति भत्ते को अनैतिक अनुदान बनाकर हटाने तक की मांग की। कांग्रेस ने निर्धनता एवं अकाल, जंगल कानून, व्यापार, उद्योग मद्यपान वेश्यावृत्ति आदि विविध विषयों के लिए भी कार्य किया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में भारत की राजनीति नेताओं में ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की धारणा विद्यमान नहीं थी। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के बुद्धि चातुर्य द्वारा भारत का भाग्य निर्माण हो। उनके मन में ब्रिटिश शासन सत्ता से पूर्णतः पृथक होने का विचार नहीं था। उनके विचार में भारतीयों एवं अंग्रेजों के हित परस्पर पूरक एवं सम्पूरक थे।

कांग्रेस के नेताओं ने प्रारम्भ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास के अनुरूप ही अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित की। वे अपनी शिकायतें सरकार के सामने शांतिपूर्ण ढंग से रखने तथा उससे उनके निराकरण की प्रार्थना करने में विश्वास रखते थे। हिंसा, बलप्रयोग तथा रक्तपात के तरीके उनके विचारों में भी नहीं थे। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में भाषण देते हुए मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि यद्यपि अभी तक हमें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली है पर हमें केवल यही करना है कि हम अपनी मांगें सरकार के सामने रखें तथा उन पर अर्थात् अपनी प्रार्थनाओं पर शीघ्रतम विचार करने का आग्रह करें। वस्तुतः कांग्रेस की सदस्यता उस समय मुख्यतः मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर आधारित थी जो देश में तत्कालीन व्याप्त मानसिक एवं राजनीतिक वातावरण में याचिकाओं तथा प्रार्थनाओं से अधिक कोई रीति अपना ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि-मंडल अंग्रेज जनता तथा संसद के सम्मुख भारतीयों की अनेक मांगें रखने के लिए इंग्लैंड भेजे गए। उनकी मांगों के समर्थन में उन्हें अंग्रेजी उद्धरण तथा प्रमाण देने पड़ते थे। भारत में ब्रिटिश शासन की कठोरता से ब्रिटिश जनता को परिचित कराने के लिए 1890 में लंदन में एक पत्रिका INDIA प्रकाशित की गयी। 1893 में वेडरबर्न ने ब्रिटिश सांसदों पर भारत की राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान देने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से एक भारतीय संसद समिति का गठन किया। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत-चीन : एशियाई प्रभुत्व का प्रश्न ?

■ नन्दलाल* एवं ■ उर्मिला लाल‡

भारत-चीन संबंधों का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय संबंध की एक जटिल समस्या है क्योंकि इन दो एशियाई देशों के मध्य संबन्धों का पिछले 34-35 वर्षों का कूटनीतिक इतिहास उथल-पुथल से भरा हुआ है। पिछले 20 वर्षों में सीमा विवाद का कोई हल नहीं ढूँढ़ा जा सका। अनेक वर्षों बाद 1976 में दोनों देशों के मध्य राजदूत स्तर पर राजनयिक संबन्ध पुनः स्थापित हुए। "काबुल में मास्को की सतत् सैनिक उपस्थिति तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकने को अधिक अमरीकी संवेदनशीलता ने विश्वपरक अमरीकी कूटनीति में चीन एवं पाकिस्तान को शामिल कर दिया है।" इस राजनीतिक विकास ने निश्चय ही भारत-चीन संबन्धों को प्रभावित किया है। लेखक-द्वय ने इसी परिप्रेक्ष्य में समस्या के विश्लेषण का प्रयास किया है।

लेख तीन भागों में विभाजित है : प्रथम भाग में मुख्यतः सीमा विवाद और उसके संदर्भ में पं. नेहरू के दृष्टिकोण के औचित्यता की चर्चा की गयी है; द्वितीय भाग में, भारत-चीन संबन्धों को चीन-पाक एवं चीन-बंगलादेश संबन्धों के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है और अन्तिम भाग में संबन्धों पर महाशक्तियों के प्रभाव एवं सीमा विवाद के हल करने के विकल्पों पर प्रकाश डाला गया है।

—संपादक

"विगत दो हजार वर्षों का इतिहास हमारे परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का साक्षी है। इन वर्षों में हम एक दूसरे के पड़ोसी रहे हैं और न केवल विश्व के अन्य भागों को वरन् परस्पर एक दूसरे को भी अपनी संस्कृति से प्रभावित करते रहे हैं। हमारे लोग विश्व के विभिन्न भागों में, विशेषरूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में एक दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आते रहे हैं, फिर भी दोनों देशों के मध्य कभी युद्ध नहीं हुआ।"

ये शब्द प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पं नेहरू ने 26 जून, 1954 को तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की भारत यात्रा के दौरान उनके सम्मान में आयोजित भोज में कहे थे। कहना न होगा कि भारत और चीन-दोनों के ही संगठित राष्ट्रीय इतिहास की 5 हजार वर्षों की परम्परा है। इन वर्षों में दोनों देशों पर अन्य शक्तियों द्वारा अनेक आक्रमण हुए किन्तु इस लम्बे परस्पर सम्पर्क के बावजूद (प्रो. के. एम. पानिक्कर के अनुसार भारत तथा चीन के मध्य व्यापार सम्बन्ध 221 ईसा पूर्व से ही हैं; देखिये पानिक्कर कृत 'इण्डिया एण्ड चाइना') 1962 के पूर्व दोनों देशों के मध्य कभी युद्ध नहीं हुआ।

अब प्रायः सभी आलोचक इस मत से सहमत हैं कि पं नेहरु की विदेशनीति का एक प्रमुख तत्व चीन के साथ शांतिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध की नीति थी। अपनी इसी नीति के अन्तर्गत भारत ने चीनी जनवादी गणतन्त्र को 30 दिसम्बर, 1949 को मान्यता प्रदान की। 1950-51 के दौरान दोनों देशों के मध्य तिब्बत के प्रश्न पर परस्पर विवाद की स्थिति पैदा हुयी जो मुख्यतया चीन द्वारा

*प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।
‡अनुसंधात्री, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय दृष्टिकोण को न समझने के कारण हुयी। किन्तु 1953 में 'कोरिया युद्ध' के अन्त के बाद दोनों देशों के मध्य धैर्यपूर्ण ढंग से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की शुरूआत हुयी। ज्ञातव्य हो कि 1950 के प्रारम्भ में कोरिया युद्ध में चीन के प्रवेश को भारत ने कभी भी आक्रमण की संज्ञा नहीं दी। उत्तरी कोरिया को युद्ध के दौरान सैनिक समर्थन की चीनी नीति की भारत के पश्चिमी मित्रों, विशेषरूप से अमरीका ने कटु आलोचना की। चीन के प्रति पश्चिमी देशों के इस कटु दृष्टिकोण के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र में 1951 से ही चीन की सदस्यता के प्रश्न का जोरदार समर्थन करता रहा। 1954 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की भारत के यात्रा के साथ ही 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' का तथाकथित युग प्रारम्भ हुआ। 'पंचशील' (एक दूसरे की प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखण्डता की भावना, परस्पर अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे के मामलों में अ-हस्तक्षेप की नीति, समानता एवं परस्पर लाभ की नीति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व) की प्रतिस्थापना भी इसी समय की गयी।

पंचशील के इन्हीं सिद्धांतों के तहत भारत और चीन ने 1954 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया। अप्रैल, 1955 में एशियाई-अफ्रीकाई राष्ट्रों के बांडुंग सम्मेलन में नेहरू ने अपनी कूटनीतिज्ञता से चीन को एक उभरती शक्ति का दर्जा प्राप्त करने में सहायता की। कहने का अभिप्राय यह है कि 1954-57 के मध्य दोनों एशयाई शक्तियों के सम्बन्ध यथेष्ट मात्रा में मधुर तथा सौहार्द्रपूर्ण रहे।

किन्तु 1958 के बाद से भारत-चीन सीमा विवाद का नियमित तथा उन्नयनोन्मुख श्री गणेश हुआ। आश्चर्य की बात है कि दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य, जिनमें 6-7 वर्ष तक मधुरतम् सम्बन्ध रहे हों, इस प्रकार का विवाद इतनी तीव्रता से एकाएक क्यों उठ खड़ा हुआ? प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? कहना न होगा कि 1957-62 के काल का भारत-चीन इतिहास अनेकानेक परिस्थितियों के परस्पर अन्तर्टकराव का इतिहास है।

ज्ञातव्य हो कि 1955-56 की कालावधि में सोवियत नेताओं ने पं. नेहरु की सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की आकांक्षा का गर्मजोशी से इजहार किया। किन्तु हम इस मत से असहमत हैं कि इस प्रकार के विकास के लिये भारत को आर्थिक सहायता करने की सोवियत इच्छा ही एकमात्र उत्तरदायी तत्व था। एक और कारण इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था कि सोवियत संघ भारत की आर्थिक तथा सैनिक सामर्थ्यताओं का अधिकाधिक विकास करके विश्व राजनीति में चीन की तेजी से बढ़ रही प्रभावशाली भूमिका के समक्ष एक विराम लगाना चाहता था। इसके अतिरिक्त 1957 तक चीन-सोवियत दरार (Sino-Soviet Rift) यथेष्ट मात्रा में विकसित हो चुकी थी। ख्रुश्चेव ने अपने 'मेमायर्स' में लिखा है कि, "चीन और सोवियत संघ के मध्य किसी प्रकार का सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध नितांत कठिन है क्योंकि विभिन्न विषयों पर चीन ने अनावश्यक हठधर्मिता की नीति अपना रखी है।" यह हो सकता है कि उस समय पं. नेहरू इस प्रकार के विकास से पूर्ण परिचित न रहे हों किन्तु चीनी नेतागण सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ सम्बन्धों के प्रति संदेहास्पद हो गये। हम इस मत से पूर्णतया सहमत हैं कि पं. नेहरु, भले ही अनजाने में, भारत और चीन के मध्य किसी प्रकार के व्यवधान पैदा करते कि सोवियत नीति में फंस गये। परिणाम बड़ा स्पष्ट था: चीन जनवादी गणराज्य ने भारतीय भूमि के कुछ भागों पर अपना दावा ठोंक दिया। भारत और चीन के मध्य उत्पन्न और अब तक चले आ रहे सीमा विवाद की इस प्रकार की व्याख्या अ-परम्परागत अवश्य है किन्तु पाठकों को ज्ञात हो कि 1955 में पं. नेहरू ने तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-इन-लाई का ध्यान कुछ चीनी मानचित्रों के प्रति आकृष्ट किया जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को चीनी क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया था। किन्तु चाऊ ने यह कह कर बात को कोई महत्व नहीं दिया कि वे मानचित्र कुमिन्तांग सरकार के समय के हैं और इन्हें संशोधित किया जाना है।

क्रमशः दोनों देशों के मध्य 'प्रोपोगंडा युद्ध' (Propoganda war) की शुरूआत होने लगी। 1962 का भारत-चीन युद्ध कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी वरन् इसके प्रारम्भिक शुरूआत स्वरूप 1955 से ही उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व में भारत-चीन सीमा पर चीनी सेनाओं ने असहयोगात्मक या द्वेषपूर्ण रवैया अपनाना शुरू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर दिया। 1955-1956 के समयकाल में इस प्रकार की केवल चार घटनायें हुयी और भारतीय नेतृत्व ने इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 1956 में चाऊ भारत यात्रा पर आये और दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य सीमा विवाद पर बातचीत हुयी। चाऊ ने बातचीत के उपरांत विचार व्यक्त किया कि दोनों देशों के मध्य सीमा का कोई विवाद नहीं है; कुछ छोटे-मोटे मतभेद हैं जिन्हें दोनों देशों के प्रतिनिधि सौहाद्रपूर्ण तरीके से परस्पर बातचीत के माध्यम से तय कर सकते हैं। चाऊ ने यह भी कहा कि चीन-बर्मा सीमा के सन्दर्भ में चीन ने 1914 की सीमा-रेखा (मैकमोहन लाइन) को स्वीकार कर लिया है और "हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते कि भारत-चीन सीमा के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था न की जा सकती हो।" चाऊ के इस वाक्य से क्या ऐसा नहीं लगता कि चाऊ उस समय भारत के साथ सामञ्जस्य स्थापित करना चाहते थे बशर्ते कि बदले में भारत भी चीन के प्रति पहले जैसा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण बनाये रख सके? ऐसा प्रतीत होता है कि पं. नेहरू या तो इसे इस रूप में समझ न सके अथवा उन्हें लगा हो कि भारत के चीन से सम्बन्ध पहले से ही मैत्रीपूर्ण हैं।

अक्टूबर 1957 तक सीमा पर चीनी विप्लवकारियों की गतिविधियाँ क्रमशः तीव्र से तीव्रतर होती गयीं। इसी समय चीनी सरकार ने नेफा में 50,000 वर्ग मील के भारतीय क्षेत्र एवं लद्दाख में अक्साई चिन के क्षेत्र पर अपना औपचारिक दावा प्रस्तुत किया। 1957-1962 के मध्य दोनों राष्ट्रों के मध्य इन सीमा विवादों को सुलझाने के अनेकानेक प्रयास किये गये। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम रहा। अप्रैल, 1960 में चाऊ की भारत यात्रा, जब पं. नेहरू और तत्कालीन रक्षामन्त्री कृष्णामेनन के साथ चाऊ की छः दिवसीय बातचीत सम्पन्न हुयी। जानकार सूत्रों का कहना है कि उस समय चीनी नेतृत्व उत्तर-पूर्व में मैकमोहन रेखा को दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा मानने को तैयार था बशर्ते कि उत्तर पश्चिम में भारत अक्साई चिन के क्षेत्र पर चीनी दावे को स्वीकार कर ले, जहाँ चीन ने न केवल एक सड़क का निर्माण कर लिया था, वरन् उसका पूर्ण नियंत्रण भी था। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि सैनिक दृष्टि से चीन भारत से उस समय भी शक्तिशाली था, भारतीय नेतृत्व के लिए यह न केवल बुद्धिमता वरन् वास्तविक तार्किकता भी होती यदि भारत उस समय चीन के साथ सीमा विवाद पर समझौता कर लेता किन्तु पं नेहरू समस्या के वैधानिक पक्ष पर अड़े रहे और राजनीतिक या सैनिक कारणों से किसी समझौते के प्रति उन्होंने कोई इच्छा नहीं प्रकट की।

इस प्रकार के असहयोगात्मक रवैये की ही चरम परणति 1962 के भारत-चीन सीमा युद्ध के रूप में हुयी। मुख्य प्रश्न इस बात का है कि क्या 1960 में पं. नेहरू द्वारा सीमा के प्रश्न पर चीन के साथ समझौता न करना उनकी राजनीतिक अ—बुद्धिमता का परिचायक नहीं था। पर्यवेक्षकों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसके अनुसार पं. नेहरू को यह विश्वास था कि पीकिंग (बीजिंग) हमेशा 1954 के पंचशील सिद्धान्तों का पालन करेगा किन्तु बाद में अप्रत्यक्ष रूप से पं. नेहरू ने स्वीकार किया कि चीन के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में वे एक काल्पनिक दुनिया में रह रहे थे जिसे अन्ततः 1962 युद्ध ने भंग कर दिया।

भारत-चीन संबंधों में इस प्रकार के विपरीत विकास के कारण के रूप में, पर्यवेक्षकों ने साधारणतया पं. नेहरू की शक्ति संतुलन का सांगोपांग मूल्यांकन न कर सकने की बात का जिक्र किया है। आलोचकों का विचार है कि चीन-भारत सम्बन्धों को सौहाद्रपूर्ण बनाने के साथ ही साथ पं. नेहरू को भारतीय रक्षा व्यवस्था को और सशक्त तथा आधुनिक भी बनाना चाहिये था किन्तु ऐसा न करके पं. नेहरू ने महती भूल की। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि दो शक्तियों के मध्य सम्बन्ध तभी तक मैत्रीपूर्ण रहते हैं जब तक वे आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से समकक्ष हों।

वैसे यह एक वास्तविक तथ्य है कि मैकमोहन रेखा को अक्साई चिन के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वैधानिक रूप से भी, अधिग्रहण के अन्तर्राष्ट्रीय नियम (International Law of occupation) के अन्तर्गत अक्साई चिन के ऊपर चीन का कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि 1920 तक किसी भी चीनी मानचित्र में अक्साई चिन को चीन के भाग के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(2)

इस प्रकार यह स्वीकार किया जा सकता है कि 1962 का भारत-चीन युद्ध दोनों एशियाई देशों के मध्य सम्बन्ध में 'मील का पत्थर' सिद्ध हुआ। सातवें दशक के आते-आते भारत-चीन संबंध की धारा चीन पाकिस्तान संबन्ध के समानांतर चलने लगी। क्रमशः चीन पाकिस्तान की ओर झुकने लगा और बीजिंग की भारत उपमहाद्वीपीय विदेशनीति का उद्देश्य भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को एक 'द्वितीय मोर्चे' के रूप में उभारना होता गया। 1971 में बंगलादेश के अभ्युदय के दौरान चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इसी समय बीजिंग इस्लामाबाद की धुरी में राष्ट्रपति निक्सन तथा डा. हेनरी किसिंजर के प्रयासों से वाशिंगटन का भी प्रवेश हुआ। किस प्रकार से महाशक्तियों की भूमिका ने चीन-भारत संबंध को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगें। जैसे-जैसे चीन और पाकिस्तान के मध्य सम्बन्धों में सुधार आता गया, भारत-चीन सम्बन्ध विभिन्न कारकों से अवरोधित होते गये। अब चीनी नीति नियामकों का एक उद्देश्य यह हो गया कि जब तक पाकिस्तान को भारत के समक्ष एक सबल एशियाई प्रतिद्वन्द्वी के रूप में न स्थापित कर दिया जाय तब तक भारत के साथ सकारात्मक सम्बन्धों की दिशा में कोई कदम न उठाया जाय। ज्ञातव्य है कि जनता शासन काल में ही पहली बार 1962 के बाद चीनी पक्ष की ओर सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास किये गये (भले ही ये मौखिक ही रहे हों), जब पाकिस्तान सैनिक रूप से 1971 के नासूरों को लगभग दूर कर चुका था यद्यपि भारत के साथ सम्बन्ध सुधार के समानांतर चीन हमेशा कश्मीर जैसे कुछ विवादास्पद मसलों पर पाकिस्तान को समर्थन देता रहा।

सितम्बर, 1976 में माओ की मृत्यु के समय तक पाकिस्तान के स्मृतिपटल से 1971 युद्ध की दुःखद स्मृतियां काफी हद तक विस्मृत हो चुकी थीं। किन्तु माओ की मृत्यु के बाद भी चीन-पाक धुरी में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। इस समय तक शेख मुजीब की भी हत्या हो चुकी थी। अब चीनी नीति नियामकों का उद्देश्य इस धुरी में ढाका को भी शामिल करना हो गया। भारतीय उपमहाद्वीपीय स्थिति भी इसके सर्वथा अनुकूल थी। ढाका में भारत विरोधी प्रचार तीव्रता से बढ़ने लगा ढाका में एक सैनिक शासन की प्रतिस्थापना हो चुकी थी जो बीजिंग इस्लामाबाद धुरी का यदि समर्थक नहीं तो विरोधी भी नहीं था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि ढाका तथा इस्लामाबाद के मध्य कूटनीतिक सम्बन्ध भी अब तक स्थापित हो गये थे।

माओ की मृत्यु के 6 माह पूर्व तत्कालीन पाकिस्तानी नेतृत्वकर्ता मरहूम भुट्टो ने चीन की बहुचर्चित यात्रा की थी। पर्यवेक्षकों का ऐसा अनुमान है कि उस समय ही भारत को मद्देनजर रखते हुए चीन-पाकिस्तान सैनिक गठबंधन की आधारशिला वास्तविक अर्थों में रखी गयी। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र "डॉन" ने अपने 30 मई, 1976 के सम्पादकीय में लिखा :

"पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को सक्षम बनाये जाने में चीन का योगदान प्रशंसनीय है।" इसी प्रकार 4 जून 1976 को "पीकिंग रिव्यू" में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि 'चीन-पाक सैनिक वार्ता अब काफी अग्रस्तर (Advanced stage) पर है।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भुट्टो की चीन यात्रा के दौरान, 1974 में चीन-पाक के मध्य जिन समझौतों पर प्रारंभिक बात चीत की गयी थी और जिनमें केवल पाकिस्तान को चीन द्वारा हथियारों की आपूर्ति वरन् पाकिस्तान की सैनिक व्यवस्था को आधुनिकीकृत करने में चीन द्वारा सहयोग का भी विषय शामिल था, इन समझौतों को भावी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनतम् रूप देने का भी प्रयास किया गया।

जनरल जिया ने भी बागडोर ग्रहण करने के कुछ ही दिन बाद 14 दिसम्बर 1977 से पांच दिवसीय चीन यात्रा की जिसकी समाप्ति के उपरांत जारी प्रेस विज्ञप्ति में दोनों देशों के मध्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति की बात कही गयी। उल्लेखनीय है कि जिया की इस यात्रा के लगभग ही भारत-चीन सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा था। मरहूम भुट्टो की मृत्यु के पूर्व ही दोनों देशों के मध्य राजदूतों का आदान-प्रदान हो चुका था। जनता सरकार के शासन में आने के साथ ही, भारत-चीन सम्बन्धों के सुधार में तीव्रता आने लगी। चीन ने ऐसा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्यों किया ? अथवा चीन के वास्तविक उद्देश्य क्या थे ? इसकी एक सर्वमान्य व्याख्या देना मुश्किल है किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है भारत के साथ सम्बन्धों के सुधार के समानांतर ही चीन पाकिस्तान को बराबर यह आश्वासन देता रहा कि भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार से पाकिस्तान को कोई हानि नहीं होगी और साथ ही पाकिस्तान को पूर्वकाल में विकास या सैनिक सहायता के समझौते बरकरार रहेगें। उसी समय एक वरिष्ठ चीनी कूटनीतिज्ञ वांग-पिगनांग, जो उस समय 'वैदेशिक मैत्री समिति' के अध्यक्ष भी थे, के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधि मण्डल ने पाकिस्तान, भारत तथा बंगलादेश की सदभाव यात्रा, की। भारत-चीन तनाव शैथिल्यीकरण के पहले चरण के रूप में तत्कालीन विदेशमंत्री श्री बाजपेयी को चीन यात्रा के लिये सरकारी तौर पर आमंत्रित किया गया।

ठीक कुछ इसी प्रकार से बंगलादेश के साथ उत्तर-मुजीब युग (Post-Muzib Era) में चीन के संबन्धों में भी हमेशा भारत विरोधी दृष्टिकोण का ही प्राबल्य रहा। भारत यात्रा के बाद अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वांग पिंग नांग प्रतिनिधि मण्डल ने पाकिस्तान को संदेहों के प्रति आश्वास्त किया जिससे प्रभावित होकर जनरल जिया ने प्रमुख पाकिस्तानी राष्ट्रीय दैनिक 'डॉन' (The Dawn) के 23 फरवरी, 1978 के अंक में प्रकाशित एक साक्षात्कार में कहा कि "हम (पकिस्तान) महान् चीनी लोगों के ऋणी है जिन्होंने हमारे इतिहास के कठिन मौकों पर हमें निरन्तर समर्थन दिया है। हमारे लोग यह कभी विस्मृत नहीं करेंगे।" इसी प्रकार प्रतिनिधिमण्डल की ढाका यात्रा के दौरान वांग द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि "चीन बंगलादेश का हमेशा एक सच्चा और विश्वसनीय दोस्त है और विदेशी आक्रमण या हस्तक्षेप, विस्तारवाद तथा प्रभुत्ववाद (Foreign Aggression or Interference, Expansionism and Hegemonism) के विरुद्ध उनके न्यायपूर्ण संघर्ष को हमेशा समर्थन देता रहेगा।" (बंगलादेश टाइम्स—1 मार्च, 1978)। इस प्रकार 1978 के पूर्वार्द्ध तक पाकिस्तान तथा बंगलादेश के प्रति अपनी विदेशनीति में चीन भारत-विरोध (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) का तत्व सशक्त रूप से स्थापित कर चुका था। इस समय सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप (भारत सहित) के प्रति चीन ने कहीं अधिक तार्किक नीति का अनुसरण किया। चीनी नीति निर्धारकों ने भारत के साथ सम्बन्धों में एक क्रमिक 'शैथिल्यीकरण' की नीति अपनायी किन्तु पाकिस्तान एवं बंगलादेश के साथ चीन पहले की ही भाँति अपने संबन्ध सुरक्षित रखे रहा। वांग की यात्रा के कुछ ही दिनों बाद मार्च, 1978 में ली सीनी ने बंगलादेश की यात्रा की और अगले 15 महीनों में बीजिंग तथा ढाका के मध्य सैनिक महत्व एवं आर्थिक सहयोग के अनेक समझौते हुए।

इस प्रकार सातवें दशक के उत्तरार्ध और आठवें दशक के प्रारंभिक दो वर्षों में भी चीन की नीति हमेशा पाकिस्तान एवं बंगलादेश को अपनी एशिया नीति में मोहरा बनाकर भारत को अलग-थलग करने की (Isolate) रही है। कुछ ही दिनों पूर्व सम्पादित पाकिस्तान के फौजी राष्ट्रपति जनरल जिया-ऊलहक की बीजिंग यात्रा तथा कारकोरास मार्ग को खोले जाने की घटना को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। जिया की चीन यात्रा के बाद कोई संयुक्त विज्ञप्ति तो नहीं जारी की गयी किन्तु जहाँ एक ओर चीनी प्रधान मंत्री ने कहा कि, "संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय संघों पर चीन ने कश्मीर के प्रश्न पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है", वहीं जनरल जिया का यह कथन कि, "भारत और पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के संदर्भ में कश्मीर की वर्तमान विभाजन रेखा को स्वीकार करना मेरे लिये मुमकिन नहीं है", निश्चय ही महत्वपूर्ण है। ये दो कथन भारत के साथ संबन्ध सुधारने की चीनी दृष्टिकोण के ईमानदारी के परिचायक तो है हीं, साथ ही एशियाई नेतृत्व ग्रहण करने के चीनी प्रयास में पाकिस्तान किस सीमा तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसके भी प्रतीक हैं।

स्मरण रहे कि इसके पूर्व 1981 में चीनी विदेश-मंत्री ह्वांग हुआ ने 26 से 29 जून तक अपनी भारत यात्रा सम्पादित की। हुआ की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन के मध्य एक सौहाद्र का वातावरण विकसित हुआ क्योंकि एक तो, इस यात्रा के दौरान सीमा-विवाद के हल करने पर किसी पक्ष ने कोई विशेष

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जोर नहीं दिया और दूसरे, भूटान, सिक्किम, कश्मीर आदि प्रश्नों पर भी कोई विशेष चर्चा न हुयी। हुआ द्वारा यह कहा गया कि, "ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वास्तविक स्थिति, दोनों देशों के लोगों की भावनाओं तथा दिलों में एक दूसरे के प्रति गुंजाइश की भावना के आधार पर बात चीत के जरिये समस्या सुलझायी जानी चाहिये।" किन्तु भारत और चीन के मध्य संबन्धों के सुधार की दिशा में हुआ-यात्रा भी कोई ठोस दिशा निर्देश न कर सकी क्योंकि सीमा विवाद के अतिरिक्त भी दोनों देशों के मध्य परस्पर अविश्वास का एक और प्रमुख कारण भी है। पाकिस्तान के साथ चीन की धीरे-धीरे बढ़ती दोस्ती तथा कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान को चीन का निरन्तर समर्थन। लंदन के प्रमुख दैनिक पत्र 'दि टाइम्स' ने । जुलाई, 1981 के अपने सम्पादकीय में हुआ की भारत यात्रा का जायजा लेते हुए लिखा: "चीन संभवतः भारतीय नेतृत्व का सहारा लेकर आगे चल कर 'संयुक्त दक्षिणी एशिया' के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आने की आशा लगाये बैठा है। इस प्रकार के 'संयुक्त दक्षिणी एशिया' से सोवियत संघ का विरोध करने की बात तो चीन सोच ही नहीं सकता पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के घुस आने जैसी घटनायें निश्चय ही रुक जायेंगी। भारत-पाक सम्बन्धों के सुधरने में भी चीन की दिलचस्पी से यही जाहिर होता है कि चीन एशिया में सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में संयुक्त दक्षिणी एशिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखना चाहता है। अपनी इस कल्पना को साकार करने के लिए ही चीन भारत के साथ सम्बन्धों में क्रमिक सामान्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।"

इस प्रकार इस जटिल परिप्रेक्ष्य में एक तथ्य, यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि सातवें दशक के उत्तरार्ध से अब तक के 6-7 वर्षों में भारत के प्रति चीन की नीति हमेशा दक्षिणी एशिया में भारत को अलग थलग करने के उद्देश्य की ओर उन्मुख रही। अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप और निरन्तर सैनिक उपस्थिति, परिणाम स्वरूप साम्यवाद के प्रसार को रोकने की रीगेनवादी उग्रवादिता ने किस प्रकार दक्षिण एशिया को सामरिक दृष्टि से अधिक 'सेन्सटिव' क्षेत्र बना दिया है और किस प्रकार से इस तथ्य ने भारत-चीन सम्बन्धों की धारा को प्रभावित किया है, यह विचारणीय प्रश्न है।

(3)

वैसे भारत के संदर्भ में इस प्रकार की अस्थिर चीनी नीति की शुरूआत 1956-62 के दौरान उठ खड़े सीमा विवाद के चलते 1968 के बाद से ही हो गयी थी। 1968-71 की कालावधि में चीन ने भारत के साथ सम्बन्धों में एक दूसरे के समानांतर दोहरी नीति को जन्म दिया। नीति (1) के अन्तरगत बीजिंग ने यह स्वीकार किया कि द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर विश्व राजनीति में काफी परिवर्तन आ चुका है और चीनी नीति नियामकों ने ये संकेत दिये कि भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने को वे तैयार हैं। इसके प्रमाणस्वरूप चीन ने भारत के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रचार के रवैये में नरमी लायी, समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में समझौते किये गये, इसकी चरम परणति जनता शासन के दौरान विदेश मन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी की चीन यात्रा के रूप में हुयी, यह और बात है कि उसी समय चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया जिससे बाजपेयी को बीच में ही लौट-आना पड़ा। इसी के समानांतर नीति (2) के अन्तरगत चीन समय-समय पर "साम्राज्यवादियों" (पश्चिमी देश) तथा "समाजवादी साम्राज्यवादियों" (सोवियत संघ) के साथ भारत के तथा कथित गठबन्धन की आलोचना करता रहा, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का कटु विरोध करता रहा, कश्मीर सहित भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय मसलों पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा और समय-समय पर नागा तथा मिजो विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति भी करता रहा। तब से लेकर अब तक के 12 वर्षों में भारत के प्रति अपनी विदेशनीति में चीन इन्हीं दो नीतियों का समय-समय पर प्रयोग करता रहा है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1969 से 1971 के मध्य भारत ने चीन के साथ सम्बन्धों के सुधार की दिशा अनेक प्रयास किया और एक समय ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद दोनों एशियाई महाशक्तियों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित हो जायें किन्तु 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) के अभ्युदय की घटना ने न केवल शैथिल्यी-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करण की प्रक्रिया को अवरोधित कर दिया परन्तु नयी कटता को भी जन्म दिया। 1971-1976 के मध्य भारत के प्रति चीनी दृष्टिकोण में द्वितीय नीति (2) का प्राबल्य रहा। अप्रल, 1976 से चीनी दृष्टिकोण में पुनः नीति (1) की प्रमुखता दिखने लगी, जिस समय अनेक वर्षों के बाद दोनों देशों के मध्य राजनयिक सम्बन्ध (राजदूत स्तर पर) स्थापित हुए। भारत-चीन सम्बन्धों के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास कहा जा सकता है।

किन्तु पिछले 2-3 वर्षों के दो प्रमुख तथ्यों ने भारत चीन सम्बन्धों को तीव्रता से प्रभावित किया। (1) अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप एवं उपस्थिति तथा (2) रीगन प्रशासन की साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध अधिक उत्कृष्ट उग्रवादिता। वैसे ये दोनों तथ्य एक दूसरे के ही पूरक कहे जा सकते हैं। सोवियत हस्तक्षेप की घटना ने एशिया विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति रीगन प्रशासन को कहीं अधिक संवेदनशील बना दिया है। इसी संवेदनशीलता के कारण वाशिंगटन अपनी विश्व परक कूटनीति (Global Strategy) में पाकिस्तान एवं चीन को अनिवार्यता शामिल करने के लिये कृत संकल्प है। (विस्तृत विवरण के लिये देखिये। प्र. म., अक्टूबर, 82 अंक में प्रकाशित लेख 'भारतीय उपमहाद्वीप : शक्ति संतुलन के नये समीकरण'—पृष्ठ 94-97)। 17 अगस्त को अमरीका तथा चीन के मध्य ताइवान को हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न पर हुए समझौता को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। श्रीमती गांधी की सौहाद्रपूर्ण अमरीकी यात्रा (27 अगस्त-5 सितम्बर, 1982) के उपरांत हो सकता है कि अमरीकी नीति नियामक चीनी नेतृत्व पर भारत के साथ सम्बन्धों के सुधार के लिये दबाव डालें। इन पंक्तियों के लिखे जाने के दो दिन पूर्व भारत में चीनी राजदूत ने एक समारोह के दौरान कहा कि, "चीन भारत से मित्रता का इच्छुक है……… सीमा विवाद को परस्पर समझ की भावना से हल किया जा सकता है।" किन्तु साथ ही इस तथ्य को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिये कि चीन ने कारकोरम के महत्वपूर्ण सैनिक मार्ग, जो चीन को पाकिस्तानी संघर्ष में सैनिक हस्तक्षेप का अवसर प्रदान कर सकता है, के खोले जाने पर भारतीय विरोध को सारहीन की संज्ञा देने के साथ-साथ कश्मीर के प्रश्न पर जिया की यात्रा के दौरान पुनः पाकिस्तान का समर्थन किया है।

इस प्रकार यह कहना कि भारत-चीन सम्बन्धों का भावी स्वरूप क्या होगा, मुश्किल है क्योंकि भारत के प्रति चीन की विदेश नीति अब तक इतनी अस्थिर रही है कि कुछ भी भविष्यवाणी निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। जहां तक सीमा विवाद का प्रश्न है, इसे सुलझाने के लिये भारतीय दृष्टिकोण से दो तरीके हो सकते हैं (प्रो. गार्गी दत्त) :

(1) भारत को चाहिये कि वह सीमा विवाद के त्वरित हल का प्रयास फिलहाल छोड़ दे और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों तथा परस्पर विश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास करे। समुचित वातावरण के निर्माण के उपरांत सीमा विवाद को हल किया जा सकता है।

(2) भारत को चाहिये कि वह अभी से सीमा संबन्धी विवाद और कारकोरम मार्ग खोले जाने तथा कश्मीर जैसे द्वि-पक्षीय मामलों पर पाकिस्तान को चीन के निरन्तर समर्थन जैसे मसलों के हल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। भारत की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि भारत सोवियत संघ के साथ अपने सम्बन्धों को अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल मानता है किन्तु भारत-सोवियत सम्बन्ध किसी भी प्रकार से 'भारत-चीन तनाव शैथिल्यीकरण' की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे।

कहना न होगा कि इनमें से दूसरा ही तरीका भारत के लिये दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए अधिक उपयोगी होगा क्योंकि इस समय एक कठोर सैद्धांतिक भारतीय रुख एक अधिक स्थायी दीर्घकालीन सम्बन्धों को जन्म दे सकेगा। चीन द्वारा प्रस्तावित एकमुश्त समझौते (Package Deal) का प्रस्ताव अभी भी कायम है। यद्यपि हुआ की पिछले वर्ष भारत यात्रा के दौरान इसकी विशेष चर्चा नहीं हुई। मूलरूप से यह प्रस्ताव अप्रैल, 1960 में चाऊ द्वारा अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान रखा गया था जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आये हैं। पिछले वर्ष जून में डेंग-जिआओ पिंग द्वारा इसकी पुनः चर्चा की गयी : "हम उत्तर पूर्व में वर्तमान सीमा रेखा को स्वीकार कर सकते हैं, यदि भारत उत्तर पश्चिम में वर्तमान सीमा रेखा को मान ले।" किन्तु भारत के लिये इसे स्वीकार कर पाना इसलिये कुछ मुश्किल है क्योंकि अक्साई चिन क्षेत्र में 1960 की वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा (Line of actual Control) और आज की सीमा रेखा के, इन 20 वर्षों के इतिहास में 1962 युद्ध की दुःखदायी यादें तो हैं ही, साथ ही 2,000 वर्ग मील का क्षेत्र भी और शामिल हो गया है।

यथार्थ में अब यह एक राजनीतिक प्रश्न हो चला है जिसके समाधान केवल राजनीति द्वारा ही किया जा सकता है न कि वैधानिक तरीके से। यदि सीमा विवाद का निकट भविष्य में कोई ठोस हल निकल सके जिसकी बहुत कम संभावना है, तो यह एशियाई नेतृत्व के लिये कृत संकल्प दोनों राष्ट्रों लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अद्यतन सम्पूर्ण राष्ट्रजीवन जड़तावाद से ग्रस्त है। यह जड़तावाद अपनी अंतः-प्रकृति में व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर उन्मुख है। यह स्थिति उन सभी वर्गों को किंकर्तव्यमूढ़ बना रही है जो 35 वर्ष पूर्व राजनीतिक रूप से स्वतंन्त्र हुये स्वाधीन भारत की 'कल्याणकारी संकल्पना' पर कभी विश्वास करते थे। इन्हीं वर्गों में एक महत्वपूर्ण वर्ग है—बुद्धिजीवियों का वर्ग जो वर्तमान राष्ट्रीय संकट को केवल राजनीतिक, सामाजिक या शैक्षिक संकट न मान कर इसे 'सभ्यता तथा मूल्यों' का संकट बता रहा है। राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों की यह दृष्टि निश्चित ही सराहनीय है। पर क्या यह बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं तो मूल्यों के संकट को घोषित नहीं कर रहा है? क्या कहीं सैद्धांतिक रुझानों तथा वैचारिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित तथा जीवन के यथार्थवादी शार्टकटों के मोह से ग्रसित अपने इस अन्तर्द्वन्द्व में बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं तो कुण्ठा का शिकार नहीं है? क्या इन्हीं आधारों पर उसे अपनी सामाजिक भूमिका निर्वाह हेतु आत्म परीक्षण की आवश्यकता नहीं? इन्हीं मूल प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में हम अपने पाठकों के वैचारिक चिन्तन तथा उपयोगिता हेतु प्रख्यात मनीषी स्वर्गीय डॉ. सम्पूर्णानन्द के 'भारतीय बुद्धिजीवियों' पर पूर्व प्रकाशित सारगर्भित विचारों को तीन अंकों में प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में ये विचार सृजन की विश्वसनीयता की क्षति उठा रहे 'भारतीय बुद्धिजीवी' के सन्दर्भ में आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि दो दशक पूर्व थे।

—सम्पादक

भारतीय बुद्धिजीवी (1)

■ डॉ. सम्पूर्णानन्द

मुझे भय है कि मैंने बड़े विस्तृत विषय को उठाया है, प्रथमतः मेरे इस लेख के शीर्षक को पढ़ कर प्रश्न के आग्रह का भ्रम होता है। परन्तु आज का बुद्धिजीवी वर्ग व्यापक रूप से किसी अलक्षित मानसिक रोग से ग्रस्त है, यह मानने के लिए कोई कारण है या नहीं इसके शास्त्रीय विवेचन में समय नष्ट किये बिना ही मैं यह मान कर चलूंगा कि ऐसा है। कहीं-कहीं इस लेख में मुझे भारत के बाहर की परिस्थितियों की चर्चा करनी पड़ी है। परन्तु इतना स्पष्ट रूप से समझ लिया जाय कि इस सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहूंगा, वह उन देशों पर सम्भवतः लागू नहीं हो सकता है जो लौह आवरण वाले कहे जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वहां के बुद्धिजीवी मानसिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हैं, वरन् यह है कि उनका रोग कुछ दूसरे प्रकार का है। इस विषय को मैं बाद में लूंगा।

यहां यह भी स्पष्ट कह दूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव अपने देश तक ही सीमित है। हो सकता है कि इस अनुभव के आधार पर बाहर की परिस्थितियों को आंकने में अतिरञ्जन हो गया हो और उसके समर्थन के लिए पर्याप्त उदाहरण न उपलब्ध हो परन्तु भारत सरकार और पश्चिमी देशों, विशेषकर अंग्रेजी भाषा-भाषी देशों के बीच की दूरी के व्यवधान के बावजूद इतना गहरा और निरन्तर बर्द्धमान बौद्धिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध है कि यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि यदि मान लूं कि जो बातें मुझे भारत में दिखाई देती हैं, उनका प्रति रूप पर्याप्त अंश में अन्यत्र भी मिलता है तो कोई भारी भूल न होगी।

बुद्धिजीवियों की कोई जाति नहीं होती और न उनका कोई (आर्थिक) वर्ग ही है। अतः उनको एक परिभाषा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में बाँधना कठिन है। फिर भी इस बिरादरी के प्रत्येक सदस्य की एक समान चारित्रिक विशेषता भी इस सम्बन्ध में बुद्धिसंगत दृष्टिकोण रख सकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। बुद्धि संगत दृष्टिकोण का अर्थ होगा—तर्क को ज्ञानप्राप्ति का न्यायसंगत साधन स्वीकार करना। यह दूसरी बात है किन्हीं विषयों में लोग इस कथन से सहमत न हों। यह भी सत्य है कि कुछ विशेष मामलों में, उदाहरणतः उनमें जिनका सम्बन्ध धर्म से है, कट्टर बुद्धिजीवी भी तर्क को ही सत्य की सबसे बड़ी कसौटी मानने को प्रस्तुत न होंगे। तथापि सामूहिक रूप से बुद्धिजीवी वर्ग की यह विशेषता है कि वह जीवन की समस्याओं के प्रति एक तर्कसंगत दृष्टिकोण रखता है। वह प्राप्त प्रमाण को अच्छी तरह तोलने और आवश्यक हो तो अपना मत भी बदलने को उत्सुक रहता है। वह किसी पूर्व निर्णय के सहारे नहीं चलता है वरन् किसी निर्णय पर पहुंचने के पहिले सभी पक्षों की बात सुनने को उत्सुक रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह वर्ग अपने बहुसंख्यक लोगों के मत के विरुद्ध मत प्रकाशन का अवसर भी देना चाहता है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि इसी प्रकार ज्ञान का विकास हो सकता है—'वादे-वादे जायते तत्वबोधः'।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बुद्धिजीवी वर्ग अराजकता एवं स्वच्छन्दता का समर्थक है। इस सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन लाभदायक होगा। उस समय कुछ ऐसे सिद्धान्त थे जिनका पालन हिन्दू ढंग का जीवन व्यतीत करने वालों के लिए आवश्यक था। ये सिद्धांत वर्णाश्रम धर्म कहलाते थे और नागरिक के आचार सम्बन्धी सामान्य नियम को प्रस्तुत करते थे। वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्य का व्यक्ति और समाज के सुसदस्य के रूप में कर्तव्य स्थिर करते थे परन्तु विचार शक्ति को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। चार्वाक के शुद्ध भौतिकवाद से लेकर कपिल के अनीश्वरवाद तथा वेदान्त के अद्वैतवाद तक सभी प्रकार की मान्यताओं के लिए समाज में स्थान था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत को व्यक्त एवं प्रचारित करने की स्वतंत्रता थी। यदि ऐसी स्थिति न होती तो परस्पर विरोधी विचारधाराएँ अक्षुण्ण रूप से पनप न पातीं। बुद्ध और महावीर, वेद और उनकी समस्त मान्यताओं के विरुद्ध खुलकर प्रचार करते रहे। यह उस विचार स्वातंत्र्य का ही प्रमाण है जो तत्कालीन समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।

'लाल सितारे' (कम्युनिज्म) की छाया में बसे हुए देशों में न तो ऐसी स्वतन्त्रता है और न उसकी आवश्यकता ही समझी जाती है। उन देशों में किसी स्वतंत्र दार्शनिक विचार के लिए स्थान नहीं मिल सकता है। वहाँ जो अपने को दार्शनिक कहते हैं, उनका काम केवल इतना है कि मार्क्स और एंगल्स द्वारा मानव जाति के सम्मुख उद्घाटित मान्यताओं का भाष्य करते रहें। यदि यह अंकुश केवल विचार क्षेत्र तक ही सीमित रहता तो सम्भवतः लोगों को इतना न खलता, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, साहित्य और समाज-शास्त्र सभी इस अंकुश का अनुभव करते हैं। शोध द्वारा प्राप्त तथ्य दृढ़ एवं ठोस होते हैं। परन्तु वहां के विद्वान् और लेखक इसके लिये बाध्य हैं कि उन्हें तोड़-मरोड़ कर उनका ऐसा अर्थ निकालें जो साम्यवाद के ढांचे में ठीक-ठीक बैठ जाय। अनेक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहित्यक आलोचकों को वहां की पार्टी का संचालन करने वाले भाग्य विधाताओं के सम्मुख धूल में माथा रगड़ना पड़ता है, क्यों कि उनकी दृष्टि में वे मार्क्सवादी मार्ग से पथभ्रष्ट होने के अपराधी थे और उसका यही प्रायश्चित था। कुछ का तो यह प्रायश्चित स्वीकार कर लिया गया किन्तु अधिकांश दूसरे सदा के लिए अंधकार के गर्त में ढकेल दिये गये और अब 'लाल सितारे' के इस अशुभ प्रकाश के घेरे में जीवन भी

"आज के जिस युग में हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की है, उसमें साम्यवादी और लोकतांत्रिक शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध प्राणातक संघर्ष के लिए कटिबद्ध हैं और इन दोनों के बीच अनेक लाल-पीली मान्यताओं में विश्वास रखने वाले दूसरे एकाधिक संघर्षशील दल हैं। भारत इन विचारधाराओं और उनके मानने वालों का एक प्रमुख संघर्ष क्षेत्र बनने के लिए नियतबद्ध है।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आ गया है। परन्तु इस तरह का वातावरण कभी स्वास्थ्य-प्रद नहीं हो सकता है। वह भय और दुश्चिन्ता को जन्म देता है। ऐसे वातावरण में पलने वाले नवयुवक तथा नवयुवतियाँ साम्यवाद के अतिरिक्त किसी धर्म को नहीं जानते। उनके हृदय से सारे संसार को अपने ही विचारों के रंग में ही रंग देने के लिए धर्मप्रचारकों का सा जोश होता है। जिनका धर्मपरिवर्तन संभव नहीं होता, उनका उद्धार किया जाता है, चाहे उद्धार के चक्र में उनकी जान ही क्यों न चली जाय। यह कट्टरपन चाहे वांछनीय न हो, फिर भी समझ में आता है। किन्तु इनको बल प्रदान करने में एक और तत्व सहायक है। कभी-कभी साम्यवादी बुद्धिजीवी का अत्यन्त बंधी विचारशैली का अभ्यस्त मस्तिष्क भी डाँवा डोल हो जाता है, जब कुछ ऐसे टेढ़े तथ्य सामने आ जाते हैं जो उस ढाँचे में बैठते ही नहीं जिसके सम्बन्ध में उसे परम श्रद्धा का भाव रखने का पाठ पढ़ाया गया है। वह यह जानता है कि सच्चे

भारतीय बुद्धिजीवी तथा न्यूनाधिक भेद के अन्य अनेक सभ्य देशों का बुद्धिजीवी वर्ग जिस कुंठा से ग्रस्त है वह कुछ दूसरे प्रकार की है, यद्यपि वह भी पलायनवाद के परिचित ढंग के माध्यम से ही अपने को व्यक्त करती है। उदाहरणस्वरूप उस अनुशासनहीनता का बहुत कुछ अंश जिसके लिये भारतीय विद्यार्थी वर्ग ने पर्याप्त कुख्याति कमाई है. मेरे विचार से उसी कुण्ठाग्रस्त मानसिक अवस्था का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। अपने आपसे पलायन के अर्धचेतन प्रयास में वह इसी तरह के कार्यों की शरण लेता है और यह कार्य जितना अराजकतापूर्ण हो, उतना ही उनके लिए अच्छा है।

मेरे विचार से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के इस रोग का पहला कारण है अनिश्चय और अस्थिरता का वातावरण। आज के जिस युग में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, उसमें साम्यवादी और लोकतांत्रिक शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध प्राणांतक संघर्ष के लिये कटिबद्ध हैं और इन दोनों

"हमारी आर्थिक व्यवस्था भी उतनी ही निराशाजनक प्रतीत होती है। देश में धन चाहे जितना हो किन्तु क्रय-शक्ति का बेहद ह्रास हो गया है। बहुत बड़ी संख्या के सम्मुख बेकारी की समस्या है और कांग्रेसी कार्यकारिणी तथा नियोजन आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा पास किये गए निर्जीव प्रस्ताव उन लोगों को आशा का कोई संदेश देने में असमर्थ हैं, जो असहाय धीरे-धीरे भुखमरी के मुख में खिसकते जा रहे हैं।"

हृदय से भी यदि वह किसी प्रकार की शंका का भाव प्रकट करेगा तो भारी विपत्ति में पड़ जायेगा। ऐसी स्थिति में एक अपार मानसिक संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है और उसी कुंठा का जन्म होता है। तब किसी अंश तक मानसिक संतुलन को बनाये रखने के लिए उसके सम्मुख एक ही मार्ग रह जाता है कि वह कर्म क्षेत्र में अंधाधुन्ध कूद पड़े और ऐसे लोगों पर दायें-बायें हमला बोल दे जो उस सिद्धांत और व्यवहार को अस्वीकार करते प्रतीत होते हैं जिसे पूरी तरह सत्य मानने से अब स्वयं उसका मस्तिष्क इनकार करने लगा है। अपने विचारों से त्राण पाने के लिए उसके पास यही मार्ग रह जाता है, ऐसा विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि भारतीय कम्युनिस्टों ने साम्यवादी सिद्धान्तों के साथ-साथ अपने मित्रों से यह कुंठा बड़ी उदारता से ग्रहण की है।

के बीच अनेक लाल-पीली मान्यताओं में विश्वास रखने वाले दूसरे एकाधिक संघर्षशील दल हैं। भारत इन विचारधाराओं और उनके मानने वालों का एक प्रमुख संघर्ष-क्षेत्र बनने के लिए नियतबद्ध है। आज के भारतीय युवक की शिक्षा-दीक्षा और यहाँ के नेताओं के संस्कार उसे लोकतंत्र के समर्थकों के पास खड़ा करते हैं, परन्तु साम्यवाद की पुकार का आकर्षण भी कम नहीं है। साम्यवादी देशों की सफलता की कहानियाँ रोज ही उसे सुनने को मिलती हैं। आये दिन हमारे यहाँ सद्भावना मंडल भेजे जाते हैं। इनमें साधारणतया तो मतवाद से परे रहने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है कि वे अपने देश में दोष निकालें और पड़ोसी साम्यवादी देशों की प्रशंसा करें फिर इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है कि नयी पीढ़ी साम्यवाद की ओर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकाधिक आकृष्ट होती है, परन्तु साथ ही वह लोकतंत्र के प्रति अपनी कमजोरी को पूरी तरह दूर नहीं कर सकती।

हमारी आर्थिक व्यवस्था भी उतनी ही निराशाजनक प्रतीत होती है। देश में धन चाहे जितना हो किन्तु क्रय शक्ति का बेहद ह्रास हो गया है। बहुत बड़ी संख्या के सम्मुख बेकारी की समस्या है और कांग्रेसी कार्यकारिणी तथा नियोजन आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा पास किये गये निर्जीव प्रस्ताव उन लोगों को आशा का कोई संदेश देने में असमर्थ हैं, जो असहाय धीरे-धीरे भुखमरी के मुख में खिसकते जा रहे हैं। पुराने बंधन ढीले होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिये संयुक्त परिवार का विघटन होता जा रहा है। पश्चिमी प्रभाव से नये विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उनमें से अनेक बिना सोचे-समझे ग्रहण भी कर लिए जाते हैं। नये सामाजिक कानून बड़ी तेजी के साथ गढ़े जा रहे हैं, इसीलिये नहीं कि उनकी कोई बड़ी माँग है, वरन् इसलिए कि हमारे कानून रजिस्टर में उनकी अनुपस्थिति हमें पश्चिमी देशों की दृष्टि में हीन कर देगी। किन्तु इसके मूल में चाहे जो भी बातें हों इसका प्रभाव जीवन के अविच्छिन्न प्रवाह को उद्वेलित किये बिना नहीं रह सकता। विवाह योग्य शारीरिक व्यवस्था एवं आर्थिक दृष्टि से विवाह का भार संवहन करने योग्य अवस्था के बीच बढती हुई दूरी उन्माद, विषण्णता और ऐसे ही अनेक स्नायु रोगों का कारण बनती है।

परस्पर विरोधी धाराओं के थपेड़े खाते-खाते भारतीय बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में यदि स्थायी अनिश्चय और निराशा का भाव घर कर जाय तो क्या यह आश्चर्य की बात होगी ? अपने आत्मविश्वास को बनाये रखना उसके लिए कठिन हो गया है और इससे उसके भीतर भय का संचार होता है। जैसा पहिले कहा गया है, अपने को विक्षिप्तावस्था से बचाने का एक ही मार्ग उसके पास रह जाता है कि वह वास्तविकता की ओर से मुख मोड़ ले, सोचना बन्द कर दे और हर समय किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगा रहे। समाज ने उसके प्रति न्याय नहीं किया है, यदि यह अनुभव करने वाला व्यक्ति ऐसे कार्यों से संतोष का अनुभव करता है, जिनमें उसे अपने प्रति किए गए अन्याय के प्रतिकार का भास होता है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। कोई भी जान बूझकर अपने ही देश की हानि पहुँचाना नहीं चाहता है परन्तु बुद्धिजीवियों की एक बड़ी संख्या जिस प्रकार सरकारी योजनाओं पर वाद-विवाद करती है, उसे सुन कर ऐसा प्रतीत होता है कि इन योजनाओं की असफलताओं में उसे एक द्वेषजन्य सुख मिलता है, चाहे उससे राष्ट्र को बहुत बड़ी हानि की आशंका ही क्यों न हो।

यह मानसिक अवस्था स्वास्थ्य की द्योतक नहीं है। अवश्य ही सच्चे हृदय की शंका आधे मन से किये गये विश्वास से अच्छी होती है और समाज में अनास्थावादियों के लिए भी स्थान होता है, परन्तु जब सारा का सारा राष्ट्र या उसका प्रबुद्ध भाग (दोनों का तात्पर्य एक ही है) निराशावादी हो जाय तो चिंता का विषय हो जाता है। राष्ट्रनिर्माण के बड़े से बड़े प्रयत्न इस चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जायेंगे। 'संशयात्मा विनश्यति' श्रीकृष्ण के इन शब्दों में एक ठोस सत्य निहित है। जिस मनुष्य को निरन्तर शंकाएं घेरे रहती हैं, उसका नाश अवश्यंभावी है। ■

क्या आप मुहांसों व मुहांसों के दाग धब्बों से बहुत परेशान हैं ?

आप एक बार—

एन्जो पिम्पल्स क्रीम

का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

यही एक दवा है जो मुहांसे दूर करके चेहरे को कोमल व सुन्दर बना सकती है।

Mef : U. S. LABORATORIES OF INDIA

Post Box No. 108, Allahabad

जिला स्तर की एजेन्सी हेतु लिखें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में वन्यजीवन

■ इन्द्रदेव द्विवेदी

वनों में रहने, विचरने वाले, प्राणी यथा सिंह, गैण्डा, हाथी, चीता, हिरण, सर्प एवं अन्यान्य रंग बिरंगे पशु-पक्षी, वन्य जीवन की कोटि में आते हैं। ये प्रकृति की अनुपम देन हैं और प्राकृतिक संतुलन में इनका अप्रतिम योगदान है। पिछले दशकों में इनके शनैः शनैः विलुप्त होते जाने और पर्यावरण पर घहराते संकट के बादल के कारण हमारा ध्यान इनकी ओर अधिक आकृष्ट हुआ है।

वन्य जीवन के प्रति प्रेम और श्रद्धा के संकेत हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी मिलते हैं। मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त मुद्राओं पर हाथी, व्याघ्र गैण्डा प्रभृति वन्य जीवों के चित्र इस तथ्य का प्रबल साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी वन्य पशुओं और पक्षियों का गरिमा मण्डन हुआ है। हिन्दू देवी-देवताओं की सवारी रूप में विभिन्न वन्य प्राणियों का उल्लेख हुआ है। वन्य जीवन के प्रति जागरूकता एवं उनकी रक्षा के लिए राजकीय व्यवस्था का उल्लेख भारत वर्ष के ज्ञात इतिहास में हमें सर्वप्रथम ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संप्रति भारत वर्ष में पांच सौ प्रकार के जन्तु, 21,00 प्रकार के पक्षी तथा 30,000 किस्म के कीटों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के रेंगने वाले जानवर और मछलियां हैं। प्राचीन काल के महत्वपूर्ण एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाथी और जंगली भैंसे अब केवल असम की शोभा बन कर रह गये हैं। विशालकाय गैण्डा अब केलव बंगाल में ही रहता है। कस्तूरी मृग अब केवल मणिपुर की जागीर है। इसके अतिरिक्त भारत वर्ष में दुर्लभ कश्मीरी मृग, सुन्दर चितीदार मृग, छोटा मूषक मृग, चौसिंगा मृग और काली पीठ वाला मृग पाया जाता है। सम्प्रति बाघों (Tigers) की संख्या 3,000 के लगभग है। अनेक प्रकार के बन्दर और लंगूर सामान्य रूप से मिलते हैं। हूलोक नाम का बड़ा बनमानुस पूर्वी क्षेत्र के वर्षा वाले जंगलों ही प्राप्य है। मुंह के चारो ओर व्यापक बालों बन्दर अब केवल दक्षिण की शान है। रंग-बिरंगे पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर, तीतर, मैना, लम्बी पूंछ वाले छोटे तोते, सारस और बगुले, लम्बी चोंच वाले पक्षी और लाल रंग के पक्षी वनों में पाये जाते हैं।

संतुलन में जीवों की अहम् भूमिका

पर्यावरणीय संतुलन हेतु वन्य जीवों की सहभागिता अनिवार्य है। इसे समझने के लिये पहले हमें पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) के संघटन एवं कार्य को समझना होगा। प्रख्यात पारिस्थितिकीविद् ई. पी. ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र एकआधारभूत क्रियात्मक ईकाई है जिसमें जीव और पर्यावरण अपने अवयवों के माध्यम से परस्पर कार्य करते हैं। मूलतः पारिस्थितिक तंत्र के दो निम्नलिखित भाग होते हैं।

(1) जीवीय भाग
(2) अजीवीय भाग

जीवीय भाग में उत्पादक (हरे पौधे) तथा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता (शाकाहारी कीट), द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता (मांसाहारी जीव जैसे मेढ़क, शेर) और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता (समूचे जानवर को ही खा जाने वाले जीव होते हैं जैसे सांप, मेढ़क को और गिद्ध सांप से पेट भर लेता है) होते हैं।

अजीवीय भाग में जीवों के अतिरिक्त समूची भौतिक चीजें धरती, आकाश, जल आदि शामिल हैं।

पारिस्थितिक तंत्र जलीय एवं स्थलीय भागों में स्थूल रूप से विभक्त किये गये हैं। स्वच्छ जलीय एवं समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र जलीय एवं घास के मैदान, मरुस्थल एवं वन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंग हैं। इस प्रकार समूची विशाल पृथ्वी अनेक पारिस्थितिक तंत्रों में बढ़ी हुयी है तथा स्वयं में एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र का रूप धारण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करती है। पारिस्थितिक तंत्र में गैसों एवं खनिजों का विनियम तथा खाद्य शृंखला और ऊर्जा के स्थानान्तरण से पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। इस समस्त प्रक्रियाओं में वन्य जीवों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।

खेद है कि पर्यावरणीय संतुलन में वन्य जीवों की साझेदारी के महत्व को हमने नहीं समझा और अपने आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के लिए इनकी हत्या करते रहे। पिछले कुछ सौ वर्षों में नवाबों, फिरंगी अफसरों, जमीदारों में शिकार का शौक बहुत तेजी के साथ पनपा जिसके फलस्वरूप जीव-जन्तुओं की बहुत सी जातियां नष्ट हो गईं।

विज्ञान के बढ़ते हुए चरण के साथ, नगरीकरण और औद्योगीकरण के साथ प्रदूषण बढ़ता गया और प्राकृतिक संपदा का ह्रास हुआ। महामारी से भी अधिक भयंकर प्रदूषण के मृत्युजाल से वन्य जीवों का बच पाना अस्वाभाविक है। वन्यजीवों पर प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार कारखानों और मोटरों से निकलने वाले धुंओं में मिली विषाक्त गैसों और उनके शोर-गुल से जीव-जन्तुओं के श्वसन तंत्र, गुर्दे और जननांग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ ही दशकों में वन्य जीवों के जन्मदर में कमी और मृत्यु दर में इतनी वृद्धि हो जाती है कि शीघ्र ही जातियां लुप्तप्राय होने की स्थिति में आ जाती हैं।

जीवधारियों का विनाश

फैशन और ग्लैमर की चकाचौंध ने भी वन्य जीवों को तबाह कर दिया है। बहुत से वन्य पशुओं की खालें, साहबों और मेम साहबों के कोट, चेस्टर, जूते आदि बनाने के काम आती हैं। व्यापार के संसार में मांग और आपूर्ति का रिश्ता चलता है। जन्तुओं की खालों की बढ़ती हुई मांग ने जहां उनकी हत्या को बढ़ाया वहीं खालों की तस्करी को प्रोत्साहन देकर देश की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात भी किया। वन्यजीवों में फैलने वाली बीमारियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने रेण्डर पेस्ट, मुंह और पैर के रोगों, रेबीज, एन्थ्रेक्स प्रभृति रोगों की ओर संकेत किया है। इन रोगों में बहुत से संक्रामक भी हैं। रोग फैलाने में कवकों, जीवाणुओं तथा विषाणुओं का भरपूर योगदान है। इलाज कौन करे, बचाये? फल यह होता है कि ये जीव-जन्तु दम तोड़ देते हैं।

आज उन वन्य जीवों की फेहरिस्त बहुत लम्बी हो चुकी है जिनके अस्तित्व के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। स्तनपायियों की 81 जातियां जिनमें बाघ, सिंह, हाथी आदि प्रमुख हैं, अपने अस्तित्व की रेखा के लिये बेचैन हैं। पक्षियों की 2100 जातियों में से बहुत सी संकटग्रस्त हैं। इनमें हंस, कबूतर, लालसर चिड़िया, तीतर, तोता, मैना आदि प्रमुख हैं। कछुआ, सांप, गिलहरी, मगर, घड़ियाल एवं खारे पानी में रहने वाले क्रोकोडायल जैसे सरीसृपों की बहुत सी जातियाँ लुप्त होने को हैं।

संरक्षण के प्रयास

प्रसन्नता की बात है कि वन्य जीवों के महत्व एवं पर्यावरणीय संतुलन में उनकी अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुये, कुछ ठोस सरकारी कदम उठाये गये हैं। भारत के संविधान में जहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन (अनुच्छेद 48) को जोड़ा गया वहीं अनुच्छेद 51 (क) में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन भी हैं, रक्षा और संवर्धन तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव को भारतीय नागरिकों का मूल कर्त्तव्य माना गया। सन् 1972 में वन्य प्राणी (रक्षा) अधिनियम बना जिसके अन्तर्गत राज्य को वन्य प्राणियों के रक्षार्थ किसी क्षेत्र को रक्षित करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा वन और वन्य जीवन को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। संप्रति भारत वन्य प्राणियों की नस्लों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का भी सदस्य है।

संविधान की व्यवस्था के अनुरूप वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना एवं विकास में काफी प्रगति विगत दशकों में हुयी। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस समय भारत वर्ष में 20 राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 197 वन्य प्राणी अभयारण्य एवं 24 जन्तु उद्यान हैं राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य प्राणी अभयारण्यों के सुधार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एवं विकास के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, केन्द्र द्वारा दी जाती है । सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में तथा सबसे अधिक वन्य प्राणी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में हैं ।

वर्तमान सरकार वन और वन्य जीवन की रक्षा एवं विकास के लिये विशेष प्रयत्नशील है । छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को विशेष स्थान दिया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका प्रमुख कार्य पर्यावरण की रक्षा की संभावना को सुदृढ़ करने के लिये वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था । इस समिति ने 15 सितम्बर 1980 को अपनी आस्था प्रस्तुत की जिसकी वन्य जीवन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं । प्रशासनिक उपायों के बारे में इस समिति ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रालय में पर्यावरण विभाग की स्थापना होनी चाहिये जो कि प्रधानमन्त्री के अधीन हो तथा उसका प्रभारी एक उचित स्तर का मन्त्री हो । इस विभाग का मुख्य कार्य पर्यावरण हितों के प्रति सजग होकर उसकी निगरानी रखना तथा प्रदूषण की रोकथाक के लिए हर सम्भव प्रयास करना, जीव मण्डल का संरक्षण और समुद्रीय पारिस्थतिक तंत्र का संरक्षण करना है । इसके अतिरिक्त इस समिति ने पर्यावरणीय योजना के लिये एक राष्ट्रीय समिति (N. C. E. P.) तथा वन्य जीवों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु एक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना पर बल दिया ।

विधायी उपायों केलिये 'नेशनल इन्वायरांमेण्टल पॉलिसी रिजोल्यूशन' (NEPR) को स्वीकार करने एवं बाद में हुये कुछ संशोधनों के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 'एवं वन्य प्राणी रक्षा अधिनियम' (1972) को तत्काल प्रभावी ढंग से लागू करने का सुझाव इस समिति ने दिया ।

वर्तमान काल में केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आ चुका है ।

वन्य प्राणियों के रक्षार्थ सलाहकार समितियां एवं कुछ संगठन भी प्रकाश में आये हैं । इनमें 'इण्डियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (IBWL) महत्वपूर्ण है । इस का गठन 1952 में हुआ तथा इसके प्रथम सत्र की बैठक मैसूर में हुयी । वन्य जीवन संरक्षण हेतु सरकार को सलाह देने वाली यह प्रमुख संस्था है । 'वन्य प्राणि रक्षा अधिनियम' 1972 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सलाह देने के लिये राज्यों में भी स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड' का गठन हुआ । यह जन्तु खण्ड (ZOO WING), वनस्पति खण्ड (FLORA WING) और पक्षी खण्ड (BIRD WING) में विभक्त है । इन सभी में अपने विषय के अधिकारी विद्वान हैं जो अपने अपने क्षेत्र में वन्य प्राणियों के कल्याणार्थ राज्य सरकारों को एवं केन्द्र सरकार को सलाह देते हैं ।

इसके अतिरिक्त कुछ स्वयं सेवी संगठन भी प्रकाश में आये हैं । इसमें सर्व प्रथम है-सन् 1883 में गठित 'बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी' जिसका प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवन के प्रति जन जागृति उत्पन्न करना है । इस सोसाइटी के संदर्भ संग्रह में स्तनपायी जीवों की 20,000 प्रजातियों, 23,000 पक्षियों, 4,000 सरीसृपों, 1,000 उभयचरों एवं 80,000 कीटों, एवं अन्य अकेशेरूकी प्राणियों का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण संस्था 'वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन सोसाइटी ऑफ इन्डिया' है । सन् 1958 में गठित इस संस्था का मुख्यालय देहरादून में है ।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिनसे भारत संबधित है, उनमें "इन्टरनेशनल यूनियन फार कन्जरवेशन आफ नेचर एण्ड नेचुरल रिर्सोसिज" (IUCN) तथा "वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड", (WWF) प्रमुख हैं । ये सस्थायें वन्य जीवों की रक्षा के लिये विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करती हैं ।

संरक्षण सम्बन्धी परियोजनायें

भारत वर्ष में वन्य जीवों से सम्बन्धित अनेक परियोजनायें संचालित हो रही है इसमें प्रमुख है 'प्रोजेक्ट टाइगर, "प्रोजेक्ट हांगुल" क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एण्ड मैनेजमेंटप्रोजेक्ट, डियर प्लानिंग प्रोजेक्ट आदि । प्रोजेक्ट टाइगर (बाघ परियोजना) का उद्भव 'इण्डियन बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ' की संस्तुति से सन् 1973 में हुआ था । केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित यह परियोजना दस राज्यों के ग्यारह क्षेत्रों-मनास (असम), पलामू (बिहार), सिमिलीपाल (उड़ीसा,)

(शेष पृष्ठ 58 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में बाघ परियोजना
(PROJECT TIGER)

एच. एस. पंवार
निदेशक, बाघ परियोजना

यद्यपि साइबेरिया बाघ का जन्म स्थल कहलाता है फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप उनका एक अच्छा घर माना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप में हिमालय की तराई से लेकर सुन्दरबन के मैदानी पठारों तक विभिन्न जातियों के बाघ पाये जाते हैं जो भारत की विभिन्न जलवायु के अनुरुप अपने को ढाल लेते हैं। पिछली शताब्दी तक भारत में अनुमानतः 40,000 बाघ थे लेकिन 1972 की भारतीय बाघ जनगणना में इनकी संख्या घटकर केवल 1827 रह गई।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप बाघ परियोजना 1973-74 में शुरू की गई थी। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड के तत्वावधान में नियुक्त कार्य दल की सिफारिश पर शुरू की गयी।

इस परियोजना का उद्देश्य कुल मिलाकर आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और आमोद प्रमोद के लाभार्थ राष्ट्रीय धरोहार के रूप में भारत के वातावरण में विचरणशील बाघों की संख्या को बनाये रखना और उनको संरक्षण देना है।

बाघ अभयारण्य

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इस परियोजना को असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों में 11 बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जारहा है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बाघों के निवासों का पता लगाकर उक्त आरक्षित क्षेत्र बनाये गये हैं।

इसके लिए एक मानदंड बनाया गया है कि प्रत्येक बाघ आरक्षित क्षेत्र 30 वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए और इसे एक प्रमुख क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस समय देश में कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र 15,800 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 5142 वर्ग किलोमीटर का प्रमुख क्षेत्र भी शामिल है।

परियोजना में लगी पूँजी

इस परियोजना को शुरू में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था। इसका व्यय राज्य सरकारें वहन करती थीं। लेकिन परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र की होने की वजह से एक सीमा से अधिक होने वाले अतिरिक्त खर्च केन्द्रीय सरकार देती थी। यह व्यवस्था वर्ष 1979-80 तक जारी रही और केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने क्रमशः 4 76 करोड़ रुपये और 3.83 करोड़ रुपये व्यय किये। वर्ष 1980-81 से इस परियोजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना बना दिया गया और अब राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार इस परियोजना पर व्यय के लिए बराबर बराबर राशि देती है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रु० (इतनी ही राशि राज्य सरकारों ने भी) की व्यवस्था की गयी है। चालू योजना के प्रथम दो वर्ष में इस पर 2.76 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा वर्ष 1982-83 के लिए 1.1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विश्व वन्य प्राणी कोष ने इस परियोजना के लिए 10 लाख अमरीकी डालर की सहायता देने का वचन दिया है। इसमें से 7 लाख 60 हजार अमरीकी डालर की सहायता उपकरणों, विदेशी विशेषज्ञों, विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण, अध्ययन और साहित्य आदि के रूप में पहले ही दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालन समिति इस परियोजना के प्रशासन और इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है। यह समिति परियोजना के क्रियान्वयन पर बराबर नजर रखे हुए है और इस दिशा में मार्ग निर्देश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपलब्धि

बाघ परियोजना के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस परियोजना की सहायता इस बात में निहित है कि इससे न केवल बाघों को संरक्षण मिला है बल्कि इससे हमारे वन पारिस्थितिक प्रणाली के कुछ जातियों के वन्य प्राणियों को भी संरक्षण मिला है। अभयारण्यों में गलत ढंग से उनकी घास आदि की कटाई रोकने के उपायों आदि से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है।

इन अभयारण्यों की स्थितियों में सुधार लाने से न केवल सभी जातियों के वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है बल्कि पशुओं का बेहतर परिक्षेपण भी हुआ है, जिससे अभयारण्यों के उपयोग में अधिक कुशलता आयी है। वर्ष 1972 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अनुमानतः 268 बाघ थे जो वर्ष 1981 में वर्तमान 11 आरक्षित क्षेत्रों में बढ़कर 757 हो गये।

इस प्रकार अखिल भारतीय बाघों की संख्या वर्ष 1972 में अनुमानतः 1827 से बढ़कर वर्ष 1979 में 3015 हो गयी। इसके अलावा बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बेहतर संरक्षण और अभयारण्यों के विकास से अन्य जातियों के वन्य प्राणियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ये हैं : स्वाम्प मृग, भारतीय हाथी, भारतीय गैंडा, जंगली भैंस, दृढ़ लोमी खरगोश आदि।

एडिनबरा के राजकुमार प्रिंस फिलिप ने मार्च, 1982 में सरिस्का बाघ आरक्षित क्षेत्र का दौरा किया था। वहाँ के विकास को देखने के अलावा उन्होंने स्वयं बाघ परियोजना की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। इस यात्रा के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था :

"इसमें कोई संदेह नहीं कि बाघ परियोजना एक बहुत बड़ी सफलता है और मुझे विश्वास है कि इतनी अल्पावधि में ही संरक्षण के लिये किये गये प्रभावकारी उपायों से भारत में प्रकृति की देन विभिन्न जातियों के वन्य प्राणियों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि इस कार्य में लगे सभी लोग अपने प्रयासों को दुगना कर सकें और दीर्घावधि की योजना को कार्यान्वित किया जा सके।"

भावी कार्यक्रम

संचालन समिति ने चार नये बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने की मंजूरी दे दी है। ये हैं :—अरुणाचल प्रदेश में नाम्दपत्र, पश्चिम बंगाल में बक्सा, मध्य प्रदेश में इन्द्रावती और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। इससे बाघ परियोजना का कुल क्षेत्र लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर हो जायगा। निकट भविष्य के कार्यक्रम में सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों का प्रभावशाली रूप से बिस्तार करना, अवैध रूप से वन्य प्राणियों के शिकार को रोकने के उपाय करना और वन्य प्राणियों में अभयारण्यों का संरक्षण तथा विकास करना शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने समुचित अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और वाहन, वायरलैस का जाल जैसे उपकरण प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। इस कार्यक्रम में मौजूदा आरक्षित क्षेत्रों में प्रमुख और सुरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना भी शामिल है। इनमें कार्बेट पार्क (उत्तर प्रदेश), पलामू (बिहार), सिमिलीपाल (उड़ीसा), रणथम्भौर (राजस्थान), बांदीपुर (कर्नाटक) और मनास (असम) शामिल हैं।

देश में वन्यप्राणी अनुसंधान के क्षेत्र में पहल करने और उसको संगठित करने में बाघ परियोजना की प्रमुख भूमिका रही है। इस योजना के कार्यों में अभयारण्यों और वन्य प्राणियों की संख्या का अध्ययन करने के अलावा निजी पशुओं का या पशु एसोसिएशनों के साथ-साथ विशेष परियोजनाओं का अध्ययन करना भी शामिल है। आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम में तेजी लायी जाएगी।

बाघ परियोजना प्रकृति के संरक्षण का एक बहुमुखी कार्यक्रम है। इस योजना द्वारा वन्य-प्राणी संरक्षण और उसके लिए वैज्ञानिक प्रबन्ध व्यवस्था विकसित करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में और बड़ी सफलताओं की आशा बंधती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ 55 का शेष)

कान्हा (मध्य प्रदेश), कार्बेट, (उ. प्र.), बान्दीपुर (कर्नाटक), मेलघाट (महाराष्ट्र), रणथम्भोर (राजस्थान), सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल), पेरियार (केरल) और सरिस्का (राजस्थान) में लागू है। सन् 1979-80, जब से यह योजना उद्दाम स्वरूप में है, केन्द्र राज्यों का व्यय क्रमशः रु. 4.76 करोड़ और रु 3.83 करोड़ है। 1980-81 से इस परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का स्तर प्रदान किया गया तब से केन्द्र और राज्यों का व्यय बराबर है। हाल ही में बाघ परियोजना की संचालन समिति ने चार और संरक्षण केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है। ये स्थल इस प्रकार हैं—नाम्दपत्र (अरुणाचल प्रदेश), नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश), इंद्रावती (मध्य प्रदेश), तथा बक्सा (प. बंगाल)।

'प्रोजेक्ट हांगुल' नामक परियोजना 'हांगुल' नामक वन्य प्राणी की रक्षार्थ प्रारम्भ की गयी है। हांगुल लाल मृग कुल का प्राणी है और संप्रति दचिगाम अभयारण्य के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है।

भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के संयुक्त तत्वाधान में 'क्रोकोडायल ब्रीडिंग एण्ड मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट' भी प्रारम्भ किया गया है।

'डीयर प्लानिंग प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत मृगों की जातियों की रक्षा, नस्लों में सुधार का सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जा रहा है।

वन्य प्राणियों के शरण स्थल-वनों के रक्षार्थ सामाजिक चेतना भी चिपको आन्दोलन' के रूप में मुखर हुई है। ऐसे ही और आन्दोलन वन्य प्राणियों के रक्षार्थ होने चाहिए।

वन्य जीव प्रकृति की अनमोल संपत्ति है। किसी भी देश काल की ये धरोहर हैं। इनका विनाश करके हम अपने हाथों अपनी कब्र खोदते हैं। प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ता है तो प्राकृतिक विपदाओं की झड़ी लग जाती है। अगर हम यह कहे कि इन निरीह पशुओं की सांसों का, इनके हृदय के स्पंदन का सम्बन्ध, अपरोक्ष में में ही सही, स्वयं हमारी अपनी जिन्दगी से है तो अतिशोषित न होगी। प्रसन्नता की बात है कि हमने इनके महत्व को समझा है और इधर कुछ वर्षों में इनके रक्षा के कुछ कारगर उपाय भी किये गये हैं। फिर भी ये उपाय केवल एक महा अभियान के आरम्भ स्वरूप हैं। हमें वन्य जीवों की रक्षा के लिये, प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिये अभी बहुत कुछ करना है। ■

(पृष्ठ 8 का शेष)

नागालैंड में सत्ता परिवर्तन :

नागालैंड विधानसभा के लिए 10 नवम्बर को पांचवा आम चुनाव हुआ तो किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। कोई भी सरकार तभी बनती जब निर्दलीय विधायकोंका सहारा लिया जाता। हुआ भी यही, निर्दलीयों की सहायता से कांग्रेस (इ) की सरकार सत्तारूढ़ हुई। निर्दलीय विधायकों को अपने-अपने पक्ष में करने की होड़ नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी की और कांग्रेस (इ) ने भी किन्तु बाजी कांग्रेस (इ) के हाथ लगी और आठ निर्दलीय विधायक इका में शामिल हो गये जिन्हें हरियाणा की तरह ही मंत्रिपद देकर पुरस्कृत किया गया। 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा में नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो सत्तारूढ़ थी, 24 तथा इंका को 24 सीटें मिली थीं। 12 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे।

फिलहाल श्री एस. सी. जमीर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पदारूढ़ है जिसे दो किश्तों में शपथ दिलाई गई। मुख्यमन्त्री सहित इन 14 मन्त्रियों में 8 वे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव जीते थे और बाद में कांग्रेस (इ) में शामिल हो गये। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री तथा नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता श्री जे. बी. जसूकी विपक्ष में आ गये हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में इंका सरकार की स्थिरता को लेकर अटकलबाजियां शुरू हो गयी हैं और कहा जाने लगा है कि मार्च 1975 अथवा अप्रैल 1980 की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। सन् 1974 से अब तक प्रदेश में कांग्रेस (इ) अथवा उसकी पूर्ववर्ती (एन. एन. ओ.) की सरकार नहीं थी। गत आठ वर्षों में उसने दो बार सरकार बनाने का प्रयास किया लेकिन एक बार केवल 13 दिन और दूसरी बार केवल डेढ़ माह ही चल सकी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नागालैंड में राजनीतिक अस्थिरता 1974 से ही चली आ रही है। 1964 में तृतीय आम चुनाव हुआ था जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यू डी. एफ.) को 25 सीटें मिली थीं। यह पार्टी नागा विद्रोहियों से सहानुभूति रखती थी। इसके विपरीत राष्ट्रवादी पार्टी नागालैंड नेशनल आर्गेनाइजेशन (एन. एन. ओ.) को 23 सीटें मिली थीं। उस समय के 12 स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की विजय हुई थी। दलबदल के कारण यू. डी. एफ. की सरकार एक वर्ष तक तथा एन. एन. ओ. की सरकार केवल 13 दिनों तक चल पायी। परिणाम स्वरूप दो वर्ष आठ माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस बीच 1965 में एन. एन. ओ. का विलय कांग्रेस में हो गया। इसके पश्चात नवम्बर 1965 में हुए चौथे आम चुनाव में यू. डी. एफ. की शक्ति बढ़ गयी। उसे 35 सीटें मिलीं किन्तु निर्दलीय विधायकों की अधिकता के कारण अस्थिरता का खतरा बना रहा और 1 जनवरी 1982 में केन्द्र में इंका सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ ही नागालैंड की विजोल सरकार को गिराने के प्रयास तेज हो गये। परिणाम यह हुआ कि अप्रैल महीना आते-आते विजोल सरकार का बहुमत खत्म हो गया और वह गिर गयी। कांग्रेस (इ) ने दल बदलुओं की नयी पार्टी नागा नेशनल पार्टी (एन. एन. पी.) के सहयोग से सरकार बनायी और श्री. एस, सी. जमीर मुख्यमन्त्री बने लेकिन करीब डेढ़ माह बाद एन. एन. पी. सरकार से अलग हो गयी और कांग्रेस (इ) सरकार का पतन हो गया। इसके पश्चात यू. डी. एफ. और एन. एन. पी. ने आपस में विलय कर लिया और नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का जन्म हुआ। नये दल के नेता श्री. जे. पी जसूकी चुने गये जिन्होंने मई 1980 में शासन सम्भाला।

पांचवी विधान सभा के लिए हुए आम चुनाव के बाद निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद सत्तारूढ़ हुई जमीर सरकार पुराना इतिहास नहीं दुहरायेगी यह कहना कठिन है। इस चुनाव में कांग्रेस (इ.) को केवल 32 प्रतिशत ही मत प्राप्त हुए हैं।

भारत-सोवियत समझौता :

भारत और सोवियत संघ ने गत 18 नवम्बर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के आदान प्रदान की व्यवस्था है। इस समझौते के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान दोनों देश पशुपालन, पौध संरक्षण तथा फसल विज्ञान आदि के बारे में सूचनाओं तथा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक अच्छे किस्म की भेड़ों, पशमीना बकरियों तथा फरवाले जानवरों के प्रजनन और पालन का अध्ययन करने सोवियत संघ जायेंगे तथा सोवियत वैज्ञानिक गेहूँ की अधिक उपज देने वाली किस्म के बारे में जानकारियां एकत्र करने यहाँ आयेंगे। समझौते के अंतरगत ऊसर भूमि के विकास और उपयोग, खारेपन पर नियन्त्रण, जल संसाधनों का प्रबन्ध तथा क्षार एवं मरु भूमि में वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी सहयोग का प्रावधान है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा के अतिरिक्त क्षेत्रों के अनुसंधान तथा उपयोग और कृषि उपकरणों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेषज्ञ एक-दूसरे देश में भेजे जायेंगे।

इस समझौते पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक ओ. पी गौतम तथा भारत स्थित सोवियत राजदूत यूली एम. बोरोबोत्सव ने हस्ताक्षर किये।

रूस में नये राष्ट्रपति के सत्ताग्रहण के बाद भारत और सोवियत संघ के साथ हुआ यह समझौता दोनों देशों में मैत्री और सहयोग की दिशा में निरन्तर बढ़ रहे कदम का द्योतक है और भविष्य में काफी आशायें बंधाता है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में दोनों देशों में परस्पर सहयोग-समझौता कितना फलदायी होगा यह इस बात पर निर्भर है कि दोनों देशों के खासतौर से भारत के अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें। भारतीय अधिकारियों की क्षमता के प्रति संदेह पैदा करने के लिए महज यह एक घटना ही काफी है कि सोवियत संघ ने भारत को दो करोड़ मीटर कपड़े का आर्डर दे रखा था जिसे इस वर्ष के अंत तक सप्लाई करना था किन्तु भारत ने उसे अब तक केवल एक करोड़ बीस लाख मीटर ही कपड़ा उपलब्ध कराया है। शेष एक माह की अवधि में शेष कपड़ा भेजा जाना बिल्कुल ही असंभव है। निर्यात में यह कमी संभवतः बम्बई की कपड़ा मिलों में लम्बी हड़ताल के कारण हुई है। दूसरी ओर भारत-सोवियत व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है और अनुमान है कि 1985 तक व्यापार में 5000 करोड़ तक मुनाफा हो जायेगा। दोनों देश परस्पर व्यापार को संतुलित बनाने की दिशा में अग्रसर है।

(शेष पृष्ठ 85 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रीड़ा जगत

■ क्रिकेट :

● ईरानी ट्राफी—24 अक्टूबर को नई दिल्ली में समाप्त हुए मैच में शेष भारत ने दिल्ली को पांच विकेट से पराजित कर ईरानी ट्राफी पर विजयश्री अर्जित की। अन्तिम स्कोर—दिल्ली : 429 व 258 रन; शेष भारत : 267 व 424 रन पर पांच विकेट।

● देवधर ट्राफी—7 नवम्बर को कटक में खेले गये फाइनल में पश्चिमी क्षेत्र ने उत्तरी क्षेत्र को 13 रन से हराकर देवधर ट्राफी जीत ली। अन्तिम स्कोर—पश्चिमी क्षेत्र : 9 विकेट पर 198 रन; उत्तरी क्षेत्र : 185 रन।

● सी. के. नायडू ट्राफी—10 नवम्बर से कानपुर में खेले गये फाइनल में उत्तरी क्षेत्र ने प्रथम पारी में रनों की बढ़ोत्तरी के आधार पर पश्चिमी क्षेत्र को पराजित कर सी. के. नायडू ट्राफी पर विजयश्री अर्जित की। अन्तिम स्कोर—पश्चिमी क्षेत्र : 219 रन; उत्तरी क्षेत्र : 352 रन।

● आस्ट्रेलिया इंग्लैण्ड प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच—12 नवम्बर से पर्थ में आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैण्ड के मध्य खेला गया प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच अनिर्णीत समाप्त हुआ। अन्तिम स्कोर—इंग्लैण्ड : 411 व 358 रन; आस्ट्रेलिया 9 विकेट पर 424 व 2 विकेट पर 73 रन।

■ फुटबाल :

● एशियाई युवा फुटबाल चैम्पियनशिप—23 अक्टूबर को काठमन्डू में इराक व यू.ए.ई. के मध्य खेला गया फाइनल अनिर्णीत समाप्त होने पर दोनों दलों को एशियाई युवा फुटबाल चैम्पियनशिप (ग्रुप-1) का संयुक्त विजेता घोषित किया गया।

● रोवर्स कप—17 नवम्बर को बम्बई में सम्पन्न फाइनल में इराक की सलाहुद्दीन क्लब ने मुहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, कलकत्ता को 2—1 से पराजित कर रोवर्स कप पर अधिकार जमा लिया।

● नयी दुनिया फुटबाल प्रतियोगिता—8 नवम्बर को इन्दौर में सम्पन्न फाइनल में सीमा सुरक्षा बल, जलन्धर ने इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज को 1—0 से पराजित कर नयी दुनिया ट्राफी फुटबाल चैम्पियनशिप जीत लिया।

■ कार रैली :

● केनिया के जयन्त शाह व असलम खाँ ने केवल 500 पेनाल्टी अंक प्राप्त कर 3,900 कि.मी. की कठिन दूरी तय कर हिमालय कार रैली (एयर इण्डिया ट्राफी) जीत लिया। रुही सुघोल (आस्ट्रिया) व रमेश खोंदा (केनिया) ने क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया।

■ विविधा :

● अक्टूबर में जागरेब में सम्पन्न सातवें विश्व जिमनास्टिक्स कप के पुरुष व महिला वर्ग में क्रमशः चीन व सोवियत संघ ने सर्वाधिक अंक पाकर टीम चैम्पियनशिप जीत लिया। ● जेफ चेन्डलर (अमेरिका) ने म्युगेल इरीयार्टी (पनामा) को नवें राउन्ड में पराजित कर विश्व बाक्सिंग एसोसिएशन बैन्टमवेट चैम्पियनशिप पर अपना वर्चस्व कायम रखा। ● 31 अक्टूबर को कोपेनहागेन में खेले गये स्केन्डिनेवीयन कप बैडमिन्टन टूर्नामेन्ट के फाईनल में मॉर्टन फ्रास्ट (डेनमार्क) ने प्रकाश पाडुकोन (भारत) को 15-3, 15-4 तथा विंग विंग (चीन) ने समिको किटाडा को 11-2, 11-8 से पराजित कर क्रमशः पुरुष व महिला खिताब जीता। ● काराकास में सम्पन्न 43 वें विश्व निशानेबाजी चैम्पियनशिप को सोवियत संघ ने जीत लिया। एंटन देदव (सोवियत संघ) ने व्यक्तिगत श्रेष्ठ निशानेबाज का खिताब जीता। ल्युसर्न में खेले गये अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज ओलम्पियाड के पुरुष व महिला वर्ग में सोवियत संघ ने अपना वर्चस्व कायम रखा। ● टोक्यो में खेले गये फाइनल में जापान ने सोवियत संघ को पराजित कर विश्व जुडो प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा पर अपना वर्चस्व कायम रखा। ● बर्मिंघम में खेले गये फाइनल में जहाँगीर खान (पाकिस्तान) ने डीन विलियम्स् (आस्ट्रेलिया) को 9-2, 6-9, 9-1, 9-1 से पराजित कर विश्व स्क्वॉश खिताब जीत लिया। ● नयी दिल्ली में सम्पन्न 38 वें महिला राष्ट्रीय साइकिलिंग चैम्पियनशिप पंजाब ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर जीत लिया। ● आगरा में सम्पन्न फाइनल में ई. एम. ई. जलन्धर ने पंजाब पुलिस को ट्राईब्रेकर में 9-6 से पराजित कर अखिल भारतीय ध्यान चन्द हाकी प्रतियोगिता जीत ली। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र (2)

प्र. 1—(क) भारत के राष्ट्रपति पर महा अभियोग किस कारण लगाया जा सकता है ? संविधान के अनुसार महा अभियोग की प्रक्रिया क्या है ?

उ. 1—संविधान के अतिलंघन की अवस्था में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महा अभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। महा अभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है परन्तु इसके लिये निम्न शर्तें आवश्यक हैं—(i) महा अभियोग एक प्रस्ताव के द्वारा लाया जाय, (ii) प्रस्ताव की 14 दिन के पूर्व की सूचना होनी चाहिए (iii) यह सूचना लिखित होनी चाहिए तथा इस पर आरोप लगाने वाले सदन के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर हो तथा (iv) महा अभियोग का प्रस्ताव सदन के समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो। जब संसद के किसी एक सदन के द्वारा महा अभियोग लगाया जाता है तो दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है। जाँच के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं अपनी उपस्थित द्वारा अथवा अपने वकीलों द्वारा अपने बचाव की दलीलें पेश कर सकता है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप जांच करने वाला सदन भी महा अभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत माना जायेगा।

प्र. 1 (ख) - (i) किसी राज्य के राज्यपाल, (ii) राज्य-सभा के अध्यक्ष, (iii) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त/निर्वाचित किए जाते हैं ?

उ.—(i) राज्य के वैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर की जाती है। (ii) राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। (iii) राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है।

प्र. 1 (ग)—साधारण विधेयक तथा वित्तीय विधेयक के पारित होने में लोकसभा तथा राज्य सभा की शक्तियों पर टिप्पणी लिखिए।

उ.—समस्त साधारण विधेयक तथा संविधान विधेयक के विषय में लोकसभा तथा राज्यसभा के समान अधिकार हैं। ऐसे विधेयक संसद के किसी भी सदन में पारित किये जा सकते हैं। परन्तु लोक सभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को राज्य सभा यदि संशोधित करती है तो आवश्यक नहीं कि लोकसभा उन संशोधनों से सहमत हो। इस दुविधा पूर्ण स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित प्रत्येक वित्तीय विधेयक को प्रत्येक स्थिति में 14 दिन के अन्दर विचार कर राज्यसभा द्वारा वापस करना पड़ता है और राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। स्मरण रहे कि वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किये जा सकते हैं।

प्र. 2—निम्नलिखित में किन्ही 3 का संक्षिप्त विवरण दें। (i) दक्षिण-दक्षिण सम्मेलन (ii) आठवां वित्त आयोग (ii) मण्डल आयोग, (iv) तारापुर आणविक संयन्त्र का मामला, (v) भारत का एन्टार्कटिका अभियान (vi)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

लेबनान संकट (vii) नाबार्ड (viii) लोकहित वाद

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उ.—(i) अक्टूबर 1981 में कानकुन में आयोजित उत्तर दक्षिण शिखर वार्ता की असफलता के तुरन्त पश्चात भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती गान्धी के आह्वान के फलस्वरूप नई दिल्ली में फरवरी 1982 में 44 विकासशील देशों की मध्य वार्ता हुई। इस वार्तालाप को नई दिल्ली मन्त्रणा की संज्ञा दी गयी। इसमें गिरती हुई विश्व आर्थिक व्यवस्था के कारण प्रभावित विकासशील देशों के मध्य "खाद्य, ऊर्जा, व्यापार और वित्तीय प्रवाह" के क्षेत्र में "सामूहिक आत्मनिर्भरता" की आवश्यकता के साथ-साथ विकसित देशों के विकासशील देशों के प्रति कर्त्तव्यों पर बल दिया गया।

(ii) अनुच्छेद 280 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 21 जून 82 को व्हाई. बी. चह्वाण की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आंठवा वित्त अयोग नियुक्त किया। केन्द्रीय करों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय का केन्द्र-राज्य के मध्य वितरण, राज्यों को प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता या अन्य कोई भी विषय जिसे राष्ट्रपति एक अच्छी वित्त व्यवस्था के लिये आवश्यक समझता हो, के सम्बन्ध में आठवें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक प्रभावी होगी। वर्ष 1983-84 तक सातवें वित्त आयोग का सुझाव प्रभावी रहेगा।

(iii) वर्ष 1979 में बी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में नियुक्त पिछड़े वर्ग आयोग ने दिसम्बर 82 को अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को सुपर्द किया था जिसे 30 अप्रैल 82 को सरकार ने संसद में पेश किया। प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में 3743 पिछड़ी जातियां हैं जो कि भारत की कुल जन संख्या का 52% है। इस आधार पर इस वर्ग को नौकरी व शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये 52% आरक्षण मिलना चाहिए। परन्तु किसी प्रकार का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों को 22.5% आरक्षण उपलब्ध है, अतएव आयोग के अनुसार पिछड़े वर्ग को उपर्युक्त क्षेत्रों में 27% आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(iv) प्रगति मंजूषा (अक्टूबर 82) देखिए।

(v) प्रगति मंजूषा (फरवरी 82 अंक अंक) देखिए।

(vi) प्रगति मंजूषा (अक्टूबर 82 अंक) देखिए।

(vii) प्रगति मंजूषा (अगस्त 82 अंक) देखिए।

(viii) प्रगति मंजूषा (जुलाई 82 अंक) देखिए।

प्र 3—निम्नलिखित में से किन्हीं दस के उत्तर दीजिए।

(i) वह खेल जिसमें रोवर्स कप दिया जाता है, (ii) वह खेल जिसमें ऊबेर कप दिया जाता है, (iii) वह खेल जिसमें नेहरू स्वर्ण कप दिया जाता है, (iv) भारत का राष्ट्रीय खेल, (v) वह खेल जो वानखेड़े स्टेडियम से सम्बन्धित है, (vi) वह खेल जिसमें नाक आउट शब्द का प्रयोग होता है, (vii) महिला हाकी के प्रत्येक तरफ खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या (viii) एस्ट्रो टर्फ शब्द किस खेल से सम्बन्धित है। (ix) वह खेल जिसमें बिशप शब्द का प्रयोग होता है। (x) हाकी, फुटबाल तथा क्रिकेट के मानक मैदान में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, (xi) विम्बलन्डन टेनिस चैम्पियनशिप कहाँ खेली जाती है, (xii) संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल।

उ. —(i) फुटबाल, (ii) बैडमिन्टन, (iii) फुटबाल, (iv) हाकी (v) क्रिकेट, (vi) बाक्सिंग, (vii) ग्यारह, (viii) हाकी, (ix) शतरंज (x) क्रिकेट, (xi) लन्दन, (xii) बेसबाल।

प्र 4—निम्नलिखित किस आन्दोलन / संस्था से कौन प्रमुख व्यक्ति सम्बद्ध थे ?

(1) अलीगढ़ आन्दोलन (2) थियोसोफिकल सोसाइटी (3) रामकृष्ण मठ (4) प्रार्थना समाज (5) सूफी आन्दोलन (6) कांग्रेस का अतिवादी गुट (7) कांग्रेस का नरमवादी गुट (8) स्वराज्य पार्टी (9) आजाद हिन्द फौज (10) भक्ति आन्दोलन (11) ब्रह्म समाज (12) सर्वोदय (13) आर्य समाज

उ. —(1) सैयद अहमद खां (2) एनी बेसेन्ट (3) विवेकानन्द (4) केशवचन्द्र सेन (5) शेख सलीम चिस्ती (6) गंगाधर तिलक (7) गोपाल कृष्ण गोखले (8) मोती लाल नेहरू (9) सुभाष चन्द्र बोस (10) चैतन्य (11) राम मोहन राय (12) बिनोबा भावे (13) दयानन्द सरस्वती

प्र. 4—भारत के परमाणु बिजली केन्द्र कहां स्थित हैं ?

उ. —भारत के परमाणु बिजली केन्द्र (1) तारापुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(महाराष्ट्र), (2) कोटा (राजस्थान), (3) कलपक्कम (तमिलनाडु), (4) नरोरा (उत्तर प्रदेश) तथा (5) मोनिचर (गुजरात) में स्थित हैं। प्रथम दो के अलावा शेष सभी निर्माणाधीन हैं।

प्र 5—निम्नलिखित नदी के किनारे बसे किसी प्रमुख नगर का नाम बताइए ?

(1) हुगली (2) टाइग्रिस (3) सीन (4) ब्रह्मपुत्र (5) झेलम (6) ताप्ती (7) सरयू (8) यमुना (9) इरावती (10) मूसी (11) महानदी (12) पोटोमेक।

उ. —(1) कलकत्ता (2) बगदाद (3) पेरिस (4) गोहाटी (5) श्रीनगर (6) सूरत (7) अयोध्या (8) दिल्ली (9) रंगून (10) हैदराबाद (11) कटक (12) वाशिंगटन।

प्र. 6 — किन देशों की व्यवस्थापिका निम्नलिखित नामों से जानी जाती है ?

(1) संसद (2) कोर्टेस (3) कांग्रेस (4) नेसेट (5) पंचायत (6) शोरा (7) सेयम (8) मजलिस (9) सुप्रीम सोवियत (10) रिक्सडाँग।

उ. —(1) भारत (2) स्पेन (3) स. रा. अमेरिका (4) इस्रायल (5) नेपाल (6) अफगानिस्तान (7) पोलैण्ड (8) मलेशिया (9) सोवियत रूस (10) स्वीडन।

प्र. 7 —निम्नलिखित दिवस वर्ष के किस दिन मनाये जाते हैं।

(1) विश्व पर्यावरण दिवस (2) गुट निरपेक्षता दिवस (3) बाल दिवस (4) शिक्षक दिवस (5) शहीद दिवस (6) सं रा. दिवस (7) विश्व स्वास्थ्य दिवस (8) सेना दिवस (9) वायु सेना दिवस (10) विश्व साक्षरता दिवस

उ. —(1) 5 जून (2) 1 सितम्बर (3) 14 नवम्बर (4) 5 सितम्बर (5) 30 जनवरी (6) 24 अक्टूबर (7) 7 अप्रैल (8) 7 दिसम्बर (9) 8 अक्टूबर (10) 8 सितम्बर

प्र. 8 (क)—निम्नलिखित खनिजों के सर्वाधिक भण्डार किन भारतीय राज्यों में पाये जाते हैं ?

(1) थोरियम (2) कोयला (3) चांदी (4) यूरेनियम (5) लोहा (6) नमक (7) बाक्साइट (8) सोना (9) तांबा (10) एलुमिनियम (11) मैंगनीज (12) जिंक।

उ. —(1) केरल (2) प. बंगाल (3) कर्नाटक (4) बिहार (5) बिहार (6) राजस्थान (7) बिहार (8) कर्नाटक (9) बिहार (10) केरल (11) मध्य प्रदेश (12) राजस्थान।

प्र. 8 (ख)—निम्नलिखित फसलों के सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्यों का नाम लिखिए।

(1) गेहूँ (2) जूट (3) धान (4) कपास (5) मूंगफली (6) गन्ना (7) रबड़ (8) चाय (9) तम्बाकू (10) सरसों (11) नारियल (12) कहवा।

उ.—(1) उ. प्र. (2) प. बंगाल (3) प. बंगाल (4) महाराष्ट्र (5) गुजरात (6) उ. प्र. (7) केरल (8) असम (9) आन्ध्र प्रदेश (10) उ. प्र. (11) केरल (12) कर्नाटक।

प्र. 9 (क)—निम्नलिखित उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है ?

(1) रथ यात्रा (2) बिहू (3) ओनाम (4) पोंगल (5) दुर्गा पूजा (6) वैशाखी।

उ. —(1) उड़ीसा (2) असम (3) केरल (4) तमिलनाडु (5) प. बंगाल (6) पंजाब।

प्र. 9 (ख)—अधोलिखित नृत्य किन राज्यों से सम्बन्धित हैं ?

(1) गारबा (2) भांगड़ा (3) कुम्मी (4) रास (5) छाऊ नृत्य (6) गाफा (7) गिड्डा (8) कथक्कली (9) कुचीपुडी (10) कत्थक (11) भारत नाट्यम (12) ओडिसी।

उ.—(1) गुजरात (2) पंजाब (3) तमिलनाडु/केरल (4) उ. प्र. (5) प. बंगाल (6) महाराष्ट्र (7) पंजाब (8) केरल (9) आन्ध्र प्रदेश (10) उ. प्र./राजस्थान (11) तमिलनाडु (12) उड़ीसा।

प्र. 9 (ग)—निम्नलिखित कलाकार किस से सम्बन्धित हैं —

(1) सोवल मान सिंह (2) यामिनी कृष्णमूर्ति (3) संयुक्ता पाणिग्रही (4) बिरजू महाराज (5) बिस्मिल्ला खां (6) अमजद अली खां (7) रवि शंकर (8) सितारा देवी (9) एस. बाल चन्दर (10) नन्दलाल बोस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(11) एस. शुभलक्ष्मी (12) एम. एफ. हुसैन (13) त्याग राज।

उ.—(1) भारत नाट्यम (2) कुचीपुडी/भारत नाट्यम (3) ओडिसी (4) कत्थक (5) शहनाई (6) सरोद (7) सितार (8) कत्थक (9) वीणा (10) चित्रकला (11) कर्नाटक संगीत (12) चित्रकला (13) कर्नाटक संगीत

प्र. 10—(क) 1981 की जनगणना के अनुसार (1) भारत की कुल जनसंख्या, (2) जन्म दर व मृत्यु दर, (3) जन संख्या घनत्व प्रति वर्ग कि मी., (4) कुल साक्षरता प्रतिशत (5) सर्वाधिक अधिक और कम जनसंख्या वाला राज्य (6) सर्वाधिक साक्षर राज्य तथा (7) सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश बताइए।

उ.—(1) 68,38,10,05 (2) क्रमशः 36 प्रति 1000 व 14.8 प्रति 1000 (3) 221 व्यक्ति (4) 36.17% (5) क्रमशः उ. प्र. व सिक्किम (6) केरल (7) केरल

प्र. 10 (ख)—भारत के किस राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निर्धनता की सीमा रेखा के अन्तर्गत निवास करने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक व न्यून प्रतिशत किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में है।

उ.– देश की प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा, दमन और द्वीव सर्वप्रथम (2,426 रु) है जबकि राज्यों में पंजाब इस दृष्टि से सर्वोपरि (2,278 रु) है। निर्धनता की सीमा रेखा के अन्तर्गत निवास करने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत (66.4%) उड़ीसा में हैं जबकि पंजाब में यह सबसे कम (15.1%) है।

प्र. 11 (क)—निम्नलिखित पुरस्कारों का विजेता कौन है?

(1) रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 (2) नेहरू शान्ति पुरस्कार 1981 (3) बुकर पुरस्कार 1981 (4) थर्ड वर्ल्ड पुरस्कार 1981 (5) नोबेल शान्ति पुरस्कार 1982 (6) भारत का सर्वोत्तम कथाचित्र 1981

उ.—(1) सामुदायिक नेतृत्व—चंडी प्रसाद भट्ट (भारत); विशिष्ट शासकीय सेवा—आतुरो पी. एकार्ज (फिलीपाइन्स); जनसेवा—मणिभाई भीम भाई देसाई (भारत) साहित्य, कला व पत्रकारिता—अरुण शौरी (भारत), (2) गुन्नार मिरडल व अल्वा मिरडल (स्वीडन) (3) सलमान रश्दी (ब्रिटेन) (4) जूलियस न्येरेरे (तन्जानिया) (5) अल्वा मिरडल (स्वीडन) व अलफांसो गार्सिया रोबेल्स (मेक्सिको) दखल (निर्देशक: गौतम घोष)।

प्र. 11 (ख)-निम्नलिखित ट्राफी/कप का विजेता कौन है?

(1) विश्व कप फुटबाल चैम्पियनशिप 1982 (2) डेविस कप 1981 (3) दिलीप ट्राफी 1982 (4) रंगा स्वामी कप (5) विम्बलडन टेनिस चैम्पियनशिप (पुरुष) (6) टॉमस कप (7) विश्व शतरंज चैम्पियनशिप (8) राष्ट्रीय बैडमिन्टन चैम्पियन (पुरुष) (9) विश्व हैवी वेट चैम्पियन शिप (10) संतोष ट्रॉफी

उ.—(1) इटली (2) अमेरिका (3) उत्तरी क्षेत्र (4) पंजाब (5) जिमी कोनर्स (6) चीन (7) अनातोली कार्पोव (8) सैयद मोदी (9) लैरी होम्स (10) प. बंगाल

प्र. 11 (ग)—निम्नलिखित चर्चित व्यक्ति किस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं?

(1) फादर कामिल बुल्के (2) डा. मनमोहन सिंह (3) मीरा बहन (4) सोफिया लारेन (5) रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी' (6) नूरजहां (7) सालिम अली (8) रॉजर मूर (9) पेब्लो पिकासो (10) रिचर्ड एटिनबरो (11) जोश मलीहाबादी (12) आर के. त्रिवेदी (13) युसुफ हसीन (14) शाह फाहद (15) एरियल शेरोन (16) रोसी

उ.—(1) हिन्दी भाषा साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान (2) प्रख्यात अर्थमैस्त्री व रिजर्व बैंक के गवर्नर (3) प्रख्यात गान्धीवादी सामाजिक कार्यकर्त्री (4) विश्व प्रख्यात इतालवी अभिनेत्री (5) उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि व शायर (6) प्रख्यात पाकिस्तानी गायिका (7) विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ (8) सुप्रसिद्ध ब्रितानी अभिनेता (9) विश्व विख्यात चित्रकार (10) प्रख्यात ब्रितानी अभिनेता-निर्देशक (11) सुप्रसिद्ध पाकिस्तानी उर्दू शायर (12) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (13) भारत में भू. पू. इस्रायली वाणिज्य दूत (14) सऊदी अरब के नरेश (15) इस्रायली रक्षामन्त्री (16) इतालवी फुटबाल खिलाड़ी। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य विज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र (2)

(GENERAL SCIENCE)

खण्ड 'अ' (Section 'A')

1—निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए।

(i) हाइड्रोजन परमाणु एक ········ तथा ·········· से मिलकर बनता है।

(ii) प्रकाश की किरणें, एक्स किरणों की भांति, तथा········ प्रकृति में ········ होती हैं।

(iii) सूर्य के प्रकाश का ·········· द्वारा ········ होने से आकाश नीला प्रतीत होता है।

(iv) यदि किसी प्रतिक्रिया में कुल द्रव्यमान m समाप्त होता है तथा कुल ऊर्जा E प्राप्त होती है तो m तथा E में सम्बन्ध ·············· होता है। इस सम्बन्ध को सर्वप्रथम ················ ने प्रतिपादित किया था।

(v) कैथोड किरणें सर्वप्रथम ··········· द्वारा खोजी गई थीं। यह गतिशील ·········· की बनी होती हैं।

(vi) ······ ······ की घटना के कारण द्रव की बूंदों की शक्ल ······ हो जाती है।

(vii) ·········· ने एक्स किरणों की खोज की थी।

2. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।

(i) एक्स किरणों के मुख्य उपयोग (ii) स्फुरदीप्ति (iii) फ्रौनहाफर रेखायें (iv) शुद्ध स्पेक्ट्रम

3. निम्न युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(i) विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा (ii) वाष्पन और क्वथन (iii) भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन

4 निम्न वैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश डालिए।

(i) चीनी मिट्टी के प्याले की अपेक्षा धातु के प्याले से चाय पीना अधिक कठिन है।

(ii) कुटी हुई बर्फ को दबाने से गोले के रूप में हो जाती है।

(iii) नदी की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना अधिक आसान है।

(iv) सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है।

5. निम्न के प्रसिद्धि का कारण बताइए।

(i) सर जे. सी. बसु (ii) सर सी. बी. रामन् (iii) सर पी. सी. राय (iv) माईकेल फैराडे (v) मेंडल (vi) हेनरी केवेन्डिश (vii) लुई पाश्चर

उत्तरमाला

खंड 'अ' (Section 'A')

(i) हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है।

(ii) प्रकाश की किरणें, एक्स किरणों की भांति, तथा गामा किरणें प्रकृति मे एक जेसी होती हैं।

(iii) सूर्य के प्रकाश का वायु के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन (Scattering) होने से आकाश नीला प्रतीत होता है।

(iv) यदि किसी प्रतिक्रिया में कुल द्रव्यमान m समाप्त होता है तथा कुल ऊर्जा E प्राप्त होती है तो m तथा E में सम्बन्ध $E = mC^2$ होता है। इस सम्बन्ध को सर्वप्रथम अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने प्रतिपादित किया था।

(v) कैथोड किरणें सर्वप्रथम सर विलियम क्रुक्स द्वारा खोजी गई थीं। ये गतिशील इलेक्ट्रानों की बनी होती हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(vi) पृष्ठ तनाव (Surface Tension) की घटना के कारण द्रव की बूंदों की शक्ल गोल हो जाती है।

(vii) विलियम कोनरॉड रून्टगेन ने एक्स किरणों की खोज की थी।

2. (i) एक्स किरणों के मुख्य उपयोग—एक्स किरणों के निम्न क्षेत्रों में मुख्य उपयोग हैं।

(अ) शल्य चिकित्सा (Surgery)—आपरेशन करने से पूर्व X-ray फोटोग्राफ लिया जाता है, जिससे हड्डी टूटने, गोली लगने, पथरी बनने की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हड्डी के जुड़ने की भी स्थिति का अध्ययन इसी विधि से किया जाता है।

(ब) इंजीनियरिंग (Engineering)—इन किरणों की सहायता से भवनों या पुलों में लगे हुए लोहे के तहतीरों (girders) के आंतरिक दोषों जैसे दरारों, वायु के बुलबुलों आदि का पता लगाते हैं।

(स) खोज विभाग (Detective department)—इन किरणों की सहायता से कस्टम अधिकारी बक्सों में, कपड़ों में छिपे हुए धातु के सामान, जेवर या शरीर में छिपा कर लाये हुए इस प्रकार के सामान का पता लगा लेते हैं। इन्हीं से विस्फोटक पदार्थों, अफीम आदि का पता लगाया जाता है। पुलिस के चंगुल से बचने के लिये चोर-बदमाश कभी-कभी धातु के आभूषण इत्यादि निगल जाते हैं जिनका पता इन्हीं किरणों की सहायता से लगा लिया जाता है।

(द) औद्योगिकी (Industry)—एक्स किरण की भेदन क्षमता के गुण से कृत्रिम तथा वास्तविक हीरों में पता लगाया जाता है। सीप (Oyster) में मोती पड़ा है या नहीं, इसका भी पता इन्हीं किरणों से लगाया जा सकता है।

(य) कला (Art)—पुरानी पेंटिंग में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए X किरणों का उपयोग किया जाता है।

(र) एक्स-किरण चिकित्सा (Radio-therapy)—अनेक चर्म रोगों तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों में एक्स किरणों की बौछार लाभदायक पायी गई है।

(ल) वैज्ञानिक गवेषणा (Scientific Research)—अणुओं, परमाणुओं तथा क्रिस्टलों के संगठन का अध्ययन इनकी मदद से किया जाता है।

(ii) स्फुर दीप्ति (Phosphorescence)—स्फुर दीप्ति वह घटना है जिसमें कुछ पदार्थ प्रकाश डाले जाने के बाद कुछ समय तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। कैलसियम, बेरियम, स्ट्रांशियम के सल्फाइड इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। यह पदार्थ दिन के प्रकाश से प्रभावित होकर रात में चमकते रहते हैं।

स्फुर दीप्ति में उत्तेजक प्रकाश (Exciting light) के बन्द होने के पश्चात भी पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। उत्तेजक पदार्थ की समाप्ति के पश्चात् प्रकाश के उत्सर्जन का समय पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है तथा भिन्न-भिन्न पदार्थों के लिए इसमें काफी अंतर होता है।

घड़ियों के डायल पर एक स्फुरदीप्ति पदार्थ (जिंक सल्फाइड) पोत दिया जाता है। वह दिन के प्रकाश के प्रभाव के कारण रात में भी चमकने लगता है।

(iii) फ्रौन हाफर रेखाएँ (Fraunhoffer Lines)—सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखने पर इसके विभिन्न भागों में अनेक काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इन रेखाओं को सर्वप्रथम वौलस्टन (Wollaston) ने 1802 में देखा था। सन् 1814 में इन रेखाओं का व्यवस्थित अध्ययन वान फ्रौनहाफर ने किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह रेखाएँ फ़ौन हाफर रेखाएं कहलाती हैं।

कुल मिलाकर फ्रौन हाफर ने 576 काली रेखाएँ देखीं। प्रमुख रेखाओं की पहचान के लिए फ्रौन हाफर ने एक सिरे से प्रारम्भ करके इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किए। इस प्रकार A,B,C रेखाएँ लाल क्षेत्र में, D पीले क्षेत्र में, E हरे क्षेत्र में, F आसमानी क्षेत्र में और इसके पश्चात नीले और बैंगनी क्षेत्र में G H K रेखाएँ पायी जाती हैं।

आजकल प्रेक्षित फ़ौनहाफर रेखाओं की संख्या

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

लगभग 2000 है। इन रेखाओं के अध्ययन से सूर्य Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri का संगठन ज्ञात किया जाता है। सूर्य के वायुमण्डल में वह तत्व वाष्प रूप में आवश्य होने चाहिए, जिनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं से फ्रौनहाफर रेखाएँ मिलती हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम, आक्सीजन, सोडियम, कैल्सियम आदि तत्वों के वाष्प रूप में विद्यमान होने की घोषणा की है।

(iv) शुद्ध स्पेक्ट्रम (Pure Spectrum)—श्वेत प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से गुजारने पर अपने सात अवयव रंगों (बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल) में विभाजित हो जाती है। व्यवहारिक रूप में प्रकाश की एक ही किरण को पृथक नहीं कर सकते, बल्कि एक पतला किरण पुंज लेना पड़ता है, जिसकी प्रत्येक किरण प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् स्वतंत्र रूप से अपना स्पेक्ट्रम बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इनके अवयव रंग आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार केवल बिल्कुल सिरे के लाल और बैंगनी रंग को छोड़कर सभी रंगों में मिलावट आ जाती है इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहते हैं। वह स्पेक्ट्रम जिसके अवयव रंग आपस में नहीं मिलते और पृथक-पृथक स्थानों पर होते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है।

3. विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा (Specific heat and Latent Heat)—किसी पदार्थ की 1 ग्राम संहति का ताप 1^{0} से. ग्रे. बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ की 1 ग्राम संहति की, उसके गलनांक या क्वथनांक पर बिना ताप बदले उसकी अवस्था परिवर्तित कर दे।

जब वस्तु का ताप परिवर्तित हो रहा होता है तो विशिष्ट ऊष्मा गणना में आती है तथा वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा से उसका ताप बढ़ता है जैसाकि वस्तु के संपर्क में रखे थर्मामीटर द्वारा देखा जा सकता है।

लेकिन जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है अर्थात् जब वह ठोस से द्रव या द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है तो गणना में गुप्त ऊष्मा प्रयुक्त होती है। इस घटना में दी गयी ऊष्मा वस्तु की अवस्था परिवर्तित करने में व्यय हो जाती है और ताप स्थिर रहता है।

(ii) वाष्पन तथा क्वथन (Evaporation and Boiling)—

वाष्पन	क्वथन
1. वाष्पन की क्रिया में बाहर से कोई ऊष्मा नहीं देनी पड़ती।	1. इसमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है।
2. यह क्रिया बहुत धीरे-2 होती है तथा इसमें अधिक समय लगता है।	2. यह क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है तथा इसमें समय कम लगता है।
3. वाष्पन की क्रिया में सम्पूर्ण द्रव नहीं खोलता अर्थात् यह सतह पर होती है।	3. क्वथन की क्रिया में संपूर्ण द्रव खोलने लगता है तथा पूरे द्रव पर इसका असर पड़ता है।
4. वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है।	4. क्वथन क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है।
5. इस क्रिया में द्रव स्वयं से या आस-पास के वातावरण से ऊष्मा लेता है।	5. इसमें द्रव को बाहर से (जैसे-बर्नर, स्प्रिट लैंप) आदि से ऊष्मा देनी पड़ती है।

(iii) भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical changes)—

भौतिक परिवर्तन	रासायनिक परिवर्तन
1. इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के गुण, रंग, रूप बदल जाते हैं।	1. इसमें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं।
2. इसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती अर्थात् यह परिवर्तन अस्थायी होता है।	2. इसमें कोई न कोई नयी वस्तु बनती है तथा यह परिवर्तन स्थायी होता है।
3. इस परिवर्तन के होने के बाद पदार्थ को भौतिक	3. इस परिवर्तन के पश्चात हम वस्तु को प्राप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

रीतियों (जैसे छानकर, बीनकर) से दूर कर सकते हैं। | नहीं कर सकते।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

4 पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता तथा परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारम्भिक अवस्था में आ जाती है। | 4. इससे पदार्थ का भार घट या बढ़ जाता है तथा परिवर्तन का कारण हटा लेने पर भी अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता।

5. इसमें न ऊष्मा ली जाती है और न दी जाती है। | 5. इसमें ऊष्मा का शोषण होता है अथवा निकलती है।

4. वैज्ञानिक कारण—

(i) धातुएं साधारणतया ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा उनमें ऊष्मा का प्रसार बड़ी शीघ्रता से होता जिससे सर्वत्र उनका ताप एक सा हो जाता है। इसके विपरीत चीनी मिट्टी ऊष्मा की बड़ी कुचालक होती है। इसके अन्दर एक भाग से दूसरे भाग को ऊष्मा का सचार सुगमता से नहीं होता।

धातु के प्याले में चाय रखने से प्याले का संपूर्ण भाग शीघ्र ही चाय के ताप पर आ जाता है इसलिए जब हम इस प्याले से चाय पीने का प्रयत्न करते हैं तब हमारे ओंठ जलने लगते हैं। इसके विपरीत ताप का कुचालक होने के कारण मिट्टी के प्याले में पीने से होंठ नहीं जलता।

(ii) बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाकर छोड़ देने से वह जुड़ जाते हैं। यह घटना पुनर्हिमायन (Regelation) के कारण होती है—जिसके अनुसार दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। जब बर्फ के टुकड़ों को दबाया जाता है तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है अर्थात् O^0 से. ग्रे. से नीचे ही कुछ बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। यदि इस समय दाब हटा दिया जाय तो यह पानी जम जाता है—क्योंकि ताप O^0C है अतः सब टुकड़े मिलकर बर्फ के ठोस रूप में आ जाते हैं।

(iii) प्लवन (Floating) के सिद्धांत के अनुसार विस्थापित द्रव का भार प्लवन करने वाली वस्तु के बराबर होता है। तैरने में हम अपने शारीरिक अंगों को चलाकर काफी प्रतिक्रिया ऊपर की दिशा में उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा शरीर तैरता रह सके। चूंकि नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल अधिक भारी होता है, अतः शरीर का डूबा हुआ भाग समुद्री जल में अधिक उछाल (upthrust) अनुभव करेगा। इसीलिए समुद्री जल में तैरना नदी जल में तैरने की अपेक्षा अधिक सरल है।

(iv) उदय और अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering of Light) के कारण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय इससे आने वाले प्रकाश को तिरछे रूप में चलने के कारण वायुमंडल की अधिक लम्बाई पार करनी पड़ती है—जिससे प्रकीर्णन अधिक होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कम तरंग दैर्घ्य (Wave Length) वाली बैंगनी तथा नीली किरणें प्रकीर्णन द्वारा अगल-बगल (Sides) को चली जाती हैं। अधिक तरंग दर्घ्य वाली लाल किरणों का प्रकीर्णन कम होता है तथा वही प्रेक्षक (Obserber) तक पहुंच पाती हैं। अतः उदय तथा अस्त होता हुआ सूर्य (और उसके आस-पास का आसमान) लाल दिखायी देता है।

4. सर जे. सी. बसु—भारतीय वनस्पति शास्त्री आचार्य जगदीश चन्द्र बसु ने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों के आधार पर यह तथ्य संसार के सामने रखा कि पौधों में भी जीवन होता है। उन्होंने स्वआविष्कृत यंत्र 'क्रेस्को ग्राफ' की मदद से पौधों की अनुक्रिया (Responce) नोट किया।

(ii) सर. सी. वी रामन्—चंद्र शेखर वेंकट रामन् का महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रकाश सम्बन्धी है। उन्होंने प्रकाश के रंगों के फैलने की प्रकृति पर कार्य किया, जो 'रामन प्रभाव' (Raman's effect) नाम से विख्यात है। इसी कार्य पर 1930 का उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था।

(ii) सर. पी सी. राय—आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय प्रख्यात रसायनज्ञ थे। 'बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल वर्क्स' जैसा औद्योगिक प्रतिष्ठान देश को उन्हीं की देन है। प्राचीन भारत की रसायन सम्बन्धी मौलिक शोधों का जिक्र आपने अपने ग्रं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री' (हिन्दू रसायन का इतिहास) में किया जिसकी विश्व भर में चर्चा हुई। उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों में पारे के नाइट्रेट (मरक्यूरस नाइट्रेट) सम्बन्धी खोज बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व इस यौगिक को बनाने में किसी वैज्ञानिक ने सफलता नहीं अर्जित की थी।

(iv) माइकेल फैराडे—फैराडे का महत्वपूर्ण कार्य था—विद्युत और चुम्बकत्व पर। डायनेमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर उन्होंने 'विद्युत चुम्बकीय प्रेरण' से बिजली पैदा करने की सस्ती एवं उपयोगी विधि ज्ञात की। फैराडे ने चुम्बक से बिजली उत्पन्न करने की युक्ति खोज निकाली जिसे विज्ञान की भाषा में 'विद्युत चुम्बकीय प्रेरण' (Electromagnetic induction) कहते हैं।

(v) मेंडल—ग्रेगर मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकता (एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के प्रवाह) का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। अतः आज वे 'आनुवंशिकी के जनक' (Father of Genetics) के रूप में जाने जाते हैं।

(vi) हेनरी केवेन्डिश—हाइड्रोजन के आविष्कार के लिए केवेन्डिश प्रख्यात हैं। कृत्रिम रूप से निर्माण के बाद हाइड्रोजन गुब्बारों में भरी जाने लगी क्योंकि ज्ञात तत्वों में वह सबसे हल्का तत्व है।

(vii) लुई पाश्चर—पाश्चर 'जीवाणु विज्ञान' (Bacteriology) के जनक कहे जाते हैं। वस्तुतः इन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना की थी कि जीवाणु रोगों को फैलाते हैं। उन्होंने एन्थ्रेक्स (फिल्टी बनना), गैंग्रीन (चमड़ी गलना), खून में जहर फैलना, प्रसव ज्वर आदि का अध्ययन किया और इनके जीवाणुओं से मुक्ति पाने की युक्ति भी चिकित्सा विज्ञान को दी।

खंड 'ब' (Section B)

1. निम्नलिखित वैज्ञानिकों/आविष्कारकों के कार्यों पर प्रकाश डालिए।
   (i) एडवर्ड जेनर (ii) अल्बर्ट आइन्स्टाइन (iii) अल्फ्रेड नोबेल (iv) विलियम हार्वे (v) जोजेफ प्रीस्टले
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
   (i) जैसे-जैसे हम भूतल से नीचे जाते हैं ताप………………।
   (ii) चलती गाड़ी में खड़ा हुआ यात्री…………की ओर गिर पड़ता है, अचानक ट्रेन के रुक जाने पर।
   (iii) पेंडुलम की लम्बाई जितनी अधिक होती है, उसका दोलन काल (Time of oscillation) उतना ही……होता है।
   (iv) क्लिनिकल थर्मामीटर से……में ताप पढ़ते हैं।
   (v) दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति (Long sighted person) …………लैंस का प्रयोग करता है।
   (vi) जब विद्युत धारा में प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है तो…………उत्पन्न होती है।
   (vii) हाइग्रोमीटर वायु की…………नापता है।
3. निम्न वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या कीजिए।
   (i) रेल की पटरियों के मिलने के स्थान पर कुछ जगह छूटी रहती है।
   (ii) गर्म कांच की चिमनी पर ठंडा पानी डालने से वह चटक जाती है।
   (iii) ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं।
   (iv) घास हरी दिखाई पड़ती है।
   (v) पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, फिर उसकी कड़क सुनाई पड़ती है।
4. निम्न पोषक तत्वों के उपयोग एवं उपस्थिति पर प्रकाश डालिए।
   (i) प्रोटीन (ii) वसा (iii) लवण (iv) जल
5. निम्न संस्थान/प्रयोग शालाएँ कहां-कहां स्थित हैं?
   (i) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory, NPL)
   (ii) भौतिक अनुसंधानशाला (Physical Research Laboratory, PRL)
   (iii) औद्योगिक विष अनुसंधान केन्द्र (Industrial & taxological Research Centre)
   (iv) राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute, NBRI)
   (v) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India, BSI)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(खण्ड 'स') [Section 'C']

1.—(i) एडवर्ड जेनर—चेचक के टीके (Vaccine) की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को है।

(ii) अल्बर्ट आइन्स्टाइन—1905 में आइन्स्टाइन ने 'प्रकाश वैद्युत प्रभाव' (Photo-electric effect) सम्बन्धी नियम की स्थापना की जिसपर 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।

लेकिन आइन्स्टाइन अपने 'सापेक्षता सिद्धान्त' (Principle or the theory of Relativity) के लिए विश्वविख्यात हैं। उन्होंने अपने 'द्रव्यमान ऊर्जा सम्बन्ध' (Mass energy relation, $E=mC^2$) द्वारा बताया कि 'द्रव्य' और 'ऊर्जा' एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। इसके मूल में परमाणु बम का रहस्य छिपा था जो चालीस साल बाद प्रत्यक्ष घटा जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों—हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया। हांलाकि आइन्स्टाइन ने सैद्धान्तिक बात कही थी, वे इसकी सफलता का अपने जीवन काल तक में आशा नहीं करते थे।

(iii) अल्फ्रेड नोबेल—शांति की स्थापना एवं ज्ञान-विज्ञान के व्यापक प्रचार-प्रसार में अपने जीवन की सारी पूंजी को विरासत के रूप में छोड़ जाने वाले नोबेल, जिनके नाम पर आज दुनिया भर में विश्रुत 'नोबेल पुरस्कार' दिया जाता हैं, ने विस्फोटक पदार्थ डाइनामाइट का अविष्कार किया था। इसे मात्र संयोग ही कहा जाना चाहिये।

(iv) विलियम हार्वे—हार्वे ने सर्वप्रथम शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया का अध्ययन किया। कई बार परीक्षण करके उन्होंने रक्त के संचार (Blood circulation) का सही चित्र उपस्थित किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि रक्त हृदय से निकलकर, धमनियों (artries) के मार्ग से प्रवृत्त होता हुआ और शिराओं (veins) के मार्ग से प्रत्यावृत्त होकर फिर से हृदय (heart) में ही वापस आता है।

(v) जोजेफ प्रीस्टले—जोजेफ प्रीस्टले को जब पानी में कार्बन डाइकाक्साइड मिलाकर एक नया पेय आविष्कृत करने के लिए स्वर्ण पदक मिला तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार उसने सोडा वाटर जैसे नए उद्योग को जन्म दे दिया है। किन्तु प्रीस्टले को हम विज्ञान का दिग्गज मानते हैं—इसलिए नहीं कि उसने सोडा वाटर का आविष्कार किया। अपितु इसलिए कि उसने आक्सीजन का आविष्कार किया।

2—(i) जैसे-जैसे हम भूतल से नीचे जाते हैं ताप बढ़ता जाता है।

(ii) चलती गाड़ी में खड़ा हुआ यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है, अचानक ट्रेन के रूक जाने पर।

(iii) पेंडुलम की लम्बाई जितनी अधिक होती है उसका दोलन काल उतना ही अधिक होता है।

(iv) क्लिनिकल थर्मामीटर से फारेन हाइट में ताप पढ़ते हैं।

(v) दूर दृष्टि दोष-युक्त व्यक्ति—उत्तल लेंस (Convex lens) का प्रयोग करता है।

(vi) जब विद्युत धारा (electric current) में प्रतिरोध (resistence) किया जाता है, तो ऊष्मा (heat) उत्पन्न होती है।

(vii) हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता (humidity) नापता है।

3—वैज्ञानिक कारण—

(i) गर्मियों में ताप बढ़ने पर रेल की पटरियों की लम्बाई में प्रसार होता है। अतः यदि पटरियों के मिलने के स्थान पर कुछ जगह नहीं छोड़ी जाती है, तो गर्मियों में पटरियां टेढ़ी पड़कर उखड़ सकती हैं अथवा टेढ़ी पटरियों पर चलने से गाड़ी उलट सकती है।

(ii) गरम होने के कारण कांच की चिमनी का प्रसार हो जाता है। जब उसपर किसी स्थान पर ठण्डा पानी पड़ता है तो उस स्थान से वह गर्मी ले लेता है और ठण्डा होने से वहां कांच सिकुड़ जाता है। कांच चूंकि ताप का सुचालक है, अतः अन्य स्थानों से गर्मी वहां नहीं आ जाती है। इसलिए वह स्थान सिकुड़ता है और अन्य भाग जैसे के तैसे बने रहते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हैं जिससे चिमनी वहाँ चटक जाती है।

(iii) पानी का घनत्व $4^{o}C$ पर सबसे अधिक होता है। ठण्डे देशों में जाड़ों में हवा का ताप $0^{o}C$ या उससे भी कम हो जाता है और तालाब की ऊपरी सतह जमकर बर्फ बन जाती है। पहले सतह का पानी ठण्डा होने से घनत्व बढ़ता है और यह भारी होकर नीचे बैठता रहता है और नीचे का हल्का पानी ऊपर आता है। यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि सारे तालाब के पानी का ताप $4^{o}C$ तक नहीं गिर जाता है। जब सतह के पानी का ताप $4^{o}C$ से नीचे गिरने लगता है तो इसका घनत्व $4^{o}C$ के पानी की अपेक्षा कम होता जाता है और यह नीचे न जाकर पानी की सतह पर $0^{o}C$ तक ठण्डा होकर बर्फ बनकर जम जाता है परन्तु इसके नीचे तालाब का पानी $4^{o}C$ पर द्रव अवस्था में रहता है। सतह की बर्फ की पर्त के नीचे $4^{o}C$ के पानी में मछलियां जीवित रहती हैं जो पानी में घुली हवा से सांस लेती हैं।

(iv) सूर्य के प्रकाश में जब वस्तुओं को देखा जाता है तो वे भिन्न-भिन्न रंगों की दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के तौर घास के ही रंग को लीजिए जो हरा दिखाई पड़ता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश (जो कई रंगों का मिश्रण है), घास पर पड़ता है, तो वह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों का शोषण कर लेती है। और केवल हरे रंग को परावर्तित कर देती है। इस कारण आंख पर केवल हरा रंग पहुँचता है और आंख घास को हरे रंग का देखती है।

(v) यह इसलिए कि प्रकाश का वेग ध्वनि से बहुत ही अधिक है। प्रकाश 1 सेकेण्ड में 30,00,00,000 मीटर चलता है जबकि ध्वनि लगभग 330 मीटर ही चलती है। अतः प्रकाश की गति तीव्र होने के कारण वह पृथ्वी तक आने में नहीं के बराबर समय लेता है जब कि ध्वनि की गति प्रकाश की अपेक्षा कम होने से पृथ्वी तक आने में समय अधिक लगता है। इसलिए पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती पड़ती है और कड़क बाद में सुनाई पड़ती है।

4—प्रोटीन (Proteins)—भोजन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन के बिना जीव द्रव्य का निर्माण होना संभव नहीं है, इसलिए बढ़ते हुए शिशुओं को, उनकी माताओं तथा बालकों एवं कमजोर व्यक्तियों को इसकी बहुत आवश्यकता रहती है। वयस्क लोगों में प्रोटीन केवल टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत मात्र करता है, इसलिए उनके आहार में इसकी अधिकता की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रोटीनें दो प्रकार की होती हैं—

(अ) जन्तु प्रोटीन—ये हमें दूध, मांस, मछली, अण्डों आदि से मिलती हैं। दूध में मिलने वाली प्रोटीन को केसीन तथा अण्डे की प्रोटीन को एल्ब्यूमेन कहते हैं। ये प्रथम श्रेणी के प्रोटीन हैं क्योंकि इनका अधिकांश भाग पचकर शोषित कर लिया जाता है।

(ब) वनस्पति प्रोटीन—ये हमें गेहूं, जौ, , मक्का तथा विभिन्न प्रकार की दालों में मिलती हैं। यह द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन है क्योंकि इनका कम अंश अवशोषित होता है।

(ii) वसा (Fats)—वसा या चर्बी ग्लिसरॉल (glycerol) तथा वसा अम्ल (fatty acids) से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन की भाँति वसा भी दो प्रकार की होती है।

(अ) प्रथम श्रेणी की वसा जो जन्तुओं से प्राप्त होती है तथा इसका अधिकतम भाग शोषित हो जाता है जैसे मक्खन, घी, पनीर, मछली का तेल तथा पशुओं की चर्बी। इनमें विटामिन A, D तथा E पाये जाते हैं।

(ब) द्वितीय श्रेणी की वसाएं जो मूगफली, सरसों, तिल, नारियल तथा सूखे मेवों से मिलती हैं। इन वसाओं का कुछ अंश ही शोषित होता है।

(iii) (Salts) —लवण शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। फिर भी इनकी उपस्थित अनिवार्य है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, आयोडीन, सल्फर आदि तत्वों के लवण जन्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं।

ये जीव द्रव्य (protoplams) में उपस्थित रह कर परासरणीय दाब (osmostic pressure) को

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बनाए रखने में सहायता करते हैं। शरीर में अम्ल क्षार का सन्तुलन बनाए रखते हैं। सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम के आयन हृदय स्पंदन को चालू रखते हैं। कैल्शियम के लवण संवेदनशीलता बनाए रखने में आवश्यक होते हैं तथा रक्त के जलने में भी सहायता करते हैं।

रचनात्मक घटकों के रूप में ये लवण हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कड़ापन प्रदान करते हैं जैसे कैल्सियम और फास्फोरस।

(iv) जल (Water)—जीव द्रव्य का अनिवार्य घटक होता है—क्योंकि यह उसमें लगभग 90% रहता है। प्राणियों में जल निम्न कार्य करता है।

(अ) भोजन के अवयवों में परिवहन में सहायता करता है (ब) हार्मोन तथा अन्य स्रावित पदार्थों को स्राव स्थान से अन्य स्थानों को ले जाता है। (स) उत्सर्जी पदार्थों को निर्माण स्थान से उत्सर्जी अंगों में पहुँचाता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जल के बिना जीवन असंभव है क्योंकि कोई भी कोशिका जल के अभाव में कार्य करने में सक्षम नहीं है।

5. (i) नई दिल्ली (ii) अहमदाबाद (iii) लखनऊ (iv) लखनऊ (v) हावड़ा।

खण्ड 'स' [Section 'C']

1—निम्न तथ्यों की व्याख्या कीजिए —

(i) कैसे सिद्ध कीजिएगा कि हवा दाब डालती है।

(ii) बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे में क्यों रखा जाता है।

(iii) जब किसी द्रव को छिड़का (sprayed) जाता है, तो वह ठंडा हो जाता है।

(iv) चाय की केतली के ढक्कन में छेद होता है।

(v) पानी के जार में हवा का बुलबुला कभी-कभी तेजी से चमकता है।

2—रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

(i) धातु........ आक्साइड बनाते हैं।
(अम्लीय, क्षारीय, उदासीन)

(ii) न्यूट्रान कण का द्रव्यमान........होता है।
(शून्य, अधिकतम, न्यूनतम)

(iii) उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया की दर को........ कर देते हैं।
(परिवर्तित, तेज, धीमा)

(iv) फिनाफ्थलीन गुलाबी हो जाता है जब विलयन ....होता है।
(अम्लीय, क्षारीय, उदासीन)

(v) अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, तो उस घटना को........कहते हैं।
(आक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण)

(vi) रेडियो तरंगों का वेग प्रकाश वेग के........ होता है।
(अधिक, कम, बराबर)

3—निम्न में भिन्नता प्रदर्शित कीजिए।

(i) तत्व, यौगिक, मिश्रण (ii) अणु, परमाणु (iii) प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन (iv) समस्थानिक और समभारी

4—निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।

(i) रेडियो एक्टिवता (ii) परमाणु संख्या (iii) अपर रूपता (iv) इन्द्र धनुष (v) लैक्टोमीटर

5—(i) बैरोमीटर में पारा ही क्यों भरते हैं?

(ii) यदि बैरोमीटर के निर्वात में हवा पहुँचायें, तो क्या होगा?

(iii) बैरोमीटर के निर्वात् स्थान में जल या एल्कोहल की कुछ बूंदे पहुँचा दें, तो क्या होगा।

(iv) बैरोमीटर को पहाड़ पर ले जाने से उसका पाठ कम हो जाता है।

(v) जब बैरोमीटर में पारा गिरता है, तो यह तूफान आने की सूचना देता है।

उत्तरमाला

खंड 'स' (Section 'C')

1. (i) इस बात को सिद्ध करने लिए पहले टीन का डिब्बा लेते हैं जिसका मुंह छोटा हो। पीपे में थोड़ा पानी भर कर उसे लौ पर रखकर खौलाते हैं। थोड़ा खौल जाने पर पीपे का मुंह कार्क से बंद कर देते हैं और लौ बुझा देते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पीपा पिचक जाता है।

इसका कारण यह कि जब पीपे का जल खौला

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया तो उसकी कुल हवा बाहर निकल गई और पीपा भाप से भर गया। पीपे को ठंडा करने से भाप जल में बदल गई और पीपे के अन्दर लगभग निर्वात् (vaccum) उत्पन्न हो गया। अतः वायु दाब कम हो गया जिससे बाहरी हवा के अधिक दाब के कारण पीपा पिचक जाता है।

(ii) बर्फ को पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह ताप उसे आस-पास की हवा से प्राप्त होता है। जब बर्फ को बुरादे से ढ़क देते हैं, जो ऊष्मा का कुचालक है, तो हवा की ऊष्मा बर्फ तक बुरादे से होकर नहीं पहुंच पाती और बर्फ पिघल नहीं पाती। अतः बर्फ को बुरादे से ढ़क कर रखा जाता है।

(iii) किसी द्रव के छिड़काव की विधि में द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले संसजन बलों (cohesive forces) के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा द्रव से ही ले ली जाती है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि इस विधि में द्रव के तल का क्षेत्रफल (surface area) बढ़ जाता है। द्रव तल से होने वाला वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अतः द्रव का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। इसके लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा द्रव से ही ली जाती है। इसीलिए छिड़काव (spraying) करने में द्रव ठंडा हो जाता है।

(iv) चाय की केतली के ढ़क्कन में छेद होता है। इसके द्वारा केतली के अंदर का दाब बाह्य वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है। मान लीजिए कि केतली चाय से पूरी भरी हुई है, आंशिक रूप से खाली करने पर उसके अंदर का दाब टोंटी के बाहर विद्यमान दाब से काफी कम होता, यदि ढ़क्कन में यह छेद नहीं होता। इस दशा में चाय को बाहर आने में दिक्कत होती। छेद के कारण अंदर का दाब सदैव बाह्य दाब के बराबर रहता है अतः इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो पाती।

(v) पानी के जार में हवा का बुलबुला कभी-कभी तेजी से चमकता है। यह प्रकाश के पूर्ण आन्तरिक परावर्तन (Total internal reflection) के कारण होता है। जब प्रकाश का पानी से बुलबुले की हवा में अपवर्तन (refraction) होता है तो उसकी किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। इसके अतिरिक्त यदि बुलबुले पर प्रकाश के आपतन का कोण पानी-वायु माध्यम के क्रांतिक कोण (Critical Angle) से अधिक हो तो प्रकाश का पूर्ण आतंरिक परावर्तन हो जाता है तथा बुलबुले की सतह से प्रकाश की पूरी मात्रा वापस परावर्तित हो जाती है। अतः बुलबुला तेजी से चमकता प्रतीत होता है।

2—(i) धातु क्षारीय (Basic) आक्साइड बनाते हैं।

(ii) न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान शून्य होता है।

(iii) उत्प्रेरक (Catalyst) रासायनिक क्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं।

(iv) फिनाफ्थलीन गुलाबी हो जाता है जब विलयन क्षारीय (alkaline) होता है।

(v) अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, तो उस घटना को उदासीनीकरण (Neutralisation) कहते हैं।

(iv) रेडियो तरंगों का वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है।

5—(i) (अ) तत्व (Element)—वह पदार्थ जो केवल एक ही पदार्थ से बना होता है, जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अथवा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो भिन्न पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता, तत्व कहलाता है जैसे—पारा, आक्सीजन, कार्बन आदि।

(ब) यौगिक (Compound)—वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं तथा जो समांगी (homogenous) होते हैं और जिनको भौतिक रीतियों द्वारा अवयवी मूलतत्वों में फिर विभाजित नहीं किया जा सकता, यौगिक कहलाते हैं। यह एक नया पदार्थ है—और इसके गुण मूल तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं जैसे पानी, शोरा।

(स) मिश्रण (Mixture)—वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

— में मिलने, बिना रासायनिक क्रिया के प्राप्त होते हैं, तथा विसमांगी (hetrogenous) होते हैं और जिनको भौतिक रीतियों द्वारा आसानी से अपने अवयवी मूल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, मिश्रण कहलाते हैं।

मिश्रण नया पदार्थ नहीं होता। इसमें उपादानों के गुण मौजूद रहते हैं। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, गंधक व लोहे का पिसा हुआ चूर्ण।

(ii) (अ) अणु (Molecule)—किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जिनमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान हों और जो स्वतंत्र अवस्था में ठहर सके किन्तु रासायनिक क्रिया में भाग न ले सके, उस तत्व या यौगिक का अणु कहलाता है।

(ब) परमाणु (Atom)—किसी तत्व का छोटा से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सब गुण विद्यमान हों और जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके किन्तु स्वतंत्र अवस्था में ठहर न सके, उस तत्व का परमाणु कहलाता है।

(iii) (स) प्रोटॉन (Proton) वह कण जो परमाणु के केन्द्रक का निर्माण करते हैं और धनावेषित (poisitively charged) होते हैं।

(ब) न्यूट्रॉन (Neutron)—वह कण जो प्रोटॉन के साथ ही केन्द्रक में रहते हैं पर उदासीन (neutral) होते हैं।

(स) इलेक्ट्रॉन (Electron)—परमाणु के केन्द्रक (nucleus) के चारों ओर बहुत सी कक्षाएं (orbits) होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कण चक्कर लगाते रहते हैं और ये ऋणावेषित (negatively charged) होते हैं।

(iv) (अ) समस्थानिक (Isotopes)—किसी तत्व के दो या दो अधिक ऐसे परमाणु हो सकते हैं, जिनके परमाणु भार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं किन्तु उनके रासायनिक गुण समान हों, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं—जिनके परमाणु भार क्रमशः 1, 2, 3 हैं। इन्हें क्रमशः हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम कहते हैं। तीनों में प्रोटानों की संख्या एक-एक होती है पर न्यूट्रानों की संख्या में भिन्नता होती है। पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे में एक न्यूट्रॉन तथा तीसरे में दो न्यूट्रॉन होते हैं। अतः ऐसे तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, केवल परमाणुभार भिन्न होते हैं।

(ब) समभारी (Isobores)—भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु भार (atomic weight) समान हो सकते हैं (पर निश्चय ही उनके परमाणु क्रमांक (atomic number) भिन्न होंगे), लेकिन उनके गुण भिन्न होते हैं, तब इस प्रकार के परमाणुओं को समभारी कहते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम और आर्गन के परमाणु भार 40 हैं (और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है) किन्तु दोनों के गुण एक दूसरे से भिन्न हैं। कैल्शियम एक क्रियाशील ठोस है और आर्गन एक निष्क्रिय गैस (inert gas) है।

4—(i) रेडियो एक्टिवता (Radio activity)—फ्राँसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्योरल ने यूरेनियम धातु के गुणों का अध्ययन करते समय पता लगाया कि इस धातु में से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एक्स किरणों की तरह बहुत सी वस्तुओं जैसे कागज़, लकड़ी, अल्यूमुनियम की पतली चादरों आदि को पार कर जाती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। बाद में इसी प्रकार के गुण थोरियम, एक्टीनियम आदि धातुओं के यौगिकों में भी पाए गए अतः ऐसे सभी पदार्थ जो ऐसी किरणों का स्वतः उत्सर्जन करते हैं, रेडियोधर्मी (Radio active) पदार्थ कहलाते हैं तथा इस गुण को रेडियो धर्मिता (Radio activity) कहते हैं।

(ii) परमाणु संख्या (Atomic number)-किसी तत्व की परमाणु संख्या वह संख्या है जो उसके केन्द्रक पर निहित प्रोटानों अथवा कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रानों की संख्याओं के बराबर होती है। जैसे कार्बन और आक्सीजन की परमाणु संख्याएं क्रमशः 6, 8 हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कार्बन के परमाणु में प्रोटानों (अथवा इलेक्ट्रानों) की संख्या 6 है और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आक्सीजन के परमाणु में प्रोटानों की संख्या 8 है। ज्ञातव्य तथ्य यह है कि किसी भी परमाणु के प्रोटानों और इलेक्ट्रानों की सख्या समान होती है।

(iii) अपररूपता (Allotropy)—जब कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाय जिसके भौतिक गुण तो भिन्न-भिन्न हों किन्तु रासायनिक गुणों में कोई भिन्नता न हो तो उन सब विविध रूपों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं। यह गुण अपररूपता (allotropy) कहलाता है। यह गुण कार्बन, गंधक और फास्फोरस में पाया जाता है। कोयला, काजल और हीरा सभी कार्बन के अपर रूप हैं।

(iv) इन्द्र धनुष (Rainbow)—वर्षा के बाद जब एक तरफ आकाश स्वच्छ होता है और दूसरी तरफ मेघाच्छादित आकाश पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी कि गोल बूंदों से अपवर्तन (refraction) तथा पूर्ण परावर्तन (total reflection) से इन्द्रधनुष की उत्पत्ति होती है, अपवर्तन के साथ-साथ प्रकाश का विक्षेपण भी हो जाता है। इसमें सूर्य के स्पेक्ट्रम के चमकीले रंग होते हैं—लाल रंग इसमें बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अन्दर की ओर होता है। अधिक प्रखर इन्द्र धनुष को प्रथम धनुष (Primary bow) कहते हैं। इसकी त्रिज्या प्रेक्षक की आँख पर लगभग 40 अंश का कोण बनाती है। कभी-कभी प्रकाश की किरणों का पूर्ण परावर्तन दो बार होता है जिससे बड़ा और कम चमकीला दूसरा इन्द्र धनुष बन जाता है जिसे द्वितीय धनुष (secondary-bow) कहते हैं। इसकी त्रिज्या प्रेक्षक की आंख पर लगभग 52^0 का कोण बनाती है।

(v) लैक्टोमीटर (Lactometer)—यह यंत्र दूध का घनत्व ज्ञात करने के काम आता है, इसलिए इसे लैक्टोमीटर कहते हैं। दूध बेचने वाले दूध में पानी मिला देते हैं जिससे दूध का घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व (relative density) ज्ञात करके दूध की शुद्धता की परीक्षा की जा सकती है।

5—(i) पारे का आ. घ. 13·6 होने के 76 से. मी. ऊंचाई हवा के दाब के बराबर दाब डालने के लिए पर्याप्त होती है। यदि कोई कम आ. घ. का द्रव लें तो उतनी ही ऊँचाई की आवश्यकता होगी।

पारा कांच की नली को भिगोता नहीं। यह आसानी से शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। पारा अपारदर्शी (opaqu) और चमकीला द्रव है। नली में इसके उत्तल किनारे आसानी से देखे जा सकते हैं और पाठ आसानी से पढ़ा जा सकता है।

(ii) यदि बैरोमीटर के निर्वात (vaccum) में हवा पहुँचा दें, तो यह हवा पारे के ऊपरी पृष्ठ पर दबाव डालेगी और पारे को नीचे की दिशा में ढकेलेगी, जिससे बैरोमीटर में पारे का तल गिर जायेगा।

(iii) बैरोमीटर की नली के निर्वात स्थान में वाष्पित होने वाले द्रव की बूंदे प्रविष्ट करने से वह ऊपर वाष्प में परिणत होकर नीचे की ओर दाब डालेगी। अतः पारे का तल कुछ गिर जायेगा।

(iv) बैरोमीटर को पहाड़ पर ले जाने पर नली में पारे की सतह नीचे खिसक आती है क्योंकि ऊंचाई पर हवा का दाब कम हो जाता है। अतः पहाड़ पर बैरोमीटर द्वारा प्रदर्शित पारे के तल का पाठ कम होगा।

(v) जब बैरोमीटर में पारा गिरता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस स्थान के आस-पास हवा का दाब घट रहा है। हवा का दाब कम हो जाने से वहाँ पर हवा अधिक दाब वाले स्थानों से आंधी या तूफान की तरह आती है। इस तरह हमें बैरोमीटर में पारे के गिरने से तूफान के आने का संकेत मिलता है।

खण्ड (द) [Section 'D']

1 – निम्न तथ्यों का उद्घाटन कीजिए

(i) चन्द्रमा पर उतरने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था।

(ii) किस देश ने सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा।

(iii) विश्व की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए।

(iv) भारत ने सर्वप्रथम अपना कौन सा उपग्रह भेजा।

2 –निम्नलिखित तथ्यों के कारण बताइए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(i) कांच के जार में खौलता हुआ पानी एकाएक डालने से वह चटक जाता है।

(ii) जब इलेक्ट्रिक हीटर को चालू किया जाता है तो कमरे की अन्य बत्तियों का प्रकाश मंद पड़ जाता है। जब हीटर बंद कर दिया जाता है तो बत्तियों का प्रकाश पुनः तीव्र हो जाता है।

(iii) कृत्रिम प्रकाश में मैच करते हुए रंग दिन के प्रकाश में मैच नहीं करते।

(iv) पक्के फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श अथवा बालू पर कूदने पर कम चोट लगती है।

(v) पसीना आने से शरीर को ठंडक लगती है।

3—दृष्टि दोष और उसके निवारण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

4—निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।

(i) भूमि संरक्षण (ii) नाइट्रोजन चक्र (iii) वायु प्रदूषण (iv) क्रोमोसोम (v) पारिस्थितिक संतुलन

उत्तर माला

खण्ड 'द' [Section 'D']

1—अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्म स्ट्रांग (ii) रूस ने 'स्पुतनिक' नामक सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह भेजा (iii) रूसी महिला वेलेन्टीना तेरेश्कोवा सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। (iv) प्रथम भारतीय उपग्रह 'आर्यभट' था।

2—(i) खौलता हुआ पानी कांच के जार में एकाएक डाला जाता है तो कभी-कभी जार चटक जाता है। यह इसलिए होता है कि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। इस कारण जब खौलता हुआ पानी कांच के जार में डाला जाता है तो ऊष्मा शीघ्र ही इसकी विभिन्न परतों को संचारित नहीं करती। अतः यह परतें असमान रूप से प्रसारित हो जाती हैं और कांच चटक जाता है।

(ii) हीटरों की शक्ति (Wattage power) अधिक होती है। अतः उनका प्रतिरोध कम होता है तथा वह मेन्स से अधिक धारा खींचते हैं। जब हीटर चालू किया जाता है तो इसमें होकर काफी धारा प्रवाहित होती है तथा अन्य बत्तियों में धारा कम हो जाती है। चूंकि प्रतिरोध समान्तर क्रम में जुड़े हैं तो धारा प्रतिरोधों के व्युनक्रमानुपात में बंट जाती है अतः लम्पों पर वोल्टेज पतन कम हो जाने से उनका प्रकाश मंद पड़ जाता है। जब हीटर को बंद कर दिया जाता है तो लैम्पों में होकर प्रारम्भिक धारा के बराबर धारा पुनः प्रवाहित होने लगती है तथा उनका प्रकाश पुनः तीव्र हो जाता है।

(iii) किसी वस्तु का रंग उसके ऊपर आपतित प्रकाश पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक श्वेत वस्तु साधारण श्वेत प्रकाश में देखी जाय तो श्वेत ही दिखायी पड़ती है लेकिन वह वस्तु हरे प्रकाश में हरी, लाल प्रकाश में लाल तथा पीले रंग में पीली दिखायी पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक वस्तु जो श्वेत प्रकाश में लाल दिखायी देती है, वह लाल प्रकाश में अधिक लाल प्रतीत होती है लेकिन उसे यदि अन्य किसी रंग के प्रकाश में देखा जाय तो वह काली दिखाई देती है।

कृत्रिम प्रकाश में रंगों का अनुपात ठीक वही नहीं होता जो दिन के प्रकाश में होता है। दिन के प्रकाश की अपेक्षा कृत्रिम प्रकाश में किन्ही रंगों का अनुपात अधिक हो सकता है। अतः जब किसी वस्तु को कृत्रिम प्रकाश में देखेंगे तो इसके कुछ रंग अधिक बिखर आते हैं तथा उनकी दीप्ति अधिक प्रतीत होती है। इस प्रकार कृत्रिम प्रकाश में जो रंग मैच (Match) करते प्रतीत होते हैं, वह दिन के प्रकाश में भिन्न शेड (Shade) प्रस्तुत करेंगे, मैच नहीं करेंगे।

(iv) जब हम पक्के फर्श पर कूदते हैं तो हमारे पैर तुरन्त स्थिर हो जाते हैं अतः समयान्तर कम होता है जिससे आरोपित बल का मान बढ़ जाता है और चोट अधिक लगती है। इसके विपरीत जब कच्चे अथवा धूलदार फर्श पर कूदते हैं, तो हमारे पैर कुछ फर्श में नीचे धंस जाते हैं जिससे हमारे पैर स्थिर होने में कुछ समय लगता है अतः आरोपित बल का मान कम होने से चोट कम लगती है।

(v) जब पसीना शरीर के बाहर आता है तो वायु और गर्मी के प्रभाव के कारण वह वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। हम जानते हैं कि वाष्पन की क्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक ग्राम पानी को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उबलते हुए ताप पर वाष्प में परिणत होने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः जब पसीना वाष्प बनता है तो वह ऊष्मा शरीर से लेता है। गर्मी निकल जाने के कारण शरीर को ठंडक महसूस होने लगती है।

3—दृष्टि दोष और उसका निवारण

दृष्टि में निम्न प्रकार के दोष हो सकते हैं।

(i) निकट दृष्टि (Myopia or short sightedness)

(ii) दीर्घ दृष्टि (Hypermetropia or long sightedness)

(iii) जरा दूरदर्शिता (Persbyopia)

(iv) आस्टिग्मेटिज्म (Astigmatism)

निकट दृष्टि—यह दो कारणों से हो सकता है : (i) नेत्र लैंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाय अर्थात् आंख के गोले की लम्बाई बढ़ जाय। (ii) नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाय जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाय। अतः दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लैंस अधिक अभिसारी (much convergent) लैंस की भांति व्यवहार करता है।

पास की वस्तुओं को देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। आंख अपनी समंजन क्षमता (Power of Accomodation) के कारण उन्हें स्पष्ट देख सकती हैं, हांलाकि इस आंख का निकट बिंदु स्वस्थ आंखों के निकट बिन्दु से आंख के अधिक पास पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अपसारी (divergent) लैंस की आवश्यकता पड़ेगी।

दूर दृष्टि—इस दोष में आंख के पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब नेत्र पटल के पीछे बनता है, परन्तु आंख अपनी समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिम्ब को नेत्र पटल पर लाकर देख सकती है। इस दोष के दो कारण हैं। (i) नेत्र लेंस तथा नेत्र पटल के बीच की दूरी कम हो जाय अर्थात् आंख के गोले की लम्बाई कम जाय, या (ii) नेत्र लैंस की फोकस दूरी बढ़ जाय। इस दोष को उचित फोकस दूरी का उत्तल लैंस (convergent lens) लेकर दूर किया जाता है।

जरा दूरदर्शिता—वृद्धावस्था में आंख की समंजन क्षमता बहुत कम हो जाती है। इस कारण न तो बहुत दूर की ही और न बहुत पास की ही वस्तुएँ दिखायी देती हैं। इस दोष का निवारण करने के लिए दो प्रकार के उत्तल लैंसों के चश्मे काम में लाए जाते हैं। कम फोकस दूरी के चश्मे पढ़ने के लिए और अधिक फोकस दूरी के चश्मे बाहर के काम करने के लिए होते हैं। साधारणतया दोनों लैंस एक चश्मे में लगा दिए जाते हैं। नीचे का लैंस पढ़ने के लिए होता है।

आस्टिग्मेटिज्म—आस्टिग्मेटिज्म का रोगी मनुष्य आंख से समान दूरी पर तथा क्षैतिज रेखाओं के साथ-साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। जब ऊर्ध्व रेखा को स्पष्ट देखने का प्रयत्न करता है, तो क्षैतिज रेखा धुंधली सी दिखाई देती है और यदि क्षैतिज रेखा को स्पष्ट देखने के लिए आंख को समायोजित करता है तो उर्ध्व रेखा स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार (Cylindrical) लैंसों के चश्मे प्रयोग कराये जाते हैं। यदि मनुष्य की आंखे आस्टिग्मेटिज्म के साथ-साथ निकट दृष्टि के दोष से भी पीड़ित हैं तो गोलाकृति बेलनाकार लैंस (Sphero-cylindrical lens) के चश्मे लगाए जाते हैं।

4—संक्षिप्त टिप्पणियां (Short Notes)—

(i) भूमि संरक्षण (Soil conservation)-मृदा खनिज पदार्थों का निवास, जलाशय, पौधों की उपज का संरक्षक व उन्हें पृथ्वी पर एक स्थान पर ठीक रखने का स्थान है। अतः भूमि उपरदन (soil erosion) जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, भारत में कृषि के लिए अत्यन्त हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि की 1/20 इंच मिट्टी केवल तेज बहते हुए जल के द्वारा विभिन्न भागों से प्रतिवर्ष अपने स्थान से हट जाती है और उपजाऊ भूमि का काफी भाग प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है।

भूमि संरक्षण से तात्पर्य केवल मृदा अपरदन की रोकथाम ही नहीं अपितु प्राकृतिक उत्पातों या किसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भी प्रकार के विनाशकारी प्रभाव जैसे अग्नि इत्यादि से भूमि की रक्षा है। भूमि में जल व उपजाऊ बनाने वाले दूसरे पदार्थों की उचित मात्रा का होना भी भूमि संरक्षण में आता है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ii) नाइट्रोजन चक्र (Nitrogen cycle)—नाइट्रोजन का स्रोत वायुमंडल है। परन्तु जब यह गैस नाइट्रोजन-यौगिकीकरण (nitrogen-fixation) द्वारा नाइट्रेट नहीं बनाती, पौधे इसे घोल के रूप में पृथ्वी से जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ जीवाणु तथा अन्य पौधे भी वायु से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और उसे अपने शरीर में यौगिकीकरण द्वारा रूपान्तरित कर देते हैं। जीवकोशा के समस्त प्रोटीन एवं जीव द्रव्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से बने होते होते हैं। प्रोटीन के अपघटन को सड़ान (putrefaction) कहते हैं और कभी-कभी जीवाणु द्वारा सड़ान की क्रिया से बदबूदार और जहरीले पदार्थ निकलते हैं। समुद्र में अथवा पृथ्वी पर ये पदार्थ अधिक काल तक नहीं रह पाते। नाइट्रीकारी जीवाणु (nitrifying bacteria) जैसे नाइट्रोसोमोनास (nitrosomonas) उन्हें नाइट्राइट (NO_2) में बदल देते हैं। दूसरे जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर (Nitrobacter) नाइट्राइट को नाइट्रेट (NO_3) में बदल देते हैं जिन्हें पौधे खाद्य रूप में पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। उन समस्त क्रियाओं को जिनके द्वारा जीवाणु नाइट्रेट बनाते हैं, हम नाइट्रीकरण (nitrification) कहते हैं। अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं परन्तु कुछ पौधे अमोनियम यौगिकों के रूप में भी प्राप्त करते हैं। अमोनिया मृत जन्तुओं और पौधों के जटिल नाइट्रोजनीय पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है। वह वायु में मिल जाती है और फिर वर्षा के जल में घुलकर पृथ्वी पर आ जाती है।

दाल वाली फसलों (मटर, चना, अरहर आदि) की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं।

नाइट्रोजन चक्र में डिनाइट्रीफाइंग जीवाणुओं (denitrifying bacteria) का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जीवाणु अपनी जैविक क्रियाओं के लिए कार्बोहाइड्रेट अथवा नाइट्रेट के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

(iii) वायु प्रदूषण (Air pollution)—वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जीवधारियों की अनेक क्रियाओं के द्वारा एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। परन्तु मनुष्य विभिन्न प्रकार से इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार वनों को काटता है तथा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, फ्लोराइड, सल्फर डाइ आक्साइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और कार्बन कण वायुमंडल में प्रविष्ट होते रहते हैं। औद्योगिक चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइआक्साइड प्रदूषणों में प्रमुख हैं। ऐसी दूषित वायु जन तथा और जीवधारियों के प्रति घातक है।

(iv) क्रोमोसोम (Chromosome)—प्रत्येक जाति (Species) की कोशाओं में विभाजन के समय क्रोमोसोम एक निश्चित संख्या में प्रकट होते हैं। क्रोमोसोम में DNA तथा प्रोटीन पदार्थ संयोजित होते हैं। क्रोमोसोम के ये पदार्थ सन्तति और आनुवंशिक लक्षणों (heredity and genetic characters) की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं। क्रोमोसोम के कुछ विशिष्ट सूक्ष्म भाग जो विविध लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं, जीन (genes) कहलाते हैं। क्रोमोसोम की रासायनिक संरचना में DNA, RNA एवं कई प्रोटीन्स तथा प्रोटेमाइन्स भाग लेते हैं।

(v) पारिस्थितिक संतुलन (Ecological balance)—प्रकृति में जीवधारियों के अस्तित्व से एक संतुलन बना रहता है। प्रकृति के सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी लोप हो जाय तो पूरी शृंखला टूट जाती है और जैविक संतुलन बिगड़ जाता है यानी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण की शुद्धता एवं जीवों की अस्तित्व रक्षा में पारिस्थितिक संतुलन का बहुत बड़ा योग है। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफ्रीकी एकता संगठन
(Organization of African Unity)

■ प्रस्तुति : निशांत

परिचयात्मक :

विश्व के अन्य प्रमुख क्षेत्रों की भांति अफ्रीकी महाद्वीप में भी क्षेत्रीय-राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण हेतु अखिल-अफ्रीकी संगठन की स्थापना की प्रवृत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशक से ही परिलक्षित होती है। 1963 में आदिस अबाबा सम्मेलन (इस सम्मेलन के दौरान ही अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुयी थी) के पूर्व ही इस प्रकार के अनेक प्रयास किये गये। नवम्बर, 1958 में घाना एवं गिनी ने 'अफ्रीकी राज्य समुदाय' को मद्देनजर रखते हुए एक चार्टर का निर्माण किया था। जनवरी, 1961 में कैसेब्लाण्का में आयोजित सम्मेलन में 'अफ़्रीकी सैनिक कमाण्ड' (African Military Command) तथा अफ्रीकी साझा बाजार (African Common Market) की स्थापना हेतु एक घोषणापत्र का निर्माण किया गया था। सम्मेलन में घाना, गिनी, माली, मोरक्को तथा लीबिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सन्दर्भ में मोनरोविया सम्मेलन (1961), लागोस सम्मेलन (1962) का नाम भी उल्लेखनीय है।

किन्तु सुसंगठित स्तर पर अन्तर्अफ्रीकी (Inter-African) संगठन की प्रभावशाली प्रतिस्थापना 1963 में आदिस अबाबा में आयोजित सम्मेलन के दौरान ही संभव हो सकी। इस सम्मेलन के दौरान पहली बार वास्तविक अर्थों में क्षेत्रीय, राजनीतिक तथा भाषा के आधार पर विभाजित अफ्रीकी देश एक दूसरे के करीब आये। मई, 1963 में आयोजित प्रारम्भिक सत्र में 30 अफ्रीकाई देशों (अल्जीरिया, बरुंडी, केमरुन, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, दाहोमी, इथोपिया, गेबॉन, घाना, गिनी, आइवरीकोस्ट, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सियरालोन, सोमालिया, सूडान, तंगनिका, ट्यूनीशिया, युगाण्डा, संयुक्त अरब रिपब्लिक तथा अपर वोल्टा) के विदेश मन्त्रियों ने भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से 8 समस्याओं पर विचार किया गया जिनका अफ्रीकाई महाद्वीप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबन्ध था : (क) अफ्रीका राज्यों के एक संगठन का निर्माण; (ख) आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाएं; (ग) उपनिवेशवाद का विरोध; (घ) रंगभेद की समस्या; (च) अफ्रीका के आर्थिक विकास पर आर्थिक समूहों (Groupings) का प्रभाव, (छ) निरस्त्रीकरण; (ज) एक स्थायी आयोग की स्थापना तथा (झ) अफ्रीका तथा संयुक्त राष्ट्र।

23 मई, 1963 को उपरोल्लिखित राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में प्रारम्भ सम्मेलन ने अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) के घोषणा पत्र का निर्माण किया जिस पर 26 मई, 1981 को हस्ताक्षर किये गये।

इस प्रकार OAU अब तक दो दशक की यात्रा तय कर चुका है। इस 20 वर्ष के इतिहास में अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए संगठन की सदस्य संख्या 30 से 50 हो चुकी है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :—

अफ्रीकी एकता संगठन का घोषणापत्र 33 अनुच्छेदों का है। घोषणापत्र के अनुसार संगठन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1—अफ्रीकी राज्यों के मध्य एकता को बढ़ावा देना।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

2—अफ्रीका वासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु एकीकृत प्रयास करना।

3—अफ्रीकी राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करना।

4—अफ्रीकी महाद्वीप से उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना, एवं।

5—अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र एवं मानव अधिकारों के प्रति आदर का भाव पैदा करना।

ओ. ए. यू (OAU) का सगठन :—

संगठन की सर्वोच्च संस्था विभिन्न सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों की सभा है। यह मुख्य रूप से एक नीति निर्मात्री संस्था है जिसकी बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार होती है।

संगठन का एक मंत्रि परिषद भी है जिसके सदस्य, सदस्य-राष्ट्रों के विदेश मंत्री होते हैं।

संगठन की एक मध्यस्थता समिति भी है।

संगठन की कुछ विशिष्ट संस्थायें भी हैं। इनकी स्थापना का निर्णय नवम्बर 1966 में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में लिया गया। ये विशिष्ट संस्थायें इस प्रकार हैं : आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य आयोग तथा सुरक्षा आयोग।

किन्तु संगठन का सर्वप्रमुख अंग इसका सचिवालय है, यह एक स्थायी अंग है। यह आदिस अबाबा में स्थित है।

समसामयिक समीक्षा :

कहना न होगा कि अफ्रीकी महाद्वीप में संगठन ने निश्चित रूप से एक संस्थात्मक ढांचा प्रदान किया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न अफ्रीकी राज्य सम्पर्क में आते हैं। और इस प्रकार संगठन ने विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिये एक मंच प्रदान किया है। अफ्रीका महाद्वीप द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद से ही एक धधकता ज्वालामुखी रहा है; इसे एकसूत्र में बांधे रहने का जो प्रयास संगठन द्वारा किया गया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है।

विभिन्न अफ्रीकाई देशों को उपनिवेशवादी चंगुल से मुक्त करने में संगठन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में जिम्बाबवे की स्वतन्त्रता तथा नामीबिया की स्वतन्त्रता की प्रक्रिया तीव्र हो जाने के कारण दक्षिणी अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष, महत्वपूर्ण अवस्था में पहुँच चुका है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध विभिन्न अफ्रीकाई राज्यों के संघर्ष में संगठन ने न केवल वैचारिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक सहयोग दिया है वरन् सैनिक प्रशिक्षण तथा कार्यवाही के लिये ठौर (Bases) प्रदान करने, उपनिवेशवादी देशों के साथ बातचीत करने तथा मुक्ति संगठनों को आंतरिक एकता बनाये रखने के माध्यम से संगठन ने अफ्रीका के मुक्ति संग्राम में रोचक भूमिका निभायी है।

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि संगठन की उपलब्धियों का विवरण उसकी कमियों के विवरण से कहीं अधिक संक्षिप्त है। अफ्रीका के आर्थिक विकास तथा सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां सर्वाधिक न्यून रही हैं। ज्ञातव्य हो कि अपने स्वरूप के अन्य संगठनों यथा 'अमरीकी राज्यों का संघ' अथवा 'अरबलीग' के सर्वथा विपरीत, अफ्रीकी एकता संगठन का घोषणा-पत्र, संगठन को सदस्य राज्यों के मध्य विद्यमान विवादों के निबटाने का अधिकार तो देता है किन्तु किसी एक के विरुद्ध, किसी विशेष स्थिति में भी, सामूहिक उपादानों की क्षेत्रीय व्यवस्था नहीं करता। इसी प्रकार संगठन विभिन्न अफ्रीकी राज्यों की क्षेत्रीय समस्याओं पर नीतियों के मध्य सामञ्जस्य स्थापक है किन्तु OAU एक सुरक्षा संधि नहीं है। अफ्रीकी सुरक्षा के सन्दर्भ में OAU की नपुंसकता को सिद्ध करने के लिए 1964-65 का कांगो संकट, 1967-68 का नाइजीरिया बियाफ्रा संकट, 1975-76 का अंगोला संकट आदि उदाहरण काफी हैं।

संगठन के घोषणापत्र में आर्थिक विकास के लिये कार्यरत रहने की भी बात कही गयी है किन्तु सामूहिक सुरक्षा की भाँति आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी संगठन मुख्यतया असफल रहा है। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से अफ्रीका एक समृद्ध देश है किन्तु विश्व के सर्वाधिक गरीब 25 देशों में से 18 अफ्रीकी महाद्वीप में हैं।

इस प्रकार सदस्यता की दृष्टि से OAU विश्व का सर्वाधिक वृहत् क्षेत्रीय संगठन है (इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 51 है) किन्तु फिर भी अपने सीमित साधनों के कारण यह अब तक अफ्रीकाई प्रश्नों पर विश्व राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका न निभा सका।

[अगले अंक में : 'एशियान' (ASEAN)]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Think For A While

"Life appears to me too short to be spent in remembering past injustices."

—Charlotte Bronte (*Jane Eyre*)

"People are always a little disconcerted when you do not recognize them; they are so important to themselves, it is a shock to discover of what small importance they are to others."

—W. Somerset Maugham (*The Human Element*)

Test of English Language.

1. Read the following passage carefully, and answer the questions that follow it. Your answers must be brief.

Peter had two daughters. Once he asked them : "What is the sweetest thing in the world ?" "Honey !" said his elder daughter. "Salt", replied the younger one. Peter got angry thinking that the younger daughter was making fun of him. But she stuck to her opinion. Peter was quite obstinate, and so was his younger daughter. A quarrel broke out between them over this trifle and Peter drove her out of his house, saying, "Since you think salt is sweeter than honey, you better find another home where the cooking is more to your taste."

It was a pleasant evening and the stars twinkled in the sky. The pretty maiden sat gloomily in the lonely place around the cottage of her father and sang melodiously. It so happened that a young handsome prince, who had lost his way while hunting a deer, heard her melody and came there to ask her the way. But, struck by her beauty and sweet voice, he fell in love with her, took her to his majestic palace and married her.

The bride invited her father Peter to the wedding feast without disclosing her identity that she was his daughter. Rich and delicious dishes were served, but they were all without salt. The guests, as they ate the tasteless food, began to complain and said angrily, "There is no salt in the meat."

"Ah !" said Peter the bride's father, "Salt is truly the sweetest thing in the world. Alas ! when my younger daughter said so I turned her out of the house. O God ! If I could only see her again and beg her excuse !"

Drawing the bridal veil aside from her face, the happy bride went to her father and kissed him. Soon properly salted dishes were served and all guests were satisfied.

(i) Why was Peter angry with his younger daughter ?
(ii) How did he punish her ?
(iii) Was it a just punishment ?
(iv) What did the younger daughter do when driven out of the house by her father ?
(v) How did the Prince come there ?
(vi) What was her plan at the wedding feast ?
(vii) The guests complained but Peter was sad, Why ?

11

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(viii) How did the younger daughter meet her father at the wedding feast ?

(ix) What was the result of her plan ?

(x) When were the guests satisfied ?

2. (a) Re-write the following sentences using the appropriate tense form of the verbs given in the brackets :

"I just (*receive*) a letter saying that we (*not pay*) the quarter's electricity bill. I (*not give*) you the money for that last week ?"

"Yes you (*do*) but I am afraid I (*spend*) it on something else."

(b) Use (*any five of*) the following pairs of words in sentences of your own to bring out the difference in their meanings :

Site—Sight
Eminent—Imminent
Conform—Confirm
Quiet—Quite
Industrial—Industrious
Alter—Altar
Birth—Berth

(c) Use (*any five of*) the following idiomatic expressions in sentences so as to bring out their meaning :

ill at ease ; man of letters ; burning question ; toe the line ; make a note of ; in full swing ; dog in manger

(d) Fill in the blanks with the words *opposite* in meaning to the italicized words in (*any five of*) the following sentences :

(i) In the event of an *attack* the country must be prepared for.... .

(ii) When the *guests* arrived, the........was still busy making preparations.

(iii) This cloth is *more* durable but........ expensive than that.

(iv) These birds are not *dead* they are still ....

(v) We find both *hope* and........in our lives.

(vi) Neither of the two books is suitable for my son ; one is *above* the standard and the other........the standard.

3. (a) Fill in (*any five of*) the blanks with suitable prepositions :

(i) They arrived........the railway station just in time

(ii) The culprit is charged........murder.

(iii) He has a passion............reading novels.

(iv) I feel the necessity........doing it.

(v) I congratulated him........his success.

(vi) I have reconciled myself........my lot.

(vii) He has no cause........complaint.

(b) Re-write the following sentences after making necessary corrections :

(i) Sham is getting strong day by day.

(ii) I go to the bed at eight in the night.

(iii) My cousin brothers are coming tonight.

(iv) You are not understanding my difficulties.

(v) The boy who stands first he will get the prize.

(vi) He denied to carry out my orders.

(vii) Neither he nor I were present in the meeting.

(viii) This is strictly confidential among you and me.

(ix) He is taller than me.

(x) This book is too interesting.

(c) Re-write as directed in brackets :

(i) The traveller said, "Can you tell me the way to the nearest hotel ?" (*Turn into indirect speech*)

(ii) The school is too far for us to walk. (*Use the phrase "so....that"*)

(iii) No other boy in the class is as tall as Mohan. (*Use the superlative degree of "tall"*).

(iv) He comes home late every night.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri.

His father does not like it. (*Combine into a simple sentence*)

Note : Ex. 1, 2 and 3 selected from the English (Compulsory) Paper of Civil Services (Main) Examination, 1982.

***Test of Reasoning/Mental Ability :**

1. A lady was told that for her height, her weight is above the average. She claimed that for her weight, she should have been taller. Which of these two statements would you support ? Why ?
CS (M) E, 1982

2. Two lovers are standing at a distance of 600 km. from each other. If one lover is running at the speed of 35 km/hr. and the other at the speed of 40 km/hr towards each other, after how many hours will they meet ?
(a) 4 ; (b) 8 ; (c) 10 ; (d) 12

3. If the circumference of a circle is reduced by 50% then the area will be reduced by :
(a) 50% ; (b) 25% ; (c) 75% ; (d) 12·5%

4. Rotation of crops is essential for :
(a) getting different kinds of crops
(b) increasing the quantity of minerals
(c) increasing the quantity of proteins
(d) increasing fertility of the soil.

5. Judiciary is one of the three branches of modern governments. In some governments the principle of judicial supremacy is recognized in theory as well as in practice. It is because :
(a) the judges possess knowledge of laws
(b) the judges can help in making of laws
(c) there is need to protect the rights of the citizens.
(d) the judiciary is superior to other branches of the government.

6. India is an agricultural country and possesses fertile plains and numerous perennial rivers. About 80% of its population re ides in the rural areas. Nearly 70% of the people are dependent on agriculture. About three-fourths of the cultivated land of India is used for food production because :
(a) the soil is suitable for food crops
(b) India is an exporter of food grains
(c) India has to feed a large population
(d) per capita consumption of food in India is the highest in the world.

7. "Napoleon Bonaparte's conquests were temporary but his glory consisted in his internal reforms".
His magnificent contribution lay in :
(a) Education
(b) Civil Code
(c) Construction of canals and roads
(d) Development of banks.

8. Unscramble these ten Jumbles to form ten ordinary words.
a. toybo
b. kuyds
c. goanut
d. zirdal
e. locci
f. osket
g. gublin
h. norips
i. rusuy
j. youls

9. Unscramble these jumbles, add the letter "A" to each of the mazy word to make it meaningful.
a. daamr
b. crade
c. marl
d. lanns
e. ias
f. tr

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

***Test of English Language :**

1. (i) Peter was angry because he thought his daughter was making fun of him by calling salt the 'sweetest' thing, and sticking to it.
   (ii) He punished her by driving her out of the house.
   (iii) It was not a just punishment.
   (iv) The daughter sat in the lonely spot outside the house and sang.
   (v) The Prince had lost his way. He reached Peter's daughter on hearing her voice to ask her the way out.
   (vi) Her plan was to call her father to her wedding feast, make him realize his folly by serving dishes without salt.
   (vii) The guests complained of unsalted food. Peter was sad because he realized the folly of turning his daughter out.
   (viii) When she saw her lamenting father she drew her veil aside and kissed him. This is how she met him.
   (ix) Her plan was successful.
   (x) The guests were satisfied when properly salted dishes were served out.

2. (a) I just *received* a letter saying that we *have not payed* the quarter's electricity bill. *Did* I *not give* you the money for that, last week ?"
   "Yes, you *did* but I am afraid I *spent* it on something else".

(b) **Site-Sight.**

*As he walked to the *site* for his new house he caught *sight* of her in the street.

Eminent-Imminent.

*According to some *eminent* analysts, a nuclear war is *imminent* in the near future.

Conform-Confirm.

*Nilakshi's letter *confirmed* my opinion that she cannot *conform* to the morals of the society.

Quiet-Quite.

*They sat beside the *quiet* waters of the lake *quite* close to each other.

Industrial-Industrious.

*For *industrial* progress we need dedicated and *ind strious* people.

Alter-Altar.

*Nothing can *alter* Manushi's belief in the Buddha : everyday she worships at the *altar* of the Enlightened One.

Birth-Berth,

*Anushri gave *birth* to a lovely girl just before the ship *berthed* in Calcutta port.

(c) **Ill at ease.**

*She was *ill at ease* when she found that he was aware of her affair with another man.

Man of Letters.

*Ashvaghosha, who wrote the 'Buddhacharita', was perhaps ancient India's greatest *man of letters.*

Burning Question.

*Peace in West Asia is a *burning question* which should be solved urgently.

Toe the line.

*She is a free bird and does not like to *toe the line* set by religion.

Make a note of.

*He was asked to *make a note of* everything that happened there.

In full swing.

*The party was in full swing so nobody noticed them kissing each other.

Dog in manger.

*Rovena is a real *dog in the manger*—even though she cannot swim she won't let anyone else use her swimming-pool.

(d) (i) defence; (ii) host; (iii) less; (iv) alive (v) despair; (vi) below.

3. (a) (i) at; (ii) with; (iii) for; (iv) for; (v) on; (iv) with; (vii) for
   (b) (i) Sham is getting stronger day by day.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ii) I go to the bed by eight at night.
(iii) My cousins are coming tonight.
(iv) You do not understand my difficulties.
(v) The boy who stands first will get the prize
(iv) He refused to carry out my orders.
(vii) Neither he nor I was present at the meeting.
(viii) This is strictly confidential between you and me.
(ix) He is taller than I.
(x) This book is very interesting.

(c) (i) The traveller asked if he could be told the way to the nearest hotel.
(ii) The school is so far that we cannot walk (*to it*).
(iii) No other boy in the class is taller than Mohan.
(iv) His father does not like his coming home late every night.
(He comes home late every night which his father does not like.)

Test of Reasoning/Mental Ability.

1. The first statement is correct. Height is never determined by weight.
2. (b)
3. (a)
4. (d)
5. (c)
6. (a)
7. (b)
8. a. booty b. dusky
   c. nougat d. lizard
   e. colic f. stoke
   g. bluing h. prison
   i. usury j. lousy
9. a. armada b. arcade c. alarm
   d. annals e. asia f. art

राष्ट्रीय सामयिकी (पृष्ठ 59 का शेष)

भारत-फ्रांस सहयोग

फ्रांस से मिराज—2000 विमानों की खरीद तथा तारापुर के लिये यूरेनियम की सप्लाई की दिशा में जो प्रगति हुई है उससे लगता है कि फ्रांस और भारत के बीच निकटता बढ़ रही है। 17 अक्टूबर को भारत और फ्रांस के बीच मिराज विमानों की सप्लाई के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते की शर्तों के अनुसार विमान की पहली खेप की आपूर्ति अक्टूबर 1984 में शुरू होगी। अन्तिम मिराज विमान भारतीय वायुसेना को दिसम्बर 1986 में दिया जायेगा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलटों का एक दल तथा कुछ तकनीकी विशेषज्ञ अगले तीन-चार माह में फ्रांस जाकर मिराज चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उस दल के बाद दूसरा दल भेजा जायेगा जो 1986 में मिराज की आपूर्ति पूरी होने तक वहीं रहेगा, फ्रांस भारत को विमान में ही प्रक्षेपास्त्र ए. एम-30 भी देगा। पहले कुछ मिराज विमानों में आर. डी. आई. राडार देगा। बाकी विमानों में ऊपर-नीचे देख सकने की क्षमता वाला राडार होगा। भारतीय मिराज में आधुनिकतम जासूसी उपकरण व सक्रिय इलेक्ट्रानिक उपकरण होंगे। इससे मिराज विमान हथियारों के लिये प्लेटफार्म की तरह काम कर सकेगा तथा उसमें 11 हजार पौंड वजन के बम ले जाये जा सकेंगे। ये बम 9 स्थानों में रखे जा सकेंगे। इनमें से पांच डैनों के नीचे तथा अन्य 4 ईंधन की टंकी के नीचे हैं।

भारत-फ्रांस के बीच सम्बन्धों के सुधार की दिशा में दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि तारापुर के लिए परमाणु ईंधन के प्रश्न पर हुआ समझौता है। जानकार सूत्रों के अनुसार भारत और फ्रांस में इस बात पर सहमति हो गयी है कि फ्रांस तारापुर को 1963 के भारत-अमेरिका समझौते के अन्तर्गत परिष्कृत यूरेनियम देगा। फ्रांस उस निगरानी सम्बन्धी शर्त पर जोर न देने के लिये तैयार हो गया है जिसके चलते अमेरिका से यूरेनियम की आपूर्ति ठप हो गयी है।

उल्लेखनीय है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मितराँ की भारत यात्रा की तैयारी के सिलसिले में फ्रांस के विदेश सचिव फ़्रांसिस गटमाव 14 अक्टूबर को भारत आये थे। उन्होंने आणविक ईंधन की सप्लाई के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमन्त्री के मुख्य सचिव पी. सी. अलेक्जेन्डर और विदेश सचिव एम. के. रसगोत्र से बातचीत की थी। बातचीत में फ्रांस ने अपने प्रस्तावों में संशोधन कर उसकी जानकारी भारत को दी थी जिसका उत्तर भारत ने फ्रांस को भेज दिया। तारापुर के लिए आणविक ईंधन की आपूर्ति की दिशा में हुआ यह समझौता उसी का परिणाम है।

सूत्रों के अनुसार न तो फ्रांस सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पर जोर देगा और न ही निष्क्रिय ईंधन वापस लेगा।

आणविक ईंधन के तथा मिराज-2000 के बारे में हुए उक्त समझौते-महत्वपूर्ण हैं क्योंकि फ़्रांसीसी राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच जो आधार तैयार हुआ है उसपर परस्पर मैत्री का महल खड़ा होने में सहूलियत होगी, ऐसी आशा की जा सकती है। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(पृष्ठ 23 का शेष)
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

57. भू-कक्ष तल (Plane of the orbit) पर भू-अक्ष (Earth's orbit) का झुकाव है
(अ) 90° (ब) $23\frac{1}{2}$°
(स) $66\frac{1}{2}$° (द) 0°

58. पनामा नहर दूरी कम करती है
(अ) अटलेन्टिक महासागर और भूमध्यसागर के बीच
(ब) लाल सागर और अरब सागर के बीच
(स) अटलेन्टिक महासागर और हिन्द महासागर के बीच
(द) प्रशान्त महासागर और अटलेन्टिक महासागर के बीच

59. गंगा के मैदान से होकर जब कोई कलकत्ता से दिल्ली यात्रा करता है तो वह देखेगा कि गेहूँ की खेती
(अ) क्रमशः कम होती जाती है
(ब) क्रमशः बढ़ती जाती है
(स) पहले कम होती है और फिर बढ़ती है
(द) पहले बढ़ती है और फिर कम होती है

60. नेपानगर में अखबारी कागज का उत्पादन होता है। नेपानगर स्थित है
(अ) मध्य प्रदेश में (ब) उड़ीसा में
(स) प. बंगाल में (द) हि. प्र. में

61. एक बर्फ का घन पानी के गिलास में तैर रहा है। जब बर्फ का घन पिघलता है तो पानी का स्तर किस प्रकार प्रभावित होगा ?
(अ) पानी का स्तर ऊपर जाएगा
(ब) स्तर नीचे जाएगा
(स) स्तर में परिवर्तन नहीं होगा
(द) आरम्भ में स्तर ऊपर जाएगा परन्तु बाद में स्तर नीचे जाएगा।

62. 1 किलोग्राम और 2 कि.ग्रा. द्रव्यमान की दो फौलाद की गेंदे तथा 10 किग्रा. द्रव्यमान की एक सीसे की गेंद 30 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक साथ छोड़ी जाती हैं। मानते हुये कि पथ निर्वात (vacuum) में है
(अ) सीसे की गेंद पृथ्वी पर पहले पहुँचती है
(ब) 1 किग्रा. की फौलाद की गेंद, पृथ्वी पर पहले पहुँचती है
(स) सभी गेंदें पृथ्वी पर एक साथ पहुँचती हैं
(द) 2 किग्रा. की फौलाद की गेंद पृथ्वी पर पहले पहुँचती है।

63. जब एक घड़ी में चाबी लगा दी जाती है तो उसमें
(अ) ऊष्मा-ऊर्जा सञ्चित रहती है
(ब) यान्त्रिक स्थितिज ऊर्जा रहती है
(स) विद्युत ऊर्जा सञ्चित रहती है
(द) कोई ऊर्जा नहीं होती है।

64. एक बड़ा हिमनद पेंदे पर पिघलता है परन्तु चोटी पर नहीं क्योंकि
(अ) हिमनद का पेंदा अधिक ऊष्ण वातावरण में रहता है
(ब) पेंदे पर बर्फ में अपद्रव्यता होती है
(स) उच्च दाब के कारण पेंदे पर बर्फ का गलनाङ्क कम हो जाता है
(द) चोटी पर बर्फ भिन्न प्रकार की होती है

65. मनुष्य में विटामिन D के अभाव के कारण होता है
(अ) बेरी-बेरी (ब) सूखा रोग
(स) रक्तक्षीणता (द) घेघा

66. चेचक, हैजा, टायफॉयड, डिफ्थीरिया, टिटेनस, काली खाँसी, पोलियो, यक्ष्मा आदि संक्रामक व सञ्चारशील रोग हैं। यह फैलते हैं
(अ) वायु द्वारा (ब) पानी और भोजन द्वारा
(स) कीट के काटने से (द) प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा
(य) उपरिलिखित सभी प्रकार से

67. बी. सी. जी. वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के लिये किया जाता है ?
(अ) यक्ष्मा (ब) हैजा
(स) टायफॉयड (द) चेचक

68. मिश्रित अर्थव्यवस्था निर्दिष्ट करती है अर्थव्यवस्था के संगठन का आधारित होना—
(अ) कृषि और उद्योग पर
(ब) पूंजीवाद और समाजवाद पर
(स) निजि क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रकों पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(द) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रकों पर

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

69. भारत में समुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है
(अ) अधिक अन्न उपजाना
(ब) ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना
(स) अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना
(द) ग्रामीण जनता में बेहतर जीवन के लिये ललक पैदा करना और उसको मुख्यतः स्वावलम्बन के माध्यम से सन्तुष्ट करने के तरीकों को बताना

70. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइ. एम. एफ.) ने भारत को कितना ऋण देना स्वीकार किया था ?
(अ) 5.8 बिलियन डॉलर (ब) 1.8 मिलियन डॉलर
(स) 5.8 मिलियन डॉलर (द) 1.8 बिलियन डॉलर

71. भारतीय एक्सिम (Exim) बैंक क्या है ?
(अ) कृत्रिम "जीन्स" का संग्रहण करने वाला एक बैंक
(ब) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला बैंक
(स) भारत तथा बाङ्गलादेश के मध्य विवादास्पद एक घाटी
(द) गेहूँ की समाप्तप्राय जातियों का संग्रहण करने वाला एक बैंक

72. 1982 में भारतीय वायु सेना ने अपनी
(अ) रजत जयन्ती मनायी (ब) स्वर्ण जयन्ती मनायी
(स) हीरक जयन्ती मनायी (द) वैजयन्ती मनायी

73. भारत सर्वाधिक आयात करता है
(अ) कच्चे तेल का (ब) मूंगफली के तेल का
(स) यूरेनियम का (द) न्यूज प्रिन्ट का

74. "नाबार्ड" (NABARD) क्या है ?
(अ) कृषि तथा डेरी के विकासार्थ एक सार्वजनिक संस्थान
(ब) ग्रामीण हस्तकला उद्योग को सहायता देने वाला राष्ट्रीय बोर्ड
(स) कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु संस्थाओं व बैंकों को ऋण प्रदान करने वाला एक बैंक
(द) ग्रामीण रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने वाला एक संस्थान

75. सबसे अधिक प्रतिव्यक्ति आय वाला राज्य पंजाब है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है—
(अ) उ. प्र. (ब) हि. प्र.
(स) मणिपुर (द) बिहार

76. वन सम्पदा से देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान होता है—
(अ) 1.5% का (ब) 3.5% का
(स) 0.53% का (द) 7.09% का

77. MOX क्या है ?
(अ) सोवियत संघ का नवीनतम उपग्रह
(ब) निर्यात-प्रोत्साहन हेतु एक योजना
(स) मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एक यन्त्र
(द) एक प्रकार का ईंधन

78. भारत के मनुभाई भीमभाई देसाई को "सार्वजनिक सेवा" व अरुण शोरी को पत्रकारिता हेतु 1982 का रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिला है। "सामुदायिक नेतृत्व" हेतु यह पुरस्कार मिला है
(अ) ऑलिविया न्यूटन-जॉन को
(ब) चण्डी प्रसाद भट्ट को
(स) जॉन डेनवर को
(द) समरेश बसु को

79. सं. रा. अ. के जिमी कॉनर्स ने 1982 की विम्बिलडन टैनिस चैम्पियनशिप विजित की। स्त्री चैम्पिअनशिप जीती ?
(अ) क्रिस एवर्ट-लॉयड ने (ब) बिली जीन किंग ने
(स) मार्तीना नव्रातिलोवा ने (द) ट्रेसी ऑस्टिन ने

80. ब्रिटेन तथा आर्जेन्टीना के मध्य हुये फॉकलैण्ड युद्ध से क्या तात्पर्य है ?
(अ) ब्रिटेन तथा आर्जेन्टीना के मध्य, फॉकलैण्ड मैदान पर हुये, रोमांचकारी फुटबॉल मैच, जिसमें 2 खिलाड़ी मृत्यु को प्राप्त हुये, को फॉकलैण्ड युद्ध कहा गया
(ब) आर्जेन्टीना के एक उपनिवेश फॉकलैण्ड में ब्रिटेन द्वारा क्रान्ति करवाने की चेष्टा के फलस्वरूप हुआ युद्ध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(स) आर्जेन्टीना द्वारा सं. रा. अ. के सहयोग से फॉकलैण्ड से ब्रिटिश नौ सैनिक आस्थान को समाप्त करने का अभियान

(द) आर्जेन्टीना व ब्रिटेन के मध्य द. एटलेन्टिक स्थित फॉकलैण्ड द्वीप समूह पर अधिकार के विवाद के फलस्वरूप हुआ युद्ध।

81. दूर सञ्चार, ऋतु-विज्ञान तथा दूरदर्शन हेतु प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह "इन्सेट 1-ए" ने निर्धारित 7 वर्ष के स्थान पर 30 माह के भीतर ही कार्य करना बन्द कर दिया, क्योंकि

(अ) सोलर सेल न खुलने के कारण ईंधन की कमी हो गयी थी

(ब) ठीक से प्रक्षेपित न होने के कारण चन्द्रमा व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मध्य फंस गया था

(स) सौर-ज्वालाओं की प्रचण्डता के कारण उसके सोलर-सेल्स में अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुयी और वह जल गये

(द) उसके प्रक्षेपण के समय सूर्य-ग्रहण लगा हुआ था तथा शनि क्षितिज पर था।

82. ब्रिटेन में चल रहे "फेस्टिवल ऑव इण्डिया" का उद्देश्य ?

(अ) प्राचीन भारतीय कला को उद्घाटित करना है

(ब) भारतीय कला एवं विज्ञान में निहित आध्यात्मिक तत्वों को प्रस्तुत करना है

(स) भारतीय जीवन, सभ्यता व संस्कृति के नैरन्तर्य व परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण है

(द) भारतीय कला तथा विज्ञान की नवीन उपलब्धियों को आध्यात्मिक परिवेश में प्रस्तुत करना है।

83. साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिये जाने वाले "ज्ञानपीठ पुरस्कार" की विजेत्रियों के क्या नाम है ?

(अ) महाश्वेता देवी (1976) व मेहरून्निसा परवेज (1980)

(ब) आशापूर्णा देवी (1976) व अमृता प्रीतम (1981)

(स) रजनी पनिक्कर (1965) व मन्नू भंडारी (1970)

(द) सुनीता जैन (1967) व गौरा पन्त "शिवानी" (1973)

84. बॉर्वे के "पोलर सर्किल" नामक जलयान द्वारा सम्पन्न एन्टार्कटिका अभियान में भारतीय दल का नेतृत्व किया ?

(अ) डॉ. प्रमोदकरण सेठी ने

(ब) डॉ. गौर किशोर घोष ने

(स) डॉ. एस. जेड॰ कासिम ने

(द) डॉ. यूनुस परवेज ने

85. 19 नवम्बर से प्रारम्भ एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेल प्रथम बार खेले जा रहे हैं ?

(अ) नौकायन (ब) गॉल्फ व हैण्डबॉल

(स) घुड़सवारी (द) उपरिलिखित सभी

86. अष्टम् एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक (1978) में हुआ था। दशम् खेलों का आयोजन कहाँ होगा ?

(अ) टोक्यो-जापान (ब) सिओल-द. कोरिया

(स) मनीला-फिलिपीन्स (द) क्वाला लम्पुर-मलेशिया

87. नवम् एशियाई खेलों का "शुभङ्कर (मेस्कट)" मस्तक पर सूर्य-बिन्दी से चिन्हित नृत्यरत हाथी का बच्चा 'अप्पू' है। "जन्तर-मन्तर" का प्रयोग किस रूप में हुआ है ?

(अ) खेलों के भाव के रूप में

(ब) दिल्ली की प्राचीनतम् इमारत के रूप में

(स) नवम् खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में

(द) एशियाई खेलों के प्रतीक के रूप में

उत्तरमाला

1अ, 2स, 3द, 4अ, 5ब, 6द, 7अ, 8ब, 9ब, 10द, 11स, 12अ, 13द, 14स, 15अ, 16ब, 17ब, 18अ, 19स, 20द, 21द, 22अ, 23ब, 24ब, 25द, 26द, 27अ, 28द, 29ब, 30अ, 31स, 32स, 33अ, 34ब, 35स, 36अ, 37द, 38ब, 39स, 40ब, 41अ, 42स, 43ब, 44द, 45ब, 46स, 47अ, 48ब, 49अ, 50ब, 51द, 52द, 53अ, 54ब, 55स, 56ब, 57स, 58द, 59ब, 60अ, 61स, 62स, 63ब, 64स, 65ब, 66य, 67अ, 68स, 69द, 70अ, 71ब, 72ब, 73अ, 74स, 75द, 76अ, 77द, 78ब, 79स, 80ब, 81अ, 82द, 83ब, 84स, 85द, 86ब, 87ब ●।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी० सी० एस० परीक्षा में सफल हमारे सहयोगी तथा पाठक

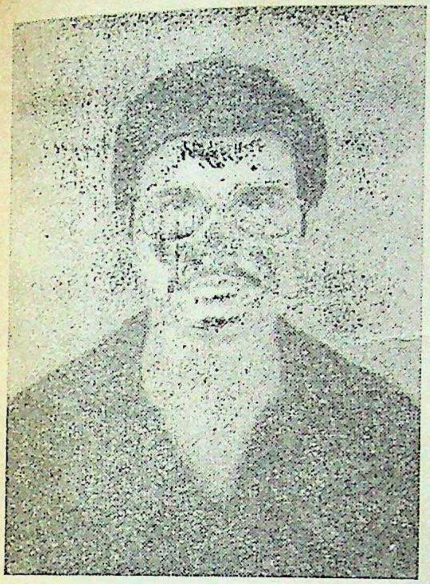

श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
पुत्र-श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव

'प्रगति मंजूषा' के विषय में सम्मति

"प्रगति मंजूषा का मेरा सम्बन्ध न केवल पाठक के रूप में अपितु एक लेखक के रूप में भी रहा है। इस पत्रिका का मैं नियमित पाठक जनवरी 1981 से रहा हूँ। जहाँ तक पी. सी. एस. एवं अन्य स्तरीय परीक्षाओं का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि 'प्रगति मंजूषा' अनिवार्य प्रश्नपत्रों (निबन्ध, सामान्य ज्ञान और हिन्दी) के लिए हिन्दी माध्यम से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की तुलना में अधिक मौलिक, सारगर्भित और उपयुक्त सामग्री का प्रस्तुतीकरण करती है।

मेरा विश्वास है कि प्रतियोगी पाठकों के लिए 'प्रगति मंजूषा' की आवश्यकता एवं उपयोगिता बनी रहेगी।"

पी० सी० एस० परीक्षा में सफल हमारे पाठक

'प्रगति मंजूषा' के विषय में सम्मति

"राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों के ...त्मक विकास की दिशा में अग्रसर 'प्रगति मंजूषा' ...काशन के आरम्भ से ही इसका एक नियमित पाठक ...हूँ। निश्चय ही यह ज्ञानवर्द्धक एवं परिपूर्ण पत्रिका ...में उभर कर सामने आई है जो उच्च कोटि की ...योगिताओं (विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा) के ...हे वरदान है। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आप ... सामग्री का चुनाव बड़ी सूझ बूझ और परिश्रम से ..., साथ ही इसकी रचनाओं को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ... छापते हैं। मैंने इस पत्रिका से सदैव सफल ... आत्मविश्वास अर्जित किया है।

'प्रगति मंजूषा' के सम्पादक मण्डल के प्रति आभार ...करता हूँ, साथ ही 'प्रगति मंजूषा' की प्रचुर लोक-...की सफलता की कामना करता हूँ।"

श्री चन्द्र सिंह ग्वाल
पुत्र-श्री हरक सिंह ग्वाल

...तन कुमार दीक्षित द्वारा 436, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा ...न्द्रा प्रिंटिंग वर्क्स, 37, एलनगंज, इलाहाबाद में मुद्रित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Regd. No. R. N. 33023/77
Postal Regd. No. AD-137
Licence No. W.P.-43
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

JUST RELEASED

R. Gupta's Railway Exam Guide

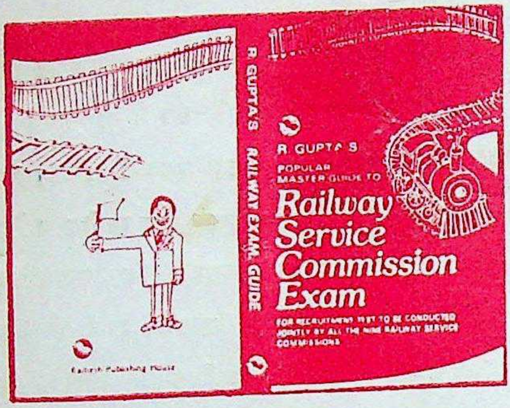

Rs 20/-.

New edition of R. Gupta's famous Railway Exam. Guide According to new syllabus announced by the Railway Board. Model test papers and intelligence test are specialities of the guide. Attractive double spread cover. For success you can depend on this book.

A Hand Book of English Grammar

There is no dearth of good books on English Grammar. But this one is unique. It is written specially for those going to appear in competitive exams. Essentials of grammar well-explained. Lot of exercises for practice. A complete section devoted to English spelling.

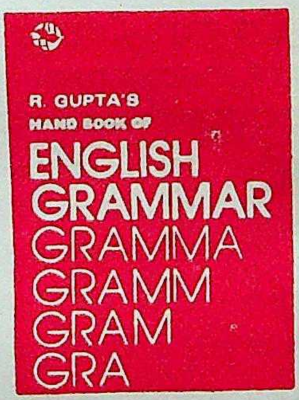

Rs. 10/-

R. Gupta's Bank P.O. Exam Guide

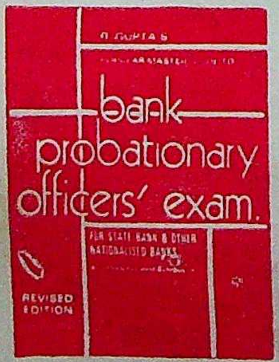

Rs. 35/-

R. Gupta's Bank P.O. Exam Guide is already a synonym of success in Bank P.O. Exam. Its 1983 edition contains a new model Test Paper and latest essays. Attractive glossy cover. Moderately priced.

While ordering please send Rs. 10/- in advance by money order to :

Ramesh Publishing House

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

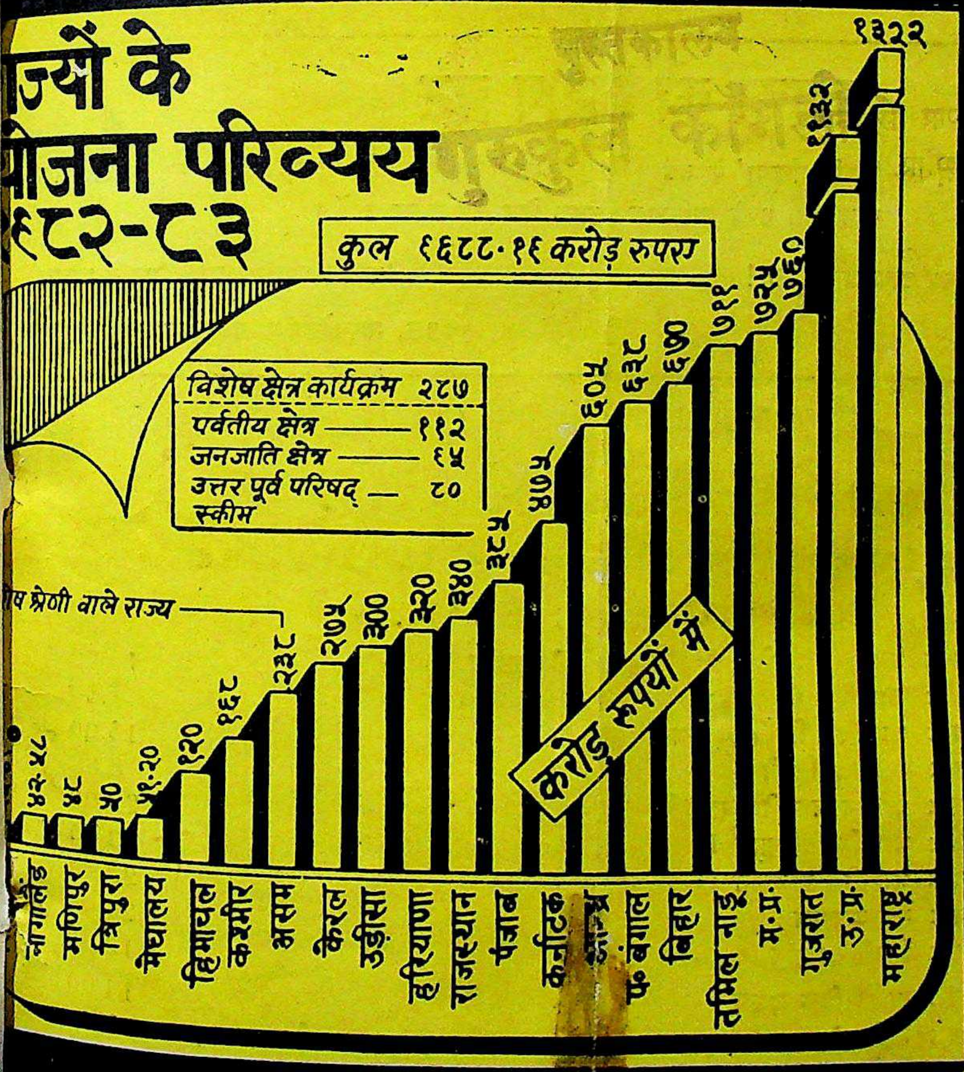

- भारत और गुट-निरपेक्षता
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: उपयुक्त प्रौद्योगिकी की दिशा
- भारतीय अर्थव्यवस्था में लोक उद्यम
- भारत में वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास
- हिन्दी कविता की अद्यतन प्रवृत्तियाँ
- मानक हिन्दी और उसका व्याकरण

नवम्बर '82
रु० 4-00

बी०पी०एस०सी०/पी०एस०सी० (म०प्र०)/फॉरेस्ट रेन्जर (उ०प्र०)/सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा हेतु सामग्री

पी. सी. एस. परीक्षा विशेषांक

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'प्रगति मंजूषा' के अक्टूबर 82 अंक को हमारे सुधी पाठकों ने हमारी आशा से अधिक अपना स्नेह प्रदान किया है। साथ ही, सम्बन्धित परीक्षा के लिये इस विशेषांक ने अपनी महत्वपूर्ण सामग्री से अपनी उपादेयता स्वयं सिद्ध की है। इस सफलता के सन्दर्भ में हमारे पाठकों के अनेक पत्र हमारे कार्यालय को प्राप्त हुए हैं—स्थानाभाव के कारण इन्हें अभी प्रकाशित करना तो कठिन है। अतः हम उन सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपने समस्त पाठकों को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अपनी उत्कृष्ट सामग्रियों के माध्यम से 'प्रगति मंजूषा' सदैव आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी।

—सम्पादक

ग्राहकों को विशेष छूट

मात्र पच्चीस रुपये में :—'प्रगति मंजूषा' के वर्ष 1982 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई अंक मात्र बीस रुपये मनीआर्डर द्वारा भेज कर प्राप्त करें।

नोट :—5 (पांच) रुपये डाक खर्च मुफ्त !

'प्रसार व्यवस्थापक, 'प्रगति मंजूषा'
436, ममफोर्डगंज इलाहाबाद 211002

VISIT WRITE OR RING 52384

ASIA BOOK CO.

9, University Road, Allahabad.

BOOKS FOR P. C. S. EXAM.

1.	एम॰ पो॰ श्रीवास्तव	प्राचीन भारतीय संस्कृति कला और दर्शन	40 00
2.	Chaudhary	English Grammer and Translation	7.50
3.	ओम प्रकाश मालवीय	आधुनिक हिन्दी निबन्ध	15.00
4.	ओम प्रकाश मालवीय	सामान्य हिन्दी	8.00
5.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	प्राचीन भारतीय संस्कृति	20.00
6.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	भारतीय इतिहास I	20 00
7.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	भारतीय इतिहास II	20.00
8.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	समाजशास्त्र	20.00
9.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	हिन्दी साहित्य	12 00
10	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	राजनीतिक शास्त्र	14.00
11	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	विधि I	18.00
12.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	विधि II	15.00
13.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	विधि III	16.00
14	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	भारतीय दर्शन	20 00
15.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	समाज कार्य	25 00
16.	पी॰ सी॰ एस॰ गाइड	प्रारम्भिक गणित	12.00

नोट : पुस्तकों के लिए आर्डर करते समय 10 रु. अग्रिम मनीआर्डर द्वारा भेजें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नवम्बर—1982

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

[राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र को समर्पित]

वर्ष—5

अंक—10

इस अंक का मूल्य—रु० 4.00

● पृष्ठ संख्या—88

77
1-12-82

सम्पादक
रतन कुमार दीक्षित

●

सह-सम्पादक
प्रदीप कुमार वर्मा 'रूप'

●

उप-सम्पादक
जी. शंकर घोष, राकेश सिंह सेंगर

■

मुख्य कार्यालय
436, ममफोर्डगंज
इलाहाबाद-211002

●

शाखा कार्यालय
ए-7, प्रेस एन्क्लेव
साकेत, नई-दिल्ली

●

डी. 47/5, कबीर मार्ग,
क्ले स्क्वायर, लखनऊ
विज्ञापन सम्पर्क-सूत्र :
169/20 ख्यालीगंज, लखनऊ
दूरभाष : 43792

■

सज्जा : कोलोरेड, इलाहाबाद

●

चन्दे का दर
वार्षिक : रु. 44.00, अर्द्ध वार्षिक : रु. 22.00
सामान्य अंक (एक प्रति) : रु. 4.00
(चन्दा मनीआर्डर द्वारा मुख्य कार्यालय को ही भेजें)

पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन सुरक्षित है। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है।

स्थायी स्तम्भ

■ समसामयिक सामान्य ज्ञान / 9
■ राष्ट्रीय सामयिकी / 15
■ अन्तरराष्ट्रीय सामयिकी / 19
■ क्षेत्रीय संगठन / 41
■ विज्ञान वार्ता / 42
■ भारतीय संविधान / 49
■ क्रीड़ा जगत / 79
■ सामान्य हिन्दी / 87

सिविल सर्विसेज तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी लेख

■ भारत और गुट-निरपेक्षता / 26
■ विज्ञान और प्रौद्योगिकी : जटिल प्रौद्योगिकी से उपयुक्त प्रौद्योगिकी की दिशा / 33
■ हिन्दी कविता की अद्यतन प्रवृत्तियाँ / 46
■ भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास / 50
■ भारतीय अर्थव्यवस्था में लोक उद्यमों की भूमिका / 55
■ मानक हिन्दी और उसका व्याकरण / 74
■ एशियाड 82 : एक संक्षिप्त अवलोकन / 81

विशेष आकर्षण

■ सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन पर साँख्यिकी सामग्री / 2
■ मध्य प्रदेश पी. एस. सी. परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन वस्तुपरक परीक्षण / 30
■ बिहार पी. एस. सी. परीक्षा हेतु सामान्य विज्ञान का मॉडल प्रश्न-पत्र / 59
■ फॉरेस्ट रेन्जर/सुपरवाइजर, कानूनगो / बी.पी.एस.सी. परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र / 67
■ फॉरेस्ट रेन्जर सामान्य हिन्दी मॉडल प्रश्नपत्र / 87

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा हेतु

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य अध्ययन पर सांख्यिकी सामग्री

■ सी. बी. सिंह

पाठ्यक्रम—सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण (Graphs and diagrams) :—

सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरुपण से सम्बन्धित विषयों में सांख्यिकीय या चित्रात्मक रुप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरुपण करने की क्षमता की परीक्षा होनी चाहिए।

सांख्यिकीय विश्लेषण—

(i) समानान्तर माध्य (Arithmetic mean)—

यदि $x_1, x_2 \cdots\cdots x_n$, n राशियां दी हुई हो तो इनका समानान्तर माध्य (Arithmetic mean) निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं।

$$\text{स. मा.} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots\cdots + x_n}{n} = \frac{\sum x}{n}$$

(ii) हरात्मक माध्य (Harmonic Mean)—यदि n राशियां ऊपर की भांति दी हुई हो तो उनका हरात्मक माध्य निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं।

$$\text{ह. मा.} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots\cdots + \frac{1}{x_n}}$$

नोट—हरात्मक माध्य का प्रयोग कार, जहाज एवं ट्रेनों की औसत गति निकालने में होता है।

प्रश्न 1—एक कार 15 किमी. प्रति घण्टे की गति से पहले 10 किलोमीटर और 20 कि. प्र. घ. की गति से अगले 10 किलोमीटर और 25 किमी. प्रति. घं. की गति से अगले 10 किमी. चल रही है, तो उसकी औसत गति कितनी है ?

यदि वह कार यात्रा के बाकी 20 किमी. 40 किमी. प्र. घं. की गति से पूरा करे तो उसकी औसत गति क्या होगी ?

हल—सूत्र—

$$\text{ह. मा.} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{3}{\frac{1}{15} + \frac{1}{20} + \frac{1}{25}} = \frac{3}{\frac{20 + 15 + 12}{300}} = \frac{3}{\frac{47}{300}}$$

$$= \frac{3 \times 300}{47} = 19.15 \text{ किमी. प्रति घंटा (लगभग)}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

चूंकि कार को 50 किमी. चलना है। अतः 50 किमी. चली गयी दूरी के लिए लिया गया सम्पूर्ण समय =
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\frac{10}{5}+\frac{10}{20}+\frac{10}{25}+\frac{20}{40}$$

$$=\frac{2}{3}+\frac{2}{4}+\frac{2}{5}+\frac{1}{2}=1+\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=1+\frac{16}{15}=\frac{31}{15} \text{ घंटे}$$

$$\therefore \text{ औसत गति} = \frac{\text{सम्पूर्ण दूरी}}{\text{सम्पूर्ण समय}} = 50 \div \frac{31}{15} = \frac{50 \times 15}{31}$$

$$= \frac{750}{31} = 24.2 \text{ कि. मी. प्रति घंटा (लगभग)}$$

नोटः—अंकगणतीय विधि से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। बेहतर हो कि आप ऐसे प्रश्नों को हल करते समय ह. माध्य का ही प्रयोग करें।

प्रश्न 2—एक कार पहाड़ी पर चढ़ते समय 25 किमी. प्रति घंटा की चाल से जाती है और उतरते समय यही दूरी 45 किमी. प्रति घंटा की गति से वही दूरी तय करती हैं। कार की औसत गति मालूम कीजिए। अपने उत्तर की अंकगणतीय विधि से पुष्टि कीजिए?

हल—

$$\text{औसत गति} = 25 \text{ और } 45 \text{ का हरात्मक} = \frac{2}{\frac{1}{25}+\frac{1}{45}} = \frac{2}{00.4+0.022} = \frac{2}{0.062} = \frac{200}{62}$$

$$= 32.3 \text{ किमी. प्रति घंटा (लगभग)}$$

पुष्टि—अंकगणतीय विधि से—

माना कि दूरी 100 किमी.

किमी. / घंटा	दूरी	समय (घंटे में)
25	100	4
45	100	2.22
	योग 200	6.22

$$\text{औसत गति} = \frac{200}{6.22} = 32{\cdot}3 \text{ किमी. प्रतिघंटा (लगभग)}$$

(iii) सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज—(Simple interest and compound interest)

सूत्र—

$$\text{सरल ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{मूलधन} \left\{ \left(1+\frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}} - 1 \right\}$$

प्रश्न 3—श्री X तीन वर्ष के लिए 10,000 रु. मियादी जमानत में निवेश करना चाहता है। निवेश करने के लिए उसके सामने दो कम्पनियों का विकल्प है—A B C और P Q R। दोनों कम्पनियां समान ख्याति और प्रतिष्ठा वाली हैं। दोनो ने पिछले तीन वर्षों में 12% से 15% लाभांश घोषित किये हैं। P Q R 15% की सामान्य वृद्धि देता है जबकि A B C 13.5% प्रति वर्ष की चक्र वृद्धि देता है। आप श्री X को किस कम्पनी में निवेश करने की सलाह देगें? यह मान लिया जाये कि आयकर और अन्य व्यक्तिगत मामलों का निवेश सम्बन्धी निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह दिखा दें कि आपके सुझाव से श्री X को कुल मिलाकर अधिक लाभ कैसे पहुंचता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हल—

सरल ब्याज (सरल वृद्धि)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्पनी P Q R

दर = 15%

समय = 3 वर्ष

मूलधन = 10,000

$\because$ सरल ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$= \frac{10,000 \times 15 \times 3}{100} = 4500$ रुपये

= 4500 रुपये

चक्रवृद्धि ब्याज

कम्पनी A B C

दर = 13.5%

समय = 3 वर्ष

मूलधन = 10,000

चक्रवृद्धि ब्याज = मूलधन $\left\{\left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}} - 1\right\}$

$= 10,000 \left\{\left(1 + \frac{13.5}{100}\right)^{3} - 1\right\}$

$= 10,000 \left\{\frac{113.5 \times 113.5 \times 113.5}{100 \times 100 \times 100} - 1\right\}$

= 14621.354 − 10000 = 4621.35 रुपये

तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि X को A B C कम्पनी में निवेश करना चाहिए।

4—A B C एक कम्पनी श्री X को कुछ रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देती है और Y को उतना ही रुपया उसी दर से सरल ब्याज पर देती है। यदि X के द्वारा कम्पनी को दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 40 रु. 40 पै. हो और Y के द्वारा कम्पनी को दिया गया सरल ब्याज 40 रुपया हो तो बताओ कि कम्पनी ने X को कितना रुपया किस दर से दिया था। (यह दिया है कि कम्पनी से X को 2 वर्ष के लिए कुछ रुपया दिया है और Y को भी इतने वर्ष के लिए दिया है)।

हल—हम जानते हैं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अन्तर पहले वर्ष के सरल ब्याज पर ब्याज होता है।

$\therefore$ पहले वर्ष का सरल ब्याज = $\frac{40}{2}$ = 20 रुपया

चक्र वृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अन्तर = 40.40 − 40 = .40 रु.

$\because$ 20 रु. पर एक वर्ष का सरल ब्याज = .40 रु.

$\therefore$ 100 रु. $= \frac{.40 \times 100}{20} = 2$ रु.

$\therefore$ ब्याज की दर = 2%

$\therefore$ ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$\because$ मूलधन = $\frac{100 \times \text{ब्याज}}{\text{दर} \times \text{समय}} = \frac{100 \times 40}{2 \times 2}$ = 1000 रुपया

$\therefore$ मूलधन = 1000 रुपया

दर = 2%

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सांख्यिकीय विश्लेषण से सम्बन्धित कुछ मुख्य तथ्य—

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(i) ध्यान से आकड़ों और उनकी प्रवृत्ति (Trend) को देखना चाहिए—बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते-बढ़ते क्रम में और स्थिर—इन सभी क्रमों का ध्यान से अनुशीलन करना चाहिए।

(ii) यदि किसी प्रश्न में ग्राफ दर्शाया गया हो तो उसके बारे में निष्कर्ष केवल ग्राफ की शक्ल को देखकर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि x और y axis के पैमानों पर भी ध्यान देना चाहिए।

(iii) आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी निष्कर्ष आंकड़ो से न निकलने पर भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता लेनी पड़ती है। जैसा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा, 1981 के प्रश्न-संख्या 17 में पूछा गया था।

प्रश्न 5—भारतीय निर्यात के मूल्य से सम्बन्धित निम्नलिखित आंकड़ों का परिशीलन कीजिए और उसके आधार पर चार प्रमुख निष्कर्ष बताइए।

प्रमुख देशों को निर्यात (रुपये लाखों में)

देश	1950-51	1970-71	1976-77
यू. के.	13,982	17,044	51,012
यू. एस. ए.	11,588	20,734	54,958
यू. एस. एस. आर.	1,38	20,985	44,039
जापान	1,027	20,348	54,024
वेस्ट जर्मनी	—	3,231	22,434
मलेशिया	550	1,173	2,984
इन्डोनेशिया	42	410	6,066
जोड़ (अन्य देशों को सम्मिलित करके)	60,064	1,53,516	5,14,323

हल—(i) वर्ष 1976-77 के दौरान भारत का कुल निर्यात 5,14,323 लाख रुपये थे जबकि वर्ष 1950-51 के दौरान कुल निर्यात 60,064 लाख रुपये थे, अर्थात वर्ष 1976-77 की अवधि में वर्ष 1950-51 की अपेक्षा $\frac{514323}{60064}$ = आठ गुने से भी अधिक वृद्धि हुई।

(ii) वर्ष 1950-51 की अवधि में यू. के. सबसे बड़ा ग्राहक है जबकि 1970-71 में यह चौथे स्थान पर है। वर्ष 1976 77 में यू. के. तीसरे स्थान पर है। वर्ष 1970-71 में यू. एस एस आर. सबसे बड़ा ग्राहक है जबकि वर्ष 1176-77 में यू एस. ए. पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर जापान है।

(iii) वर्ष 1950-51 में वेस्ट जर्मनी भारत के निर्यात में नहीं विद्यमान है। भारत द्वारा किये गये प्रत्येक देश का निर्यात समय के अनुसार बढ़ता गया है।

(iv) सबसे अधिक निर्यात (वर्ष 1950-51, 1970-71, 1976-77 में) यू. एस. ए. को हुआ है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: यू के. और जापान है। चौथे स्थान पर यू. एस. एस. आर. है।

प्रश्न 6—नीचे 1950-79 की अवधि में भारत में बिजली की कुछ वस्तुओं के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इसी अवधि में बिजली के उत्पादन से सम्बन्धित सूचना भी दी गई है। इससे स्थूल रूप से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं?

क्रमांक उद्योग का नाम	वर्ष							
	1950-51	60-61	65-66	70-71	75-76	76-77	77-78	78-79
1—बिजली की मोटरें (हजार हार्स पावर में)	90	728	1,753	2,721	3,610	3,670	3,960	3,980
2—बिजली के पंखे (लाख संख्या में)	2.00	10.60	13.60	17.20	21.40	26.30	34.00	31.00
3—तापदीप्त बिजली के बल्ब (लाख संख्या में)	140	143	721	1,193	1.231	1,619	1,685	1,828
4—उत्पादित बिजली (करोड़ किलोवाटों में)	530	1,690	3,300	5,580	7,985	8,920	9,220	10,322

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हल—(i) विद्युत के उत्पादन में सतत (continuous) वृद्धि हुई है। सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि वर्ष 1950-51 से वर्ष 1960-61 के दौरान हुई है।

(ii) विद्युत उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ विद्युत के सामानों में भी वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन की वृद्धि के साथ सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि 1950-51 से 1960-61 के बीच हुई है (वर्ष 1950-51 से 1960-61 के बीच बिजली के मोटरों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है)।

(iii) वर्ष 1950-51 से वर्ष 1978-79 की अवधि में विद्युत के सामानों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि बिजली की मोटरों में हुई है।

(iv) वर्ष 1977-78 के दौरान बिजली के पंखे के उत्पादन में सहसा वृद्धि (boom) हुई है जो कि 78-79 में गिर गयी है।

प्रश्न 7— निम्नलिखित सारिणी में एक स्थान पर एक विशेष दिन आधी रात के बाद प्रति घन्टा लिया गया तापमान सेन्टीग्रेड में दिया हुआ है।

समय (आधी रात के बाद)	तापमान (सेन्टीग्रेड)
1	27.3
2	27.0
3	26.8
4	26.5
5	26.2
6	26.4
7	26.8
8	27.0
9	27.2
10	28.2
11	29.3

एक उपयुक्त आरेख बनाइये और
(a) आधी रात के $2\frac{1}{2}$ घण्टे बाद
(b) आधी रात के $6\frac{1}{4}$ घण्टे बाद
(c) आधी रात के $9\frac{1}{3}$ घण्टे बाद
तापमान का अनुमान बताइये।

क्या आपका यह आरेख आधी रात के (d) 12 घण्टे बाद, (e) 24 घण्टे के तापमान का अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है? यदि नहीं तो क्यों?

हल—

(a) आधी रात के $2\frac{1}{2}$ घंटे बाद तापक्रम
$= 26.9^\circ c$ (लगभग)

(b) आधीरात के $6\frac{1}{4}$ घण्टे बाद तापक्रम
$= 26.5^\circ c$ (लगभग)

(c) आधीरात के $9\frac{1}{3}$ घण्टे बाद तापक्रम
$= 27.45^\circ c$ (लगभग)

(d), (e) जैसा कि प्रश्न में आंकड़ा दिया है। इस आंकड़े से आधी रात के 12 घण्टे बाद और 24 घण्टे बाद तापक्रम का अनुमान लगाना असम्भव है। क्योंकि तापमान में बढ़ोत्तरी (Rise) और घटोत्तरी (Fall) एक समान (uniform) नहीं है।

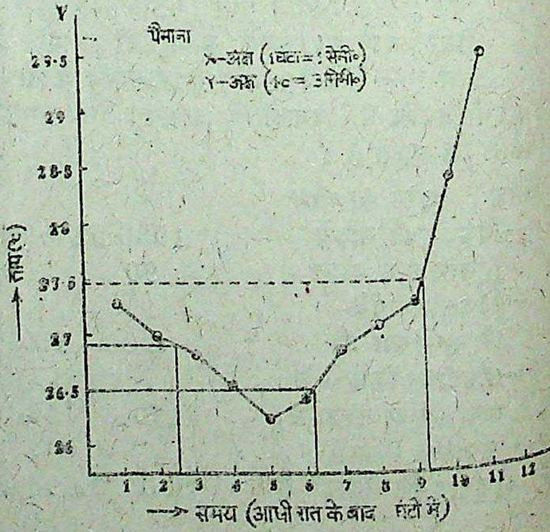

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रश्न 8—किसी प्रदेश विशेष के खाद्यान्नों के उत्पादन के संबंध में नीचे दिये गये आंकड़ों को एक रेखा चित्र में दर्शाइए और उससे मोटे तौर पर कुछ निष्कर्ष निकालिए—

(उत्पादन मिलियन टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	दूसरे अनाज
1972-73	39.6	24.7	33.0
74-75	44.0	21.8	39 0
76-77	48.7	28.9	43.4
78-79	52.7	31.3	41.6

हल—

(i) प्रदेश में चावल का उत्पादन गेहूँ और दूसरे अनाजों की अपेक्षा सबसे अधिक हुआ है ।

(ii) चावल का उत्पादन प्रत्येक वर्ष गेहूं और दूसरे अनाजों की अपेक्षा अधिक हुआ है ।

(iii) यदि हम दिए गए वर्षों में चावल के उत्पादन पर ध्यान दें तो चावल के उत्पादन में एक स्थायी वृद्धि (Steady increase) हो रही है ।

(iv) गेहूँ के उत्पादन में वर्ष 1976-77 में सहसा वृद्धि हुई है । जिसमें पुन: एक सामान्य स्तर पर वर्ष 1978-79 में वृद्धि हुई हैं ।

(v) दूसरे अनाजों के उत्पादन में वर्ष 1978-79 में, 1976-77 की अपेक्षा एक सामान्य स्तर पर गिरावट आयी है ।

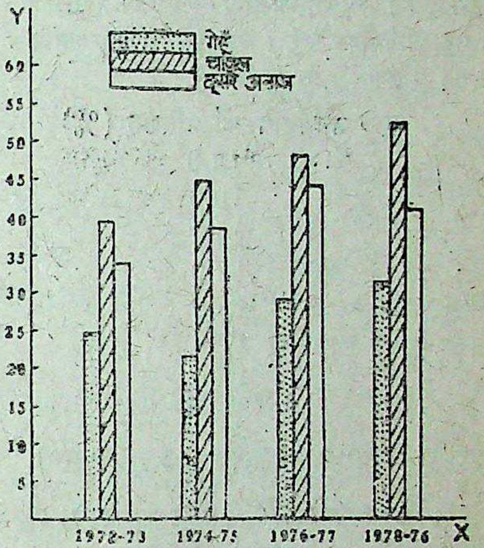

प्रश्न 9—1972-80 की अवधि में निर्यात और आयात के मासिक औसत मान निम्न प्रकार के हैं ।

वर्ष	निर्यात	आयात (करोड़ रुपयों में)
1972	164	156
1974	277	376
1976	429	423
1978	477	568
1979	538	742
1980	548	982

उपर्युक्त आंकड़ों को आरेख (ग्राफ) में दर्शाइए और बताइए कि व्यापार शेष कैसे बदलता रहा । आयातों में 1978 से लेकर आकस्मिक वृद्धि हो जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है ?

हल—

व्यापार शेष (Balance of trade)—

आयात और निर्यात के अन्तर को व्यापार शेष कहते हैं । यदि निर्यात अधिक होता है तो यह धनात्मक व्यापार शेष (Favourable Balance of Trade) और यदि आयात अधिक होता है तो यह ऋणात्मक व्यापार शेष (Unfavourable Balance of Trade) कहलाता है ।

प्रथम तीन वर्षों में व्यापार शेष घटता-बढ़ता (Fluctutate) रहता है । 1972 में व्यापार शेष धनात्मक 8 करोड़ रुपया है जबकि 1974 में व्यापार शेष ऋणात्मक 99 करोड़ रुपया है । 1976 में व्यापार शेष धनात्मक 6 करोड़ रुपया है ।

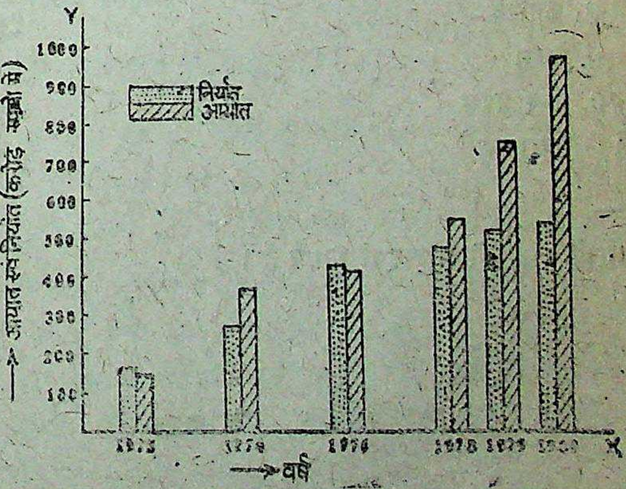

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तिम तीन वर्षों में व्यापार शेष हमेशा ऋणात्मक (unfavourable) रहा है। वर्ष 1978, 1979 और 1980 में व्यापार शेष का मान क्रमशः 91 करोड़ रुपये, 204 करोड़ रुपये और 434 करोड़ रुपये रहा।

आयातों में 1978 से लेकर आकस्मिक वृद्धि के कारण के लिए मांग (Demand) और पूर्ति (Supply) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसी वस्तु की मांग अधिक रही हो और पूर्ति कम हो तो अधिक आयात करना पड़ा हो। ओपेक देशों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ाया जाना भी कारण हो सकता है।

प्रश्न 10—1901 से 1961 के बीच भारत में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत नीचे दी गयी है। आंकड़ों को काल श्रेणी आलेख (Time Series graph) पर आलेखित करे। वर्ष 1946 में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत ज्ञात कीजिए ?

वर्ष	शहरी जनसंख्या की प्रतिशत (%)
1901	18.8
1911	10.3
1921	11.2
1931	12.0
1941	13.9
1951	17.3
1961	18.0

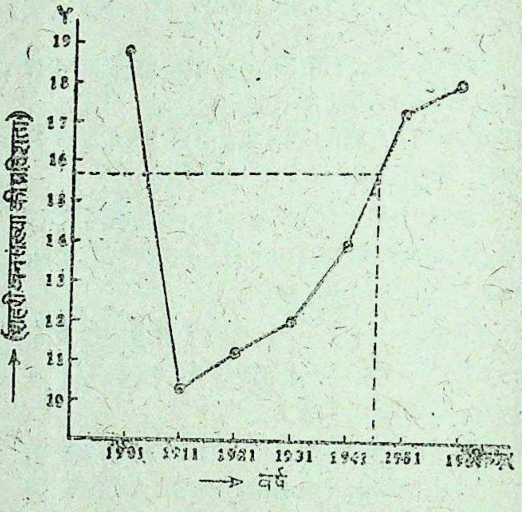

हल—

1946 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत = 15.7 (लगभग)

प्रश्न 11—1971 की जनगणना के अनुसार भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या दी हुई है। आंकड़ों को दण्ड आरेख पर दर्शाओ। (स्रोत—1971 की जनगणना)

क्रमांक राज्य	जनसंख्या (लाखों में)
1. आंध्र प्रदेश	435.0
2. असम	146.3
3. बिहार	563.5
4. गुजरात	267.0
5. हरियाणा	100.4
6. हिमाचल प्रदेश	34.6
7. जम्मू और कश्मीर	46·2
8. कर्नाटक	293.0
9. केरल	213.5
10. मध्य प्रदेश	416·5
11· महाराष्ट्र	504·1

हल—

सभी दण्डों की चौड़ाइयां समान हैं।

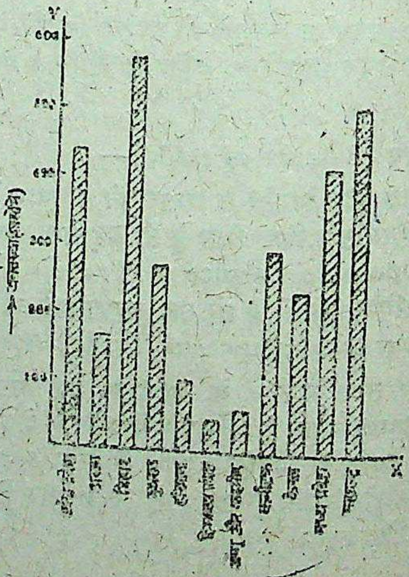

■ ■ ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समसामयिक सामान्य ज्ञान

■ शब्द संक्षेप :

- ● ए. एस. डब्लू. : एन्टी सबमरीन वारफेयर
  A. S. W. : Anti-Submarine Warfare
- ● सी. एल. आर. सी. : सेन्ट्रल लैण्ड रिफार्म्स कमेटी
  C. L. R. C. : Central Land Reforms Committee
- ● डी. यू. एस. यू. : दिल्ली युनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स युनियन
  D. U. S. U. : Delhi University Students union .
- ● ई. एफ. टी. ए. : यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन
  E. F. T. A. : European Free Trade Association.
- ● आई.आर.सी.ओ.एन. : इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
  I. R. C. O. N. : Indian Railway Construction Company Limited
- ● आई. डी. ए. : इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट एसोसियेशन
  I. D. A. : International Devlopment Association
- ● आई.एन.एस.डी.ओ.सी : इण्डियन नेशनल साइंटिफिक डाकुमेंटेशन
  INSDOC : Indian National Scientific Documentation.
- ● आई.सी.एच.आर. : इण्डियन कौंसिल फार हिस्टोरिकल रिसर्च
  I. C. H. R. : Indian Council of Historical Research.
- ● एस. एल एफ. पी. : श्री लंका फ्रीडम पार्टी
  S. L.F.P. : SriLanka Freedom Party
- ● टी. यू. एल. एफ. : तमिल युनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट
  T. U. L. F. : Tamil United Liberation Front.
- ● यू.एन.आई.एफ.आई. एल. : यूनाइटेड नेशंस इन्टरिम फोर्स इन लेबनान
  U. N.I. F. I. L. : United Nations Interim Force in Lebnan.
- ● डब्लू.आई.पी ओ. : वर्ल्ड इंटोलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गेनाइजेशन
  W. I. P. O. : World Intellectual Property Organisation.
- ● डब्लू.ए.पी.सी.ओ.एस. : वाटर एण्ड पावर कन्सटेन्सी सर्विसेज
  W.A.P.C.O.S. : Water And Power Constancy Services.

■ महत्वपूर्ण पुस्तकें :

- ● ला फिन डू मोण्डे-मौरिस चेतलेन
- ● रिच लाइक अस— नयन तारा सहगल
- ● टू हैल विद हॉकी : द लाइफ स्टोरी आफ असलम शेर खान—असलम शेर खाँ
- ● द टाच इन माई हयर—इलियास केनेटी
- ● रिवोल्यूशन एण्ड रिवोल्यूशनरीज—ए. जी. पी. डेलर
- ● लॉ, जस्टिस एण्ड द डिसेबिलिड—वी. आर. कृष्णा अय्यर
- ● वारिसशाह—अमृता प्रीतम
- ● चम्पारण की गौरव गाथा रतन लाल जोश
- ● नदी किनारा का मांझी—मोहन कोईराला

■ महत्वपूर्ण आंकड़े :

● भारत इस वर्ष गन्ने की चीनी बनाने वाले देशों में प्रथम स्थान पर आ गया है। यहां इस वर्ष ब्राजील तथा क्यूबा से भी 10 टन लाख अधिक चीनी उत्पादन हुआ।

● चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीनों में (अप्रैल-अगस्त 1982) देश में मुद्रा स्फीति की वृद्धि की दर 6.6% रही। यह वृद्धि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.5% अधिक है। 1981 की अवधि में यह दर 5.04% रही।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में हमारे देश में कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात में 22.2% वृद्धि हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि में 480 करोड़ रु. का निर्यात हुआ था जो इस वर्ष में बढ़कर 587 करोड़ रु. हो गया।

● वर्तमान समय में देश के 6 बाघ अभ्यारण्य के विस्तार और 4 नये अभ्यारण्यों के निर्माण के बाद इनका कुल क्षेत्रफल 25 हजार वर्ग कि. मी. हो गया। 'प्रोजेक्ट टाईगर' के लागू होने के पिछले 10 वर्षों में बाघों की संख्या 1972 में 268 से बढ़कर 1981 में 757 हो गई। सम्पूर्ण देश में इस समय बाघों की कुल संख्या 3015 है।

● वर्ष 1982-83 की राष्ट्रीय वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 21,082 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था है।

● वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय (6,732.30 करोड़ रु.) का प्रावधान है।

● हमारे देश में कुल 17.3 करोड़ हेक्टेअर कृषि क्षेत्र है जिसमें से अभी तक कुल 6.16 करोड़ हेक्टेअर क्षेत्र सिंचित है।

● हमारी नदियों में 144 करोड़ एकड़ फुट जल प्रवाहित होता है और हम उसका केवल 10% अर्थात 14 करोड़ एकड़ फुट जल ही एकत्रित करने में समर्थ है।

● वन सम्पदा से हमारे देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में 1.5% योगदान होता है।

● ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 1.21 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

● वर्ष 1980 के मध्य तक विश्व की कुल जनसंख्या 4 अरब 41 करोड़ 50 लाख तक पहुँच गयी है। अपने पिछले वर्ष के मुकाबले यह वृद्धि 7 करोड़ 90 लाख थी।

● वर्ष 1982-83 के प्रथम दो महीनों में रेलवे की कुल आय गत वर्ष की इसी अवधि की आय से 161.35 करोड़ रु. बढ़ कर 732.13 करोड़ रु. रही।

● इण्टरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑव इण्डिया ने अपने स्थापनाकाल 1972 से 1980-81 तक 25.5 करोड़ रुपये का निबल लाभ अर्जित किया।

● संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण के अनुसार अफ्रीकी देशों को छोड़ कर सभी देशों में जन्म दर में ह्रास हुआ है।

● विकासशील देशों की 2 अरब जनसंख्या 40 करोड़ पशुओं पर कृषि और यातायात हेतु निर्भर करती है।

● विश्व बैंक एटलस के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत के पाँच राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों का वरीयता क्रम इस प्रकार है—1. पांडिचेरी, 2. दिल्ली, 3. गोआ, दमण तथा द्वीव 4. पंजाब, 5. महाराष्ट्र।

● अभी तक नवें एशियाई खेलों की आयोजन तैयारियों पर लगभग 75 करोड़ रु. व्यय हो चुके हैं।

● जापान ने अब तक एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक विजित किये हैं।

● आठवें एशियाई खेलों में भारत का स्थान छठाँ था। उसने कुल 28 पदक जीते थे जिनमें 11 स्वर्ण, 11 रजत तथा 6 कांस्य पदक थे।

● 31 मार्च 1982 को भारत पर 1 खरब, 54 अरब, 44 करोड़, 77 लाख रुपये का ऋण बकाया था।

● केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार 1980-81 में वर्तमान मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1536.9 रुपये और 1970-71 के मूल्यों के आधार पर 632.8 रु. थी।

● असम को छोड़ कर भारत की वर्तमान जनसंख्या 66 करोड़, 40 लाख, 94 हजार 685 है।

■ निर्वाचन व नियुक्तियाँ :

● मोहम्मद हिदायतुल्लाह—कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत

● पी. रामचंद्रन—राज्यपाल, केरल

● डा. फारूख अब्दुल्ला—मुख्यमन्त्री, जम्मू और कश्मीर

● डा. मनमोहन सिंह—गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑव इण्डिया

● के. विजय भास्कर रेड्डी—मुख्यमन्त्री, आंध्र प्रदेश

● अमीन जमील—राष्ट्रपति, लेबनान

● इमरी होलाई—संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 37 वें अधिवेशन के अध्यक्ष

● ओल्फ पामें—प्रधानमन्त्री, स्वीडन

● जे. आर. जयवर्द्धन—पुनःनिर्वाचित राष्ट्रपति, श्री लंका

● जे आर. डी. टाटा—निदेशक, एयर इंडिया

● मनमोहन मल्होत्रा—सहायक महासचिव, राष्ट्रमंडल संघ

● पाल सुचेलटर-प्रधानमंत्री, डेनमार्क

● हैल्मुठ कोल—चांसलर, प. जर्मनी

● वाई. के. अलघ—अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• अरविंद रामचंद्र—यूगोस्लाविया में भारतीय राजदूत

• कांति किशोर भार्गव—जिम्बाब्वे में भारतीय हाई कमिश्नर

• आर. डी. साठे—प. जर्मनी में भारतीय राजदूत

• सुशील दूबे—पेरु में भारतीय राजदूत

• मदन गजाधर—भारत में मारीशस के हाई कमिश्नर

• एन. के. पी. साल्वे—अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

बीरबल नाथ—निदेशक, सीमा सुरक्षा बल

• तारिक अनवर—अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस (ई.)

• के. जी. भगत—अतिरिक्त सालिसिटर जनरल, भारत

• नरेश चन्द्र उपाध्याय—उ. प्र. के नये महाधिवक्ता

• हरनाथ सिलेक्स जुआजो—राष्ट्रपति, बोलेविया

• शीला झुनझुनवाला—सम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान

■ त्याग पत्र तथा पदनिवृति :

• जैंको सुजूकी—प्रधानमन्त्री, जापान

• भवनम् वेंकटराम—मुख्य मन्त्री, आंध्र प्रदेश

• रिचर्ड हक वर्मन—ऊर्जा मन्त्री, ब्राइल

■ निधन :

• प्यारे लाल—सुप्रसिद्ध गांधीवादी तथा महात्मा गांधी के निजी सलाहकार

• हरि विष्णु कामथ—प्रख्यात समाज वादी नेता तथा भू. पू. सांसद

• शेख अब्दुल्ला—मुख्य मन्त्री, जम्मू तथा कश्मीर

• सी. डी. देशमुख—भू. पू. केन्द्रीय वित्त मन्त्री तथा प्रख्यात शिक्षाविद्

• गोपाल स्वरूप पाठक—भू. पू. उपराष्ट्रपति, भारत

• लार्ड नोएल बेकर - शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता, लेखक, राजनयिक तथा खिलाड़ी

• वादिस्लाव गोमुल्का—पोलैण्ड के प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता तथा भू. पू. शासक

• इंग्रिड बर्गमैन—हालीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा 3 बार आस्कर पुरस्कार की विजेत्री।

• माँ आनन्दमयी—प्रसिद्ध आध्यात्मिक महिला संत

• पी. टी. सुन्दरम—प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ

• जे. पी. भंसाली—प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी के सहयोगी।

• बशीर जमील—राष्ट्रपति, लेबनान (हत्या)

• सादिकजादा कुतुबजादा—भू. पू. विदेशमन्त्री-ईरान (मृत्युदंड)

• एकनाथ रामकृष्ण रानाडे - संस्थापक, विवेकानन्द रॉक मेमोरियल

• ग्रेस कैली—मोनाको की राजकुमारी तथा अमेरिका की भू. पू. अभिनेत्री

• मुकन्द मंडल—लोक सभा सदस्य

• जान गार्डनर—प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार

• जीवन लाल कपूर—महात्मा गांधी की हत्या की जाँच करने वाले न्यायाधीश

• रघुवीर सिंह शास्त्री—भू. पू. सांसद तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भू. पू. उपकुलपति

■ महत्वपूर्ण व्यक्ति :

• शेख अब्दुल्ला—'शेरे कश्मीर' के नाम से लोकप्रिय, कश्मीर के वयोवृद्ध नेता, स्वतंत्रता सेनानी व मुख्यमंत्री जिनका 77 वर्ष की अवस्था में 8 सितम्बर 1982 को निधन हो गया। शेख अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर 1905 को श्रीनगर से 10 कि.मी. दूर सौरा में हुआ था। आपका जम्मू-कश्मीर की राजधानी के विरुद्ध संघर्ष में अद्वितीय योगदान रहा। शेख अब्दुला 1948 में जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। वे भारतीय संविधान सभा के भी सक्रिय सदस्य थे। शेख 1948 में संयुक्त राष्ट्र के भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित हुये। 1951 के चुनाव के पश्चात कश्मीर राज्य तथा केन्द्र के बीच मतभेद बढ़ने लगे। शेख को 1953 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 1968 तक वह अधिकांशतः जेल में बन्दी जीवन व्यतीत करते रहे। बाद में शेख तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ और शेख फरवरी 1975 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 1977 के चुनाव में अपने दल नेशनल कांफ्रेंस के साथ वे पुनः सत्ता में आये और मृत्युपर्यन्त जम्मू-कश्मीर के सर्वाधिक प्रभावशाली और निर्विवाद नेता रहे। शेख की मृत्यु के साथ ही कश्मीर में एक युग का अन्त हो गया।

• कुतुबजादा—ईरान के भूतपूर्व विदेशमंत्री, जिन्हें 16 सितम्बर 1982 को खोमेनी समर्थक सरकार का सत्ता पलटने के लिए 'षडयंत्र' करने के आरोप में गोली से उड़ा दिया गया। स्मरण रहे कि आयतुल्ला खोमेनी के पेरिस प्रवास के दौरान,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फलांजवादी उनके प्रवक्ता थे।

● बशीर गमाएल—लेबनान के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति, जिनकी 14 सितम्बर को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने से पूर्व ही हत्या कर दी गयी।

● विंग कमांडर आर. मल्होत्रा और स्क्वेड्रन लीडर राकेश शर्मा—वर्ष 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर भेजे जाने के लिये चुने गये दो परीक्षण चालक। भारत-सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजे जाने वाले इन दो विमान चालकों को 12 से 15 माह तक सोवियत रूस की 'सितारों की नगरी' में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद इनमें से एक को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जायेगा तथा दूसरे को वैकल्पिक चालक के रूप में तैयार रखा जायगा।

● एरियल शरोन—इस्राइली रक्षा मंत्री जिनसे अभी हाल में प. बेरुत में हुये फिलीस्तीनी नरसंहार के सन्दर्भ में त्यागपत्र की मांग की गयी।

● दत्ता सामंत—महाराष्ट्र के उग्रपंथी श्रमिक नेता जो कि 9 मास से बम्बई में चल रही कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के कारण चर्चित है। 11 अक्टूबर को श्री सामंत 'जेल भरो' और 'उत्पादन रोको' आन्दोलन के नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये।

● रेड अडेयर—विश्व भर में तेल कुओं में आग से जूझने का अनुभव रखने वाला 35 वर्षीय साहसी व्यक्ति। अगस्त 82 में बम्बई हाई में एक तेल कुएं में ब्लो आउट के बाद लगी अग्नि का शमन करने हेतु रेड का सहयोग लिया गया था। रेड के साहसिक कार्यों पर 'हेलफाइटर्स' नामक फिल्म भी बन चुकी है।

● प्रिंस एंड्रयू—ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे और प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई। 22 वर्षीय एंड्रयू 25 वर्षीय फिल्म अभिनेत्री कू स्टार्क से अपने प्रेम सम्बन्धों के कारण विश्व चर्चा का केन्द्र बने हुये हैं।

■ चर्चित स्थल:

● तीन बीघा—त्रिपुरा के मेखलीगंज जिले में घिरे बंगला देशी क्षेत्र दोहग्राम की ओर आने-जाने का छोटा सा गलियारा। अभी हाल में एक समझौते के अन्तर्गत इस क्षेत्र को भारत ने बंगलादेश को स्थायी लीज पर दे दिया है। समझौते की व्यवस्था के अन्तर्गत इस क्षेत्र की प्रभुसत्ता भारत के ही पास रहेगी।

● शतीला और साबरा—पश्चिमी बेरुत में स्थित फिलीस्तीनी शरणार्थी शिविर जहां 16-18 सितम्बर को फिलीस्तीनी शरणार्थियों का जघन्यतम नरसंहार हुआ। फिलीस्तीनियों के इस नरसंहार के पीछे इजरायली हाथ बताया जाता है।

● नई दिल्ली—भारत की राजधानी अभी हाल में तब विश्व चर्चा का केन्द्र बनी जब इसे मार्च 1983 में सम्पन्न होने वाले सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के आयोजन स्थल के रुप में चुना गया।

● 'सितारों की नगरी'—मूल नाम 'ज्वेओजुदावी'। मास्को से 60 कि. मी. दूर स्थित इस स्थान पर सोवियत रुस का अंतरिक्ष यात्रियों का मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र है। 23 सितम्बर को अपनी सोवियत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस स्थान का भ्रमण किया।

● गोजीलिया—त्रिपुरा के बारमुरा क्षेत्र से 60 कि.मी. दूर स्थित वह स्थान जहां अभी हाल में खुदाई के दौरान पहले ही कुएं में प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है।

● बड़ोदरा—गुजरात का वह स्थान जहाँ सितम्बर के अंतिम सप्ताह में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के कुएं में भीषण अग्निकांड हुआ था।

● ह्यूस्टन—स. रा. अमेरिका का वह नगर जहाँ स्थित टैक्सास हृदय रोग संस्थान जहां अभी हाल में भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह के हृदय की धमनियों के बाइ पास का सफल आपरेशन हुआ।

● ब्रिसबैन—आस्ट्रेलिया का वह नगर जहां 30 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक 11 वें राष्ट्रमंडलीय खेल सम्पन्न हुये।

● माइक्रोनेसिया—मध्य प्रशांत के द्वीपसमूह में स्थित वह देश जिसे अमेरिका ने सीमित स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। अब यह देश अपने घरेलू व विदेशी मामलों में स्वतंत्र रहेगा पर इसकी प्रतिरक्षा का दायित्व अमेरिका पर ही रहेगा।

● खुंजरेब सड़क—खुंजेरब दर्रे से कराकोरम राजमार्ग को जोड़ने वाली यह नई सड़क चीन द्वारा अभी हाल में बनायी गयी है। यह सड़क सिंकियांग प्रांत में यारकन्द के पूर्व से आरम्भ होती है तथा खुंजेरब दर्रे को पार करती हुई कराकोरम राजमार्ग से जा मिलती है और यह राजमार्ग आगे पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद तक जाता है। यह सड़क भारत के लिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान की और सोवियत संघ के विरुद्ध चीन की स्थिति को सुदृढ़ करने के दोहरे उद्देश्य से बनायी गयी है।

● देवपुरा—राजस्थान के माधोपुर जिले का वह स्थान जहाँ केन्द्र सरकार ने गैस पर आधारित छठां और राजस्थान का प्रथम खाद कारखाना लगाने का निर्णय किया है।

■ पुरस्कार तथा सम्मान :

● नोबेल पुरस्कार 1982—वर्ष 1982 के नोबेल पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं—

1. शांति—श्रीमती अल्वा मिरडल (स्वीडन) तथा अल्फांसो गार्सिया रोबेल्स (मैक्सिको) को सम्मिलित रूप से।

2. साहित्य—ग्राबिएल गारसिया मारकुएरा (कोलंबिया)

3. भौतिकी—प्रो. केविथ जी. विल्सन (सं. रा. अमेरिका)

4. रसायन—डा. अरोन कुल्ग (ब्रिटेन)

5. चिकित्सा—सून बर्ग स्टोरम (स्वीडन) तथा डा. बेंगट सेमुलसन (स्वीडन) और जान वेन (ब्रिटेन) द्वारा संयुक्त रूप से

6. अर्थशास्त्र—प्रो. जार्ज स्टिगलर (सं. रा. अमेरिका)

● कलिंग पुरस्कार—वर्ष 1981 के कलिंग पुरस्कार हेतु प्रसिद्ध ब्रिटिश-विज्ञान लेखक डेविड एटिन ब्रो तथा 'साइंटिफिक अमरीकन' के सम्पादक डेनिस लाबायन के नाम की घोषणा की गयी है।

भू. पू. केन्द्रीय मंत्री बीजू पटनायक द्वारा आरम्भ किया गया। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान की लोकप्रियता हेतु प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार धनराशि 1 हजार पौंड नकद होती है।

● अणुव्रत पुरस्कार—हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1983 के लिए 1 लाख रु. के अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 का अणुव्रत पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. आत्माराम को दिया गया था।

● विश्वसुन्दरी उपाधि—फुकुओका (जापान) में आयोजित विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता में अमेरिका की 19 वर्षीय कुमारी क्रिस्टी एलन क्रेरिज 1982 की विश्व सुन्दरी चुनी गयी। पाँच फुट सात इंच लम्बी क्रिस्टी एक अभिनेत्री तथा माडल है।

■ चिकित्सा/स्वास्थ्य :

● डेंगू—यह एक प्रकार के विषाणु (वायरस) ज्वर का नाम है जिसका प्रकोप आज सर्वत्र उत्तर भारत में व्याप्त है। 'डेंगू' एक प्रकार का आरबो वायरस होता है। आरबोवायरस मच्छरों द्वारा फैलाते वाला विषाणु होता है। इस विषाणु को 'एडीजू एजिप्टींय' नामक मच्छर फैलाते है। इस प्रकार का मच्छर सामन्यतया घरों में या उनके आस पास जमा किये हुये पानी में पनपता है। इस विषाणु ज्वर की विशिष्टता यह है कि यह 5 से 7 दिन तक रहता है। इस ज्वर से पीड़ित रोगी को तेज बुखार ($101^\circ-106^\circ$) के साथ-साथ कंपकपी भारी सिर दर्द तथा शरीर में विशेष कर पीठ में अत्यधिक दर्द होता है और कभी-कभी नजले के जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके उपचार अथवा रोकथाम हेतु न तो कोई विशेष औषधि है और न ही कोई वैक्सीन पर यह ज्वर घातक प्रभाव नहीं उत्पन्न करता।

■ चर्चित संगठन :

● सोलीडेरिटी पर प्रतिबन्ध—9 अक्टूबर 82 को पोलैण्ड की संसद ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर पोलैण्ड के एकमात्र स्वतंत्र श्रमिक संगठन 'सोलीडेरिटी' पर प्रतिबन्ध लगा दिया। सरकार के इस कदम से पूर्वी यूरोप में श्रमिक संगठन को पार्टी से अलग रखने का प्रथम प्रयोग समाप्त हो गया है। 460 सदस्यीय संसद में मात्र 10 सदस्यों ने विरोध में मत दिया तथा 9 ने मतदान में भाग नही लिया। शेष सभी मत प्रस्ताव के पक्ष में थे। सोलीडेरिटी पर प्रतिबन्ध के इस कानून से उसके किसानों से संगठन 'रूरल सोलीडेरिटी' पर भी स्वतः प्रतिबन्ध लग गया। स्मरण रहे कि अगस्त 1980 में 'सोलीडेरिटी' की स्थापनना की गयी थी।

● सुरक्षा परिषद के नये सदस्य—पाकिस्तान, माल्टा, नीदरलैण्ड, निकारागुआ तथा जिम्बाब्वे 2 वर्षों हेतु सुरक्षा परिषद के नये सदस्य चुन लिये गये है। पाकिस्तान जापान के स्थान पर चुना गया है। यह चुनाव 1 जनवरी 1983 से प्रभावी होगा। सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमरीका पांच स्थायी सदस्य है। शेष दस अस्थायी सदस्यों में से पांच सदस्य हर दो वर्ष बाद अपना स्थान छोड़ते है। इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा मतदान द्वारा करती है। इस वर्ष परिषद की सदस्यता छोड़ने वाले देश हैं—जापान, स्पेन, पनामा, आयरलैण्ड और यूगाण्डा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुरक्षा परिषद के अन्य अस्थायी सदस्य है - गुयाना, यर्दम, पोलैण्ड, टोगो तथा जेयरे।

■ प्रमुख आख्या :

● रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट-- 13 अक्टूबर 82 को रिजर्व बैंक ऑव इण्डिया ने जून 1982 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट की मुख्य बातों के अनुसार—(1) लगातार 2 वर्षों की संतोषजनक आय वृद्धि को दृष्टि में रखते हुये अर्थव्यवस्था में मांग में आम मंदी की पूर्वस्थिति विद्यमान नहीं है। (2) कृषि व औद्योगिक उत्पादन में सुधार तथा मूल्य वृद्धि की दर में ह्रास से 1981-82 की अवधि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप में मजबूत हुई है। (3) भारतीय उद्योग भी अन्य देशों की भाँति कम रफ्तार से मूल्य वृद्धि की स्थिति का समायोजन कर रहे हैं। (4) निरन्तर मूल्यवृद्धि का पूर्वानुमान होने पर हमारा स्टाक संग्रह बढ़ जाता हैं जबकि अपेक्षाकृत मूल्य स्थिरता की स्थिति में स्टाक का माल बेचा जाता है। ऐसी स्थिति के कारण उत्पादन में कटौती सम्भव है। (5) चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक और कृषि उत्पादन की वृद्धि में पर्याप्त संभावनाएं हैं। (6) मौसम अनुकुलता की स्थिति में चालू वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 4.5% की वृद्धि दर सम्भव है। इसी तरह औद्योगिक उत्पादन में 6 से 7% तक वृद्धि प्रत्याशित है। (7) वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में काम की भारी वृद्धि से समग्र मांग उच्च स्तर पर आनी चाहिये। (8) राजकोषीय व अन्य नीतियों का लक्ष्य मांग का स्तर ऊंचा रखना होना आवश्यक है। (9) पिछले वर्ष की संतोषजनक स्थिति के बावजूद मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखना आवश्यक है।

■ प्रमुख सम्मेलन :

● सातवां निर्गुट सम्मेलन—21 सितम्बर, 82 को न्युयार्क में निर्गुट देशों के 97 सदस्य देशों की समन्वय ब्यूरो ने भारत में सातवें निर्गुट शिखर सम्मेलन के आयोजन की औपचारिक घोषणा कर दी। स्मरण रहे कि पहले यह शिखर सम्मेलन बगदाद में होने वाला था परन्तु इराक-ईरान युद्ध के कारण स्थान परिवर्तन करना पड़ा। संभवतः यह सम्मेलन मार्च 1983 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में सम्पन्न हो।

● क्षेत्रीय राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन- अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में फिजी में एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के देशों का क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 17 देशों ने भाग लिया सम्मेलन की संयुक्त विज्ञप्ति में हिंद महासागर और दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाने की अपील दोहरायी गयी। सदस्य देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने का भी आवाहन किया।

■ प्रमुख समझौता :

● मिराज समझौता—17 अक्टूबर 1982 को भारत और फ्रांस के मध्य मिराज-2000 विमानों की आपूर्ति के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं। समझौते के अन्तर्गत फ्रांस भारत को 40 मिराज-2000 विमान देगा। विमान की खेप की आपूर्ति अक्टूबर 1984 में प्रारम्भ होगी। अंतिम मिराज विमान भारतीय वायुसेना को दिसम्बर 1986 में दिया जायेगा। एक सीट वाला यह विमान 700 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है और अपनी मैक-2.35 क्षमता के बल पर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है।

■ विविधा :

● 'पहियों पर राजमहल'— यह राजस्थानी कला से सज्जित प्रथम रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी में यात्रा के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों को राजस्थानी इतिहास, संस्कृति और कला को समझने का अवसर प्राप्त होगा। इस रेल का सफर 2 अक्टूबर 1982 से प्रारम्भ हुआ। इसका पहला व्यावसायिक सफर 31 मार्च 1983 तक चलेगा। इस अवधि में यह रेलगाड़ी तीन रात्रि के सफर में दिल्ली, जयपुर, आगरा तथा दिल्ली और सात रात्रि के सफर में दिल्ली, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा तथा दिल्ली के मध्य चलेगी।

● आई. एन. एस. राणा— प्रक्षेपास्त्रों तथा आधुनिकतम संयंत्रों से लैस यह नया युद्ध पोत अभी हाल में भारतीय नौ सेना के पश्चिमी बेड़े में सम्मिलित किया गया है। सोवियत संघ द्वारा निर्मित और प्रदत्त 'काशिन वर्ग' का यह युद्ध पोत गैस टर्बाइन से चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा युद्ध पोत है। इसमें 23500 हार्स पावर के चार टर्बाइन लगे हैं जिससे यह 36 से 39 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार तय कर सकता है। पोत में एस. एस. एन. 11 किस्म के जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र छोड़ने के 4 यंत्र लगे हैं साथ ही इसमें राडार द्वारा संचालित होने वाली 4 गेटलिंग हवाई मारक तोपें भी लगी हैं। भारतीय नौ सेना को इस श्रेणी का पहला युद्धपोत आई. एन. एस. राजपूत 1980 में प्राप्त हुआ था। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय सामयिकी

- जम्मू कश्मीर : नये युग में प्रवेश
- आंध्र में नेतृत्व परिवर्तन
- श्रीमती गांधा-थैचर वार्ता
- भारत-बंगला देश सहयोग
- जम्मू-कश्मीर पुनर्वास विधेयक

जम्मू-कश्मीर : नये युग में प्रवेश

आठ सितम्बर को शेरे-कश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के निधन के साथ ही भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में एक युग का अंत हो गया। शेख के निधन के पश्चात उनके पुत्र डाक्टर फारुख अब्दुल्ला ने 14 सितम्बर को राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर एक नये युग का श्री गणेश किया। पहली खेप में जिन दस मंत्रियों ने शपथ ली उनमें 6 कैबिनेट स्तर के हैं और चार राज्य स्तर के। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के नाम हैं-श्री परमानंद, श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाह, श्री पी. एल होडू, श्री बोधराज बनी तथा श्री अब्दुल गनी पश्त फरीदी। राज्य मंत्रियों के नाम हैं—श्री रफीक हुसैन खां, श्री वली मुहम्मद माटू मुं ी हबी बुल्ला तथा श्री सोनम बांग चुक साखू।

शेख अब्दुल्ला की सरकार में 21 मंत्री थे किन्तु डा. फारुख ने अपना मंत्रिमंडल छोटा रखा। पिछली मंत्रिपरिषद के उन सभी सदस्यों को नयी सरकार में शामिल नहीं किया गया है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते रहे हैं। इस प्रकार डाक्टर फारुख नेन केवल राज्य की जनता को एक साफ-सुथरा प्रशासन देने की कोशिश की है वरन् उसका विश्वास भी अर्जित करने का प्रयास किया है। सत्ता में आने के बाद नये मुख्य मंत्री ने केन्द्र से अच्छे सम्बन्धों की वकालत तथा जम्मू-कश्मीर में शीघ्र चुनाव कराने की घोषणा कर एक परिपक्व और संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया है। राज्य की समस्याओ को लेकर उन्होंने केन्द्रीय नेताओं से बातचीत भी की और इस बात के आसार भी दिखाई दे रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के आगामी चुनाव डाक्टर फारुख की पार्टी अर्थात नेशनल कांफ्रेंस और केन्द्र में सत्तारूढ़ दल यानी कांग्रेस (इ.) मिलकर लड़ेंगे। कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण सीमांत राज्य के लिए यह अत्यावश्यक है कि उसके केन्द्र से संबंध अच्छे हों ताकि राज्य में राजनीतिक स्थिरता कायम रहे।

कश्मीर की राजनीति किस दिशा में करवट लेगी—इस सम्बंध में फिलहाल निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है किन्तु इस बात का अंदाज तो लगाया ही जा सकता है कि पिता की सम्पन्न राजनीतिक विरासत और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने वाले डाक्टर फारुख अब्दुल्ला के लिए राज्य की समस्याओं को हल करना बहुत कठिन नहीं होगा। प्रसन्नता की बात यह है कि नये मुख्य मंत्री का भी पिता की धर्म निरपेक्ष तथा राष्ट्रीय भावना विरासत में प्राप्त हुई है। अतएव यदि चुनावी राजनीति के दलदल ने उन्हें क्षेत्रीयता के लोभ से अलग रखा तो यह राज्य और राष्ट्र की दृष्टि से शुभ होगा।

डाक्टर फारुख को अपने राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं। एक तो उन पुराने मंत्रियों की नाराजगी स्वाभाविक है जिन्हें नये मंत्रिमंडल में में नहीं लिया गया। दूसरे नये मुख्य मंत्री के बहनोई और पुराने अनुभवी नेता श्री गुलाम मुहम्मद शाह भी तभी से असंतुष्ट बैठे हैं जब से शेख

प्रस्तुति : बच्चन सिंह, 'दैनिक जागरण', वाराणसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने डाक्टर फारुख को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। बेगम शेख अब्दुल्ला द्वारा सुलह की कोशिश की ही जा रही थी कि तभी शेख चल बसे।

अब देखना है कि शेख अब्दुल्ला का निधन दोनों नेताओं और दल में उनके समर्थकों को निकट लाने में सहायक होता है या उन्हें और दूर ले जाता है। जो हो, कश्मीर में अस्थिरता प्रदेश और देश दोनों के ही हितों के प्रतिकूल होगी।

आंध्र में नेतृत्व परिवर्तन

आंध्र प्रदेश में 20 सितम्बर को श्री विजय भास्कर रेड्डी के नेतृत्व में नयी सरकार गठित हुई। विगत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले श्री विजय भास्कर रेड्डी चौथे व्यक्ति हैं। इनसे पहले श्री बी वेंकटराम थे जिन्हें इंका हाई कमान के निर्देशों का पालन करते हुए पद त्याग करना पड़ा था। आंध्र प्रदेश का गठन 26 वर्षों पूर्व हुआ था। तब से अब तक 8 कांग्रेसी मुख्यमंत्री आये और चले गये। नये सत्ताधारी श्री विजय भास्कर रेड्डी कांग्रेस (इ) की उसी परम्परा की देन हैं जिसके तहत मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक नहीं करते, हाई कमान करता है।

1978 में विधान सभा चुनाव के बाद डाक्टर चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाये गये किन्तु उन्हें अक्टूबर 1980 में पद त्याग के लिए बाध्य होना पड़ा। तब से आंध्र अस्थिरता का ही शिकार रहा है। चेन्ना रेड्डी के बाद ही टी. अंजैया केन्द्र से भेजे गये किन्तु फरवरी 1982 में उन्हें भी हटा दिया गया। इसके बाद बी. वेंकट राम मुख्यमंत्री हुए।

वेंकटराम शुरू से ही एक कमजोर मुख्यमंत्री रहे किन्तु यदि आंध्र प्रदेश में विधान सभा का चुनाव आसन्न न होता तो उन्हें हटाया भी न जाता। आंध्र का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलता जा रहा है। इंका नेताओं की भ्रष्टाचार में लिप्तता और सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता टी. रामाराव की नयी क्षेत्रीय पार्टी 'तेलुगुदेशम' के उदय से कांग्रेस (इ) के लिए आगामी चुनाव जीतना अब आसान नहीं रह गया है। विजय भास्कर रेड्डी को इसी आशा के साथ भेजा गया है कि वह न केवल अपनी पार्टी के असंतुष्ट गुट को शांत करने में सफल होंगे वरन् स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन देकर जनता में सरकार तथा पार्टी की छवि ठीक कर सकेंगे। पर नये मुख्यमंत्री भी 'सर मुड़ाते ही ओले पड़ने' की स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके खिलाफ असंतोष की लहर कितनी तीव्र है इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ...... ने शपथ ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। आशा के विपरीत वहां पुरानी गुटबन्दी ने इस कदर सिर उठाना शुरू कर दिया है कि नये मुख्यमंत्री मेढकों की तौल में असफल हो रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने यदि सख्त कदम नहीं उठाया तो आंध्र की परिस्थिति विस्फोटक हो सकती है जिसका प्रभाव आगामी चुनावों पर पड़े बिना नहीं रहेगा।

दर असल यदि आंध्र में चुनाव न होने वाले होते तो वहां गुटबन्दी इतनी तेजी से नहीं उभरती। बहुत से विधायकों को अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा दीख रहा है। खास तौर से उन 14 मंत्रियों के इर्द-गिर्द एकत्रित विधायक तो काफी बेचैन हैं जिन्हें नये मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। ये विधायक अगले चुनाव में टिकट पाने के प्रति आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह 1977 और 80 के बीच इंदिरा जी के प्रति वफादार बने रहने वालों की उपेक्षा कर रहे हैं। बुरे दिनों में जो लोग उनके साथ थे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नये मुख्यमंत्री के लिए इस स्थिति से निपटना जितना कठिन हो रहा है उतना ही उन नेताओं की उपेक्षा करना भी जो श्रीमती गांधी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस (इ) में शामिल हुए हैं। चुनाव में उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नये और पुरानों का सवाल पूरी कांग्रेस (इ) में सुलग रहा है और आंतरिक कलह की आग में घी का काम कर रहा है।

जिन 14 मंत्रियों को नये मंत्रिमंडल में समाविष्ठ नहीं किया गया उनमें 13 पुराने वफादार हैं। इन भूतपूर्व मंत्रियों तथा इनके समर्थक विधायकों का असंतोष स्वाभाविक है। देखना है नये मुख्यमंत्री नयों और पुरानों के बीच किस तरह संतुलन स्थापित कर पाते हैं।

श्रीमती गांधी-थैचर वार्ता

ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर चीन, जापान और हांगकांग की यात्रा से स्वदेश लौटते समय 29 अक्तूबर को 9 घण्टे तक भारत में रुकीं। इस प्रवास के दौरान श्रीमती थैचर तथा श्रीमती गांधी के बीच चीन तथा सोवियत संघ की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तथा अनिश्चितताओं पर विचार विमर्श हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पेकिंग में चीन के नेताओं के साथ हुई वार्ता तथा वहां की स्थिति के बारे में अपने आकलन से श्रीमती गांधी को अवगत कराया और श्रीमती गांधी ने अपनी रूस यात्रा तथा वहां के नेताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर हुई बात

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीन के बारे में श्रीमती थैचर को जानकारी दी। आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे रूस तथा राजनैतिक अस्थिरिता के शिकार चीन के बीच सहयोग वार्ता की संभावना का भी दोनों नेताओं की बात-चीत में उल्लेख हुआ।

दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने आपसी सहयोग पर भी बात-चीत की परस्पर सहयोग के विस्तार पर संतोष व्यक्त किया गया। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने उड़ीसा में पारादीप के निकट दायामी में नया इस्पात कारखाना खड़ा करने में अपनी सरकार की ओर से आर्थिक तथा तकनीकी मदद देने आश्वासन दिया। इस प्रश्न पर और आगे बात-चीत होगी। श्रीमती थैचर ने इसके लिए ऋण उपलब्ध कराने का संकेत दिया। भारत को अब इस बारे में अपनी ओर से व्यापक प्रस्ताव पेश करने हैं। रिहन्द में सुपर ताप बिजली घर खड़ा करने में मिल रही ब्रिटिश मदद पर भी प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

श्रीमती गांधी और श्रीमती थैचर के बीच बात-चीत में पश्चिम एशिया, हांगकांग का भविष्य तथा अफगानिस्तान की समस्या की भी चर्चा हुई।

दोनों प्रधान मन्त्रियों के बीच लगभग 75 मिनट तक बात-चीत हुई। पहले वे आपस में बीस मिनट तक मिली फिर इसके बाद नाश्ते पर उनकी बात-चीत चलती रही। नाश्ते पर बातचीत में वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव डा.पी. अलेक्जेंडर और ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री गैरी तथा श्रीमती थैचर के निजी सचिव श्री कौल्स भी मौजूद थे।

बहरीन जाने से पूर्व श्रीमती थैचर ने संवाददाताओं को बताया कि कि मैं श्रीमती गांधी से उनकी हाल की अमेरिका तथा सोवियत संघ की यात्रा के दौरान उनके अनुभवों को सुनना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी जापानी तथा चीनी नेताओं से मिली और इसके लिए हमारे पास कहने-सुनने को काफी बातें थीं। उन्होंने अपनी बात-चीत को काफी महत्वपूर्ण बताया।

श्रीमती थैचर और श्रीमती गांधी की यह वार्ता भारत तथा ब्रिटेन में सहयोग वार्ता की जो शुरुआत श्रीमती गांधी की लंदन यात्रा से हुई उसी की एक कड़ी थी। इस वार्ता से दोनों देशों की आपसी समझ बढ़ी होगी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।

भारत-बंगला देश सहयोग

बंगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद की 2 दिनों (6 तथा 7 अक्टूबर) की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई बात-चीत के बाद दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने के साथ-साथ कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं, जिनका स्वरूप और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी और जनरल इरशाद के बीच पारस्परिक हितों के मसलों पर वार्ता अत्यन्त सोहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई। वार्ता के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति से पता चलता है कि ईमानदारी के साथ समस्याओं को समझने और सहयोग की भावना से उनका हल खोजने का प्रयत्न होगा। दोनों देशों ने फैसला किया है कि एक देश दूसरे देश के हित के खिलाफ काम करने वाले तत्वों और ताकतों को अपने यहाँ प्रश्रय नहीं देगा। पुरवासा द्वीप, समुद्री सीमा का निर्धारण आदि प्रश्नों को परस्पर वार्ता द्वारा सुलझाने के साथ ही औद्योगिक सहयोग तथा व्यापार बढ़ाने हेतु प्रयास करने का भी संकल्प दोनों देशों ने किया। जनरल इरशाद ने विज्ञान और टेक्नालॉजी क्षेत्र में भारत की प्रगति को स्वीकार किया।

भारत और बंगलादेश में कई मुद्दों पर सहमति भी हुई है। भारत ने बंगलादेश की सद्भावना अर्जित करने के लिए त्रिपुरा के मेखली गंज जिले में घिरे बंगलादेशी क्षेत्र दस ग्राम को आने जाने के लिए एक छोटा सा तंग गलियारा जो 'तीन बीघा' गलियारे के नाम से प्रसिद्ध है, बंगलादेश को अनिश्चित काल के लिए पट्टे पर दे दिया। यह एक राज मार्ग के जरिये एक बड़ क्षेत्र को भारतीय मुख्य भूमि से भी जोड़ता है। बंगलादेश लम्बे समय से उक्त गलियारा प्राप्त करने को उत्सुक था क्योंकि उसके अभाव में बंगलादेशी नागरिक पासपोर्ट लेकर ही भारतीय क्षेत्र में होकर उधर आ जा सकते थे।

भारत बंगला देश वार्ता की दूसरी ठोस उपलब्धि यह है कि दोनों देश फरक्का पर गंगा में पानी को वृद्धि करने के समस्त उपायों पर विचार करने के लिये सहमत हो गये हैं। इन उपायों में ब्रह्मपुत्र का पानी लाने के लिये फरक्का नहर का निर्माण तथा नेपाल से आने वाली नदियों के जल में अभिवृद्धि के उपाय भी शामिल हैं। फरक्का पर जल-वितरण के अंतरिम समझौते की मियाद तो बढ़ाई नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जा सकती थी, इसलिए इसे आपसी सहमति से रद्द करके डेढ़ वर्ष के लिएं एक नया अंतरिम समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत बंगलादेश को गर्मी के महीनों में कुछ अधिक पानी मिलेगा। अब तक बंगला देश फरक्का नहर के निर्माण पर विचार के लिए तैयार नहीं था। यह नहर अंशतः बंगलादेश की सीमा में भी पड़ेगी।

मूर-द्वीप के बारे में कोई लाभ-प्रद बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि इस सम्बन्ध में पूरे भौगोलिक तथ्य उपलब्ध नहीं थे।

दोनों देशों के बीच आर्थिकविकास के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना पर सहमति हो गयी है। इस आयोग में भारत और बंगलादेश के मन्त्री तथा अधिकारी सम्मिलित होंगे।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और बंगला देश में सहयोग और स्वीकृति की यह भावना तथा दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को सुदृढ़ करने का यह संकल्प यदि ईमानदारी के साथ क्रियान्वित हुआ तो दोनों देशों के नेता शांति और सहयोग के अगुआ सही अर्थों में बन सकेंगे और महाशक्तियों के चंगुल में फंसे निर्गुट तथा विकास शील देशों के लिए एक मिसाल कायम हो सकेगी।

जम्मू-कश्मीर पुनर्वास विधेयक

केन्द्र सरकार और कानूनविदों के एतराज के बावजूद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री डाक्टर फारूख अब्दुल्ला ने 4 अक्टूबर को विवादास्पद पुनर्वास विधेयक विधान सभा द्वारा दुबारा पारित करा लिया। इससे पूर्व इस विधेयक को उनके पिता शेख अब्दुल्ला ने पारित करवाया था [illegible] श्री बी. के. नेहरू ने इसे विधान सभा को वापस भेज दिया था। राज्यपाल ने इस विधेयक को संविधान की धाराओं की गलत व्याख्या पर आधारित बताया था और कहा था कि यह विधेयक संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। विधानसभा द्वारा दुबारा पारित होने पर यह विधेयक अब कानून बन गया है और राष्ट्रपति ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर सरकार और इसके महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर दिया है। संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निर्देश में मुख्य प्रश्न यह उठाया गया है कि यदि विधेयक या इसका कोई प्रावधान पारित हो गया तो क्या यह संवैधानिक होगा। राष्ट्रपति के निर्देश में कहा गया है कि मामले में कानून के मुद्दे का जो सार्वजनिक महत्व है उससे लगता है कि उच्चतम न्यायालय की सलाह आवश्यक है।

पुनर्वास विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमन्त्री डाक्टर फारूख अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्होंने कश्मीर जनता को अपने पिता द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा कर दिया है। किन्तु यदि वह चाहते तो इस विधेयक को जिसे लेकर सारे देश में एक विवाद उठ खड़ा हो गया था और केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों में खिंचाव की पूरी संभावना है, अपनी मौत मर जाने देते। यह बात तो गले नहीं उतरती कि देश के विभाजन के समय पाकिस्तान जाकर बसने वाले लोगों के प्रति शेख अब्दुल्ला के मन में इतना दर्द पैदा हो गया कि उन्हें ऐसा खतरनाक बिल पारित करने की जरूरत महसूस हुई। यह तो सभी जानते हैं कि नागरिकता प्रदान करने या न करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार को फिर उन्होंने केन्द्र के अधिकारों हस्तक्षेप क्यों किया। यदि पाकिस्‍ गये भारतवासियों के प्रति उनके अ दर्द रहा होता तो फिर पाकिस्तान आकर जम्मू में बसे हरिजनों को साल बाद भी नागरिकता क्यों मिलती। इसके अलावा विभाजन समय केवल जम्मू-कश्मीर से ही भागकर या स्वेच्छा से पाकिस्तान गये थे, वरन् अन्य राज्यों के लोग पाकिस्तान गये थे। तो क्या उन को वापस बुलाकर बसाना राष्ट्र में होगा? कुल मिलाकर लगता है कि शेख द्वारा यह विधेयक का एकमात्र उद्देश्य कश्मीर घाटी मुस्लिम कट्टरपंथियों को तुष्ट विधान सभा के आसन्न चुनाव के अपना जनाधार मजबूत करना शेख अब्दुल्ला द्वारा एक बार विधेयक विधान सभा में पारित लेने के बाद डॉक्टर फारुख अब्दु के लिए दुविधा की स्थिति स्वाभा थी। जान-अनजाने शेख अब्दुल्ला शासन काल में कश्मीर घाटी परम्परागत साम्प्रदायिक सद्भाव चोट पहुंची और कश्मीर पुनर्वा विधेयक मुस्लिम उग्रवाद क खिलौना तथा डाक्टर अब्दुल्ला उनकी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्र बन गया। अतएव डाक्टर अब्दुल्ला लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्‍ नहीं रह गया था कि वह इस विवा स्पद विधेयक को दुबारा पारि कराते। अब इस विवाद का समाधा उच्चतम न्यायालय करगा जिसे शिरो धार्य करने की घोषणा डाक्टर फारू अब्दुल्ला कर चुके हैं। यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस विधेयक को कानूनी ठहरा दिया गया तो इसकी प्रतिक्रिया उन कट्टरपंथी तत्वों अवश्य होगी जिन्होंने विधेयक समर्थन किया है। डाक्टर अब्दुल्ला इस विषम स्थिति का सामना करने लिए तैयार रहना चाहिए। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर्राष्ट्रीय सामयिकी

- भारत-सोवियत संघ : श्रीमती गांधी की सोवियत यात्रा
- पश्चिमी एशिया : लेवनान; इस्राइल की आक्रामक नीति बनाम अस्थिरता का वातावरण
- चीन : साम्यवादी दल की 12वीं कांग्रेस : परिवर्तन की लहर
- दक्षिण एशिया : भारत पाक वार्ता : अस्पष्ट परिधि
- विकासशील देश : विकास का संकट बनाम राष्ट्रमंडल मुद्रा कोष बैठक
- चीन-अमरीका : ताइवान : परस्पर हितों का समझौता
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग : विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद बैठक

भारत-सोवियत-संघ :

श्रीमती गांधी की सोवियत यात्रा

सितम्बर के तीसरे सप्ताह (20 से 25 सितम्बर) में सम्पन्न भारतीय प्रधानमंत्री की सोवियत यात्रा ने निश्चय ही भारत सोवियत सम्बंधों को एक नयी दिशा प्रदान की है। प्रधानमंत्री की हाल की (जुलाई-अगस्त) वाशिंगटन यात्रा के बाद कूटनीतिक आलोचकों का विचार था कि शायद प्रधानमंत्री की इस बार की सोवियत यात्रा कुछ कठिन हो किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यात्रा की समाप्ति के उपरान्त जारी संयुक्त विज्ञप्ति में अनेक विश्वपरक समस्यायों की चर्चा की गयी है, जैसे कि, परमाणु-अस्त्र-परिसीमन, दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव शैथिल्यीकरण की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक गति की आवश्यकता, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिमी एशिया की समस्यायों के राजनीतिक समाधान की आवश्यकता, हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना आदि। इसके साथ अन्य आर्थिक तथा व्यापारिक विषयों पर अनेक समझौतों के साथ ही साथ मास्को ने एक 1000 मेगावाट के परमाणु शक्ति संयंत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव किया है।

यह वांछनीय होगा कि प्रधानमंत्री की हाल की मास्को यात्रा को उसके पूर्व वाशिंगटन यात्रा के नजरिये से न देखकर कुछ भिन्न नज़रिये से देखा जाय, दोनों यात्राओं के उद्देश्य भिन्न थे : श्रीमती गांधी वाशिंगटन, अमरीका-भारत सम्बन्धों में पिछले एक दशक में आयी गलतफहमियों को दूर करके आपसी सौहार्द्र के सामान्य वातावरण को विकसित करने के उद्देश्य से गयी थी, यद्यपि तारापुर को अमरीकी यूरेनियम की आपूर्ति, हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र घोषित किये जाने तथा पाकिस्तान को व्यापक पैमाने पर अधुनातन हथियारों की आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को उत्पन्न जैसे विशिष्ट मुद्दे भी उनके साथ थे जबकि मास्को यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्वि-पक्षीय (BI-LATERAL) सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर बात करना था, हां इसके साथ श्रीमती गांधी और ब्रेझनेव के मध्य शिखर वार्ता में कुछ विश्वपरक समस्यायों पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की भरपूर कोशिश की गयी।

भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में जिन मुद्दों की चर्चा की गयी है, शायद बहुत सीमित अर्थों में उनका सम्बन्ध दोनों देशों के द्वि-पक्षीय सम्बन्धों से है। पिछले एक वर्ष विशेष कर राष्ट्रपति रीगेन के काल से वाशिंगटन-मास्को सम्बन्धों में तनाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसमें विशिष्ट द्वि-पक्षीय समझौते से ही कमी लायी जा सकती है। पश्चिमी एशिया में इस्राइली हठधर्मिता से स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि सैद्धान्तिक आधार पर स्थिति में कोई भी परिवर्तन लाना तब तक

प्रस्तुति : नन्द लाल, प्रवक्ता, राजनीति विभाग, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुश्किल है जब तक कि अमरीका अपनी भूमिका में परिवर्तन नहीं लाता है। यही बात दक्षिण-पूर्व एशिया के विषय में भी लागू होती है।

श्रीमती गांधी की मास्को यात्रा तथा यात्रा के दौरान सोवियत राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत पर अलग-अलग राष्ट्रों की प्रक्रिया अलग-अलग प्रकार से हुयी है। उदाहरण के लिये बातचीत के दौरान ब्रेझनेव के इस कथन, कि 'सोवियत संघ भारत को शक्तिशाली बनाने के लिये कृतसंकल्प है, पर तीखी अमरीकी प्रतिक्रिया हुयी है। अमरीकी कूटिनीतिक क्षेत्रों में इसका यह आशय लिया गया है कि सोवियत संघ निकट भविष्य में भारत को और अधिक आधुनिकीकृत प्रतिरक्षा सामग्री देने के लिये इच्छुक है। इसी प्रकार ब्रेझनेव के इस विचार पर कि पाकिस्तान का "अयुद्ध संधि" का प्रस्ताव अमरीका से आधुनिकीकृत हथियारों की खरीद के महत्व को कम करने के लिये है। श्रीमती गांधी के इस उत्तर ने कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर आधारित सम्बन्ध रखना चाहता है और इसी कारण भारत ने पाकिस्तान से 'सहयोग एवं मैत्री संधि' की पेशकश की है, पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञों के कान खड़े कर दिये हैं कि सोवियत भारत-पाक तनाव शैथिल्यीकरण की प्रक्रिया को अवरोधित करना तो नहीं चाहता है।

भारतीय राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मास्को यात्रा दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की घटना से दोनों देशों के मध्य जिस वैचारिक मतभेद का श्रीगणेश हुआ था, वह काफी कुछ कम हो गया है। भारत ने हमेशा सोवियत-संघ से काबुल से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का आग्रह किया है किन्तु 23 सितम्बर को मास्कों में आयोजित एक प्रेस-सम्मेलन के दौरान बोलते हुए श्रीमती गांधी ने यह स्वीकार किया कि "मास्कों काबुल से अपने सैनिक वापस बुलाये, इसके लिये यह भी आवश्यक है कि अन्य बाह्य शक्तियां भी अपने हस्तक्षेप समाप्त कर दें। श्रीमती गांधी ने यह भी कहा कि सोवियत सेनाओं की वापसी का मुद्दा करमाल सरकार द्वारा ही तय किया जा सकता हैं। और जब तक विद्रोहियों को बाह्य सहायता जारी है एवं अफगानिस्तान में आंतरिक अस्थिरता विद्यमान है तब तक शायद ही करमाल सरकार यह चाहे।"

अर्थ-विशेषज्ञों का अनुमान है कि मास्को यात्रा का सर्वाधिक प्रभाव भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर लक्षित होगा। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में नियोजित पूंजी में कमी आयी है यह हैं कि सोवियत संघ सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में भारत क ठोस सहायता देगा।

इस प्रकार कुल मिलाकर श्रीमती गांधी की सोवियत यात्रा ने दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों को और अधिक स्थिरता प्रदान की है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि 'पश्चिमी जगत' तथा जापान के साथ अपने सम्बन्धों को सक्रिय बना[ने] के पिछले तमाम भारतीय प्रया[सों] के बावजूद, न केवल प्रतिरक्षा साम[ग्री] वरन् व्यापार के क्षेत्र में भी सोवि[यत] संघ आज भी भारत का सबसे ब[ड़ा] सहयोगी है।

पश्चिमी एशिया :

लेबनॉन इस्राइल की आक्र[ा]मक नीति बनाम अस्थिरत[ा] का वातावरण

18 सितम्बर को पश्चिमी बे[रूत] के सबरा तथा चतिला फिलीस्ती[नी] शरणार्थी शिविरों में व्यापक नरसंह[ार] और परिणाम स्वरूप स्वयं इस्रा[इल] में प्रधान मन्त्री बेगिन तथा रक्षा मं[त्री] शेरॉन के प्रति आंतरिक विरो[धी] प्रदर्शनों ने लेबनॉन संकट को ए[क] नया मोड़ दे दिया है। इस्राइल [के] लगभग साढ़े तीन दशक के संक्षि[प्त] इतिहास में इस प्रकार के व्याप[क] जन आक्रोश का सामना किसी [भी] सरकार को नहीं करना पड़ा। लग[भग] 4,00,000 प्रदर्शनकारियों [के] समर्थन करते हुए बेगिन कैबिनेट [के] प्रमुख मंत्री इतज़ाक बर्मन ने फलं[ ] इसाइयों द्वारा दो फिलिस्तीनी श[र]णार्थी कैम्पों में नरसंहार की घटन[ा] में इस्राइली हाथ के आधार पर अ[पने] पद से त्यागपत्र दे दिया। फिल[हाल] इस्राइली राष्ट्रपति ने घटना [की] न्यायिक जांच का आदेश दे दिया [है] जो इस्राइली के मुख्य न्यायधीश [की] देखरेख में सम्पन्न होगी।

ज्ञातव्य हो कि इसके पूर्व 6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को अपने सीमावर्ती प्रदेशों की सुरक्षा के आधार पर इस्राइल ने लेबनान में, विद्यमान फिलिस्तीनी गुरिल्लों पर जिस सैनिक कहर की शुरुआत की थी वह 75 दिनों के उपरान्त कम से कम त्वरित ढंग से समाप्त हो गया था जब 19 अगस्त को सभी पक्षों द्वारा सहमत एक समझौते के अन्तर्गत अधिकांश फिलिस्तीनी गुरिल्ले आठ अरब राज्यों में थोड़ी-थोड़ी संख्या में चले। लेबनान से फिलिस्तीनी गुरिल्लों के निर्गतीकरण का कार्य अमरीका, फ्रांस, इटली तथा यूनान की सम्मिलत अन्तर्राष्ट्रीय सेना की देख रेख में सम्पन्न हुआ।

लेबनान संकट के इस त्वरित हल के साथ ही 'क्रिश्चियन मैरानाइट दल' के फलंगी नेता बशीर जमील (गम्याल) 1943 में फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त लेबनॉन के सातवें राष्ट्रपति के रूप में अधिष्ठित हुए। राष्ट्र के नाम जारी एक संदेश में जमील ने एक स्वतंत्र विदेशनीति के अनुसरण की बात कही थी। नये राष्ट्रपति ने इस्राइल के साथ एक संधि के प्रति भी अपना विरोध प्रकट किया था किन्तु 15 सितम्बर को मनोनीत राष्ट्रपति जमील की एक विस्फोट में हत्या की घटना के रूप में स्थिति में एक नया मोड़ आया और 'आंतरिक अस्थिरता' के आधार पर इस्राइली सेनाओं ने लेबनॉन में बची-खुची कसर भी पूरी कर दी। 18 सितम्बर को, पश्चिमी बेरुत के दो फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में निरीह लेबनॉनी नागरिकों सहित फिलिस्तीनियों का नरसंहार यद्यपि फलंगी आतंकवादियों का कार्य है (अभी तक नरसंहार की वास्तविक जिम्मेदारी किस पर है? यह निर्धारित करना कठिन है किन्तु फलंगी आतंकवादियों ने स्वयं यह कार्य अपना बताया है।) किन्तु नैतिक रूप से घटना की पूरी जिम्मेदारी इस्राइल की है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति जमील की हत्या के उपरान्त इस्राइल ने लेबनान में 'राजनीतिक शून्यता' की स्थिति का पूरा लाभ उठाया और 19 अगस्त को पश्चिमी बेरुत से 8000 फिलिस्तीनियों के 'निर्गतीकरण' पर हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए इस्राइल ने यह कहकर कि वह लेबनॉन में जमील की हत्या से उत्पन्न आंतरिक अव्यवस्था तथा अस्थिरता को दूर करके व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, बेरुत में अपनी गतिविधियाँ पुनः तीव्र कर दी। आंशिक स्थानीय मुस्लिम विरोध जो कि नितांत अशक्त था, के उपरॉत बेरुत विशेषकर पश्चिमी बेरुत पर तेल अवीव ने अपना नियंत्रण कर दिया नरसंहार का कार्य फलंगी आंतकवादियों द्वारा किया गया, इसकी कुछ संभाविकता इस कारण है क्योंकि हो सकता है कि फलंगी आतंकवादियों ने फलंगी राष्ट्रपति जमील की हत्या का बदला लेने का प्रयास किया हो।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नैतिक प्रतिमानों के तहत् इस्राइल की यह जिम्मेदारी थी कि वह फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों की रक्षा करता। इस प्रकार घटना की 'सामायिक अज्ञानता' के तर्क के आधार पर इस्राइल द्वारा घटना के लिये अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार न करने का प्रयास व्यर्थ है। वैधानिक दृष्टि से भी अधिग्रहणकारी शक्ति (Occupying Force) के रूप में अधिगृहीत क्षेत्र के वासियों की जान-माल की रक्षा का दायित्व इस्राइल का ही बनता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि इन सब अपेक्षाओं की पूर्ति करने के स्थान पर इस्राइल ने लेबनॉन के फलंगी ईसाइयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मानदण्डों के उल्लंघन करने के उनके प्रयास में सहायता दी। इस्राइल की जनता स्वतः इस घृणित कार्य का कितना विरोध कर रही है? इसके प्रमाण स्वरूप 3 अक्तूबर को प्रधान सेनाध्यक्ष द्वारा शेरॉन से त्यागपत्र की मांग का हवाला काफी होगा। तेल अवीव के प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक 'हारेत्ज़' ने अपने 2 अक्तूबर के सम्पादकीय में लिखा है कि "इस्त्राइली सरकार का स्पष्टीकरण निरर्थक है। सबरा तथा छतिला के नरसंहार इस्त्राइली सभ्यता पर अब तक के सबसे स्थिर कलंक है..........।' अगर इस्राइल को इस कालिख की कालिमा को कम करना है तो प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल एरटान तथा रक्षामंत्री शेरॉन को अविलम्ब त्यागपत्र देना चाहिए।

इसके पूर्व मोरक्को की राजधानी फैज में 6—10 सितम्बर को आयोजित अरब शिखर सम्मेलन में सामूहिक रूप से, 1 सितम्बर को राष्ट्रपति रीगन द्वारा इस्राइली प्रधानमन्त्री बेगिन को प्रेषित, उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें गाजा पट्टी तथा पश्चिमी किनारे (Gaza-west Bank) के क्षेत्र में जार्डन के सहयोग से फिलिस्तीनियों की 'स्व-सरकार' (Self-Government) की स्थापना की बात कही गयी थी। सम्मेलन में भाग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ने वाले राष्ट्रों का यह विचार था
क रीगेन-योजना को 26 नवम्बर,
981 को फेज में सम्पन्न अरब राष्ट्रों
शिखर सम्मेलन के मसौदों के साथ
मन्वित कर दिया जाय। पाठकों को
तव्य हो कि नवम्बर सम्मेलन में
ऊदी अरब के शाह फहद द्वारा
ठ सूत्रीय 'पश्चिमी एशिया शांति
जना' का सर्वप्रमुख तत्व 'फिलि-
तीनी मुक्ति संगठन तथा इस्राइल के
ध्य मान्यता के पारिस्परिक आदान-
दान की बात भी थी (नवम्बर 81
फेज शिखर सम्मेलन की विस्तृत
मीक्षा के लिये कृपया देखिये : प्रगति
जूषा -जनवरी, 1982 अंक, पृष्ठ
-15)। पहली बार ऐसा हुआ हैं
रीगेन द्वारा कहीं गयी किसी बात
'नरम' तथा 'उग्रवादी'—दोनों
प्रकार के अरब राष्ट्रों ने समर्थन
या है। वैसे उपलब्ध कूटनीतिक
माधान को स्वीकार करने के अति-
क्त अरब जगत के पास और कोई
कल्प भी नहीं है क्योंकि पिछले 90
नों में अरब जगत की नपुंसकता
वश्यकता से अधिक स्पष्ट हो
ी है।

इस्राइल ने अमरीकी प्रस्ताव को
राने में कोई विलम्ब नहीं किया।
संदेह इस्राइल, जैसा कि वह कई
पहले भी कह चुका है, लेबनॉन
स्या का राजनीतिक हल चाहता
कन्तु साथ ही यह पश्चिमी किनारे
अपने निरन्तर विस्तार के लिये
कृत संकल्प है जबकि रीगेन योजना
इस्राइल को इसे तुरन्त रोकने की
वनी दी गयी है। इस्राइल फिलि-
नी स्वयत्तता के प्रश्न को, जो
डेविड के बाद 1979 के मिस्त्र-

इस्राइल समझौते का सर्वाधिक प्रमुख
मुद्दा है अधिक से अधिक दिनों तक
अधर में लटकाये रखना चाहता है।
रीगेन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने

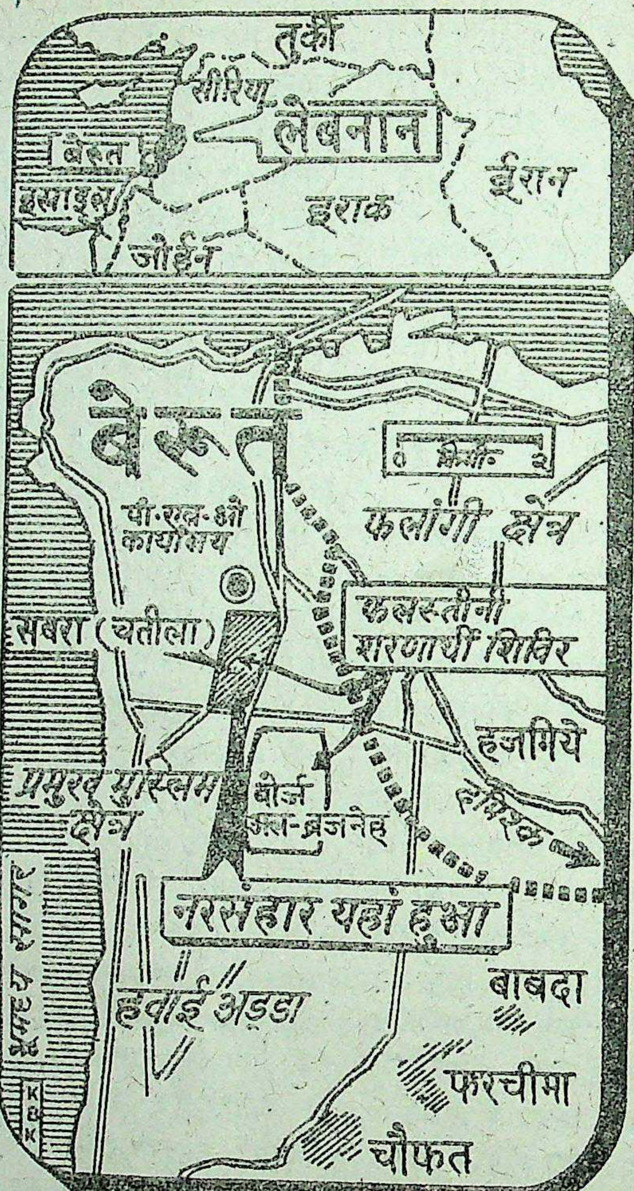

से इस्राइल का यह विकल्प समाप्त हो
जायेगा। रीगेन प्रस्ताव ने इस्राइली
संसद 'नेसेट' में भी तनाव की स्थिति
पैदा कर दी है क्योंकि विपक्षी श्रमिक
दल रीगेन योजना का समर्थन करते
हुए बराबर बेगिन सरकार की नीतियों

की कटु आलोचना करता रहा है।
न केवल वाशिंगटन वरन् 'अमरीकी
यहूदी समुदाय' से भी इस्राइल के
सम्बन्ध खराब हो गये हैं। फिलहाल
बशीर जमील के कनिष्ठ भ्राता को
लेबनान का राष्ट्रपति मनोनीत किया
गया है। आज लेबनॉन जर्जरित हो
चुका है, एक अनुमान के अनुसार
आर्थिक एवं भौतिक रूप से विश्रृंख-
लित लेबनॉन के पुनर्निर्माण के लिये

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगभग 16 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुरन्त आवश्यकता पड़ेगी।

इस प्रकार वृहत् रूप से पश्चिमी एशिया में एक बार फिर अस्थिरता तथा अनिश्चयात्मकता का वातावरण प्रसारित होता जा रहा है। लेबनान में इस्राइली तथा सीमित मात्रा में सीरियाई सैनिक उपस्थिति अभी भी एक समस्या है। जब तक फिलिस्तीनी स्वायत्तता के प्रश्न को संतोष जनक ढंग से न सुलझाया जायेगा तब तक पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति की स्थापना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगी।

चीन :

साम्यवादी दल की 12 वीं कांग्रेस : परिवर्तन की लहर

1 सितम्बर से चीनी साम्यवादी दल की 12वीं कांग्रेस प्रारम्भ हुयी। 1977 के बाद से यह कांग्रेस की पहली बैठक थी। इस कांग्रेस की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि सांस्कृतिक क्रांति के कर्णधार माओ-त्से-तुंग का पूरी कांग्रेस के उपरान्त जिक्र भी नहीं किया गया।

सी. सी. पी (CCP) की 12वीं कांग्रेस ने यह आवश्यकता से अधिक स्पष्ट ढंग से प्रमाणित कर दिया है कि 1976 में माओ की मृत्यु के बाद डेंग-जिआओ-पिंग साम्यवादी दल में सर्वाधिक सशक्त व्यक्ति हैं। कांग्रेस में डेंग का उद्देश्य चीनी जनवादी गण-राज्य के संविधान में संस्थापरक (Institutional) परिवर्तन लाने थे ताकि अपनी नीतियों को वे अधिक सहज ढंग से अंजाम दे सके।

6 सितम्बर को कांग्रेस द्वारा अपनाये गये संविधान के पुनरीक्षित मसौदे (Revised form) के अन्तर्गत अनेक ऐसे परिवर्तन किये गये हैं, जिनका उद्देश्य एक ओर तो माओ के नामोनिशान को मिटा देना है और दूसरी ओर डेंग को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना है। कांग्रेस के दौरान किये गये कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार से है : (क) साम्यवादी दल से अध्यक्ष (Chairman) का पद समाप्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर महासचिव को दल का सर्वोच्च पदाधिकारी बना दिया गया है; (ख) 172-सदस्यीय केन्द्रीय परामर्शदाता आयोग (Central Advisory Commission) का गठन किया गया है। इसमें दल के वरिष्ठ नेतागण शामिल किये गये हैं। इसका मुख्य उद्देश्य और कार्य आगे चलकर 'युवा वर्ग' को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्रमशः आसान बनाना होगा; (ग) एक 210-सदस्यीय केन्द्रीय समिति का भी गठन किया गया जो दल के महासचिव, इसके सचिवालय, पोलिट ब्यूरो तथा स्थायी समिति एवं सैनिक आयोग को नियुक्त करेगी। नयी केन्द्रीय समिति डेंग की आकांक्षाओं के सर्वथा उपयुक्त है। इसके 2/3 सदस्य 60 वर्ष की अवस्था के नीचे है इनमें 31 सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तथा 24 महिला सदस्य भी हैं।

नयी व्यवस्था के अन्तर्गत पोलित ब्यूरो में 25 पूर्णकालिक तथा तीन अस्थायी सदस्य होंगे। पोलित ब्यूरो में भी हू किमो तथा उप-प्रधानमंत्री वान-ली के सम्मिलीकरण के साथ, डेंग की स्थिति और मजबूत हुयी है।

पोलित ब्यूरो के विस्तृतीकरण के साथ अब इस संभावना का अंत हो गया है कि निकट भविष्य में प्रशासन तंत्र में पोलित ब्यूरो की भूमिका सीमित की जायेगी।

ज्ञातव्य हो कि 1969 में माओ की मृत्यु के बाद दल का नेतृत्व उपाध्यक्ष डेंग के हाथों में सीमित होकर रह गया है। डेंग तब से ही चीन वासियों को माओ की क्रांतिकारी नीतियों के स्थान पर अधिक नरम और अपेक्षाकृत वास्तविक नीतियां अपनाने के लिये प्रेरित करते रहे हैं। डेंग के अनुसार सितम्बर कांग्रेस 1945 में आयोजित सातवीं राष्ट्रीय कांग्रेस (इसमें माओ के विवादरहित नेतृत्व को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था) के बाद से यह कांग्रेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

दक्षिण एशिया :

भारत-पाक वार्ता : अस्पष्ट परिधि

अगस्त के दूसरे सप्ताह में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों एम. के. रसगोत्रा तथा नियाज नायक के मध्य पाकिस्तान के 'अयुद्ध संधि' तथा 'मैत्री एवं सहयोग संधि' के भारतीय प्रस्ताव पर द्वि-पक्षीय वार्ता इस्लामाबाद में सम्पन्न हुई। यद्यपि संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि वार्ता सौहार्द्र तथा परस्पर मैत्री के वातावरण में सम्पन्न हुई किन्तु परिणाम की दृष्टि से वार्ता पूर्णतया असफल रही; किसी भांति यह कहकर बात टाल दी गयी कि इस वर्ष के अंत तक दोनों प्रतिनिधियों के मध्य बात-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीत का अगला दौर नयी दिल्ली में सम्पन्न होगा।

दोनों देशों के मध्य मुख्य विवाद, शिमला समझौते के अनु. 1 (B) तथा 1 (A) की पारस्परिक विरोधी व्याख्यायों के कारण है अनु. 1 (B) के अनुसार, 'दोनों देश अपने विवाद, शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर अथवा अन्य किसी प्रकार से, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, हल करेंगे।' भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इस अनुच्छेद के चलते काश्मीर का मामला पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र या इसी प्रकार के किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अनु. 1 (A) के अनुसार, 'सयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के नियामक होंगे। पाकिस्तान का तर्क है कि शिमला समझौते का अनु. 1 (A) पाकिस्तान को काश्मीर मसले को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच (सयुक्त राष्ट्र सहित) पर उठाने की अनुमति देता है।

काश्मीर का मुद्दा भी दोनों देशों के मध्य पारस्परिक मतभेद को पैदा करने तथा संदेह की भावना को पैदा करने के लिये काफी हद तक उत्तर-दायी है।

ज्ञातव्य हो कि कुछ माह पूर्व पाकिस्तान ने भारत के समक्ष अयुद्ध संधि का प्रस्ताव रखा था; भारत का उत्तर विशेष उत्साहयुक्त नहीं रहा। अब भारत की ओर से मैत्री संधि' का प्रस्ताव रखा गया है। पाकिस्तान सहमत हो गया है। जनरल जिया 'कदम-दर-कदम' प्रगति चाहते हैं: पहले अयुद्ध संधि हो जाय फिर मैत्री संधि पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों में पारस्परिक संदेह का वातावरण विद्यमान है। इसके चलते निकट भविष्य में किसी संधि की संभावना नहीं के बराबर है। दोनों देश शांति के बारे में बात कर रहे हैं, यह एक शुभलक्षण कहा जा सकता है। इस वर्ष के अंत तक दोनों विदेश सचिव पुनः नयी दिल्ली में मिलेंगे। मार्च 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों के सातवें शिखर सम्मलन के दौरान जनरल जिया एवं श्रीमती गांधी के मध्य द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत विचार होगा, यह निश्चित है। क्या दोनों देश परस्पर संदेहों को दूर करके भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की स्थापना कर सकेंगे—यह यद्यपि भविष्य के गर्भ में है किन्तु नवर्तमान परिस्थितियाँ पाकिस्तानी नियत के समक्ष स्पष्ट प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं; ज्ञातव्य हो कि 26 अगस्त को पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्त्राजिक मार्ग खोल दिया गया है। इससे पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत काश्मीर का क्षेत्र और अधिक सुरक्षित हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर चीन इसी मार्ग से सहज ही हस्तक्षेप भी कर सकेगा। चीन द्वारा मार्ग खोलने के प्रति भारतीय विरोध को यह कह कर नामजूर कर दिया गया है कि मार्ग का काश्मीर विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है।

विकासशील देश :

विकास का संकट बनाम राष्ट्रमंडल—मुद्रा कोष बैठक

विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सम्मिलत बैठक 3 सितम्बर को टोरेण्टो में प्रारम्भ हुयी। बैठक में मुख्य रूप से दो बातों पर विचार किया गया। विश्व की जर्जरतापूर्ण आर्थिक स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाय और दूसरे, विश्व के समक्ष विद्यमान विकास की आर्थिक समस्याओं को किस प्रकार निपटाया जाय। बैठक में सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न यह था कि मुद्रा कोष के ऋणों के वितरण में किस प्रकार की भावी नीतियाँ अपनायी जाय। जहां एक ओर विकासशील देश अपने ऋणों को और अधिक बढ़ाने के लिये जोर डालते रहे हैं, वही दूसरी ओर अमरीका ने मुद्रा कोष की अधिक विस्तृत भूमिका की कटु आलोचना की है। इसी हेतु पूर्व काल में राष्ट्रपति रीगेन ने एक नये कोष बनाने का सुझाव दिया था जिसकी व्यवस्था, स्थापना और नीति निर्धारण का उत्तरदायित्व ऋणदाता राष्ट्रों का रहे न कि मुद्रा कोष के समस्त सदस्यों का।

अमरीकी प्रतिनिधि को छोड़कर समस्त सदस्यों ने आठवें दशक के लिये और अधिक ऋण की सुविधाओं को विकास की समस्याओं से निबटने के लिये, देने के विचार का समर्थन किया है। विकासशील देशों की इस अवधारणा का समर्थन औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा भी किया गया है।

4 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय विकास समुदाय की एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगले वर्षों में तीसरी दुनिया के देशों में चल रही विभिन्न आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दी जाने वाली राशि में 7 मिलियन डॉलर की वृद्धि का निर्णय लिया गया।

इसके पूर्व 30-31 अगस्त को टोरंटो (कनाडा) में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के वित्तमंत्रियों की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के उपरांत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि विश्व की विभिन्न आर्थिक संस्थायें समय के अनुसार अपने को गतिशील बनाये रखने में असमर्थ सिद्ध हो रही हैं। विज्ञप्ति में राष्ट्रमंडल सचिवालय से विश्व की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव भुगतान व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन का भी आग्रह किया गया है।

चीन-अमरीका

ताइवान : परस्पर हितों का समझौता

17 अगस्त को अमरीका एवं चीन के मध्य ताइवान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न को लेकर एक आंशिक समझौता हो गया। आंशिक इस कारण कि पिछले कुछ महीनों में अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न को लेकर वाशिंगटन एवं बीजिंग के मध्य जो तनाव आ गया था वह फिलहाल त्वरित ढंग से समाप्त हो गया है फिर भी व्यापक रूप से मामले को सुलझाया जाना बाकी है।

समझौते के मसौदे में चीन ने पुनः एक बार इस बात का आश्वासन दिया है कि वह 'शांतिपूर्ण' तरीके से ताइवान का चीन की मुख्य भूमि के साथ एकीकरण चाहता है। संयुक्त विज्ञप्ति के छठवें अनुच्छेद के अन्तर्गत वाशिंगटन ने ताइवान को लंबे समय तक हथियारों की आपूर्ति न करने का आश्वासन दिया है। "वाशिंगटन ताइवान को लंबे समय तक हथियारों की आपूर्ति करने का पक्षधर नहीं है और न ही इस आपूर्ति को परिमाण-परक अथवा गुणपरक स्तर पर बढ़ाया जायेगा।"

कूटनीतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय हितों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों देशों में युद्ध अवश्यम्भावी था। इसी वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में अमरीकी उपराष्ट्रपति ने चीन की यात्रा की थी और चीनी रवैये को समझते हुए राष्ट्रपति रीगेन के साथ बातचीत का आश्वासन दिया था (देखिये प्रगति-मंजूषा-जुलाई, 1982, पृष्ठ-17)। चीन के लिये अभी यह संभव नहीं है कि वह अमरीकी नीतियों का खुलकर विरोध करे क्योंकि यद्यपि सोवियत संघ से उसके सम्बन्ध अच्छे हो रहे हैं किन्तु पूर्ण 'शैथिल्यीकरण' में अभी वक्त लगेगा। दूसरे चीन यह कभी न चाहेगा कि अमरीका ताइवान को मान्यता दे। दूसरी ओर अमरीका की विश्वपरक कूटनीति (GLOBAL STRATEGY) के अन्तर्गत एशिया में चीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है, कम से कम जब तक काबुल में सोवियतसंघ विद्यमान है। परन्तु इसके साथ ही चीन यह कभी न चाहेगा कि सोवियतसंघ के विरुद्ध शक्ति संतुलन पूर्णतया अमरीका के पक्ष में हो जाय। इसी प्रकार अमरीकी नीति निर्धारिकों की भी यह इच्छा कदापि नहीं होगी कि चीन एक बड़ी सैनिक शक्ति का रूप ले ले। इस प्रकार स्त्रातिजिक आधारों पर चीन-अमरीका के मध्य किसी न किसी स्तर के मैत्रीपूर्ण संबंध आवश्यक हैं। शायद ताइवान के मसले पर आंशिक समझौते का यही सर्वप्रमुख कारण है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

विदेश सचिवों की इस्लामाबाद बैठक

7 अगस्त को इस्लामाबाद में दक्षिणी एशिया के 7 राष्ट्रों-बांगला देश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के विदेश सचिवों की बैठक दक्षिणी एशिया में पारस्परिक सहयोग की संभावनायें निर्धारित करने के लिये हुयी। अपने क्रम में यह इन देशों का तृतीय सम्मेलन था, इसके पहले इसी प्रकार के सम्मेलन कोलंबो तथा काठमाण्डू में हो चुके हैं।

बैठक के दौरान कृषि, मौसम विज्ञान, तारसंचार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या जैसे सामाजिक-आर्थिक विषयों पर प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। अनेक कार्यसमूहों (WORKING GROUPS) का भी निर्माण किया गया जिन्हें विस्तृत सहकारी कार्यक्रमों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, इन समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर अगले वर्ष के प्रारंभ में ढाका में आयोजित होने वाले विदेश सचिवों के सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

कहना न होगा कि, दक्षिण दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग की संभाव्यता अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। किन्तु आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में इस दिशा में ठोस कार्य किया जा सकेगा। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत और गुट-निरपेक्षता

के० पी० मिश्र*

गुट-निरपेक्षता, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अधिकांश नव स्वतंत्र देशों की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य के रूप में और एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में दोनों ही दृष्टियों से सम-सामायिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक निर्णायक कारण रहा है। हालांकि, एक आन्दोलन के रूप में इसका जन्म बेलग्रेड में 1961 में हुए गुट निरपेक्ष देशों के शीर्ष-सम्मेलन से हुआ था, लेकिन विदेश नीति में एक नई दिशा के रूप में, इसका सूत्रपात भारत द्वारा काफी पहले किया जा चुका था।

हमारा स्वतंत्रता आन्दोलन इस दृष्टि से अभूतपूर्व था कि देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, जहां इसका एक मुख्य उद्देश्य था, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की लहरों और हिलोरों के बारे में वह सचेत और सवेदनशील भी था। यह विशेष रूप से तब अधिक उजागर हुआ जब देश के राजनीतिक मानचित्र में जवाहरलाल नेहरू उभर कर आए। उनकी रुचि और पहल के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनेक प्रकार के संकल्प पारित किए जिनमें संसार की समस्याओं के बारे में भी विचार प्रकट किए गए थे। इसी प्रक्रिया के दौरान गुट-निरपेक्षता का बीजारोपण हुआ था।

गुट-निरपेक्षता से सम्बन्धित विचारों को, हमारे देश द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ठोस रूप दिया गया। भारत की अन्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में, जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितम्बर, 1946 को रेडियो भाषण दिया जो अब तक असंख्य बार उद्धृत किया जा चुका है और जो हमारी गुट निरपेक्ष नीति का मूलाधार है। उन्होंने कहा था :

"हमारा विचार है कि जहाँ तक संभव हो उन गुटों की ताकत की राजनीति से दूर ही रहें जो एक-दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं जिनकी वजह से पहले विश्व युद्ध हो चुके हैं जो फिर से, इनसे भी अधिक खतरनाक युद्ध की ओर खींच कर ले जा सकते हैं।"

नकारात्मक विचार नहीं है—

यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी हो जाता है कि, गुट-निरपेक्षता, अपने यथार्थ रूप में, कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है। शीत युद्ध की अवधि के दौरान गुटपरक राजनीति या सैनिक गठबन्धनों से अपने आपको अलग रखना गुट-निरपेक्षता का केन्द्र बिन्दु बन गया था क्योंकि, उस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के झमेले में फंस जाने पर अपनी नीति के सकारात्मक उद्देश्य, अर्था… आर्थिक दृष्टि से कमजोर और पिछड़े हुए देश के सामाजिक-आर्थिक प्रगति में तेजी लाने का उद्देश्य ही खटाई में पड़ सकता था। यही नहीं गुट-निरपेक्षता तो शीत युद्ध से पहले भी मौजूद थी। जहाँ तक यह बात है कि गुट-निरपेक्षता शब्द ऊपर से नकारात्मक प्रतीत होता है, तो भारतीयों के चिन्तन के तरीकों के परिप्रेक्ष्य में यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि वे समस्त ठो… और रचनात्मक विचारों को 'अहिंसा' और 'अप्रमा…' जैसी नकारात्मक शब्दावली के माध्यम से प्रकट कर… रहे हैं। इसी प्रकार, गुट-निरपेक्षता, अपने मूल, अप… आधार, अपनी प्रेरणाओं, उद्देश्यों और कार्य प्रणा… की दृष्टि से तटस्थता से भिन्न होती है। यह सोच… भी भूल ही होगा कि गुट-निरपेक्षता और शक्ति राजनीति या एकान्तवाद मे कोई समानता होती है।

यह स्वाभाविक ही है कि गुट-निरपेक्षता में कु… मूल्यमानों से अन्तर्विरोध निहित हो और साथ ही … ऐसे मूल्यों के प्रोत्साहन निहित हो जो उसकी मूल दि… के साथ मेल खाते हों।

पहली श्रेणी में आती है विशाल शक्ति प्रतिद्व… के संदर्भ में परिकल्पित सैनिक गुटबन्दी से अलग र…

*प्रोफेसर, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और डीन, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की नीति । गुट-निरपेक्षता में आस्था रखने वालों की यह दृढ़ मान्यता है कि इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य अपने अपने प्रभाव के गढ़ खड़े करना, हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देना और इस तरह तनाव तथा झगड़े पैदा करना होता है । इस तरह की राजनीति उन नए राष्ट्रों के लिए अनुकूल नहीं बैठती जिनके सामने सामाजिक आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने और शान्ति तथा सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था पैदा करने के तात्कालिक काम होते हैं । गुट-निरपेक्षता के प्रवर्तक भारत जैसे देशों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देख कर जो संतोष और भरोसा होता है वह केवल इसलिए नहीं कि विश्व समुदाय के तीन चौथाई देश गुट निरपेक्षता के आन्दोलन में शामिल हो गए हैं, अपितु इसलिए भी कि गुट निरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों को सैनिक गुटों के सदस्य देश भी स्वीकार करने लगे हैं । अभी हाल में कुछ गुट-बंदियों का टूट जाना वास्तव में, गुट निरपेक्षता के फैलाव का ही द्योतक है ।

राष्ट्रीय हित साधन—

भारत जिन मूल्यों को गुट-निरपेक्षता के माध्यम से बढ़ावा देना चाहता है वे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के आस-पास केन्द्रित हैं जो शान्ति और न्याय पर आधारित हो । वह असंदिग्ध रूप से यह जानता है कि विदेश नीति का संचालन कोई संतों का पंथ नहीं है और इसीलिए राष्ट्रीय हित की सिद्धि अन्य सभी उद्देश्यों से ऊपर होनी चाहिए। चूंकि, राष्ट्रीय हित गुट-निरपेक्षता के नियम पर आधारित होता है इसीलिए एक समेकित और सामंजस्यपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में गुट निरपेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत करने में यह एक अन्तर्निहित बाधा होता है। सभी देशों के राष्ट्रीय हित भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक और किसी विशेष समय पर पैदा होने वाले अन्य कारणों से निर्धारित होते हैं । यही कारण है कि राष्ट्रीय हित के विभिन्न संघटक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं । राष्ट्रीय हित की व्याख्या करने में किसी देश के नेताओं की विचारधारा एक निर्णायक भूमिका अदा करती है । इस बात पर वर्तमान परिचर्चा में थोड़ा सा विचार करना अपेक्षित है ।

गुट-निरपेक्ष देश के नेताओं, विशेषतः नेहरू जैसे प्रतिष्ठित पुरोधाओं के विचार और आदर्श उनकी प्राचीन सभ्यताओं की परम्पराओं से ढलने के साथ-साथ पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा से भी प्रभावित हुए हैं । भारतीय नेता भी अपनी परम्पराओं और दर्शन से प्रभावित थे । चूंकि भारत का ऐतिहासिक अनुभव काफी लम्बा और काफी वैविध्यपूर्ण रहा है अतः यह बता देना अनिवार्य हो जाता है कि देश में जो दो सबसे अधिक प्रभावशाली धाराएं रही हैं उनमें एक है कौटिल्य का प्रत्यक्षवादी दार्शनिक ढांचा और दूसरा है नैतिकतावादी दर्शन जिसका प्रवर्त्तन और परिपालन बुद्ध और अशोक द्वारा किया गया था । इन दोनों में से बाद वाला दर्शन अर्थात नैतिकतावादी दार्शनिक परम्परा का गांधी पर गहरा प्रभाव था इसीलिए उस समय के सभी भारतीय नेताओं पर भी कुछ हद तक इसका प्रभाव था जिसमें जवाहर लाल नेहरू की प्रणेता थे, जिनकी, देश के अन्तर्राष्ट्रीय आचार विचारों को एक रूप देने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है । उनकी आरम्भिक विचारधारा अपने बुनियादी पहलुओं के साथ पिछले 34 वर्षों के दौरान भारत के शासकों का लगातार मार्गदर्शन करती रही है, हालांकि उनकी पुत्री के प्रधान-मंत्रित्व काल में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में यथार्थ-वादी विचारों की कुछ झलक दिखाई पड़ती है तो भी, प्राचीन नैतिकतावादी भाव, जिस पर गांधी द्वारा पुनः बल दिया गया और नेहरू द्वारा अपनाया गया, हालांकि ऊपरी तौर पर ही सही, वह भारत के अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन पर कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ ही गया है ।

इस सबका नतीजा यह हुआ, भारत ने अपने हितों के बारे में बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है । इसीलिए अपने राष्ट्रीय हितों के विभिन्न तत्वों का विकास करने में, उसने राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद का एक संगम पैदा करने की कोशिश की, एक ऐसा मिलाप जिसने गुट-निरपेक्षता की अवधारणा में बहुत कुछ यथार्थवाद का पुट डाला है । प्रबुद्ध निजी हितों को बढ़ावा देना, इसीलिए, गुट-निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है । इसमें सन्देह नहीं होना चाहिए कि गुट-निरपेक्षता तो एक साधन मात्र है वह अपने आप में कोई साध्य नहीं है । साध्य तो है निश्चित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति या उपलब्धि ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

शान्ति और सहयोग पर बल—

गुट-निरपेक्षता की चिन्ता का मुख्य जोर विश्वशांति पर तब होना स्वाभाविक ही है जब भयंकर परमाणु अस्त्रों का विकास हो चुका हो और विभिन्न देशों के बीच वैमनस्य के बीज पनप रहे हों। महायुद्ध की काली छाया समस्त अन्तर्राष्ट्रीय आकाश पर अक्सर मंडराती रहती है। उसके परिणामस्वरूप कभी भी व्यापक विध्वंस की घटना घट सकती है। गुट-निरपेक्ष देश यह मानते थे और अभी भी मानते हैं कि युद्ध से उनके विकास के सारे रास्ते ध्वस्त हो सकते हैं। वे अपनी नवप्राप्त राजनीतिक स्वतंत्रता में आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास का समावेश करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता सिद्धात रूप में इस बात के विरुद्ध हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में शक्ति का प्रयोग किया जाए, वे यह भली भांति जानते हैं कि युद्ध से समस्याएं हल होने के बजाए और अधिक उग्र हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए उनकी चिन्ता अधिक रहती थी कि उनके अन्य प्रयास उससे रुक जाते थे और कभी कभी उन पर यह आरोप लगाया जाता था कि कुछ नेता अपने राष्ट्रीय हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुट-निरपेक्षता के पीछे यह दृढ़ भावना थी कि जो प्रगति नए राष्ट्रों में गरीबी और बीमारी का उन्मूलन करने के लिए इतनी अनिवार्य है, वह तब तक संभव नहीं है जब तक कि शान्ति स्थापित न हो। इस तरह शांति और घरेलू विकास के बीच एक सीधा सम्बन्ध या यों कहें कि चोली दामन का साथ है। इसीलिए शान्ति और प्रगति गुट-निरपेक्षता के आप्त वाक्य या नारे बन चुके थे। भारतीय नेताओं की घोषणाएं इस विचारधारा के पर्याप्त प्रमाण है।

गुट-निरपेक्ष देशों के प्रबुद्ध और राष्ट्रीय हितों के संवर्द्धन के लिए यह अपेक्षित है कि उनके आर्थिक और प्रौद्योगिकीकरण की दृष्टि से पिछड़ेपन पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। अपनी स्वतंत्रता के आरम्भिक चरण में उन्होंने विकसित देशों से आर्थिक और अन्य प्रकार की विदेशी सहायता मांगी और वह मिली भी। लेकिन, उन्हें जल्दी ही यह पता चल गया कि विदेशी सहायता के राजनीतिक-आर्थिक परिणाम प्रतिकूल होते हैं। साथ ही इसके नैतिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थ भी सहायता देने वाले देश के हित में नहीं होते। अत एक अवस्था ऐसी आ गई थी जब भारत जैसे गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा फूंक-फूंककर कदम रखते हुए विदेशी सहायता को उन्हीं क्षेत्रों के लिए आमत्रित किया गया जो भावी विकास के लिए राष्ट्रीय तकनीकी ज्ञान और आधार संरचना इस तरीके से पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण थे कि कुछ समय के बाद उस सहायता की कोई जरूरत ही न पड़े। अलग-अलग देशों के अपने अपने रूख के अलावा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने धीरे धीरे कुछ वर्षों के दौरान एक ऐसी स्थिति को तैयार किया है जिसे उनकी शब्दावली में सामूहिक आत्म-निर्भरता कहा जाता है। इस धारणा के अन्तर्गत अपने साधनों का समुच्चय बनाना, अपनी अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में सहायक साधनों की खोज करना और इस तरह ऐसा प्रयास करना कि विकसित देशों पर उनकी निर्भरता दिनोंदिन कम होती जाए। गुट-निरपेक्षता अपने इन प्रयासों के अभी आरम्भिक चरण में ही है और इस विचार को वास्तविकता में बदलने से पहले राजनीतिक इच्छा की दृष्टि से बहुत कुछ करना जरूरी होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक नया विचार-मन्थन शुरू हो चुका है, हालांकि इसके मार्ग में अभी विशाल जटिल और दुरुह समस्याएं खड़ी हैं।

इस सारे परिप्रेक्ष्य में भारत की अपनी एक विशेष स्थिति बन चुकी है। यद्यपि एक गरीब देश होने के कारण इसकी अपनी ही विलक्षण समस्याएं हैं लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था में अब कुछ जान पड़ चुकी है, खाद्यान्न की स्थिति संतोषजनक है, इसके विदेशी मुद्रा के कोष में पर्याप्त धनराशि हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों से अब यह लगभग 50 देशों को आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहायता देने में समर्थ हैं जो अधिकांश दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पश्चिमी एशिया के देश हैं। इनमें से अधिकांश देश किसी गुट में शामिल नहीं हैं। इसकी अर्थव्यवस्था पहले से अब इतनी मजबूत है कि बाहरी हमलों या खराब मानसून जैसे प्रतिकूल आन्तरिक कारणों का धक्का बर्दाश्त कर सकती है। इस प्रकार एक अल्प सीमा तक यह इस स्थिति में है कि गुट-निरपेक्ष देशों में सामूहिक आत्म-निर्भरता के आदर्श को बढ़ावा दे सके।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की गुटनिरपेक्षता का एक अन्य उल्लेखनीय लक्षण यह हैं कि कहीं भी घटने वाली घटनाओं और समस्याओं पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर, किसी विचारधारा और अन्य गुटवाद या मतभेदों के वशीभूत होकर इसका पक्षपातपूर्ण फैसला करने के बजाए देशों द्वारा स्वतंत्र रूप से फैसला करने की इसमें परिकल्पना की गई है।

गुट-निरपेक्षता की अवधारणा में, कम से कम इसके भारतीय स्वरूप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रजातांत्रिक तरीका अपनाने पर बल दिया गया है। जब विदेशमंत्री डलेस और उपराष्ट्रपति निक्सन ने गुट-निरपेक्ष देशों के बारे में लगभग अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो नेहरू ने उनसे यही आग्रह किया था कि किसी विचार-विमर्श को न तो दबाना चाहिए और न नए राष्ट्रों के विदेशी सम्बन्धों पर विचार-विमर्श करने में सहन शक्ति छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं यह कहने का अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्री डलेस और श्री निक्सन ने जो कुछ कहा है वह प्रजातांत्रिक जीवन-पद्धति के विपरीत है। विभिन्न मत-मतान्तरों के लिए सहनशक्ति ही प्रजातंत्र का मूलाधार है।'

यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से गुट-निरपेक्ष देश निहायत कमजोर हैं और उनकी सैनिक शक्ति भी न के बराबर हैं लेकिन तो भी गुट-निरपेक्षता का जन्म नितान्त भौतिक दुर्बलता के कारण नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद की अवधि के दौरान जब विश्व के देशों का दो गुटों के बीच ध्रुवीकरण कमोवेश पूरा हो चुका था, तब किसी राष्ट्र के लिए घोषणा करना कि वह उनमें से किसी खेमे का पिछलग्गू नहीं बनेगा, बड़े ही दृढ़-विश्वास भरे साहस और असाधारण नैतिक बल का काम था। नेहरू ने इस नीति की उस भारत के लिए व्याख्या की थी जो "पुनर्जागृत, जीवंत निर्भीक" था जिसका 'अतीत महान है और जिसका भविष्य और भी महान होगा।'

ऊपर बताए गए तत्वों के अलावा, गुट निरपेक्षता का इसमें भी विश्वास है कि नस्लवाद और उपनिवेशवाद किसी भी आकार या किसी भी रूप में हो, अविलम्ब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, सर्वत्र और पूर्ण निःशस्त्रीकरण करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं, देशों की प्रादेशिक और, राजनीतिक अखंडता का सम्मान किया जाए, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को यथा-संभव शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करने का प्रयास किया जाए, और दोस्ती के दरवाजे हर देश के लिए खोल दिए जाएं।

यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि, कुछ अपवादों को छोड़ कर, लगभग सारा संसार उक्त विचारों से सहमत है और अब यह कहा जा सकता है कि वे गुट-निरपेक्षता की दृष्टि से कुछ अनोखे नहीं रह गए हैं। लेकिन गुट-निरपेक्ष देशों की औरों की तुलना में शायद कुछ बात ही भिन्न है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गुट-निरपेक्ष देश कुछ अधिक जोर शोर से प्रयास करने की आवाज बुलन्द करना चाहेंगे और गुट-निरपेक्ष देशों के ढांचे के भीतर पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनका निष्पादन अधिक जोरदार रहा है।

पिछले 34 वर्षों में जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ, आज इस बात की अधिक जरूरत है कि गुट-निरपेक्षता को और मजबूत किया जाए। उस महान कार्य में भारत का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। आज शीतयुद्ध की पुनरावृत्ति होने पर, पश्चिम एशिया में दो महा-शक्तियों के बीच घनघोर स्पर्धा होने पर, हिन्द महा-सागर और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती हुई उनकी आपसी प्रतिद्वन्द्विता होने पर, उत्तर-दक्षिण के विचार विमर्श के विभिन्न मंचों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक यथा स्थितिवाद के पक्ष में विकसित देशों की हठ-वादिता होने पर, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की समस्यायें अभी भी उलझे रहने पर, जरा सी भूलचूक से परमाणु युद्ध छिड़ जाने की संभावना होने पर, और अन्त में शक्तिशाली देशों की हस्तक्षेपवादी प्रवृत्तियां होने पर, गुट-निरपेक्षता के सामने एक ऐतिहासिक भूमिका अदा करने का दायित्व है। विकासशील गुट निरपेक्ष देशों में विकसित देश के रूप में भारत को उस आन्दोलन के स्वतंत्र स्वरूप को बनाये रखने के लिए पूरा जोर लगाना होगा जिसमें एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए काम करना होगा जो शान्ति ही नहीं न्याय पर भी आधारित हो, एक ऐसी व्यवस्था जो नए राष्ट्रों को अपने उन लाखों देशवासियों का जीवन स्तर सुधारने में समर्थ बना सके जो वहां दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि गुट-निरपेक्ष देश स्वतंत्रता और विकास का संरक्षण और संवर्धन करने में समर्थ नहीं हो सके तो वे अपने एक युगान्तकारी कार्य में विफल रहेंगे जिसके लिए आने वाली पीढ़िया उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य अध्ययन वस्तुपरक परीक्षण

1. म. प्र. का सबसे छोटा जिला दतिया है। बताइये इस राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ?
(अ) दुर्ग (ब) सरगुजा
(स) बस्तर (द) बिलासपुर

2. वर्ष 1982 की विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता की महिला एकल चैम्पियन मार्तीना नवरातिलोवा है। बताइये इस वर्ष का इस प्रतियोगिता का पुरुष एकल चैम्पियन कौन है ?
(अ) जान मैकनेरो (ब) जिमी कोनर्स
(स) ईवान लैण्डल (द) ज्याँ बार्ग

3. साँची रायसेन जिले में स्थित है। बताइये साँची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था ?
(अ) विक्रमादित्य (ब) बाज बहादुर
(स) चन्द्रगुप्त मौर्य (द) अशोक

4. नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ?
(अ) खण्डवा (ब) नेपानगर
(स) टीकमगढ़ (द) शहडोल

5. राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों पर किसको विचार करने का अधिकार प्राप्त है ?
(अ) उच्चतम न्यायालय (ब) संसद
(स) लोक सभा
(द) संसद द्वारा गठित विशेष समिति

6. वाणसागर परियोजना किस नदी से सम्बन्धित है ?
(अ) ताप्ती (ब) चम्बल
(स) सोन (द) उपर्युक्त में किसी से नहीं

7. मध्य प्रदेश की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 5,21,31,717 है। बताइये इस दृष्टि से इस राज्य का भारत में कौन सा स्थान है ?
(अ) छठां (ब) पाचवां
(स) तृतीय (द) नौवाँ

8. 'स्कर्वी रोग' किस विटामिन की कमी के कारण होता है ?
(अ) विटामिन-B (ब) विटामिन-E
(स) विटामिन-D (द) उपर्युक्त सभी की

9. कोरबा तापीय विद्युत केन्द्र किस जिले में स्थित है ?
(अ) रायपुर (ब) बिलासपुर
(स) होशंगाबाद (द) नरसिंहपुर

10. कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। बताइये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है ?
(अ) रीवा (ब) शहडोल
(स) शिवपुरी (द) बस्तर

11. फाकलैंड द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य संबंधित है ?
(अ) स्पेन व ब्रिटेन (ब) अर्जेन्टीना व ब्रिटेन
(स) फाकलैण्ड व ब्रिटेन (द) अर्जेन्टीना व फाकलैण्ड

12. संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 157 है। बताइये इसका नवीनतम सदस्य कौन सा देश है।
(अ) बेलीज (ब) सेन्ट विसेन्ट
(स) सेन्ट लुशिया (द) उपर्युक्त में कोई नहीं

13. मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 4,42,841 वर्ग किलोमीटर है। बताइये इस राज्य के कितने प्रतिशत भाग में वन है ?
(अ) 41.9% (ब) 33%
(स) 30% (द) 46.6%

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

14. मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला दतिया है। बताइये इस राज्य का सर्वाधिक जन-संख्या वाला जिला कौन सा है ?
(अ) रायपुर (ब) बिलासपुर
(स) जबलपुर (द) बस्तर

15. म. प्र राज्य की सीमायें कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है ?
(अ) 6 (ब) 7 (स) 5 (द) 4

16. खनिज उत्पादन की दृष्टि से म. प्र. का भारतीय राज्यों में तृतीय स्थान है। बताइये अधोलिखित में किस खनिज का म. प्र. देश का सर्वाधिक उत्पादक राज्य नहीं है ?
(अ) बाक्साइट (ब) मैगनीज
(स) सीमेन्ट (द) हीरा

17. अधोलिखित में म. प्र. किस फसल का देश का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है ?
(अ) चना (ब) अलसी
(स) लाल मिर्च (द) अरण्डी

18. ज्ञानी जैल सिंह भारत के.........राष्ट्रपति हैं।
(अ) छठें (ब) आठवें
(स) सातवें (द) पाचवें

19. रावी-व्यास जल विवाद समझौता अधोलिखित किस राज्य से सम्बन्धित नहीं है ?
(अ) हरियाणा (ब) म. प्र.
(स) पंजाब (द) राजस्थान

20. 17 वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया ?
(अ) एस. के. पोट्टेकाट (ब) श्रीमती अमृता प्रीतम
(स) श्रीमती आशा पूर्णा देवी (द) वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य

21. 'अनहैप्पी इण्डिया' किसकी कृति है ?
(अ) लाजपत राय (ब) अबुल कलाम
(स) राजन्द्र प्रसाद (द) हुमांयू कबीर

22. उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के खोजकर्त्ता क्रमशः थे ?
(अ) सिम्पसन तथा स्काट
(ब) राबर्ट पियरे तथा रोनल्ड आमुंडसेन
(स) नानसेन तथा राबर्ट पियरे
(द) एमण्डसेन तथा जॉन केबट

23. भारत ने किस देश से मिराज—2000 विमानों का समझौता किया है ?
(अ) सं. रा. अमेरिका (ब) सोवियत संघ
(स) फ्रांस (द) ब्रिटेन

24. 9वें एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है ?
(अ) अप्पू (ब) जंतर-मंतर
(स) गरुड़ (द) उपर्युक्त सभी एक आकृति में

25. 10वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल—
(अ) प्यो यांग (ब) सियोल
(स) क्वालम्बपुर (द) जर्काता

26. अभी हाल में लेबनान पर किसने आक्रमण किया था ?
(अ) इराक (ब) फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन
(स) इस्रायल (द) ईरान

27. 'यासिर अराफत' कौन है ?
(अ) जार्डन के राष्ट्रपति
(ब) फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष
(स) संयुक्त राष्ट्र संघ में अरबों के विशेष प्रतिनिधि
(द) उपर्युक्त में कोई नहीं

28. महाराजा विक्रमादित्य का सम्बन्ध अधोलिखित में से किस नगर से था ?
(अ) उज्जैन (ब) इन्दौर
(स) दुर्ग (द) मण्डला

29. म प्र. में 45 जिले हैं। बताइये इस प्रदेश में कितने संभाग है ?
(अ) 12 (ब) 11 (स) 14 (द) 16

30. म. प्र. में जन घनत्व 110 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है। बताइये इस प्रदेश में पुरुष-स्त्री अनुपात क्या है ?
(अ) प्रति 1000 पुरुषों पर 839 महिलायें
(ब) प्रति 1000 महिलाओं पर 839 पुरुष
(स) प्रति 1000 पुरुषों पर 941 महिलायें
(द) प्रति 1000 पुरुषों पर 923 महिलायें

31. हेलियोडोरस से सम्बन्धित स्तम्भ कहां स्थित है ?
(अ) अम्बिकापुर (ब) विदिशा
(स) इछावर (द) मल्हारगढ़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

32. कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है ?
(अ) दक्षिणी (ब) पश्चिमी
(स) पूर्वी (द) उत्तरी

33. जन घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे विरल जिला बस्तर है। बताइये इस दृष्टि से सर्वाधिक सघन जिला कौन सा है ?
(अ) भोपाल (ब) इन्दौर
(स) जबलपुर (द) रायपुर

34. मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्रफल में कौन सी वन सम्पत्ति पायी जाती है ?
(अ) तेंदू (ब) साल
(स) सागौन (द) बाँस

35. मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान (कुटरु में) स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है ?
(अ) 3 (ब) 5
(स) 4 (द) 2

36. बेतवा नदी का उद्गम स्थल भोपाल जिले में पड़ता है। बताइये महानदी का उद्गम स्थल किस जिले में पड़ता है ?
(अ) राजगढ़ (ब) रायपुर
(स) रायसेन (द) रायगढ़

37. मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है ?
(अ) महानदी (ब) चम्बल
(स) नर्मदा (द) उपर्युक्त सभी

38. मध्य प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है ?
(अ) गेहूं (ब) चना
(स) गन्ना (द) धान

39. मध्य प्रदेश में 'भारी विद्युत उपकरण उद्योग' कहाँ केन्द्रित है ?
(अ) इन्दौर (ब) भोपाल
(स) जबलपुर (द) ग्वालियर

40. मध्य प्रदेश में जूट मिल कहाँ स्थित है ?
(अ) जबलपुर (ब) रायगढ़
(स) नागदा (द) रतलाम

41. बुधनी रेलवे स्लीपर उद्योग से सम्बन्धित है। बताइये अधोलिखित में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केन्द्र कौन है ?
(अ) कुम्हारी (ब) नीमच
(स) रायसेन (द) देवास

42. अंटार्कटिका पर विजय प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था ?
(अ) एस. के. सेन (ब) रोनाल्ड आमुंडसेन
(स) एस. जेड. कासिम (द) सैयद जहूर अली

43. निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय सम्मेलन कहाँ सम्पन्न हुआ ?
(अ) कानकुन (ब) जेनेवा
(स) पेरिस (द) न्यूयार्क

44. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को 5.8 अरब डॉलर ऋण स्वीकृत हुआ है। बताइये इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है ?
(अ) जेनेवा (ब) न्यूयॉर्क
(स) बर्न (द) वाशिंगटन

45. बहुउद्देशीय भारतीय उपग्रह इन्सैट-1 ए, 10 अप्रैल 1982 को किस स्थान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था ?
(अ) श्री हरिकोटा रेंज (ब) थुम्बा
(स) केप केनेवरल (द) बियर्स लेक

46. अधोलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है ?
(अ) चेचक (ब) इन्फ्लूएंजा
(स) हैजा (द) पोलियो

47. 'न्यूमोनिया' रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। बताइये इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रहता है ?
(अ) श्वांश नली (ब) फेफड़े
(स) आँतें (द) यकृत

48. राकेट अधोलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है ?
(अ) संवेग संरक्षण (ब) द्रव्यमान संरक्षण
(स) ऊर्जा संरक्षण (द) कोणीय संवेग संरक्षण

49. वह खेल जिसमें रोबर्स कप दिया जाता है ?
(अ) बैडमिण्टन (ब) हाकी
(स) फुटबाल (द) टेनिस

उत्तरमाला

1 स, 2 ब, 3 द, 4 अ, 5 अ, 6 स, 7 अ, 8 अ, 9 ब, 10 ब, 11 ब, 12 अ, 13 अ, 14 अ, 15 ब, 16 अ, 17 स, 18 स, 19 ब, 20 ब, 21 अ, 22 ब, 23 स, 24 अ, 25 ब, 26 स, 27 ब, 28 अ, 29 ब, 30 स, 31 ब, 32 द, 33 ब, 34 ब, 35 अ, 36 ब, 37 स, 38 द, 39 ब, 40 ब, 41 द, 42 स, 43 द, 44 द, 45 स, 46 स, 47 ब, 48 अ, 49 स।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

जटिल प्रौद्योगिकी से उपयुक्त प्रौद्योगिकी की दिशा

■ डा. बद्री बिशाल त्रिपाठी*

प्रकृति ने अपनी उदारता से मनुष्य को उसकी विविध जरूरतें पूरी करने के लिए अनेकों संसाधनों का निःशुल्क उपहार दिया है। प्राकृतिक परिवेश से किसी भी उपयोग के लिए प्राप्त इन निःशुल्क प्राकृतिक उपहारों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को जितनी कुशलता से प्रयोग योग्य वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित कर लिया जाय उतनी ही अच्छी तरह व्यक्ति की भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, यातायात एवं संवादवाहन आदि की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं। अस्तु यह कहा जा सकता है कि किसी अर्थव्यवस्था का विकास स्तर वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा उनकी संरचना और उनके विदोहन स्वरूप का फलन है। इस आशय से यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों की कोई भी कमी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास स्तर को एक सीमा तक सीमित करने में समर्थ है। परन्तु यह भी निर्विवाद है कि मानवीय उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों की कमी के प्रभाव को एक महत्वपूर्ण अंश में कम कर सकते है या निरस्त कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ज्ञात प्राकृतिक संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं में अधिक कुशलता पूर्वक परिवर्तित कर सकते हैं तथा जीवनयापन अधिक सुविधापूर्ण और सरल बनाने के लिये प्रकृति की गर्त में निहित ससाधनों की खोज कर सकते हैं। उन्हें अधिक सरलता पूर्वक प्रयोग योग्य बना सकते है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति के लिये न केवल आवश्यक बल्कि अपरिहार्य अवयव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इसी महत्व के कारण पं. जवाहर लाल नेहरू दृढ़ रूप से यह मानते थे कि "विज्ञान ही भूख और गरीबी की, गंदगी और अशिक्षा की, अंधविश्वास और रूढ़िगत व्यवहार तथा संसाधनों की बर्बादी की समस्या का समाधान कर सकता है।" सरल रूप में यह कहा जा सकता है कि समाजार्थिक साध्यों को पूरा करने में, विशेषकर वर्तमान संदर्भ में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका निर्णायक है।

अधिक व्यवस्थित सैद्धान्तिक ज्ञान का संचयन एवं सृजन विज्ञान का परिचायक है। एक शुद्ध वैज्ञानिक किसी सामान्य सार्वभौमिक नियम एवं कार्य और कारण के सम्बन्ध को समझने में व्यस्त रहता है। वह प्रेक्षण, अनुदान, निगमन और प्रयोग के तर्क के सहारे ज्ञान की खोज करता है। वैज्ञानिक अध्ययन गवेषणात्मक और चिन्तन प्रधान होता है तथा मानव ज्ञान को विस्तृत करने एवं अज्ञात तक पहुंचने के लिये विभिन्न वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैज्ञानिक किसी पूर्व अवधारणा से आबद्ध हुये बिना अपने शोध प्रयासों में व्यस्त रहता है। इस कारण वैज्ञानिक उपक्रम का उद्देश्य उसकी प्रयुक्ति में निहित नहीं होता है। वैज्ञानिक शोध परिणामों को उनके प्रेक्षण और निगमन तर्क के आधार पर सफल एवं स्वीकार्य घोषित किया जाता हैं न कि उनकी उपादेयता के आधार पर। अधिक विस्तृत रूप में विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक जगत के विविध पक्षों के व्यवस्थित ज्ञान के रूप मे पारिभाषित किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्यमें विज्ञान का आशय मात्र ज्ञान के लिये ज्ञान से है। परन्तु ज्ञान सृजन करना किसी सृजनकर्ता का लक्ष्य हो सकता है लेकिन समाज के दृष्टिकोण से ज्ञान सृजन और संचयन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। यह प्रौद्योगिकी का पक्ष होता है। ज्ञान को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार में प्रयुक्त करना प्रौद्योगिकी

*अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है अथवा यह कहा जा सकता है कि विज्ञान को व्यावहारिक स्वरूप देना प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी से यह जानकारी होती है कि विविध प्रकार के कार्यों को 'कैसे' किया जाय। वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रमशः विचार और माध्यम है। मानव शरीर में विज्ञान का संबंध मष्तिष्क से होता है जब कि प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध उसके हाथ या कार्य करने के तरीके से है। आधुनिक विज्ञान का इतिहास अधिक से अधिक 500 वर्ष पुराना है जबकि प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया मनुष्य के विकास के साथ क्रमशः जुड़ी हुई है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों से शताब्दियों पूर्व मनुष्य को पशुओं को पालतू बनाने, मछली पकड़ने, आग, आखेट, लकड़ी या धातु के औजार बनाने की प्रक्रिया ज्ञात थी। यह तत्कालीन प्रौद्योगिकी का सूचक है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रौद्योगिकी का इतिहास आधुनिक विज्ञान से पुराना है। प्राचीन आर्थिक विचारधारा में प्रौद्योगिकी विकास और उसकी उपादेयता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय प्रौद्योगिकी विकास प्रयत्न-त्रुटि माध्यम से, अभ्यास से और कभी-कभी तो आकस्मिक रूप से होता था। उस समय श्रमिक अपनी कार्यगत प्रक्रिया में कार्य और व्यवसायगत अनुभवों से किसी कार्य को संपादित करने की अपेक्षाकृत अधिक सरल और श्रेष्ठ विधियों की जानकारी कर लेते थे, यथा किसी भारी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जमीन पर खींच कर ले जाने के बजाय पहियों के सहारे खींच कर ले जाना अधिक आसान हो गया। यह सुधार श्रमिकोंकी कार्यगत प्रक्रिया में परिष्करण मात्र से हुआ। इस प्रकार के कार्यगत सुधार श्रमिकों की कार्य प्रक्रिया में इतना अधिक समाये रहते थे कि कोई परिवर्तन होने पर यह आभास भी नहीं होता था कि उक्त सुधार क्यों और कैसे हुआ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रयत्न-त्रुटि माध्यम और अभ्यास एवं संयोग पर आधारित उक्त प्रौद्योगिकी का स्रोत विज्ञान नहीं था। परन्तु आज स्थिति पूर्णतः पृथक है। आज प्रेक्षण, अनुदान निगमन और प्रयोग के तर्क पर आधारित विज्ञान विभिन्न कार्यों की प्रौद्योगिकी की आधारशिला और स्रोत का रूप लेता जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्रोत विज्ञान है जिसकी सफलता प्रयोग कर सकने की सुगमता और उसकी उपादेयता से देखी जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उक्त अभिन्न सम्बन्ध के कारण "विज्ञान और प्रौद्योगिकी" वाक्यांश का प्रयोग बहुधा साथ-साथ किया जाता है।

भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति—

भारत का अतीत उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी ज्ञान और उसके व्यावहारिक परिणति का सूचक है। दिल्ली का लौह स्तम्भ, ताजमहल, सामरिक एवं राजनैतिक महत्व के विभिन्न किले एवं पृथ्वी की गर्त में छिपे विभिन्न सभ्यताओं के अवशेष ऐसी प्रौद्योगिकी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जो आज के इस प्रकार के किसी भी प्रयास से अपनी उत्कृष्टता प्रकट करने में समर्थ हैं। वर्तमान समय में स्वचालन की प्रक्रिया वर्तमान अभियान्त्रिकी का अत्यन्त विकसित स्वरूप माना जाता है। हैदराबाद के निकट गोलकुण्डा किले के मुख्य द्वार पर यदि साधारण तेज आवाज की जाय तो वह स्वतः किले के शीर्षस्थ दिशा और सीमान्त क्षेत्र तक पहुंच जाती है। बिना किसी यन्त्र की ध्वनि का यह विसरण प्रविधि विशेषज्ञों के लिये आज भी पहेली बना है। लेकिन अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में देश में प्रौद्योगिकी विकास का प्रयास करने के बजाय ऐसी शोषणकारी नीतियाँ अपनाई गयीं जिनसे ग्रामीण शिल्प और दस्तकारी का भी विनाश हो गया और प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के प्रतीक करघे भी लुप्तप्राय हो गये। योरप के विभिन्न देशों में जब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शक्तिशाली प्रौद्योगिकी आधार निर्मित किया जा रहा था उस समय भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप तत्कालीन भारतीय प्रौद्योगिकी क्षमता का भी विनाश होता गया। फलतः भारत और इन देशों के प्रौद्योगिकी स्तरों में अंतराल बढ़ता गया। स्वतंत्रता के पूर्व यद्यपि कुछ वैज्ञानिकों ने अपने निजी स्तर के प्रयासों द्वारा भारत को विश्व के वैज्ञानिक जगत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया लेकिन समग्र रूप से 1947 तक भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विरासतन प्राप्त गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या के निदान के लिये से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित करने का प्रयास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आरम्भ किया गया। अवस्थापनागत सुविधाओं के प्रसार हेतु आधारिक उद्योगों और जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास पर अत्यन्त जोर दिया गया। तत्कालीन प्रधान-मन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू, जो विकास प्रक्रिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व से अत्यन्त प्रभावित थे, ने इन परियोजनाओं को 'आधुनिक तीर्थस्थलों' के रूप में प्रतिष्ठित किया। नियोजित विकास प्रक्रिया आरंभ होने के साथ देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इसके विकास पर धनराशि सतत् बढ़ती गयी। प्रौद्योगिकी के विकासार्थ अनुसंधान और संवद्ध विकास कार्यों पर 1950-51 में कुल 4.7 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो राशि 1974-75 में बढ़कर 287.6 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 1979-80 और 1980-81 में उक्त मद पर क्रमशः 543 करोड़ और 620 करोड़ रुपये व्यय किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय के अतिरिक्त अनुसंधान और विकास मद पर निजी क्षेत्रक द्वारा भी प्रभूत धनराशि व्यय की गयी। निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के मद पर 1974-75 में 36 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे जो राशि 1974-75 में बढ़कर 103 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति अनुसंधान कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संगठनों के तत्वावधान में होता है। सम्प्रति विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधानों के लिये 150 अनुसंधान-शालायें विभिन्न विज्ञान विभागों में क्रियाशील हैं। केन्द्रीय सरकार के रेलवे, उद्योग, कृषि, दूर संचार, सुरक्षा आदि मंत्रालयों में अनुसंधान कार्यों के प्रति विभिन्न संस्थान कार्यरत हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चस्तरीय प्रयास केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। 1947 में देश में केवल 38 इंजीनियरिंग कालेज थे जबकि इस समय देश में 142 इंजीनियरिंग कालेज एवं शोध संस्थान हैं। 100 से अधिक विश्वविद्यालय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान कार्यों में संलग्न हैं। इनके अतिरिक्त विविध सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। 1980 के अन्त तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 629 इस प्रकार के प्रतिष्ठान थे जिनमें प्रौद्योगिकी अनुसंधान का कार्य भी हो रहा है। वर्ष 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग खोला गया जो अग्रणी और उदीयमान क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में संलग्न है। यह विभाग देश में विद्यमान अवस्थापना के अनुकूलतम् उपयोग के लिये बहुसंस्थीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय महत्व वाले उच्च प्राथमिकता के और नवीन क्षेत्रों में अनुसधान कार्यों पर विशेष बल देता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास विभाग नवीन ऊर्जा स्रोतों की खोज, उपकरण विकास, प्रौद्योगिकी सम्वर्धन, उपयोजन, स्थानान्तरण और विसरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नियोजन के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग के एक सदस्य (विज्ञान) की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल को सलाह देने के लिये एक शीर्षस्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परामर्श समिति बनाई गयी है। यह समिति राष्ट्र की योजनाओं के स्वीकृत लक्ष्यों के सम्बन्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी और सरकार के पास उपयोगी सिफारिशें भेजेगी।

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति इन प्रोत्साहनात्मक विचारों और उनकी व्यावहारिक परिणति के प्रति कटिबद्धता के परिणामस्वरूप एक ओर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या का निदान हुआ और दूसरी ओर इससे विकास कार्यों को गति मिली। नियोजन के आरंभ में हमें पूंजी के साथ-साथ भारी मात्रा में प्रविधि विशेषज्ञों को भी आयात करना पड़ता था। लेकिन आज वैज्ञानिक जनशक्ति और तकनीकी कर्मचारियों के दृष्टिकोण से भारत यू. एस. ए. और रूस के बाद विश्व का सबसे अधिक समृद्ध देश है। यद्यपि प्रति हजार जनसंख्या पर वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों की संख्या कम है परन्तु समग्र रूप से स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ हो गयी है। देश के अनेक विज्ञान और प्रविधि विशेषज्ञों ने विश्व स्तर पर अपने शोध परिणामों की उत्कृष्टता सिद्ध कर दी है। भारत में इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की कुल संख्या लगभग 2.5 मिलियन है। इस वैज्ञानिक क्षमता और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परिसंपत्ति का प्रभाव आर्थिक क्रियाओं में स्पष्टतः दृष्टिगोचर हुआ है। स्वतंत्रता के समय हुए जहां उपभोग की सामान्य वस्तुओं का भी आयात करते थे, जानकारी के प्रत्येक चरण के लिये विदेशों की ओर देखना पड़ता था, जहां यह देश इंग्लैंड और अन्य योरोपीय राष्ट्रों के उत्पादन का बाजार मात्र था वहाँ अब भारत में विविध जटिल वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोषित विभिन्न गर-परंपरागत वस्तुओं का देश की निर्यात संरचना में समावेश बढ़ता जा रहा है। निर्यात व्यापार में इंजीनियरिंग और रसायन वस्तुओं का समावेश तो केवल प्रौद्योगिकी सुधार का ही परिणाम है। देश के औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसके सामने पिछली एक शताब्दी में हुआ औद्योगिक विकास भी मंद पड़ जाता है। यद्यपि योजना काल में 1900 से 1946 की अवधि में समस्त औद्योगिक उत्पादनों में 1.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से वृद्धि हुई थी, जबकि स्वतंत्र्योत्तर काल में औद्योगिक उत्पादन में 6.1% प्रतिवर्ष की औसत दर से वृद्धि हुई है। योजना काल में यद्यपि प्रत्येक उद्योग समूह में प्रसार हुआ है लेकिन विशेष वृद्धि नये और जटिल उद्योग समूहों यथा, पेट्रोलियम उत्पादन, रसायन, रसायनिक उत्पाद, धातु उत्पाद, इलेक्ट्रानिक और विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण और विद्युत उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है। नये उद्योगों के क्षेत्र में ट्रैक्टर, इलेक्ट्रानिक और उर्वरक उद्योग, जिनका 1950-51 में अस्तित्व ही नही था, का इतने बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ कि इन उत्पादनों का जरुरत बढ़ने के बावजूद नाम-मात्र का आयात किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जैवकीय और यान्त्रिक अभियान्त्रिकी ने देश को न केवल भुखमरी के कगार से बचा लिया वरन निर्यात करने की स्थिति में भी ला दिया। वर्तमान शताब्दी के प्रथम अर्द्धांश में कृषि उत्पादन में केवल 0.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही थी जबकि नियोजन काल में समग्र कृषि उत्पादन में वृद्धि की औसत दर 2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। इसका मुख्य आधार कृषि के परम्परा-वादी स्वरुप में परिवर्तन रहा है। भारतीय कृषि योजना काल में विज्ञान पोषित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रति त्वरित गति से अग्रसर हुई है। कृषि क्षेत्र में विज्ञा और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से न केवल खाद्यान्नों संदभ में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गयी है वल्कि खाद्यान्नों और समस्त फसलों के उत्पादन के वर्तमा स्तर को कई गुना अधिक बढ़ा सकने की संभावना स्पष्ट हो गयी हैं। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा, चिकि एवं स्वास्थ्य, समुद्र विज्ञान, रक्षा अनुसंधान आदि क्षे में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान सराहनी रहा है। सक्षम प्रौद्योगिकी की सहायता से निर्मित दूर संचार, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनायें, बांध, पुल ए विविध जलाशयों का निर्माण भारत के आगामी विका कार्यक्रम की आधारशिला निर्मित कर दिये हैं। भार में 1962 से आरम्भ हुये अन्तरिक्ष कार्यक्रम ने आर्यभ भास्कर, रोहणी, एप्पल आदि उपग्रहों के माध्यम अन्तरिक्ष विज्ञान में अपनी सक्षमता सिद्ध कर दी है कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज विविध आधुनि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन्य आधुनिक वस्तुयें सुगमत पूर्वक गांवों में देखी जा सकती है। कृषक अपनी खे को मात्र निर्वाह का साधन नहीं प्रत्युत लाभकार व्यवसाय के रूप में देखने लगा है। अ सामान्य जनसमुदाय की भी रूचि भोजन, आवा परिवहन, पहनावा, पर्यटन आदि के प्रति परिवर्तित ह गयी है। आधुनिकीकरण के प्रति जन-मानस का य परिवर्तन अधिक महत्व पक्ष का परिचायक है।

भारत में प्रौद्योगिकी विकास की रूपरेखा प्रदर्शि करती है कि योजनाकाल में, विशेषकर मार्च, 195 में संसद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात, विज्ञान और प्रौद्योगिक में सराहनीय वृद्धि हुई है। लेकिन यदि भारत क विद्यमान वास्तविक समाजार्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि यह दे की सर्वप्रमुख समस्याओं गरीबी और बेरोजगारी निदान में समर्थ नहीं हो सकी। वस्तुतः आर्थिक विका के लिये जिस प्रौद्योगिकी को आधार बनाया गया विकास और औद्योगीकरण की विकसित देशों प्रौद्योगिकी है जिनकी साधन संरचना भारतीय अर्थव्यवस् से पृथक है। प्रत्येक नवीन कार्य का आधार परिव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देशों के नमने पर ही निर्मित किया जिसकी प्रक्रिया में किसी न किसी प्रकार पश्चिमी पूंजी प्रौद्योगिकी कौशल और विशेषज्ञ प्रयोग में लाये गये। आर्थिक विकास की यह पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी तीव्र आर्थिक प्रगति और सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे वृद्धि पर अत्यधिक जोर देती है। समग्र राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने से राष्ट्र की खुशहाली बढ़ेगी। समग्र राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने की धुन में बड़े-बड़े कारखाने लगाये गये। विदेशी समझौतों के द्वारा देश में जगह-जगह उद्योग स्थापित किये गये और इसी आधार पर उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। परन्तु इस नीति के परिणाम स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ती गयी। आज जनसंख्या का व्यापक जनसमूह स्वतंत्रता प्राप्ति की तुलना में अधिक गरीब और अभावग्रस्त है। योजनाकाल में गरीब जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या और प्रतिशत्य में वृद्धि हुई है। निर्धनता गणना का सर्वप्रथम प्रयास 1962 में किया गया, जब भारत सरकार ने गरीबी आकलन के लिये एक विशेषज्ञ समिति मनोनीत किया जिसने 1990 की कीमतों को आधार मानकर 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह न्यूनतम उपभोग व्यय मानकर यह अनुमान लगाया कि देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। भारतीय योजना आयोग द्वारा 1978-83 की योजना में यह अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की क्रमशः 47.91 प्रतिशत ओर 41 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। योजना आयोग ने छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में यह अनुमान लगाया कि देश की 48.13 प्रतिशत जनसंख्या 1977-78 में गरीबी की रेखा से नीचे थी। इस प्रकार यदि केवल राजकीय अनुमानों को ही ध्यान में रखा जाय तो भी स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि योजनाकाल में गरीबों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी है। आज भारतीय स्पष्टतः गरीब और अमीर वर्गों में विभक्त हो गया है। वर्तमान प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप धनी अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। समाज के अल्पसंख्यक अमीर भयानक खर्चीले उपभोग में व्यस्त हैं। प्राप्त आय को व्यय करना ही उनकी समस्या बनी है। दूसरी ओर आधार पर अत्यधिक जनसंख्या अपनी अनिवार्यतायें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। बहुसंख्यक गरीब इस प्रकार के हैं जिनके पास आवास के नाम पर सड़क का किनारा, धर्मशालायें पेड़ की छांव तथा संपत्ति के नाम पर मात्र उनका शारिरिक श्रम है। इस वर्ग के कुछ लोग तो इस प्रकार के हैं जिनमें लड़कपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ जाता हैं, जवानी आती ही नहीं और वे असमय ही दम तोड़ जाते हैं। प्रौद्योगिकी से अपेक्षा तो यह थी कि दीर्घकाल शोषित और अभाव में रह रहें गरीबों की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन परिणाम विपरीत ही साबित हुआ।

भारत की दूसरी अति-गंभीर समस्या व्यापक बेरोजगारी की है। वर्तमान प्रौद्योगिकी पोषित विकास प्रक्रिया में रोजगार अवसरों का सृजन आवश्यकता के अनुरूप नहीं हुआ। रोजगार अवसरों का जो सृजन हुआ भी उस पर समाज के सम्पन्न वर्ग का ही वर्चस्व बना हुआ है। चूंकि विकास की आधुनिक प्रौद्योगिकी विशिष्ठ ज्ञान और प्रशिक्षण पर आधारित है जिसकी सुविधा सम्पन्न वर्ग के सदस्यों को ही उपलब्ध है, इस कारण इससे जनित उत्पादन व्यवस्था के प्रबन्ध, क्रियान्वयन और अनुरक्षण पर अल्पसंख्यक संभ्रान्त वर्ग का ही वर्चस्व है। वर्तमान प्रौद्योगिकी के अनुरूप शिक्षा अपनी खर्चीली प्रकृति के कारण सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है। अतएव गरीब जनसमुदाय का सदस्य इन प्रतिष्ठिानों में अपेक्षित अर्हताओं के अनुरूप बन ही नहीं पाता है। एक ओर सृजित रोजगार अवसरों की उक्त जटिल प्रकृति और दूसरी ओर इसकी श्रम बचत करने की प्रकृति के कारण बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी अत्यन्त कठिनाई से उपलब्ध विदेशी मुद्रा और ऊर्जा का बड़े पैमाने पर अपव्यय करती है। इसकी कार्यविधि में बहुधा ऊर्जा के गैर नवकरणीय स्रोतों का ही विदोहन किया जा रहा है। कोयला एवं खनिज तेल के शीघ्र समाप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। यदि यही प्रकिया जारी रही तो आगामी पीढ़ी के लिये गैर-नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भंडार समाप्त हो जाएगा। वर्तमान प्रौद्योगिकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूलतः नगरोन्मुख है। इसके कारण मानवीय और भौतिक संसाधनों का नगरों में सकेन्द्रण बढ़ता जा रहा है। नगरीय क्षेत्र उत्पादक औद्योगिक इकाइयों के स्थान और ग्रामीण क्षेत्र कच्चे पदार्थ के पूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं। जहां पहले गांव आत्मनिर्भर थे, अपने जरूरत की अधिकाश वस्तुयें स्वयं गांव में ही निर्मित कर लेते थे वहां अर्थचक्र घूमते-घूमते आज ऐसी स्थिति आ गयी है कि गांव शहरों के मुखापेक्षी हो गये हैं। गांव की तेलघानी नगर की तेल मिलों में, गांव की दस्तकारी और कलाकृतियां नगरीय प्रतिष्ठानों में, गांव के करघे नगरीय कपड़ा मिलों में विलीन हो गयी हैं। उपयोग की साधारण वस्तुयें भी शहरों से बन कर गांवों में जाने लगी हैं। ग्रामीण जन समुदाय की उपभोग प्रक्रिया एवं रूचि स्वतंत्र नहीं रह गयी है वह मूलतः शहरी उत्पादन व्यवस्था पर आश्रित हो गयी है। प्रौद्योगिकी के वर्तमान विकास ने भारत एवं इसी प्रकार के अन्य विकासशील देशों में पश्चिमी विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का उपभोग एवं सांस्कृतिक ढांचा निर्मित कर दिया है। इस प्रौद्योगिकी ने विकसित देशों के रहन-सहन और उसी उपभोग ढांचे को प्रोत्साहित किया है भले ही इसका प्रभाव समाज के सीमित धनाढ़यों तक ही सीमित हो। इसके परिणाम स्वरूप समाज में प्रसाधन सामग्री, कीमती वस्त्र, शक्ति चालित यातायात के साधन, कीमती कैमरे, रेडियों, टी. वी. आदि के प्रयोग की होड़ लग रही है। इनकी उपादेयता को निरपेक्ष रूप से नकारा नहीं जा सकता लेकिन ऐसे समाज में जहाँ बहुसंख्यक अपनी अनिवार्यतायें न पूरी कर पा रहें, इनका उत्पादन और प्रयोग अधिक समीचीन नहीं प्रतीत होता। इनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप फैशन और रहन-सहन का जो ढांचा विकसित होता है वह असमानताओं को मूर्त, दृश्य रुप देकर समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता हैं। आज समाज में तमाम आरामदायक एवं कतिपय लोगों की विलासिता की वस्तुयें यथा टेप-रिकार्ड, रेफ्रिजरेटर, कैमरे, मंहगे साबुन एवं प्रसाधन की अन्य कीमती सामग्री, अत्यन्त कीमती कपड़े, टी. वी. आदि से बाजार भरा है। इनकी आपूर्ति किसी भी समय कम नहीं होती। दूसरी ओर मोटे कपड़े सामान्य साबुन, चीनी, वनस्पति तेल आदि किसी भी समय बाजार से लुप्त हो जाते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देती है क्योंकि इस पर प्रतिफल प्राप्ति की दर और राशि अधिक होती है। चूंकि यह प्रौद्योगिकी विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण सुविधा; जो कुछ अर्थ सम्पन्न लोगों को ही सुलभ होती है, पर आधारित है इस कारण इससे जनित उत्पादन व्यवस्था के प्रबन्ध क्रियान्वयन और अनुरक्षण पर अल्पसंख्यक संभ्रात वर्ग का ही वर्चस्व रहता है, उन्हें ही मूलतः इससे आय प्राप्त होती है। अतः इनका उपयोग भी उन्हीं तक सीमित रहता है। स्वभावतः अधिक अतिरिक्त आय की प्राप्ति विलासिता की वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। अतः यह कहा जा सकता है वर्तमान बड़े आकार एवं जटिल प्रकृति की प्रौद्योगिकी की आय प्रदान करने और उनकी उत्पादित वस्तु की प्रकृति सम्पन्न वर्ग के हितों को पोषित करती है। इन सबका शुद्ध परिणाम यह होता है कि इससे न केवल समाज के अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर नियंत्रण करते हैं बल्कि उनके नियंत्रण का प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है।

बड़े आकार एवं जटिल प्रकृति की प्रौद्योगिकी भारी यंत्रीकरण और वृहद् उद्योगवाद को प्रश्रय दे रही है जिससे बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है साथ-साथ वातावरण भी विषाक्त हो रहा है। यद्यपि औद्योगीकरण के सन्दर्भ में कई विकसित देशों की तुलना में अब भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन भारी प्रौद्योगिकी जनित औद्योगीकरण की वर्तमान निष्पादन पद्धति के कारण देश के विभिन्न महानगरों यथा बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, आगरा आदि में दिन-रात धुआं उगलती चिमनियां और उद्योगों के उच्छिष्ट पदार्थ वातावरण-वायु, जल एवं भूमि को विषाक्त बना रहे हैं। इनके कारण कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन कण व कार्बन डाई सल्फाइड की मात्रा बढ़ रही है जो समस्त जीवधारियों के लिये घातक है। इसके कारण जीवधारियों के श्वसन का आधार आक्सीजन विषाक्त हो रहा है। उद्योगों से निकला हुआ उच्छिष्ट पदार्थ झीलों व नदियों के पानी को विषाक्त करता हुआ समुद्र में पहुंच

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहा है। यह जल प्रदूषण न केवल मानव जीवन को प्रभावित कर रहा हैं अपितु इसके कारण विभिन्न जलचरों, जिनके द्वारा स्वाभाविक रूप से जल स्वच्छ किया जाता रहता है, का अस्तित्व ही समाप्त होता जा रहा है। इन उद्योगों का उच्छिष्ट रासायनिक पदार्थ जब नदियों व जलाशयों में पहुँचता है तो उसके परिणाम स्वरूप जल स्वच्छ बनाये रखने वाले करोड़ों जीव जल ही में नष्ट हो जाते हैं और जल स्वयं जल प्रदूषण की समस्या अधिक सघन बना देता है। इन उद्योगों के कारण नगर और ग्रामीण क्षेत्र की औद्योगिक बस्तियां कूड़ादान का स्वरूप धारण कर रही हैं। वर्षा के साथ यह कूड़ा नदियों में पहुँच कर जल तो दूषित करता ही है साथ-साथ यह नदी का तलप्रदेश भी ऊंचा कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ की विभीषिका और उसके कुप्रभाव बढ़ते जा रहे हैं सामान्य औद्योगिक उच्छिष्टों को जमीन में दफना दिया जाता है, लेकिन आणविक प्रतिष्ठानों से निकला व्यर्थ पदार्थ इतना अधिक विकिरण वाला होता है कि उसे जमीन में भी नहीं दफनाया जा सकता है। इसलिये बहुधा इसे अब समुद्र में फेंक दिया जाता हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं विभिन्न कीटनाशकों के दुष्परिणामों से अब सामान्य कृषक भी अवगत हो गये हैं यदि रासायनिक उर्वरकों का बुद्धिमान स्तर पर प्रयोग न किया जाय तो कृषि उपज कम होने लगती हैं। खेतो में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न कीटनाशकों के प्रति तृण-नाशक जीव असंवेदनशील हो गये हैं, अस्तु इन कीटनाशक दवाइयों के दुष्परिणाम अब मनुष्य को भुगतने पड़ रहे हैं। विभिन्न यंत्रों, भारी मशीनों, मोटर गाड़ियों, वायुयानों एवं विविध ध्वनि प्रसारक यंत्रों द्वारा फैलाये जाने वाले शोर द्वारा मनुष्य की नींद, श्रवण एवं वाक् शक्ति आदि क्षीण होती जा रही है। इससे मानव में हृदय रोग और मस्तिष्क रोग बढ़ रहा है। चारों ओर से घोर शोर में घिरे होने के कारण मनुष्य की जीवनी शक्ति क्षीण होती जा रही है।

उपयुक्त प्रौद्यगिकी—

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 35 वर्षों की अवधि में जिस उत्पादक प्रौद्योगिकी को आधार बनाया गया यदि उससे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता बढ़ रही हो, वातावरण प्रदूषण को प्रश्रय मिल रहा हो, गैर-नवकरणीय सीमित प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग और अपव्यय हो रहा हो तथा विदेशों पर निर्भरता बढ़ रही हो तो निश्चित रूप से इसे उपयुक्त प्रोद्योगिकी नहीं कहा जा सकता है। भारत में जब इतनी बड़ी जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी और पिछड़ेपन का जीवन बिता रही है तो यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास के लिये जो भी योजना बने उसे आवश्यक रूप से इन निर्बल वर्गों की रोजगार और आय सम्बन्धी जरूरतें पूरी करना चाहिये। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी समाज की इन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। इस कारण प्रौद्योगिकी के पक्ष पर पृथक स्वतंत्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है चाहे इसे उपयुक्त प्रौद्योगिकी कहा जाय या कुछ और संज्ञा दी जाय। यहां यह भी सुनिश्चित है कि कतिपय उद्योगों के लिये पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी आवश्यक है। जनोपयोगी सेवा सेवा संस्थानों एवं अवस्थापनागत उद्योगों में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी से बचा नहीं जा सकता है। सुरक्षा उद्योगों और संचार माध्यमों में श्रम प्रधान व निचले स्तर की प्रौद्योगिकी कारगर नहीं हो सकती है। इनके संदर्भ में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का का स्वरूप पूंजी प्रधान जटिल प्रौद्योगिकी के रूप में ही होगा। इस कारण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के प्रकृति संदर्भ में उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर विचार किया जाना चाहिए। यदि वह ज्ञान व प्रक्रिया जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध है प्रौद्योगिकी है तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी से अभिप्राय ज्ञान के उस व्यवहारिक स्वरूप से है जो समाज द्वारा वांछित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उत्पादन प्रविधि से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाज द्वारा वांछित विभिन्न उत्पादन प्राविधियों का वह संयोग है जिससे किसी दी हुई अवस्था में प्राप्त संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है और समाज द्वारा वांछित वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादन और विकास की एक ही प्रकार की प्रौद्यागिकी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिये समान रूप से लाभदायक नहीं हो सकती है। उपयुक्त प्रोद्योगिकी कोई स्थैतिक और संकुचित अवधारणा नहीं है अपितु एक प्रवैगिक और व्यापक अवधारणा है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी देश, काल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामाजिक अपेक्षा और अर्थव्यवस्था में सुलभ संसाधनों के अनुरूप होगी। अपनी जरूरत वृद्धि के अनुरूप उसे विकसित किया जा सकता है। परिवर्तनीय परिस्थितियों से इसका पूर्ण समायोजन सम्भव है तथा यह प्रयत्न-त्रुटि माध्यम पर या अनुकरण पर नहीं बल्कि स्वतंत्र शोध और प्रयोग पर आधारित है। इस कारण किसी प्रचलित प्रौद्योगिकी का परिष्करण मात्र या प्रचलित प्रौद्योगिकी के आकार में कमी करने या वृद्धि करने की प्रक्रिया उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयास नहीं है बल्कि यह परिस्थिति के अनुसार एवं चिंतन सर्वगवेषणा के आधार पर विकसित तथा प्रयोग से पोषित स्वतंत्र प्रयास होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्रौद्योगिकी की उपयुक्त रूपरेखा प्रस्तुत करने से पूर्व अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों और विकसित देशों की प्रौद्योगिकी और तदजन्य परिणामों का आकलन कर लेना चाहिये। विकसित देशों में यद्यपि पूंजी प्रचुरता है, श्रम संसाधन अपेक्षाकृत कम हैं तथापि वे पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी के खतरे से अवगत हो गये है और प्रौद्योगिकी के प्रति वैकल्पिक रीति नीति के निर्धारण हेतु विचार करने लगे है। वातावरण के बढ़ते हुये प्रदूषणने विकसित देशों में अर्थशास्त्रियों, नीति निर्धारकों और राजनेताओं को बाध्य कर दिया है कि वे इस समस्या पर विचार करें। इस प्रकार विकसित देशों का प्रौद्योगिकी अनुभव भारत के लिये उत्साहवर्धक नहीं है। भारत में स्वल्प पूंजी और विपुल श्रमशक्ति वाली अर्थव्यवस्था है जहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जिसका तकनीकी ज्ञान और आर्थिक स्तर अत्यन्त नीचा है. जिसके अतीत में हस्त शिल्प और कुटीर उद्योगों का बड़े पैमाने पर प्रचलन था। इसलिये अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों के लिये पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी को उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं माना जा सकता है। भारत की आवश्यकता पैमाने पर रोजगार अवसरों के सृजन की है। अत्यधिक जरूरत वाले लोगों के लिये रोजगार अवसरों के सृजन की प्रक्रिया में कार्य स्थान, श्रम दक्षता, संयंत्र का आकार, श्रमिकों की अभिरुचि आदि का ध्यान रखना चाहिये। स्वभावतः अभाव और कमी वाली अर्थव्यवस्था के लिये यही लाभदायक है कि उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाय जिनका प्रयोग समाज के बहुसंख्यक लोग करते हों और उनकी उत्पादन प्रक्रिया में बहुसंख्यक लोगों का समावेश हो। केवल यह ध्यान देना आवश्यक नहीं है कितना उत्पादन हो रहा हैं बल्कि यह भी आवश्यक है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन हो रहा और उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा हैं। भारी मात्रा में बहुसंख्यक लोगों के के लिये. बहुसंख्यक लोगों द्वारा उत्पादन समय की अपेक्षा है जिसे अधिक समय तक नकारा नहीं जा सकता है। इस लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में भारत में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित प्रमुख घटक होने चाहिये—

1—कम से कम पूंजी से अधिक रोजगार सृजन की क्षमता ताकि सबल लोगों के साथ-साथ कमजोर और वर्ग के लोगों को भी रोजगार दिया जा सके।

2—समाज के धनी, सुविधाभोगी वर्ग के आराम विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन से पृथक सर्वसाधारण के प्रयोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना।

3—स्थानीय कच्चे पदार्थ, कौशल और संसाधनों के विदोहन को बढ़ावा देना।

4—कम ऊर्जा का प्रयोग सकने वाली उत्पादन प्रविधियों पर विशेष जोर और स्थानीय रूप से मिल सकने वाली ऊर्जा, यथा सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा एव बायो गैस पर विशेष जोर। लघु आकार, क्रियान्वयन की सरलता और सस्ती कार्य विधि का प्रसार।

5—अप्रशिक्षित कारीगरों की कार्यक्षमता को ऊपर उठाने का प्रयास।

6—स्थानीय संसाधनों पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग धन्धों का विकास।

7—पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष सचेष्ठता।

8—कृषि के लिये जैविक खादों और सक्षम व छोटे और सुगम कृषि यन्त्रों का विकास।

उपयुक्त प्रौद्योगिकी की कार्यविधि घिसी पिटी परंपरागत अक्षम उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन नहीं है और न ही पूंजीप्रधान अपव्ययी पश्चिमी प्रौद्योगिकी के नकल को प्रोत्साहन है। यह स्वतंत्र शोध और प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। आज बदली हुई परिस्थिति में उत्पादन प्रक्रिया में कुछ अपेक्षाकृत नवीन घटकों को स्वीकृत करना होगा। विद्युत प्रयोग बढ़ाना, पुराने यंत्रों को हटाकर अधिक श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। भारत में इन के वर्षों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के रूप में कुछ पुराने परंपरागत यंत्रों को सुधारने या उत्पादन की कतिपय नवीन लघु आकारीय प्रविधियों को विकसित करने का प्रयास किया गया। परन्तु वे अधिक व्यवहार्य नहीं पा रहे हैं यथा, गांवों में पंचायत उद्योगों की स्थापना कुम्हार के परंपरागत चाक के स्थान पर विद्युत चाक छोटे-छोटे कारखाने विविध उपभोग वस्तुओं के लिये इसका प्रमुख कारण यह है कि एक ओर इन कारखानों का उत्पादिता स्तर नीचा होता है और दूसरी ओर इनके उत्पादनों की मांग अपेक्षाकृत कम होती हैं जो पुनः उत्पादन कम करने और संयंत्र को अक्षम बने रहने को बाध्य कर देता हैं। वस्तुतः निचली प्रौद्योगिकी, जो भारत के सामान्य आर्थिक क्षेत्रों के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी है, जनित उद्योगों की मुख्य समस्या उनके उत्पादनों की माग की कमी है। इसलिये यह आवश्यक है कि इन उत्पादनों का प्रचार बढाया जाय। लोगों की अभिरुचि इन उत्पादनों के अनुकूल करने का प्रयास किया जाय।

(शेष पृष्ठ 58 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूरोपीय आर्थिक समुदाय
(European Economic Community)

■ प्रस्तुति : निशांत

यूरोपीय युद्धों को रोकने के लिये एकता का प्रत्यय इतिहास में दीर्घकाल से विद्यमान रहा है, किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की ऐतिहासिक अनिवार्यतायें इसके लिये कभी भी समुचित वातावरण न प्रदान कर सकी फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की द्वि-ध्रुवीकरण की राजनीति ने "क्षेत्रीय आर्थिक सामञ्जस्यता" को एक अनिवार्य आवश्यकता का रूप दे दिया। इसी आवश्यकता के तहत् 25 मार्च, 1957 को रोम में हस्ताक्षरित एक संधि द्वारा 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' (European Economic Community) की स्थापना की गयी। संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में फ्रांस, प. जर्मनी, इटली, हालैण्ड, बेल्जियम तथा लक्जेमबर्ग थे। समुदाय को 'साझा बाजार' के नाम से भी जाना जाता है।

ई. ई. सी. का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक हितों की पूर्ति के साथ-साथ उनकी राजनीतिक एकता को भी बरकरार रखना है। मूलरूप से समुदाय का उद्देश्य 10-15 वर्षों के संक्रमण काल में कृषि और उद्योग-उत्पादनों के एक साझा बाजार की स्थापना करना बताया गया है। इसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपस में व्यापार संबंधों को बढ़ाना, एक सामान्य परिवहन-नीति को लागू करना तथा एक 'यूरोपीय नियोजन बैंक' (European Investment Bank) तथा 'यूरोपीय सामाजिक कोष' (European Social Fund) की स्थापना भी शामिल हैं। इस प्रकार के कोष का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के माध्यम से लगाये गये उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना है। समुदाय का अंतिम लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य होन वाले व्यापार पर आरोपित शुल्कों का क्रमशः न्यूनीकरण तथा आयात-निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। यूरोपीय नियोजन बैंक आसान दरों पर ऋणों के माध्यम से अपेक्षा कम विकसित यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास में सहायता करता है।

समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी संस्था मंत्रि-परिषद है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है। सामान्य रूप से यही अंग समुदाय की सामान्य नीतियाँ निर्धारित करता है और सामान्य विषयों पर निर्णय लेता है। समुदाय की महासभा में 142 सदस्य हैं जो सदस्य राष्ट्रों के आकार को मद्देनजर रखते हुए समानुपातिक आधार पर चुने जाते हैं। महासभा 'यूरोपीय कोयला एवं स्टील समुदाय' (ECSC) तथा यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय' (EURATOM) के ऊपर सामान्य नियंत्रण रखने का कार्य करती है।

22 जनवरी 1972 को ब्रिटेन, आयरलैण्ड, डेनमार्क तथा नार्वे ने भी ब्रुसेल्स में समुदाय की सदस्यता ग्रहण करने विषयक संधि पर हस्ताक्षर किये। किन्तु बाद में नार्वे समुदाय का सदस्य नहीं बन सका क्योंकि राष्ट्रीय जनमत संग्रह में नार्वे की सदस्यता अस्वीकार कर दी गयी। वर्तमान समय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में कुल 10 सदस्य हैं। ग्रीस इसका नया सदस्य है। ग्रीनलैण्ड ने इसी वर्ष सदस्यता छोड़ दी है।

जो सदस्य समुदाय के सदस्य नहीं बन सके हैं उनको किसी समानांतर संस्था का सदस्य बनाने के लिये जुलाई 1972 में समुदाय के नौ सदस्यों तथा युरोपीय मुक्त व्यापार परिषद (European Free Trade Association) के मध्य एक समझौता हुआ जिससे 'युरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र' (European Free Trade Area) की स्थापना की गयी। समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की 20वीं वर्षगांठ 25 मार्च, 1977 को रोम में मनायी गयी, उस समय ऐसी

(शेष पृष्ठ 45 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ प्रस्तुति : शुकदेव प्रसाद

■ मूलभूत विज्ञान

संरक्षण की विश्वनीति—
(World Conservation Policy)

प्रकृति एवं प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ (I. U. C. N).) ने विश्व संरक्षण नीति निर्धारित की है जिसमें सरकारी नीति निर्माता और उसके परामर्शदाता, संरक्षण कर्त्ता और जीवन्त संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति तथा विकास से सम्बद्ध व्यवसायी (विकास एजेंसियाँ, उद्योग एवं व्यापार तथा श्रमिक संघ) शामिल हैं।

संरक्षण की नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है—

1—विश्वव्यापी संरक्षण नीति का उद्देश्य जैव संसाधन (Bio-resources) संरक्षण के प्रति प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

(क) आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और जीवन संरक्षण प्रणालियों का रख रखाव करना, जिन पर मानव का जीवन और विकास निर्भर है :

(ख) आनुवंशिक विविधता का संरक्षण जातियों (Species) और पारिस्थितिक तंत्रों (Ecosystems) के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए (विशेष कर मत्स्य और अन्य वन्य जीवन, वन और चरागाह) जिन पर लाखों ग्रामीण समुदाय और उसके साथ ही उद्योग निर्भर हैं।

2—इन उद्देश्यों को तत्काल पूरा किया जाना आवश्यक है क्योंकि :

(क) विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में मानव का भरण-पोषण करने की क्षमता कम होती जा रही है।

(ख) विकासशील देशों में लाखों ग्रामीण लोग, (जिनमें 50 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और 80 करोड़ लोगों के लिये कोई सहारा नहीं है) भुखमरी और निर्धनता से छुटकारा पाने के लिये संसाधनों को नष्ट करने के लिये बाध्य हो जाते हैं।

(ग) वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये ऊर्जा, वित्तीय तथा अन्य लागतें बढ़ती जा रही हैं।

(घ) प्रमुख उद्योगों के संसाधन आधार कम होते जा रहे हैं।

3—संरक्षण के रास्ते में मुख्य बाधाएँ निम्न हैं :

(क) यह धारणा कि जीवंत संसाधन संरक्षण, एक सीमित क्षेत्र है।

(ख) संरक्षण को विकास के साथ जोड़ने में असफलता।

(ग) एक विकासात्मक प्रक्रिया, जो पर्यावरणीय योजना में कमी के कारण दीर्घकालीन हितों को ध्यान में न रख कर अल्पकालिक हितों पर जोर देने के कारण विनाशकारी है।

(घ) संरक्षण क्षमता की कमी जो अपर्याप्त कानूनों और उनके कार्यान्वयन, अकुशल संगठन और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव से है।

(च) संरक्षण के समर्थन की कमी जो संरक्षण के हित लाभों की जानकारी और उन लोगों के बीच संरक्षण के दायित्व की कमी से होती है, जो जीवंत संसाधनों का उपयोग में लाते हैं या जिनका उन पर प्रभाव होता है और जिसमें बहुत सी सरकारें भी शामिल हैं।

4—विश्व संरक्षण नीति इसलिए :

(क) जीवंतता जैव संसाधन संरक्षण को परिभाषित करती है, उसके उद्देश्यों की व्याख्या करती है, मानव जीवन और उसके विकास में इसके योगदान को बताती है और इन सबको प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दर्शाती है।

(ख) प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ग) राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय नीतियों के लिये ढांचे और नियमों का वर्णन करती है ताकि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(घ) पर्यावरण नीतियों की व्यापक राष्ट्रीय प्रणाली का सुझाव देती है—ताकि नीति निर्धारण करते समय संरक्षण को विकास के साथ जोड़ा जा सके।

(च) भूमि और जल संसाधनों के मूल्यांकन की समेकित पद्धति (जिसमें पर्यावरणीय निर्धारण भी शामिल है) का प्रस्ताव पर्यावरणीय योजना को सुधारने के लिये करती है।

(छ) जीवंतता संसाधनों से सम्बन्धित कानूनों के पुनरावलोकन का सुझाव देती है, सरकारों के बीच संगठन लिये सामान्य नियमों का सुझाव देती है।

(ज) प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के लिये तरीके बताती है।

(झ) जीवंतता-संसाधन उपयोग से सम्बन्धित योजना और नीति निर्धारण में अधिक भाग लेने की सिफारिश करती है और प्रस्ताव करती है कि पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रमों तथा अभियानों को बढ़ाया जाये जिससे कि संरक्षण के लिये मंच बनाया जा सके।

(ञ) ग्रामीण समुदायों को अपने विकास के लिये आवश्यक आधार के तौर पर जीवंतता संसाधनों के संरक्षण करने के तरीकों को सुझाती है।

5—इसके अलावा संरक्षण नीति, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके सम्वर्धन, समर्थन और जहाँ आवश्यक हो, राष्ट्रीय कार्यों के समन्वयन का सुझाव देती है, और विशेष रूप से निम्न बातों की आवश्यकता पर बल देती है—

(क) और अधिक दृढ़ तथा व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण कानून और जीवंतता संसाधन संरक्षण के लिये बढ़ी हुई विकास सहायता;

(ख) उष्ण कटिबंधीय वनों और शुष्क भूमि के संरक्षण के लिये आवश्यक कार्यवाहियों को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आधार पर बढ़ावा देना, आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिये आवश्यक क्षेत्रों का बचाव करना और विश्वव्यापी सार्वजनिक क्षेत्रों का संरक्षण, यथा खुला सागर, वातावरण और अन्टार्कटिका;

(ग) साझे वाले जीवंतता संसाधनों, विशेष रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय नदी के मुहानों और समुद्रों के सम्बंध में संरक्षण को बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय नीतियों का निर्धारण।

6—विश्वव्यापी संरक्षण नीति में सतत विकास की आवश्यकताओं को बताया गया है और तृतीय विकास देश के लिये प्राथमिकताओं की ओर संकेत किया गया है।

▪▪दैनिक जीवन में विज्ञान

निम्न के कारण स्पष्ट कीजिए:—

1—खौलते पानी की अपेक्षा भाप से जला अधिक कष्टप्रद होता है?

उत्तर—खौलते पानी की अपेक्षा भाप से जला अधिक कष्टप्रद होता है यद्यपि दोनों का ताप $100°C$ ही होता है। इसके निम्न कारण हैं—

(i)—भाप के प्रत्येक ग्राम में 1 ग्राम खौलते पानी की अपेक्षा 536 कैलोरी ऊष्मा (भाप की गुप्त ऊष्मा) अधिक होती है।

(ii)—भाप त्वचा के छिद्रों में अधिक सुगमता से प्रवेश कर जाती है।

(iii)—भाप की विशिष्ट ऊष्मा केवल 0.5 कैलोरी ही है जबकि पानी की 1 होती है। अतएव भाप शरीर को ऊष्मा अधिक तीव्रता से दे देती है।

2—स्वच्छ मेघ रहित रातों की अपेक्षा घनाच्छादित रातें क्यों गर्म होती हैं?

उत्तर—सूर्यास्त के पश्चात पृथ्वी पर तथा उस पर की वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊष्मा खोने लगती हैं। जिस रात को आसमान स्वच्छ होता है उस समय यह विकिरण खूब होता है तथा ताप काफी गिर जाता है लेकिन जब रात को आकाश में बादल घिरे होते हैं विकिरण द्वारा खोई ऊष्मा बादलों से परावर्तित होकर पृथ्वी की तरफ ही लौट आती हैं और बादल स्वयं कुचालक होने के कारण ऊष्मा को अपने में होकर जाने नहीं देते हैं। दूसरे बादल जब स्वयं पानी में बदलते हैं, तो 1 ग्राम भाप 536 कैलोरी ऊष्मा देती है। फल यह होता है कि वातावरण में ऊष्मा रहने के कारण ताप नहीं गिरने पाता। इसलिए स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादलों वाली रातें गर्म होती हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

3—पहाड़ या खान में वस्तुओं को ले जाने पर उनका भार घट जाता है।

उत्तर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर पहाड़ों पर ले जायं अथवा पृथ्वी की सतह से नीचे खातों के अन्दर ले जायं, तो उस पर पृथ्वी के आकर्षण बल का मान कम हो जाता है जिससे उसका भार कम हो जाता है।

अधुनातन विज्ञान

इनसट का अवसान—

इनसैट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) शृंखला के प्रथम उपग्रह से मौसम विज्ञान, दूर संचार और दूरदर्शन के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के मंसूबे हमने बांधे थे पर 6 सितम्बर, 1982 को इसके निष्क्रिय हो जाने से हमारी आशाओं पर तुषारापात हो गया।

10 अप्रैल, 1982 को अमेरिकी राकेट डेल्टा से छोड़े गए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 'इनसैट-1ए' का जीवन काल 7 साल आंका गया था पर तत्काल उत्पन्न हुई तकनीकी दिक्कतों ने इसकी अवधि मात्र ढ़ाई साल कर दी थी और फिर परेशानियां कुछ ऐसी उठ खड़ी हो गयीं कि उपग्रह मात्र 5 महीने आधे-अधूरे ढंग से कार्य करता हुआ अवसान को प्राप्त हुआ। जानकार बताते हैं कि उपग्रह का ईंधन समय से बहुत पहले चुक जाने के कारण ऐसा हुआ और अब धरती से उसका सम्पर्क पूर्णतः टूट चुका है।

लेकिन गौर किया जाय तो पता चलता है कि इसके निर्माण काल से ही पेचीदगियां आड़े आती रहीं और इसी वजह से 276 करोड़ रुपये लागत की बहुउद्देशीय एवं महत्वाकांक्षी परियोजना का पहला चरण असफल रहा।

'इनसैट-1ए' में एक साथ हमने तीन-तीन सुविधाएं जुटायी थीं। तात्पर्य यह कि 'मौसम, दूर दर्शन, टेलीफोन' तीनों सुविधाएं इसी एक उपग्रह से एक साथ लेने की व्यवस्था की थी और इसके प्रक्षेपण से पूर्व के उपग्रहों में आजमाए गए कल पुर्जे-कम्यूनिकेशन ट्रांस पोंडर, रेडियोमीटर, तथा टी वी. ट्रांसपोंडर सभी इसमें एक साथ प्रयुक्त किए गये थे जो अपने आप में जटिल तकनीक है। इससे उपग्रह में स्वाभाविक रूप से तकनीकी बाधाएं आनी थीं। इस ओर 'फोर्ड एयरोस्पेस कम्पनी' (जिसने हमारे लिए यह उपग्रह निर्मित किया था) के निर्माताओं ने संकेत भी किया था पर हमारे अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कुछ विशिष्ट कर गुजरने के चक्कर में उक्त कम्पनी को कहा कि जैसी डिजाइन आपको सौंपी गई है, ठीक उसी तरह उपग्रह का निर्माण कीजिए।

उपग्रह की इस विशिष्ट डिजाइन से उपग्रह का वजन अनुमानित वजन से लगभग 8.5 किलो बढ़ गया। अधिक वजन हो जाने के कारण डेल्टा राकेट ने (जिसने उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिये हमसे 260 लाख डालर किराया पहले ही वसूल लिया था) इसे चढ़ाने से इन्कार कर दिया। अतः 5.5 किलो ईंधन कम कर दिया गया।

8 अप्रैल को उपग्रह को राकेट में लादते समय इसके सौर छत्र (सोलर सेल) में खराबी आ गयी। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की गयी अर्थात् नया सौर छत्र लगाया गया। इसके बारे में भी जानकारों का कहना है कि जल्दी बाजी में नये सौर छत्र की जांच नहीं की जा सकी, संभवतः इसमें गड़बड़ी रही हो। 9 अप्रैल को मौसम की खराबी के कारण प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा। 10 अप्रैल को दिन में 12.17 पर इसे प्रक्षेपित किया गया। कक्षा में स्थापित होते ही यह संज्ञा शून्य हो गया क्योंकि संकेत ग्रहण करने तथा भेजने का कार्य करने वाला सी-बैंड एंटेना खुला ही नहीं। यह अपनी नियत कक्षा में स्थापित भी नहीं हुआ। किसी तरह इसे अपेक्षित ऊँचाई (35,580 किलोमीटर) पर ठेला गया जिसमें 3.5 किलो ईंधन और खर्च हो गया। न तो सी बैंड एंटीना खुला और न ही सौर छत्र। बड़ी कोशिशों के बाद 12 दिन बाद सी-बैंड एंटीना खुला और रंगीन टी. वी. संकेत प्राप्त किये जा सके। सौर छत्र के न खुलने से उपग्रह का संतुलन बिगड़ गया। इसे ठीक करने में 6.5 किलो और अतिरिक्त ईंधन नष्ट हो गया। 4 सितम्बर को उपग्रह अपनी कक्षा से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नीचे खिसक गया। इसका कारण ईंधन की बरबादी बतायी जाती है।

जब उपग्रह छोड़ा गया था तो उसमें 600 किलो ईंधन था। इसका अधिकांश तो उपग्रह के धरती से प्रक्षेपण के समय खर्च हो जाना था। तब भी 80 किलो ईंधन शेष रहने की व्यवस्था थी और अनुमानतः प्रतिवर्ष 12 किलो की दर से खर्च होते रहने से इसे 7 वर्ष तक सक्रिय रहना था पर प्रारम्भ से अनेक तकनीकी बाधाओं को दूर करने में कीमती ईंधन समय से पूर्व ही समाप्त हो गया और इस प्रकार कुल जमा 5 महीने तक उपग्रह की सेवाएँ हम ले सके।

इनसैट प्रथम की सहायता से 20 दूरदर्शन केन्द्रों को मिलने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अब व्यवधान उत्पन्न हो गया है। अब 8 दूरदर्शन केन्द्रों (संबलपुर, गुलबर्ग, पीज, रायपुर, जयपुर, मुजफ्फरनगर व नागपुर) पर 90 मिनट का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं दिखाया जा सकेगा। अन्य केन्द्रों (दिल्ली, मैसूर, बम्बई, पुणे, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता, लखनऊ, श्रीनगर और जालंधर) पर माइक्रोवेव के जरिये दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाता रहेगा।

15 अगस्त को राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम के साथ ही 300 टेलीफोन सर्किट भी उपग्रह के माध्यम से शुरू किये गये थे, वे अब ठप्प हो गए हैं।

ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी। 'इनसैट' से पहले डाक-तार विभाग अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह 'इंटलसैट' का उपयोग कर रहा था, इसकी मदद फिर से ली जा सकती है। हालांकि सितम्बर के अन्त तक ही समझौते की अवधि थी, अतः नवीनीकरण करके पूर्ववत इसकी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। 'इनसैट 1-बी' भेजने के पूर्व तक तो हम दूर संचार और दूरदर्शन प्रसारण के लिये इंटलसैट प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।

इनसैट-1 बी के निर्माण में अब सावधानी बरतनी होगी और आवश्यक हुआ तो 'इनसैट-1ए' की तकनीकी जटिलताओं से सबक लेकर इसकी डिजाइन में जरूरी संशोधन भी किए जायं। 'नासा' से हुए समझौते के अनुसार जुलाई 1983 में 'कोलम्बिया' शटल अपनी 9वीं उड़ान में 'इनसैट-1बी' को अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। ■

(पृष्ठ 41 का शेष)

आशा की गयी थी कि रोम सम्मेलन में कुछ ऐसे निर्णय लिये जा सकेंगे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मामलों में समुदाय कुछ अधिक प्रभावकारी भूमिका निभा सकेगा किन्तु सम्मेलन के उपरांत जो विज्ञप्ति प्रसारित की गयी, उसमें कुछ भी नया नही था, वही पुरानी नीतियाँ तथा घिसी पिटी बातें पुनः दोहरायी गयीं।

मार्च, 1982 में भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मध्य सक्रिय व्यापार सम्बंधों की स्थापना हेतु गठित भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग की बैठक हुयी जिसमें इस वर्ष के अंत तक नयी दिल्ली में एक यूरोपीय आयोग खोलने का निर्णय लिया गया। आर्थिक और व्यापारिक मामलों पर भारत एवं ई. ई. सी. के मध्य जून 1981 में ब्रूसेल्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। अब तक दोनो के मध्य संबंध मात्र व्यापार तक सीमित रहे हैं किन्तु औद्योगिक संबंधों एवं सहयोग की स्थापना का प्रयास भी बराबर जारी है।

वास्तव में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सीमित मात्रा में ही सफल कहा जा सकता है। समुदाय की गतिविधियों में अपना वर्चस्व बनाये रखने का प्रयास समुदाय के बड़े राष्ट्र हमेशा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। 1977 के रोम सम्मेलन में चार बड़ों— ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली- ने छोटे सदस्य देशों की बात प्रायः अनसुनी कर अपने इरादों को अभिव्यक्ति दी। निवर्तमान स्थिति यह है कि 'एक यूरोप' के समर्थक तो बहुत हैं किन्तु इस 'यूरोप' का नेतृत्व किसके हाथों में हों, इस बारे में सदस्य राष्ट्रों में घोर विवाद है। समुदाय के सदस्य देशों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता के चलते उनके नेताओं से किसी ठोस निर्णय की आशा नही की जानी चाहिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को प्रभावशाली बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसी संयुक्त यूरोपीय नीतियाँ तैयार करें जिनका पालन करने के लिये सभी सरकारें बाध्य हों और समुदाय का मंत्रिपरिषद किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल हो तो इस विषय में समुदाय के न्यायालय में अपील का प्रावधान होना चाहिये। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी कविता की अद्यतन प्रवृत्तियाँ

डॉ सिद्धेश्वर सिंह

छायावाद के बाद हिन्दी कविता का जो स्वरूप सामने आया उसमें कविता कम भाषा की तलछट ज्यादा दिखाई पड़ी। शिवदान सिंह चौहान, डा. राम विलास शर्मा और डा. नामवर आदि सुधि विद्वानों ने इस काल की कविता को प्रगतिवाद नाम रख कर हिन्दी काव्य का वंश चलाना चाहा लेकिन जब प्राण ही नहीं प्रतिष्ठापित हुआ तो काव्य-कलेवर लेकर कब तक इस धारा को अग्रसर किया जा सकता था।

प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर शोषित और शोषक के बीच के तनाव और टकराव को ऊर्जा दी गई, लेकिन कथन की निजता का अभाव और कला-पक्ष के लचरपन ने किसी ऐसे ऊंचे काव्य-मूल्य का सृजन न कर सका जिसकी शुरूआत छायावाद ने की थी।

पंत जैसे कलावादी और सौन्दर्य-चेता कवि ने इस धारा की पुष्टि के लिए कहा—

"तुम वहन कर सको, जन मन में मेरे विचार।
वाणी मेरी चाहिए, क्या तुम्हें अलंकार॥"

लेकिन उनकी सायास सहजता ज्यादा दिनों तक इस काव्य भूमि पर टिकाए नहीं रह सकी। उनकी उच्च संस्कृत-चेतना फिर लौट गयी और अन्तर्चेतना के आलोक के चकाचौंध में आंखें मलने लगी। पंत से ज्यादा निराला की कविताओं में ममत्व और करूणा का भाव है, जो प्रगतिवादी चेतना को पुष्ट करने में सहायक होता है। दिनकर का उद्भव छायावाद के उतरार्द्ध और प्रगतिवाद के प्रारम्भ में हुआ; इस कारण उनकी भाषा में छायावादी सम्पदा को साफ कर नवीन काव्य के अनुकूल बनाने का प्रयास है—

"स्वानों को मिलता दूध यहाँ भूखे बालक अकुलाते हैं।
मां की हड्डी से चिपक-ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं।"

इसके विपरीत नागार्जुन और केदार नाथ अग्रवाल के काव्य में तीव्र व्यंग्य, समाज का जर्जर स्वरूप, वैषम्य और आक्रोश देखने को मिलता है। शिव मंगल सिं 'सुमन', रांगेय राघव, नरेन्द्र शर्मा, व प्रभाकर माचवे समवेत स्वर में प्रगतिवाद की दुदुंभी बजायी, नये युग के आक्रोश, आवेश और अप्रतिहत प्रगतिवादी वाणी में लेकिन इस स्वर को, काव्य के इस कलेवर को ज्यादा दिनों तक ढोया न जा सका।

इस कारण कविता में कवि-अस्मिता की पहचा दिखलाई नहीं पड़ी और काव्य-धारा नयी दिशा की ओ मुड़ गयी। निराला और पंत के बाद दिन 'उर्वशी' के सौन्दर्य लोक में विचरण करने लगे। नागार्जु और केदार नाथ अग्रवाल अपनी निजता की तलाश निमग्न हो गये।

प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हिन्दी का जगत में नयी जमीन की तलाश का प्रयास लक्षित हो लगा। इस काव्य-धारा के जन्म के साथ ही आलोचकों का दो दल प्रकट हुआ। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने 'प्रयोग' शब्द का निरुपण किया जो आगे चलकर प्रयो वाद के नाम से प्रचलित हो गया। इलियट और एज पाउण्ड के अनुकरण पर इस काल की कविताओं का सृज हुआ है, ऐसा लांछन कुछ आलोचकों ने इस काल कविताओं पर लगाया। प्रथम तार सप्तक के साथ गज नन माधव मुक्ति बोध, नेमिचन्द्र, भारत भूषण, प्रभाक माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा औ अज्ञेय का नाम पुनः प्रयोगवाद का हस्ताक्षर बनकर प्रक हुआ। प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के अलावा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा इस धारा को बल मिला। इ कवियों के बारे में डा. नामवर सिंह ने लिखा है कि "अज्ञे ...... मुक्ति बोध शमशेर आदि इस दौर के सभी नये क अपने शिक्षा-संस्कार में हिन्दी की ठेठ परंपरा से बाहर थे। यही नहीं बल्कि इनमें से अधिकांश कवियों का मा गठन भारत की अपेक्षा पश्चिम और हिन्दी की अपे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंग्रेजी आदि परम्परागत साहित्य संस्कारी हिन्दी कवि से नितान्त भिन्न था—यहां तक कि उनकी भाषा के मुहावरे भी भिन्न थे।"

प्रारम्भ में प्रयोगवाद में रूपवाद या कलापक्ष का प्राधान्य था, परवर्ती कवियों ने उसमें युद्धोत्तर कालीन मानवीय एवं व्यक्तिगत भावनाओं, व्यापक सौन्दर्य-बोध विद्रोह, तीव्र उद्‌गार और अतृप्त एवं अपूर्ण रागात्मकता आदि प्रमुख भावपक्ष की प्रवृत्तियों का विकास करके इस काव्य की व्यापकता को बढ़ाया और इसे ठोस जीवन दर्शन का आधार देने का प्रयत्न किया। विजयदेव नारायण साही ने लक्षित किया है कि अज्ञेय और उनके साथियों के सामने—जो तार सप्तक में संग्रहित हुए—समस्या यही थी कि तीसरे दशक के काव्य में जो अनिवार्य गंभीरता थी उससे मनोभूमि को फिर किस प्रकार गंभीरता की ओर वापस लाया जाय।

1947 में भारत आजाद हुआ और इसके साथ ही हिन्दी काव्य का ऐतिहासिक सन्दर्भ बदल गया। आजादी मिलने के बाद प्रारंभिक तीन-चार वर्ष भारी उथल-पुथल के रहे। देश की गलत-सही सारी शक्तियां इतिहास में स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील रहीं। इस आरंभिक दौर में दिखने वाला सत्य दिवास्वप्न जैसा भ्रम था। मुक्तिबोध ने इस बारे में लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त देश में बाढ़ के समान बढ़ते अवसरवाद में अन्य वर्ग के लोगों के समान कवियों का वर्ग भी बह गया। इस काल में एक उच्च मध्य वर्गीय सौन्दर्य-चेतना का उदय हुआ, जिसमें कर्कश विद्रोह और क्रान्तिकारी चण्डता का अवकाश नहीं था।

अतः यह स्पष्ट है कि प्रयोगवाद की व्यक्तिवाद, कलावाद और सतत् प्रयोगधर्मिता मूलतः उच्च मध्य वर्ग की ध्वंस संस्कृति और व्यक्तित्व के आन्तरिक टूटन की सूचना तार सप्तक की कविताओं में देखने को मिलती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काव्य की मूल्यवत्ता की दृष्टि से वे कविताएँ कमजोर भी थीं उनमें खोखलापन था।

प्रयोगवाद के जन्म की अनिवार्यता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए तत्कालीन आलोचकों ने कहा कि (1) जब कोई प्राचीन सौन्दर्य का मानदण्ड रूढ़िबद्ध हो जाता है, तब मानव-मन नवीन मान-दण्डों का निर्माण करता है।

(2) इन नवीन मापदण्डों से नवीन मान्यताएँ, नवीन सामाजिक क्रम तथा अन्य प्रकार से नवीनता का प्रादुर्भाव होता है और उसका प्राचीनता से संघर्ष होता है।

(3) कोई भी साहित्य सामाजिक क्रम से कदम मिला कर नहीं चलता तो पिछड़ जाता है। इसलिए साहित्य में मान के क्षेत्र में नूतनता शीघ्र ही ग्राह्य हो जाती है।

(4) शैली-क्षेत्र में प्राचीन रूढ़ एवं परंपराबद्ध अभिव्यंजना पद्धति जब नवीन भावनाओं को पूर्ण एवं सही रूप में अभिव्यक्त करने में संघर्ष नहीं होती तो लेखक या कवि के मानस में एक संघर्ष पैदा होता है।

(5) लेखक या कवि के हृदय में नवीन वस्तु और प्राचीन शैली के संघर्ष के फलस्वरूप भाव-व्यंजना के क्षेत्र में नवीन प्रयोग होते हैं। प्रयोगवाद की नई कविता का जन्म भी इन्हीं कारणों से हुआ।

(6) प्रयोगवाद उक्त नवीन वस्तु एवं प्राचीन शैली के संघर्ष के फलस्वरूप उद्‌भूत हुई, इसलिए उसमें शिल्प का आग्रह है और भावाभिव्यंजना में सक्षम नवीन प्रतीक एवं उपमानों को आग्रह किया गया है।

डा. नामवर सिंह के शब्दों में प्रयोगवाद में सामाजिकता का अभाव है। उनके अनुसार प्रगतिवादी कवियों के समान सत्य की ज्योति से आंखें मिलाने का साहस प्रयोगवादी कवियों में नहीं दिखती। प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन, नागार्जुन जब गांवों के जीवन में घुसते हैं तो अपनी वैयक्तिकता भूलकर जीवंत ग्राम्य-चित्र उकेरते हैं। जैसे चम्पा, भोरई केवट, दुखरन झा, चंद, बोडम यात्री के चित्र। सामाजिकता-रहित दमित वासनाओं की कुण्ठा का चित्र भी देखिए—ओ श्वेत, शान्त घन अवगुंठन! तुम कौन सी आग की तड़प छिपाये हो?

ओ शुभ्र शान्त घन परिवेष्ठन! तुम्हारे अन्तर में कौन सी बिजलियां सोती है।

वह है मेरे अन्तर तम की भूख।"

प्रयोगवादी कवियों ने छायावादी कल्पना-शीलता की उदात्तता को यथार्थ के विगर्हण से जोड़ा :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बचना है चाँदनी सित

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार

शिविर की राका-निशा की शान्ति है निस्सार !

दूर वह सब शान्ति, वह सित भव्यता वह

शून्य के अवलेप का विस्तार !

रंगीन आवरण में छिपी कुरूपता और यथार्थ का कल्पनावेष्ठित स्वरूप उपर्युक्त कविता में लक्षित होती है।

लघुता के प्रति दृष्टिपात छायावाद से ही प्रारम्भ होता है। छायावादी कवियों, जैसे पंत निराला ने अपनी उदात्त दृष्टि से लघु व क्षुद्र वस्तुओं का रेशा-रेशा अपने काव्य में उरेहा। प्रगतिवादी कवियों ने लघु व क्षुद्र वस्तुओं को उच्च मानवीय पर करुणा और आक्रोश के साथ संवारा। प्रयोगवादी कवियों ने मानवीय सौन्दर्य का उद्घाटन अपनी असामाजिक एवं अहंवादी प्रकृति के अनुरूप लघु व क्षुद्र प्राणियों पर साहित्यिक दृष्टिपात करके प्रकृति और यंत्र-जगत की लघु वस्तुओं को अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। कंकरीट के पोर्च' चाकी प्याली सायरन' रेडियम की घड़ी' चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम' क्रोशिए गरम पकौड़ी, बांस की टूटी हुई पटरी, फटी ओढ़नी की चिन्दियां का चित्रण इस काल की कविताओं में हुआ।

प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता और अनुभूति की तीव्रता के स्थान पर बौद्धिकता और निर्वैयक्तिकता को स्थान दिया। अमरिकी समीक्षक जॉन क्रो रैन्सम ने कहा है कि कविता के अन्तर्गत जिस स्ट्रक्चर और टैक्सचर के तनाव की बात करते हैं इलियट की भाषा में वह स्ट्रक्चरल इमोशन और फ्लोटिंग फीलिंग्स का द्वन्द है। इलियट भाव या व्यापार को सचेत मस्तिष्क का व्यापार मानते हैं।'[2] यही सचेत मस्तिष्क प्रयोगवादी आलोचकों की भाषा बौद्धिकता का आरोपण के नाम से संज्ञायित हुआ।

चलो उठें अब

अब तक हम को बन्धु

सैर को आए—

और रहे बैठे तो

लोग कहेंगे

धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं

वह हम हों भी

तो यह हरी घास ही जानें।

अज्ञेय की इस कविता में भावुकता के स्थान बौद्धिकता की प्रतिष्ठा और स्ट्रक्चर का प्राधान्य है।

प्रयोगवादी कवियों ने सामाजिक वर्णन और वै... का तिरस्कार एवं विद्रोह का स्वर पुष्ट किया—

ठहर, ठहर आततायी ! जरा सुन ले।

मेरे क्रुद्ध वीर्य की पुकार आज सुन जा।

अतृप्त रागात्मकता प्रयोगवाद का मूल स्वर है—

मकई से लाल गेहुएं तलुए

मालिश से चिकने हैं,

सूखी भूरी झाड़ियों में व्यस्त

चलती फिरती पिण्डलियां।

शमशेर की शरीर-स्वप्न शीर्षक कविता में इस प्र... का दर्शन होता है।

नई सभ्यता से प्रभावित समाज को नये कवि क्रूर और अमानवीय मानकर अपने मौन आक्रोश को व्यंग्य में प्रस्तुत करते हैं—सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शब्दों में,—

मुझे इसमें एतराज नहीं है

कि तुमने शान्ति लिखते समय

एक दूसरे की ओर न देखकर

अपने रिवाल्वरों की ओर देखा,

अधिकतर इस दौर के कवि शब्द-संयोजन ... स्थितियों का वैचित्र्य प्रदर्शन कर हास्य, आश्चर्य ... अवाक्पन का स्टजन करते हैं।

अगर कहीं मैं तोता होता

तो क्या होता ?

तो क्या होता ?

इसमें वर्ण्य और वर्णन वैचित्र्य प्रदर्शन है।

सप्तकीय दौर के बाद कवियों की एक नई पी... का विकास हुआ जिसमें कमलेश धूमिल, राजकमल चौ... रघुवीर सहाय, केदार नाथ सिंह और अन्य कवि प्र... में आये—धूमिल की 'पटकथा' शीर्षक लम्बी कविता ... अपनी स्थितियों के प्रति एक प्यार भरी गुरहिट है।

(क्रमशः)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय संघ का उप-राष्ट्रपति

■ प्रस्तोत्री : उर्मिला लाल*

भारतीय संविधान के अनु. (63) के अनुसार भारत का एक उप-राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की भांति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के तहत एकल संक्रमणीय मतपद्धति द्वारा सम्पन्न होगा, किन्तु उप-राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति पद के चुनाव से इस अर्थ में भिन्न है कि जहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल (Electoral college) में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते है वही उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

संविधान का अनु. (66) उप-राष्ट्रपति पद के लिये कुछ योग्यताओं की व्यवस्था करता है : (क) वह भारत का एक नागरिक हो; (ख) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो; और (ग) उसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के अन्तर्गत मंत्री पद के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ का पद नहीं ग्रहण किये होना चाहिये। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उप-राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति भारतीय संसद अथवा राज्य विधान मंडलों का सदस्य नहीं हो सकता, यदि निर्वाचन के समय कोई भी प्रत्याशी व्यवस्थापिका का सदस्य है तो चयन के तुरन्त बाद से उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

भारतीय उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष है। इस निश्चित समयावधि के पूर्व उप-राष्ट्रपति चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अथवा उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है, उस पर महाभियोग लगाने के लिये राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी किसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि राज्य सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे जिसे लोक सभा स्वीकार कर ले तो उप-राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त समझा जायेगा (अनु 67-ख)।

एक ही व्यक्ति कितनी बार उप-राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है अथवा चुनाव लड़ सकता है, इस बारे में संविधान में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि यदि मृत्यु, महाभियोग अथवा त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाय तो उप-राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति पद का दायित्व संभालेगा जब तक कि नये राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाय और वह अपना कार्यभार न ग्रहण कर ले। उल्लेखनीय है कि अमरीकी संविधान इस सम्बन्ध में कुछ भिन्न व्यवस्था करता है। अमरीका में राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष की अवधि के लिये होता है। किन्तु यदि किसी कारणवश इस अवधि के पूर्व ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाय तो शेष अवधि के लिये उप-राष्ट्रपति ही शेष अवधि के लिये राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है।

सामान्य अवस्था में उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति के रूप में, 2250 रुपये मासिक वेतन और अन्य सुविधायें प्राप्त होती है। किन्तु जिन दिनों में अथवा जिस समय वह राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करता है, उसे राष्ट्रपति के पद का वेतन तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जाती है।

जहाँ तक संघीय प्रशासन तंत्र में उप-राष्ट्रपति की भूमिका का प्रश्न है, राष्ट्रपति के उपरान्त उसका पद देश का सर्वोच्च पद है, किन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि

(शेष पृष्ठ 58 पर)

*अनुसंधात्री, राजनीति विज्ञान, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास

■ शुकदेव प्रसाद*

यों तो सभ्यता के ऊषाकाल से ही विज्ञान व उसके सिद्धान्तों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना हमने प्रारंभ कर दिया था पर सैद्धांतिक विज्ञान की स्पष्ट रूप-रेखा 17वीं शती में उभरने लगी थी। इधर के 200 वर्षों में विज्ञान जगत में अनगिनत अनुसंधान हुए हैं और इसकी बहुत सी शाखाओं ने व्यावहारिक विज्ञान का रूप ले लिया है और परिणामतः प्रौद्योगिकी (Technology) का आविर्भाव हुआ। औषधि एवं चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष, समुद्र उत्खनन, एवं आनुवंशिकी जैसे अधुनातन विज्ञानों में संसार के तमाम राष्ट्रों में महत्वपूर्ण संधान हुए हैं और ये मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं।

यह अलग प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ समान रूप से सभी देशों को नहीं मिला है। अनुसंधान एवं विकास कार्यों का 97 प्रतिशत तो विकसित राष्ट्रों को सुलभ है और मात्र 3 प्रतिशत विकासशील राष्ट्रों के हिस्से में आता है अतः स्वाभाविक है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ गरीब राष्ट्र उठा पाने में सक्षम नहीं हैं।

भारत में प्रौद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास एवं अनुसंधान कार्यों में भारत ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। पर आजादी के पूर्व हमारी प्रगति की रफ्तार बड़ी ढ़ीली थी। आजादी के बाद पं. नेहरू और प्रो. शान्ति स्वरूप भटनागर ने भारत में असली वैज्ञानिक विकास की नींव डाली। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (Council of Scientific & Industrial Research, CSIR) की स्थापना के साथ ही देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जाल सा फैलाया गया।

मार्च 1958 में संसद द्वारा भारत सरकार की विज्ञान नीति स्वीकृत हुई जिसके अनुसार वैज्ञानिक जानकारी और उसके उपयोग से होने वाले लाभों को देश के लोगों तक पहुंचाना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार तथा खोज के लिए व्यक्तिगत पहल को बढ़ावा देना, विज्ञान और शिक्षा, कृषि, उद्योग और रक्षा क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों में अभिवृद्धि के साथ-साथ समुचित संख्या में वैज्ञानिक उपलब्ध कराना और उनके कार्यों को मान्यता देना आदि इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं।

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं तकनीकी विकास

अनुसंधान और विकास कार्यों के निमित्त खर्च की जाने वाली राशि पहले अत्यल्प थी। असली कार्य तो पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ के बाद शुरू हुआ।

अनुसंधान और विकास तथा इससे सम्बन्धित वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यों पर 1947 में 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो अब 1950-51 में 4.7 करोड़ तथा 1979-80 में बढ़कर लगभग 630 करोड़ रुपया हो गया और अनुमानतः 1980-81 में 726 करोड़ रुपये तथा 6ठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बंधी (योजना और गैर योजना) कार्यों के निमित्त कुल 3,367.19 करोड़ रुपये निर्धारित हैं।

भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् (Indian Council of Agricultural Research, ICAR), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research, CSIR), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (Indian Council

*संपादक—'पर्यावरण दर्शन' (मासिक) एवं निदेशक, विज्ञान वैचारिकी अकादमी, 34 एलनगंज, इलाहाबाद-21100

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

of Medical Research, ICMR), तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों एवं रक्षा अनुसंधान तथा अन्य विकास संस्थाओं के अन्तर्गत देश में लगभग 150 अनुसंधानशालाएँ एवं संस्थान कार्यरत हैं।

(करोड़ रु.)

	1974-75	1976-77	1978-79	1979-80 (बजट अनुमान)	1980-81 (अनुमानित)
केन्द्रीय सरकार	258.92	310·49	432.70	497.60	572.23
राज्य सरकारें	28.65	32.05	41 47	45.62	50 17
निजी क्षेत्र	36.46	48.42	72.04	86.45	103.74
योग	324.03	390.96	546.21	629.67	726.14

(नोट : 1980-81 वर्ष के व्यय का अनुमान निम्नांकित विकास दरें मान कर लगाया गया है— केन्द्रीय सरकार 15%, राज्य सरकारें 12%, निजी क्षेत्र 20%)

सारिणी 1 : वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास दर पर व्यय (स्रोत : भारत 1981, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार)

पिछले तीन दशकों के अन्तराल में देश में 119 विश्वविद्यालयों, उनसे सम्बद्ध 1650 कालिजों, 5 प्रौद्योगिक संस्थानों, 150 इंजीनियरिंग कालिजों, 100 मेडिकल कालेजों, 350 पालीटेक्निकों की स्थापना हुई है जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 150,000 योग्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी निकलते हैं। इस दृष्टि से मानव शक्ति के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है।

प्रथम योजना

इस योजनावधि में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान दिया गया था। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन दिया। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार का कुल बजट 5 करोड़ 11 लाख रुपये का था जिसमें से 4 करोड़ 79 लाख रूपये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य योजनाओं के विकास के लिये थे।

द्वितीय योजना

इस अवधि में अनुसंधान कार्य को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर बल दिया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन तब तक 13 राष्ट्रीय प्रयोगशालायें थीं, जो इस अवधि में बढ़कर 24 हो गयीं। 1954-58 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार द्रुतगति से हुआ।

ज्ञातव्य है कि 1958 में देश की विज्ञान नीति का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। इस अवधि में कुल योजना और गैर योजना व्यय 144 करोड़ रूपये का था।

तृतीय योजना

इस योजना में अनुसंधान संस्थाओं, केन्द्र तथा राज्य सरकारों और औद्योगिक संस्थापनाओं के बीच अनुसंधान कार्य के समन्वय पर बल दिया गया। अनुसंधान की पूर्णता और उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच एकीकरण की क्षमता का अभाव भी इस अवधि में आंका गया।

1964 में कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। द्वितीय योजना काल में कृषि अनुसंधान के निमित्त 13.80 करोड़ रुपये निर्धारित थे, वह राशि बढ़ाकर 26.40 करोड़ कर दी गई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारगर अनुप्रयोग से 1961-67 के दौरान लगभग 21 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चौथी योजना

इस योजना में अनुसंधान और विकास, प्राकृतिक संसाधन जैसे क्षेत्रों में व्यय एवं अधिक योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव शक्ति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ असंगतियां पायी गयीं और फलस्वरूप एक कारगर केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना पर जोर दिया गया।

1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा 1972 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया।

इस योजना अवधि का कुल खर्च 373.57 करोड़ रूपये का था। गैर योजना व्यय तृतीय योजना की अपेक्षा तिगुनी (73 करोड़ से 231.30 करोड़ रूपये)

(करोड़ रू.)

अभिकरण का नाम	1978-79	1979-80 (संशोधित अनुमान)	1980-81 (बजट अनुमान)
1. परमाणु ऊर्जा विभाग	65.34	70.06	80.54
2. अंतरिक्ष विभाग	45.80	48.49	56.93
3. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	43.89	48.22	63.41
4. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	50.03	54.28	60.45
5. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	67.41	98.46*	74.00
6. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	5.30	6.15	9.19
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	67.91	85.92	96.36
8. इलेक्ट्रानिकी विभाग	6.11	8.96	6.30
योग	351.79	420.54	447.18

*वास्तविक

सारिणी 2 : मुख्य संगठनों का बजट : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(स्रोत : भारत 1981, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार)

हो गयी थी तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन गैर योजना व्यय मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

पाँचवीं योजना

अनुसंधान और विकास कार्यों पर पर्याप्त धनराशि व्यय करने पर भी इस योजना में पाया गया कि राष्ट्रीय योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी योजनाओं में समन्वय का अभाव है। अतः इस बात पर जोर दिया गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना के दायरे में आयोजना के सभी क्षेत्र आ जाने चाहिए। कृषि, ऊर्जा, खनन, धातुकर्म, भारी इंजीनियरी और रसायनों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता एवं परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति की दिशा में कदम उठाना इस योजना का लक्ष्य था। योजना और गैर योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल व्यय 856.89 करोड़ रुपये का था।

देश	सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत
अमेरिका	2.57
सोवियत रूस	4.26
पश्चिमी जर्मनी	2.15
जापान	1.93
ब्रिटेन (1969-70)	2.31
स्विटजरलैंड	1.84
भारत	0.37

सारिणी 3 : कुछ चुने हुए देशों में अनुसंधान और विकास व्यय (1971)

छठीं योजना—

हमारी नवीनतम योजना (1980-85) का लक्ष्य गत तीन दशकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को और सुदृढ़ आधार प्रदान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यय 865.20 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

1971 में स्थापित यह विभाग नये, अग्रणी एवं उदीयमान क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास एवं तत्सम्बन्धी कार्यों में समन्वय की स्थापना में संलग्न है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश में विद्यमान अवस्थापना के अधिकतम उपयोग के लिये बहुसंस्थीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय महत्व के उच्च प्राथमिकता वाले नवीन क्षेत्रों में अनुसधान के तीव्रीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आयोजन एवं समन्वय, नये ऊर्जा स्रोत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्वर्द्धन, प्रौद्योगिकी उपयोजन एवं स्थानान्तरण, एवं कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे समुद्री अनुसंधान, रेशा प्रौद्योगिकी, उपकरण विकास आदि उक्त विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र हैं।

विभाग ने ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों की खोज एवं विकास पर विशेष कार्य किया है। सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि की तकनीकों एवं प्रणालियों के विकास में विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

देश के विभिन्न भागों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के अतिरिक्त दो बायोगैस अनुसंधान केन्द्र (राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै) भी स्थापित किये गये हैं।

परमाणु ऊर्जा

डा. होमी जहाँगीर भाभा की अध्यक्षता में 1948 में 'परमाणु ऊर्जा आयोग' गठित किया गया। आयोग की स्थापना के साथ ही 1954 में ट्राम्बे (बम्बई) में 'परमाणु ऊर्जा संस्थान' की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिये अध्ययन एवं परीक्षण की सुविधाओं का संगठन एवं विकास था। यही केन्द्र भारत में परमाणु विकास का राष्ट्रीय केन्द्र है जहाँ से सारे कार्य संचालित होते हैं। यहाँ परमाणु भट्टियों (reactors) के अभिकल्पन (Designing), निर्माण एवं नियन्त्रण (Control) विषयक शोध कार्य होते हैं तथा परमाणु ईंधनों के निर्माण एवं पुनर्साधन तथा रेडियो आइसोटोप का निर्माण भी होता है। इस केन्द्र में अब तक चार परमाणु रिएक्टर (अप्सरा, साइरस, पूर्णिमा और जरलीना) स्थापित किए जा चुके हैं और पांचवा निर्माणाधीन है।

देश में उपलब्ध कच्चे यूरेनियम के उत्पादन के लिए 1967 में 'यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' की स्थापना की जा चुकी है।

हैदराबाद में परमाणु ईंधन संमिश्र तैयार किया जाता है। इसमें बिजली तथा अनुसंधान रिएक्टरों के लिए जटिल ईंधन तथा जिरकोनियम, टाइटेनियम आदि औद्योगिक महत्व के पदार्थ भी तैयार होते हैं।

कलकत्ते में वैरिएबल इनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट पहले ही चल रहा है। आशा की जाती है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम के लिये विकिरण अध्ययन की यह महत्वपूर्ण इकाई सिद्ध होगी।

अंतरिक्ष अनुसधान

1962 में डॉ. विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 'अंतरिक्ष अनुसंधान की भारतीय समिति' (Indian National Committee for Space Research-INCOSPAR) की स्थापना की गयी। 1969 में 'इन्कोस्पार' का पुनर्गठन किया गया तथा इसको बाहरी संगठनों से सम्पर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा भारतीय अंतरिक्ष संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) का गठन किया गया। 1972 में अंतरिक्ष आयोग (Space Commission) की स्थापना की गई। आयोग को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी--अंतरिक्ष विभाग की नीति का निर्धारण करना, सरकार की मंजरी के लिये अंतरिक्ष विभाग के बजट को तैयार करना और बाह्य अंतरिक्ष से सम्बन्धित सभी मामले में सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।

'अंतरिक्ष विभाग' तथा 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' के मुख्यालय बंगलौर में स्थित हैं तथा ये निम्न चार केन्द्रों को तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक कार्यों का समग्र निर्देशन देते हैं।

1—अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद

2— इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलौर

3—विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम

4—शार केन्द्र, श्री हरिकोटा

'इसरो' की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान सम्बन्धी सारी आयोजना व तकनीकी प्रबन्ध अहमदाबाद की 'भौतिक अनुसंधान शाला' करती है।

अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने भी अनेक सफलताएँ अर्जित की हैं, यह और बात है कि अभी पूर्णरूपेण हमें अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता नहीं हासिल हो पायी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्यभट, भास्कर, एपल, इनसैट की सफलताओं-असफलताओं ने जहाँ एक ओर विश्व मानचित्र में भारत को ख्याति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर हमने इनसे सबक भी लिया है और इनका लाभ उठाकर भावी कार्यक्रमों को ठोस आधार प्रदान करने में हमें सफलता मिलने की आशा है।

पर्यावरण संरक्षण

बढ़ती आबादी एवं बढ़ते औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए हैं जिनके परिणाम भयावह होंगे। अतः पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए भारत सरकार ने 1972 में 'राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय समिति' की स्थापना की जिसके उद्देश्य हैं—पर्यावरण एवं पारिस्थितिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन, पर्यावरणीय प्रभाव के विचार से विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन विकास आयोजना में पर्यावरणीय सुरक्षा शामिल करने के लिये मार्ग दर्शक सिद्धांत तैयार करना, पर्यावरण व्यवस्था के लिये नीति सुझाना तथा पर्यावरणीय आयोजन, विधि निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में होने वाले कार्यों का अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

नवम्बर 1980 में पर्यावरण की रक्षा और प्रशासन तन्त्र और कानूनी उपायों की गहन समीक्षा के लिए प्रधान मन्त्री की देख रेख में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है। केन्द्र की भांति कई राज्य सरकारों ने भी पर्यावरण विभागों/ निदेशालयों की स्थापना की है।

समुचित प्रौद्योगिकी

ऐसी बात नहीं है कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में अन्य राष्ट्रों से पीछे हैं। स्वतन्त्रोपरांत विज्ञान के विकास के लिये हम काफी जागरूक रहे हैं। फलस्वरूप हमने औद्योगिक आत्मनिर्भरता विकसित की है। प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों एवं वैज्ञानिकों की संख्या के आधार पर अमेरिका और रूस के बाद भारत का ही स्थान है। यूँ औद्योगिक राष्ट्रों में भारत दसवें स्थान पर है। बहुत सी चीजें हम निर्यात भी करते हैं पर विज्ञान व तकनीकी के व्यापक प्रसार के बावजूद उतना लाभ हमें नहीं मिला, जितनी अपेक्षा की जाती है।

इसका एक ही कारण है कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक उपयोग सर्वहारा के लिये नहीं किया। वास्तव में भारतीय सन्दर्भ में विज्ञान की उपादेयता तो तब है, जब वह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त हो क्योंकि दो तिहाई से अधिक भारत तो गावों में ही बसता है।

इधर हमारे वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विज्ञान को गावों से जोड़ा जाय। 'इण्डियन सायंस कांग्रेस' के वार्षिक अधिवेशनों में लगातार कई वर्षों तक केन्द्रीय विषय के रूप में ग्रामीण प्रौद्योगिकी (Village Technology) की चर्चा हुई है।

1—विज्ञान और सर्वोन्मुखी ग्रामीण विकास, 1976
2—साधनों का सर्वेक्षण, संरक्षण तथा उपयोग, 1977
3—विज्ञान शिक्षण तथा ग्रामीण विकास, 1978
4—आगामी दशकों में भारत में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति, 1979

यह अच्छी बात है कि इधर विज्ञानी चेते हैं और वैज्ञानिक प्रगति तथा तत्सम्बन्धी उपलब्धियों से सर्वसाधारण से जोड़ने के लिये कृत संकल्प हैं।

त्रुटियाँ

ऐसा अनुभव किया जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति का हमारे आर्थिक विकास में योगदान बहुत कम है। इसका खास कारण यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना तथा क्षेत्रीय कार्यक्रम के बीच एकीकरण अपेक्षित सीमा तक नहीं हो पाया है।

अतः छठीं योजना ने अपनी आयोजना मशीनरी के अंग के रूप में सभी राज्यों में विज्ञान व प्रौद्योगिक परिषदों की स्थापना पर जोर दिया है। विकसित देशों के विपरीत यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में निजी उद्योग के ससाधनों का योगदान अर्थ व्यवस्था की प्रगति के अनुरूप नहीं है। अधिकांश निजी उद्योग विदेशी तकनीकी परक हैं। आयातित प्रौद्योगिकी को उत्कर्षित करने की दिशा में कतई ध्यान नहीं दिया गया।

इतनी तकनीकी सुविधाओं के बावजूद अच्छे परिणाम सामने क्यों नहीं आए? कारण स्पष्ट है कि हमारी टेक्नोलॉजी भारतीय सन्दर्भ में ठीक नहीं बैठती। वह विदेशी ढांचे पर विकसित व पल्लवित है। स्वाभाविक है कि ऐसी चीज यहाँ अपनी जड़े गहरी नहीं कर सकती। यहाँ परिस्थितियाँ इसके विपरीत हैं। विदेशों में 'मानव श्रम' की नहीं, 'पूँजी' को महत्ता दी जाती है पर भारत में पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की फौज है, हमें टेक्नोलॉजी को 'पूँजी प्रधान' नहीं, अपितु 'श्रम प्रधान' बनानी होगी तभी उसका व्यापक लाभ मिल सकेगा।

विशेषज्ञों की धारणा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बंधी ज्ञान में वृद्धि करने के साथ-साथ निर्धनता की रेखा के नीचे वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिये और इस प्रकार उसे पंचवर्षीय योजना का एक उपादान बन जाना चाहिये। कदाचित तभी हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ मिल सकेगा। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय अर्थव्यवस्था में लोक उद्यमों की भूमिका

■ डा० जगदीश प्रकाश*

लोक उद्यम का आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों से हैं। ये केन्द्र या प्रान्तीय या स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित किये जा सकते हैं।

विश्व के विभिन्न देशों में लोक उद्यमों की भूमिका वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक रही है। एक ओर अमेरिका जैसा पूंजीवाद देश है जहाँ कि लोक उद्यमों की भूमिका नगण्य है दूसरी ओर रूस जैसा साम्यवादी देश है जहाँ इसकी भूमिका सर्वोपरि है और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, इनकी भूमिका स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ती रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, भारतवर्ष में, ब्रिटिश शासन काल में, लोक उद्यमों का क्षेत्र और उनकी भूमिका अत्यन्त सीमित थी। उस समय तक देश में रेल, डाक वा तार, रिजर्व बैंक, संचार व प्रसारण, पोर्ट ट्रस्ट, आर्डीनेन्स व एयर-क्राफ्ट कारखाने ही लोक क्षेत्र में चलाये जा रहे थे। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त धीरे-धीरे इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और सरकार की नीतियों के फलस्वरूप देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में लोक-उद्यमों का इतना प्रभुत्व स्थापित हो चुका है कि यह कहा जाता है कि लोक उद्यमों ने देश की अर्थव्यवस्था की निर्णायक शक्ति को प्राप्त कर लिया है। यह सत्य है कि आज यदि देश के सभी लोक उद्यमों को एक दिन के लिये बन्द कर दिया जाय तो त्राहि-त्राहि मच जाय।

अप्रैल, 1948 में, भारत सरकार ने पहली औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्तर्गत ही इन उद्यमों की नींव डाली। उसी नीति में अस्त्र-शस्त्र एवं युद्ध सामग्री का निर्माण, परमाणु शक्ति का उत्पादन व नियंत्रण एवं रेल यातायात के स्वामित्व व प्रबंध को लोक उद्यमों को सौंप दिया गया। यह भी प्रावधान रखा गया कि आवश्यकतानुसार किसी भी निजी उद्यम पर सरकार अधिकार प्राप्त कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, लोहा एवं इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, तार एवं बेतार यन्त्र निर्माण के लिए सभी नई इकाइयाँ लोक-उद्यम के रूप में ही स्थापित हो सकती थी।

शीघ्र ही, यह अनुभव किया गया कि देश का आर्थिक विकास तेजी से करना है तो तीव्रतर औद्योगीकरण करना नितान्त आवश्यक था और निजी उद्यम इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते थे। अतः 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव घोषित की गई जिसके अनुसार, लोक उद्यमों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत किया गया और यह निश्चित किया गया कि देश के आर्थिक विकास में लोक उद्यमों की भूमिका निश्चित ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए तभी देश 'न्याय के साथ विकास' और 'अधिकतम कल्याण' जैसे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगा।

1956 की औद्योगिक नीति में, 17 उद्यमों की नई इकाइयों की स्थापना का पूर्ण अधिकार सरकार ने लोक उद्यमों के लिये सुरक्षित रखा। 12 अन्य उद्योगों के लिये भी यह निर्णय लिया गया कि कोई भी नई इकाई की स्थापना लोक उद्यम के रूप में ही की जायेगी। अन्य उद्योगों के विषय में भी सरकार ने यह घोषणा की कि राष्ट्रहित में किसी भी उद्यम की स्थापना लोक उद्यम के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार, लोक उद्यमों की भूमिका को अत्यधिक विस्तृत व परिवर्द्धित किया गया। इसी के फलस्वरूप, आज देश के अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं में लोक उद्यम कार्यरत हैं। इसके उपरान्त, औद्योगिक नीति में 1973, 1977 तथा 1980 में भी संशोधन किया गया परन्तु 1956 की नीति को अभी

*रीडर, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भी इन नीतियों का आधार माना गया है। 1980 में घोषित औद्योगिक नीति में भी, इस की अवहेलना नहीं, में लोक उद्यमों की प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया गया है।

इसी का परिणाम है कि जब कि 1951 में केवल 5 केन्द्रीय सरकार के उपक्रम थे आज उनकी संख्या लगभग 200 है और उनमें लगभग 21,000 करोड़ रूपये पूंजी विनियोजित है। इन लोक उद्यमों में किये गये विनियोग की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायेगी।

तालिका-1

केन्द्रीय सरकार के लोक उद्यमों में विनियोग

के अन्त में	इकाइयों की संख्या	विनियोग (करोड़ रु. में)
1950-51	5	29
प्रथम योजना	21	81
द्वितीय	48	953
तृतीय	74	2,415
चतुर्थ	122	6,273
पंचम	153	13,389
1978-79	176	15,602
1979-80	186	18,225
1980-81	199	21,126

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संख्या एवं विनियोग की दृष्टि से, भारत में लोक उद्यमों का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है और निश्चित ही यह देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है।

इन उद्यमों द्वारा की गई बिक्री तथा इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिये गये रोजगार में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 1970-71 में इनके द्वारा कुल बिक्री की मात्रा 3,309 करोड़ रु. थी। 1976-67 में यह बढ़ कर 14,911 करोड़ रु., 1979-80 में 23,124 करोड़ रु तथा 1980-81 में 28,645 करोड़ रु थी। इस प्रकार, इनके द्वारा की गई बिक्री में अत्यधिक वृद्धि होती रही है।

1970-71 में, जब कि इन उद्यमों में केवल 6.6 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, 1976-77 में यह बढ़ कर 15.75 लाख हो गया और 1980-81 में बढ़ कर 19.3 लाख हो गया। वेतन एवं मजदूरी के रूप में इनके द्वारा 1970-71 में 361 करोड़ रु दिया गया जबकि 1974-75 में 1053 करोड़ रु. दिया गया। 1979-80 में 2142 करोड़ रु. दिया गया। प्रति व्यक्ति औसत वेतन 1979-80 में 12,203 रु- प्रति वर्ष था जबकि 1970-71 में यह केवल 5,470 रु. ही था।

सरकारी कोष में इन उद्यमों द्वारा 1976-77 में 1,376 करोड़ रु. जमा किये गये जो कि बढ़ कर 1977-78 में 1,539 करोड़ रु., 1978-79 में 2,887 करोड़ रु. तथा 1979-80 में 3,606 करोड़ रु. हो गया। इस प्रकार, इसमें लगभग 5 वर्ष में तीन गुनी वृद्धि हुई।

इन उद्यमों के आन्तरिक संसाधनों में भी वृद्धि होती रही है। 1976-77 में इन के द्वारा सृजित आन्तरिक संसाधन 719 करोड़ रु. था जो कि 1978-79 में बढ़कर 906 करोड़ रु तथा 1979-80 में पुनः बढ़ कर 1,034 करोड़ रु हो गया।

सार्वजनिक उद्यमों द्वारा किये गये निर्यात की मात्रा में वृद्धि होती रही है। 1976-77 में, यह 1,753 करोड़ रु. से बढ़ कर 1978-79 में 1,834 करोड़ रु. हो गया और 1979-80 में 1,910 करोड़ रु. का निर्यात किया गया।

इन उद्यमों ने सहायक उद्यमों (Ancillary units) की स्थापना में भी अपना विशेष योगदान दिया है। 1971-72 में, ऐसी सहायक इकाइयों की संख्या केवल 139 थी जो कि 1975-76 में बढ़कर 479 और 1979-80 में बढ़कर 888 हो गई। 1979-80 में, सहायक तथा लघु उद्यमों से, इनके द्वारा 119.96 करोड़ रु. का क्रय किया गया। इन सहायक इकाइयों के द्वारा लगभग 18,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

1980 में, लगभग 86 लोक उपक्रम अपने कर्मचारियों को सीमित मात्रा में घर की सुविधा दे रहे थे। इनके द्वारा टाउनशिप पर किया गया व्यय लगभग 568.20 करोड़ रु. था जबकि इनकी सकल स्थायी सम्पत्तियां 18,161.4 करोड़ रु. थी। मार्च 1980 तक, इन उद्यमों

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने 4.94 लाख मकानों की सुविधा देश भर में प्रदान की है। इससे लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रहने की सुविधा प्राप्त हुई है।

विनियोग की दृष्टि से प्रथम 10 बड़े लोक उपक्रमों की स्थिति निम्न प्रकार से है :

तालिका-2

प्रथम दस लोक उद्यम—विनियोग

क्रम सं.	उद्यम का नाम	विनियोग (करोड़ रु में)
1.	स्टील अथारिटी आव इंडिया लि.	3,996
2	कोल इंडिया लि.	2,064
3.	आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन	936
4.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑव इंडिया	900
5.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लि.	839
6.	शिपिंग कार्पोरेशन ऑव इंडिया लि.	721
7.	कुन्द्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	670
8.	नेशनल फर्टिलाइजर लि.	556
9.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	525
10.	फूड कार्पोरेशन ऑव इंडिया	524
	योग	रु. 11,731

यह उल्लेखनीय है, कि अधिकांश लोक उद्यम, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निजी कम्पनी (Private Limited Co.) के रूप में स्थापित किये गये हैं। केवल 6 लोक उपक्रम, यथा, दामोदर वैली कार्पोरेशन, एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन तथा फूड कार्पोरेशन ऑव इंडिया, की स्थापना विशेष अधिनियमों के अंतर्गत सार्वजनिक निगम (Public Corporation) के रूप में की गई है। कम्पनी अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत इन सरकारी निजी कम्पनियों ने सरकार से छूट लेकर अपने नाम के साथ 'प्राइवेट' शब्द लगाना बन्द कर दिया है। इन सभी कम्पनियों की पूंजी की व्यवस्था सरकार ने की है और जनता में इनके अंश पूंजी का निर्गमन नहीं किया गया है। अपवाद स्वरूप, केवल स्कूटर्स इंडिया लि. है जिसके कुछ सीमित अंश जनता में निर्गमित किये गये हैं।

इन उद्यमों का विकास करते समय सरकार ने यह भी ध्यान में रखा है कि देश के पिछड़े भागों का तेजी से आर्थिक विकास हो सके तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced regional development) के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, प्रायः इन लोक उद्यमों की स्थापना, लागत को बिना ध्यान में रखे ही, यथा सम्भव ऐसे स्थानों में ही की गई जो कि आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए थे।

यह नकारा नहीं जा सकता कि इनकी स्थापना के लिये स्थान निर्धारण करते समय प्रायः राजनैतिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक की गई हैं, यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायेगा।

तालिका-3

विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों में विनियोग

करोड़ रु. में

क्रम सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	सकल सम्पत्ति का मूल्य (Value of Gross Block) 31.3. 1972	31.3. 1980
1	आंध्र प्रदेश	127.00	775.12
2.	आसाम	126.80	490.87
3.	बिहार	1,064 20	3,151.67
4.	गुजरात	175.60	879.80
5.	हरियाणा	8.30	252 97
6.	हिमांचल प्रदेश	00.30	127.02
7.	जम्मू एवं काश्मीर	—	7.05
8.	कर्नाटक	113.20	746.45
9.	केरल	137.10	422.84
10.	मध्य प्रदेश	609.90	2,230.77
11.	महाराष्ट्र	146.50	1,313.94
12.	उड़ीसा	35.30	928.37
13.	पंजाब	35.30	362.52
14.	राजस्थान	56.30	337.62
15.	तामिलनाडु	343.70	747.74
16.	उत्तर प्रदेश	481.50	802.28
17.	पश्चिम बंगाल	518.00	1540.39
18.	दिल्ली	—	50 .89
19.	गोवा	—	6 37
20.	अन्य राज्य/संघीय क्षेत्र	—	150 24
21.	अविभाजित (Unallocated)	—	2,385.72
		योग रु.	18,161.14

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार, हम देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में लोक उद्यमों की भूमिका, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और सभी महत्वपूर्ण उद्योगों पर इसका प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। लोक उद्यमों में यद्यपि अनेक कमियाँ हैं, तथापि इनके विस्तार से देश के आर्थिक विस्तार की गति निश्चित ही तीव्रतर हुई है, विकास योजना के अनुरूप संभव हो पाया है, धन एवं सत्ता के केन्द्रीयकरण में, परोक्ष रूप से, रोक लगी है, अनेक पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास हुआ है, लघु इकाइयों को प्रोत्साहन मिला है, रोजगार में तथा कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि हुई है और निश्चित ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में, आर्थिक विकास का आधार स्थापित करने में, इन उद्यमों ने अपना महती योगदान दिया है। यदि इन उद्यमों का विकास न किया गया होता तो संभवतया हमारे देश की आर्थिक स्थिति और भी शोचनीय होती। ■

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (पृष्ठ 40 का शेष)

दूसरी आवश्यकता यह है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी के रूप में जो भी यंत्र और कार्यविधि कार्यक्षेत्र तक प्रदान की जाय उसकी कार्यक्षमता को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके देख ली जाय। अब तक कई यंत्र और कार्य तरीके ऐसे प्रसारित किये गये जो कुछ समय बाद अक्षम सिद्ध हो गये। इस कारण लोगों का न केवल उस यंत्र और कार्यविधि पर लोगों का विश्वास उठ जाता है बल्कि वे आगामी प्रयासों के प्रति भी शंकालु हो जाते है। सक्षम प्रयोग को अपनाने में भारतीय जनमानस नितांत सचेष्ट है। कृषि में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रचलन इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज जब प्रयोगशालायें और शोध संस्थान प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हैं तब प्रयत्न-त्रुटि माध्यम का सहारा क्यों लिया जाय। नवीन उपक्रम के प्रति हर प्रकार से आश्वस्त हो जाने पर यदि उसे कार्य क्षेत्र पर हस्तांतरित किया जाय तो उसे शीघ्रता पूर्वक अपनाया भी जायेगा और उसके अक्षम होने की संभावना भी न रहेगी। कम पूंजी पर आधारित सक्षम प्रौद्योगिकी ही भारत के सामान्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये लाभप्रद हैं। इसके अभाव में देश के कमजोर वर्ग के लोग आगामी समय में भी आकाशवृत्ति की स्थिति में बने रहेंगे। ■

भारतीय संविधान (पृष्ठ 49 का शेष)

उप-राष्ट्रपति के रूप में उसकी में शक्तियाँ लगभग नहीं के बराबर हैं, सामान्यतया वह राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।

संविधान के अनु. (65) के अनुसार उप-राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के अपने पद के कार्य भार को संभालने में असमर्थ हो जाने के कारण राष्ट्रपति पद के दायित्वों का उस समयकाल में वहन करते हैं, स्मरण रहे कि इस प्रकार की व्यवस्था व्यावहारिक रूप में सर्वप्रथम जून 1960 में लक्षित हुई जब तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद की 15 दिवसीय सोवियत यात्रा के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद के दायित्वों का वहन किया। इस प्रकार का दूसरा अवसर मई 1961 में आया जब राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गये थे। कुछ दिनों के उपरांत राष्ट्रपति ने स्वयं ही परामर्श दिया कि उनकी बीमारी के समय तक उप-राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष के दायित्वों को कार्य रूप देना चाहिए। इसलिये जब यह प्रश्न उठता है कि आखिर किस प्रकार यह निर्धारित हो कि राष्ट्रपति अपने पद के दायित्व पूरा करने में असमर्थ हो गया है, इस विषय में समालोचकों का विचार है कि त्यागपत्र या राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में इस प्रकार के विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु अन्य स्थितियों में स्वयं राष्ट्रपति ही अपनी असमर्थता का व्याख्याता है।

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन विषयक किसी भी विवाद का निर्णय 10 अगस्त, 1975 के पूर्व तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता था। 10 अगस्त 1975, को लागू हुए संविधान के 39वे संशोधन के बाद से यह व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार के समस्त विवादों का निर्णय संसद द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्मित एक समिति द्वारा किया जायेगा किन्तु 1978 में लागू संविधान 44वें संशोधन द्वारा पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और निवर्तमान स्थिति के अनुसार इस प्रकार के समस्त विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य विज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र (1)

(GENERAL SCIENCE)

(खण्ड अ) (Section A)

1. निम्न कथनों की पूर्ति कीजिए।
   (i) क्रोनोमीटर ...... नापता है।
   (ii) आल्टीमीटर ...... नापता है।
   (iii) हाइग्रोमीटर ...... नापता है।
   (iv) एमीटर ...... नापता है।
   (v) सेक्सटेंट ...... नापता है।
   (vi) हाइड्रोमीटर ...... नापता है।
   (vii) बैरोमीटर ...... नापता है।
   (viii) वोल्टमीटर ...... नापता है।

2. निम्न को लिखकर वैज्ञानिकों के नाम दीजिए।
   (i) तत्वों को आवर्त सारिणी (Periodic table) में व्यवस्थित किया।
   (ii) रेडियो एक्टिविटी की खोज किया।
   (iii) परमाणु (Atom) के केन्द्रक (nucleus) विभेदन किया।
   (iv) भारी जल (heavy water) अनुसंधान किया।
   (v) टेलिविजन की खोज की।
   (vi) आक्सीजन की खोज की।
   (vii) न्यूट्रॉन की खोज की।
   (viii) पेनिसिलीन की खोज की।
   (ix) टीके का उपचार सुझाया।
   (x) मलेरिया परिजीवी (Malaria parasite) को ज्ञात किया।
   (xi) दूरदर्शी (Telescope) का आविष्कार किया।

(i) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग (ii) सर रोनाल्ड रॉस
(iii) जेम्स चैडविक (iv) सर सी. वी. रामन
(v) एस चन्द्र शेखर (vi) चार्ल्स डार्विन
(vii) हरगोविन्द खुराना (viii) आटोहान
(ix) एनरिको फेर्मि

4. निम्न के कारण स्पष्ट कीजिए।
   (i) एक गिलास पानी और बर्फ से भरा है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बहेगा या कम होगा।
   (ii) प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों तैयार होता है।
   (iii) थर्मस फ्लास्क में गर्म द्रव क्यों गर्म एवं ठंडी चीजें ठंडी बनी रहती हैं।
   (iv) सिनेमा में गति का प्रभाव कैसे स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है।

5. निम्न लिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
   (i) उल्का (ii) आकाशगंगा
   (iii) ध्रुव तारा (iv) ज्वालामुखी

उत्तरमाला

(खंड अ)

1. (i) समय(Time) (ii)ऊंचाई(Altiude) (iii) आर्द्रता (humidity) (iv) विद्युत धारा (Current) (v) कोणीय उन्नयन (Angular elevation) (vi) विशिष्ट गुरुत्व (Specific gravity) (vii) वायुमण्डलीय दाब (Atmospheric pressure) (viii) विभवांतर (Potential difference)

2. (i) मेण्डलीफ (ii) हेनरी बेकरल (iii) आटोहान (iv) यूरे (v) बेयर्ड (vi) प्रीस्टले (vii) चैडविक (viii) एलेक्जेंडर फ्लेमिंग (ix) एडवर्ड जेनर (x) सर रोनाल्ड रास (xi) गैलीलियो।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

3. (i) पैनिसिलीन (ii) मलेरिया [illegible] (iii) [illegible] (iv) रामन प्रभाव (v) तारा भौतिकी में मौलिक अनुसंधान (vi) विकासवाद का सिद्धान्त (vii) जीन का संश्लेषण (viii) न्यूट्रॉन कणों की बौछार से यूरेनियम के केन्द्रक का विभेदन (ix) परमाणु भौतिकी (बम परीक्षण)

4. (i) जब बर्फ पिघलेगी तब गिलास में पानी की सतह कम हो जायेगी क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है।

(ii) प्रेशर कुकर में अधिक दाब उत्पन्न होता है जिससे ताप भी बढ़ जाता है। अतः अधिक ताप के कारण खाना शीघ्र तैयार हो जाता है।

(iii) थर्मस फ्लास्क में गर्म द्रव के ठंडे बने रहने का कारण यह है कि थर्मस में न तो बाहर से ऊष्मा अन्दर जा सकती है। थर्मस की दोहरी दीवारों के बीच शून्य (निर्वात) उत्पन्न कर दिया जाता है—और उसके मुँह पर कांच का टुकड़ा लगा होता है, अतः संचालन (Conduction) और संवहन (Convection) द्वारा ऊष्मा का आवागमन नहीं होता है। साथ ही इसकी दीवारों को पालिश कर चमकीला बना दिया जाता है—जिससे विकिरण (radiation) द्वारा भी ऊष्मा का आना जाना असंभव है। इसी नाते थर्मस के अन्दर रखे द्रव उसी ताप पर बने रहते हैं।

(iv) वास्तव में एक ही दृश्य के विभिन्न स्थितियों (Steps) के कई चित्र लिए जाते हैं। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब 1/16 सेकंड तक स्थायी बना रहता है। यदि इससे पूर्व ही दूसरा चित्र सामने आ जाय तो दृश्यों में गतिमयता बनी रहेगी। अर्थात् चित्रों के संयोजन एवं संचालन की सतत शृंखला के कारण गति की छाप (impression of movement) स्पष्ट दिखाई देता देता है।

5. (ii) उल्का (meteors)—अंतरिक्षीय पिण्डों के टूटे हुए हिस्से हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण के कारण इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश के कारण गिरती हुए उल्काओं का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

(ii) आकाश गंगा— (Milky way)—हमारी आकाश गंगा तारों की एक विशाल योजना है -जिसमें लगभग 150 अरब तारे हैं। खगोल की भाषा में ऐसी तारक योजना को मन्दाकिनी (Galaxy) कहते हैं इस अखिल ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा सदृश अरबों मन्दाकिनियां हैं। हमारी आकाश गंगा मदांकिनी कुछ कुछ पहिए के आकार की योजना है। इसका व्यास एक लाख प्रकाश वर्ष है अर्थात् प्रकाश की किरणों को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में एक लाख वर्ष लगते हैं। हमारी आकाश गंगा की केन्द्र भाग में मोटाई लगभग 20 हजार प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य-तारा और आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारे इस आकाश गंगा मंदाकिनी के ही हैं।

(iii) ध्रुव तारा (Pole Star)—आकाश में सदैव उत्तर दिशा में दिखाई पड़ने वाला तारा जिसे सप्तर्षि की सहायता से पहचाना जाता है। इसकी स्थिति सदैव स्थिर रहती है।

(iv) ज्वालामुखी (Volcanoes)—पृथ्वी की सतह में ऐसा निकास जिससे होकर गर्म गैस तथा पिघली चट्टानें, लावा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी कई तरह के होते हैं। जिनसे हमेशा धुँआ, लावा आदि निकलते रहते हैं, वे सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcano) तथा जो काफी समय से निष्क्रिय रहकर एकाएक सक्रिय हो उठते हैं, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcano) कहते हैं। वे ज्वालामुखी जो वर्षों से ठंडे पड़े रहते हैं, मृत ज्वालामुखी (Extinct Volcano) कहलाते हैं।

खंड (ब) [Section B]

1. निम्न संस्थान कहाँ स्थित हैं और इनका कार्य क्षेत्र लिखिए।

(i) लाह अनुसंधान संस्थान (ii) भारतीय वेटरि नरी अनुसंधान संस्थान (iii) भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (vi) केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान शाला (v) भारतीय मानक संस्थान (vi) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (vii) भारी जल कारखाना (viii) केन्द्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान

2. निम्न वैज्ञानिक किन अनुसंधानों से सम्बद्ध रहे हैं

(i) आइजक न्यूटन (ii) आर्किमिडीज (iii) एच. भाभा (iv) अल्बर्ट आइन्स्टाइन (v) लार्ड रदरफोर्ड (vi) एस. एन. बोस. (vii) बेंजामिन फ्रैंकलिन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(viii) बीरबल साहनी ।

3. निम्न आविष्कारकों/खोजियों का नाम लिखिए ।
(i) इन्सुलिन (ii) सेफ्टीलैंप (iii) रेडियो टेलीग्राफी
(iv) थर्मस फ्लास्क (v) भारी हाइड्रोजन ।

4. निम्न युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए ।
(i) ऊष्मा तथा ताप (ii) मृदु जल तथा कठोर जल
(iii) परमाणु तथा केन्द्रक ।

5. निम्न में अन्तर्निहित वैज्ञानिक तथ्यों का स्पष्टीकरण दीजिए :
(i) जाड़े के दिनों में छोड़ी गई सांस प्रायः दिखाई देती है
(ii) लम्बी कूद के पूर्व हम दौड़ते हैं
(iii) साबुन मैल हटाता है ।
(iv) रात में वृक्ष के नीचे सोना हानिकारक है
(v) जुगनू प्रकाश देता है पर स्वयं नहीं जलता ।

उत्तरमाला

(खंड ब) [Section B]

1. (i) लाह अनुसंधान संस्थान (Lac Research Institute) —रांची (बिहार) जिले के नामकुम स्थान पर स्थित संस्थान में लाह की उपज बढ़ाने के लिये इसकी खेती के नए तरीके खोजे जाते हैं तथा प्राप्त लाह में गुणात्मक विकास हेतु अनुसंधान कार्य किए जाते हैं ।

(ii) भारतीय वेटिरीनरी अनुसंधान संस्थान (Indian Veterinary Research Institute) —मुक्तेश्वर तथा इज्जतनगर (उ. प्र.) में स्थित उक्त संस्थान में पशुपालन सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसंधान किए जाते हैं ।

(iii) भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (Indian Forest Research Institute) —देहरादून स्थित यह संस्थान ऊसर बंजर जमीन को कृषि योग्य धरती के बनाने, तथा जंगली जड़ी बूटियों से औषध निर्माण की दिशा में कार्य करता है ।

(iv) केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान शाला (Central Food & Technological Research Institute) —मैसूर स्थित संस्थान में पोषण एवं पोषक आहार सम्बन्धी अनुसंधान होते हैं ।

(v) भारतीय मानक संस्थान (Indian standard Institute) —दिल्ली स्थित यह संस्थान देश में उत्पादित चीजों का राष्ट्रीय स्तर (National standard) निर्धारित करता है और उस स्तर के अनुरूप बनने वाली चीजों को I.S.I. प्रमाण पत्र देता है । आई. एस. आई. चिन्हित (I.S.I. Marked) चीजें आजकल गुणवत्ता की प्रतीक बन गयीं हैं ।

(vi) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (Bhabha Atomic Research centre) —ट्राम्बे (बम्बई) स्थित संस्थान में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन, परमाणु परीक्षण, उसके शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु भट्टियों (Atomic reactors) का विकास, दूसरे तत्वों का निर्माण, चिकित्सा जगत में आणविक द्रव्यों के उपयोग, परमाणु ईंधन के शोधन सम्बन्धी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं ।

(vii) भारी जल कारखाना (Heavy Water Factory) —नांगल स्थित इस कारखाने में भारी जल का निर्माण होता है । भारी जल परमाणु भट्टियों में मंदक (retarder) के रूप में प्रयुक्त होता है ।

(viii) केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (Central Glass and Ceramic Research Institute) —यादवपुर (प. बंगाल) स्थित उक्त संस्थान में कांच और तामचीनी निर्माण का विकास तथा उसके उत्पादनों की उपादेयता में में वृद्धि करने सम्बन्धी अनुसंधान कार्य होते हैं ।

2. (i) गुरुत्वाकर्षण का नियम (ii) तैरने का सिद्धांत (iii) कास्मिक किरणों का अध्ययन (iv) सापेक्षता सिद्धांत (Theory of Relativity) (v) परमाणु संरचना में योग (vi) बोस-आइन्स्टाइन सांख्यिकी (vii) तड़ित चालक (viii) जीवाश्म (फासिल) अध्ययन ।

3. (i) बेंटिंग एवं बेस्ट (ii) सर हम्फ्री डेवी (iii) मारकोनी (vi) देवार (Dewar) (v) यूरे

4. (i) ऊष्मा तथा ताप (Heat and temperature)--ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जबकि ताप किसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है, जो ऊष्मा के बहने की दिशा बताती है।

(ii) मृदु जल और कठोर जल (Soft and Hard Water)—मृदु जल में कोई अशुद्धि नहीं होती है और यह साबुन के साथ झाग देता है जबकि कठोर जल में घुलनशील लवणों की अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धि के कारण ऐसा जल साबुन के साथ झाग नहीं देता।

(iii) परमाणु तथा केन्द्रक (Atom and Nucleus)—परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसमें तत्व के सारे गुण निहित होते हैं। इसके केन्द्र में केन्द्रक होता है जिसमें परमाणु के द्रव्यमान का निर्माण होता है। केन्द्रक में प्रोट्रॉन तथा न्यूट्रॉन निहित होते हैं और केन्द्रक के चारों ओर कक्षाओं (orbits) में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं और यह सारा विन्यास तत्वों के परमाणु में होता है।

5. (i) जाड़ों में सुबह जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस में उपस्थित जल वाष्प के कण ठंड के कारण संघटित हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

(ii) लम्बी कूद लगाने से पहले दौड़ने से शरीर को संवेग (Momentum) प्राप्त होता है।

(iii) साबुन लगाने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे पानी कपड़े के धागों में आसानी से प्रवेश कर जाता है और मैल को हटाता है।

(iv) रात में पौधे सांस लेते हैं। सांस में आक्सीजन लेते हैं और जहरीली कार्बन डाइआक्साइड गैस छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति घातक है।

(v) जुगनू के शरीर में ल्युसीफेरिन नामक रासायनिक तत्व होता है जो इसके प्रकाश उत्पादक अंगों में होता है। जब उसमें हवा भरती है तब वायु की आक्सीजन से सम्पर्क होते ही ल्युसीफेरिन प्रकाश उत्पन्न करता है। जुगनू का प्रकाश शीतल होता है। इसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती।

खण्ड 'स' [Section]

1. निम्न की कमी से मानव में क्या लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं।

(i) प्रोटीन (ii) विटामिन ए (iii) विटामिन बी (iv) विटामिन सी (v) विटामिन डी (vi) आयोडीन (vii) कैल्शियम

2. उन आहारों का उल्लेख कीजिए जिनमें निम्न विटामिन या तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।

(i) विटामिन ए (ii) विटामिन बी (iii) विटामिन सी (iv) विटामिन डी (v) फास्फोरस (vi) आयोडीन (vii) आयरन

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

(i) मलेरिया................से होता है।

(ii) चेचक................से होती है।

(iii) ....से टाइफाइड होती है।

(v) ....डिफ्थीरिया होता है।

4. निम्न को स्पष्ट कीजिए :

(i) राकेट कैसे कार्य करता है

(ii) अंतरिक्ष उड़ान में भारहीनता क्या है

(iii) तारे क्यों टिमटिमाते हैं

(iv) यकृत (Liver) का क्या कार्य है

(v) बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए।

(vi) पौधों में क्लोरोफिल का क्या महत्व है।

(vii) कठोर और मृदुजल से आप क्या समझते हैं? किसी एक विधि का वर्णन कीजिए जिससे कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करेंगे।

(viii) गर्म एवं ठंडे रक्त वाले जतुन्ओं में क्या अंतर है।

(ix) विमान उद्योग में अल्यूमुनियम धातु का उपयोग क्यों करते हैं?

(x) कठोर जल में कपड़े साफ करने पर साबुन झाग क्यों नहीं देता।

(xi) चन्द्रमा की सदा एक ही सतह दिखाई देती है।

5. निम्न क्यों प्रसिद्ध हैं?

(1) रामानुजन् (ii) भास्कराचार्य (iii) कोपरनिकस (iv) गैलिलियो (v) मैडम क्यूरी (vi) मेंडल (vii) मारकोनी (vii) ऐडिसन (vii) राइट ब्रदर्स

उत्तरमाला

(खण्ड स) [Section C]

(i) प्रोटीन—प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ii) विटामिन ए—इसकी कमी से रतौंधी (Night blindness) रोग हो जाता है तथा दांतों में कुरूपता आ जाती है।

(iii) विटामिन बी—इसे 'बी समूह' (B-complex) भी कहते हैं क्योंकि इनमें अलग-अलग किस्म की दर्जनों विटामिनें पायी जाती हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। B_2 या राइबोफ्लेविन (riboflavin) की उचित मात्रा न मिलने पर भार में कमी, ओंठ और जिह्वा में सूजन हो जाती है और नेत्रों से धुंधला दिखाई देने लगता है। B_{12} या कोबालेमाइन (Cobalamine) तथा फोलिक अम्ल लाल रुधिर कणिकाओं के बनने में सहायक हैं, इनकी कमी से रक्तहीनता (anaemia) होती है।

(iv) विटामिन सी—इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल (Ascorbic acid) है। इसका मुख्य कार्य उत्तम वृद्धि, मसूढ़ों को स्वस्थ रखना, रक्त नलिकाओं को मजबूत करना है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसमें मसूढ़ों से खून रिसने लगता है।

(v) विटामिन डी—इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है।

(vi) आयोडीन—इसकी कमी से गले में घेघा (goitre) निकल आता है।

(vii) कैल्शियम—इसकी कमी से हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं।

2. (i) विटामिन ए—यह विटामिन दूध, मक्खन, अण्डा, मछली के यकृत के तेल, हरी सब्जियों, टमाटर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

(ii) विटामिन बी—मांस, दूध, अंडा, हरी सब्जी, सोयाबीन, यीस्ट आदि में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलती है।

(iii) विटामिन सी—यह विटामिन रसदार फलों-नारंगी, संतरा, नींबू, टमाटर एवं हरी सब्जियों जैसे—पालक, हरी मिर्च, गोभी आदि में पायी जाती है।

(iv) विटामिन डी—त्वचा के नीचे की वसा में एरगोस्टराल (ergosterol) नामक यौगिक होता है, जब सूर्य की किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तो इस यौगिक का कुछ अंश विटामिन डी (कैल्सिफेराल) में बदल जाता है। अतः एक प्रकार से विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। यों यह विटामिन मछली के यकृत के तेल, मक्खन, दूध और हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में मिलती है।

(v) फास्फोरस—यह लवण हरी पत्ती, सब्जी, अंडा, दूध, मांस में पाया जाता है। ये शरीर के कड़े ऊतकों जैसे हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कड़ापन प्रदान करते हैं।

(vi) आयोडीन—इस लवण की अधिकांश मात्रा जल में होती है अतः जिन स्थानों के पानी में आयोडीन की कमी होती है, वहाँ के लोग घेघा से अधिक पीड़ित होते हैं। भोजन में इसकी उपस्थिति होती है। वैसे थायराक्सिन हार्मोन में आयोडीन पायी जाती है।

(vii) आयरन—रुधिर की लाल कणिकाओं में पायी जाने वाली हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। अन्य स्रोत हैं—हरी पत्तियां एवं सब्जियां, अंडा, दूध, मांस आदि।

3. (i) प्रोटोजोआ (मलेरिया पैरासाइट) (ii) वाइरस (iii) बैक्टीरिया (iv) बैक्टीरिया

4. (i) न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर राकेट कार्य करता है। राकेट में रखे ईंधनों के दहन से राकेट के जेट से उच्च वेग से गैस निकलती है। प्रतिक्रिया स्वरूप राकेट आगे बढ़ता है।

(ii) किसी वस्तु का भार (weight) पृथ्वी द्वारा उसके आकर्षण के कारण होता है। वस्तुओं का भार पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है—भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक।

पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है, सतह से नीचे या ऊपर जाने पर उसका भार कम होता जाता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का मान क्रमशः घटता जाता है। अनंत अंतरिक्ष में भार एकदम शून्य हो जाता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि वहां गुरूत्वाकर्षण जैसी कोई शक्ति नहीं होती है।

(iii) विभिन्न वायुमंडलीय परतों में ताप परिवर्तन होने के कारण वायुमंडलीय कणों की गतिशीलता के कारण परतों के घनत्व बदलते रहते हैं। इसी लिए तारों से प्रकाश की किरणें जब विभिन्न परतों से परावर्तित होती हैं तो उनकी चमक असमान होती है और तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं।

(iv) यकृत बाइल रस (Bile juice) उत्पन्न करता है जो पाचन में सहयोग देता है। शरीर में जमा हुए अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर उसका उपयोग करता है।

(v) बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। मनुष्यों तथा पशुओं में इनसे नाना बीमारियां उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर इनसे लाभ भी होते हैं। दही का जमना, सिरके का निमाण, तम्बाकू का पकना तथा सुगंधित होना, तथा मक्खन का निर्माण बैक्टीरिया के ही कारण होता है।

(vi) पौधों में उपस्थित हरे रंग यानी पर्ण हरित (chlorophyll) की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थित में अपना खाद्य तैयार करते हैं। ऐसे पौधे स्वयंपोषी (Autotrop ic) कहलाते हैं। जिन पौधों में इसकी कमी होती है, वे अन्य पौधों अथवा सड़ी गली वनस्पतियों से अपना पोषण लेते हैं और इन्हें परिजीवी (parasite) या मृतोपजीवी (Saprophyte) कहते हैं।

(vii) जल की कठोरता उसमें उपस्थित लवणों (कैल्शियम एवं मैगनीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेस्ट आदि) की घुलनशीलता के कारण होती है। मृदु जल में यह अशुद्धियां नहीं होती हैं। यदि किसी विधि से इन घुलनशील लवणो को अघुलनशील यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाय तो इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है और जल की कठोरता दूर हो सकती है।

जल की कठोरता दूर करने की एक विधि परम्युटिट विधि है। इसमें परम्युटिट से कठोर जल को गुजारने पर इसके लवण अलग हो जाते हैं। करके मृदु जल प्राप्त किया जा सकता है।

(viii) ठंडे रक्त वाले जन्तुओं (cold blood animals) के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ये अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक ठंड में निष्क्रिय हो जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए जमीन में चले जाते हैं। इस काल को क्रमशः ग्रीष्म निष्क्रियता एवं शीत निष्क्रियता (Hibernation) कहते हैं। ऐसे जन्तुओं के उदाहरण हैं मेढ़क तथा सरीसृप (reptile) वर्ग के अन्य प्राणी जैसे सांप आदि।

इनके विपरीत गर्म रक्त वाले जन्तुओं (warm blooded animals) के शरीर का ताप एक सा बना रहता है, वातावरण के ताप परिवर्तन से कतई प्रभावित नहीं होता। इसका श्रेय इनकी रक्त संचार (blood circulation) प्रणाली को है। पक्षी (Aves) तथा स्तनधारी (mammals) इस कोटि में आते हैं।

(ix) हलका होने के कारण अल्यूमूनियम का उपयोग विमानों के निमाण में होता है।

(x) पानी की कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स, सल्फेटस् और बाईकार्बोनेटस् की उपस्थिति के कारण होती है। इन्हीं के कारण कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता हैं।

(xi) चन्द्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 27 दिन लगते हैं। इसे अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन लगते हैं, इसलिए चन्द्रमा की एक ही सतह पृथ्वी के सामने बनी रहती है।

5.(i) रामानुजन् बीजगणित के सूत्रों तथा अनन्त श्रेणियों (Infinite Series) पर रामानुजन् का कार्य अद्भुत है।

(ii) भास्कराचार्य—12वीं शती के उद्भट खगोलशास्त्री भास्कर द्वितीय (अथवा भास्कराचार्य) की 'लीलावती' तथा 'सिद्धांत शिरोमणि' प्रमुख कृतियां हैं। सिद्धांत शिरोमणि में गुरूत्वाकर्षण का उल्लेख स्पष्ट उल्लेख किया है।

(iii) कोपरनिकास—कोपरनिकस ने सौर मंडल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाइबिल सिद्धांत के विरुद्ध वैज्ञानिक तथ्य सामने रखे। बाइबिल मतावलम्बियों के अनुसार पृथ्वी केन्द्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने अपनी ज्योतिर्विदीय गणनाओं के आधार पर बताया कि इस सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। स्पष्ट है कि पादरियों ने इनका जमकर विरोध किया।

(iv) गैलीलियो—गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत का समर्थन एवं प्रतिपादन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड की गतिविधि का केन्द्र है (और स्वयं स्थिर है)। पर धर्म के ठेकेदारों ने उस पर मुकदमा चलाया और डर के मारे 70 वर्षीय वृद्ध गैलीलियो ने कचेहरी में कहा कि मैं अपने असत्य सिद्धांत का त्याग करता हूँ। गैलीलियो ने टेलिस्कोप (दूरदर्शी) भी बनायी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गैलीलियो ने 'Dialogues on the two new Sciences' (दो नवीन विज्ञान पद्धतियों पर सम्वाद) लिखा जिसमें गति, गति में अभिवृद्धि तथा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी इनके अनेक अन्वेषण कार्य सार रूप में हैं।

(v) मैडम क्यूरी—टनों पिचब्लैण्ड को गर्म कर उससे रेडियो सक्रिय तत्व पोलोनियम तथा यूरेनियम से दस लाख गुना रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें जीवन में दो बार नोबेल पुरस्कार मिला।

(vi) मारकोनी—बेतार तरंगों (Wireless waves) की खोज के लिए मारकोनी प्रसिद्ध हैं।

(vii) एडिसन—बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन, वोट रिकार्डर चलचित्र कैमरा जैसे 2,500 आविष्कारों के पेटेंट का श्रेय एडिसन को है।

(viii) राइट ब्रदर्स—सर्व प्रथम वायुयान उड़ाने का श्रेय राइट बन्धुओं को है।

खंड 'द' (Section D)

1. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।
(i) स्टेनलैस स्टील (ii) संश्लिष्ट धागे (iii) 14 कैरेट गोल्ड (iv) प्रतिजैविक औषधियां (v) कृत्रिम उपग्रह

2. निम्न में भेद कीजिए।—
ग्रह, उपग्रह, तारा और धूमकेतु

3. निम्नलिखित ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रमानुसार लिखिए।
यूरेनस, प्लूटो, बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शुक्र, नेपच्यून,

4. भूकंप कैसे आते हैं?

5. चक्रवात क्या है?

6. भारतीय उपग्रह 'इनसैट' पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

7. सूची में प्रदत्त शब्दों में से उचित रिक्त स्थानों को भरें—
(i) रबर..................के साथ गर्म करने से वल्कनाइज होता है।
(ii) अति तप्त ज्वाला जो लोहे के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, आक्सीजन को..................के साथ जलाने से उत्पन्न होती है।
(iii) हीरा और ग्रेफाइट भिन्न प्रकार के..................तत्व हैं।
(iv).... ....केवल सामान्य क्षारीय गैस है।
(v)..................वातावरण में चांदी को टार्निश करता है। (अमोनिया, एसिटलीन, सल्फर, हाइड्रोजन-सल्फाइड, कार्बन)

उत्तरमाला

खंड 'द' (Section D)

1. (i) स्टेनलैस स्टील—क्रोमियम (8-25%) तथा इस्पात के मिश्र धातु से स्टेनलैस स्टील का निर्माण होता है। इसमें जंग नहीं लगता। बाल-बेयरिंग मशीन पुर्जों तथा बरतनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है।

(ii) संश्लिष्ट धागे (Synthetic fibres)—संश्लिष्ट पदार्थ वास्तव में उच्च बहुलक (High Polymer) अथवा वृहद् अणु (Macro molecule) हैं। बहुलक का तात्पर्य है वह अणु जो छोटी-छोटी सरल रासायनिक इकाइयों के पुनरावर्तन (repetition) से बनता है। उच्च अणु भार के कारण इनके यांत्रिक गुण तथा इनकी शक्ति उत्तम कोटि की होती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाती है और इसी कारण इनकी उपयोगिता बढ़ गई है।

संश्लिष्ट वस्त्र सभी का मन मोह लेते हैं। नाइलान प्रथम संश्लिष्ट तन्तु है जो 1938 में तैयार किया गया था। तब से डेक्रान, आर्लान जैसे अनेक रेशे बाजार में आए। ऐसे रेशों ने सूती वस्त्र उद्योग को दबा दिया। इन कृत्रिम रेशों से कई लाभ हैं—न तो कीड़े आक्रमण करते हैं, न सिकुड़न पड़ती है, साथ ही ये काफी टिकाऊ भी होते हैं। किन्तु इनकी कुछ सीमाएँ हैं। लपट के सामने ले जाने पर ये गलने लगते हैं, और रंग धूमिल हो जाने पर इन रेशों को रंगा नहीं जा सकता।

(iii) 14 कैरेट गोल्ड (Fourteen carat Gold)-सोने की शुद्धता नापने की इकाई कैरेट है। 24 कैरेट सोना शत-प्रतिशत शुद्ध होता है। सोने को कड़ा बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी की अशुद्धि मिलायी जाती है। 14 कैरेट सोने में प्रायः 58% शुद्ध सोना तथा 42 प्रतिशत अशुद्धि रहती है। आजकल आभूषणों के निर्माण में प्रायः यही सोना प्रयुक्त होता है।

(iv) प्रतिजविक औषधियां (Antibiotics)—ये वे औषधियां हैं जो रोग के जीवाणुओं को नष्ट कर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। सर्वप्रथम डा. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक फंफूद (fungues) के स्राव (Extract) से पेनिसिलीन नामक एण्टीबायोटिक प्राप्त की थी। आज तो दर्जनों एण्टी बायोटिक दवाएँ विकसित कर ली गई हैं—टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि।

(v) कृत्रिम उपग्रह (Artificial Satellite)-किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं जैसे कि चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है।

कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनके विभिन्न उपयोग हैं—मौसम, संचार, धरती के संसाधनों का अध्ययन आदि। अक्टूबर 1957 में रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह 'स्पुतनिक 1' छोड़ा था फिर अमेरिका ने 'एक्सप्लोरर' उपग्रह छोड़कर इस क्रम को आगे बढ़ाया। भारत ने भी आर्यभट, भास्कर, इनसैट जैसे उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है।

2. ग्रह (Planets)—किसी तारे (star) के चारों ओर घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनमें स्वतः का प्रकाश नहीं होता है। अपने तारे से ये प्रकाशित होते हैं। हमारे तारे सूर्य के ग्रह हैं—बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेप्च्यूटन, प्लूटो।

उपग्रह (Satellite)—ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चन्द्रमा है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं—फोबोस और डिमोस। इसी प्रकार बृहस्पति के 14 उपग्रह हैं।

तारा (Star)—ये स्वयं प्रकाशित पिंड हैं जैसे हमारा सूर्य। इनमें उपस्थित गैसीय ईंधनों में उच्च ताप पर संलयन और विखंडन क्रियाएँ निरन्तर चलती रहती हैं जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है।

हर तारे का अपना परिवार होता है अर्थात् कुछ ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं।

धूमकेतु या पुच्छल तारा (Comet)—ये भी स्वयं प्रकाश मान पिण्ड हैं जिनकी शक्ल झाड़ू सदृश होती है। यह सूर्य से वृत्ताकार परिपथ में परिक्रमा करते हैं। इनकी पूछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है।

3. बुध (Mercury), शुक्र (Venus), पृथ्वी (Earth), मंगल (Mars), बृहस्पति (Jupitor), शनि (saturn) यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो।

4. भूकम्प (Earthuak)—भूकम्पों के आने के कई कारण हैं जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। जब कोई सक्रिय ज्वालामुखी तीव्रता के साथ फूट पड़ता है तो भूकम्प आता है। कभी कभी सुप्त ज्वालामुखी (dormant volcano) भी सक्रिय हो उठते हैं जिससे समीपवर्ती क्षेत्रों में भूकम्प के झटके लगते हैं। कभी जब धरती के अंदर जल प्रवेश हो जाता है तो अत्याधिक ताप के कारण वह वाष्पत हो जाता है। वाष्प बाहर निकलने का प्रयास करता है, ऐसे में भी भूकम्प आते हैं।

(शेष पृष्ठ 73 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र (1)

प्रश्न 1—अधोलिखित अल्पाक्षरों के पूरे शब्द लिखिये :—

(1) N.A.T.O. (2) A.D.B. (3) O.N.G.C. (4) O.P.E.C. (5) I.N.T.U.C. (6) P.L.O. (7) U.N.E.S.C.O. (8) B.H.E.L (9) B.O.A.C. (10) S.A.L.T. (11) U.N.E.F. (12) B.A.R.C. (13) M.R.T.P.C. (14) E.C.M.(15) A.S.E.A.N. (16) C.A.R.E. (17) C.O.F.E.P.O.S.A (18) H.U.D.C.O (19) U.N.I.C.E.F. (20) M.N.F. (21) I.M.F. (22) G.A.T.T. (23) I N S A T (24) F.I.C.C.I. (25) I.C.A.R. (26) T.A.P.P. (27) E X I M

उत्तर 1—(1) नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (2) एशियन डेवेलपमेंट बैंक (3) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन (4) ऑर्गेनाइजेशन ऑव पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज (5) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (6) फिलीस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (7) यूनाइटेड नेशन्स एजूकेशनल साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन (8) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (9) ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कार्पोरेशन (10) स्ट्रेटेजिक आर्मस लिमिटेशन टॉक्स (11) यूनाइटेड नेशन्स इमरजेन्सी फोर्स (12) भाभा एटोमिक रिसर्च सेण्टर (13) मोनोपलीज एण्ड रिसट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन (14) यूरोपियन कॉमन मार्केट (15) एसोसियेशन ऑव साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (16) कोऑपरेटिव्ज फॉर अमेरिकन रिलीफ एव्रीवेयर (17) कन्जरवेशन ऑव फॉरेन एक्सचेंज एण्ड प्रीवेंशन ऑव स्मगलिंग एक्ट (18) हाउसिंग एण्ड अरबन डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (19) यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रन्स इमेरजन्सी फन्ड (20) मिजो नेशनल फ्रंट (21) इण्टरनेशनल मॉनिटरी फन्ड (22) जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ (23) इण्डियन नेशनल सैटेलाइट (24) फेडरेशन ऑन इण्डियन चेम्बर्स ऑव कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री (25) इण्डियन कौंसिल ऑव एग्रीकल्चरल रिसर्च (26) तारापुर एटामिक पावर प्लांट (27) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया।

प्रश्न 2. (अ) निम्नलिखित के नाम लिखिये :—

(1) भारत के रेल मंत्री (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश (3) उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश (4) भारत के विदेश मंत्री (5) अमेरिका के राष्ट्रपति (6) ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री (7) रूस में भारतीय राजदूत (8) भारत के रक्षा मन्त्री (9) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (10) पंजाब के मुख्यमन्त्री (11) पाकिस्तान के विदेश मन्त्री (12) अमेरिकी के विदेश मंत्री (13) सोवियत संघ के राष्ट्रपति (14) भारत के उपराष्ट्रपति (15) अध्यक्ष, रिजर्व बैंक ऑव इण्डिया (16) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (17) अध्यक्ष, उ. प्र. लोक सेवा आयोग (18) उ. प्र. के वन मन्त्री (19) यू. के. में भारत के हाई कमिश्नर (20) जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल

उत्तर 2 (अ)--(1) अब्दुलगनी खाँ चौधरी (2) न्यायमूर्ति यशवन्त विष्णु चन्द्रचूड़ (3) न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र (4) पी. वी. नरसिंह राव (5) रोनाल्ड रीगन (6) श्रीमती मार्गेट टैचर (7) विष्णु के. अहूजा (8) आर. वेंकटरमन (9) राम कृष्ण त्रिवेदी (10) दरबारा सिंह (11) साहिबजादा याकुब अली खाँ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(12) जार्ज शुल्टज (13) निकोलाइ रिझकोव (14) मोहम्मद हिदायतुल्लाह (15) मनमोहन सिंह (16) डा. श्रीमती माधुरी शाह (17) दिलीप कुमार भट्टाचार्य (18) संजय सिंह [स्वतन्त्र रूप से राज्य मंत्री] (19) डा. सैयद मोहम्मद (20) बी. के. नेहरू।

प्रश्न 2 (ब)—निम्नलिखित नामों से किन व्यक्तियों को जाना जाता है :—

(1) देशबन्धु (2) पंजाब केसरी (3) गुरूदेव (4) नेताजी (5) लौह पुरुष (6) सीमांत गांधी या बादशाह खान (7) दीन बन्धु (8) लोकमान्य (9) भारत-कोकिला (10) फ्युहरर (11) आइक (12) लेडी ऑव दी लैम्प (13) मेन ऑव डेस्टिनी (14) अंकिल हो (15) द ग्रेन्ड ओल्ड मैन ऑव इण्डिया (16) जान बुल (17) यांकी (18) अंकिल सैम।

उत्तर 2 (ब) (1) चितरंजन दास (2) लाला लाजपत राय (3) रवीन्द्र नाथ ठाकुर (4) सुभाष चन्द्र बोस (5) सरदार बल्लभ भाई पटेल (6) अब्दुल गफ्फार खां (7) सी. एफ. एंड्रयुज (8) बालगंगाधर तिलक (9) सरोजिनी नायडू (10) एडोल्फ हिटलर (11) डी. आइजनहावर (12) फ्लोरेंस नाइटेंगिल (13) नेपोलियन (14) डा. हो. ची. मिन्ह (15) दादा भाई नौरोजी (16) इंग्लैण्ड के निवासी (17) अमेरिका के निवासी (18) अमेरिका का विचित्र नागरिक।

प्रश्न 3 (अ)—निम्नलिखित पुस्तकों के रचयिताओं के नाम लिखिये :—

(1) सत्यार्थ प्रकाश (2) कादम्बरी (3) महाभारत (4) आइन-ए-अकबरी (5) गुले नग्मा (6) वार एण्ड पीस (7) डेविड कापर फील्ड (8) शाहनामा (9) हिन्दू व्यू ऑव लाइफ (10) चित्रलेखा (11) गीत गोविन्द (12) ब्रोकन विंग (13) फ्रेन्ड्स नॉट मास्टर्स (14) दी अनहैपी इण्डिया (15) मीन कैम्फ (16) एशियन ड्रामा (17) राजतरंगणी (18) लाइफ डिवाइन (19) आनन्द मठ (20) उर्वशी (21) पंचतंत्र (22) गाईड (23) फ्रीडम एट मिड नाइट।

उत्तर 3 (अ)—(1) दयानन्द सरस्वती (2) बाणभट्ट (3) वेद व्यास (4) अबुल फजल (5) फिराख गोरखपुरी (6) लियो टाल्स्टॉय (7) चार्ल्स डिकेन्स (8) फिरदौसी (9) डा राधा कृष्णन (10) भगवती चरण वर्मा (11) जय देव (12) सरोजनी नायडू (13) अयूब खां (14) लाला लाजपत राय (15) एडोल्फ हिटलर (16) गुन्नार मिरडल (17) कल्हण (18) अरविन्द घोष (19) बंकिम चन्द्र चटर्जी (20) रामाधारी सिंह दिनकर (21) विष्णु शर्मा (22) आर. के. नारायण (23) लैरी कालिन्स तथा डोमिनक लैपियर।

प्रश्न 4 (क)—निम्नांकित की राजधानियों के नाम लिखिये :—

(1) स्विटजरलैण्ड (2) थाइलैण्ड (3) बर्मा (4) मिजोरम (5) केरल (6) अरुणाचल प्रदेश (7) दादर-नगर हवेली (8) ईरान (9) स्वीडन (10) पुर्तगाल (11) फिलीपीन्स (12) बांगलादेश (13) भूटान (14) मेघालय (15) कर्नाटक (16) सिक्किम (17) लेबनान (18) पोलैण्ड (19) अर्जेण्टीना (20) इजरायल (21) इराक।

उत्तर 4 (क)—(1) बर्न (2) बैंकाक (3) रंगून (4) एंजेल (5) तिरुअनन्तपुरम (6) ईटानगर (7) सिलवासा (8) तेहरान (9) स्टॉकहोम (10) लिस्बन (11) मनीला (12) ढाका (13) थिम्पू (14) शिलाँग (15) बंगलौर (16) गंगटोक (17) बेरूत (18) वारसा (19) ब्यूनस आयर्स (20) जेरूसलम (21) बगदाद।

प्रश्न 4 (ख)—उन देशों के नाम लिखिये जिनमें निम्नलिखित सिक्के चलते हैं :—

(1) येन (2) युआन (3) टका (4) क्यात (5) रुबल (6) लीग (7) शिलिंग (8) फ्रांक (9) पेसेटा (10) एस्कूडो।

उत्तर 4 (ख)—(1) जापान (2) चीन (3) बांगलादेश (4) बर्मा (5) सोवियत रूस (6) इटली (7) आस्ट्रिया (8) फ्रांस (9) स्पेन (10) पुर्तगाल।

प्रश्न 4 (ग)—निम्नांकित के नाम लिखिये :—

(1) सबसे बड़ा ग्रह (2) विश्व की सबसे अधिक लम्बी नदी (3) विश्व का सबसे बड़ा मुहाना (4)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान (5) भारत में सबसे ऊँची पर्वत चोटी (6) विश्व का सबसे अधिक वर्षा का स्थान (7) विश्व का सबसे बड़ा देश (8) विश्व की सबसे बड़ी रेलवे (9) भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य (10) नील नदी का वरदान (11) बंगाल का शोक (12) महलों का शहर (13) गेट वे ऑफ इण्डिया (14) हजार झीलों का देश (15) गुलाबी शहर (16) उगते सूरज की भूमि (17) चीन का दुख (18) पवित्र भूमि।

उत्तर 4 (ग)—(1) बृहस्पति (2) नील नदी (3) सुन्दरवन (4) सहारा (5) गाडविन आस्टेन (K_2) (6) चेरापूंजी (7) सोवियत रूस (8) ट्रान्स साइबेरियन रेलवे (9) मध्य प्रदेश (10) मिस्र (11) दामोदर नदी (12) कलकत्ता (13) बम्बई (14) फिनलैण्ड (15) जयपुर (16) जापान (17) होआंग हो नदी (18) जेरुसलम।

प्रश्न 5 (क)—निम्नलिखित कहाँ स्थित है —

(1) सुभाष नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑव स्पोर्ट्स (2) इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव पेट्रोलियम (3) इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस (4) सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन (5) नेशनल बोटेनीकल गार्डेन्स (6) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (7) इण्डियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (8) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड (9) सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (10) फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट (11) हिन्दुस्तान शिपयार्ड (12) इंटीग्रल कोच फैक्टरी (13) इण्डियन नेवल अकादमी (14) इण्डियन मिलिटरी अकादमी (15) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (16) सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (17) भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर (18) नेशनल मेटलार्जीकल लेबोरेटरी (19) लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑव एडमिनिस्ट्रेशन।

उत्तर 5 (क)—(1) पटियाला (2) देहरादून (3) नासिक (4) धनबाद (5) लखनऊ (6) मडुआडीह [वाराणसी] (7) बंगलौर (8) पिम्परी (9) लखनऊ (10) देहरादून (11) विशाखापत्तनम (12) पैराम्बूर (13) कोचीन (14) देहरादून (15) नई दिल्ली (16) रुड़की (17) ट्राम्बे [बम्बई] (18) जमशेदपुर (19) मसूरी।

प्रश्न 5 (ख)—निम्नलिखित नगर किन बड़े उद्योगों से सम्बन्धित हैं ?

(1) टीटागढ़ (2) चुर्क (3) सिंदरी (4) डिगबोई (5) भिलाई (6) हालीवुड (7) चितरंजन (8) धारीवाल (9) खेतड़ी (10) अलीगढ़ (11) कोयली (12) नेपानगर।

उत्तर 5 (ख)—(1) कागज (2) सीमेंट (3) रासायनिक खाद (4) पेट्रोलियम (5) इस्पात (6) फिल्म (7) लोकोमोटिव (8) ऊनी वस्त्र (9) तांबा (10) लौह (11) पेट्रो रासायनिक (12) कागज।

प्रश्न 6 (क)—निम्नलिखित स्थान किन महान व्यक्तियों से संबंधित हैं ?—

(1) बारदोली (2) लुम्बिनी (3) शान्ति निकेतन (4) विजयघाट (5) शान्तिवन (6) पाण्डिचेरी (7) वाटरलू (8) कॉर्सिका (9) ट्रेफलगर (10) साबरमती (11) कपिलवस्तु (12) पवनार।

उत्तर 6 (क)—(1) सरदार बल्लभ भाई पटेल (2) महात्मा बुद्ध (3) रवीन्द्रनाथ टैगोर (4) लाल बहादुर शास्त्री (5) जवाहरलाल नेहरू (6) अरविन्द घोष (7) नेपोलियन बोनापार्ट (8) नेपोलियन बोनापार्ट (9) नेलसन (10) महात्मा गाँधी (11) महात्मा बुद्ध (12) विनोबा भावे।

प्रश्न 6 (ख)—निम्नलिखित कहाँ स्थित है ?—

(1) अजन्ता (2) चिदम्बरम (3) एलीफेंटा (4) कांचीपुरम (5) डांडी (6) कोणार्क (7) खजुराहो (8) नालन्दा (9) सांची (10) सारनाथ (11) तिरुपति (12) अंकोरवाट (13) कैंडी (14) श्रवण बेलगोला (15) महाबलीपुरम (16) पोटाला (17) बंकिंघम पैलेस (18) 10 डाउनिंग स्ट्रीट (19) रेड स्कावयर (20) इफेल टावर। (21) स्टेचु ऑव लिबर्टी (22) व्हाइट हाउस (23) पिरामिड (24) मरडेका पैलेस (25) लीनिंग टावर (26) वृन्दावन गार्डेन्स (27) चार मीनार (28) बुलन्द दरवाजा।

उत्तर 6 (ख)—(1) महाराष्ट्र (2) तमिलनाडु (3) महाराष्ट्र (4) तमिलनाडु (5) गुजरात (6) उड़ीसा (7) मध्य प्रदेश (8) बिहार (9) मध्य प्रदेश (10)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश (11) आंध्र प्रदेश (12) कम्पूचिया (13) श्रीलंका (14) कर्नाटक (15) तमिलनाडु (16) तिब्बत (17) लन्दन (18) लन्दन (19) मास्को (20) पेरिस (21) न्यूयार्क (22) वाशिंगटन (23) मिस्त्र (24) जकार्ता (25) पीसा, इटली (26) कर्नाटक (27) हैदराबाद (28) फतेहपुर सीकरी, उ. प्र।

प्रश्न 7 (क)—निम्नलिखित किन खेलों से संबन्धित हैं—
(1) गुगली (2) टामस कप (8) विम्बलडन (4) बिशप (5) ड्यूस (6) कैनन (7) संतोष ट्राफी (8) रंगास्वामी कप (9) एशेज (10) चूकर (11) डेविस कप (12) रणजी ट्राफी (13) फोलो ऑन (14) नो-बाल (15) लिटिल स्लेम (16) चेकमेट (17) एल. बी डब्ल्. (18) पंच (19) डूरण्ड कप (20) डरबी (21) बुली-आफ (22) हाफ वाली (23) बुल्स आई (24) स्मैश (25) ईरानी कप।

उत्तर 7 (क)—(1) क्रिकेट (2) बैडमिंटन (3) टेनिस (4) शतरंज (5) टेनिस (6) बिलियर्डस (7) फुटबाल (8) हाकी (9) क्रिकेट (10) पोलो (11) बैडमिंटन (12) क्रिकेट (13) क्रिकेट (14) क्रिकेट (15) ब्रिज (16) शतरंज (17) क्रिकेट (18) बॉक्सिंग (19) फुटबाल (20) घुड़दौड़ (21) हाकी (22) टेनिस (23) शुटिंग (24) बैडमिंटन तथा टेनिस (25) क्रिकेट।

प्रश्न 7 (ख)—निम्नलिखित किन खेलों/स्पोर्टस से सम्बन्ध रखते हैं ?
(1) कपिल देव (2) जिमी कोनार्स (3) प्रकाश पादुकोण (4) सैयद मोदी (5) अनातोली कार्पोव (6) माईकल फरेरा (7) अनिता सुद (8) लिओन स्पिंक्स (9) लैरी होल्मस (10) रोहणी खाड़िलकर (11) ज्योफ बायकाट (12) रमेश कृष्णन (13) विजय अमृतराज।

उत्तर 7 (ख) (1) क्रिकेट (2) टेनिस (3) बैडमिंटन (4) बैडमिंटन (5) शतरंज (6) बिलियर्डस (7) तैराकी (8) बॉक्सिंग (9) बॉक्सिंग (10) शतरंज (11) क्रिकेट (12) टेनिस (13) टेनिस।

प्रश्न 8 (क)—निम्नलिखित का आविष्कार किसने किया था ?
(1) प्रिंटिंग प्रेस (2) राडार (3) कैमरा (4) टेलीविजन (5) टेलीस्कोप (6) ग्रामोफोन (7) पाउडर (8) बाइसिकिल (9) डीजल इंजिन (10) फाउन्टनपेन (11) सेफ्टी रेजर (12) आक्सी (13) टेलीफोन (14) हाइड्रोजन (15) रेडि (16) टाइपराइटर (17) एक्स रे (18) इलेक्ट्रो (19) पेन्टस (20) वंशानुक्रम के नियम (21) विकास का सिद्धांत (22) ट्रांजिस्टर।

उत्तर 8 (क)—कैक्सटन (2) सर रॉबर्ट वाटसन वाट (3) जिस (4) बेअर्ड (5) गैलीलियो (6) था अल्वा एडीसन (7) रोजर बेकन (8) मैकमि (9) स्टीवेन्सन (10) वाटरमैन (11) जिलेट (12) प्रीस्टले (13) ग्राहम बेल (14) कैन्डिवश (15) मादाम क्यूरी (16) शोल्ज (17) रोंटेजन (18) जे. जे. थामसन (19) शालीमार (20) ग्रे मेंडल (21) चार्ल्स डारविन (22) डब्लू शो

प्रश्न 8 (ब)—निम्नलिखित का क्या उपयोग है:—
(1) बैरोमीटर (2) लेक्टोमीटर (3) हाइड्रोमी (4) सिसमोग्राफ (5) पायरोमीटर (6) मैनोमी (7) सेक्सटेंट (8) स्टेथेस्कोप (9) क्रेसकोग्राफ (10) डायनमों (11) राडार (12) कार्डियोग्राफ।

उत्तर 8 (ब)—(1) इस यंत्र से वायु दाब नापा जाता है (2) इसके द्वारा दूध की शुद्धता जानी जाती है (3) द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। (4) इसके माध्यम से पृथ्वी के कम्पन को ग्रा पर अंकित किया जाता है। (5) इससे अत्यधिक दू पर स्थित वस्तु का तापक्रम मापा जाता है। (6) इस यंत्र के माध्यम से गैसो का दबाव ज्ञात किया जाता है। (7) दूरस्थ वस्तुओं या पिण्डों की ऊंचा नापने हेतु इसका प्रयोग होता है। (8) इसका प्रयो मनुष्य के फेफड़ों तथा हृदय की ध्वनि गति को ज्ञात करने के लिये किया जाता है। (9) पौधों वृद्धि नापने हेतु प्रयुक्त होता हैं। (10) यांत्रि शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने प्रयुक्त किया जाता है। (11) आकाश में उड़ किसी वायुयान की दिशा और दूरी पता ल हेतु इस यंत्र का प्रयोग होता है। (12) ह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रोग से पीड़ित रोगी के हृदय गति का परीक्षण किया जाता है।

प्रश्न 9. (अ)—निम्नांकित समाचार पत्र/पत्रिका किस देश-नगर से निकलते हैं ?
(1) दिनमान (2) सर्चलाइट (3) आर्यावत (4) ब्लिट्ज (5) जुगान्तर (6) ल मान्ट (7) ट्रिब्यून (8) डॉन (9) प्रावदा (10) इण्डिया टू डे (11) अमृत बाजार पत्रिका (12) धर्मयुग (13) साप्ताहिक हिन्दुस्तान।

उत्तर 9 (अ)—(1) नई दिल्ली (2) पटना (3) पटना (4) बम्बई (5) कलकत्ता (6) पेरिस (7) चंडीगढ़ (8) कराची (9) मास्को (10) नई दिल्ली (11) कलकत्ता (12) बम्बई (13) नई दिल्ली।

प्रश्न 9 (ब)—निम्नलिखित के कारण बताइये :—
(1) प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है। (2) विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्यों उपयोग होता है। (3) नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता। (4) सोखता कागज स्याही क्यों सोख लेता है। (5) बिजली की चमक पहले दिखाई पड़ती है और आवाज बाद में सुनाई पड़ती है। (6) गोताखोर अपने जूतों में सीसा रखता है।

उत्तर 9 (ब) 1. चारोतरफसेबन्द होने के कारण प्रेशर कुकर में भाप का अत्यधिक दाब उत्पन्न हो जाता है-जिसके कारण पानी का क्वथनाक काफी घट जाता है। अतः थोड़ी ऊष्मा से ही भोजन जल्दी पक जाता है।

2. विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाने से यह लाभ होता है कि जब विद्युत धारा निर्धारित मात्रा से अधिक फ्यूज से होकर गुजरती है तो उससे उत्पन्न गर्मी से फ्यूज का तार पिघल जाता है और विद्युत परिपथ में व्यवधान पड़ जाता है और बिजली के उपकरण को हानि नहीं होने पाती।

3. हमें दर्द का आभास तभी होता है जब दर्द का संदेश किसी तंत्रिका (Nerve) द्वारा मष्तिष्क के पीड़ा केन्द्र (Pain centre) तक प्रेषित हो। क्योंकि नाखून का किसी रक्त वाहिका, कार्टिलेज या हड्डी जिनसे तंत्रिकाएं सम्बन्धित होती है, कोई संबंध नहीं रहता, इसीलिये इन्हें काटने पर हमें दर्द का आभास नहीं होता।

4. सोख्ते कागज में अत्यधिक पतली-पतली असंख्य केशिकाएं उपस्थित रहती हैं। पतली केशिकाओं में पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव स्वयमेव ऊपर चढ़ता है। इसी कारण स्याही भी इन केशिकाओं में ऊपर चढ़ती है एवं स्याही की बूंदें सोख ली जाती हैं।

5. प्रकाश वेग ध्वनि वेग से अधिक होने के कारण पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है और आवाज बाद में सुनाई पड़ती है।

6. गोताखोर को पानी के अन्दर सीधा तैरने तथा उसके संतुलन को स्थायी बनाने के लिये ऐसा किया जाता है गोताखोर के जूते में पिघले शीशे की गोलियां भर कर उसे भारी बना देते हैं। इससे उसके शरीर का गुरुत्व केन्द्र (Centre of Gravity) मित केन्द्र (Meta centre) से नीचे आ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब भी गोताखोर पानी में उर्ध्व से जरा भी झुक जाता है तो वह अपने आप पुनः उर्ध्व अवस्था में आ जाता है। गोताखोर के शरीर के भार तथा द्रव की उछाल से बने बलयुग्म के कारण ऐसा होता है। जब तक गोताखोर के शरीर का गुरुत्व केन्द्र, मित केन्द्र के नीचे रहता है तब तक यह बल युग्म, प्रत्यानयन बलयुग्म की तरह कार्य करता है और गोताखोर को उर्ध्व-अवस्था में में तैराता रहता है और उसके संतुलन को स्थायी बनाये रखता है।

प्रश्न 10—निम्नांकित में किन्हीं 3 का संक्षिप्तविवरण दें-
(1) इन्सेट-1 ए (2) फाकलैण्ड युद्ध (3) 9 वें एशियाई खेल (4) नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम (5) सामाजिक वानिकी (6) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

उत्तर 10—(1) इसी अंक में 'विज्ञान वार्ता' देखें।

(2) फाकलैंड द्वीप विवाद—दक्षिण अटलांटिक महासागर में केप हान के पूर्व में स्थित फाकलैंड द्वीप समूह 200 छोटे द्वीपों का समूह है जिसमें पूर्वी व पश्चिमी फाकलैंड, दक्षिण जार्जिया और सैन्डविच द्वीप प्रमुख है। यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वीप समूह सर्वप्रथम 1592 में ब्रिटिश नाविकों द्वारा देखा गया एवं 1690 में ब्रिटेन के कैप्टन स्ट्रांग ने यहां पदार्पण कर तत्कालीन जल-सेना के कोषाध्यक्ष लार्ड फाकलैंड के नाम पर इस द्वीप का नाम फाकलैंड रखा। प्रारम्भ से ही इस द्वीप पर अधिकार के लिए स्पेन व ब्रिटेन के मध्य मतभेद था। स्पेन ने 1774 से 1806 तक इस द्वीप पर कब्जा बनाए रखा एवं अपने उपनिवेश अर्जेन्टीना से इसका नियन्त्रण करता रहा। 1806 में स्पेन ने इस द्वीप से अपना अधिकार त्याग दिया। 1816 में अर्जेन्टीना स्वतंत्र हुआ और स्पेन के उत्तराधिकारी के रूप में उसने द्वीप समूह पर अपना दावा प्रस्तुत किया। परन्तु इसी मध्य अमेरिकी नाविकों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1833 में ब्रिटेन ने फाकलैंड का अधिग्रहण कर धीरे-धीरे मूल निवासियों का निष्कासन प्रारम्भ किया। 1833 से आज तक इस विवाद का कोई समाधान न निकल सका। अंत में अर्जेण्टीना ने 2 अप्रैल 1982 को इस द्वीप पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। 74 दिनों तक दोनों देशों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन का महत्वपूर्ण विध्वंसक H.M.S. SHEFFIELD भी नष्ट हुआ किन्तु 14 जून की घमासान लड़ाई में अर्जेण्टीना को पोर्ट लुई में अपने हथियार डाल देने पड़े। जहां तक दोनों पक्षों के दावों के आधार का प्रश्न है अर्जेण्टीना इस द्वीप को—(1) भौगोलिक संलग्नता (Geographical contiguity) व (2) स्पेन का उत्तराधिकारी; (3) खोज, के आधारों पर अपना अधिकार बताता है। यह द्वीप अर्जेण्टीना से लगभग 700 कि. मी. दूर है जबकि ब्रिटेन से लगभग 14 00 कि. मी. दूरी पर। भौगोलिक संलग्नता या सेक्टर सिद्धान्त (Sectoral Doctrine) के आधार पर ब्रिटेन 20° से 40° पश्चिम एवं अर्जेण्टीना 25° से 74° पश्चिम के मध्य सम्पूर्ण अन्टार्कटिका क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं यद्यपि यह 'सेक्टर सिद्धान्त' न तो 1959 की अन्टार्कटिका संधि में ही स्वीकृत किया गया न ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वेत्ता इस सिद्धान्त को दक्षिण ध्रुवीय व अन्टार्कटिका प्रक्षेत्र के सन्दर्भ में मानने को तैयार है। ब्रिटेन के दावे के आधार हैं—(1) फाकलैंड द्वीप के सभी 1800 निवासी ब्रिटिश मूल के हैं। (2) ब्रिटेन का इस द्वीप समूह पर पिछले 149 वर्षीय से प्रभावकारी कब्जा है। (3) 1952 में इस द्वीप समूह के लोगों ने एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध बनाए रखने के पक्ष में मत दिया था। (4) विवाद के समाधान के लिए अर्जेण्टीना ने अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर आक्रमण किया। (5) आज, इन आधारों पर ब्रिटेन का दावा अधिक प्रमाणित होता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रिटेन की इस द्वीप पर संप्रभुता अनुचित नहीं है। जैसा कि तृतीय विश्व के राष्ट्रों ने निर्गुट सम्मेलन के (लिमा सम्मेलन-1975) माध्यम से मांग की थी कि ब्रिटेन को अपने इस उपनिवेश को स्वतन्त्र कर देना चाहिए जिस पर उसने 142 वर्ष पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। समस्या समाधान के लिए प्रस्ताव जैसे-द्वीप पर दोनों देशों का सम्मिलित-प्रशासन, अर्जेण्टीना की संप्रभुता एवं ब्रिटेन का प्रशासन (हॉंगकॉंग के अनुरूप) व संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तरिम प्रशासन और बाद में स्व-निर्धारण की स्वतन्त्रता, आदि अब तक असफल रहे हैं और अब युद्ध समाप्ति के बाद भी समाधान की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि न तो अर्जेण्टीना इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द करना चाहता है न ही ब्रिटेन कोई समझौताकारी रुख अपना रहा है।

(3) नवें एशियाई खेल-1982--19 नवम्बर 1982 से नयी दिल्ली में नवीं एशियाई खेल प्रतियोगिताएं प्रारम्भ होंगी जो कि 4 दिसम्बर, 1982 तक सम्पन्न होंगी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नयी दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों के लगभग 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात् 1954 (मनीला), 1958 (टोकियो), 1962 (जकार्ता), 1966 (बैंकाक), 1970 (बैंकाक), 1974 (तेहरान), 1978 (बैंकाक) में ये खेल आयोजित हुए। इस प्रकार भारत को एशियाई खेलों के आयोजन का द्वितीय अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके पूर्व थाइलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहां अब तक तीन बार ये गौरवमयी खेल सम्पन्न हुए। एशियाई खेलों का शब्द चिन्ह 'जन्तर मन्तर' चुना गया है, यह 'जन्तर मन्तर' हमारी ... और दक्षता की खोज का संकेतक है। ... पर बिन्दी लगा हुआ नाचता हुआ हाथी का बच्चा जिसका नाम 'अप्पू' रखा गया है, 9वें एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। 'अप्पू' शुभ कार्यों का प्रतीक ...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाता है। नवें एशियाई खेलों में खेलों की संख्या 21 है, जो इस प्रकार से है—एथेलेटिक्स, बैडमिन्टन, फुटबाल, हॉकी, तीरंदाजी, गोल्फ, निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी, वालीबाल, नौकायन, हैंडबाल, पाल नौकायन, जिमनास्टिक, साइकिल दौड़, घुड़सवारी, टेबिल टेनिस, भारोत्तोलन, बास्केट बाल, तथा टेनिस। स्मरण रहें कि आठवें एशियाई खेलों में खेलों की संख्या 17 थी, इस बार जो चार नये खेल इस प्रतियोगिता में सम्मिलित किये गये हैं वो गोल्फ, नौकायान, घुड़सवारी तथा हैंडवाल है। इन खेलों के अतिरिक्त कबड्डी और सेपक-टकरा (मलेशिया के खेल) को 9वें एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रुप में खेला जायेगा। प्रतियोगिता में 32 देशों के लगभग 5,000 खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने की सम्भावना है। इन खेलों का आयोजन 17 स्टेडियमों में होगा (जबकि नौकायन और पाल नौकायन का आयोजन क्रमशः जयपुर की रामगढ़ झील तथा बम्बई में होगा) जिनमें जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा तरण ताल, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज तथा यमुना वेलोड्रोम नये स्टेडियम है। इसी सन्दर्भ में पाठकों को स्मरण रहें कि दसवें एशियाई खेलों का आयोजन द. कोरिया की राजधानी सियाल में होगा।

(4) नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम—(पिछला अंक देखें)

(5) सामाजिक वानिकी—(फरवरी 82 अंक देखें)

(6) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — इस महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजना को छठी योजना के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य (1) गांवों में पूर्ण/आंशिक बेरोजगारी को दूर करना (2) निर्धनतम परिवारों की आर्थिक स्थिति का उन्नयन तथा (3) लाभार्थी परिवारों के लिये विशेष रूप से आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना है।

प्रश्न 11—भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनायें किस वर्ष घटित हुयी?

(1) शक सवत का प्रारम्भ (2) विक्रम संवत का प्रारम्भ (3) महावीर स्वामी का जन्म (4) गौतम बुद्ध का निर्वाण (5) सिकन्दर का आक्रमण (6) कलिंग युद्ध (7) तैमूर लंग का आक्रमण (8) पानीपत का द्वितीय युद्ध (9) अकबर का जन्म (10) बक्सर का युद्ध (11) प्लासी का युद्ध (12) तालीकोटा का युद्ध (13) नादिर शाह का आक्रमण (14) चंगेज खाँ का आक्रमण (15) रेगुलेटिंग एक्ट का पारित होना (16) बंग विभाजन (17) माले मिन्टो सुधार (18) जालियाँ वाला बाग हत्याकांड (19) चौरीचौरा कांड (20) गांधी इर्विन समझौता।

उत्तर 11 (ब)—(1) 78 ए. डी. (2) 58 बी. सी. (3) 599 बी. सी 4) 487 बी सी (5) 327 बी सी (6) 261 बी. सी. (7) 1398 ए. डी. (8) 1556ए डी. (9) 1542 ए.डी (10) 1764 ए. डी. (11) 1757 ए डी. (12) 1554 ए डी. (13) 1339 ए. डी. (14) 1221 ए डी. (15) 1774 ए. डी. (16) 1905 ए डी (17) 1909 ए. डी. (18) 1919 ए डी. (19) 1921 ए. डी. (20) 1931 ए. डी ■

(पृष्ठ का 66 शेष)

5. चक्रवात (Cyclones)—कुछ स्थानीय विघ्नों के कारण वायु प्रवाह में अनियमितता आ जाती है। ये परिवर्तन शील वायु पहले भंवर (Whirl winds) फिर तूफान का रूप ले लेती हैं। इनकी उत्पत्ति अचानक एवं कुछ असाधारण कारणों से होती है। इसी भंवर को चक्रवात या प्रति चक्रवात (Cyclones and anticyclones) कहते हैं। चक्रवात में वायु कम दाब वाले भूकेन्द्र की ओर प्रवेश करती है। इसके विपरीत प्रति चक्रवात में वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है। वायु मंडल में ताप की अधिकता एवं शांत वायु के कारण इनकी उत्पत्ति होती है।

6. इनसेट—इनसैट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) शृंखला के प्रथम उपग्रह (इन्सैट-1ए) को अमेरिकी डेल्टा राकेट से 10 अप्रैल 1982 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तब इसकी अवधि 7 वर्ष आंकी गई थी पर कई तकनीकी बाधाओं और खासकर ईंधन की कमी के कारण मात्र 5 माह सक्रिय रहकर अब यह निष्क्रिय हो गया है। इस उपग्रह में मौसम विज्ञान, दूर संचार और दूर दर्शन जैसी तीनों सुविधाओं का लाभ उठाने की युक्तियां की गयी थीं। इसकी त्रुटियों को ध्यान में रखकर जुलाई 1983 में छोड़े जाने वाले दूसरे उपग्रह 'इन्सैट-1बी' के निर्माण एवं प्रक्षेपण में पूरी सावधानी बरती जायेगी।

7. (i) सल्फर (ii) एसिटलीन (iii) कार्बन (iv) अमोनिया (v) हाइड्रोजन सल्फाइड ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मानक हिन्दी और उसका व्याकरण

■ डॉ. दिलीप पाण्डेय*

व्यावहारिक स्तर पर भाषा के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं—जैसे मानक भाषा, क्लासिकल भाषा, कृत्रिम भाषा, बोलचाल की भाषा आदि । इनमें मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानक भाषा को परिनिष्ठित और टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इसका व्याकरण-सम्मत एक आदर्श रूप होता है तथा वह अपने प्रदेश की सम्पर्क भाषा (लिंग्वा-फ़्रेंका) भी होती है।

मानक भाषा के तीन विकास स्तर होते हैं। पहले यह किसी एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र की घरेलू बोल-चाल की भाषा होती है। इस स्थिति में उसे बोली कहा जाता है। इसके पश्चात क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से यह अपने आस-पास के क्षेत्रों के साहित्य और संस्कृति के प्रचार-प्रसार का मा… बन जाती है। तब यह एक भाषा के रूप में मा… प्राप्त कर लेती है। तदन्तर इसके शब्दोच्चारण, शब्द… और वाक्य-विन्यास को स्थिरता प्रदान करने के… इसके व्याकरण की रचना की जाती है। इसके वि… का तीसरा चरण मानकीकरण का स्तर है। इस स्थि… में यह अदालती कार्यवाहियों, राज्य प्रशासन के कार्य… तथा राजनीतिक-सामाजिक कार्यों का माध्यम बन जा… है। इस स्थिति में इसका आदर्श रूप परिष्कृत हो ज… है और इसका तकनीकी शब्द भण्डार समृद्ध हो जाता…

भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में मा… हिन्दी ही राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। अतः हि… खड़ी बोली (जिसे परिनिष्ठित हिन्दी भी कहा जाता… वर्तमान उत्तर भारत की ही नहीं अपितु देश की म… भाषा है। राजभाषा के रूप में मान्यता होने के का… देश का समस्त राजनैतिक, सरकारी कामकाज, न… पालिका के कार्य इसी भाषा में होते हैं। कहन… होगा, हिन्दी का मानक रूप ही सम्पर्क भाषा के रू… देश में सर्वस्वीकृत है।

मानक हिन्दी का वर्तमान रूप वस्तुतः एक ह… वर्षों के विकास का परिणाम है। वैयाकरणों ने म… हिन्दी का उद्‌गम आधुनिक आर्य भाषाओं से प्रा… खड़ी बोली (दिल्ली क्षेत्र), हरियावी, पूर्वी, पंज… राजस्थानी और ब्रज के सामूहिक योगदान से माना… इनमें से कौरवी या जनपदीय खड़ीबोली का योग… सर्वाधिक है। इसीलिए कौरवी को मानक हिन्दी… मूलाधार भी माना गया है।

मानक हिन्दी की व्याकरणिक विशेषताओं… अधोलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत देखा जा सकता है—

उच्चारण

पुल्लिंग पदों का आकारान्त उच्चारण मानक हि… की प्रमुख व्याकरणिक विशेषता है। संज्ञा, सर्व… विशेषण तथा क्रिया कृदन्त मुक्त पदों में यह प्र…

*प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (उ. प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पायी जाती है। जैसे, लड़का (संज्ञा), मेरा-हमारा (सर्वनाम), छोटा-बड़ा (विशेषण), लिखा-पढ़ा (क्रिया), लिखता-पढ़ता (कृदन्त), ऐसा-कितना (सार्वनामिक विशेषण), यहाँ-वहाँ (क्रिया विशेषण)। मानक हिन्दी की यह विशेषता एक ओर उसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं (कश्मीरी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया) से तथा दूसरी ओर मानक हिन्दी की समस्त उपभाषाओं (ब्रज, अवधी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी) की तुलना में उसे विशिष्टता प्रदान करती है।

लिंग विधान

लिंग विधान की दृष्टि से मानक हिन्दी में संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति दर्शनीय है। संस्कृत के तीन लिंग (पुंल्लिग, स्त्रीलिंग, नपुसंक लिंग) मानक हिन्दी में केवल दो (पुंल्लिग, स्त्रीलिंग) तक सीमित रह गये। मानक हिन्दी में लिंग के अनुसार क्रिया तथा विशेषण में परिवर्तन होता है—यथा, अच्छा लड़का जाता है, अच्छी लड़की जाती है। इसके विपरीत बंगला, असमी उड़िया के साथ ही संस्कृत (अंग्रेजी में भी) में क्रिया व विशेषण में इस प्रकार लिंग परिवर्तन नहीं होता। वहाँ केवल सर्वनाम में लिंग परिवर्तन होता है। He is a good girl, She is a good girl. अथवा संस्कृत में सः गच्छति, सा गच्छति। मानक हिन्दी में सर्वनाम में लिंग परिवर्तन हैं ही नहीं।

मानक हिन्दी में प्रमुख स्त्रीलिंग प्रत्यय 'ई' है। अन्य प्रत्ययों द्वारा भी स्त्रीलिंग पद बनाये जाते हैं। जैसे, ई (लड़का-लड़की), आनी (पंडित-पंडितानी), नी, अनी (शेर-शेरनी), इया (बूढ़ा-बुढ़िया), आ (छात्र-छात्रा) आदि। कहीं-कहीं 'नर-मादा' शब्द लगाकर भी लिंग भेद स्पष्ट कराया जाता है जैसे, नर जानवर, मादा जानवर।

वचन

मानक हिन्दी में दो वचन हैं—एक वचन और बहुवचन जबकि संस्कृत में इन दो वचन के साथ द्विवचन भी है। मानक हिन्दी को दो वचन उसकी समस्त उपभाषाओं तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में मिलते हैं। बहुवचन के संदर्भ में मानक हिन्दी की विशेषता यह है कि आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है—यथा, आप घर आयेंगे?

एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मानक हिन्दी में अनेक प्रत्यय हैं। जैसे, 'ए' (लड़का-लड़के), एं (पाठशाला-पाठशालाएं), 'आँ' (नदी-नदियाँ), 'ओ (नदी-नदियों)। साथ ही बहुत, अनेक, कुछ, गण, वृन्द जैसे बहुवचन बोधक शब्दों का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाये जाते हैं। क्रिया पद 'है' में अनुस्वार (ं) जोड़कर भी बहुवचन बनाने का नियम है - पक्षी उड़ रहे हैं।

क्रिया

क्रिया का अर्थ है—काम करना या होना। मानक हिन्दी में मुख्यतः क्रिया तीन प्रकार से बनती हैं—धातु से (पढ़+ना=पढ़ना), संज्ञा से (काम+आना=कमाना) विशेषण से (गरम+आना=गरमाना), मानक हिन्दी में अधिकांश क्रियाएं धातु से ही बनती हैं। धातुएं दो प्रकार की होती है—मूल और यौगिक। जो धातु किसी दूसरे शब्द से न बने (अर्थात स्वतंत्र), उसे मूल धातु कहते हैं—जैसे, खाना, चलना, पढ़ना। इसके विपरीत दूसरे शब्दों के सहयोग से बनने वाली धातु यौगिक कहलाती है जैसे पढ़ाना, खिलाना।

मानक हिन्दी में क्रिया के भेद इस प्रकार है—

सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं:—सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। इसलिए कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं होता। 'वह रोटी खाता है' प्रश्न उठता है क्या खाता है, उत्तर 'रोटी' जो कर्म है। अकर्मक क्रिया का सीधा सम्बंध कर्त्ता से होता है। जाति बोधक क्रियायें (आना, जाना, घूमना) तथा अवस्थाबोधक क्रियाएं (होना, रहना) अकर्मक क्रियाएं है।

द्विकर्मक क्रियाएं—सकर्मक क्रियाओं के साथ जहाँ दो-दो कर्म का प्रयोग होता है, वहाँ द्विकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे, अध्यापक विद्यार्थी को गणित पढ़ाता है, यहाँ 'पढ़ाने' क्रिया के दो कर्म हैं—विद्यार्थी और गणित।

प्रेरणार्थक क्रियाएं—कर्त्ता द्वारा करने के लिए दूसरों को प्रेरणा देने या दूसरे से स्वयं प्रेरणा लेने वाली क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। मानक हिन्दी में 'आ' तथा 'वा' प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रियाएं बनायी जाती हैं—जैसे, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़वाया।

संयुक्त क्रिया—जब दो या दो से अधिक प्रधान क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का अर्थ व्यंजित करती हैं तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रियाओं के ऐसे संयोग को संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्रायः संयुक्त काल को भी संयुक्त क्रिया समझने की भूल की जाती रही है क्योंकि संयुक्त काल में भी दो क्रियाओं का योग होता है। रचना और अर्थ दोनों दृष्टियों से दोनो में पर्याप्त अंतर है। संयुक्त काल में एक प्रधान और एक सहायक क्रिया का योग होना है। इसके योग से केवल काल का बोध होता है तथा मुख्य क्रिया जो अर्थ व्यक्त करती है, वही अर्थ प्रधान होता है। इसके विपरीत संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक प्रधान क्रियाओं का योग होता है तथा दोनों के योग से एक नये अर्थ की व्यंजना होती है—जैसे 'वह कहीं आता-जाता नहीं है'। 'आना-जाना' दो प्रधान क्रियाओं के संयोग से एक नया अर्थ व्यक्त होता है।

सर्वनाम

मानक हिन्दी में संज्ञा की भाँति सर्वनाम के भी दो कारक (रूप) मिलते हैं—मूल तथा विकृत रूप। इन दो रूपों को सर्वनाम के अधोलिखित भेद के अन्तर्गत देखा जा सकता है—

(i) पुरुषवाचक (मूल रूप) = मैं, हम, तुम, आप,
   (विकृत रूप) = मुझ, उन्हें, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तेरा

(ii) निश्चयवाचक (मूल रूप) = यह, ये, वह, वे
   (विकृत रूप) = इस, इन्हें, इन, उस, उन, उन्हें

(iii) अनिश्चय वाचक (मूल रूप) = कोई, कुछ
   (विकृत रूप) = किसी, किन्हीं

(iv) प्रश्नवाचक (मूल रूप) = कौन, क्या
   (विकृत रूप) = किस, किसे, किन्हें

(v) सम्बंधवाचक (मूल रूप) = जो
   (विकृत रूप) = जिस, जिसे, जिन्हें

(vi) निजवाचक (मूल रूप) = आप, अपना

मानक हिन्दी में दो-दो संयुक्त सर्वनामों के प्रयोग की वर्तमान प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे, कौन-कौन, कुछ-कुछ, अपने-आप, कोई न कोई आदि। आदर प्रदर्शित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग मानक हिन्दी के सर्वनामों में अधिक देखा जा सकता है यथा, तुम लोग, आप लोग, आप लोगों आदि।

विशेषण

मानक हिन्दी में विशेषण के निम्नलिखित वर्ग किये जा सकते हैं :—

(क) सार्वनामिक विशेषण—ये दो प्रकार के हैं—मूल और व्युत्पन्न। जब निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक सर्वनामों के मूल रूपों के बाद संज्ञापद आता है तब ये पद सार्वनामिक विशेषण बनते है। जैसे यह आदमी, जो घड़ी, में यह, जो मूल सार्वनामिक विशेषण है। प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाले सा. विशेषण व्युत्पन्न मूलक कहलाते हैं। जैसे, ऐसा, वैसा, कैसा (गुणवाचक), इतना, उतना कितना (परिमाणवाचक)

(ख) गुणबोधक विशेषण—सभी प्रकार के गुणों का बोध कराने वाले विशेषण गुणबोधक हैं। जैसे, अच्छा बुरा, काला, पीला आदि। निष्कर्षतः गुणबोधक विशेषण से संज्ञा के रूप-रंग, आकार-प्रकार, गुण-दोष का बोध होता है।

(ग) संख्यावाचक विशेषण—सभी प्रकार की संख्याओं का बोध कराते हैं। जैसे एक, दो, लाख, करोड़ (पूर्ण संख्यावाचक) आधा, चौथाई, तिहाई (अपूर्ण संख्यावाचक) पहला, दूसरा (क्रम वाचक) दूना, तिगुना (आवृत्ति वाचक) दोनों, तीनों, नवों (समुदाय वाचक) आदि।

(घ) परिमाणवाचक विशेषण—माप-तौल का बोध कराते हैं। जैसे, कुछ, कितना, जितना, बहुत, कम आदि।

मानक हिन्दी में विशेषण सम्बंधी मुख्य विशेषताएं—

(i) आकारांत विशेषणों में लिंग-वचन सम्बंधी परिवर्तन होता है। जैसे अच्छा बालक-अच्छी बालिका।

(ii) आकारांत विशेषणों के अतिरिक्त अन्य ध्वनियों में अंत होने वाले विशेष्य पद में लिंग-वचन सम्बंधी परिवर्तन नहीं होता। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़ी तेज दौड़ी।

(iii) गुणवान, शीलवान, श्रीमान जैसे विशेषणों में केवल लिंग परिवर्तन होता है—गुणवान-गुणवती, श्रीमान-श्रीमती। वचन नहीं बदलता। संस्कृत में इस प्रकार के विशेषण हलन्त् युक्त है किन्तु मानक हिन्दी में इनका प्रयोग अधिकांशतः हलन्त् रहित होता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(iv) मानक हिन्दी में कुछ विदेशी भाषाओं के प्रचलित विशेषण (ज्यादा, शर्मिन्दा जुदा) अकारान्त होते हुए भी लिंग-वचन के अनुसार नहीं बदलते। जैसे लड़का शर्मिन्दा हुआ—लड़की शर्मिन्दा हुई।

(v) स्त्रीलिंग विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग अशुद्ध है। जैसे 'शकुन्तला रोगिणी स्त्री है' के बजाय 'शकुन्तला रोगिणी है' शुद्ध माना जाता है।

कारक रचना

संज्ञा के जिस रूप से उसका सम्बंध वाक्य में आये अन्य पदों से व्यक्त होता है, उसे कारक कहते हैं। मानक हिन्दी में कारकों की संख्या आठ बतायी गयी है—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, सम्बंध, सम्बोधन। संस्कृत में सम्बंध और सम्बोधन की गणना कारक में नहीं की जाती। अतः वहाँ छः कारक है।

संज्ञा (सर्वनाम) के विकृत रुप में भिन्न-भिन्न परसर्ग जोड़कर अनेक अर्थों की व्यंजना की जाती है। मानक हिन्दी में निम्नलिखित कारक परसर्ग है—

'ने'—मानक हिन्दी की प्रमुख विशेषता है। कतिपय विद्वानों के अनुसार 'ने' केवल साहित्यिक मानक हिन्दी की विशेषता है किन्तु मानक हिन्दी की मूलाधार जनपदीय खड़ी बोली में भी 'ने' का प्रयोग होता है। वस्तुतः 'ने' मानक हिन्दी की व्याकरणिक प्रवृत्ति का अभिन्न अंग है। मानक हिन्दी के साथ ही 'ने' का प्रयोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की सभी पश्चिमी भाषाओं में होता है किन्तु बंगला, उड़िया, असमी में 'ने' का प्रयोग नहीं होता।

'को'—यह कर्मसम्प्रदान का द्योतक है।

'के लिए'—यह एक संयुक्त परसर्ग हैं। सम्प्रदाय का बोध कराने के लिए मानक हिन्दी में 'के लिए' का प्रयोग नया ही है। प्राचीन हिन्दी में इसके स्थान पर 'वास्ते' का प्रयोग होता था।

'से'—करण तथा अपादान के अर्थबोध के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग मानक हिन्दी की जनपदीय खड़ी बोली, हरियाणवी, अवधी में भी होता है।

'का'—यह सम्बंध कारक है। बहुवचन में इसका रूप 'के' तथा स्त्रीलिंग में 'की' हो जाता है। यह परसर्ग मानक हिन्दी की निजी विशेषता है क्योंकि मानक हिन्दी की किसी भी भाषा में एकवचन में सम्बंध कारकीय परसर्ग के रूप में 'का' का प्रयोग नहीं मिलता।

'में'—यह परसर्ग निर्धारित वस्तु या रूप को व्यक्त करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है। समयावधि (दो वर्ष में), मूल्य बोध (पांच रु. में) तुलना में (सबमें अच्छा) भी इसका प्रयोग होता है।

'पर'—समय-स्थान का बोध कराने के लिए इस परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे-छत पर कौए बैठे हैं। मानक हिन्दी की जनपदीय खड़ी बोली तथा हरियानवी में भी इसी तरह प्रयोग होता है।

मानक हिन्दी के परसर्ग कई भाषाओं और उप-भाषाओं में मिलते हैं। मानक हिन्दी के वर्तमान प्रयोगों में दो-दो कारक परसर्ग जोड़कर प्रयुक्त करने की नई शैली देखी जा सकती है। यथा, मेज पर से, घर में से।

पदक्रम

मानक हिन्दी की वाक्य रचना में सामान्यतः कर्त्ता, कर्म और क्रिया का पदक्रम रहता है। इसके विपरीत संयोगात्मक या संश्लेषात्मक अवस्था की भाषा होने के कारण प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में निश्चित पदक्रम नहीं मिलता। वहाँ पदों के प्रयोग क्रम में पर्याप्त स्वेच्छा है। इस दृष्टि से पाली और प्राकृत की स्थिति बीच की है। ये भाषाएं संयोगात्मक हैं। अतएव पदक्रम में अनुशासन न होते हुए भी उसकी एक निश्चित दिशा प्रतीत होती है। अपभ्रंश संयोगात्मक कम वियोगात्मक अधिक है। अतः अपभ्रंश से ही निश्चित पदक्रम की प्रक्रिया आरम्भ होती है जो मानक हिन्दी में आकर व्यवस्थित हो जाती है। मानक हिन्दी में निश्चित पदक्रम के कारण ही इसे कुछ विद्वानों ने स्थान प्रधान (Positional) भाषा कहा है।

प्रत्यय

'प्रत्यय वे आबद्ध पद हैं जो किसी मुक्तपद के साथ सम्बद्ध होकर एक विशेष व्याकरणिक अर्थ प्रकट करते हैं।' प्रत्यय दो प्रकार के हैं—रचनात्मक या व्युत्पत्ति-मूलक और व्याकरणिक याविभक्तिमूलक। रचनात्मक प्रत्यय वे हैं जो किसी प्रतिपादिक (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया) का निर्णय करते हैं। विभक्तिमूलक प्रत्यय वे हैं जो किसी प्रतिपादिक (मूल-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

या व्युत्पन्न) के अंत में लगाकर वाक्य में आये अन्य पदों से उसका व्याकरणिक सम्बंध प्रकट करते हैं।

शब्द में जुड़ने की दृष्टि से भी प्रत्यय के तीन भेद हैं—(1) मूल शब्द के पूर्व में लगने वाले आदि प्रत्यय (2) पदों के बीच में लगने वाले मध्य प्रत्यय (3) पदों के अंत में लगने वाले अन्त्य प्रत्यय। प्रथम व तृतीय प्रत्ययों को मानक हिन्दी में क्रमशः उपसर्ग और परसर्ग के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रत्यय मानक हिन्दी में प्रचलित नहीं है।

मानक हिन्दी की रचनात्मकता उपसर्ग व परसर्ग लगाकर अनेक नये शब्दों के निर्माण में है। मानक हिन्दी में संस्कृत तथा विदेशी भाषाओं के साथ ही तद्भव उपसर्ग प्रचुरता से मिलते हैं। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं—

संस्कृत उपसर्ग—अ = अभाव, आ = आजन्म, परा = पराजय, स्व = स्वदेश, सु = सुकर्म, प्रति = प्रतिकूल

विदेशी उपसर्ग—बद = बदनाम, बे = बेकाम, हम = हमदर्दी।

तद्भव उपसर्ग—अध = अधखिला, भर = भरपेट

अव्यय

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए उन्हें अव्यय कहा जाता है। 'जो सब लिंगों में एक सा रहे और सभी विभक्तियों तथा वचनों में जो रूपान्तरित न हो, वह अव्यय है'।—पं. किशोरीदास वाजपेयी। कतिपय वैयाकरणों ने क्रिया विशेषण और अव्यय को एक ही माना है। क्रिया विशेषण का भी रूप नहीं बदलता। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय ही है परन्तु इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि प्रत्येक अव्यय क्रिया विशेषण है। पं. किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे वे ही क्रिया विशेषण कहलायेंगे, सभी नहीं। वस्तुतः पं. वाजपेयी जी की मान्यता युक्तिसंगत तो है ही, मानक हिन्दी के अनुकूल भी है।

अव्यय के मुख्य भेदों को सोदाहरण देखा जा सकता है—

(i) परिमाण वाचक—बहुत, अधिक, कम, खूब

(ii) प्रश्नवाचक—क्यों, क्या, कैसे

(iii) विस्मयादि बोधक—अहा! वाह! (हर्ष), आह (शोक), ऐं! (आश्चर्य) हां! (अनुमोदन), छिह! (तिरस्कार), अरे! ऐ! (सम्बोधन)

(iv) समुच्चयबोधक—ये अव्यय शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। इसके दो उपभेद हैं—

(अ) समानाधिकरण समुच्चयबोधक—इसके द्वारा मुख्य वाक्य या एक ही प्रकार के शब्द जोड़े जाते हैं। ये अव्यय इस प्रकार हैं— और, तथा (संयोजक), या, वा, अथवा (विभाजक), परन्तु, किन्तु, लेकिन (विरोध दर्शक), सो, इसलिए, अतः (परिणाम दर्शक)

(ब) व्याधिकरण समुच्चय बोधक—इन अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। यथा, क्योंकि, इसलिए कि (कारणवाचक), ताकि जिससे कि (उद्देश्यवाचक), तथापि, यद्यपि (संकेतवाचक), जो, अर्थात, मानों (स्वरूप वाचक)

सम्बंध बोधक—इस प्रकार के अव्यय मानक हिन्दी में विभक्ति के बाद आते हैं और विभक्ति के पूर्व आने वाली संज्ञा या सर्वनाम का सम्बंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं। इनके उपभेद इस प्रकार हैं—आगे, पीछे, पहले, बाद में (काल वाचक), नीचे, ऊपर (स्थान वाचक), ओर, तरफ, आसपास (दिशा वाचक), द्वारा, सहारे (साधन वाचक), लिए, कारण (हेतुवाचक), सिवा, अलावा, अतिरिक्त (व्यतिरेक वाचक), समान, भांति, अनुसार (सादृश्य वाचक), विपरीत, उल्टा (विपरीत वाचक), समेत, सहित, साथ (सहचर वाचक), तुलना, सामने (तुलनावाचक)।

निपात—ये अव्यय किसी शब्द या पूरे वाक्य को एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे, हां, जी, जीहां (स्वीकार बोधक), न, नहीं, मत (निषेधबोधक), सा (तुलना बोधक), सो, ही, भी, केवल (सीमाबोधक)।

संधि और समास

मानक हिन्दी में तत्सम शब्दों में संधि और समास की प्रक्रिया संस्कृत के अनुसार यथावत है। किन्तु एक जीवंत भाषा की तरह मितव्ययिता और प्रयत्न लाघव के हित में मानक हिन्दी ने अपनी रूप-स्वानिमिक व्यवस्था अपनायी है। उदाहरणार्थ, अब + ही = अभी, आठ + आने = अठन्नी, घोड़ों की दौड़ = घुड़दौड़।

इस प्रकार मानक हिन्दी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मानक हिन्दी में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता का नियम सर्वत्र विद्यमान रहता है। मितव्ययिता और प्रयत्न लाघव के कारण मानक हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रीड़ा जगत

● बारहवें राष्ट्रमंडलीय खेल :

30 सितम्बर से 9 अक्टूबर 1982 तक ब्रिसबैन (आस्ट्रेलिया) में बारहवीं राष्ट्रमंडील खेल प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। इस गौरवमयी खेल प्रतियोगिता में 45 देशों के 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ड्यूक ऑव एडिनबर्ग 'प्रिंस फिलिप' ने इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा समापन समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य रूप से क्वीन एलिजाबेथ II स्टेडियम में हुआ। 'मटिल्डा' नाम से सम्बोधित कंगारू इस प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह था। इन खेलों में मेजबान देश आस्ट्रेलिया 39 स्वर्ण, 39 रजत तथा 29 कांस्य पदक जीत कर प्रथम स्थान पर रहा। 38 स्वर्ण, 38 रजत तथा 32 कांस्य पदक जीत कर इंग्लैण्ड

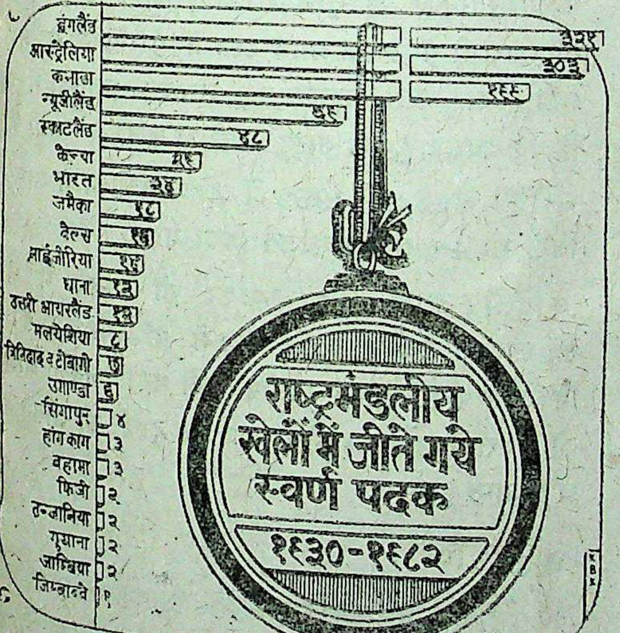

द्वितीय स्थान पर और 26 स्वर्ण, 23 रजत तथा 33 कांस्य पदक जीत कर कनाडा तृतीय स्थान का अधिकारी रहा। स्मरण रहे कि 11वें राष्ट्रमंडलीय खेल एडमंटन (कनाडा) में 1978 में आयोजित हुये थे। इन खेलों में तब कनाडा प्रथम स्थान पर रहा था जब कि इंग्लैण्ड तथा आस्ट्रेलिया क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर थे।

भारत की उपलब्धि—इस प्रतियोगिता में बी. एस. ओझा के नेतृत्व में 69 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। इस टीम ने 5 स्वर्ण, 8 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीत कर प्रतियोगिता में छठां स्थान अर्जित किया। उल्लेखनीय है कि पिछले राष्ट्रमंडलीय खेलों (एडमंटन) में भी भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत तथा 6 कांस्य पदक जीत कर छठाँ स्थान प्राप्त किया था। 12वें खेलों में कुश्ती तथा बैडमिंटन दल का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। भारतीय कुश्ती दल को 4 स्वर्ण, 4 रजत तथा 1 कांस्य पदक पाने का गौरव प्राप्त हुआ जबकि भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियन सैयद मोदी ने निकी पेट्स (इंग्लैण्ड) को 7—15, 15—6 तथा 15—5 से पराजित कर राष्ट्रमंडलीय खेलों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल खिताब जीत कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

भारत को कुल मिला कर 16 पदक प्राप्त हुए। उनका विवरण निम्न प्रकार से हैं —

स्वर्ण पदक

1. रामचन्द्र सारंग	कुश्ती	लाइट फ्लाइवेट
2. महावीर सिंह	कुश्ती	फ्लाइवेट
3. जगमिन्दर सिंह	कुश्ती	68 किलो वर्ग
4. राजिन्दर सिंह	कुश्ती	74 किलो वर्ग
5. सैयद मोदी	बैडमिंटन	पुरुष एकल

रजत पदक

1. अशोक कुमार	कुश्ती	57 किलो वर्ग
2. करतार सिंह	कुश्ती	लाइट हैवीवेट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

3. सतपाल कुश्ती 100 किलोग्राम वर्ग
4. राजेन्द्र सिंह कुश्ती 100 किग्रा. के ऊपर
5. एम. टी. सेल्वान भारोत्तोलन 64 किलोग्राम वर्ग
6. जी. कोम्बिया भारोत्तोलन 52 किलोग्राम वर्ग
7. कुमार सत्पथी भारोत्तोलन 56 किलोग्राम वर्ग
8. मोहिन्दर लाल तथा
अशोक कुमार पंडित निशानेबाजी सेंटर फायर टीम स्पर्धा

कांस्य

1. जय प्रकाश कुश्ती मिडलवेट वर्ग
2. चेनेन्दा मछैया मुक्केबाजी 67 किलो वर्ग
3. शरद चौहान तथा
आर. के. विड द्वारा निशानेबाजी रेपिड पिस्टल फायर

बारहवें राष्ट्रमंडलीय खेलों में एक ही विश्व रिकार्ड स्थापित हुआ जिसका श्रेय कनाडा के तैराक अलेक्स बोमेन को जाता है जिन्होंने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में 2 मिनट 2·65 सैकेण्ड का समय दर्ज किया। इसके पूर्व यह रिकार्ड 2 मिनट 2·78 सैकेण्ड का अलेक्स बोमेन का ही था। इसी खेलकूद प्रतियोगिता में न्यूजीलैण्ड की अपंग निशानेबाज खिलाड़िन नेरोली फेयरहाव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

अंतिम पदक तालिका

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1. आस्ट्रेलिया	39	39	29	107
2 इंग्लैण्ड	38	38	32	108
3. कनाडा	26	23	33	82
4. स्काटलैण्ड	8	6	12	26
5. न्यूजीलैण्ड	5	8	13	26
6. भारत	5	8	3	16
7. नाइजीरिया	5	—	8	13
8 वेल्स	4	4	1	9
9. बहामास	2	2	2	6
10. जमैका	1	2	2	5
11. मलेशिया	1	—	1	2
12. फिजी	1	—	—	1
13. हांग-कांग	1	—	—	1
14. जिम्बाब्वे	1	—	—	
15. उत्तरी आयरलैण्ड	—	3	3	
16 यूगाण्डा	—	3	—	
17. जाम्बिया	—	1	5	
18. गुयरनसी	—	1	1	
19 बारमूदा	—	—	1	
20. सिंगापुर	—	—	1	
11. स्वाजीलैण्ड	—	—	1	

ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 13वें राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन 1986 में एडिनबरा (स्काटलैण्ड) में होगा।

■ क्रिकेट :

● पाकिस्तान-आस्ट्रेलिया टेस्ट शृंखला—अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में लाहौर में सम्पन्न तीसरे तथा अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया को 9 विकेट से पराजित कर 3 टेस्टों की यह शृंखला 3—0 से जीत ली। इसके पूर्व फैसलाबाद में खेले गये द्वितीय टेस्ट मैच मे पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया को 1 पारी व 3 रन से तथा कराची में सम्पन्न प्रथम टेस्ट में 9 विकेट से पराजित किया था। स्मरण रहे कि इस शताब्दी में यह द्वितीय अवसर है जब आस्ट्रेलिया शृंखला के सभी मैच हारा है। इसके पूर्व 1969 में दक्षिण अफ्रीका ने आस्ट्रेलिया को 4—0 से पराजित किया था।

● दिलीप ट्राफी —17 अक्टूबर को बम्बई में खेले गये फाइनल मैच में उत्तरी क्षेत्र ने पश्चिमी क्षेत्र को 6 विकेट से पराजित कर दिलीप ट्राफी पर विजयश्री अर्जित की। उत्तरी क्षेत्र को चौथी बार इस ट्राफी को जीतने का श्रेय प्राप्त हुआ।

■ फुटबाल :

● आई. एफ. ए. शील्ड—30 सितम्बर 1982 को कलकत्ता में सम्पन्न इस प्रतियोगिता के फाइनल में मोहन बागान ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 2—1 से पराजित कर लगातार छठें वर्ष इस शील्ड को जीतने का श्रेय प्राप्त किया। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रस्तुति ■ पृथ्वीनाथ पाण्डेय

एशियाड 82—एक संक्षिप्त अवलोकन

आज से लगभग 19 दिनों पश्चात 19 नवम्बर को नई दिल्ली में नवें एशियाड खेलों [एशियाड-82] की मशाल प्रज्जवलित होते ही एशियाई बन्धुत्व तथा सौहार्दता के प्रतीक एशियाई खेल पुनः उस धरती पर आ जायेंगे जहाँ वे 31 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुये थे। ज्ञातव्य है कि प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में सम्पन्न हुये थे। इन खेलों का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने किया था।

पूर्व इतिहास :

एशियावासियों में खेलों के माध्यम से पारस्परिक प्रेम एवं विश्वास का विकसित करने की दृष्टि से इस प्रकार के खेलों के आयोजन की संकल्पना के मुख्य प्रणेता स्व. प्रो. गुरुदत्त सोधी थे जो कि भारत में ओलम्पिक आन्दोलन के पोषक भी थे। इसके पूर्व इस दिशा में कुछ प्रयास किये गये थे—1913 में मनीला में फिलीपाइन्स, जापान तथा चीन के मध्य प्रथम 'ओरियण्टल ओलिम्पिक गेम्स' सम्पन्न हुये थे, इसी प्रकार के खेलों का दूसरा आयोजन 'फार इस्टर्न गेम्स' के नाम से 1915 में शंघाई में हुआ। इन्हीं खेलो का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां तथा नौवा आयोजन क्रमशः 1917 (टोक्यो), 1919 (मनीला), 1923 (ओसाका), 1925 (मनीला), 1927 (शंघाई) तथा 1930 (टोक्यो) में हुआ। पर 1934 में 'फार इस्टर्न गेम्स' के इन आयोजनों में मनचुकओं के प्रवेश को लेकर इनका विकास क्रम अवरुद्ध हो गया। इसी समय प्रो. सोधी ने अपने सक्रिय प्रयास तथा महाराजा पटियाला की सहायता से 1934 में दिल्ली में चार पश्चिमी एशियाई देशों—भारत, अफगानिस्तान, श्री लंका तथा फिलीपाइन्स-की एक अन्तः-राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 'वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स' का आयोजन कर एशियाई खेलों के आयोजन की दिशा में एक नयी संभावना का बीजारोपण किया। श्री सोधी की सलाह पर 1947 में 'एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस' में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने एशियाई खेल प्रतियोगिता के आयोजन का एक प्रस्ताव रखा, जिसके प्रति सदस्य देशों की उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया रही। इसी विकास क्रम में प्रो. सोधी ने लंदन ओलम्पिक के समय (1948 में) 'एशियाई खेल संस्थान' का गठन किया। एशियाई खेल संस्थान की प्रथम बैठक में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन स्थल के रूप में नयी दिल्ली को चुना गया। पहले यह प्रतियोगिता फरवरी 1950 में सम्पन्न होनी थी पर निर्माण कार्य सम्पन्न न होने तथा आर्थिक व्यवधानों के कारण अन्ततः ये खेल मार्च 1951 में आयोजित किये जा सके। तब से प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये खेल नियमित रूप से सम्पन्न होते आ रहे हैं। जिनका संक्षिप्त ज्ञान प्रस्तुत तालिका की सहायता से प्राप्त हो सकता है—

एशियाई खेल : एक दृष्टि में

आयोजन वर्ष	स्थान	सदस्य देश	खेलों की संख्या	खिलाड़ियों की संख्या
1951	नई दिल्ली (भारत)	11	6	489
1954	मनीला (फिलीपाइन्स)	18	8	1021
1958	टोक्यो (जापान)	20	13	1422
1962	जकार्ता (इण्डोनेशिया)	17	12	1545
1966	बैंकाक (थाइलैण्ड)	18	14	1945
1970	बैंकाक (थाइलैण्ड)	18	13	1752
1974	तेहरान (ईरान)	25	16	2500
1978	बैंकाक (थाईलैण्ड)	25*	19	3000

*आठवें एशियाई खेलों का आयोजन पहले पाकिस्तान में था परन्तु वहाँ की राजनैतिक अस्थिरता के कारण स्थान परिवर्तित कर दिया गया।

11

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नवें एशियाई खेलों का आयोजन :

नवें एशियाई खेल 19 नवम्बर 82 से 4 दिसम्बर 82 तक नयी दिल्ली में सम्पन्न होंगे। 1976 में मान्ट्रियल ओलम्पिक के समय 'एशियाई खेल महासंघ' ने सर्वसम्मति से 1982 के एशियाई खेलों का उत्तरदायित्व भारत को सौंपा। पर हमारे यहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने के कारण लगभग 2½ वर्षों तक इन खेलों के आयोजन के क्रियान्वयन से संबंधित कोई भी तैयारी नहीं हो सकी। चौधरी चरण सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 90 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट वाले इस प्रकार के आयोजन के विरुद्ध अपना मुखर विरोध प्रकट किया और उन्होंने इन खेलों के आयोजन के स्थान पर राजस्थान नहर पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा। कुल मिला कर उस समय राष्ट्रीय मंच पर जहाँ जनता का एक वर्ग भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के भव्य आयोजन को धन का अपव्यय बता कर उसका विरोध कर रहा था तो वहीं खेल प्रेमियों का एक बड़ा वर्ग हमारे राष्ट्रीय जीवन में खेल की महत्ता के प्रति राष्ट्रीय मान्यता के रूप में इस आयोजन की पुरजोर वकालत कर रहा था। अन्ततः 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने सत्तारूढ़ होने के पश्चात् निश्चित कार्यक्रम के अनुरूप भारत में एशियाई खेलों के आयोजन की घोषणा कर इस सन्दर्भ में चले आ रहे विवाद को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। 6 सितम्बर 1980 को भारतीय ओलम्पिक समिति ने इन खेलों के आयोजन के दायित्व को सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु एक विशेष संचालन समिति का गठन किया जो कि इन खेलों के संबंध में नीति निर्धारण की दृष्टि से सर्वोच्च निकाय है। गठन के समय इस विशेष संचालन समिति के अध्यक्ष श्री विद्या चरण शुक्ल थे पर बाद में उनके स्थान पर सरदार बूटा सिंह को नियुक्त किया गया।

भाग लेने वाले सदस्य देश—प्रतियोगिता में 3 देशों के लगभग 5,000 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। ये देश अधोलिखित सारणी से प्रदर्शित हैं।

एशियाड १९८२ में भाग लेने वाले देश

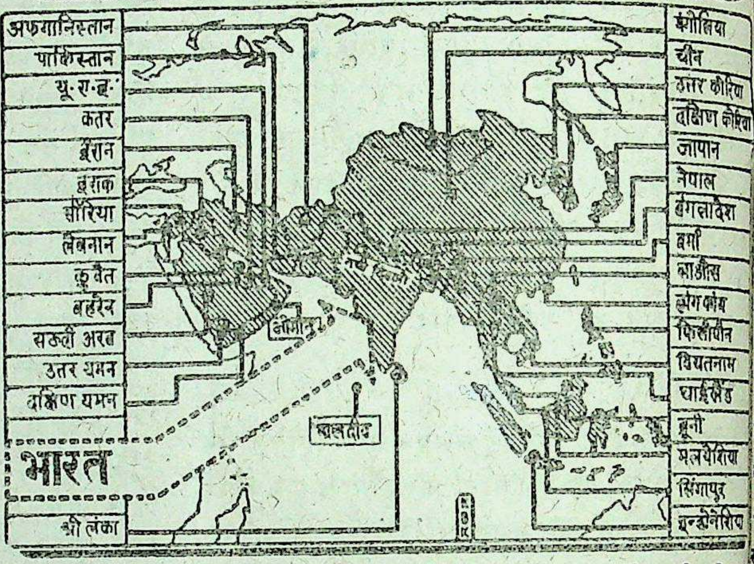

इनमें से 30 देशों ने अब तक अपनी स्वीकृति प्र... कर दी है।

प्रतीक चिन्ह — माथे पर बिन्दी लगे हाथी के ... 'अप्पू' को 9 वें एशियाई खेलों का 'शुभ चिन्ह' ... गया है। भारत में हाथी को शुभ कार्यों का प्रतीक ... जाता है। जहाँ नाचता हुआ 'अप्पू' एशियाई खेल... भावना का सूचक है वहीं इन एशियाई खेलों का ... चिन्ह "जन्तर-मन्तर" ज्ञान और दक्षता की तला... द्योतक है। इसी सन्दर्भ में स्मरण रहे कि एशियाई ... का चिन्ह 'सूर्य' है।

खेलों की संख्या —9वें एशियाई खेलों में खेलों की संख्या 21 है जबकि 8वें एशियाई खेलों में कुल 17 खेल थे। पिछले एशियाई खेलों की तुलना में इस बार जो 4 नये खेल प्रतियोगिता रूप में सम्मिलित किये गये है वो गोल्फ, नौकायन, घुड़सवारी तथा हैंडबाल है। कुल खेल इस प्रकार है—एथेलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल, हॉकी, तीरंदाजी, गोल्फ, निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी, वालीबाल, नौकायन, पाल नौकायन, हैंडबाल, साइकिल दौड़, जिमनास्टिक, घुड़सवारी, टेबिल टेनिस, बास्केटबाल, टेनिस तथा भारोत्तोलन।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रदर्शन खेल--उपरोक्त खेलों के अतिरिक्त 'कबड्डी' और सेपक टकरा' को 9वें एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में खेला जायगा। 'सेपक टकरा' क्या है? सेपक टकरा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है जिसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, कोरिया तथा चीन में भी खेला जाता है। यह खेल वालीबाल की तरह खेला जाता है पर इस खेल तथा वालीबाल में यह अन्तर है कि यह हाथ से न खेला जाकर पाँव से खेला जाता है। इसका कोर्ट 44 फुट लम्बा तथा 20 फुट चौड़ा होता है। कोर्ट की मध्य रेखा पर 6 मीटर ऊँचा नेट होता है। इसमें प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में हाथ या बांह का प्रयोग वर्जित है। इसमें खिलाड़ी पैर तथा सिर से गेंद को किक करते हैं। यह गेंद हल्की तथा अंदर से खोखली होती है।

पदक—एशियाई खेलों की तकनीकी समिति के निर्णयानुसार नवें एशियाई खेलों में कुल प्रतियोगी पदकों की संख्या 583 है। व्यक्तिगत पदकों में 463 स्वर्ण, 463 रजत तथा 503 कांस्य पदक प्रदान किये जायेंगे। सर्वाधिक पदक (120) एथेलेटिक्स स्पर्धाओं में सम्मिलित है इसके बाद तैराकी (99 पदक) का स्थान आता है। नवीं बार के एशियाई खेल पदकों में एशियाई खेलों के चिन्ह 'सूर्य' तथा 'सदा आगे' के साथ नीचे 34 छल्लें अंकित हैं जो कि एशियाई खेल महासंघ के 34 सदस्य देशों को इंगित करते हैं।

आयोजन स्थल—नवें एशियाई खेलों में खेले जाने वाले 21 खेलों में 19 खेल दिल्ली में खेले जायेंगे जबकि नौकायन तथा पाल नौकायन क्रमशः जयपुर स्थित रामगढ़ झील तथा बम्बई में अरब सागर में सम्पन्न होंगे। दिल्ली में सम्पन्न होने वाले खेलों को आयोजन 17 स्टेडियमों में होगा जिनमें 5 स्टेडियम नवनिर्मित जो इस प्रकार हैं—जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, तालकटोरा तरुण ताल, यमुना वेलड्रोम तथा तुगलकाबाद शूटिंग रेंज। शेष 12 स्टेडियम पूर्व निर्मित है जिन्हें इस आयोजन की तैयारी के दौरान नया रूप प्रदान किया गया है। दिल्ली में सम्पन्न होने वाले खेलों के आयोजन स्थल की जानकारी के संबंध में प्रस्तुत तालिका सहायक होगी—

स्थान	प्रतियोगितायें
1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	— उद्घाटन तथा समापन समारोह तथा एथलेटिक्स और फुटबाल समापन
2. इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम	— बैडमिंटन, जिम्नास्टिक तथा वालीबाल
3. नेशनल स्टेडियम	— पुरुष हाकी
4. शिवाजी स्टेडियम	— महिला हाकी
5 तालकटोरा इंडोर स्टेडियम	— बास्केटबाल
6. दिल्ली गोल्फ क्लब	— गोल्फ
7 तुगलकाबाद शूटिंग रेंज	— निशानेबाजी
8. तालकटोरा स्वीमिंग पुल	— तैराकी
9. यमुना वेलड्रोम	— साइकिल दौड़
10. अंबेदकर स्टेडियम	— फुटबाल, कुश्ती
11. निकोलसन रेंज	— घुड़सवारी
12. हरबक्श सिंह स्टेडियम	— घुड़सवारी
13. माडल टाउन स्टेडियम	— फुटबाल
14. हाल ऑव स्पोर्टर्स	— टेबल टेनिस तथा मुक्केबाजी
15. दिल्ली विश्वविद्यालय मैदान	— तीरंदाजी तथा हैंडबाल
16. खेल गाँव स्थित एशियाड केन्द्र	— भारोत्तोलन
17. दिल्ली लान टेनिस काम्पलैक्स	— लान टेनिस

लोदी रोड पर 16 करोड़ रु० अनुमानित व्यय वाला मुख्य जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम अब पूरा हो चुका है। यहाँ उद्घाटन तथा समापन समारोह के अलावा एथेलेटिक्स तथा फुटबाल की प्रतियोगितायें होंगी। इसमें 75 हजार दर्शक बैठ सकते है। कृत्रिम ट्रेक ओलम्प्री बिछाया जा चुका है। प्रतियोगिता के परिणामों की हिन्दी तथा अंग्रेजी में जानकारी देने हेतु 9 मीटर चौड़ा तथा 20 मीटर ऊंचा स्कोर बोर्ड लगाया जा चुका है। इसके सभी समयांकन उपकरण इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से कार्य करेंगे। स्कोर बोर्ड पर उद्घाटन और समापन समारोहों की धुनों के नाम, विजय मंच पर आरुढ़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खिलाड़ियों के नाम आदि भी अंकित होंगे। यह गणना पट्ट हंगरी की एक कम्पनी 'इलेक्ट्रोइंपेक्स' के द्वारा प्राप्त हुआ है।

एशियाड के प्रमुख आकर्षण इन्द्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम का निर्माण अब पूरा हो चुका है। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का एक महानतम स्टेडियम है। 13.35 करोड़ रुपये की लागत के बने इस स्टेडियम में 25.000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है। इसमें बैडमिंटन जिमनास्टिक और वालीबाल की प्रतियोगिताएं सम्पन्न होंगी। इसका आकार कटोरे जैसा और बाहरी फ्रेम चमचमाते अल्युमीनियम का है। इसकी अनेक विशेषताओं में से एक यह है कि इसे सिमटवां पार्टीशन से ध्वनि-रोधी दो भागों में बाँटा गया है।

यमुना वेलोड्रोम देश में पहला ऐसा साइकिल वेलोड्रोम है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें प्रतियोगिता के दौरान हर प्रतियोगी को लगभग एक जैसे वायुरोध का सामना करना पड़ेगा।

नेशनल स्टेडियम में पुरुषों की हाकी प्रतियोगिता सम्पन्न होगी। यह वही स्टेडियम है जहां 1951 में प्रथम एशियाई खेल सम्पन्न हुये थे। इसके पुनर्निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च हुये है। इसमें अब एस्ट्रो टर्फ बिछा दी गयी है।

इन पंक्तियों को लिखने तक 50 मीटर लंबे तथा 26 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर गहरे ताल कटोरा तरुण ताल का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ गोताखोरों के लिये लिफ्ट लगायी जा रही है क्योंकि 25 मीटर लम्बे, 25 मीटर चौड़े तथा 5 मीटर गहरे गोताखोरी तालों का सबसे ऊपर का ड्राईविंग बोर्ड 10 मीटर की ऊंचाई पर है।

तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में निशानेबाजी की विभिन्न प्रतियोगिताओं की सभी रेंजे एक ही स्थान पर बनाई गई है जो कि अन्तराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अपनी-तरह का प्रथम प्रयोग है।

खेल गांव :

एशियाई खेल ग्राम जहाँ एशियाड—82 में भाग लेने वाले लगभग 5000 प्रतियोगियों तथा अधिकारियों के निवास की व्यवस्था की गयी है लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। दिल्ली के फोर्ट क्षेत्र में 54 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 19 करोड़ रुपयों की लागत से बने इस खेल गाँव में आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न 11 श्रेणियों के कुल 853 मकान है। यहां के विशाल रसोई घर में एक साथ 2 हजार व्यक्तियों को भारतीय, चीनी अथवा यूरोपीय भोजन उपलब्ध हो सकेगा। खेल गांव में देश की सबसे ऊंचा टावर रेस्टोरेंट तथा व्युइंग गैलरी होगी जिससे दिल्ली के मुख्य भवनों को सरलता से देखा जा सकेगा। यहां स्थित दस बिस्तरों वाले एशियाड अस्पताल में 24 घन्टें चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

सामुदायिक केन्द्र में दिन में भारोत्तोलन प्रतियोगिता और सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एशियाई खेलों के इतिहास में प्रथम बार ऐसा होगा कि भाग लेने वाले देश अपनी सांस्कृतिक मंडलियां लायेंगे और इण्डियन कल्चरल रिलेशंस काउंसिल द्वारा आयोजित सांस्कृतिक समारोह में भाग लेंगे। सामुदायिक केन्द्र में एक साथ 2500 व्यक्ति बैठ सकेंगे। आमंत्रित सदस्यों के मनोरंजन हेतु संगीत कक्ष तथा डिस्को हाल भी बनाये गये हैं। इस खेल गांव के अन्तर्गत सराहनीय परिवहन व्यवस्था भी की गयी है। खेल सम्पन्न होने के बाद यहाँ बने आवासीय कक्षों को स्थानीय लोगों को बेच दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त दिल्ली में इन खेलों के दौरान आवागमन की सुविधा को सुचारू रुप प्रदान करने के उद्देश्य से 35 करोड़ रुपये अनुमनित व्यय के फ्लाई ओवर बनाये गये है।

एशियाई खेल दूर दर्शन पर :

नवम् एशियाई खेलों को देश-भर में दूर-दर्शन पर प्रदर्शित करने के लिये आगामी पहली नवम्बर से एक वर्ष के लिये 'इनटेलसेट—5 की सहायता ली जायेगी। इनटेलसेट-5 के माध्यम से दूर-दर्शन पर 24 घण्टे कार्यक्रमों का प्रदर्शन होगा। शासन इस सेवा के लिये विदेशी उपग्रह संस्थान को किराये के रूप में 1 करोड़ रुपये की धनराशि भुगतान करेगी। इनटेलसेट-5 के माध्यम से उन केन्द्रों में प्रतिदिन 90 मिनट का रा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्यक्रम दूर-दर्शन से प्रसारित किया गया जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय उपग्रह 'इनसेट' से किया जाता था। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय उपग्रह 'इनसेट' गत 6 सितम्बर को ईंधन समाप्त हो जाने के कारण व्यर्थ सिद्ध हुआ।

वर्तमान टेलीविज़न केन्द्रों—मुज्जफरपुर, गुलबर्गा, पिज (अहमदाबाद के समीप) और नागपुर को इनटेलसेट से जोड़ा जायेगा। वर्तमान 20 दूर-दर्शन केन्द्रों में से 12 दूर-दर्शन केन्द्रों को माइक्रोवेव से जोड़ा जायेगा। ज्ञातव्य है कि सभी 41 दूर-दर्शन केन्द्रों पर माइक्रोवेव या इनटेलसेट-5 के माध्यम से खेल-कूद को प्रदर्शित किया जायेगा।

एशियाई खेलों पर रंगीन फिल्में :

सूचना प्रसारण मन्त्रालय फिल्म प्रभाग नवम् एशियाई खेलों के उद्‌घाटन व समापन समारोहों पर 20 मिनट की अवधि वाली रंगीन फिल्में बनाने की तैयारी कर रहा है। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित 'भारतीय समाचार फिल्म' में भी एशियाई खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को नियमित रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। एशियाई खेलों पर फीचर फिल्म तैयार करने की योजनाओं के प्रारूपों पर फिल्म-प्रभाग विचार-विमर्श कर रहा है। इसके अतिरिक्त एशियाई खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं पर 20 वृत्त-चित्र तैयार करने की योजना बन रही है।

ज्ञातव्य है कि खेलों में अभिरुचि जाग्रित करने के लिये फिल्म-प्रभाग ने दो फिल्मों को रिलीज कर दिया है जिनमें एशियाई खेलों की प्रारम्भिक जानकारियां दी गई हैं।

ऊपर हमने एशियाड-82 की एक संक्षिप्त रूपरेखा अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है। हमारे आगामी अंक के प्रकाशन तक यह खेल महोत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। इस आयोजन के प्रति हम यही आशा प्रकट कर सकते है कि इसके फलस्वरुप एशियाई देशों के मध्य बन्धुत्व और सौहार्दता के आयाम को एक दिशाजन्य बोध प्राप्त होगा साथ ही हमारे राष्ट्र में खेलों का उत्कृष्ट विकास सम्भव हो सकेगा।■

(पृष्ठ का 88 शेष)

बीमार है। (iv) वे क्रुद्ध हो गये। (v) उन्होंने ओजस्वी भाषण किया।

प्रश्न 8—लगभग डेढ़ सौ शब्दों में किसी हिन्दी समाचार-पत्र के सम्पादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें युवकों में बढ़ती अनुशासन हीनता पर विचार व्यक्त किये गये हो। पत्र में किसी भी रूप में अपना नाम-पता कहीं न लिखे। (20)

उत्तर—प्रति,

सम्पादक
'हिन्दुस्तान'
नई दिल्ली,

प्रिय महोदय,

मैं आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से युवकों में निरन्तर बढ़ती हुई अनुशासन हीनता पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ! शिक्षा के प्रति बढ़ती उदासीनता, डिग्री की व्यर्थता का बढ़ता एहसास, शिक्षकों की अध्यापन के प्रति अरुचि, रोजगार की अनिश्चितता, आदि अनेक ऐसे कारण है जिन्होंने युवकों को विद्रोह, कुंठा, निराशा से भर दिया है। भविष्य के प्रति अनिश्चतता ने युवकों को उग्र बना दिया है। रोजगारपरक शिक्षा के अभाव में युवकों की रचनात्मक शक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट भ्रष्ट करने हड़ताल और घरने देने में नष्ट हो रही है। मैं मानता हूँ कि युवकों की समस्याएं हैं जिन पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए किन्तु युवकों के देश समाज, घर-परिवार के प्रति स्वयं अपने प्रति जो कर्त्तव्य है, क्या उसका एक चौथाई भाग भी वे पूरा कर रहे हैं। नहीं, विडम्बना यह है कि उनकी ऊर्जा को, असमाजिक तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे है। युवकों के हितचिंतक तथाकथित राजनीतिक दलों ने भी युवकों की अपूर्व क्षमता का अपने आन्दोलनों में उपयोग किया और फिर उन्हे दूध की मक्खी की तरह अलग कर हटा दिया।

इसलिए युवकों को चाहिए कि वे आत्मचिन्तन द्वारा अपने हित-अहित का विचार कर अपनी रचनात्मक शक्ति की अपने लिए, समाज के लिए और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए सार्थकता प्रमाणित करे!

भवदीय
क. ख. ग.

नोट—प्रश्न नं. 7 व 8 के अन्तर्गत पाँच सौ शब्दों का एक निबंध, राष्ट्रगीत या देश प्रेम की किसी कविता की आठ पंक्तियां भी लिखने के लिये आ सकती हैं। निबन्ध के लिए एशियाड-82, पढ़ ले।■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामान्य हिन्दी

फारेस्ट रेंजर परीक्षा 1982
(मॉडल प्रश्नोत्तर)

डॉ. दिलीप पाण्डेय, प्रवक्ता (हिन्दी) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (उ. प्र.)

'सामान्य हिन्दी' फारेस्ट रेन्जर परीक्षा का अनिवार्य प्रश्नपत्र है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी निबंध, प्रारम्भिक गणित और सामान्य ज्ञान भी अनिवार्य प्रश्नपत्र है। बाद के दोनों विषयों के प्रश्नपत्र का स्तर इंटरमीडिएट का होता है जबकि सामान्य हिन्दी और प्रारम्भिक गणित का परीक्षा स्तर हाईस्कूल के स्तर का होता है। सामान्य हिन्दी का प्रश्नपत्र 100 अंकों का होता है। इसमें भाषा सम्बंधी सामान्य ज्ञान की अपेक्षा की जाती है।

पाठकों की सुविधा के लिये यहाँ फारेस्ट रेन्जर परीक्षा 1982 के लिये मॉडल प्रश्नोत्तर प्रस्तुत है—

समय : 3 घंटे | पूर्णांक : 100

प्रश्न 1. निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं दो के अर्थ स्पष्ट कीजिये— (20)

(क) साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।
सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय।
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित हुआ न कोय।
ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय।

(ख) सीस पगा न झँगा तन में, प्रभु!
जाने को आहि बसे केहि ग्रामा।
धोती फटी-सी लटी दुपटी अरु,
पांय उपानह की नहि सामा।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक,
रह्यो चकि सो वसुधा अभिरामा।
पूछत दीनदयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा।

(ग) सखि, वे मुझसे कहकर जाते,
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते?
मुझको बहुत उन्होंने माना,
फिर भी क्या पूरा पहचाना,
मैंने मुख्य उसी को जाना,
जो वे मन मे लाते। सखि वे मुझसे....।

(घ) चाह नहीं, मै सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊं,
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ,
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं,
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ,

उत्तर—कबीर कहते हैं कि साधु को सूप स्वभाव वाला होना चाहिये। सूप जिस प्रकार थोथे को उड़ाकर सार को ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधु को भी जीवन में निरर्थक बातों का त्याग कर सार तत्व (प्रेम, भक्ति) को ही ग्रहण करना चाहिये। इस पद्यांश में कबीर ने साधु की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाशडाला है। उपमा अलंकार का सुन्दर प्रयोग है।

(ख) प्रस्तुत पद्यांश में सुदामा की दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। कवि कहता है कि द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है—एक सुदामा नाम का व्यक्ति पता नहीं किस ग्राम से आया है और आपका निवास पूँछ रहा है। उस व्यक्ति के सिर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर पर्याप्त वस्त्र है। उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा मैला है। पैरों में चप्पल भी नहीं है। वह दुर्बल व्यक्ति आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ द्वार पर खड़ा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ग) प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की मनोव्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सखि, यदि मेरे स्वामी मुझसे बताकर राम के साथ वन को जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती। क्या मैं उनके कर्त्तव्य पथ में बाधा बनती? मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्रेम-सम्मान दिया किन्तु फिर भी उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचाना। उन्होंने मेरे कष्टों की कल्पना करके ही जाते समय मुझसे संकोच किया जबकि मैंने अपने जीवन में उनकी इच्छाओं और भावनाओं को ही अपना कर्त्तव्य माना। फिर वो कैसे मुझसे बिना बताये चले गये।

(घ) इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प की महत्वाकाँक्षा की उदात्त अभिव्यक्ति की है। पुष्प कहता है कि मुझे सुन्दरी के आभूषणों के साथ सज्जित होने की कोई कामना नहीं है। मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका को अपने सौन्दर्य और सुगन्ध से आकर्षित करूं। मुझे राजा महाराजाओं के शव पर चढ़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे मैं गर्वित नहीं होना चाहता। यहां तक, मैं देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होकर अपने को सौभाग्यशाली होने का मिथ्या और क्षणिक आनन्द नहीं प्राप्त करना चाहता।

प्रश्न 2 —निम्नलिखित अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए— (10)

मैं तुम्हें दो बातें बतलाना चाहता हूँ। पहली ऐसी पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न न करो जिसे तुम समाप्त नहीं कर सकते। साल में केवल एक पुस्तक आद्योपान्त पढ़ना, हर हफ्ते आधी पुस्तक पढ़ने से अच्छा है। मेरे इस राय देने का कारण यह है कि बराबर पुस्तकों को प्रारम्भ करने और उनको कभी न समाप्त करने से परिश्रम व्यर्थ होने की भावना पैदा होती है। मेरी दूसरी शिक्षा यह कि पुस्तकों से डरो मत अथवा उनको आवश्यकता से अधिक सम्मान न दो। जो लोग पुस्तकों के बारे में प्रायः बहुत बातें करते हैं, पढ़ने में कभी भी अच्छे होते हैं। जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, किताबों के बारे में कभी ही बातूनी होते हैं।

उत्तर 2—अंग्रेजी में अनुवाद—

I wish to tell you two things. Do not try to read a book which you can'ot finish. It is better to read one book from cover to cover a year than to read only half of a book every week. My reason for giving this advice is that a feeling of wasted effort is created by constantly beginning books that you never finish. My second advice is-do not be afraid of books or do not treat with too great a deference, people who are fussy about their books are seldom very good at reading. people who are good at reading are seldom fussy about books.

प्रश्न 3 —निम्नलिखित का अनुवाद हिन्दी में कीजिए- 10

This is a time when work is needed, when labour is required, peace is required, co-operative effort is required All the concentrated energies that the nation possesses are required to be put to the great task of the nation. What are we doing? No doubt, many of us are working to that end many of us are trying our utmost to that end. No doubt, the nation is advancing and progressing. But when I look around me, I see not an atmosphere of work, not a psychology of things being done, but only talk, only criticism and running down and finding fault, petty factions and the like.

उत्तर 3 —हिन्दी में अनुवाद—

यह ऐसा समय है जब काम करने की आवश्यकता हैं, जब परिश्रम की आवश्यकता है, शाति की आवश्यकता है, साथ मिलकर उद्योग करने की आवश्यकता है। जबकि राष्ट्र की सारी केन्द्रित शक्तियो की राष्ट के महान कार्य में आवश्यकता है। पर हम क्या कर रहे है। इसमें सदेह नहीं कि इसमें से बहुत से लोग इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे है और इसी उद्देश्य में पूरी शक्ति लगा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और उन्नति कर रहा है परन्तु जब मै अपने चारों ओर देखता हूँ तो मैं काम का वातावरण नहीं देखता, काम की मनोवृत्ति नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाता। केवल बात, केवल आलोचना, दूसरे की बुराई और नुक्ताचीनी, तुच्छ दलबंदिया और इसी तरह की बातें मिलती हैं।

प्रश्न 4—निम्नलिखित गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए— (10)

यदि मनुष्य न्यायपूर्वक अपना सुधार स्वयं कर ले तो फिर उसे राष्ट्रीय, सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय और दंड विधान की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात वह दूसरों के शासन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि शासन की आवश्यकता का उदय ही तब होता है जब मनुष्य स्वयं पर अपने विवेक का शासन नहीं करता। वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए स्वयं पर अपना शासन और न्याय करना परमावश्यक है जो निर्दोष बनाने में समर्थ है। हमें यही सीखना और सिखाना है कि जिन जिन से जितनी निकटता हो उनके प्रति उतनी ही कठोरता बरतना चाहिए। इस दृष्टि से सबसे कठोर न्याय हमें अपने मन, इंद्रिय आदि के प्रति बरतना चाहिए और ज्यों-ज्यों किसी प्रकार की दूरी होती जाय, त्यों-त्यों न्याय को प्रेम तथा क्षमा में बदलते जाना चाहिए।

उत्तर—भावार्थ—प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्म-सुधार पर बल दिया है। लेखक का विचार है कि व्यक्ति में यदि आत्मसुधार की प्रवृत्ति आ जाय तो उसके सुधार के लिए अनेक व्यवस्थाओं और दण्ड विधानों की आवश्यकता न पड़े। आत्मसुधार की प्रवृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति आत्मानुसंधान करके अपने गुण-दोषों का मूल्यांकन करे। इस तरह वह अपने गुणों का विस्तार और दोषों का परिष्कार करते हुए स्वतः अनुशासित रह सकता है। उसे किसी शासन, व्यवस्था या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ही नीर क्षीर न्याय करने वाले होते हैं। वे निर्भय दृढ़ संकल्पी और संयमित व सतुलित विवेक से परिचालित होते हैं। उनमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह या द्वेष की भावना नहीं होती। इसीलिये अपने उदात्त व्यक्तित्व से वे न्याय को दण्ड के रूप में नहीं वरन् प्रेम और क्षमा के रूप में ग्रहण करने में सफल होते हैं।

प्रश्न 5—निम्नलिखित मुहावरों और कहावतों के अर्थ लिखिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए—10

(i) अँधेरा छाना (ii) आवाज उठाना (iii) गज भर की छाती होना (iv) काबुल में क्या गधे नहीं होते (v) अंधेर नगरी चौपट राजा।

उत्तर—(i) अंधेरा छाना (शोक होना)=पिता की मृत्यु समाचार सुनते ही उसके सामने अंधेरा छा गया।

(ii) आवाज उठाना (विरोध व्यक्त करना)=लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का सभी को अधिकार है।

(iii) गज भर की छाती होना (साहस होना) अमरनाथ जाने के लिए पैसा ही नहीं काफी है, गजभर की छाती भी होनी चाहिए।

(iv) काबुल में क्या गधे नहीं होते (अच्छे बुरे सब जगह पाये जाते है)—तुम अपने देश की इतनी बुराई कर रहे हो जैसे काबुल में गधे नहीं होते।

(v) अंधेर नगरी चौपट राजा (अच्छे बुरे की पहचान न होना या अन्याय तथा अव्यवस्था का साम्राज्य)—किसी समय में भारत में भी अँधेर नगरी और चौपट राजा था।

प्रश्न 6—निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए— (10)

नगर-नागर, निश्चल-निश्छल, परिणाम-परिमाण, चक्रवात-चक्रबाल, कृषाण-कृशानु

अथवा

निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए—
सामान्य, स्वधर्म, सात्विक, संघटन, सम्मुख

उत्तर—शब्द युग्मों के अर्थ भेद—
नगर=शहर, नागर=शहरी
निश्चल=अटल, निश्छल—हलरहित
परिणाम=नतीजा, परिमाण=मात्रा
चक्रवात=बवंडर, चक्रवाल=एक पर्वत
कृषाण=किसान, कृशानु=आग

अथवा

विलोम—सामान्य=विशिष्ट, स्वधर्म=परधर्म, सात्विक =तामसिक, संघटन=विघटन, सम्मुख=विमुख

प्रश्न 7—निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए— (10)

(i) इस समस्या की दवा नहीं है (ii) तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। (iii) वह दो महीनों से बीमार है। (iv) वे क्रोधित हो गये। (v) उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया।

उत्तर 7 (i) इस समस्या का हल नहीं है। (ii) तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। (iii) वह दो महीने से

(शेष पृष्ठ 85 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

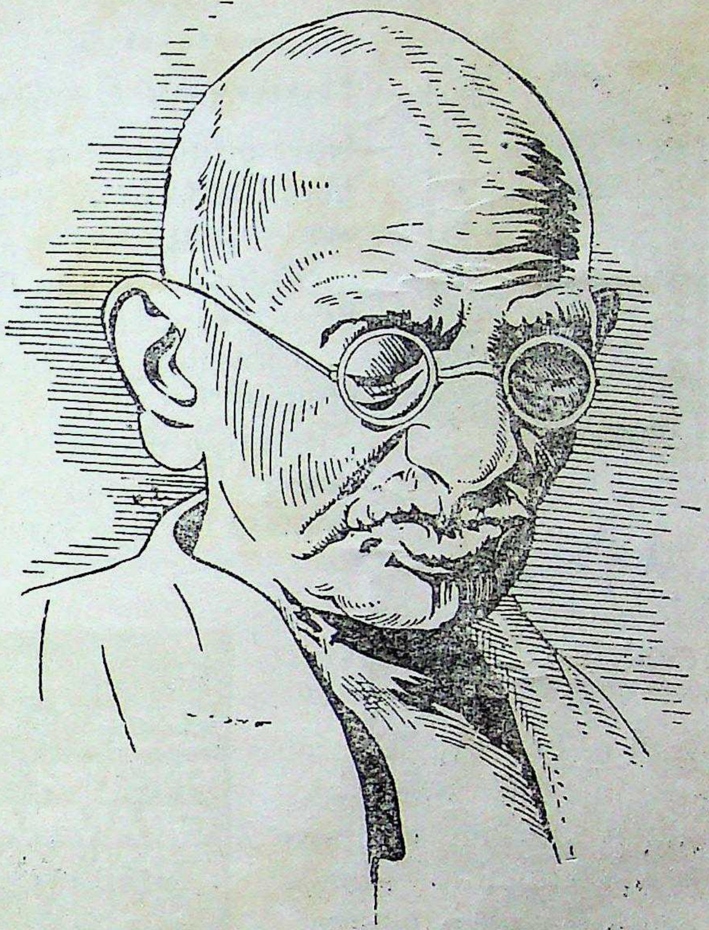

"अपनी ही जाति और देश के कुछ लोगों को बराबरी के साथ रहने-धरने का अधिकार देने से इन्कार करके हम धर्म और ईश्वर से मुँह मोड़ते हैं।"

—राष्ट्रपिता गांधी जी

राष्ट्रपिता की आस्थाओं के अनुरूप चलकर उत्तर प्रदेश सरकार सभी दबे-थके, सदियों से उपेक्षित [ग]रीबी की रेखा से नीचे रह कर जीवन यापन करने वालों को समाज में बराबरी का दर्जा देने तथा [वि]कास में सहभागी बनाने के लिये कृत-संकल्प एवं प्रयत्नशील है।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित

रतन कुमार दीक्षित द्वारा 436, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा चन्द्रा प्रिंटिंग वर्क्स, 37, एलनगंज, इलाहाबाद में मुद्रित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

JUST RELEASED

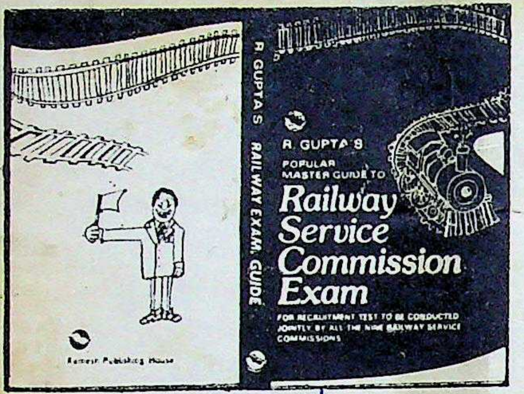

Rs 20/-.

R. Gupta's Railway Exam Guide

New edition of R. Gupta's famous Railway Exam. Guide According to new syllabus announced by the Railway Board. Model test papers and intelligence test are specialities of the guide. Attractive double spread cover. For success you can depend on this book.

A Hand Book of English Grammar

There is no dearth of good books on English Grammar. But this one is unique. It is written specially for those going to appear in competitive exams. Essentials of grammar well-explained. Lot of exercises for practice. A complete section devoted to English spelling.

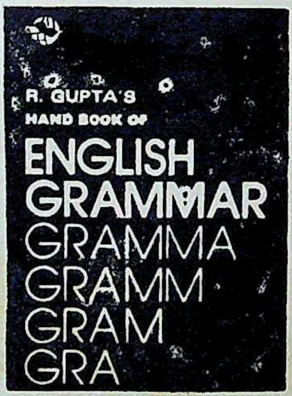

Rs. 10/-

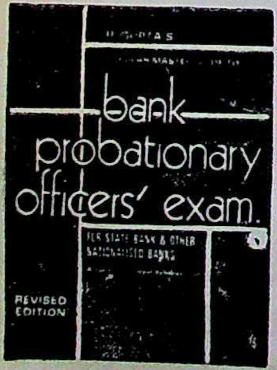

Rs. 35/-

R. Gupta's Bank P.O. Exam Guide

R. Gupta's Bank P.O. Exam Guide is already a synonym of success in Bank P.O. Exam. Its 1983 edition contains a new model Test Paper and latest essays. Attractive glossy cover. Moderately priced.

While ordering, please, send Rs. 10/- in advance by money order to :

Ramesh Publishing House
4457, Nai Sarak, Delhi-110 006.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

77
30-9-82
गुरुकुल कांगड़ी

सम्पूर्ण वार्षिक घटनाचक्र 1982

पी॰सी॰एस॰ सम्भाव्य प्रश्न-पत्र

□ मध्य-पूर्व समस्या □ भारतीय निर्वाचन व्यवस्था □ साहित्य और संस्कृति □ भारतीय-नियोजन के तीन दशक □ हिन्द-महासागर में शक्ति संघर्ष □ भारतीय नारी का स्वरूप □ भारतीय लोकतंत्र और उसकी दिशा □ भारतीय आर्थिक विकास एवं निर्धनता □ कला और जीवन □ भारतीय अर्थव्यवस्था में लोक-ऋण □ भारतीय उप महाद्वीप: नये समीकरण □ नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था

वार्षिकांक

पी॰ सी॰ एस॰ परीक्षा विशेषांक द्वितीय

सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा विशेषांक प्रथम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Law II का सम्भावित प्रश्नपत्र

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1. Answer any four of the following—

   (a) A wrote to B offering to purchase his house for Rs. 30,000 and also added that in the event of B not replying, A would consider the proposal to have been accepted. B did not reply. Is the contract valid ?

   (b) A, a minor borrows Rs. 10,000 from B and as security for it executes a mortgage of his property. B sues A on his attaining majority. A had ratified the mortgage before attaining majority. Would B succeed ?

   (c) A brought some cattle to B, an auctioneer. B sold them. Afterwards it turned out that they were the property of another person who held B responsible for the loss. B now sues A for indemnity. Decide.

   (d) A entrusts his agent B with negotiable instrument. B sells them in violation of private orders of A. Is the sale good ?

   (e) A and B are partners of an unregistered firm. They agree that in case of difference they shall abide by the decisions of arbitrators. A defies the award. Can B enforce it against A ?

2. Discuss any two of the following :

   (i) A contract without consideration is void.

   (ii) A quasi-contract is not a contract at all. It is an obligation which the law creates.

   (iii) The liability of surety is co-extensive with that of the principal.

   (iv) Negotiable instruments are not subject to the rule nemo dat quod habet (no one can give a better title than he himself has).

   (v) Partnership is a branch of agency.

3. (a) Discuss the differences between :—

   (i) Fraud and mis-representation.

   (ii) Liquidated damages and penalty.

   (iii) Impossibility and frustration.

   (iv) Condition of 'suitable for particular purpose' and 'merchantability'.

   (v) Sub-agent and substituted agent.

   (b) Explain the principles which are followed in determining the compensation in case of breach of a contract.

   (c) When a contract is said to have been negotiated under undue influence.

4. (a) How a pledge differs from a bailment ?

   (b) Under what circumstances a surety is discharged from liability and what are his rights against creditor and principal debtor ?

   (c) "Indemnity is not necessarily a repayment after payment. Indemnity requires that the indemnity-holder shall never be called upon to pay" Discuss.

5. (a) What is agent's actual or ostensible authority ? In what cases will an act done by an agent beyond his authority be binding on the principal ?

   (b) Who is an undisclosed principal ? What are the rights of the principal and third party inter-se when the principal discloses himself.

   (c) What are the restrictions upon the principal's rights of revocation of the authority of the agent ?

6. (a) When a property in goods passes to the buyer in case of (i) ascertained goods (ii) unascertained goods.

   (b) Point out the exceptions to the rule that no one can pass a better title than he himself has'.

   (c) A sends jewellery to B on approval. B pleadges it to C. Can A recover the jewellery from C ?

(शेष पृष्ठ कवर 3 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी. सी. एस. परीक्षा हेतु सम्भावित प्रश्नपत्र

- भारतीय इतिहास (प्रथम)
- यूरोपीय इतिहास
- भारतीय इतिहास (द्वितीय)
- प्राचीन भारतीय संस्कृति
- सेवा कार्य
- समाज शास्त्र
- राजनीतिक संगठन
- राज-दर्शन
- भारतीय दर्शन
- हिन्दी साहित्य
- Law I
- Law II
- Law III

भारतीय इतिहास प्रथम

[1] आर्यों के उद्गम तथा मूल स्थान सम्बन्धी प्रश्न और उनके भारत आगमन की विवेचना करते हुये ऋग्वेद के आधार पर उनके सामाजिक-नैतिक संगठनों का संक्षेप में वर्णन कीजिये। [2] उपलब्ध स्त्रोतों के आधार पर बिम्बिसार से चन्द्रगुप्त मौर्य तक के मगध के इतिहास का वर्णन कीजिये। अथवा, चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि एवं वंश विवेचन कीजिये। [3] अशोक के धर्म एवं धर्म प्रचार की दिशा में किये कार्यों का वर्णन करते हुए भारतीय इतिहास में उसका मूल्यांकन कीजिये। शक-शातावहन सम्बन्धों की विवेचना कीजिये। [5] मेहरोली स्तम्भ के आधार पर राजा चन्द्र का अभिज्ञान कीजिये। [6] कनिष्क की तिथि निर्धारण हेतु उपलब्ध तथ्यों की पृष्ठ भूमि में अपना मत दीजिये कनिष्क के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिये [7] हुण थे? भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका रही। अथवा फाह्यान विवरण के विशेष सन्दर्भ में गुप्त काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन प्रकाश डालिये। [8] पुलकेशिन द्वितीय के समय तक के बादामी चालुक्यों के प्रारम्भिक इतिहास का वृत्तान्त दीजिये तथा दक्षिण की शक्तियों य उनके सम्बन्धों की विवेचना कीजिये। [9] अभिलेखीय स्त्रोतों आधार पर स्कन्दगुप्त से बुधगुप्त तक के गुप्त शासकों के इतिहास का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निरुपण करते हुये समाकालीन शक्तियों से उनके सम्बन्धों की जा... दीजिये। [10] क्या आप हर्ष के व्यक्तित्व में समुद्रगुप्त के शौ... अशोक की दानशीलता का मिश्रण पाते है ? उसकी उपलब्धियों के स... विवेचना कीजिये। [11] चाहमानों एवं गाहड़वालों के विषय... क्या जानते है ? [12] गुर्जर-प्रतिहारों की उत्पत्ति की विवेचना और भोज के समय तक के उनके इतिहास का निरुपण कीजिये। (... राष्ट्रकुटो का संक्षिप्त इतिहास अंकित करते हुए पालों, प्रतिहारों तथ... मध्य के त्रिकोणीय संघर्ष का उल्लेख कीजिये। (14) अधोलि... किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :— डिमेट्रियस एवं मिनान्दर... पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष की संगितियाँ, अकोर... बोरोबुदूर, कलिंग का शासक खारवेल, मौर्य प्रशासन, चोल स्थानीय प्र... पल्लवों की उत्पत्ति, षोडश महाजनपद, रामगुप्त, कन्नौज का य... मिहिरकुल तथा तोरामण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मध्य एशिया में बौद्ध...

यूरोपीय इतिहास (1453-1920)

(1) यूरोप के दिये गए मानचित्र पर व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित... लिखित में से किसी एक को इंगित करें :— (क) वियना की... (1814-15) द्वारा निर्मित प्रादेशिक परिवर्तन अथवा (ख)... शताब्दी में इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण अथवा (ग) वार... सन्धि (1919) द्वारा निर्मित प्रादेशिक परिवर्तन अथवा (घ) 1... यूरोपीय शक्तियों के औपनिवेशिक क्षेत्र।

2. प्रति धर्म सुधार आन्दोलन का विवरण दीजिये। यह आन्दोल... तक सफल रहा ? (3) तीस वर्षीय युद्ध के कारणों की विवेचना तथा वेस्टफेलिया की संधि के प्रमुख अंगो तथा उनके महत्व को स्पष्ट की... (4) 1688 की इंग्लैण्ड की क्रान्ति का 'यूरोप के इतिहास में उ... महत्व है जितना कि इंग्लैण्ड के इतिहास में' इसका स्पष्टीकरण की... (5) फ्रांस की राज्य क्रांति के स्थायी परिणामों का मूल्यांकन की... (6) 'नेपोलियन फ्रांसिसी राज्य क्रान्ति का पुत्र था' इस कथन से... कहां तक सहमत हैं अथवा नेपोलियन के पतन के कारण... आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (7) उन्नीसवी शताब्दी ... समस्या' की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुये... इतिहास में इसके महत्व को निर्धारित कीजिये। अथवा बर्लिन ... के कार्यों का विवेचन कीजिये। इसके प्रमुख दोषों को बताइये। (9... की विदेश नीति से साम्य तथा वैषम्य दिखाते हुये बिस्मार्क की विदेश नी...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशेषताओं का विवरण दीजिये ? इस क्षेत्र में उसके कार्य का मूल्यांकन जिये। (10) त्रिराष्ट्र मैत्री संघ (Triple Entente) के उत्पत्ति का हास लिखिये। (11) कैसर विलियम द्वितीय की 'विश्व नीति' को ष्ट कीजिये। इस नीति का यूरोपीय शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा ? 2) उन घटनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये जिनके कारण अक्टूबर 17 में रूसी क्रांति हुई। (13) वर्ष 1919-20 ई के पेरिस शांति झौते का विश्लेषण करते हुये इसकी प्रमुख निर्बलताओं को स्पष्ट कीजिये। 4) 'कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप' के उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये तथा उसकी फलता के कारणों पर प्रकाश डालिये।

भारतीय इतिहास (द्वितीय)

1. दिये हुए भारत के मानचित्र पर अधोलिखित में से किसी एक की मा रेखा अंकित कीजिये और उस पर टिप्पणी लिखिए : (अ) अलाऊद्दीन लजी की विजय एवं उसका साम्राज्य; (ब) वर्ष 1605 ई में मुगल साम्राज्य र प्रान्तों की सीमायें; (स) अकबर से औरंगजेब तक मुगलों की दक्षिण यः (द) 1805 से 1857 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार 1857 के विद्रोह के प्रमुख केन्द्र। (2) "ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की खा और उसकी संप्रभुता निश्चित की, इल्तुतमिश निःसन्देह उसका प्रथम क था" इसकी विवेचना कीजिये। (3) सल्तनतकाल में बार-बार वंश वर्तन के क्या कारण थे ? (4) अलाऊद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का चनात्मक परीक्षण कीजिये। ये सुधार स्थायी क्यों नहीं सिद्ध हुए ? शेरशाह की भूमिकर-व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। क्या र ने उसमें कोई सुधार किये ? यदि हाँ, तो वे क्या थे ? 'प्रबुद्ध निरंकुश क के रूप में शेरशाह तथा उसके शासन का आलोचनात्मक परीक्षण ए)। (6) अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण ए। क्या दीन इलाही एक धर्म था ? (7) औरंगजेब की दक्षिण नीति आलोचनात्मक विवरण दीजिये। दक्षिण की समस्या सुलझाने मे उसे कहाँ सफलता मिली ? अथवा औरंगजेब के चरित्र का मूल्यांकन करते हुये मुगल ाज्य के पतन में उसके उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिये। (8) मराठों तन के कारणों का विवेचन कीजिए। (9) एक साम्राज्य निर्माता के म लार्ड वेलेजली के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये। (10) मुगलकालीन निर्माण कला अथवा चित्रकला का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिये।) वर्ष 1773 ई. के रेग्युलेटिंग ऐक्ट की प्रमुख धाराओं की आलोचनात्मक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समीक्षा कीजिये । उसके दोष-स्पष्ट कीजिये और बताइये कि वे कैसे गये । (12) लार्ड डलहौजी के सुधारों का विवरण दीजिये । विद्रोह के लिए वह कहां तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? उन विभिन्न कारणों एवं शक्तियों का विवेचन कीजिय जिनसे रा उभरी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी । (14) वर्ष ई के अधिनियम की समयानुकूलता एवं गुण-दोषों की आलोचनात्मक कीजिये । (15) उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आन्दो संक्षिप्त वर्णन कीजिये । (16) किन परिस्थितियों में वर्ष 1947 का विभाजन हुआ और वह स्वतंत्र हुआ ?

प्राचीन भारतीय संस्कृति

सूचना—प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है एवं शेष में से किन्हीं चार उत्तर देने हैं । सब प्रश्नों के अंक समान हैं ।

(1) निम्नोक्त में से किन्हीं पाँच के यथासम्भव संक्षिप्त उत्तर दी (क) सिन्धु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है ऋग्वेद में 'विदथ' का महत्व । (ग) कौटिल्य का मण्डल सिद्धान्त । (घ के प्रशस्त प्रकार । (ङ) वेसर और द्रविड़ शैली का अन्तर । (च) यज्ञ । (छ) निम्नोक्त कहाँ स्थित हैं : (i) ताम्रलिप्ति (ii) लोथल (i (iv) दशार्ण । (ज) प्राचीन भारत के 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय । (झ) की रचनाओं और सम्बद्ध शासकों के नाम लिखिये . (i) हरिषेण (वीरसेन (iii) वत्स भट्टि (iv) रविकीर्ति । (ञ) निम्नांकित द्वारा रचि (i) आनन्दवर्धन (ii) भर्तृमेण्ठ (iii) मुरारि (iv) सोमेश्वर III । (2 संस्कृति की विशिष्टताओं का विवेचन निम्नांकित के संदर्भ में (i) नगर योजना (ii) धर्म । (3) आर्यों के मूल स्थान से सम्बद्ध स संक्षिप्त विवेचन कीजिए । (4) वैदिक धर्म की समीक्षा कीजिए निम्नांकित में से किन्हीं 5 के अर्थ बताइए : उदकभाग, कारूकर प्रातिवेधनिक-कर, बलि, एरिपट्टि, कुमार, उद्रंग-कर, भूत प्रत्याय विग्रहिक, भाग, भोग, प्रणय, तुरूष्क दण्ड, समावर्तन । (6) उप व्यक्त एकत्ववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए । अथवा प्रा में शिल्पों के संगठन की विवेचना कीजिए । (7) प्राचीन भारत मित्व की समीक्षा कीजिए । (8) भगवद्गीता में कर्मयोग की स्पष्ट कीजिए । (9) (क) भारतीय संस्कृति में रामायण का क्या

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामायण की रचना कब हुई ? (10) पुरुषार्थ के मनोवैज्ञानिक-आचार आचार का विवेचन कीजिए। (11) न्याय दर्शन में व्याप्ति की अव- ा की व्याख्या कीजिए। (12) वर्ण और जाति में क्या अन्तर है ? व्यवस्था की उत्पत्ति से सम्बद्ध विविध मतों की समीक्षा कीजिए। मन्दिर वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (14) बौद्ध गणराज्यों के संविधान का वर्णन कीजिए। अथवा सांख्य में मोक्ष अवधारणा को समझाइए। (15) भारतीय कला में बौद्ध धर्म के योगदान समीक्षा कीजिए। अथवा शंकर के दार्शनिक विचारों की समीक्षा ए। 16. निम्नोक्त में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए— जीवन (ख) नागरक वृत्त (ग) षाड्गुण्यमंत्र (घ) सुदर्शन तटाक उत्तरमेरूर अभिलेख (च) महामोक्ष परिषद्।

सेवा कार्य
[Social work]

(1) सेवा कार्य की प्रकृति एवं उसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिये। (2) सम्बन्धों की परिभाषा देते हुये उसके प्रमुख आधारों को स्पष्ट ये। (3) सेवा कार्य की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिये अथवा कार्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन कीजिये। (4) सायिक एवं पारम्परिक सेवा कार्य में अन्तर स्पष्ट कीजिये। (5) दायिक विकास के मूल सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये। (6) जिक विघटन की परिभाषा दीजिये। सामाजिक संघटन तथा सामाजिक न में अन्तर स्पष्ट कीजिये। (7) सामाजिक विघटन के मुख्य ों का विवेचन करते हुए उसके कुछ प्रमुख उपागमों का संक्षिप्त न कीजिये। (8) भारत में सेवा कार्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख ये। (9) सोशल ग्रुप वर्क की परिभाषा दीजिये। सोशल ग्रुप वर्क सोशल केस वर्क में अन्तर बताइये। (10) कल्याणकारी राज्य में कार्य के महत्व को संक्षेप में स्पष्ट करते हुये भारत में सेवा कार्य के ाम की रूप रेखा प्रस्तुत कीजिये। (11) "एक विघटित समाज का ाण ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो लगभग स्वयं भी विघटित होते । इस कथन की व्याख्या में व्यक्तिगत विघटन को स्पष्ट कीजिये। (12) देश-प्रदेश में सामुदायिक विकास योजना की कार्यकरिता का मूल्यांकन ये। (13) भारत में गरीबी की समस्या के समाधान में समाज- ाण किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तार्किक विवेचन दीजिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(14) अधोलिखित में से किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये — प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण । (ब) समाज-कल्याण (स) सेवा कार्य (द) ग्राम सेवक (य) पारिवारिक विघटन (र) सामाजिक परिव

समाज शास्त्र

(1) समकालीन समाजशास्त्रियों के मतों की पृष्ठभूमि में तर्क विवेचना कीजिये कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है ? (2) समाज शा दृष्टिकोण से आप क्या समझते है ? तथा समाज-शास्त्र के विष विवेचना कीजिये । (3) मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धान्तों की व्या कीजिये । (4) मार्क्स की द्वन्दात्मक पद्धति का विश्लेषण कीजिये । इसका अपने सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में किस प्रकार प्रयोग है ? अथवा सामाजिक परिवर्तन के 'मार्क्सवादी' सिद्धांत की वि कीजिये । (5) सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा देते हुए आधुनिक में इसे व्यवहृत करने हेतु प्रमुख माध्यमों की गणना कीजिये । (6) प्रा और द्वितीयक समूहों का अन्तर बताइये और उनकी मुख्य विशेषता वर्णन कीजिये । (7) सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख सिद्धांतो संक्षिप्त विवेचन कीजिये अथवा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय तथा सिद्धांतों का मूल्यांकन करते हुए दोनों के अन्तर को स्पष्ट कीजिये । सामाजिक विगटन से आप क्या समझते हैं ? क्या आधुनिक प सामाजिक विघटन का रूप धारण कर रहा है ? (9) जाति की प दीजिये तथा वर्तमान भारतीय सामाजिक जीवन में जाति के मह मूल्याङ्कन कीजिये । (10) भारत में ग्रामीण व नागरिक समुदाय असमानताओं पर प्रकाश डालिये । (11)'हिन्दू विवाह मूलतः एक सं है'' इस कथन पर विवाह सम्बन्धी नये सामाजिक विधानों के परिप्रे विचार कीजिये । (12) सांस्कृतिक विलम्बन की अवधारणा की व्य कीजिये । क्या भारतीय समाज के सामने सांस्कृतिक विलम्बन ऐसी समस्या है ? (13) संयुक्त परिवार के प्रमुख कार्यों तथा उनके टूट प्रक्रिया का विवेचन करते हुये उनके भविष्य की व्याख्या कीजिये । अपराध के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन करते हुये विचलित व्य तथा अपराध के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिये । (15) सामाजिक नि के अभिकरण के रुप में राज्य की भूमिका स्पष्ट कीजये । (16) एवं समाज के मध्य सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजनीतिक संगठन

(1) राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक कार्यात्मक (Structruclural-nctional) उपागम का मूल्यांकन कीजिए तथा इसकी मार्क्स के उपागम लना कीजिये। (2) राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के आधुनिक गम का मूल्यांकन कीजिए तथा स्पष्ट कीजिये कि यह पारम्परिक उपागमों कस प्रकार भिन्न है। (3) "राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है के द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को सजोया एवं परिवर्तित किया जाता (अलमान्ड) विवेचना कीजिये। (4) संघवाद के युग का अंत दृष्टि-हो रहा है। प्रवृत्ति शासकीय शक्तियों के केन्द्रीकरण की ओर है"। कथन का विवेचन निम्न सन्दर्भों में कीजिये -(क योजनाबद्ध विकास क्षेत्रीय विकास (ग) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (घ) राजनैतिक दल-पद्धति एक दल की प्रमुखता। (5) अमेरिका और भारत की राजनीतिक स्थाओं में न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) की कार्यप्रणाली तुलनात्मक विश्लेषण एंव मूल्यांकन कीजिये। (6) सोवियत संघ की नैतिक एवं सवैधानिक व्यवस्था में प्रजातान्त्रिक एव अ-प्रजातान्त्रिक ों का विवेचन कीजिये। (7) भारत एवं ब्रिटेन की राजनैतिक स्था में द्वितीय-सदन (Second Chamber) की भूमिका का विवेचन जये। क्या यह आधुनिक राज्य के लिये आवश्यक है? कारण देकर ट कीजिये। (8) अमेरिका एवं फ्रांस के राष्ट्रपतियों की स्थिति का ात्मक विश्लेषण कीजिये। क्या आप फ्रांस के संविधान को अध्यक्षीय-ासन कहेंगे? (9) "संसद की शक्ति क्षीण हो रही है जब कि मंत्रिमंडल शक्तियाँ बढ़ गई हैं, बढ़ रही है किन्तु घटना च हिये थी" इस कथन का चन आधुनिक कल्याण-वादी राज्य की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में जिये। क्या संसद द्वारा मंत्रिमंडल पर जो नियंत्रण संविधान के अन्तर्गत ाये जा सकते है वे प्रभावकारी हैं? (10) भारतीय संविधान के अन्तर्गत तमूल-अधिकारों के स्वभाव का विवेचन कीजिये और उनक क्षेत्र के निर्धारण राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के महत्व का परीक्षण कीजिये। (11) रत एवं ब्रिटेन के प्रधान मन्त्रियों के अधिकारों एवं स्थितियों की तुलना जिये। (12) "भारत में विभिन्न राजनैतिक दल हैं किन्तु दल-प्रणाली अभाव है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। क्या भारत में दो-दल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रणाली सम्भव है ? सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नता एवं क्षेत्रीयता के सं... में परीक्षण कीजिये। (13) भारत वर्ष में प्रजातान्त्रिक शक्तियों विकेन्द्रीकरण की व्यावहारिकता पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखि... (14) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये- (क) दबाव-गुट (Pressure Groop... (ख) अमेरिका के संविधान में शक्तियों का विभाजन; (ग) स्विटज... का प्रत्यक्ष लोकतन्त्र; (घ) भारत की राजनीति में राज्यपाल; ... राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा क्षमा-दान का अधिकार; (च) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध... (छ) सूची-प्रणाली; (ज) चुनाव-सुधार; (झ) सुप्रीम सोवियत का प्रसीडि...

राजदर्शन

1. किन्हीं दो की समीक्षा कीजिए—

(क) "जब तक दार्शनिक लोग राजा नहीं होंगे ...... तब तक राज्यों ... बुराई से छुटकारा नहीं मिलेगा।"—(प्लेटो)। (ख) "जैसे कुछ लोग प्र... से ही स्वतन्त्र हैं वैसे ही अन्य लोग प्रकृति से ही दास होते हैं।" —(अर... (ग) "शाश्वत विधि का एक विवेकशील मनुष्य द्वारा प्राप्त किया गया ... ही प्राकृतिक विधि है" — (टॉमस एक्वीनास)। (घ) "अपने ऊपर, अपने ... तथा मन पर, व्यक्ति संप्रभु है"—(जे एस. मिल)। (ङ) "बिना तलवा... संविदायें केवल ऐसे शब्द हैं जिनमें मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति नहीं है।"— (हाब्स)। (च) "राज्य एक आत्म चेतन नैतिक ... है"—(हीगेल) (छ) "राज्य संघात्मक है" —(लास्की) 2. "रिपब्लि... की मूलभूत भावना प्लेटो को उनके गुरु के सिद्धान्त कि "सद्गुण ज्ञान ... (Virtue is Knowledge) के रूप में मिली"—सैबाइन, विवेचना कीजि... 3. 'अरस्तू ने प्लेटो के ही मार्ग को प्रशस्त किया।" इस कथन पर टिप्... करते हुए अरस्तू के अपने गुरु के प्रति आभार को स्पष्ट कीजिए। 4. ... के सम्प्रभुता सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। क्या इसमें कोई अन्तर्विरोध ... 5. हीगेल के राज्य सम्बन्धी विचारवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक समी... कीजिए। 6. हाब्स ने सम्प्रभुता का प्रथम संगत सिद्धान्त प्रस्तुत किया प...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दा से इसे व्युत्पन्न करना त्रुटि पूर्ण था" । इस कथन को विवेचन कीजिए । राजनीतिक चिन्तन को मॉन्तेस्क्यू की देन की विवेचना कीजिए । 8. संत स आक्विनास किस सीमा तक अरस्तू तथा संत आगस्तीन की शिक्षाओं य सामंजस्य स्थापित करने में सफल हुए ? 9. आप इस कथन से तक सहमत है कि "ग्रीन तथा उसके सह-प्रत्ययवादी अपने समस्त वाद एवं हीगेलवाद के बावजूद मूलतः व्यक्तिवादी तथा जनतन्त्रवादी 10. इस कथन की विवेचना कीजिए कि मिल एक अनिच्छुक लोक- ी था । या "मिल का स्वतन्त्रता-सिद्धान्त उसके उपयोगितावाद सिद्धान्त से असंगत हैं"—विवेचना कीजिए । 11. "वर्ग संघर्ष अनिवार्यतः रा के अधिनायकवाद की ओर प्रेरित करता है ।" (मार्क्स) इस कथन विवेचना कीजिए । 12. राजनीतिक विश्लेषण की प्रारम्भिक एवं निक प्रणालियों की तुलना कीजिए । क्या आप इस विचार से सहमत हैं आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक अपने मूल उद्देश्यों के प्रति तटस्थ हो गया 13. समता के सिद्धान्त एवं स्वतन्त्रता के सिद्धान्त में क्या कोई विरोध है ? स्पष्ट कीजिए । 14. किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए— राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी क्रान्ति; (ख) विधि एवं कता; (ग) राज्य पर लास्की के विचार; (घ) सामाजिक प्रसंविदा पर के विचार; (च) अल्मान्ड का संगठनात्मक-कार्यात्मक सिद्धान्त ।

भारतीय दर्शन

(1)-पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार भारतीय दर्शन दुखवादी और प्रगतिशील है। क्या आप इस विचार से सहमत है ? तर्क सहित उत्तर जिये ।

अथवा

(1) महावाक्य "तत्त्वमसि" के प्रकाश में ब्रह्म के स्वरुप की व्याख्या जिये । (2) भगवद्गीता किस प्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय प्रयास करती है । (3) चार्वाक प्रत्यक्ष को ही वैध ज्ञान का एक मात्र ण क्यों मानते है ? इसको स्पष्ट करते हुये चार्वाक प्रमाण मीमांसा का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आलोचनात्मक आकलन कीजिये। (4) सर्वास्तिवाद, योगाचार और वाद के अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याख्याओं का विवेचन कीजिये। क्षणिकवाद का सिद्धान्त क्या है और बौद्ध इसकी सत्यता कैसे प्रमाणित है। (5) सांख्य दर्शन मे पुरुष और प्रकृति के सम्बन्ध की व्याख्या कीजि सांख्य का पुरुष अद्वैत वेदान्त की आत्मा से किस प्रकार भिन्न है? सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये। दर्शन किस प्रकार न्याय-वैशेषिक दर्शन के असतकार्यवाद सिद्धान्त की आलोचना करता है। (7) कुमारिल और प्र के ज्ञान सिद्धान्तों की समानता तथा विषमता दिखलाइये। (8) जैन द के अनेकान्तवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। (9) जैन अणुवाद वैशेषिक अणुवाद की तुलना कीजिये अथवा न्याय के अनुसार निर्वि और सविकल्प प्रत्यक्ष का अन्तर स्पष्ट कीजिये। (10) भारतीय द कितने प्रमाणों का उल्लेख है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। (मोक्ष के सम्बन्ध में शंकर तथा रामानुज के मतों की तुलना कीजिये। (शंकर जगत के मिथ्यात्व से क्या समझाना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में राम का क्या विचार है? विशद आलोचना कीजिये अथवा रामानुज ने के मायावाद का खंडन किस प्रकार किया है? शंकर के अनुयायियों ने किस प्रकार प्रत्युत्तर दिया है। (13) अद्वैत ब्रह्म को सब प्रकार के भेद रहित ही मानना पड़ेगा—ऐसा कहने का क्या आधार है? (14) न्याय युक्तिमूलक ईश्वर-मीमांसा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। अथ अनिवचनीय ख्याति की विवेचना कीजिये यह अन्यथा ख्याति से किस प्र भिन्न है।

हिन्दी साहित्य

1. "भाव व्यंजना का अभाव न होने पर भी पृथ्वीराज रासो में व वर्णन का बाहुल्य है।" इस कथन का प्रमाण सहित विवेचन कीजिये त पृथ्वीराज रासो की काव्य कला की प्रमुख विशेषताएँ बताइये। अथवा विद्यापति एवं जायसी में से किसी एक कवि की काव्यगत विशेषताओं सोदाहरण व्याख्या कीजिये एवं उसकी लोकप्रियता का मून्यांकन कीजि

2. हिन्दी साहित्य के आदिकाल की किन काव्यधाराओं से आप परिचित इस काल की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिये एवं महत्व बताइ अथवा रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएँ बताइये एवं रीति बद्ध, रीति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रीति सिद्ध कवियों में सोदाहरण अन्तर स्पष्ट कीजिए। 3. कबीर तुलसी दोनों की ही रचनाएँ जीवन को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित ती है तथापि दोनों कवियों की मान्यताओं में पर्याप्त अन्तर है।" तर्क सहित विचन कीजिए। अथवा "समाज, साहित्य एवं अध्यात्म तीनों ही क्षत्रों कबीर का योगदान अनुपम एवं चिरन्तन है।" सोदाहरण समझाइये। 4. निलिखित में से किसी एक का सोदाहरण विश्लेषण करिये— (क) हिन्दी भ्रमरगीत परम्परा में सूर का स्थान। (ख) केशव का आचार्यत्व। सतसई परम्परा में बिहारी का महत्व। (घ) रामचरित मानस में त समाज व्यवस्था। (ङ) 'कामायनी' या 'साकेत' का सांस्कृतिक त्व। (च) देव अथवा घनानन्द अथवा रसखान की प्रेम पद्धति। 5. साद या मैथिलीशरण गुप्त या हरिऔध के महाकाव्य की प्रबन्ध पटुता पर चार व्यक्त कीजिये। अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, सरदार पूर्णसिंह में से किसी एक की बन्ध शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। 6. निम्नलिखित में से किसी एक का आलोचनात्मक मूल्याङ्कन कीजिये — शेखर एक जीवनी, चित्रलेखा, मैला आंचल, भारत दुर्दशा, कामायनी, हल्दी घाटी, मधुशाला, गोदान, कर्मभूमि, पुनर्नवा, कुरुक्षेत्र, वैराग्य संदीपनी, मानस का हंस, असाढ़ का एक दिन। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक की शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिये — भारतेन्दु, वृन्दावन लाल वर्मा, निराला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, श्याम सुन्दर दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचन्द्र। अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर परिचयात्मक निबन्ध लिखिये—(क) राम लला नहछू (ख) यशोधरा (ग) बाण भट्ट की आत्मकथा (घ) चिन्तामणि (ङ) सेवा सदन (च) आँसू (छ) उर्वशी (ज) गुंजन (झ) सरोज-स्मृति (ञ) लहर 7. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये — (1) हिन्दी साहित्य में सन्त-काव्य परम्परा। (2) रीतिकालीन कवियों की नारी भावना। (3) भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान। (4) नैतिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण। (5) राष्ट्रीय एकता की समृद्धि में हिन्दी की भूमिका। (6) जन जीवन में भ्रष्टाचार, समस्या व समाधान। (7) जनतंत्र और साहित्य। (8) विज्ञान और साहित्य। (9) तुलसी का समन्वयनायकत्व। (10) युवा-आक्रोश : औचित्य एवं निदान। (11) आंचलिक उपन्यास। (12) प्रेमचन्द्र की प्रासंगिकता। (13) हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण। (14) आधुनिक हिन्दी नाटकों के विकास-चरण। (15) छायावादी कविता की उपलब्धियाँ। (16) आधुनिक कथा साहित्य। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Law—I

Note—Attempt one question from each part.

Part—A (Jurisprudence).

1. (a) Comment on the following :—
   (i) "Law is simply the name for rules of cond[uct] actually controlling men who live in society". (Duguit)
   (ii) "The end of Law is perfect community as end of moral doctrine is the perfect individ[ual]. (Stammler)
   (iii) "The source of Law is neither the State nor th[e] smaller group but the individual acting accor[ding] to his conscience" (Laski).

   (b) Critically examine Solmond's theory of law. [In] what respects he is similar to Austin.

   (c) "Case—Law is gold in the mine-a few grain of [pre]cieous metal to the ton of useless matter —while [sta]tute law is the coin of realm ready for immediate u[se]. (Solmond). Comment.

2. (a) "While it is fairly simple to describe what is mean[t by] the term ratio-decidendi, it is far less easy to exp[lain] how to determine the ratio of a particular ca[se]. Critically examine the above statement with the [help] of suitable examples

   (b) Analyse the right-duty relationship into the com[po]nent part and identify each part with its distinc[tive] characteristics.

   (c) Distinguish between :
   (i) Vested and Contigent ownership.
   (ii) Corporeal and incorporeal possession.
   (iii) Reformative and Deterrant theory of pun[ish]ment.

Part B—(Constitutional Law)

3. (a) Discuss the 'reasonableness" of restrictions wh[ich] may be imposed by law under Article 19 of the c[on]stitution.

   (b) Examine the scope of personal liberty in Articl[e] of the constitution.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(c) Examine whether any fundamental right is violated in the following cases :—

(i) A law is made by U. P. prohibiting the Anglo-Indian English medium schools from admitting non-Christian students to their classes.

(ii) A State Law creates a special court for the speedier disposal of cases of evasion of sales tax. The Commissionor of Sales Tax has been given the discretion to decide which cases are to be referred to the special court.

(iii) The Parliament enacts a law fixing the schedule of pages and the respective prices with the object of preventing unfair competition between small and big news papers. The Law also restricts the coverage of advertisements allowing only 40% to the whole news coverage.

(a) What is meant by the Doctrine of Pleasure of President. Are there any restriction upon the doctrine embodied in the constitution.

(b) Examine the restrictions on freedom of trade and commerce through out India.

(c) Examine the Doctrine of Repugnancy embodied in Article 254 of the Constitution. Are there any exceptions to the doctrine?

(a) "Our constitution aims at bringing about a synthesis between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy, by giving the former a pride of place and to the latter a place of permanence. Together, not individiually they form the core of the constitution

Discuss. (Chandrachud. C. J.)

(b) Critically examine the distinction between judicial discreation and administrative discreation. Cite cases.

(c) Governors are birds in golden-cages. Discuss the statement in the light of powers and functions of Governors.

Part- C (Law of Torts)

(a) Discuss the relevent considerations which can be

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

applied to distinguish master-servent relatio from independent contractor.

(b) Discuss the proposition that a notional duty is c independently of contract by manufacturer t ultimate consumer of the product. Are ther qualification to this proposition.

(c) 'X' a passenger, was sitting on the top of 'Y's c 'X' seeing the breaking of defective coupling ju from it and broke his leg In fact the coach wa upset. Can 'X' claim domage from 'Y' for this in

7. (a) Discuss any two maxims :

(i) "Res ipsa laquitor" and conditions of its a cation.

(ii) "Actio personalis moritur cum persona" point out its exceptions.

(iii) "Novus actus interveniens".

(iv) "Ubi jus ibi remedium" and discuss whi the two - Law of Tort or Law of Torts—is accurate in incompassing the present law o liability.

(b) Distinguish between.

(i) Defence of Absolute and Qualified Privil the suit for defamation.

(ii) Malicious prosecution and false imprisonme

(iii) Private and public nuisance.

(iv) Licence and Invitee.

(v) Defence of Truth and fair comment.

(c) 'X' While celebrating a function threw a li squib into the market house at a time when i crowded. The fiery missille came down on the of 'Y' who threw it away and it fell again on shop who passed it in the same way, till at la burst in 'A's face and put his eyes out Who is l to 'A'.

Part—D (Law of Crimes)

8. (a) How do you distinguish between culpable hom and murder. Discuss With reference to impo decisions.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(b) Discuss the main ingredients of extortion. How is it different from 'theft' and 'robbery' ?

(c) An unmarried girl gave birth to a child and left the child in the night by road-side believing that some one will pick him up. The child however died of starvation before being detected by any one. What offence, if any has been committed by the girl.

(a) What is the test of obscinity ? What acts are said be obscene in I. P. C.

(b) What is criminal conspiracy ? How is it different from unlawfull assembly.

(c) Discuss the various stages of consummation of a crime. What stages are punishable ?

(d) Distinguish between 'Cheating' and 'criminal breach of trust'.

Part—E (Law of Evidence)

(a) "An accomplice is unworthy of credit unless corroborated in material particulars "Discuss.

(b) Write notes on the following :—

(i) Priviledged communication.

(ii) Competency of witness.

(iii) Circumstantial and hearsay evidence.

(iv) Evidence of bad character.

(c) What is dying declaration ? When it is admissible in evidence.

(a) Discuss whether following a confessions are admissible.

(i) A Confession made to a friend under the promise of secrecy by the friend.

(ii) A confession made as a result of inducement by the priests.

(iii) A confession made to a person in presence of doctor and police.

(b) Under what circumstances a secondary evidence is admissible.

(c) When the judgment of courts become relevent ?

International —Law (Law—III)

The changes and developments in International Relations

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

after Second World War have enlarged the dim of present day International Law, What are developments. Assess the position of individu ternational organizations and Regional organi under pres nt day International Law.

or

"A state is bound to observe only those rules of national law for which it has given its consent. cuss the various theories of the basis of Intern Law in the light of the above statement.

2. Distinguish between "War" and "non-war hosti by giving suitable examples. Do you think that sent-day International Law is not well equip deal with the non-war hostile relationship.

3. Though General Assembly. has failed to prevent international eriseses but only for that reason not be said that its recommendations have, no political significance Discuss.

4. (a) Explain the differences, if any, between the consequences of 'de Facto' and 'de jure' recog

(b) Discuss the stimson's doctrine of non-reco How for the doctrine has been recognised and died in the present-day International Law.

(c) Distinguish between recognition of Insurgen recognition of Belligerency.

5. (a) "Customary Law does not grow up independe of treaties, but may also be expressed in multilateral conventions or in acts of widely a codification conferences" Discuss and explai you would prove the existence or emergence tomary law.

(b) "The general principles of Law recognised civilised nations" have become important so International Law. Discuss how for there ples have been applied by courts.

6. (a) What factors contributed to the rise of the D of Freedom of the Seas? And what factor caused its obsolescence at the present time?

(शेष पृष्ठ 2 पर देखें)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अक्टूबर—1982 वर्ष—5 अंक—8
इस अंक का मूल्य—रु० 7.50 ● पृष्ठ संख्या—154

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

[राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र को समर्पित]

सम्पादक
रतन कुमार दीक्षित

●

सह-सम्पादक
प्रदीप कुमार वर्मा 'रूप'

●

उप-सम्पादक
जी. शंकर घोष, राकेश सिंह सेंगर

■

मुख्य कार्यालय
436, मम्फोर्डगंज
इलाहाबाद-211002

●

शाखा कार्यालय
ए-7, प्रेस एन्क्लेव
साकेत, नई-दिल्ली

●

डी. 47/5, कबीर मार्ग,
क्ले स्क्वायर, लखनऊ
विज्ञापन सम्पर्क-सूत्र :
169/20 रुयालीगंज, लखनऊ
दूरभाष : 43792

■

सज्जा : कोलोरेड, इलाहाबाद

●

चन्दे का दर
वार्षिक : रु. 44.00, अर्द्ध वार्षिक : रु. 22.00
सामान्य अंक (एक प्रति) : रु. 4.00
(चन्दा मनीआर्डर द्वारा मुख्य कार्यालय को ही भेजें)

©पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन सुरक्षित है। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के विचारों से सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।

सामयिक घटना चक्र

■ कौन, कहाँ, क्या (भारत) / 3
■ कौन, कहाँ, क्या (विश्व) / 5
■ महत्वपूर्ण आंकड़ें / 7
■ चर्चित संगठन / 8
■ पुरस्कार तथा सम्मान / 9
■ चर्चित स्थल / 12
■ प्रमुख शब्द संक्षेप / 17
■ प्रमुख पुस्तकें / 19
■ क्रीड़ा जगत / 21
■ महत्वपूर्ण व्यक्ति / 25
■ प्रमुख सम्मेलन / 30
■ प्रमुख आयोग तथा समितियाँ / 33
■ संविधान जगत / 36
■ अन्तरिक्ष अनुसंधान / 39
■ योजनाएँ/परियोजनाएँ/नीतियाँ / 42
■ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनायें / 46
■ महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय घटनायें / 54
■ विविधा / 59

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण निबन्ध

■ हिन्द महासागर में महाशक्ति स्पर्धा : क्या शांति क्षेत्र सम्भव है ? / 65
■ नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था / 71
■ भारतीय निर्वाचन व्यवस्था : एक मूल्यांकन / 73
■ भारतीय नियोजन के तीन दशक : एक समीक्षा / 83
■ भारतीय नारी का स्वरूप : एक दृष्टि / 88
■ कला और जीवन / 91
■ भारतीय उपमहाद्वीप : शक्ति-संतुलन के नये समीकरण / 94
■ सामाजिक दायित्व के निर्वाह में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका / 98
■ भारतीय आर्थिक विकास एवं निर्धनता की समस्यायें / 101
■ साहित्य और संस्कृति / 106
■ भारत के आर्थिक विकास में विदेशी लोक-ऋण की भूमिका / 111
■ मध्य पूर्व : क्या शान्ति सम्भव है / 114
■ भारतीय लोकतन्त्र और उसकी दिशा / 132

विशेष आकर्षण

■ पी.सी.एस. प्राचीन भारतीय संस्कृति हेतु विशिष्ट परिशिष्ट / 62
■ पी.सी.एस. परीक्षा 1982 के सम्भावित प्रश्नपत्र / 137

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(सम्भावित प्रश्न पत्र का शेष)

(b) What is the outward limit of the Continental Shelf of a Coastal State ? What principles govern the sharing of Chontinental Shelf between two adjacent or opposite States ?

7. (a) Discuss the law relating to responsibility of a State for international deliquencies in the following cases :—

(i) Mob-riots.
(ii) Illegal acts committed by private citizen.
(iii) An illegal act of on organ which is not the part of the formal structure of government.

(b) How the parent State protects its nationals residing abroad ?

8. (a) Distinguish between territorial and personal jurisdiction of States.

(b) 'X', a Muslim ruler of a State in Malayasia is sued by an Indian Muslim girl in Delhi for breach of promise to marry, when 'X' was holidayiag in Delhi. Advise 'X' as to his defence.

(c) A French armed public ship, flying the flag of France was in the British territorial waters when 'M' the cabin boy committed the offence of murder shooting 'D', the captain of the ship. Both 'M' and 'D' were British nationals serving the French ship Extradition proceedings institut d by France failed. 'M' was tried in British Court for murder committed in British territorial waters. M pleads that British courts have no jurisdiction to try him as crime was committed on French ship.

Could the defence suceeed ? Cite decided cases.

9. Discuss the following :—

(a) What do you understand by domestic jurisdiction as used in Art 2 (7) of U. N. Charter and how far does it bar the General Assembly from discussing violations of Human Rights in a Member State ?

(b) Reservations to the Declarations under the optional ... made the jurisdiction of I. C. J. under

(c) Nature and extent of right of Self-defence and right of self determination under the customary law and U. N. Charter.

(d) International Criminal law relating to hijacking, piracy and terrorism lack content as well as institution for enforcement.

(e) "Where extradition ends, asylum begins".

(f) Ratification is necessary for treaties.

10. Critically examine the changes in the status and effects of neutrality which have taken place —

(a) by modren techniques of warfare and concept of "total war" (b) under the U. N. charter and Collective Security System.

11. (a) What is "rebus sic stantibus". Do you think that this doctrine can be reconciled with the doctrine of "pacta sund servanda".

(b) Discuss the admissibility and effects of reservations to the bi-lateral and multi-lateral treaties.

(c) Under what circumstances a treaty bocomes invalid.

(d) The parties to a treaty can not bind the third parties. Discuss.

12. (a) What are the essentials of an effective blockade ? Expain, referring to decided cases the doctrine of of Continuous voyage as applied to blockade

(b) Distinguish between contraband and non-contraband.

13. Write short Notes on the following :

(a) New Economic International Order (b) Calvo clause (c) Belligerent occupation (d) Un-neutral service (e) Diplomatic Immunities (f) Purposes and Principles of U. N. (g) Nuremberg Trial (h) Legal control of nuclerr proliferation.

(i) Law of outer space.

(j) The position of P. O.W.'s under *International Law.*

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पूर्ण वार्षिक घटनाचक्र

1982

कौन, कहाँ, क्या (भारत)

(16-9-1982 तक सामयिक)

केन्द्रीय सरकार

राष्ट्रपति— ज्ञानी जैल सिंह
उप-राष्ट्रपति— मोहम्मद हिदायतुल्लाह

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

प्रधान मंत्री तथा समस्त अवितरित विभाग [परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं टेक्नालॉजी सहित]— श्रीमती इंदिरा गाँधी
गृह— प्रकाश चन्द्र सेठी
विदेश— पी. वी. नरसिंह राव
वित्त— प्रणव कुमार मुखर्जी
रक्षा— आर. वेंकटरमन
योजना— एस. बी. चव्हाण
रेल— अब्दुल गनी खाँ चौधरी
संचार— अनन्त प्रसाद शर्मा
उद्योग, इस्पात और खनिज— नारायण दत्त तिवारी
कृषि— राव बीरेन्द्र सिंह
सिंचाई— केदार पाण्डे
रसायन व उर्वरक— वसन्त साठे
ऊर्जा, कोयला एवं पेट्रोलियम— शिव शंकर
परिवहन एवं जहाजरानी— सी. एम. स्टीफेन
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य— जगन्नाथ कौशल
श्रम और पुनर्वास— वीरेन्द्र पाटिल
सार्वजनिक निर्माण, आवास एवं संसदीय मामले— भीष्म नारायण सिंह
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण— बी. शंकरानन्द

केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र विभाग वाले)

सूचना एवं प्रसारण— एन. के. पी. साल्वे
शिक्षा व समाज कल्याण— श्रीमती शीला कौल
पर्यटन— खुर्शीद आलम खान
वाणिज्य— शिवराज पाटिल
नागरिक उड्डयन, नागरिक आपूर्ति— भगवत झा आजाद
आपूर्ति, खेल कूद— बूटा सिंह

केन्द्रीय राज्य मंत्री

श्रम और पुनर्वास— श्रीमती मोहसिना किदवई
वित्त— एस. एस. पट्टाभि रामाराव
कृषि— आर. वी. स्वामीनाथन
कृषि— बालेश्वर राम
रेल— सी. के. जफर शरीफ
विदेश— ए. ए. रहीम
निर्माण, आवास व संसदीय मामले— एच. के. एल. भगत
गृह— एन. आर. लस्कर
गृह— पी वेंकट सुब्बैया
संचार— योगेन्द्र मकवाना
सिंचाई— जेड. ए. अंसारी
ऊर्जा— विक्रम महाजन
ऊर्जा— दलबीर सिंह
ऊर्जा — गार्गी शंकर मिश्र
जहाजरानी एवं परिवहन— सीताराम केसरी
उद्योग इस्पात और खान— श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत एवं इलेक्ट्रानिक्स व समुद्र विकास— सी. पी. एन. सिंह
रसायन एवं उर्वरक— राम चन्द्र रथ
उद्योग— वीरभद्र सिंह

केन्द्रीय उप-मंत्री

रक्षा— के. पी. सिंह देव
वित्त— जनार्दन पुजारी
संसदीय मामले तथा उद्योग— कल्पनाथ राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रम—	
शिक्षा—	पी. के थुंगन
सूचना एवं प्रसारण—	आरिफ मोहम्मद खान
नागरिक आपूर्ति—	मोहम्मद उस्मान आरिफ
कृषि—	कुमारी कमला कुमारी
श्रम तथा पुनर्वास—	गिरिधर गोमांगो
इलेक्ट्रानिक्स—	एम. एस. संजीव राव
संचार—	विजय एन. पाटिल
वाणिज्य—	पी ए. संगमा
विधि—	गुलाम नवी आजाद
पर्यटन—	अशोक गहलौत
पर्यावरण—	दिग्विजय सिंह
सार्वजनिक निर्माण—	ब्रजमोहन मोहंती
रेल एवं संसदीय मामले—	मल्लिकार्जुन
स्वास्थ्य—	कुमुद बेन जोशी

संसद के पदाधिकारी

अध्यक्ष, लोकसभा—	बलराम जाखड़
उपाध्यक्ष, लोकसभा—	जी. लक्ष्मण
सभापति, राज्य सभा—	मोहम्मद हिदायतुल्लाह
उप-सभापति, राज्य सभा—	श्याम लाल यादव

सेनाओं के प्रधान

स्थल सेनाध्यक्ष—	जनरल के. बी कृष्णाराव
वायु सेनाध्यक्ष—	एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह
नौ सेनाध्यक्ष—	एडमिरल ओ. एस. डासन

राज्यों के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल

राज्य	मुख्यमन्त्री	राज्यपाल
जम्मू एवं कश्मीर	फारूख अब्दुल्ला	बी. के. नेहरू
आन्ध्र प्रदेश	विजय भास्कर रेड्डी	के. सी. अब्राहम
असम	राष्ट्रपति शासन	प्रकाश मल्होत्रा
बिहार	डा. जगन्नाथ मिश्र	ए. आर. किदवई
गुजरात	माधव सिंह सोलंकी	श्रीमती शारदा मुखर्जी
हिमाचल प्रदेश	राम लाल	ए. एन. मुखर्जी
महाराष्ट्र	बाबा साहब भोंसले	इदरीस हसन लतीफ
हरियाणा	भजन लाल	गणपति देव तपासे
मध्य प्रदेश	अर्जुन सिंह	भगवत दयाल शर्मा
पंजाब	दरबारा सिंह	डा. चेन्ना रेड्डी
राजस्थान	शिव चरण माथुर	ओ. पी. महरा
तमिलनाडु	एम. जी. रामचन्द्रन	सादिक अली
उत्तर प्रदेश	श्रीपति मिश्र	सी. पी. एन सिंह
प. बंगाल	ज्योति बसु	बी डी. पाण्डेय
उड़ीसा	जानकी बल्लभ पटनायक	न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र (कार्यवाहक)
सिक्किम	नर बहादुर भण्डारी	होमी जे. एच. तलयार खाँ
नागालैण्ड	जे. बी. जैसोकी	एस. एम. एच. बर्नी
मणिपुर	रिशांग कीशिंग	एस. एम. एच बर्नी
त्रिपुरा	नृपेन चक्रवर्ती	एस एम एच. बर्नी
केरल	के. करूणाकरन	श्रीमती ज्योति वेंकटचिलम
कर्नाटक	आर. गुन्डुराव	गोविन्द नारायण
मेघालय	विलियम संगमा	प्रकाश मल्होत्रा

केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासन

दिल्ली—जगमोहन (लेफ्टीनेंट गवर्नर)

चण्डीगढ़—एस. बनर्जी (चीफ कमिश्नर)

पाडिचेरी—के. एम. चन्डी (लेफ्टीनेंट गवर्नर), डी.—रामचन्द्रन (मुख्यमन्त्री)

अरूणाचल प्रदेश—हरिशंकर दूबे (लेफ्टीनेंट गवर्नर) गेगोंग अपांग (मुख्यमंत्री)

मिजोरम—ब्रिगेडियर टी. सैलो (मुख्यमन्त्री), एस. एन. कोहली (लेफ्टीनेंट गवर्नर)

अंडमान तथा निकोबार—द्वीप समूह—एस. एल. शर्मा (चीफ कमिश्नर)

दादरएवं नगर हवेली— जे. सी. अग्रवाल (चीफ कमिश्नर)

गोवा, दमन तथा दीव —प्रताप सिंह राने (मुख्यमंत्री), —सुन्दर लाल खुराना (लेफ्टिनेंट गवर्नर)

महत्वपूर्ण भारतीय उच्चाधिकारी

मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय	—यशवन्त विष्णु चन्द्रचूड़
गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	—मनमोहन सिंह
अध्यक्ष, योजना आयोग	—श्रीमती इन्दिरा गाँधी
उपाध्यक्ष, योजना आयोग	—शंकर बी. चव्हाण
मुख्य चुनाव आयुक्त	—राम कृष्ण त्रिवेदी
अध्यक्ष, संघीय लोक सेवा-आयोग	—एम. एल. शहारे
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	—डा. श्रीमती माधुरी शाह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अध्यक्ष, प्रेस कौंसिल —ए. एन. ग्रोवर
अध्यक्ष, परमाणु शक्ति आयोग—एच. एन. सेठाना
अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा अंतरिक्ष आयोग—प्रो. सतीश धवन
कम्पट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल—ज्ञान प्रकाश
सॉलीसटर जनरल —के. पाराशरन
एटार्नी जनरल —लाल नारायण सिन्हा
जनगणना आयुक्त —पी. पद्मनाभ
अध्यक्ष, स्टेट बैंक आफ इंडिया—पी सी. डी. नाम्बियार
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड — महेन्द्र सिंह गुजराल
अध्यक्ष, ऊर्जा आयोग —एम. जी. के. मेनन
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि —नटराज कृष्णन
निदेशक, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर —डा. राजा रमन्ना
अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग —बी. पी. भार्गव (कार्यवाहक)
अध्यक्ष, द्वितीय प्रेस आयोग —न्यायामूर्ति के. के. मैथ्यू
अध्यक्ष, विधि आयोग — न्यायामूर्ति के. के. मैथ्यू
अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग —एम. एच. बेग
अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग डा. विश्वजीत नाग
भारत के विदेश सचिव —एम. के. रसगोत्रा
अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड—एम. के. वानखेडे
अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक समिति—भालिन्द्र सिंह
अध्यक्ष, नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति —बूटा सिंह
अध्यक्ष, आठवें वित्त आयोग —वाई. बी. चव्हाण
अध्यक्ष, इण्डियन चैम्बर्स ऑव कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री—जी के. देवराजुलु

कुछ प्रमुख देशों में भारत के राजदूत व हाई कमिश्नर

● संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत—के. आर. नारायण ● सोवियत रूस में राजदूत—विष्णु के. अहूजा ● चीन में राजदूत—ए पी. वेन्कटश्वरन ● बंगला देश में हाई-कमिश्नर—इन्दर पाल खोसला ● पाकिस्तान में राजदूत—कृष्ण दयाल शर्मा ● नेपाल में राजदूत—अशोक एस छिब ● ब्रिटेन में हाई कमिश्नर—डा. सैयद मोहम्मद ● कनाडा में हाई कमिश्नर—एम. आर. स्वामीकृष्ण ● जापान में राजदूत—के. पी. एस. मेनन ● फ्रांस में राजदूत—नरेन्द्र सिंह ● यूरोपीय आर्थिक समुदाय के ब्रूसेल्स मुख्यालय में भारतीय प्रतिनिधि—एरिक गोंजा-वालेस ● अफगानिस्तान में राजदूत—जे. एन. दीक्षित ● पूर्वी जर्मनी में राजदूत—प्रभाकर मेनन ● आस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर—डी. एस. कास्टेकर ● प. जर्मनी में राजदूत—आर. डी. साठे

भारत में प्रमुख देशों के प्रतिनिधि

● चीन के राजदूत—शेन जियान ● पाकिस्तान के राजदूत—रियाज पिराचा ● ब्रिटेन के हाई कमिश्नर—राबर्ट वेड जेरी ● सँयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत—हैरी जे. बार्नस ● सोवियत संघ के राजदूत—यूली वोरोंत्सोव ● बंगला देश के हाई कमिश्नर—ए. के. खांडेकर ● फ्रांस के राजदूत—जीन क्लाड वेंक्लेयर ● नेपाल के राजदूत—वेदानन्द झा ● जापान के राजदूत—ई. हारा

कौन, कहाँ, क्या (विश्व) ?

विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा नरेश

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति— रोनाल्ड रीगन
सोवियत संघ के राष्ट्रपति— लियोनिद ब्रेझनेव
सोवियत संघ के प्रधानमंत्री— निकोलोई तिखोनोव
फ्रांस के राष्ट्रपति— फ्रांस्वा मितेरां

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फ्रांस के प्रधानमंत्री— पियरे मोराय

इस्राइल के राष्ट्रपति— इतिजहाक नेवोन

इस्राइल के प्रधानमंत्री— मेंशेम बोगिन

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष—पद समाप्त कर दिया गया।

चीन के प्रधानमंत्री— झाओ झियांग

ब्रिटेन की महारानी— एलिजाबेथ द्वितीय

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री— श्रीमती मार्गेट टैचर

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति — बाब्रक कमाल

अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री— सुल्तान अली केश्तमंद

नेपाल के महाराजा— वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह

नेपाल के प्रधानमंत्री— सूर्य बहादुर थापा

मिस्त्र के राष्ट्रपति — हुस्नी मुबारक

श्री लंका के राष्ट्रपति— जे. आर. जयवर्द्धन

श्री लंका के प्रधानमंत्री — रणसिंघे प्रेमदास

सऊदी अरब के नरेश— शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज

मारीशस के प्रधानमंत्री— अनिरुद्ध जगन्नाथ

जापान के सम्राट— हिरहितो

जापान के प्रधानमंत्री— जेंको सुजूकी

बंगला देश के राष्ट्रपति— ए. एम. चौधरी

बांगला देश मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक— लेफ्टी. जनरल एच. एम. इरशाद

पाकिस्तान के राष्ट्रपति —जियाउल हक

भूटान नरेश— जिग्मे सिंघे वांग्चुक

इराक के राष्ट्रपति— साद्दाम हुसैन

पुर्तगाल के राष्ट्रपति— अंतोनिया रामल्हो आनेस

लेबनान के प्रधानमंत्री— शफीक अल बजान

जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री— राबर्ट मुगावे

लीबिया के राष्ट्रपति— लेफ्टि. जनरल गद्दाफी

जाम्बिया के राष्ट्रपति— केनेथ कोण्डा

क्यूबा के राष्ट्रपति— फिडेल कास्त्रों

सीरिया के राष्ट्रपति— हाफिज अल असद

आस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल— सर विनयन मार्टिन

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री— मेलकाम फ्रेजर

वियतनाम के राष्ट्रपति— न्युगन हू थो

वियतनाम के प्रधानमंत्री— फाम वान डाग

कनाडा के गवर्नर जनरल— आर. सेंगर

कनाडा के प्रधानमंत्री— पियरे इलियट त्रुवो

इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति— जनरल सुहातों

पूर्वी जर्मनी के शासनाध्यक्ष— इरिच होनेकर

पू. जर्मनी के प्रधानमंत्री— हार्स्ट सिन्डरमन

प. जर्मनी के राष्ट्रपति— डा. कार्ल कारस्टन

प. जर्मनी के चांसलर— हेमल्ट श्मिडट

ईरान के राष्ट्रपति— होजातोलेस्सलाम अली खोमेनी

ईरान के प्रधानमंत्री— मीर हुसैन मुमावी

कंपूचिया के शासनाध्यक्ष— हेंग सामरिन

युगोस्लाविया के राष्ट्रपति— पीटर स्टैम्बिलक

युगोस्लाविया की प्रधानमंत्री— मिल्का प्लेनिन्क

स्पेन के सम्राट — जुआन कालौस

बर्मा के राष्ट्रपति— ऊ सान यू

सिंगापुर के प्रधानमंत्री— ली कुआन यू

जार्डन नरेश— शाह हुसैन प्रथम

फिलीपाइन्स के राष्ट्रपति— फर्डिनेन्ड माकौस

तंजानिया के राष्ट्रपति— जुलियस न्यरेरे

दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री— पीटर विलियम बोथा

रुमानिया के राष्ट्रपति— निकोलाई सेसस्कू

चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति— गुस्ताव हसक

उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति— किम इल सुंग

दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति —चून द ह्वान

मलेशिया के सम्राट— सुल्तान टुंक अहमद शाह

मलेशिया के प्रधानमंत्री— महाथीर मोहम्मद

पोलैण्ड की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव तथा प्रधानमंत्री— जनरल जारुजेल्स्की

यूगांडा के राष्ट्रपति— मिल्टन ओबो

इटली के राष्ट्रपति— सांद्रो पार्तीनि

अल्जीरिया के राष्ट्रपति— चार्ली बेंजदि

अर्जेण्टीना के राष्ट्रपति— जनरल टेनाल्डो बिगनो

गाम्बिया के राष्ट्रपति— ड्वाड़ा जवा

न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री— राबर्ट मुल्डू

कुछ प्रमुख देशों के विदेश मंत्री

● चीन — हुआग हुआ ● पाकिस्तान — साहिबजादा याकुब अली खाँ ● ब्रिटेन — फ्राँसिस पिम ● अफगानिस्तान— शाह मोहम्मद दोस्त ● सोवियत संघ—एन्ड्रयू ग्रोमि[illegible] ● भारत—पी. वी. नर्सिंह राव ● संयुक्त रा[illegible] अमेरिका — जार्ज शुल्टज ● फ्रांस — क्लाड चेशा ● मि[illegible] कमालहसन अली ● बंगला देश —अमीर्नुर रहमान शम[illegible] दोहा ● वियतनाम—निगुयेन हुई विन्ह ● इराक—[illegible] हम्मादी ● ईरान—अली अकबर विलायती ● इस्राइल— एरियल शरोन ● पोलैण्ड—स्टीफेन ओल्स जोवस्की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति

● महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ — जेवियर पी. द. क्यूलर ● अध्यक्ष, विश्व बैंक—आल्डेन विशिप क्लासेन ● प्रबन्धक-निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—जेकस डी. लारोसियर ● अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति—जुआन एंटोनियो समराच ● अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—टी. ओ. एलियास ● अध्यक्ष, फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन—यासिर अराफत ● डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को—ए. एम. बो. ● अध्यक्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन—समादो डिम्प ● अध्यक्ष, एशियन डेवेलपमेंट बैंक—एस. फुजिअको ● महासचिव, कामनवेल्थ नेशन्स—श्रीदथ सोनी ● अध्यक्ष, यूरोपीय आर्थिक समुदाय—गेस्टन थार्न ● महासचिव, अंकटाड—जमानी कोरिया ● संयुक्त राष्ट्र महासभा के 36वें अधिवेशन के अध्यक्ष - इस्मतटी किट्टानी ● अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ—रेने फ्रांक ● अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षा—एज गोंजालेस मार्तिन्ज ● निरस्त्रीकरण तथा सुरक्षा पर अंतराष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष—ओल्फ पामे ● नामीबिया के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के आयुक्त—ब्रजेश चन्द्र मिश्र ● अध्यक्ष, विश्व खाद्य संगठन—जे. बी. अगुआरडो ● प्रथम महिला उपाध्यक्षा, विश्व बैंक—श्रीमती एनी क्रूगर ● के. जी. बी. के प्रधान—वितेली फेदेशिक ● भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान—सुनील गावस्कर ● भारतीय हाकी टीम के कप्तान सुरेन्द्र सिंह सोढ़ी ● दक्षिण-दक्षिण संवाद के अध्यक्ष—एस. पार्थसारथी ■

महत्वपूर्ण आँकड़े

● वर्ष 1980-81 की राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्य पर 110,011 करोड़ रु. तथा 1970-71 के मूल्य पर 47,431 करोड़ रु. है।

● वर्ष 1880-81 की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 1608 रु. तथा 1970-71 के मूल्य पर 684 रु. है।

● वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय आय में 7.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 5.3% की वृद्धि हुई।

● 1 एस. डी. आर. (विशेष आहरण अधिकार) का वर्तमान बाजार मूल्य 1·15 डॉलर है।

● प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व में कुवैत सर्वोच्च स्थान पर है। इस दृष्टि से द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः स्वीट्जरलैंड तथा स्वीडन का है।

● वर्ष 1981-82 के दौरान देश के निर्यात में 13.3% वृद्धि और आयात में 9 6% वृद्धि हुई। कुल आयात व निर्यात क्रमशः 13271.29 व 55,747 करोड़ रु. का हुआ। इसके फलस्वरूप इस वर्ष 5713.80 करोड़ रु. व्यापार का घाटा हुआ।

● 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 68,38,10,051 है।

● 1981 की जनगणना के आधार पर देश में जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 36 प्रति 1,000 तथा 14.8 प्रति 1,000 है।

● 1981 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

● 1981 की जनगणना के आधार पर देश में कुल साक्षरता प्रतिशत 36.17% है (पुरुष 46.74% तथा स्त्रियां 24.89%)

● देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर-कलकत्ता, सर्वाधिक साक्षर राज्य-केरल, सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य-केरल, सबसे कम जनसख्या वाला राज्य-सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केन्द्र शासित प्रदेश-दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला केन्द्र शासित प्रदेश-लक्षद्वीप, सबसे कम साक्षर राज्य-बिहार।

● 1981 की जनगणना के अनुसार स्त्री-पुरुष अनुपात-प्रति 1000 पुरुषों पर 935 स्त्रियाँ।

● हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कृषि उपजों का (20%) है।

● 1981 में रुपये की क्रय शक्ति घट कर 21.94 पैसे रह गई।

● 1971 तथा 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 24.8% रही।

● देश में निर्धनता की सीमा रेखा के अन्तर्गत निवास करने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत (66.40) उड़ीसा में है जबकि पंजाब में यह सबसे कम (15.13%) है।

● देश में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा, दमण और द्वीव सर्वप्रथम (2.426 रु) है जबकि राज्यों में पंजाब इस दृष्टि से सर्वोपरि (2,278 रु.) है। मणिपुर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम (822 रु.) है। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चर्चित संगठन तथा संस्थायें

● दल खालसा—"स्वतन्त्र संप्रभु सिख राष्ट्र" की स्थापना का उद्देश्य लेकर इस अति उग्रवादी संगठन का जन्म 6 अगस्त, 1978 को हुआ था। गुरुदासपुर, चंडीगढ़ तथा मोहाली इसके केन्द्र बताये जाते है। हरसिमरन सिंह (मुख पन्च), गजिन्दर सिंह, हरभजन सिंह नारङ्गवाल, सतनाम सिंह तथा जसवन्त सिंह संगठन की सर्वोच्च समिति के सदस्य हैं। अप्रैल, 82 में अमृतसर में हुये साम्प्रदायिक दंगों के पीछे इसका हाथ बताया गया। 1 मई, 82 को केन्द्र सरकार ने इसे राष्ट्र विरोधी बताते हुये अवैध घोषित कर दिया।

● मिजो नेशनल फ्रन्ट (M.N.F.)—मिजो विद्रोहियों का उग्रपंथी संगठन। इस संगठन का मूल उद्देश्य केन्द्र शासित प्रदेश मिजोरम, मणिपुर व त्रिपुरा के मिजो एवं कुकी आदि समीपवर्ती क्षेत्रों को मिला कर एक स्वाधीन राष्ट्र की स्थापना जान पड़ता है। 20 जनवरी, 1982 को केन्द्र सरकार ने इस पृथक्तावादी संगठन को उसकी हिंसात्मक गतिविधियों के कारण प्रतिबन्धित घोषित कर दिया।

● स्वापो—यह संगठन नामीबिया को दक्षिण अफीका के पंजों से मुक्त कराने हेतु संघर्षरत है। सैम नुजोमा इसके प्रमुख नेता है।

● उत्तर अटलान्टिक संगठन (नाटो)—4 अप्रैल 1949 को अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में बेल्जियम, कनाडा, डनमार्क, फ्रांस, आइसलैण्ड, इटली, लक्जेमबर्ग, हालैण्ड, पुर्तगाल, नार्वे, ग्रेटब्रिटेन और अमेरिका ने एक बहुपक्षीय सुरक्षा संधि (Multi Party Security Alliance) पर हस्ताक्षर किये जिसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर अटलाण्टिक संधि संगठन (North-Atlantic Treaty Organization) या 'नाटो' के नाम से जाना जाता है। फरवरी, 1952 में यूनान और टर्की तथा मई, 1955 में पश्चिमी जर्मनी भी इसमें शामल हो गये। वर्ष 1982 में स्पेन ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली जिससे इसके कुल सदस्यों की संख्या 16 हो गयी। इसका मुख्य कार्यालय ब्रूसैल्स (बेल्जियम) में है।

● फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (पी एल. ओ)—स्वतंत्र फिलीस्तानी राष्ट्र की स्थापना हेतु वर्षों से संघर्षरत संगठन। फिलीस्तीनी समूह 'अलफतह' के यासिर अराफत इसके अध्यक्ष है। भारत सहित कई राष्ट्र इसे कुटनीतिक मान्यता प्रदान कर चुके है। 1982 में लेबनान पर इस्राइली हमले के कारण यह संगठन पुनः चर्चित हुआ। इस समय इसका मुख्यालय ट्यूनिश में हैं।

● सॉलिडेरिटी—साम्यवादी पोलैण्ड में साम्यवादी श्रमिक संगठन के अतिरिक्त श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु अगस्त 1980 में स्वतंत्र संगठन 'सॉलिडेरिटी' (सोलिदारनोश्च) की स्थापना की गई। पोलैण्ड की सरकार को विवश होकर इस संगठन को मान्यता देनी पड़ी। 13 दिसम्बर, 1981 को 'सॉलिडेरिटी' की उग्र गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पोलैण्ड में आपात् स्थिति लागू कर दी गई और इस श्रमिक संगठन को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया।

● अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 को ब्रेटन वुडस सम्मेलन (1944) के निर्णयानुसार हुई थी। 15 नवम्बर, 1947 को यह संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बद्ध हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अभिकरण होने के साथ-साथ एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है—(1) सहयोग एवं परामर्श हेतु एक स्थाई व्यवस्था स्थापित करना जिसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि हो सके। (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सतुलन में विस्तार द्वारा आर्थिक विकास में सहायता करना। (3) विनिमय दरों में स्थिरता रखने तथा सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था। (4) बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था

(शेष पृष्ठ 61 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पुरस्कार तथा सम्मान

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● नोबेल पुरस्कार 1981—डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल [1833-96] द्वारा संस्थापित यह पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1981 के नोबेल पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं-(कोष्ठक में 1980 के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम हैं)—

(अ) शान्ति—शरणार्थियों के लिये स. रा. संघ का उच्चायुक्त कार्यालय। (एडोल्फो पेरेज एस्क्यूबेल, अर्जेन्टीना)

(ब) साहित्य—एलिस कैनेटी, ब्रिटेन। (चेस्लाव मिलोश, पोलैण्ड)

(स) भौतिकी—काई सीगबान, स्वीडन, निकोलस ब्लोमबर्जन और आर्थर शालोव, अमेरिका, संयुक्त रूप से। (जेम्स डब्ल्यू. क्रोनिन और वॉल एफ. फिच, अमेरिका, संयुक्त रूप से)

(द) रसायन—फेनिचा फुकुई, जापान और रोनाल्ड हॉफमैन, अमेरिका, संयुक्त रूप से (पॉल बर्ग व वॉल्टर गिल्बर्ट, अमेरिका तथा फ्रेडरिक सेंजर, ब्रिटेन, संयुक्त रूप से)

(य) चिकित्सा—डेविड एच. हवेल, कनाडा, रोजर डब्ल्यू. स्पेरी, अमेरिका, तथा टॉर्स्टेन एन. विसेल, स्वीडन, संयुक्त रूप से। (बरुज बेना सेराफ, अमेरिका, तथा ज्याँ द औसेट, फ्रान्स, संयुक्त रूप से)

(र) अर्थशास्त्र—जेम्स टोबिन, अमेरिका। (जार्ज स्नेल तथा लॉरेन्स कलीन, अमेरिका, संयुक्त रूप से)

नोबेल पुरस्कार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य—(1) यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिये जाते हैं। भौतिक व रसायन के पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी ऑव साईन्स द्वारा, चिकित्सा के पुरस्कार स्टाकहोम फैकल्टी ऑव मेडिकल साइंस द्वारा, साहित्य के पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी ऑव लिटरेचर द्वारा घोषित किये जाते है। शान्ति-पुरस्कार की घोषणा नार्वे के संसद द्वारा चुने गये पाँच व्यक्तियों द्वारा की जाती है। (2) अर्थशास्त्र के लिये नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गयी थी तथा इसके प्रथम विजेता रेंगर फ्रिच [नार्वे] तथा जेन टिनबर्गन [हालैण्ड] थे।

● 17वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार 1981—'भारतीय ज्ञानपीठ' संस्था के तत्वाधान में 1965 से दिया जाने वाला यह साहित्यिक पुरस्कार वर्ष 1981 के लिये सुप्रसिद्ध पंजाबी कवियित्री व उपन्यासकार श्रीमती अमृता प्रीतम को उनके काव्य-संग्रह 'कागज ते कनवास' (1973 के) लिये प्रदान किया गया।

इस पुरस्कार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य—

(अ) इस वर्ष से पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये से बढ़ा कर $1\frac{1}{2}$ लाख कर दी गयी है। इस धनराशि के अतिरिक्त विजेता को सम्मान-पत्र तथा 'वाग्देवी पदक' प्रदान किया जाता है। (ब) श्रीमती अमृता प्रीतम के पूर्व अधोलिखित व्यक्ति इस पुरस्कार से सम्मानित किये जा चुके हैं: 1965-जी. शंकर कुरुप, 1966-ताराशंकर बन्द्योपाध्याय, 1967-के. वी. पुतप्पा तथा उमाशंकर जोशी, 1968-सुमित्रा नन्दन पन्त, 1969-रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी,' 1970-डॉ. विश्व नाथ सत्यनारायण, 1971-विष्णु डे, 1972-रामधारी सिंह दिनकर, 1973-डी. आर. बेन्द्रे तथा गोपीनाथ महन्ती, 1974-विष्णु सखाराम खांडेकर, 1975-पी. अखिलन्दम, 1976-श्रीमती आशापूर्णा देवी, 1977-डा. शिव राम कारन्थ, 1978-सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 1979-वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, 1980-एस. के. पोट्टेकाट

● रेमन मैग्सेसे पुरस्कार—फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रति वर्ष 31 अगस्त को वितरित किये जाने वाले यह पुरस्कार चार श्रेणियों में दिये जाते हैं। पुरस्कार के अन्तर्गत एक स्वर्णपदक तथा 20 हजार डालर प्रदान किये जाते है। वर्ष 1982 के लिये यह पुरस्कार निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किये गये। (कोष्ठकों में 1981 के पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के नाम हैं)—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1—सामुदायिक नेतृत्व—चंडी प्रसाद भट्ट (भारत)
(डॉ. प्रमोद करण सेठी, भारत)

2—विशिष्ट शासकीय सेवा—आतुर्रो पी. एकार्ज (फिलीपाइन्स)
(डॉ. प्रवीश वासी, थाइलैंण्ड)

3—जन सेवा—मणिभाई भीमाभाई देसाई (भारत)
(आगस्टीन जंग रयुल काँग, दक्षिणी कोरिया)

4—साहित्य, कला, व पत्रकारिता—अरुण शोरी (भारत)
(श्री गौर किशोर घोष, भारत)

● दादा साहब फाल्के पुरस्कार—हिन्दी चलचित्र जगत के प्रख्यात संगीतकार नौशाद अली को फिल्म-क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु 1981 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1980 के लिये यह पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेता जयराज को प्रदान किया गया था।

● 17 वाँ नेहरु शांति पुरस्कार 1981—वर्ष 1981 के अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरु पुरस्कार हेतु स्वीडन की दम्पत्ति गुन्नार मिरडल तथा अल्वा मिरडल को [संयुक्त रूप से] चुना गया है। वर्ष 1980 के लिये यह पुरस्कार ब्रिटेन की पत्रकार-अर्थशास्त्री बारबरा वॉर्ड को प्रदान किया गया था। इण्डियन कौंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा संचालित यह पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना और शांति के लिये किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता (1965 में) यू थांट थे।

● 29 वाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार—वर्ष 1981 के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस प्रकार हैं—

सर्वोत्तम कथा-चित्र (स्वर्ण कमल)—दखल (निर्देशक : गौतम घोष)

सर्वश्रेष्ठ निर्देशिका—अपर्णा सेन (36 चौरंगी लेन)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता—ओम पुरी (आरोहण)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री—रेखा (उमराव जॉन)

सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकर—मास्टर लखिन्दर सिंह (इमागी निनगयम)

सर्वश्रेष्ठ संगीत-रचना—खय्याम (उमराव जान)

सर्वश्रेष्ठ पार्श्व-गायक—बाल सुब्रह्मण्यम (एक दूजे के लिए)

सर्वश्रेष्ठ पार्श्व-गायिका—आशा भोंसले (उमराव जॉन)

राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र (नर्गिस दत्त पुरस्कार)—सप्तपदी (तेलगु)

विशेष जुरी पुरस्कार—सद्गति (निर्देशक-सत्यजित राय) इसी सन्दर्भ में पाठकों को ध्यान रहे कि वर्ष 1980 का सर्वोत्तम कथा चित्र 'अकालेर सन्धाने' था।

● अर्जुन पुरस्कार 1980-81—क्रीड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अधोलिखित खिलाड़ियों के नामों की वर्ष 1980-81 के अर्जुन पुरस्कार हेतु घोषणा की गयी है—

(1) चेतन चौहान तथा सैय्यद किरमानी (क्रिकेट) (2) गोपाल सैनी (एथेलेटिक्स) (3) रोहणी खांडिलकर (शतरंज), (4) मंजीत दुआ (टेबिल टेनिस), (5) मोहम्मद हबीब (फुटबाल), (6) रमेश कृष्णन (लॉन टेनिस) (7) सैयद मोदी (बैडमिंटन), (8) श्रीमती एलेजा नेल्सन तथा मोहम्मद शाहिद (हॉकी) (9) जगमिंदर सिंह (कुश्ती), (10) नायक इसाक अमलदार (मुक्केबाजी), (11) शांताराम जादव (कबड्डी)

● गणतंत्र दिवस पुरस्कार—गणतन्त्र दिवस की 33वीं वर्षगांठ पर वर्ष 1981 लिये निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये गये।

भारत रत्न—भारतीय पुरस्कारों में सर्वोच्च 'भारत रत्न' पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसी को प्रदान नहीं किया गया है।

पद्म विभूषण—मीरा बैन (समाज-सेविका)

पद्म भूषण—डॉ. आतम प्रकाश (चिकित्सक), एन. गांयदिल्लू (स्वतंत्रता संग्रामी), झाबरमल्ल शर्मा (हिन्दी साहित्यकार), डॉ. ए. राम वर्मा (वैज्ञानिक), खादिम हुसैन खां (संगीतज्ञ), ए. एस. रामकृष्णन (सर्जन), ब्रम्हैया (समाज-सेवक), डॉ. जी. एल. एम. मीर (पुरातत्ववेत्ता), डॉ. जे. एम. मेहता (कुष्ठ रोग विशेषज्ञ), डॉ. जे. एस. बजाज (चिकित्सक), डॉ. के. जे. रानाडे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(चिकित्सक), आचार्य पी. एन. पी. शास्त्री (संस्कृत के विद्वान), स्टेला क्रेमरिश, एस. बालचन्दर (वीणा-वादक), डॉ. एस. जेड. कासिम (सामुद्रिकी विशेषज्ञ)

पद्म श्री—गौरा पन्त 'शिवानी' (हिन्दी साहित्यकार), मोहम्मद बशीर (मलयालम साहित्यकार), प्रो. सत्य प्रकाश (अन्तरिक्ष वैज्ञानिक), प्रकाश पादूकोण (बैडमिन्टन खिलाड़ी), सैयद किरमानी (क्रिकेट खिलाड़ी), कपिल देव (क्रिकेट खिलाड़ी), प्रो. शेर सिंह (कवि), एम. के. दालवी (सामाजिक वानिकी विशेषज्ञ) तथा अन्य 25 व्यक्ति।

● ऑस्कर पुरस्कार—मार्शल पिक्चर द्वारा संचालित ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1981 के लिये निम्नलिखित को दिया गया है—

सर्वोत्तम चित्र चैरिअट्स ऑव फायर

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक—वॉरेन बैट्टी (फिल्म: रेड्स)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता—हेनरी फोन्डा (फिल्म : ऑन गोल्डेन पॉण्ड)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री—कैथरीन हैपबर्न (फिल्म : ऑन गोल्डेन पॉण्ड)

● सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार—वर्ष 1981 का सोवियत लैण्ड-नेहरू पुरस्कार राज कपूर (अभिनेता-निर्देशक), करतार सिंह दुग्गल (साहित्यकार), ओ. एन. कुरुप (कवि) को प्रदान करने की घोषणा की गयी है।

● द ऑर्डर ऑव गोल्डन आर्क—पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु 18 मई, 82 को नीदरलैंड के राजकुमार बर्नहार्ड द्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वोच्च उच सम्मान 'कमांडर इन दि ऑर्डर ऑव द गोल्डन आर्क' से सम्मानित किया गया।

● बोरलॉग पुरस्कार फुड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाईजेशन द्वारा संचालित इस पुरस्कार हेतु 1980 के लिये भारत के भू-सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना के निदेशक आर. एम. मूर्ति को चुना गया है।

● लोटस पुरस्कार—साहित्य के लिए 1981 का एफ्रो-एशियन लोटस पुरस्कार द. कोरिया के प्रख्यात कवि किम हियों को प्रदान किया गया।

● मार्कोनी पुरस्कार—संचार, विज्ञान तथा टैक्नोलॉजी से सम्बन्धित साहित्य के लिये प्रदान किया जाने वाला मार्कोनी पुरस्कार, वर्ष 1981 के लिए प्रख्यात विज्ञान साहित्य लेखक ए. सी. क्लार्क को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

● भटनागर पुरस्कार—1981 के भटनागर पुरस्कार के लिए 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद', नई दिल्ली ने नौ वैज्ञानिकों एवं तकनीकी-विदों को अपने विषय में उत्कृष्ट और सराहनीय अनुसन्धान के लिए चुना है। ये व्यक्ति इस प्रकार हैं:—डॉ. एस. एम. राय (भौतिकी), आर. श्रीनिवास, डॉ. डी. बाला सुब्रह्मण्यम, एम. बी. देव (रसायन); डॉ. वी. पी. साने, डॉ. सुशील कुमार (जीव विज्ञान); एस. सी. दत्ता राय (अभियांत्रिकी), यू. सी. चतुर्वेदी (चिकित्सा); जे. के. घोष (गणित)।

● पुलिट्जर पुरस्कार—वर्ष 1982 के लिये घोषित पुलिट्जर पुरस्कार इस प्रकार हैं—

सार्विक रिपोर्ताज के लिये—कन्सास सिटी स्टार व कन्सास सिटी टाईम्स

राष्ट्रीय रिपोर्ताज के लिये—रिक एटकिनसन (कन्सास सिटी टाइम्ज)

सार्वजनिक सेवा के लिये—डेट्रोएट न्यूज

फीचर लेखन के लिये—सॉल पेर व रॉन एडमन्ड्स (एसोशियेटेड प्रेस)

विशिष्ट स्थानीय रिपोर्ताज के लिये—पॉल हेन्डरसन (सिएटल टाइम्ज)

साहित्य—आर्ट बुकवॉल्ड व जॉन अण्डाईक (रैबिट इन रिच)

कविता - सिल्विया प्लाथ

जीवन कथा—विलियम मैकफिली (ग्रान्ट : अ बायोग्राफी)

अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ताज के लिये—जॉन डार्टन व जैक रोसनथॉल (न्यूयार्क टाईम्स)

1917 से प्रारम्भ किये गये पुलीट्जर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अमेरिका के निवासियों को साहित्य, काव्य, नाटक और पत्रकारिता में विशेष योग्यता हेतु प्रदान किये जाते है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● यू थान्ट पुरस्कार—भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी को उनकी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान 1 अगस्त, 1982 को यू थान्ट शांति-पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

● कलिंग पुरस्कार वर्ष 1982—बीजू पटनायक द्वारा सृजित यह पुरस्कार वेनेजुएला के विज्ञान के पत्रकार बेस्टीडॉस को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदान किया गया।

● मितशुबिसी पुरस्कार—'दैनिक बंगाल' (बंगलादेश से प्रकाशित) के सम्पादक शमसुर रहमान को वर्ष 1981 के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

● उ. प्र. हिन्दी संस्थान का सम्मान—उ. प्र. हिन्दी संस्थान ने प्रख्यात हिन्दी कवयित्री महादेवी वर्मा को उनके सम्पूर्ण साहित्य कृतित्व हेतु एक लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

● 'वर्ष के सम्पादक'—सम्पूर्ण विश्व के प्रेसों की समीक्षा करने वाली मासिक पत्रिका 'वर्ल्ड प्रेस रिव्यू' ने भारत के अंग्रेजी दैनिक 'इण्डियन एक्सप्रेस' (नई दिल्ली) के अधिशाषी सम्पादक अरुण शोरी को उनकी स्वतन्त्र तथा खोज-परक पत्रकारिता हेतु 'वर्ष के सम्पादक' के सम्मान से विभूषित किया है।

● बुकर पुरस्कार—वर्ष 81 हेतु यह उत्कृष्ट ब्रितानी साहित्य पुरस्कार सुलेमान रसीदी को उनकी पुस्तक 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' के लिये प्रदान किया गया।

● थर्ड वर्ल्ड पुरस्कार 1981—थर्ड वर्ल्ड फाउन्डेशन द्वारा आयोजित 1981 का तृतीय थर्ड वर्ल्ड पुरस्कार तन्जानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरे को प्रदान किया गया। पुरस्कार में 1 लाख डालर की धनराशि तथा पदक प्रदान किया गया। प्रथम थर्ड वर्ल्ड पुरस्कार प्रेसचिव को दिया गया था।

● डॉग हैमरशोल्ड पुरस्कार—मानव सभ्यता उन्नति में विशिष्ट योगदान के लिये 1981 का पुरस्कार रोमेश चन्द्र को प्रदान किया गया है।

● साहित्य अकादमी पुरस्कार—वर्ष 1981 साहित्य अकादमी पुरस्कार विविध भाषाओं की 20 पुस्तकों को प्रदान किये गये हैं। इनमें त्रिलोचन को 'ताप ताए हुए दिन' (हिन्दी), जयन्त महापात्र की 'रिलेशनशि और राधा रमन मित्र की कलिकत्ता दर्पण' मुख्य है।

● बोयरामा पुरस्कार—खाद्य एवं कृषि संगठन (ए ए. ओ.) द्वारा आयोजित बोयरमा पुरस्कार अमेरि लेखक लेस्टर आर. ब्राउन को प्रदान किया गया।

● राष्ट्रीय एकता पुरस्कार—वर्ष 81 का यह पुरस्का सलीम किदवई को मिला।

● मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार—प्रख्यात अमेरि गायक एवं अभिनेता हैरी बेलाफोंटे को वर्ष 1981 लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

● रामेश्वर दास जी बिरला पुरस्कार—वर्ष 19 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री प्रो. जी. तलवार को प्रदत्त।

● बी. सी. राय. राष्ट्रीय पुरस्कार—आयुर्विज्ञा शिक्षण तथा सामाजिक चिकित्सीय सहायता के लिए दि जाने वाले पुरस्कार से 1981 में 23 चिकित्सकों सम्मानित किया गया है, जिनमें डॉ. के. एल. वि डॉ. एच. एन. चट्टोपाध्याय एवं डॉ. एस. मूर्ति प्रमुख है।

चर्चित स्थल

● फाकलैंड—51 तथा 53 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हार्न अन्तरिप (दक्षिणी अमरीकी मुख्य भूमि का सुदूर-दक्षिण बिन्दु) से लगभग 480 मील उत्तर-पूर्व में तथा अर्जेंटीना के तट से लगभग साढ़े छह सौ मील दूर स्थित 200 द्वीपों का स 4700 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में विस्तृत इस द्वीप स में दो बड़े द्वीप हैं : पूर्वी फाकलैण्ड तथा पश्चिमी फाकलै यहाँ की राजधानी पोर्ट स्टेनली है जहाँ इस द्वीप समूह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकांश जनसंख्या (लगभग 1,867), जो कि ब्रितानी मूल की है, केन्द्रित है। वर्ष 1833 से ब्रिटिश शासन द्वारा नियंत्रित होने वाला यह द्वीप समूह अभी हाल में तब विश्वव्यापी चर्चा का केन्द्र बना जब इस पर अपनी-अपनी प्रभुसत्ता के दावे को लेकर ब्रिटेन तथा अर्जेन्टीना के मध्य भीषण युद्ध हुआ जिसमें अन्ततोगत्वा ब्रिटेन को सफलता अर्जित हुई।

● जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम—नयी दिल्ली में लोदी रोड पर लगभग 20 करोड़ रु. की लागत से बना हुआ वह स्टेडियम जहाँ 19 नवम्बर, 82 को भारत के राष्ट्रपति नवम् एशियाई खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेडियम में एक साथ 75 हजार दर्शकों को बैठने की सुविधा प्राप्त है।

● अंटार्कटिका—विश्व भू-तल के सुदूर दक्षिण के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बर्फीला क्षेत्र। लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल वाले इस क्षेत्र के 90% भाग पर बर्फ जमी रहती है। इस स्थान पर पहुँचने का सर्वप्रथम श्रेय (1911 में) नार्वे वासी रोनल्ड आमुंडसेन को प्राप्त हुआ। यह स्थान इस वर्ष तब चर्चा का विषय बना जब कि पर्यावरण विभाग के सचिव डॉ. एस. जेड. कासिम के नेतृत्व में 21 सदस्यीय भारतीय वैज्ञानिक दल ने 9 जनवरी को यहां पहुँचने का गौरव अर्जित किया।

● बम्बई हाई—यह तेल उत्खनन क्षेत्र अभी हाल में तब चर्चित हुआ जब 1 जुलाई, 82 के अंतिम सप्ताह में यहाँ तेल-खुदाई के वक्त अत्यधिक दबाव से एक तेल के कुएं के फटने और आग लग जाने से 27 करोड़ रु. की लागत का 'सागर विकास रिग' जल कर नष्ट हो गया।

● लेबनान—उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इस्राइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से सीमाबद्ध, 4015 वर्गमील क्षेत्रफल तथा 30 लाख की आबादी वाला यह देश 'पश्चिम एशिया के स्विटजरलैण्ड' के नाम से जाना जाता है। अपने अस्तित्व-काल (1941) से ही यह देश जहाँ अपनी सामुदायिक भिन्नता के कारण गृह-युद्ध से आक्रांत चला आ रहा है वहीं कई बार इसे इस्राइल तथा सीरिया के मध्य युद्ध का शिकार भी बनना पड़ा। अभी हाल में यह चर्चा का विषय तब बना जब इस्राइल ने इस पर भीषण सैनिक आक्रमण कर इसके अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। (विस्तृत विवरण हेतु 'प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें' शीर्षक देखें।)

● नामीबिया—8,20,000 वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल तथा लगभग 10 लाख आबादी वाला नामीबिया (पूर्व नाम-द. प. अफ्रीका) अफ्रीकी महाद्वीप का अन्तिम गैर-स्वशासी क्षेत्र है। यह देश चारों ओर से अंगोला, जाम्बिया बोत्सवाना, द. अफ्रीका तथा अटलान्टिक महासागर से घिरा हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 1967 तक यह दक्षिण अफ्रीका के संरक्षण के अन्तर्गत था, पर 1968 में स. रा. संघ ने द. अफ्रीका की नामीबिया पर संरक्षणता को समाप्त कर शासन का सम्पूर्ण भार कौंसिल फॉर नामीबिया को सौंप दिया। वर्ष 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय द्वारा नामीबिया पर द. अफ्रीका के कब्जे को अवैध घोषित कर उसे आदेश दिया कि वह शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से प्रत्याहार करे। तब से आज तक विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने नामीबिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया पर द. अफ्रीका इस स्थिति को सरलता से स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता।

(विस्तृत विवरण हेतु जुलाई 82 अंक देखें।)

● सिसवाँ—बस्ती जिले [उ. प्र.] का वह गाँव जो कि पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा लूट एवं बलात्कार जैसे कथित घटनाकांड को लेकर इधर काफी चर्चित रहा।

● आर्हितीना या अर्जेंटीना—द. अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित 22 राज्यों के इस संघीय गणराज्य (क्षेत्रफल-2,766,889 वर्ग कि. मी., जनसंख्या—26.73 करोड़, राजधानी-ब्यूनस आयर्स) ने अभी हाल में तब सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जब इसने 2 अप्रैल, 82 को अपनी नौसेना की सहायता से फाकलैंड द्वीप समूह पर अपने दावे को चरितार्थ करते हुए उस पर अधिकार कर लिया तथा बाद में 14 जून, 82 को ब्रिटेन से परास्त हुआ।

● सिनाई—मिस्र का रेगिस्तानी क्षेत्र जिस पर 1967 के द्वितीय अरब-इस्राइल युद्ध के दौरान इस्राइल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस्राइल ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

25 अप्रैल, 82 को इस क्षेत्र को कैम्प डेविड समझौते के अन्तर्गत मिस्र को वापस लौटा दिया।

● पोर्ट स्टेनली—फाकलैण्ड द्वीप समूह की राजधानी तथा वहां का एक मात्र नगर जहां अधिकांश जनसंख्या केन्द्रित है। अभी हाल में फाकलैंड द्वीप समूह पर प्रभुसत्ता-स्थापना हेतु ब्रिटेन तथा अर्जेन्टीना के मध्य हुए युद्ध के सन्दर्भ में इस स्थान ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

● केप कैनवराल (केप कैनेडी)—स. रा. अमेरिका का अंतरिक्ष-केन्द्र जहाँ से 10 अप्रैल, 82 को भारत का प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह इन्सेट-1ए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

● गोलन पहाड़ी—1967 के अरब-इस्राइल युद्ध में इस्राइल द्वारा अधिकृत सीरिया का यह सामरिक महत्व का क्षेत्र अरब-इस्राइल संघर्ष का प्रमुख स्थल रहा है। 15 दिसम्बर, 1981 को इस्राइली संसद ने अधिनियम पारित कर औपचारिक तौर पर इस क्षेत्र को इस्राइल में विलय कर लिया।

● गिलगित, हुंजा व स्कर्द—पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 'गिलगित' 'हुंजा' व 'स्कर्द' नामक स्थान इधर-राजनैतिक चर्चा के विषय तब बने जब अभी हाल में पाक-राष्ट्रपति जिया उल हक ने इन्हें अपने द्वारा अधिकृत कश्मीर से बाहर माना और इन्हें पाकिस्तान की उत्तरी सीमा घोषित किया। उन्होंने नव गठित 'मजलिसे शूरा' में इन स्थानों से तीन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। भारत ने जनरल जिया की इस घोषणा पर तीव्र विरोध प्रकट किया।

● न्यूयार्क—स. रा. अमेरिका का प्रमुख नगर, जहां 7 जून 82 से 10 जुलाई 82 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय निरस्त्रीकरण अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

● बेरुत—'पश्चिमी एशिया के पेरिस' के नाम से विख्यात लेबनान का राजधानी नगर, जो अभी हाल में तब अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का केन्द्र बना जब इस्राइल ने इस नगर के पश्चिमी भाग में स्थित पी. एल. ओ. के गढ़ को पूर्णरूपेण नष्ट करने हेतु इसकी चारो ओर से सामारिक घेरा बन्दी कर फिलीस्तीनीयों को लेबनान छोड़ देने लिए विवश कर दिया।

● पालिका बाजार—नयी दिल्ली के कनाट प्लेस में भूगर्भ स्थित शानदार वातानुकूलित बाजार जि[से] 25 मई, 82 को डायनामाइट की छड़ों द्वारा उड़ाने का विफल षड़यन्त्र किया गया था।

● इरीट्रिया—इथोपिया का एक स्वायत्त राज्य जहां 'इरीट्रिया मुक्ति मोर्चे' के नेतृत्व में 1961 से स्वाधीनता हेतु संघर्ष चल रहा है।

● अमृतसर—पंजाब का प्रमुख धार्मिक नगर जो कि पृथकतावादी उग्रपन्थी सिखों के षडयन्त्र का केन्द्र बन हुआ है।

● हरेरा मिटी—जिम्बाब्वे की राजधानी सॉल्सबरी का नया नाम।

● हसन—कर्नाटक में स्थित वह स्थान जहाँ के भू उपग्रह नियन्त्रक भूतल केन्द्र से इन्सेट-1ए को नियंत्रित किया जा रहा है।

● श्री लंका—पाक जलडमरू-मध्य के द्वारा भारत से पृथक यह दक्षिण एशियाई देश (क्षेत्रफल-65,610 वर्ग कि मी. तथा जनसंख्या 14.85 मिलियन) इधर हाल में तब चर्चा का विषय बना जब यहां सिंघली भाषा-भाषी बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के मध्य निरन्तर हो रही हिंसात्मक घटनाओं के कारण 30 जुलाई, 1982 को आपातस्थिति की घोषणा की गयी।

● चोलिस्तान (ब्रदीन)—भारतीय सीमा से 70 कि मी. दूर पाकिस्तान का कच्छ की खाड़ी के सामने का मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पाकिस्तानी सरकार आणविक विस्फोट करने का बहुत दिनों से विचार कर रही है।

● मोनीचैरे—दक्षिण गुजरात में स्थित वह ग्रामीण स्थल जहाँ भारत के पाँचवे आणविक बिजलीघर की निर्माण-प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

● चश्मा—इस्लामाबाद (पाकिस्तान) से 250 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित वह स्थान जहाँ 14 अप्रैल, 198[2] को पाकिस्तान ने 937 मैगावाट शक्ति वाले अप[ने] आणविक संयंत्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है।

● दियागो-गार्सिया—भारत से लगभग एक हजार मील दक्षिण में, हिन्द महासागर में स्थित, 11 वर्गमील क्षेत्र फल वाला यह द्वीप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विशे[ष]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामरिक महत्व रखता है। अपने इसी महत्व के कारण यह पिछले कई वर्षों से चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। इस द्वीप पर मॉरीशस का प्रारम्भिक अधिकार था। 1965 में एक समझौते के अन्तर्गत इस द्वीप को मॉरीशस ने ब्रिटेन को सौंप दिया। ब्रिटेन ने दिसम्बर 1973 में एक समझौते के अन्तर्गत इस द्वीप को अमेरिका को सौंप दिया। फारस की खाड़ी में सोवियत संघ की शक्ति के प्रसार पर अंकुश लगाने हेतु अमेरिका ने इस द्वीप पर सैनिक अड्डे की स्थापना कर उसका विस्तार प्रारम्भ कर दिया। भारत सहित इस क्षेत्र के अन्य देश अमेरिका के इस कदम का वर्षों से तीव्र विरोध करते आ रहे हैं। अब मॉरीशस इस द्वीप को ब्रिटेन से वापस चाहता है। इसी सन्दर्भ में 7 जुलाई, 1982 को मॉरीशस ने इस द्वीप को अपना हिस्सा घोषित कर दिया है।

● वर्साय—फ्रान्स का वह नगर जहाँ जून 82 के प्रथम सप्ताह में विश्व के 7 प्रमुख यूरोपीय औद्योगिक देशों का शीर्ष सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

● खुर्रम शहर—तेहरान से 640 कि. मी. दक्षिण पश्चिम में स्थित सामरिक तथा व्यापारिक महत्व वाला ईरान का महत्वपूर्ण बन्दरगाह नगर, जिसे 20 माह के युद्ध के बाद मई, 82 के अंतिम सप्ताह में इरान ने इराकी नियंत्रण से मुक्त करा लिया है।

● पोर्ट डार्विन तथा गूज ग्रीन—फाकलैंड की राजधानी पोर्ट स्टेनली से 80 कि. मी. दक्षिण में पूर्वी फाकलैण्ड द्वीप समूह के मध्य में स्थित दो महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने, जो अर्जेण्टीना तथा ब्रिटेन के मध्य विवादास्पद फाकलैण्ड-युद्ध में चर्चा का विषय बने।

● दस्तमपुर—कानपुर देहात का वह गाँव जहाँ 27 जून 82 को डकैतों द्वारा 11 ग्रामीणों की नृशंस हत्या कर दी गयी। इस घटना ने उ.प्र. के तत्कालीन मुख्यमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने पद से त्याग-पत्र देने के लिए विवश किया।

● न्यू मूर द्वीप—बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हरियाभंग नदी के सागर संगम पर उभरा यह एक नया द्वीप है। इस पर भारत तथा बांगला देश अपने-अपने अधिकार का परस्पर विरोधी दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।

लॉस एन्जीलस—सं. रा. अमेरिका का वह नगर जहाँ 1984 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जायेगा।

● ब्रीच कैंडी—बम्बई का एक प्रसिद्ध हस्पताल, जहाँ पिछले दिनों प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की गम्भीर अस्वस्थता की चिकित्सा प्रारम्भ हुई।

● ग्रीन लैंड—8,40,000 वर्ग मील वाला देश 1982 में चर्चा का विषय तब बना जब 23 फरवरी को जनमत संग्रह के माध्यम से इसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अपनी सदस्यता वापिस ले ली।

● निकोसिया—साइप्रस की राजधानी। यहाँ जुलाई, 82 में लेबनान पर इस्राइली आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श कर तत्काल शान्ति-स्थापना हेतु गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

● प्वेर्तोरिको—इस छोटे से स्पेनी भाषा-भाषी देश को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने सं. रा. अ. के 51 वें राज्य का दर्जा देने को प्रस्ताव का समर्थन कर अपने पूर्ववर्ती सभी राष्ट्रपतियों की परंपरा को तोड़ दिया।

● सहार—बम्बई का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पिछली 22 जून को एयर इंडिया के सबसे पुराने विमान बोइंग 707 की दुर्घटना में चालक दल के 2 सदस्यों के अतिरिक्त 20 यात्रियों की मृत्यु हो गयी।

● कानकुन—मैक्सिको का वह नगर जहाँ 22 तथा 23 अक्टूबर, 1981 को आर्थिक विषमता दूर करने के उद्देश्य से धनी तथा निर्धन देशों का शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

● चैड—11 अगस्त, 1960 को फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्य से स्वतंत्र हुए इस छोटे से अफ्रीकी देश (क्षेत्र-फल-1,284,000 वर्ग कि. मी. तथा जनसंख्या-4.52 मिलियन) में सत्ता—परिवर्तन एक सामान्य लक्षण बन चुका है। 7 जून, 82 को भू. पू. रक्षामन्त्री हिसे हेब्रा ने राष्ट्रपति गोकाउनी को सत्ताच्यूत कर सत्ता पर नियन्त्रण कर लिया।

● अल सल्वाडोर—21,393 वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल तथा 4.81 मिलियन जनसंख्या वाले इस मध्य अमेरिकी राष्ट्र में विगत दो वर्षों से गृह-युद्ध चल रहा है। इस देश की दमनकारी सैनिक सरकार को सं. रा. अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो रहा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● **सोमालिया**—अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित 6,37,657 वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल वाला एक गणतांत्रिक देश जो कि 1 जुलाई 1960 को अस्तित्व में आया। इस देश को निरन्तर आन्तरिक विद्रोहों तथा इथियोपियाई सैनिकों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है।

● **सिस्केई**—अश्वेतों का एक छोटा-सा अफ्रीकी राज्य; जिसे 4 दिसम्बर, 1981 को रंगभेद नीति समर्थक दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासन ने स्वाधीन राज्य का दर्जा प्रदान किया।

● **वोल्वोग्राद**—सोवियत रूस स्थित इस अन्तरिक्ष अड्डे से 20 नवम्बर, 1981 को भारतीय उपग्रह 'भास्कर-2' अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

● **एंटिगुवा**—कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित ब्रिटेन का उपनिवेशिक द्वीप जिसे 31 अक्टूबर 1981 को स्वाधीनता प्राप्त हुई। 75,000 की जनसंख्या वाले इस द्वीप की राजधानी सेंट जोंस है।

● **कार्लस्क्रोना**—स्वीडन के इस क्षेत्र में स्थित नौ-सेना घाटी की प्रादेशिक समुद्री सीमा में पिछले दिनों सोवियत रूस की पनडुब्बी को उसके अनाधिकृत प्रवेश के कारण पकड़ लिया गया था जिससे दोनों देशों के मध्य कटुता का वातावरण उत्पन्न हो गया था।

● **कोजी वे**—दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित वह बन्दरगाह जहाँ रूस द्वारा नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की कथित योजना बनायी जा रही है।

● **बेलीज**—मध्य अमेरीका में स्थित ब्रिटेन का वह उपनिवेश जिसे 21 सितम्बर, 1981 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

● **श्री हरिकोटा**—आन्ध्र प्रदेश का तटवर्ती द्वीप, जहाँ से भारतीय उपग्रह रोहिणी I व II का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया।

● **डरबन**—दक्षिणी अफ्रीका का वह नगर जहाँ सेशेल्स के विद्रोहियों द्वारा 28 नवम्बर 1981 को सेशेल्स से बम्बई आ रहे एयर इण्डिया के विमान बोइङ्ग-707 का अपहरण कर ले जाया गया।

● **देहुली**—मैनपुरी जिले (उ. प्र.) का वह ग्राम जो 18 नवम्बर, 1981 को कुछ दुष्कृत्यकारियों द्वारा 24 हरिजनों की हत्या के कारण चर्चा का विषय बना।

● **काराकोरम हाइवे**—हिन्दुकुश और कारकोरम पर्वतमालाओं को जोड़ने वाली यह सड़क पाक अधिकृत कश्मीर में बनी है तथा भारत इसको गैर कानूनी मानता है। चीनी सहायता से बना यह उच्च मार्ग पिछले वर्ष तब चर्चा का विषय बना जब पाकिस्तान ने इस 170 कि.मी. लम्बी सड़क को चौड़ी करने की योजना बनायी।

● **जाफना**—श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र का वह जिला जो पिछले दिनों बहुसंख्यक सिंहलियों तथा अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य साम्प्रदायिक दंगों के कारण चर्चित हुआ।

● **शत-अल-अरब**—160 कि.मी. लम्बा और 100 मील चौड़ा सामरिक महत्व का यह जलमार्ग इरान-इराक को युद्ध का केन्द्र-बिन्दु हैं।

● **होरमुज जलडमरूमध्य**—हिन्द महासागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला 24 मील चौड़ा यह जल डमरूमध्य इरान-इराक युद्ध में विशेष स्पर्धा तथा चर्चा का केन्द्र रहा है।

● **साढ़ूपुर**—उत्तर प्रदेश शिकोहाबाद तथा फिरोजाबाद नगर के मध्य स्थित इस हरिजन बहुल गाँव में 3 दिसम्बर 1981 को 10 जाटव व्यक्तियों की डकैतों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गयी।

● **वॅलविस बे**—अटलांटिक महासागर के जलमार्ग पर स्थित यह बन्दरगाह दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया के मध्य विवाद का प्रमुख केन्द्र रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार इस पर नामीबिया का अधिकार होना चाहिए जबकि दक्षिण अफ्रीका इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता।

● **बेका घाटी**—पूर्वी लेबनान में स्थित वह स्थल जहाँ सीरिया ने इस्राइल के विरुद्ध सैम-6 प्रक्षेपास्त्र लगा रखा है।

● **साउथ हाल**—'छोटा भारत' के नाम से प्रसिद्ध लंदन का यह इलाका इस वर्ष पुनः जातीय तथा रंग-भेद दंगों के कारण चर्चा का विषय बना।

● **फुलवारी शरीफ**—बिहार में पटना के निकट वह स्थान जहाँ मई-जून, 82 में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमुख शब्द संक्षेप

- A.G.O.C.—एशियन गेम्स आर्गेनाईजिंग कमेटी
- A.R.D.C.—एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन
- A.S.L.V.—ऑगमेन्टेड सैटेलाइट लाँच व्हीकल
- A.V.A.R.D.—एसोसियेशन ऑव वालेण्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवेलपमेंट
- A.W.A.C.S.—एअरबॉर्न वॉर्निङ् एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम
- A.P.C.—एग्रीकलचरल प्राइसेज कमीशन
- A.P.P.L.E.—एशियन पैसेन्जर पेलोड एक्सपेरिमेंट
- A.I.P.O.S.—ऑल इण्डिया पीस एण्ड सॉलिडेरिटी आर्गेनाइजेशन
- A.S.E.A.N.—एसोसियेशन ऑव साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स
- A.B.M.—एण्टी बैलेस्टिक मिसाइल
- A.D.B.—एशियन डेवेलपमेंट बैंक
- A.I.N.E.C.—ऑल इण्डिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कॉन्फ्रेंस
- B.M.R.F.—म्यूट्युअलि बैलेन्सड् रिडक्शन ऑव फोर्सेज
- B.A.R.C.—भाभा एटोमिक रिसर्च सेण्टर
- B.H.E.L.—भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰
- B.P.E.—ब्यूरो ऑव पब्लिक इन्टरप्राइजेज
- B.O.A.C.—ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन
- C.A.S.E.—कमीशन ऑन एडीशनल सोर्सेज ऑव एनर्जी
- C.O.P.U.—पार्लयामिन्ट्री कमेटी ऑन पब्लिक अण्डरटेकिंग
- C.A.R.E.—कोऑपरेटिव्ज फॉर अमेरिकन रिलीफ एव्रीवेयर
- C.O.F.E.P.O.S.A.—कन्जरवेशन ऑव फॉरेन एक्सचेंज एण्ड प्रीवेंशन ऑव स्मगलिंग एक्ट
- C.F.R.I.—सेन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्स्टीच्यूट
- C.S.I.R.—कॉउंसिल ऑव साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च
- F.A.C.C.—फोर्ड एयरोस्पेस एण्ड कम्यूनिकेशन कॉर्पोरेशन
- E.R.D.A.—एनर्जी रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट एडमिनिस्ट्रेशन
- EXIM.—एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑव इण्डिया
- E.E.Z.—इक्सक्लुजिव इकोनामिक जोन
- E.S.M.A.—ईसिसियल सर्विस मेनटेनेंस एक्ट
- ECOSOC—इकनॉमिक एण्ड सोशल काउन्सिल
- F.T.I.I.—फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीच्यूट ऑव इण्डिया
- F.E.R.A.—फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट
- F.I.C.C.I.—फेडरेशन ऑव इण्डियन चेम्बर्स ऑव कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री
- F.W.P.—फुड फॉर वर्क प्रोग्राम
- G.A.T.T.—जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ
- H.U.D.C.O.—हाउसिंग एण्ड अरबन डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन
- INSAT—इण्डियन नेशनल सैटेलाइट
- I.P.D.C.—इन्टरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवेलपमेंट ऑव कम्यूनिकेशन
- I.C.C.R.—इडियन कौंसिल ऑव कल्चरल रिलेशन्स
- I.A.A.I.—इण्टरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी ऑव इण्डिया
- I.U.C.N.—इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कन्जरवेशन ऑव नेचर एण्ड नेचुरल रिसॉर्सेज
- I.A.E.A.—इण्टरनेशनल ऐटामिक एनर्जी एजेन्सी
- I.C.A.R.—इण्डियन कौंसिल ऑव एग्रीकल्चरल रिसर्च
- I.R.D.P.—इन्टीग्रेटेड रूरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- I.B.R.D.—इन्टरनेशनल बैंक ऑव रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवेलपमेंट
- INTELSAT—इण्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन सैटेलाइट
- I.M.F.—इण्टरनेशनल मॉनिटरी फन्ड
- I.R.B.M.—इन्टरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
- I.M.A.P.—इण्डियन मिडल एटमॉस्फियर प्रोग्राम
- I.F.A.D.—इन्टरनेशनल फन्ड फॉर एग्रिकल्चरल डेवेलपमेंट
- I.C.B.M.—इन्टरकानटीनेन्टल बैलिस्टिक मिसाइल
- I.C.I.C.I.—इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन
- I.Y.D.P.—इन्टरनेशनल ईयर फॉर डिसेबिल्ड परसन्स
- I.I.F.T.—इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑव फॉरेन ट्रेड
- I.I.M.C.—इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑव मास कम्यूनिकेशन
- I.D.B.I.—इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक ऑव इण्डिया
- I.F.C.I.—इन्डास्ट्रयल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑव इण्डिया
- I.D.A.—इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट एजेन्सी
- I.R.S.S.—इण्डियन रिमोट सेन्सिंग सैटेलाइट
- I.T.D.C.—इण्डिया टूरिज्म कॉर्पोरेशन डेवेलपमेंट
- I.R.C.I.—इण्डस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑव इण्डिया
- I.N.S.D.C.—इण्डियन नेशनल साइंटफिक डॉक्यूमेन्टेशन सेन्टर
- I.D.S.A.—इंस्टीच्यूट फॉर डिफेंस स्टेडीज एण्ड एनालिसेस
- I.S.R.O.—इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
- K.K.K. कू-क्लक्स क्लान
- M.N.A.—मिजो नेशनल आर्मी
- M.N.F.—मिजो नेशनल फ्रन्ट
- M.M.T.C.—मिनॅरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
- M.R.T.P.C.—मोनोपलीज एण्ड रिसट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन
- N.R.E.P.—नेशनल रुरल इम्पलॉयमेंट प्रोग्राम
- N.C.E.P.—नेशनल कमेटी आन इनवायरमेंटल प्लानिंग
- N.A.B.A.R.D.—नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवेलपमेंट
- N.R.D.C.—नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट काउंसिल
- N.A.F.E.D.—नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन
- N.A.F.E.N—नीयर एण्ड फार ईस्ट न्यूज
- N.P.T.—न्यूक्लियर नॉन प्रॉलिफेरेशन ट्रीटी
- N.A.T.O.—नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
- N.I.O.—न्यू इनफारमेशन आर्डर
- N.I.D.C.—नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन
- N.C.S.T.—नेशनल कमेटी ऑन साइंस एण्ड टेक्नॉलजी
- N.C.E.R.T.—नेशनल काउन्सिल ऑव एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
- N.A.E.P.—नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम
- N.R.S.E.—न्यू एण्ड रिन्यूएबिल सोर्स ऑव एनर्जी
- O.A.N.A.—आर्गेनाइजेशन ऑव एशियन पैसीफिक न्यूज एजेन्सीज
- O.S.T.A.—ओशन साइन्स टेक्नॉलजी एजेंसी
- O.E.C.D.—ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनामिक कोऑपरेशन एण्ड डेवेलपमेंट
- O.A.P.E.C.—ऑर्गेनाइजेशन ऑव अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज
- P.S.L.V.—पोलर सैटेलाइट लॉच व्हीकॅल
- P.L.O. फिलीस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन
- P.F.L.P.—पॉप्यूलर फ्रन्ट फॉर द लिबरेशन ऑव पेलेस्टाइन
- PROMA—प्रिवेन्शन ऑव पब्लिकेशन ऑव ऑब्जेक्शनेबिल मैटर एक्ट
- PREPAK—पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑव कॅंगलीपाक
- S.T.A.R.T.—स्ट्रेटीजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक्स
- S.T.E.P.—सैटेलाइट टैलीकम्यूनिकेशन एक्सपेरिमेंट
- S.D.R.—स्पेशल ड्राइंग राइट्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- S.F.D.A.—स्मॉल फार्मर्स डेवेलपमेंट एजेंसी
- S.E.O.—सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जरवेशन
- S.A.I.L.—स्टील अथॉरिटी ऑव इण्डिया लिमिटेड
- S.W.A.P.O.—साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपिल्स आर्गेनाइजेशन
- S.U.N.F.E.D.—स्पेशल यूनाइटेड नेशंस फण्ड फॉर इकनॉमिक डेवेलपमेंट
- S.H.A.R.—श्री हरिकोटा रेंज
- S.I.T.E. सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट
- S.T.E.C.—सोलर थर्मल एनर्जी सेंटर
- T.R.Y.S.E.M.—ट्रेनिंग ऑव रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
- T.A.P.S.—तारापुर एटोमिक पॉवर स्टेशन
- T.I.F.R.—टाटा इंस्टीच्यूट ऑव फण्डामेंटल रिसर्च
- T.U.L.F.—तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट
- T.W.M.F.—थर्ड वर्ल्ड मॉनीटरी फण्ड
- T.E.R.L.S.—थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकिट लॉचिंग स्टेशन
- U.N.E.P.—यूनाइटेड नेशंस इनवायरमेंट प्रोग्राम
- U.N.F.P.A.—यूनाटेड नेशंस फण्ड फॉर पॉप्यूलेशन एक्टिविटीज
- U.N.D.P.—यूनाइटेड नेशन्स डेवेलपमेंट प्रोग्राम
- U.N.C.L.O.S.—यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेन्स ऑन लॉ ऑव सी
- U.N.E.F.—यूनाइटेड नेशन्स इमरजेंसी फन्ड
- U.N.I.D.O.—यूनाइटेड नेशंस इण्टरनेशनल डेवेलपमेंट आर्गेनाइजेशन
- U.N.H.C.R.—यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज
- U.N.C.N.R.S.E.—यूनाइटेड नेशंस कान्फ्रेंस फॉर न्यू एण्ड रिन्युएबल सोर्सेज ऑव एनर्जी
- U.S.A.I.D.—यूनाइटेड स्टेटस एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट
- U.N.I.F.I.L.—यूनाइटेड नेशंस इन्टरिम फोर्स इन लेबनॉन
- U.N.R.R.A.—यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एण्ड रिहेबलीटेशन एडमिनिस्ट्रेशन
- U.N.I.C.E.F.—यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रन्स इमेरजन्सी फन्ड
- V.S.S.C.—विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टर
- V.F.D.W.—वॉलियन्टरी फन्ड फार दी यू. एन. डिकेड् फॉर वूमैन
- W.W.F.—वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड
- W.W.P.A.—वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटक्शन एजेंसी
- Z.A.N.U.—जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन
- Z.A.P.U.—जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपूल्स आर्गेनाइजेशन

प्रमुख पुस्तकें

- फिफ्थ हॉर्समैन—लैरी कॉलिन्स तथा डोमिनिक लैपियरे
- द स्मोक एण्ड द कॉफ—अलैक्जेण्डर सोलजेनेस्तीन
- कागज ते कनवास—अमृता प्रीतम
- गुले-ए-नगमा—फिराख गोरखपुरी
- मिडनाइट्स चिलड्रन—सुलेमान रसीदी
- इयर्स ऑव अपहिवल—हेनरी किसिंजर
- माई ओन बोसवेल—एम. हिदायतुल्लाह
- माउण्टबेटन एण्ड द पार्टिशन ऑव इण्डिया—लैरी कॉलिन्स तथा डोमिनिक लैपियरे
- एक्सपेरीमेंटस इन न्यूट्रेलिटी—के. एस. थिमैय्या
- वन वर्ल्ड टू शेयर—श्रीधर रामफल
- डेट्स ऑव ऑनर—माइकल फुट
- अगेंस्ट द टाइड—मीनू मसानी
- ओरु दिसात्तिण्डेकाठू—एस. के पोट्टेकाट
- ए लाइफ इन अवर टाइम्स—कैनिथ गालब्रेथ
- द रेनबो लास्ट नाइट—प्रीतिश नंदी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- इन साइड थर्ड वर्ल्ड—वी. हैरीसन
- लॉवर्सेस जस्टिस—व्ही. आर. कृष्णा अय्यर
- व्यू फ्राम द यू. एन.—यू थान्ट
- हीरो ऑव अवर टाईम—रिचर्ड हग
- क्लियर लाईट ऑव डे—अनिता देसाई
- बॉ, मैन ऑव लॉ एण्ड एजूकेशन—एच. आर. खन्ना
- इण्डिया ऑव अंवर ड्रीम—एम. वी. कामथ
- द राइज एण्ड फॉल ऑव द थर्ड राइच—विलियम एल. शिरेर
- माई इण्डिया—एस. निहालसिंह
- पॉलिटिक्स इज फॉर प्यूपिल—शिरले विलियम्स
- पॉलिटिक्स ऑफ्टर फ्रीडम—मधुलिमये
- ऐट फरलॉग्स टू फ्रीडम—टी. के. रवीन्द्रन
- ट्रॉपिक ऑव कैंसर—हेनरी मिलर
- ब्रेकथ्रू—मोशे दायन
- कॅन्सेप्सन एण्ड पीस—ए. एम. एम. बो
- मेन, आइडियास एण्ड पालिटिक्स—पीटर एफ. ड्रकर
- इण्डिया डिस्कवर्ड—जॉन कीये
- द फट ऑव द अर्थ—जोनाथन शेल
- गांधी: ए मेमोर—डब्लू. एल. शेरर
- रिमेनिसेन्सेज अबाउट फ्रेन्डशिप—फैज अहमद फैज
- अमृतसर-द मैसेकर दैट एण्डेड दि डायर—अल्फ्रेड ड्रेपर
- द लिगेसी ऑव नेहरू—के. नटवर सिंह
- आइलैण्ड्स इन द स्ट्रीम—सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
- द वर्ल्ड एट वॉर—मार्क अर्नाल्ड फास्टर
- एशियन ड्रामा—गुन्नार मिरडल
- द स्टोरी ऑव एवरेस्ट—एच. एस. आल्हुवालिया
- कर्म कोला—गीता मेहता
- लास्ट थिंग्स—सी. पी स्नो
- रसीदी टिकट—अमृता प्रीतम
- अंकिल सैम—के. एल. गौबा
- जिन्दगीनामा जिंदारुख—कृष्णा सोबती
- द डार्क रूम—आर. के. नारायण
- माई इयर्स इन इण्डियन प्रिजन—मेरी टाइलर
- स्माल इज ब्यूटीफुल—ई. एफ. शुमाखर
- द व्हाइट हाउस इयर्स—हेनरी किसिंजर
- लिटिल लैंड—लियोनिद ब्रेझनेव
- कास्ट चैलेंज इन इण्डिया—जगजीवन राम
- कुमार सम्भव—कालिदास
- बिजनेस इज पीपुल्स—फरकिन्सन
- फ्यूचर शाक—एलविन टॉफ्लर
- पोर्टरेट ऑव ए. वूमेन—पी. व्ही अखिलन्दम
- व्हाई नाट दी वेस्ट—जिमी कार्टर
- एन्वॉय टू इण्डिया—ई. रीड
- द स्टोरी ऑव सिविलाइजेशन—विल डुरां
- क्राउड्स एण्ड पावर—ई. कानेटी
- द न्यूक्लियर स्टेट—रॉबर्ट जंग्क
- द वर्ल्ड चैलेन्ज—जीन जैक्स व सरवान शखिर
- जीरो सम सोसाइटी—थूरो
- अर्थली पावर्स—अन्थोनी ब्रर्जेस्
- द फेट ऑव द अर्थ—जोनाथन शेल
- डिसकवरिंग लाइफ ऑन अर्थ—रिचर्ड एटेनबरो
- क्राइसिस, कॉन्शन्स एण्ड द कॉस्टीटयूशन—एम. वी. पाइली
- खंजन नयन—अमृत लाल नागर
- रिपोर्ट आन अफगानिस्तान—कुलदीप नैयर
- स्माल इज पॉसीबल—जार्ज मेक्रोबी
- माई-ट्रुथ—इंदिरा गाँधी
- गुड वर्क—शुमाखर
- द आर्ट ऑव लिविंग—एरिक फ्रॉम
- आवारा मसीहा—विष्णु प्रभाकर
- इण्डिया एण्ड द वेस्ट—बारबरा वॉर्ड
- मॉर्निंग फेस—मुल्कराज आनन्द
- द नाइटमेअर एण्ड आफ्टर—जे. बी. कृपलानी
- मृत्युंजय—वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य
- एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ—माइकेल एन्डरसन
- थर्ड वेव—एल्विन टॉफ्लर
- पर्शन्स, पैशन एण्ड पालिटिक्स—मोहम्मद युनूस
- कैंसर वार्ड—अलैक्जेंडर सोल्जेनित्सीन
- एटम ऑव होप—मोहन सुन्दर राजन
- चित्र लेखा—भगवती चरण वर्मा
- रोजेज इन दिसम्बर—एम. सी. छागला
- राजतरंगिणी—कल्हण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- लाइफ डिवाइन—अरविन्द घोष
- अनहैप्पी इण्डिया—लाला लाजपत राय
- ब्रोकन विंग—सरोजिनी नायडू
- इण्डिया विंस फ्रीडम—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
- ए फेयर वेल टू आर्म्स—अर्नेस्ट हैमिंग्वे
- मिस्टीरियस यूनीवर्स—जेम्स जीन्स
- द पैसेज टू इण्डिया—ई. एम. फास्टर
- द डिवाइन कामेडी—दांते
- इण्डिया डिवाइडेड—राजेन्द्रप्रसाद
- गुलाग आर्चीपिलागी—सोलेजेनेस्तीन
- हिन्दू व्यू ऑव लाइफ—एस. राधाकृष्णन
- गुलिस्ताँ—शेख सादी
- आनन्द मठ—बंकिम चन्द्र चटर्जी
- मधुशाला—हरिवंश राय बच्चन

क्रीड़ा जगत

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ :

• नवें एशियाई खेल-1982—19 नवम्बर, 1982 से नयी दिल्ली में नवीं एशियाई खेल प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ होंगी जो कि 4 दिसम्बर, 1982 तक सम्पन्न होंगी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नयी दिल्ली हुआ था। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों के लगभग 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात 1954 (मनीला), 1958 (टोकियो) 1962 (जकार्ता), 1966 (बैंगकाक), 1970 (बैंगकाक), 1974 (तेहरान), 1978 (बैंगकाक) में ये खेल आयोजित हुए। इस प्रकार भारत को एशियाई खेलों के आयोजन का द्वितीय अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके पूर्व थाइलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ अब तक तीन बार ये गौरवमयी खेल सम्पन्न हुए। एशियाई खेलों का शब्द चिन्ह 'जन्तर मन्तर' चुना गया है, यह 'जन्तर मन्तर' हमारी ज्ञान और दक्षता की खोज का संकेतक है। माथे पर बिन्दी लगा हुआ नाचता हुआ हाथी का बच्चा, जिसका नाम 'अप्पू' रखा गया है, 9वें एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। 'अप्पू' शुभ कार्यों का प्रतीक समझा जाता है। नवें एशियाई खेलों में खेलों की संख्या 21 हैं; जो इस प्रकार से है—एथेलेटिक्स, बैडमिन्टन, फुटबाल, हॉकी, तीरंदाजी, गोल्फ, निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी, वालीबाल, नौकायन, हैंडबाल, पाल नौकायन, जिमनास्टिक, साइकिल दौड़, घुड़सवारी, टेबिल टेनिस, भारोत्तोलन, बास्केटबाल, तथा टेनिस। स्मरण रहें कि आठवें एशियाई खेलों में खेलों की संख्या 17 थी; इस बार जो चार नये खेल इस प्रतियोगिता में सम्मिलित किये गये है वो गोल्फ, नौकायान, घुड़सवारी तथा हैंडबाल है। इन खेलों के अतिरिक्त कबड्डी और सेपक टकरा (मलेशिया के खेल) को 9वें एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रुप में खेला जायेगा। प्रतियोगिता में 31 देशों के लगभग 5,000 खिलाड़ियों की भाग लेने की सम्भावना है। इन खेलों का आयोजन 17 स्टेडियमों में होगा (जबकि नौकायन और पाल नौकायन का आयोजन क्रमशः जयपुर की रामगढ़ झील तथा बम्बई में होगा) जिनमें जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा तरुण ताल, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज तथा यमुना बेलोड्रोम नये स्टेडियम है। इसी सन्दर्भ में पाठकों को स्मरण रहें कि दसवें एशियाई खेलों का आयोजन द. कोरिया की राजधानी सियोल में होगा।

हाकी :

- ओलम्पिक पुरुष हाकी चैम्पियन—भारत
- ओलम्पिक महिला हाकी चैम्पियन—जिम्बाब्वे
- 5 वाँ विश्व कप पुरुष हाकी चैम्पियन—पाकिस्तान (यह प्रतियोगिता बम्बई में दिसम्बर 81-जनवरी 82 में सम्पन्न हुई। प. जर्मनी, आस्ट्रेलिया, हालैंड तथा भारत ने इसमें क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्थान अर्जित किया)
- विश्व महिला हाकी चैम्पियन—हालैंड
- जुनियर वर्ल्ड कप हाकी चैम्पियन—प. जर्मनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• एशियाई कप हाकी चैम्पियन—पाकिस्तान

• एशियाई हाकी महिला चैम्पियन—भारत

• भारत-पाक टेस्ट श्रृंखला—इसमें पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से पराजित किया।

• चैम्पियनस् कप हाकी चैम्पियन—हालैण्ड

■ फुटबाल :

12वां विश्व कप फुटबाल चैम्पियन—इटली (इस प्रतियोगिता का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। इसमें प. जर्मनी रनर्स अप रहा। विजेता टीम को 'फीफा कप' प्राप्त हुआ)

• मरडेका फुटबाल चैम्पियन—ब्राजील

• एशियाई महिला कप चैम्पियन—ताईवान

• प्रेसीडेंट कप चैम्पियन—ब्राजील तथा द. कोरिया की टीमें (संयुक्त रूप से)

• किंग्स कप चैम्पियन (1981)—थाईलैण्ड

■ टेनिस :

• विम्बलडन टेनिस (1982)—पुरुष एकल. जिमी कोनर्स (चैम्पियन), जान मैकनेरो (रनर्स अप), महिला एकल : मार्तीना नवरातिलोवा (चैम्पियन), क्रिस एवर्ट लायड (रनर्स अप)

• डेविस कप विजेता (1981)—सं. रा. अमेरिका

• सं. रा अमेरिका टेनिस—पु. चैम्पियन : जॉन मैकनरो, म चैम्पियन : ट्रेसी आस्टिन

• फ्रेंच ओपेन टेनिस—पु. चैम्पियन : मैट्स विलेनडर, म. चैम्पियन : मार्तिना नवरातिलोवा

• एशियन नेशन कप—भारत (चैम्पियन)

• गुंज विश्व टेनिस—पु. चैम्पियन : विजय अमृतराज, म. चैम्पियन : ट्रेसी आस्टिन

• वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑव टेनिस—ईवान लैण्डल

• ग्राण्ड प्रिक्स टेनिस टूर्नामेण्ट चैम्पियन—ईवान लैण्डल

■ बैडमिण्टन :

• विश्व कप बैडमिन्टन—पु. चैम्पियन : प्रकाश पादुकोण, म. चैम्पियन : चेन रूइझेन

• ऑल इग्लैंड चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : मार्टन फ्रास्ट, म. चैम्पियन : जियाँग झिग

• इण्डियन मास्टर्स ओपेन टूर्नामेण्ट—पु. चैम्पियन प्रकाश पादुकोण, म. चैम्पियन : झेङ्ग यूली

• थामस कप (पुरुष) चैम्पियन टीम—चीन

• उबेर कप (महिला) चैम्पियन टीम—जापान

■ क्रिकेट :

• प्रूडेन्शियल विश्व कप चैम्पियन (1982)—इंग्लैण्ड

• विश्व कप महिला क्रिकेट चैम्पियन (1982)—आस्ट्रेलिया

• इग्लैण्ड-भारत टेस्ट श्रृंखला (1982)—अभी हाल में इंग्लैण्ड में खेली गयी 3 टेस्टों की इस श्रृंखला को इंग्लैण्ड ने 1-0 से जीत लिया। कप्तान : भारत-सुनील गावस्कर, इंग्लैण्ड-बाब विलिस। कपिल देव को इस श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।

• आस्ट्रेलिया-वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला—आस्ट्रेलिया में खेली गयी 3 टेस्टों की यह श्रृंखला अनिर्णीत रही जिससे कि फ्रेंक वारेल ट्रॉफी पर वेस्ट इंडीज का अधिकार बना रहा। कप्तानः वेस्ट इंडीज-क्लाइव लायड, आस्ट्रेलिया-ग्रेग चैपल।

• इग्लैण्ड-आस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला—इंग्लैण्ड में खेली गयी 6 टेस्टों की इस श्रृंखला में इंग्लैण्ड ने 3-1 से विजयश्री अर्जित कर 'एशेज' पर कब्जा कर लिया। कप्तान : आस्ट्रेलिया-किम ह्यूज, इंग्लैण्ड-माइक ब्रेयरली [प्रथम टेस्ट में इंग्लैण्ड के कप्तान इयान बाथम थे]।

• न्यूजीलैंड-आस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला (1982)—न्यूजीलैण्ड में खेली गयी 3 टेस्टों की यह श्रृंखला अनिर्णीत रही। कप्तान : न्यूजीलैण्ड-हावर्थ, आस्ट्रेलिया-ग्रेग चैपल।

• पाकिस्तान-आस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला (1981)—आस्ट्रेलिया में खेली गयी तीन टेस्टों की इस श्रृंखला में आस्ट्रेलिया को 2-1 से विजय प्राप्त हुई। कप्तान : पाकिस्तान-जावेद मियांदाद, आस्ट्रेलिया-ग्रेग चैपल।

■ टेबिल टेनिस :

• विश्व चैम्पियनशिप—स्वेथलिंग कप (पु.) : चीन, कार्बीलीन कप (म.): चीन

• एशियाई टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप—पु. टीम चैम्पियन : चीन, म. टीम चैम्पियन : चीन, पु.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

एकल चैम्पियन : लाई जेन हुआ, म. एकल चैम्पियन : साओ मान याहुओ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- कॉमनवेल्थ टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप—पु. टीम चैम्पियन : इंग्लैण्ड, म. टीम चैम्पियन : इंग्लैण्ड पु. एकल चैम्पियन-अताान्दा मूसा, म. एकल चैम्पियन-कैरोल नाइट, यूरोपीय टेबल टेनिस चैम्पियन—हंगरी

■ **शतरंज :**

- विश्व शतरंज चैम्पियन—अनातोली कार्पोव
- विश्व जूनियर महिला शतरंज चैम्पियन—ए. ब्रिटमेन
- एशियाई टीम शतरंज चैम्पियन—फिलीपीन्स
- विश्व जूनियर चैम्पियन—आंद्रेई सोकोलोव

■ **मुक्केबाजी :**

- विश्व मुक्केबाजी परिषद की हैवीवेट चैम्पियनशिप—लैरी होम्स
- विश्व मुक्केबाजी संघ की हैवीवेट चैम्पियनशिप—माईक वेवर
- विश्व मुक्केबाजी संघ की लाईट हैवीवेट चैम्पियनशिप—माईकल स्पिंक्स
- विश्व मुक्केबाजी संघ की फ्लाइवेट चैम्पियनशिप—सेन्टोस लैसियर
- विश्व मुक्केबाजी संघ की वाल्टरवेट चैम्पियनशिप—एरोन प्रीयार
- एशियन अमेच्योर चैम्पियनशिप—द. कोरिया
- किंग्स कप बाकिसंग चैम्पियनशिप—सोवियत संघ

■ **ब्रिज :**

- विश्व ब्रिज चैम्पियन—सं. रा. अमेरीका

■ **बिलियर्डस :**

- विश्व बिलियर्डस चैम्पियन—माईकेल फरेरा

■ **वालीवॉल :**

- विश्व पुरुष चैम्पियन—सोवियत संघ
- विश्व महिला चैम्पियन—द. कोरिया

■ **स्क्वॉश :**

- विश्व चैम्पियन—जहाँगीर खाँ (पाकिस्तान)

■ **कार रैली :**

- हिमालय कार रैली—रमेश खोदा तथा असलम खान
- केन्या सफारी रैली—शेखर मेहता

■ **कुश्ती :**

- विश्व कुश्ती चैम्पियन—सं. रा. अमेरीका
- एशियाई कुश्ती चैम्पियन—ईरान

■ **बास्केट बाल :**

- एशियाई बास्केट बाल चैम्पियनशिप—चीन
- एशियाई महिला बास्केट बाल चैम्पियन—द. कोरिया

■ **जिमनास्टिक :**

- विश्व जिमनास्टिक चैम्पियन—सोवियत संघ

राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं :

■ **क्रिकेट :**

- रणजी ट्रॉफी—दिल्ली
- दिलीपट्रॉफी—पश्चिमी क्षेत्र
- इरानी ट्रॉफी—बम्बई
- विजी ट्रॉफी—उत्तरी क्षेत्र
- देवधर ट्रॉफी—दक्षिणी क्षेत्र
- कूच बिहार ट्रॉफी—उत्तरी क्षेत्र
- रोहिन्टन बेरिया ट्रॉफी—दिल्ली
- सी. के. नायडू ट्रॉफी—उत्तर प्रदेश
- शीश महल ट्रॉफी—स्टेट बैंक ऑव इण्डिया (लखनऊ)
- सी. के. नायडू ट्रॉफी (22 वर्ष के नीचे)—उत्तरी क्षेत्र
- राष्ट्रीय महिला क्रिकेट चैम्पियन—बम्बई

■ **हॉकी :**

- राष्ट्रीय चैम्पियन का प्रतीक रंगास्वामी कप—पंजाब
- राष्ट्रीय महिला हॉकी चैम्पियन की प्रतीक लेडी रतन टाटा ट्रॉफी—रेलवे
- आगा खाँ कप—महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा क्लब (बम्बई)
- बेटन कप—इ. एम. इ. जालंधर तथा पूर्वी रेलवे क्लब (संयुक्त रूप से)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- जूनियर नेशनल चैम्पियन—उत्तर प्रदेश
- बाम्बे गोल्ड कप—आर्मी सर्विस कार्प्स (जालंधर)
- जवाहर लाल नेहरू ट्रॉफी—सीमा सुरक्षा बल
- संजय गाँधी टूर्नामेण्ट—सीमा सुरक्षा बल (जालंधर)
- ध्यान चंद्र गोल्ड कप—आर्टीलरी सेण्टर, नासिक
- सिंधिया गोल्ड कप—पंजाब पुलिस

■ फुटबाल :

- राष्ट्रीय चैम्पियन की प्रतीक संतोष टॉफी—प. बंगाल
- राष्ट्रीय महिला फुटबाल चैम्पियन—प. बंगाल
- जूनियर नेशनल चैम्पियन (बी. सी. राय ट्रॉफी—प. बंगाल
- डूरंड कप—बार्ड सिक्यूरिटी फोर्स
- रोवर्स कप—मोहन बागान
- आई. एफ. ए. शील्ड—मोहन बागान
- फेडरेशन कप—मोहन बागान
- सुब्रतो कप—मध्यमग्राम हाई स्कूल (प. बंगाल)
- स्टेफोर्डकप—इराकी वायु सेना

■ बैडमिन्टन :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन: सैयद मोदी, म: चैम्पियन: मधुमिता गोस्वामी, पु. टीम चैम्पियन (रहमुतुल्ला कप): महाराष्ट्र, म. टीम चैम्पियन (चड्ढाकप): रेलवे
- जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियन—अनूप सेठी

■ टेबिल टेनिस :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : बी. चन्द्रशेखर, म. चैम्पियन : इन्दुपुरी, बालक चैम्पियन: सुजय घोरपाडे, बालिका चैम्पियन : मीता सिंहा राय, पु. टीम चैम्पियन: तमिलनाडु, म. टीम चैम्पियन: महाराष्ट्र।

■ टेनिस :

- राष्ट्रीयन चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन: शशि मेनन, म: चैम्पियन : आनु पेशावारिया।
- ऑल इण्डिया टेनिस चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन: नन्दन बाल, म. चैम्पियन: नमृता अप्पाराव

■ शतरंज :

- राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैम्पियन—प्रवीन म[illegible] थिप्से
- राष्ट्रीय महिला शतरंज चैम्पियन—[illegible] खाडिलकर
- राष्ट्रीय शतरंज 'बी' ग्रेड चैम्पियन—[illegible] बरुआ
- राष्ट्रीय टीम चैम्पियन—तमिलनाडु

■ वालीवॉल :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : राजस्[illegible] म. चैम्पियन : केरल

■ कबड्डी :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : दिल्ली, [illegible] चैम्पियन : महाराष्ट्र

■ स्क्वॉस :

- राष्ट्रीय पुरुष चैम्पियन—मेजर आर. के. मनच[illegible]
- राष्ट्रीय महिला चैम्पियन—भुवनेश्वरी कुमारी

■ बिलियर्डस :

- राष्ट्रीय चैम्पियन - गीत सेठी

■ मुक्केबाजी :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : प्रवीन [illegible] टीम चैम्पियन : सर्विस

■ बास्केटबाल :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—प. चैम्पियन : सर्विस, [illegible] चैम्पियन-पंजाब

■ गोल्फ :

- इण्डियन ओपेन गोल्फ चैम्पियनशिप—शैंग [illegible]

■ भारोत्तोलन :

- राष्ट्रीय चैम्पियन—रेलवे
- सर्वोत्तम भारोत्तोलक—ई करुणाकरन

■ तैराकी :

- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : [illegible] चैरियड, म. चैम्पियन : अनिता सूद, पु. टीम चैम्पि[illegible] पुलिस, म. टीम चैम्पियन : महाराष्ट्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ निशानेबाजी :

● राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : रणधीर सिंह, टीम चैम्पियन : राजस्थान

■ साइक्लिङ्ग :

● राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : रेलवे, म. चैम्पियन : महाराष्ट्र

■ तीरन्दाजी :

● राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : वी. के. कुन्डु, म. चैम्पियन : कृष्णा दास. पु. टीम चैम्पियन : प. बंगाल, म. टीम चैम्पियन : प. बंगाल

■ कुश्ती :

● राष्ट्रीय फ्री स्टाइल चैम्पियनशिप—रेलवे

■ जिमनास्टिक :

● राष्ट्रीय चैम्पियनशिप—पु. चैम्पियन : एम. सम्भू. कर, म. चैम्पियन : अँजू डे

महत्वपूर्ण व्यक्ति

● हेनरी फोंडा—आस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अंग्रेजी रङ्गकर्मी, चित्रपट तथा टी. वी. कलाकार। 77 वर्षीय फोंडा का 12 अगस्त 1982 को लॉस एंजील्स में निधन हो गया। आपने 70 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। आपकी चर्चित फिल्मों में 'ग्रेप्स ऑव व्रॉथ', 'द लागेस्ट डे', 'यंग लिंकन', 'केन म्यूटिनी' तथा 'हाई. नून' आदि प्रसिद्ध है।

● फिलिप हबीब—अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के विशेष दूत। सीरियाई ईसाई सम्प्रदाय के हबीब अभी हाल में पश्चिमी एशिया में तात्कालिक शांति स्थापित (लबनान पर इस्राइली हमले से उत्पन्न संकट के सन्दर्भ में) करने के अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल सिद्ध हुए।

● फादर कामिल बुल्के—सुप्रसिद्ध हिन्दी मनीषी, कोशकार तथा रामकथा के मर्मज्ञ, जिनका 17 अगस्त 82 को 74 वर्ष की आयु में नयी दिल्ली में निधन हो गया। फादर पिछले 47 वर्षों से भारत मे निवास कर यहाँ के साहित्यक तथा सामाजिक जीवन में सक्रिय थे।

● विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला—'बी. पी.' के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा मूर्धन्य नेता, जिनका 21 जुलाई 82 को 67 वर्ष की अवस्था में काठमांडों में निधन हो गया। 1915 में वाराणसी में जन्में बी. पी. कोइराला ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1947 में उनके ही प्रयत्नों से नेपाली कांग्रेस की स्थापना सम्भव हुयी। नेपाली कांग्रेस के माध्यम से बी. पी. पिछले 32 वर्षों से नेपाल में निरंकुश राजतंत्र के विरूद्ध संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु संघर्षरत थे। उनके निधन से नेपाल में लोकतांत्रिक आन्दोलन को गहन क्षति हुयी है।

● एरियल शरोन—इस्राइल के वर्तमान विदेशमन्त्री तथा अति कुशल सेनानायक। लेबनान पर अभी हाल के सफल इस्राइली आक्रमण तथा फिलीस्तीनी छापामारो की घेराबन्दी का मूल श्रेय शरोन की कार्यशैली को दिया जाता है।

● चंडीप्रसाद भट्ट—प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा 'चिपको आंदोलन' के प्रणेता, जिनको सामुदायिक नतृत्व हेतु वर्ष 1982 के रेमन मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

● अरूण शौरी—भारत के प्रख्यात निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार, जो कि इस समय दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन एक्सप्रेस' के अधिशासी सम्पादक है। 41 वर्षीय शौरी को भ्रष्टाचार, असमानता तथा अन्याय के विरूद्ध सशक्त लेखन के कारण पत्रकारिता साहित्य और रचनात्मक लेखन के लिये वर्ष 1982 के रैमन मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाठकों को स्मरण रहे कि अंतुले के चंदा अभियान तथा भागलपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जेल में कैदियों को अंधा बनाने वाली घटनाओं का पर्दाफाश घोरी की कलम से ही सम्भव हुआ था।

● ज्ञानी जैल सिंह—भारत के नये राष्ट्रपति। किसान परिवार में जन्म लेकर अनेक राजनीतिक संघर्षों में यातनाएँ सहते हुए देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले श्री जैल सिंह सिख समुदाय तथा पिछड़ी जाति के ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ज्ञानी जी का जन्म 5 मई 1916 को फरीदकोट रियासत के एक छोटे से गाँव संघवान में हुआ था। आपने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी की। 21 वर्ष की अवस्था में फरीदकोट रियासत के निरंकुश शासक के विरूद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने के कारण आपको 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली।

ज्ञानी जी ने पेप्सू की सरकार में राजस्व, कृषि और लोक-कार्य विभागों में मंत्रिपद ग्रहण किया। 1956 में आप राज्य सभा से सदस्य बने, इसके पश्चात पंजाब के कैरो मंत्रिमण्डल में राज्य मन्त्री नियुक्त हुये। 1966 में श्री सिंह पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 6 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1972 से 1977 तक पंजाब के मुख्यमन्त्री पद पर आसीन रहने के बाद 1980 के आम-चुनाव मे श्री जैल सिंह होशियारपुर से लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए और श्रीमती गाँधी के मंत्रिमण्डल में गृहमन्त्री बने तथा राष्ट्रपति पद हेतु सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार बनने तक इसी पद पर कार्यरत रहे।

● अमिताभ बच्चन– प्रख्यात भारतीय चलचित्र अभिनेता। 24 जुलाई 1982 को बंगलूर के ज्ञान भारती विश्वविद्यालय कैंपस में 'कुली' फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को गभीर चोट लग गयी। इस गंभीर चोट से उत्पन्न उनकी नाजूक हालत आज सारे देश के लिये गहरी चिन्ता का रूप धारण कर चुकी है।

● एस. के. पोट्टेक्काट्—भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मलयाली साहित्यकार जिनका, 6 अगस्त 82 को कालीकट में 69 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।

● डॉ. राम प्रसाद त्रिपाठी—प्रसिद्ध भारतीय इतिहासविद्, जिनका 93 वर्ष की आयु में 22 अगस्त 1982 को लंदन में निधन हो गया।

● लियोपाल्डो गालटेयरी—अर्जेंटीना के भू. पू. राष्ट्रपति जो फाकलैण्ड संकट को लेकर काफी चर्चित रहे। आपने फाकलैण्ड युद्ध में अर्जेन्टीना की पराजय के कारण 17 जुलाई 82 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

● सरलाबेन—सुप्रसिद्ध समाजसेविका व गांधी जी की निकटतम सहयोगिनी, जिनका 8 जुलाई 82 को 82 वर्ष की अवस्था में अल्मोड़ा में निधन हो गया। लंदन में जन्मी सरला बेन का मूल नाम कैथरीन मेरी हीलमान था। वह महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित होकर 1932 से भारत में रहने लगी थी। वर्ष 1976 में उनके रचनात्मक कार्यों के कारण उन्हें जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

● डॉ. मनमोहन सिंह—प्रख्यात अर्थशास्त्री, जिन्हें अभी हाल में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया। आपने आई. जी. पटेल के स्थान पर 16 सितम्बर को यह दायित्व ग्रहण कर लिया है।

● जय लक्ष्मी—द. भारतीय फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, जिनका 19 जून 82 को निधन हो गया।

● मीरा बहन—प्रख्यात गाँधीवादी सामाजिक कार्यकर्ती जिनका 20 जुलाई 82 को वियना में निधन हो गया। भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली मीरा बहन को इस वर्ष पद्म-विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

● डेन न्गेयो मार्श – विश्व प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार जिनका 18 फरवरी 82 को क्राइस्टचर्च में निधन हो गया।

● पंडित परमानन्द—सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी तथा 'गदर पार्टी' के सस्थापक सदस्य जिनका 13 अप्रैल 82 को 93 वर्ष की अवस्था म निधन हो गया।

● भगवत शरण उपाध्याय – सुप्रसिद्ध इतिहासकार, पुराविद् कला समीक्षक तथा संस्कृत साहित्य के अध्येता जिनका 8 अगस्त 1982 को पोर्ट लुई में निधन हो गया। इस समय आप मारीशस में भारतीय उच्चायुक्त थे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● त्रिभुवन नारायण सिंह — सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के भू. पू. मुख्यमन्त्री तथा पश्चिमी बंगाल के भू. पू. राज्यपाल, जिनका 4 अगस्त 82 को वाराणसी में निधन हो गया।

● हंसराज खन्ना — सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हंसराज खन्ना 12 जून 82 को सम्पन्न भारत के सातवें राष्ट्रपति के चुनाव में विरोधी दल के उम्मीदवार थे। उनको इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी ज्ञानी जैल सिंह ने सीधे मुकाबले में 4,71,428 मतों से पराजित किया। अपनी न्यायप्रियता, निष्पक्षता तथा निर्भीकता के लिये प्रसिद्ध श्री खन्ना ने एम. एच. बेग के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के विरोध में न्यायाधीश पद से त्यागपत्र (1976) दे दिया था। केशवानन्द भारती (1973) व बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुकदमें (1976) में संविधान की सर्वोच्चता की पक्षधरता के कारण आपने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी।

● सोफिया लारेन — विश्व विख्यात इतालवी अभिनेत्री, जिनको मई 82 में इटली की अदालत द्वारा कर चोरी के अपराध में 30 दिनों के कारावास का दंड दिया गया। परन्तु, बाद में 17 दिन बाद ही आपको रिहा कर दिया गया।

● नागभूषण पटनायक — प्रख्यात नक्सलवादी (माकपा लेनिनवादी पार्टी से सम्बद्ध) नेता जिनकी गंभीर अस्वस्थता की आजकल दिल्ली में चिकित्सा चल रही है। 46 वर्षीय श्री पटनायक को पार्वतीपुरम मामले में फांसी की सजा सुनायी गयी थी पर राष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने उनकी इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

● माइकल फागान — असंतुलित मस्तिष्क का स्वामी 30 वर्षीय व्यक्ति जिसने पिछली 13 जुलाई को प्रातः ब्रिटेन की साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ के शयनकक्ष में बिना अनुमति के चुपचाप प्रवेश करने का दुःसाहस किया।

● यासिर अराफत — फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष जो अभी हाल में बेरूत पर इस्राइली आक्रमण के सन्दर्भ में पुनः चर्चा का विषय बने। श्री अराफत 2 सितम्बर 82 को बेरूत छोड़ कर दमिश्क चले गये।

● मणिभाई भीम भाई देसाई — सुप्रसिद्ध गांधीवादी समाजसेवी, जिन्हें जनसेवा हेतु 1982 के रैमन मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

● लार्ड डैनिंग — ब्रितानी न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जो कि अभी हाल में लंदन के बरमिंघम स्कूल में एक सिख छात्र के प्रवेश से संबंधित अपने अदालती निर्णय के कारण चर्चित रहे। डैनिंग अब अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं।

● सोहन सिंह जोश — प्रख्यात साम्यवादी नेता, जिनका 29 जुलाई को अमृतसर में निधन हो गया।

● रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी' — उर्दू के प्रख्यात कवि व शायर रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी' का 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 'गुले नगमा' पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार (1970) और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। घूंघट, गुलबंग, चिरागाँ, रूप, आधीरात, जुगनू, हिंडोला उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं।

● आचार्य जे. बी. कृपलानी — सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व गांधीवादी आचार्य जीवतराम भगवानदास कृपलानी का देहावसान 19 मार्च 82 को हो गया। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे परन्तु वर्ष 1951 में उन्होंने कांग्रेस त्याग दिया। उसके पश्चात उन्होंने कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बागडोर संभाली। वर्ष 1971 में उन्होंने संसदीय राजनीति से सन्यास ले लिया। वर्ष 1977 में जनता दल के विजय में उनका विशेष योगदान था। अपने प्रारम्भिक जीवन में गुजरात विद्यापीठ से सम्बद्ध होने से उन्हें लोग आचार्य कहने लगे थे। 'नॉन वायलेन्ट रिवॅल्यूशन' 'द गांधीयन वे', 'द इण्डियन नेशनल कांग्रेस, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं।

● जिमी कोनार्स — वर्ष 1982 की विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल चैम्पियन। इससे पूर्व 29 वर्षीय कोनार्स 1974 में भी यह खिताब जीत चुके हैं।

● मार्तिना नवरातिलोवा — वर्ष 1982 की विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता की महिला एकल चैम्पियन। इससे पूर्व 24 वर्षीया नवरातिलोवा 1978 तथा 1979 में भी यह खिताब जीत चुकी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● कोन्चिला बर्नार्ड—जेटलाइनर की विश्व की प्रथम महिला पायलट।

● विल डुंग—प्रख्यात इतिहासविद् जिनका 96 वर्ष की अवस्था में 9 नवम्बर 1981 को निधन हो गया।

● सुकर नारायण बखिया—विख्यात तस्कर जो कि 30 मई 82 को गोआ के आगुर्ड जेल से भागने के कारण चर्चित रहा।

● विलियम आर्थर फिलिप (विलियम ऑव वेल्स)—प्रिंस चार्ल्स तथा प्रिंसेज डायना की उस प्रथम संतान का नाम जो जून 1982 में पैदा हुयी।

● जेम्स डोजियर—अमेरिकी जनरल, जिनका मई 1981 के अन्त में इटली के आतंककारियों ने अपहरण किया था।

● पोप जॉन पॉल द्वितीय—कैथलिक ईसाइयों के धर्म-गुरू, जिनकी 13 मई 82 को पुर्तगाल में हत्या का असफल प्रयास किया गया।

● याकुब अली खाँ—पाकिस्तान के नये विदेश मन्त्री।

● अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के भू. पू. मुख्य-मंत्री जो अभी हाल में तब पुनः चर्चा का विषय बने जब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक अधि-नियम की उपधारा 6 तथा भारतीय दंड संहिता के नियम 197 के अनुसार उन पर मुकदमा चलाने के लिये भू. पू. विधायक रामदास नायक को अनुमति दी। स्मरण रहे कि न्यायाधीश लैंटिन के निर्णय के कारण अंतुले को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

● हुस्नी मुबारक—मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति।

● महाराज कृष्ण रसगोत्रा—भारत के नये विदेश सचिव।

● रॉबर्ट वेड गेरी—भारत में ब्रिटेन के नये उच्चा-युक्त।

● रियाज पिराचा—भारत में पाकिस्तान के नये राज-दूत जो इसके पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत थे।

● सोनल मानसिंह—भारत की विख्यात शास्त्रीय नृत्य कलाकार।

● सुरेन्द्र सिंह सोढ़ी—24 वर्षीय भारतीय हाकी टीम के नये कप्तान।

● चोग्याल पालदेन थोनदूप—सिक्किम के 59 वर्षीय भूतपूर्व शासक, जिनका 30 जनवरी 82 को निधन हो गया।

● लालडेंगा—गैर कानूनी घोषित मिजो नेशनल फ्रन्ट के अध्यक्ष लाल डेंगा केन्द्र के आदेशानुसार 21 अप्रैल 82 को भारत छोड़कर प. जर्मनी चले गये। केन्द्र के अनुरोध पर वर्ष 1976 में वे मिजो समस्या के शांतिपूर्वक समा-धान के लिये प. जर्मनी से भारत आये थे परन्तु दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों मे विरोध होने के कारण समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया था।

● अलेक्जेण्डर हेग—अमेरिका के भू. पू. विदेश मंत्री, जिन्होंने 25 जून 82 को 'पश्चिमी एशिया' तथा 'रूस से पश्चिमी यूरोप तक प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन' संबंधी नीतियों पर राष्ट्रपति रीगन के साथ मतभेद होने के कारण पदत्याग कर दिया। इसके पूर्व वे 'नाटो' के अध्यक्ष थे।

● लार्ड कैरिंगटन—ब्रिटेन के विदेश भू. पू. सचिव, जिन्होंने फाकलैण्ड प्रकरण के सन्दर्भ में अनुदारवादी सरकार की कटु आलोचना के कारण अप्रैल 82 के प्रथम सप्ताह में अपना पद त्याग दिया।

● गौस मोहम्मद खाँ—पद्मश्री की उपाधि से सम्मा-नित सुप्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी, जिनका अप्रैल 82 में 66 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।

● पी. एस. अप्पू—मार्च 82 में राष्ट्रीय प्रशासन अका-दमी, मंसूरी के निदेशक पी. एस. अप्पू भारतीय प्रशा-सनिक सेवा के एक निष्कासित प्रशिक्षणार्थी (वी. के. सिंह) के प्रश्न पर सेवा से पदत्याग करके चर्चा का विषय बने।

● जनरल इरशाद—बंगलादेश के थलसेनाध्यक्ष तथा वर्तमान मार्शल ला प्रशासक, जिन्होंने 24 मार्च 1982 को अपने नेतृत्व में कार्यान्वित एक रक्तहीन सैनिक क्रांति के माध्यम से राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार की सरकार को बर्खास्त कर स्वयं शासन सत्ता हस्तगत की।

● अब्दुस सत्तार—बंगला देश के 76 वर्षीय भू. पू. राष्ट्रपति, जिनको 24 मार्च 82 को जनरल इरशाद ने रक्तहीन सैनिक क्राँति द्वारा सत्ताच्यूत कर दिया। जून 1977 से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहने वाले श्री सत्तार जियाउर्रमान की हत्या (30 मई 1981) के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति बने और 15 नवम्बर 81 को बंगला-देश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे।

● लेक वालेसा—साम्यवादी पोलैण्ड के स्वतन्त्र श्रमिक संगठन 'सौलिदारनोश्च' के 38 वर्षीय प्रमुख लोकप्रिय नेता, जो पोल श्रमिकों की हड़ताल के नेतृत्व के कारण विश्वव्यापी चर्चा का विषय बने। पोलैण्ड में आपातकाल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की घोषणा (13 दिसम्बर 1981) के पश्चात से मध्यम-मार्गी वालेसा नजरबन्द चल रहे है।

● जोश मलीहाबादी—'शायरे इंकलाब' के नाम से विख्यात उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि व शायर, जिनका 22 फरवरी 82 को 82 वर्ष की अवस्था में इस्लामाबाद में निधन हो गया। जोश मलीहाबादी (शब्बीर हसन खाँ) का जन्म उत्तर प्रदेश के मलीहाबाद में हुआ था। 1956 में वह भारत छोड़ कर पाकिस्तान चले गये थे। 'यादो की बारात' उनकी नवीनतम कृति थी। उनकी अन्य कृतियों में 'शोला और शबनम', 'रूहे अदब', 'सैफ-ओ-सुबू' तथा 'नक्श ओं निगार' आदि प्रमुख हैं।

● डा. सैयद जहूर कासिम—भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के भू. पू. सचिव डा. सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में जनवरी 1982 में भारतीय वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव में खोजबीन की। पिछले वर्ष हिन्दमहासागर के तल से मैंगनीज पिण्डों का उन्खनन भी आपके नेतृत्व में किया गया था। डा. कासिम को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये इस वर्ष पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है।

● जेवियर पेरेज डी कुएलर—पेरू के अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ, जो 1 जनवरी 1982 से स. रा संघ के महासचिव पद पर पांच वर्षों के लिये निर्वाचित हुये।

● अमृता प्रीतम—पंजाबी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवियित्री व उपन्यासकार अमृता प्रीतम को वर्ष 81 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके कविता संग्रह 'कागज ते कनवास' के लिये प्राप्त हुआ। 'रसीदी टिकट', 'यात्रा', 'पिजर', 'तहखान सूरज', 'यह सच है', आदि आपकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके पूर्व आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार (1956) व 'पद्मश्री' से सम्मानित किया जा चुका है।

● नूरजहाँ—'मलिका ए तरन्नुम' के नाम से विख्यात सुप्रसिद्ध पाक गायिका, जो 35 वर्षों के पश्चात फरवरी 82 में भारतीय वाक फिल्मों की स्वर्ण जयन्ती के समारोह में भाग लेने भारत आयी थी।

● सन्त जनरैल सिंह भिन्डरांवाले—सिखों के उग्रपंथी धार्मिक नेता, जो विगत वर्ष से अब तक पंजाब में हो रही हिंसात्मक घटनाओं के सन्दर्भ में चर्चित है।

● हसीना शेख—बंगला देश के प्रथम प्रधानमन्त्री देश मुजीबुर्रहमान की पुत्री, जो कि वर्तमान समय में बंगलादेश आवामी लीग की अध्यक्षा है।

● राम कृष्ण त्रिवेदी—भारतवर्ष के नये मुख्य चनाव आयुक्त, जो 1 जनवरी 1986 तक इस पद पर कार्य करेंगे।

● शाह फाहद—जून 82 में सऊदी अरब के शासक शाह खालिद की मृत्यु के पश्चात युवराज फाहद देश के शासक बने। शाह फाहद मध्य पूर्व की समस्या के समाधान के लिये प्रस्तुत 8 सूत्रीय प्रस्ताव के लिये चर्चित रहे है।

● श्यामलाल शकधर—17 जून 82 को एस. एल. शकधर ने मुख्य चनाव आयुक्त के पद से अवकाश ग्रहण किया। आप भारतीय चुनाव प्रणाली में आमूल परिवर्तन जैसे मतदाताओं को परिचय पत्र, इलेक्ट्रानिक मतदान यन्त्र (इसका प्रयोग केरल विधान सभा चुनाव में 'परूर' चुनाव क्षेत्र में किया गया) के हिमायती थे।

● विश्वनाथ प्रताप सिंह—उत्तर प्रदेश के संवेदन शील भू पू मुख्यमंत्री, जिन्होंने रामपुरा (मैनपुरी) व दास्तानपुर (कानपुर) जिले में डकैतों द्वारा सामूहिक हत्याकांड के पश्चात मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।

● जार्ज पी शुल्ज—61 वर्षीय अर्थशास्त्री जार्ज पी. शुल्ज ने जून 82 के अन्तिम सप्ताह में अमेरीकी विदेश सचिव का पद संभाला।

● युसुफ हसीन—भारत (बम्बई) में कार्यरत इसायली वाणिज्य दूत जिन्हें उनके द्वारा 'सन्डे आबसर्वर' में दी भेंटवार्ता में भारत विरोधी वक्तव्य देने के कारण भारत सरकार ने देश से निष्कासित कर दिया।

● गुन्नार मिरदाल व अल्वा मिरदाल—1981 का अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना के लिये नेहरू पुरस्कार स्वीडन के गुन्नार मिरदाल तथा उनकी पत्नी अल्वा मिरदाल को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गयी है। 1974 के नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मिरदाल गरीबी के उन्मूलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु दीर्घकाल से प्रयत्नशील है। श्रीमती अल्वा मिरदाल ने राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में उनका सराहनीय योगदान रहा है।

● भगवती चरण वर्मा—सुविख्यात उपन्यासकार कवि तथा कहानीकार, जिनका 5 अक्टूबर 81 को नईदिल्ली में देहावसान हो गया। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, तीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्षा, आखिरी दाँव, प्रश्न और मारीचिका तथा मेरी कविताएं वर्मा जी के कुछ महत्वपूर्ण कृतित्व हैं।

● सुब्रमणियम भारती—प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार एवं विचारक, जिनकी 11 दिसम्बर 1981 से सम्पूर्ण देश में जन्म सतवार्षिकी मनायी जा रही है।

● डा प्रमोद करण सेठी—जयपुरिया टाँग (कृत्रिम पैर) के आविष्कर्ता पद्मश्री डा. प्रमोद करण सेठी को 'सामुदायिक विकास' हेतु 1981 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था।

● गगा सिंह ढिल्लों—भारत में जन्मे परन्तु इस समय स रा. अमेरिका के नागरिक 'खालिस्तान' आन्दोलन के प्रणेता है। भारत सरकार ने इनके भारत आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

● रिचर्ड एटिनबरो—प्रख्यात ब्रिटिश अभिनेता-निर्देशक सर रिचर्ड एटिनबरो, भारत-ब्रिटेन के सहयोग से बनायी गयी फिल्म 'गान्धी' जो अक्टूबर 82 में विश्व भर में प्रदर्शित होगी, के निर्माता-निर्देशक हैं। इस फिल्म में गान्धी की भूमिका बेन किंग्स्ले तथा कस्तूरबा की भूमिका रोहिट्टनगढ़ी निभा रही है।

● जगजीत सिंह चौहान—'खालिस्तान' आन्दोलन के प्रमुख नेता जिनको भारत सरकार द्वारा तीव्र आपत्ति के बावजूद अमेरिका में प्रवेश मिल गया।

● आचार्य किशोरी दास वाजपेयी—जीवनपर्यन्त हिन्दी को स्वतन्त्र भाषा के रूप में परिष्कृत तथा विकसित करने का प्रयास करने वाले आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जिन्हें हिन्दी का प्रथम वैज्ञानिक वैयाकरण कहा जाता है, का देहावसान सितम्बर 1981 में हो गया।

● पेब्लो पिकासो—चित्रकला के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा क्रांति का सूत्रपात करने वाले स्पेन का विश्व प्रसिद्ध दिवंगत चित्रकार, जिनकी अक्टूबर 1981 में जन्म शत-वार्षिकी मनायी गयी।

● चार्ल्स शोभराज—कुख्यात अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी जिसे हाल में हत्या, चोरी तथा जालसाजी के अपराध के लिये दिल्ली न्यायालय ने दंडित किया।

● दत्तात्रय रामचन्द्र बेन्द्रे—कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि, जिनका 86 वर्ष की आयु में, बम्बई में, 26 अक्टूबर 1981 को निधन हो गया। 1973 में उनको उनके कविता संग्रह 'नाकुंतती' पर साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ।

● अनवर सादात—1979 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मिस्र के भूतपूर्व दिवङ्गत राष्ट्रपति जिनकी 6 अक्टूबर 1981 को काहिरा में कुछ उग्रपंथी मुस्लिम सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गयी। सादात मध्य पूर्व में शांति स्थापना हेतु मिस्र और इस्राइल के मध्य हुए कैम्प डेविड समझौते के सफल प्रणेता थे।

● मोशे दायान—इस्राइल के रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री तथा सेनाध्यक्ष के पद का समय-समय पर दायित्व संभालने वाले सफल इस्राइली नेता। दायान की मृत्यु 16 अक्टूबर 1981 को हुई।

● जुबिन मेहता—भारत में जन्में विश्व विख्यात पाश्चात्य शास्त्रीय संगीतज्ञ।

● डा सालीम अली—भारत के विश्व-विख्यात पक्षी विशेषज्ञ।

प्रमुख सम्मेलन

● निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय सम्मेलन--8 जून 82से10 जुलाई82तक न्यूयॉर्कमें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में द्वितीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 157 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में विश्व में शस्त्रास्त्रों के सबसे बड़े सौदागार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस सम्मेलन में उठाये जाने वाले प्रमुख मुद्दे अधोलिखित थे : नाभिकीय निरस्त्रीकरण, भविष्य में हथियारों की वृद्धि पर अंकुश लगाना, नाभिकीय अस्त्रों वाली महाशक्तियों के शस्त्रों का परिसीमन करना (विशेषतः अमेरिका तथा रूस), रासायसिक शस्त्रों का निषेध, नाभिकीय शस्त्र रहित क्षेत्र, सैन्य-व्यय में कटौती, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबन्ध, निरस्त्रीकरण एवं विकास के मध्य सम्बन्ध निरस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निरस्त्रीकरण हेतु निषेधात्मक व्यवस्था, निरस्त्रीकरण शिक्षा आदि।

सम्मेलन में भारतीय प्रस्ताव—सम्मेलन को भेजे गये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने एक संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने निःशस्त्रीकरण का एक पांच सूत्रीय 'ठोस व्यावहारिक कार्यक्रम' प्रस्तुत किया : (क) परमाणु अस्त्रों के निषेध के सन्दर्भ में सम्मेलन में एक बाध्यकारी कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये; (ख) वर्तमान विश्व में विद्यमान परमाणु अस्त्रों की कटौती की दिशा में पहले कदम के रूप में इन अस्त्रों और इनमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री के भावी उत्पादन पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये; (ग) सभी राष्ट्रों द्वारा परमाणु अस्त्रों के किसी भी स्थिति में न प्रयोग किये जाने की घोषणा की जानी चाहिये; (घ) इस उद्देश्य की सम्यक् प्राप्ति के लिए द्वि-पक्षीय तथा बहु-पक्षीय बातचीत के माध्यम से कुछ सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण किया जाना चाहिये जैसा कि छठवें दशक के प्रारम्भ में सोवियत संघ तथा अमरीका द्वारा किया गया था; तथा (च) शस्त्रों की होड़ के खतरों के विरुद्ध विश्व जनमत निर्माण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी विशिष्ट इकाइयों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिये। इसके अन्तर्गत परमाणु युद्ध के खतरों, विश्व अर्थव्यवस्था पर शस्त्रों की होड़ के प्रभाव एवं विकास के साथ निःशस्त्रीकरण के संबधों आदि के विषय में जनमानस को शिक्षित किया जाना चाहिये। सम्मेलन में विद्यमान सभी सदस्यों ने इन सुझावों का स्वागत किया।

सम्मेलन का परिणाम :—संयुक्त राष्ट्र संघ का निशस्त्रीकरण पर यह द्वितीय विशेष सत्र नाभिकीय एवं पारम्परिक हथियारों हेतु रोक लगाने के लिए किसी प्रस्ताव के बिना ही समाप्त हो गया। सम्मेलन में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ शस्त्रों की कटौती पर कोई व्यापक कायक्रम तय करने में विफल रहा। इस सत्र के सभापति इराक के श्री इस्मत कट्टानी ने एक आलोचनापूर्ण वक्तव्य में कहा कि विश्व के लोगों की इच्छा और सरकारी इरादों में बड़ा फर्क है। अब संयुक्त सं. राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह मसविदा निरस्त्रीकरण पर एक स्थायी समिति को यह निर्देश देकर सुपुर्द कर दिया है कि सितम्बर 1983 में राष्ट्र संघ महासभा की बैठक में मसविदा का नया स्वरूप पेश करें। इस प्रकार से इस सम्मेलन का स्वरूप औपचारिक रहा। कारण, यह प्रथम निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 में सम्पन्न हुआ था।

● वरसाई शिखर सम्मेलन—4-7 जून 1982 तक फ्रान्स के प्रमुख नगर वरसाई में विश्व के सात सर्वाधिक धनी देशों की शिखर वार्ता का आयोजन हुआ। शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, इटली और जापान के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। सम्मेलन का स्वरूप और उद्देश्य आर्थिक था किस प्रकार से विकासशील और विकसित देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक व्यापक बनाया जाये ? किस प्रकार अन्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु अधिक ठोस कदम उठाये जाये। शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी घोषणा पत्र में विभिन्न विकसित देशों के, विश्व परक अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुद्दों जैसे कि उच्च ब्याज दर, अस्थिर विनिमयदर, पूर्व-पश्चिम व्यापार, संरक्षणवादी नीतियों तथा नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए विश्वपरक बातचीत के प्रति परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों का समन्वित और सामजस्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सम्मेलन में भाग लेन वाले सदस्य देशो ने जिन तीन बिन्दुओ पर स्पष्ट सहमति प्रकट की वो इस प्रकार है—(1) पूर्वी (सोवियत) खेमों के देशों के प्रति पश्चिमी व्यापार और साख की नीतियों पर नियन्त्रण लगाया जाय, (2) सातों देश ब्याज नीति के विशेष संदर्भ मे अपनी नीतियो को सामंजस्यपूर्ण बनाये तथा (3) दक्षिणी देशों के साथ वार्ता में तेजी लायी जाय। कुल मिला के वरसाई शिखर सम्मेलन का यही परिणाम हुआ की सोवियत संघ के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों को और अधिक कड़ा करने के रीगन के पूर्वाग्रह को सदस्य देशों ने दबे मन से स्वीकार किया। इसके बदले में वाशिंगटन अपनी यूरोपीय मौद्रिक नीति को और अधिक सकारात्मक और उदार बनायेगा। पाठकों को स्मरण रहे कि इस प्रकार का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1975 में सम्पन्न हुआ था।

● कानकुन शिखर सम्मेलन—कानकुन (मेक्सिको) में 22-23 अक्तूबर, 1981 को कानकुन शेरेटन होटल में विश्व के 22 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह ऐतिहासिक सम्मेलन निर्णायक है क्योंकि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सम्मेलन का ध्येय निर्धन देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाना था जब कि धनी देश इसके लिए सुझाए गए प्रस्तावों पर एकमत नहीं हैं।

इस सम्मेलन का प्रस्ताव ब्रांड्ट-आयोग की रिपोर्ट में किया गया था जो उत्तर-दक्षिण संवाद से सम्बन्धित है। सम्मेलन में जिन 22 देशों ने भाग लिया है वे इस प्रकार से हैं—

ब्राजील, वेनेजुएला, कैनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, आस्ट्रिया, स्वीडेन, ब्रिटेन, पश्चिमी-जर्मनी, चीन, जापान सउदी अरब, फ्रांस, यूगोस्लाविया, अल्जीरिया, नाइजीरिया आइवरी कोस्ट, तंजानिया, गुयाना, बंगलादेश, फिलीपीन्स तथा भारत। इनमें प्रथम चौदह विकसित तथा अन्तिम आठ विकासशील राष्ट्र हैं। शीर्ष-सम्मेलन एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था हेतु सार्वभौमिक सन्धि वार्ता के संकल्प के साथ समाप्त हुआ परन्तु इसके निमित कोई कार्यसूची या प्रक्रिया नहीं निर्धारित की गई। सम्मेलन की सीमित उपलब्धि यह रही कि ऐसी सन्धि-वार्ताओं की शुरुआत के लिए 'सर्वसम्मति' को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रोत्साहित करने में सहमति रही जिसमें "आवश्यकता की अनुभूति के साथ उन अवसरों पर जहां महत्वपूर्ण प्रगति की सम्भावना हो" वाक्य शर्त-रूप में सम्बद्ध कर दिया गया।

● दक्षिण-दक्षिण सम्मेलन—कानकुन-शीर्ष सम्मेलन की असफलता के तुरन्त पश्चात् श्रीमती गांधी ने विकासशील एवं अर्द्ध विकसित देशों के पारस्परिक व्यापारिक समझौतों पर बल दिया और दक्षिण देशों का सम्मेलन (22-24 फरवरी 982) नई दिल्ली में आयोजित किया जिसे 'नई दिल्ली मंत्रणा' (न्यू डेल्ही कन्सलटेशन्स) कहते हैं। इसमें 22 देशों को भाग लेने का निमन्त्रण दिया गया था, परन्तु मुक्त आह्वान के फलस्वरूप 44 विकासशील देशों ने इसमें भाग लिया।

'नई दिल्ली मंत्रणा' का प्रमुख उद्देश्य गिरती हुई सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था के कारण दक्षिणी-क्षेत्र में सामूहिक-आत्मनिर्भरता' (कलेक्टिव सेल्फ-रिलायन्स) की आवश्यकता पर बल देना था। इसमें यह भी संकेत दिया गया कि ऐसे प्रयासों में विकसित देशों की विकासशील देशों के प्रति कर्तव्यों में कमी नहीं होनी चाहिए।

इस नये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए श्रीमती गांधी ने सम्मेलन में 9-सूत्री घोषणा पत्र पेश किया—(1) विश्वव्यापी समझौता वार्ता शुरू करने पर सहमति हो (2) विकासशील देशों में अनाज उत्पादन में वृद्धि हो (3) विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता में कटौती करने का रूख खत्म हो, (4) बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना (5) विकासशील देशों में ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए वित्तीय भार साधन जुटाना (6) तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुए वित्तीय भार को हल्का करने और विकासशील देशों की तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने सहित विभिन्न योजनाएँ बनाना तथा उन्हें तेजी से लागू करना (7) तेल आयात करने वाले देशों के लिए भुगतान संतुलन के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था हो, (8) संरक्षणवादी नीति का बदलना और (9) विकासशील देशों पर समृद्ध देशों की घटनाओं और उनके दबाव से पहले वाले जमाव को कम करने के लिए विकासशील देशों की एकजुटता और सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना।

सम्मेलन में चार संकटकालीन तत्वों, खाद्य, ऊर्जा, व्यापार और वित्तीय प्रवाह, पर विशेष ध्यान रखा गया।

इस सम्मेलन में भारत की अग्रणी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। सम्मेलन की इस बात पर आलोचना की गई है कि यह कोई नई-रणनीति बनाने में असफल रहा।

● स. रा. संघ का तृतीय समुद्री विधि सम्मेलन—9 वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात 30 अप्रैल 82 को न्यूयार्क में इस सम्मेलन के 11 वें सत्र में भारत, जापान, फ्रांस सहित 130 राष्ट्रों ने 320 अनुच्छेदों व 8 परिशिष्ट के समुद्र विधि सन्धि को अंगीकार किया। सन्धि के अनुसार, प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea), अनन्य आर्थिक क्षेत्र (exclusive Economic zone), महाद्वीपीय जल मग्न तट भूमि (Continental Shelf) क्रमशः 12 मील (19 कि. मी.) 200 मील (350 कि. मी.) 350 मील (560 कि. मी.), निश्चित किया गया है। तटवर्ती राष्ट्रों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र व महाद्वीपीय जलमग्न तट भूमि पर अनन्य दोहन व उत्खनन का

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकार होगा । ऐसे सम्पूर्ण समुद्री [illegible] 10% भाग पर तटवर्ती राष्ट्रों का अधिकार हो जायेगा । इसके अलावा प्रादेशिक समुद्र व संकरी खाड़ी (Narrow gulf) से सैनिक व असैनिक पोतों के निर्दोष गमन का अधिकार, संलग्न क्षेत्र (Contiguoux zone), समुद्र का संरक्षण व पर्यावरण, मत्स्य हनन का क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र के क्षेत्र पर ओवर फ्लाईट (Overflight) आदि विषयों पर भी विधि का निर्माण किया गया । इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि महासमुद्र तल (Sea bed) और वहां पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के उत्खनन के संबंध में रही । समुद्र उत्खनन का अधिकार जापान, भारत, रूस व फ्रांस वैयक्तिक रूप से तथा अमेरिका, ब्रिटेन, प. जर्मनी और पाँच अन्य विकसित राष्ट्रों के संकायों को होगा । पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के 17 राष्ट्रों ने सन्धि के पक्ष व विपक्ष में मत नहीं प्रदान किया । अमेरिका, टर्की, इस्राइल तथा वेनेजुएला ने विभिन्न कारणों से सन्धि के विपक्ष में मत प्रदान किया । सितम्बर 82 में सन्धि की भाषा सम्बन्धी त्रुटिओं को दूर करने के लिए एक सत्र बुलाया जायेगा । दिसम्बर 82 में सभी राष्ट्र वेनेजुएला की राजधानी कॉराकॉस में सन्धि की अभिपुष्टि के लिये एकत्र होंगे । 60 राष्ट्रों की अभिपुष्टि प्राप्त होने पर सन्धि सभी राष्ट्रों पर, चाहे वे सन्धि की अभिपुष्टि किये हो या नहीं, पर लागू हो जायेगी ।

इसी सन्दर्भ में पाठकों को स्मरण रहे कि प्रथम व द्वितीय समुद्री विधि सम्मेलन (1958 व 1960) में प्रादेशिक समुद्र, संलग्न क्षेत्र, महासमुद्र, महाद्वीपीय जल [illegible] महासमुद्र में पाये जाने वाले जैविक संसाधनों के संरक्षण आदि विषयों पर सर्व सम्मति से विधि का निर्माण किया गया । फिर भी अनेक मुद्दों पर मतभेद बना रहा था । इन मुद्दों पर विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य मतभेद को दूर करने के लिये सं. रा. संघ के तत्वावधान में 1973 में तृतीय समुद्री विधि सम्मेलन बुलाया गया है । इसके वर्तमान अध्यक्ष ताइ वी. कोह (सिंगापुर) है ।

● **विकासशील राष्ट्रों की विज्ञान व टेक्नॉलजी सम्मेलन**—समूह 77 के तत्वावधान में मई के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि (1) वर्ष 1990 तक सभी विकासशील राष्ट्र अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम 1% वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास पर व्यय करेंगे । (2) विश्व के अल्पविकसित एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में उच्च स्तर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जायेंगे जो विकास की स्थानीय समस्याओं का समाधान करेंगे । (3) वर्ष 1885 तक नई दिल्ली में एक अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की जायेगी ।

● **नाटो शिखर सम्मेलन**—जून 82 में बॉन में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 16 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने पूर्व-पश्चिम सम्बन्धों को अधिकाधिक रचनात्मक बनाने के संकल्प की घोषणा की परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि तनाव शैथिल्य रूस के व्यवहार पर निर्भर करता है ।

प्रमुख आयोग तथा समितियाँ

● **आठवां वित्त आयोग**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 21 जून 82 को यशवन्त राव बलवन्त राव चह्वाण की अध्यक्षता में आठवां वित्त आयोग नियुक्त किया । आयोग के अन्य सदस्य हैं—न्यायमूर्ति सव्यसचि मुकर्जी, डा. सी. एच. हनुमन्थ राव, श्री जी. सी. बवेजा व श्री ए. आर. शिराली । आयोग का निर्णय 1984-85 से 1988-89 तक प्रभावी रहेगा । अतः आयोग से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 1983 तक प्रस्तुत कर दे जिससे कि 1984-85 के बजट को अन्तिम रूप देने में आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया जा सके । अनुच्छेद 280 (3) के अन्तगत आयोग को निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है—(1) केन्द्रीय करों जैसे आयकर (कारपोरेशन कर को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छोड़कर) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का केन्द्र एवं राज्यों के बीच व राज्यों में आपस में वितरण। (2) भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्वों की अनुदान सहायता (Grant-in-aid) देने के लिए सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं जरूरतमन्द राज्यों को अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता-राशि। (3) कोई भी ऐसा विषय जिसे राष्ट्रपति एक अच्छी वित्त व्यवस्था के लिये आवश्यक समझता हो। इसी प्राविधान के अन्तर्गत आठवें वित्त आयोग को उन सिद्धान्तों में, जो कि राज्यों के बीच मृत्यु होने पर सम्पत्ति हस्तान्तरण कर (कृषि योग्य भूमि को छोड़कर), कपड़ा, तम्बाकू एवं चीनी के स्थान पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पादन कर तथा रेलवे यात्रा भाड़ा पर कर के बदले में राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के वितरण लिये निर्धारित किये गए हैं उनमें परिवर्तन का सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

● **द्वितीय प्रेस आयोग**—प्रेस के स्तर सुधारने एवं उसके उत्तरोत्तर विकास के लिये अप्रैल 1980 में न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू की अध्यक्षता में प्रेस आयोग का पुनर्गठन (पूर्वगठित द्वितीय प्रेस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोस्वामी थे) किया गया जिसे निम्न विषयों पर अपनी संस्तुति देनी थी—(1) विकासशील प्रजातांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका; (2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में वर्तमान संवैधानिक संरक्षणों की उपयुक्तता एवं कमियां; (3) प्रेस की स्वतन्त्रता को आर्थिक, राजनैतिक एवं मालिकों एवं व्यवस्थापकों के दबाव से मुक्त रखने के लिए साधन एवं उपाय; (4) प्रकाशकों, संपादकों, व्यवस्थापकों एवं व्यावसायिक पत्रकारों के बीच संबन्ध; (5) प्रेस को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिये न्यूजप्रिंट, विज्ञापन एवं सूचना नीति एवं पृष्ठ-मूल्य सूची की वैधानिकता; (6) छोटे एवं मध्यम वर्ग के समाचार-पत्रों को अतिरिक्त संरक्षण।

आयोग ने अप्रैल 82 में बहुमत से अपनी सिफारिशें पेश की है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सुझाव दिया है कि (क) सरकारी गोपनीयता कानून को ब्रिटेन में सूचना स्वतन्त्रता विधेयक के अनुरूप संशोधित किया जाए जिससे कि समाचार पत्रों द्वारा सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन न हो। (ख) समाचार पत्रों को अन्य उद्योगों से अलग करने की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर देना चाहिए। (ग) समाचार पत्रों को सहजतापूर्वक न्यूजप्रिन्ट व विज्ञापन उपलब्ध कराये जाए। अश्लील व सिनेमा की पत्रिकाओं को कम मूल्य पर न्यूजप्रिन्ट न उपलब्ध कराया जाय। एक विज्ञापन नीति के अन्तर्गत विज्ञापन वितरण के कार्य के लिये एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन का गठन किया जाय। (घ) छोटे व मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों को सूचना, न्यूजप्रिन्ट व विज्ञापन सम्बन्धी विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाय। इनके विकास के लिये एक विकास निगम स्थापित किया जाना चाहिए। (ङ) समाचार पत्रों के न्यायाधिकारियों की नियुक्ति प्रेस परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करने की जरूरत समाचार पत्रों के मालिकों पर लगाया जाय। समाचार पत्रों के सम्पादकों की नियुक्ति के लिये मालिकों को पूरी छूट दी जाय परन्तु इसका ध्यान रखा जाय कि ये व्यक्ति ऐसे हो जो समाचार पत्रों को सार्वजनिक हित में चलाने में योग्य हो।

● **विधि आयोग**—15 दिसम्बर 1981 को अवकाश-प्राप्त न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू की अध्यक्षता में विधि आयोग का पुनर्गठन किया गया। श्री नशीरूल्लाह बेग, श्री जे. पी. चतुर्वेदी एवं श्री वी. बी. वाजे आयोग के अन्य सदस्य हैं। आयोग को निम्न विषयों पर अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है: (1) न्याय मिलने में विलम्ब (Arrears) को समाप्त करने को दूर करने, तकनीकी न्यायप्रक्रिया को सरल बनाने एवं न्यायिक प्रशासन के स्तर को सुधारने के उपाय; (2) राज्य के नीति निदेशक तत्वों के परिपेक्ष्य में वर्तमान कानूनों एवं नियमों का परीक्षण तथा संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट उद्देश्यों की पूर्ति एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधि-निर्माण; (3) केन्द्रीय अधिनियमों को सरल एवं विरोधाभासों से मुक्त करने के उपाय; (4) अधिनियमों के अनुपयोगी भागों को निकाल कर उन्हें अद्यतन बनाने के उपाय। आयोग 13 दिसम्बर 1984 तक अपना कार्य पूरा करेगा।

● **निर्वाचन आयोग**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत इसकी एक स्वतंत्र निकाय के रूप में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थापना हुई है। इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, [इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम कृष्ण त्रिवेदी है] कई निर्वाचन आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत होती है। मुख्य आयुक्त संसद द्वारा उसी प्रक्रिया तथा उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य : (1) संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडलों के चुनाव के लिये मतदाताओं की सूची तैयार करना तथा इन चुनावों का संचालन, देखभाल, नियंत्रण करना। (2) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण करना। (3) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सम्बन्धी संदेहों और विवादों के समाधान हेतु निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना। (4) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना। (5) राजनैतिक दलों को स्वीकृति देना, इन्हें तथा स्वतंत्र प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आदि।

वर्ष 1981 में गढ़वाल संसदीय चुनाव को दो बार स्थगित करने के कारण यह आयोग काफी चर्चित रहा।

● योजना आयोग—भारत सरकार ने राष्ट्र के सम्पूर्ण साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास का ढाँचा तैयार करने के लिए 1950 में योजना आयोग की नियुक्ति की। इसका उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा उससे सम्बद्ध एवं अधिक विविध पूर्ण जीवन के लिये नये अवसर प्रदान करने हेतु विकास की एक प्रक्रिया आरम्भ करना था। प्रधानमन्त्री इस आयोग का अध्यक्ष होता है। जवाहर लाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस समय इस आयोग का गठन इस प्रकार से है—श्रीमती इन्दिरा गाँधी—अध्यक्ष, एस. बी. चह्वाण—उपाध्यक्ष, प्रो. एम. जी. के. मेनन—सदस्य, आर. वेंकटरमन-सदस्य, मोहम्मद फजल-सदस्य तथा डॉ. मनमोहन सिंह-सदस्य सचिव।

● आर्थिक-प्रशासन सुधार आयोग—सरकार द्वारा वर्तमान कर ढाँचे तथा आर्थिक-प्रशासन में सुधार हेतु श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में गठित यह आयोग निम्न विषयों पर प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा- (1) कर प्रशासन, उसके वैज्ञानिकीकरण और सुधार पर (2) विभिन्न राज्यों में किराया नियंत्रण संतुलन की समीक्षा पर (3) बचत के प्रोत्साहन पर।

● ब्राण्डट आयोग—विश्व के विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) देशों के मध्य बढ़ती हुयी विषमता के कारणों की समीक्षा हेतु वर्ष 1977 में प. जर्मनी के भू. पू. चान्सलर श्री विली ब्राण्डट की अध्यक्षता में इस गैर सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को उत्तर-दक्षिण आयोग के नाम से भी जाना गया। इस आयोग ने मार्च 1980 में प्रस्तुत अपनी आख्या में मुख्य रूप से विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के सम्बन्धों के विस्तार पर बल देते हुये नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना को आवश्यक बताया। इसी आयोग के प्रस्ताव पर अक्टूबर 81 में कैनकुन शीर्ष सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

[विस्तृत विवरण हेतु अक्टूबर 81 अंक देखें]

● मण्डल आयोग—जनता सरकार ने 1979 में बी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की थी जिसे नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। हालाँकि आयोग ने दिसम्बर 80 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दे दी थी परन्तु 30 अप्रैल 82 को सरकार ने संसद में पेश किया। आयोग के अनुसार भारत में 3743 पिछड़ी जातियाँ है। हिन्दुओं में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 43.6% और गैर हिन्दुओं में 8.4% है अर्थात भारत की कुल जनसंख्या में इस वर्ग की जनसंख्या 52% है। इस तरह पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के आधार पर 52% आरक्षण देना चाहिये किन्तु संविधान की धारा 14 (4) और 16 (4) के सन्दर्भ में नौकरी में कुल आरक्षण 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों को 22.5% आरक्षण उपलब्ध है। इसलिये आयोग के अनुसार पिछड़े वर्ग के लिये केन्द्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व राज्य सरकारों तथा अन्य सुधारों की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये 27% स्थान आरक्षित किया जाय।

● जसवन्त सिंह आयोग—जसवन्त सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ के मेरठ स्थानान्तरण के प्रश्न की जांच पड़ताल से सम्बन्धित केन्द्र सरकार द्वारा गठित आयोग।

● राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन समिति—केन्द्र सरकार ने श्री बी बी. वोहरा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं : (1) देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार की संभावनाओं का पता लगाना। (2) पर्यावरण के सन्दर्भ में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। (3) पर्यावरण संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा लोगों को इस समस्या की जानकारी हेतु विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यम और तरीकों का पता लगाना। (4) पर्यावरण कार्यक्रमों से सम्बद्ध विश्व संस्थाओं के साथ सहयोग एवं सम्पर्क सबंधी सुझाव।

● मैकब्राइड आयोग—उत्तर-दक्षिण देशों के मध्य सूचना एवं संचार समस्या से सम्बन्धित इस आयोग का गठन 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शॉन मैकब्राइड अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन में सूचना तथा समाचार माध्यमों के विकेन्द्रीकरण, व्यापारिक प्रभाव या माध्यम से स्वामित्व के केन्द्रीकरण से उत्पन्न प्रतिबन्धों तथा शासकीय नियन्त्रण से सूचना एवं प्रसार माध्यमों को मुक्त करने पर विशेष बल दिया। नयी सूचना व्यवस्था के क्रियान्वन की दृष्टि से ये संस्तुतियाँ महत्वपूर्ण है।

● मुल्ला समिति –जुलाई 1980 में न्यायाधीश ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में गठित यह समिति जेल सुधार से सम्बन्धित है।

● कुदाल आयोग—17 फरवरी 1982 को न्यायमूर्ति पी. डी कुदाल की अध्यक्षता में गठित यह आयोग गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा उससे संबंधित संस्थाओं के कार्य-कलापों की जाँच करेगा।

● गोकाक समिति—कर्नाटक के विद्यालयों में प्रथम भाषा की संस्तुति प्रदान करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा गठित इस समिति ने अपनी आख्या में 'कन्नड़' भाषा को ही विद्यालयों के पाठयक्रम में एक मात्र प्रथम भाषा बनाने की संस्तुति की है। राज्य सरकार ने इस आख्या को संशोधन सहित स्वीकार किया है जिसमें कन्नड़ या अन्य मातृभाषा (हिन्दी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी या तेलगु) को प्रथम भाषा के स्वरूप में स्वीकार किया है।

संविधान जगत

● बिहार प्रेस विधेयक :

"पीत-पत्रकारिता" (Yellow-Journalisim) को रोकने के उद्देश्य से 31 जुलाई 82 को बिहार विधान-सभा ने भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक पारित किया जो अब राष्ट्र-पति के पास उनकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। इसके पहले तमिलनाडु में 1961 में एवं उड़ीसा में 1962 में इसी प्रकार के अधिनियम पारित कर चुके हैं। चूंकि "शान्ति एवं व्यवस्था" समवर्ती सूची (Concurrent List) में है अतः केन्द्र एवं राज्य दोनों को इस विषय पर कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। 1978 में जनता शासन काल में भी राज्य सभा द्वारा समान आशय का विधेयक पारित किया गया था। इस संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि अश्लील (Seurrilous) या गन्दी सामग्री (Grossly indescent) अथवा भयादोहन (ब्लैकमेल) के लिए आशयित सामग्री के मुद्रण, प्रदर्शन, प्रसार अपने पास रखने व बिक्री करने पर अभियुक्त को प्रथम, अपराध की स्थिति में दो वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माना या दोनों तथा द्वितीय, अपराध पर पांच वर्ष तक का कठोर कारावास एवं जुर्माने में वृद्धि, की सजा दी जा सकती है। विधेयक की धारा (2) के साथ निर्दिष्ट जित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ 'गन्दा शब्द' के अन्तर्गत ऐसी कोई बात समझी जाऐगी जो नैतिकता के लिए हानिकर हो सकती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अथवा जिसमें किसी व्यक्ति को हानि पहुँच सकती हो। लोक कृत्यों (Public Functions) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri वाले लोक सेवकों (Public servent) अथवा सार्वजनिक प्रश्न से जुड़े हुए व्यक्तियों के सम्बंध में या उनके चरित्र के सम्बन्ध में जहाँ तक उक्त आचरण से उसका चरित्र परिलक्षित होता हो (किंतु इसके अतिरिक्त नहीं) को प्रकट करने की अनुमति इस धारा को प्रदान की गई है। इस अपराध को Cognizable एवं गैर-जमानती (Non-bailable) बना दिया गया है। इसी बीच तमिलनाडु के प्रेस कानून के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर स्थगित (Suspend) कर दिया है कि इस प्रकार का प्रतिबंध न्याय संगत नहीं है और संविधान की धारा 19 (1) का उल्लंघन करता है।

● राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम—24 सितम्बर 1980 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से निवारक निरोध अध्यादेश जारी किया जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिक और जातीय बलवों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। अध्यादेश (जनवरी 1981 में) अब अधिनियम का रूप ले चुका है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से हैं—(क) सरकार राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आपूर्ति एवं आवश्यक वस्तुओं के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द कर सकती है। (ख) नजरबन्दी की अधिकतम सीमा 12 महीने होगी। (ग) प्रत्येक नजरबन्द का मामला उच्च-न्यायालय के किसी कार्यकारी न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित सलाहाकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा। नजरबन्दी इस बोर्ड की सहमति से ही अधिकतम अवधि तक चलायी जा सकेगी अन्यथा इसे मध्य में ही समाप्त करना होगा। (घ) सभी नजरबन्दों को सामान्य परिस्थितियों में नजरबन्दी के 5 दिनों के भीतर और असामान्य स्थितियों में 10 दिनों के अन्दर उसकी नजरबन्दी के कारण बता दिये जायेंगे। (ङ) प्रत्येक नजरबन्द को अपनी नजरबन्दी के विरुद्ध न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

इस अधिनियम को कई याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गयी। 24 दिसम्बर को अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को वैध ठहराया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, न कि कार्यपालकीय शक्ति। और इस अधिनियम के तहत किया सेवा या आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने के अभियोग में कोई व्यक्ति तभी नजरबन्द किया जा सकेगा जब ऐसी सेवा या आपूर्ति को किसी अधिसूचना इत्यादि द्वारा पहले से ही सार्वजनिक रूप से विदित करा दिया गया हो।

इस आदेश के तहत केन्द्रीय सरकार ने 8 फरवरी 82 को 16 प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची घोषित की है। सड़क, रेल, जल व वायु परिवहन, दूर संचार, रक्षा सेवा, रक्षा उत्पादन, सीमा शुल्क तथा अन्य कुछ सरकारी-गैर सरकारी उद्योगों और नगरपालिका सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकों, पेट्रोलियम, डीजल, इस्पात आदि को आवश्यक करार दिया गया है। इन सेवाओं में बाधा पहुँचाने वाले लोगों को रा. सु. का. के अन्तर्गत नजरबन्द किया जा सकता है।

● न्यायाधीशों का स्थानान्तरण वैध—संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधिपति के 'परामर्श' से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च-न्यायालय में स्थानान्तरित करने की शक्ति प्राप्त है। इस सन्दर्भ में 1974 से ही दो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद के रूप में आये। प्रथम यह कि क्या स्थानान्तरण के मामले में स्थानान्तरित किये जा रहे है न्यायाधीश की 'सम्मति' (Consent) लेना आवश्यक है, द्वितीय यह कि क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधिपति के "परामर्श" को मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम सकल चन्द्र (A. I. R. 1977 सु. को. 2328) के मामले में दोनों प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया किन्तु न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक समझा कि : (1) स्थानान्तरण "लोकहित" में किया जाना चाहिए दण्ड देने के प्रयोजन से नहीं। (2) न्यायाधिपति से 'परामर्श' "प्रभावी परामर्श" होना चाहिये। जिसके लिए आवश्यक है कि परामर्श लेते समय सरकार को उसके समक्ष सभी आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत करना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहिए जिससे वह अपनी उचित राय राष्ट्रपति को दे सके। 'परामर्श' केवल शिष्टाचार मात्र नहीं होनी चाहिए। हाल में न्यायाधीश स्थानान्तरण (A. I. R. 1982 सु. को. 149) के मामले में जिसमें कि भारत के विधि मन्त्री के उस परिपत्र को जिसके अधीन राज्यों को यह कहा गया था कि वे न्यायधीशों से भविष्य में उनके स्थानान्तरण के लिए सम्मति ले लें और उस आदेश को जिसके द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश श्री के. बी एन. सिंह को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया था एवं दिल्ली उच्चन्यायालय के अवर न्यायाधीश श्री कुमार की पदावधि को नहीं बढ़ाया गया था, इस आधार पर चनौती दी गई थी कि इससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर आघात पहुँचता है, अपने सकल चन्द मुकदमें के निर्णय की पुष्टि की और निम्न कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किए : (1) नियुक्ति या अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थाई बनाने की प्रक्रिया में न्यायाधिपति, राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश तीनों की संस्तुतियाँ बराबर महत्व रखती हैं और राष्ट्रपति 'लोकहित' में किसी एक की संस्तुति को प्रभावी कर सकता है। (2) यदि स्थानान्तरण न्यायाधीश के आचरण एवं व्यवहार के कारणों से किया जा रहा है तो वह वैधानिक है। (3) स्थानान्तरण करते समय न्यायाधीश की भाषा की समस्या, लोकहित, प्रशासनिक सुविधा एवं राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। (4) जहाँ तक न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन लाने की समर्थता का प्रश्न है समाज का कोई व्यक्ति या एक निश्चित वर्ग या व्यक्तियों का समूह जिसे कोई विशेष क्षति पहुँचती है और वह वर्ग या समूह सामाजिक असक्षमता, गरीबी अथवा अन्य कारणों से यदि न्यायालय में आवेदन करने में असमर्थ है तो समाज का कोई भी व्यक्ति, भले ही उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि न पहुँचती हो, न्यायालय के समक्ष "लोक क्षति" (Public Injury) के आधार पर आवेदन दे सकता है।

● **अनिवार्य सेवा अधिनियम—**

27 जुलाई 1981 को राष्ट्रपति ने राष्ट्र की अनिवार्य सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अनुशासित करने के लिये अनिवार्य सेवा अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश (अब अधि-नियम का रूप धारण कर चुका है) के तहत सरकार हड़ताल और उत्पादन में रुकावट डालने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा सेवा-निवृत्ति तथा जेल जाने की व्यवस्था कर सकती है। भारत के लगभग सभी विरोधी दलों तथा श्रमिक संगठनों ने इस अधिनियम का विरोध 19 जनवरी 1982 को 'भारत बन्द' का आह्वान देकर किया था।

● **मृत्यु दन्ड का अधिकार—**

रंगा और बिल्ला की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ ने 7 नवम्बर, 81 को उनके सहित सभी फांसी की सजाओं के अमल पर रोक लगा दी थी। यह निर्णय इस प्रश्न पर विचार करने के लिये किया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत, क्षमादान की याचिकाओं पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिये क्या कोई पथ निर्देश विद्यमान है या वे आवश्यक हैं। 20 जनवरी, 82 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि रंगा और बिल्ला की क्षमादान याचिका को खारिज कर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत प्राप्त स्वेच्छाधिकार का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त करने के फलस्वरूप रंगा, बिल्ला सहित अन्य फांसी की सजा पाने वाले सभी मुजरिमों का मृत्युदण्ड स्वतः वैध सिद्ध हो गया।

● **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक (तृतीय संशोधन विधेयक 1980)—**नवम्बर 81 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय मुस्लिमों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति हेतु वह प्रयत्न करे। सरकार ने इस संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने से इन्कार कर दिया और स्पष्ट किया कि इसमें धर्म, जाति और रंग भेद के भेदभाव के बगैर सभी वर्गों के छात्रों को प्रवेश मिलेगा।

● **जम्मू-कश्मीर का पुनर्वास विधेयक :—**जम्मू-कश्मीर विधान सभा द्वारा इस वर्ष पारित यह विधेयक अपने स्वरूप तथा प्रभाव को लेकर राष्ट्रव्यापी चर्चा का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय बना हुआ है। विधान सभा में इस विधेयक को एक सदस्य ने निजी तौर पर रखा था जिसे नेशनल कांफ्रेंस का समर्थन मिला और विधेयक पारित हुआ। इस विवादास्पद विधेयक की प्रमुख व्यवस्था के अन्तर्गत मार्च 1947 तथा विभाजन के बाद कश्मीर के जो बाशिंदे डर कर पाकिस्तान चले गये और अनिश्चित परिस्थितियों के कारण कश्मीर वापस न लौट सके, वे कुछ खास जरूरतें पूरी करने पर (जिसमें नई दिल्ली से वीसा- प्राप्त करना भी है) कश्मीर वापस लौट सकते हैं। यद्यपि ये विधेयक 1952 के उस समझौते की मूल भावना के विरुद्ध नहीं है जो शेख अब्दुला तथा भारत सरकार के मध्य हुआ था। (इस समझौते के अनुसार भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान जोड़ गये जिनके अन्तर्गत उन क्षेत्रों में घिरे हुए लोग जो अब पाकिस्तान का भाग कहलाता है, लौट सकते है और जम्मू कश्मीर में पुनर्वास कर सकते है। और इन नागरिकों को भारत का नागरिक और जम्मू-कश्मीर का मूल निवासी होने की मान्यता प्राप्त होगी। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री बी. के. नेहरू ने इस विधेयक को अभी अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की हैं। केन्द्र सरकार इस विधेयक को संवैधानिक और व्यापक राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध समझती है। संक्षेप में यह विधेयक केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य गम्भीर मतभेद का स्वरूप ग्रहण कर चुका है।

[विस्तृत विवरण हेतु अगस्त 82 अंक देखे]

● **जीवन बीमा निगम अध्यादेश**—जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन संरचना को अन्य विभागों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान के अनुरूप विवेकयुक्त बनाये जाने के उद्देश्य से फरवरी 1981 में राष्ट्रपति द्वारा जीवन बीमा निगम अधिनियम (1956) में संशोधन हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया।

इस अध्यादेश के अन्तर्गत अब केन्द्रीय सरकार को जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के वेतन ढाँचे में परिवर्तन तथा कर्मचारियों और एजेंटों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के मूल वेतन तथा भत्तों में सार्वजनिक क्षेत्र में उसी स्तर के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में भारी अन्तर को देखते हुए यह कदम आवश्यक हुआ है। इस अध्यादेश के विरुद्ध दायर याचिका को निरस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बोनस और वेतन कानून फरवरी 1981 से, जिस दिन से मंहगाई भत्ते और बोनस पर रोक लगाई गई, प्रभावी होगा। इस निर्णय के बाद निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 2 फरवरी 81 से नये कानून के अनुसार बोनस और मंहगाई भत्ता मिल रहा है।

● विशेष धारक बांण्ड अधिनियम—

भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग उन्मुखी 'कालेधन' के रूप में निष्क्रिय पड़ी मुद्रा को सामान्यतः सक्रिय रूप प्रदान करने के लिये 12 जनवरी 1981 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश द्वारा 10,000 रु. के विशेष धारक बॉण्डों की बिक्री की व्यवस्था की। अब यह अध्यादेश एक अधिनियम का रूप ले चुका है। इसकी प्रमुख विशेतायें इस प्रकार हैं—(क) 10,000 रु. के विशेष धारक बॉण्ड का मूल्य निर्गत तारीख के ठीक 10 वर्ष पश्चात् भुगतान के समय 12000 रु. प्राप्त होंगे। (ख) विशष धारक बॉण्ड में निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। (ग) विशेष धारक बॉण्ड में निवेशित धनराशि आय कर, सम्पत्ति कर तथा पूंजी लाभकर से मुक्त रहेगी किन्तु दूसरे आधार पर अन्य प्रत्यक्ष करों मे किसी प्रकार की छूट का दावा नहीं किया जायेगा। (घ) विशेष धारक बॉण्ड के मूल्य धारको से यह नहीं पूछा जायगा कि इन्हें खरीदने के लिये इनके पास धन कहाँ से आया। इस अध्यादेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से निर्णय दिया है कि अध्यादेश सविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति के अधिकार क्षत्र के अन्तर्गत है तथा अधिनियम अनु. 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

अन्तरिक्ष अनुसंधान

● **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां**—भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सगठन (इसरो) का विकास असाधारण तेजी से हुआ है। इस संस्थान की शुरूआत 1963 में त्रिवेन्दम के निकट थुम्बा भूमध्यवर्ती राकेट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रक्षेपण केन्द्र की स्थापना के साथ हुई थी। गत वर्ष जुलाई में भारत ने एस. एल. वी-3 नामक अपने प्रक्षेपण वाहन द्वारा श्री हरिकोटा स्थित अपने ही प्रक्षेपण मंच से अपने उपग्रह रोहिणी (आर. एस.-1) का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण करने के साथ ही अपने उपग्रह का प्रक्षेपण करने की क्षमता वाला विश्व का सातवां देश बन गया। इसके दस महीने बाद ही मई 1981 में भारत ने दूसरा रोहिणी उपग्रह (आर. एस. डी.-1) अन्तरिक्ष में छोड़ा। 'एपिल' का विकास किया जाना एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह भारत का पहला प्रायोगिक त्रिअक्षरीय स्थिरीकृत भू. स्थिर दूरसंचार उपग्रह था जिसे जून 81 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेन्सी के प्रक्षेपण वाहन, एरियन, द्वारा फ्रेंच गुयाना में कोरो से सफलता पूर्वक छोड़ा गया। लगभग 5 माह बाद नवम्बर 1981 में भारत का भू-प्रेक्षण उपग्रह (एस. ई. ओ. II) जिसका नाम भास्कर II रखा गया था, सोवियत इन्टरकोसमोस राकेट द्वारा सोवियत अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा गया। भारत में अभिकल्पित और निर्मित भास्कर II इससे पहले के भास्कर—1 का सुधरा हुआ रुप है जिसे 1979 में सोवियत अतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा गया था। यहां उल्लेखनीय है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी 1975 में सोवियत अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा गया था। इन्सेट-1 ए 10 अप्रैल 82 को कैप कैनवराल से छोड़ा गया। 'इसरो' अब 1986-87 तक भास्कर—II जैसे उपग्रह के प्रक्षेपण की क्षमता का विकास करने की योजना बना रहा है। यह आशा की जाती है कि अगले छह वर्षों में भारत 800 किलोग्राम की श्रेणी के उपग्रहों की सौर-समकालिक कक्षा में छोड़ने की क्षमता का विकास कर लेगा।

● अन्तरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान योजना (1982-83 से 1987-88)—15 जून 82 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 393 करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत इस दशक के अन्त तक भारत को काफी सीमा तक अन्तरिक्ष अनुसधान मे आत्मनिर्भर बनाये जाने का लक्ष्य है। इस काल में एक उपग्रह और दो प्रक्षेप यन्त्रों के के निर्माण की व्यवस्था है। 1985-86 में निर्मित 800 कि. ग्रा. के उपग्रह को दूर संचार के लिए छोड़ा जायेगा। 1983-84 में 150 कि. ग्रा. (अभी तक केवल 50 कि. ग्रा. के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला प्रक्षेपयान है) त... 1987-88 में 1000 कि. ग्रा. तक के उपग्रह को अन्तरिक्ष में प्रक्षेपयानों की सहायता के भारत भूमि से छोड़ा जायेगा।

● इन्सैट-1 ए—अमेरिकी 'फोर्ड एरो स्पेस कम्युनिकेशंस कारपोरेशन' [Ford Aerospace Communications Corporation (FACC)] द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय भारतीय उपग्रह 'इनसैट-1 ए' को 8 अप्रैल को छोड़ा जाना था किन्तु प्रमोचन पैड पर गड़बड़ी के कारण स्थगित करना पड़ा। अंततः इन्सैट-1 ए उपग्रह को केप कैनेवरल संयुक्त राज्य अमेरिका से डेल्टा 3910 नामक द्विचरणीय (Two-Staged) प्रमोचक राकेट द्वारा 10 अप्रैल 1982 को भारतीय समयानुसार 12.17 बजे छोड़ा गया। जो इसकी स्थानान्तरण कक्षा प्राप्त की गई थी, वह अपेक्षाकृत कम थी, इसकी अब भू-दूरी सामान्य (35,780 कि. मी.) से लगभग 640 कि. मी. कम रहीं।

स्थानान्तरण कक्षा में इन्सैट-1ए की स्थापना के ... सेकंड बाद हसन स्थित इन्सैट की प्रधान नियंत्रण सुविधा (M. C. M.) से स्थापित हो गया।

इस श्रृंखला का दूसरा उपग्रह इन्सैट-1बी जुलाई 83 में छोड़ा जायेगा। 'भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (Indian National Sateillte, INSAT) श्रृंखला को जारी रखने के लिये भारत इस दशक के अन्त तक एक तीसरा उपग्रह (इन्सैट- सी) खरीदने की योजना बना रहा है—इसके बाद भारत अपने स्वयं के उपग्रह निर्मित करना चाहता है जिन्हें भारत से ही प्रक्षेपित किया जा सकेगा।

लगभग 20 मीटर ऊँचे उपग्रह का मुख्य ढांचा ... मीटर लम्बा और डेढ़ मीटर चौड़ा है और डेढ़ मीटर ऊंचा है। बिजली उत्पन्न करने वाले सौर पैनल 7 वर्ष तक 902 वाट बिजली पैदा कर सकेंगे। अंतरिक्ष विभाग (Department of Space, DOS); डाक व तार विभाग (Department of Post & Telegraphs, P & T) भारतीय पदार्थ विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department, IMD) एवं आकाशवाणी व दूरदर्शन (All India Radio and Door-darshan) के संयुक्त प्रयास का परिणाम यह उपग्रह है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस उपग्रह का सी बैंड एण्टेना सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह उपग्रह के 'कान' के समान है। इसका दूसरा कार्य उन भू केन्द्रों से बात करना है जिससे दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाये जा सकते हैं, मौसम सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं और टेलिफोन से बातचीत की जा सकती है परन्तु यह एण्टेना ऊपर जाकर खुला नहीं। इससे उपग्रह के संज्ञा शून्य हो जाने की आशंका थी परन्तु वैज्ञानिकों के लम्बे प्रयासों के बाद 22 अप्रैल 1982 को 'सी बैंड एंटेना' खोलने में सफलता प्राप्त की जा सकी।

ठीक इसी प्रकार इसकी सौर पट्टी भी नहीं खुल पायी। पर वैज्ञानिकों का विचार है कि यह स्थिति सी बैंड एण्टेना के समान अनिवार्य या उपग्रह के लिये संकटपूर्ण नहीं है। इससे मात्र उपग्रह की कार्य अवधि में दो वर्षों की कटौती हो जायेगी।

इसके द्वारा देश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ 8,000 से भी अधिक टेलिफोन केन्द्रों के सम्पर्क स्थापित होंगे। टेलिफोन केन्द्रों के अतिरिक्त उपग्रह से मौसम संबंधी जानकारियां, समुद्री सतहों, बरफ की परतों का अध्ययन किया जायेगा। मौसम विभाग द्वारा कुछ सूचना उपयोग केन्द्र और लगभग 100 सूचना संग्रह मंच स्थापित करने की योजना है। आकाशवाणी और दूरदर्शन भी इन्सैट का उपयोग करेगें।

अभी 94 रेडियो केन्द्रों में से केवल 10 को ही उपग्रह से जोड़ा जा सका है। ये केन्द्र हैं—दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद, गौहाटी, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, भोपाल, हैदराबाद, इम्फाल और कोहिमा। 1983 के प्रारम्भ में ऐजल, पोर्ट ब्लेयर और लेह को भी इन रेडियो केन्द्रों की श्रृंखला में सम्मिलित कर दिया जायेगा। 15 अगस्त से दूरदर्शन के लिए भी इसका उपयोग आरम्भ कर दिया गया है।

अभी हाल में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भारत के बहुउद्देशीय उपग्रह इन्सैट 1ए (जो पहले कई तकनीकी खराबियों से ग्रस्त है) के समक्ष अब सीमित समय तक सक्रिय रहने का भी खतरा उपस्थित हो गया है।

संचार, मौसम और दूरदर्शन सुविधाओं से सम्पन्न इस पहले उपग्रह की मौसम सम्बन्धी सूचनाओं के संग्रह और उनके सम्प्रेषण की क्षमता भी कुछ सीमा तक प्रभावित हो चुकी है। यद्यपि उपग्रह के सोलर सेल के कार्य न करने से इसका एस बैंड टी. वी. एण्टेना भी निरन्तर प्रभावित हुआ था, जिससे टी. वी. प्रसारण का समय भी सीमित हो गया है। अब रेडियो मीटर में ऊर्जा की कमी से उपग्रह ने बादलों के चित्र भेजना भी बन्द कर दिया है।

इन पंक्तियों को लिखने तक (६ सितम्बर 1982 को) हमारे देश का यह पहला बहुद्देशीय उपग्रह इन्सैट-1 (ए) 5 माह काम करने के बाद निष्क्रिय हो गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके नष्ट होने का कारण समय से बहुत पहले इसका ईंधन समाप्त हो जाना है। इसके नष्ट होने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शित किये जाने वाले उपग्रह शिक्षण कार्यक्रम को तो आघात लगा ही है साथ ही अब देश के 8 दूरदर्शन केन्द्रों पर 9 मिनट का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं प्रदर्शित किया जा सकेगा। इन्सैट-1 (ए) के नष्ट होने के कारण अब अगले इन्सैट की निर्माण प्रक्रिया में कुछ संशोधन किये जायेंगे।

● **'कोलम्बिया' स्पेश शटल**—कोलम्बिया स्पेश शटल एक ऐसी अतरिक्ष गाड़ी है जिसे बार-बार अन्तरिक्ष में, किसी यान की भांति प्रयोग मे लाया जा सकता है। इस यान में प्रक्षेपण हेतु 3 इन्जन लगे हैं जो 9 मिनट में 7 लाख किलो द्रव आक्सीजन और हाइड्रोजन जलाने में सक्षम है। इसमें 70 ईंधन इजेक्टर है जो उचित अनुपात में ईंधनों का मिश्रण तैयार करते हैं। इंजनों के साथ ही ठोस इंधन से चलने वाले दो बड़े राकेट तथा एक एल्युमिनियम टैंक भी है। वायु मण्डल मे प्रवेश के समय घर्षण के कारण ताप से यान की रक्षा के लिये विशेष प्रकार की टाइलें भी लगी हैं।

प्रथम परीक्षण उड़ान—12 अप्रैल 1981 को जान यंग तथा राबर्ट क्रिपेन के साथ।

द्वितीय परीक्षण उड़ान—12 नवम्बर 1981 को जो ईगल तथा रिचर्ड ट्रूली के साथ।

तृतीय परीक्षण उड़ान—22 मार्च 1982 को जैक ल्यूसमा तथा गार्डन फुलर्टन के साथ।

चतुर्थ परीक्षण उड़ान—27 जून 1982 को केन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेण्टगली तथा हेनरी हार्टसफील्ड के साथ 'कोलम्बिया' ने अपनी अन्तिम परीक्षण उड़ान भरी तथा 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 4 जुलाई को वापस धरती पर आ गयी।

● भास्कर द्वितीय का प्रक्षेपण—20 नवम्बर, 1981 को भारत के द्वितीय भू-प्रक्षेपण उपग्रह भास्कर-2 को रूस के वोल्वोग्राद से प्रक्षेपित किया गया और 25 मिनट बाद वह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। इस 444 किलो वजन के उपग्रह में दो टेलीविजन कैमरा तथा तीन माईक्रोवेव रेडियोमीटर लगे हैं। एक वर्ष तक अंतरिक्ष में स्थापित रह कर भास्कर-2 एक हजार से भी अधिक चित्र भेजेगा। अब तक यह लगभग 1000 चित्र भेज चुका है। इस उपग्रह द्वारा हमें भू-सम्पदा व मौसम सम्बन्धी ज्ञान उपलब्ध होने में सहायता प्राप्त हो रही है। इसका नियंत्रण मास्को के निकटवर्ती बियर्स लेक तथा आंध्र प्रदेश स्थित श्री हरिकोटा परिसर के भू केन्द्रों से हो रहा है।

● कॉस्मोस 1340—19 फरवरी 1982 को सोवियत संघ ने कॉस्मोस शृंखला के एक अन्य कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।

● कॉस्मोस 1371—यह सोवियत रूस द्वारा 1 जून 1982 को प्रक्षेपित किया गया।

● वीनस-13 व वीनस-14—नवम्बर 81 में रूस द्वारा प्रक्षेपित मानव रहित अन्तरिक्ष यान वीनस-13 व वीनस-14, 36 करोड़ किमी. की दूरी तय करके पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र पर मार्च 82 के प्रथम सप्ताह में उतरे। इस प्रकार सोवियत रूस अंतरिक्ष विजय की दृष्टि में फिलहाल अमेरिका से आगे हो गया है। शुक्र अभियान का मुख्य उद्देश्य उसके धरातल का मानचित्र तैयार करना है।

● सोयूज टी.-5—सोवियत संघ ने 13 मई 82 को सोवियत टी-5 नामक मानवयुक्त यान अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया जो कि बाद में सैल्युत-7 से जुड़ा। सैल्युत-7 भी इसी वर्ष छोड़ा गया था।

● सोयूजटी.-6—24 जून 82 को फ्रांस के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कर्नल ज्याँ लूप दो चैरिटयन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज टी-6 में 9 दिनों तक अन्तरिक्ष की परिक्रमा कर कजाखिस्तान पर उतरे। श्री चेरिटयन अन्तरिक्ष की यात्रा करने वाले पश्चिम के प्रथम गैर अमेरिकी व्यक्ति हैं।

● वायजर-2—अमेरिका के इस खोजी उपग्रह यान द्वारा खींचे गये चित्रों से पता चला है कि शनिग्रह के पास 6 और चन्द्रमा हैं।

● लैन्डलसट-4—भूगर्भ सम्पदा का अनुसंधान करने वाले उपग्रहों की श्रेणी में लैंडलसट-4, 17 जुलाई 82 को कैलिफोर्निया स्थित पश्चिमी अतरिक्ष तथा मिसाइल केन्द्र से डेल्टा राकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। लैन्डलसट-1 1972 में प्रक्षेपित किया गया था।

● रेड क्लिप 136—कुछ समय पूर्व ब्रह्माण्ड में एक नये तारे का पता चला जो कि सूर्य से 200 से लगभग 1000 गुना तक ज्यादा भार वाला है। इसी प्रकार यह प्रकाश एवं ताप में भी सूर्य से अधिक शक्ति रखता है। इसी विशाल तारे को वैज्ञानिकों ने 'रेड क्लिप 136' की संज्ञा दी।

● पी. एस. एल. वी.—भारत का पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान 1986-87 में छोड़ा जायगा। इसके द्वारा 500-600 कि. ग्रा. के सुदूर संवेदी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना है।

योजनाएँ/परियोजनाएँ/नीतियाँ

● नया 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम—परिवर्तित सामाजिक और आर्थिक स्थिति की गहनतापूर्वक समीक्षा करने के पश्चात वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने नया 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया जिसकी घोषणा प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 14 जनवरी 1982 को राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संदेश में की। प्रधानमन्त्री ने घोषणा की कि नये कार्यक्रम में सरकार अग्रांकित काम करेगी—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(1) सिंचाई-क्षमता में और वृद्धि की जायगी। सूखी जमीन पर खेती से संबन्धित तकनीकी जानकारी तथा उपकरण आदि तैयार किये जायेंगे और उन्हें किसानों तक पहुंचाया जायगा। (2) दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये जायेंगे। (3) समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जायगा तथा और अधिक लोगों को इनसे लाभान्वित किया जायगा। (4) कृषि भूमि की हदबन्दी की जायगी, फालतू भूमि का बँटवारा किया जायगा और तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चने दूर करके भूमि सम्बन्धी रिकार्ड दुरुस्त किये जायेंगे। (5) खेतिहर मजदूरों कों न्यूनतम मजदूरी दिलाने की कारगर व्यवस्था की जायेगी और इसकी समीक्षा की जायगी। (6) बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया जायगा। (7) अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भलाई के कार्यक्रम और तेज किये जायेंगे। (8) पीने के पानी की कमी वाले सभी गाँवो में पानी उपलब्ध कराया जायगा। (9) गांवों में जिन परिवारों के मकान नहीं हैं उन्हें मकानों के लिए जमीन दी जायगी और मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायगा। (10) तंग बस्तियों का सुधार किया जायगा, कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम चलाये जायेंगे और जमीन की कीमतों में अनुचित वृद्धि रोकने के प्रयास किये जायेंगे। (11) बिजली का उत्पादन बढ़ाया जायगा, बिजली संस्थानों के काम-काज को बेहतर बनाया जायगा और सभी गाँवों में बिजली पहुंचायी जायगी (12) पेड़ लगाने के कार्यक्रमों, सामाजिक और कृषि वृक्षारोपण कार्यक्रमों तथा गोबर गैस व ऊर्जा के अन्य साधनों के विकास के कार्यक्रमों पर मुस्तैदी से अमल किया जायगा (13) परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर जन अभियान के रूप में चलाया जायगा। (14) सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी विस्तार किया जायगा और कुष्ठ रोग, क्षय रोग तथा अंधेंपन की रोकथाम की जायगी। (15) महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों, खासकर आदिवासी व पिछड़े इलाकों में रहने वालों- के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम तेजी से लागू किये जायेंगे। (16) 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जायगा और वयस्कों में भी अशिक्षा दूर करने के काम में स्वयंसेवी संस्थाओं और छात्रों से सहयोग लिया जायगा। (17) उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाकर, दूर-दराज के इलाकों में चलती-फिरती दुकानों की व्यवस्था करके, कारखानों में काम करने वाले मजदूर व छात्रावासों के लिए दुकानें खोलकर, छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें और कापियाँ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जायगा तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाया जायगा। (18) पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाया जायगा और योजनाओं को निश्चित समय के भीतर पूरा करने के लिए औद्योगिक नीति सरल बनायी जायगी। हस्तशिल्प, हथकरघा और लघु व कुटीर उद्योगों को सभी सुविधाएं दी जायेंगी, जिससे वे प्रगति कर सकें और अपनी टेकनोलोजी को आधुनिक बना सकें। (19) तस्करों, जमाखोरों और कर की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी, जिससे काले धन पर रोक लगाई जा सके। (20) सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों कीं कार्यकुशलता, क्षमता का उपयोग तथा आंतरिक साधन जुटाने की शक्ति बढ़ाकर उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार लाया जायगा।

इसके पूर्व 26 जून 1975 को आपातस्थिति लागू करने के बाद 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की थी। नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम हेतु चालू वर्ष में 8374.48 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

● **निर्यात-आयात बैंक : EXIM**—4 अप्रैल 1982 को केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने बम्बई में निर्यात आयात बैंक का उद्घाटन किया। विदेश व्यापार हेतु ऋण की बढ़ती आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर केन्द्रीय सरकार ने आयत-निर्यात व्यापार के विकास संवर्द्धन तथा उसमें पूंजी निवेश के लिए निर्यात-आयात बैंक की स्थापना की है। यह अपने स्वरूप में सरकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकृत संविधिक निगम है। भारतीय आयात-निर्यात बैंक के कार्यों के अतिरिक्त यह बैंक निर्यात हेतु वित्तीय सहायता व्यापारिक बैंकिंग, विकास बैंकिंग आदि का कार्य भी करेगा। साथ ही इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑव इण्डिया तथा विदेशों से ऋण लेने का अधिकार होगा। श्री आर. सी. शाह 30 दिसम्बर 1984 तक इस बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक रहेंगे।

● **मोतीचेर आणविक परियोजना**—गुजरात के मोतीचेर गांव में हमारे देश के पांचवें परमाणु ऊर्जा केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस संयंत्र में 235-235 मैगावाट की चार परमाणु भट्टियां बनायी जा रही है। इनमें प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जायगा। इसके लिये ईंधन हैदराबाद के परमाणु ईंधन केन्द्र में तैयार किया जायेगा। इस परमाणु केन्द्र का पहला यूनिट नौ वर्ष में तथा द्वितीय साढ़े दस वर्ष में तैयार होने की आशा है। यह परियोजना सुरक्षा संबंधी अपरिहार्यताओं के प्रतिबन्ध से मुक्ति रहेगी, ऐसा इसलिये क्योंकि इसके निर्माण में ईंधन, भारी जल तथा तकनीकि की सहायता किसी देश से नहीं ली जा रही हैं।

● **कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)**—इस बैंक ने 12 जुलाई 82 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। छठी योजना के अन्तर्गत नाबार्ड' की स्थापना पर बल दिया गया है। यह बैंक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त विकास सम्बन्धी भूमिका का भी निर्वाह करेगा। बैंक पर भारत सरकार और रिजर्व बैंक का संयुक्त स्वामित्व है और यह रिजर्व बैंक के निर्देशन में काम कर रहा है।

● **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**—ग्रामीण भारत की गरीबी से व्यापक पैमाने पर निपटने के लिये बनायी गयी इस योजना को 2 अक्टूबर 1980 से लागू किया गया था। जून 82 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी 5011 विकास खण्ड सम्मिलित कर लिए गये है। इस कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषतायें इस प्रकार से है—(1) इसके अन्तर्गत निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक खण्ड में औसतन 600 परिवारों को सहायता उपलब्ध करायी जायगी, (2) छठीं योजना की अवधि में प्रत्येक खण्ड में 3 हजार परिवारों को सहायता दी जायगी और 1985 के अन्त तक कम से कम 1.5 करोड़ परिवार निर्धनता की सीमा रेखा से ऊपर उठ कर उन्नतशील जीवन की ओर उन्मुख होंगे, (3) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, जन जातियों, कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत और लघु किसानों के मध्य निर्धन से निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध कार्य हाथ में लेने पर सहायता उपलब्ध करायी जायगी।, (4) जिस परिवार की वार्षिक आय सभी साधनों को मिला कर 3500 रू से कम होगी उसे ही निर्धनता की रेखा के अन्तर्गत माना जायगा, (4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, रेशम उत्पादन मछली पालन, बागवानी, लघु और कुटीर उद्योग और ऐसी अन्य सेवायें तथा व्यावसाय सम्मिलित है जो लक्षित परिवारों की आय में वृद्धि करने योग्य है।

इस सम्पूर्ण कार्यक्रम पर 4,500 करोड़ रु व्यय होने का अनुमान है। इस धनराशि में केन्द्र 1,500 करोड़ रु की सहायता प्रदान करेगा और राज्य 50-50 प्रतिशत के आधार पर राशि उपलब्ध करायेंगे। लाभान्वित परिवारों द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं पर जितना व्यय आयेगा उसके लिए 25 से 50 प्रतिशत तक की सहायता बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जायगी। वार्षिक योजना 1982-83 में इस कार्यक्रम हेतु 190 करोड़ रु का प्रावधान है, जबकि छठीं योजना में इसकी कुल परि व्यय राशि 450 करोड़ रु. है।

● **ट्राइसेम: Trysem**—15 अगस्त 1979 से समन्वित ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम—ट्राइसेम (ट्रेनिङ् ऑव रूरल यूथ फॉर सेल्फ इम्प्लॉयमेंट), प्रत्येक राज्य में जनपद स्तर पर, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में प्रति वर्ष गरीबी-रेखा के नीचे परिवारों में सर्वाधिक निर्धन 600 परिवारों का चयन कर उनमें से 40 सर्वाधिक गरीब परिवारों के 19 से 35 वर्ष की आयु के एक सदस्य को, उसकी रुचि व क्षमता को ध्यान में रखकर, स्थानीय संसाधनों के अनुरूप उपयुक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' 1-4-1977 को प्रारम्भ किया गया था। बाद में इसमें संशोधन कर अक्टूबर 1980 में इसका नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' रख दिया गया। यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का आवश्यक भाग बन गया है। इसे केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समान अंशदान के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से निर्धन ग्रामीणों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते है। इसमें खाद्यान्नों के अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान हेतु अब नकद राशि भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को स्थायी बनाने के लिये निधियाँ भी सुलभ की गई हैं। वार्षिक योजना 1982-83 में इस कार्यक्रम हेतु 190 करोड़ रु. की व्यवस्था है।

● आयात-निर्यात नीति—5 अप्रैल 82 को केन्द्र सरकार ने वर्ष 82-83 के लिये नयी आयात-निर्यात नीति की घोषणा की। नयी नीति के अन्तर्गत 100 नयी वस्तुओं (कच्चा माल, पूर्जा इत्यादि) और 85 औद्योगिक मशीनीरियों के आयात के लिये खुले आम लाइसेन्स प्रणाली के अधीन उपलब्ध करायी गयी है। पिछड़े इलाकों के विकास व छोटी इकाइयों को प्रक्रियाओं से मुक्त कराने के लिये आयात सम्बन्धी विशेष छूट प्रदान की गयी है। निर्माता निर्यातकों को भी माल के आयात की विशेष सुविधाएँ दी गयी है।

● हल्दिया उर्वरक परियोजना—प. बंगाल में 299 करोड़ रु. की लागत से निर्मित पूर्वी भारत के विशालतम हल्दिया उर्वरक कारखाने ने 8 अप्रैल 82 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। यह कारखाना प्रति वर्ष 5 हजार टन मेथोनॉल, 5 लाख टन मिश्रित खाद व 2 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा।

● सिंगरौली सुपर ताप परियोजना—उ. प्र. के मिर्जापुर जिले में निर्मित इस बिजलीघर की 200 मेगावाट वाली प्रथम इकाई 16 फरवरी 82 से प्रारम्भ हो गयी है। यह एशिया की सबसे बड़ी तापीय परियोजना है।

● न्हावा शेवा बन्दरगाह योजना—केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मई को बम्बई बन्दरगाह के निकट 'न्हावा शेवा' नामक नये बन्दरगाह के निर्माण की 10 वर्षों से विचाराधीन योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना पर, 5 अरब 92 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है। इस विशाल व्यय धनराशि में 1 अरब 95 करोड़ रु. की विदेशी पूंजी विनियोजित की जायगी। इस योजना के अन्तर्गत नये बन्दरगाह में 2 टर्मिनलों का निर्माण होगा। प्रत्येक टर्मिनल में एक समय पर चार जहाज आसानी से खड़ हो सकेंगे।

● औद्योगिक नीति—21 अप्रैल 82 को उत्पादकता वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तथा पूंजी निवेश के लिये उचित वातावरण निर्माण का ध्यान रखते हुए वर्ष 1982-83 के लिये औद्योगिक नीति की घोषणा उद्योग-मन्त्री एन. डी. तिवारी ने की। इस वर्ष सरकार ने पुरानी औद्योगिक नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। नयी नीति के अनुसार मुख्य परिवर्तन यह किया गया है कि औद्योगिक विकास की गति में तेजी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये बड़े औद्योगिक घरानों और विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की सूची में वृद्धि कर दी गयी है। जो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र या लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है। उनमें बड़े उद्योग गृहों या फेरा कम्पनियों को प्रवेश करने की अनुमति अभी भी निषिद्ध है। छोटे व मध्यम वर्ग के उद्योगों को बड़े उद्योग गृहों और फेरा कम्पनियों की तुलना में प्राथमिकता देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

● कोरबा तापीय विद्युत केन्द्र—मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बिलासपुर जिले में स्थित इस तापीय विद्युत केन्द्र के द्वितीय चरण के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने 400 मिलियन डालर का ऋण देना स्वीकार कर लिया है। इस विद्युत केन्द्र में वर्तमान समय में 30-30 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां, 10 मेगावाट की 1 इकाई, 50-50 मेगावाट की 4 इकाइयां और 120-120 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित है।

● बायोगैस संयंत्र परियोजना—छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही इस योजना के अन्तर्गत राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के 100 जिलों में 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि में 4 लाख

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

घरेलू नाप के बायोगैस संयंत्र तथा सार्वजनिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र योजना—निजी बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र योजना को 1 जून 1982 से प्रारम्भ किया है। इस योजना की प्रमुख विशेषतायें अधोलिखित हैं:—(1) स्कीम की परिपक्वता अवधि 10 वर्षों की होगी। (2) प्रमाणपत्र 500 रुपये और 1,000 रुपये खण्ड के होंगे। 10 वर्ष के बाद परिपक्व होने के पश्चात क्रमशः 1,500 रुपये तथा 3,000 रुपये का भुगतान प्रमाणपत्र को धारण करने वाले को प्राप्त होंगे। (3) प्रमाणपत्र खरीदने के 2 वर्षों के पश्चात् अगर धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामजद व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी को पूर्ण परिपक्वता अवधि वाली राशि प्राप्त होगी। यदि धारक की मृत्यु प्रथम दो वर्षों के भीतर ही किसी गैर प्राकृतिक कारणों से (आत्महत्या या स्वकीय आघातों को छोड़कर) हो जाती है तो वैसी स्थिति में भी यह लाभ मिलेगा। देश भर के सभी डाकघरों से यह प्रमाणपत्र उपलब्ध हो सकते हैं।

● छठी योजना—छठी योजना (1980-81 से 1984-85) के लक्ष्य; तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मुख्य रूप से जो प्रयत्न किये जायेंगे, वे इस प्रकार हैं: (1) अर्थव्यवस्था की विकास-दर में महत्वपूर्ण वृद्धि, संसाधनों का और अच्छी तरह उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि, (2) आर्थिक तथा प्रौद्योगिक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना; (3) गरीबी और बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी; (4) ऊर्जा के आंतरिक साधनों का तेजी से विकास, जिसमें ऊर्जा के रक्षण तथा कुशल उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा; (5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला कर जनसाधारण, विशेषतः आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का जीवन-स्तर ऊपर उठाना। इस कार्यक्रम को इस प्रकार लागू किया जाएगा, जिससे एक निर्धारित अवधि में देश के सभी भागों में जीवन-स्तर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड के अनुरूप हो जाय। (6) सरकारी नीतियों और सेवाओं में गरीब लोगों के हित में आय और धन के पुर्नवितरण पर जोर देना, जिससे असमानता में कमी आए; (7) विकास की गति तथा प्रौद्योगिक लाभों के प्रसार के मामले में क्षेत्रीय असमानताओं में उत्तरोत्तर कमी लाना; (8) छोटे परिवार के सिद्धांत की लोगों से स्वेच्छा स्वीकृति प्राप्त करना तथा जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित करने के लिये बनाई गई नीतियों को बढ़ावा देना; (9) पर्यावरण सुधार तथा वातावरण सुधार द्वारा विकास के लघुकालीन लक्ष्यों में सामंजस्य लाना; (10) उचित शैक्षिक, संचार तथा संस्थागत नीतियों द्वारा विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों के लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

इस योजना में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के क्षेत्र में 5.2% वार्षिक विकास की दर निर्धारित की गई है। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय में विकास की निर्धारित दर 3.3% रहेगी; कुल योजना विनियोग 1,72,210 करोड़ रुपये का है जिसमें 97,500 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में और शेष 74,710 करोड़ रु. निजी क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं; सार्वजनिक क्षेत्र की राशि केन्द्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। इसमें राज्यों का हिस्सा 51% है और इसमें चालू विनियोग के 13,500 करोड़ रु. सम्मिलित हैं। खंडगत आवंटन इस प्रकार है: ऊर्जा: 26,535 करोड़ रु., कृषि 5,695 करोड़ रु., ग्रामीण विकास: 5,364 करोड़ रु., सिंचाई: 12,160 करोड़ रु., उद्योग व खनिज: 15,018 करोड़ रु. और यातायात 12,412 करोड़ रु.।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनायें

● भारत के सातवें राष्ट्रपति का चुनाव—25 जुलाई 82 को श्री ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में भारत के सातवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु 9 जुलाई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

82 को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। राज्य सभा के महासचिव सुदर्शन अग्रवाल चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गये। नामांकन पत्र की वैधता की जाँच में सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी ज्ञानी जैल सिंह तथा विपक्ष के उम्मीदवार श्री हंसराज खन्ना के नामांकन को वैध घोषित किया गया। 12 जुलाई को मतदान हुआ तथा 15 जुलाई को मतगणना। मतगणना में श्री जैल सिंह ने विपक्षी दलों के उम्मीदवार अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री हंसराज खन्ना को सीधे मुकाबले में 4,71,428 मतों से पराजित कर दिया। श्री जैल सिंह को 7,54,113 और श्री खन्ना को 2,82,685 मत मिले। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रहे कि असम विधान सभा भंग होने के कारण वहाँ के विधान-सभा सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। श्री जैल सिंह के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों का नाम इस प्रकार है—श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री वी. वी. गिरि, डा. जाकिर हुसेन, डा. राधाकृष्णन तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद। डा. राजेन्द्र प्रसाद ही अब तक ऐसे राष्ट्रपति हुये जो इस पद पर दो बार (1952 तथा 1957 में) निर्वाचित हुये थे।

• भारत-चीन संबंध—1962 के भारत-चीन युद्ध के 6 वर्ष बाद ही भारत ने चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की आवश्यकता को समझ लिया था और 1968 में चीन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के चीन से बात-चीत का प्रस्ताव रखा। यह नीति-परिवर्तन अप्रत्याशित था क्योंकि इसके पहले भारत इस बात पर अडिग था कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत तब तक सम्भव नहीं है जब तक चीन भारत-चीन विवाद से सम्बन्धित कोलम्बो प्रस्तावों को मान नहीं लेता। 8 वर्ष बाद 1976 में प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी ने अपना राजदूत चीन भेजा जो सम्बन्ध-सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 1978 में इस दिशा में चीन द्वारा अचानक एक अवरोध उत्पन्न किया गया जब उसने विएतनाम पर आक्रमण कर दिया जबकि भारत के विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेई पेकिंग मे ही थे और उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही स्थगित करके वापस आ जाना पड़ा। अप्रैल 1980 में उप-प्रधानमन्त्री हुआंग हुआ सैलिसबरी में और मई 1980 में प्रधानमंत्री डेंग जियो-पिंग बेलग्रेड में प्रधान-मंत्री इन्दिरा गाँधी से मिले और चीन के विदेशमंत्री की भारत यात्रा के बारे में निर्णय किया गया। यह यात्रा एक बार अचानक अकारण स्थगित कर दी गई किन्तु जून 1981 में 'हुआ' भारत आए। हुआ की यह यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए रही कि दोनों देशों के राजनयिकों ने इस बात पर बल दिया कि उन्हें आपस में वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर सहयोग करना चाहिए जिससे मित्रता एवं संबंध-सुधार की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ा जा सके। दोनों देशों की नीतियों में भी परिवर्तन दिखाई दिया। जहाँ एक ओर चीन ने 1980 में डेंग-जियो पिंग के "मुस्त समझौते" (Package Deal) को भारत पर थोपने की नीति में नरमी बरती वहीं दूसरी ओर भारत ने भी "सीमा समस्या समाधान अन्यथा कुछ नहीं" की नीतियों में भी परिवर्तन दिखाया और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की आव-श्यकता को स्वीकार किया। और भविष्य में बात-चीत का दरवाजा खुला रखने का आग्रह किया। दिसम्बर 1981 में भारत के विदेश विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया किन्तु कोई महत्वपूर्ण सफलता न मिली। चीन अपने पुराने विस्तृत "मुस्त समझौते" के सुझाव पर अड़ा रहा जबकि भारत ने यह सुझाव दिया कि सीमा के विभिन्न सेक्टरों के लिये अलग-अलग समझौता हो, जिन सेक्टरों पर दोनों के बीच अभी सहमति है उनका समझौता पहले कर लिया जाय, शेष को भविष्य में बातचीत द्वारा कोलम्बो प्रस्तावों के प्रकाश में सुलझाया जायगा। वास्तव में डेंग का मुस्त समझौता (Package Deal) माओ के 1960 के मुस्त समझौते से किसी प्रकार भिन्न नहीं है जिसे पं. नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत चीन पूर्व में मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा के रूप में मानने के लिए तैयार हैं यदि पश्चिम में भारत वर्तमान नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा रेखा मान ले। तात्पर्य यह कि भारत अक्साई चीन सहित उस समस्त क्षेत्र को चीन को दान कर दें जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध में बलात कब्जा कर लिया था। चीन मैकमोहन रेखा को बर्मा के साथ अपनी सीमा रेखा मानता है जिससे स्पष्ट होता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि वास्तव में पूर्वी क्षेत्र में चीन की कोई विशेष रुचि नहीं है बल्कि वह मैकमोहन रेखा को पश्चिमी क्षेत्र में भारत से कुछ पाने के लिए अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है। मई 82 में एक चीनी प्रतिनिधि मंडल भारत आया किन्तु इस अवसर पर भी सीमा-विवाद के सम्बन्ध में कोई प्रगति न हो सकी। दोनों देश समूची सीमा के प्रश्न पर मतभेदों का निपटारा करने के लिए कोई सम्मत आधार खोजने के लिए सहमत हो गए। अगली वार्ता कब, कहां होगी यह अभी निश्चित नहीं हो पाया। इस बीच अगस्त 82 में काराकोरम सड़क के चीनी द्वार पर खुन्जेराब दर्रा खोलने की चीन-पाकिस्तानी संधि पर भारत के विरोध के कारण दोनों देशों के मध्य कुछ मन-मुटाव पैदा हुआ है।

● केन्द्रीय बजट 1982-83—28 फरवरी 1982 को संसद में वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 1982-83 वित्तीय वर्ष हेतु 1365 करोड़ रु. के घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में 5 अरब 33 करोड़ रु. के कर जनता पर डाले गये हैं। नये कर प्रस्तावों से केन्द्र को 470 करोड़ रु. तथा राज्यों को 63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। नये बजट में-(1) योजना हेतु कुल 21,137 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। (2) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 5100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो कि सरकार की कुल आय का 17% है। (3) आय-कर की सामान्य न्यूनतम सीमा को गत वर्ष के 15,000 पर ही रखा गया है। परन्तु वेतनभोगी वर्ग के लिये आय की न्यूनतम सीमा 20,000 रु. रखी गयी क्योंकि उनको 5,000 रु. की प्रामाणिक छूट दी गया। गत वर्ष यह छूट 3,500 रु. तक सीमित थी। (4) निजी बजटों को सरकारी इस्तेमाल हेतु जुटाने के उद्देश्य से सरकार ने दो नये बचत पत्र जारी करने का फैसला लिया — प्रथम, सामाजिक सुरक्षा पत्र तथा द्वितीय, पूंजी निवेश बाड। (5) बजट में डाक शुल्क की दरों में भारी परिवर्तन किया गया (लिफाफा 50 पैसे का, अन्तर्देशीय पत्र 35 पैसे का हो गया)। (6) पन्सिलों, इरेजरों, पेनों और बाल प्वाइन्ट पेनों और रिफलों, थर्मस फ्लास्क और उनके हिस्सों, वाटर कूलरों, मोम बत्तियों, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले कांच के सामान, इनेमल के बर्तनों, टूथब्रशों, चश्मा और चश्मा के फ्रेमों, एक दिन के अलार्मों वाली घड़ियों, घरेलू पानी फिल्टरों, हैंड पम्पों, बेल टाइपराइटरों, अपंगों के लिये गाड़ियों और हैलमेटों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रावधान है। (7) प्रस्तावित बजट में विशेष धारक बांड योजना को समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर इस बजट में किसी महत्वपूर्ण नये आधार को प्रस्तुत नहीं किया गया। करों के ढांचे को तर्कसम्मत बनाने के लिये कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है - व्ययों में मितव्ययिता लाने का प्रयत्न नहीं किया गया, कर राजस्व में उत्फुल्लता आई, फिर भी राजस्व खाते का घाटा बना रहा। इसी संदर्भ में पाठकों को स्मरण रहे कि गत वर्ष (1981-82) में वास्तविक घाटा 1700 करोड़ रुपये हुआ जबकि मूल बजट में अनुमान 1539 करोड़ रु. का था।

● रेल बजट 1982-83—रेल मन्त्री श्री प्रकाश चन्द सेठी ने 23 फरवरी 1982-83 का रेल बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में :— (1) 109 करोड़ 79 लाख रुपये का अनुमानित लाभ दिखाया गया। (2) सभी श्रेणियों के यात्री किराए में वृद्धि की गयी। (3) मासिक सीजन टिकटों में किसी प्रकार की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं था। (4) माल भाड़े मे बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर पहले अधिभार मे दी गई छूट को वापस ले लिया। (5) 1982-83 के लिए रेलवे की वार्षिक योजना में जीर्ण-शीर्ण परिसम्पत्तियों के नवीनीकरण और बदलाव पर बल दिया जायगा। (6) 1982-83 के लिए योजना आवटन 1137 करोड़ रु. निर्धारित किया गया। (7) रेल किराया में की गयी वृद्धि तथा मालभाड़ा तथा पासल दरो मे किये गये संशोधनो से कुल मिलाकर रेलवे को 261.45 करोड़ रु की प्राप्ति होगी। मूल बजट में बाद मे 4 करोड़ रु. की रियायतों की घोषणा की गई।

● दक्षिण ध्रुव प्रदेश [अन्टार्कटिक] में भारतीय सफलता :—9 जनवरी 1982 को पर्यावरण विभाग के सचिव डा. एस. जेड कासिम के नेतृत्व मे 21 सदस्यीय भारतीय दल ने दक्षिण ध्रुव प्रदेश में प्रवेश कर भारत को गौरवमयी सफलता अर्जित करायी। यह दल पोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिरकेले नामक जहाज द्वारा दिसम्बर 1981 में गोआ से इस अभियान पर गया था। इस सफल यात्रा के साथ भारत उन देशों की श्रेणी में आ गया है जो दक्षिण ध्रुव में पहुँच कर वहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पांचवे दशक के मध्य तक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चिली, अर्जेण्टीना, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा, नार्वे, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क आदि राष्ट्रों ने खोज, अधिग्रहण तथा अविच्छिन्नता के आधार पर खनिज संपदा सम्पन्न इस महाभूमि पर क्षेत्रीय दावें प्रस्तुत किये थे। अन्टार्कटिक संधि (1959) के अनुसार यह तय किया गया कि—(1) यह क्षेत्र केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जायगा। (2) यहाँ सभी राष्ट्रों को शान्तिपूर्ण उद्देश्य के लिये वैज्ञानिक प्रयोग का अधिकार होगा। सभी राष्ट्रों के क्षेत्रीय दावें पर यथास्थिति बनी रहेगी। 1980 तक इस सन्धि पर 14 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया है। भारत ने अभी तक इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। सभी दावेदार राष्ट्र अन्टार्कटिका की यथास्थिति की समाप्ति का इन्तजार कर रहे हैं। परन्तु विश्व के शेष राष्ट्र अन्टार्कटिक महाभूमि को महासमुद्र तल की भांति मानव जाति की अनुसेवी सम्पत्ति घोषित करने के लिये प्रयत्नरत है। यदि ऐसा होता है तो अन्टार्कटिक में यथास्थिति की समाप्ति के पश्चात भी किसी राष्ट्र को स्वतन्त्र रूप से अपने हितों के लिये उपयोग का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा सम्भव नहीं होता है तो भारत को कोई लाभ नही मिलने वाला है क्योंकि वह सुदूर प्रदेश और विलम्ब आगत होने के कारण पश्चिमी राष्ट्रों की भांति खोज, अधिग्रहण या अविच्छिन्नता के आधार अन्टार्कटिक महाभूमि पर दावा नहीं कर सकता है।

● असम समस्या :—लगभग ढाई वर्ष पूर्व आरम्भ असम आन्दोलन का कोई पुष्ट निदान अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। आन्दोलनकारियों की दो प्रमुख मांगे हैं : (क) असम की सांस्कृतिक अस्मिता अक्षुण्ण रखने हेतु तथा असमियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रखने हेतु विअसमियों की बढ़ती संख्या को रोकना, तथा (ख) मतदाता सूची से विदेशियों के नाम निकालना। आन्दोलनकर्त्ताओं की मांग है कि 1951 की जनगणना तथा 1952 की मतदाता सूची में दर्ज लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को ही असम का नागरिक माना जाए; किन्तु सरकार 1971 को आधार वर्ष मानने को तत्पर है। आन्दोलनकर्ताओं के प्रतिनिधि अखिल असम विद्यार्थी परिषद तथा अखिल असम गण-संग्राम परिषद और सरकार के मध्य अनेक वार्त्ताओं के पश्चात् भी कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया है। अभी हाल में सितम्बर 82 के प्रथम सप्ताह में आन्दोलनकारियों तथा केन्द्र सरकार, कि अब एक वार्तालाप का दौर हुआ जिससे कुछ त" कर दी जाय। है पर सरकार ने इन निष्कर्षों को सको रिप्रासेस करने प्रकट करने से इन्कार कर दिया है। खडा हो गया।

● लघु आम चुनाव—चार राज्य ना की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पं. बगाल अ.अमेरिका गया 7 लोकसभा और 15 विधान सभा स्थानों केआपूर्ति बन्द हेतु 19 मई 82 को मतदान हुआ। इस चुनावऔर भारत पौने 6 करोड़ मतदाताओं ने 13 राज्यों मेंग चाहता किया। चुनाव परिणामों में हिमाचल प्रदेश (सीधि की तथा हरियाणा (सीटें-90) में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुसेस' नहीं प्राप्त हुआ, कांग्रेस (इ.) यहाँ सबसे बड़ी पार्टी र रूप में उभरी। केरल (सीटें-140) में कांग्रेस (इ.) के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। प. बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला वामपंथी मोर्चा दो तिहाई बहुमत पाने में सफल रहा। लोकसभा की सात सीटों में से केवल 3 ही सीटें उदयपुर, बयाना और लोहरदगा कांग्रेस (इ.) के हाथ आयी। जबलपुर तथा थाणें की सीट भारतीय जनता पार्टी को, गढ़वाल की प्रतिष्ठित सीट लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हेमवती नन्दन बहुगुणा को तथा डायमंड हारबर की सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। चुनाव के बाद केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे, पं. बगाल में वामपथी मोर्चे, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस(इ.) की सरकार सत्तारुढ़ हुयी। इस लघु चुनाव में मतदातओं ने तीसरी शक्ति की बात पसंद नहीं की।

● अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण—अपनी भुगतान संतुलन की वर्तमान संकटासन्न अवस्था को सुधारने के निमित्त भारत द्वारा अनुरोधित इस ऋण को स्वीकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रदान करने हेतु अ मु. को. के 22 देशीय कार्यकारी मण्डल को छह बार बैठकें करनी पड़ी। द्वितीय बैठक, 10 नवम्बर 1981, में ही सं. रा. अ. को छोड़कर शेष 21 सदस्यों ने मतैक्य से ऋण सम्बन्धी भारतीय आवेदन को स्वीकार कर लिया था। यद्यपि सं. रा. अ. ने पक्ष अथवा विपक्ष में न रहने की घोषणा की तथापि वह भरत को इतना अधिक ऋण देने के पक्ष में प्रायः नहीं आधार सम्पुष्टि के साथ भारत को 5.8 अरब डॉलर कब, कहाँ होगी। ऋण पर ब्याज की औसत दर तीन बीच अगस्त 82 से कुछ कम होगी और इसकी अदायगी खुन्जेराब दर्शनराशि मिल जाने के 4 वर्ष पश्चात् ही भारत के विरो मुद्रा कोष की विज्ञप्ति के अनुसार यह मुटाव पैदा गों मे विभाजित रहेगा और किश्तों में भारत

● केन्द्रीजाएगा। प्रथम चरण में 60 करोड़ डॉलर के संसद में कासी अधिकार पत्र (एस. डी. आर.) प्राप्त वित्तीयद्वितीय चरण के अन्तर्गत 4.40 अरब डॉलर की प्रस्त हमारे द्वारा शर्तों के सन्तोषजनक पालन के अनुसार किश्तों में दी जाएगी। ऋण में 2.40 अरब डॉलर के वि. नि. अ. प. कोष के अपने साधनों में से तथा शेष 2.68 अरब डॉलर सउदी अरब द्वारा कोष को दिए गए विशेष ऋण में से दिया जाएगा। अभी हाल में अ.मु.को. ने 30 जून 83 तक 1.80 एस.डी.आर. (लगभग 1950 करोड़ डॉलर) निकालने का अधिकार दिया।

● श्रीमती इन्दिरा गांधी की सऊदी-यात्रा—18 से 21 अप्रैल तक भारतीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने सऊदी अरब की 4-दिवसीय सरकारी यात्रा की और दोनों देशों के मध्य अब तक के सम्बन्धों की पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए यह कुछ अर्थों में पूर्णतया सफल भी कही जा सकती है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती गांधी की यह यात्रा 1956 में पं. नेहरू की सऊदी अरब यात्रा के बाद किसी भी भारतीय प्रधान-मन्त्री की पिछले वर्षों के अन्तराल में की गयी पहली यात्रा है। विश्व राजनीति के ज्वलंत मुद्दों के प्रति भारतीय नीति का समर्थन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद भारतीय प्रधानमन्त्री वाशिंगटन और मास्को की यात्रा करेंगी।

जिन विषयों पर दोनों देशों के शिखर नेताओं के मध्य विचार विनिमय हुआ। उनमें प्रमुख थे : शांति क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर का महत्व; भारत-पाक संबंध, दक्षिणी एशिया में महाशक्तियों की भूमिका; अफगानिस्तान संकट; पश्चिमी एशिया में इस्रायल के विरोध में अरबों को भारतीय समर्थन और सहायता, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग जैसे अनेक वित्तीय मसले।

● 'खालिस्तान'—मार्च 1981 में, चन्डीगढ़ मे आयोजित अखिल सिक्ख शैक्षिक सम्मेलन में गंगा सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में कुछ उग्रवादी सिक्खों ने सिक्खो के लिए एक पृथक राज्य 'खालिस्तान' की मांग की। जिन बातों पर पृथक 'खालिस्तान' की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया, उसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—एक अन्तर्राष्ट्रीय सिक्ख शिक्षा बोर्ड की स्थापना, एक अन्तर-राष्ट्रीय सिक्ख सचिवालय की स्थापना, पंजाब के विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सिक्खों के गुरुजी की वाणियों का समावेश, भारतीय उपमहाद्वीप में फैले गुरुद्वारों की भली-भांति देख-भाल और विश्व भर में फैले सिक्खों के हितों का रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। अपनी मागों का प्रचार करने के लिए 'खालिस्तान' की करेन्सी, पासपोर्ट तथा वीसा का वितरण विदेशों में किया जा रहा है। 'खालिस्तान सबन्धी आन्दोलन' पंजाब में काफी हिंसात्मक रूप धारण कर चुका है। 'दल खालसा' सहित कई उग्रपंथी सिख सगठन इस आदोलन की हिंसा के सूत्रधार है। केन्द्रीय सरकार इस आन्दोलन को कठोरता से दमन करने की योजना बना रही है।

● रावी-व्यास जल विवाद समझौता—पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी-व्यास जल विवाद के संबन्ध में गत 31 दिसम्बर को प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अनुसार रावी-व्यास से पंजाब को 42.20 लाख एकड़ फुट, हरियाणा को 3.. लाख एकड़ फुट तथा राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को 6.5 लाख एकड़ फुट तथा दिल्ली को दो लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा।

● मिजो समस्या :—20 जनवरी 1982 को के...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार ने मिजो नैशनल फ्रंट तथा उससे सम्बन्धित संगठनों को गैर-कानूनी घोषित कर उनके अनेक नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में आरोप लगाया कि मिजो समस्या के समाधान हेतु वार्तालापों की आड़ में एम. एन. एफ. अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने और सैलो सरकार की उपेक्षा करते हुए हिंसात्मक कार्यवाहियों में सक्रिय रहा है जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक कर्मचारियों व निर्दोष जनता को हानि उठानी पड़ी। इसी घटना के साथ केन्द्र सरकार तथा लाल डेंगा के मध्य वार्तालाप मिजो समस्या का समाधान निकाले बिना समाप्त हो गया। ध्यान रहे कि लाल डेंगा के 22 सूत्रीय प्रस्ताव से केन्द्र सरकार किसी भी रूप में सहमत नहीं थी। (विस्तृत विवरण हेतु मार्च 82 अंक देखें)

●तारापुर आणविक संयंत्र का मामला—अमेरिका ने अपनी आणविक सहयोग नीति के अन्तर्गत 1963 में भारत के साथ एक 30 वर्षीय समझौता किया जिसके अन्तर्गत अमेरिका को तारापुर आणविक संयंत्र के लिए समवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति करना था। समझौते के अन्तर्गत भारत किसी दूसरे साधन से तारापुर संयंत्र में ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था नहीं करेगा एवं अमेरिका जले ईंधन को या तो वापस ले लेगा या उसका भविष्य "संयुक्त सहमति" से निर्धारित किया जायेगा। जनवरी 1971 में भारत, अमेरिका और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (I.A.E.A.) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ कि आयोग के अधिकारियों को तारापुर संयंत्र के निरीक्षण का अधिकार दिया गया। किन्तु कार्टर के राष्ट्रपतित्व काल में ही समझौते के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लग गया। 1978 में अमेरिका द्वारा परमाणु अप्रसार अधिनियम (Nuclear non-Proliferation Act) पारित किया गया जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि अमेरिका उस देश को ही संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति करेगा जो उसके Full-scope safeguards के अन्तर्गत अपने समस्त आणविक संयंत्रों के निरीक्षण का अधिकार उसे देगा। भारत ने अमेरिका की इस शर्त को मानने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि यह शर्त भारत की संम्प्रभुता के विरुद्ध है एवं भेदभाव पूर्ण है। भारत प्रारम्भ से ही परमाणु अप्रसार संधि 1968 में निहित नियन्त्रणों (Safeguards) का इसी आधार पर विरोध करता आया है कि यह आणविक व अनाणविक देशों के मध्य विभेदपूर्ण है जबकि विकासशील देशों के लिए शान्तिपूर्ण परमाणु प्रोग्राम आज अहम् आवश्यकता है। कार्टर प्रशासन के बार-बार दबाव डालने के बावजूद जब भारत सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया तब दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि अब 1963 की सन्धि की "सम्मानपूर्ण समाप्ति" कर दी जाय। किन्तु इस प्रयत्न में भी जले हुए खनिज को रिप्रासेस करने के अधिकार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को हल करने के लिए डा सेठना की अध्यक्षता में एक भारतीय दल 1980 व 1981 में अमेरिका गया किन्तु अमेरिका ने एक ओर तो यूरेनियम की आपूर्ति बन्द कर सन्धि का उल्लंघन किया था वहीं दूसरी ओर भारत को सन्धि में निहित दायित्वों से मुक्त नहीं करना चाहता था। भारत बार-बार यह जोर दे रहा था कि सन्धि की समाप्ति पर जले ईंधन (Spent Fuel) को 'रिप्रासेस' करने का उसका अधिकार है किन्तु अमेरिका इस अधिकार को इस आधार पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि 1963 की सन्धि के अनुसार इस जले ईंधन का भविष्य "सहसम्मति" से निर्धारित किया जायगा। भारत की समस्याएँ कई हैं। एक तो यह कि इस जले ईंधन को रखने की समस्या है, दूसरे भारत को मद्रास के निकट कल्पाकम में स्थित अपने 'प्रयोगात्मक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' के लिए प्लूटोनियम की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि यह भारी लागत के बावजूद 1975 से ही बेकार पड़ा है (ध्यान रहे कि इस रिएक्टर का भी निर्माण अमेरिकी सहमति एवं फ्रांस की सहायता से किया गया था और उस समय अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया), तीसरे भारत के वैज्ञानिक जो "MOX" (Mixed Oxide of Plutonium & Uranium) ईंधन तैयार करना चाहते हैं उसमें भी प्लूटोनियम की आवश्यकता है। भारत इन सभी आवश्यकताओं को तिलाजलि नहीं दे सकता। दूसरी ओर अमेरिका में इस समय परमाणु-प्रसार एवं प्रदूषण (Anti-proliferation एवं anti-pollution) दबावगुट इतना हावी है कि वह न तो अमेरिकी प्रशासन द्वारा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत को 'रिप्रासेस' करने का अधिकार देना चाहता है, न ही जले ईंधन को रेडियो एक्टिविटी बढ़ने की डर से वापस लेना चाहता है। रीगन प्रशासन ने 'रिप्रासेसिंग' के सम्बन्ध में कार्टर की नीति में परिवर्तन भी किया है क्योंकि उन्होंने पश्चिम जर्मनी एवं जापान को उनके पास पड़े अमेरिकी जले ईंधन को 'रिप्रासेस' करने का अधिकार दे दिया है। फिर भारत के लिए यह भेद-भाव क्यों? फिलहाल 27 जुलाई 82 की भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की अमेरिकी यात्रा का एक ठोस परिणाम यह निकला कि तारापुर के सम्बन्ध में एक नया समझौता हो गया जिसके अन्तर्गत संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति फ्रांस द्वारा की जाएगी। इस प्रकार 20 वर्ष पुरानी दम घोटती सन्धि को किसी प्रकार जीवित तो रखा गया किन्तु भारत के 'रिप्रासेसिंग' के अधिकार के सम्बन्ध में कोई सहमति न हो पाई। फ्रांस ने जब संवर्धित यूरेनियम आपूर्ति संबंधित मसविदा (draft) भेजा तो एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस मसविदे में फ्रांस ने दो नई शर्तें जोड़ी है जो 1963 के भारत-अमरीकी सन्धि में नहीं थी जिसके अन्तर्गत भारत ने अमेरिका के स्थान पर फ्रांस को यूरेनियम आपूर्ति के लिए स्वीकार किया था। पहली शर्त, जिसे "परसूट क्लाज" (Pursuit Clause) कहा जाता है, यह है कि फ्रांस द्वारा आपूर्ति किए गए यूरेनियम के "बाई प्राडक्ट" (By Product) को जिस संयंत्र में प्रयोग में लाया जायगा वह संयत्र अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (I. A. E. A.) के निरीक्षण के अधिकार के अन्तर्गत आ जाएगा। दूसरी शर्त, जिसे "परपीचुटी क्लाज" (Perpetuity Clause) कहते हैं, के अन्तर्गत समझौते या 1963 की संधि की समाप्ति के बाद भी जब तक जला ईंधन' या उसका कोई 'बाई प्राडक्ट' उपयोग में लाया जाता रहेगा तब तक अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा आयोग का उन संयत्रों पर, जिसमें उसका उपयोग हो रहा है, निरीक्षण का अधिकार रहेगा। भारत इन शर्तों को इस आधार पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह के प्रतिबन्ध 1963 की संधि में नहीं थे और भारत ने केवल उन्हीं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत फ्रांस को आपूर्तक के रूप में स्वीकार किया था जो उपर्युक्त संधि में थे। फ्रांस के विदेशमंत्री श्री क्लाउड चेशों जब भारत आए थे तो उन्होंने भी यह बात स्वीकार की थी। ये प्रतिबंध अमेरिका के "फुल स्कोप सेफगार्ड" (Full scope Safeguards) से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है जिन्हें भारत मानने के लिए कभी तैयार न हुआ। वास्तव में इस प्रकार के प्रतिबंध 1975 से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा लन्दन क्लब एवं एन. टी. पी. संधि 1968 के सदस्यों के अनुरोध पर लगाए जाने प्रारम्भ हुए। यद्यपि फ्रांस एन. टी. पी का सदस्य नहीं है किन्तु वह यूरेनियम सप्लाई करने वाले यूरोपीय देशों के लन्दन क्लब का सदस्य है और अपने यूरेनियम के वाणिज्यिक व्यापार में इन शर्तों को लागू करवाता है। इस समस्या के समाधान के लिए फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारी श्री जेक्स एन्ड्रियनी की अध्यक्षता में 6 सितम्बर 82 को भारत आया हुआ है किन्तु इन पंक्तियों के लिखे जाने तक वार्ता में समस्या समाधान की दिशा में कोई आशापूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

पाकिस्तान का अनाक्रमण सन्धि प्रस्ताव—भारत-पाकिस्तान की स्वतंत्रता का जितना पुराना इतिहास है उतना ही पुराना दोनों के बीच अनाक्रमण सन्धि प्रस्तावों का भी इतिहास है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने सर्वप्रथम दिसम्बर 1949 में युद्ध वर्जन सन्धि का प्रस्ताव भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के माध्यम से रखा। उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख कर यह आग्रह किया कि दोनों देशों को चाहिए कि वे इस आशय की कि दोनों देश आपसी विवादों का समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से करेंगे एक दृढ़ संयुक्त घोषणा करें। 1956 में एक बार फिर पं. नेहरू ने युद्ध वर्जन समझौते की अपील की। 1962 में पुनः पं. नेहरू ने राष्ट्रपति अयूब खां को पत्र लिखा कि दोनों देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने एवं राष्ट्र को प्रगति एवं आधुनिकीकरण की एक दिशा प्रदान करने के हमारे दृढ़ संकल्प के लिये यह आवश्यक है कि हम दोनों राष्ट्र मित्रता एवं सहयोग का सूत्रपात करें। 1964 में प्रधानमंत्री शास्त्री ने तीन बार राष्ट्रपति अयूब खां से युद्ध वर्जन का प्रस्ताव किया किन्तु अयूब खां ने हर बार प्रस्ताव की अनदेखी की। जून 1969 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रपति याह्या खाँ को एक पत्र लि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर दोनों देशों के नागरिकों के बीच सम्पर्क के अभाव एवं व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध विच्छेद होने की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की और आपसी सम्बन्धों के सुधारने के उपायों पर विचार करने के लिये एक संयुक्त आयोग के गठन का सुझाव दिया। उत्तर में शाहा खाँ ने संयुक्त आयोग को व्यर्थ बताते हुए कहा कि सभी विवादों का समाधान विवाचन (Arbitration) द्वारा निकाला जाना चाहिए न कि द्वि-पक्षीय वार्ता से। इस प्रकार भारत के प्रत्येक प्रस्ताव को पाकिस्तानी सरकारों ने आशंका की दृष्टि से देखा और उसका राजनैतिक लाभ उठाने का हर सम्भव प्रयास किया। ठीक इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने भी 15 सितम्बर 81 को मौखिक रूप से एवं 22 नवम्बर 81 को लिखित रूप से अनाक्रमण सन्धि के प्रस्ताव की पेशकश की। इस पेशकश का राजनैतिक उद्देश्य यह था कि पाकिस्तान अमरीकी जन-मानस में फैली इस आशंका का कि वह अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं हथियारों का उपयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है, निराधार सिद्ध करना चाहता था ताकि हथियारों की सप्लाई का विरोध न हो। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया रचनात्मक ही रही और विदेशमंत्री श्री राव ने संसद के समक्ष यह बयान दिया कि भारत अपने 1949 के युद्ध वर्जन प्रस्ताव को जीवित मानता है और पाकिस्तान के प्रस्ताव पर अमल करने के लिये तैयार है यदि पाकिस्तान 1949 के मसविदे एवं शिमला सन्धि के सिद्धान्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। 24 दिसम्बर 81 के अपने उत्तर में भारत ने एक सात-सूत्री रचनात्मक मैत्री एवं सहयोग सन्धि का मसविदा पाकिस्तान सरकार के विचार हेतु भेजा जिसमें निम्न सिद्धान्त समाहित किये गये थे।—(1) शिमला सन्धि के प्रति प्रतिबद्धता। (2) दोनों देशों के बीच तनावरहित वातावरण पैदा करना जिससे कि दोनों देश अपने आर्थिक विकास दृढ़ संकल्प की ओर आगे बढ़ सकें और दोनों देशों के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। (3) गुट-निरपेक्षता की नीति का पालन। (4) पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व। (5) शक्ति के प्रयोग का परित्याग। (6) आपसी मामलों का द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान। (7) इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र को बढाने में सहयोग न करना एवं अपने क्षेत्र में किसी विदेशी शक्ति को सैनिक उपस्थिति की सुविधा न प्रदान करना। पाकिस्तान सरकार ने अपने 12 जनवरी के उत्तर में कई आपत्तियाँ प्रकट कीं और विदेश सचिव श्री आगा शाही ने कहा कि पाकिस्तान एक अनाक्रमण संधि चाहता है जो शिमला समझौते के सिद्धान्तों को पुनर्स्थापित करे। जनवरी के अन्तिम सप्ताह में विदेश सचिव श्री आगा शाही ने सन्धि के मसविदे पर बातचीत के लिये भारत यात्रा की। इस अवसर पर श्रीमती गाँधी ने एक संयुक्त आयोग गठित करने का सुझाव प्रस्तुत किया। श्री शाही की इस यात्रा का कोई निश्चित परिणाम तो नहीं निकला किन्तु दोनों देश जिनेवा विवाद से पैदा हुई गलतफहमियों को दूर करने में सफल हुये। अभी हाल में अगस्त 82 में सचिव स्तर की बातचीत में आपसी मतभेद खुल कर सामने आए। पाकिस्तान भारत की द्विपक्षीयता और गुटनिरपेक्षता की व्याख्या से सहमत नहीं है और वह सर्वप्रथम अनाक्रमण संधि चाहता है जबकि भारत संयुक्त आयोग और मैत्री संधि को प्राथमिकता देता है।

● **भारत-बंगलादेश सम्बन्ध**—1971 में बंगलादेश की स्वतन्त्रता से लेकर आज तक (शेख मुजीब के शासन काल के कुछ वर्षों को छोड़कर) दक्षिण एशिया के दोनों पड़ोसी देश अभी तक आपसी हितों के ऐसे आधार अभी तक नहीं खोज पाये जिनपर एक स्थिर एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध की आधारशिला रखी जा सके। समय-समय पर विवाद बढ़ते गए एवं स्थाई हल निकल न पाने के कारण सम्बन्ध बिगड़ते ही गए। दोनों देशों के बीच निम्न प्रमुख विवाद हैं—(1) फरक्का विवाद—गर्मी के दिनों में जब गंगा में जल प्रवाह कम हो जाता है उस समय भारत के सामने कलकत्ता बंदरगाह पर पंक और बालू साफ करने के लिए आवश्यक जल (लगभग 40 हजार क्यूसेक) की आपूर्ति की समस्या होती हैं। फरक्का बैरेज बनाने का मुख्य उद्देश्य भी कलकत्ता बन्दरगाह को साफ रखना था। बंगलादेश आपत्ति करता है कि इस बैरेज के कारण बंगलादेश को आवश्यकता भर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। समस्या का हल निकालने के लिए दोनों देशों ने 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया एवं 1975 में एक समझौता भी किया जो अधिक दिनों तक चल सका। कालान्तर में सितम्बर 1977 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें भारत सरकार ने "अच्छे पडोसी होने की नीति" (Policy of Good Neighbourliness) के अन्तर्गत अपने कुछ राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देकर भी बंगला देश से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की पेशकश की। समझौते के अन्तर्गत गंगा में पानी की अत्यधिक कमी के दिनों (21-30 अप्रैल) भारत को 20,800 क्यूसेक एवं बंगला देश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलेगा किन्तु इसके बाद भारत को मिलने वाले पानी की मात्रा में 40,000 क्यूसेक तक की बढ़ोत्तरी होगी। समझौते के अन्तर्गत दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि गंगा के जल स्तर को बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य के लिए भारत ने एक सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र को एक चौड़ी नहर द्वारा गंगा से जोड़ दिया जाय जिससे न केवल गर्मी में गंगा में जल प्रवाह को बढ़ाया जा सकेगा बल्कि असम और बंगला देश में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से होने वाली क्षति को भी कम किया जा सकेगा। किन्तु बंगलादेश इस प्रस्ताव को मानने के लिये तैयार नहीं है। उसे डर है कि इस नहर पर भौगोलिक कारणों से भारत का ही मुख्य नियंत्रण होगा जबकि नहर का अधिकांश भाग बंगला देश की सीमा में रहेगा और बंगला देश को दो भागों में बांट देगा। बंगला देश ने अपना एक प्रस्ताव रखा है जिसके अन्तर्गत भारत को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नेपाल में जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। भारत द्विपक्षीय विवाद में नेपाल को भी सम्मिलित कर मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहता। दिसम्बर 1981 एवं जुलाई 1982 में कुल दो बार दोनों देशों के कृषिमंत्रियों की बातचीत हो चुकी किन्तु अभी तक कोई निश्चित समाधान नहीं निकल पाया।

(2) जल-सीमा विवाद—भारत-बंगला देश के बीच जल-सीमा के निर्धारित न होने के कारण 1979 से ही न्यूमूरे द्वीप (दक्षिण तलपत्ती) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह द्वीप सुन्दर वन के दक्षिण सीमा... नदी हरियाभंग के मुहाने पर स्थित है। बंगलादेश का दावा है कि यह द्वीप उसके Continental Shelf में है जबकि भारत दो देशों के बीच Continental Shelf को बाँटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुमोदित मध्य रेखा को भारत बंगला देश के बीच जल सीमा रेखा मानता है और यह द्वीप इस रेखा से भारत की ओर पडता है। भारत-श्रीलंका के बीच जल सीमा रेखा भी इसी सिद्धान्त पर दोनों देशों द्वारा स्वीकार की गई है। (3) स्थलीय सीमा विवाद— बंगला देश की अधिकांश स्थलीय सीमा भारतीय प्रदेशों से मिलती है। सीमा रेखा अत्यधिक टेढ़ी-मेढ़ी है जिसके कारण लगभग 20 से भी अधिक इलाकों में सीमा समस्या दोनों के मध्य विद्यमान है। बंगला देश की सरकार 'कूच बिहार' से 'तीन बीघा' जाने के लिए मार्ग का मांग कर रही है जिससे सम्बन्धित पट्टे की शर्तों पर बातचीत के लिए नवम्बर 81 में सचिव स्तर पर बातचीत हुई किन्तु कोई अन्तिम समझौता न हो पाया। (4) बंगला देश में राजनैतिक अस्थिरता के कारण तथा पड़ोस के भारतीय राज्यों में रोजगार पाने की इच्छा से हर मास लगभग 10 15 व्यक्ति के औसत से भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं। इन शरणार्थियों एवं घुसपैठियों के कारण भारत के कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में आन्तरिक विवाद भी उत्पन्न हो गए हैं। जिसके कारण भारत की चिन्ता स्वाभाविक ही है। भारत चाहता है कि पारस्परिक सहयोग से इन घुसपैठियों को रोका जाय। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों में पर्याप्त राजनैतिक इच्छा एवं वातावरण का अभी अभाव है इसी लिए समस्याएं और जटिल होती जा रही हैं।

महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें

● लेबनान संकट—द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजियों एवं विएतनाम में अमेरिकियों द्वारा किये गये नरसंहार से भी अधिक क्रूरतापूर्ण नरसंहार इजराइलियों ने 6 जून, 82 को लेबनान में फिलिस्तीनी ठिकानों पर हमला एवं बाद में पश्चिमी बेरुत की घेराबन्दी कर हवाई बम वर्षा द्वारा किया। वास्तव में इजराइल अपने सीमावर्ती प्रदेशों की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुरक्षा को डर के आड़ में अपने "बृहत्तर इजराइल" (Erertz Israel), जिसकी सीमाएं नील से यूफरेट्स तक समस्त इजराइल, पश्चिमी किनारा एवं जार्डन भू-भाग तक फैली हों और जिसे "ओल्ड टेस्टामेंट" में ईश्वर द्वारा यहूदियों को प्रदानित स्थान 'promised land' कहा गया है, के सपने को साकार करना चाहता है। इसी भावना से प्रेरित बेगिन की सरकार ने गोलन पहाड़ियों (Golan Heights), (जिसका स्त्रातजी महत्व यह कि वहां से सीरिया की गतिविधियों पर आँख गड़ाए रखा जा सकता है एवं अपनी पूर्वी यहूदी बस्तियों को सुरक्षित किया जा सकता है) का विलयीकरण (annexation) किया एवं लेबनान में क्रिश्चियन फलंगी नेता बसीर गेमायेल को समर्थन देकर राष्ट्रपति निर्वाचित कराया एवं दक्षिण लेबनान में मेजर साद हद्दाद को सहायता देकर "स्वतन्त्र गणतन्त्र" की स्थापना की जिससे कि लेबनान सदैव उसका राजनैतिक पिछलग्गू राष्ट्र (Vessal state) बना रहे। 6 जून का लेबनान आक्रमण भी इसी योजना की एक कड़ी है। 1970 से ही लेबनान की सत्ता एवं राजनीति पर सीरिया एवं फिलिस्तीनियों के सहयोग से मुसलमान हावी थे। ईरान-इराक युद्ध एवं अन्य कारणों से आपस में अरब देशों में विभाजन एवं वैमनस्य, रूस का अफगानिस्तान में उलझाव एवं अरब देशों की अमेरिका पर बढ़ती हुई निर्भरता का इजराइल ने पूरा लाभ उठाया। इस आक्रमण का उद्देश्य न केवल उग्रवादी फिलिस्तीनी छापामारों को पश्चिमी बेरुत से बाहर निकालना था बल्कि लेबनान की जमीन पर अपनी सैनिक शक्ति की उपस्थिति का पूर्ण राजनैतिक लाभ उठाकर इजराइल में पिछलग्गू क्रिश्चियनों को सत्ता एवं राजनीति में पुनः स्थापित कर पूरे लेबनान पर अपरोक्ष राजनैतिक आधिपत्य स्थापित करना एवं अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कर उग्रवादी अरब देशों के मुँह पर तमाचा मारना भी था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने घेराबन्दी के समय बिजली एवं पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया जिससे कि शहरी बेरुत निवासियों एवं फिलिस्तीनियों व मुसलमानों के मध्य वैमनस्य और तीव्र हो। 11 अगस्त की अमानवीय एवं क्रूर बमबर्षा से चिन्तित होकर अमेरिका विशेष दूत फिलिप्स हबीब ने अपनी शान्ति योजना तीव्र कर दी एवं बेगिन पर दबाव भी डाला। इसके पहले फ्रांस द्वारा सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव जिसमें इजराइल द्वारा अपनी सेनाएं लेबनान से तुरन्त वापस बुला लेने की बात कही गई थी अमेरिकी निषेधिकार (Veto) के कारण विफल हो गया। महासभा द्वारा पारित (26 जून) एवं निकोसिया में आयोजित निर्गुट देशों के विदेशमंत्रियों के सम्मेलन के इसी प्रकार के प्रस्तावों का इजराइल पर कोई असर न हुआ। 29 जून को पी. एल. ओ. ने इजराइल की इस मांग को सिद्धान्ततः मान लिया कि फिलिस्ती गुरिल्ले बेरुत छोड़कर चले जाय किन्तु यह शर्त रखी कि बेरुत खाली करते समय अमेरिका उनकी सुरक्षा का दायित्व ले एवं खाली करने की प्रक्रिया एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सेना (International observation Force) की निगरानी में हो तथा पूर्वी लेबनान में फिलिस्तीनियों की सीमित उपस्थिति एवं बेरुत में "सशक्त राजनैतिक उपस्थिति" रहे। इजराइल इस शर्त को मानने के लिए तैयार न हुआ। अंत में बिजली एवं पानी की आपूर्ति बंद होने से त्रस्त बेरुत वासियों के कष्ट को ध्यान मे रखकर अराफत ने भारी हथियारों को लेबनानी सेनाओं को समर्पण करने की शर्त मान ली एवं 18 अगस्त को अमेरिकी विशेष दूत फिलिप्स हबीब के 10 अगस्त के 14 सूत्री शान्ति प्रस्ताव को पी. एल ओ, लेबनान एवं इजराइल तीनों ने मान लिया। इस प्रस्ताव की मुख्य शर्तें थी: (1) पूर्ण युद्ध विराम। (2) फिलिस्ती गुरिल्ले 15 दिन के भीतर भू, वायु एवं जल मार्गों से अपने भारी हथियारों को लेबनानी सेना को समर्पित कर हल्के हथियारों (पिस्तौल, राइफल) के साथ बेरुत छोड़कर चले जायेगें। (3) बेरुत खाली करने की यह प्रक्रिया एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सेना (जिसमें 800 अमेरिकी, 800 फ्रांसीसी एवं 500 इटली के सैनिक होंगे) की निगरानी मे सम्पन्न होगा एवं यही सेना बेरुत खाली किये जाने के बाद लेबनानी सेना के साथ मिलकर बचे हुए शहरी फिलिस्तीनियों एवं बेरुत बासियों की सुरक्षा करेंगे एवं शान्ति व व्यवस्था स्थापित करेंगे। यह सेना लेबनान के आग्रह पर एक महीने से अधिक भी रह सकती है। (4) इजराइली सेनाएं बेरुत से हट जायेंगी एवं बेरुत-दमिश्क राज-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मार्ग को भी खाली कर देंगे जिससे कि इस मार्ग से फिलिस्तीनी सीरिया जा सके। जल मार्ग से जाने वाले फिलिस्तीनी बेरुत बन्दरगाह से एवं वायु मार्ग से जाने वाले साइप्रस जायेंगे। (5) योजना का कार्यान्यवन प्रारम्भ होने के पूर्व फिलिस्तीनी कैद इजराइली वायुयान-चालक को मुक्त कर इजराइल को सौंप देंगे। अब तक लगभग 9000 फिलिस्तीनियों द्वारा बेरुत छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वे सीरिया, इराक, मिस्र व जार्डन में शरण ले चुके हैं। इसी बीच राष्ट्रपति रीगन ने 1 सितम्बर को एक नयी पश्चिम एशिया शान्ति योजना प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत यह मांग की गई है कि इजराइल पश्चिमी किनारे एवं गाजा-पट्टी को खाली कर दें, वहां नई यहूदी बस्तियां न बनाएं (यद्यपि पुरानी बस्तियां समाप्त नहीं की जायेंगी) फिलिस्तीनियों को जार्डन के साथ सम्बन्धित कर आन्तरिक सुरक्षा के मामले में उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी जाय, उनको सभी आन्तरिक ससाधनों जैसे भूमि व जल पर पूर्ण अधिकार दिया जाय एवं स्वतन्त्र चुनाव करने व वोट देने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाय। बदले में अरब देश इजराइल को मान्यता दें। इजराइल ने इन प्रस्तावों को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है कि ये कैम्प-डेविड समझौते का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उसमें केवल फिलिस्तीनी लोगों को स्वायत्तता देने पर सहमति हुई थी फिलिस्तीनी राज्य या किसी भू-भाग पर फिलिस्तीनी अधिकार पर नहीं।

● फाकलैंड द्वीप विवाद—दक्षिण अटलांटिक महासागर में केप हार्न के पूर्व में स्थित फाकलैंड द्वीप समूह 200 छोटे द्वीपों का समूह है जिसमें पूर्वी व पश्चिमी फाकलैंड, दक्षिण जार्जिया और सैन्डविच द्वीप प्रमुख है। यह द्वीप समूह सर्वप्रथम 1592 में ब्रिटिश नाविको द्वारा देखा गया एवं 1690 मे ब्रिटेन के कैप्टन स्ट्रांग ने यहां पदार्पण कर तत्कालीन जल-सेना के कोषाध्यक्ष लार्ड फाकलैंड के नाम पर इस द्वीप का नाम फाकलैंड रखा। प्रारम्भ से ही इस द्वीप पर अधिकार के लिए स्पेन व ब्रिटेन के मध्य मतभेद था। स्पेन ने 1774 से 1806 तक इस द्वीप पर कब्जा बनाए रखा एवं अपने उपनिवेश अर्जेन्टीना से इसका नियन्त्रण करता रहा। 1806 में स्पेन ने इस द्वीप से अपना अधिकार त्याग दिया। 1816 में अर्जेन्टीना स्वतंत्र हुआ और स्पेन के उत्तराधिकारी के रूप में उसने समूह पर अपना दावा प्रस्तुत किया। परन्तु इसी अमेरिकी नाविकों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1833 में ब्रिटेन ने फाकलैंड का अधिग्रहण कर धीरे मूल निवासियों का निष्कासन प्रारम्भ किया। 1833 आज तक इस विवाद का कोई समाधान न निकल सका। अंत में अर्जेण्टीना ने 2 अप्रैल 1982 को इस द्वीप बलपूर्वक कब्जा कर लिया। 74 दिनों तक दोनों देशों बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन का महत्वपूर्ण विध्वंशक H.M.S. SHEFFIELD भी नष्ट हुआ कि 14 जून की घमासान लड़ाई में अर्जेण्टीना को पोर्ट में अपने हथियार डाल देने पड़े। जहां तक दोनों प के दावों के आधार का प्रश्न है अर्जेण्टीना इस द्वीप को (1) भौगोलिक संलग्नता (Geographical contiguity) व (2) स्पेन का उत्तराधिकारी; (3) खोज, के आधार पर अपना अधिकार बताता है। यह द्वीप अर्जेण्टीना लगभग 700 कि. मी. दूर है जबकि ब्रिटेन से लगभग 14,000 कि. मी. की दूरी पर। भौगोलिक संलग्नता सेक्टर सिद्धान्त (Sectoral Doctrine) के आधार पर ब्रिटेन 20° से 40° पश्चिम एवं अर्जेण्टीना 25° से 74° पश्चिम के मध्य सम्पूर्ण अन्टार्कटिका क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं यद्यपि यह 'सेक्टर सिद्धान्त' न तो 1959 अन्टार्कटिका सन्धि में ही स्वीकृत किया गया न अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वेत्ता इस सिद्धान्त को दक्षिण ध्रुवीय अन्टार्कटिका प्रक्षेत्र के सन्दर्भ में मानने को तैयार है। ब्रि के दावे के आधार हैं—(1) फाकलैंड द्वीप के सभी 18 निवासी ब्रिटिश मूल के हैं। (2) ब्रिटेन का इस द्वीप स पर पिछले 149 वर्षों से प्रभावकारी कब्जा है। (3) 19 में इस द्वीप समूह के लोगों ने एक जनमत संग्रह में ब्रि के साथ सम्बन्ध बनाए रखने के पक्ष में मत दिया था। (4) विवाद के समाधान के लिए अर्जेण्टीना ने अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर आक्रमण किया। (5) खोज, आधार पर ब्रिटेन का दावा अधिक प्रमाणित होता किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रिटेन की इस द्वीप संप्रभुता अनुचित नहीं है। जैसा कि तृतीय विश्व के रा ने निर्गुट सम्मेलन के (लिमा सम्मेलन-1975) माध्यम मांग की थी कि ब्रिटेन को अपने इस उपनिवेश को स्व

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर देना चाहिए जिस पर उसने 142 वर्ष पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। समस्या समाधान के कई प्रस्ताव जैसे द्वीप पर दोनों देशों का सम्मिलित-प्रशासन; अर्जेण्टीना की संप्रभुता एवं ब्रिटेन का प्रशासन (हॉगकाँग के अनुरूप) व संयुक्त राष्ट्र सघ का अन्तरिम प्रशासन और बाद में स्व-निर्धारण की स्वतन्त्रता, आदि अब तक असफल रहे हैं और अब युद्ध समाप्ति के बाद भी शीघ्र समाधान की कोई आशा नहो दिखाई पड़ रही है क्योंकि न तो अर्जेण्टीना इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द करना चाहता है न ही ब्रिटेन कोई समझौता-कारी रुख अपना रहा है।

●सोवियत-पश्चिमी योरप गैस पाइप लाइन—पूर्व एवं पश्चिम को मिलाने वाली लगभग 5 हजार कि. मी. लम्बी यह गैस पाइप लाइन सोवियत संघ के तेल एवं गैस उत्पादन के प्रमुख प्रान्त साइबेरिया को पश्चिमी योरप से जोड़ती है। इस गैस पाइप लाइन के निर्माण के लिये सोवियत संघ, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड तथा अन्य योरोपीय देश सहमत हुए हैं। किन्तु पोलैंड में जनरल जेरुजालस्की द्वारा आपातस्थिति की घोषणा के बाद यह पाइप लाइन अमेरिका तथा उसके नाटो सहयोगी योरोपीय देशों के मध्य विवाद का कारण बन गई है। अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों से समूचा कार्य छोड़ देने के लिए कह रहा है। उसे डर है कि—(1) इस पाइप लाइन के निर्माण से पश्चिम योरप एवं सोवियत संघ पश्चिमी दशों की सुरक्षा के मामले में एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हो जायेंगे। (2) तकनीकी क्षेत्र में सोवियत संघ को काफी अधिक सफलता मिलेगी। दूसरी ओर योरोपीय देश इस पाइप लाइन के निर्माण में अपनी बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। एक तो गैस सप्लाई के लिए अरब देशों पर निर्भरता में कमी आयेगी और दूसरे आर्थिक मंदी के इस वातवरण में हजारों बेकार यूरोपीयों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन कारणों से वे राष्ट्रपति रीगन द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध लगाए जाने वाले सम्भावित प्रतिबन्धों, जिनके अन्तर्गत उन अमेरिकी कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा जो इस पाइप लाइन के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, का विरोध कर रहे हैं।

●परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन वार्ता—अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रीगन ने, मई 82 को अन्तर-महाद्वीपीय परमाणु प्रक्षेपास्त्रों (Inter-Continental Nuclear missiles) को सीमित करने के लिये सोवियत संघ के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को अपने-अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्र 30% से 50% तक कम कर देना चाहिए। उन्होंने भूमि से भूमि तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में भी कमी करने का आग्रह किया। दूसरी ओर साल्ट-2 सन्धि का अभी तक अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदन भी नहीं हो पाया है। श्री हेग तो सीनेट के समक्ष यहाँ तक कह गए थे कि सामरिक महत्व के अस्त्रों को सीमित करने वाली वार्ता साल्ट-2 को अब दफन कर दिया गया हैं। सोवियत संघ ने इस नये प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि रीगन ने पश्चिमी योरप के देशों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव किया है। वास्तव में राष्ट्रपति रीगन की यह मान्यता है कि सामरिक महत्व के अस्त्रों के परिसीमन में साल्ट-2 में जो अस्त्रों की बराबर संख्या का सिद्धान्त अपनाया गया था उसमें अमेरिका का अहित होता है क्योंकि सोवियत संघ के पास अमेरिका से अधिक भारी एवं अधिक 'वारहेड' (warheads) वाले प्रक्षेपास्त्र है। अतः उन्होंने इस नये प्रस्ताव में परमाणु शस्त्रों की बराबर संख्या के स्थान पर निश्चित एवं बराबर अनुपात में शस्त्रों की कमी का सिद्धान्त प्रेषित किया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में दोनों देशों के प्रतिनिधि जिनेवा में बातचीत के लिए एकत्र हुए किन्तु सामरिक महत्व के परमाणु अस्त्रों के परिसीमन पर एक दूसरों के सुझावों पर कोई सहमति न हो पाई। अमेरिका ने अपने और सोवियत संघ के बीच पाँच हजार से लेकर साढ़ आठ सो की संख्या तक प्रक्षेपास्त्रों की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया, किन्तु सोवियत सघ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया कि हम जब तक कोई सन्धि न हो जाय परमाणु अस्त्र बनाने बन्द कर दना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दोनों देश सामरिक महत्व के परमाणु अस्त्रों को सीमित करने के लिए किसी सन्धि की आवश्यकता से सहमत अवश्य हैं।

●ईरान-इराक युद्ध—सितम्बर 1980 से चल रहे ईरान-इराक युद्ध के दोनो पक्षों के आर्थिक एवं राज-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नैतिक रूप से टूट जाने के बावजूद भी समाप्त होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। युद्ध का प्रारम्भिक कारण शत-अल-अरब जलमार्ग था जो यूफरेटिस और टाइग्रस नदियों के संगम स्थल को फारस की खाड़ी के मुहाने से संबद्ध करता है और दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण भी करता है। युद्ध के प्रारम्भ के 18 महीनों में इराक ने ईरान की 7000 वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जिसमें अब्रादान, खुर्रमशहर एवं खुजिस्तान प्रान्त भी शामिल था। किन्तु मार्च-अप्रैल 1982 तक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। ईरान ने इराक से अपनी समस्त कब्जा की गई भूमि लगभग वापस जीत ली है और अब अयातुल्ला खुमैनी इराक को "मुक्त करने" और इस्लामी दुनियाँ में शिया संप्रदाय के आधिपत्य को स्थापित करने के लिए अपनी फौजें इराक की सीमाओं के अन्दर भेज रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी फौजे इराक में बहुत आगे बसरा शहर के पास पहुँच गई है। 10 जून 82 को इराक ने 21 महीने पुराने युद्ध के एक तरफा विराम की घोषणा कर दी किन्तु ईरान ने इस प्रस्ताव को मानने के लिए तीन पूर्व शर्तें रखी—(1) इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाया जाय। (2) युद्ध में हुए नुकसान के लिए इराक-ईरान को 150 अरब डालर का मुआवजा दे। (3) इराक अपने क्षेत्रों मे ईरानी फौजों को इजराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए गुजरने का मौका दे। इराक इन शर्तों पर तभी विचार करने के लिए तैयार है जब ईरान युद्ध-स्थगन प्रस्ताव को पूर्णतया मान ले। लगता है कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि अब अरबों और ईरानियों के बीच ऐतिहासिक बैर को युद्ध के मध्य घसीटा जा रहा है वह भी इजराइल के विरुद्ध अरबों की एकता के नारे पर और ईरान पर इराक का यह आरोप कि ईरान-इजराइल के बीच गुप्त समझौता है।

● **पोलैंड : अशांति की निरन्तरता**—जुलाई 1980 में मांस के बढ़े हुए मूल्यों के विरोध में श्रमिका की व्यापक हड़ताल साम्यवादी पोलैण्ड में प्रारम्भ हुयी थी। साम्यवादी दल के श्रमिक संगठनों के अलावा, लेक वालेसा की अध्यक्षता में स्वतन्त्र श्रमिक संगठन 'सोलिदारनोश्च' बनाने का अधिकार हड़ताली श्रमिकों को मिला। उदारवाद की इस लहर को रोकने के लिए पोलैंड की सरकार एवं साम्यवादी दल में अनेक परिवर्तन लाये गये। इस परिवर्तन के अन्तर्गत, कानिया को साम्यवादी दल का प्रथम सचिव एवं जनरल जारुजेल्सकी को प्रधानमन्त्री बनाया गया। साम्यवादी दल के विभिन्न अंगों का निर्वाचन स्वतन्त्र और लोकतांत्रिक बनाया गया। हालांकि इसके अनेक सदस्य श्रमिक वर्ग से आये परन्तु श्रमिकों के मध्य असन्तोष समाप्त न हुआ। परिणामस्वरूप, सरकार व हड़ताली श्रमिकों के मध्य टकराव जारी रहा। पोलैंड में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति चरम परिणति अंततः 13 दिसम्बर, 81 को वहाँ राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के रूप में हुई। देश भर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और प्रशासन के संचालन हेतु जारुजेल्सकी के नेतृत्व में एक सैनिक समिति का गठन किया गया। वालेसा सहित सभी प्रमुख हड़ताली श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सं. रा. अमेरिका सहित सभी पश्चिमी राष्ट्रों ने पोलैंड की सरकार के इस कदम की कटु आलोचना की है पर अभी तक सॉलिडैरिटी तथा सरकार दोनों ही किसी सामाजस्यपूर्ण समझौते की भावना से बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं। समाचार लिखने के कुछ समय पूर्व 31 अगस्त 82 को 'सॉलिडैरिटी' की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर देश में स्थान-स्थान पर श्रमिकों की पोलिस रक्षा कर्मचारियों से अनेक स्थानों पर हुयी मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप पोलैंड में अनेक नये मार्शल लॉ कानून लागू कर दिये गये हैं।

● **बंगल देश में क्रांति द्वारा सत्ता परिवर्तन**—

24 मार्च 82 को जनरल इरशाद ने अपने नेतृत्व में कार्यान्वित एक रक्तहीन सैनिक क्रांति द्वारा अब्दुस सत्तार की सरकार को सत्ताच्यूत कर मार्शल लॉ प्रशासक के रूप में स्वयं शासन सत्ता ग्रहण की है। जनरल इरशाद ने अन्य फौजी तानशाहों की तरह ही, 2 वर्षों के भीतर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का जनता से वायदा किया है साथ ही विश्व जनमत व जनता का विश्वास प्राप्त करने की दृष्टि से बंगला देश सर्वोच्च न्यायालय के भू. पू. न्यायाधीश ए. एम. चौधरी को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया।

55,126 वर्गमील के क्षेत्रफल और 1 करोड़ जनसंख्या वाला देश बंगलादेश 16 दिसम्बर, 19

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने अभ्युदय के समय से ही अस्थिरतावाद की राजनीति का शिकार हो गया था यो तो 24 मार्च को क्रांति को चौथी क्रांति की संज्ञा की गयी है किन्तु 16 दिसम्बर, 1971—24 मार्च, 1982 तक देश कुल मिलाकर क्रांति के डेढ़ दर्जन प्रयासों को झेल चुका है।

● मारीशस में चुनाव—जून 82 में सम्पन्न मारीशस के चुनावों में वामपंथी पार्टी और हरीश बुदुन की सोशलिस्ट पार्टी के गठबंधन 'मार्क्सवादी मिलीटेंट मूवमेंट आफ मारीशस, को विशाल बहुमत [कुल 62 सीटों में से 60 सीट] प्राप्त हुआ तथा 'चाचा' शिवसागर रामगुलाम की सत्तारुढ़ लेबर पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। वामपंथी पार्टी के नेता श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ मारीशस के नये प्रधानमंत्री है।

विविधा

● 'अप्पू'—नवम् एशियाई खेलों के शुभ चिन्ह के रूप में 'शिशु हाथी' अर्थात अप्पू को चुना गया है। 'अप्पू' हमारे देश में बुद्धिमत्ता, स्वामिभक्त, शक्ति और वैभव का प्रतीक समझा जाता है।

● 'सेपा ताकरा'—यह मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इसे नवम् एशियाई खेल में प्रदर्शन खेल के रूप में चुना गया है। यह खेल वालीबॉल की तरह खेला जाता है। इस खेल तथा वालीबॉल में इतना अन्तर है कि यह हाथ से न खेला जाकर पांव से खेला जाता है। इसका कोर्ट 44 फुट लम्बा तथा 20 फुट चौड़ा होता है। इसमें एक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं।

● 'इन्दिरा गिरि'—अन्टार्कटिका अभियान में भारतीय दल द्वारा खोजे गये पर्वत का नाम।

● 'एक्जोसेट'—फ्रांस की सरकारी एरोटाइल हैलिकॉप्टर एण्ड मिसाइल कम्पनी द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र ध्वनि की गति से समुद्र की सतह से केवल 2 मीटर ऊपर रह कर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर घातक प्रहार करने की क्षमता के युक्त है। अर्जेन्टीना-ब्रिटेन युद्ध के दौरान अर्जेन्टीना के एक विमान ने 69 से 70 कि. मी. की दूरी से इस प्रक्षेपास्त्र से प्रहार कर ब्रिटिश विध्वंसक युद्धपोत 'शेफील्ड' को मिनटों में नष्ट कर डूबो दिया।

● 'मिराज-2000' समझौता--13 अप्रैल 82 को भारत ने फ्रांस से 40 मिराज-2000 लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर किया है। भारतीय वायु-सेना को पहला मिराज विमान 1984 तक उपलब्ध हो सकेगा। फ्रांस द्वारा निर्मित इस विमान का वजन 10 टन, लम्बाई 4 मीटर तथा पंख 9 मीटर फैले हुए है। इसे सुरक्षा तथा दूर मार हेतु बनाया गया हैं।

● संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या—157 (सबसे नवीनतम सदस्य 'बेलीज' है)

● उत्पादकता वर्ष—औद्योगिक उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार ने वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया।

● देवराज अर्स—कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा कर्नाटक क्रांति रंगापार्टी के संस्थापक जिनकी जून 82 के द्वितीय सप्ताह में मृत्यु हो गयी।

● शाह खालिद—सउदी अरब के सम्राट जिनकी 13 जून 82 को मृत्यु हो गयी।

● 'अहरा '82'—उस अन्तर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य सम्मेलन का नाम जो इस वर्ष बंगलौर में सम्पन्न हुआ।

● विश्व संचार दिवस—वर्ष 1983

● विश्व का सबसे लम्बा नदी सेतु—मार्च 82 के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पटना के जहुआ ग्राम के निकट गंगा पर 46 करोड़ रुपये की लागत से बने 5.575 कि. मी. लम्बे महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया।

● नोबेल पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि—वर्ष 1982 में इस पुरस्कार की धनराशि 1,15,000 क्रोनर (200,000 अमेरिकी डालर) कर दी गयी है। पहले यह राशि 1,000,000 क्रोनर थी।

● 'इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान'—महाराष्ट्र के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पू. पू. मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले द्वारा स्थापित वो ट्रस्ट जिनके संचालन हेतु अंतुले ने अवैधानिक रूप से काफी धनराशि एकत्र की।

● 'लैंटिन' बम्बई उच्च न्यायालय के वो न्यायापति जिनके द्वारा दिये गये निर्णय के कारण अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा।

● राष्ट्रीय आय में वृद्धि—केन्द्रीय आंकडा संगठन के एक अध्ययन के अनुसार 1980-81 के मूल्यों के आधार पर इस अवधि में राष्ट्रीय आय में 7.7% वृद्धि हुयी।

● रानी पद्मनी—कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा भारत का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज।

● 'गरूड़'—1984 में लांस एंजिलस (अमेरिका) में आयोजित होने वाले 23वें ओलम्पिक खेलों का प्रतीक चिन्ह।

● भारत के परमाणु बिजली केन्द्र—1. तारापुर—भारत का पहला परमाणु बिजली केन्द्र अमेरिका के सहयोग से बम्बई के उत्तर में 100 किलोमीटर दूर तारापुर में वर्ष 1963 में स्थापित किया गया। यहाँ 200-200 मेगावाट क्षमता के उबलते पानी के दो रिएक्टर है। यहाँ 1969 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 2 कोटा या राजस्थान परमाणु बिजली घर—राजस्थान में कोटा में राणा प्रताप सागर के किनारे वर्ष 1962 में भारी पानी की सहायता से बिजली बनाने हेतु 220-220 मेगावॉट क्षमता वाले दो रियेक्टर बनाने का निश्चय किया गया है। इसमें कनाडा का सहयोग लिया गया। इसकी प्रथम ईकाई ने 1978 में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। 3. कलापक्कम या मद्रास परमाणु बिजलीघर—भारतीय इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की सहायता से भारत के तीसरे परमाणु बिजली घर का निर्माण मद्रास से लगभग 100 मील दूर कलापक्कम में हो रहा है। इसमें 235-235 मेगावाट की भारी पानी रिएक्टर वाली दो यूनिट होगी। 4. नरोरा परमाणु-बिजलीघर—हमारे देश का चौथा परमाणु बिजलीघर उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर बन रहा है। यहाँ भी 235-235 मेगावॉट क्षमता की दो यूनिटें काम करेंगी। 5. मोनिबंर—गुजरात में इसका निर्माण हो रहा है।

● वायुदूत—एयर एण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स के बाद भारत की यह तृतीय वायु सेवा है। इसका उद्देश्य छोटे नगरों को वायु सेवा द्वारा जोड़ना है।

● एफ 16—यह अमेरिका का बहुचर्चित आधुनिकतम लड़ाकू बम वर्षक विमान है जो 925 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। 14.52 मीटर लम्बा तथा 5.1 मीटर ऊँचा यह विमान 50 हजार फिट ऊँचाई पर उड़ सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को यह विमान बेच रहा है।

● परिष्कृत यूरेनियम—प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले यूरेनियम में U235 तथा U238 दोनों उपस्थित होते है। U235 की प्रतिशत मात्रा 0.7% तथा U238 की मात्रा 99.3% होती है। यदि U235 की मात्रा को बढ़ाकर 2.34% कर दिया जाय तो यह परिष्कृत (Enriched) यूरेनियम कहलाता है।

● अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष—स. रा. संघ 1982 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मना रहा है।

● दत्ता सामन्त—महाराष्ट्र के प्रमुख श्रमिक नेता जो बम्बई में कपड़ा मिलों की दीर्घकालिक हड़ताल के कारण चर्चित है।

● मारुति-सुजुकी सहयोग—अप्रैल 82 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मारुति उद्योग लिमिटेड और जापान के सुजुकी मोटर कम्पनी के मध्य छोटे कार के निर्माण के सम्बन्ध में समझौता हुआ। इस समझाते के साथ पिछले 16 वर्षों से जनता कार की खोज समाप्त हुई।

● कनाडा का नया संविधान—55 वर्ष के संघर्ष के पश्चात कनाडा की त्रूदो सरकार ने 17 अप्रैल 82 को ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट 1867 को समाप्त कर नया संविधान लागू किया। पूर्ववर्ती संविधान के अन्तर्गत अनेक विधायनी शक्तियाँ ब्रिटिश संसद के पास थी। कनाडा का क्यूबेक प्रान्त और रेड इण्डियन लोगों ने नये संविधान को अपने हितों के विरुद्ध कह कर इसका विरोध किया।

● ब्रिटेन में भारत महोत्सव—ब्रिटेन में 22 मार्च 1982 को भारत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उपस्थिति थी। यह समारोह मध्य नवम्बर तक जारी रहेगा। सर माइकल वाकर इस महोत्सव की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• चार नये बाघ अभयारण्य—जुलाई 82 में प्रोजेक्ट टाइगर की संचालन समिति ने नागार्जुन सागर [आंध्र प्रदेश], नमधण (अरुणाचल], इन्द्रावती [मध्य प्रदेश] और बक्सा [प. बंगाल] में बाघ अभयारण्य स्थापित करने का फैसला किया है।

• एकनायक सेपला—श्री लंका का वह व्यक्ति जिसने 30 जून 82 को इटालवी विमान का अपहरण किया था।

• मिखाइल सुस्लोव—साम्यवाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित सैद्धांतिक व्याख्याकार जिनकी जनवरी 82 के अंतिम सप्ताह में मृत्यु हो गयी।

चर्चित संगठन (पृष्ठ 8 का शेष)

स्थापित करके विनिमय प्रतिबन्धों को समाप्त करना। (5) सदस्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को समायोजित करने हेतु अल्पकालीन साख प्रदान करना। (6) इन उद्देश्यों के अनुरूप सदस्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की अवधि और सम्बद्ध घाटे के परिणाम को न्यूनतम करना आदि हैं।

वर्तमान समय में इसकी कुल सदस्य संख्या 139 है। और इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन (स. रा. अमेरिका) में है। अभी हाल में यह संगठन तब चर्चा का विषय बना जब 10 नवम्बर 81 को इसने भारत को 5.8 अरब डॉलर ऋण प्रदान करने की स्वीकृत दी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है।

• पोलिसारियो—यह पश्चिमी सहारा के शाहरोइ नामक जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला दल है जो वहाँ एक अलग स्वतन्त्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मोरक्को तथा अलजीरिया से संघर्षरत है। इसके प्रमुख नेता बदीर मुस्तफा सईद है। इसको अपने संघर्ष में लीबिया का समर्थन प्राप्त है।

• वारसा पैक्ट—मई 1955 में पूर्वी यूरोप के आठ साम्यवादी राष्ट्रों ने नाटो के प्रत्युत्तर में इस संगठन को जन्म दिया था। 1968 में अल्बानिया द्वारा सदस्यता त्याग करने के कारण इसकी अब कुल सदस्य सख्या सात है।

• एशियान—दक्षिण पूर्व के 5 राष्ट्रों-इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर तथा थाइलैण्ड ने 1967 में इस संगठन की स्थापना की।

• ओपेक—तेल निर्यातक देशों के इस संगठन का निर्माण 1961 में हुआ था। उस समय इसकी कुल सदस्य संख्या 13 है और मुख्य कार्यालय वियना में है।

• यूरोपीय आर्थिक समुदाय—रोम की संधि द्वारा 1957 में गठित इस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी सदस्य संख्या 10 है। ग्रीस इसका नया सदस्य है। ग्रीनलैण्ड ने इस वर्ष सदस्यता छोड़ दी।

• तेलुगु देशम—तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता एन टी रामाराव द्वारा आंध्र प्रदेश में गठित क्षेत्रीय राजनीतिक दल।

• खमेर रोग—कम्पूचिया के सत्ताच्युत राष्ट्राध्यक्ष पोल पॉट का दल जो चीन की सहायता से हेंग सामरिन की सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध कर रहा हैं।

• यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट—तमिष भाषियों का बहुमत वाला श्री लंका राजनीतिक दल जो तमिष भाषियों के लिये पृथक राज्य के निर्माण की माँग कर रहा हैं।

• झारखंड पार्टी—मध्य प्रदेश, बिहार, प. बंगाल तथा बिहार के संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के समीपवर्ती इलाकों में पृथक झारखंड राज्य की स्थापना हेतु आंदोलन के लिए गठित राजनीतिक दल। ■ ■

Competitive Exam. Books

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

*	1. Bank Recruitment Test	18.00
*	2. Railway Service Commission Exam.	18.00
	3. State Bank Prob. Officers' Exam.	40.00
*	4. Air-Force Recruitment Test.	20.00
*	5. Clerks' Grade & Steno Exam.	18.00
*	6. Civil Services' (Preliminary) Exam.	27.50
*	7. Ever Latest General Knowledge	3.00
*	8. Objective Type General Knowledge.	5.50
	9. यू. पी. (पी.सी एस.) परीक्षा गाईड	27.50
	10. मध्य प्रदेश (पी एस.सी.) परीक्षा गाईड	22.00
	11. राजस्थान लोक सेवा आयोग(R.A.S)गाईड	25.00
	12. Directory of Competitive Exams.	5.50
*	13. General Knowledge Refresher.	10.00
	14. Roorkee University Ent. Exam.	45.00
	15. MBA/NDA/CA/CDS/Entrance Exam.	27.50
*	16. Assistants Grade Exam.	25.00
*	17. Choicest Essays.	8.00

• हिन्दी संस्करण उपलब्ध है।

V P.P. Order के लिए 5/- रु. अग्रिम (Advance) भेजें।

मुफ्त सूचीपत्र (Catalogue), Postal Coaching सम्बन्धी जानकारी के लिए लिखें—

Bright Careers Institute

1525, NAI SARAK, DELHI-6

Phone : 269227

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

प्राचीन भारतीय संस्कृति

■ देवेन्द्र कुमार राय*

■ प्राचीन नगर : (नगर/स्थिति/महत्व)

- विक्रमशिला, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित, पाल नरेश धर्मपाल द्वारा 8 वीं शताब्दी ई के उत्तरार्द्ध में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध ।
- विदिशा, मध्यप्रदेश में बेतवा नदी के किनारे बेसनगर दशार्ण क्षेत्र की राजधानी, अशोक, महेन्द्र और अग्निमित्र शुंग से सम्बद्ध, हेलियोडोरस (तक्षशिला नरेश अंतियालकिडास द्वारा विदिशा के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा गया राजदूत) के गरूड़ स्तम्भ के लिए प्रसिद्ध ।
- शाकल, पाकिस्तान में स्थित स्यालकोट हिन्द-यवन शासकों की राजधानी, 'दिव्यावदान' के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ घोषणा की थी कि जो मुझे श्रमण-शिर देगा, उसे मैं सौ दीनार दूंगा ।
- श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में स्थित जैन केन्द्र, परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा यहाँ देहत्याग, 1981 ई. में चामुंड राय द्वारा गोमटेश्वर प्रतिमा का निर्माण ।
- श्रावस्ती, उत्तरप्रदेश में गोंडा जिले के बलरामपुर से लगभग 20 कि मी उत्तर बहराइच जिले में स्थित आधुनिक सहेट-महेठ, राप्ती के किनारे स्थित श्रावस्ती कोशल की राजधानी, गौतम बुद्ध ने 25 बार वर्षा ऋतु यहीं व्यतीत किया, अनाथपिंडिक द्वारा निर्मित जेतवन के लिए भी प्रसिद्ध ।
- सांची, मध्यप्रदेश में भोपाल के समीप प्राचीन नाम 'काकनाट' अथवा 'काकनादबाट,' बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध ।
- स्खलन्कि, बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों का प्राचीन नाम अशोक ने आजीविक सम्प्रदाय को गुफाएं प्रदान किया ।

■ संस्कृति : (समाज/कला/साहित्य/दर्शन)

1. प्राचीन भारत के प्रमुख प्रशस्ति अभिलेख—खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख; (प्रथम शताब्दी ई पू), समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति (चौथी शताब्दी; हरिषेण द्वारा रचित), स्कन्दगुप्त की भितरी प्रशस्ति; मन्दसोर प्रशस्ति (वत्सभट्टि द्वारा कुमारगुप्त II के शासन काल में रचित इस प्रशस्ति में कुमार गुप्त I की प्रशंसा है और क्रमशः मालव संवत् 493 (436 ई) और 529 (472 ई) की चर्चा भी हुई है); मन्दसोर प्रशस्ति (वासुल द्वारा रचित यशोधर्मन् की प्रशस्ति, 6 ठीं शताब्दी); ऐहोले प्रशस्ति (जैनधर्मावलम्बी रविकीर्ति द्वारा रचित पुलकेशिन II की प्रशस्ति, 7 वीं शताब्दी) ।

2. विदथ—ऋग्वेद में 'सभा' और 'समिति' के साथ विदथ का उल्लेख मिलता है । डॉ. ए. एस. अल्तेकर के अनुसार याज्ञिक अनुष्ठानों से सम्बद्ध विद्वानों की सभा थी, जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थीं । उत्तर वैदिक काल में इसका लोप हो गया ।

3. विवाह—विवाह के 8 प्रकार माने जाते हैं—ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच । इनमें से पहले 4 प्रशस्त बताए गये हैं ।

4. अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह—अनुलोम विवाह में उच्चवर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था और प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता था ।

5. तीन ऋण—देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण । मनु के अनुसार विधिपूर्वक वेद पाठ, यथाशक्ति याज्ञिक अनुष्ठान और धर्मानुसार पुत्रोत्पत्ति द्वारा ही इन से मुक्ति संभव है ।

6. पंच महायज्ञ—गृहस्थों के लिए यज्ञ करना आवश्यक था । पापों से मुक्ति के लिए पांच महायज्ञों का विधान था—ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन), पितृ यज्ञ (तर्पण), देवयज्ञ (देवाहुति), भूत यज्ञ (बलिवैश्वदेव करना) और नृ यज्ञ (अतिथि सत्कार) ।

7. उद्गाता-होता—सामवेद के विशिष्ट गायक को 'उद्गाता' और यजुर्वेद के मन्त्रों से यज्ञ करते हुए देवताओं का आह्वान करने वाले व्यक्ति को 'होता' कहते थे ।

8. प्रस्थान-त्रय—उपनिषद्, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र वेदान्त के प्रस्थान-त्रय कहे जाते हैं ।

9. पंचजन—विभिन्न कबीलों में विभक्त भारतीय

*प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्यों में 'पंचजन' अधिक प्रसिद्ध थे—अनु, द्रुह्य, यदु, तुर्वश और पुरू।

10. दशराज युद्ध—ऋग्वेद में उद्धृत पारस्परिक युद्ध। भरत-वर्ग के राजा सुदास ने जब विश्वामित्र के स्थान पर वसिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया, तब उन्होंने दश राजाओं का एक संघ बना कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परुष्णी (रावी) के तट पर हुए युद्ध में सुदास विजयी हुआ।

11. गंधार कला व मथुरा कला—महायान सम्प्रदाय से प्रभावित दोनों कलाओं का विकास कनिष्क-काल में हुआ। गंधार कला के प्रभाव में निर्मित मूर्तियों की विशिष्टताएं—(i) ये मूर्तियां स्लेटी पत्थर की हैं। (ii) ये प्रायः बौद्ध विषयों से सम्बद्ध हैं, परन्तु इनके निर्माण में यूनानी शैली का भी उपयोग किया गया है। (iii) इनमें वस्त्रों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। (iv) इनमें अतिवादिता भी लक्षित होती है। डा. एस. के. सरस्वती के अनुसार इन मूर्तियों में न तो व्यक्तित्व की सत्यता है और न तो भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति। मथुरा कला—सांची और भरहुत की स्वदेशी कला के सूत्र को लेकर विकसित मथुरा कला गंधार कला से भी प्रभावित है। मथुरा शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों की विशिष्टताएं-(i) ये मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की हैं। (ii) गंधार शैली की मूर्तियों की भांति इस शैली की बुद्ध प्रतिमाओं के चारों ओर प्रभामंडल है। (iii) मूर्तियां बहुधा एकांसिक (एक कन्धा ढका हुआ) हैं। (iv) यक्ष-यक्षिणी की प्रतिमाओं में कामुकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रदर्शन है।

12. हीनयान और महायान का अन्तर—(1) हीनयान केवल 'तथागत' की शिक्षाओं पर आधारित है, परन्तु महायान ने उनके अतिरिक्त प्रत्येक बुद्ध और बोधिसत्व की शिक्षाओं को भी स्वीकार किया। (2) हीनयान की इकाई व्यक्ति है और महायान की इकाई सम्पूर्ण विश्व है। (3) हीनयान प्रमुखतया दर्शन है और महायान व्यवस्थित धर्म। (4) हीनयान में गौतम बुद्ध मात्र एक महापुरुष हैं और महायान में सर्वशक्तिमान देव। (5) हीनयान के सिद्धान्त कठिन हैं, जब कि महायान ने श्रद्धा-भक्ति को अपना कर स्वयं को जनसाधारण के लिए सुगम बनाया। (6) हीनयान का लक्ष्य अर्हत्-पद की प्राप्ति था, लेकिन महायान ने बोधिसत्व को अपना आदर्श बनाया।

13. अर्हत् और बोधिसत्व—अर्हत् उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी इच्छाओं का दमन करके जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है और निर्वाण प्राप्त कर लेता है। परन्तु निर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और दूसरों की निर्वाण प्राप्ति में सहायता करने के उद्देश्य से स्वयं अपना निर्वाण स्थगित करता जाता है।

14. त्रिरत्न—जैन धर्म के अनुसार—सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण। बौद्धधर्म के अनुसार-बुद्ध, धम्म (धर्म) और संघ।

15. चार आर्य सत्य—दुःख, दुःख-समुदाय, दुःख निरोध और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे सत्य का अनुगमन करके दुःख का निरोध किया जा सकता है। इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 अंग हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि।

16. पंच महाव्रत—जैन धर्म में इनकी प्रतिष्ठा है। ये 5 महाव्रत हैं—अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमें से 4 महाव्रतों की आवश्यकता को 23वें, तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने स्वीकार किया था। पांचवें महाव्रत के रूप में 24वें तीर्थंकर ने ब्रह्मचर्य को स्थापित किया।

17. जैन संगीति—जैन भिक्षुओं ने अपनी धर्म परम्पराओं को संग्रहीत करने के लिए 300 ई. पू. के लगभग पाटलिपुत्र में अपनी प्रथम संगीति (अधिवेशन) का आयोजन किया। द्वितीय संगीति का आयोजन दो स्थानों पर हुआ—आर्य स्कान्दिल की अध्यक्षता में मथुरा में और नागार्जुन सूरि की अध्यक्षता में वलभी में। तृतीय जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी ई. में देवर्धि के नेतृत्व में वलभी में हुआ।

18. बौद्ध संगीति—गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण (मृत्यु) के उपरान्त प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ। द्वितीय संगीति का आयोजन काकवर्ण (कालाशोक) के समय में वैशाली में और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुण्डल वन में हुआ, जिसमें महायान सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त हुई।

19. शिक्षा के प्रमुख संस्कार—विद्यारम्भ (घर में विद्याध्ययन का प्रारंभ), उपनयन (यज्ञोपवीत संस्कार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए आवश्यक था, इसके बाद विधिवत् शिक्षा शुरू होती थी), समावर्तन (शिक्षा समाप्ति के बाद यह संस्कार सम्पादित किया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है, गुरुकुल से 'शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना।

20. संगम साहित्य—इरैयनाकल वियलुरै नामक ग्रंथ में तमिल संघों (संगमों) का विवरण मिलता है। पाड्य शासकों की राजधानी मदुरै में क्रमशः तीन सभाओं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक साहित्यकार ... करण सम्मिलित हुए और अनेक ग्रंथों का प्रणयन तथा संकलन हुआ। सामान्यतया संगम साहित्य को ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित स्वीकार किया जाता है।

21. विमान—उत्तरकालीन भारतीय मंदिर को 'विमान' की संज्ञा दी गई।

22. जगमोहन—मंदिर से सम्बद्ध सभाकक्ष।

23. उत्तरमेरूर अभिलेख—10वीं शताब्दी में उत्तरमेरूर गाँव के मन्दिर की एक दीवाल पर उत्कीर्ण इस लेख से 'सभा' की कार्यवाही और चुनाव प्रणाली के विषय में सूचना मिलती है। चोल योग की स्थानीय शासन प्रणाली पर इससे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।

24. उर, सभा, नगरम्—चोलों की स्थानीय शासन प्रणाली से जुड़ी तीन समितियाँ। 'उर' में एक सामान्य गाँव के सभी वयस्क पुरुष करदाता सम्मिलित होते थे। 'सभा' में गाँव के ब्राह्मण नागरिक शामिल होते थे और 'नगरम्' व्यापारिक हितों से सम्बद्ध समिति थी।

25. एरिपट्टि—विशिष्ट भूखंड जिसकी आय से दक्षिण भारत में तालाबों की देख भाल की जाती थी।

26. अग्रहार—राजाओं द्वारा ब्राह्मणों दान-स्वरूप दिया गया भूखंड अथवा गाँव।

27. स्त्री धन—विवाहित स्त्रियों को उपहार स्वरूप दिए गए वस्त्राभूषण का स्त्री-धन की संज्ञा प्राप्त थी जिसका महत्व क्रमशः बढ़ता गया। स्मृतियों में इसकी चर्चा बार-बार मिलती है। मनु के अनुसार 'कन्या को पतिगृह जाते समय माता-पिता द्वारा स्नेहवश दिया गया धन स्त्री-धन है।' मनु और विज्ञानेश्वर ने स्त्रीधन के क्रमशः 6 प्रकार बताये हैं। शास्त्रकारों ने स्त्रीधन की अधिकारिणी पुत्री को ही बताया है।

28. महामोक्षपरिषद्—हर्षवर्द्धन प्रत्येक पाँचवें वर्ष प्रयाग में इसका आयोजन करता था जिसमें वह अपना सर्वस्व दान कर देता था। 643 ई. में आयोजित छठी पंचवर्षीय महामोक्षपरिषद् में चीनी यात्री ह्वान च्वांग भी सम्मिलित हुआ था।

29. वार्ता—प्राचीन काल में धनोपार्जन से सम्बद्ध विषय के लिए 'वार्ता' शब्द का प्रयोग किया जाता था।

30. भाग—मनु के अनुसार कृषि की उपज का जो छठां भाग राजा को प्राप्त होता था, वह भाग कहलाता था।

31. बलि—ऋग्वेद में राजाओं को प्राप्त होने वाले उपहार को 'बलि' कहा गया है। कालांतर में यह प्रजा द्वारा उत्पादित अन्न से राज-भाग के रूप में लिया जाने लगा।

32. उद्बलिक—करमुक्त। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपनी यात्रा के समय लुम्बिनी को 'तथागत' की जन्मस्थली होने के कारण करमुक्त कर दिया था। इस लेख में इसी शब्द का प्रयोग है।

33. भोग—समय-समय पर प्रजा द्वारा राजा को प्राप्त होने वाली वस्तुएं 'भोग' के अंतर्गत गिनी जाती थी।

34. उद्रंग-कर-उपरिकर—भूमि पर स्थायी रूप से रहने वाले किसानों से 'उद्रंग-कर' लिया जाता था और अस्थायी किसानों से 'उपरि-कर'

35. उदक भाग सिंचाई के साथ उपलब्ध होने पर उस पर लिया जाने वाला कर 'उदक भाग' कहा जाता था।

36. व्यवहार—हेमचन्द्र ने क्रय-विक्रय के लिए 'व्यवहार' शब्द का प्रयोग किया है, जो व्यापार का व्यापक अर्थ व्यंजित करता है।

37. द्रव्यक—हेमचन्द्र ने बड़े व्यापारियों के लिए 'द्रव्यक' शब्द का प्रयोग किया है। जो व्यापारी पूंजी लगा कर माल ले आते थे और उसकी स्वयं व्यवस्था करते थे, 'द्रव्यक' कहे जाते थे।

38. विष्टि—बेगार। 'अर्थशास्त्र' में इसका प्रयोग सबसे पहले मिलता है।

39. प्रणय—शासन द्वारा आपात स्थिति में लगाया गया कर।

40. समय—साझेदारों में होने वाले व्यवहार सम्बन्धी समझौते को स्मृतियों में 'समय' कहा गया है।

41. भूतप्रत्याय—गुप्त कालीन लेखों में 'भूतप्रत्याय' नामक कर का उल्लेख मिलता है जो डॉ अल्तेकर के अनुसार स्थान पर उत्पन्न (भूत) होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। संभवतः यह नशीली वस्तुओं पर लगाया जाता था।

42. प्रातिवेधनिक कर—नगर में प्रयुक्त वस्तुओं पर राजकीय मुहर लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यापारियों पर लगाया जाने वाला गुप्तयुगीन कर।

43. कुमार—मौर्य काल में दूर स्थित प्रांतों के राज्यपालों को, इस नाम से सम्बोधित किया जाता था। 'अर्थशास्त्र' के अनुसार इनका वार्षिक वेतन 12000 पण था।

44. कारुकर—कारीगरों से लिए जाने वाले उद्योग-कर को गुप्त युग में 'कारुकर' की संज्ञा प्राप्त थी।

45. सान्धिविग्रहिक—गुप्त काल में शांति और युद्ध का मंत्री। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिषेण 'कुमारामात्य' और 'महादण्डनायक' होने के साथ-साथ समुद्रगुप्त का सान्धिविग्रहिक भी था। चन्द्रगुप्त II के शासन काल में शाब-वीरसेन इस पद पर आसीन था। उदयगिरि के शैव गुहा लेख के अनुसार उसने यह पद वंश, परम्परा के आधार पर प्राप्त किया था। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्द महासागर में महाशक्ति स्पर्धा : क्या शांति क्षेत्र सम्भव है ?

* डॉ० नरेन्द्र सिंह चौधरी व + प्रो० श्रीमती सुधा सिंह

सामुद्रिक शक्ति के सैन्य-विशेषज्ञ अल्फ्रेड महान ने कहा था—'जो भी हिन्द महासागर पर नियन्त्रण कर लेगा वह एशिया को अपने प्रभुत्व में रखेगा। यह समुद्र सातों समुद्रों की कुंजी है। इक्कीसवीं सदी में विश्व के भाग्य का निर्णय इसी के जल में होगा।' एडमिरल महान के ये शब्द आज सत्य प्रमाणित हो रहे हैं। भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपनी हाल की नौ दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान 2 अगस्त को न्यूयार्क में विदेश नीति एसोसियेशन द्वारा आयोजित दिवस भोज में भाषण करते हुए कहा था—'हमारे उपमहाद्वीप पर शीतयुद्ध निकट आता जा रहा है क्योंकि उस क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारों की भरमार कर दी गयी है तथा हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों को नौसैनिक प्रतिद्वन्द्विता सघन हो गयी है जिसने शीतयुद्ध, लेबनान पर इजरायली हमला तथा आणविक व अन्य खतरनाक हथियारों की जखीरेबाजी को बढ़ावा दिया है।'

इतिहास में पहले कभी हिन्द महासागर में महाशक्तियों के नौसैनिक बेड़ों का इतना बड़ा जमघट नहीं देखा गया जितना कि आज है। शान्ति क्षेत्र बनने की परिकल्पना वाला समुद्र आज युद्ध-क्षेत्र बनता जा रहा है। इसके निर्जन द्वीपों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सैनिक अड्डों में परिवर्तित किया जा रहा है। आणविक पनडुब्बियाँ इसके नीले जल के अन्दर विश्व के सर्वाधिक विनाशकारी हथियार लेकर विचरण कर रही हैं। विशालकाय विमान वाहकों से उड़कर वायुयान इसके निर्जन आकाश में निगरानी करते हैं। इस प्रकार, हिन्दमहासागर में महाशक्तियों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से समस्त एशिया का क्षेत्र तनावग्रस्त हो गया है जिसे अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ने अधिक उग्र बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध का गुरुत्वाकर्षण केन्द्र मध्य पूर्व से हटकर हिन्द महासागर क्षेत्र की ओर परिवर्तित हो गया है।

हिन्द महासागर का कूटयोजनात्मक महत्व—

हिन्द महासागर की कूटयोजनात्मक महत्ता प्राचीनकाल से ही सर्वाधिक रही है। ब्रिटेन, फ्रान्स, हालैण्ड, स्पेन व पुर्तगाल ने इसी समुद्र से होकर एशिया के अधिकतर भाग को विजित कर लिया था। लगभग तीन शताब्दियों तक हिन्द महासागर पर ब्रिटेन का प्रभुत्व रहा। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से इस क्षेत्र में एक शक्ति-शून्यता आ गयी जिसका अन्य महाशक्तियों ने लाभ उठाया और हिन्द-महासागर में अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करके अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया जिसने महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। आज हिन्द-महासागर में महाशक्तियों की इस स्पर्धा ने इस क्षेत्र के राष्ट्रों के लिए भारी असुरक्षा का वातावरण और परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न कर दिया है।

भौगोलिक दृष्टि से, हिन्द महासागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है जिसका 28 मिलियन वर्गमील क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक और कन्याकुमारी से अन्टार्कटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है। विश्व

* डॉ० नरेन्द्र सिंह चौधरी, एम० ए०, पी-एच० डी०, महासचिव अखिल भारतीय सैन्य-अध्ययन शिक्षक महासंघ एवं उपाध्यक्ष उ० प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ, प्रवक्ता सैन्य-अध्ययन विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली।

+ प्रो० श्रीमती सुधा सिंह, प्रवक्ता, सैन्य-अध्ययन विभाग, एस० एस० वी० पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज, हापुड़ (गाजियाबाद)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की जनसंख्या का 1/3 भाग इस क्षेत्र के देशों में रहता है। इसके तटीय राष्ट्र दक्षिणी अफ्रीका, सोमालीलैण्ड, भारत, मलयेशिया, इन्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया है। महत्वपूर्ण सम्पर्क राष्ट्र इथोपिया, सूडान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांगलादेश. व वर्मा हैं। स्वतन्त्र द्वीपों पर बसे देशों में श्री लंका, मालदीव द्वीपसमूह, मेडागास्कर और मारीशस हैं।

इन देशों में महाशक्तियों के सर्वाधिक आकर्षण की वस्तु वहाँ उत्पन्न होने वाला खनिज तेल है जो विश्व के कुल तेल रिजर्व का 50 प्रतिशत है। विश्व भर में समुद्री तह से निकलने वाले तेल का 40 प्रतिशत हिन्द महासागर की तलहटी से निकलता है। इसके अलावा अफ्रीका में सोने का विपुल भण्डार है।

अतः जो भी शक्ति स्वेज-नहर तथा मलक्का जलडमरूमध्य पर प्रभुत्व रख सकेगी वही हिन्द महासागर व इसकी सम्पदा पर नियन्त्रण करने की स्थिति में होगी। खाड़ी के क्षेत्र से तेल निर्यात को सुनिश्चित रखने के लिये भी हिन्द महासागर पर प्रभुत्व रखना जरूरी है। इस तरह हिन्द महासागर की कूटयोजनात्मक स्थिति सोवियत औद्योगिक विकास के विरुद्ध अमेरिका के लिए कूटयोजनात्मक हथियारों के फैलाव का आकर्षण प्रदान करती है जहां से सोवियत संघ के औद्योगिक केन्द्रों को सरलता से लक्ष्य बनाया जा सकता है।

डियागोगार्सिया—

हिन्द महासागर के अन्दर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप भी हैं जिनका अत्यधिक कूटयोजनात्मक महत्व है। इनमें डियागोगार्सिया विश्व आकर्षण का केन्द्र बन गया है। **इस द्वीप की दूरी दक्षिणी अफ्रीका से 2000 मील, मारीशस से 1000 मील, मालदीव से 1000 मील, श्रीलंका से 1250 मील, कोचीन से 1500 मील, इन्डोनेशिया से 800 मील और आस्ट्रेलिया से 2500 मील है।**

भारत के दक्षिण में लगभग 1000 मील की दूरी पर स्थित डियागोगार्सिया द्वीप छोटे 'V' के आकार का है जिसे मारीशस से ब्रिटेन ने झपट लिया था और बाद में अमेरिका को किराये पर दे दिया। अमेरिका ने इसे अत्याधुनिक नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करना प्रारम्भ कर दिया।

डियागोगार्सिया 13 मील लम्बा व 4 मील चौड़ा द्वीप है जो कि बन्दरगाह के लिए उपयुक्त स्थल और वायुसैनिक अड्डे के लिए आदर्श स्थान है। सन् 1965 में ब्रिटेन व अमेरिका ने यहां 19 मिलियन डालर की लागत से नौसैनिक संचार-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया और 1973 तक अमेरिका ने यहाँ 8000 फुट लम्बी हवाई पट्टी व एक संचार-केन्द्र स्थापित कर दिया। जुलाई 1975 में इस अड्डे के विस्तार के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 29 मिलियन डालर स्वीकृत किये ताकि वहाँ पर 30 दिन तक एक विमानवाहक से युक्त नौसैनिक बेड़े को रुकने की सुविधा विकसित की जा सके। इसके अन्तर्गत पन्डुब्बियों और विमानवाहक युद्धपोतों के ठहरने; 3,80,000 बैरल ईंधन वायुयानों के लिए तथा 3,20,000 बैरल तेल समुद्री जहाजों के लिए भन्डारण करने की क्षमता विकसित करने का प्रावधान था। हवाई-पट्टी का विस्तार 8000 हजार फुट से बढ़ा कर 12000 फुट कर दिया गया ताकि वहाँ पर सी-130 और सी-141 माल-वाहक विमानों, दूरमारक बमवर्षकों, यू०-2 जासूसी विमानों और बी-52 बमवर्षकों को ईंधन की आपूर्ति के लिए के० सी०-135 हवाई टैंकरों की सुविधायें प्रदान की जा सकें। नौसैनिक संचार-केन्द्र का सम्पर्क पोलारिस पन्डुब्बियों से जोड़ दिया गया।

डियागोगार्सिया के इस त्वरित विस्तार ने विश्व के देशों को आश्चर्य-चकित कर दिया जिसके फल-स्वरूप हिन्द महासागर में महाशक्तियों के बीच शक्ति-स्पर्धा प्रारम्भ हो गयी।

महाशक्तियों की शक्ति-स्पर्धा—

हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक क्षमता व गतिविधियों के विस्तार में लगी प्रमुख शक्तियाँ ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका व रूस हैं। जबकि ब्रिटेन की इच्छा हिन्द महासागर में अपने वैधानिक हितों की सुरक्षा करने की है, फ्रान्स की नीति हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति बनाये रखकर, खाड़ी से आयातित तेल आपूर्ति की सुरक्षा करने की है।

हिन्द महासागर में प्रमुख शक्ति स्पर्धा अमेरिका व सोवियत संघ के बीच है।

अमेरिका—अमेरिका हिन्द महासागर में अपने नौसैनिक बेड़े को स्थायी रूप से स्थापित करने के बजाय, अपनी नौसैनिक क्षमता का इतना विस्तार कर रहा है कि वह अल्प समय में ही भारी सैन्य-शक्ति इस क्षेत्र में जुटा सके। अमेरिका ने हिन्द महासागर क्षेत्र में संचार केन्द्रों व नौसैनिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अड्डों का जाल बिछाना प्रारम्भ कर दिया है जिन्हें कभी भी स्थायी अड्डों में परिवर्तित किया जा सकता है। अमेरिकी नौसैनिक कूटयोजना में आस्ट्रेलिया का प्रमुख स्थान है क्योंकि उसकी योजना आस्ट्रेलिया व हिन्द महासागर के अड्डों में निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने की है और आस्ट्रेलिया को भी इससे न्यूनतम लागत पर समुद्री मार्गों की व अपनी सुरक्षा प्राप्त होती है।

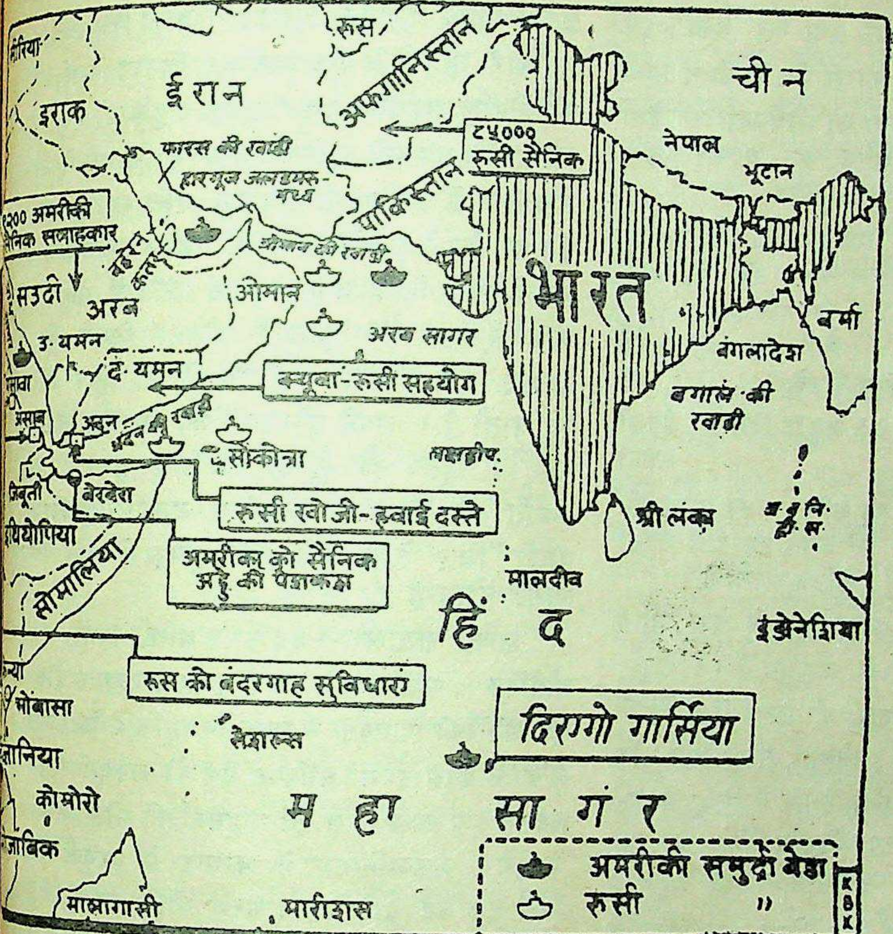

तेल-स्रोतों के विपुल भण्डार के कारण खाड़ी-क्षेत्र अमेरिका व सोवियत संघ सहित विभिन्न शक्तियों की स्पर्धा का केन्द्र बन गया है जिसके सभी मार्ग हिन्द महासागर से होकर गुजरते हैं। अमेरिका इस क्षेत्र को विदेशी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहता है जिसके लिए उसने इस क्षेत्र में प्रभावशाली सैन्य-क्षमता रखने का निर्णय लिया है। जनवरी, 1975 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री हेनरी किसिंजर ने कहा था—'मैं यह कदापि नहीं कह रहा कि यदि तेल उत्पादक देशों ने औद्योगिक विश्व को तेल आपूर्ति बन्द करने की धमकी दी, तो भी हम शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।'

वियतनाम युद्ध के बाद से असाधारण नौसैनिक वृद्धि फलस्वरूप अमेरिका हिन्द महासागर की एक प्रमुख शक्ति गया है। पहले ईरान व बाद में अफगान-संकट की आड़ अमेरिका ने हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किये हैं। ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि सोमालिया का बरबेरा नौसैनिक अड्डा अमेरिकी नियन्त्रण में रहे कि अमेरिका लालसागर, फारस की खाड़ी व हिन्द महासागर के क्षेत्र पर नियन्त्रण बनाये रख सके। मिस्र का सागर के तट पर स्थित रासबेनास बन्दरगाह भी अमेरिकी प्रभाव में है, केन्या का माम्बासा नौसैनिक अड्डा अमेरिकी जहाजों को सुविधायें प्रदान करता है और करांची बन्दरगाह अमेरिका को पूर्ण सैन्य सुविधायें देता है।

वाशिंगटन के नौसैनिक सूत्रों के अनुसार, हिन्द महासागर के क्षेत्र में इस समय 32 अमेरिकी युद्धपोत व सहायक पोत उपस्थित हैं। फ्रान्स के भी 12 पोत हिन्द महासागर में है। इसके विपरीत सोवियत संघ के 21 पोत हैं जो अधिकतर गैर लड़ाकू हैं।

हिन्द महासागर में डियागोगार्सिया को एक अत्याधुनिक व सुदृढ़ नौसैनिक व परमाणु अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसके लिए 25 बिलियन डालर की लागत से त्वरित विस्तार सेना (Rapid Deployment Force) का गठन किया गया है।

त्वरित विस्तार सेना (R. D. F.)--जब कार्टर प्रशासन ने खाड़ी क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए अत्यधिक गतिशील

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूनिटों से सज्जित विशेष लड़ाकू दल के गठन की वकालत की थी उस समय इसे कम समर्थन मिला था। केवल मार्च, 1980 के बाद ही कार्टर प्रशासन ईरानी क्रान्ति और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के कारण विशेष कार्यकारी सेना के गठन के बारे में जन-समर्थन प्राप्त कर सका। इस त्वरित विस्तार सेना का उद्देश्य फारस की खाड़ी व हिन्द महासागर के देशों में तीव्रता से सेना की मोर्चेबन्दी कर देना है। इस विशेष सैन्य बल की शक्ति का विवरण निम्न प्रकार है—

नाविक एवं सैनिकों की संख्या	1,50,000
वायुयान	230
मालवाहक जहाज	4
क्रूजर व विध्वंसक पोत	16
विमानवाहक-निमित्ज़, किटीहाक व मिडवे	3
बी-52 बमवर्षक, एफ० वी०-111 लड़ाकू विमान	सैकड़ों
सामरिक परमाणु बम	अज्ञात

इस तरह आर० डी० एफ० का अन्तिम लक्ष्य फारस की खाड़ी व हिन्द महासागर के क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में रखना तथा अरब तेल क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना है।

वर्तमान स्थिति—हिन्द महासागर में इस समय 12,000 अमेरिकी सैन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। सिंगापुर, श्रीलंका, मारीशस व केन्या में हजारों की संख्या में अमेरिकी नाविक व नौसैनिक उपस्थित हैं। ओमान, सोमालिया और बरांची को अमेरिकी सेना के तीव्र फैलाव के लिए, अत्याधुनिक नौसैनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। पूर्व में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों को सहायता करने के लिये आस्ट्रेलिया स्थित है। हिन्द महासागर के लिये अन्तिम योजनायें उन्हीं व्यक्तियों द्वारा तैयार की गयी हैं जिन्होंने वियतनाम युद्ध के लिए योजना बनाई थी। ये व्यक्ति हैं—राबर्ट कोमर, एडमिरल जुम्वाल्ट व एडमिरल लाना, हेनरी किसिंजर।

सोवियत संघ—हिन्द महासागर में अमेरिका की प्रमुख प्रतिद्वन्दी शक्ति सोवियत संघ है जो कि इस क्षेत्र में अपने कूटयोजनात्मक व सामरिक उद्देश्य रखती है। सोवियत संघ महाशक्ति होने के कारण शक्ति प्रदर्शन हेतु, तटीय राष्ट्रों पर अपना राजनीतिक प्रभाव बनाये रखने के लिये और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का प्रत्युत्तर देने के लिए हिन्द महासागर में अपनी सीमित नौसैनिक उपस्थिति बनाये हुये है। मार्च 1968 में 5 युद्धपोतों का पहला सोवियत स्क्वेड्रन मद्रास पहुँचा था। तब से सोवियत नौसैनिक बेड़े शक्ति प्रदर्शन या मैत्री प्रदर्शन के उद्देश्य से हिन्द महासागर में आते रहते हैं।

एक अनुमान के अनुसार 30 जहाजों का एक सोवियत नौसैनिक बेड़ा इस समय हिन्द महासागर में कार्यरत है जिसमें से एक तिहाई युद्धपोत, तिहाई पन्डुब्बियाँ और शेष जासूसी व संचार सुविधा से युक्त जहाज हैं जिनका कार्य अमेरिका की परमाणु शक्ति से युक्त पोलरिस पन्डुब्बियों पर निगरानी रखना है। पश्चिमी सूत्रों का कथन है कि रूस ने भी हिन्द महासागर में एक स्थायी नौसैनिक शक्ति स्थापित कर रखी है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ का उद्देश्य सैनिक न होकर राजनीतिक प्रतीत होता है। जुलाई 1974 में सोवियत सेनाध्यक्ष ने कहा था—'हमारी नौसेना किसी के लिए खतरा नहीं है और न ही किसी के हित को चोट पहुँचाती है। अपने सीमान्तों की सुरक्षा करने और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हमारी नौसेना स्थिति को स्थिर व सन्तुलित बनाती है जिससे कि हमारे मित्र देशों में अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास जागृत होता है।'

शक्ति सन्तुलन—इस समय शक्ति स्पर्धा का लक्ष्य नौसैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करना है। हिन्द महासागरीय देश के एक अमेरिकी राजदूत ने स्पष्ट किया कि शक्ति सन्तुलन का अंकलन करते समय सोवियत संघ की अफगानिस्तान स्थित लगभग एक लाख स्थल एवं वायुसेना को भी दृष्टिगत रखना चाहिये। अफगानिस्तान में कन्धार से हरमुज जलडमरूमध्य तक जेट द्वारा उड़ान भरके थोड़ी देर में पहुँचा जा सकता है। अफगानिस्तान स्थित सोवियत सेनायें ईरान की खाड़ी के किसी क्षेत्र पर आक्रमण करने में सक्षम हैं। इसके अलावा इथोपिया में कुछ सोवियत व पूर्वी जर्मनी के सैनिक तथा 13000 क्यूबाई सैनिक हैं।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि सोवियत संघ हिन्द महासागर के एक द्वीप डियागोस्वारेज को प्राप्त कर लेगा जो कि योरप को तेल ले जाते समय महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को कमान्ड करता है। इस ओर से अमेरीकी प्रशासन को सचेत करते हुए अमेरिका की सशस्त्र सेना कमेटी के समक्ष फरवरी 1981 में कमान्डर राबर्टलॉग ने कहा था—'सोवियत सेनायें फारस की खाड़ी के तेल पर नियन्त्रण प्राप्त करने और गर्म पानी के बन्दरगाहों तक पहुँचने के लिए मार्ग प्राप्त करने की कार्यवाही कर रही हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

…गानिस्तान में भारी सैन्य-शक्ति के साथ इथोपिया …र दक्षिणी यमन में उपलब्ध समुद्री व हवाई सुवि-…ओं का प्रयोग करके एवं क्षेत्र के अन्य बन्दरगाहों …उपलब्ध मार्गों से सोवियत सेनायें हिन्द महासागर …आस-पास भारी मात्रा में अपनी उपस्थिति में वृद्धि …र रहीं हैं……हम राष्ट्रीय सुरक्षा योजना को ऐसी …योजना पर आधारित नहीं कर सकते जिससे हिन्द …ासागर व प्रशान्त महासागर के पश्चिमी भाग में …वियत संघ का प्रभाव विकसित हो।'

तर्क कुछ भी दिये जायें परन्तु इस शक्ति संतुलन की …ड़ में हिन्द महासागर क्षेत्र में महाशक्तियों की शक्तिस्पर्धा …निरन्तर खतरनाक स्तर तक वृद्धि होती जा रही है।

…न्य राष्ट्रों की प्रतिक्रिया—

इस प्रकार से हिन्द महासागर में अमेरिका और सोवि-…त संघ की शक्ति में लगातार वृद्धि से इस क्षेत्र के 36 देशों …गम्भीर चिन्ता होने लगी है और ये राष्ट्र पूरब और …श्चिम दोनों ओर से अपनी सुरक्षा को खतरा अनुभव …रते हैं। इन राष्ट्रों का ध्रुवीकरण भी दो गुटों में विभाजित …गया है। एक गुट का विचार है कि हिन्द महासागर …महाशक्तियों से मुक्त करके इसे शान्ति क्षेत्र घोषित कर …या जाये। दूसरे गुट का तर्क है कि वास्तविक सुरक्षा प्राप्त …रने के लिये हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों की सन्तु-…लित उपस्थित हो।

भारत, हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का प्रबल …मर्थक है जो कि सन् 1964 से ही निर्गुट राष्ट्रों के मंच …से इस मांग के समर्थन में सक्रियता के साथ उपयोग करता …आ रहा है। दूसरी ओर मलयेशिया, सोमालिया और …सिंगापुर आदि राष्ट्र सन्तुलित उपस्थिति के विचार के …समर्थक है।

हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र के रूप में—

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का …प्रस्ताव सर्वप्रथम 1964 में काहिरा में आयोजित निर्गुट …राष्ट्रों के सम्मेलन में रखा गया था। सम्मेलन में भाग लेने …वाले देशों ने हिन्द महासागर को परमाणु शक्ति-रहित …क्षेत्र भी बनाने का समर्थन किया। सितम्बर 1970 में …लुसाका में आयोजित निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन में भाषण …करते हुये प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था—

'हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर एक शान्ति व सह-योग का क्षेत्र बने क्योंकि बाहरी शक्तियों के सैनिक अड्डे यहाँ पर तनाव और शक्ति स्पर्धा उत्पन्न करते हैं।' इस पक्ष का तर्क है कि हिन्द महासागर में प्रवेश के लिए चार प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार-स्वेज़ नहर, मलक्का जलडमरूमध्य, आस्ट्रेलियन तट और दक्षिणी अफ्रीकी अन्तरीप-पश्चिम समर्थक राष्ट्रों द्वारा नियन्त्रित हैं। मारी-शस के नये प्रधान मन्त्री ने डियागोगार्सिया को मारीशस का अधिकृत क्षेत्र घोषित किया है और अमेरिका से इस द्वीप को खाली करने की मांग की है। उन्होंने वहां पर स्थित अमेरिकी नौ सेना के लिए ताजे फलों की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी है।

शान्ति क्षेत्र के प्रस्ताव को उस समय गति मिली जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसम्बर 1971 को 'हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने' का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महासभा ने महा शक्तियों का आह्वान किया कि वे हिन्द महासागर के मामले में क्षेत्र के देशों से वार्ता करें, साथ ही महासभा ने हिन्द महासागर के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए एक तदर्थ समिति भी गठित की जिसका सम्मेलन जुलाई 1981 में होना था।

अगस्त 1972 में निर्गुट राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के के जार्ज टाउन में सम्पन्न सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा का अनुमोदन कर दिया गया। बाद में निर्गुट राष्ट्रों के अल्जीयर्स सम्मेलन (सितम्बर, 73) हवाना सम्मेलन (मार्च 1975), लीमा सम्मेलन (अगस्त 1977), और श्रीलंका सम्मेलन (मई 1979) में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्या शान्ति क्षेत्र सम्भव है?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन् 1971 में 46 सदस्यों की जो एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी, उसे दस वर्षों तक इस घोषणा के प्रभावों का अध्ययन करने और उसके आधार पर एक व्यापक सम्मेलन आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया। इस बीच तदर्थ समिति की अनेक बैठकें हो चुकी हैं। 3 अगस्त को समिति की तीन सप्ताह की बैठक जेनेवा में पुनः प्रारम्भ हुई है जो इस वर्ष में तीसरी है। पहली बैठकों में समिति ने एक सात सूत्री कार्यक्रम तैयार किया जिसमें महा-शक्तियों के सैनिक अड्डों को समाप्त करने, इस क्षेत्र को परमाणु अस्त्रों से मुक्त रखने और सभी देशों के जहाजों को निर्बाध आने जाने की सुविधा शामिल है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निःसन्देह रूप से हिन्द महासागर में शान्ति और सुरक्षा की समस्या इस समय काफी गम्भीर और महत्वपूर्ण है। महाशक्तियों की होड़ के फलस्वरूप यह विश्व के सर्वाधिक तनावग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। विगत 11 वर्षों की अवधि में यहाँ छोटे-बड़े अनेक विस्फोट हो चुके हैं। स्थिति आज भी विस्फोटक बनी हुई है। पश्चिमी एशिया का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। अफगानिस्तान व कम्पूचिया किसी न किसी रूप में हिन्द महासागर से जुड़े हैं।

अमेरिका किसी न किसी बहाने हिन्द महासागर में शक्ति संचय और शक्ति प्रदर्शन करता रहा है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान, 1973 के अरब-इजराइल संघर्ष में, 1980 में इराक-ईरान संघर्ष में और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के नाम पर अमेरिकी युद्ध-पोत और पनडुब्बियां हिन्द महासागर में शक्ति प्रदर्शन करती रही हैं। इतना ही नहीं 1973 के बाद से अमेरिकी प्रशासन ने हिन्द महासागर में स्थायी सैनिक अडडे स्थापित करने प्रारम्भ किये जिसमें डियागोगार्सिया द्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह द्वीप हमारे दक्षिणी तट से केवल 1000 मील दूर है और हमारे सभी सैनिक आर्थिक केन्द्र वहाँ स्थित दूर मारक बमवर्षकों तथा अन्य लड़ाकू विमानों की मार के अन्दर आते हैं।

राष्ट्रपति रीगन की एशियाई नीति का मूल यह है कि प्रशान्त महासागर में सातवें बेड़े की शक्ति को कम किये बिना हिन्द महासागर में स्थायी रूप से एक बड़ी नौ सेना रखी जाये जो कभी भी अवसर पड़ने पर तत्काल काम में लायी जा सके। इस क्षेत्र में नौ सैनिक तथा वायु सैनिक अडडों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये अमेरिकी प्रशासन ने 1982 के वित्तीय वर्ष में 74.66 करोड़ डालर की राशि निर्धारित की है। पाँच वर्षों के लिये राशि निर्धारण 3000 करोड़ डालर से भी अधिक हो जायेगा। 1980 में अमेरिका को हिन्द महासागर तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में 13 सैनिक अडडों की सुविधा प्राप्त थी जब कि 1981 में यह संख्या बढ़कर 21 हो गयी। 1977-78 की तुलना में इस क्षेत्र में अमेरीकी युद्ध पोतों की संख्या 1980-81 में पाँच गुनी हो गयी। उसके 200 सेनावाहक विमान इस क्षेत्र में है तथा और भी नये परिवहन विमान जुटाये जा रहे हैं। डियागोगार्सिया में परमाणु तथा रासायनिक हथियारों का भन्डार बनाया जा रहा है।

भारत के लिये यह समस्या और भी गम्भीर और महत्वपूर्ण है क्योंकि हिन्द महासागर की प्रतिस्पर्धा एवं परमाणु शक्ति संचय के कारण सर्वाधिक खतरा भारतीय सुरक्षा को है। भारत की लगभग 5700 कि० मी० लम्बी समुद्री सीमा है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में छोटे बड़े उसके 1200 द्वीप है। इनमें अन्डमान निकोबार जैसे महत्वपूर्ण द्वीप भी हैं। महासागर में 200 मील तक उसका आर्थिक क्षेत्र हैं। इसी में बम्बई हाई है जहाँ से हमें भारी मात्रा में तेल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हिन्द महासागर में शान्ति और सुरक्षा का प्रश्न हमारी अपनी सैनिक तथा आर्थिक सुरक्षा से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। यही नहीं पश्चिमी एशिया का विपुल तेल भन्डार इसी क्षेत्र में है। महाशक्तियों की सैनिक उपस्थिति भारत के लिये विशेष रूप से चिन्ता का विषय है। इसके साथ ही हम अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति की भी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान से भारत को वास्तविक खतरा है।

अब प्रश्न यह उठता है कि उक्त खतरनाक परिस्थितियों में, हिन्द महासागर में महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उठते हुए परमाणु तूफान के कारण, लेबनानसंकट के कारण सुलगता हुआ पश्चिम एशिया; ईरान-इराक युद्ध के बदलते तेवर, चीन-पाक-अमेरीकी धुरी का विकास तथा महाशक्तियों के कूटनीतिक स्वार्थों के बावजूद क्या हिन्द महासागर शांति क्षेत्र बन सकेगा?

आश्चर्य यह है कि किसी भी महाशक्ति की सीमायें हिन्द महासागर से नहीं मिलती किन्तु स्वार्थ सीमायें नहीं देखता। शताब्दियों से यह क्षेत्र पश्चिमी राष्ट्रों के शोषण का केन्द्र रहा है। अब भी खाड़ी के क्षेत्रों से तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने, अपने गुट के राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करने, व्यापार एवं व्यवसाय के लिये महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को नियन्त्रण में रखने तथा सैनिक शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य से महाशक्तियाँ व्यावहारिक रूप से हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाना पसन्द नहीं करेंगी। यद्यपि सोवियत संघ ने शान्ति क्षेत्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है परन्तु आफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति ने हिन्द महासागर में शक्ति स्पर्धा को और उग्र कर दिया है जिसके फलस्वरूप हिन्द महासागर किसी भी क्षण शान्ति क्षेत्र के बजाय युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है।

इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा और प्रस्तावित सम्मेलन का महत्व स्पष्ट हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत सहित इस क्षेत्र के सभी देश एक जुट होकर इस दिशा में प्रयास करें और इन सभी का हित भी इसी में है कि हिन्द महासागर को शान्ति और सुरक्षा का क्षेत्र घोषित किया जाये तथा महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से इसे मुक्त रखा जाये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था

□ अनिल त्रिपाठी, राजनीतिशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (New International Economic order) नव स्वतन्त्रता प्राप्त एवं निवेशवाद तथा साम्राज्यवाद से मुक्त नये राज्यों तथा विकसित अथवा विकासशील राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय र पर आर्थिक सम्बन्धों की ऐसी व्यवस्था के निर्माण का न है जो विश्व के सभी देशों के सम्बन्धों को उनकी क और सामाजिक व्यवस्था से परे समदृष्टि, समानता, निर्भरता, समान हितों एवं सहयोग पर आधारित ता है। यह पूंजीवाद के विकास से पनपी आदमखोर स्थितियों के खिलाफ एक किस्म का जेहाद है जो तृतीय तथा विकसित राष्ट्रों के मध्य व्याप्त आर्थिक विषम- ओं को पार कर वर्तमान तथा भावी विश्व के लिए क तथा सामाजिक न्याय जैसे आदर्शों को गतिशील ना चाहती है। आज विश्व दो खेमों में बंटा है। एक में पूंजी और विकास का केन्द्रीयकरण तथा दूसरे में निर्धनता व्याप्त है। विकासशील राष्ट्रों में विश्व जन- का 70% भाग निवास करती है पर विश्व आय का 6% उनके हिस्से में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया की 6 प्रतिशत जनता निवास करती है पर वह तक उपलब्ध विभिन्न खनिज तथा ऊर्जा स्रोतों के 35 शत भाग का उपभोग करता हैं। आज की आवश्यकता भागिता और सहयोग पर आधारित ऐसी अंतर्राष्ट्रीय क पद्धति की जो गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की ता को दूर कर सके नहीं तो यह विश्वशान्ति और के लिए एक खतरा बन जायेगी।

आज विकासशील राष्ट्रों की विकसित राष्ट्रों पर ता कम हो रही है। और कहीं-कहीं तो विकसित अपने विकास के लिये बुरी तरह विकासशील देशों पर र हैं। अनेक विकसित राष्ट्र गम्भीर आर्थिक संकटों से है। लगभग 30 वर्षों पहले आर्थिक और वाणिज्य सम्बन्धों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था सम्पूर्ण विश्व समुदाय की आकांक्षाओं और हितों की पूर्ति में अक्षम सिद्ध हुई है। पुरानी व्यवस्था अमीर तथा गरीब दोनों के लिये हानिप्रद रही है।

पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था-जिसे ब्रिटेन वुड व्यवस्था कहते हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् जुलाई 1944 में एंग्लो-अमेरिकन समझौता के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आयी। तीसरे-चौथे दशक की भयंकर आर्थिक उलट-फेर तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक नुकसान और असंतुलन ने विश्व के समक्ष राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग के महत्व को उजागर किया। ब्रिटेनवुड के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिमाण विकास बैङ्क तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की स्थापना की गयी। परन्तु विभिन्न शोध अध्ययनों तथा मुख्यतया पियर्सन कमीशन की रपट ने इस ओर ध्यान दिलाया कि पाँचवे और छठवें दशक में विकास कुछ औद्योगिक राष्ट्रों का हुआ है और यह कि गरीब तथा अमीर राष्ट्रों के मध्य की खाई और भी अधिक चौड़ी हो गयी है।

सन् 1973 के तेल संकट ने आग में घी का काम किया। तेल मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न औद्योगिक राष्ट्रों का वाणिज्य घाटा तथा गरीब राष्ट्रों के ऋण ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को परिस्थितियों के साथ निपटने में असहाय बना दिया। विश्व वाणिज्य में मंदी तथा गिरावट आयी अतः समृद्ध राष्ट्रों ने संरक्षणवादी नीतियों का सहारा लिया जिसने स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया। पहली बार समृद्ध राष्ट्रों में मुद्रा-स्फीति की दर में अत्याधिक बढ़ोत्तरी आयी और सर्वत्र बेरोजगारी अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गयी। अर्थशास्त्र में एक नये शब्द—'Stagflation' का जन्म हुआ।

इन सब परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन् 1974 के अपने छठवें अधिवेशन में नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लिया।

नैतिक तथा भौतिक बाध्यतायें भी नयी व्यवस्था के निर्माण में सहायक हुई हैं। नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध राष्ट्रों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे गरीब राष्ट्रों की आर्थिक आकांक्षाओं को वास्तविक बनाने में अपनी मदद दें। आर्थिक कारणों में पुरानी ब्रिटेनवुड व्यवस्था की अक्षमता नयी व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर करती है। समृद्ध राष्ट्र एक दूसरे को बाजार दे पाने में अक्षम हो रहे थे। बढ़ती हुई संरक्षण-नीति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक मसलों के लिए अवरोधक सिद्ध हो रही थी। तीसरी दुनिया के देशों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के पहले यह आवश्यक हो गया था कि इन देशों में खरीद-फरोख्त (Purchasing Power) को बढ़ाया जाय। यह बात भी लाभप्रद और न्यायोचित नहीं थी कि समृद्ध राष्ट्र बिना किसी उचित मुआवजे के गरीब राष्ट्रों के कच्चे माल का दोहन करते रहें।

हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि आर्थिक पिछड़ापन राजनैतिक अस्थिरता तथा मानवीय अधिकारों के अवमूल्यन के लिये जिम्मेदार होता है। निरन्तर विकसित होते हुए भविष्य-विज्ञान (futurology) तथा अनेक आधुनिक गणितीय यन्त्रों के क्षेत्र में अभिनव प्रगति ने भविष्य के गर्भ में छिपे आगामी विश्व की आर्थिक स्थिति का खाका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। प्रगति के मार्ग में आने वाली अनेक बाधायें हैं। भूमण्डल पर उपलब्ध खनिज तथा ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का मनुष्य द्वारा तीव्र गति से दोहन हो रहा है जबकि उन स्रोतों की अपनी सीमायें हैं। जल, जंगल और अन्न आदि की अपनी जैविक सीमाएँ हैं। पर उनके उत्पादन और क्षमताओं से अधिक उन्हें खर्च किया जा रहा है। जागतिक मुद्रा-स्फीति तथा उच्च बेरोजगारी दर के कारण मैट्रिक व्यवस्था की सांस्थानिक संरचना में टूटन आयी है। विश्व स्तर पर हर जगह रोजगार तथा उच्च विकास दर प्रदान करने वाली नीतियों की तलाश तथा आने वाले संसार के भविष्य की इस समझ ने सहयोग और सहभागिता पर आधारित नयी विश्व-व्यापी आर्थिक व्यवस्था को समझना अनिवार्य बना दिया है।

वर्तमान व्यवस्था की विशिष्ट चुनौतियाँ मूलतः 6 दिशाओं में हैं—(अ) कमोडिटी प्रोग्राम, (ब) वाणिज्य, (स) पूंजी-निवेश; (द) सहायता और ऋण ग्रस्तता, (य) वित्तीय सुधार; तथा (र) टेक्नॉलॉजी हस्तान्तरण। कमोडिटी प्रोग्राम के क्षेत्र में मुख्य समस्या विश्व व्यापार के 18 उत्पादों के संघयन की है जिससे विकासशील राष्ट्रों में उन उत्पादों के मूल्यों में एक हद तक स्थिरता लाई जा सके। नयी व्यवस्था के समक्ष एक सार्वजनिक फंड के बनाने की भी समस्या है। पूंजी निवेश का मुख्य केन्द्र बिन्दु इस शताब्दी के अंत तक विश्व उद्योग के एक-चौथाई भाग पर भागेदारी प्राप्त करना है।

विश्व मॉनिटरी सुधार भी नयी आर्थिक व्यवस्था के सामने एक चुनौती है क्योंकि इससे तकनीकी, सांस्थानिक तथा विकासजन्य मुद्दे सम्बन्धित हैं। नयी आर्थिक व्यवस्था डूबती-उतराती मुद्रा में स्थिरता तथा विश्व मॉनिटरी संस्थानों में सुधार की भी हिमायती है जो विकासशील देशों को अधिक से अधिक हक प्रदान कर सके।

एक और महत्वपूर्ण पक्ष तृतीय देशों में विकास की प्रक्रिया में टेक्नॉलाजी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका है। तीसरी दुनिया के देश खनिज तथा ऊर्जा स्रोतों के मामले में अत्यं प्रतिभा सम्पन्न है। परन्तु उच्चकोटि की टेक्नॉलाजी तथा वैज्ञानिक यन्त्रों के अभाव में वे उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विकसित देश इस क्षेत्र में टेक्नॉलॉजी हस्तान्तरण करें तो तृतीय विश्व के देश अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और वहाँ विकास-दर में वृद्धि हो सकती है। तीसरी दुनिया में कृषि के क्षेत्र में अनेक बाधायें हैं। कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर को टेक्नॉलॉजी और वैज्ञानिक यन्त्रों के आदान-प्रदान से ऊपर उठाया जा सकता है।

नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज अधुनातन विश्व राजनीति का ज्वलन्त मुद्दा है। प्रायः लोगों में विश्व राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था को अलग-अलग कर देखने की मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है जो घातक है। नयी आर्थिक व्यवस्था और विश्व राजनीति में अनिवार्य सम्बन्ध है और यह बात तय है कि जब तक परम्परागत आर्थिक व्यवस्था की खामियों को हम दूर नहीं करते तब तक विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता लाने का प्रयास मात्र आदर्श बन कर रह जायेगा। [शेष पृष्ट 127 पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था : एक मूल्यांकन

डॉ० राम सिंह राजपूत*

शासन- तंत्र की कला में प्रजातंत्र एक व्यावहारिक प्रणाली के रूप में सदा से स्वीकार किया गया है। शासनतंत्र एक ऐसी प्रयोगात्मक कला है जो मानवीय अभीष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसी प्रकार का शासन एवं शासन प्रणाली प्रदान करता है। मानव ने इस प्रणाली का आविष्कार व प्रयोग अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। शासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवस्था में नागरिकों को भाग लेना आवश्यक है क्योंकि शासन - व्यवस्था जिन नागरिकों के लिए बनाई गयी हो उस शासन - व्यवस्था के प्रति उनकी स्वीकृति होनी ही चाहिये। शासन - व्यवस्था की सुचारूता, स्थायित्व के लिए जनता में स्वयं की क्षमता होनी चाहिये जिससे उसके संचालन में कोई अवरोध न खड़ा हो।

प्रजातंत्र आधुनिक युग में शासनतंत्र की सर्वोत्तम विधि मानी गयी है। यद्यपि प्राचीन भारत के आदि ग्रन्थ "वेदों" में "गणतंत्र" का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद् एवं महाभारत में भी प्रजातंत्र का वर्णन है। प्रजातंत्र का सिद्धान्त है "शासन में प्रजा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहभागी होना। अरस्तू के समय के नगर राज्यों या स्विटजरलैण्ड के लैण्डिग्ज-मैन्डेन के आधार का व्यावहारिक प्रयोग इस जन-संख्या बाहुल्य युग में असंभव है। इसका विकल्प प्रतिनिधि शासन ही है, आधुनिक युग में प्रतिनिधि शासन किसी भी प्रणाली का हो, उसमें उसके प्रतिनिधि का निर्वाचन आवश्यक है।

प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय व्यक्तियों एवं प्रशासित व्यक्तियों के बीच उस शासन प्रणाली द्वारा प्रदत्त वे सम्बन्ध जिन्हें पूरा करने का दायित्व जनता ने उन्हें दिया है तथा होता है। विशाल जनता द्वारा किसी प्रतिनिधि का चयन मत द्वारा ही संभव हो सकता है। प्रजातंत्र में चुनावों को "राष्ट्रीय अनुष्ठान" का नाम दिया गया है। निर्वाचन जनतंत्र की आत्मा है।

प्रजातंत्र में मतपत्र गुप्त रखे जाते हैं। गुप्त मतदान, योग्य प्रतिनिधि के चयन में सहायक होता है। गुप्त मतदान प्रणाली सर्वप्रथम 1856 में आस्ट्रेलिया में अपनाई गयी थी और वहां से एंग्लो सेक्सन देशों द्वारा होती हुयी भारत पहुँची। अतः इसे आस्ट्रेलियाई मत प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली जनतंत्र की प्राण है। निर्वाचन को लोकतांत्रिक शासन की प्राविधि [टैक्नीक] माना गया है। निर्वाचन की अपरिहार्यता स्वतंत्र लोकतंत्र का प्रयोज्य है।

भारत में निर्वाचन का विकास :

भारत में सर्वप्रथम अत्यन्त सीमित निर्वाचन अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1915- 19 के सेक्सन 63 [ए], 63 [बी] [2] तथा 72 [ए] [2] द्वारा क्रमशः केन्द्रीय असेम्बली व प्रान्तीय असेम्बलियों के लिए दिए गए थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के सैक्शन 9 तथा 31 [2] के द्वारा बिना लिंग भेद के वयस्क मताधिकार की सिफारिश की गयी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के सैक्शन 291 के द्वारा मताधिकार निर्धारित हुआ जिसके अनुसार [1] निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन [2] मतदाताओं की योग्यतायें व मत सूची का निर्माण [3] व्यवस्थापिका के लिए निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं, [4] रिक्त स्थानों की पूर्ति [5] निर्वाचनों का निर्वहन एवं मतदान पद्धति, [6] प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का ब्योरा, [7] निर्वाचन समय, भ्रष्टाचार [8] निर्वाचन आशंकाओं एवं विवादों पर निर्णय, तत्सम्बन्धी विषयों पर नियम बनाने का अधिकार, गवर्नर जनरल की परिषद को दिए गये। इसी विषय पर चार आदेश बनाए गए—[1] गवर्नमेंट आफ इन्डिया [प्रोविंशियल आफ लेजिस्लेचर असेम्बली], आर्डर 1936 [2] गवर्नमेंट इन्डिया [प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कौंसिल], आर्डर 1936

*सहायक सम्पादक 'लोकतंत्र समीक्षा' एवं रिसर्च एसोसिएटः सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[3] गवर्नमेंट आफ इन्डिया [प्रोविशियल इलेक्शन करप्ट प्रेक्टिसिज एण्ड एलैक्शन, पेटीशन्स], आर्डर 1936, [4] गवर्नमेंट आफ इन्डिया [प्रोविशियल लेजिस्लेचर], मिस्लेनियस प्राब्लम्स], आर्डर 1936।

उपर्युक्त आदेशों के आधार पर ही 1937 में प्रान्तीय असेम्बलियों के लिए चुनाव हुए।

भारतीय संविधान में चुनाव प्रावधान एवं उनका इतिहास :

संविधान निर्मात्री सभा में जब निर्वाचन अनुच्छेद पर चर्चा हुई तो डा० अम्बेदकर ने कहा "मौलिक अधिकार समिति ने व्यवस्थापिका के निर्वाचनों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिये निर्वाचन की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया और इस कार्य को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत स्थान देने की सिफारिश की थी। किन्तु जब यह प्रश्न संविधान निर्मात्री समिति के सम्मुख आया तो यह निर्णय हुआ कि इसके लिए एक अलग से अध्याय संविधान में रखा जाए और उसी आधार पर संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में उनका वर्णन किया गया है।

निर्वाचनों पर पृथक अध्याय रखने से इसकी महत्ता बढ़ी है तथा संविधान निर्माताओं की निर्वाचन में गहरी अभिव्यक्ति का परिचय मिला है। निर्वाचन के विषय में दिये गये व्यापक प्रावधान तथा प्रक्रिया से यह प्रमाणित होता है कि वे "भारतीय नागरिकों के मताधिकार" के इस राजनीतिक अधिकार को संविधान का एक अंग बनाने के प्रति कितने उत्सुक थे। इसी कारण यह कार्य मौलिक अधिकार प्रारूप समिति को दिया गया था। समिति ने निर्वाचनों को कार्यपालिका से स्वतन्त्र रखने के लिये एक अलग अध्याय की अनुशंसा की। इस चर्चा में पण्डित एच० एन० कुंजरू ने कहा था "यदि निर्वाचन-तन्त्र दूषित है, अकुशल है या इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति निष्ठा विरोध सन्देह से परे नहीं हैं तो लोकतन्त्र की जड़ में विष घुल जाएगा [सी० ए० डी०, खण्ड 8 पृ० 923]।

संविधान में संसद के सदस्यों, राज्यों के विधानमण्डलों के सदस्यों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबन्धी प्रावधानों को स्थान दिया गया है। देश के संघात्मक स्वरूप के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण देश के निर्वाचनों में एक-रूपता लाई गयी है। निर्वाचन, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण के लिये संविधान द्वारा एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का दायित्व सम्पूर्ण देश में, केन्द्र एवं राज्यों के सभी निर्वाचित पदों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था करना है। इस आयोग का प्रमुख "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" तथा राज्यों में इसके लिए "निर्वाचन अधिकारी" होते हैं। निर्वाचन को केन्द्रीय एवं राजकीय आवश्यकताओं के अनुसार दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

निर्वाचन आयोग

निष्पक्ष निर्वाचन के लिए स्वतन्त्र आयोग के रूप में निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के प्रावधानों के अनुसार की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार इसका प्रमुख "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का महत्व उसकी सांविधानिक स्थिति पर निर्भर है। उसकी योग्यता सेवा की शर्तें उसको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रखने में सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गयी पद्धति के उपबन्धों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। इसकी सेवा और पदावधि ऐसी होगी जैसा कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। उसकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होती है तथा उसकी पदावधि बढ़ाई भी जा सकती है जैसा कि श्री सुकुमार सेन तथा के० वी० के० सुन्दरम के मामलों में किया गया था। योग्यताओं की निश्चितता के अभाव में किसी भी व्यक्ति को 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' नियुक्त करना प्रधानमन्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। इस विषय में संविधान सभा में डा० अम्बेदकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान में किसी मूर्ख या धूर्त व्यक्ति जिसकी कि कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे रहने की संभावना हो, उसकी नियुक्ति को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना था "मैं यह मानता हूं कि अनुच्छेद 324 में 'इस प्रकार के अयोग्य-मनोवृत्ति व्यक्ति' की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति रोकने की बात कोई नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस समस्या ने मुझे काफी सिरदर्द दिया है और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि सदन को भी बड़ा सिरदर्द रहा है। 'किन्तु

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुख्य निर्वाचन आयुक्त" को उसके पद से हटाने के लिए उन्हीं कारण और पद्धति के बिना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और पद्धति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 (4) से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार विरोधी पक्ष को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना कभी संभव नहीं होगा और "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" प्रधान मन्त्री का "हाजिर जनाब" [येस मैन] बनकर रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गयी पद्धति के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है तथा उनकी सेवा और पदावधि ऐसी होगी जैसा कि राष्ट्रपति नियमों द्वारा निर्धारित करे। प्रथम आम निर्वाचन के समय अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किये गये थे, उसके बाद नियुक्त नहीं हुए। किन्तु इन आयुक्तों को पद से बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की राय से हटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में दो उप-निर्वाचन आयुक्तों के पद हैं। उप-निर्वाचन आयुक्त आयोग का उच्चतम अधिकारी होता है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के बराबर होता हैं। इसके अधीन आयोग के सचिव हैं जो अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से कार्य करते हैं।

निर्वाचन आयोग के कर्त्तव्य :

निर्वाचन आयोग के कर्त्तव्य जन-प्रतिनिधि अधिनियम 1950 तथा 1951 एवं 1956 के अनुसार इस प्रकार है- [1] संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार व्यक्तियों को दिया हुआ है, उसी सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग संसद एवं राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, [2] संसद एवं राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं के लिए स्थानों की संख्या निर्धारित करना, [3] संसद एवं व्यवस्थापिका सभाओं के स्थानों में अनुसूचित और जनजाति के लिए स्थान निर्धारित करना, [4] संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं राज्य विधानमण्डलों के चुनावों के लिये मतदाताओं की सूची बनवाना तथा उनका पुनरीक्षण करना जिससे कि 21 वर्ष के होने वाले व्यक्ति भी मतदाता बन सकें, [5] राज्यों की विधान परिषदों के लिए मतदाता सूची बनवाना, [6] राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, मतदाताओं की सूची बनवाने तथा उनका नवीनीकरण करना, जिससे कि मतदान उसके अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में सफलतापूर्वक हो सके, [7] मतदाताओं की अयोग्यताओं के लिए नियम बनाना, [8] संसद-सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के लिये योग्यता, अयोग्यता निर्धारित करना तथा इस विषय में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से राय लेना, [9] मतदान के लिए अयोग्यता निर्धारित करना तथा उन्हे हटाना, [10] राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनके चुनाव-चिन्ह एवं झण्डों का निर्णय करना, [11] राजनीतिक दलों से मिलकर निर्वाचन के लिये आचार-संहिता का निर्माण करना व उसका जन शिक्षा हेतु प्रचार करना, [12] आम निर्वाचनों की घोषणा करना जो संसद, राज्य विधान सभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के लिए हो, [13] निर्वाचन कराने के लिये प्रशासनतन्त्र को बनाना, [14] केन्द्रशासित क्षेत्रों एवं राज्यों से कर्मचारियों की सेवाओं के लिये राष्ट्रपति व राज्यपालको लिखना, [15] निर्वाचन कराना, जिसके अन्तर्गत सदस्यों का नामांकन भरवाना, नामांकन की जाँच करना, उन्हें वापिस देना, मतपत्रों को छपवाना इत्यादि, [16] निर्वाचन अधिकारी एवं प्रत्याशियों के एजेण्टों को नियुक्त करना, [17] मतदान कराना, मतपत्रों की पेटियों को जिला मुख्यालय पर पहुँचाना तथा उनकी मतगणना करवाना, मतदान के परिणामों की घोषणा करना, मतदान में उत्पन्न शंकाओं की व्याख्या करना, याचिकाएँ सुनना तथा उन पर निर्णय देना और किन्हीं मामलों में न्यायाधीशों की स्थापना करना, [18] प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय के लेखों की जाँच करना, अयोग्य सदस्यों की जाँच करना, उप-चुनाव कराना, तथा विविध कार्य संविधान एवं जन-प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार इसको सौंपे गए हैं।

राज्यों में निर्वाचन तन्त्र :

निर्वाचन आयोग का दायित्व देश के सभी भागों में निर्वाचन कराना है। चूँकि सारा देश प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के बीच बटा होने के कारण निर्वाचन आयोग को निर्वाचन व्यवस्था के लिए राज्यों से उनके कर्मचारियों का सहयोग लेना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 324 [6] के अनुसार निर्वाचन आयोग चुनाव के पूर्व केन्द्र के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्वाचन कराने के लिए वहाँ के अधिकारियों की सेवा ले सकता है। निर्वाचन तन्त्र के स्थानीय संचालन की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों के अन्तर्गत निर्वाचन विभाग होता है। प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के बाद राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अन्तर्गत राज्य के मतदाताओं की सूचियाँ तैयार करवाता है, उनका नवीनीकरण करता हैं और आवश्यक संशोधन भी तथा राज्य के सभी प्रकार के चुनावों का निर्देशन एवं सर्वेक्षण करता है। निर्वाचन के मामलों में राज्य सचिव राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। यह अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा का एक योग्य अधिकारी होता है और इसके अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप शासन सचिव होते हैं। पुनरीक्षण अधिकारी स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन का उप-निदेशक भी होता है। इसके अधीन एक सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक उप-निदेशक चुनाव अधिकारी तथा लेखा अधिकारी एवं अन्य लोक सेवक होते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी :

जन-प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अनुसार केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में राज्य-सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को बनाया/मनोनीत किया जाता है। यदि निर्वाचन आयोग यह अनुभव करे कि एक अधिकारी से उस जिले का कार्य नहीं चल सकता तो वह उस जिले में दो निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति/मनोनीत कर सकता है और दोनों जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके क्षेत्रों की अलग-अलग सीमाएं निश्चित कर दी जाती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जिले के अपने क्षेत्र में प्रत्येक संसदीय, विधानसभाओं के स्थानों के लिए मतदाता सूचियों को बनवाता है और उनमें सुधार करने के साथ-साथ सारे कार्यों को देखता है तथा उसमें सहयोग देता है। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य भी करता है जिन्हें कि निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्हें सौंप दे। प्रत्येक जिले में स्थान-स्थान पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारी मतदाता सूची तैयार करते हैं तथा उनमें संशोधन एवं परिवर्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर [चुनाव अधिकारी,] पीठासीन अधिकारी, प्रिजाईडिंग आफिसर, नियुक्त किये जाते हैं। पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिये सहायक पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन केन्द्रों के लिये क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो कि निर्वाचन संबन्धी व्यवस्था की पूरी देखभाल करते हैं। दलों की ओर से निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता [काउंटियर एजेन्ट,] की नियुक्ति की जाती है जो स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों के सहयोग एवं स्वीकृत के बाद होती है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में सुगमता रहती है। निर्वाचन कार्य में स्थाई रूप से कार्यरत इन अधिकारियों के अतिरिक्त निर्वाचन का मुख्य दायित्व उन कर्मचारियों पर भी होता है जिन्हें मतदान के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से बुलाया जाता है। मतदान केन्द्रों के प्रबन्ध के लिए इन कर्मचारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। इन दलों में सामान्यतः एक उच्च अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार मतदान अधिकारी, क्लर्क, चपरासी तथा पुलिस के सिपाही रखे जाते हैं। उच्च अधिकारी अधिकतर राज्यों के राजकीय अधिकारी होते हैं। अपवाद के स्वरूप में कभी-कभी नीचे के स्तर के अधिकारी ही इस पद पर कार्य करते हैं। चुनाव कार्य में पर्यवेक्षण के लिए कुछ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाती है तथा निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रबन्ध के साथ-साथ कुछ मजिस्ट्रेट या दण्डाधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष चुनाव क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता रहा है। किन्तु 1980 के निर्वाचनों में उसने प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। इन निर्वाचनों में 1,700 पर्यवेक्षक आयोग द्वारा नियुक्त किये गये। इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 पर्यवेक्षक अवश्य थे जिससे कि मतदान में सुगमता रही तथा कमजोर वर्गों की शिकायत कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता है, समाप्त हो गई। साथ ही मतदान केन्द्रों पर कब्जा नहीं हो पाया।

निर्वाचन प्रक्रिया :

निर्वाचन की प्रक्रिया चलती ही रहती हैं क्योंकि मतदाता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूचियों का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण का कार्य इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रतिनिधि, एक मतदाता और उसके एक मत के आधार पर निर्वाचन होता है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार एक मतदाता का नाम एक से अधिक क्षेत्र में अथवा एक से अधिक बार उस क्षेत्र सूची में नहीं होना चाहिये। निर्वाचन के लिए जब मत सूचियां पूर्णतः तैयार हो जाती हैं तब निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को लिखता है कि निर्वाचन की तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने की स्थिति में है। उसके पश्चात राष्ट्रपति की उद्घोषणा होती है। यह जानना आवश्यक है कि लोक सभा, राज्यसभा के निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है किन्तु राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचनों के लिये उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उद्घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल कोई भी उद्घोषणा राज्यसभा तथा राज्य परिषदों के सदस्यों के पदमुक्त होने के तीन महीने पूर्व नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की उद्घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया का कार्य चालू होता है। उद्घोषणा के तुरन्त बाद ही निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिये तिथियों की घोषणा करता है तथा उसे सरकारी गजट के अन्दर प्रकाशित करता है जिससे कि प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र भर सकें। नामांकन पत्र भरने के लिये निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद सातवें दिन तक का समय दिया जाता है अर्थात् जिस दिन निर्वाचन आयोग की घोषणा का गजट हुआ हो उसके सातवें दिन तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। यदि सातवें दिन कोई सार्वजनिक छुट्टी हो तो उसके अगले दिन तक भरें जायेंगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का समय ग्यारह बजे से तीन बजे तक का होता है। नामांकन पत्र कोई भी मतदाता जो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष से अधिक आयु का हो, भर सकता है। नामांकन के साथ उसको अपने और प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची भी लगानी पड़ती है। इसके साथ-साथ उसे लोक-सभा और राज्यसभा के लिए पाँच सौ रुपये तथा राज्य व्यवस्थापिका सभाओं के लिये 250 रु० प्रत्याभूति राशि के रूप में पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं। यदि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार दी हुई अर्हताएं पूरी न हों तो नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। नामांकन पत्र भरने के ठीक अगले दिन नामांकन पत्रों की जाँच होती है। यदि अगले दिन कोई सार्वजनिक छुट्टी हो तो उसके अगले दिन जाँच की जाती है तथा जो नामांकन पत्र गलत अथवा अपूर्ण पाए जाते हैं वे रद्द कर दिये जाते हैं। जाँच के दूसरे दिन अर्थात् नामांकन की अन्तिम तिथि के दूसरे दिन नामांकन पत्रों को वापिस भी लिया जा सकता है। यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगले दिन तक नाम वापिस लिये जाते हैं। नामांकन पत्रों के वापसी के दिन के बाद 21 वें दिन निर्वाचन की तिथि तय की जाती है। इसी तिथि को मतदान केन्द्रों पर प्रातः आठ बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होता है। इसके पश्चात् निर्वाचन प्रक्रिया का अगला चरण मतगणना होता है। निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात् सभी मत पेटियाँ सील कर दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें जिला हेडक्वाटर्स में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर उनकी मतगणना प्रत्याशी के एजेन्टों तथा निर्वाचन अधिकारी एवं उनके सहायकों के सामने की जाती है। मतगणना का कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि परिणामों की घोषणा न कर दी जाय।

नामांकन पत्र वापिस लेने के पश्चात् ही चुनाव प्रचार प्रारम्भ हो जाता है और मतदान के 48 घण्टे पूर्व सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार बन्द कर देना पड़ता है। इस प्रकार लगभग बीस दिन तक भारत में चुनाव प्रचार होता रहता है। चुनाव प्रचार में सार्वजनिक सभाओं, भाषणों, गेटमीटिंग, व्यक्तियों से निजी सम्पर्क, दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से मतदाताओं से अपने पक्ष में प्रत्याशी के लिए अथवा दल के लिये अभ्यर्थना की जाती है और इस बीच में निर्वाचन की पूरी तैयारियाँ होती रहती है।

भारतीय निर्वाचन पद्धति में दोष :

भारत में अब तक सात आम चुनाव हो चुके हैं। इस बीच जनता राजनीतिक दलों के स्वभाव तथा उनके हथकंडों से पूरी तरह परिचित हो चुकी है। यह जानते हुए भी कि भारतीय लोकतन्त्र में जो अधिकार मतदाता के हैं, मतदाता उनको अपना कर्त्तव्य समझकर अपना मत देता है। राजनीतिक दलों के कारण निर्वाचनों में कुछ असंगतियाँ भी आई हैं जिससे भारतीय मतदाता का क्षुब्ध होना उचित ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। भारतीय निर्वाचन पद्धति के दोषों से देश के सभी राजनीतिक दल, सांसदिक, बुद्धिजीवी, न्यायाधीश, राजनीतिक-वैज्ञानिक चिन्तित है। भारत में निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव कराने के लिये निर्वाचनों में किस प्रकार से कार्य हों और उनके क्या-क्या सुधार होने चाहिये, यह आज बहस का विषय है। यह विचारणीय है कि देश के मतदाता बहुत बड़ी मात्रा में अशिक्षित हैं किन्तु अब वह धीरे-धीरे समझने लगे हैं कि उनके मत का महत्व क्या है और एक मत से क्या होगा। इस प्रकार की धारणा अब उनके मस्तिष्क में नहीं रही और वह समझने लगे हैं कि उनका एक मत सत्ता को बदलने की क्षमता रखता है क्योंकि सन् 1977 व 1980 में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ वह निर्वाचकों की समझबूझ और मतदान का परिणाम था। अब हमें निर्वाचन आयोग के गठन तथा निर्वाचन में जो कमियाँ हैं उन पर भी विचार करना आवश्यक है।

निर्वाचन आयोग की असंगतियाँ :

निर्वाचन आयोग यद्यपि एक स्वतन्त्र निकाय है किन्तु इस पर कार्यपालिका का प्रभाव परोक्ष रूप से होने के आरोप लगाये जाते हैं क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिये योग्यतायें तथा पदावधि के विषय में संविधान मौन है। संसद तब तक कोई विधि का निर्माण न करे, यह कार्य राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। चूँकि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की राय पर कार्य करता है, इसलिये यह कहना संभव नहीं कि वह अपना निर्णय स्वतन्त्र और निष्पक्ष कर सकेगा। इस विषय में एक मत यह भी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिये वैसी ही योग्यताएं निर्धारित की जाएं जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये संविधान में निर्धारित की गयी हैं। (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल गम्भीर मामलों पर ही हटाया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटने के समान होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आयु के विषय में कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। अतः विद्वानों का विचार है कि "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" की आयु भी 65 वर्ष रखी जाय जिससे कि उसको पद मुक्त करने के लिये जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष रखी गयी है, उसका सही प्रकार से निष्पादन हो सके। यही नहीं "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" के अतिरिक्त उप-निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त को भी पद से हटाने के लिये इस प्रकिया को प्रयोग में लाया जाए जिससे कि पक्षपात का आरोप-प्रत्यारोप न किया जा सके। [2] निर्वाचन आयोग के लिये कितने निर्वाचन आयुक्त, उप-निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की आवश्यकता होगी इस विषय में संविधान मौन है। इस विषय में भी संविधान के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान होना होना चाहिये तथा उसकी योग्यताएं, कार्यकाल तथा सेवा की शर्तें भी सांविधानिक रूप से निश्चित होने चाहिये।

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय है किन्तु उसे अपने कार्यालय के लिये कार्मिक भरती करने, उनके लिये सेवा नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इस विषय में सुधार की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने अधिकारियों के लिये योग्यताएं, सेवा की शर्त, भरती के नियम बनाए तथा भर्ती करे। जिस प्रकार से कि सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग तथा संसद के दोनों सदनों तथा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक जैसे स्वतन्त्र निकाय करते हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के व्यवहार पर आपत्तियां होती हैं। अतः कुछ लोगों का विचार है कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था होनी चाहिये, एक के स्थान पर तीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों जिनकी नियुक्ति राजनीतिक दल, सरकार व राष्ट्रपति की राय से हो।

निर्वाचन सम्बन्धी त्रुटियाँ :

भारत में सीधी निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है अर्थात् सर्वाधिक मत पाने वाला व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाता है। भारत में मतदान अनिवार्य नहीं है। दूसरे, भारत में बहु-दलीय व्यवस्था होने के कारण मतों का विभाजन हो जाता है और ऐसी स्थिति में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को पैंतीस से चालीस प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं अर्थात् वह आधे से कम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर पाता है। क्या इसको हम जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व कहें अथवा इसे निर्वाचन योग्य कहें जो जनता की वास्तविक भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आँकड़ों को देखने से स्पष्ट हुआ है कि सत्तारूढ़ दल को 43.68, 43.06, 42.56 प्रतिशत मत सन 1971, 1977 और 1980 में क्रमशः प्राप्त हुए। विचित्र बात तो यह है कि जब हम इन्हीं आँकड़ों को जनसंख्या के आधार पर परखते हैं तो पाते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है कि सन् 1971 में कांग्रेस को जनसंख्या का केवल 11.93 प्रतिशत मत, 1977 में जनतापार्टी को जनसंख्या का 13.25 प्रतिशत और सन् 1980 में कांग्रेस को जनसंख्या का 12.63 प्रतिशत सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिये इसे पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ लोकतन्त्र के लिये हमें इस निर्वाचन प्रणाली में भी परिवर्तन करना होगा जिससे कि सभी दलों को सत्ता में स्थान प्राप्त हो सके अथवा 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ही निर्वाचित हो सकें।

संविधान के अनुसार मतदाता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी हैं जबकि शासकीय सेवा और सेना के अन्दर भरती की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। तर्क दिया जाता है कि 21 वर्ष से कम का व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं होता और वह अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभा सकता। किन्तु इसके विपरीत यह तर्क भी सत्य है कि 18 वर्ष का नवयुवक अपना उत्तरदायित्व क्यों नहीं निभा सकता। आज विश्व के अनेक राष्ट्रों में मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गयी है जिसमें प्रमुख अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, अल्जीरिया, हंगरी, पोलैण्ड, श्री लंका, इजराइल तथा युगोस्लाविया है। अतः हमारे नवयुवकों को भी यह मतदान का अधिकार मिलना चाहिये।

निर्वाचन में धन का व्यय करने के लिये सीमा दि कण्डक्ट आफ एलेक्शन रूल्स 1961 के अनुसार निर्धारित की गयी है। किन्तु वर्तमान में निर्वाचन में व्यय उससे कहीं अधिक होता है जिसका परिणाम यह होता है कि निर्वाचन के उपरान्त निर्दलीय प्रत्याशी झूठे ब्यौरे निर्वाचन आयोग को देते है। इस प्रकार से राजनीति में प्रत्याशियों को झूठ और छल का प्रयोग करना पड़ता है जो राष्ट्रीय दायित्व से भिन्न तथा राष्ट्रीय चरित्र को गिराता है। इस विषय में 1974 में अमरनाथ चावला का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय से रद्द किया गया था। सरकार ने अब नियमों में संशोधन कर दिया कि प्रत्याशी के अतिरिक्त राजनीतिक दल अथवा उसके समर्थक चाहे जितना धन खर्च कर सकते हैं और उसे निर्वाचन व्यय-ब्योरे में नहीं लेना होगा। इस विषय पर यह कहना ठीक है कि यदि इस प्रकार से निर्वाचन में धन का दुरुपयोग होगा। तो योग्य व्यक्ति के लिए निर्वाचन में खड़ा होना कठिन हो जायेगा और निर्वाचन देश में केवल धनिक वर्ग के हाथ की कठपुतली मात्र रह जाएगा। इसलिये इस पर भी प्रतिबन्ध होना आवश्यक है।

चुनाव में काले धन का बहुत प्रयोग होता है जो पूंजीपति और कम्पनियों द्वारा दिया जाता है। पूंजीपति और कम्पनियाँ जो धन सदस्यों को व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक दलों को देती है, वे उसके बदले इन्हीं सदस्यों से उनके हाथों गलत नियमों का निर्माण कराकर लाभ उठाती हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। यही नहीं, विदेशों से भी निर्वाचनों के लिये धन देश में आता है तथा निर्वाचनों को प्रभावित करता है। इस प्रकार के आरोप प्रत्येक निर्वाचन में लाए जाते रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ धन का दुरुपयोग कर देश की राजनीति में भाग ले रही है। अतः इसके विषय में व्यापक नियमों की आवश्यकता है।

निर्वाचनों में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता एवं साम्प्रदायिकता का बड़ा जोर रहता है जिसके परिणाम-स्वरूप देश में अनेक प्रकार की राजनीतिक व्याधियाँ एवं हिंसा उत्पन्न होती है। निर्वाचन को इससे मुक्त करना आवश्यक है। निर्दलीय सदस्य बहुधा राजनीतिक दलों के सदस्यों के छाया के रूप में उनके बचाव के लिये खड़े किये जाते हैं और बहुत से निर्दलीय व्यक्ति सौदेबाजी के लिये खड़े होते हैं तथा वे अपना धन्धा करते हैं। सन् 1980 के निर्वाचनों में निर्दलीय सदस्य सर्वाधिक संख्या में थे क्योंकि इस बार उन्हें कागज व पेट्रोल का कोटा दिया गया जिसका प्रयोग ब्लैक मार्केट में हुआ।

सत्तारुढ़ दल द्वारा शक्ति दुरुपयोग :

भारत में निर्वाचन के समय जो भी दल सत्ता में होता है वह सत्ता का दुरुपयोग अपने लाभ के लिये करता है। इस विषय पर कई बार चर्चा भी हुयी कि निर्वाचन के समय सत्ताधारी दल त्याग पत्र दे दिया करे तब निर्वाचन कराये जाएं। किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन सभी देशों में जहाँ इस पद्धति से निर्वाचन होते हैं, इसी प्रकार से सत्तारूढ़ दल कार्य करता रहता है। किन्तु दोनों की नैतिकता में अन्तर अवश्य पाया जाता है। निर्वाचन के समय सत्तारुढ़ दल राजकीय कोष से बढ़ा चढ़ाकर खर्च करता है। अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के भत्ते तथा वेतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में वृद्धियां इत्यादि कर उन्हें अपने दल के लिये मत डालने को आकर्षित करता है।

निर्वाचन के समय अनेक योजनाओं को चालू किया जाता है। उनके लिये आधार शिलाएं रखी जाती है। 1971 के निर्वाचनों में इतनी आधारशिलाएं रखी गयी थीं कि उन योजनाओं को पूर्ण करना असंभव था।

सत्तारूढ़ दल बड़े-बड़े वायदे करता है। कई स्थानों पर जल्दी में सड़कें, स्कूल, इत्यादि बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ के लोग मतों के लिये आकर्षित हो। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि निर्वाचन के एक दिन पूर्व सड़क-निर्माण के लिये रोड़े, पत्थर इत्यादि डलवा दिये गये। मगर सड़क निर्वाचन के बाद दूसरे निर्वाचन तक पूरी नहीं हो पाई।

प्रशासन का कार्य कर्मचारियों पर आधारित होता है और राजनीतिक सत्तारूढ़ दल प्रशासनिक कर्मचारियों से मतदाता सूचियां बनने में कई प्रकार की गड़बड़ियां कराते हैं। सन् 1980 के निर्वाचन में इस प्रकार की बहुत सी गड़बड़ियाँ पायी गयीं थी और उसपर काफी विवाद भी हुआ था। राज्यों के कर्मचारी, लोकसेवा के सदस्य होने के नाते मन्त्रिपरिषद् के द्वारा नियन्त्रित होते हैं और उन्हें मन्त्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिये कई कार्य करने पड़ते हैं। सत्तारुढ़ दल चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी अपने दलीय हित के आधार पर करता है। सत्तारूढ़ दल वोट बैंक को जाति या ग्रामीण प्रधानों के माध्यम से शराब या पैसे देकर खरीदता है और इस प्रकार देश के अन्दर निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हो पाता। कई बार तो मन्त्री लोग कम्बल, रजाइयां भी बाँटते हैं और बहुत से राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को धमकी दी जाती हैं .एवं हिंसा का प्रयोग होता है। सत्तारूढ़ दल सरकारी यन्त्र को अपने लिये प्रयोग करता है। मंत्री चुनाव प्रचार के लिये जाते हैं और सरकारी काम के नाम पर दौरे किये जाते हैं जहाँ वे चुनाव प्रचार या दलीय कार्य में लगे रहते हैं। सत्तारूढ़ दल पर यह भी आरोप लगाया गया कि निर्वाचन के लिये उसने राजकीय परिवहन निगम से अनेक परिवहन किराये पर लिये और किराये का भुगतान भी नहीं किया। यही नहीं भारतीय वायुसेना के हैलिकोप्टर को भी कई बार प्रधानमन्त्री द्वारा निर्वाचन के समय प्रयोग में लाया गया था, इस प्रकार का भी आरोप लगाया गया। राजकीय कर्मचारियों का निर्वाचन के लिये प्रयोग किया जाना श्रीमती इन्दिरा गाँधी बनाम राजनारायण के मुकदमें यशपाल कपूर के विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिद्ध भी हो गया था।

देश में अशिक्षा होने के कारण मतदाताओं को प्रत्याशियों के विषय में ठीक से पता नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप वे मतदान डालने में त्रुटियाँ भी करते हैं। देश में चुनाव चिन्ह की राजनीति चल रही है और चुनाव चिन्ह पर ही लोग अपना मत डालते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उनका प्रत्याशी कौन और किस प्रकार का है। भारतीय निर्वाचनों में अनेक त्रुटियां हैं। देश के निर्वाचन में धन-शक्ति का प्रभाव है, उसके कारण सरकार और पूँजीपतियों के बीच सांठ-गाँठ होती है और उनको अनेक नये लाइसेंस तथा उन्हें रियायतें दी जाती हैं। परिणाम स्वरूप पूँजीपति राजनीतिक दलों को दिये हुए धन की अदायगी का रास्ता, कालाबाजारी, लाइसेंस कोटे के माध्यम से पूरा करता है और उस समय सत्तारुढ दल मौन स्वीकृति द्वारा इन्हें यह करने देते है। निर्वाचन की अनेक विषमताएं हैं। यदि देश के अन्दर हम निष्पक्ष और स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते हैं तो हमें निर्वाचन के क्षेत्र में कुछ सुधार करना होगा। सबसे बड़ा सुधार तो हमें निर्वाचनों से धन के प्रभाव को हटाना पड़ेगा और उसके लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार निर्वाचन का भार वहन करे तथा जो प्रत्याशी निर्वाचन के क्षेत्र में आयें उनकी पहले से जाँच कर ली जाए कि वे दलीय आधार पर अथवा निर्दलीय आधार पर वास्तविक योग्यताएं रखते हैं या नहीं। इसलिये हमें प्रत्याशियों के लिये कुछ योग्यता भी निश्चित करनी ही चाहिए।

निर्वाचन पद्धति में सुधार :

(1) निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक प्रत्याशी का जीवन व्रत, उसका घोषणा पत्र, उसकी मतदाताओं से अपील को छपवा कर मतदाओं के पास डाक द्वारा अपने कर्मचारियों या सहयोगियों द्वारा भेजे।

(2) निर्वाचन आयोग निश्चित मात्रा में प्रत्येक प्रत्याशी को पोस्टर छपा कर दे वे निर्धारित स्थान पर ही लगाए जायें तथा अन्य निजी या सरकारी दीवाले खराब न की जायें।

(3) निर्वाचन आयोग मतदाता को एक सूची भेजे जिसमें मतदाता के कर्त्तव्यों का उल्लेख होना चाहिये तथा उ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...या कहना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिए भी ...लिखा हो।

(4) निर्वाचन के समय मतदाता का प्रमाण पत्र उसके ...चित्र के सहित उसके पास होना चाहिये। ये प्रमाणपत्र तथा ...ड़ों सरकार द्वारा बनने चाहिए।

(5) निर्वाचन आयोग प्रत्येक प्रत्याशी को अपने निर्वाचन ...त्र में लिखित संख्या में सभाएं करने की अनुमति दे। सभा ...की संख्या एवं स्थान का निर्णय क्षेत्र एवं जनसंख्या के ...आधार पर निर्वाचन आयोग करे।

(6) निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी को अपने ...निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करने के ...लिये एक सरकारी जीप निर्वाचन के एक माह पूर्व से निर्वा-...चन के एक दिन बाद तक के लिए दी जानी चाहिये।

(7) मतदान केन्द्र पास-पास बनाये जाये। चलते फिरते ...मतदान केन्द्र भी होने चाहिए जिसमें मतदाता को अधिक दूर ...चलना न पड़े तथा मतदान के लिये कोई वाहन का प्रयोग न ...करना पड़े।

(8) मतदान के दिन सरकारी वाहनों के अतिरिक्त सभी ...निजी व ठेके के वाहन चलाने की अनुमति न हो। यदि ...निर्वाचनों में उनका प्रयोग आवश्यक हो तो सभी वाहन ...सरकारी व्यय पर शासन द्वारा चलाये जाने चहिये जिससे ...किसी प्रत्याशी विशेष को लाभ न हो।

(9) यथा सम्भव प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में संयुक्त ...रूप पर जनता को संबोधित करने के लिए बुलाया जाये। ...इन सभाओं को नागरिक अधिकारियों द्वारा आयोजित किया ...जाना चाहिए इससे मतदाता अपने प्रत्याशी का तुलनात्मक ...दृष्टि से सही चयन कर सके।

(10) जन नागरिक अधिकारियों द्वारा विद्यालयों, ...महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के राजनीतिक-विज्ञान ...तथा विधि शास्त्र के शिक्षकों को जनमंच से जनता को ...निर्वाचनों की उपयोगिता तथा आवश्यकता के विषय में बिना ...किसी दलीय सम्बद्धता के सूचना देने के लिये आमंत्रित किया ...जाना चाहिये।

(11) राजनीतिक दलों संबन्धी निर्वाचन आचार संहिता ...का निर्माण किया जाये तथा उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ...में जोड़ा जाय जिससे उनकी वैधानिकता स्थापित हो सके।

(12) निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तन्त्र को शासन ...के प्रभाव से मुक्त किया जाए।

(13) मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की जाये। संविधान के अनुच्छेद 326 में तत्सम्बन्धी संशोधन किया जाये।

(14) निर्वाचित सदस्यों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था होनी चाहिये। किसी देश के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षरों से सदस्यों के प्रत्यावर्तन की मांग का अधिकार दिया जाना चाहिए एवं इस संबंध में संविधान में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे सदस्य अपने निर्वाचकों का ध्यान रखेगा तथा सदस्य राष्ट्र एवं समाज विरोधी कार्य नहीं कर सकेगा।

(15) प्रत्येक राजनीतिक दल अपना वार्षिक आय व्यय का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करे। जन हित में उन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना चाहिये।

(16) प्रत्याशियों के लिये कम से कम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिये।

(17) निर्वाचन याचिकाओं का 6 महीने के भीतर विहित न्यायालयों द्वारा निपटारा किया जाना चाहिए। अपील का सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय भी तीन महीने में विशेष पीठ द्वारा होना चाहिए।

(18) निर्वाचन आयोग को अपने संगठन के लिए स्थाई कार्मिक की भरती, उनकी सेवा की शर्तें बनाने का अधिकार मिलना चाहिए तथा साथ ही साथ राज्यों और केन्द्र से जो कर्मचारी निर्वाचन के समय लिए जाते हैं, वह भी लेने का अधिकार यथावत रहना चाहिये।

(19) मतदाता सूचियों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होना चाहिये जिससे जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाए, उसके अन्दर उसका नाम रखा जा सके।

(20) निर्वाचन के समय यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन स्थगित कर दिए जाते हैं। इस नियम में सुधार करना चाहिये। राजनीतिक दल उसके बदले में अपना वैकल्पिक प्रत्याशी अविलम्ब घोषित करे और यदि कोई प्रत्याशी निर्दलीय हो तो उसके स्थान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है।

(21) निर्वाचन के पूर्व अनेक सुविधाएं और रियायतें राजकीय कर्मचारियों को तथा जनता को दी जाती है या

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी क्षेत्र विशेष को दी जाती है, उनको समाप्त किया जाना चाहिये।

(22) संसदीय निर्वाचन और राज्यों के निर्वाचन एक ही समय नहीं होने चाहिए क्योंकि ठीक प्रकार से मतदाताओं के विषय में एलेक्शन नहीं हो पाता। अतः ये दोनो निर्वाचन अलग-अलग वर्षों में होने चाहिये

(23) देश में जो वोट बैंक प्रक्रिया चल रही है कि वोट, स्थानीय पंचों अथवा जाति पंचो पर निर्भर रहते हैं, वे समाप्त होने चाहिये। मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान करने के लिए राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए जिससे कि वह अपने मत का प्रयोग सही ढंग से कर सके।

(24) मतदान पत्रों से चुनाव चिन्ह हटा देने चाहिये और उस पर केवल प्रत्याशी का नाम होना चाहिये। इसके लिए सभी व्यक्तियों को शिक्षित होना आवश्यक है। सरकार इसके लिये निर्देश दे कि मतदाता तीन या चार साल के अन्दर अपने को शिक्षित करे वर्ना उसको मत देने का अधिकार नहीं मिलेगा। मत प्राप्त करने के दृष्टिकोण से राजनीतिक दल स्वयं प्रयास करेंगे तथा उनके कार्यकर्ता, मतदाताओं को शिक्षा देंगे और इस योग्य बनाने का प्रयास करेंगे कि मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम पढ़ सकें। इस पद्धति से अशिक्षा की समस्या इन्हीं राजनीतिक दलों के माध्यम से दूर होगी क्योंकि वे जनता के मतों का लाभ उठाना चाहेंगे।

(25) राजनीतिक दल कम्पनियों और औद्योगिक घरानों तथा पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, उसका ब्योरा कम्पनियों तथा राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग को भेजा जाना चाहिये। उनका अखबारों में प्रकाशन होना चाहिये जिससे कि जनता को पता लग सके कि कितना धन इन पूंजीपतियों ने दिया है।

(26) देश में जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषावाद, साम्प्रदायिकता इन आधारों को निर्वाचन का मुद्दा नहीं बनाना चाहिये और इस विषय में विशेष नियम बनाये जाने चाहिये जिससे कि देश का स्वरूप धर्म निरपेक्ष रहे।

भारत विशाल राष्ट्र है। यहाँ मतदाताओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचनों की निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में वर्णित भ्रष्टाचार वृत्तियों को पूरी तरह से निर्वाचन क्षेत्र से समाप्त कर दिया जाय। यदि निर्वाचन से भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, जातीयता समाप्त हो जाए तो संभवतः हमारा लोकतंत्र आदर्श लोकतन्त्र बन जायेगा। साथ ही हमारे मतदाताओं की जो अवधारणाएं हैं कि हमारे एक मत से क्या होगा, समाप्त हो जायेगी क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया है कि उनका एकमत सत्तारूढ़ दल को अपदस्थ कर सकता है अथवा सत्ताहीन दल को सत्तारूढ़ करा सकता है। यही मतदाताओं में राजनीतिक परिपक्वता लाने का साधन है।

Our Valuable Books

1. प्राचीन भारतीय संस्कृति कला एवं दर्शन—डा० रामलाल सिंह (भूतपूर्व अध्यक्ष लोक सेवा आयोग (उ० प्र०) 25.00
2. हमारे पुराने नगर—डा० रामलालसिंह 5.00
3. Comprehensive General English for P. C. S. and other competitive Examis.—O. P. Malviya (Ex. P. C. S. Officer) University of Allahabad. 22.00
4. सामान्य ज्ञान परिचय —ओ० पी० मालवीय, प्रयाग विश्वविद्यालय 21.00
5. Elementry Math P. C. S. Solved Papers. —9.00
6. सामान्य ज्ञान कौन ? क्या ? कहां ? एवं सामायिक गतिविधियां 3. 25
7. साम्प्रतिक निबन्ध—ओ० पी० मालवीय 5.00

While ordering for books/papers please send Rs. 10/-in advance by M. O.

PRAYAG PUSTAK SADAN
University Road, Allahabad—Phone No. 54995

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिये हमारे उपयोगी प्रकाशन

1 सैक्रिटेरियेट गाइड मूल्य ...
2. सामान्य हिन्दी ,, ...
[नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर]
3. प्रतियोगिता निबन्ध ,, ...
4. सामान्य ज्ञान ,, ...
5. सारांश लेखन ,, ...
6. अंकगणित हिन्दी-इंगलिश ,, ...
7. फारेस्ट रेन्जर गाईड ,, ...
8. फारेस्ट रेन्जर पेपर ,, ...

कृपया आर्डर के साथ 5/ अग्रिम धनराशि मनीआर्डर से अवश्य भेजें।

रवि प्रिन्टर्स व पब्लिशर्स
463, मम्फोर्डगंज इलाहाबाद—211002

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय नियोजन के तीन दशक: एक समीक्षा

❋ धर्मपाल सिंह

वर्ष 1930 की विश्वव्यापी मन्दी के बाद विश्व की अनेक (लगभग सभी) अर्थ व्यवस्थाओं ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकारा। और इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित नीति कि सरकार, को केवल कुछ कार्यों जैसे देश में शान्ति और, सुरक्षा बनाये रखने के अलावा राज्य के कार्यों में हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए, विफल हो गई। जब विश्व की अर्थ-व्यवस्थाओं ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अपनाया तो उनके सम्मुख कुछ स्पष्ट लक्ष्य थे—देश में व्याप्त मुद्रा स्फीति, गरीबी, बेरोजगारी व भुखमरी की समस्याओं को दूर करना तथा अपने देश की जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना। यद्यपि भारत में भी कुछ राजनीतिज्ञों और चिन्तकों का ध्यान इस ओर गया था परन्तु देश के पराधीन होने के कारण इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाया जा सका। सन् 1938 में कांग्रेस दल ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजनाएँ तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 'नियोजन समिति' का गठन किया था। परन्तु नियोजन का कार्य स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही आरम्भ किया जा सका। प्रश्न उठता है कि हमने आयोजन-प्रणाली को ही क्यों अपनाया। क्या हम बिना आयोजन के अपना आर्थिक व सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं? आजादी मिलने के बाद हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना रहा है जिसे प्राप्त करके लिए देश में व्याप्त गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता की समस्याओं को दूर करना आवश्यक था। और जब हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य हों, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन जुटाये जायें और फिर उन साधनों का सर्वश्रेष्ठ सम्भव प्रयोग होना जरूरी है। इन सब के लिए यदि विकास की योजना-बद्ध प्रणाली को अपनाया जाय तो अधिक उचित होगा। और यही हमारे देश के कर्णधारों ने किया। उधर रूस में आयोजन की प्रणाली के बड़े अच्छे परिणाम निकल रहे थे, उससे भी जवाहर लाल नेहरू काफी प्रभावित हुए।

अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का सिंहावलोकन करने के पूर्व हमें योजना के आधारभूत तत्वों को जान लेना चाहिये। योजना के प्रमुख आधारभूत तत्व अग्र प्रकार हैं—देश में उपलब्ध सीमित साधनों का अधिकतम सम्भावी उपयोग करके तीव्र आर्थिक विकास करना, अर्थ-व्यवस्था का आधुनिकीकरण और उसके स्वरूप में परिवर्तन लाना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा गरीबी एवम् आर्थिक विषमताओं को दूर करना। हमारे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि देश में प्रत्येक नागरिक को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। अब हमें यह देखना है कि उपरोक्त आधारभूत तत्वों का अपनी आयोजन-प्रणाली में समायोजन करने के पश्चात हमारे आयोजकों ने अपने लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है।

भारत सरकार ने देश में उपलब्ध संसाधनों के अत्यन्त प्रभावपूर्ण तथा सन्तुलित उपयोग के लिये योजना तैयार करने के वास्ते 1950 में 'योजना आयोग' का गठन किया जिसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के द्वारा योजना के प्रारूप सम्बन्धी संस्तुति दिये जाने के पश्चात देश में 1 अप्रैल, 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गयी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे—द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश के विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असन्तुलन को ठीक करना तथा सर्वांगीण सन्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना। आजादी मिलने के समय देश में कृषि तथा कृषकों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, देश में खाद्यान्नों का अभाव था। इसी कारण योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी।

प्रथम योजना, जो कि अनेक योजनाओं का एक समुच्चय मात्र थी, अपने आप में अनूठी रही। योजना अपने

* अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कई निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गयी। राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रतिव्यक्ति आय में 11·/. की वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में 20% तथा औद्योगिक उत्पादन में 38% की दर से बढ़ोतरी हुई। व्यापार सन्तुलन पक्ष में रहा तथा बजट घाटा भी अनुमान से कम रहा। मूल्यों में वृद्धि के बजाय 13% की कमी आयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य व्यापक रूप में एक कल्याणकारी राज्य में समाजवादी समाज की स्थापना करना था। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना करके देश का औद्योगीकरण करना रोजगार के अवसर बढ़ाना, आय व सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना तथा आर्थिक शक्ति का और अधिक समतापूर्ण वितरण करना इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे। प्रस्तुत योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया।

इस योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर 19·5% रही जबकि प्रति व्यक्ति आय 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 8% ही बढ़ी। औद्योगिक उत्पादन 7% की दर से बढ़ा। परन्तु योजनावधि में कच्चे माल तथा उर्जा की समस्या बनी रही। विदेशी विनियम भण्डार में कमी आयी। अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी दबाव बढ़ा।

तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय तो 17% की दर से बढी परन्तु प्रति व्यक्ति आय में 2% की कमी आयी। जन-संख्या वृद्धि दर 2·21% पायी गयी जब कि 1950-51 में यह अनुमान लगाया गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 1·25% के आस-पास रहेगी। योजनाकाल में विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ी। राज्यों और केन्द्र के मध्य सहयोग की भावना में कमी पायी गयी। तीन वार्षिक योजनाओं के परिणाम भी सन्तोषजनक नहीं रहे।

चौथी योजना का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण उसके प्रभाव को घटाना था। योजनावधि में अर्थव्यवस्था के विकास की औसत दर 3·3% पायी गयी। कृषि उत्पादन 2·8% की दर से बढ़ा।

पांचवी योजना में पहले से चले आ रहे अन्य लक्ष्यों के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों—गरीबी का निराकरण और आर्थिक आत्म-निर्भरता की प्राप्ति को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया गया। इस योजना में 5·5% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था जबकि औसत वार्षिक विकास दर केवल 3% ही रही। कुछ राजनैतिक कारणों से योजना को कार्यकाल पूर्व करने के एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना के भी दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। छठी योजना अपने आप में अति विस्तृत और कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को संजोये है। परन्तु सवाल केवल लक्ष्यों के निर्धारित कर देने मात्र का न होकर यह है कि हम उन लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं और कर पाते हैं।

अब हमें यह देखना है कि हमारी योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है? इस बात में कोई सन्देह नहीं कि पिछले 31 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हुआ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था कहीं अधिक व्यापक, सुदृढ़ और सशक्त है। योजनावधि में हमारा राष्ट्रीय उत्पादन 3·8% वार्षिक की दर से बढ़ा है। देश खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। सन् 1951 से खाद्यान्न उत्पादन में लगभग तीन गुनी वृद्धि हो चुकी है। आज हमारे पास एक मजबूत औद्योगिक आधार है। भारी उद्योगों, विज्ञान और तकनीक का भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। आज भारत औद्योगिक दृष्टि से विश्व का द[illegible] देश है। आज हम न केवल मशीनों और पूंजी के आयात[illegible]व है अपितु निर्यातक भी बन चुके हैं।

लेकिन उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ-साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि विकास के परिप्रेक्ष्य' में जो कुछ अभी तक किया जा चुका है शायद उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा किया जा सकता था। गरीबी और अनेक बुनियादी समस्याएं अपने व्यापक रूप में आज भी विद्यमान हैं। हजारों गाँव आज भी ऐसे हैं जहाँ पीने के लिये पानी भी उपलब्ध नहीं, स्वच्छ जल की तो बात ही छोड़ दीजिये। समाज के अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों को विकास योजनाओं से होने वाले लाभ उनके हिस्से से कुछ ज्यादा ही मिलता रहा है। विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असन्तुलन को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है, हालांकि हमारे आयोजक आरम्भ से ही इसके प्रति सचेत और इसे दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं। आज भी देश में कृषि योग्य भूमि के बहुत बड़े हिस्से से [illegible] सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। विदेशी व्यापार [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ता ही जा रहा है। जिसे पाटने के लिये हमें विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। आत्म-निर्भरता का लक्ष्य तो अभी कोसों दूर है।

पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देखने से पता चलता है कि प्रत्येक योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। अपेक्षा और उपलब्धि के बीच का अन्तर लगातार बढ़ता ही गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह बात कही गयी थी कि सन् 1977 तक देश में प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी जायेगी। परन्तु 1977-78 में प्रति-व्यक्ति आय 1950-51 के स्तर से केवल 50% ही अधिक थी। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या व प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में देश की 48% से अधिक जन-संख्या गरीबी-रेखा या उससे नीचे का जीवन-यापन कर रही है। समाज के कमजोर वर्गों का शोषण आज भी जारी है। अच्छे से अच्छे भूमि सुधार और श्रम कानून भी राजनीतिक प्रभाव में आकर विफल हो गये हैं। अनेक परियोजनाएं अपने निर्धारित समय में पूरी न की जा सकीं। परिणाम-स्वरूप इन परियोजनाओं की लागत बढ़ती गयीं जिसका, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मूल्य-वृद्धि और मुद्रा स्फीति अपने व्यापक और विकराल रूप में आज भी हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर व कम आय वाले वर्गों को जर्जर कर रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि, जनता को आलोकित-आनन्दित करने के सब सपने आबादी की भीड़ में खो गये। जो हमारे आयोजकों की अदूरदर्शिता तथा योजनाओं के अनुचित कार्यान्वयन की ही परिणति है। विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो कहाँ गया हमारे आयोजकों का 'आत्म-निर्भरता' का लक्ष्य? लगता है हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को विदेशों के हाथ गिरवी रख रहे हैं। हम विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय-वित्तीय संस्थाओं के सामने सहायता के लिये हाथ फैलाये हुए हैं। इसी वर्ष देश को 22 अरब रूपये की विदेशी सहायता मिलने का अनुमान है। बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ अनुबन्ध दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्ष 1981-82 में 7250 करोड़ रुपये के उपक्रम अनुबन्ध किये जा चुके हैं। बहुराष्ट्रीय निगम प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप ही सही औपनिवेशिक शोषणवादी प्रवृत्ति के प्रतीक नहीं तो और क्या है? हम अभी भी अपने स्वदेशी साधनों का उपयोग विदेशों के लाभ के लिये ही कर रहे हैं। विदेशी ऋण पर दिया गया ब्याज हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 13-15% तक बैठता है। जो वास्तविक रूप में हमारे आर्थिक साधनों का विदेशों को हस्तान्तरण है।

यदि हम अपने आयोजन द्वारा किये गये आर्थिक विकास की तुलना भारत जैसे ही विशाल जन-समूह वाले देश से करें तो भी हमें अपने नियोजन की सफलताओं पर निराशा ही होती है। विश्व बैङ्क की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1957-79 के समय में चीनियों की प्रति-व्यक्ति आय 2.7% जबकि भारतीयों की 1.4% वार्षिक की दर से बढ़ी है। चीन 1950 में बहुत सारे क्षेत्रों के विकास में भारत से पीछे था तथा परन्तु अब कई गुना तक आगे हो गया है। वस्तुतः जो बात गाँधीजी भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू करने को कहते थे; उसे भारत द्वारा न अपनाया जाकर माओ द्वारा अपनाया गया, केवल हिंसा में माओ-से तुंग के विश्वास की नीति को छोड़कर।

यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके तो क्या गलती योजनाओं की पृष्ठभूमि में हुई है या उनके कार्यान्वियन में? वास्तव में हमने पाश्चात्य औद्योगिक विकास का अन्धानुकरण किया है। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था की समस्यायें भिन्न है। गाँधीजी के अनुसार—'भारत की आत्मा गाँवों में बसती है'। और इसीलिये हमारी अर्थनीति का आधार गाँव ही होना चाहिये था जो कि नहीं किया गया। आर्थिक विकास की प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक इसके लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक न पहुँच जाये। देश के विशाल जन-समूह को रोजगार के साधन ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास से ही दिये जा सकते हैं। और जब अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो उनकी आय बढ़ेगी जिससे क्रय-शक्ति बढ़ेगी और इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में प्रभाव-माँग बढ़ने से उत्पादन, विनियोग बढ़ेगा तथा लोग पहले की अपेक्षा अधिक खुशहाल होंगे।

आयोजन की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाना है। जो आज अर्थव्यवस्था के लिये सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिसका कारण अकुशल प्रबन्ध-क्षमता का समुचित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपयोग न होना, कच्चे माल और ऊर्जा की अनुपयुक्त पूर्ति आदि है। वर्तमान में इन उपक्रमों में 21, 126 करोड़ रुपये से भी अधिक की पूंजी विनियोजित है। और इतनी अधिक मात्रा में विनियोजित पूंजी पर लाभ प्राप्त न होने पर यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को विकास की प्रक्रिया के पीछे धकेल देता है। देश में औद्योगिक क्षेत्र में लगी कुल पूंजी का 59% भाग सार्वजनिक क्षेत्र में, 5 % मिश्रित क्षेत्र में तथा 35 % भाग निजी क्षेत्र में लगा है। जबकि रोजगार और कुल उत्पादन की दृष्टि से देखने पर स्थिति इसके विपरीत है। कुल रोजगार का केवल 24% और कुल उत्पादन का केवल 22% भाग ही सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से में आता है।

उल्लेखनीय है कि निर्धनता को कम करने का कोई भी प्रयास तब तक कारगर सिद्ध नहीं हो सकता जब तक अर्थ-व्यवस्था में व्यापक मुद्रास्फीति विद्यमान है। क्योंकि मुद्रा-स्फीति से गरीबों की आय का हस्तान्तरण धनी वर्ग के पक्ष में जाता है। फलस्वरूप आर्थिक असमानतायें और बढ़ती है। बड़ी मात्रा में घाटा वित्तीयन नीति अपनाने से अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति और अन्ततः मूल्यों में वृद्धि का दबाव बढ़ता है। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रो० राजकृष्ण, मुद्रा स्फीति के लिए बड़ी मात्रा में घाटा वित्तीयन को ही दोषी ठहराते हैं। वे सन्तुलित बजट को महत्त्व देते हैं। परन्तु यह कोई समस्या का समाधान नहीं। यदि केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने बजट को सन्तुलित रखती हैं तो उससे नियोजित विनियोग की मात्रा में कमी आयेगी। जिससे परियोजनाओं के पूरा होने में और अधिक देर होगी और इससे तो अर्थव्यवस्था अभावों का शिकार हो जायेगी तथा स्फीति अपने आप बढ़ जायेगी। यदि दूसरी ओर गैर-विकास कार्यों पर खर्च में कमी की जाती है, तो पिछले 31 वर्षों में स्थापित की गयी हमारी पूंजी परिसम्पत्तियों को कम से कम उसी स्तर पर बनाये रखने के खर्च में कमी आयेगी जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी का ह्रास होगा। अतः उत्पादकता को बढ़ाया जाना ही मुद्रास्फीति की समस्या का हल है।

भारतीय नियोजन की कमियों के सम्बन्ध में एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमने विकास के केन्द्रीय ढांचे को अपनाया है, अर्थात् देश में बचत बढ़ने से विनियोग बढ़ेगा और विनियोग बढ़ने से उत्पादन, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय सभी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसरित होगी। इसी कारण हम अपनी सभी योजनाओं में बचत बढ़ाने को प्रोत्साहन देते रहे हैं। और आज हमारी बचतें राष्ट्रीय उत्पादन के 24% के लगभग ठहरती हैं। इतनी ऊँची बचत दर तो विकसित देशों में पायी जाती है जहाँ आर्थिक विकास की दर भी बहुत तीव्र होती है। परन्तु हमारी अर्थव्यवस्था न तो विकसित है और न ही हमने तीव्र आर्थिक विकास दर को प्राप्त किया है, तो क्या कारण है कि इतनी ऊँची बचत दर प्राप्त कर लेने पर भी हम आर्थिक विकास के पथ पर बहुत पीछे हैं? एक तो केवल ऊँची बचत दर तथा विनियोग बढ़ा देने मात्र से ही तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता; दूसरे हमारी बचतों में घरेलू परिसम्पत्तियों को भी शामिल कर लिया गया है जो विनियोग और विकास कार्य को बढ़ाने में मदद नहीं देती।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियन्त्रित न किया जा सकना भी बहुत कुछ हद तक हमारी नियोजन-व्यवस्था की विफलता के लिये उत्तरदायी है।

प्रश्न उठता है कि क्या नियोजन-व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिये? यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी नियोजन-व्यवस्था में बहुत सारी खामियाँ हैं। परन्तु नियोजन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना भी तो हमारी राष्ट्रीय समस्याओं का हल नहीं। क्योंकि हमारे देश में 64% लोग अभी भी अशिक्षित हैं और बिना पढ़े-लिखे लोग या तो किसी नयी नीति को जल्दी से स्वीकार नहीं करते और यदि स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसे बदलना नहीं चाहते। आर्थिक नियोजन नीति को अब देश की सम्पूर्ण जनता ने स्वीकार कर लिया है और वे उसके द्वारा अपने और देश के आर्थिक व सामाजिक विकास की अपेक्षाएं करते हैं। वैसे भी हमें अपनी अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करने के लिये नियोजित विकास जरूरी है। अतः आवश्यकता तो इस बात की है कि नियोजन के ढाँचे तथा प्रक्रिया में आयी कमियों को दूर किया जाये। हमें अपने सार्वजनिक क्षेत्र को चुस्त बनाना होगा ताकि वे अपनी उपलब्ध क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग कर सके और कम से कम 12% लाभ कमाकर, पूंजी निर्माण और अन्ततः देश के आर्थिक विकास में अपना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकाधिक योगदान दें । भूमि-सुधार कार्यक्रम जो अभी तक अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है, उसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। जनसंख्या समस्या तो राष्ट्र के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गयी है और जब तक इस समस्या से नहीं निपटा जाता, आर्थिक विकास और नियोजन के सारे प्रयास और परिणाम विफल होंगे। पाश्चात्य देशों का अन्धानुकरण करना हमारे लिये सर्वथा निरर्थक और अनुचित होगा ।

आइए, इस पर विचार किया जाये कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन का आधार किस प्रकार का हो—

(1) हमारी विकास योजनाएं ग्रामोमुखी होनी चाहिए यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र को भी उचित रूप में महत्त्व दिया जाये ।

(2) योजनाएं विकेन्द्रित और श्रमप्रधान तकनीक पर आधारित हों ताकि उनसे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो और रोजगार के अवसर बढ़ें ।

(3) सहायता राशि का पूरा और उचित प्रयोग किया जाना चाहिए । और जहाँ तक सम्भव हो आत्म-निर्भर बनने की कोशिश की जानी चाहिए । केवल बिना शर्त ही विदेशी सहायता स्वीकार करनी चाहिए नहीं तो उस सहायता का लाभ हमें न मिलकर सहायता देने वाले देश को ही अधिक प्राप्त होगा ।

(4) हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि क्षेत्र की प्रधानता है। अतः औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ कृषि-क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि हम सर्वप्रथम तो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हों और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। देश के भूखे-मरते गरीबों को दो जून रोटी की आवश्यकता पहले है बनिस्बत आठे के रंगीन दूरदर्शन की बाद में ।

(5) जनसंख्या-समस्या, मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय असमानताओं, कमजोर वर्गों के आर्थिक शोषण जैसी समस्याओं को केवल योजनाएं तैयार करते समय कागजों में न लिखकर व्यवहार में इनको दूर करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए । राष्ट्रीय उद्देश्यों को सदैव राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए । कुछ राजनीतिज्ञ हमेशा स्वार्थ साधने और अवसरवादिता के फेर में पड़े रहते हैं, उनके सम्मुख देश के विकास का कोई आदर्श नहीं होता ।

नियोजन प्रणाली का छठा चरण: लक्ष्य और अपेक्षाएँ

छठी पंचवर्षीय योजना अपने दो वर्ष पूरे कर चुकी है। वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय विकास दर 7·7% तथा 1981-82 में 4-5% रही। प्रति व्यक्ति आय 1979-80 के 661 रुपये से बढ़कर '80-81 में 696 रुपये हो गयी है। वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय आय में यह उल्लेखनीय वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में प्राप्त की गयी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का परिणाम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले दो वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से अच्छे रहे हैं। परन्तु अर्थव्यवस्था पर मूल्य का दबाव अभी भी बरकरार है।

छठी योजना में पहली बार इस बात को स्वीकारा गया है कि आयोजन की सफलता के लिए तीव्र जन वृद्धि दर पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। और इस दिशा में प्रयत्न जारी भी हैं। यह भी कहा गया है कि गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वर्तमान लगभग 48% लोगों की संख्या 1985 तक घटाकर 30% तक कर दी जायेगी खाद्यान्न के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। योजनावधि में स्वः रोजगार योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूर्व-निर्धारित परियोजनाओं के पूरा न हो पाने के कारण ही योजना-व्यय की कुल राशि का 80% अधूरी चली आ रही परियोजनाओं तथा केवल 20% ही आगामी परियोजनाओं पर खर्च किया जायेगा। आर्थिक विषमताओं को कम करने पर भी सरकार बल दे रही है। देखना यह है कि वर्तमान योजना के महत्वपूर्ण विस्तृत लक्ष्य कहां तक साकार हो पाते हैं।

सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स
एवं
गाइडों को प्राप्त करने के लिये सम्पर्क करें :—
वोहरा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स
सम्पर्क सूत्र—13/7 अलोपीबाग, इलाहाबाद ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय नारी का स्वरूप : एक दृष्टि

—: द्विमूर्ति

यों तो भारतीय नारी के बारे में हमारे साहित्य में विपुल सामग्री उपलब्ध है लेकिन आज भारतीय नारी को लेकर जितनी खींच- तान मची हुई है, उतनी इसके पूर्व शायद कभी नहीं थी '। इस खींच–तान का उत्तरदायी हमारा ही समाज है, हमारी ही परम्परायें हैं या इसको प्रभावित कर उत्प्रेरित करने का श्रेय पाश्चात्य देशों को है, जहां प्रायः नारी उन सन्दर्भों में नारी नहीं रह गयी है; जिन सन्दर्भों में हमारे यहाँ 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' को केंद्र में रखकर उसका मान एवं गौरव समझा जाता है। हम समझते हैं कि हमारे नारी–समाज की आज जो देय स्थिति है, वह पश्चिमी देशों के ही कारण है, जहाँ से 'वीमेन्स लिब' जैसे लतीफे आयातित होकर उनके मूल में समा गये हैं। जहां हमारी भारतीय नारी की सीमा उसका आंगन, उसका परिवार, उसका पति था, वहीं आज उसकी सीमातीत वृद्धि दफ्तरों, काफी हाउसों, आदि तक हो गयी है। यही नहीं, वह बिना आत्मानुशासन का आभास किये, बड़े स्वच्छन्द भाव से आज रहने लगी है। इस मुक्तता को जहाँ परम्परावादी लोग ढोंग, नारियों की स्थिति में सांस्कृतिक रूप से गिरावट एवं उसके बह जाने जैसी संज्ञा देते हैं, वहीं तथाकथित प्रगतिशील लोग नारी के इस मुक्त एवं स्वच्छन्द विचरण को समता एवं समानता के अधिकार के तहत नारी बनाकर उसे गौरव प्रदान करने की बात करते हैं। वास्तविक स्थिति क्या है ? हमारी भारतीय नारी की सीमा आज क्या है ? उसे क्या करना चाहिए ? क्या नहीं करना चाहिए, आदि बातों का विवेचन नारी-शिक्षा के मर्मज्ञ लोगों के सीमा के अन्तर्गत आता है। लेकिन, हम यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से दिखाना चाहेंगे कि हमारी भारतीय नारी अपने अतीत में क्या थी, उसने समाज को क्या योगदान दिये थे, और अब उसे क्या हो गया है।

यहाँ, हम, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि सिन्धु घाटी की सभ्यता प्राचीन है या पूर्व वैदिक काल की लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सिन्धु-सभ्यता के अन्तर्गत स्त्रियों को समाज में अत्यन्त उच्च दृष्टि से देखा जाता था और यह परम्परा प्रायः वहां से और विकसित एवं पुष्पित होती हुई जब वैदिक युग में पहुँची तब तो स्त्रियों की दशा के बारे में पूछना ही क्या ! जैसा कि 'अथर्ववेद' में उल्लिखित है कि स्त्री एक प्रकार से गृह की साम्राज्ञी थी। यही नहीं, 'सत्पथ ब्राहमण' तो लिखता है कि समाज में स्त्रियों का इतना गौरव और मान था कि उनके बिना पुरुष अपूर्ण और अधूरा माना जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष की स्वतन्त्र रूप से कोई सत्ता नहीं थी। इस प्रकार, नारी पुरुष की अर्द्धांगिनी तो मानी ही गयी साथ ही 'बृहत संहिता' ने तो उसे 'श्री' और 'लक्ष्मी' से आगे मनुष्य के जीवन को सुख और समृद्धि से दीप्ति करने वाली कहा। यदि यह कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी कि स्त्री का पुरुष के घर में आगमन उसके शुभ, समृद्धि और सम्मान का द्योतक था। यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि स्त्री अपने आंगन में रह कर और संस्कारों में बंधकर शिक्षा, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करती थी वह जिस स्वच्छन्दता से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, उसी स्वतन्त्रता से विचरण भी कर सकती थी। पुरुषों की तुलना में वह कथमपि निम्न नहीं थी। ऋग्वेद में तो यहाँ तक उल्लेख है कि–'सम्राज्ञी श्वसूरे भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु' इस प्रकार, वह समाज के सारे अनुष्ठानों में पुरुष की सहभागिनी थी। इसी लिए ब्राहमण ग्रन्थों में 'तो स्त्री और पुरुष दोनों को यज्ञ रूपी रथ का बैल' ही मान लिया गया है। और वह वह पत्नी और जाया के रूपों को सांस्कृतिक अर्थों में ग्रहण करके गृहिणी भी बन गयी थी। उस काल की कुछ महान विभूतियों का नामोल्लेख करना कदाचित् असंगत न होगा, यथा-रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, निबावरी, घोषा, लोपा, मुद्रा आदि। लेकिन शनैः शनैः नारियों की समाज में जो स्थिति थी, उसमें एक शिथिलता दृष्टिगोचर होने लगी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थी। यद्यपि कुछ ऐसी स्त्रियां उस समय भी थीं, जो आजीवन विद्याध्ययन करके 'ब्रह्म वाहिनी' का गौरव प्राप्त करती थीं लेकिन कर्म-काण्डों की जटिलता ने उनको भी अपने आपे में नहीं रहने दिया और परिणाम हुआ--स्त्रियों की दशा में गिरावट।

स्त्रियों की दशा में यह गिरावट सूत्रों और स्मृतियों के काल में तो और बढ़ी तथा उसके लिए 'निः-सहाय' 'परतन्त्र' और 'निर्बल' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया जाने लगा। उन पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे और प्रायः पूर्व वैदिक काल से आती हुई सारी मान्यताएं उलट गयीं और मनु ने कहा—

"पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने,
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।"

इतिहास का वरण जब महाकाव्य काल ने किया तब से स्त्रियों की दशा में आशा-जनक सुधार लक्षित होने लगे। चाहे उस समय के सामाजिक उत्सव रहे हों या धार्मिक कार्य, सब में उसका योगदान सराहा जाने लगा। 'मनुस्मृति' में तो मनु ने यहाँ तक कहा कि जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। यद्यपि इस युग में स्त्रियों को साध्वी और असाध्वी कहकर दो दृष्टियाँ बना ली गई लेकिन कुल मिलाकर साध्वी स्त्रियों से ही यह काल शोभा पाता रहा। 'रामायण' एवं 'महाभारत' में प्रतिष्ठित सीता और द्रौपदी के प्रति आज भी बीसवीं सदी के अन्तिम चरण में हमारे मन में जो उदात्तता का भाव भरा हुआ है, उस पर कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह काल इन स्त्रियों के कारण इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपनी छाप छोड़ गया।

जहाँ तक बौद्ध एवं जैन धर्मयुगीन स्त्रियों की दशा का प्रश्न है, इस युग में स्त्रियों की रुचि विद्या, धर्म और दर्शन में खूब रमी थी। उस काल में स्त्रियां ज्ञान-पिपासु होती थीं, साथ ही ब्रह्मचर्य का जीवन भी व्यतीत करती थीं। इस काल की कुछ स्त्रियों-शुभा, सुमेधा और अनोपना आदि का नामोल्लेख कर देना ही उनकी तत्कालीन स्थितियों का परिचायक होगा। गुप्त-काल में यद्यपि स्त्री का रूप 'गौरी' और 'भवानी' का तो था अवश्य तथापि वह अपने यौवनारम्भ से ही अपने पिता या अभिभावक के लिये एक बोझ बन गयी। यही नहीं, इस काल में तो नारी को एक प्रकार से सम्पत्ति का रूप ही दे दिया गया। यह वही काल है, जिसमें कवि कुल गुरु कालिदास पार्वती और शंकर को माता और पिता कह कर भी उनके यौन-सम्बन्धों का दिग्दर्शन कराने में नहीं चूके। मात्र, इसी उदाहरण से तत्कालीन नारियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और यह क्रम प्रायः पूर्व मध्य काल तक नैरन्तर्य को प्राप्त करता रहा।

मध्य काल तक आते-आते नारी श्रृंगार और विलासिता की वस्तु बन गयी। अब, वह पुरुष की अर्द्धांगिनी न होकर अंकशायिनी मात्र बनकर रह गयी। वह अपने अंगों को न्यौछावर करने के लिये लालायित हो गयी जिससे उसको 'वीरांगना' जैसी उपाधियां प्रदान की गयीं। मध्यकाल में नारी की स्थिति पूर्णतया उपेक्षित होने का प्रमुख कारण कदाचित् हमारे देश पर मुसलमानों का आक्रमण था जिसने हमारी परम्पराओं, मान्यताओं एवं समाज को बिल्कुल झकझोर दिया और उसमें नारी 'भोजन पकाने' एवं 'बच्चा-पैदा करने वाली मशीन' मात्र बनकर रह गयी। उस काल के साहित्यकारों ने भी नारियों को नहीं बख्शा। तुलसी जैसे युगान्तरकारी कवि ने भी 'ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी' कहकर नारी-चरित्र के मध्ययुगीन सम्प्रत्यय को और अधिक बल प्रदान किया। यही नहीं, आगे तो उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया कि नारी के हृदय में सदैव आठ अवगुणों का वास होता है। यह दृष्टिकोण नारी के लिए कितना उपेक्षित था, कहने की आवश्यकता नहीं। उत्तर मध्य युग में जब नारी रीति के सिद्ध एवं मर्मज्ञ साहित्यिकों के हाथ पड़ी तब तो उसका पूछना ही क्या? वह संयोग-श्रृंगार, नायक-नायिका भेद, समस्या-पूर्ति एवं मानसिक विलास की विषय ही बनकर रह गयी। उस काल का शायद ही कोई ऐसा कवि रहा हो, जिसने नारी को काव्य का हेतु न बनाया हो। आचार्य केशव दास से लेकर मतिराम एवं भूषण तक के काव्य में नारी का जो रूप चित्रित किया गया है, वह उनकी तत्कालीन सामाजिक दशा को प्रतिबिम्बित करने में कम अहं भूमिका नहीं अदा करता। जहां नारियां इस काल में पुरुष की वशवर्तिनी एवं अंकशायिनी हो गयीं वहां राजघरानों से जुड़ी हुई ऐसी वीरांगनायें भी थीं, जिनको उस काल का सिरमौर कहा जा सकता है। इनमें रजिया बेगम, चांद बीबी, रानी दुर्गावती इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। जहां इन वीरांगनाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य किये, वहीं इनका स्वयं का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्त्री होना इनके लिये अत्यन्त घातक ही सिद्ध हुआ । इस प्रकार, हम देखते है कि मध्ययुग से आधुनिक-युग के संक्रमण की स्थिति तक नारी की स्थिति समाज में अत्यन्त हेय रही ।

अब, हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि अंग्रेजों के कारण जिस प्रकार हमारे देश में हर क्षेत्र में गिरावट आयी, उसी प्रकार नारियों की स्थिति भी दयनीय से दयनीयतर होती गयी । लेकिन परिस्थितियां बदलीं; भारतवर्ष ने पुनर्जागरण के बालारुण का दर्शन किया फलस्वरूप, राजा राम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसी एक से एक महाविभूतियां अवतरित हुई और इन महाविभूतियों ने जीवन के हर क्षेत्र की भाँति ही नारियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सतत चेष्टा की । यही नहीं, तत्कालीन प्रमुख अंग्रेजी वाइसरायों विलियम बैंटिंग और लार्ड डलहौजी ने भी कानूनी तौर पर नारियों की दशा में सुधार करने में अपनी प्रमुख भूमिकाएँ अदा कीं ।

गांधी युग तक तो आते-आते गांधी के प्रयत्नों से नारी को पुनः सहचरी का दर्जा मिलने की बात जोरों पर होने लगी । यह माना जाने लगा कि नारी की शक्ति किसी प्रकार पुरुष से कम नहीं है । गांधी ने दोनों को एक दूसरे का पूरक मानने पर जोर दिया । उन्होंने स्त्री को अबला कहना उसका अपमान समझा, तभी तो बेबाक ढङ्ग से कहा—"स्त्री को अबला कहना उसकी मान-हानि करना है । यह पुरुष का स्त्री के प्रति अन्याय है । यदि बल का अर्थ पशु-बल है तो बेशक स्त्री पुरुष से निर्बल है क्योंकि उसमें पशुता कम है किन्तु अपार बल का अर्थ अगर नैतिक बल है तो स्त्री पुरुष से बेहद ऊँची है ।" इस प्रकार, जहां बापू ने नारियों को इतना उच्च आसन दिलवाने का प्रयास किया, वहीं हिन्दी के आधुनिक काव्य में मैथिलीशरण गुप्त और प्रसाद जैसे महाकवियों ने भी नारी को उपेक्षा से अतीव अपेक्षा का स्थान दिलाया । जहां मैथिलीशरण गुप्त ने 'उर्मिला' के माध्यम से नारी-जगत् को महत्व देने के लिये 'साकेत' की रचना की, वहीं महाकवि, जयशंकर प्रसाद ने 'कामायिनी' लिख कर 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' का उद्घोष किया ।

गांधी-युग तक नारियों का जो स्वरूप चला आ रहा था, वह उत्तर गांधी-युग में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ । जहाँ नारियों ने शिक्षा, समाज और साहित्य के क्षेत्र में पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाया है, वहीं वह घर रूपी बन्धन एवं समाज रूपी संस्था से बाहर निकल कर कैबेरे और डिस्को के चमकते रूप में फँस कर रह गयी है । आज, देखने में यही आता है कि वह पुरुष को वशवर्ती समझने लगी है । युगों से आती हुई मान्यताओं और परम्पराओं को उसने ताक पर रख दिया है । वह अपनी शारीरिक गठन, लुभावनी देह-यष्टि से अपना परम उद्देश्य 'सुख' प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । आज नारियों में मादक द्रव्यों, यौन-स्वतन्त्रता, मैत्री-करार आदि की जो भावनाएं घर कर गयी हैं, उसने उसको पुरुष से भी अधिक बलवती बना दिया है । आज, उसे कदाचित् पुरुष की आवश्यकता हो नहीं रह गयी है और आवश्यकता यदि है भी तो मात्र उस पर शासन करने के लिये । नारियों के इतने तीव्र गति से पतन में, उनसे सम्बन्धित मूल्यों के टूटने में हम पश्चिमी देशों से आये हुये आसुरी प्रभावों, रंगीन टी० वी०, घटिया स्तर की फिल्मों आदि को घटक के रूप में मान सकते हैं । जहाँ, समाज में इस प्रकार के दोष व्याप्त हैं, वहीं आर्थिक विषमताएँ इन मान्यताओं को और भी तोड़ने में कारगर हैं । आये दिन दहेज की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, शिक्षित अशिक्षित की समस्या आदि जो समाज में व्याप्त हैं, उनसे जहाँ नारी संघर्ष कर रही है, वहीं उसमें लड़कर हारने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है ।

अब प्रश्न यह है कि नारी अपने यथार्थ स्वरूप को कैसे पहचाने ? उसके लिए हमारा समाज कुछ करे या वह स्वयं संघर्ष करे । यह अत्यन्त ही ज्वलन्त प्रश्न है । इस सन्दर्भ में हम यही कहना उचित एवं श्रेयस्कर समझते हैं कि इसके लिये समाज के साथ ही साथ नारी को अपने प्रति, अपने कर्त्तव्यों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति अपने आगामी सुखद भविष्य के लिये सचेष्ट होना पड़ेगा । यदि आवश्यकता पड़ी तो उसे संघर्ष के लिये भी तैयार रहना होगा । आज की नारी को अपने मान-मर्यादा बचाकर गौरव प्राप्त करने के लिये सीता और द्रौपदी ही नहीं, अपितु दुर्गा और चण्डी का रूप भी धारण करना होगा ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कला और जीवन

पृथ्वी नाथ पाण्डेय

वस्तुतः कला जीवन का दर्पण है । इसके अनुसार मानव-जीवन तथा इहलोक में जो घृणित, कुत्सित, अपवित्र और दूषित हैं उनका यथार्थ चित्रण भी कला है । किन्तु, प्रकृतिवाद की आड़ में अपनी मलीन वृत्ति को व्यक्त कर साहित्य को दूषित करने का उपक्रम उचित नहीं । आज भी चाकलेट सरीखी पुस्तकों के अनुमोदक हैं । अन्ध-परम्परा का यही कारण है कि लेखक सत्-कला और कलानुकरण के भेद को नहीं समझता । कला की प्रभावोत्पादकता, वैयक्तिकता, प्रसाद और सहृदयता-इन तत्वों पर आधृत है । मानव-जीवन का परमध्येय विश्वात्मा से मिलन का है । कला का उद्देश्य स्वयं है । उसका लक्ष्य असीम है । उसे आप बांध नहीं सकते । वह स्वच्छन्द और स्वतन्त्र है । घृणित से घृणित विषय में भी कला का विकास हो सकता है । अपनी साधना के बल पर कला मनुष्य-मात्र की सीमाओं से बंध नहीं सकी है । फिर भी कला का फल सदैव शिवकारी शिव है । कला यथार्थता का मौलिक चित्रण है । यथार्थता सत्य है और सत्य सदैव ही सुन्दर है । इसीलिये कहा जाता है कि कला सुषमा की सृष्टि करती है तथा हमें स्वर्गानन्द की अलौकिक अनुभूति होती है । किन्तु, परिवेश का रजकण भी उद्देश्य-हीन नहीं । जो कला सत्यं शिवं सुन्दरं है वह निरुद्देश्य किस प्रकार हो सकती है ? यदि ऐसा हो तो उसकी सत्यता, शिवता तथा सुन्दरता हमारे किस प्रयोजन की ? अतः ऐसा मानना अज्ञान है । कला यथार्थता का मौलिक चित्रण होती है तो उससे जन-कल्याण सम्भव नहीं, क्योंकि यथार्थ सत्य-नहीं । हम संसार में जिस यथार्थता को देखते हैं उसमें असत् असुन्दर एवं पाप का अंश पर्याप्त है । कला के संसार की यथार्थता से कोई सम्बन्ध नहीं है । जगत के पदार्थ तथा दृश्य कलाविद् के हृदय-पटल पर जैसा प्रभाव अंकित करते हैं उसी की वह अभिव्यक्ति करता है । कला कलाविद् की मानसिक दशा का चित्रण है । संसार पाप और अपराधों की उर्वरा भूमि है । यदि यथार्थ का ही चित्रण किया जाय तो पाप और दुष्कृतियों का ही प्रधान अंश रहेगा सौन्दर्य की सृष्टि न हो सकेगी । अतः आदर्शवाद का परित्याग कर यथार्थवाद का अनुकरण कर मानव-संसार आत्म-तृप्ति नहीं कर सकता । कला में 'शिव' को प्रतिफलित करने के लिये आदर्श की नितरा आवश्यकता है ।

मनोविनोद ही कला का एक मात्र कार्य नहीं । जो एक के लिये मनोरंजक है वह दूसरे के लिये रस-विहीन भी हो सकता है । रुचि-भिन्नता के कारण मनोरंजन के अनेक भेद हैं । अतः कला का उद्देश्य मनोरंजन अंगीकार करना उसे 'अभिसारिका' का पद प्रदान करना है । इस कशाघात से उसका पतन एवं दुर्दशा अवश्यमेव है । शिक्षा व प्रचार को पात्रों के चरित्र-चित्रण द्वारा ही चरितार्थ कराया जाना चाहिए । पृथक-पृथक रूप से उपदेश देना कलाकार की मर्यादा के प्रतिकूल है । कला जीवन की सरस व्याख्या है अतः उसमें जीवनोपयोगी उपादानों का समावेश वांछनीय है । कोई भी वस्तु काव्य का उद्देश्य हो सकती है । प्रत्येक वस्तु कला पर निर्भर है । कला को नकेल, बन्धन और अर्गला से क्या सरोकार ? वह तो हमें सुविशाल मनोहर उपवन में ले जाकर छोड़ देती है जहां किसी भी फल को खाने का निषेध नहीं और कह देती है—'जी-भर स्वच्छन्द विचरो' स्थान तथा समय तो उसी के आधिपत्य में है । कला के असीमित क्षेत्र का छोर मिलना असम्भाव्य ही है ।

कला का लक्ष्य सौन्दर्य है और जगत में सौन्दर्य इसीलिये है कि वह आनन्द प्रदान करता है । कला-जनित आनन्द सुखदायी होता है । वस्तु कैसी भी हो रुचिकर होने के लिये सुन्दर होना आवश्यक है । कला सबकी आस्था तथा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विचार को एक ही शृंखला में निबद्ध कर देती है और इसी के द्वारा मनुष्य एकीयता के चक्र से निकल कर सर्व-देशीयता तक पहुँच जाता है। कला तथा काव्य सौन्दर्य के अधीन हैं क्योंकि यही उनका प्राण है। परिमित में अपरिमित का जन्म ही सौन्दर्य है। सौन्दर्य तो आदि चित्र के अनुकरण का ही नाम है। 'कला-कला के लिये' का अर्थ यदि जीवन के नग्न चित्र ही अंकित करना है तो उसे दूर से ही प्रणाम करना अच्छा है। आदर्श के लिये कला का त्याग बिना किये हुए आदर्श का चित्रण करना चाहिए। चरित्र के स्वाभाविक प्रवाह में वाह्य व्यतिक्रमों का आगम होता है। कला तथा आदर्शवाद का मणिकांचन संयोग हो जाने पर स्वर्ण में सुरभि और नीलम पर धूप हो जाती है। सौंदर्य प्राणि-मात्र को जीवित रखता है। बिना इसके न तो रक्त का तीव्र संचार हो सकता है और न रोमांचित हो जीव विह्वल-दशा को ही पहुँच सकता है। प्रत्येक कला, चाहे उसमें रंग-प्रधान हो या गति, चाहे ध्वनि-प्रधान हो या संव्यूहन सबकी सब सौन्दर्य के अधीन हैं। कला वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के भावों को वाह्य संकेतों में दूसरों को प्रदर्शित करता है और कुछ क्षणों के लिये दूसरों को भी अपने रंग में रंग देता है। यह सफलता बिना सौन्दर्य के प्राप्त किये नहीं होती। बिना सौन्दर्य के न तो कलाकार भावावेश में आकर कला की रचना ही कर सकता है और न उस रचना से दर्शकों को विमोहित ही कर सकता है। कला का लक्ष्य एक अनेक के नियम तथा व्यवहार के कर्त्ता व कर्म के बीच की विभिन्नता के आवरण को विदीर्ण कर सबको एक ही धागे में पिरो देना है। कलाकार और दर्शक दोनों एक ही धागे में आबद्ध हो जाते हैं। संसार के कष्टों से सौंदर्य की थपकी देकर कला ही हमें सुख की नींद सुलाती है। पतंगे जानते हैं कि उस सौंदर्य तक पहुँचने में यह भला चंगा शरीर छार कर देना पड़ेगा। दीपक भी संसार को जगमगाकर अपार लौकिक सौन्दर्य का संकेत करके आँखों से अन्तर्हित हो जाता है।

जिस कला से शिक्षा न मिले वह व्यर्थ है। प्रत्यक्षवाद पर आदर्शवाद की विजय होनी चाहिए। किसी विशेष सिद्धांत को लेकर भी न चलना चाहिये। मानव-चरित्र का स्वाभाविक उत्थान-पतन तो अवश्य ही चित्रित करना चाहिये। व्यक्ति के सूक्ष्म मनोभावों तक पहुँच होनी चाहिये, प्रत्यक्षवादी साहित्य की व्युत्पत्ति करनी चाहिए। लेखक चाहे तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष बात को इस ढंग से कह सकता है कि सीमा का अतिक्रमण न हो। आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद का चतुराई से मिश्रण होना चाहिए। कलाकार को विधाता कहा गया है किन्तु विधाता भी नियति-परतंत्र है। सृष्टि-परम्परा के विधानों का उल्लंघन वह भी नहीं करता। विश्वामित्र के समान निराली सृष्टि की सर्जना कर काव्य-पुरुष को त्रिशंकु की भाँति दयनीय अवस्था में न पहुँचाना चाहिए। साहित्य-क्षेत्र में कुत्सित कर्मनाशा की नदी न प्रवाहित करनी चाहिये। सम्प्रति-कवियों के माथे पर श्रम-सीकर की एक बूँद भी नहीं लक्षित होती। पलक मारते ही काव्य-वाटिका लहराने लगती है। कवि में कवित्व-शक्ति होनी चाहिए वह किसी भी भाषा में शृंगार और शौर्य का वर्णन कर सकता है। कला में मानव-जीवन की विभिन्न रूढ़ियों का चित्रण रहता है। वह तो विभिन्न सामाजिक दशाओं का प्रतिबिम्ब है। काव्य या कला केवल रसिक मित्र न होकर शिक्षक का स्थान भी समलंकृत करती है। सौन्दर्य-प्रतिबिम्ब उतारने को ही कला कहते हैं। कला वस्तु का अनुकरण अवश्य है किन्तु 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' वाला ज्यों का त्यों अनुकरण नहीं। कलाकार वस्तु के वस्तुत्व को पुनर्जन्म दे देता है, ऐसा भी नहीं। केवल अनुकरण मात्र कला नहीं। एक कामिनी की अलकें बार-बार समीर के झोंकों से उड़कर मुख पर आ जाती हैं यदि कोई बिम्बकार रूप खींचने बैठता है तो वैसे का तैसा उतारता है किन्तु इससे वास्तविक सौन्दर्य उजागर नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ केवल वस्तुत्व का पुनर्जन्म होता है। यदि उसी के साथ कृष्ण मेघ के टुकड़े बार-बार चन्द्र-प्रभा को ढकते दिखाये जायें तो नूतन मनोहारी सुषमा छन उठेगी, एक नीरव चित्र होगा दूसरा सरस है। कला केवल वाह्य रूप पर नहीं फटफटाती, प्रत्युत्त वस्तु में प्रवेश करके उसकी आत्मा की छाया लाती है। कला प्रकृति के अनुकरण के अतिरिक्त उसकी पूर्ति भी करती है। वह मनुष्य-मात्र को आनन्द प्रदान करने के लिये है। सुख और आनन्द में अन्तर है। कम से कम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। दुखान्त नाटक से सुख नहीं मिलता, पर आनन्द प्राप्त होता है। पूर्व कवियों ने तो नायिका के प्रत्येक अंग पर दृष्टि लगाई और नवीन कवि उसके शरीर की छाया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूर भाग गये, किन्तु दोनों ही आदर्श के पीछे रहे। एक वस्तु के वस्तुत्व में ही रमा रहा, दूसरा इतना ऊँचा उड़ा कि अपना घोंसला भी भूल गया। जब तीव्र आसक्ति अनासक्ति में परिणित हो जाय और शरीर-स्पर्श का ध्यान न रहे एक आत्मा दूसरी में तल्लीन हो जाय तब उसके प्रेम में परमात्मा की एक विग्रह लक्षित होती है। रति का आदि और अन्त है। वासना केवल यौवन पर निर्धारित होती है, वहीं भोग है, किन्तु शुद्ध प्रेम तो असीमित है। जब कलाकार के मन में इस तरह की बात रहती है "मैं अपनी कृति में विशेषता का प्रदर्शन करूं" तब उसे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह विशेषता उसकी प्रचेष्टा के कारण नहीं प्रस्फुटित होती वह कृति के भीतर से स्वतः पके रसला के रङ्ग की भांति फूट पड़ती है। चेष्टा करने से उसका ध्यान उधर रहता है जो जड़ है। इसलिये सत्य और शिवरूपी यथार्थ विशेषत्व, जो पुष्प गन्धवत् है दब जाता है। अतः कला की भावना जन्मुक्त-रचना ही प्राणों को मुदित करने की शक्ति रखती है। जहाँ कला में बलात्कार के चिन्ह लक्षित होते हैं वहाँ मृदुल कल्पना तथा रचना-सौन्दर्य नहीं मिलता। कला का विशेषतत्व भी परमार्थिक है। दीप के प्रकाश में जुआ खेलने की भाँति कला का भी दुरुपयोग किया जा सकता है, इसमें कलाकार के साथ कला का महत्व भी घट जाता है बड़े से बड़े कला का उद्देश्य जीवन की सहज, जटिल, सरस, नीरस स्थितियों को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हुए जीवन की पूर्णता तक पहुँचाना है। यदि वह किसी एक ही चित्रण में मुग्ध होकर बंधे पुरुषों की तरह उससे बंध कर रह जाय तो उससे प्रगति रुक जाती है। कला के भविष्य-रहस्य अज्ञात ही रह जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कला के सौन्दर्य में पहले भी मुक्ति आवश्यक है मध्य में भी और अन्त तक कला खुले नेत्रों से आदि मध्य से होकर अन्त तक जीवन के समस्त रहस्यों को चित्रित करती जायेगी। यदि कहीं मुग्ध हो किसी रूप पर आसक्त हो गई तो उसकी प्रगति भी वहीं रुक गई। सहस्रों ही उत्कृष्ट रूपों तथा भावनाओं की सृष्टि करके भी उसे उनसे पृथक, स्वच्छन्द तथा निर्लिप्त रहना पड़ता है। जब महात्मा या कलाकार किसी एक रूप पर मोहित होकर उससे प्रेम करने लगेगा तब अपर सुन्दरियां उससे मुख ढक लेंगी। वे जान लेंगी कि वह दृष्टि किसी को प्यार करती है। जब तक कलाकर स्वयं अपनी कला की उच्चता के शिखर पर पहुँचकर उसकी श्री तथा शोभा में आत्म-विभोर नहीं होता तब तक उसे सफलता नहीं प्राप्त होती।

रक्त तथा कला दोनों का उद्गम-स्थान हृदय है। कुछ मनुष्य कला को अनौचित्य से स्वतन्त्र रखना चाहते हैं, कला का मूल्य कला में मानते हैं। उसका मूल्य न औचित्य पर निर्भर है न उपयोगिता पर। सुन्दर पदार्थ की सुषमा ही सबसे बड़ा मूल्य है। कला के लिये अभिव्यञ्जना ही प्रधान है। किसी भाव की सुन्दर रूप-व्यञ्जना हुई है तो वह सुन्दर है। वह कला है वह काव्य है। देखना यह है कि वह आपके माने हुए आचार के अनुकूल पड़ती है या विरुद्ध। जहाँ हम कला के ऊपर निर्णय देते हैं वहाँ पर हमें सौन्दर्य-विज्ञान के नियमों का ही व्यवहार करना चाहिये आचार-शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं। यदि सौन्दर्य की अभिव्यक्ति सच्चे रूप में नग्न चित्र से हो सकती है तो वह नग्नता सौंदर्य में बाधक नहीं। दूसरा पक्ष यह है कि कला और आचार का विच्छेद नहीं हो सकता। कला का पूर्ण जीवन से सम्बन्ध है। सच्ची कला धर्म, अर्थ और काम तीनों की पुष्ट करती है। रूप के साथ गुण भी संलग्न है। नेत्रों की तृप्ति के साथ आत्मा की भी तृप्ति होनी चाहिये।

जहां सुन्दर के साथ शिव नहीं संलग्न है वहां सच्चा सौन्दर्य नहीं। यदि किसी रमणी में आचार की सुन्दरता नहीं तो उसके सौन्दर्य में न्यूनता है। हम घातक नहीं चाहते। विष-भरे कनक-घटों से हमारा तोष नहीं होता। कला को व्यापक बनाने के लिये उसमें आचार का विच्छेद नहीं किया जा सकता। अनौचित्य के कारण रसाभास हो जाता है। कला मानव-जीवन से ऊँची नहीं है। वह जीवन की ही विशिष्ट अभिव्यक्ति है। कला में कल्पना, भावना, विचार सब मिलकर किसी जीवन का ही विधान करते हैं। विशेष तन्मयता के अभाव में कोई सफल कलाकार नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास उत्प्रेक्षा के बाहुल्य से प्रकृति से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालते चले हैं। इसी से उनकी कला का उतना निदर्शन नहीं है।

आज की कला में यौवन का विकास मिल रहा है। उसके स्वर्ण-युग में शीघ्र ही मध्यान्ह का सूर्य अपनी संपूर्ण प्रभा-प्रसार करने वाला है। जिस हिन्दी काव्योपवन में खड़ी

(शेष पृष्ठ 105 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय उपमहाद्वीप : शक्ति-संतुलन के नये समीकरण

☐ नन्दलाल* व उर्मिला लाल,+

प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जब हम भारतीय उपमहाद्वीप (Indian sub-continent में शक्ति-सन्तुलन के बदलते समीकरण (Equations) की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, चीन, नेपाल तथा श्री लंका—इन राष्ट्रों को मिला-कर दक्षिण एशिया का जो महत्वपूर्ण स्त्रातिजिक क्षेत्र बनता है—के पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों, इन संबन्धों में महा-शक्तियों की प्रभावकारी भूमिका और पुनः इस भूमिका के इन अन्तर्सम्बन्धों पर प्रभाव से होता है। यदि यह कहा जाय कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद से अर्थात् पिछले लगभग दो वर्षों में सम्पूर्ण दक्षिणी एशिया और विशेष रूप से भारतीय उप-महाद्वीप में शक्ति संतुलन का ढांचा परावर्तित हो चुका है तो यह शायद अत्युक्ति न होगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों के अल्प काल में समस्त विश्व राजनीति के समीकरणों में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसे 'परिवर्तन' (Change) न कहकर 'परावर्तन' (Transformation) कहना अधिक उपयुक्त होगा। 'तनाव शैथिल्योकरण' या 'देता' अब अन्तिम साँसें गिन रहा है, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और सतत सैनिक उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक वस्तुगत वास्तविकता बन चुकी है, फाकलैण्ड का संकट यद्यपि त्वरित ढङ्ग से समाप्त हो गया है किन्तु आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। यदि एक ओर पोलैण्ड में 'सालिडैरिटी' की गतिविधियों ने सोवियत केन्द्रित-साम्यवादी व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों के समक्ष प्रश्नचिन्ह लगा दिया है तो दूसरी ओर 'नाटो' सदस्यों में बढ़ते मतभेद और हाल में 'वरसाई' में सम्पन्न विकसित राष्ट्रों के सम्मेलन में फ्रांस और प० जर्मनी के दृष्टिकोण ने अमरीकी विश्व नेतृत्व के 'गल्प' को निश्चय ही विशृंखलित कर दिया है। महा-शक्तियों के आपसी संबन्धों में आज उस 'गत्यात्मकता' का शतांश भी नहीं है जिसकी आशा सातवें दशक के पूर्वार्द्ध में बधी थी। लेबनॉन में स्थित फिलिस्तीनी ठिकानों पर इस्रायल की व्यापक बमबारी और अब 8000 निरीह फिलीस्तीनियों के घेराव ने विश्व-संगठनों की औचित्यता के समक्ष एक मूल प्रश्न लगा दिया है। निश्चय ही रीगन प्रशासन की उग्रवादिता और अधिक उभर कर सामने आयी है।

जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप का सम्बन्ध है, भारत पाक संबन्धों में एक बार फिर रोचक मोड़ आ रहा है और दोनों देश फिर एक बार महाशक्तियों की दृष्टि केन्द्र बन रहे हैं। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की एकमात्र घटना ने अमरीका को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति कुछ ज्यादा 'सेन्सटिव' बना दिया है। दूसरी ओर वाशिंगटन-बीजिंग संबन्धों में भू. पू. राष्ट्रपति निक्सन और तत्कालीन विदेश-मन्त्री डॉ० किसिंजर के प्रयासों के कारण सातवें दशक में 'तनाव शैथिल्योकरण' की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई वह ताइ-वान को F—15 जैसे आधुनिकीकृत विमानों की वाशिंगटन द्वारा प्रस्तावित आपूर्ति के कारण शिथिल पड़ गयी है। अमरीकी उपराष्ट्रपति जार्ज बुश की बीजिंग यात्रा भी इस विषय में कोई ठोस परिणाम उत्पन्न करने में असफल रही। कुल मिलाकर आज अमरीका अन्त-र्राष्ट्रीय शक्ति-संतुलन में चीन की भूमिका तथा शक्ति के स्वरूप से बुरी तरह असंतुष्ट है। दूसरी ओर मास्को बराबर इस बात का संकेत दे रहा है कि वह बीजिंग से सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है। यद्यपि चीन की ओर से इस संकेत

* प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।

+अनुसन्धात्री, राजनीति विज्ञान, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्पष्ट प्रत्युत्तर नहीं प्रेषित किया गया है फिर भी इस ...स को नजरन्दाज करना शायद बुद्धिमत्ता न होगी। ...रे, कानकुन में उत्तर-दक्षिण सम्मेलन के अवसर पर ...रीकी राष्ट्रपति रीगेन ने भारत में कुछ अधिक ही रुचि ...र्शित की। तभी से यह लगने लगा कि आगामी कुछ ...हीनों में उपमहाद्वीप के शक्ति संतुलन में कुछ रोचक परि-...र्तन आयेगा। परिणाम सामने आया—श्रीमती गांधी की ...मरीका-यात्रा, वह भी पूर्वप्रस्तावित सोवियत यात्रा से ...हले। समय-समय पर अमरीका यह कहता रहा है कि ...किस्तान को 3.2 बिलियन डालर मूल्य के आधुनिकीकृत ...थियारों की आपूर्ति का विषय किसी भी प्रकार से नयी ...ल्ली—वाशिंगटन संबन्धों के सुधार में बाधक नहीं होना ...चाहिये। श्रीमती गांधी की वाशिंगटन-यात्रा प्रारम्भ होने से ...के एक दिन पहले एक वरिष्ठ ह्वाइट हाउस प्रवक्ता द्वारा ...ह भी कहा गया कि यदि भारत इच्छुक हो तो अमरीका ...–16 विमान भारत को भी बेच सकता है। यह भी कहा ...या है कि तारापुर आणविक संयंत्र को परिष्कृत यूरे-...नियम निर्यात करने का मामला अभी समाप्त नहीं समझा ...जाना चाहिये। पिछले कुछ महीनों में चीन द्वारा भी भारत ...से संबन्ध सुधारने की इच्छा प्रकट की जाती रही है, यह ...त और है कि इसी के साथ चीन विभिन्न राष्ट्रीय और ...अन्तर्राष्ट्रीय मन्चों पर समय-समय पर भारत की कटु ...आलोचना करता रहा है। ये कुछ ऐसी ज्वलन्त वास्त-...विकतायें हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है ...इससे पहले कि भारतीय उप-महाद्वीप में शक्ति-संतुलन के ...बदलते समीकरण की निरपेक्ष समीक्षा की जा सके।

इस परावर्तन में रीगेन प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों के ...साथ अपने संम्बन्धों की हाल में की गयी समीक्षा की महत्व-...पूर्ण भूमिका है। फाकलैण्ड और लेबनान के मसले पर सोवि-...यत संघ की निरन्तर चुप्पी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ...वह किसी भी स्थिति में वाशिंगटन के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष ...में नहीं पड़ना चाहता। रीगेन प्रशासन भी क्रमशः यह महसूस ...कर रहा है कि यूरोपीय क्षेत्र में अमरीका अलग-थलग पड़ता ...जा रहा है। यूरोप में सोवियत गैस पाइप लाइन के मसले ...पर अमरीका के प्रमुख 'नाटो' सहयोगियों (ब्रिटेन सहित) ...द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण ने अमरीका को बाध्य कर ...दिया है कि वह अपनी विदेश-नीति का पुनर्मूल्यांकन करे।

इसके अतिरिक्त फाकलैण्ड संकट के दौरान अमरीका और लातीनी अमरीकी देशों के मध्य बढ़ गयी दूरी, अमरीका के यूरोपीय और लातीनी अमरीकी देशों द्वारा मध्य अमरीका के संदर्भ में अमरीकी नीति के प्रति प्रदर्शित असंतोष आदि वास्तविकतायें इस तथ्य की प्रतीक हैं कि विश्व अब किसी भी प्रकार से द्वि-ध्रुवीकृत नहीं रह गया है। चीन खुलकर पोलैण्ड के घटनाक्रम के संदर्भ में सोवियत संघ की आलोचना करे—इसमें अमरीका पूर्णतया असफल रहा। बाद में ताइवान के मामले ने इन संबन्धों में और कड़वाहट भर दी।

दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारतीय उप-महाद्वीप के संदर्भ में भी अमरीका महसूस कर रहा है कि शायद उसकी इच्छानुसार पाकिस्तान सोवियत विस्तारवाद को रोकने में पूर्णतया समर्थ भूमिका न निभा सके। भारत की ओर प्रदर्शित अमरीकी झुकाव का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है अमरीका नीति-निर्धारकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह महसूस करता है कि अफगानिस्तान और पोलैण्ड के मसले किसी भी प्रकार से अमरीकी राष्ट्रीय हितों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। विश्व स्थिति के अपने इसी पुनर्मूल्यांकन के अन्तर्गत रीगेन प्रशासन ने जहां एक ओर सोवियत संघ से परमाणु अस्त्र परिसीमन पर वार्ता आरंभ करने में रुचि दिखायी वहीं दूसरी ओर ताइवान के मसले पर चीन के साथ संबन्धों में दोहरी नीति का श्री गणेश हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण विकास, जो भारतीय उप-महाद्वीप के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, के रूप में भारत को ये संकेत दिये गये कि उसकी गुटनिरपेक्ष नीति पर अब अमरीका विशेष संदेहास्पद नहीं है और यह कि दक्षिणी एशिया में भारत की भूमिका के प्रश्नपर अमरीका पुनर्विचार करने के लिये तैयार है।

भारतीय उप-महाद्वीप के संदर्भ में सोवियत संघ भी अपने ढंग से अमरीका के साथ चलने का प्रयास कर रहा है। सोवियत संघ ने न केवल चीन को बातचीत का प्रस्ताव प्रेषित किया है—वरन एक उच्चस्तरीय पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल को भी बातचीत के लिये मास्को निमन्त्रित किया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जहाँ तक भारतीय दृष्टिकोण का प्रश्न है, एक बात यह सुस्पष्ट है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के नीति निर्धारकों के दृष्टिकोण में इसका महत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के प्रश्न पर भारतीय गुटनिरपेक्षता के समक्ष जो प्रश्नचिन्ह पिछले कुछ समय से लगा हुआ था वह धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न को लेकर भारत-पाक-संबन्धों के पिछले 15 वर्षों के कूटनीतिक इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, भारत द्वारा जो संदेह प्रकट किये गये थे, ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीकी रक्षा-मन्त्रालय में उनको सम्यक् महत्व दिया जा रहा है। अप्रैल में अमरीकी राजदूत ने अपने एक प्रेस-सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान को यह स्पष्ट बता दिया कि पाकिस्तान को आधुनिकीकृत हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से अमरीका भारत के विरुद्ध घेराबन्दी करने की कोई इच्छा नहीं है। अमरीका यह महसूस करता है कि दक्षिण एशिया में भारत एक सशक्त शक्ति है जो क्षेत्रीय संतुलन की संरचना में एक प्रभावकारी भूमिका निभा सकता है।

दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी "अयुद्ध संधि" की पेशकश बराबर बरकरार रखे हैं जबकि नई दिल्ली की ओर से, सितम्बर, 1981 में पाकिस्तान द्वारा 'अयुद्ध संधि' का प्रस्ताव करने के बाद से, लगातार एक संयुक्त आयोग और 'मैत्री सन्धि' की बात की जाती रही है। शायद यह कहना ही समीचीन होगा और जनरल जिया इस तथ्य से भली-भाँति परिचित भी होंगे कि 'अयुद्ध संधि' की बात भारत-पाक-सम्बन्धों में कोई नयी बात नहीं है। दूसरे, इस प्रकार की किसी संधि के लिये सम्यक मैत्रीपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। तीसरे, एक ओर तो पाकिस्तान अमरीका से F-16 जैसे आधुनिकीकृत विमानों का आयात कर रहा है दूसरी ओर यह भी कह रहा है कि इन हथियारों का प्रयोग वह किसी भी स्थिति में भारत के विरुद्ध करने को इच्छुक नहीं है, किन्तु ऐतिहासिक वास्तविकताएँ इसके ठीक विपरीत हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्वकाल में तीन बार तीन अलग-अलग भारतीय प्रधानमन्त्रियों द्वारा इस प्रकार की पेशकश पाकिस्तान से की जा चुकी है किन्तु इसको कभी भी कोई महत्व नहीं दिया गया। वास्तव में भारत-पाक सम्बन्धों में पिछले कुछ समय में कटुता स्थापित हो चुकी है। 1979 में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, उस समय एक स्वर्णिम अवसर था जब सामान्य खतरे के आधार पर भारत और पाकिस्तान आपसी सम... के आधार पर करीब आ सकते थे और यदि ऐसा हो सकता तो कहना न होगा कि न केवल सम्पूर्ण महाद्वीप को विदेशी शक्तियों के होड़ से पृथक रखा जा सकता, वरन एक क्षेत्रीय शक्ति के रुप में भी दोनों देश उभर सकते थे। किन्तु हुआ कुछ उलटा ही, अमरीकी विश्व-परक कूटनीति में पाकिस्तान शामिल हो गया और शीघ्र ही 3·2 बिलियन डॉलर के शस्त्रास्त्र के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। अमरीका ने दक्षिण एशिया में ठौर बनाने में कोई देर नहीं की किन्तु इतनी भूल अमरीकी नीति-निर्धारकों ने अवश्य की कि उन्होंने सब कुछ बहुत शीघ्रता से सम्पन्न कर दिया, क्योंकि जितनी रुचि पाकिस्तान में अमरीका ने प्रदर्शित की और जिस तत्परता से पाकिस्तान को हथियार दिये गये, उससे भारतीय दृष्टिकोण में संदेह का बीज पनपना स्वाभाविक था।

भारत और अमरीका के संबन्ध में सुधार की चर्चा पिछले कुछ महीनों में गर्म होने से, पाकिस्तान कुछ चिढ़ा सा प्रतीत होता है। पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में यह बात पूरे जोर-शोर के कही जा रही है कि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से अमरीका पर अवलम्बित नहीं होना चाहिये और सोवियत विकल्प के सम्बन्ध में अपनी प्राथमिकताएँ हमेशा खुली रखनी चाहिये। वही वह तथ्य है जिसका परिणाम हाल में अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के मध्य अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति पर जिनेवा-वार्ता में पाकिस्तान की सहमति के रूप में आया है। पाठकों को ज्ञात हो कि भारत शुरू से इसी तथ्य पर बल देता है कि अफगानिस्तान के संकट का हल राजनीतिक समाधान द्वारा ही किया जाना चाहिये।

पर्यवेक्षको का ऐसा विचार है कि मास्को इस्लामाबाद वार्तालाप के चलते नयी दिल्ली मास्को सम्बन्धों पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ना चाहिये। सोवियत संघ ने हमेशा भारतीय गुटनिरपेक्षवादी नीति और उपमहाद्वीप में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...तुलन के स्थापन में भारत की केन्द्रीय भूमिका के स्वीकार करने में यथेष्ट समझ का परिचय दिया है। सोवियत संघ यह अच्छी तरह महसूस करता है कि दक्षिणी एशिया के शक्ति-संतुलन में वह अपना प्रभाव पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के माध्यम से अच्छी तरह बनाये रख सकता है। अब यही तथ्य अमरीकी नीति-निर्धारक भी महसूस कर रहे हैं।

पूर्वकाल में अमरीका भारत की तुलना में हमेशा चीन को अधिक महत्व देता रहा है। 1971 में चीन के प्रति प्राथमिकता की अपनी इसी नीति के तहत व हपाकिस्तान के प्रति मुखातिब हुआ। ज्ञातव्य है कि अमरीकी-पाकिस्तानी सम्बन्ध आज किसी ठोस वैचारिक पूर्वाग्रहों (IDEOLOGICAL COMMITMENTS) पर आधारित नहीं हैं। रीगन के राष्ट्रपति होने के बाद से अमरीकी विदेश नीति एक बार उग्रवादिता की चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, साम्यवाद के प्रसार अथवा संभावित प्रसार को रोकना उसका सर्वोच्च लक्ष्य है, यह बात स्वयं अमरीकी-नीति नियामक अनेक बार स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं। यह खतरा स्वयं में कितना प्रबल है, इस विषय में व्यापक वाद-विवाद हो सकता है किन्तु काबुल में मास्को की सैनिक उपस्थिति से निश्चय ही वाशिंगटन व्यापक रूप से चिंतित है। इसी कारण हाल में सम्पन्न श्रीमती गांधी की 9 दिवसीय वाशिंगटन यात्रा के दौरान पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों के आपूर्ति के प्रश्न पर भारत को कुछ खास हासिल न हो सका। वास्तव में आज अपनी विश्वपरक कूटनीति [GLOBAL STRATEGY] के अन्तर्गत अमरीका विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हथियारों और अन्य आर्थिक सहायता के माध्यम से अपने प्रभाव का ऐसा व्यापक सामरिक क्षेत्र बनाना चाहता है, जहाँ भावी किसी भी संघर्ष की स्थिति, में अमरीका को क्षेत्रीय अड्डे मिल सकें। अपनी इसी-नीति को रीगन प्रशासन और आगे बढ़ाना चाहता है। 9 अगस्त को 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार में विश्वस्त सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रशासन विभिन्न देशों को वर्ष 1983 में और अधिक आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है। समाचार पत्र में प्रकाशित सामान्य लेखा कार्यालय (GENERAL ACCOUNTING OFFICE) की एक रिपोर्ट के अनुसार रीगेन प्रशासन ने 1983-84 के दौरान पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, थाईलैन्ड, जॉर्डन, मोरक्को, टयूनीशिया, स्पेन, पुर्तगाल, टर्की कीनिया, लाईबेरिया, सोमालिया, सूडान, जैरे तथा अल-साल्वोडोर को शस्त्रास्त्रों की खरीद के लिये और अधिक धनराशि कर्ज के रूप में देने का प्रस्ताव रखा है।

इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में महाशक्तियों की भूमिका काफी व्यापक हो चुकी है। यूरोप को छोड़कर अब धीरे-धीरे एशिया का क्षेत्र महाशक्तियों की नजर में चढ़ रहा है। आज भारतीय उप-महाद्वीप में आवश्यकता क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से 'शक्ति संतुलन' में महाशक्तियों की भूमिका कम करने की है। 6-9 अगस्त तक इस्लामाबाद में दक्षिणी एशिया के सात देशों के विदेश सचिवों की बैठक, 'क्षेत्रीय सहयोग' की संभावनाओं पर विचार करने के लिये हुयी। बैठक के निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष ढाका में इन देशों के विदेश-मन्त्रियों की बैठक होगी, ताकि क्षेत्रीय सहयोग के लिये ठोस कार्यक्रम बनाये जा सकें। इस प्रकार प्रक्रिया तो प्रारम्भ हो चुकी है किन्तु आने वाले दिनों में महाशक्तियाँ किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति-संतुलन के समीकरणों को प्रभावित करेंगी, यह अभी कह पाना मुश्किल है।

विश्वविद्यालय (आर्ट्स, साइन्स, कामर्स व एल-एल० बी०) पी० सी० एस० एवं सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिये उपयोगी, सभी प्रकार की पाठ्य पुस्तकों, गाइड, सालवड एवं अनसालवड प्रश्नपत्रों हेतु
सम्पर्क करें अथवा लिखें।

विद्या सागर

11, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद

[अक्टूबर तक कम्पटीशन पुस्तकों पर विशेष छूट दी जायगी।]
(पुस्तकों के लिए आर्डर करते समय 5/—रु० अग्रिम मनीआर्डर द्वारा भेजें ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामाजिक दायित्त्व के निर्वाह में राष्ट्रीय-कृत बैंकों की भूमिका

☐ डॉ० लक्ष्मण स्वरुप

भारतवर्ष एक अल्प-विकसित देश है जहां पर जन-संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जिसके परिणामस्वरूप देश में निर्धनता फैली हुई है। भारतीय नियोजक 1950 से इन समस्यों के निवारण के लिये जूझ रहे हैं। नगर तथा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिये जिस गति से भारत का विकास होना चाहिए वह विकास-दर अभी तक नहीं प्राप्त किया जा सका है। छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी दूर करना तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अधिक से अधिक लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने, कृषि की उत्पादकता को, नई तकनीकों, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उवरंकों को प्रदान कर उत्पादों के विक्रय में सहायता देकर तथा ऋण सुविधाएं प्रदान कर, बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस सबका प्रमुख उद्देश्य यह है कि लाखों ऐसे लोग जो निर्धनता-रेखा के नीचे हैं उन्हें उत्पादक क्रियाओं में लगाया जाये और उनके आत्म-सम्मान को भी आघात न लगे। राष्ट्रीय बैङ्क अधिक से अधिक शाखाएं खोल कर इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं।

19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 14 व्यापारिक बैङ्कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये चौदह बैङ्क थे—बैङ्क आँव इण्डिया, बैङ्क आँव बड़ोदा, सेण्ट्रल बैङ्क आँव इण्डिया, पंजाब नेशनल बैङ्क, केनारा बैङ्क, इण्डियन बैङ्क, इलाहाबाद बैङ्क, सिण्डीकेट बैङ्क, देना बैङ्क, यूनाइटेड बैङ्क आँव इण्डिया, इण्डियन ओवरसीज बैङ्क, बैङ्क आँव महाराष्ट्र, यूनाइटेड कामर्शियल बैङ्क, और युनियन बैङ्क आँव इण्डिया। उस समय उन बैङ्कों की पूंजी तथा कोष 67.20 करोड़ रुपये जमा रकमें 2742 करोड़ रुपये, ऋण-राशि 1743 करोड़ रुपये तथा कुल बैंकिग कार्यालयों की संख्या 3802 थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद बैङ्कों ने जनता को और विशेषकर ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक बैङ्किग सुविधायें देने के लिये बड़े पैमाने पर शाखायें खोलना प्रारम्भ किया। देश के कोने-कोने में और सुदूर भागों में बैङ्कों की शाखायें खोली गई। जून, 1969 में 8262 शाखायें थीं जो जून 1978 में बढ़ कर 28016 हो गई। इन शाखाओं में से 69.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा अर्धग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई। पहले एक बैङ्क-शाखा लगभग औसतन 65000 लोगों को सेवाएं प्रदान करती थी। जून, 1978 में यह घटकर 20,000 हो गई। अर्थात् दूसरे शब्दों में अब लोगों को अच्छी सेवायें प्रदान की जाती है। इधर हाल के वर्षों में तो और भी अधिक शाखायें खोली गई हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैङ्कों ने भी 1965 शाखायें खोली हैं।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैङ्कों पर कुछ गिने-चुने-पूंजी-पतियों के प्रभुत्व के कारण इन बैङ्कों का जमाओं का अधिकतम उपयोग बड़े-बड़े उद्योगों में होता था जबकि कृषि लघु-उद्योगों व निर्यात व्यापार के लिये ऋण प्राप्त करना मुश्किल होता था। इन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती थी। जून, 1969 में कृषि क्षेत्र में बैङ्कों द्वारा प्रदान की गई ऋण की राशि 160 करोड़ रु० थी। कृषि के विकास के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1969 के बाद पर्याप्त ऋण देकर उत्पादकता को बढ़ाने, कृषकों के जीवन-स्तर में सुधार करने और राष्ट्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दियाहै। दिसम्बर 1978 तक इन बैङ्कों ये कृषि-क्षेत्र के विकास के लिये 2236 करोड़

प्रवक्ता—वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...ये ऋण के रूप में वितरित किये। यदि इन बैङ्कों के द्वारा दिये गये ऋणों का और विश्लेषण किये जाये तो यह मालूम होता है कि इन बैङ्कों ने छोटे किसानों को ऋण देना प्रारम्भ किया है और अब अधिकांश ऋण छोटे किसानों को ही देने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाये। अभी तक लोगों में यही धारणा पाई जाती थी कि बड़े किसान, जिनका समाज में सम्मान होता है, जिनके पास प्रतिभूति के रूप में रखने के लिये पर्याप्त सामान होता है अथवा जिनकी जान-पहचान होती है उन्हें ही ऋण मिल सकता है। सम्भवत: यही नीति अपनाई जाती थी किन्तु अब यह स्थिति नहीं है। इस नीति के अपनाने से किसानों का वह वर्ग, जो कम उत्पादन कर पाता था, अपेक्षाकृत निर्धन था, समाज में जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अब अपने आप को पहले की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ पाता है। इस नीति के अपनाने से अब बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच अन्तर कम हो रहा है। छोटा किसान, जो धनाभाव के कारण समय पर बीज, उर्वरक आदि की व्यवस्था नहीं कर पाता था, अब व्यवस्था कर लेता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है और यह वर्ग सम्पन्न हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि-उत्पादकता बढ़ाकर ही देश का विकास हो सकता है और इसके लिये आवश्यकता है कृषकों को अधिक से अधिक सुविधायें देने की उनकी असुविधाओं को दूर करने की। इन बैङ्कों ने वह नीति अपना कर निश्चय ही अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है।

भारत की चालीस प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निर्धनता-रेखा से नीचे है। समाज के इस वर्ग की प्रगति अत्यन्त आवश्यक है। यह सही है कि समाज के निर्धन वर्ग को ऋण देना एक आसान कार्य नहीं है। इसके लिये ऋण देने की सम्पूर्ण विधि, तरीका तथा नीतियों में महत्वपूर्ण एवं आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिये आवश्यकता है ऐसे लोगों के पास स्वयं जाने की उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने की, उनके विश्वास को जीतने की, जिसके अनुसार बैंक की नीति तथा ऋण देने की प्रणाली विकसित की जा सके। निर्धन वर्ग को ऋण देना सामाजिक परिवर्तन को प्रक्रिया में भाग लेना है। उनके मस्तिष्क को विकसित करने और उनमें अपने जीवन-स्तर में सुधार करने की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है उनमें विश्वास जगाने की कि वे सभी बाधाओं का सामना कर सकते हैं। बैंकों के लिए निश्चित ही यह कठिन परीक्षा है और बैंकों ने इसे स्वीकार कर निश्चय ही अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। भारत ने अपने संविधान में एक समाजवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना की है। जून, 1978 तक इन बैंको ने 4556 करोड़ रुपये इन वर्गों को ऋण के रूप में बांटा और उस समय लाभदायकता के उद्देश्य को समक्ष न रखकर सामाजिक दायित्व निभाया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी, या रिक्शा या तांगा चलाने वाले तथा अन्य लोगों को उचित दर पर आर्थिक सहायता दी। इन वर्गों में कल्पना-शक्ति अनुभव तथा उपक्रम का अभाव नहीं था। फिर भी वित्तीय साधनों के अभाव के कारण ये प्रगति नहीं कर सकते थे। बैंक इन वर्गों की उचित वित्तीय आवश्यकताओं की भी उपेक्षा करते थे परन्तु राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों की नीति में परिवर्तन हुआ। अब ये वर्ग भी उपेक्षित न रहे और इन्हें भी पहले की अपेक्षा अधिक ऋण मिले हैं।

भारत सरकार अपनी पाँचवी तथा छठवी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बहुत अधिक बल दिया है। यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है फिर भी देश के सर्वांगीण एवं सर्वतोन्मुखी विकास के लिये यह आवश्यक है कि देश में बड़े तथा छोटे उद्योग भी विकसित हो। न केवल इतना ही, अपितु देश के सभी क्षेत्र, जो अभी तक अविकसित रहे, भी विकसित हों। अर्थशास्त्रियों तथा नियोजक का मत है कि बेरोजगारी को दूर करने तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिये लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना नितान्त आवश्यक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। पूंजी-निर्माण भी कम होता है। पूंजी के अभाव में इन उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। बैंकों ने इस दिशा में भी अपनी नीति में परिवर्तन किया है, अपने सामाजिक दायित्व को समझा है और उसको निभाने के लिये प्रयत्न भी किया है। बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी गई ऋण-राशि जो पहले 252 करोड़ रुपये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थी, अब बढ़कर 2598 करोड़ रुपये हो गई है। इस नीति को अपनाने से तमाम कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना हुई है। लाखों लोगों को रोजगार मिले हैं। हजारों ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित थे उन्हें अपना कार्य करने में सहायता मिली है और आशा है कि इससे राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होगा। इस प्रकार ये बैंक देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

कुछ आलोचकों का मत है कि इस समय मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह राष्ट्रीयकरण के कारण ही हुई है, वह राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुचित नीतियों के कारण हुई है। यह समाज के लिये हितकर नहीं है। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों पर यह आरोप लगाना उचित प्रतीत होता है। मूल्य-वृद्धि का मुख्य कारण देश का औद्योगिक उत्पादन का बढ़ी हुई माँग की तुलना में कम होता है। बाजार में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। माँग की अपेक्षा पूर्ति में कम वृद्धि हुई। इस कारण मूल्य-स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि इन बैंकों ने समाज के अनेक वर्गों को वित्त प्रदान कर समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूर्ति की वृद्धि उत्पादकता बढ़ा कर की जा सकती है। उत्पादकता बढ़ाने में पूँजी का अभाव एक महत्वपूर्ण बाधक होता था जिसे उपलब्ध कर बैंकों ने अप्रत्यक्ष रूप में अपना सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व निभाया है।

अभी हाल में ही भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसमें आर्थिक कार्यक्रम नये नहीं हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुसार अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की तरह बैंकों को भी जिस समाज में वे कार्य करते हैं, उसकी सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये और समाज के आर्थिक विकास एवं कल्याण में योगदान देना चाहिये। प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रमों से 12 कार्यक्रमों में बैंक निश्चित रूप से महत्व पूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे कार्यक्रम निम्न हैं—

(1) आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा वितरण,
(2) भूमि-हीन श्रमिकों, जिन्हें भूमि दी गई है, को ऋण प्रदान करना।
(3) भूमि-हीन श्रमिकों, जिन्हें मकान बनाने के लिये स्थान दिया गया है, को ऋण प्रदान करना,
(4) मुक्त किये गये बन्धुओं मजदूरों को वित्त प्रदान करना।
(5) ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता समाप्त करने के लिये ऋण प्रदान करना।
(6) अल्प-सिचाई कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता देना।
(7) हैन्डलूम-विकास के लिये वित्त प्रदान करना।
(8) उद्योगों में श्रमिक संघों को सहायता देना।
(9) सड़क-परिवहन के लिये राष्ट्रीय परमिट धारकों को सहायता देना।
(10) छात्रावासों में विद्यार्थियों को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये वित्त प्रदान करना,
(11) निर्धारित मूल्यों पर विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा स्टेशनरी उपलब्ध कराने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये वित्त प्रदान करना।
(12) रोजगार तथा प्रशिक्षण के अवसरों की वृद्धि के लिये एप्रेन्टिशशिप (Apprentice ship) योजनाओं की सहायता देना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इनमें से अधिकांशयोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है और भविष्य में भी यह आशा की जाती है कि ये इन सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

ग्राहकों को विशेष छूट

मात्र बीस रुपये में :—'प्रगति मंजूषा के वर्ष 1982 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई अंक मात्र बीस रुपये मनी आर्डर द्वारा भेज कर प्राप्त करें।

नोट :—5 (पांच) रुपये डाक खर्च मुफ्त।

प्रसार व्यवस्थापक प्रगति मंजूषा
436, ममफोर्डगंज इलाहाबाद 211002

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय आर्थिक विकास एवं निर्धनता की समस्यायें

□ डॉ० दिनेश सिंह

हम कृतसंकल्प हैं कि उदारतावादी राजनीति में पूर्वाग्रह से मुक्ति से नया मानक कायम होगा—आज से केवल यह गर्व का विषय न होगा, बल्कि एक आवश्यकता भी होगी कि हम केवल वही बातें कहें, जिस रूप में इन्हें देखते हैं। आवश्यकता हुई तो हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे, जो अन्य दृष्टियों से योग्य हैं, लेकिन राजनीति के शब्दाडम्बर के आदी हैं। जहां कहीं हमें यह संदेह होगा कि कथनी और करनी के बीच बड़ा अन्तर है, हम अपना विरोध प्रकट करेंगे। (जान केनेथ गाल ब्रैथ) इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि सर्वव्यापी अज्ञान की तरह सर्वव्यापी ज्ञान का दावा करने वालों में सत्य से हटकर अवसरवादी दिशा अपना लेने की भी प्रवृत्ति है। विलक्षण बात यह है कि उपनिवेशी युग में अर्थशास्त्रियों ने पिछड़े हुए क्षेत्रों को गरीबी की समस्याओं के बारे में इस तथ्य के बावजूद कि यह विषय, उनके अध्ययन के क्षेत्र के भीतर आता है, कोई ध्यान नहीं दिया। समग्र दृष्टि से, इन क्षेत्रों का जनसमुदाय उस समय भी इतना गरीब था और उनका जीवन इतना कष्टपूर्ण था, जितना आज है। इसमें अर्थशास्त्रियों की दिलचस्पी का खुल्लमखुल्ला अभाव तत्कालीन विश्वव्यापी राजनीतिक स्थिति का परिचालक था। उपनिवेशी शासन ऐसे नहीं थे कि ऐसे किसी अनुसंधान को राजनीति और सार्वजनिक हित का विषय बनाकर आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में अनुसंधान की व्यवस्था करते। यह भी सत्य है कि कम विकसित देशों में इन अर्थशास्त्रियों को पश्चिम के विद्यालयों में अथवा उन शिक्षकों से शिक्षा पाई, है। जिनकी शिक्षा-दीक्षा पश्चिम में हुई। अतः पश्चिम की आर्थिक व्यवस्था से भी प्रभावित होना स्वाभाविक है।

परन्तु हमें मार्क्स की इस मान्यता को भी स्मरण रखना चाहिये, जिसे आज पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने व्यापक रूप से अपनाया है, यद्यपि वे सामान्यतया इसके मूल स्रोत का उल्लेख नहीं करते और अक्सर उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि औद्योगीकरण और पूंजी-विनियोग के प्रभाव सामान्यतया (अन्ततः मार्क्स द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन 'उत्पादन के तरीकों' के बारे में ही है) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में तेजी से फैलते हैं और संस्कृति के समस्त 'विराट ढांचे' का निर्धारण करते हैं, जिनमें दृष्टिकोण और संस्थायें भी शामिल हैं। अधिकांश कम विकसित देशों में भ्रष्टाचार में वृद्धि और इसकी राष्ट्रीय सुदृढ़ता तथा समस्त आयोजन और योजना के लक्ष्य पूरा करने पर जो अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पड़ता है, उसके 'विकास की कमी', विकास के लिये आयोजन सम्बन्धी आर्थिक साहित्य में यदाकदा ही उल्लेख होता है। जब कभी इसकी ओर ध्यान दिया जाता है तब भी अक्सर इसके महत्व को कम दर्शा कर दिया जाता है। आप किसी भी अर्थशास्त्री को किसी भी कम विकसित देश की राजधानी में बैठा दीजिये और उसे आवश्यक सहायता दीजिये वह जल्दी ही एक योजना प्रस्तुत कर देगा। इस दृष्टि से समस्त सामाजिक वैज्ञानिकों के मध्य विलक्षण स्थिति है। कोई भी समाजशास्त्री मनोविज्ञानी अथवा नृवंश-विज्ञानी यह प्रयास करने की कल्पना भी नहीं कर सकता।

कम विकसित संसार के अधिकांश भागों में सामाजिक आर्थिक स्तरीकरण असमानता पर आधारित और कठोर है। कम विकसित देशों का विकास-समस्याओं में समानता का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। असमानता का सम्बन्ध समस्त सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों से है। अतः समानता का प्रश्न सामुदायिक विकास, कृषिनीति, शिक्षा सम्बन्धी सुधार और वस्तुतः कराधान जैसे समस्त नीति सम्बन्धी मामलों में एक प्रमुख तत्व बन जाता है। लेकिन समानता के प्रश्न को इन देशों की विकास-समस्याओं अथवा आयोजन-संबन्धी साहित्य में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। असमानता, असामानता में वृद्धि की जो प्रवृत्ति है, वह विकास के सम्बन्ध में निषेधों और अवरोधों के समिश्रण के के रूप में काम करती है। परिणामस्वरूप इस प्रवृत्ति को उलट देने की आवश्यकता है और विकास को तेज करने की एक शर्त के रूप में अधिक समानता कायम करने की भी आवश्यकता है। मजे की बात यह है कि नीति सम्बन्धी घोषणाओं में समानता की बात की जाती है। व्यवहारिक लक्ष्य अपने सामने रखते हैं। यह घोषणा कभी नहीं की गई कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समृद्ध लोगों को और अधिक अमीर बनाकर अधिक असमनता की स्थापना करना उसका लक्ष्य है। दूसरी ओर लोकप्रिय धर्म की एक सामान्य विशेषता यह कि वह सामाजिक निष्क्रयता उत्पन्न करने के लिये एक बड़ी शक्ति के रूप में काम करता है और परम्परा से जो भी सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त है, उसका समर्थन करता है। यदि कहीं भी मार्क्स के इस कथन का औचित्य सिद्ध हुआ कि धर्म लोगों के लिये अफीम का काम करता है, तो यह कम विकसित देशों के गरीब लोगों के बीच ही हुआ। यह भी सत्य है कि कम विकसित देशों के प्रगतिशील नेता धर्म को चुनौती देने से अक्सर बचते हैं।

जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी ऑव इण्डिया' में स्पष्ट उल्लेख किया है: आज आयोजन और आयोजित समाज के विचार को प्रायः हर व्यक्ति भिन्न-भिन्न सीमा तक स्वीकार करता है। लेकिन अपने आप में आयोजन का कोई अर्थ नहीं होता और यह स्वतः अच्छे परिणाम नहीं निकाल सकता। हर बात योजना के लक्ष्यों और नियन्त्रक और सत्ता के ऊपर निर्भर करती है और वस्तुतः इस नियंत्रक सत्ता के पीछे काम करने वाली सरकार पर भी यह निर्भर होता है। क्या योजना समस्त लोगों के कल्याण और प्रगति का लक्ष्य अपने सामने रखकर चलती है ? क्या यह समस्त लोगों को अवसर उपलब्ध कराती है, और स्वतंत्रता तथा सहकारी आधार पर संगठन और कार्यों के तरीकों को अपना कर चलती है ? उत्पादन में वृद्धि अनिवार्य है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यह अपने आप में हमें बहुत आगे नहीं बढ़ाती और इस वृद्धि से स्वयं हमारी जटिलता बढ सकती है। पुराने विशेषाधिकारों एवं निहित स्वार्थों को बनाये रखने का प्रयास, योजनाबद्ध प्रयास की जड़ पर ही प्रहार करता है। सच्चे आयोजन में यह स्वीकार करना होगा कि ऐसे निहित स्वार्थों को ऐसी किसी भी योजना में यह स्वीकार करना होगा कि ऐसे निहित स्वार्थों को ऐसी किसी भी योजना के मार्ग में नहीं आने दिया जा सकता, जो समस्त समुदाय के हित के लिये बनाई गई हो। भारत में जवाहरलाल नेहरू की राजनैतिक क्षेत्र में अत्यन्त प्रभावशाली स्थिति थी, और आरम्भ में उनकी राजनीतिक स्थिति के समक्ष प्रायः कोई चुनौती नहीं थी, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू ने सदा सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उसका कहना था कि अंग्रेजी राज्य से राजनीतिक मुक्ति प्राप्त हो जाने के बाद यह क्रांति भी होनी चाहिये। उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं में उस दिशा का उल्लेख किया, जिस दिशा में आमूल परिवर्तन वाले सुधार होने चाहिये और उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियादी परिवर्तन चाहने वाली शाखा सहित इन सुधारों को कांग्रेस के प्रस्तावों में स्वीकार कराने में सफलता मिली। यदि जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाने का खतरा तक उठाते और केवल अपने भाषणों में ही आमूल परिवर्तनवादी आदर्शों का विवरण प्रस्तुत करके भर से संतोष प्राप्त कर न लेते और आर्थिक क्रांति को स्थगित न करते जाते, बल्कि इसके स्थान पर इस क्रांति को साकार करने के लिये तेज और प्रभावशाली राजनीतिक कार्यवाही करते, तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता।

स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में भूमि-सुधार के लिये भूमिका बनाई गई थी, स्वतन्त्रता पश्चात् भी, परन्तु कृषि सम्बन्धी असफता का मुख्य स्पष्टीकरण प्रभावशाली भूस्वामियों का प्रतिरोध है। छोटे भूस्वामियों ने इस कार्य में बी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वामियों का साथ दिया, क्योंकि वे इसे अपने हित में क्षा की कार्यवाही समझते थे। कृषि-भूमि में पूंजी निवेश को अपनी व्यक्तिगत सम्पदा को बनाये रखने के लिये सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका समझा जाता है। शहरों के छोटे-बड़े पूंजीपति कृषि-भूमि खरीदने के लिये बड़े उत्सुक रहे हैं। भारत में संभवतः उच्च वर्ग के पास कुछ जमीन है। गावों के गरीब लोग जिनके हित की दृष्टि से सुधारों की बात कही जाती है और कभी-कभी कानून भी बनाये जाते जाते हैं, अधिकांशतया उदासीन रहते हैं। अपने हित के लिये संघर्ष करना तो दूर वे लोग अपने समान हितों को देखने-समझने के लिये संगठित तक नहीं है। वर्तमान सामाजिक स्थिति में वे असह्य हैं साधारणतया केवल ऊँचे स्तर के लोग ही उन सुविधाओं का लाभ उठा सके, जो सहकारी संस्थाओं से प्राप्त हो सकती थी। इसका परिणाम यह निकला कि असमानता में कमी न होकर वृद्धि हुई। भारत की एक सरकारी रिपोर्ट में ज़ोर देकर कहा गया है : जब तक समाज का और हमारे रहने के तरीकों का वर्तमान स्वरूप कायम रहता है, विकास के लाभ का अनिवार्यतः अधिक असमान वितरण होगा और कमजोर वर्गों को सबसे छोटा हिस्सा मिलता रहेगा। आज एक ऐसी कर-प्रणाली की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसमें खेती के काम में हिस्सा लेने वाले भूस्वामियों की आय पर बहुत अधिक कर लगाया जाय। वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के अन्तर्गत कृषि-भूमि पर 15,000 रु. तक की छूट दी गई है। अगर कृषि द्वारा एक लाख रुपये की आय होती है तो भी इस प्रकार की आय पूर्णतया आय कर से मुक्त है, जबकि अन्य साधनों से केवल 150,000 रु० की आमदनी पर आय कर देय है। 1977–78 में नेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट 4,34,86 करोड़ रुपये था तथा कृषि से 18411 करोड़ रुपये था। कृषि का प्रतिशत 42:3 था। 1979-80 (बजट) में स्टेट रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर 117,65.0 करोड़ रुपये, आर्थिक सेवाओं पर व्यय 3622.1 करोड़ रुपये, कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं पर व्यय 196.0 करोड़ रुपये। आंकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस प्रकार कुल रेवेन्यू व्यय का कृषि पर 16.66 प्रतिशत की कुल आर्थिक सेवाओं के अनुपात में कृषि पर 43.69 प्रतिशत व्यय सम्बन्धी आँकड़े है। अतः कृषि-क्षेत्र में व्याप्त असमानता के लिये शीघ्र भविष्य में दृढ़ कदम उठाये जाने की महती आवश्यकता-परिलक्षित होती है। कृषि-कर के अतिरिक्त, इससे भी अधिक कार्य ऐसा कानून बनाकर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में ऐसे लोगों के नाम कृषि भूमि न जा सके, जो खेती नहीं करते और यह व्यवस्था उन लोगों पर लागू होनी चाहिये, जो गाँवों में नहीं रहते। कृषि-क्षेत्र में व्याप्त असमानता के सम्बन्ध में डा० राजकृष्ण, भूतपूर्व सदस्य: योजना आयोग ने अपने भाषण 'नेक्स्ट फेज ऑव इन्डियन प्लानिंग, जयपुर नवम्बर, 19 तथा 20, 1977 को बताया : भारत में 10 प्रतिशत शीर्ष के भूस्वामियों के पास 50 प्रतिशत कृषि भूमि तथा तत्सम्बन्धी स्वामित्व है। ये भूस्वामी 60 प्रतिशत से अधिक कृषि-आय प्राप्त करते हैं।

शिक्षा देश की प्रगति एवं विकास का सशक्त साधन है। यह तथ्य कि उच्चवर्ग अपने कार्य और अपने सामाजिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करता था, वह विदेशी थी, अतः वर्गों का अलगाव निरन्तर बढ़ता गया। पी० सी० महालनवीस लिखते हैं : सामान्यता केवल अमीर लोगों को ही यह अवसर प्राप्त है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें सकें जो देश में प्रभावशाली और उत्तरदायी पदों के लिए आवश्यक होती है···सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोगों के एक छोटे से समूह की सत्ता और विशेषाधिकार केवल कायम रहने की ही प्रकृति नहीं दर्शाता, बल्कि यह और अधिक मजबूत होते जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है···इस प्रकार प्रभावशाली लोगों का एक समूह बन गया है, जो जैसा कि स्वाभाविक है, अपनी विशेषाधिकार की स्थिति और सस्ता बनाये रखना चाहता है। जे० पी० नायक एक विशेष अध्ययन के निष्कर्ष में लिखते हैं···हमारी शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक लाभ, लड़कों, शहरी इलाके के लोग तथा मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोगों को ही मिल रहा है। एक अन्य संदर्भ में जे० पी० नायक लिखते हैं : शिक्षा का विकास······सम्पन्न' लोगों को 'निर्धन' लोगों की तुलना में अधिक लाभ पहुँचा रहा है। यह सामाजिक न्याय और योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया का नकार है।' इसी संदर्भ में 1966 की शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया— शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच की सामाजिक दूरी बहुत बड़ी है और यह निरन्तर बढ़ रही है स्वयं शिक्षा ही सामा-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिक अलगाव को बढ़ाने और वर्ग भेदभाव की खाई को और चौड़ा बनाने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि यह अलगाव'''सम्पन्न वर्गों और जन-सामान्य के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। निर्धनता से ग्रस्त जन-समुदाय के हाथ में प्रायः कोई सत्ता नहीं है। यह जन-समुदाय अपनी माँगों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता और निष्क्रिय बना रहता है। न तो व्यक्तिगत रूप से और न सामूहिक रूप से ये लोग शिक्षा के सुधार की आवश्यकता के प्रति सजग हैं। सामान्यतया जिन लक्ष्यों की घोषणा की जाती है, उनके अनुरूप शिक्षा के प्रयास न हो पाना प्रायः सर्वत्र सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तरीकरण के आधारित है, जिससे एक छोटे से उच्च वर्ग को बड़ी प्रभावशाली स्थिति प्राप्त हो गई है। हैसियत और डिग्रियों को अनावश्यक महत्व दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट लोगों से प्रभावित समाज में विविधतापूर्ण प्रणाली का दर्शन होता है।

आय और सम्पत्ति पर कर-सम्बन्धी जो कानून बनाये गये हैं, उन पर भी भूस्वामित्व और काश्तकारी में सुधार सम्बन्धी जैसी बातें लागू होती हैं। यदि इन कानूनों को कड़ाई से बनाया जाता और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाता, तो इनका सामाजिक और आर्थिक स्तरीकरण पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। लेकिन केवल इसी कारण से बहुत बड़े पैमाने पर निहित स्वार्थों ने संगठित होकर इन कानूनों को प्रभावहीन बना दिया है। 'प्रत्यक्ष कर जांच समिति' के अध्यक्ष भूतपूर्व प्रमुख न्यायाधीश श्री के॰ एन॰ वांचू ने अपनी रिपोर्ट 20 मार्च, 1972 को संसद में पेश की। समिति का कहना है कि काला धन भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कैंसर की रोग की तरह बढ़ रहा है और यदि इसे समय पर नहीं रोका गया तो यह समूची अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर देगा। काले धन के सहारे एक समानान्तर, अर्थव्यवस्था (पैरलल इकॉनमी) चल रही है। समिति का अनुमान था कि सन् 1968-69 में 14 अरब रुपये की आय पर कर बचाया गया था। इससे सरकार को कर से 470 करोड़ रुपये (लगभग एक तिहाई) आय प्राप्त होती। अपने असहमति-पत्र में डॉ॰ रांगनेकर ने कहा कि सन् 1968-69 में 28.33 अरब रुपये की आय पर कर बचाया गया होगा। इस प्रकार उनके अनुसार काली मुद्रा की राशि और भी अधिक थी। परिणाम घातक हैं। कर की वसूली आज बड़ी समस्या बन गई है। कर की चोरी पराकाष्ठा पर है। काला धन देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था में जहाँ जाति, परिवार आर्थिक और सामाजिक हैसियत और इससे भी अधिक व्यापक रूप में 'ताल्लुकात' इतने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, व्यापारियों और अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। अक्सर इसका परिणाम भ्रष्टाचार होता है। इसके बाद भ्रष्ट लोगों का इस प्रणाली में निहित स्वार्थ कायम हो जाता है। चाहे बड़े-बड़े लाभ केवल उच्च-अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को ही क्यों न प्राप्त होते हों, पर इनके मध्य व्याप्त भ्रष्टाचार में निचले स्तरों तक फैलाने की प्रवृत्ति होती है और भ्रष्टाचार गाँवों तक में फैल जाता है। कम से कम सार्वजनिक कर्मचारियों के निचले स्तरों पर मामूली भ्रष्टाचार को समाप्त कर डालने के किसी भी प्रयास के मार्ग में यह शक्तिशाली निषेध या बाधा सिद्ध होता है। भारत की भ्रष्टाचार निरोध-समिति (1964) में कहा गया सबसे पहले उच्च स्तर के लोगों को भ्रष्टाचार के लिये दंडित किया जाना चाहिये। इन उच्च लोगों में मन्त्री और बड़े अफसर आते हैं। इसके साथ ही व्यापारियों में जो बड़े पैमाने पर रिश्वत देते हैं: उन पर भी अदालतों में मुकद्दमें चलाये जाने चाहिये। इस स्तर पर इस दोष पर प्रहार नहीं किया गया तो नीचे के समस्त स्तरों पर भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता रहेगा।

भारत के शीर्ष के 20 औद्योगिक घरानों (एम॰ आर॰ टी॰ पी॰) ने आश्चर्यजनक वृद्धि की है। 1 अप्रैल, 1972 को 3071.98 करोड़ रुपये से 31 मार्च, 1977 को 5401. करोड़ रुपये वृद्धि की और आँकड़े हैं। 1972 तथा 1977 के मध्य प्रतिशत वृद्धि बिरला 81.6, टाटा 66.6, मफतलाल 55.4, जे॰ के॰ सिंहानिया 123.1, थापर 58.6, आई॰ सी॰ ए॰ 55.3, सिन्धिया 85.7, ऑयल इण्डिया 92, भिवानी वाला 312.6, बांगुर 50.3, लार्सन एण्ड टोब्रो 135.3, श्रीराम 48.9, ए॰ सी॰ सी॰ 25.7, किर्लोस्कर 80.2 हिन्दुस्तान लीवर, 84.4, खटाउ (बाम्बे) 84. साराभाई 62.3, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा 114.5, वालचन्द 33.5, मैकनील एण्ड मेगोर 104.6 हुई। औसत वृद्धि 75.8 हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1979 के अन्त तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या 1.43 करोड़ थी, जब कि जून, 1979 में 1.37 करोड़ थी। जून, 1979 के आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार (मैट्रिकुलेट और उससे अधिक शिक्षा-प्राप्त) व्यक्तियों की संख्या पश्चिमी बंगाल में 9,42,600 थी। बिहार में 8,50,400, उत्तर प्रदेश में 7,31,200, केरल में 6,28,200 महाराष्ट्र में 5,60,300 आंध्र प्रदेश में 489,900 तमिलनाडु में 4,86,900 कर्नाटक में 3,42,100 तथा मध्य प्रदेश में 3;37,800 थी। शहरों और गाँवों दोनों में इस गति से उत्तरोत्तर बढ़ रही बेरोजगारी भारत के लिये अत्यन्त चिन्तनीय समस्या बन गई है। राबर्ट साट्रोव (1973) के अनुसार भारत जैसे देशों में गन्दी बस्तियों की आबादी निरन्तर 20 प्रतिशत की दर से अधिक वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की निर्धन तथा बेरोजगारी गन्दी बस्तियों की आबादी की व्यवस्था पूर्णतया निराशाजनक है। योजना आयोग 1976-77 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रति व्यक्ति प्रतिमास का व्यय 61·8 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 71.3 रुपये तय किया है, इससे नीचे व्यय करने वाले लोग निर्धन माने गए। 1977-78 में देश में 46.33 प्रतिशत लोग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 47.85 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 40.71 प्रतिशत थी। देश में करोड़ों नर-नारी दरिद्रता की रेखा से नीचे रह रहे हैं। अतः आय की असमानता नियोजन के समक्ष चुनौती है। पी०टी० बावर ने अनेक अर्थशास्त्रियों के निर्धनता सम्बन्धी सिद्धान्तों यथा 'निर्धनता के कुचक्र' जैसी बात का भी खंडन करते हुए कहा, "आर्थिक प्रगति व उपलब्धि बहुत कुछ माननीय गुणों व दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो इससे प्रभावित होती है। यह ऐतिहासिक अनुभव, प्राकृतिक साधनों व अनेक तत्वों पर निर्भर करती है।" गुन्नार मिर्डल अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहते हैं—(निर्धन देशों में सरकार) समस्त राजनीतिक, कानून व प्रशासनिक प्रणाली विशाल निर्धन जनता के प्रति व्यवस्थित रूप से तथा अत्यधिक रूप से विपरीत किस्म की होती है। □

['अर्थशास्त्र' से साभार मुद्रित]

(पृष्ठ 93 का शेष)

बोली की प्रथम रश्मि फूट रही थी, क्रान्ति का समय था वही आज परिमल से सम्पूरित हो गया है। 'नीहार' को आलिंगन करने वाली 'रश्मि' के साथ कोमल 'पल्लवों' के बीच खिले हुए 'कानन-कुसुमों' पर 'भ्रमरों का गुंजन' 'मधु-कण' बरसाने लगा। आनन्द की 'वीणा' बज उठी। 'प्रणय-झरना' झरने लगा। 'आनन्द-अश्रु' उमड़ पड़े। कोई नाक-भौं सिकोड़ कर क्या करेगा। ब्रज-भाषा तो स्मृति-मन्दिर की देवी बनने मात्र की अधिकारिणी रह गई। आँखों में बसने वाली तो खड़ी-बोली है। उसका स्वर्ण-युग तो प्रारम्भ हो गया है। रजत और ताम्र-युग अज्ञात हैं। इस प्रभात-सदृश चमकने वाली को अपदस्थ कौन कर सकता है! मानव-कला की सबसे अंतिम सिद्धि चित्रित चित्र हैं। चित्र सब प्रकार के प्रारम्भिक बिन्दु हैं। यदि कोई नितान्त दुष्टात्मा है तो उसमें शिशुओं के प्रति ही स्नेह-भावना का प्रादुर्भाव कर दो, यदि आपकी नायिका का सौन्दर्य सर्वथा अक्षुण्ण है तो उसके कपोल पर कोई अवांछनीय चिन्ह बनाकर उसकी पूर्णता में धब्बा लगा दो। साहित्य-सरिता में आज अनेक प्रकार के कमल और कुमुद लक्षित हो रहे हैं। धीमा-धीमा वीचि-विलास हो रहा है। मन्द-मन्द बयार बह रही है, कुंज में नव-अंशुमाली का प्रकाश फैल रहा है। सर्वत्र उदय के आदर्श-चित्र लक्षित हो रहे है, यौवन का मार्जन-सा हो रहा है। हमारे सामने कितने ही साहित्य-सिंधु गर्जना कर रहे हैं। प्रत्येक देश की कला उसकी मानसिक भावनाओं एवं चिरध्येय का प्रतिबिम्ब है। कला का राष्ट्रीय, जातीय एवं मानवीय जीवन के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध है। कला मनुजत्व की द्योतक है, आत्म-बोध का सम्यक् अभिसार है, मानव-सभ्यता की उन्नति की चरम स्थिति है। कला द्वारा ही राष्ट्र तथा मनुष्य की सर्वोत्तम राष्ट्रीय एवं मानवीय आकांक्षाओं को समझा जा सकता है। कला एक उपासना है, धर्म कला की संचालक-शक्ति है, छाया की भाँति साथ रहती है। यूनानी कला में अनेकान्तता है, हिन्दुस्थानी कला में एकान्तभाव-प्राधान्य है। भारतीय कला निमित्त कला नहीं है। वाह्य सृष्टि के वातावरण से भारतीय कभी उदासीन नहीं रहे। भारतीय कला स्वतन्त्र एवं अनियन्त्रित है। प्रकाश तो पूर्व से ही मिलता है। □

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साहित्य और संस्कृति

दिनेश्वर नाथ मिश्र :

समाज व्यक्ति की समष्टि है। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जब संगठित रूप से विचार-विनिमय करते हैं, व्यावहारिक रूप से जीवन-चर्या के लिए वस्तु-विनिमय करते हैं तभी एक समाज का प्रारम्भ होता है। शब्दान्तर में समाज व्यक्तियों का समूह है जहाँ एक-दूसरे से व्यावहारिक संबंध निरंतर चलते रहते हैं। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य उत्तमोत्तम विचार का समूह है और इन विचारों की आधार-भूमि समाज है। अतः साहित्य समाज, राष्ट्र एवं युग की उपेक्षा करके, चिरकाल तक जी ही नहीं सकता और न उसके द्वारा सामाजिक हित एवं उन्नति ही सकती है। समाज व साहित्य के अविच्छिन्न सम्बन्ध को समझने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं :—

"जाति विशेष के उत्कर्षापकर्ष का, उसके उच्च-नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटनाचक्रों और राजनीतिक स्थितियों का, सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता या असभ्यता का निर्णायक एक मात्र साहित्य ही है।"

अतः साहित्य समाज के हित के लिए समाज द्वारा निर्मित होता है। वस्तुतः किसी देश की संस्कृति, उसके मानव-समाज की संचित बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक सम्पदा हुआ करती है। सहस्रों वर्षों के सामाजिक जीवन और उसमें आये अनेक अनुभवों, संघर्षों उतार-चढ़ावों सफलताओं से धीरे-धीरे कर्म और चिन्तन का जो स्वरूप प्रस्फुटित होता है, वही संस्कृति है। इस प्रकार किसी देश अथवा समाज के आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, साहित्यिक तथा कलात्मक तत्व मिलकर किसी देश या समाज की संस्कृति का निर्माण करते हैं। अतः साहित्य और संस्कृति का अनादि काल से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध चला आ रहा है। यदि साहित्य एक ओर मानव-समाज के उत्थान-पतन का साक्षी है, उसके मन एवं प्राणों का सर्वस्व है, तथा उसकी सभ्यता व संस्कृति का निर्देशक है तो दूसरी तरफ संस्कृति जैसे कारण तत्व के कला तथा साहित्य आदि कार्य रूप हैं। यानी ये दोनों सांस्कृतिक प्रेरणा के साधन और अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं तथा साहित्य ही वह मूर्धन्य आधार-शिला है जो संस्कृति को मूर्त रूप प्रदान करता है। इस प्रकार संस्कृति और साहित्य सामाजिक संदर्भों में एक दूसरे के इतने प्रबल अनुपूरक तत्व हैं कि एक के अभाव में दूसरा मलिन, दिग्भ्रमित तथा प्रभावहीन हो जाता है। एक यानी साहित्य यदि 'साहित्य भावे इति साहित्यम्' के अनुसार सभी के सब प्रकार के हित के लिए आत्म-समर्पित दृष्टिगत होता है तो दूसरी यानी संस्कृति भी व्याकरण के अनुसार 'कृ' धातु में 'सम्' उपसर्ग लगाकर भूषण अर्थ में 'सुट्' प्रत्ययादि से निष्पन्न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष परम्परा-प्राप्त सुन्दर जीवन-पद्धति तथा सद्वृत्ति प्रेरित कर्म के रूप में अवतीर्ण होकर उन्न... बहुमुखी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दोनों इस प्रकार एक-दूसरे से दृढ़तापूर्वक संबंधित होने के कारण अपने अस्तित्व एवं महत्व की अक्षुण्णता बनाये रखने के निमित्त एक-दूसरे के माध्यम से भाव सामग्री ग्रहण करते रहते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साहित्य के लिये कहा गया है कि जो शाश्वत हो, चिरंतम हो एवं मनुष्य के अभ्यन्तर की तंत्री को झंकृत कर दे, वही सर्वकालीन साहित्य है यानी वह संवेदना-जन्य लोक-कल्याण की भावना से पूर्ण, व्यष्टिगत न होकर समष्टिगत होता है; तो संस्कृति के विषय में श्री के० एम० मुंशी का विचार है कि—

"संस्कृति जीवन की उन अवस्थाओं का नाम है जो मनुष्य में व्यवहार ज्ञान और विवेक पैदा करती है। ये मनुष्य के व्यवहारों को निश्चित करती है, उनके संस्थाओं को संचालित करती है, उनके साहित्य और भाषा को बनाती है तथा उनके जीवन के आदर्श और सिद्धान्तों को प्रकाश देती है।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति में मानव-जीवन के संस्कारों, आचार-विचारों तथा रहन-सहन के तौर-तरीकों का ही लेखा-जोखा अपने संश्लिष्ट रूप में विद्यमान रहता है। और साहित्य समाज का दर्पण होने के कारण सांस्कृतिक चेतनाओं के प्रचार-प्रसार में सन्नद्ध रहता है, इस प्रकार संस्कृति; साहित्य की व्यापकता के लिये विस्तृत आयाम प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होती है। साहित्य का जो दृष्टिकोण हमारे देश में रहा है, वह पाश्चात्य देशों में कभी नहीं रहा भारतीय साहित्य परोपकार एवं सर्वभूत-हितरत: की भावना से ओत-प्रोत रहा है तथा सर्वदैव व्यष्टि के ऊपर उठकर समष्टिगत सत्य पर आश्रित रहा है और ठीक उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी अपनी चिरन्तनता, आध्यात्मिकता तथा शाश्वतता के कारण विश्वजनीन होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि यह किसी जाति, राष्ट्र, धर्म-विशेष तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण मानवता को आगे बढ़कर गले लगाने में रंच-मात्र भी नहीं हिचकती। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि समान उद्देश्य होने के कारण संस्कृति और साहित्य एक दूसरे से अविच्छिन्न सम्बन्ध बनाये रखते हैं। साहित्य के माध्यम से ही हम अपने अतीत की गरिमा पर दृष्टिपात कर पाते हैं तथा सांस्कृतिक प्रेरणाओं को आत्म-सात कर पाते हैं और दूसरी तरफ संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन को सुसंगठित व सुव्यवस्थित करने के लिए प्रबुद्ध साहित्यकारों के माध्यम से अपने को दुहराने का सद्प्रयास करती है। अतएव बुद्धिजीवियों ने साहित्य को समाज अथवा देश का प्राण तथा संस्कृति को उसकी आत्मा कहा है। किसी भी देश अथवा समाज की उन्नति के लिए इन दोनों की समान रूप से समृद्धि तथा उन्नति होना आवश्यक है।

साहित्य और संस्कृति एक दूसरे को अनादि काल से प्रभावित करते हैं। संस्कृति साहित्य पर अपना अमिट प्रभाव डालती है। उदाहरणार्थ मुसलमानों के आक्रमण भारत पर सातवीं सदी से प्रारम्भ हो गये थे, फलस्वरूप नवागन्तुक मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच दीर्घ समय से भयंकर संघर्ष होता रहा। ये आक्रमणकारी अपनी कटुता में इस सीमा तक पहुँच गये कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के प्राबल्य को सिद्ध करने के लिए मूर्ति-खंडन के साथ ही इतने सहस्रों वर्षों के संचित ज्ञान-विज्ञान एवं अमूल्य साहित्य को नष्ट कर देना चाहा। विशाल पुस्तकालय जला दिये गये, किन्तु कालान्तर में इस साम्प्रदायिक विस्फोटक स्थिति में आश्चर्यजनक अन्तर आ गया, और एक ऐसा समय आ गया जब सामान्य जनता पारस्परिक विभेदों को मिटाकर एक-दूसरे के समीप आने लगी थी। दो विभिन्न संस्कृतियाँ जब एक दूसरे से मिलती हैं तो धर्म, कला, साहित्य सभी पर यथेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है। मुसलमान शासकों की उदार-प्रवृत्ति के फलस्वरूप, हिन्दी के कवि राजदरबारों में आश्रय प्राप्त करने लगे और हिन्दी के प्रति मुसलमानों में अभिरुचि उत्पन्न हुई और बहुसंख्य संस्कृत व हिंदी के ग्रन्थों का अरबी फारसी में अनुवाद कराया गया। धर्मनिष्ठ भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रभाव में यवनों को इतना सम्मोहन प्राप्त हुआ कि कृष्ण-भक्ति की पावन सरिता में अवगाहन कर उनका कण्ठ भी कृष्ण का गुणगान करने लगा। ताज, अमीर खुसरो, कबीर, कुतबन, मंझन, नूर मुहम्मद, उसमान एवं मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवियों का साहित्यिक, रूपान्तरण इन्हीं सांस्कृतिक सम्मिश्रण के फलस्वरूप तो हो सका। मुसलमानों के मजहबी साहित्यकार मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जी तो गंगा की घाटी की पुरातन संस्कृति से इतने आकृष्ट हो गये कि इसके आगे उन्हें अपने अविजित इस्लामी संस्कृति के अस्तित्व पर ही संदिग्धता का आभास हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रगट भी कर दिया, यथा—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा,
निशाँ जिसका अक्साये आलम में पहुँचा।
मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसका,
न अम्मा में ठिठका न कुलज़म में झिझका।
किये पै सिपर जिसने सातों समन्दर,
वो डूबा दहाने में गंगा के आकर।"

संक्षेप में इसका भावार्थ यही है कि वह इस्लामी धार्मिक संस्कृति का प्रचारक निर्भीक बेड़ा जिसके गंतव्य-मार्ग में संसार का कोई विकटतम अवरोध, बाधा नहीं बन सका, वह सातों समुद्रों को पार करने के बाद भी जब गंगा की घाटी में पहुँचा तो उसे डूबने जैसा प्रत्याघात सहना पड़ा। यह है संस्कृतियों के साधारण मिलन की स्पष्टतम स्वीकारोक्ति व तदनुरूप साहित्य-जगत में इनकी विलक्षण अभिव्यक्ति जिसके फलस्वरूप उदात्त मुसलमान कवियों का हिन्दी साहित्य-जगत में प्राकट्य, जिसकी अभिव्यंजना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के इन शब्दों में प्रस्फुटित होती है—

"इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये।"

तो भारतीय व इस्लामी संस्कृतियों के मिलन का विलक्षण प्रभाव जो साहित्य पर पड़ा, वह रीतिकालीन काव्य-धारा में परिलक्षित होता है। सम्पूर्ण श्रृंगारिक काव्य-धारा, जो गुलगुली गिलमें और गलीचों तथा हाला, प्याला, सुवाला व मधुशाला के इतस्ततः विचरण करती प्रतीत होती है वह निश्चय ही संस्कृति के साहित्य पर घटित प्रभाव का दिग्दर्शन कराती है। इतना ही नहीं, जरा और आगे बढ़ें तो कालान्तर में अंग्रेजों के सम्पर्क में आने से भारतीय संस्कृति जिन रूपों में प्रभावित हुयी, उन्हें आज के साहित्य की भाषा, भाव तथा कल्पना में सहज ही देखा जा सकता है। सन् 1919 के भयंकर विश्वयुद्ध ने देश की सभी परंपराओं में भयानक उथल-पुथल मचा दी, फलतः सांस्कृतिक प्रेरणाएँ प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकीं तो साहित्यिक काव्य-क्षेत्र में स्वभावतः एक नैराश्य भावना का उद्रेक हुआ, जिसमें जीवन और जनता के प्रति एक विस्मरण की मनोमुग्धकारी मंजुल भावना का समावेश हो गया तथा इन्हीं प्रेरणाओं के अन्तर्गत साहित्य में छायावाद का जन्म हुआ जिसमें निराशावाद भाग्यवाद व दुःखवाद की प्रधानता दृष्टिगोचर होने लगी। प्रगतिवादी साहित्य तो अपने विविध रूपों में प्रत्यक्षतः मार्क्सवाद से प्रभावित संस्कृति की उत्कट देन के रूप में आज भी वर्तमान है। इस तरह अन्य विविध उदाहरणों के माध्यम से हम स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संस्कृति, साहित्य पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाले बिना नहीं कायम रह सकती।

अब साहित्य द्वारा संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन भी वर्तमान संदर्भों में आवश्यक हो जाता है। हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य ने भारतीय संस्कृति में एक नवीन चेतना को उत्पन्न कर दिया था। भक्तिकालीन साहित्य सृष्टि के मूल में कुशासनों व अत्याचारों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति की प्रेरणा काम करती रही है। इसमें निराशा-भावना निहित थी और यह निराशा पतित, पराजित व चेतना-शून्य जाति, भक्ति-भावना के आनन्द को पाकर, अपने जीवन का परिष्कार कर भौतिक जीवन की शून्यता को अस्वीकारोक्ति के साथ धार्मिक पूर्णता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकी। कबीर का अदम्य आत्म-विश्वास निर्भीकता, रूढ़ियों व जर्जर मान्यताओं के प्रति चुनौती और हुंकार का स्वर, साँस्कृतिक परिपूर्णता के लिए ही तो गूंजा। तुलसीदास ने रामचरित मानस में राम के जिस ओजस्वी, लोक-रक्षक, मर्यादा-पालक और राष्ट्र के संरक्षक रूप और आदर्श की प्रतिष्ठा की है, वह भी राजनीतिक दासता में पड़ी हुयी जाति के लिए नयी आशा, आस्था व कर्त्तव्य का प्रेरक बना। सूरदास की भी रससिक्त और मुग्धकारी रचनाओं से समस्त कुण्ठित जन-मानस अपने को तृप्त करता हुआ साँस्कृतिक जागरुकताओं से परिचित हो सका। इसके अतिरिक्त सूफी साहित्य व हिन्दी-जगत का निर्गुण साहित्य दोनों का हिन्दू तथा इस्लामी संस्कृति पर विशिष्ट प्रभाव था। मार्क्स व एंजिल्स का साम्यवादी साहित्य जैसे ही विश्व-जनमानस के सामने प्रगट हुआ, कई देशों की सरकारें टूट गयीं व वहाँ की समस्त मान्यताओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गये, यह भी तो साहित्य का ही संस्कृति पर प्रभाव हुआ। वस्तुतः संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्वों में साहित्य का सर्वोपरि स्थान है। साहित्य समाज द्वारा समाज के हित के लिए निर्मित होता है अतः यह समाज को अनिवार्यतः प्रभावित करता है और साहित्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से प्रभावित समाज और राजनैतिक, आर्थिक, व्यावहारिक आदि तत्वों से संस्कृति का निर्माण करता है। इस प्रकार निस्संदेह किसी देश या समाज की संस्कृति, उस काल के साहित्य से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकती है।

साहित्य को इस रूप में परिभाषित करने से—

Literature is the brain of humanity.

यानी साहित्य मानवता का मस्तिष्क है या साहित्य को ज्ञान-राशि का संचित कोष कहने के मूल में जो भाव निहित हैं वे संस्कृति के साथ इसका तादात्म्य स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। समाज और देश की सभ्यता रहन-सहन, विचार, दर्शन, कला, अध्यात्म जैसे अनिवार्य तत्वों को सचेष्ट होकर सुसंगठित रखने का दायित्व साहित्य का होना है और वस्तुतः ये ही तत्व संश्लिष्ट रूप में किसी देश अथवा समाज की संस्कृति की रचना करते हैं। अतः साहित्य इन समस्त तत्वों से युक्त संस्कृति के संरक्षण का ही कार्य नहीं करता, अपितु उसे निरन्तर प्रवाहमान बनाये रखने की क्षमता से युक्त होता है। चूंकि साहित्यकार अपने युग के द्रष्टा व प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है अतः किसी भी युग की सम्पूर्ण झांकी तत्कालीन युग के साहित्य रूपी आइने में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम संक्षिप्त रूप से हिन्दी साहित्य के इतिहास पर क्रमिक व सांगोपांग दृष्टिपात करें तो वीर गाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल की समसामयिक साहित्यिक रचनाओं में युगीन संस्कृति के स्पष्ट चित्र प्राप्त हो जाते हैं। वीरगाथाकाल का रासो साहित्य यथा—

"जेहि की बिटिया स्वाँरी देखी,
तेहि घर जाई धरे हथियार।"

स्पष्टतः उस युग की भोग-विलास की प्रवृत्ति, अकारण शौर्य-प्रदर्शन का बयान करता दिखाई देता है।

बाह्य आक्रांताओं देश को लूटने की तैयारी में तत्पर हैं और दिल्ली तथा कन्नौज की प्रतिद्वन्द्विता भी अपने असली रूप में है, यथा—

"दगी सलामो दोनों दल मा,
धुवना रहयों सरग मँडराय।"

समस्त कवि राज्याश्रित होकर चारणों के रूप में विरुदावली गाना अपना आदर्श बना लिये थे। इस प्रकार तत्कालीन रासो व अन्य साहित्य के माध्यम से उस युग की समस्त सांस्कृतिक मान्यताओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि भक्ति-काल को हम देखें तो मुगलों के अत्याचार व उनकी धर्मान्धता ने हिन्दू-जाति को निराश्रित कर दिया, अब उनका निराश होकर भगवान की ओर स्व-रक्षार्थ झुकना स्वाभाविक ही था। सूर और तुलसी ने 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत' के आधार पर अत्याचारियों का नाश करने वाले कृष्ण व राम का गौरव-गान कर हिन्दुत्व की गिरती दीवारों में प्लास्टर लगाया। सूर ने भक्तों की लाज-रक्षा, विरद-रक्षा एवं धर्म-रक्षा के निमित्त वीर रस की अभिव्यंजना की।

"आजु जौं हरिहिं न शस्त्र गहाऊँ,
तौ लाजौं गंगा जननी कौं, सांतनु सुत न कहाऊँ।"

तुलसी ने राम के पौरुष व वीरता का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया :—

"नानायुध सर चाँप धर, जातुधान बलवीर।
कोट कूँगरनि चढ़ गये, कोटि कोटि रणधीर।"

इस प्रकार अन्य विविध रचनाओं के माध्यम से भक्ति-काल को स्वर्ण-युग कहा जाता है क्योंकि पतनोन्मुख भारतीय संस्कृति को समुन्नत रूप देने में इस युग के कवियों का विशिष्टतम योगदान है। तुलसीदास जी को तो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि व इनकी विशिष्ट रचना राम-चरित मानस को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। कबीर की रचनायें मानो तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपों की पग-पग अभिव्यंजना करती दिखाई पड़ती हैं और उन्हेंने रूग्ण समाज को स्वस्थ रूप देने में एक सच्चे वैद्य की भूमिका का निर्वाह किया था। सूरदास जी का सूरसागर समस्त ब्रज-संस्कृति की गाथा बिखेर रहा है। अब रीति-काल की ओर यदि हम बढ़ें तो तत्कालीन उपभोग व कामोन्मादी संस्कृति का स्पष्ट चित्रण यदि कहीं प्राप्त होता है तो साहित्यिक रचनाओं में। उस युग में राजागण अष्टायाम विलासिता में आकण्ठ निमग्न थे, यथा—

"हाला है, दुशाला है, सुराही और प्याला है,
बाला है, सुरा है और विशाल चित्र-शाला है।"

इस प्रकार सौन्दर्य के समस्त उपादानों का नख-शिख चित्रण, कलावादी दृष्टि का विकास इत्यदि रीतिकालीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल भी उसी प्रकार सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस समय देश 'गुलगुली गिलमों में प्याला' के साथ कविता-कामिनी में उलझा हुआ बेखटके सो रहा था उस समय युग-प्रवर्तक कवि जैसे० भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने प्रथम उद्‌बोधक शब्दों में सबको जगाया—भारत की दुर्दशा पर आँसू बहाइये-अपनी किस्मत ठोको और शीघ्र ही सचेत होने की दुहाई भी दी, यथा—

"रोवहु सब मिलि कै आवहु भारत भाई।
हा! हा!! भारत दुर्दशा न देखी जाई॥"

\+ \+ \+

"अबहूँ चेटि पकरि राखौ किन जो कछु बची बड़ाई।
फिरि पछिताये कछु नहीं है है रहि जैहौ मुँहबाई॥"

ब्रिटिश साम्राज्य ने किस प्रकार हमारे संस्कारों में दासता का विष घोलकर तथा भौतिक सुविधायें प्रदान कर जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने की चेष्टा की थी, अंग्रेजों के चापलूस टट्‌टुओं के जीवन में यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। लेकिन भारतीय संस्कृति की वह अबाध धारा अवरुद्ध नहीं हो सकी जैसा कि भारतेन्दु जी की रचनाओं में अंग्रेजी की प्रशंसा करते हुए भी, वास्तविकता से मुँह न मोड़ने की इन पंक्तियों में परिलक्षित होता है—

"अंग्रेज राज सुख साज सजे बहु भारी।
पै धन विदेश चलि जात यहै अतिख्वारी।"

फिर क्रमशः बढ़ने पर जैसे-जैसे जीवन के संस्कारों में महर्षि अरविन्द, रवीन्द्र, तथा गाँधी जो आदि की विचार-धाराओं के संगम से जीवन सम्बन्धी मान्यताओं में जो जो परिवर्तन होते गये, उसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से प्राप्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की 'प्रिय प्रवास की' राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं रह गयी है, अपितु विश्व-प्रेमिका बन गयी है, साकेत की जानकी राजबधू न होकर वनवासिनी हो गयी है, वह सूत काटती है और जंगल को राज महल बनाने में उद्यत है पन्त व प्रसाद सभी भारतीय दर्शन, इतिहास व संस्कृति के निर्णायक तत्वों के अधिष्ठाता के रूप में साहित्य-सृजन करके जन-मानस को अत्यन्त प्रसन्न बनाने में कार्यरत दृष्टिगत होते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम पाते हैं कि युग के सांस्कृतिक विकास के तदनुरूप साहित्य भी अपने विविध अवयवों में परिवर्तन करते हुए समाज के समक्ष अभिव्यक्त होता रहता है। अतः साहित्य को किन्हीं भी रूपों में संस्कृति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है।

साहित्य और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न होते हुये भी अपनी पृष्ट-भूमि समाज के सर्वतोभावेन हित के लिये तत्वतः अभिन्नता प्रदर्शित करते दृष्टिगत होते हैं। संस्कृति यदि साहित्य को जीवन्तता प्रदान करने में निर्णायक भूमिका अदा करती है तो साहित्य संस्कृति के अमूर्त रूप को मूर्त प्रदान करके हुए उसके नवीनीकरण व परिष्करण के लिये आवश्यक भाव-भूमि व स्वस्थ वातावरण का सृजन करता है। संस्कृति के सर्वमान्य शाश्वत तत्वों को यदि कोई बाह्य शक्ति अपनी कुचेष्ठाओं के माध्यम से परिवर्तित करना चाहती है तो साहित्य जन-जागरण के माध्यम से उसे नव्यता प्रदान करते हुये उसके कालजयी स्वरूप को पुनः स्थापित करता है। इसी लिये प्रत्येक राष्ट्र और युग का साहित्य, इसी कारण, अपनी संस्कृति का परिचयात्मक चित्र होता है। एक साहित्यकार अपना वर्णन-विषय भले ही सतयुग, त्रेता या द्वापर युग से चुना हो, किन्तु वर्णन करते समय वह अपने युग की समस्त मूल्यों, आदर्शों व परम्पराओं का चित्रण किये बिना नहीं रह सकता और इस प्रकार अनचाहे रूपों में भी वह युगीन सभ्यता व संस्कृति का संवर्धन करता रहता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भले ही त्रेता से अपनी रचना के लिए सामग्री ग्रहण की हो किन्तु उनकी रचनाओं मे सांस्कृतिक चित्रण ऐसे मिलते हैं जो अपनी सार्वकालिक छवि को बनाये हुये रहते हैं। अतः जैसे-जैसे सांस्कृतिक विकास होता जाता है, साहित्य भी गतिशील रहता है। संस्कृति यदि साहित्य के लिये खाद्य-सामग्री संप्रेषित करती है तो साहित्य संस्कृति के प्रचार व प्रसार का समुन्नत आधार प्रस्तुत करता है। यदि संस्कृति मानव-जीवन के अन्तर्वाह्य संस्कारों तथा जीवन के तौर-तरीकों का आयाम प्रस्तुत करती है तो साहित्य उन्हें नियंत्रित करके उपादेय बनाता है इस प्रकार साहित्य और संस्कृति में अटूट संबन्ध है। दोनों के विकास से ही देश या समाज का विकास सम्भव है। □

'आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म संयम, यही तीन जीवन को परम शक्ति सम्पन्न बना देते हैं।'

—टेनीसन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी लोक-ऋण की भूमिका

☐ राम नारायण लोहकर

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद आर्थिक विचार-धारा का रुख अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास की ओर इस रूप में हुआ है कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ-साथ विकसित देशों को भी इस सम्बन्ध में एक निश्चित भूमिका निर्वाह करने के लिए विवश होना पड़ा। यह बात दूसरी है कि इस सम्बन्ध में प्रकट रूप से जो मंतव्य व्यक्त किये गये और जो आशायें-प्रत्याशायें व्यक्त की गई, व्यवहार का अनुभव उनसे पर्याप्त रूप में भिन्न रहा है। जो भी हो साम्यवादी

कम आय और मध्यम आय वाले 80 से भी अधिक देश अन्य देशों से ऋण लिये हैं। अन्य शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी ऋण पर आधारित आर्थिक विकास की नीति को स्वीकार करता है। इनमें से कुछ देशों का विदेशी ऋण उनकी राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनकी तुलना में भारत का 12 प्रतिशत ऋण अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

कम आय वाले देश	विदेशी ऋणशेष का उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अनुपात % (1979 में)	मध्यम आय वाले देश	विदेशी ऋणशेष का उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अनुपात % (1979 में)
बंगला देश	29.6	केन्या	24.3
सोमालिया	40.4	सेनेगल	32.3
माली	44.2	मिस्र	60.4
अफगानिस्तान	29.1	जाम्बिया	50.5
भारत	12.3	बोलीविया	38.7
श्रीलंका	32.4	कान्गो	75.8
पाकिस्तान	38.5	पेरू	42.9
इण्डोनेशिया	28.3	मलेशिया	15.4
सूडान	34.5	पनामा	83.9
		कोरिया गणतन्त्र	24.5
		अल्जीरिया	49.1
		ब्राजील	17.7
		युगोस्लाविया	5.2
		इजरायल	55.1
		स्पेन	4.4

स्रोत—वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट—1981—वर्ल्ड बैंक

अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी लोक-ऋण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई। इस बात का अन्दाज उपरोक्त तालिका में दिये तथ्यों से लगाया जा सकता है।

लेकिन यदि भारत की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में विदेशी ऋण की समीक्षा की जाय तो संभवतः इसे कम महत्व का कह कर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह भले हो कहा जाय कि नई प्रौद्योगिकी के संदर्भ में मशीन, मशीनों

रीडर—अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल-पुर्जों और सम्बन्धित कच्चे माल को आयातित करने के लिए विदेशी लोक-ऋण का परम महत्व हो जाता है, साथ ही यह तथ्य भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि यदि नई प्रौद्योगिकी के नाम पर हमें ऐसी मशीनें और कल पुर्जें मिलते हैं जो निर्यात करने वाले देशों में प्रचलित होने लगे हैं और इस दृष्टि से हमें दिये जाते हैं ताकि आयात करने वाली अर्थ-व्यवस्था की निर्भरता आगे के लिए निर्यात करने वाले (विकसित देशों) पर बढ़ती जाये, तो शायद ऐसे विदेशी ऋण की लागत काफी अधिक हो सकती है। पहले राजनीतिक उपनिवेशवाद के अन्तर्गत जिन अर्थव्यवस्थाओं का शोषण हुआ है, आगे आर्थिक उपनिवेशवाद के अन्तर्गत उनका शोषण जारी रह सकता है। इसलिये विदेशी ऋण के सम्बन्ध में काफी सतर्कता की भी जरूरत है।

यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जब ब्रिटिश सरकार की स्थिति यहाँ काफी मजबूत थी तब विदेशी ऋण की मात्रा भारत में काफी अधिक थी। किन्तु जैसे-जैसे भारत में स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ता चला गया विदेशी ऋण का अनुपात कम होता गया और 1947 में भारत के कुल लोक-ऋण में विदेशी ऋण का अंश मात्र 1.7 प्रतिशत रह गया था जबकि 1914 में यह अनुपात 59.7 प्रतिशत था। स्वाधीनता के बाद भारत सरकार का शासन व्यवस्थित रूप में स्थापित हो जाने पर और भारत सरकार की उदार आर्थिक नीति के कारण विदेशी ऋणों का साक्षेप महत्व तीव्रता से बढ़ा : भारत के विदेशी लोक-ऋण का कुल लोक-ऋण से अनुपात 1956 में 4.337%, 1961 में 12.17%, 1966 में 24.08% और 1971 में 32.65% हो गया। विदेशी लोक-ऋण का सापेक्ष महत्व इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक हो जाता है कि भारत के कुल लोक-ऋण का यहाँ की राष्ट्रीय आय से प्रतिशत अनुपात 1951 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 1971 में 57.8 प्रतिशत हो गया था। 1971 के बाद भारत के अमेरिका के साथ संबन्धों में तनाव आने से विदेशी ऋण के सापेक्ष महत्व में भी कमी आई और 1980 में भारत के विदेशी लोक-ऋण का कुल लोक-ऋण से अनुपात लगभग 20 % रह गया था किन्तु इसके बाद अब पुनः विदेशी ऋण का सापेक्ष महत्व बढ़ रहा है।

इसमें संदेह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बिरादरी के सदस्य के रूप में हम बिना लोक-ऋण के काम नहीं चला सकते हैं। विदेशी व्यापार के कारण बहुत से नियन्त्रणों के बावजूद हमारा आयात-बिल निर्यात आय से काफी अधिक हो जाता है। खनिज तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण हमारे आयात का व्यय बहुत तीव्रता से बढ़ा है जिसे हम अपने ही साधनों से चुकाने में असमर्थ पा रहे हैं। इस सन्दर्भ में हमने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से लगभग 500 करोड़ एस० डी० आर० (लगभग 5000 करोड़ रुपये) के ऋण का समझौता किया है। इस तरह के ऋणों से हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला वर्तमान दबाव भले ही कम हो जाता है किन्तु अर्थव्यवस्था की दिशा का निर्धारण बहुत कुछ अपने नियंत्रण के बाहर की शक्तियों पर निर्भर हो जाता है। आर्थिक उपलब्धि के रूप में इन ऋणों का वास्तविक योगदान तो भविष्य में ही किया जा सकेगा किन्तु वर्तमान समय में इसके भार का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है।

जहाँ प्रथम योजना में ऋण सेवा लागत केवल 23.8 करोड़ रुपये थी, 1981-82 में अनुमानित ऋण सेवा लागत लगभग 837 करोड़ रुपये हो गई। इसमें से लगभग 531 करोड़ रुपये तो ऋण शोधन राशि के (Amartisation) रूप में था और लगभग 305.7 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के रूप में था। अब तक जितना ऋण हम ले चुके हैं उनसे सम्बन्धित ऋण सेवा लागत आने वाले वर्षों में तीव्रता से बढ़ती जायगी।

ऋण सेवा लागत (करोड़ रुपयों में)

अवधि	ऋण-शोधन	ब्याज-भुगतान	कुल ऋण-सेवा	प्रतिवर्ष भुगतान
पहली योजना	10·5	13.3	23.8	4.76
दूसरी योजना	55·2	64.2	119.4	23.88
तीसरी योजना	305.6	237.0	542.6	108.52
वार्षिक योजनायें	606.6	375.9	982.5	327.50
चौथी योजना	1584.2	860.8	2445.0	489.00
पांचवीं योजना (चारवर्ष)	1941.7	946.6	2888.3	722.10
1981-82	531.4	305.7	837.1	937.1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह बढ़ता हुआ भार चिन्ता का विषय न होता यदि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास प्रत्याशाओं के अनुसार होता और भविष्य के बारे में इसकी सतत और वर्तमान संवृद्धि-दर के बारे में हम आश्वस्त होते।

वार्षिक संवृद्धि दर आयोजन के प्रथम दशाब्द में 3.8 प्रतिशत, दूसरे दशाब्द में 3.5 प्रतिशत और तीसरे दशाब्द में 3.3 प्रतिशत रही है। प्रतिव्यक्ति आय की वार्षिक संवृद्धि दर तो इन समयावधियों में क्रमशः 1.75 प्रतिशत, 1.23 प्रतिशत और 0.58 प्रतिशत रही है। छठी योजना के प्रथम वर्ष में 7.7 प्रतिशत संवृद्धि-दर और द्वितीय वर्ष में अनुमानित 4.5 प्रतिशत संवृद्धि दर प्राप्त कर लेने के बावजूद भविष्य के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि उपर्युक्त दोनों वर्ष खाद्यान्न के उच्चस्तरीय उत्पादन वाले वर्ष रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के संदर्भ में जिस तरह के नीति-परिवर्तन किये जा रहे हैं उनके महत्वपूर्ण परिवर्तनों की संभावना की आशा हो सकती है किन्तु अभी यही अनिश्चित है कि इन नये परिवर्तनों के प्रति अर्थव्यवस्था किस तरह प्रतिक्रिया दिखाती है।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण का प्रयोग दिखाये गये उद्देश्यों के अनुसार होता है और अर्थव्यवस्था में वैसे परिवर्तन आते हैं जो इस ऋण की शर्तों में निहित हैं तो आगे का विकास प्रमुखतः दो बातों पर निर्भर करेगा: (1) निजी क्षेत्र अधिक आश्वस्त होकर अपनी सीमाओं के अन्तर्गत आर्थिक क्रिया को सकारात्मक योगदान देगा; और (2) सार्वजनिक क्षेत्र अधिक दक्षता से उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करेगा जहाँ उसकी एकधिकारी स्थिति है और जहाँ उसका पहले से भारी निवेश हो चुका है। अभी दोनों ही बातों के सम्बन्ध में इतना आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि अर्थव्यवस्था में इतनी अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित हो जायगी कि हम आर्थिक विकास की एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त कर लें। इसके विपरीत यदि बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता की स्थिति सहनशीलता की सीमा के बाहर हो जाती है या इसके कारण पैदा हुए असंतोष को उभाड़ने में विपक्ष सफल हो जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप के समक्ष स्पष्ट खतरा बढ़ जायेगा और इससे आर्थिक (और राजनीतिक) अस्थिरता का खतरा बढ़ जायगा। अतः इस समय इस बात को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिये कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम समय में (बेहतर हो; वर्तमान ऋण के कारण जितनी अवधि में हमें संकट से राहत मिल रही है उसी अवधि में) इतना आत्म निर्भर बना लें कि अन्तर्राष्ट्रीय अस्थिरता या संकट से इसको यथासम्भव बचाया जा सके।

VISIT WRITE OR **RING** 52384

BOOKS FOR P. C. S. EXAM.

ASIA BOOK CO.

9 University Road, Allahabad.

1.	एम० पी० श्रीवास्तव	प्राचीन भारतीय संस्कृति कला और दर्शन	40.00
2.	Chaudhary	English Grammer and Translation	7.50
3.	ओम प्रकाश मालवीय	आधुनिक हिन्दी निबन्ध	15.00
4.	ओम प्रकाश मालवीय	सामान्य हिन्दी	8.00
5.	पी० सी० एस० गाइड	प्राचीन भारतीय संस्कृति	20.00
6.	पी० सी० एस० गाइड	भारतीय इतिहास I	20.00
7.	पी० सी० एस० गाइड	भारतीय इतिहास II	20.00
8.	पी० सी० एस० गाइड	समाजशास्त्र	20.00
9.	पी० सी० एस० गाइड	हिन्दी साहित्य	12.00
10.	पी० सी० एस० गाइड	राजनीतिक शास्त्र	14.00
11.	पी० सी० एस० गाइड	विधि I	18.00
12.	पी० सी० एस० गाइड	विधि II	15.00
13.	पी० सी० एस० गाइड	विधि III	16.00
14.	पी० सी० एस० गाइड	भारतीय दर्शन	20.00
15.	पी० सी० एस० गाइड	समाज कार्य	25.00
16	पी० सी० एस० गाइड	प्रारम्भिक गणित	12.00

नोट :—पुस्तकों का आर्डर करते समय 10/-रु० अग्रिम मनीआर्डर द्वारा भेजे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध :

मध्यपूर्व : क्या शान्ति सम्भव है ?

☐ शंकर घोष, प्रदीप कुमार वर्मा एवं चन्द्र प्रकाश सिंह

विश्व शान्ति के लिए जैसा खतरा आज महसूस किया जा रहा है, वैसा पहले कभी नहीं किया गया। क्रमिक रूप से होते रहे छोटे-छोटे युद्ध तीसरे विश्व-युद्ध की भयावहता को ओर इंगित करते हैं। यद्यपि ईरान-ईराक-युद्ध तथा ब्रिटेन-अर्जेन्टीना संघर्ष अपने मूल कारणों के समाधान में असफल रहे तथापि इन संघर्षों की पुनरावृत्ति की आशंका कम ही है। 6 जून, 1982 को इस्रायल द्वारा लेबनान पर आक्रमण ने बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से चले आ रहे मध्यपूर्व (पश्चिमी एशिया) की समस्या को पुनः उभार कर तृतीय विश्व युद्ध के बीज बो दिये।

भौगोलिक दृष्टि से मध्यपूर्व, यूरोप को एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ने, महत्त्वपूर्ण हवाई व समुद्री मार्गों के होने, तथा नाटो (Nato) व वारसाँ (Warsaw) देशों के दक्षिण में विद्यमान होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक महत्त्व का है। ऊर्जा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संसाधन-तेल का-60% से भी अधिक भण्डारक तथा लाभकर बाजार होने से इसका विशेष आर्थिक महत्त्व है। राजनीतिक व सामाजार्थिक परिवर्तनशीलता तथा इस क्षेत्र के देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा ने महाशक्तियों को अस्थिरता प्रेरक कारकों के रूप में आकर्षित किया है।

उपर्युक्त कारणों के अलावा यह क्षेत्र एक स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के उत्कट प्रयासों के कारण कूटनीतिक दृष्टि से भी अतिसंवेदनशील है। उत्तर, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिम में क्रमशः लेबनान व सीरिया, जार्डन, स्वेज नहर व तीरान की खाड़ी तथा भू-मध्य सागर से घिरा हुआ एक छोटा सा भाग फिलिस्तीन (Palestine) कहलाता है। यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः फिलिस्तीनी मुस्लिम व यहूदी वर्ग में विभाजित है।

पूर्वकाल में फिलिस्तीन रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत आता था किन्तु रोमन शासकों के अत्याचार से उत्पीड़ित बहुसंख्यक यहूदी वर्ग लगभग 70 ई० में यूरोप के विभिन्न देशों में बस गया। आठवीं शताब्दी तक फिलिस्तीन में अरबों का बाहुल्य हो गया था। चौदहवीं शताब्दी में फिलिस्तीन तुर्की साम्राज्य के अधीन हो गया था। किन्तु उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी के सन्धिकाल में तुर्की साम्राज्य के पतनोन्मुख होने पर ब्रितानी सहयोग से आश्वासित अरबों ने एक स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हेतु संघर्ष प्रारम्भ किया। इसी समय पूर्वी यूरोप के देशों में आर्थिक व धार्मिक उत्पीड़नों से बचने हेतु तथा ऐतिहासिक कारणों से उत्प्रेरित हो यहूदी भी फिलिस्तीन में अपना राष्ट्रीय निवास स्थान (National Homeland) स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील हुए। 1896 में आस्ट्रिया-निवासी यहूदी थियोडोर हर्त्सल ने अपनी पुस्तक 'द ज्युईश स्टेट' में यहूदी राष्ट्र का निरूपण कर पश्चिमी यूरोपीय देशों के समक्ष यहूदी समस्या को सुलझाने का एक प्रारूप प्रस्तुत किया ताकि उनके साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति भी सम्भव हो सके। 1897 में बासिल में आयोजित प्रथम विश्व यहूदी कांग्रेस में सभी यहूदियों को तथाकथित 'मानव रहित' फिलिस्तीन में प्रव्रजन करने का आह्वान किया गया। किन्तु वस्तुतः, इस क्षेत्र में अभी भी अरबों का बाहुल्य था। [इनसायक्लोपीडिया ऑव जायोनिज्म एण्ड इस्रायल के अनुसार उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में फिलिस्तीन में 600000 अरब व 12000 यहूदी निवास करते थे] किन्तु इस आव्रजन के कारण 1919 तक यहाँ यहूदियों की संख्या 57000 हो गयी जबकि अरबों की जन-संख्या 553000 थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अरब-इस्रायल संघर्ष के विभिन्न चरण (1948-1982)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यहूदियों तथा अरब फिलिस्तीनियों की मांग के फलस्वरूप ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों से इस आश्वासन पर सहायता ली कि तुर्की साम्राज्य के विघटन के पश्चात् फिलिस्तीन में अरब व यहूदी राष्ट्र के निर्माण में सहायता करेगा। इस प्रकार, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को विवाद का विषय बनाकर अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया। 2 नवम्बर 1917 को यहूदी उद्योगपति लार्ड रोत्सचाईल्ड को लिखे गये पत्र, जिसे बॉल्फर घोषणा कहा जाता है, में ब्रितानी विदेश मन्त्री बॉल्फर ने लिखा है, "ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को एक राष्ट्रीय निवास स्थान दिलाने के मुद्दे को स्वीकार कर लिया है और वह इस उद्देश्य की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने में अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के उद्देश्य की सिद्धि से उन स्थानों पर निवास करने वाले गैर-यहूदियों की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" हालांकि इस घोषणा का सभी पश्चिमी देशों ने स्वागत किया परन्तु फिलिस्तीन में बसे गैर-यहूदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जायगा व उनके अधिकारों की किस प्रकार रक्षा की जायगी, तथा फिलिस्तीनी राष्ट्र की क्या वैध सीमा होगी, के विषय में बॉल्फर घोषणा निरुत्तर रही।

1920 में राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में प्रशासन चलाने हेतु संरक्षण (Mandate) प्रदान किया। 1921 में मूल फिलिस्तीन के 80% भू-भाग पर अलग ट्रान्स जार्डन नामक क्षेत्र की स्थापना की गयी। शेष फिलिस्तीन में अरबों की बहुसंख्या को नजरन्दाज करते हुये यहूदियों ने ट्रान्स जार्डन को अरबों का अलग क्षेत्र माना। फिलिस्तीन में प्रथम ब्रितानी उच्चायुक्त सर सैमुअल द्वारा सम्मिलित प्रशासनिक प्रस्ताव को अरबों द्वारा अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में उन्हें वहाँ का प्रशासन आज्ञप्ति द्वारा करना पड़ा। ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन का 'संरक्षण' प्राप्त करने के पश्चात् यहूदियों का तीव्र आगमन हुआ जिन्होंने यहाँ की सीमित उर्वरा भूमि पर अधिकार कर अरबों की स्थिति को विपन्न बना दिया तथा धार्मिक स्थल जेरूसलम को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण ब्रिटेन को 1930 में यहूदियों के फिलिस्तीन में आव्रजन पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। ब्रिटेन द्वारा नियुक्त सिम्पसन आयोग (1930) के प्रतिवेदन पर आधृत श्वेत पत्र में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन को परिस्थिति जन्य स्थितियों के कारण सीमित करने को उचित ठहराया। ब्रिटेन की यह नीति उसकी सदाशयता की परिचायक न होकर तेल उत्पादक अरब देशों को तुष्ट करने तथा अरब भूमि में अपने सैनिक अड्डे को बरकरार रखने की नीति थी। ब्रिटेन के तथाकथित हितकारी कदम को यहूदियों ने विश्वासघात की संज्ञा दी। जर्मनी में हिटलर के उदय के साथ यहूदियों का दमन प्रारम्भ हुआ। नरसंहार से बचने के लिये यहूदी बड़ी संख्या में फिलिस्तीन की ओर प्रवृत्त हुए जिससे फिलिस्तीनी अरबों में असंतोष उत्पन्न हुआ। फलतः 1936 में यहाँ भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुये। 1937 में जेरूसलम के मुफ्ती में हिटलर को फिलिस्तीन पर आक्रमण करके यहूदियों को विनष्ट करने का आमन्त्रण दिया किन्तु अन्य देशों द्वारा प्रबल विरोध के कारण यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। इसके उपरान्त ब्रिटेन द्वारा नियुक्त पील आयोग (1937) ने ब्रिटेन की विरोधाभासी नीति को उद्भाषित करते हुए फिलिस्तीन के विभाजन (ट्रान्स जार्डन के साथ फिलिस्तीन में अरब जनसंख्या वाले भाग का विलय, फिलिस्तीनी में यहूदी जनसंख्या वाले भाग में यहूदी राष्ट्र तथा ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत जेरूसलम जैसे धार्मिक स्थल) को समस्या का निदान बताया। यहूदियों व अरबों द्वारा अस्वीकृत इस प्रस्ताव को वुड हेगन आयोग (1938) ने भी अव्यावहारिक तथा अकारगर बताकर दोनों पक्षों के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप को अधिक लाभप्रद समझा। फलतः 1939 में लन्दन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो आपसी विरोध के कारण असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध की संकटासन्न स्थिति से उत्पन्न परिस्थितियों के वश ब्रिटिश सरकार ने श्वेत-पत्र में तेल प्राप्त करने के स्वार्थ निमित्त अरबों का समर्थन कर सम्मिलित अरब यहूदी प्रशासनिक राज्य की अभ्यर्थना कर सीमित यहूदी आव्रजन (75000 यहूदी प्रति वर्ष) का प्रस्ताव रखा जिससे इनकी जनसंख्या फिलिस्तीनी अरबों की जनसंख्या की 1/3 रहे। यहूदियों, राष्ट्रसंघ के संरक्षण आयोग व ब्रिटेन के अनेक राजनीतिज्ञों द्वारा निन्दित इस प्रस्ताव को बॉल्फर घोषणा का उल्लंघन करार दिया गया। ब्रिटेन द्वारा प्राप्त नैराश्य से संतप्त यहूदियों को हिटलर की दमनकारी नीति के फल-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फलस्वरूप सं० रा० अमेरिका के एक विशाल वर्ग की सहानुभूति प्राप्त हुई। फिलिस्तीन में यहूदियों के राष्ट्रीय निवास-स्थान का प्रबल समर्थन करने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन रूजवेल्ट व उपराष्ट्रपति हैरीट्रूमैन तेल व स्वार्थिक कारणों से मध्यपूर्व के इस विवादास्पद मामले में राजनीतिक रूप में शामिल नहीं होना चाहते थे। परन्तु समय के साथ वह ब्रिटेन की भाँति इस मामले में उलझ गये तथा अनेक मुद्दों पर ब्रिटेन से मतभेद भी उत्पन्न हुआ। अमेरिका व ब्रिटेन के मध्य मुख्य मतभेद यहूदी आव्रजकों की संख्या को लेकर था जिसे सुलझाने हेतु आंग्ल-अमेरिकी समिति (1946) का गठन हुआ जिसके प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवर्ष एक लाख यहूदियों के आव्रजन को स्वीकारा जाना, फिलिस्तीन के विभाजन को अव्यावहारिक बताना, फिलिस्तीन में ब्रिटिश संरक्षण को जारी रखना, और फिलिस्तीन में यहूदियों द्वारा भूमि क्रय पर प्रतिबन्ध को हटाना, आदि मुख्य बातें थीं। जहाँ ब्रिटेन व अरब फिलिस्तीनियों ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया वहीं अमेरीका ने केवल प्रतिवर्ष 1 लाख यहूदियों के आव्रजन के प्रस्ताव को स्वीकारा। इस प्रतिवेदन से फिलिस्तीन में साम्प्रदायिक दंगे व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। फरवरी 1947 तक चलने वाले फिलिस्तीन सम्बन्धी सभी वार्तालापों से संतोष जनक समाधान न मिलने के कारण ब्रिटेन ने अपनी असहाय स्थिति से मुक्ति हेतु इस क्षेत्र को अप्रैल 1947 में सं० राष्ट्र की आम सभा को सौंप दिया।

मई 1947 में सं० राष्ट्र फिलिस्तीन आयोग (UNSCUP) ने बहुमत द्वारा फिलिस्तीन में एक अलग अरब फिलिस्तीनी राष्ट्र, एक अलग यहूदी राष्ट्र और जेरूसलम को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने की अनुशंसा की। किन्तु आयोग के असम्मत सदस्यों ने अरब व यहूदी स्वायत्त प्रान्तों (Autonomous Provinces) के एक फिलिस्तीन संघ (Federation) के निर्माण तथा यहूदी आव्रजन को सीमित बनाये रखने की सिफारिश की, जिसका अरबों ने समर्थन किया। इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाने के पश्चात् भी 29 नवम्बर, 1947 को आम सभा ने 2/3 बहुमत से फिलिस्तीन के विभाजन की योजना को स्वीकृति प्रदान की। विभाजन योजना के अनुसार, यहूदी राज्य व अरब राज्य को क्रमशः 14100 व 11100 वर्ग कि० मी० भू-भाग प्राप्त हुआ जबकि इस समय यहाँ निवास करने वाले अरबों व यहूदियों की संख्या क्रमशः 1364332 व 608225 थी। अल्प संख्यक यहूदियों को प्रदान किये गये विस्तृत भूभाग के विरोध में और अपने न्यायसंगत अधिकारों की प्राप्ति हेतु अरबों ने हिंसात्मक कार्यवाही की। फिलिस्तीन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया और यहूदी सं० राष्ट्र विभाजन योजना के अन्तर्गत निर्धारित भूमि पर कब्जा करने में सफल हो गये। इस स्थिति से संत्रस्त ब्रिटेन ने 14 मई 1948 को अर्द्धरात्रि को फिलिस्तीन में अपना संरक्षण समाप्त कर संघर्षरत पक्षों को स्वयं अपना मामला सुलझाने का स्वतन्त्र अवसर प्रदान किया। यहूदियों ने तुरन्त निर्धारित भूमि पर इस्रायल के नवीन राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की जिसे तत्काल अमेरिका, रूस व ब्रिटेन की मान्यता मिल गयी। इस प्रकार, इस्रायल का अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व सुनिश्चित हो गया परन्तु इसकी स्थापना के चौबीस घण्टे के भीतर ही मिस्र, जार्डन, इराक, सीरिया व लेबनान की सेनाओं ने आक्रमण कर प्रथम अरब-इस्रायल युद्ध का सूत्रपात किया।

जनसंख्या में 40 गुना अधिक होने के बावजूद आन्तरिक मतभेद होने व सम्मिलित सेनाओं के सफल नेतृत्व के अभाव में अरब सेनाएं बुरी तरह पराजित हुयीं। जुलाई 1947 तक मिस्र, जार्डन, लेबनान व सीरिया इस्रायल के साथ युद्ध विराम संधि कर अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गये। इस्रायल ने इस युद्ध में 2500 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर अपने भू-भाग में 30% की वृद्धि की। साथ ही जार्डन तथा मिस्र ने क्रमशः 2200 तथा 135 वर्ग मील फिलिस्तीनी भू-भाग पर कब्जा कर सं० राष्ट्र की फिलिस्तीनी विभाजन योजना का उद्देश्य ही एक प्रकार से समाप्त कर दिया। मिस्र ने गाजा पट्टी, व जार्डन ने जार्डन नदी के पश्चिमी किनारे तक कब्जा कर लिया तथा जेरूसलम नगर के पश्चिमी भाग पर इस्रायल व पूर्वी भाग पर जार्डन का कब्जा हो गया। इस्रायल तथा मिस्र, सीरिया व जार्डन की सीमा को सं० राष्ट्र की शान्ति सेना के निरीक्षण में विसैन्यीकृत क्षेत्र घोषित किया गया।

इस्रायल द्वारा नव नियन्त्रित भूभाग से विस्थापित सात लाख फिलिस्तीनियों ने पश्चिमी किनारा (38%), गाजा (26%) लेबनान (14%), सीरिया व जार्डन (10%) में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शरण लिया । युद्ध विराम के पश्चात् भी सं० राष्ट्र के सभी शान्ति प्रयास असफल रहे जिसका प्रमुख कारण अरब देशों द्वारा इस्रायल के अस्तित्व को मान्यता न देने की हठधर्मिता थी । फिलिस्तीनी विस्थापितों की समस्या, नवस्थापित व कम जनसंख्या वाले काफिरों के देश,-इस्रायल के हाथ पराजय तथा अपने देश में विरोधी जनमत होने के कारण इस्रायल के अस्तित्व को मान्यता देना सम्भव न था । इसके अतिरिक्त इस्रायल को मान्यता प्रदान करना उसके वैधानिक अस्तित्व को स्वीकार करने के तुल्य था जिसके लिये अरब देश तैयार नहीं थे । फिर, इस स्थिति के लिये स्वयं इस्रायल भी समान रूप से उत्तरदायी था । जैसा कि इस्रायल के प्रथम प्रधानमन्त्री बेन गुरीयन ने अपनी पुस्तक "रिबर्थ एण्ड डेस्टीनी आव इस्रायल" में लिखा था, "यथा-स्थिति बनाये रखने से हमें कोई लाभ नहीं होगा । हमें गतिशील राष्ट्र का निर्माण करना है जो कि 'विस्तारवाद' (Expansionism) पर आधारित है । इस्रायल राष्ट्र की स्थापना इस्रायली भूमि के केवल एक भाग में ही हुई है । उसकी सीमा उत्तर में लेबनान स्थित लिटानी नदी, दक्षिण में स्वेज नहर तथा पूर्व में जार्डन नदी तक विस्तारित होना चाहिये ।" ऐसी स्थिति में अरब दृष्टिकोण को भी अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

सैनिक असफलता के पश्चात् अरब देशों ने इस्रायल को आर्थिक रूप से अक्षम बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया जिसके अन्तर्गत मुख्यतः स्वेज नहर को इस्रायली आवागमन के लिये प्रतिबन्धित कर दिया गया । इस कार्य की निन्दा सं० राष्ट्र ने की परन्तु साथ में सं० राष्ट्र ने इस्रायल से कहा कि वह या तो फिलिस्तीनी विस्थापितों को अपने भूभाग में पुनर्वासित करे या उनकी क्षति पूर्त्ति करे । इस्रायल द्वारा फिलिस्तीनी विस्थापितों को अपने भूभाग में पुनर्वासित करने का अर्थ था कि यहूदियों को अपने देश में ही अल्प संख्यक हो जाना । अतः, इस्रायल ने विस्थापितों को अरब देशों में स्थायी रूप से बसा देने की मांग की किन्तु आश्रयदाता अरब देशों के अनुसार, ऐसा करने का अर्थ इस्रायल के अवैध कार्य को परोक्ष रूप से मान्यता प्रदान करना था । वे भी फिलिस्तीनी विस्थापितों की समस्या को पूर्ववत बने रहने दिये । इस प्रकार, यहूदी राष्ट्रवाद व यहूदी उग्रवाद अरब राष्ट्रवाद व अरब उग्रवाद से समान रूप से लोहा ले रहा था ।

इस्रायल की स्थापना के साथ म० पू० में तीन समस्यायें उत्पन्न हुईं । प्रथम, स्वतन्त्रता फिलिस्तीनी राष्ट्र का संदिग्ध भविष्य; द्वितीय, अरब देशों द्वारा इस्रायल को मान्यता न प्रदान करना तथा इस्रायल द्वारा अरब क्षेत्रों के कब्जा करने के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय तनाव, तथा तृतीय, इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति के कारण महाशक्तियों के बढ़ते प्रभाव । म० पू० में साम्यवाद के प्रसार में अंकुश लगाने तथा तेल की आपूर्ति को निरन्तर जारी रखने के लिये अमेरिका इस्रायल के रूप में से प्रहरी देश मिल गया । परन्तु 1950 के त्रैपाक्षिक समझौते के अनुसार अमेरिका ने इस्रायल को शस्त्र की आपूर्ति नहीं की । फ्रांस ही इस्रायल का प्रधान शस्त्र सम्भारक रहा । अमेरिका द्वारा इस्रायल का प्रयत्न समर्थन तथा फ्रान्स द्वारा उसे शस्त्र की आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न तनावपूर्ण अनिश्चयात्मक स्थिति का लाभ रूस ने उठाने का प्रयत्न किया परन्तु अनुदारवादी मुस्लिम अरब देशों के साम्यवाद विरोधी रुख के कारण प्रारम्भ में सफलता नहीं मिली । 1952 में मिस्र में राष्ट्रवादी नासिर के सत्ता में आने पर रूस को अपना एक पक्षधर मिला । नासिर ने अमेरिका के तत्वावधान में गठित रूस विरोधी बगदाद सन्धि [1955 बाद में परिवर्तन के साथ सेन्टो, 1958] से सम्बद्धता अस्वीकार कर और अपनी सुरक्षा हेतु रूस से सामरिक सहायता प्राप्त करना प्रारम्भ किया जिससे अमेरिका के लिये कंटकाकीर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी । इस कारण अमेरिका ने क्षुब्ध होकर मिस्र को आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया । इसके विरोध में नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई, 1956 को कर दिया । स्वेज नहर कम्पनी के प्रमुख शेयर धारक ब्रिटेन व फ्रान्स ने इस्रायल के साथ पुनर्मेल कर मिस्र पर सैनिक आक्रमण की योजना बनायी । फिलिस्तीनी छापामारों के अनवरत आक्रमणों तथा अकाबा की खाड़ी के नाकाबन्दी से इस्रायल भी मिस्र से त्रस्त था ।

ऐसी स्थिति में इस्रायल ने ब्रिटेन व फ्रांस की सहायता से 26 अक्टूबर, 1956 को मिस्र पर सिनाई व गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया । अमेरिकी व रूसी दवाब के कारण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...बर 1956 तक ब्रिटेन व फ्रांस ने मिस्र... ...ली । अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध की धमकी ने इस्रायल ...मार्च 1957 तक अधिकृत क्षेत्र खाली करने के लिए बाध्य ...या । किन्तु इस्रायल को अकाबा की खाड़ी से निरन्तर ...गमन की सुविधा प्राप्त हुई । सं० रा० की आपाती सेना ...सिनाई व गाजा पट्टी में शान्ति बरकरार रखने हेतु ...या गया । 1956 के युद्ध में ब्रिटेन व फ्रांस की विरोधी ...िका के कारण म० पू० में उनके प्रभाव की क्षति हुई । ...के ब्रिटेन व फ्रांस को शीघ्र युद्ध समापन न करने को ...में प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग की धमकी ने म० पू० में उसकी ...ठा में वृद्धि की । तत्पश्चात् रूस द्वारा मिस्र ...अधुनातन अस्त्र की आपूर्ति के कारण इस क्षेत्र के सैनिक ...लन में अन्तर आ गया । नासिर, मिस्र के नेतृत्व में एक ...ाल अरब एकता (Pan Arabism) का स्वप्न देखने ... जिसकी स्थापना हेतु इस्रायल ही एक बाधा था, ...को नष्ट करने का उन्होंने संकल्प लिया । जहाँ रूस ...ा प्रोत्साहित नासिर ने सीरिया, इराक, लेबनान, सऊदी ...व यमन में अनुदारवादी पश्चिमी समर्थक शासकों को ...च्युत करने (भले ही वे कुछ देशों में असफल रहे) के ...सहायता प्रदान की वहीं म० पू० में बढ़ते हुए रूसी ...व को कम करने हेतु 5 जनवरी, 1957 को अमेरिका ने ...जनहावर-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसके अन्तर्गत ...उस क्षेत्र में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हुआ । ...तु लेबनान में सैनिक हस्तक्षेप (1958) तथा अन्य प्रति-...ी उपायों जैसे सेन्टो का गठन आदि के बाद भी उसे ...ानुरूप सफलता न मिल सकी ।

छठें दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी व जानसन ने ...ायल व अरब देशों की प्रादेशिक अखण्डता का समर्थन ...या व अपने समर्थक अरब देशों को सैनिक सहायता, तथा ...62 से इस्रायल को सीमित मात्रा में शस्त्र की आपूर्ति ...म्भ की । इसी के समानान्तर अरब देशों में मतैक्य के ...व ने उनकी एकता को खण्डित किया । 1964 में ...ायल द्वारा जार्डन नदी के विपथन के कारण अरब देश ... संगठित हुए और एक अरब संयुक्त कमाण्ड की स्थापना ...बात को सिद्धान्ततः मान लिया गया । जनवरी 1964 में ...हिरा सम्मेलन में फिलिस्तीन विस्थापितों के प्रतिनिधित्व ...फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (फि० मु० स०) 1967 तक मिस्र की कठपुतली बने रहने के कारण अरब राजनीति में कोई स्वतंत्र व निर्णायक भूमिका अभिनीत करने में असमर्थ रहा । सीरिया में फरवरी 1966 में सत्ता में आयी उग्रवादी सरकार ने जनता का ध्यान विमुख करने हेतु अल फतह व फिलिस्तोनी अरब फेदारियों को इस्रायल पर निरन्तर छापामारी आक्रमण करने के लिये प्रेरित करना प्रारम्भ किया । निष्क्रियता के कारण अरब जगत में धूमिल पड़ती अपनी छवि के नवोत्थान हेतु 18 मई, 1967 को नासिर ने सं० रा० के महासचिव यू थान्ट से सिनाई व गाजा पट्टी से सं. रा. आपाती सेना हटाने की मांग की जिसे स्वीकृत कर आलोचना के पात्र बने । स्वेज नहर इस्रायल के लिये पूर्व से बन्द होने के कारण अकाबा की खाड़ी ही उसके व्यापार का साधन था, जिसे 23 मई, 1967 को नासिर ने इस्रायल हेतु निषिद्ध कर दिया । पुनः मई के अन्त तक मिस्र, सीरिया, जार्डन व ईराक के मध्य इस्रायली विरोधी संयुक्त कमाण्ड के गठन समझौते ने अग्नि में घृत का कार्य किया । किन्तु इससे पूर्व कि अरब संयुक्त कमाण्ड कोई कदम उठाता इस्रायल ने 5 जून, 1967 को मिस्र, जार्डन तथा सीरिया क्रमशः सिनाई (19500 वर्ग कि० मी०) व गाजा पट्टी (350 वर्ग कि० मी०), पश्चिमी किनारा (5850 वर्ग कि० मी०) व पूर्वी जेरूसलम तथा गोलन पहाड़ी (1675 वर्ग कि० मी०) पर कब्जा कर लिया । प्रारम्भ में पश्चिमी शक्तियाँ तटस्थ रहीं परन्तु रूस द्वारा पराजयोन्मुखी मिस्र व सीरिया को सामरिक सहायता प्रदान करने के कारण अमेरिका भी इस्रायल को सहायता प्रदत्त के लिये निमित्त उद्यत हुआ । क्रमशः युद्ध की बढ़ती हुई गम्भीरता का बोध कर महाशक्तियों ने शान्ति का प्रयास किया और 10 जून तक युद्ध रोकने में सफल हुए । किन्तु इस्रायल ने 1956 के युद्ध की भाँति इस युद्ध में विजित प्रदेशों को वापस करने के लिये अरब देशों द्वारा उसके अस्तित्व को मान्यता, तथा स्वेज नहर व अकाबा की खाड़ी से उसके निरन्तर आवागमन की सुविधा प्रदान करने की शर्तं रखी जिसे अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया जहाँ रूस ने इस्रायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद कर अरब उद्देश्यों का समर्थन किया वहीं मिस्र सहित सात अरब देशों ने अमेरिका के साथ सम्बन्ध तोड़कर उसके इस्रायल समर्थक नीति का विरोध किया । फ्रांस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वारा इस युद्ध के पश्चात् इस्रायल को शस्त्रापूर्ति वन्धित किये जाने तथा म0 पू0 में बढ़ते रूसी प्रभाव के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न सैनिक असन्तुलन को संतुलित करने हेतु अमेरिका ने इस्रायल को सैन्यास्त्रों का सम्भरण प्रारम्भ किया किन्तु साथ में म0 पू0 में शान्ति के प्रयासों का कार्य भी चलता रहा। 22 नवम्बर, 1967 को सं0 रा0 की सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से—लगभग सभी आगामी शान्ति वार्ताओं के आधारस्तम्भ-ब्रिटेन के "प्रस्ताव (न0 242)" को पारित किया। इसके अनुसार—(क) इस्रायल द्वारा अधिकृत अरब भूमि से अपनी सेना की वापसी, (ख) अरब देशों व इस्रायल के मध्य युद्ध की दशा (State of belligerency) की समाप्ति, (ग) क्षेत्र के सभी देशों द्वारा एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता व राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्वीकृति, (घ) सुरक्षित व मान्यता प्राप्त सीमा रेखाओं का संस्थापन, (ङ) इस्रायल सहित सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों (स्वेज नहर व अकाबा की खाड़ी) से निर्बाध आवागमन का अधिकार, (च) फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या का न्यायसंगत समाधान प्रस्तावित था। फि० मु० सं० ने प्रस्ताव नं० 242 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसमें फिलिस्तीनियों का एक राष्ट्र के रूप में नहीं अपितु एक शरणार्थी समस्या के रूप में निरूपण किया गया। यद्यपि सीरिया के अतिरिक्त अन्य सभी अरब देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया किन्तु इस अस्पष्ट प्रस्ताव की व्याख्या के कुछ भागों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में मत-भेद रहा। अरब देशों के अनुसार, इस्रायल को 1948 से 1967 तक सभी विजित अरब भू-भाग को वापस करना था जबकि इस्रायल के अनुसार, उसे केवल 1967 के युद्ध में अधिकृत अरब भू-भाग को वापस करना था। समयान्तर में अरब देशों ने 1967 के काल रेखा को ही व्यावहारिक स्वीकार किया। इस प्रस्ताव से यह अनुबोध होता है कि विरोधी पक्षों के समर्थन के बावजूद दोनों महाशक्तियों, तथा फ्रान्स व ब्रिटेन अपनी स्वार्थसिद्धि हेतु म० पू० में शान्ति स्थापन के प्रयासों हेतु क्रियाशील रहे।

नवम्बर 1967 में म० पू० में नियुक्त सं० रा० के प्रतिनिधि गुन्नार जारिंग (स्वीडन्) एक वर्ष के प्रयत्नों के बाद भी अविश्वास, एवं अस्पष्टता के कारण प्रस्ताव नं० 242 पर इस्रायल की सहमति प्राप्त कर शान्ति स्थापन में विफल रहे। सितम्बर 1968 में शांति स्थापन की रूसी योजना को इस्रायल ने अमान्य कह कर अक्टूबर 1968 में एक नौ सूत्रीय योजना प्रतिपादित की, जो मिस्र को ग्राह्य नहीं थी। जनवरी 1969 से मार्च 1969 के छिटपुट मिस्र-इस्रायली संघर्षों के उपरान्त फ्रांस के प्रस्तावानुसार चार बड़े देशों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व फ्रांस) का 3 अप्रैल, 1969 को न्यूयार्क में सम्मेलन हुआ। मध्यपूर्वेतर देशों से शांति वार्ता, शांति योजनाएँ अनुपयुक्त व अविश्वासजनक हैं के तर्क पर इस्रायल ने सम्मेलन के निर्णयों को अमान्य-चित घोषित किया। जून 1969 में जेरूसलम का इस्रायल में विलय व अगस्त 1969 में यथास्थिति 1400 वर्ष पुरातन अल अक्सा मस्जिद का दहन निन्दित होने के बावजूद अमेरिकी प्रभाववश मूर्तता प्रतिकारित न हो सका। इससे पूर्व कि मिस्र व जार्डन सैनिक कारवाई कर अपनी योजना कार्यान्वित करते, 9 दिसम्बर, 1969 को इस्रायल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया अपेक्षाकृत इस लघु संग्राम में इस्रायल विजयी रहा। अमेरिकी विदेश सचिव रोजर्स के प्रस्ताव के आधार पर दोनों पक्षों ने युद्ध विराम घोषित किया। जारिंग मिशन का समर्थन जारी रखते हुए जून 1970 में रोजर्स ने यह प्रस्तावित किया कि इस्रायल सभी अधिकृत भू-भाग को खाली कर दे, अरब देश इस्रायल को मान्यता दें तथा सभी देशों की सीमाएँ निश्चित की जाय। दोनों पक्षों द्वारा सम्मत इस योजना का अपने-अपने देश की जनता द्वारा घोर विरोध होने पर इसका अपसर्जन कर दिया गया। 5 नवम्बर 1970 को समाप्त होने वाले युद्ध विराम के उपरान्त युद्ध की आशंका से प्रेरित हो रूस ने संघर्षरत देशों के मध्य विसैन्यीकृत क्षेत्र निर्मित कर सं० रा० बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा निरीक्षण तथा चार बड़े देशों द्वारा शांति के प्रत्याभूतन का प्रस्तावन किया किन्तु रूस के मिस्र समर्थक होने के कारण इस्रायल ने इस योजना का तिरस्कार कर दिया।

1967 के युद्धोपरान्तीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव (नं0 242,) में फिलिस्तीनी माँगों को शरणार्थी समस्या रूप में अभिग्राह्य किया जाना, अरब देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य हेतु प्रयासापेक्षा, स्वरक्षा हेतु अभियोजना आदि कारणों से प्रेरित हो जार्डन तथा अन्य अरब देशों में अधिवासी फिलिस्तीनियों ने स्वयंप्रविष्ट हो स्वराज्य हेतु इस्रायल के विरुद्ध छापामार आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। इस्रायल द्वारा फि० मु० सं० पर अंकुशन हेतु चेतावनी तथा आक्रमण के भ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फि॰ मु॰ सं॰ द्वारा विमान अपहरण सदृश आतंकवादी (जिससे फि॰ मु॰ सं॰ विश्वचर्चित बना) से सचेत जार्डन नरेश हुसेन ने सितम्बर 1970 में वहाँ स्थित फि॰ मु॰ सं॰ के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर उसे लेबनान जाने के लिये विवश किया। आश्चर्यजनक रूप से अन्य देश इस कार्य के प्रति मौन रहे। 1969 में मध्य- यासिर अराफत (अल फतह गुट के) ने फि॰ मु॰ के नेतृत्व ग्रहण के उपरान्त आतंकवाद की अपेक्षा नैतिक उपायों द्वारा फिलिस्तीनी प्रयाजनों की सिद्धि को इष्ट समझा। उनके नेतृत्व में फि॰ मु॰ सं॰ को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त होने के साथ 1974 के रबात सम्मेलन अरब राष्ट्रों द्वारा तथा तदोपरान्त सं॰ रा॰ की महासभा ने उन्हें फिलिस्तीनियों का सर्वप्रमुख प्रवक्ता मान लिया। (अब तक 117 देशों ने फि॰ मु॰ सं॰ को राजनयिक मान्यता प्रदान की है।) फिर भी अराफत के नीति विरोधक फिलिस्तानी गुटों ने आतंकवादी कृत्यों से संलग्न रहना अधिक उपयुक्त समझा।

सितम्बर 1970 में नासिर की मृत्यु के पश्चात् उनके वर्षीय शासनावधि में मतभेदों के मध्य प्रयासित अरब एकता, रूसी मैत्री तथा अमेरिकी प्रभाव में अवनतन हेतु की आयोजना उनके उत्तराधिकारी अनवर सादात के काल में ही प्रायः प्रच्छन्न होने लगी जब सादात ने दोनो महाशक्तियों के साथ समान सम्बन्धों का उद्घोष कर मतान्धता की अपेक्षा व्यवहारपरकता को अधिक प्रश्रय दिया। साम्यवाद को निरोधित करने का प्रयास आरम्भ कर तथा अमेरीकी समर्थक सऊदी अरब से मित्रता कर सादात अमेरिका की ओर झुकने लगे। अमेरिका ने भी म॰ पू॰ में शांति एवं अपना प्रभाव विस्तारित करने हेतु नीति-परिवर्तन तथा अनेकानेक प्रलोभनों द्वारा मिस्र को प्रसादित करने का लक्ष्य किया। म॰ पू॰ शांति हेतु अरबों व इस्रायल में प्रत्यक्ष वार्तालाप, अरबों द्वारा इस्रायल को मान्यता व उनके मध्य व्यापारिक सम्बन्धों की शुरुआत, स्वेज नहर व अकाबा की खाड़ी का मुक्त उपयोग, उग्रवादी शक्तियों का विनाश तथा अमेरिकी पूंजी निवेश निमित्त उपयुक्त वातावरण का विकास जैसे अमेरिकी निदानों के कार्यान्वयन का प्रयास आरम्भ किया गया।

परिणामतः जारिंग मिशन के पुनरुज्जीवन के साथ अरब-इस्रायल अप्रत्यक्ष वार्ताओं के माध्यम से पारस्परिक अविश्वास की मनःस्थिति को समाप्त करने का विफल प्रयास किया गया। अमेरिका के निरन्तर बढ़ते प्रभाववश तथा अपने व्यवहारपरक उपागम के फलस्वरूप अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रत्याशा से वशीभूत हो सादात ने 1972 में मिस्र में कार्यरत बीस हजार रूसी तकनीशियनों को निष्कासित कर रूस-मिस्र मधुमास काल (1955-1972) का अन्त किया। पूर्वाग्रहों व स्वार्थों से ग्रसित होने के कारण यह आत्यन्तिक परिवर्तन म॰ पू॰ में शांति स्थापना में योगदान न कर सका। इस्रायल द्वारा अधिकृत भू-भाग में यहूदी बस्तियों के निर्माण तथा अमेरिका से अधुनातन शास्त्रों की प्राप्ति ने म॰ पू॰ में पुनः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। सादात के अनुसार, इस युद्ध का उद्देश्य विश्व को इस्रायल द्वारा अरब भूमि का अवैध अधिग्रहण के तथ्य का पुनस्मरण कराना था।

6 अक्टूबर, 1973 को मिस्र व सीरिया ने इस्रायल पर दो ओर से आक्रमण कर प्रारम्भ में सफलता अर्जित की परन्तु शीघ्र ही इस्रायली सेना ने पासा पलट दिया किन्तु फिर दोनों पक्षों की अग्रगति में गतिरोध आ गया। दोनों पक्षों में किसी की भी निर्णायक स्थिति में न होने के कारण अमेरिका रूस की ओर से सशंकित था जो पुनः प्रभावी होने हेतु सर्व प्रकारेण तत्पर हो सकता था। अन्ततः सुरक्षा परिषद में रूसी-अमेरिकी प्रस्ताव (न॰ 338) के आधार पर युद्ध विराम घोषणा के बाद 23 अक्टूबर को युद्ध की पुनरावृत्ति हुयी। पुनः रूसी प्रस्ताव (कपट ?,–दोनों महाशक्तियों की सम्मिलित सेनाएं शांति हेतु निरीक्षण करें–से सशंकित हो अमेरिका ने सेनाओं को सतर्क करते हुए प्रस्ताव अमान्य कर दिया। 11 नवम्बर 1973 को अमेरिकी विदेश सचिव किसिंजर के उपक्रम से छह सूत्रीय समझौते पर इस्रायल और मिस्र ने हस्ताक्षर किये। इसके अन्तर्गत शांति स्थापना हेतु जेनीवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन पर सहमति हुई। वस्तुतः अधिक सुसंगठित सेनाएं होने के कारण मिस्र-सीरिया को विजय नहीं तो पराजय की भी प्राप्ति नहीं हुई। इस आपेक्षिक राजनीतिक सफलता का श्रेय सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब तेल उत्पादक देशों को अधिक जाता है जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन द्वारा इस्रायल को विपुल सामरिक सहायता की घोषणा के बाद तेल के मूल्य में भीषण वृद्धि व तेल उत्पादन में कटौती कर तेल का अस्त्रारूपेण प्रयोग किया, परिणामतः विश्व तेल संकट से ग्रस्त हो गया। अतः पश्चिमी यूरोपीय देश व जापान ने अपनी इस्रायल नीति में परिवर्तन के साथ अमेरिका को भी दृष्टि परिवर्तन के लिये बाध्य किया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

21 दिसम्बर 1973 से आरम्भ जेनीवा सम्मेलन में अमेरिका, रूस, मिस्र, जार्डन व इस्रायल ने म० पू० समस्या के समाधान का असफल प्रयास किया। अब अमेरिका को म० पू० में रूसी प्रभाव व अरब एकता इस क्षेत्र में शान्ति स्थापन हेतु अवरोधक तत्व प्रतीत हुये। अतः म० पू० में रूस को वियुक्त करने तथा अरब जगत में विग्रह करने हेतु प्रयत्नशील किसिंजर ने क्रमिक शटल कूटनीति (Step by step diplomacy) प्रारम्भ की, तथा 20 जनवरी 1974 को स्वप्रयासों द्वारा मिस्र व इस्रायल के मध्य समझौता कराया जिसके अन्तर्गत इस्रायल स्वेज के पूर्वी किनारों को खाली करने के लिये सहमत हो गया। उन्हीं के प्रयासों से 29 मई 1974 को सीरिया व इस्रायल के मध्य जेनीवा समझौता हुआ तथा 5 जून 1975 को मिस्र ने स्वेज नहर को इस्रायल सहित सभी देशों के लिये खोल दिया। पुनः किसिंजर के प्रयासों से अन्तरिम सिनाई समझौता हुआ और सीमा निरीक्षण का कार्य सं० रा० की शान्ति सेना को सौंपा गया। किसिंजर की आंशिक समायोजना (Partial accomodation) की नियोजना की सफलता व रूस की निष्प्रभता ने रूस को जेनीवा समझौतों पर हस्ताक्षर न करने के लिये प्रेरित किया। सऊदी अरब, सूडान आदि अरब देशों द्वारा समर्थित इन समझौतों को सीरिया, जार्डन, इराक, लीबिया व फि० मु० सं० ने अरब एकता विखण्डन हेतु अमेरिकी चाल बताया। लेबनान गृह युद्ध में सीरिया द्वारा फि० मु० सं० का दमन, मिस्र, जार्डन व सऊदी अरब का अमेरिकी सानिध्य तथा इराक व सीरिया की रूस की ओर बढ़ती उदासीनता 1975-76 के मध्य अरब विग्रह की ओर इंगित करता है।

1976 में लेबनान गृह युद्ध की समाप्ति व अमेरिकी अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ अक्टूबर 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने रूसी राष्ट्रपति ब्रेझनेव के सहयोग से म० पू० में विस्तृत शान्ति योजना पर दिसम्बर 1977 के पूर्व जेनीवा में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की तथा इस्रायल द्वारा फिलिस्तीनियों के अधिकारों की न्याय संगत मान्यता तथा अधिकृत भू-भाग से हटने का आह्वान किया। रूस की सहभागिता के कारण इस्रायल व मिस्र ने इस सम्मेलन का विरोध किया तथा इसको अप्रभावनीय बनाने हेतु सादात ने अक्टूबर, 1977 में यह विचार कर कि आगामी अरब इस्रायल युद्ध में मिस्र इस्रायल द्वारा पुनः पराजित हो सकता है और शान्ति स्थापना हेतु प्रत्यक्ष वार्ता अधिक उपयुक्त होगी, इस्रायल यात्रा की घोषणा की। अन्य अरब देशों का निन्दाभाजन न बनने की इच्छा के लिए 20 नवम्बर, 1977 को इस्रायली संसद को सम्बोधित करते हुए इस्रायली को सभी अधिकृत भू-भाग से हटने की मांग की तथा इस्रायल के साथ किसी भी प्रकार का पृथक सन्धि न करने की बात कही। उग्रवादी अरब देशों द्वारा निन्दित इस कार्य को अमेरिकी समर्थन तथा भविष्य का सादात-बेगिन वार्ताओं हेतु प्रोत्साहन मिला। कार्टर की प्रेरणा से सादात-बेगिन के मध्य कैम्प डेविड समझौता 18 सितम्बर 1978 को सम्भव हुआ। यह समझौता दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:-(क) सिनाई व भावी मिस्र-इस्रायली शान्ति से सम्बन्धित-(1) तीन माह के भीतर मिस्र व इस्रायल के मध्य एक शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर। (2) शान्ति सन्धि के हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष के भीतर सिनाई क्षेत्र से इस्रायल की सम्पूर्ण वापसी और सुरक्षा क्षेत्रों की स्थापना। (ख) पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी के भविष्य के निर्धारण के प्रारूप से सम्बन्धित-(1) पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी में फिलिस्तीनीयों के लिए स्वशासन हेतु पांच वर्षीय संक्रान्ति काल; (2) इन क्षेत्रों से इस्रायली सेना की वापसी; (3) इन क्षेत्रों का स्थायी प्रबन्ध करने निमित्त मिस्र, इस्रायल, फिलिस्तीनी व जार्डन (सहमति पर) का वार्तालाप व (4) इन क्षेत्रों में नयी यहूदी बस्तियों को स्थापित न करने का आश्वासन। सन्धि न होकर एक अनुबन्ध होने के कारण कैम्प डेविड समझौते में जेरूसलम के भविष्य, अधिकृत क्षेत्रों की सम्भावित वैधानिक स्थिति व वापसी की तिथि तथा अरब देशों में फैले फिलिस्तीनी विस्थापितों की समस्या तथा गोलन पहाड़ी के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। अतः अन्य अरब देशों द्वारा प्रताड़ित होने पर जहां मिस्र ने कड़ा रुख अपनाया वहीं इस्रायल ने जेरूसलम को न त्यागने, और पश्चिमी किनारे पर यहूदी बस्तियाँ बसाने की घोषणा की। इस्रायल समझौते के दोनों भागों को पृथक समझता था किन्तु मिस्र व अमेरिका एक। अन्ततः अमेरिकी दबाव वश 21 नवम्बर 1978 को इस्रायल ने दोनों भागों का संयोजन (link) अस्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। 26 मार्च 1979 को मिस्र व इस्रायल ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर 30 वर्षों की युद्धस्थिति को समाप्त किया।

किन्तु इस सन्धि के कारण सादात के मित्र व तटस्थ देश उसके विरोधी हो गये। अरब लीग के 19 देशों ने मिस्र से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद करने व आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सादात को इतने व्यापक विरोध का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्वाभास न था। उनका अनुमान था कि अमेरिका एवं सऊदी अरब तथा वर्धमान रूसी प्रभाव नियन्त्रित करने हेतु कुछ विरोधस्थिति के बाद भी अरब देशों का एक संवर्ग उनका समर्थन करेगा। किन्तु ईरान में इस्लामिक क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पन्न अमेरिका विरोधी वातावरण ने सऊदी अरब सहित अन्य मध्यमार्गी देशों को भी इस अमेरिकी प्रेरित शान्ति सन्धि से विलग कर दिया। फि० मु० सं० व अन्य दृढ़नीतिक (Hardline) अरब देशों ने इस सन्धि को मिस्र द्वारा अरबों के प्रति विश्वासघात की संज्ञा दी। उनके विचारानुसार मिस्र द्वारा पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी के भविष्य से सम्बन्धित समझौता अनैतिक था; फिलिस्तीनी स्वायत्त राज्य हेतु वार्तालाप के विफल हो जाने पर इस्रायल अधिकृत क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों को बसाना प्रारम्भ कर देगा—ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की गयीं; और मिस्र द्वारा समान अरब उद्देश्यों से व्यतिक्रम के कारण क्षेत्रीय सैनिक सन्तुलन इस्रायल के पक्ष में चला जायेगा। अरब देशों द्वारा कैम्प डेविड समझौते के व्यापक विरोध को शांत करने के लिए सादात ने जेनीवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पुनरायोजन का प्रस्ताव रखा परन्तु किसी ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। रूस ने कैम्प डेविड समझौते का विरोध किया परन्तु दृढनीतिक अरब देशों को यह समर्थन सतही था। वह कैम्पडेविड समझौते की अधिक आलोचना कर साल्ट II (SALT II) के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहता था। म० पू० में अपने व्यापारिक हितों को दृष्टि में रखते हुए पश्चिमी यूरोपीय देशों ने कैम्प डेविड समझौते का स्वागत करते हुए फिलिस्तीनी अधिकारों व उनकी राष्ट्रीय अस्मिता (National Identity) की पहचान हेतु समर्थन किया।

कार्टर के बाद नये अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने सादात अथवा कैम्प डेविड प्रक्रिया, जिसे कार्टर अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि समझते थे, हेतु अधिक उत्सुकता न दिखाई क्योंकि उनकी प्राथमिकताओं की सूची में म० पू० में रूसी विस्तार को रोकना अधिक महत्वपूर्ण था। फिर कैम्प डेविड समझौते के पक्ष में अरब देशों का समर्थन प्राप्त करने में असफल सादात म० पू० में अमेरिकी नीति के लिये उपयोगी होने की अपेक्षा भार हो गये थे। इस दृष्टि से मिस्र-इस्रायल के मध्य पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी को स्वायत्तता प्रदान करने से सम्बन्धित वार्ता में आये गतिरोध (स्वायत्ता परिषद् के सदस्यों की संख्या व अधिकार के सम्बन्ध में) को समाप्त करने का रीगन ने कोई प्रयास नहीं किया। रीगन प्रशासन की इस सम्बन्ध में निष्क्रियता ने इस्रायल को पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी में लोक प्रशासन की स्थापना तथा यहूदी बस्तियों के बसाने के लिये प्रेरित किया। वार्ताओं में आये गतिरोध को समाप्त करने और तनाव की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने जून 1980 में पाँच सूत्रीय प्रस्ताव (वेनिस घोषणा) रखा। यू० आ० स० की युक्ति का प्रतिकार करने के निमित्त ब्रेझनेवा ने सभी सम्बन्धित पक्षों की सहभागिता से एक सम्मेलन के आयोजन, फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा इस्रायल सहित इस क्षेत्र के सभी देशों की सीमा सुरक्षा के प्रत्याभूनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनीयों को शरणार्थी न कहकर "राष्ट्रीय अधिकारों से सम्पन्न लोग" कहा गया। 18 अप्रैल 1981 को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय समिति ने इसे पूर्णतः पृष्ठांकित व समर्थित किया।

इसी मध्य ईरान-इराक युद्ध ने शेष बची अरब एकता को पुनः क्षति पहुँचाई और अब कैम्प डेविड समझौता समर्थक मिस्र व विरोधी गुट के अतिरिक्त ईरान समर्थक सीरिया, लीबिया, यमन, अल्जीरिया व फि० मु० सं० (सभी सोवियत प्रभाव गुट में) और इराक समर्थक सऊदी अरब, जार्डन, कुवैत, यू० ए० ई० आदि देश, जिन्हें भारी अमेरिकी प्रोत्साहन प्राप्त था, की अतिमति हुई। अरबों के वर्धमान मतभेदों से उत्प्रेरित होकर इस्रायल ने अपने पर सम्भावित छापामारी आक्रमणों से सुरक्षा हेतु लेबनान पर प्रहार करना आरम्भ किया परन्तु अमेरिका के प्रयासों से युद्ध विराम हो गया। तदन्तर, इस्रायल ने 7 जून 1981 को बगदाद स्थित इराकी नाभिकीय संयन्त्र का वायु प्रहार द्वारा विध्वंस कर इस क्षेत्र के संघर्ष में एक नवीन परिदृष्य का संचार किया। इस प्रकार, पारस्परिक सैन्य आयामों, शस्त्रास्त्रों व क्षेत्रीय सीमा लंघन कर नाभिकीय तत्व का म० पू० की राजनीति में प्रवर्तन हुआ। यद्यपि बेगिन ने इस कार्य को इराक से इस्रायल की नाभिकीय सुरक्षा हेतु "विवेकपूर्ण दूरदृष्ट युक्ति" कह कर उचित सिद्ध किया परन्तु इस घटना ने भविष्य में म० पू० में संघर्षरत पक्षों के मध्य नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग की सम्भावना को बलवती बना दिया।

वस्तुतः मिस्र के म० पू० की राजनीति से वियुक्त होने के कारण इस्रायल ने अधिक सैन्य क्षमता अर्जित कर ली थी और अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिये किसी भी देश के विरुद्ध निस्संकोच बल प्रयोग करने का खतरा लेने लगा था। अरब जगत में नेतृत्व के अभाव को पूरा करने के लिये सऊदी अरब धीरे-धीरे सामने आने लगा तथा अन्ततः अरब देशों का मुख्य प्रवक्ता हो गया। 7 अगस्त 1381 को सऊदी अरब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के युवराज (वर्तमान नरेश) फाहद ने अरब-इस्रायल विवाद के निदान हेतु एक योजना प्रस्तुत किया जो पिछले 32 वर्षों में अरबों की ओर से प्रथम उपकरण था। इस योजना के अन्तर्गत—(1) जेरूसलम के अरब क्षेत्रों सहित 1967 के सभी अरब विजित प्रदेशों से इस्रायल की वापसी; (2) 1967 से अरब क्षेत्रों में स्थापित सभी यहूदी बस्तियों की समाप्ति; (3) पवित्र स्थानों में सभी प्रकार की धार्मिक स्वतन्त्रता; (4) फिलिस्तीनियों की स्वदेश वापसी के अधिकार को मान्यता और वापस आने को अनिच्छुक फिलिस्तीनीयों को मुवाअजा; (5) पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी पर संक्रान्ति काल की अवधि में सं० रा० का नियन्त्रण; (6) फिलिस्तीनीयों को स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण के अधिकार को मान्यता और इस राष्ट्र की राजधानी जेरुसलम होने पर सहमति; (7) इस क्षेत्र के देशों को अपनी सीमाओं में शान्ति व सुरक्षा से रहने के अधिकार को मान्यता; व (8) स० रा० द्वारा इन सुझावों को लागू करने की गारन्टी अथवा इसके किसी सदस्य द्वारा इन सुझावों को कार्यान्वित करने का आश्वासन। मध्यमार्गी अरब देशों ने इस योजना का समर्थन किया किन्तु फि० मु० सं० व दृढ़नीतिक अरब देशों ने इस आधार पर विपरीत मत दिया कि इसको स्वीकार करने से इस्रायल द्वारा बिना किसी सुविधा दिये उसके अस्तित्व की स्वत: मान्यता हो जायेगी। अमेरिका कैम्प डेविड समझौते पर दृढ़ रहा; रूस मौन रहा व इस्रायल ने इसे अपनी सुरक्षा हेतु अपर्याप्त कहकर अस्वीकार कर दिया।

6 अक्टूबर 1982 को सादात की हत्या का किसी ने भी कोई विशेष शोक नहीं मनाया क्योंकि कैम्प समझौते के पश्चात उनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी थी और उनको म० पू० में शान्ति-हेतु मार्ग अवरोधक समझा जा रहा था। यद्यपि नये मिस्री राष्ट्रपति मुबारक अरब जगत में पुनर्प्रवेश हेतु इच्छुक थे किन्तु ऐसी स्थिति होने पर इस्रायल द्वारा सिनाई को वापस न करने की आशंका से ग्रस्त हो उन्हें इस इच्छा का स्थगन करना पड़ा। इस्लामिक कट्टरवाद के पुनरुत्थान से इस क्षेत्र के अनुदारवादी अमेरिकी समर्थित राज्यों के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाने की स्थिति के कारणवश अमेरिका ने मिस्र व सूडान को शस्त्र तथा सऊदी अरब को आवाक्स (AWACS) जैसे अत्याधुनिक विमानों की आपूर्ति करने का अक्टूबर 1981 में समझौता किया। इस्रायल को तुष्ट करने हेतु अमेरिका ने इस्रायल के साथ एक स्त्रातिजिक सहयोग का समझौता नवम्बर 1981 में किया।

म०पू० हेतु प्रस्तावित सभी शान्ति योजनाओं को असफल करने, अधिकृत क्षेत्रों में बसे फिलिस्तीनियों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही के विरुद्ध चेतावनी देने, तथा उग्रवादी इस्रायलियों को तुष्ट करने हेतु गोलन पहाड़ी को 14 दिसम्बर 1982 को इस्रायल में विलयित कर लिया गया। बेगिन के इस कथन की कि यह विलयन इस्रायल के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किया गया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि वह सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा के मिस (Excu e) से अपनी विस्तारवादी योजनाओं को कार्यान्वित करता रहा है। इस्रायल के इस अन्यायपूर्ण कार्य से अमेरिका ने भी असन्तुष्ट होकर 18 दिसम्बर 1981 को अमेरिकी-इस्रायल स्त्रातिजिक सहयोग समझौते को स्थगित कर दिया; इसके दो दिन बाद इस्रायल ने इस समझौते को ही रद्द कर दिया।

कैम्प डेविड समझौता परोक्ष रूप से अरब एकता में फूट डालने में सहायक हुआ था। ऐसी स्थिति में इस्रायल किसी परिवर्तन का इच्छुक नहीं था। अरब जगत में विषमताओं को बनाये रखने के लिये तथा मिस्र को अरब जगत में पुन: शामिल होने से रोकने हेतु इस्रायल ने मिस्र-इस्रायली सन्धि 1980 के अनुसार 26 अप्रैल 1982 को सिनाई का शेष अधिकृत भाग को वापस कर देना ही श्रेयकर समझा। साथ में, अपने देश के दृढ़नीतिज्ञों को प्रशमित कहने हेतु बेगिन ने कहा, सिनाई से निष्क्रमण द्वारा मिस्र से शान्ति बरकरार रखने का यह अर्थ नहीं है कि इस्रायल में जूडिया (पश्चिमी किनारा) व समारिया (गाजा पट्टी) का एकीकरण (integration) सम्भव नहीं है। एक पर्यवेक्षक के अनुसार, "इस्रायल ने केवल उसी अधिकृत भूभाग-सिनाई-से निष्क्रमण किया जिसके निमित्त वह तत्पर था; बेगिन ने अपने विकल्प का चयन कर लिया है; म.पू. में शान्ति सम्भव हो या न हो, आगे कोई भी अधिकृत भूभाग का समर्पण इस्रायल द्वारा नहीं किया जायेगा।"

1981 के अन्त तक विस्थापित फिलिस्तीनियों का निवास स्थल :—

इस्रायल	—	550, 800
पश्चिमी किनारा	—	333, 000
गाजा पट्टी	—	451, 000
जार्डन	—	1148, 334
सीरिया	—	222, 525
लेबनान	—	358, 207
कुवैत	—	299, 710
इराक	—	20, 604

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लीबिया	—	23, 759
[illegible]	—	45, 605
सऊदी अरब	—	136, 779
यू० ए० ई०	—	36, 504
कतार	—	24, 333
बहरीन	—	2, 000
ओमान	—	50, 706
सं० रा० अमेरिका	—	104, 856
अन्य देश	—	140, 16

कुल :—लगभग 45 लाख

सातवें दशक में, विशेषकर कैम्प डेविड समझौते के बाद म० पू० रूस की कोई विशेष सक्रिय भूमिका न रही। पश्चिमी शक्तियों ने 1979 में अफगानिस्तान में रूसी सैनिक हस्तक्षेप को तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने का पहला कदम बताया। अपनी आलोचना के प्रति मौन रह कर रूस ने ईरान व अन्य अरब देशों में अमेरिकी विरोधी भावना का लाभ उठाना प्रारम्भ किया। सऊदी अरब, कुवैत, जार्डन आदि अमेरिकी समर्थक अरब देश भी अपनी स्थिति को सौदाकारी (Bargaini g) बनाने के लिए रूस से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास करने लगे। एक बिलियन डालर वार्षिक अमेरिकी सहायता बन्द हो जाने की आशंका से मिस्र, इच्छुक होने के बावजूद भी रूस से सम्बन्ध अच्छे करने में झिझक रहा था। फिर भी मुबारक ने रूसी तक्नीशियनों को मिस्र वापस बुलाने हेतु वार्तालाप प्रारम्भ की। 1980 में शान्ति, मैत्री व सहयोग की सन्धि के साथ सीरियाई-रूसी सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए। फि० मु० सं को मास्को में राजनयिक मिशन स्थापित करने हेतु रूस ने अनुमति प्रदान की। इस प्रकार रूस ने कई अरब देशों से सम्बन्ध को मधुर किया परन्तु इनका प्रभाव म० पू० की राजनीति में विशेष रूप से अनुभव नहीं किया गया।

26 अप्रैल 1982 को सिनाई की वापसी के पश्चात मुबारक ने तथाकथित 'सादात की भूल' को सुधारने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। परन्तु मुख्य प्रश्न इस्रायल के अगले कदम के सम्बन्ध में था। सिनाई की वापसी के बाद ही इस्रायल ने लेबनान में फि० मु० सं०, तथा सीरिया पर छुट-पुट आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। अरब देशों के सं० रा० के महासभा में यह प्रस्ताव, कि अशान्तिप्रिय देश इस्रायल को उसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाय, सुरक्षा परिषद में अमेरोको निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण विफल हो गया। 6 जून 1982 को इस्रायल ने उत्तरी सीमा पर अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु लेबनान एवं तत्पश्चात सीरिया पर सम्पूर्ण आक्रमण किया। 11 जून 1982 को इस्रायल का सीरिया से युद्ध विराम का समझौता हो गया। सीरिया को अप्रभावी कर इस्रायल ने लेबनान में अपनी आक्रमकता को चरम सीमा पर पहुँचाया। अतीव उग्रवादी इस्रायली रक्षामन्त्री शेरों का उद्देश्य फि० मु० को पूर्णत: नष्ट करके अरब देशों का उत्साहभङ्ग करने का था। उनका कार्य-फि० मु० सं० को संपूर्णत: नष्ट अथवा अपंग करना अन्तिम समाधान (Final solution) को उपलक्षित करता हैं। लेबनान की राजधानी बेरुत में दो माह के युद्ध में फि०मु०सं० के छापामार इस्रायली सेना से अकेले लड़ने के पश्चात् अमेरिकी विशेष दूत फिलीप हबीब की शांति योजना के अन्तर्गत अगस्त 1982 के अन्तिम सप्ताह में वे अन्तत: लेबनान छोड़ कर आठ अरब देशों में, सीरिया—जार्डन, टयुनीसिया, यमन, इराक-मिस्र, सूडान व सऊदी अरब, चले जाने के लिये सहमत हुए। इस्रायल द्वारा लेबनान में किये गये नरसंहार का न केवल सम्पूर्ण विश्व बल्कि प्रथम बार इस्रायली जनता के एक महत्वपूर्ण भाग ने भर्त्सना की। इस्रायली आक्रमण में अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होने के कारण तात्कालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात उसका प्रयास शांति समाधान की दिशा में था। रूस को फि० मु० सं० से अधिक अपने राष्ट्रीय हितों की चिंता थी, जिसके कारण वह चुप था। अरब देशों ने फि० मु० सं० के लिये केवल प्रार्थना ही की। तेल अस्त्र का अप्रभावी होना; ईरान-इराक युद्ध में ईरान की विजय से उत्पन्न इस्लामी कट्टरवाद के प्रसार की आशंका; अरब देशों की पारस्परिक द्वेष, तथा अरब देशों द्वारा फि० मु० सं० के बढ़ते हुए शक्ति तथा उनके धर्म-निरपेक्ष प्रजातान्त्रिक राष्ट्र की कल्पनाके प्रति संकोच आदि तथ्यों ने उन्हें इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने करने से रोका।

लेबनान युद्ध में इस्रायल को फिलिस्तीनियों के अन्तिम समाधान में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। फि० मु० सं० युद्ध में अवश्य पराजित हुआ परन्तु उनमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण की भावना समाप्त नहीं हुई। उनके लिये लेबनान छोड़ना संघर्ष के एक दौर की समाप्ति या एक और युद्ध विराम था, संघर्ष की समाप्ति नहीं। अब फि०मु०सं० के सामने तीन विकल्प है—(1) अरब देशों में, विशेषकर अमेरिकी समर्थक देशों में अशान्ति उत्पन्न कर वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना; (2) छठें व सातवें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दशक के संधिकाल में किये गये आतंकवादी कार्यवाहियों की इस्रायल व उसके मित्र देशों में पुनरावृत्ति; व (3) विश्व भर में फिलिस्तीनी उद्देश्यों के प्रति उत्पन्न जागरुकता व सहानुभूति का लाभ उठाते हुये राजनीतिक संयम (Political moderation) को अपनाना। यासिर अराफत जैसे मध्यम मार्गी तीसरा विकल्प अपनाने को अभी तैयार है परन्तु उग्रवादी जार्ज हब्बाश (पी० एफ० पी०) नुयेक हवातमेह (डी. एफ०एल०पी०), आकंमक आदि जब्रोल (जी०सी०एल० पी०) प्रथम व दूसरे विकल्प को तीसरे विकल्प की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानते हैं। लेबनान त्याग के पश्चात यासिर अराफात की प्रमुख समस्या आठ अरब देशों में फैले फि. मु. सं. के विभिन्न गुटों का नियन्त्रण कर अपने नेतृत्व के अधीन रखने का होगी।

लेबनान युद्ध ने म० पू० में अमेरिका के लिये नयी शांति योजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। म० पू० में तनाव बने रहने से इस्रायल द्वारा पुनः अस्त्र-शस्त्र उठाने और निराश अरब देश अमेरिका से विमुख होकर रूस के नजदीक जा सकने की सम्भावना ने अमेरिका को चिन्तित किया। इसके अलावा पिछले एक दशक से म० पू० की राजनीति में रूस की लगभग अप्रभावी भूमिका को पूर्णरूप से निष्क्रिय बनाने के लिये भी यह आवश्यक था कि अमेरिका तुरन्त इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दे। अत: राष्ट्रपति रीगन ने 1 सितम्बर 1982 को म० पू० शांति का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार :—(1) अमेरिका पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी में किसी फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना से विरुद्ध है। साथ में, इस क्षेत्र का इस्रायल द्वारा विलयनीकरण या स्थायी नियन्त्रण के भी विरुद्ध है; (2) वार्तालाप द्वारा पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी क्षेत्र में जार्डन के सहयोग से फिलिस्तीनियों के लिये स्वयत्ताशासी राज्य की स्थापना; (3) जेरुसलम को अविभक्त बने रहने देना और इसकी स्थिति (status) को वार्तालाप द्वारा सुलझाया जाना; (4) इस्रायल की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं उत्पन्न होगा; व (5) फिलिस्तीनियों व अरब देशों द्वारा इस्रायल के अस्तित्व को मान्यता, तथा (6) स्वायत्त शासी राज्य के भूभाग तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों पर फिलिस्तीनियों का का वास्तविक अधिकार; (7) इस्रायल नियन्त्रित भूभाग में रहने वाले 13 लाख फिलिस्तीनियो का जार्डन से आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बन्धनों का अमेरिका द्वारा समर्थन; (8) पूर्वी जेरुसलम में रहने वाले फिलिस्तीनियों को पश्चिमी किनारे के प्रबन्ध के प्रश्न पर मत प्रदान करने का अधिकार; [9] संक्रांति काल में पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी में इस्रायल द्वारा यहूदी बस्तियों के स्थापना पर पाबन्दी; व (10) पश्चिमी किनारा व गाजा पट्टी को पड़ोसी अरब देशों से अलग-अलग रखने के किसी भी प्रयत्न का अमेरिका विरोध करेगा।

रीगन के म० पू० शांति प्रस्ताव को इस्रायल के मन्त्रि-परिषद ने सर्वसम्मत्ति से यह कह कर नामान्जूर कर दिया कि इसको स्वीकार करने पर इस्रायल के लिये सुरक्षा का खतरा पैदा हो जायेगा तथा इस्रायली अधिकृत भाग में फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण संभव हो जायेगा। साथ में बेगिन ने कहा कि इन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियो की स्थापना के कार्यक्रम को जारी रखा जायेगा। इस्रायल के विरोधी दल-लेबर दल के नेता शिमोन पेरेज ने बेगिन की आलोचना की और कहा कि रीगन शांति प्रस्ताव के अनेक मुद्दे स्वीकार योग्य हैं। उनका समर्थन इस्रायली जनता के एक वर्ग ने भी किया। म० पू० में शांति हेतु रीगन प्रशासन के वर्तमान उत्साह को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अमेरिका इस्रायल पर आर्थिक व सामरिक प्रतिबन्ध लगा कर उसे झुकने के लिये बाध्य करके शांति प्रयासों की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाये। रूस ने अमेरिका के वास्तविक उद्देश्यों को समझते हुए रीगन शांति को अस्वीकार्य किया। अरब देशों तथा फि० मु० सं० ने अभी तक कोई सरकारी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। अरब देशों द्वारा रीगन प्रस्ताव पर 6 सितम्बर 1982 से फेज (मोरक्को) में आरम्भ होने वाले अरब लीग सम्मेलन में विचार करेगा। परन्तु सम्मेलन प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व सऊदी अरब व टयुनीसिया द्वारा सम्मिलित रूप से फाहद योजना को संशोधित रूप से पुनः प्रस्तावित करने के कारण अरब देशों की स्थिति दुविधापूर्ण हो गयी। यह तो फेज सम्मेलन में अरब देशों में वार्तालाप के पश्चात् ही मालूम चलेगा कि किस शांति योजना को किस रूप में अनुमोदित किया जाता है।

म० पू० में कोई भी शांति योजना तभी सफल हो सकती है जब कि उसमें फिलिस्तीनी समस्या के पूर्ण निदान का उपाय निहित हो और स्वयं फि० मु० सं० उससे सहमत हो। फिर, वार्तालाप में रूस का सम्मिलित होना तथा उसके द्वारा सहयोग प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। यह सही है कि रूस स्वयं अकेले इतना प्रभावशाली नहीं है कि वह म० पू० में कोई शान्ति समझौता सभी पक्षों पर थोप सके परन्तु इतना अवश्य है कि वह, उसके बिना किये गये किसी भी शांति समझौते को विफल करने की क्षमता रखता है। अतएव एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए जिसमें महाशक्तियों सहित संबं

[शेष पृष्ट 129 पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[पृष्ट 72 का शेष]

नवीन आर्थिक व्यवस्था तीसरी दुनिया की आर्थिक ...ओं और आकांक्षाओं का चार्टर ही नही है बलिक अन्त...ष्ट्रीय राजनीति पर तीसरी दुनिया की महत्वपूर्ण भूमिका ...और राजनीतिक तथा आर्थिक नीति-निर्धारण संरचना में ...रिमामयी भूमिका अदा करने की इच्छा है। तृतीय विश्व ...राज्यों द्वारा मौद्रिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण की मांग ...र उसे विवेक सम्मत, सार्वभौमिक तथा न्याय-संगत ...ने की इच्छा, नवीन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर ...धारित विश्व उत्पादन व्यवस्था की चाह, प्राकृतिक स्रोतों ...र सम्प्रभुता के अधिकार का दावा, परराष्ट्रीय कारपोरे...नों के कार्यकलापों पर नियन्त्रण-ये सभी राजनीतिक रूप से ...जातांत्रिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्राप्त करने की अभि...लाषा का प्रकटीकरण है।

नयी अंतराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को वास्तविकता में ...ने हेतु विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों द्वारा मिल बैठ ...र जो दो-तरफा कोशिशें की गयी हैं उन्हें उत्तर-दक्षिण ...वाद (North-South Dialogue) के नाम से पुकारने ...की परम्परा रही है। 'उत्तर' विकसित राष्ट्रों की और ...क्षिण' पिछड़े 'तथा अर्ध विकसित अथवा विकासशील ...राष्ट्रों को इंगित करते हैं। 'संवाद' शब्द वर्तमान संदर्भ में ...त्यन्त ही अर्थपूर्ण है जिसका आशय है कि उत्तर तथा ...दक्षिण के राष्ट्र अपनी समस्याओं के निदान हेतु युद्ध और ...वैमनस्य का रास्ता न अपनाकर आपसी सहयोग, सहभा...गिता, सद्भावना और आपसी वार्तालाप का रास्ता निकालें ...और राजनीतिक तथा आर्थिक संकटों से उबरने की कोशिश ...करें।

अब यद्भाव्यम अथवा व्यक्तिवाद पर आधारित अन्त...र्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों के दिन लद गये ...जब विश्व के समृद्ध राष्ट्र दूसरों के हितों की बलि देकर ...खुद को सम्पन्न बनाने की कोशिश करते थे। एडम स्मिथ, ...रिकार्डो और बेन्थम का राजनैतिक-आर्थिक दर्शन वर्तमान ...अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में नीति निर्माण में निर्देशन नहीं ...दे सकते। आज विकासशील तथा विकासित राष्ट्रों के हितों ...में अन्योन्याश्रयिता है। वे एक दूसरे के हितों को बलि देने ...वाली अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण कर नहीं बल्कि ...आपसी-सहयोग के लिये कृत संकल्प होकर ही अपना सम्पूर्ण ...विकास कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र विकासशील देशों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। विकासशील राष्ट्र कच्चा माल तथा ऊर्जा के क्षेत्र में अत्याधिक प्रतिभा सम्पन्न हैं। इसके अतिरिक्त वे कूटनीतिक तथा संचार माध्यमों के दृष्टिकोण से भी विश्व राजनीति में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। अतः विकसित राष्ट्रों द्वारा उनकी उपेक्षा करना खुद उन्हीं के लिये घातक सिद्ध होगा।

विकसित राष्ट्रों का विकासशील देशों की मांगों के प्रति प्रायः आक्रमण रुख रहा है। डब्लू० ए० लुविस (W. A. Lewis) की तरह वे तर्क देते रहे हैं कि विकासशील राष्ट्रों की निर्धनता व उनकी दुर्बल व्यापार शर्तों का मुख्य कारण पश्चिमी साम्राज्यवाद न होकर इस बात में निहित है कि विकासशील देशों की करीब आधी श्रमशक्ति अत्यन्त निम्न उत्पादकता स्तर पर अन्न उत्पादन करती है जिसके कारण उनके घरेलू बाजार सीमाबद्ध हो जाते हैं और उच्च दरों पर आयात की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, कर-क्षमताएँ और बचत की प्रवृत्ति को धक्का लगता है और माल तथा सेवा को प्रतिकूल शर्तों पर निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ता है। वाणिज्य को सांस्थानिक शक्तियों की अपेक्षा बाजार-प्रक्रियाएँ ज्यादा नियमित तथा प्रभावित करती हैं। लुविस महोदय की स्थापना है कि पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय संचार निर्धन राष्ट्रों से समृद्ध राष्ट्रों की ओर न होकर मद गति से शहरी-करण की ओर प्रवृत्त होते हुए राष्ट्रों से तीव्र गति से शहरी-करण की ओर प्रवृत्त होते हुए राष्ट्रों की ओर हुआ है। डा० पीटर हर्मस (Dr. peter Hermes) एक कदम आगे बढ़कर यह कहते हैं कि विश्व में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को पाटना भौगोलिक, जलवायु, ऐतिहासिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक भिन्नताओं को दूर करने जैसा एक काल्पनिक आदर्श है। हर्मस की मान्यता है कि आने वाले दिनों में विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए मानक प्रति व्यक्ति आय Standard per-capita income) की प्राप्ति को सुखद कल्पना मात्र आदर्श है और उसे यथार्थ में उतारना सम्भव नहीं है।

इन विवाद और प्रतिवादों से परे संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। मार्च 1979 में जेनेवा में UNCTAD द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक कोष के मूलभूत तत्वों पर राष्ट्रों की सहमति प्राप्त की गयी। जुलाई 1979 में टोकियों में सम्पन्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वार्त्ता जो G A T T C Genral Agreement on Trade and Tariff) के प्रारूप के अनुसार सम्पन्न हुई,—विकासशील देशों को कुछ सीमा तक वरीयता प्रदान करती है। नयी दिल्ली में 1968 में सम्पन्न UNCTAD–II के बाद कई ओ०डी० ए० (आफीशियल डेवलेपमेंट ऐड) प्रदान करने वाले राष्ट्रों ने अर्धविकसित राष्ट्रों के प्रति नरमी दिखाई और अत्याधिक गरीब विकासशील राष्ट्रों के ऊपर लदे ऋण को समाप्त किया। ओ० पी० ई० सी० राष्ट्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटे में वृद्धि की गयी और अन्य विकासशील राष्ट्रों के कोटे को 31 प्रतिशत किया गया। एक नये एक अरब डॉलर -कोष–IRAD कृषि विकास के लिये स्थापित किया गया।

परंतु ये सभी कदम नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सपने को सच करने हेतु विकासशील राष्ट्रों की माँगों को अत्यन्त छोटे अंश तक ही सन्तुष्ट कर सकी हैं। प्राय: सभी मुख्य मुद्दों पर विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में संवाद की स्थिति नहीं बन पायी है। विकसित राष्ट्रों द्वारा जो कुछ प्रयास तृतीय देशों की समृद्धि के लिये किये जाते रहे हैं उसका एक नकारात्मक पहलू भी है। विकासशील देश यह महसूस करते रहे हैं कि सहायता अनुदान के माध्यम से उत्तर उनके घरेलू मामलों मे हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। सहायता देने वाला देश इस बात पर बल देता है कि सहायता प्राप्त करने वाला अपनी आर्थिक व्यवस्था तथा नीतियों का पुनरावलोकन करे। सहायता की शर्तें एक बंधक का कार्य करती हैं और नीतियों में आमूल-चूल बदलाव करने को विवश करती हैं। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण की नीतियों का नियामक शक्ति बन बैठती है।

अधिकतर विकासशील देश जो नयी आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं:। अत्याधिक अन्यायपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले राज्य हैं और जब वहाँ के अभिजन अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नयी आर्थिक व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे अविश्वासनीय होती है। 'उत्तर' यह अच्छी तरह से जानता है कि इस वकालत के पीछे खुद उन अभिजनों के संकीर्ण हित विद्यमान हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से सन्तुष्ट किया जा सकता है। 'उत्तर' का दृष्टिकोण नयी आर्थिक व्यवस्था के प्रति वैसा ही रहा है जैसा एक जमींदार का भूमि-सुधार कार्यक्रम के प्रति हुआ करता है और वे अपने संकीर्ण आर्थिक हितों की रक्षा हेतु किसी भी प्रकार की सौदेबाजी से नहीं चूके हैं।

दूसरा पहलू यह है कि विकासशील राष्ट्रों के अभिजन के अपने संकीर्ण हित उन्हें विभिन्न विशिष्ट प्रश्नों पर मतैक्यता की स्थिति में नहीं रहने देते। चाहे कम विकासशील राष्ट्रों के लिए ओ० पी० ई० सी० द्वारा तेल के मूल्य-निर्धारण में अथवा विकासशील राष्ट्रों में आपसी आर्थिक सहयोग का प्रश्न हो। ये सभी नयी आर्थिक व्यवस्था की प्राप्ति कीदिशा में अवरोधक का काम कर रहे हैं।

उत्तर-दक्षिण संवाद या यों कहें कि नवीन आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के क्षेत्र में ब्रांड कमीशन ने (1975) एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेलमिलाप या समझौते की दिशा में एक ठोस कदम था। जिसका उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण था जिस पर विकसित और अर्धविकसित राष्ट्र साथ मिल-बैठ कर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और परिवर्तन की दिशा में सुनियोजित कार्यक्रम तैयार कर सकें।

ब्रांड कमीशन रिपोर्ट दो दृष्टियों से अपने पूर्व के पियर्सन रिपोर्ट (1968) से भिन्न रही है। प्रथम, यह उससे कहीं अधिक विस्तृत है तथा इसके प्रोग्राम मात्र विदेशी सहायता और पूँजी-प्रवाह में वृद्धि से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि कमोडिटी ट्रेड तथा डेवलेपमेंट, औद्योगीकरण, वाणिज्य-उदारवादिता, भोजन, ऊर्जा, जनसंख्या, पूँजी-निवेश और टेक्नॉलॉजी हस्तान्तरण से भी सम्बन्ध रखते हैं। इसके अनुसार आज का ज्वलन्त मुद्दा मात्र सहायता देने का नहीं है बल्कि विश्व अर्थ व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की है जिससे विकासशील राष्ट्र आत्मनिर्भरता और विकास की ओर अग्रसित हो सकें।

द्वितीय, जहाँ पियर्सन रिपोर्ट ने विदेशी सहायता के औचित्य को नैतिकता के तर्क पर सिद्ध किया था वहाँ ब्रांड कमीशन अपनी विदेशी सहायता अनुदान सहित अन्य कार्यक्रमों के औचिन्य को विश्व राष्ट्रों के हितों में अन्योन्याश्रितता (Mutual Interest) पर सिद्ध करता है।

ब्रांड कमीशन के अनुसार धनी और निर्धन राष्ट्रों के मध्य हितों का संघर्ष मात्र सतही स्तर पर है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक अन्त: निर्भरता इतनी अधिक है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपसी सहयोग ही वर्तमान आर्थिक संकटों से उबरने और मानव जाति के लिए एक नये आर्थिक भविष्य हेतु सही दिशा प्रदान कर सकता है। विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य यह सहयोग वर्तमान खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए इतना आवश्यक हैं कि ब्राँट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को उत्तर-दक्षिण संवाद : अस्तित्व रक्षा की योजना (North South Dialogue : A Programme for Survival) नाम दिया। ब्राँट कमीशन की यह स्थापना थी कि दक्षिण की समृद्धि उत्तर को समृद्धि प्रदान करेगी न कि उसे निर्धन। रिपोर्ट ने इस तथ्य की ओर इंगित किया किया कि विश्व जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इस स्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन सम्भावनाओं की खोज करें जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाये। ऊर्जा संकट से निपटने के लिये यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा के अन्य विकल्पों की खोज और विकास करें। तृतीय विश्व में इस संदर्भ में सहायता सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति को तो लाभ पहुँचायेगी ही, उत्तर के औद्योगिक राष्ट्रों के हितों के भी अनुरूप होगी।

ब्रांट आयोग ने ज्वलन्त आर्थिक संकटों से निपटने के लिए कम समय वाले संकटकालीन कार्यक्रम (1980-85) तथा अस्तित्व की रक्षा हेतु दीर्घकालीन कार्यक्रम रखे हैं। संकटकालीन कार्यक्रमों के अन्तर्गत संसाधनों का 'उत्तर' राष्ट्रों से 'दक्षिण' राष्ट्रों की ओर स्थानान्तरण, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार, समान विश्व अन्य कार्यक्रम, मतैक्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा नीति आदि हैं। अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की कार्य प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन द्वारा जो 'दक्षिण' देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो—आयोग ने नयी वित्तीय व्यवस्था के निर्माण की संस्तुति दी है। ब्रांट आयोग की सिफारिश पर अक्टूबर 1981 में कैनकुन सम्मेलन हुआ। यद्यपि यह सम्मेलन अपने लक्ष्य में बहुत सफल तो नहीं रहा पर निश्चय ही इसने नयी आर्थिक व्यवस्था की वकालत को समृद्ध किया है।

आज आवश्यकता है कि तीसरी दुनिया के देश मात्र उत्तर-दक्षिण संवाद पर ही निर्भर न रहें। आवश्यकता है उनके अपने बीच भी संवाद की। तृतीय देशों का भविष्य मात्र विकसित देशों के रुख पर ही नही बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे आपस में ताल-मेल, मतैक्यता, स्वस्थ संवाद तथा सहयोग की स्थिति का निर्माण किस हद तक कर सकते हैं। समय की पुकार है दक्षिण—दक्षिण संवाद और सहयोग की ओर एक जुट होकर विषमताओं और अन्याय का सामना करने। तृतीय विश्व में अनन्त शक्तियाँ और सम्भावनायें छिपी हैं। आवश्यकता है उन्हें उजागर करने की ताकि वे आत्मनिर्भरता तथा विकास की ओर बढ़ सके। तृतीय विश्व के राष्ट्रों में सहयोग की धारणा उत्तर-दक्षिण संवाद की असफलताओं के के फलस्वरूप प्रकाश में आयी। ई० सी० डी० सी०, टी० सी० डी० सी० ASEAN, ECLA, ECA तथा OPEC आदि इसी धारणा की कड़ियाँ हैं।

वास्तव में नयी आर्थिक व्यवस्था के सपने को साकार करने के लिये यह आवश्यक है कि एक साथ ही उत्तर-दक्षिण तथा दक्षिण-दक्षिण संवाद के लिये उचित माहौल बने तथा विश्व-स्तर पर स्वस्थ जनमत तैयार हो ताकि धरती के अभागों को उनका हक प्राप्त हो सके और एक न्यायपूर्ण विश्व का आविर्भाव सम्भव हो सके। □

[पाठक इसी सन्दर्भ में अगस्त 1982 अंक में प्रकाशित 'अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग' लेख पढ़े]

[पृष्ठ 126 का शेष]

षर्रत पक्ष भाग लें। सम्मेलन की सफलता के लिये दोनों महाशक्तियों में शांति प्रयासों के प्रति निष्पक्षता और एकजुट होकर कार्य करने की भावना अपेक्षित है, महाशक्तियों के आपसी तनावपूर्ण सम्बन्ध तथा उनके द्वारा अपने अनुयायी देशों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने में असमर्थता के फलस्वरूप हाल में एक के बाद एक छोटे बड़े युद्ध भड़कते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, यदि दोनों महाशक्तियाँ एक जुट होकर म० पू० में संघर्षरत पक्षों में शांति समझौता कराने में सफल नहीं होती है तो वहाँ दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता ही जायेगा और यह आश्चर्य की बात नही कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी म० पू० में ही भड़के।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय लोकतन्त्र और उसकी दिशा

श्रीमती लता सिन्हा*

आज जब विश्व में कुवैत व सउदी अरब जैसे धर्म पर आधारित राज्य भी लोकतन्त्र का प्रस्तर बिंदु प्रदान करने का संकल्प कर रहे हैं, चीन उदारवादी लोकतन्त्र से अनुप्रेरित होने को है; इराक, स्पेन, नाईजीरियां, घाना आदि वर्षों के अन्तराल के उपरान्त लोकतन्त्र के पथ पर या तो आ गये हैं अथवा आने के संकेत दे रहें हैं; भारत जिसने लोकतन्त्र के दीप को प्रज्वलित कर तृतीय विश्व को आलोकित करने की आशायें जगाई, स्वयं उस दीप की मद्धिम होती प्रकाश की रेखा से उसके भविष्य के प्रति चिंतित होता प्रतीत हो रहा है। जहां अधिकांश एशियाई व लातीनी अमरीकी राष्ट्रों ने प्रतिनिधिक संस्थाओं के स्थान पर अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को अपनाया, भारत लोकतंत्र का संचालन निरन्तर सफलतापूर्वक कर सका, ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत में संसदीय लोकतन्त्र गहरी जड़ पकड़ चुका है। 1977, 1980 व 1982 के निर्वाचन इसके प्रमाण रहे। किन्तु निकटपूर्व की राजनैतिक घटनाओं ने उसकी इस अवस्था पर प्रहार किया। राजनैतिक रङ्गमंच पर अभी नीति नाटकों का अवलोकन कर भारतीय नागरिक अपनी लोकतांत्रिक पद्धति की दिशा पहचानने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्र की धूमिल होती राजनैतिक छवि से वह चिंतित होकर सहज ही यह प्रश्न कर उठा है कि यदि देश की राजनैतिक स्थिति यही रही तो लोकतन्त्र में उसकी अवस्था कितनी व कब तक रह सकेगी। यदि राजनैतिक मूल्यों का ऐसे ही अवमूल्यन होता रहा तो भारत कब तक अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के रेगिस्तान में हरित भूमि बना रह सकेगा।

"लोकतन्त्र जनता का शासन है," इसका आशय राज्य की राजनैतिक प्रक्रिया में जनता की सहभागिता हैं, प्राचीन काल में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन की क्रिया में भाग ले सकते थे परन्तु आधुनिक राज्यों में यह सम्भव नहीं। लोकतन्त्र के क्रियान्वन हेतु इन राजनैतिक समाजों में कुछ साधनों का निर्माण किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व व निर्वाचन हैं। प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शासकीय कृत्यों के संबन्ध में राजनैतिक शक्ति व प्रभाव का प्रयोग अपेक्षाकृत थोड़े से व्यक्तियों के द्वारा राज्य की समस्त जनता के नाम पर होता है। प्रतिनिधियों के निर्णय बाध्यकारी शक्ति के होते हैं। परन्तु केवल उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है जिसे निर्वाचित करने का यहां अधिकार प्रदान किया जाता है। प्रतिनिधि के चयन हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था स्वीकार की गई है। निर्वाचन वह साधन है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है तथा उन्हें नियन्त्रित करती है।

लोकतन्त्र "जन पदाधिकारों को नियुक्त, नियन्त्रित व पद विमुक्त करने की एक प्रणाली है"। स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में जनता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राजनैतिक प्रक्रिया से सम्बद्ध होना अर्थात् अपने पदाधिकारियों का चयन करना उसका प्रमुख दायित्व है। यह दायित्व वह मताधिकार का प्रयोग करके पूर्ण करता है। यदि इस अधिकार के प्रति उसके हृदय में उदासीनता घर कर जाय तो वह राजनैतिक प्रक्रिया में कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता। आज भारतीय मतदाता अधिकांशतः उदासीन है। …

* विभागाध्यक्षा, राजनीति विभाग, सी० एम० पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...त्य में जी रहा है; उसकी संवेदनायें जड़ हो गई हैं और ...का कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों में उसकी आस्था की ...ाप्ति है। प्रतिनिधियों का आचरण दिन-प्रतिदिन इतना ...त्याशित होता जा रहा है कि मतदाता भ्रमित होकर यह ...श्चित न कर पाने के कारण कि वह किसको मत दे, इस ...धिकार, का प्रयोग नहीं करता। प्रतिनिधिगण जनता के ...श्वास का खन्डन करते हुये दिखाई देते हैं। इन प्रतिनिधियों ...र जनता का वास्तविक नियन्त्रण लगभग नहीं के बरावर ...है। जब तक हम अपने संविधान में परिवर्तन कर अपने ...तिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार' को सन्निहित ...हीं कर लेते सम्भवतः स्थिति में सुधार सम्भव ...होगा।

निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास की समाप्ति का ...का कारण 'दलबदल' की राजनीति है। भारतीय राजनैतिक ...व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप भी राजनीति का यह ...घृणित स्वरूप है। 'दलबदल' का आशय एक दल से ...सम्बन्ध विच्छेद कर दूसरे दल में सम्मिलित होना है, दूसरे ...शब्दों में दलीय निष्ठा में परिवर्तन करना है। 'दलबदल' ने ...राज्यों की राजनीति में अराजक तत्वों का समावेश ...किया है क्योंकि उसके अनिवार्य परिणाम है–सिद्धान्त ...विहिनता, अप्रिय समझौते व दलों की विच्छिन्नता। ...यदि दलबदल सिद्धान्तों के कारण किया जाता है तो ...सराहनीय है परन्तु यदि मात्र सत्ता अर्जित करने के लिये ...किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ...'इन संदिग्ध आस्था वाले' प्रतिनिधियों की गतिविधियों व ...निर्णयों को अनुमानित करना नितांत असम्भव है। प्रतिनिधि ...सभाओं में उनकी भूमिका अपकारी व अवरोध उत्पन्न करने ...वाली बन कर रह जाती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन ...इससे अधिक और किस बात से हो सकता हैं। हरियाणा ...व हिमांचल प्रदेश में घटी घटनायें यही प्रमाणित ...करती हैं।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्राण उसके राजनैतिक व ...नैतिक मूल्य होते हैं। ये मूल्य ही राजनैतिक क्रियाओं के ...आधार बनते हैं। राजनीति भी तो एक खेल के समान हैं ...जिसमें निश्चित नियमों का पालन अनिवार्य हैं। ये नियम ...मूल्यों से निर्धारित होते हैं। निकट पूर्व में इन मूल्यों के साथ जितना खिलवाड़ किया गया है, उन्हें जितना विकृत ...िया गया है, उससे किसी भी विचारशील व्यक्ति का चिंतित होना स्वाभाविक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक 'नवीन राजनैतिक संस्कृति' पनप रही है जिसमें सत्ता से चिपके रहना ही एक मात्र उद्देश्य बन गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समस्त कुचेष्टायें की जा रही हैं। स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि आज राजनीति एक प्रतिशोषात्मक संज्ञा बन गई है। आखिर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था किस ओर जा रही है?

राजनैतिक दल लोकतंत्र के प्राण हैं। दलों के अभाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यान्वित ही नहीं हो सकती। दल उसके कार्यवाहक अंग हैं। स्वस्थ राजनीति के लिये स्वस्थ राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है। और इसके लिये निश्चित सिद्धान्तों पर उनका गठन आवश्यक है। समकालीन स्थिति घोर निराशा उत्पन्न करने वाली है। आज दलों का निमार्ण सिद्धान्तों पर नहीं वरन व्यक्तियों पर हो रहा है। दलीय सदस्यता जातिगत होती जा रही है। परिणामस्वरूप निर्वाचन भी जाति के आधार पर लड़े जा रहे हैं, सिद्धान्तों के आधार पर नहीं। नीतियां जातिगत स्वार्थों की सिद्धि हेतु प्रतिपादित की जा रही है। दल के संस्थापक यह भूल जाते हैं कि जाति-गत राजनीति की निश्चित सीमायें हैं। ऐसे दल अनेक नेताओं की प्रतिस्पर्द्धा व प्रतिद्वंदिता के अवसर प्रदान करते हैं, परिणाम यही होता है कि दल टूटते हैं, विघटित होतें हैं, अनेक गुटों में बंटते हैं। दलीय विद्रोह, दल से निष्कासन व उनकी विच्छिन्नता किसी एक दल की विशेषता नहीं वरन् सभी दलों की विशेषता हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यहां राजनैतिक दलों का निर्माण विभिन्न गुटों- वर्गों व परस्पर असम्बद्ध सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले व्यक्तियों से नहीं हो सकता है। उनके कार्यकरण ने यह भी स्पष्ट किया है अन्य राष्ट्रों के सर्वथा विपरीत भारत में राजनैतिक सत्ता विभिन्न गुटों को संयुक्त नहीं कर सकती है। न ही सत्ता से आन्तरिक मतभेद दूर हो सकते हैं। क्षोभ का विषय है कि दलीय फूट का कारण सैद्धांतिक नहीं वरन वैयक्तिक होता है। वह मात्र सत्ता के लिये महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के बीच संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। छोटे-छोटे राजनैतिक दल, देश की राजनीति में और भी विध्वंसक तत्वों का समावेश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर रहे हैं। जनता राजनैतिक दृष्टि से भ्रमित व मानसिक रूप से अव्यक्त हो गई हैं। लोकदल की चौथी फूट तो वह चुनौती हैं जिसका सामना राष्ट्र के लगभग सभी दलों को न्यूनाधिक रूप से करना पड़ सकता है। यह स्थिति नागरिकों को दिग्भ्रमित कर रही है। वे एक राजनैतिक शून्य का आभास कर रहे हैं, उन्हें एक राष्ट्रव्यापी सिद्धान्तों पर गठित विकल्प की तलाश है, वे अन्धकार में भटक रहे हैं, वे समझ रहे हैं कि वर्तमान स्थिति 'अनिश्चय' की स्थिति है और अनिश्चय की स्थिति का अनिवार्य परिणाम मिली-जुली सरकारें ही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में निर्वाचन विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच न होकर गुटों के गठबन्धनों के बीच होंगे। संयुक्त सरकारें राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों में बनी व मिटी। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रयोग असफल रहा। 'मिली-जुली' सरकारें सैद्धान्तिक रूप से गलत नहीं होती परन्तु उनके संचालन हेतु जिस परिपक्वता की आवश्यकता है वह भारतीयों में नहीं है। मिली-जुली सरकारें यूरोप के अनेक राष्ट्रों में कार्यरत हैं और अधिकांश में वे सफल रहीं हैं। जिन राज्यों में धर्म, वर्ग व भाषा की विभिन्नता हो वहां विभिन्न राजनैतिक दलों का गठित होना कोई में आश्चर्य की बात नहीं, वह राष्ट्र भारत हो अथवा बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी हो या इटली। बेल्जियम भाषा के प्रश्न को सम्मिलित सरकारों के निर्माण में सबसे अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। वहाँ के समस्त संवैधानिक संशोधन इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर निर्मित किये गये हैं, यहाँ तक कि प्रधान मन्त्री को छोड़कर शेष मन्त्रियों के लिये यह आवश्यक होता है कि वह वहाँ की दो प्रमुख भाषा भाषी फ्लेमिश व फ्रांसिसी बोलने वालों का प्रतिनिधित्व करते हों। पश्चिम जर्मनी में सम्मिलित सरकारों की सफलता का रहस्य उनकी संवैधानिक व्यवस्था में हैं। जब तक विरोध पक्ष उनकी सरकार का समर्थन न करे वे कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकते। वहाँ संवैधानिक संशोधन के लिये 2/3 बहुमत अनिवार्य है। सम्मिलित सरकारों के लिये समझौते व आदान प्रदान की स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण की ओर कदम बढ़ाना होगा। दलीय मतभेदों को राज्य के शासन को चलाने के सामान्य हित के लिये भुलाना ही होगा। भारत के संबन्ध में यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि यहाँ कौन सी दलीय व्यवस्था पनपेगी, फिर भी संकेत यहीं मिल रहा है कि 'बहुदलीय विरोध पक्ष,ही उभर कर सामने आयेगा। ऐसे में 'बहुदलीय विरोध पक्ष' जब भी सत्ता ग्रहण करेगा उसे एक दूसरे के साथ मिलकर समझौता करके न्यूनतम आर्थिक व राजनैतिक कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त करनी ही होगी, यदि यह [illegible] ग्रहण न किया गया तो भारतीय लोकतन्त्र अराजकता के घुंधलके में अस्तित्व विहीन हो जायगा।

हमने संसदीय जनतन्त्र अपनाया है जिसमें बहुमत दल का नेता शासन का गठन करता है, राज्यों में मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपालों के द्वारा होती है, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो राज्यपाल का कार्य सरल हो जाता है परन्तु यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में मुख्य-मन्त्री की नियुक्ति करने में राज्यपाल की भूमिका गम्भीर हो जाती है। अनेक राज्यपाल अपने इस अधिकार के प्रयोग के कारण विवादास्पद बने। राज्यपाल, राज्य का नाम-मात्र का अध्यक्ष होता है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनइच्छा के अनुरूप निर्णय करेगा। राज्यों में निर्वाचन के उपरान्त यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को उस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो विधान सभा के बहुमत का विश्वास अर्जित कर सके, परन्तु दल-बदल की राजनीति के कारण सदस्यों की दलीय निष्ठा का पता करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। संविधान इस प्रश्न पर मौन है कि बहुमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाय। क्या सदन के सबसे बड़े गुट के नेता को शासन के निर्माण के लिये आमन्त्रित किया जाय अथवा किसी अन्य गुट के नेता को। जहाँ संविधान मौन होता है वहाँ परम्परायें उसकी रिक्तता की पूर्ति करती है। परन्तु स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं का निर्माण तो दूर विभिन्न राज्यपालों ने इस संबन्ध में विभिन्न मापदण्ड स्थापित किये हैं। खेद का विषय है कि भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति के हनन में राज्यपालों ने भी सहयोग दिया है। हाल ही में गठित हरियाणा की सरकार इसका ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था ऐसे ही विकृत होती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब शासकीय पदाधिकारियों पर से जनता का विश्वास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्ण रूप से समाप्त हो जायगा । भारतीय संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान करता है परन्तु राज्यपालों पर नहीं । लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हनन पर उन्हें जनता द्वारा दण्डित नहीं किया जा सकता । वे केन्द्र के द्वारा ही पद विमुक्त हो सकते हैं । भारतीय राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पर भारत की राजनैतिक वास्तविकता को ध्यान में रख कर एक बार नये सिरे से विचार-विमर्श करना होगा । निकट पूर्व की घटनायें स्थिति की गम्भीरता का संकेत दे रही हैं और संकेतों को समय से पढ़ लेना ही बुद्धिमानी है ।

यदि निकट पूर्व की घटनाओं ने कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं तो अन्य क्षेत्र भी उनसे अप्रभावित नहीं रहे हैं । हमारी निर्वाचन पद्धति ने निश्चय ही हमें झंझकोरा है, सभी वर्ग चिंतित हैं कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों की व्यवस्था पर किस प्रकार से विचार किया जाय, ये स्वतन्त्र उम्मीदवार थाली के बैंगन की भांति सत्तापक्ष की ओर ढुलक कर शासन के निर्माण व पतन में गम्भीर भूमिका अदा करते हैं, ये सबसे अधिक सिद्धान्त विहीन और अपकारी होते हैं, इनकी भूमिका प्रशासन में सदैव ही विध्वंसक व नकारात्मक होती है । भारतीय निर्वाचन पद्धति में अनेक संशोधन अभीष्ट हैं परन्तु इनमें अग्रिम प्राथमिकता प्रतिनिधित्व के इस पक्ष को प्राप्त होनी चाहिये । प० जर्मनी की भांति यह विधि निमित्त कर दी जाये कि कम से कम 5 से 10% तक मत प्राप्त होने की स्थिति में ही किसी दल को सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा । ऐसी स्थिति में कम से कम अवांछित उम्मीदवारों की संख्या में कमी होगी और सिद्धान्त-विहीन व्यक्ति सत्ता का लाभ न उठा सकेंगे । इसी से सम्बद्ध दूसरा संशोधन 'दलबदल' की अभिशप्त राजनीति को रोकने से सम्बद्ध हैं । प्रत्येक विधायक के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि चुनाव के समय वह अपने दलीय प्रतीक को घोषित कर दे और यदि उस दल से चुनाव के उपरान्त सम्बन्ध विच्छेद करे तो सदन से उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाय, उसे नये सिरे से अपने राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ करना होगा । जब तक इतने कठोर नियम नहीं बनेंगे भारतीय लोकतन्त्र चिन्ता का कारण बना रहेगा ।

भारतीय निर्वाचन पद्धति चतुर्दिक परिवर्तन की माँग वर्षों से कर रही है । शासन निरन्तर घोषित करता रहा है कि वह इस समस्या पर विचार कर रहा है । उसके निर्णय विधि का रूप कब लेते हैं यह प्रतीक्षित है, राज्य की राजनैतिक प्रक्रिया निर्वाचन व्यवस्था से ही निर्धारित होती हैं, उसका प्रथम उद्देश्य वास्तविक प्रतिनिधिक संस्थाओं का निर्माण करना होता है । सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत में इस उद्देश्य की पूर्ति हुई हैं । जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 कुछ आदर्शों पर अवलम्बित था, उसका लक्ष्य एक सामान्य मतदाता को शासन की क्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना था और इसके हेतु यह प्रयास किया गया था कि राजनैतिक जन-जीवन स्वच्छ व धन के अनुचित प्रभाव से संरक्षित बना रहे, परन्तु हुआ ठीक उसके विपरीत । सारी निर्वाचन व्यवस्था धन से पूर्ण रूप से आच्छादित व प्रभावित हो गई । प्रतिनिधियों व राजनैतिक दलों के राजनैतिक जीवन का निर्माण व विनाश पूर्ण रूप से धन पर निर्भर हो गया । निर्वाचन में व्यय करने वाली राशि एक लाख कर दी गई परन्तु कोई भी निर्वाचन निर्धारित धन राशि में नहीं लड़ा जाता । यह राशि ही भारतीय वास्तविकताओं में बहुत है । राजनीति की विकृतियों ने अनाधिकृत व्यय की व्यवस्था कर दी । कोई भी निर्वाचन एक करोड़ रु० से कम में नहीं सम्पन्न होता, अतिरिक्त धन व्यय करने के कारण काला धन प्रयुक्त होने लगा । उसकी भूमिका ने समस्या को और भी गम्भीर बना दिया । न राजनैतिक दलों द्वारा संग्रहित राशि का ब्योरा दिया जाता है, न उसकी लेखा परीक्षा होती है और न ही वे टैक्स देते हैं । जिस दल की आय के स्त्रोत जितने अधिक हैं वह उतना ही सफल होता है । प्रत्याशियों का चयन भी उनकी आर्थिक क्षमता को देखकर किया जाता है । परिणाम यही हुआ कि प्रतिनिधिगण जनता का प्रतिनिधित्व न करके वर्ग विशेषों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । जनता की अवहेलना की जा रही है, राजनेता उद्योग पति से सम्बद्ध होता जा रहा है, धन ने राजनेताओं को, राजनैतिक दलों को, मतदाताओं को यहाँ तक कि समस्त व्यवस्था को पूर्ण रूप से कलुषित व भ्रष्ट कर दिया है । निर्वाचन में सफलता दल व व्यक्तियों दोनों के लिये ही अत्यन्त लाभप्रद रहती है । ऐसे में व्यापारी वर्ग, धनाढ्य वर्ग तथा काला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धन संग्रहित करने वाले, राजनैतिक दलों से घनिष्ठ नाता जोड़ चुके हैं। परिणाम यही हुआ है कि आज बहुत कम सच्चरित्र व ईमानदार व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, विधायकों का स्तर गिरता जा रहा है, वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से निर्वाचन व्यवस्था के प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। भारतीय लोकतन्त्र पथ से हट रहा है। निर्वाचनीय विधियों में यदि अविलम्ब परिवर्तन न किया गया तो स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना भी कष्टकारी है।

निर्वाचन में अवैधानिक व भ्रष्ट आचरण की घटनायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे विवादों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। जब तक विभिन्न राजनैतिक दल संयुक्त रूप से इस दिशा में प्रयास नहीं करते समस्या का हल निकलना कठिन प्रतीत होता है। राजनीति तथा शासन उतना ही स्वस्थ अथवा रूग्ण होता है जितने कि उसके नागरिक। वर्षों पूर्व Vicount morley ने लिखा था कि जो व्यक्ति राजनीति व नैतिकता को पृथक समझ सकेगा वह न तो राजनीति को समझ सकेगा न नैतिकता को। जन-जीवन में ईमानदारी, शिष्टता तथा शुद्धता अनिवार्य है और यदि हम इन्हें नकार देंगे तो भटक जायेंगे। निर्वाचन में राजनैतिक दलों का आचरण, शासकीय संयंत्र का सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग अथवा प्रयोग चुनाव प्रचार का स्वरूप, सब संयुक्त रूप से यह निर्धारित करेंगे कि भारतीय लोकतन्त्र की दिशा क्या होगी।

लोकतन्त्र जन सम्मति व अनुनयन से शासन है इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। इसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्भिकता पूर्वक अपना व्यक्त करने का अधिकार है। वह व्यक्ति राज्य के किसी भी सामाजिक वर्ग का सदस्य क्यों न हो अपने मताधिकार का पूर्ण अधिकारी है। निर्वाचन में शारीरिक बल का प्रयोग करके नागरिकों को भयभीत व आतंकित करके यदि उन्हे विशिष्ट दल या प्रत्याशी के पक्ष में मत व्यक्त करने को बाध्य किया जाता है तो वह लोकतन्त्र के लिये घातक ही होगा। हिंसा की बढ़ती हुई राजनैतिक वारदाते. राजनैतिक हत्यायें व प्रत्याशियों के बल पूर्वक हरण की घटनायें आने वाले खतरे की सूचक है। जब तक कि सभी राजनैतिक दल एवं सभी प्रत्याशी संयुक्त रूप से यह संकल्प नहीं कर लेते कि वह हिंसा से बचेंगे व निर्वाचन में विजय-श्री प्राप्त करने के लिये उसका आश्रय न लेंगे तब तक लोकतन्त्र में खण्डित विश्वास पुनः जाग्रत न होगा। हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि दर्जों की राजनैतिक हत्यायों के सिलसिले ने उस राज्य के सुकुमार लोकतन्त्र की जड़े हिला दी, वहाँ 1975 से यह सिलसिला प्रारम्भ हुआ और 1980 तक वहाँ स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई हैं, उसी वर्ष में वहाँ 400 राजनैतिक हत्यायें की गई। हमें इससे भारत के लिये शिक्षा लेनी चाहिये। राजनैतिक हत्यायों की निंदा सभी राजनैतिक दल करते हैं परन्तु इससे बचने के प्रयास बहुत कम ही कर सके हैं।

राजनैतिक मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य हैं। एक मुक्त समाज में विरोधी विचार धारण किये जा सकते हैं। विरोध समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य हो सकता हैं तथा शासक व शासितों के मध्य भी हो सकता है। विचारअभिव्यक्ति के अधिकार का एक रूप 'स्वतन्त्र प्रेस' की व्यवस्था हैं। प्रेस के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें व्यक्त करते है, उन्हें शासन तक पहुँचाते हैं तथा शासन की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कराते है अतः प्रेस का प्रमुख दायित्व घटनाओं को ज्ञात करना, रिपोर्ट करना तथा जनता को अधिक सूचित व जागरूक बनाना है। इस प्रकार से नागरिकों को शासन के संबन्ध में निश्चित धारणा बनाने में सहयोग देना है। सभी उन्मुक्त समाजों में 'प्रेस की स्वतन्त्रता' पवित्र व अनुलंघनीय समझी जाती है तथा उसकी सीमायें केवल सामाजिक हित से ही निर्धारित की जाती है। राष्ट्र के नागरिकों का यह नैतिक अधिकार है कि उन्हें सूचनायें सही व पर्याप्त रूप से मिलती रहे। यदि प्रेस की स्वतन्त्रता राज्य में प्रतिबन्धित होती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रियायें अनुचित रूप से प्रभावित हुये बिना नही रह सकती। अधिकांश राज्यों में प्रेस ने विरोध पक्ष की भूमिका अपना ली है। शासन के बड़े से बड़े घोटाले प्रेस के द्वारा ही जनता के समक्ष लाये गये हैं, यदि उन्हें निर्भिकता पूर्वक कार्य नहीं करने दिया गया तो वह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। सभी अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में प्रेस के ऊपर कड़े प्रतिबन्ध रहे हैं। नेपाल व पाकिस्तान में उनकी स्वतन्त्रता नहीं के बराबर रहीं है। अधिकांश लैटिन अमेरिकी व कैरीबीन द्वीप के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रों में यह स्वतन्त्रता नहीं हैं। भारत में भी इस दृष्टि से स्थिति गम्भीर ही है। हाल ही में बहुचर्चित बिहार प्रेस विधेयक' पर व्यक्त प्रतिक्रियायें जनता में व्याप्त असंतोष का परिचय दे रही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता समस्त जन-जीवन को प्रभावित करती है। उसका निश्चित सामाजिक दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह हेतु संतुलित पत्रकारिता अनिवार्य है। प्रेस की स्वतन्त्रता को सीमित करना जनता की आवाज दबाना हैं। संसद के समान प्रेस भी नागरिक अधिकारों का सजग प्रहरी है। नागरिक अधिकार लोकतन्त्र में ही अर्थ रखते हैं। लोकतन्त्र के रक्षण के लिये अधिकारों का रक्षण अनिवार्य हैं। निकट-पूर्व में पत्रकारों पर प्रहार की घटनायें चिन्ताजनक है। आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय, नैतिक दुर्बलता का द्योतक होगा।

भारतीय लोकतन्त्र की इस गम्भीर स्थिति के लिये जनता, राजनेता, जन-पदाधिकारी, प्रशासक, व्यापारी व उद्योग पति सभी सामुहिक रूप से उत्तरदायी है। मात्र शासन को दोषी ठहरा देने से स्थिति साफ नहीं हो जाती। आज कौन इस बात से अनभिज्ञ है कि राजनैतिक जीवन कलुषित हो चुका हैं, राजनेता भ्रष्ट हो चुके हैं, पद लोलुपता व धन लिप्सा राजनैतिज्ञों को छिछले स्तर पर ला चुकी है। राजनैतिक भष्टाचार खुल कर पनप रहा है परन्तु कितने व्यक्तियों ने इस स्थिति में परिवर्तन की सच्चाई से चेष्टा की राजनैतिक भष्टाचार के प्रति भारतीयों की सहनशीलता आश्चर्यजनक रही हैं। विरोध व आलोचना की क्षीण आवाजें परिस्थिति में सुधार लाने में असमर्थ रही है। राजनीति पर परिचर्चा तो होती है परन्तु राजनीति में सक्रियता से भाग लेना सम्भवतः नागरिकों को भाता नहीं। जन पदाधिकारियों को दण्डित करने हेतु किस पद के निर्माण की गम्भीर आवश्यकता भारत में है इस पर कभी भी विचार नहीं किया गया। यूरोपीय देशों में OMBUDSMAN नामक पदाधिकारी नागरिकों से राजकीय पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायते सुनते व जांच करते है। भारत में इस पद के समकक्ष लोकायुक्त पद का निर्माण विचाराधीन रहा परन्तु सफलता न प्राप्त कर सका। जनता जब तक अन्याय सहती रहेगी अधिकारों से वंचित होती रहेगी, पदाधिकारी राजनैतिक लाभ उठाते रहेगें। परिस्थितियों में सुधार यदि लाना है तो समस्या का गम्भीरता से अध्ययन करना होगा, नागरिकों को उनके अधिकार व दायित्वों का आश्वास करना होगा। उनमें चेतनता लानी होगी। सुप्तावस्था से उन्हें जगाना होगा। शासन का ध्यान जनता के कष्टों की ओर आकर्षित करना होगा। कनाडा में Rhino Party ने पिछले निर्वाचन में एक कुत्ते को प्रत्याशी बनाने का प्रयत्न किया। घटना हास्य का कारण बनी परन्तु उसने यह तो सिद्ध कर दिया कि जनता वर्तमान राजनैतिक दलों की गतिविधियों से कितनी असंतुष्ट है और शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये हास्यास्पद कदम उठा सकती है। प्रस्तावक का कथन था कि अब समय आ गया हैं जब हम वास्तविक कुत्ते के द्वारा प्रशासित हो सकते हैं, ये घटनायें नागरिकों के असंतोष व नैराश्य का द्योतक होती हैं परन्तु शासन का ध्यान आकृष्ट करने में सफल होती है।

लोकतन्त्र जनता का शासन है, जितना यह व्यवस्था जनता से माँग करती है उतनी कोई व्यवस्था नहीं, उनकी सतर्कता ही लोकतन्त्र को जीवंत बना सकती है अन्यथा उसका मृत हो जाना अवश्यंभावी है। नागरिकों की उदासीनता, उनकी अवहेलना इस व्यवस्था में बहुत मंहगी पड़ती है। अधिकारों के प्रति सचेष्टता व दायित्वों के प्रति गहनता व्यवस्था की पहली माँग है। अधिकारों के उपभोग में यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक सतर्कता पूर्वक उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके प्रति सचेत रहेंगे। और दायित्वों के प्रति गम्भीरता से आशय अपने समस्त कर्त्तव्यो के निष्पादन हेतु सच्ची पवित्रता व ईमानदारी का आभास है। लगभग सभी राष्ट्रों का पतन इस कारण हुआ कि राज्य में न अधिकारों के प्रति आदर रहा न कर्त्तव्यों के प्रति श्रद्धा रही सभी वर्ग अपने मूल पथ से हट कर दूसरा मार्ग अपनाने लगे। वह राष्ट्र चाहे बंगलादेश रहा हो अथवा निकारागुआ [जहाँ का राष्ट्रपति समोजा न केवल सर्वोच्च पदाधिकारी वरन् राष्ट्र का सबसे बड़ा व्यापारी भी था।] सभी के पतन का कारण राजनेताओं की पद लिप्सा, धन-लोलुपता व उदान्त् महत्वाकांक्षा रही है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर व 'जन' और 'राष्ट्र' को पतन की ओर ही उन्मुख हो कर गये। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, चाहे वह कितनी आदर्श संवैधानिक व्यवस्था पर क्यों न अवलम्बित हो, उसमें निहित सिद्धान्तों की अवहेलना करके अधिक समय तक जीवित नहो रह सकती। भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति का अस्तित्व भी इस पर निर्भर करेगा कि हम समाज में राजनैतिक आर्थिक व सामाजिक न्याय समस्त नागरिकों को उपलब्ध करा सकेंगे अथवा नहीं। इन पवित्र सिद्धान्तों को यदि तिलांजलि दी गई तो भारतीय लोकतन्त्र का भविष्य अंधकारमय हो जायगा। व्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना होगा, राजनैतिक मूल्यों व सिद्धान्तों को प्रतिष्ठित करना होगा।

कोई भी पद्धति, कोई भी व्यवस्था तभी तक अर्थ रखती है जब तक कि वह जन आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, वह आशायें खन्डित हुई कि विश्वास टूटा और यदि विश्वास टूटा तो व्यवस्था का लड़खड़ाना असम्भव नहीं— अधिकार हमारा है.............................. ।

इलाहाबाद से हिन्दी में प्रकाश्य

यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट एक्सप्रेस

प्रति अंक : 2 रु०

शुल्क भेजने व एजेंसी हेतु सम्पर्क करें :

व्यवस्थापक

एक्सप्रेस पब्लिकेशंस

271 ममफोर्डगंज

इलाहाबाद

Every Time You Visit Us

You Will Find Something New

It's

STUDENTs' FRIENDS

Standard Publishers & Quality Book Sellers

University Road, Allahabad

प्रगति के लिये प्रगति मंजूषा

प्रगति के लिये प्रगति मंजूषा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

...istinguish between :

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

a) Hire-purchase agreement and agreement to sell.

b) Unpaid seller's right of lien and right of stoppage in transit.

c) Rights of a minor admitted to the benefits of a partnership and rights of transferee of interest.

d) A Bill of exchange and cheque.

a) Discuss the disabilities of an un-registered firm of partners.

b) What is the implied authority of a partner ?

c) Discuss the liability by holding out.

d) An outgoing partner is responsible to the third party for the dealing of the partnership even after his retirement if the third party has not agreed to accept the change. (Discuss).

a) What is a crossed cheque ? Can it be negotiated. What are the securities given to the collecting Bankers of crossed cheques.

b) Bill of Exchange is no exception to the rule of necessity of lawfull consideration. Discuss.

c) Who is a 'holder in due course' ? Has a holder in due course of a promisory note a right to receive the amount thereon from the maker even though promisory note was obtained by fraud.

d) A is the payee and holder of a negotiable instrument. Excluding personal liability by an indorsement "without recourse", he transfers the instrument to B and B indorses to C, who indorses it to A. What are the rights of A against B and C.

a) What are the requirements under law for persons for being Directors of a banking company ?

b) Does the law lay down any requirement as to minimum paid up capital and reserves in the case of a banking company and if so, what ?

...सुधार :

■ सितम्बर 82 अंक में पृष्ठ 62 पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह पढ़ें।

...म्बर 82 अंक में पृष्ठ 48 पर पृष्ठ 8 के शेष का जो विषय (मैटर) मुद्रित नहीं हो पाया था वह इस ...ार से हैं—

...(स)—निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—(1) आर्थिक मन्दी (2) व्यापार शेष (3) घाटा वित्तीयन (4) जिओनिज्म (5) न्यूट्रानबम (6) पारिस्थितिकी सन्तुलन

...0 (स)—(1) आर्थिक मन्दी किसी देश की अर्थ-व्यवस्था की उस स्थिति की द्योतक है जिसमें बेरोज-...री काफी मात्रा में फैल जाती हैं और व्यापार/ वाणिज्य ढीला पड़ने लगती है। आर्थिक मन्दी सभी ...ों विशेषकर पूंजीवादी देशों, के व्यापार चक्र का अभिन्न अंग होता है। (2) किसी देश द्वारा दूसरे ...को निर्यात किये गये सामानों से होने वाली आय तथा दूसरे देश से आयात किये गये सामानों के ...ान के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यापार शेष कहा जाता है। व्यापार शेष अनुकूल ...व्यापार शेष प्रतिकूल हो सकता है। (3) जब किसी देश द्वारा घाटे का बजट स्वीकारा जाता है तो ...घाटा वित्तीय कहा जाता है। आर्थिक मन्दी व बेरोजगारी के समय घाटा वित्तीय की सहायता ...र सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था की जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति की वृद्धि होती है ...निकट भविष्य में उत्पादन वृद्धि में तथा बेरोजगारी दूर करने में मदद करती है। (4) यह यहूदियों ...ा फिलीस्तान में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपने राष्ट्र की स्थापना तथा उसके विस्तार के।

...्टूबर 82 अंक में पृष्ठ 59 पर 1982 में नोबेल पुरस्कार की धनराशि 1,150,000 क्रोनर पढ़ें।

...न कुमार दीक्षित द्वारा 436, म...फोर्डगंज, इलाहाबाद से प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा चन्द्रा ...िंग वर्क्स, 37, एलनगंज, इलाहाबाद में मुद्रित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गति मंजूषा

दिसम्बर 82 / 4.00

गितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

पन्दे से प्राप्त संख्या 77
प्राप्ति दिनांक 9.1.82

महत्वपूर्ण निबन्ध

- निशस्त्रीकरण: समस्यायें तथा सम्भावनायें
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विकास का धर्मसंकट
- शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य
- गुटनिरपेक्षता और भारत की विदेश-नीति
- भ्रष्टाचार: भ्रष्ट आचरण के बदलते प्रतिमान
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- भारतीय राजनीति में दलबदलवाद
- आधुनिकता और समकालीन संदर्भ

पी.सी.एस. परीक्षा विशेषांक प्रथम

ल सर्विसेज
य परीक्षा की
री कैसे?
नित नन्दन, आई.ए.एस.

- उत्तर प्रदेश सामान्य-ज्ञान परिचय
- परीक्षोपयोगी सामान्य ज्ञान
- पी.सी.एस. मॉडल प्रश्न-पत्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

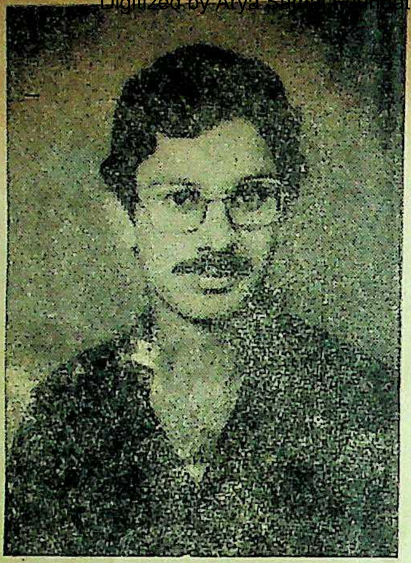

श्री रोहित नन्दन
सम्प्रति-प्रवक्ता, मध्य इतिहास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
[पुत्र—स्वर्गीय श्री न्यायमूर्ति यशोदा नन्दन]

ज्ञान तथा माधुर्यता सभ्यता के विशिष्ट ... सभ्यता के इसी परिप्रेक्ष्य में गंभीरता, ... मौलिकता के संगम से युक्त व्यक्तित्व का नाम है ... नन्दन। स्वभाव से अति विनम्र तथा मृदुभाषी ... श्री रोहित नन्दन ने अपनी सम्पूर्ण शिक्षा ... ग्रहण की है और प्रारम्भ से ही अध्ययन के क्षेत्र में ... मेधावी तथा कुशाग्र बौद्धिक क्षमता का परिचय ... हैं। सीनियर कैम्ब्रिज, इण्टरमीडिएट तथा ... परीक्षाओं में सम्मानजनक अंकों के साथ प्रथम ...

सफलता प्राप्त करने के पश्चात आपने वर्ष 19.. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम. ए. [म... इतिहास] की परीक्षा 73% अंकों के साथ ... जो कि अब तक का इस विषय में कीर्तिमान है। ... सर्विस परीक्षा में सम्मिलित होने का यह आपका ... प्रयास था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से चान्सलर्स गोल्ड मेडल (सर्वोत्तम विद्यार्थी 1978); ... सिल्वर मेडल (सर्वोत्तम स्नातकोत्तर विद्यार्थी 1977); चान्सलर्स ब्रोंज मेडल (सर्वोत्तम स्नातक विद्यार्थी ...) तथा योग्य विद्यार्थी के रूप में विभिन्न विभागीय मेडल अर्जित करने वाले श्री रोहित सामाजिक दायित्व की ... के अन्तर्गत प्रशासन को हमारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं के मूलगामी समाधान के सशक्त ... के रूप में देखते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में इसी भाव को क्रियात्मक रूप देने की उत्कट आकांक्षा रखते हैं।

सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफल हमारे भू. पू. उप-सम्पादक

सामुदायिक मानवता तथा व्यक्तिगत विनम्रता जैसे श्रेष्ठ गुणों के प्रति समर्पित मृदुभाषी श्री प्रताप नारायण मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम. ए. तथा एल. एल. बी. है। 'प्रगति मंजूषा' के जन्म के साथ [1977] से ही उससे सम्बद्ध श्री मिश्र प्रशासनिक सेवा के माध्यम से नागरिकों के मध्य सामाजिक बन्धुत्व की स्थापना की उच्चभिलाषा से अनुप्रेरित है।

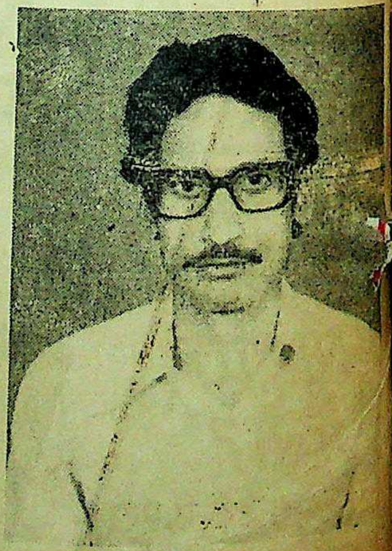

श्री प्रताप नारायण मिश्र
पुत्र—श्री शिव बिहारी मिश्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रगति मंजूषा

प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

[राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र को समर्पित]

सितम्बर—1982

वर्ष—5

अंक—8

इस अंक का मूल्य—रु० 4.00

● पृष्ठ संख्या—96

सम्पादक
रतन कुमार दीक्षित

●

सह-सम्पादक
प्रदीप कुमार वर्मा 'रूप'

●

उप-सम्पादक
जी. शंकर घोष, राकेश सिंह सेंगर

■

मुख्य कार्यालय
436, ममफोर्डगंज
इलाहाबाद-211002

●

शाखा कार्यालय
ए-7, प्रेस एन्क्लेव
साकेत, नई-दिल्ली

●

डी. 47/5, कबीर मार्ग,
क्ले स्क्वायर, लखनऊ
विज्ञापन सम्पर्क-सूत्र :
169/20 ख्यालीगंज, लखनऊ
दूरभाष : 43792

■

सज्जा : कोलोरेड, इलाहाबाद
प्रदीप 'रूप'

●

चन्दे का दर
वार्षिक : रु. 44.00, अर्द्ध वार्षिक : रु. 22.00
सामान्य अंक (एक प्रति) : रु. 4.00
(चन्दा मनीआर्डर द्वारा मुख्य कार्यालय को ही भेजें)

विशेष आकर्षण

■ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान परिचय / 49
■ पी.सी.एस. सामान्य हिन्दी का मॉडल प्रश्न-पत्र / 62
■ पी.सी.एस. सामान्य अंग्रेजी का मॉडल प्रश्न-पत्र / 89
■ पी.सी.एस. प्रारम्भिक गणित का मॉडल प्रश्न-पत्र / 65
■ परीक्षापयोगी परम्परागत सामान्य ज्ञान / 2
■ पी.सी.एस. प्राचीन भारतीय संस्कृति हेतु विशिष्ट परिशिष्ट / 93
■ सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें ? / 74

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण निबन्ध

■ शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य / 9
■ भ्रष्टाचार : भ्रष्ट आचरण के बदलते प्रतिमान /17
■ विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विकास का धर्म संकट /21
■ गुटनिरपेक्षता और भारत की विदेश-नीति / 26
■ निशस्त्रीकरण : समस्यायें तथा सम्भावनायें /31
■ न्यायपालिका की स्वतन्त्रता / 36
■ भारतीय राजनीति में दलबदलवाद की समस्या / 39
■ आधुनिकता और समकालीन संदर्भ / 45

स्थायी स्तम्भ

■ समसामयिक सामान्य ज्ञान / 76
■ अन्तर्राष्ट्रीय सामयिकी /77
■ राष्ट्रीय सामयिकी / 83

©पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन सुरक्षित है। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट परिशिष्ट

परम्परागत सामान्य ज्ञान

प्रश्न 1 (अ)—भारत के संविधान के संशोधन के लिये संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के विषय में संक्षिप्त विवरण दें।

उत्तर 1 (अ)—भारत के संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में अनुच्छेद 368 में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्द्धन, परिवर्तन या निरासन कर सकती है।

(क) भारत के संविधान का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद के किसी सदन में पेश करके ही किया जा सकता तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के $\frac{2}{3}$ के बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति की सम्मति मिलने पर उसके निबन्धनों के अनुसार संविधान संशोधन हो जाता है। (ख) परन्तु यदि कोई संशोधन (1) राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, (2) संघ व राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, (3) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की शक्ति, (4) राज्य व संघ में विधायनी शक्तियों का वितरण, (5) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, (6) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या (7) स्वयं अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन करना है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख सम्मति के लिये पेश किये जाने के पूर्व उस संशोधन के लिये राज्यों में कम से कम आधे विधान मण्डलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधानमण्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी प्राप्त होना आवश्यक है। (ग) संविधान के कतिपय अंश ऐसे हैं जिन्हें संसद केवल साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है।

प्रश्न 1 (ब)—भारतीय संघ व्यवस्था में संघ-राज्य सम्बन्ध के मुख्य प्रावधान क्या है? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर 1 (ब)—भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के सम्बन्धों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। (क) संघ तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध-संघ व राज्यों के मध्य विधायी सम्बन्धों का संचालन संविधान के सातवे अनुसूची में उल्लेखित संघ सूची (97 विषय), राज्य सूची (66 विषय), तथा समवर्ती सूची (47 विषय) के आधार पर होता है। संघ और राज्यों को क्रमशः संघ सूची व राज्य सूची पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार होता है परन्तु कुछ विशेष स्थितियों में संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण का सकता है। संघ तथा राज्य दोनों को ही समवर्ती सूची पर विधि निर्माण का समान अधिकार प्राप्त हैं परन्तु यदि इस सूची के किसी विषय पर संघीय तथा राज्य की विधि परस्पर विरोधी हो तो संघीय विधि मान्य होगी।

(ख) संघ व राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध—अनुच्छेद 256, 257, 365, 352, 312, 275 के अनुसार संघ को राज्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रशासकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं जो राज्य मानने के लिये बाध्य है। संविधान में उल्लेखित कुछ विषयों पर पारस्परिक सहयोग के लिये अन्तर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अन्तर-राज्यीय व्यापार प्राधिकरण आदि की व्यवस्था की गयी है।

(ग) संघ व राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध संघ व राज्यों के मध्य कर विर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया गया है। संघ के प्रमुख राजस्व स्त्रोत सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, कृषि भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क आदि तथा राज्यों के प्रमुख राजस्व स्त्रोत प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, वाहनों पर चुंगी कर, विक्रय पर कर, सम्पदा शुल्क आदि हैं। करों से प्राप्त आय का बंटवारा तीन प्रकार से किया जाता है। (1) संघ द्वारा आरोपित, संग्रहीत तथा विनियोजित आय, (2) संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत परन्तु राज्यों को सौंप दिये जाने वाली आय और (3) संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत परन्तु संघ व राज्यों की विभाजित आय। इस आय के विभाजन में वित्तीय संकट काल में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रश्न 2 (अ)—अधोलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम लिखिए—(1) नागानन्द (2) स्वप्न वासदत्ता (3) मुद्राराक्षस (4) अष्टाध्यायी (5) मालविकाग्निमित्राम् (6) उर्वशी (7) कामायनी (8) पृथ्वीराज रासौ (9) आनन्द मठ (10) अर्थशात्र (11) इलियड (12) लाइफ डिवाइन (13) पावर्टी ऑव फिलासफी (14) राजतंरगिणी (15) विनय पत्रिका (16) दी टॅम्पेस्ट (17) दी अनहैपी इण्डिया (18) ओनली वन अर्थ (19) मीन केम्फ (20) एशियन ड्रामा (21) ओरू दिपातिने कथा (22) डिवाइन कामेडी (23) पंचतन्त्र (24) मैन एण्ड सुपरमैन

उत्तर 2 (अ)—(1) हर्षवर्धन (2) भास (3) विशाख दत्ता (4) पाणनि (5) कालिदास (6) रामधारी सिंह दिनकर (7) जयशंकर प्रसाद (8) चन्दबरदाई (9) बंकिम चन्द्र चटर्जी (10) कौटिल्य (11) होमर (12) अरबिन्द घोष (13) कार्ल मार्क्स (14) कल्हण (15) तुलसी दास (16) विलियम शेक्सपीयर (17) लाला लाजपत राय (18) बारबरा वार्ड (19) एडोल्फ हिटलर (20) गुन्नार मिरडिल (21) एस. के. पोट्टेकाड (22) दांते (23) विष्णु शर्मा (24) बर्नार्ड शॉ

प्रश्न 2 (ब)—निम्नलिखित पात्रों की रचनाएं किसने की है?

(1) शारलोक होम्स (2) डॉन क्विटज (3) ब्रूटस (4) शकुन्तला (5) पद्मावती (6) घासीराम (7) पेरी मेसन (8) रोबिन्सन क्रूसो (9) डॉक्टर जिवागो (10) टॅस (11) जेम्स बाण्ड् (12) पोयरट

उत्तर 2 (ब)—(1) आॅर्थर कॉनन (2) सर्वेन्टीज (3) शेक्सपीयर (4) कालिदास (5) जायसी (6) विजय तेंदुलकर (7) अर्ल स्टेनले गार्डनर (8) डेनियल डेफो (9) बोरिस पेस्टरनीक (10) टॉमस हार्डी (11) आॅयन फ्लेमिंग्स (12) अगाथा क्रिस्टी

प्रश्न 2 (स)—निम्नलिखित उक्तियाँ किसने कही/लिखी है? (1) Swaraj is our birthright (2) Let a hundred flowers bloom (3) Democracy is the government of the people, by the people for the people (4) A thing of beauty is joy for ever (5) A simple step for man —a gian leap for mankind (6) We have made a tyrst with destiny (7) I came, I saw, I conquered (८) सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है (9) पराधीन सपनेहुं सुख नाही (10) कर्मण्येवाधिकारास्ते या फलेषु कदाचन

उत्तर 2 (स)—(1) बाल गंगाधर तिलक (2) माओत्से तुंग (3) अब्राहिम लिंकन (4) जान कीट्स (5) नील आर्मस्ट्राग (6) जवाहर लाल नेहरू (7) शेक्सपीयर (8) महात्मा गान्धी (9) तुलसीदास (10) गीता में कृष्ण का उपदेश

प्रश्न 3 (अ)—भारतीय इतिहास में निम्नलिखित नियमों का क्या महत्व हैं?

(1) 599 ई. पू. (2) 58 ई. पू. (3) 380 ई. (4) 629 ई. (5) 712 ई. (6) 1001 ई. (7) 1526 ई. (8) 1600 ई. (9) 1739 ई. (10) 1760 ई. (11) 1793 ई. (12) 1853 ई. (13) 1858 ई. (14) 1885 ई. (15) 1905 ई. (16) 1906 ई. (17) 1919 ई. (18) 1929 ई. (19) 1931 ई. (20) 1939 ई. (21) 1943 ई. (22) 1946ई. (23) 9 दिसम्बर 1946 ई. (24) (25) 26 नवम्बर 1949 ई.

उत्तर 3 (अ)—(1) महावीर का जन्म (2) विक्रम संवत् का आरम्भ (3) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण (4) ह्वेन सांग का भारत आगमन (5) मुहम्मद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिन कासिम का सिन्ध पर आक्रमण (6) महमूद गजनी का प्रथम भारत आक्रमण (7) पानीपत का प्रथम युद्ध (8) भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना (9) नादिरशाह का भारत आक्रमण (10) वान्दीवाँश का युद्ध (11) बंगाल, बिहार व उड़ीसा में भूमि का स्थायी प्रबन्ध (12) भारत में रेलवे की स्थापना (13) भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की समाप्ति के साथ ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन का प्रारम्भ (14) कांग्रेस की स्थापना (15) बंगाल का विभाजन व स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ (16) मुस्लिम लीग की स्थापना (17) मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार व जलियांवाला काण्ड (18) कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित (19) गान्धी-इरविन पैक्ट व द्वितीय राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस (20) प्रान्तों में कांग्रेस सरकार द्वारा पदत्याग (21) बंगाल में भीषण अकाल (22) ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भारत आगमन (23) भारत के संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक (24) संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान का अंगीकरण

प्रश्न 3 (ब)—निम्नलिखित किस आन्दोलन/संस्था प्रमुख नायक थे ?

(1) रामानुज (2) वल्लभाचार्य (3) शेख सलीम चिस्ती (4) देवेन्द्र नाथ टेगोर (5) दयानन्द स्वरस्वती (6) विवेकानन्द (7) एनी बेसेन्ट (8) चैतन्य (9) गंगाधर तिलक (10) गोपाल कृष्ण गोखले (11) मिर्जा गुलाम अहमद (12) सैयद अहमद खाँ (13) केशव चन्द्र सेन

उत्तर 3 (ब) — (1) भक्ति आन्दोलन (2) भक्ति आन्दोलन (3) सूफी आन्दोलन (4) ब्रम्ह समाज (5) आर्य समाज (6) रामकृष्ण मिशन (7) थियोसोफीकल सोसाइटी (8) भक्ति आन्दोलन (9) कांग्रेस का अतिवादी गुट (10) कांग्रेस का नरम गुट (11) अहमदिया आन्दोलन (12) अलीगढ़ आंदोलन (13) प्रार्थना समाज

प्रश्न 3 (स)—निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल महात्मा बुद्ध से किस कारण से जुड़े हुए है ?

(1) बोधगया (2) लुम्बिनी (3) राजगिरि (4) सारनाथ (5) कुशीनगर

उत्तर 3 (स)—(1) महात्मा बुद्ध को बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। (2) महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी (कपिलवस्तु) में हुआ था। (3) महात्मा बुद्ध ने राजगिरि में (नालान्दा के पास) अनेक उपदेश दिये थे। (4) महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। (5) महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।

प्रश्न 3 (द) —निम्नलिखित कार्य किस गवर्नर जनरल के कार्य काल में सम्पन्न हुए ?

(1) सती प्रथा का उन्मूलन (2) स्थानीय स्वराज संस्थाओं की स्थापना (3) साम्प्रदायिक निर्वाचन का सिद्धान्त अपनाना (4) बंगाल का विभाजन (5) डाक्ट्रिन आँव लैप्स (6) इलबर्ट बिल (7) क्रिप्स मिशन का प्रथम भारत आगमन (8) केन्द्र में अन्तरिम सरकार का निर्माण (9) चौरी चौरा काण्ड (10) जलियानवाला काण्ड

उत्तर 3 (द)—(1) विलियम बैंटिक (2) लार्ड रिपन (3) लार्ड मिन्टो (4) लार्ड कर्जन (5) लार्ड डलहौजी (6) लार्ड रिपन (7) लार्ड लिनलिथगो (8) लार्ड वॉवेल (9) लार्ड रीडिंग (10) लार्ड चेम्सफोर्ड।

प्रश्न 4 (अ) – निम्नलिखित भगौलिक उपनाम किसके है ?

(1) हरमिट किंगडम (2) लैण्ड आँव वी मिडनाइट सन (3) लैण्ड आँव लेक्स (4) पर्ल आँव दी ओरियेन्ट (5) एम्पायर सिटी (6) पिंक सिटी (7) होली लैण्ड (8) एटरनल सिटी (9) चाईनाज सॉरो (10) प्ले ग्राउन्ड आँव यूरोप

उत्तर 4 (अ) —(1) कोरिया (2) नार्वे (3) स्काटलैण्ड (4) सिंगापुर (5) न्यूयार्क (6) जयपुर (7) जेरूसलम (8) रोम (9) ह्वांग हो (10) स्विटजरलैंड

प्रश्न 4 (ब)—निम्नलिखित का उत्तर बताइए ?

(1) पृथ्वी की सबसे लम्बी नहर (2) पृथ्वी की सबसे गहरी झील (3) सबसे चमकीला ग्रह (4) पृथ्वी की सबसे नीचे समुद्र तल का सागर (5) पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर (6) पृथ्वी की सबसे खारे जल की झील (7) पृथ्वी की सबसे ऊँची पर्वतों की श्रेणी (8) पृथ्वी में सबसे बड़ा द्वीप (9) भारत का सबसे ऊँचा दरवाजा (10) भारत में सबसे गहरी झील (11) भारत में सबसे ऊँचा बाँध (12) भारत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं सबसे बड़ा डेल्टा (13) भारत में सबसे लम्बी सड़क (14) सबसे छोटा ग्रह (15) सूर्य से सबसे दूर ग्रह

उत्तर 4 (ब)—स्वेज नहर (2) बैकाल झील (3) वीनस (4) डेथ सी (5) शंघाई (6) कैस्पियन सागर (7) हिमालय पर्वत श्रेणी (8) ग्रीन लैण्ड (9) बुलंद दरवाजा (10) बूलर झील (11) भाखरा बांध (12) सुन्दर वन (13) ग्राड ट्रंक रोड (14) मरकरी (15) प्लूटो

प्रश्न 4 (स)—निम्नलिखित नेशनल पार्क्स/गेम्स सैंक्चुअरीज किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में स्थित है ?

(1) कान्हा नेशनल पार्क (2) गिरि फारेस्ट (3) घना बर्ड सैंक्चुअरी (4) काजीरंगा सैंक्चुअरी (5) कारबेट नेशनल पार्क (6) पेरियार सैंक्चुयरी (7) जगगर घाटी (8) हजारीबाग नेशनल पार्क

उत्तर 4 (स)—(1) मध्य प्रदेश (2) गुजरात (3) राजस्थान (4) असम (5) उ. प्र. (6) केरल (7) कर्नाटक (8) बिहार

प्रश्न 4 (द)—निम्नलिखित नगर किस नदी के तट पर बसे है ?

(1) बर्लिन (2) काहिरा (3) रंगून (4) वाशिंगटन (5) लाहौर (6) लन्दन (7) पेरिस (8) शंघाई (9) मास्को (10) न्यूयार्क (11) ओटावा (12) बगदाद (13) कटक (14) हैदराबाद (15) जबलपुर (16) गौहाटी (17) सूरत (18) कलकत्ता (19) अयोध्या (20) श्रीनगर

उत्तर 4 (द) स्प्री (2) नील (3) इरावती (4) पोटमेक (5) लाहौर (6) टेम्स (7) सीन (8) यांग टी सीक्यांग (9) मस्कवा (10) हडसन (11) सेण्ट लारेन्स (12) टाइग्रिस (13) महानदी (14) मूंसी (15) नर्मदा (16) ब्रह्मपुत्र (17) ताप्ती (18) हुगली (19) सरयू (20) झेलम

प्रश्न 4 (य)—अगर किसी व्यक्ति को हल्दिया से कांधला तक समुद्री यात्रा करनी हो तो अधोलिखित बन्दरगाह क्रमशः किस प्रकार आयेंगे ?

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, मार्मा-गोआ पाराद्वीप, विशाखापटटम, न्यू तूती कोरन, कांधला, मंगलूर

उत्तर 4 (य)—(1) हल्दिया (2) कलकत्ता (3) पारा॰ (4) विशाखापट्टम (5) मद्रास (6) न्यू तूती कोरन (7) कोचीन (8) मंगलूर (9) मार्मागोआ (10) बम्बई (11) कांधला

प्रश्न 4 (र)—निम्नलिखित जातियाँ/भाषा मुख्यतः कहा पायी/बोली जाती है ?

(1) संथाल (2) लेपचा (3) भील (4) माओरी (5) जुलू (6) रेड इण्डियन (7) कन्नड़ (8) तेलगु (9) मलयालम (10) पुश्तो (11) जावानीज (12) सिंहल (13 हिब्रू

उत्तर 4 (र)—(1) उड़ीसा (2) सिक्किम (3) मध्यप्रदेश (4) न्यूजीलैण्ड (5) दक्षिण अफ्रीका (6) उत्तरी अमेरिका (7) कर्नाटक (8) आन्ध्र प्रदेश (9) तमिलनाडु (10) केरल (11) अफगानिस्तान (12) इण्डोनेशिया (13) श्री लंका (14) इस्राइल

प्रश्न 5 (अ)—निम्नलिखित देशों की राजधानी का नाम बताइये ?

बुल्गारिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, आस्ट्रिया, सूडान, क्यूबा, फिलीपीन्स, साइप्रस, पोलेण्ड, लाओस, लेबनान, मंगोलिया, सीरिया, मलेशिया, इस्राइल बेल्जियम, कम्पूचिया, नीदरलैण्ड, ईराक, टर्की, कनाडा, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, चेकोस्लोवाकिया, अर्जेन्टीना, केन्या, आयरलैण्ड, इन्डोनेशिया, अल सल्वाडोर, यूगोस्लाविया, जाम्बिया, भूटान, फिनलैण्ड, मारीशस, द. अफ्रीका, स्वीडन, हंगरी, स्विटजरलैण्ड, रूमानिया, लीबिया, यू. ए. ई., प. जर्मनी, ताईवान, जिम्बाबवे।

उत्तर 5 (अ)—सोफिया, लिस्बन, रियाद, विएना, खारतूम, हवाना, मनीला, निकोसिया वारसा, वियनतियान, बेरूत, उलन बटेर, दमिश्क, कुआलाम्पुर, जेरूसलम, ब्रूसेल्स, नोमपेन्ह, एमस्टरडम, बगदाद, अंकारा, ओटावा, कोपेनहेगेन, केनबरा, एल्जियर्स, प्राग, ब्युनसआयर्स, नैरोबी, डब्लिन, जकार्ता, सेन सल्वाडोर, बेलग्रेड, लुसाका, थिम्पू, हेलसिंकी, पोर्ट लुई, केप टाउन, स्टाकहोम, बुडापेस्ट, बर्न, बुखारेस्ट, ट्रिपोली, अबुधाबी, बोन, ताइपेह, हरारे सिटी (सेलिसबरी)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रश्न 5 (ब) - निम्नलिखित देशों की मुद्रा का नाम बताइये ?

पोलेण्ड, लेबनान, अर्जेन्टीना, द. अफ्रीका, अल सल्वाडोर, ईरान, बर्मा, क्यूबा, इटली, जापान, इराक, वियतनाम आस्ट्रेलिया, मोरक्को, नार्वे आइसलैण्ड, रूस, चीन, डेन्मार्क, पुर्तगाल, थाईलैण्ड, श्रीलंका, हंगरी, प. जर्मनी, बंगलादेश, सऊदी अरब, सिंगापुर, मिस्र, जिम्बाबे

उत्तर 5 (ब) — ज्लोटी, पाउन्ड, पीसो, रैंड, कोलोन, रियाल, क्यात, पीसो, लीरा, येन, दीनार, डांग, डालर, डिरहम, क्रोनर, क्रोन, रूबल, यूआन, क्रोन, एस्कूडो, बहट, रूपी, फोरिन्ट, एम. डी. एन. मार्क, टका, रियाल, डालर, पाउन्ड, डालर

प्रश्न 5 (स) — निम्नलिखित समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/सरकारी पत्र किस देश/नगर से सम्बन्धित है ?

टाइम्स, मर्डेका, क्रिशचियन साईन्स मानीटर, डेली मिरर, गार्जियन विकली, पीपुल्स डेली, प्रावदा, लॉ मांद, जेवेस्तां, डेलीन्यूज, सन्डे अब्जर्वर डॉन, टेलीग्राफ, स्क्रीन, संडे, सर्वोत्तम, सर्चलाइट, ट्रिब्यून, द डेली, नेशनल हेराल्ड, अल अहराम, इण्डिया टुडे, तास, अतार्स, रायटर्स, एजेन्सी प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस, यू. एन. आई., यू. पी. आई., पार्स, नोवोस्ती, क्योडो, संगबाद, सिनहुआ, तांजुग, ब्लु बुक, यलो बुक, आरेन्ज बुक, ग्रे बुक, व्हाइट बुक

उत्तर 5 (स) — लन्दन, जकार्ता, शिकागो, लन्दन, लन्दन, बीजिंग, मास्को, पेरिस, मास्को, न्यूयार्क, बम्बई, कराची, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, पटना, चण्डीगढ़, बम्बई, नई दिल्ली (लखनऊ), काहिरा, नई दिल्ली। सोवियत रूस, इण्डोनेशिया, ब्रिटेन, गुट निरपेक्ष देश, अमेरीका, भारत, अमेरीका, ईरान, सोवियत रूस, जापान, बंगलादेश, चीन, यूगोस्लाविया, ब्रिटेन, फ्रान्स, नीदरलैंड, जापान, चीन

प्रश्न 6 (अ) निम्नलिखित देशों की संसद का नाम बताइये ?

इस्रायल, रूस, मलेशिया, जापान, अफगानिस्तान सं. रा. अमेरिका, नार्वे, स्पेन, प. जर्मनी, नेपाल, स्वीडन, पोलेण्ड, भारत।

उत्तर 6 (अ) — नेसेट, सुप्रीम सोवियत, मजलिस, डायट, शोरा, कांग्रेस, स्टोर्टिंग, कोर्टेस, बुन्डस्टेंग, पंचायत, रिक्सडॉग, सेयम, पार्लियामेन्ट (संसद)

प्रश्न 6 (ब) — निम्नलिखित वायु सेवा किस देश से सम्बन्धित है ?

BOAC, JAL, AIRLANKA, K. L. M. SABINA, SAUDIA, AEROFLOT, QUANTAS, CATHY PACIFIC, PANAM, LUFTHANSA, GARUD, ATWA, SIA

उत्तर 6 (ब) — ब्रिटेन, जापान, श्रीलंका, नीदरलैंड, बेल्जियम, सऊदी अरब, रूस, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, सं. रा. अमेरीका, प. जर्मनी, इन्डोनेशिया, सं. रा. अमेरीका, सिंगापुर।

प्रश्न 6 (स) — निम्नलिखित हवाई अड्डे किस नगर से सम्बन्धित है ?

हीथ्रो, नरीटा, जे. एफ. केनेडी, ओर्ली, लियनार्दो डॉ. विन्ची, सान्टाक्रूज, आलान्दा, शेरीमेतीवे न्युकोवो मीनाबक्कम, एन्ड्रू एयर फोर्स बेस।

उत्तर 6 (स) — लन्दन, टोक्यो, न्यूयार्क, पेरिस, रोम, बम्बई, स्टाकहोम, मास्को, मद्रास, वाशिंगटन।

प्रश्न 6 (द) — निम्नलिखित दिवसों को किस रूप से मनाया जाता है ?

14 नवम्बर, 1 सितम्बर, 7 अप्रैल, 8 सितम्बर, 5 जून, 5 सितम्बर, 7 दिसम्बर, 24 मई, 24 अक्टूबर, 30 जनवरी, 8 मार्च

उत्तर 6 (द) — बाल दिवस, गुट निरपेक्ष दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, शिक्षा दिवस, सेना दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, सं. राष्ट्र दिवस, शहीद दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

प्रश्न 7 (अ) — निम्नलिखित फसलों के सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्यों का नाम लिखिये ?

(1) जूट (2) सरसों (3) चाय (4) कहवा (5) तम्बाकू (6) नारियल (7) रबड़ (8) आलू (9) ऊन (10) इलायची (11) कपास (12) गन्ना (13) धान (14) मूंगफली (15) गेहूँ (16) रेशम

उत्तर 7 (अ) — (1) प. बंगाल (2) उ. प्र. (3) असम (4) कर्नाटक (5) आ. प्र. (6) केरल (7) केरल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(8) आं. प्र. (9) पंजाब (10) केरल (11) महाराष्ट्र (12) उ. प्र. (13) प. बंगाल (14) गुजरात (15) उ. प्र. (16) कर्नाटक

प्रश्न 7 (ब) - निम्नलिखित खनिजों के सर्वाधिक भण्डार किन भारतीय राज्यों में पाये जाते है ?

(1) खनिज तेल (2) नमक (3) लोहा अयस्क (4) चूने का पत्थर (5) टंग्स्टन (6) कोयला (7) बाक्साइट (8) चांदी (9) टिन (10) हीरा (11) सोना (12) यूरेनियम (13) एलुमिनियम (14) जिंक (15) थोरियम (16) तांबा (17) मैगनीज (18) शीशा

उत्तर 7 (ब)—(1) असम (2) राजस्थान (3) बिहार (4) बिहार (5) बिहार (6) पं. बंगाल (7) बिहार (8) कर्नाटक (9) बिहार (10) म. प्र (11) कर्नाटक (12) बिहार (13) केरल (14) राजस्थान (15) केरल (16) बिहार (17) म. प्र. (18) बिहार

प्रश्न 7 (स)—निम्नलिखित खनिजों के सर्वाधिक उत्पादक देशों का नाम बताइये ?

(1) एलुमिनियम (2) चांदी (3) सोना (4) लोहा अयस्क (5) सीसा (6) मैगनीज (7) टीन (8) जिंक (9) खनिज तेल (10) कोयला

उत्तर 7 (स)—(1) सं. रा. अमेरीका (2) सं. रा. अमेरीका (3) द. अफ्रीका (4) सोवियत रूस (5) सं. रा. अमेरीका (6) सोवियत रूस (7) मलेशिया (8) कनाडा (9) सोवियत रूस (10) सं. रा. अमेरीका

प्रश्न 7 (द)—निम्नलिखित फसलों के सर्वाधिक उत्पादक देशों का नाम बताइये ?

(1) कहवा (2) कपास (3) जूट (4) चाय (5) ऊन (6) नारियल (7) गन्ना (8) गेहूँ (9) धान (10) तम्बाकू (11) रबड़ (12) रेशम

उत्तर 7 (द)—(1) ब्राजील (2) सं. रा. अमेरीका (3) भारत (4) भारत (5) आस्ट्रेलिया (6) फिलीपीन्स (7) क्यूबा (8) सोवियत रूस (9) चीन (10) सं. रा. अमेरीका (11) मलेशिया (12) चीन

प्रश्न 8 (अ)—निम्नलिखित संस्थान कहां स्थित है ?

(1) सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन (2) सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टाट्यूट (3) सन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (4) इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव पेट्रोलियम, (5) कौसिल ऑव साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च (6) हिन्दुस्तान शिपयार्ड (7) हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लि. (8) इण्डियन केन्सर रिसर्च सेन्टर (9) आर्कोलॉजीकल सर्वे ऑव इंडिया (10) इन्डियन सिक्योरिटी प्रेस (11) नेशनल म्युजियम (12) सिक्योरिटी पेपर मिल (13) मेट्रोलियोजिकल ऑब्जवेटरी (14) नेशनल लाइब्रेरी (15) डीजल लोकोमेटिव वर्क्स (16) नेशनल बोटेनीकल गार्डेन्स

उत्तर 8 (अ)—(1) धनबाद (2) जोधपुर (3) लखनऊ (4) देहरादून (5) नई दिल्ली (6) विशाखापट्टम (7) पिम्परी (पूना) (8) बम्बई (9) कलकत्ता (10) नासिक रोड (11) नई दिल्ली (12) होशंगाबाद (13) पूना, नई दिल्ली (14) कलकत्ता (15) मुगलसराय (16) लखनऊ

प्रश्न 8 (ब)—निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां कहां पर स्थित है ?

(1) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (2) खाद्य कृषि संगठन (3) जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ (4) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (5) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक (6) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निकाय (7) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (8) अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन (9) विश्व डाक संघ (10) यूनेस्को (11) विश्व स्वास्थ संगठन (12) विश्व शरणार्थी संगठन (13) यूनीसेफ (14) अन्कटाड (15) यूनीडो (16) इन्टरनेशनल फन्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट

उत्तर 8 (ब)—(1) हेग (2) रोम (3) जेनीवा (4) विएना (5) वाशिंगटन (6) वाशिंगटन (7) जेनीवा (8) मान्ट्रीयल (9) बर्न (10) पेरिस (11) जेनीवा (12) जेनीवा (13) न्यूयार्क (14) जेनीवा (15) वियेना (16) रोम

प्रश्न 9 (अ)—निम्नलिखित ट्राफियां व कप किन-किन खेलों से सम्बन्धित है ?

(1) जवाहर लाल नेहरू स्वर्ण कप (2) प्रूडेन्शीयल कप (3) रंगस्वामी कप (4) सन्तोष ट्राफी (5) स्वेथलिंग कप (6) ईरानी ट्राफी (7) डुरेन्ड कप (8) बाइटन कप (9) वाईटमेन कप (10) रहिमतुल्ला कप (11) होल्कर ट्राफी (12) आगा खां कप (13) डेविस कप (14) एजरा कप (15) मौलाना आजाद ट्राफी (16) टामस कप (17) फेडरेशन कप (18) मर्डेका कप (19) प्रिन्स ऑव वेल्स कप (20) वर्धवान ट्राफी (21) यूबेर कप (22) एसेज (23) आई. एफ. ए शील्ड (24) बाम्बे गोल्ड कप (25) रबर (26) प्रेसीडेंट कप

उत्तर 9 (अ)—(1) फुटबाल (2) क्रिकेट (3) हॉकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(4) फुटबाल (5) टेबिल टेनिस (6) क्रिकेट (7) फुटबाल (8) हाकी (9) टेनिस (10) बैडमिन्टन (11) ब्रिज (12) हाकी (13) टेनिस (14) पोलो (15) दौड़-कूद (16) बैडमिन्टन (17) फुटबाल (18) फुटबाल (19) गोल्फ (20) वेट लिफ्टिंग (21) बैडमिन्टन (22) क्रिकेट (23) फुटबाल (24) हाकी (25) क्रिकेट (26) फुटबाल

प्रश्न 9 (ब)—निम्नलिखित किस खेल से सम्बन्धित है ?
(1) अम्बेदकर स्टेडियम (2) वानखेडे स्टेडियम (3) फिरोजशाह कोटला स्टेडियम (4) नेताजी स्टेडियम (5) विम्बलडन (6) मैडिसन स्कवायर (7) इडेन गार्डेन्स (8) फारेस्ट हिल (9) शिवाजी स्टेडियम (10) लीड्स, ट्रेन्टब्रीज, ओवल, लार्ड्स (11) तल्कोटरा स्टेडियम (12) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (13) रामगढ़ लेक

उत्तर 9 (ब)— फुटबाल (नई दिल्ली) (2) क्रिकेट (बम्बई) (3) क्रिकेट (नई दिल्ली) (4) सभी इनडोर खेलों के लिये (कलकत्ता) (5) टेनिस (लन्दन) (6) मुक्केबाजी (न्यूयार्क) (7) क्रिकेट (कलकत्ता) (8) टेनिस (न्यूयार्क) (9) हाकी (नई दिल्ली) (10) क्रिकेट (इंग्लैंड) (11) तैराकी (नई दिल्ली, एशियाई खेल) (12) फुटबाल, दौड़कूद (नई दिल्ली, एशियाई खेल) (13) रोइंग (जयपुर, एशियाई खेल)

प्रश्न 9 (स)—निम्नलिखित शब्दावली किन खेलों से सम्बन्धित है ?
(1) ड्राप (2) पिचर (3) केनन (4) नॉक आउट (5) चिकन (6) एल. बी. डब्लू. (7) गुगली (8) चेकमेट (9) थ्रो इन (10) हाफ वाली (11) बोगी (12) निबलिक (13) शार्ट कार्नर (14) चुकर (15) ड्यूस (16) स्क्रम (17) डायमण्ड (18) हिट विकेट (19) हार्डल्स (20) फ्री किक (21) बूस्टर

उत्तर 9 —(स) बडमिन्टन (2) बेसबाल (3) बिलियर्डस् (4) मुक्केबाजी (5) ब्रिज (6) क्रिकेट (7) क्रिकेट (8) शतरंज (9) फुटबाल (10) टेनिस (11) गोल्फ (12) गोल्फ (13) हॉकी (14) पोलो (15) टेनिस (16) रगबी (17) बेसबाल (18) क्रिकेट (19) ब्रिज (20) फुटबाल (21) बालीबाल

प्रश्न 9 (द)—निम्नलिखित खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या व मैदान की नाप बताइये ?
(1) बास्केटबाल (2) हाकी (3) फुटबाल (4) बालीबाल (5) वाटरपोलो (6) रगबी (7) बेसबाल (8) पोलो

उत्तर 9 (द)—(1) 5; 85×56 फिट (2) 11; 100×60 गज (3) 11; 130×56 गज (4) 6; 60×30 फिट (5) 7; 30×20 गज (6) 15; 110×75 गज (7) 9; 90 फुट का प्रत्येक बेस, कर्ण की दूरी 127 फुट (8) 4; 300×200 गज

प्रश्न 9 (य) –निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ?
(1) रोसी (2) जिमी कोनर्स (3) ज्याफ़े बायकॉट (4) भास्कर गांगुली (5) हसन सरदार (6) सुरजीत सिंह (7) सईद मोदी (8) लैरी होल्मस (9) अनातोली कार्पोव (10) मार्टिन नावारतिलोवा (11) गोपाल सैनी (12) कपिल देव (13) डियागो मॉराडीना (14) इन्दु पुरी (15) रमेश कृष्णन् (16) रोहिणी खाडिलकर (17) मंजीत बुआ (18) मोहम्मद शाहिद (19) आँयन बाथम (20) क्रिस लायड (21) अनीता सूद (22) सुरिन्दर सिंह सोढी (23) रवि शास्त्री (24) शेखर मेहता (25) विक्तर कोर्चनोय (26) शैलजा सलोंखे (27) मनमीत सिंह (28) गीता जुत्सी (29) साबीर अली (30) संदीप पाटिल

उत्तर 9. (य)—(1) फुटबाल (2) टेनिस (3) क्रिकेट (4) फुटबाल (5) हाकी (6) हाकी (7) बैडमिन्टन (8) मुक्केबाजी (9) शतरंज (10) टेनिस (11) दौड़कद (12) क्रिकेट (13) फुटबाल (14) टेबिल टेनिस (15) टेनिस (16) शतरज (17) टेबिल टेनिस (18) हाकी (19) क्रिकेट (20) टेनिस (21) तैराकी (22) हाकी (23) क्रिकेट (24) कार रैली (25) शतरंज (26) टेबिल टेनिस (27) टेबिल टेनिस (28) दौड़कूद (29) फुटबाल (30) क्रिकेट

प्रश्न 10 (अ)—अधोलिखित शास्त्रीय नृत्यकला किस क्षेत्र से सम्बन्धित है ?
(1) भारत नाट्यम (2) मणिपुरी (3) कुचीपुड़ी (4) कत्थक (5) ओडिसी (6) कथक्कली

उत्तर 10 (अ)—(1) दक्षिण भारत (2) मणिपुर (3) आन्ध्र प्रदेश (4) उ. प्र./राजस्थान (5) उड़ीसा (6) केरल

प्रश्न 10 (ब)—निम्नलिखित रेल गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ जाती है ?
(1) ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस (2) चेतक एक्सप्रेस (3) फन्टियर मेल (4) डेकन क्वीन (5) हवा महल एक्सप्रेस (6) सर्वोदय एक्सप्रेस (7) के. के. एक्सप्रेस (8) गीताञ्जली एक्सप्रेस

उत्तर 10 (ब)—नई दिल्ली से मद्रास (2) उदयपुर से दिल्ली (3) अमृतसर से बम्बई (4) बम्बई से पूना (5) आगरा से जयपुर (6) नई दिल्ली से अहमदाबाद (7) नई दिल्ली से कन्याकुमारी (8) बम्बई से कलकत्ता

(शेष पृष्ठ 48 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य

■ लक्ष्मी कान्त वर्मा

शिक्षा को जिस भी रूप में पारिभाषित किया जाय, की परिधि में दो मूलभूत वस्तुएं सदैव रहेंगी। पहली तु ज्ञान और दूसरी वस्तु ज्ञान के साथ आचरण। ां ज्ञान का दार्शनिक पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना का प्रज्ञा स्वरूप है और आचरण का भी वह स्वरूप ीं जो मात्र आचार-संहिता का निर्माण करता है; बल्कि का वह स्वरूप जो पारस्परिक व्यवहार का आधार । ज्ञान का प्रज्ञा स्वरूप दर्शन में बाह्य और असार त के द्वन्द से परिचित कराता है। ज्ञान का शैक्षिक स्वरूप क्ति और समाज, व्यक्ति और विश्व, व्यक्ति और व्यक्ति सम्बन्धों को भी उजागर करता है। एकेडेमिक शिक्षा वल तात्विक विवेचन तक सीमित होती है किन्तु व्याव- रिक शिक्षा पर समाज का स्वरूप बनता है। शिक्षा का आधार है अपने आप को और अपने पर्यावरण को ानना और जान कर उससे सम्बन्ध स्थापित करने का वेक उत्पन्न करना। अस्तु यह विवेक ही वह धुरी है थ पर हमारा सारा व्यापार चलता है।

यह विवेक दो प्रकार का है। एक स्वतः अपने सम्बंध नितांत वैयक्तिक और दूसरा अपने पर्यावरण के न्ध में जिसमें स्थूल-प्रकृति से लेकर सूक्ष्म व्यक्ति के न्ध आते हैं। इन्हीं दोनों सम्बन्धों में सही निर्णय र विकल्प की क्षमता पैदा करने का काम शिक्षा का । शिक्षित व्यक्ति के निर्णयों में यह विवेक मिलेगा। शिक्षित मे इस विवेक का अभाव होगा। उदाहरण के ए एक स्थिति लें, जलने की अनुभूति से ऐसा लगता कि जो ठण्डक पहुचाए उसस आराम मिलेगा। इस तः प्रेरित ज्ञान से सामान्य जन आग से जले आदमी र पानी डाल देता है और ठण्डक पहुंचाने के बजाय न बढ़ा देता है, जख्म पैदा कर देता है। शिक्षित क्ति उस पर पानी न डाल कर कम्बल डाल देगा र पानी स बचायेगा। सामान्य जन को लगेगा कि आग विलोम जल है। शिक्षित का विवेक है कि जलन सहन कर उपचार के लिये टिटेनिक एसिड का प्रयोग करे। सामान्य और विवेकपूर्ण शिक्षा में भी यही भेद है। जो भी स्थितियाँ जीवन में आती हैं, उनसे संघर्ष करने की या उसका सामना करने की क्षमता आना और उस पर विजय पाना शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा हमें सक्षम बनाती है साथ ही हममें विवेक के आधार पर सम्बन्धों को निर्धारित करने की योग्यता प्रदान करती है। शिक्षा हमारे आन्तरिक और जागतिक सम्बन्धों को संश्लिष्ट बनाती है।

जागतिक ही पर्यावरण है। पर्यावरण में असमानता है। समाज पर्यावरण का अंग है, इसलिए समाज में भी असमानता है। शिक्षा से इस सम्पूर्ण जागतिक और सामाजिक असमानता को दूर करने की भी क्षमता हममें आती है। प्राकृतिक असमानता के लिए हम वैज्ञानिक विवेक का प्रयोग करते हैं। शरीर के तापमान की अनुकूलता को केन्द्र में रखकर यदि पर्यावरण का तापमान प्रतिकूल है तो अपने शारीरिक तापमान की अनुकूलता के आधार पर अपने अन्दर प्रतिकूलता का सामना करने की क्षमता पैदा करना शिक्षा का काम है। सर्दी है तो ऊनी कपड़े पहनेंगे, गर्मी है तो दूसरे प्रकार के कपड़े पहनेंगे। किन्तु इस सामान्य मोटी मिसाल का विवेक की अनुकूलता प्रतिकूलता से संघर्ष करने की सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन इसकी तर्क संगति और भी विस्तृत क्षेत्र तक ले जाती है। व्यक्ति से समष्टिगत होने मे भी हमारे सामने जब यह प्रश्न उठता है कि समष्टिगत शरीर के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है तो उसमें शारीरिक तापमान के साथ-साथ समष्टि का तापमान भी शामिल होता है। तभी यह प्रश्न उठता है कि स्वरक्षा से ज्यादा आवश्यक पर रक्षा है। या यह कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि यह वातावरण भी स्वस्थ और सुरक्षित हो, दूसरे शब्दो मे वैयक्तिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि समाज भी स्वस्थ और सुरक्षित हो, जिसके हम सदस्य है और इन्हीं सन्दर्भो में यह प्रश्न उठता है कि हमे अपनी शिक्षा पद्धति म ऐसे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तत्वों को समाहित करना चाहिए जो हमारे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सके—"We need a System of education their promotes our Social objectives" सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जहां अनेक साधन हैं, वहीं शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है।

हमारी सामाजिक आकांक्षाओं का मूल स्रोत हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक जागृति और सामाजिक रस्म-रवाज से सम्बद्ध है। किन्तु अब उनका सार तत्व संविधान में व्यक्त उन नैसर्गिक अधिकारों में है जिसमें इन सब की मूलभूत चेतना वर्तमान है। इन नैसर्गिक अधिकारों के आधार पर हमने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें शोषण नहीं रहेगा। जिसमें समता की प्रतिष्ठा होगी। समान अवसर मिलेगा, धर्म, जाति, योनि के भेदभाव मिटाकर नये मानव के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी। सारांश में हमारे संकल्प में एक शोषणहीन समाज, समता पर आधारित आचरण, समान अवसर की सुविधा, भेद-भाव से मुक्त मानसिकता को पैदा करना होगा। यदि इन सामाजिक लक्ष्यों को पाना है तो इनको दृष्टि में रखकर हमें अपनी शिक्षा पद्धति में उन तत्वों का समावेश करना होगा जो हमारी सन्तान में जीवन दृष्टि देने का दायित्व निभाये और एक नये भाव सदर्भ से हमें जोड़ें। चौंतीस वर्ष की आजादी के बाद भी हम अभी अपनी शिक्षा को अपने संकल्पों के आधार पर नहीं बना पाये। संविधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें दोहरी नीति का पालन करना चाहिए था। पहला तो तात्कालिक योजना बनानी चाहिए था जिससे अंग्रेजी शासन की समाप्ति के साथ तत्काल ही कोई कार्य पद्धति चलती जो अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति के विष को अविलम्ब समाप्त कर संकल्पित आदर्शों की ओर शिक्षा को उन्मुख करती और दूसरी एक दीर्घकालीन योजना बनाती जो प्रारम्भ से शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बाल्यावस्था से ही उन भावनाओं की ओर जागरूक करती, वैसे संस्कार बनाती। इसका मतलब यह नहीं कि पूरी शिक्षा पद्धति को रिजेमेंटड स्तर पर नियोजित किया जाता बल्कि इसका अर्थ यह होता कि वैयक्तिक प्रतिभा को विकसित करने का अवसर प्रदान करने के साथ उन आधारभूत मूल्यों के प्रति [illegible] जो हमारी संकल्पित निष्ठा के आधार में है, यह तभी होता जब हमारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रति पूरा मोहभंग हो गया होता। परन्तु हमारा मोह बना रहा है और आज भी है जिसके कारण हमें उचित दिशा आज भी नहीं मिल पा रही है।

शोषणहीन समाज—

शिक्षा में उन तत्वों के समावेश करने का कार्य कठिन है जो ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें कि एक शोषणहीन समाज को बनाने में योग दे। वस्तुतः शोषणहीन समाज का अर्थ है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें श्रम और पूँजी का सामान अनुपात बने और आर्थिक स्तर पर लाभ पूंजी का अंग बनकर या तो लागत का अंग बने या पारिश्रमिक का अंग बने। आर्थिक स्तर पर ऐसी अर्थ-व्यवस्था को जन्म देना जरूरी है जिसमें प्रतिभा, योग्यता, क्षमता और निपुणता किसी व्यक्ति या संस्था के निहित स्वार्थ के लिए न इस्तेमाल होकर व्यापक सामाजिक उत्पादन में समान साझेदारी के आधार पर सहकर्मी और सहयोगी बने। शिक्षा पद्धति में आर्थिक ज्ञान के आधार पर प्रारम्भ से ही समाविष्ट करना आवश्यक है। इस दृष्टि से इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र आदि समस्त विषयों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है आज जो शिक्षा पद्धति है, उसमें दिशा बोध नहीं है और न विद्यार्थियों को उसके प्रति जागरूक किया जाता है। परिणाम यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति हमारी सन्तान को केवल साक्षर बनाती है, उस समाज का सशक्त प्राणी नहीं बनाती जो इन शोषणों को पहचान सके। नतीजा यह है कि या तो वह शोषक बनता है या शोषित या तो वह दुस्साहसी बनता है या नियतिवादी। वह सही आदमी नहीं बनता जो शोषण के अन्याय के विरूद्ध खड़ा हो सके। वस्तुतः ऐसी शिक्षा-पद्धति से व्यवस्था को भी खतरा पहुँचता है। इसलिए हर व्यवस्था उससे कतराती है।

इसी प्रकार सामाजिक शोषण के विरूद्ध स्वतः लड़ने की शक्ति पैदा करनी होगी। यह शक्ति भी शिक्षा पद्धति द्वारा पैदा की जा सकती है। सम्पूर्ण मानसिकता को शिक्षा पद्धति द्वारा एक गतिशील शक्ति के रूप में बदला जा सकता है। सामाजिक स्तर पर जाति भेद, वर्ण-भेद,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हरिजन समस्या, नारी समस्या या इसी प्रकार से दहेज की प्रथा, बंधुआ मजदूर की प्रथा आदि ऐसे तत्व हैं जिनको कानून और पुलिस से नहीं दूर किया जा सकता। इनसे लड़ने की शक्ति स्वयं समाज के जीवन्त प्राणियों में होनी चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी निर्वैयक्तिक और निस्पृह होकर इनका वस्तुपरक ज्ञान कराती है कि विद्यार्थी समाज के जीवन्त सदस्य के रूप में अपने को इन सब का साझीदार नहीं बना पाता। वर्तमान शिक्षा पद्धति विद्यार्थी को इस शोषित समाज से पृथक करके एक विद्यार्थी के रूप में पहले प्रतिष्ठित करती है और इस अलगाव के स्थापित करने के बाद तब कहती है कि इन अन्यायों को वह देखे। जब वह अपने को अलग करके इन समस्याओं को देखता है तो उसकी दृष्टि वह नहीं बन पाती जो अपने को एक सदस्य के रूप में मानकर जानता-पहचानता। दूसरे शब्दों में यदि हमें एक शोषणहीन समाज बनाना है तो वर्तमान निर्वैयक्तिक शिक्षा पद्धति से मुक्त होकर साझेदारी वाली पद्धति अपनानी होगी।

ज्ञान और प्रतिभा के शोषण से मुक्ति की बात भी शोषणहीन समाज की स्थापना से जुड़ी हुई है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग अंग्रेज अपने तन्त्र के लिए करना चाहते थे। इसीलिये वे ज्ञान और प्रतिभा की जागरूकता का समाजीकरण भी नहीं होने देते थे। आजादी मिलने के बाद हमारे देश के उन्नायकों में यह बुद्धि होनी चाहिए थी कि वह देश की इस नैसर्गिक और मानवीय शक्ति का संग्रह करके उसे एक सजीव सामाजिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित कर उसकी प्रतिभा का उपयोग तंत्र ही नहीं वरन पूरी व्यवस्था को गतिशील बनाने में करते। आज भी यह शोषण जारी है। नतीजा यह है कि या तो ज्ञान और प्रतिभा सरकारी तंत्र में खप रही है या विदेशों में दूसरे देशों की सेवा कर रही है या देश में उपेक्षा का शिकार बनी सड़ रही है। शिक्षा पद्धति में ऐसे तत्व जो ज्ञान और प्रतिभा को स्वावलम्बी बनाते है सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा, ज्ञान और प्रतिभा-मुक्त और मुखर होने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बी जीवन दृष्टि वाली भी हो। यह हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है कि या तो वह प्रतिभा और ज्ञान को पोषित रूप में रखना चाहती है या उसे कुण्ठित होकर समाप्त कर देने में योग देती है। यह दूर होनी चाहिए।

धर्म और जाति के नाम पर शोषण की मुक्ति शोषणहीन समाज के लिए नितान्त आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक और प्रतिभा के शोषण से मुक्ति पाने के साथ-साथ धर्म और जाति के नाम पर हो रहे शोषण से भी मनुष्य को मुक्ति मिले। समाजवादी और असाम्प्रदायिक होने के बावजूद भी हमारी शिक्षा इन तत्वों का विष्टपेषण करती है। आज भी धर्म और जाति की रूढ़ियों एवं अपवादों से लड़ने की क्षमता युवकों में नहीं है। वे या तो इनके समर्थक हो जाते हैं या इनके प्रति उदासीन हो जाते हैं, या तो वे स्वयं इनके द्वारा शोषण करते हैं या कुण्ठित होकर बैठ जाते हैं। इसलिये समाजवादी समाज नहीं, यथास्थितिवादी समाज ही बना रहता है। यदि हमें वास्तव में एक समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो धर्म व जाति के नाम पर बढ़ते हुए शोषण के विरुद्ध ऐसे नये विचारों और जीवन दर्शन से संयुक्त युवकों की एक मौन समर्पित सेना बनानी होगी जो इस अन्याय के विरुद्ध स्वतः संगठित होकर लड़ सके। आज इस शोषण के लिए सरकार ने जो संस्थायें बनाई हैं वह या तो ऊपर से आरोपित है या वह उन्हीं निहित स्वार्थों द्वारा संगठित है जो मिली कुश्ती लडते हैं। परिणाम यह है कि समाज में वह स्वतः स्फूर्ति चेतना है ही नहीं जो इन शोषणों का सामना कर सके। शैक्षिक संस्थाओं में तो गिरावट इस स्तर की आ चुकी है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट संस्थाएं भी केवल निष्क्रिय, तेजहीन और उद्देश्यहीन हो गयी हैं। धीरे-धीरे करके इन पर भी कब्जा निहित स्वार्थों का हो गया है। होना यह चाहिए था कि स्काउटिंग या एन. एस एस जैसी संस्थाओं का एक क्रांतिकारी चरित्र होता और उसी क्रांतिकारी चरित्र के अनुकूल अखिल भारतीय स्तर पर कुछ और संस्थाएँ गठित होतीं। लेकिन और गठित होना दूर रहा, जो है वह भी भ्रष्ट होती जा रही है। इसे मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति का दोष मानता हूँ जो सक्रिय रूप से इन संस्थाओं में चेतना-स्फूर्ति और क्रांतिकारी कार्य करने की क्षमता प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हुई है और इस प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्रीय चरित्र से वह त्वरा लुप्त होती जा रही है जो समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति करके एक नयी व्यवस्था दे सकती।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समता की भूख :—

शोषणहीन समाज की स्थापना तभी होगी जब समाज के सदस्यों में समता की भूख जागेगी, और उस समता की भूख को व्यवस्था खींच-तान कर देश-द्रोह की संज्ञा नहीं देगी और देश का शिक्षित युवा वर्ग इस समता की भूख का कायल होगा। आज की व्यवस्था में समता की भूख से उद्वेलित उफान को सहने की क्षमता नहीं है। परिणाम यह है कि वह इसका सामना करने के बजाय इससे कतराती है। किन्तु जिस संविधान ने, स्वतंत्रता आन्दोलन ने, विश्व में बढ़ते हुए संघर्ष ने, देश के भीतर समता की भूख पैदा की है उसको नियोजित, सुसंस्कृत और उस भूख का रचनात्मक स्वरूप शिक्षा के माध्यम से दिया जा सकता है। समता के प्रति आस्था शिक्षा पद्धति के निरूपण में दर्शित की जा सकती है और यदि वह शिक्षा पद्धति में निष्ठा के साथ व्यक्त हो तो यही समता की भूख रचनात्मक भी हो सकती है।

समता और शिक्षा का सम्बन्ध होना चाहिए। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। आज देश सभी स्तरों पर बंटा है. आर्थिक, औद्योगिक सामाजिक तंत्र पर एक ऐसे जड़ और निहित स्वार्थियों का कब्जा है कि जीवन के हर क्षेत्र में समता स्थापित करने के बजाय अलगाव पैदा हो रहा है। शिक्षा में यह अलगाव तीन स्तरों पर है: पहला आभिजात्य, दूसरा मध्यम और तीसरा निकृष्ट। आभिजात्य शिक्षा पाने वाले स्वतः समाज के शासक वर्ग के लोग होंगे, क्योंकि देश में जो तन्त्र है उसमें वह जन्म से ही सर्वोपरि हैं। मध्यम वर्ग के वे लोग हैं जो इस व्यवस्था में खप कर उसे अपने कंधों पर ढोते हैं। निकृष्ट वर्ग वह है जो शोषण के मध्य जन्म लेता है और शोषित रूप में ही मर जाता है। यदि वास्तव में शिक्षा के स्तर को ऐसा बनाना है जो समाजवादी समता पर आधारित समाज का निर्माण कर सके तो यह वर्ग और वर्ण-भेद समाज से मिटाना होगा और समूची शिक्षा पद्धति को समता प्रधान दृष्टि से ऐसा रूप देना होगा कि यह बढ़ता हुआ विष समाप्त हो सके।

समता स्थापित करने के लिए भाषा की उपयोगिता जरूरी है और उसकी उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा का माध्यम बदले, उसमें देशीपन आये, उसमें राष्ट्रीय आग्रह जागृत की जाएँ। ये सारे तत्व कभी भी विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं जागृत होने चाहिए इसलिए यदि देश वास्तव में समता की भूख के साथ जन जागृति पैदा करके समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है तो वह तुरन्त अंग्रेजी भाषा को समाप्त करके देशी भाषाओं को वरीयता दे। आज व्यवस्था अंग्रेजी का समकेन्द्र होकर देश की मानसिकता को अवरुद्ध किये हुए है और यह अवरोधक तत्व वह अंग्रेजी भाषा है जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिभा को कुण्ठित करके उसकी सहज क्षमता का दुरुपयोग करती है और समस्त राष्ट्रीय चरित्र को गिरावट की ओर ले जा रही है।

समता का आधार समान शिक्षा है और समान शिक्षा का अर्थ है समाज के प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा मिले जो भाव, भाषा, माध्यम और अभिव्यक्ति के स्तर पर एक हो। आज ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज दो प्रकार के स्कूल हैं—एक पब्लिक स्कूल और दूसरे जन साधारण के स्कूल। पब्लिक स्कूलों के माध्यम से समाज का उच्चवर्ग विदेशी शिक्षा पा रहा है। और जन साधारण के स्कूलों में भारत की तमाम जनता अनपढ़ बनायी जा रही है और उसके जीवन स्तर में आचार-विचार में, सोचने समझने के तरीके में एक प्रकार की ऐसी हीनता पैदा की जा रही है जो उसकी रचनात्मक शक्ति को क्षीण करती है और मानसिकता को जड़, निष्क्रिय और कुण्ठित करती हैं। यदि समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो इस दिशा में पहल करके तत्काल इस बढ़ते हुए विष को समाप्त करना होगा।

समता की केन्द्रीय भावना सांस्कृतिक एकता में है। बिना इस सांस्कृतिक एकता और व्याप्त सहधर्मिता की भावना के समता का भाव मानवीय संदर्भ से जुड़ नहीं सकता। समता की भूख प्रतिहिंसा, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष आदि में भी व्यक्त हो सकती है। किन्तु यदि उस भावना को शिक्षा और संस्कृति का आधार मिल जाय तो वही सृजनशील रूप में भी व्यक्त हो सकती है। समता की भूख एक स्वाभाविक जागृति की भूख है। जिस मतदाता को राजनीनिक अधिकार मिला है वह सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक आधार पर भी समता का अधिकारी है। यह अनुभव ही समता की भूख को तीव्र बनाता है और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized By Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षा के आधार पर हमको बड़ी मूल्य सार्थक मूल्यों को रूप में स्थापित भी करनी चाहिए। और उसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। यह काम शिक्षा के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से हो सके तो एक स्वस्थ शैक्षिक परम्परा भी विकसित हो सकती है। आज की शिक्षा पद्धति बांझ है। उसमें नयी सम्भावनाओं को खोजने की क्षमता नहीं है, नहीं तो सर्वथा क्रान्तिपूर्ण ढंग से पूरी शिक्षा नए रूप में विकसित होकर एक सर्वथा नया वातावरण पैदा कर सकती थी। हमारी शिक्षा पद्धति में सांस्कृतिक पक्ष नितांत गौण माना जाता है। आवश्यकता है कि आधुनिक संदर्भों के साथ उन सांस्कृतिक मूल्यों में हमें शिक्षा दी जाय जो समता के महत्व, शोषण-हीन समाज के स्वप्न, जाति, वर्ण और योनि भेद की विषमता से मुक्त उच्च राष्ट्र का नया रूप बना सकें। यह गलत शिक्षा का प्रभाव है कि देश में विदेशी भाषा से मुक्ति पाने का आन्दोलन तो नहीं चल पाता किन्तु देशी भाषाओं के क्षेत्रीय अहम् तेजी से उभर कर आते हैं और देश में विस्फोटक स्थितियां पैदा कर देते हैं। यदि सांस्कृतिक शिक्षा ठीक होती और सामन्ती मानसिकता से हमें मुक्ति मिल जाती तो आज यह गन्दे अलगाव का विष देश में न फैलता किन्तु हमारी व्यवस्था इन स्थितियों को प्रश्रय देती है। यदि शिक्षा में सही सांस्कृतिक चेतना जगायी गयी होती तो निश्चय ही ये स्थितियां न पैदा होतीं।

वर्ण, जाति, यौन, भेद :—

देश के समाजवादी रूप के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट मध्यकालीन रोगों से ग्रसित यह समाज है जिसमें आज भी वर्ण, जाति और यौन भेद का निर्वाह ही नहीं बल्कि विष पूरे देश में फैला हुआ है। आजादी मिलने के बाद यह जाति, वर्ण भेद आदि समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आजादी के बाद जो उधार खाते का अंग्रेजी ढांचा हमने ज्यों का त्यों अपना लिया उसका परिणाम यह हुआ है कि जीवन के हर क्षेत्र में वही यथास्थिति चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वही हाल है। यद्यपि सरकारी आंकड़े यह बतायेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक वृद्धि हुई है किन्तु बढ़ती हुई आबादी और जनसंख्या के आधार पर शिक्षा का क्षेत्र लगभग जैसा का तैसा रहा है। शिक्षा में भी वर्ण, जाति और यौन भेद के आधार पर शिक्षण संस्थाएं विकसित हुई हैं और उनमें जातीय विषमता प्रबन्ध के स्तर से लेकर विद्यार्थियों के चयन और प्रोत्साहन के स्तर पर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का प्रयास अवश्य किया कि यह भेद कम से कम नाम में बदल जाय। यह बदला भी किन्तु जाति या समुदाय नाम के बदलने से व्यवस्था का चरित्र और शिक्षण का स्वरूप ज्यों का त्यों ही बना रहा। यह यथास्थिति की भी हालत में आज नहीं है उससे भी विषम है।

आज स्थिति है कि वर्ण और जाति भेद इतनी गहरी जड़े जमा रहा है कि उससे वह धर्म-निरपेक्षता और समाजवादी स्वरूप देश का बन ही नहीं रहा है जो कि अपेक्षित था। शिक्षा के विस्तार में कमी और ऊपर से सामाजिक रूढ़ियों और भेदभाव वाली दृष्टि का निरन्तर व्यवहार पूरी भारतीय शिक्षा पद्धति पर वज्र सा आ पड़ा है। शिक्षण संस्थाएं ज्ञान-विज्ञान के विकास करने के बजाय परोक्षरूप से भेदभाव ही बढ़ा रही हैं। इस भेद को बढ़ाने में सरकारी नीतियों का भी दोष है। हरिजन, पिछड़ी जातियों को जो विशेष सुविधाएँ सरकार की ओर से आंख मूंद कर दी जाती हैं, उसका स्वरूप सरकार ने ऐसा बना दिया है जो अन्य जातियों को जातीयता के आधार पर संगठित होने की प्रेरणा देती हैं, इस विषमता का एकमात्र कारण यह है कि पिछड़ी जातियों को सहायता दी जाने वाली बात अब उसका विशिष्ट अधिकार बन गया है और अन्य जातियों की प्रतिभा का आधार आश्रय हीन होता जा रहा है। व्यवस्था को चाहिए था कि प्रतिभा और विशेष अवसर का घपला न करती, प्रतिभा को सर्वोपरि रखती और अधिकार या सहायता को अलग से स्थापित करती तो यह विषमता न पैदा होती। आज हर संस्था मे पिछड़ी जातियों की सहायता और प्रतिभा में द्वन्द्वात्मक स्थिति पैदा हो गयी है। इसके कारण सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति अपूर्ण और निरीह सी खड़ी हमको लक्ष्य भी कर रही है।

जातीयता के भेद को मिटाने के लिए शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसे तत्वों को समाविष्ट करने की आवश्यकता है जो भारतीयता की पहचान करायें। शिक्षण संस्थाओं में यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्य बड़े पैमाने पर पारस्परिक आचार-विचार के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। स्कूलों में ऐसे उत्सव, त्योहार, पिकनिक, दावत और उसी के साथ-साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इतना जीवन्त स्वरूप पैदा किया जा सकता है कि जिसमें भारतीय पहचान के साथ-साथ यह विषय तत्व भी शामिल हो सके। लेकिन हमारी शिक्षण संस्थाओं का चरित्र ही यह नहीं है। आजादी के बाद शिक्षण संस्थाओं का चरित्र व्यावसायिक संस्थान का हो गया है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच फीस महत्वपूर्ण हो गयी हैं। स्कूलों के व्यवस्थापक भी अधिक चिन्ता लाभ और हानि की करते हैं। शिक्षण, चरित्र और भारतीयता को विकसित करने की न तो उनके पास दृष्टि है न कोई योजना। नतीजा यह है उस दिशा में कोई जीवन्त कार्यक्रम हो ही नहीं पाता। पूरी की पूरी चेतना या तो विसंगता में पनपती हैं या उदासीनता में या नितांत बंजर आभाहीन मानसिकता में यदि हमें अपने सामाजिक लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त करना है तो पहला कदम ही इन सड़ी-गली शिक्षण संस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का होना चाहिए। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन तभी होंगे जब हमारी शिक्षा नीति अपने लक्ष्य और उद्देश्यों में स्पष्ट तथा उनके कार्यान्वियन में वैज्ञानिक एवं परिवर्तनवादी होगी।

सामाजिक असमानता को दूर करने के दो तरीके हैं। एक तो धर्म और नैतिक शिक्षा के माध्यम से और दूसरा मात्र मानवीय संवेदना के आधार पर। अभी तक समाज की नैतिकता का आधार धर्म था किन्तु जब से धर्म निरपेक्षता की भावना जगी है तब से हमने धर्म के अतिरिक्त उन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहा है जो धर्म की अनिवार्यता से मुक्ति मात्र मानव निकृष्टता के आधार पर प्रतिष्ठित हो। यह दिशा चुनने के बदले हमें अपने देश की क्षमता और विशाल जनमानस की ग्राह्यता को भी अवलोकित कर लेना चाहिए था। देश की अधिकांश आबादी अशिक्षित है और धर्म तथा अन्धविश्वासों पर जीती है। इनके बीच मानवीय मूल्य कैसे स्थापित किये जांय। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए था और स्थितियों के विश्लेषण के उनके अनुपात में परिवर्तन करना चाहिए था। हमने वह भी नहीं किया। परिणाम यह है कि पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति नितांत दिशाहीन हालत में चल रही है। कागज या कानून में और नियमों में हमारी शिक्षा पद्धति वैसे भी कोई क्रांतिकारी दृष्टि नहीं रखती। फिर भी जो दो-चार बातें हैं भी, उनको भी लागू करने की क्षमता वर्तमान व्यवस्था में नहीं। इसके लिए विशेषरूप से प्रशिक्षित अधिकारियों का एक ऐसा दल ही देश में तैयार नहीं किया गया जो शिक्षा पद्धति को इन क्रांतिकारी माध्यमों से चला सकते। इसके लिए तो ऐसे मिशनरी भाव वाले शिक्षक, व्यवस्थापक और प्रशासक चाहिए जो स्वयं उस समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखते हों और मात्र वेतन भोगी न हो।

अवसर की समानता –

जनशिक्षा की एक निश्चित नीति सरकार को बनानी चाहिए थी। वह बनी नहीं, फिर भी जो शिक्षा विकसित हुई और उसका जो विस्तार हुआ उससे हर शिक्षित के मन में समान अवसर की आकांक्षा तीव्र हुई। ज्यों-ज्यों व्यापक स्तर पर जनशिक्षा का (Mass education) विस्तार होगा, त्यों-त्यों अवसर की समानता की बात उठेगी। आज की शिक्षानीति कागज पर तो अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में "Ensuring equality of educational opportunities as part of the over all plan of ensuring social justice" (Fifth five year plan) की घोषणा की है किन्तु शिक्षा का स्तर आज वह है नहीं, वह कभी इस व्यवस्था में होगा भी नहीं। वस्तुतः आज शिक्षा पांच स्तरों पर चल रही है। जनशिक्षा का एक स्तर है, जहाँ स्कूल की इमारतें नहीं हैं। बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन की सुविधा नहीं है। दूसरे स्तर पर वह शहर और देहात के स्कूल हैं जिनमें मध्य वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ भी सब कुछ दान-खाते और व्यवसाय के रूप में चलता है। तीसरे वह शहरी स्कूल हैं जहां दाम देकर पढ़ने की सुविधा है किन्तु वहाँ भी वह वातावरण नहीं है जहाँ विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। चौथा वे शहरी पब्लिक स्कूल हैं। जहाँ भारतीयता को नकार कर नितांत पाश्चात्य स्कूलों की नकल में पढ़ाई होती है। पांचवा वह तकनीकी स्कूल है जहाँ केवल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तकनीकी शिक्षा दी जाती है और जो इतनी मंहगी है और इतनी सुविधापरक है कि वहाँ तक पहुँचना ही कठिन है।

प्रस्तुत विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि पांच स्तर पर चल रही यह शिक्षा नीति एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नही वरन् खाने-कमाने की योग्यता देने के लिए है। जब तक स्कूलों में यह भेद रहेगा, तब तक समान अवसर की बात करना ढोंग बना रहेगा। समान अवसर का अर्थ हैं—समाज के सम्पन्न वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग को शिक्षा एक ही स्थान पर एक ही रूप में दी जाय। Mary Jean Bowman & C. Arnold Anderson जैसे विद्वानों ने इस मानसिकता के विषय में लिखा है—

'Both new nations and old ones are putting more effort and faith in education than ever before, education not only of elites but also of the masses of the world s population But increasingly there seems to the a tendency to justify. If in economic terms that education is one of the few sure roads to economic progress has become a contemporary creed. Yet evidence remains stire and confused and while human resourse development should and must recieve increasing attention, there are dangers in too simple a faith. It can lead to misplaced efforts and destructive frustrations in contries that can ill afford either" स्पष्ट है कि भद्रजन की शिक्षा में और जनशिक्षा में भेद करने से भी वर्तमान शिक्षा नीति से न तो वह आर्थिक लक्ष्य सिद्ध होगा और न सामाजिक। यह नीति हमें केवल एक भ्रांत से दूसरी भ्रांत तक ले जायगी। ऐसी स्थिति में एक ओर यह घोषित करना कि शिक्षा में समान अवसर की नीति का पालन किया जाएगा और साथ ही यह भी आचरण करना कि हमारी शिक्षा पांच स्तरों पर पांच प्रकार से दी जा रही है, विरोधाभास पैदा करता है। वास्तव मे हमारी शिक्षा नीति मूलतः अर्थ उपार्जन की भावना से बनी है। सामाजिक आवश्यकता उसके केन्द्र में है ही नहीं, आज देश के इन्जीनियर, डाक्टर, तकनीकी लोग देश का निर्माण करने के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य आर्थिक है। उद्देश्य यदि सामाजिक हो जाए तो इन्हीं लोगों की शक्लें बदल जायेंगी, आचरण में परिवर्तन आ जाएगा। समान अवसर एक सामाजिक अवधारणा है और वह तभी प्राप्त हो सकती है जब उस सामाजिक अवधारणा के अनुकूल शिक्षा नीति हो, शिक्षानीति का मूल प्रेरक तत्व आर्थिक होने से शिक्षा भी शोषण करने का एक नितांत तेज यंत्र के रूप में प्रस्तुत होती है। शिक्षा का उपयोग पैसे वाला वर्ग करता है। शिक्षा का अभिशाप सामान्य जन भोगता है। यह समस्त विषमता इसलिए है कि व्यवस्था मे स्वयं शिक्षा शोषण के यंत्र के रूप में इस्तेमाल की जाती है। फिर शिक्षा में समान अवसर का प्रश्न ही नहीं उठता। अवसर की समानता व्यवस्था तब दे सकती है जब उसमें उसकी निष्ठा हो।

फिर ऐसे सन्दर्भ में शिक्षा पद्धति में सामाजिक उद्देश्यों की आकांक्षा को समाविष्ट करना बहुत कठिन है। रस्मी तौर पर टोना-टोटके के स्तर पर सामाजिक उद्देश्य का नाम लेना एक बात है और उसे मूल रूप में स्वीकार करके आचरण में ढालना दूसरी बात है। आज जिस दिमागी दिवालिएपन से हमारा देश गुजर रहा है उसमें कथनी और करनी म कोई रिश्ता रह ही नहीं गया है। परिणाम है कि सब कुछ एक बेजान चेतनाहीन स्थिति में सरक रहा है। और शिक्षा धीरे-धीरे सड़ रही है। इस सड़न का ही यह परिणाम है कि इस आर्थिक भूख से प्रेरित शिक्षा जगत पर केवल यही कहा जा सकता है।—

"To what extent is literaly spread through what preportions or segment of the population an essential ingrediant of economic advance. To what extent on the other hand may literacy be superfluous or inoperative in early stages of development. Dogmatic assertion on this topic are common en ugh but firm evidence is scarce.'—ANDERSON.

आवश्यक परिवर्तन—प्रस्तुत विवेचन के साथ ही यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में वह कौन से परिवर्तन किये जा सकते हैं जिनसे वह समाजवादी मूल्य स्थापित हो सकें जिनका संकल्प हमने संविधान और अन्य जनतांत्रिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करके लिया है। गत 1978 में पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा नीति निर्धारण में पांच बातों पर विशेष बल दिया है। पहली बात सार्वभौमिक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, दूसरी बात शैक्षिक ढांचे और उसके विषय तत्व में नये आयामों का समाविष्ट करना, तीसरी बात प्रौढ़शिक्षा को आंदोलन का रूप देना, चौथी बात कला और संस्कृति की शिक्षा देना और पांचवी बात शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा के क्षेत्र में विकास। प्रस्तुत, पांच संकल्पों में से एक भी ऐसा नहीं है जो सामाजिक मूल्यों के प्रति आग्रहशील हो जहाँ तक शिक्षा के विषय-तत्व की बात है, उसमें भी कोई बुनियादी दृष्टि देखने को नहीं मिली है। कला और संस्कृति महत्वपूर्ण विषय है। इनके माध्यम से बहुत सी बातें उजागर की जा सकती हैं किंतु पिछले चार वर्षों में उस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हैं। वस्तुतः यह हमारे दिमागी दिवालियापन का प्रमाण है। इस विषय पर और गहराई से सोचने की आवश्यकता है और शिक्षा को तीन स्तरों पर विभाजित करने की चेष्टा की जानी चाहिए:—

1. जन शिक्षा नीति
2. विषयगत शिक्षा नीति
3. संस्कारिकता से अनुप्रेरित शिक्षा नीति

जनशिक्षा नीति के अन्तरगत मास एजूकेशन की नीति निर्धारण करनी चाहिए और पूरा देश कैसे साक्षर हो सके तथा उसमें सामान्य स्थितियों को समझने और उनकी अनुकूलता या प्रतिकूलता के प्रति सही प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो सके। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर प्रौढ़ शिक्षा तक की बातें आती हैं। यह एक व्यापक सामाजिक आन्दोलन के रूप में विकसित हो तो उसके नतीजे निकल सकते हैं किंतु इसका व्यापक आन्दोलन तभी चल सकता है जब इसका आधार सामाजिक लक्ष्यों के साथ बने और तभी यह तेजी के साथ फैल सकता है। प्रौढ़शिक्षा या प्रारम्भिक शिक्षा में मात्र सुविधा दे देन से काम नहीं चलेगा। सुविधा के साथ सन्देश और प्रेरक दृष्टि से सोये हुए जनमानस में शिक्षा की भूख और समता के आधार पर शोषणहीन समाज की स्थापना का सपना भी जोड़ना होगा। शिक्षा के साथ स्वप्न और आस्था, दृष्टि और संवेदना को भी जोड़ना पड़ेगा।

विषयगत शिक्षा का एकेडेमिक स्वरूप होगा किंतु इसका भी स्वरूप क्रांतिकारी गतिशालता का हो सकता है। यदि केन्द्र में सामाजिक मूल्यों को रखें जिनका हमने संकल्प लिया है तो विषय वस्तु का ज्ञान नितान्त जीवन्त हो सकता है यदि उस सामाजिक बोध का बहुस्तरीय अध्ययन किया जाय, विज्ञान का लक्ष्य, मानव का लक्ष्य, कला और संस्कृति का लक्ष्य एकेडेमिक स्तर पर भी विद्वानों द्वारा जागरूकता के साथ स्थापित किया जाय। आज विज्ञान के अध्ययन में दृष्टि नहीं है; मानवता के अध्ययन में भी विषय का खयाली ज्ञान दिया जाता है, पाठयक्रम में तात्कालिक समस्याओं को विषय से नहीं जोड़ा जाता है, उदाहरण के लिए जाति प्रथा बुरी चीज है, कहने से काम नहीं चलेगा। उस सामाजिक बुराई का अनुभव कराने के लिए हर विषय के साथ फील्डवर्क, जुड़ा होना चाहिए। आज विषय तत्व का ज्ञान हम कक्षाओं तक ही सीमित रखे हैं। नतीजा यह है कि किताबी ज्ञान तो बहुत है किन्तु देश, काल स्थिति की सापेक्षता से उसका अनुपातात्मक सम्बन्ध नहीं बन पाता—यदि यही मानविकी का अध्ययन आज व्यापक बना दिया जाय तो यही विषय रोचक होने के साथ-साथ जीवन्त और विद्यार्थी को साझीदार बना सके। कबीरदास की भाषा आज भी बोली जाती है फिर भी हमारी जानकारी में वह भाषा मर चुकी है। यदि विषय ज्ञान के साथ व्यावहारिक पक्ष भी विकसित हो सके तो यह सकारात्मक पक्ष होगा।

संस्कारिकता से अनुप्रेरित शिक्षानीति का स्वरूप नितांत स्कूली नहीं होगा। वस्तुतः इस प्रशिक्षण के भी विभिन्न स्तर होने चाहिए और इसकी स्थापना स्कूलों के परिसर से भिन्न होना चाहिए। इसमें ग्रीष्म अवकाश का सत्र तथा बड़ी छुट्टियों के सत्र स्थान-स्थान पर आयोजित होने चाहिए। काफी संख्या में पूरे देश के विद्यार्थी एक साथ दो माह या एक माह तक रहें उठे बैठे और नितान्त सांस्कृतिक अध्ययन दार्शनिक विश्लेषण एवं सामाजिक चिन्तन करें, मुक्त वातावरण हो, विद्वानों का जमघट हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हों तब इसके माध्यम से वास्तविक सामाजिकता का बोधगत अनुभव शिक्षा से जुड़ सकता है।■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भ्रष्टाचार : भ्रष्ट आचरण के बदलते प्रतिमान

■ डॉ. दिलीप पाण्डेय*

भ्रष्टाचार की चर्चा सर्वविदित है। विशेषकर राजनीतिक क्षेत्रों में इसके संदर्भ में पिछले वर्षों से कुछ अधिक ही आवाजें सुनायी पड़ रही हैं किंतु भ्रष्टाचार केवल राजनेताओं की चर्चा का विषय नहीं है और न ही उसे सरकार में उच्च अधिकारियों या निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की कमजोरी माना जा सकता है; बल्कि अब भ्रष्टाचार सुविधा और साधन सम्पन्न जीवन की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति की चारित्रिक विशेषता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। यह बिना श्रम किये सुविधा भोगी मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए आधुनिक जीवन मूल्य के रूप में मान्यता पा रहा है। वह जन सेवा के एक नये माध्यम के रूप में विकसित हो रहा हैं। भ्रष्टाचार को अपरोक्ष रूप से संस्कारित और जीवन निर्वाह की एक अनिवार्यता के रूप में महिमा मंडित करने का परिणाम यह हुआ है कि देश में कोई वर्ग कोई विभाग, कोई धर्म इससे मुक्त नहीं है। सभी जगह भ्रष्टाचार नये-नये रूपों में विकसित हो रहा है।

भ्रष्टाचार : एको अहं बहुस्याम :—

भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के आचरण से सम्बन्धित है। उसका अर्थ ही है मनुष्य द्वारा किया गया भ्रष्ट आचरण। व्यक्ति का चरित्र उसके आचरण से बनता है। अतः भ्रष्ट आचरण वाला चरित्र स्वतः भ्रष्ट हो जाता है किन्तु ऐसा नहीं होता है। चरित्र के सम्बन्ध में सच्चरित्र या दुश्चरित्र का निष्कर्ष जितना सरल और स्पष्ट है, उतना भ्रष्ट चरित्र के सम्बंध में नहीं। यदि ऐसा न होता तो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अन्तुले उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के लिये दोषी ठहराये जाने के बाद भी इतने सम्मानित नहीं दिखते। उनमें इसके लिये कोई ग्लानि या पश्चात्ताप नहीं है। इसलिये कि वह मानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं जनसेवा की है। वस्तुतः भ्रष्टाचार को जनसेवा के माध्यम रूप में प्रतिष्ठापित करके अन्तुले ने निश्चय ही ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है।

भ्रष्टाचार मूल रूप में भ्रष्ट-आचरण है। यह कई रूपों में मिलता है। रिश्वत, कालाबाजारी, चोरबाजारी भ्रष्ट आचरण के प्रचलित (तथाकथित रूप में लोकप्रिय भी) माध्यम हैं। ये रूप भ्रष्टाचार की मूल भावना को ही पोषित और पल्लवित करते है। सामाजिक जीवन में कथित भेंट-उपहार, बख्शीश चन्दे भ्रष्टाचार के ही अंग हैं। आर्थिक क्षेत्र में कालाबाजारी, चोरबाजारी, सट्टा, कर वंचना, उत्पादनों में मिलावट, नकली वस्तुओं का उत्पादन भ्रष्टाचार के दूसरे रूप हैं। रिश्वत सरकारी मशीनरी को चालू रखने में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके बिना हमारा कोई कार्य निर्विघ्न सम्भव नहीं हो पाता। यदि हो जाता है तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति पूर्वजन्म का कोई पुण्यात्मा होगा। धार्मिक क्षेत्रों में परों-मुल्लाओं और पादरियों की कट्टरता और असहिष्णुता भ्रष्टाचार को धर्म स्थानों तक ले आयी है। इसी तरह साहित्य, कला शिक्षा खेलकूद सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार की नयी-नयी कथाएं हम आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते है। भ्रष्टाचार की चरम व्याप्ति का कल्पना हम इन्हीं समाचारों से कर सकते है कि प्रधानाचार्य परीक्षा में नकल करते पकड़े जाते हैं। पुलिस, डकैती, हत्या, बलात्कार में गिरफ्तार

*प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (उ. प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होती है। जिन्दा व्यक्ति कई वर्ष पूर्व मृत घोषित कर दिये जाते हैं। साहित्य के बडे-बड़े पुरस्कार अनजाने साहित्यकार ले जाते हैं। लगता है कि जीवन का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार की व्याप्ति न हो।

भ्रष्टाचार इतिहास के पन्नों पर

भ्रष्टाचार आधुनिक जीवन की देन है ऐसा नहीं माना जा सकता। इसकी सुदीर्घ प्राचीन परम्परा है। यह परम्परा संस्कृत काल से अनेक रूपों में विकसित होती हुई आज भी जीवित है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार शूद्रक ने 'मृच्छकटिकम्' नाटक में तत्कालीन शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग्य किये हैं। बौद्ध विहारों में लोकप्रिय भ्रष्टाचार ने ही देश से बौद्ध धर्म के पैर उखाड़ दिये। मुगल कालीन नवाबों की विलासिता, सनक और उन्माद ने भ्रष्टाचार के नये रूप ईजाद किये। अंग्रेज समय के बहुत पाबन्द थे किन्तु 'बख्शीश' और भ्रष्ट तरीकों से साम्राज्य विस्तार की नीति ने उनके चरित्र को भी धूमिल कर दिया। आजादी के बाद हम सबकी विरासत लेकर इतने आगे बढ़े कि हम स्वयं भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अनुकरणीय हो गये। आजादी के पूर्व जो माध्यम हमारी दृष्टि में गलत थे, आजादी के बाद उन्हीं माध्यमों को हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनाया। गांधी जी आजादी के बाद जितना क्षुब्ध हुए उतना शायद कभी नहीं क्योंकि उन्होंने जिस आजाद भारत की कल्पना की थी, वह उनके जीवित रहते साकार न हो सका। आधुनिक जीवन मे भ्रष्टाचार अधिकांश व्यक्तियों की स्वाभाविक चारित्रिक विशेषता बनता जा रहा है। अन्तर केवल इतना रहा कि भ्रष्टाचार में जो चर्चित हो गये, उन पर उंगली उठाने का लोगों को अवसर मिल गया, जो चर्चित नहीं हुए, वे सच्चरित्र व्यक्तियों की श्रेणी में आदर्श बने रहे।

बदलते जीवन मूल्यों पर विकसता भ्रष्टाचार:—

आधुनिक जीवन में भ्रष्टाचार जिस रूप में व्याप्त है, उसके अनेक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। ये दोनों ही कारण परस्पर सम्बद्ध हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों के लिये सामाजिक जीवन की बदलती हुई मान्यताएं, शासन व्यवस्था और जीवन मूल्यों में बदलाव की स्थितियाँ उत्तरदायी हैं। विशेष सामाजिक परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न परिवर्तनों में ही विशेष मानसिकता भी बनती है। वर्तमान शासन व्यवस्था से उपजी असुरक्षा की भावना, सामाजिक न्याय का अभाव, जीविकोपार्जन के साधनों की कमी और आरक्षण द्वारा विशेष वर्ग के प्रति विशेष उदारता तथा सामान्य वर्ग के प्रति उपेक्षा का भाव आदि अनेक कारणों से व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए अनायास और कभी-कभी अनचाहे विवशता में भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है।

स्वभावत: हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध होना चाहता है। इसके लिये वह परिश्रम भी करता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति में परिश्रम की लगन और धैर्य न हो, यदि किसी को समाज और व्यवस्था का सहयोग न मिले अथवा जो रातों रात ही कुबेर बनने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वह भ्रष्टाचार की ओर सहज ही मुड़ जायेगा। जीवन में संतोष को परम सुख मानने वाले कितने लोग रह गये हैं। एक संतोष का अभाव ही तो सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। संतो ने कहा पाँव उतने ही फैलाओ, जितनी लम्बी चादर हो। किन्तु आज की मानसिकता केवल पैर फैलाने की है। इस तरह नैतिक चरित्र का जितना अधिक पतन होता गया, मानव जीवन को सस्कार देने वाले मूल्यों की जितनी अधिक उपेक्षा होती गयी, भ्रष्टाचार जीवन में उतना ही अनिवार्य बनता गया।

हमारी सुविधाभोगी मनोवृत्ति अपनी आकाँक्षाओं की पूर्ति के लिये किसी भी अनुचित माध्यम को चुनने में अब संकोच नहीं करती। महात्मा गाँधी की साधन शुचिता अब गांधीवादी नेताओं के भी गले नहीं उतर रही है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी सदैव से है किन्तु महत्वाकांक्षाओं के साथ साधन शुचिता का जो महत्व जुड़ा हुआ था, वह अब समाप्त हो गया है। आधुनिक मानसिकता केवल महत्वाकांक्षी है। इसलिए हमारी आँख अर्जुन के लक्ष्य भेद की तरह केवल अपनी महत्वाकांक्षा पर टिकी है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं दिखायी पड़ता, और हम देखना भी नहीं चाहते। आज श्रम की महत्ता केवल सुभाषितों तथा सूक्तिवचनों तक सीमित है। वर्तमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

औद्योगिक सभ्यता में श्रम भ्रष्टाचार की बैसाखियों के सहारे ही जीवित है।

दीपक तले अँधेरा :—

एक प्रसिद्ध श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः......... अर्थात सभी सुखी हों, सभी कल्याण को देखें और कोई दुःखी न हो। भ्रष्टाचार के संदर्भ में इस श्लोक के अर्थ काफी निकट हैं। भ्रष्टाचार सभी वर्गों में अत्यंत सौहार्द्र-पूर्ण वातावरण में सहभागिता के स्तर पर फलीभूत हो रहा है। चोर-चोर मौसेरे भाई तो फिर कौन किसे दोषी ठहराये। मौसेरे भाइयों को जाने दीजिये, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे अधिक बोलने वाले कुछ नेता तक इसमें लिप्त पाये जाते हैं। दीपक तले जब अँधेरा हो, तो हम किस चिराग से रोशनी की उम्मीद करें! चारों तरफ ऐसी ही स्थिति है। हमको भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितनी अधिक आवाजें सुनायी देती हैं उतना ही अधिक हम चारों ओर भ्रष्टाचार पाते हैं। कबीर लाली (परमात्मा का दिव्य प्रकाश) देखने चले थे किन्तु लाली देखते-देखते स्वयं लाल हो गये। कमोबेश यही स्थिति उन लोगों की है जो भ्रष्टाचार को समूल उखाड़कर नष्ट करने का संकल्प करते हैं और क्रमशः अनेक कारणों से भ्रष्टाचार का विरोध करते-करते स्वयं इसके शिकार हो जाते हैं।

भ्रष्टाचार कम होने के बावजूद बढ़ता ही जा रहा है, उसका एक कारण यह भी है कि हमारे सामने कोई ऐसा आदर्श नहीं रह गया है जो हमें जीवंत प्रेरणा दे सके। जब तक दीपक तले अँधेरा रहेगा, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा।

भ्रष्टाचार की कामरी चढ़यो न दूजो रंग :—

भ्रष्टाचार की बढ़ती मनोवृत्ति के कारण सहयोग, दया, करूणा जैसे मानवीय गुणों की उपेक्षा हो रही है। अनुशासन की तो भ्रष्टाचार के रहते कल्पना ही नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है, उस पर अन्य मानवीय गुणों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परीक्षार्थी नकल करके डिग्री लेना चाहता है, निरीक्षक कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सत्याचरण की कीमत उसकी जान की कीमत से अधिक नहीं है। बाढ़ में लोग डूबते हैं, अकाल सूखे में भूख से लोग दम तोड़ते हैं तो मानवीय संवेदना का प्रश्न नहीं उठता, इनके लिए सरकार द्वारा उपलब्ध बहुत राशि में अधिकारियों-कर्मचारियों को एक बड़ा भाग चाहिए। अकाल-सूखा और बाढ़ भी अब गरीबों को बेघर और बेसहारा करके एक विशेष वर्ग के लिए वरदान सिद्ध होने लगे हैं। अस्पताल में किसी का चिराग नकली ग्लूकोज के कारण दम तोड़ देता है, किसी का सुहाग नकली दवाई से मारा जाता है। भ्रष्टाचार की नींव पर बने पुल, सड़कें, बाँध कितने दिन टिक पाते हैं। यह आये दिन गठित जाँच आयोगों से पता चलता है।

भ्रष्टाचार में व्यक्ति इतना लिप्त हो गया है कि वह संवेदना शून्य होता जा रहा है। उसे अगले जन्म में पापभागी होने का कोई भय नहीं है, इस लोक में भी वह निर्भय है। कानून, सामाजिक अपमान किसी की उसे चिन्ता नहीं है। भ्रष्टाचार से वह इतनी शक्ति, धन, सम्पदा और सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है कि उसे किसी की चिन्ता नहीं रहती। सरकारी तंत्र की असमर्थता, अनुचित दबाव और उदासीनता के कारण अब खाद्य पदार्थों, दवाइयों और वस्त्रों के नकली उत्पादन में वृद्धि हुई है। मिलावट का क्रम अब पेट्रोल और ईंधन में भी शुरू हो गया है। हाल ही में विमान के ईंधन में पानी मिलाने का नया दुस्साहसी प्रयोग सामने आया। व्यक्ति की इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि वह भ्रष्टाचार में सुरक्षित है और उसी के कारण असुरक्षित भी किन्तु हमारे सारे प्रयास भ्रष्टाचार के कारण असुरक्षा की भावना जगाने में असफल हुए हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन : बिल्ली के गले में कौन घंटी बाँधे ?

समस्या है भ्रष्टाचार उन्मूलन की। इसके लिए समाज, व्यवस्था और धर्म अपने-अपने ढंग से प्रयास करते हैं किंतु भ्रष्टाचार का अब जो रूप और विस्तार है, उसको देखते हुए हमें अपने पुराने तरीके बदलने होंगे। कानून में, दण्ड व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। एक व्यक्ति के हत्यारे को मृत्यु दण्ड मिलता है किंतु नकली दवाइयों से सैकड़ों हजारों लोगों को मारने वाला कुछ वर्षों की कैद और कुछ हजार रूपए जुर्माने से दण्डित होता है। यह कानून की अपनी सीमाएं हो सकती हैं - सामाजिक न्याय नहीं। क्या कानून की इन्हीं सीमाओं के कारण भ्रष्टाचारी व्यक्तियों में निर्भयता नहीं बढ़ी है? क्या इसीलिए भ्रष्ट व्यक्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कानून को अंगूठा नहीं दिखा रहा है? इसलिए हमें भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों के लिए कठोर से कठोर दण्ड का विधान करना होगा ताकि उनका दण्ड अन्य लोगों के लिए नसीहत बन सके, उनमें भ्रष्टाचार के प्रति असुरक्षा की भावना जगा सके, उनके समक्ष भ्रष्टाचार की शक्ति को खोखला सिद्ध कर सके। दूसरे, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए पृथक अदालतें बनायी जाय, जिनसे सम्बन्धित मामलों को तत्परता से निपटाकर अपराधी को शीघ्र दण्डित किया जा सके। गम्भीर मामलों में अपराधी को जमानत पर न छोड़ा जाय।

जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, वह राजनीति का दर्पण है। जैसी राजनीति और जैसे राजनेता होंगे वैसी ही व्यवस्था होगी। कहना न होगा कि राजनीति में व्यापक सुधार की जरूरत है। साधन शुचिता की मुख्य समस्या राजनीति में है। चुनाव में गलत ढंग से धन एकत्र करके जो व्यक्ति जीतता है उससे हम सत्य आचरण की आशा नहीं कर सकते। नेताओं का सम्मान जिस वैभव पूर्ण ढंग से होता है, उसमें कितना काला धन व्यय होता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रत्येक दल को अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता बनानी होगी, केवल बनाना ही नहीं पर्याप्त है, उस पर अमल भी जरूरी है। दल बदल ने भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया है। सत्ता में रहकर दल बदल गृह प्रवेश के रूप में महिमा मंडित होता है, सत्ता पर न रहने पर उसकी आलोचना अनैतिक राजनीति के रूप में होती है। अतः स्वार्थों पर आधारित आचरण के मूल्यांकन की प्रवृति को दूर करना होगा। तभी राजनीतिज्ञ हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं। यह एक कठिन कार्य है किन्तु दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के लिये असम्भव तो नहीं है।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन में समाज का योगदान कम नहीं है। आवश्यकता, अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों की है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति का यदि सामाजिक बहिष्कार किया जाय, संचार माध्यमों के उसके काले कारनामों का प्रचार किया जाय तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति में असुरक्षा की भावना बन सकती है। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहां की जनता या तो क्षमाशील है, अथवा उसकी याददाश्त ही कमजोर है। इतिहास उसके लिये जैसे पन्नों तक सीमित है। यही कारण है कि बड़े-बड़े घोषित भ्रष्टाचारी भी सामाजिक बहिष्कार से मुक्त रहते है, उन्हें समाज के मान-अपमान की चिन्ता नहीं होती। समाज सुधारकों को भी समाज में नयी चेतना जगाने के लिये आगे आना होगा।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन में धर्म की भूमिका बहुत ही तटस्थ और निष्क्रिय रही है। धार्मिक उपदेशों, धर्मग्रंथों से हृदय परिवर्तन की प्रेरणा प्रभावहीन होती जा रही है। अतः धार्मिक संस्थानों और धर्माचार्यों को पहले स्वयं आदर्श उपस्थित करना होगा तभी उनके उपदेशों में वह शक्ति आ सकती है जो व्यक्ति को सत् आचरण की ओर प्रेरित करे। धर्म को वैभव, विलासिता और ऐश्वर्य से पूर्णतः मुक्त करना होगा। आज अनेक धर्माचार्य और धार्मिक संस्थान कालेधन पर निर्भर हैं, उनकी तथाकथित धर्म सेवा के चर्चे भी हम आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते है। व्यक्ति स्वयं भगवान बन गया है, तो भी हमारे लिए वह अनुकरणीय नहीं, प्रेरक नहीं। इससे अधिक उसके खोखले दम्भ का और क्या प्रमाण हो सकता है।

निष्कर्षतः भ्रष्टाचार देश के लिये कठिन समस्या बन गया है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैलती जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन में समय नहीं लगता किंतु व्यक्ति की मनोवृत्ति का परिवर्तन बहुत त्याग, धैर्य, लगन और समय की अपेक्षा रखता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो केवल कानून और व्यवस्था के माध्यम से नहीं हो सकता, हमें पहले अपने को बदलना होगा तभी हम दूसरों के बदलने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। खुद को बदले बिना दूसरों से परिवर्तन की आशा करना व्यर्थ है। किंतु आज राजनीति, समाज, धर्म सभी क्षेत्रों में यही हो रहा है अतः यदि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है, तो मगरमच्छी आंसू नहीं बहाने चाहिए। छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ कर बड़े बड़े मगरमच्छों को खुला छोड़ देने से इस देश में भ्रष्टाचार न कभी समाप्त हुआ है और न समाप्त होने की आशा की जानी चाहिये। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विकास का धर्म-संकट

■ इब्राहीम हेलमी अब्देल रहमान*

क्या विकासशील देश अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपना विकास कार्य आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं? वियना में 20 से 31 अगस्त 1979 के बीच विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का यह मुख्य विषय था।

वर्तमान शताब्दी के छठे दशक के आरम्भिक वर्षों के दौरान विकास अर्थशास्त्री यह आशा लगाए बैठे थे कि प्रौद्योगिकी उन्नति के मार्ग में विलम्ब से पैर रखने वाले देश अनुसंधान की भारी कीमत चुकाए बगैर अथवा नवीन प्रक्रियाओं को लागू करने के जोखिम में पड़े बगैर ही प्रौद्योगिकी के बढ़ते रथ पर सवार हो सकेंगे। लेकिन, व्यवहार में, यह आशा न तो सर्वत्र और न पूरी तरह फलीभूत हो पाई। बल्कि इसके विपरीत, बहुतों को तो ऐसा महसूस हुआ कि विकासशील देश प्रौद्योगिकी के रथ के पहियों तले कुचले जा रहे हैं। कतिपय ऐसे विकासशील देशों के मामले में भी जहां प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण सफलतापूर्वक किया जा सका, देखने में यह आया कि उसके परिणामस्वरूप जो विकास-कार्य हुआ वह एकदम पश्चिमी देशों के ढंग का था और उनको अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों से वस्तुतः मेल नहीं खाता था।

तो, यह प्रश्न आज भी हमारे सामने है और जो प्रतिनिधिमंडल उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे वे अपने मन में यही बात लेकर स्वदेश लौटे थे कि उन्हें प्रौद्योगिक विकास और उसकी प्रयुक्तियों से सम्बन्धित नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। वियना सम्मेलन में कुछ सामान्य सिद्धान्तों पर पुनः बल दिया गया मालूम होता है। इनमें विकासशील देशों की वैज्ञानिक और तकनीकी सामर्थ्य में वृद्धि करना और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी सम्बन्धों के वर्तमान ढांचे में फेरबदल करना शामिल है। वैसे, वियना सम्मेलन में इस समस्या के दो मुख्य पहलुओं पर पूर्ण मतैक्य नहीं हो सका। ये है : राष्ट्रपरीय (बहुराष्ट्रिक) प्रतिष्ठानों की भूमिका और प्रौद्योगिकी के अर्जन तथा स्थानांतरण के करारों की शर्तें। इन दोनों पहलुओं के बारे में दूसरे बहुत से मंचों पर विचार-विमर्श होगा और दावे-जवाबी दावे प्रस्तुत किए जाएंगे। हां, वियना सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र संघ के तंत्र की भूमिका को मजबूत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को समर्थन देने के लिए स्वैच्छिक योगदानों में किंचित विस्तार करने के बारे में समझौता हो गया।

क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि विकासशील देश आगामी वर्षों में नवीन प्रौद्योगिकी नाम की इस छलनामयी चीज को बिना खुद उसके जाल में फंसे, पकड़ पाने में पहले के मुकाबले ज्यादा सफल हो सकेंगे? एक बुनियादी महत्व का मुद्दा विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी और विकास के परस्पर एकरस हो जाने का है। भूतकाल में, कुछ तो अपनी किन्हीं खामियों की वजह से और कुछ अपने ऊपर थोपे गए हालात के सबब से, विकासशील देशों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास को तकरीबन

*मिस्र के इब्राहीम हेलमी अब्देल रहमान सन् 1967 से 1974 तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के प्रथम कार्यकारी निदेशक और 1975-70 में स्वदेश में योजना और प्रशासन सुधार के मन्त्री थे। संप्रति वे मिस्र के प्रधान मन्त्री के वरिष्ठ सलाहकार हैं। उन्होंने सर्वप्रथम 1947 में यूनेस्को में कार्य प्रारम्भ किया जब वे मध्यपूर्व एशिया में यूनेस्को विज्ञान सहयोग कार्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित थे। (जो अब अरब देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय कार्यालय है), प्रस्तुत लेख की सामग्री अगस्त, 1979 में वियना में हुए 'विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' में अधिकारिक रूप से प्रस्तुत प्रलेखों से ली गई है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीन अलग-अलग स्वाधीन एवं आंशिक तन्त्रों के रूप में ग्रहण किया है जबकि सच्चाई यह है कि, किसी समाज में, प्रौद्योगिकी के सफल विकास और उसकी प्रयुक्ति के लिए इन तीन घनिष्ठ रूप सम्बद्ध तन्त्रों के एकीकरण और समस्वरता की जरूरत होती है।

विज्ञान जो प्रेक्षण, अनदान, निगमन और प्रयोग के तर्क के सहारे ज्ञान की खोज करता है, अब दिनोंदिन अनेक प्रौद्योगिकियों की आधारशिला और उद्गम का रूप लेता जा रहा है। वैज्ञानिक उपक्रम का उद्देश्य उसकी प्रयुक्ति में निहित नहीं होता और वैज्ञानिक प्रयासों को उनके अपने प्रेक्षण और निगमन के तर्क के आधार पर सफल तथा स्वीकार्य (आवश्यक नहीं कि सदा के लिए) घोषित किया जाता है, न कि उनकी उपादेयता के आधार पर। वैज्ञानिक अध्ययन गवेषणात्मक तथा चिंतनप्रधान होते हैं और वैज्ञानिकों को मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने और अज्ञेय तक पहुँचने के नये-नये रास्तों का पता लगाने के पूरे अवसर उपलब्ध होने चाहिए, फिर चाहे वह पदार्थ की अंतरतम संरचना की खोज हो या दिक्काल के बराबर जारी रहने की चरम विस्तृति तक पहुंचने का प्रयास। विज्ञान के सिद्धान्त उसके द्वारा आविष्कृत तार्किक संरचनाएं हैं जो ज्ञान के निर्माण के लिए अस्थायी "पाड़ों" का काम देते हैं। ये आगे चलकर रद्द किए जा सकते हैं अथवा इनका स्थान दूसरे सिद्धांत ले सकते हैं। विज्ञान तो प्रेक्षणों के ढांचे में सिद्धान्तों को फिट करने का प्रयास करता है और सिद्धान्तों तथा पिछले प्रेक्षणों की सहायता से भावी घटनाओं का पूर्व-कथन करता है।

दूसरी ओर प्रौद्योगिकी हमें तरह-तरह के कामों को 'कैसे' करें, इस बात की जानकारी देती है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान से पुरानी है और जिस प्रकार समूचे विज्ञान की व्यवहारगत प्रौद्योगिक प्रयुक्ति संभव नहीं है उसी प्रकार समूची प्रौद्योगिकी का भी ज्ञान वैज्ञानिक आधार नहीं है। पशुओं को पालतू बनाना, मछली पकड़ना, आखेट, आग जलाना, कृषि, धातु के औजार बनाना आदि सब बहुत पुरानी प्रौद्योगिकी हैं जिन्हें मनुष्य ने पशुपालन, पौधों के जनन, उष्मा तथा घर्षण ऊर्जा और आधुनिक धातुविज्ञान के वैज्ञानिक आधारों के विकास से सदियों पहले प्रयत्न, दृष्टि और अपनी आविष्कार शीलता के बूते पर सीखा था। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी अभ्यास से और कभी-कभी अकस्मात् ही हाथ आ जाती है और उसका विकास प्रयत्नत्रुटि के माध्यम से होता है। प्रौद्योगिकी की सफलता केवल उसकी प्रयुक्ति और इस्तेमाल से आंकी जा सकती है।

प्रौद्योगिकी के कोरे ज्ञान से ही उसकी प्रयुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती जब तक कि कतिपय अन्य कारक मौजूद न हों जिन्हें अर्थशास्त्र की आधुनिक भाषा में उद्यम वृत्ति और उत्पादन के कारक कहा जाता है। पनचक्की और पवनचक्की ही नहीं बल्कि स्टीम रोटेवर जेट तक के बारे में छोटी जानकारी काफी पहले मौजूद थी लेकिन उनकी प्रयुक्ति और विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बहुत बाद में पैदा हो पाई। हर साल हजारों 'आविष्कारों' के पेटेन्ट रजिस्टर कराए जाते हैं पर उनमें से कुछ ही आविष्कार प्रयुक्ति के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। किसी 'प्रौद्यगिक जानकारी' को ज्ञान के चरण से उत्पादन के चरण तक पहुंचने के लिए काफी मार्ग तय करना पड़ता है तभी वह प्रयुक्ति की आर्थिक और सामाजिक कसौटियों अर्थात् लाभप्रदता और ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल पर खरी उतर पाती है। प्रौद्योगिकी रूपी 'हलुवे' के बढ़िया होने का प्रमाण इसी में है कि ग्राहक उसे स्वादिष्ट मानकर 'खा ले'।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ग्राहक लागत की परवाह किए बिना सभी नए विचारों की आजमाइश करने के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध काल में प्रायः ऐसा ही होता है। इसीलिए, स्वभावतया, सैनिक खर्च और नवीन प्रक्रियाओं की बाढ़ के बीच सम्बन्ध पाया जाता है। इसी सम्बन्ध के कारण, गलती से प्रौद्योगिकी को अपने आप में एक विनाशकारी शक्ति मान लिया जाता है।

प्रौद्योगिकी का अंतरण मनुष्यों और वस्तुओं के गमनागमन के जरिए होता था, और आज भी इसी तरह होता है। लेकिन प्रौद्योगिकी की उपयोगी प्रयुक्ति के लिए अपेक्षित परिस्थितियों और कारकों को एक जगह से दूसरी जगह अंतरित नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि ज्ञान अथवा कार्यविधि के अंतरण मात्र से प्रौद्योगिकी की सफल प्रयुक्ति सुनिश्चित नहीं की जा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकतीं। अब हम समझ सकते हैं कि जिस देश [illegible] न सफल प्रयुक्ति के पिछले अनुभव का आधार है और न सफल प्रयुक्ति के लिए अपेक्षित परिस्थितियां और कारक हैं उसकी औद्योगिक उन्नति के मार्ग में कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं।

लेकिन विकासशील देश ठीक यही करने की कोशिश में हैं और विकसित देश भी उन्हें ऐसा ही करने की सलाह दे रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में बहुत-सी जानकारी तो खुले आम उपलब्ध है और विशिष्ट प्रौद्योगिकी प्रक्रमों को, जो पेटेन्टों द्वारा संरक्षित हैं, उनकी कीमत चुकाकर अंतरित कराया जा सकता है। लेकिन असली कठिनाई तो ग्रहीता अर्थात् विकासशील देशों की अपनी है और वह यह कि न तो उनके पास इस निःशुल्क उपलब्ध जानकारी को इस्तेमाल में लाने की प्रौद्योगिक सामर्थ्य है और न वे अन्य देशों से खरीदे गये प्रक्रमों को व्यवहार में ला पाते हैं, भले ही ये प्रक्रम वाजिब कीमत पर खरीदे गए हों और उनके चयन में अपेक्षित कौशल से काम लिया गया हो।

यह एक "पहले मुर्गी या अंडा" वाली स्थिति ही है जिसमें अभिकल्पन और उत्पादन की आर्थिक क्रियाओं के साथ प्रौद्योगिक क्षमता को क्रमशः चुने हुए क्षेत्रों में अंतर्ग्रथित करते हुए बड़ी कुशलता के साथ देश की प्रौद्योगिक सामर्थ्य को बढ़ाना होता है। यह बड़ी कठिन और जटिल प्रक्रिया है जिसके अभाव में विकासशील देशों की पकड़ से प्रौद्योगिकी बार-बार फिसल जाती है।

प्रौद्योगिकी कितनी छलनामयी हो सकती है इसका स्पष्ट उदाहरण प्रतिभा पलायन है। मान लीजिए, कोई विकासशील देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त कार्मिकों का एक मजबूत और सुयोग्य "मानव आधार" तैयार करने का प्रयास करता है। लेकिन योग्यता हासिल कर लेने पर उनमें से अनेक कार्मिकों को देश के अन्दर अपने व्यवसाय और प्रशिक्षण के अनुरूप रोजगार के अच्छे अवसर नहीं मिल पाते। पारिश्रमिक की राशि इतनी कम और उपलब्ध उपस्करों तथा सुविधाओं का स्तर इतना नीचा होता है कि ये लोग या तो विदेश स्थित अपने प्रशिक्षण संस्थानों में ही लौट जाते हैं या फिर उन्हें देश के अन्दर ऐसे प्रशासनिक या [illegible] स्वीकार करने पड़ते हैं जिनमें उनके जटिल प्रशिक्षण का कोई उपयोग नहीं हो पाता। उनमें से जो लोग विश्वविद्यालयों या स्थानीय शोध संस्थानों में टिक जाते हैं उन्हें मजबूरन अपने वैज्ञानिक क्रियाकलापों का स्तर गिरा देना पड़ता है। यहीं पर विरोधाभास प्रत्यक्ष होता है—एक ओर तो विकासशील देश में, प्रशिक्षित कार्मिकों के बिना, आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विस्तार नहीं कर सकते और दूसरी ओर, जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ आधार मौजूद न हों, आप प्रशिक्षित कार्मिकों को बांध कर नहीं रख पाते।

दूसरा उदाहरण है, शोध संस्थानों की स्थापना का। प्रायः इनकी शुरूआत आयातित विदेशी उपस्कर, विदेशी विशेषज्ञों और ऐसी समस्याओं को दृष्टि में रखकर की जाती है जो स्थानीय परिवेश से कोई खास ताल्लुक नहीं रखतीं। उसके बाद कृषि, उद्योग, आवास तथा अन्य क्षेत्रों की स्थानीय महत्व की समस्याओं का पता लगाने की कोशिशें की जाती हैं। देश के उद्योगपति और व्यवसायी सिद्धांततः राष्ट्रीय शोध और विकास केन्द्रों का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन वे देखते हैं कि किसी औद्योगिक प्रक्रिया के अभिकल्पन अथवा बड़-बड़े पुलों और बांधों के निर्माण का काम हाथ में लेने की क्षमता अभी इन संस्थानों में नहीं है। जाहिर है कि इस मामले में वे कोई जोखिम नहीं ले सकते। अतः वे अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और फर्मों के अनुभव का आश्रय लेते हैं। बार-बार इस तरह उपेक्षित होने से राष्ट्रीय संस्थान कभी परिपक्वता की स्थिति तक पहुंचने लायक अनुभव ग्रहण नहीं कर पाते, वे अपने ही देश के आर्थिक और औद्योगिक वर्ग से दूर हो जाते हैं।

यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि प्रौद्योगिकी के धारकों की किसी देश के स्थानीय प्रौद्योगिक आधार को मजबूत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, कोई देश अपना आधार बनाए तो वे इस पर आपत्ति नहीं करते पर उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उसका खर्च अपनी जेब से देंगे। उनकी दिलचस्पी तो अपना सौदा पटाने में होती है जिसमें वे, खरीदार देश की अज्ञानता या दुर्बल सौदा-शक्ति का फायदा उठाते हुए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कई बार अनुबन्धों में ऐसी-ऐसी प्रतिबन्धात्मक धाराएं शामिल करा लेते हैं जिनसे वह देश सौदे के पूरे लाभ उठाने से भी वंचित रह जाता है।

किसी व्यवहार्य प्रौद्योगिकी तंत्र के घटक तत्व हैं, विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध प्रशिक्षित कार्मिक, विशेषकर तकनीशियन, शोध उपस्कर और संस्थान, पुस्तकालय और संदर्भ सुविधाएं वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक प्रकाशन और विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच, पथप्रदर्शी तथा अर्ध-औद्योगिक संयंत्र, पेटेन्टों तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण के बारे में नियम-विनियम, अभिकल्पन तथा परामर्श सेवाएं एवं उपयुक्त वित्तीय तथा प्रबन्धन क्षमताएं। एक अच्छे वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक ढांचे के लिए उपयुक्त सभी तत्वों का होना आवश्यक है लेकिन साथ ही, इन्हें एक ऐसे संघटित तंत्र के रूप में एकीकृत करना होता है जो बगैर बहुत-सी तथा बार-बार की बाहरी सहायता तथा उद्दीपन प्राप्त किए कार्यशील रह सके। इन तत्वों में से हरेक का अलग-अलग निर्माण वैसा ही है जैसा कि घड़ी के बीगर कल पुर्जों का होता है। घड़ी के सभी पुर्जे अनिवार्य होते हैं लेकिन वे समय तभी दर्शाते हैं जब उन्हें जोड़कर घड़ी का रूप दे दिया जाता है।

वैसे, कोई एकीकृत प्रौद्योगिकी तन्त्र तब तक पूर्णतः व्यवहार्य नहीं बन पाता जब तक कि उसे उत्पादन तथा निवेश के क्षेत्रकों के साथ अंतर्ग्रंथित नहीं किया जाता। उत्पादन, विपणन, लाभ और बचत, तथा इसके बाद पुनः निवेश—इस चक्र के माध्यम से ही नवीन प्रक्रियाएं आर्थिक तन्त्र में स्थान बना पाती है और उसके बाद अपनी संवृद्धि तथा बढ़ोतरी के लिए अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य प्रकार का समर्थन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, जुटा पाती है।

विकासशील देशों में प्रायः उपस्करों पर अति निवेश करने तथा प्रशिक्षण, प्रबन्धन और सरल प्रौद्योगिकी पर जरूरत से कम पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सच पूछा जाए तो किसी एकीकृत प्रौद्योगिकी तंत्र तथा उद्योग के बीच सहकारिता तथा साहचर्य के आरम्भिक चरणों में सरल प्रौद्योगिकी का विकास शामिल होना चाहिए जिससे सावधानी के साथ चुने गये न्यूनतम उपस्कर और उसके बढ़िया रख-रखाव के साथ मानव कौशल का संयोग करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

इस प्रकार, एक ओर प्रौद्योगिकीविदों और शोध-कर्ताओं के बीच और दूसरी ओर उद्यमकर्ताओं तथा व्यवसाय प्रबन्धकों के बीच सहकारिता में वृद्धि करने से एक व्यवहार्य विकास क्रिया की शुरूआत की जा सकती है। कुछ वर्षों के बाद, यही सहकारिता एक स्वपोषी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देगी जिससे नई प्रौद्योगिकी का जन्म होगा जिसका कुछ अंश अन्य विकासशील देशों को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रौद्योगिकी इसी तरह समाज में अपनी जड़ें जमाती है।

आशय यह है कि विकासशील देशों को प्रौद्योगिक विकास की शुरुआत करते समय बुनियादी महत्व के थोड़े-से क्षेत्रकों अथवा समस्याओं को चुन लेना चाहिए और इन्हीं विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और उत्पादन के प्रभावी तथा क्रमिक अंतर्ग्रंथन को सुनिश्चित करने के लिए एकीकरण पैदा करने और गहनात्मक तरीके अपनाने चाहिए।

आंकड़ों का जायजा लें तो हम पाएंगे कि विकासशील देश विकसित देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति दस गुनी धनराशि अनुसंधान और विकास पर खर्च करते हैं। वे प्राय इस सीमित धनराशि को बहुत-से क्षेत्रकों और समस्याओं के ऊपर खर्च करने लगते हैं जिससे उसकी प्रभावोत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है। अगर विकासशील देश चुने हुए क्षेत्रकों पर एकीकृत तरीके से धनराशि लगाएं तो वे उन महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के प्रौद्योगिकी विकास के लिए अपेक्षित वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं और प्रभावोत्पादक परिणाम निकालने के लिए वित्त तथा साधनों को जिस संकेन्द्रण की जरूरत होती है वह पैदा कर सकते हैं।

इस तर्क की पुष्टि के लिए तीन उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहला उदाहरण राष्ट्रपारीय (बहुराष्ट्रिक) प्रतिष्ठानों का है जो विकासशील देशों में विभिन्न क्षेत्रकों में लाभाजक उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में प्रौद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से प्रायः सफलता प्राप्त कर दिखाते हैं। यह सही है कि इन प्रतिष्ठानों में अपने अनुभव सौदा पटाने और जोड़तोड़ करने की सामर्थ्य अधिक होती है लेकिन दूसरी ओर यह भी उल्लेखनीय है कि इनके खरीददार प्रायः सरकारें ही होती हैं और उन्हें इन राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त सत्ताओं से अपने प्रस्ताव मनवाने पड़ते हैं। यहाँ हमारे ध्यान देने की चीज इन बहुराष्ट्रिक प्रतिष्ठानों के कार्यकलापों का एकीकृत पहलू है जिसमें वे प्रौद्योगिकी, पूंजी प्रबन्धन, विपणन, और अन्य कौशलों का सुमेल करके उन्हें एक तंत्र के नियंत्रण में ले आते हैं और, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन का सफल रीति से एकीकरण एवं अंतर्ग्रंथन कर देते हैं।

दूसरा उदाहरण औपनिवेशिक संदोहन प्रणाली का है। इसमें आश्रित राज्य अथवा उपनिवेश की कृषि तथा खनिज कच्चे माल के उत्पादन की योजना बड़ी होशियारी के साथ तैयार की जाती थी और उसे संगठन, वर्गीकरण, मानकीकरण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की अधुनातन तकनीकों का प्रयोग करते हुए शासक देश में स्थापित उद्योग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के पोषण के लिए उसके साथ सम्बद्ध कर दिया जाता था। ऐसी अत्यन्त सुगठित व्यवस्थाएं बागानों, औद्योगिक अँत.क्षेत्रों तथा जटिल प्रणालीयुक्त व्यवहार निगमों और कठोर गुण-नियन्त्रण तंत्रों में पायी जाती हैं जहां कच्चा माल समूचे उत्पादक क्षेत्रकों के लिए नहीं अपितु पुनर्निर्यात के लिए लाया जाता है।

तीसरा, और शायद सबसे स्पष्ट, उदाहरण उन पद्धतियों का है जिनसे उन्नत: देशों में प्रौद्योगिकी विकसित हुई है और वर्तमान में भी हो रही है। यह लगभग उन्हीं चरणों में सम्पन्न होती है जिनकी चर्चा ऊपर दो मुख्य प्रस्तावों में की जा चुकी है अर्थात्, उत्पादन और आर्थिक क्रियाकलापों के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण तथा अन्तर्ग्रथन। ऐतिहासिक कारणों से, पाश्चात्य देशों में इन क्रियाकलापों के चक्रीय दौरों में भाग लेने वाली संस्थाएँ प्रायः स्वायत्त रूप में विकसित हुई हैं। जबकि केन्द्रीय आयोजना वाली अर्थव्यवस्थाओं में और जापान में इन्हें अपेक्षाकृत अधिक आयोजित ढंग से तथा विशेष अभिकल्पों को सामने रखकर खड़ा किया गया है।

इधर, विकसित देशों में प्रौद्योगिक उन्नति की एक नई बाढ़ आ रही है जिसका विकासशील देशों पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। ये देश अपनी जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीब और सामाजिक परिवर्तन से संबन्धित दिनों दिन विकट होती जाती समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रौद्योगिक क्षमताओं का विस्तार करने में अब और ज्यादा समय खोने की स्थिति में नहीं हैं। साथ ही, इन्हें औद्योगीकृत देशों की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलने की चुनौती का सामना करना है। कुल मिलाकर उनके लिए अब यह बड़ा आवश्यक हो गया है कि इस बार प्रौद्योगिकी को किसी भी सूरत में अपने हाथों से न फिसल जाने दें।

निर्धन देशों में (और औद्योगीकृत देशों में भी) विकास कार्यों का उद्देश्य नागरिकों को उपलब्ध होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना मात्र नहीं है। जरूरत इस बात की भी है कि समाज में न्याय-भावना का विस्तार हो और नागरिकों के बीच आय-वितरण की असमानताएं कम हों। यह आर्थिक लोकतंत्र का ही एक रूप है जो सामाजिक स्थायित्व लाने और समाज के संचालन में जनता के सभी वर्गों के अधिकाधिक योगदान के लिए जरूरी है।

उत्पाद्य वस्तुओं और सेवाओं के सम्बन्ध में अब नई अग्रताएं स्थापित हो रही हैं। उन्नत देशों में पर्यावरण और जीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि इससे आगे चलकर दिनोंदिन बढ़ते रक्षा खर्चों में कमी करके पैसा अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाया जाएगा—भावी मांग के स्वरूप को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, जनसंख्या में होने वाली मंद-वृद्धि, दीर्घतर आयु-आशंसा और आधुनिक कल-कारखानों की भारी एकरसता तथा महानगरों की अति भीड़-भाड़ प्रौद्योगिकी को नए आवास प्रदान करेगी।

दूसरी ओर, विकासशील देशों में जहाँ इस शताब्दी के अन्त तक "युवा" वर्ग के लोगों की संख्या में अब से दो-तीन गुने की वृद्धि हो जाने की संभावना है, बढ़ती हुई आबादी के जैविक तथा सामाजिक अस्तित्व की रक्षा के लिए मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा। अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रताओं में आवश्यक फेरबदल करने और अर्जक आयुवर्ग के करोड़ों जवान लोगों के लिए अर्थकर काम धंधे पैदा करने के लिए काफी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने होंगे - यह बात एशिया के भारी जनसंख्या वाले देशों और सर्वाधिक अल्पविकसित देशों पर जो ज्यादातर अफ्रीका में हैं, विशेष रूप से लागू होती है।

इस प्रकार, आगामी दो दशकों में सभी देशों में मांग के स्वरूप और सामाजिक अग्रताओं में काफी परिवर्तन आने की संभावना है। प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमताओं को इन परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियां का सामना करना होगा। नई प्रौद्योगिकी का जन्म आगे भी प्रायः विकसित देशों में ही होगा और उसका इस्तेमाल पहले वहीं की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा। अतः विकासशाल देशों को यथासभव अपनी प्रौद्योगिकी का स्वयं विकास करना होगा और पूरक के रूप में बाहर से जो भी प्रौद्योगिकी लानी होगी उसे सावधानी से चुनकर तथा काफी अनुकूलित करने के बाद इस्तेमाल करना होगा।

विकास के प्रकार, उत्पादन की सामाजिक अग्रताएं, सांस्कृतिक विशेषताएँ और मूल्य प्रणालिया - ये ही वे तत्व हैं जिन पर विकासशील दशों में प्रौद्योगिकी के उद्भव, अर्जन तथा प्रयुक्ति की जटिल प्रक्रियाओं का निर्देशन और पुनः विन्यास मूलतः अवलम्बित है। इसके लिए बड़े ही सुबद्ध और गतिक रूप से अन्तर्जाति प्रौद्योगिक क्षमताओं का सर्जन करना होगा अन्यथा विकासशील देशों के लिए एक बार फिर नई प्रौद्योगिकी के भारी पहियों के नीचे कुचल जाने का खतरा पैदा हो सकता।

['यूनेस्को दूत के साभार से']

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुटनिरपेक्षता और भारत की विदेश-नीति

■ दिवाकर कौशिक*

भारत की विदेश नीति के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को लेकर विद्वानों समीक्षकों और आलोचकों के मध्य इतना मतभेद व्याप्त हो चुका है कि आज गुटनिरपेक्षता के दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर अनेक भ्रांत धारणाएँ प्रचलित हैं। जहाँ एक ओर विदेश नीति के निर्णायक और विषय-विशेष से सम्बन्धित विशेषज्ञ आज भी अपने वक्तव्यों में गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को सर्वोपरि मानते हैं और उसके पालन हेतु कटिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक टिप्पणीकार और आलोचक बीसवीं सदी में इस अवधारणा की सार्थकता और औचित्य पर प्रश्न-चिन्ह लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता की सार्थकता और उसके विभिन्न आयामों का स्पष्टीकरण वाँछनीय हो जाता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात भारत की आन्तरिक स्थिति अव्यवस्था और असंतोष द्वारा परिभाषित हो चुकी थी, उत्तरी भारत साम्प्रदायिक दंगों की आग से बुरी तरह ग्रसित था। एक ओर विरोधी दल नेहरू सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे तथा दूसरी ओर करोड़ों शरणार्थियों के रहने की समस्या के आर्थिक बोझ ने शासन तन्त्र को और भी जर्जर बना दिया था। ऐसी विकट स्थिति में भारत की प्रमुख आवश्यकता सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना करना था। लेकिन राष्ट्रीय विकास के लिए हमें विदेशी आर्थिक और तकनीकी सहायता लेना आवश्यक था और आशंका इस बात की थी कि सहायता की आड़ में बाहरी दबाव के फलस्वरूप हमें कहीं अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व और गरिमा से समझौता करने पर विवश तो नहीं होना पड़ेगा? ऐसी परिस्थिति में भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति को अंगीकार करने का निश्चय सर्वथा उपयुक्त और दूरदर्शिता पर आधारित था।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व का दो खेमों में बट जाना स्पष्ट था और महाशक्तियों के मध्य तनाव, शीत-युद्ध के रूप में धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधिपत्य स्थापित कर रहा था, तब भारत अपनी अनेक आन्तरिक समस्याओं के समाधान में उलझा हुआ था। विस्तृत क्षेत्रफल, बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक पिछड़ापन और सैनिक अक्षमता ने भारत को विवश कर दिया था कि वह गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा भौगोलिक और सामरिक अवस्थाओं के मध्य सन्तुलन बनाते हुये अपने राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करे। यह गुटनिरपेक्षता की नीति पुराने, बलात् और वस्तुपरक राजनीति के स्थान पर संतुलित शक्ति-प्रेरित राजनीति के साथ साथ विश्व के राष्ट्रों में सामंजस्य, शांति और सहकारिता की भावना पर आधारित थी।

गुटनिरपेक्षता की शाब्दिक परिभाषा भी अत्यन्त भ्रामक है क्योंकि इसके निषेधात्मक पक्ष ने विद्वानों में काफी हद तक असंतोष और अनिश्चितता की भावना को प्रोत्साहन दिया है लेकिन भारत की दार्शनिक और वैचारिक परम्परा पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निषेधात्मक संज्ञा के प्रति भारतीय विद्वानों की विशेष अभिरूचि रही है। उन्होंने निषेधात्मक शब्दों द्वारा सार्थक भावनायें व्यक्त की हैं। उदाहरण के तौर पर 'विजय' या 'पराजय' के स्थान पर 'जय-अजय', 'बहुत' के स्थान पर 'कोई नहीं' या 'अनेक' का प्रयोग करना इसी तथ्य की पुष्टि करता है। इसी प्रकार से 'अहिंसा', 'अप्रमाद', 'अवैर' जैसे शब्द भी इस ओर इंगित करते हैं और 'गुटनिरपेक्षता' भी इस चली आ रही परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

कुछ आलोचक गुटनिरपेक्षता को एक निषेधात्मक नीति मानकर उसकी तुलना तटस्थता से करते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। भारतीय विदेश-नीति के निर्णायकों ने गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थकता प्रदान करने की चेष्टा की। उनका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उसका पालन करना था जो सामाजिक, आर्थिक विकास द्वारा देश में प्रगति लाने में निहित था। भारत को विश्व-शांति

*रिसर्च असिस्टेन्ट, राजनीति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थापित करते हुए, शीत युद्ध और गुटों की राजनीति के दुष्परिणामों से अपने आप को बचाना था।

सात सितम्बर 1947 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित नेहरू की घोषणा से भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का आरम्भ हुआ। यह नीति सार्थक और उपयोगी गतिशीलता पर आधारित थी जिसका विशेष रुझान विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने पर केन्द्रित था। इसके अनुसार भारत प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न को पहले अपने हितों और फिर उसके गुणों पर परखने के बाद निर्णय लेगा। इस प्रकार किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव से मुक्त होकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निर्णय लेकर स्वतत्रता से कार्य करते हुए गुटनिरपेक्षता भारत के राष्ट्रीय व्यक्तित्व और पहचान बनाये रखने में एक सार्थक कदम था। गुटनिरपेक्षता का नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह न्यायिक निष्पक्षता पर आधारित है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक रेफरी और अम्पायर की हैसियत से कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वे स्वयं इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और किसी भी प्रश्न पर स्वतंत्रता से निर्णय लेने के पश्चात् उनका किसी भी एक पहलू या दल का साथ देना आवश्यक हो जाता है।

साधारणतयः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि गुटनिरपेक्षता का उद्भव शीत युद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था लेकिन अब जब विश्व के बहुध्रुवीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन आ चुका है तथा गुटनिरपेक्षता की दुहाई देना निरर्थक ही नहीं सर्वथा अनुपयुक्त है। यह तर्क भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि गुटनिरपेक्षता का प्रारम्भ शीत-युद्ध के दौरान हुआ था जब शीतयुद्ध के दुष्परिणामों के विरुद्ध आवाज उठाना उसके लिए प्रथम आवश्यकता बन गई थी। इसके अलावा शीतयुद्ध का गुटनिरपेक्षता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं था क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का आभास हमें शीत युद्ध से बहुत पहले सन् 1921 में ब्रूसेल्स में हुई कांग्रेस ऑव आपरेस्ड नेशन्स से मिलता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, मनः स्थिति एवं दृष्टिकोण विदेश नीति के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन और अन्य तथ्यों का सम्मिलित मिश्रण है। कालान्तर में गुटनिरपेक्षता की नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद विरोध के साथ ही रंग-भेद विरोधी आदर्श इसके मुख्य अंग बन गये। सन 1954 में पंचशील और शांतिपूर्ण सहचारिता की नीति ने गुटनिरपेक्षता के दार्शनिक पक्ष को और मजबूती प्रदान की।

गुटनिरपेक्षता शक्ति-प्रेरित राजनीति से विमुख होकर मार्गेन्थ्यू के उस दृष्टिकोण का खंडन करता है जिसके अनुसार राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है। गुटनिरपेक्षता के अनुसार बलात राजनीति भी एक प्रकार की नीति है परन्तु अन्य नीतियाँ भी शांतिपूर्ण और न्यायिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में व्याप्त शक्ति-प्रेरित राजनीति का एक विकल्प प्रस्तुत करती है। पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार गुटबन्दी युद्ध-काल की मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इन दो गुटों के बीच में संचार और विवेक के माध्यम बन कर आपसी वैमनस्य और शंका का निराकरण करेंगे। उन्हें इस बात का पूर्ण आभास था कि ये राष्ट्र अपनी आर्थिक और सैनिक अक्षमताओं के कारण महाशक्तियों पर कोई विशेष प्रभाव न डाल सकेंगे परन्तु अपने आदर्शों और दार्शनिकता द्वारा विश्व शांति में सहयोग देंगे।

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति समय समय पर संकटकालीन स्थितियों में खरी उतरी है। सन् 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान जनरल मैक आर्थर ने जब 38वें समानान्तर सीमा रेखा का उल्लंघन कर उत्तरी कोरिया पर चढ़ाई करके लड़ाई को चीन के द्वार तक पहुंचा दिया तथा चीन ने अमरीकी सैनिकों पर भीषण प्रहार शुरू कर दिया था जिसके फलस्वरूप अमरीका घबड़ा कर चीन को सबक सिखाने के लिए उस पर अणु बम का प्रयोग करने को विवश हो गया था। तब नेहरू के समझाने पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ऐटली ने अमरीका जा कर राष्ट्रपति ट्रूमैन को इस खतरनाक कदम उठाने से रोका था। यदि उस समय अमरीका चीन पर अणु बम का प्रयोग कर देता तब रूस तुरन्त चीन की सहायता के लिए आता और सम्पूर्ण संसार को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्णयकों द्वारा गुटनिरपेक्षता का समर्थन और पालन करना उनकी दूरदर्शिता और सूझ-बूझ का परिचय देता है। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए यह आवश्यक भी था कि वह प्रत्येक प्रश्न पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करे जो कि किसी भी एक गुट के समर्थक होने पर असम्भव हो जाता। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यदि हम पश्चिम के राष्ट्रों का समर्थन करते तो हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों चीन और रूस से शत्रुता मोल ले लेते और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा से असहमति होने के कारण हम रूस और चीन का साथ देने में असमर्थ थे। वस्तुपरकता की दृष्टि से भी गुटनिरपेक्षता ने हमें दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता दिलाने में काफी मदद दी। इस पृष्ठभूमि में यदि हम अब तक की भारतीय विदेश नीति का अवलोकन करें तो गुटनिरपेक्षता की सार्थकता और उपयोगिता और भी स्पष्ट हो जायेगी।

पं. जवाहर लाल नेहरू के काल में हम शीतयुद्ध को चार हिस्सों में बांट सकते हैं जिनकी पृष्ठभूमि में, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय गुटनिरपेक्षता ने अपनी सार्थकता और औचित्य का उत्तम परिचय दिया। पहला काल द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद सन् 1946 में चर्चिल के फुल्टन में दिये गये भाषण से शुरू होता है जिसके फलस्वरूप विश्व प्रतिद्वन्द्वात्मक संधियों और सम्बन्धों के चक्रव्यूह में फंस गया। दूसरा काल सन 1950 से 1954 के बीच अनेक सीमित लड़ाइयों का था। तीसरे काल की समाप्ति सन 60 में पेरिस शिखर वार्ता द्वारा हुयी और इस समय विश्व का द्विध्रुवीकरण बिखरने लगा था। नेहरू के समय में शीतयुद्ध के चौथे और अन्तिम काल में दोनों महाशक्तियों को इस बात का आभास हो चुका था कि उनकी शक्ति असीमित नहीं है और विश्व में अन्य नये शक्ति केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। शीतयुद्ध की इस पृष्ठभूमि में भारतीय गुटनिरपेक्षता का आवलोकन कुछ प्रमुख तथ्यों द्वारा किया जा सकता है।

25 जून सन् 1950 को जब कोरिया में युद्ध छिड़ा तब भारत ने बिना किसी गुट का साथ देते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाई और उस क्षेत्र में शांति की स्थापना में अपना योगदान दिया। अमरीकी दृष्टिकोण, कि कोरिया का युद्ध एक विश्व-व्यापी कम्युनिस्ट षडयन्त्र का भाग है, का खंडन करते हुए भारत ने कोरिया के दोनों भागों का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांतिपूर्ण समाधान और विलय पर जोर दिया। युद्ध-विराम और बन्दियों की वापसी में भी भारत ने एक सार्थक भूमिका निभाई और इस तरह से गुटनिरपेक्षता का पालन करते हुए बिना किसी बाहरी दबाव के, भारत ने कोरिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहायता की। इसी प्रकार से अक्टूबर 1949 में भारत का चीन में स्थापित नई सरकार को मान्यता देना, भारतीय गुटनिरपेक्षता का एक साहसिक और सार्थक कदम था क्योंकि उसका विचार था कि चीन की क्रांति राष्ट्रवादी तत्वों द्वारा उपनिवेशवादी अत्याचारों पर विजय का द्योतक है।

जून 1956 में स्वेज नहर वाले मामले में भी भारत का काम सराहनीय रहा है। उस क्षेत्र से विदेशी सैनिकों की वापसी की मांग करके साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाना और बाहरी ताकतों को उस क्षेत्र में कूदने से रोकने में भारत ने काफी सहायता दी। इसके अलावा उपनिवेशवाद के विरोध में आवाज उठाकर एक मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करके भारत ने अपनी धर्म निरपेक्षता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की पश्चिम राष्ट्रों की नीतियों का समर्थन करने की चाल का उपहास उड़ाया। अरब राष्ट्रों में गुटनिरपेक्षता की भावना के विकास को भी भारत के इस रवैये से काफी बढ़ावा मिला। सन 1956 में ही हुये हंगरी के गृह-युद्ध में भारतीय नीति से इस बात की भ्रांति हो सकती हैं कि हमने रूस का साथ दिया परन्तु यह गलत हैं क्योंकि जब अमेरिका हंगरीवासियों की मदद करता रहा हमने उसका पूर्ण समर्थन किया लेकिन जब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ हंगरी के निजी क्षेत्र में चुनाव की मांग करने लगे तो हमने उसका कड़ा विरोध किया क्योंकि काश्मीर के निजी क्षेत्र में भी हम चुनाव और बाहरी दबाव का विरोध करते चले आ रहे थे।

सन् 1960 में कांगो के मसले पर भी भारत ने निडर होकर उपनिवेशवाद का विरोध किया यहां तक कि उसे रूस के हितों के खिलाफ निर्णय लेना पड़ा। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुटनिरपेक्षता की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अवधारणा किसी दो शक्तियों के बीच समान दूरी बनाये रखने पर आधारित नहीं है क्योंकि कइ बार ऐसा आभास हुआ कि भारत किसी एक महाशक्ति के अधिक निकट है परन्तु भारत ने अपने निर्णय स्वतन्त्र पूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करने के बाद लिए, न कि किसी बाहरी दबाव की विवशता के कारण।

अमेरिका के साथ भारत के राजनैतिक सम्बन्ध पूरी तौर पर मित्रता के नहीं रहे क्योंकि भारत द्वारा, कोरिया युद्ध के दौरान अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराना तथा चीन को मान्यता देना आदि अमेरिकी दृष्टिकोण के विरुद्ध था। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता देकर तथा बगदाद समझौते और सीटो (SEATO) द्वारा शीतयुद्ध को भारत के द्वार तक पहुँचा दिया था। इन तथ्यों से हमें अमेरिका से शत्रुता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका अपने विश्व-व्यापी निजी हितों की पूर्ति में लगा हुआ था जिसमें भारत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। सन् 1961 में केनेडी के राष्ट्रपति पद सम्हालने के उपरान्त अमरीकी-भारतीय सम्बन्धों में परिवर्तन आया जब अमेरिका ने भारतीय गुटनिरपेक्षता की सार्थकता और औचित्य को नये सिरे से समझने की चेष्टा की।

प्रारम्भ में रूस के साथ भारत के सम्बन्ध ज्यादा घनिष्ठ न थे। रूस भारत को आँग्ल-अमेरिकी कूटनीति का मोहरा समझता था लेकिन जब भारतीय गुटनिरपेक्षता से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी अमेरिका से कोई मिली-भगत नहीं है तब भारत-रूस मैत्री और दृढ़ होने लगी। स्टालिन की मृत्यु और रूस-चीन मतभेद के पश्चात भारत-रूसी सम्बन्धों में अधिक घनिष्ठता आयी जो कि कालान्तर में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक दूसरे का साथ देने के साथ साथ सन् 1971 की संधि में परिवर्तित हुयी।

चीन के साथ भारत के सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में चीन ने दक्षिण एशिया और अविकसित राज्यों का नेतृत्व करने की होड़ में, भारत के प्रति अपना रवैया बदला। हालांकि नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चीनी सरकार को मान्यता और समर्थन दिया परन्तु पंचशील और बाडुंग सम्मेलन के बाद चीन से हमारे सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये। रूस के साथ मित्रता से स्थिति और नाजुक हो गयी और सन् 1962 में, भारत पर आक्रमण करके चीन ने अपनी बदनीयती का परिचय दे डाला। आलोचकों के अनुसार चीनी आक्रमण गुटनिरपेक्षता की निरर्थकता और पतन को प्रतिबिम्बित करता है। यह सच है कि भारत उस समय चीन की तुलना में सैनिक दृष्टि से अक्षम था लेकिन चीनी आक्रमण से नेहरू का चीन के प्रति स्वप्न भंग हुआ। यह उनकी चीन के प्रति अपनाई गई नीति की विफलता का उदाहरण था न कि सम्पूर्ण गुटनिरपेक्षता का।

लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। चीनी आक्रमण के बाद रूस को इस बात का डर था कि भारतीय गुटनिरपेक्षता पर अमेरिका का साम्राज्यवादी दबाव पड़ सकता है और इसके विरोध में संतुलन बनाते हुये रूस ने भारत को सैनिक और तकनीकी सहायता दी। पाकिस्तान के साथ हुये दोनों युद्धों में जब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया तब रूस ने भारत को समर्थन दिया। शास्त्री द्वारा ताशकन्द समझौता हालांकि राजनयिक दृष्टिकोण से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल हुआ परन्तु वस्तुपरकता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण न था क्योंकि जो हम युद्ध में जीते थे यह उसे हमने समझौते से गंवा दिया।

सन् 1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं और उनके हाथों नेहरू की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता का खुल कर विकास हुआ जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को काफी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त हुआ। बांगलादेश-युद्ध और सन 74 में राजस्थान में हुए सफल परमाणु विस्फोट द्वारा यह स्पष्ट हो गया था कि भारत किसी भी राष्ट्र से सैनिक और तकनीकी उपलब्धियों में पीछे नहीं है। कुछ आलोचकों का मत है कि श्रीमती गांधी पर रूस का काफी प्रभाव पड़ा और भारत के सभी निर्णय रूस की सहमति और निर्देशों द्वारा होते थे। पर ऐसा सोचना गलत है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत और रूस का एक ही पक्ष में निर्णय लेना महज इत्तफाक नहीं बल्कि दोनों राष्ट्रों के विचारों के समन्वय पर आधारित था चाहे वह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान हो। प्रारम्भ में भारत ने दोनों महाशक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने की चेष्टा की। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एशिया में अपना मोहरा बनाकर उसकी नीतियों का समर्थन किया और उसे आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करने लगा तब इस उपमहाद्वीप में बिगड़ते हुए शक्ति-संतुलन को ठीक करने के लिए, भारत को विवश होकर रूस की तरफ देखना पड़ा। रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के मसले पर अपने वीटो द्वारा भारत से अपनी मित्रता का आभास दिलाया तथा बांग्लादेश युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का संकेत दिया तथा रूस ने भारत को अपना साथ और समर्थन दिया। जिसकी परिणति सन् 1971 की संधि द्वारा हुई। लेकिन यह मैत्री भी दोनों राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहचारिता पर आधारित है और ऐसा करके में भारत ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व या गरिमा से कोई समझौता नहीं किया।

24 मार्च 1977 को जनता पार्टी के सत्ता में आने से भारतीय विदेश नीति का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ जो अधिक दिनों तक न चल सका। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में इस बात पर अधिक जोर दिया गया था कि वे गुटनिरपेक्षता के स्थान पर वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनायेंगे जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए सहायक होगी। श्री देसाई के वक्तव्यों से इस बात की आशंका हो गयी थी कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत का रुझान रूस की तरफ से हट कर अमेरिका की ओर हो जायेगा और भारत रूस मैत्री संधि समाप्त हो जायेगी परन्तु आने वाले वक्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भावनाओं की अपेक्षा वस्तुपरकता और यथार्थ पर आधारित होते हैं क्योंकि जनता काल के दौरान भारत के रूस के सम्बन्धों में और अधिक प्रगाढ़ता आयी। जनता पार्टी की विदेश नीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा महज एक परिभाषा को परिभाषित करना एवम् एक राजनीतिक समीकरण के अलावा कुछ अधिक न था।

श्री देसाई का वक्तव्य कि हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। श्री वाजपेयी द्वारा चीन का वियतनाम पर आक्रमण करने के कारण अपनी यात्रा जल्दी समाप्त कर लौट आना। अमरीका से तारापुर के लिए किये गये वायदों का पूरा न होना आदि जनता शासन की विदेश नीति की कमियों को उजागर करता है।

चीन और पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाने का जो सिलसिला जनता काल में प्रारम्भ हुआ वह सराहनीय था। एशियाई राष्ट्रों से मित्रता एवम् विश्व-शांति की दिशा में उठाये गये कदम भी प्रशंसनीय थे। जनता काल के दौरान सबसे साहसिक कार्य तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की भारत यात्रा के दबाव में न आकर भारत ने NPT पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करके चली आ रही परम्परा को कायम रखा।

सन् 1980 के चुनावों में जब श्रीमती गांधी दोबारा सत्ता में आयीं, तब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका था और आठवें दशक की राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिये भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता के आयामों को बदलना आवश्यक हो गया था। इस दशक में जहाँ अफगानिस्तान, पोलैंड, निकारागुआ, अल-सल्वाडोर, कम्पूचिया, भारतीय महासागर आदि क्षेत्रों में बढ़ते हुए तनाव से नवीन शीतयुद्ध का आह्वान हुआ था तो दूसरी ओर भारत विश्व के चौथे बड़े सैनिक प्रतिष्ठान और दसवें बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप में निखर कर सामने आ गया था।

आज आठवें दशक में पड़ोसी राष्ट्र भारत को बड़े भाई और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो पश्चिमी राष्ट्र भी भारतीय राजनीति तंत्र में अव्यवस्था और असंतोष की ओर इंगित करने के बावजूद भी भारत की उभरती हुयी सैनिक और आर्थिक शक्ति को नहीं नकार सकते हैं। इसी प्रकार से तृतीय विश्व और अन्य अविकसित राष्ट्रों पर भारत की उदीयमान शक्ति की सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है।

आज के युग में गुटनिरपेक्षता ने अपने पारम्परिक दार्शनिक और नैतिक तत्वों को त्याग कर यथार्थपरकता और कूटनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर लिया है। आज भारत के सामने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला तो यह है कि वह आधुनिक हथियारों और अस्त्रों की व्यवस्था करके उपमहाद्वीप में बढ़ रहे सैनिक असंतुलन का मुकाबला करे और दूसरा कि वह अन्य राष्ट्रों से अत्यधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता द्वारा सक्षमता प्राप्त करे। श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने इसी ओर विशेष ध्यान दिया है और यूरोप जैसे फ्रांस, प. जर्मनी और तृतीय विश्व के राष्ट्र जैसे मेक्सिको, इन्डोनेशिया और सऊदी अरब से हमारी बढ़ती हुई मित्रता इस बात की द्योतक हैं। भारत यह बात अच्छी तरह से समझ गया है कि जहाँ उनके अपने क्षेत्रीय और सामरिक हितों का प्रश्न आता है वहाँ दोनों महाशक्तियाँ किसी अन्य राष्ट्र की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देती। काफी प्रयासों के बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 और अन्य सैनिक सहायता देना बन्द नहीं किया और न ही रूस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने का इरादा व्यक्त किया है। श्रीमती गांधी ने जहाँ एक ओर रूस से अब तक के सबसे बड़े अस्त्रों के निर्यात करने का सौदा तय किया है वहीं फांस और जर्मनी से अस्त्रों और पनडुब्बियों के लिए समझौता कर लिया है। आज हम राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका के उतने निकट नहीं है फिर भी हमें उससे अधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलने की आशा है।

लेबनान, फाकलैण्ड, पोलैण्ड, अल-सल्वाडोर आदि देशों में बढ़ते हुए तनाव से यह स्पष्ट हो चुका है कि आठवें दशक की राजनीति में प्लेटो के दार्शनिक राजा का स्थान मैकियावेली के प्रिंस ने ले लिया है और ऐसी स्थिति में यदि भारत को विश्व राजनीति में अपना अस्तित्व बनाना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कसे हुए रस्से पर एक कुशल नट की तरह अपना एक एक कदम बहुत सतर्कता से रखना होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ संजीत कुमार रस्तगी*

निशस्त्रीकरण : समस्यायें तथा सम्भावनायें

तापनाभकीय शस्त्रास्त्रों, कम्पूयटरों एवम् माइक्रो इलेक्ट्रोनिक हथियारों से युक्त आधुनिक युग में युद्ध का प्रारूप अपने चरम पर पहुंच गया है। आज युद्ध की परिणति सम्पूर्ण मानवजाति के विनाश में हो सकती है। बहुधा आणविक हथियारों के विकास के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार से "भय-निवारण" द्वारा युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, किन्तु इस सिद्धान्त के असफल होने की स्थिति में मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। नाभिकीय युद्ध पर सामूहिक रोक द्वारा ही इस दुविधा की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है जो कि वास्तव में केवल नाभिकीय निशस्त्रीकरण द्वारा ही सम्भव है। इसी सन्दर्भ मे सयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में निशस्त्रीकरण के प्रथम विशेष सत्र की 30 जून 1978 की घोषणा उल्लेखनीय है जिसमें यह कहा गया है कि मानवता आज ऐसे अपूर्व आत्म विनाश के संकट का सामना कर रही है जो कि तुलनात्मक रूप से विनाशक शस्त्रों के संचय करने से उत्पन्न हुई है। वर्तमान नाभिकीय हथियारों के भंडार अकेले ही जीवन के सभी चिन्हों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। यह स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को प्रतिबिम्बित करती है तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विवादों को तेज करती है, तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है, सभी राज्यों की सुरक्षा म संशय उत्पन्न करती है, असुरक्षा की भावना बढ़ाती है तथा नाभिकीय युद्ध होने के खतरे को अग्रसारित करती है।

चार वर्षों के उपरान्त इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का दूसरा विशेष सत्र निशस्त्रीकरण पर 7 जून से 10 जुलाई 1982 को आयोजित हुआ। इन विगत चार वर्षों में नाभिकीय शस्त्रों की दौड़ महाशक्तियों के मध्य कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ी है। किन्तु इसी बीच पश्चिमी यूरोप एवम् संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जन मानस प्रबल रूप से इनके विरोध में सामने आ रहा है। द्वितीय सत्र में उठाये जाने वाले मुद्दे विशेषतः निम्न थे :—नाभिकीय निशस्त्रीकरण, भविष्य में हथियारों की वृद्धि को रोकना, नाभिकीय अस्त्रों वाली महाशक्तियों की शस्त्रों का परिसीमन करना (विशेषतः अमेरीका तथा रूस), रासायनिक शस्त्रों का निषेध, नाभिकीय शस्त्र रहित क्षेत्र, सैन्य-व्यय मे कटौती, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबन्ध, निशस्त्रीकरण एव विकास के मध्य सम्बन्ध, निशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निशस्त्रीकरण हेतु निषधात्मक व्यवस्था, निशस्त्रीकरण शिक्षा इत्यादि।

इस सत्र में 11 जून को भारत ने निशस्त्रीकरण के लिए एक पाँच सूत्रीय ठास कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने, उनके परीक्षणो पर तात्कालिक रोक लगाने एवम् ऐसे हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने, की परम्परा को आरम्भ करने की आवाहन किया गया है। भारतीय प्रधानमन्त्री के इस पांच सूत्रीय कार्यक्रम को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है :—प्रथम, सत्र को नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने हेतु वार्ताएँ आयोजित करनी चाहिए। द्वितीय, वर्तमान शस्त्र भंडारो मे अन्तिम कटौती हेतु प्रथम कदम के रूप में नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसमें यह भी निहित है कि भविष्य में नाभिकीय हथियारों में पूर्णतः रोक तथा आणविक हथियारों के लिए आणविक पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगनी चाहिए। तृतीय, सभी नाभिकीय हथियारों पर तात्कालिक रोक लगनी चाहिए। चतुर्थ, सत्र को सर्वमान्य रूप से एक ऐसी सन्धि करनी चाहिए

*प्रतिरक्षा अध्ययन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिसके द्वारा हम वस्तुगत रूप से निशस्त्रीकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकें। पाँचवे, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं को नाभिकीय युद्ध द्वारा उत्पन्न खतरों के प्रति जन मानस को जागृत करना चाहिए तथा साथ ही साथ हथियारों की दौड़ का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं निशस्त्रीकरण का विकास के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करना चाहिए।

16 जून को श्री आन्द्रे ग्रोमिको ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सत्र में सोवियत राष्ट्रपति श्री लियोनिद ब्रेजनेव का प्रस्ताव पढ़ा। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ नाभिकीय हथियारों के प्रथमतया प्रयोग न करने के निश्चय पर कटिबद्ध है एवं अन्य नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों से इसी प्रकार की आशा करता है। किन्तु दूसरे दिन सयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के इस निश्चय के अप्रमाणित युद्ध के खतरे को कम करने का प्रभावकारी कदम न होगा। सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवक्ता श्री डीन फिशर ने कहा कि रूस का यह मत इस बात का कोई वचन नहीं देता है कि युद्ध में संकट के अवसर पर वास्तव में कोई आक्रमणकारी नाभिकीय हथियारों का पहल प्रयोग नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ का निशस्त्रीकरण पर यह द्वितीय विशेष सत्र नाभिकीय एव पारम्परिक हथियारों हेतु रोक लगाने के लिए किसी प्रस्ताव के बिना ही समाप्त हो गया। 157 दलों की बैठक मे यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ शस्त्रों की कटौती पर कोई व्यापक कार्यक्रम तय करने में असफल रहा। इस सत्र के सभापति इराक के श्री इस्मत कट्टानी ने एक आलोचनापूर्ण वक्तव्य में कहा कि विश्व के लोगों की इच्छा और सरकारी इरादों में बड़ा फर्क है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह मसविदा निशस्त्रीकरण पर एक स्थायी समिति को यह निर्देश देकर सुपुर्द कर दिया है कि सितम्बर 1983 में राष्ट्र संघ महासभा की बैठक में मसविदा का नया स्वरूप पेश करें।

वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण की समस्या बहुत जटिल एवं विशाल है। नाभिकीय हथियारों ने इस समस्या की महत्ता को और अधिक जटिल बना दिया है। अभी तक निशस्त्रीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये। निशस्त्रीकरण का विचार सर्वथा नवीन नहीं है एवं इसे हम सुली, (Sully), विलियम पेन (William Pann), रूसो (Rousseau) तथा काण्ट (Kant) के दर्शन में पा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति हेतु सभा 1899 में तथा 1960 में हेग में आयोजित की गई थी। इसमें युद्ध के स्वरूप को नियन्त्रित करने के लिए प्रथम प्रयास किये गये। इसी की कड़ी में दूसरा गम्भीर प्रयास 1919 की वर्साय सन्धि में किया गया। इस सन्धि के अन्तर्गत मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों को निशस्त्रीकरण हेतु बाध्य किया। निशस्त्रीकरण विषयक विनिदिष्ट दायित्व प्रसंविदा (Covenant) के अनुच्छेद 8 द्वारा लीग ऑव नेशन्स (League of Nations) के सब सदस्यों पर भी डाले गये। इसके पश्चात विश्व निशस्त्रीकरण सभा 3 फरवरी 1932 को जनेवा में आयोजित हुई। इसमें सम्मिलित 61 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने शस्त्रों के परिसीमन की आवश्यकता पर, शस्त्रों के व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी तथा सैन्य बजट के प्रकाशन पर सहमति प्रकट की। किन्तु 14 अक्टूबर 1935 में जर्मनी द्वारा इस सभा एवं लीग ऑव नेशन्स को अपने से हटा लेने के कारण निशस्त्रीकरण की सभी आशायें धूमिल पड़ गयीं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामान्य निशस्त्रीकरण के लिए आशायें प्रबल हुयीं। युद्ध पश्चात् महाशक्तियाँ निशस्त्रीकरण हेतु मौलिक सिद्धान्तों के लिए आशावादी हो गयीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रपत्र में निशस्त्रीकरण हेतु उपबन्ध किये गये। प्रपत्र की प्रस्तावना, अनुच्छेद 11 (परिच्छेद 1), अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 47, (परिच्छेद 1) तथा अनुच्छेद 45 में निशस्त्रीकरण हेतु उपबन्ध संयुक्त किये गये। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा ने संयुक्त राष्ट्र आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की जिसके सदस्यों में सुरक्षा परिषद् के सदस्य और कनाडा सम्मिलित था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बरुख योजना (Baruch Plan) को प्रस्तुत किया, किन्तु सोवियत संघ की आपत्तियों के कारण असफल रहा। अगला प्रयास 11 जनवरी 1952 को किया गया जब छठीं महासभा में "संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग" की स्थापना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के पोषण के लिए उसके साथ सम्बद्ध कर दिया जाता था। ऐसी अत्यन्त सुगठित व्यवस्थाएं बागानों, औद्योगिक अंत:क्षेत्रों तथा जटिल प्रणालीयुक्त व्यवहार निगमों और कठोर गुण-नियन्त्रण तंत्रों में पायी जाती हैं जहां कच्चा माल समूचे उत्पादक क्षेत्रकों के लिए नहीं अपितु पुनर्नियात के लिए लाया जाता है।

तीसरा, और शायद सबसे स्पष्ट, उदाहरण उन पद्धतियों का है जिनसे उन्नत: देशों में प्रौद्योगिकी विकसित हुई है और वर्तमान में भी हो रही है। यह लगभग उन्हीं चरणों में सम्पन्न होती है जिनकी चर्चा ऊपर दो मुख्य प्रस्तावों में की जा चुकी है अर्थात्, उत्पादन और आर्थिक क्रियाकलापों के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण तथा अन्तर्बंधन। ऐतिहासिक कारणों से, पाश्चात्य देशों में इन क्रियाकलापों के चक्रीय दौरों में भाग लेने वाली संस्थाएं प्राय: स्वायत्त रूप में विकसित हुई हैं। जबकि केन्द्रीय आयोजना वाली अर्थव्यवस्थाओं में और जापान में इन्हें अपेक्षाकृत अधिक आयोजित ढंग से तथा विशेष अभिकल्पों को सामने रखकर खड़ा किया गया है।

इधर, विकसित देशों में प्रौद्योगिक उन्नति की एक नई बाढ़ आ रही है जिसका विकासशील देशों पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। ये देश अपनी जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीब और सामाजिक परिवर्तन से संबन्धित दिनों दिन विकट होती जाती समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रोद्योगिक क्षमताओं का विस्तार करने में अब और ज्यादा समय खोने की स्थिति में नहीं हैं। साथ ही, इन्हें औद्योगीकृत देशों की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलने की चुनौती का सामना करना है। कुल मिलाकर उनके लिए अब यह बड़ा आवश्यक हो गया है कि इस बार प्रौद्योगिकी को किसी भी सूरत में अपने हाथों से न फिसल जाने दें।

निर्धन देशों में (और औद्योगीकृत देशों में भी) विकास कार्यों का उद्देश्य नागरिकों को उपलब्ध होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना मात्र नहीं है। जरूरत इस बात की भी है कि समाज में न्याय-भावना का विस्तार हो और नागरिकों के बीच आय-वितरण की असमानताएं कम हों। यह आर्थिक लोकतंत्र का ही एक रूप है जो सामाजिक स्थायित्व लाने और समाज के संचालन में जनता के सभी वर्गों के अधिकाधिक योगदान के लिए जरूरी है।

उत्पाद्य वस्तुओं और सेवाओं के सम्बन्ध में अब नई अग्रताएं स्थापित हो रही हैं। उन्नत देशों में पर्यावरण और जीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि इससे आगे चलकर दिनोंदिन बढ़ते रक्षा खर्चों में कमी करके पैसा अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाया जाएगा—भावी मांग के स्वरूप को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, जनसंख्या में होने वाली मंद-वृद्धि, दीर्घतर आयु-आशंसा और आधुनिक कल-कारखानों की भारी धुरसत्ता तथा महानगरों की अति भीड़-भाड़ प्रौद्योगिकी को नए आवास प्रदान करेगी।

दूसरी ओर, विकासशील देशों में जहां इस शताब्दी के अन्त तक "युवा" वर्ग के लोगों की संख्या में अब से दो-तीन गुने की वृद्धि हो जाने की संभावना है, बढ़ती हुई आबादी के जैविक तथा सामाजिक अस्तित्व की रक्षा के लिए मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा। अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रताओं में आवश्यक फेरबदल करने और अर्जक आयुवर्ग के करोड़ों जवान लोगों के लिए अयंकर काम धंधे पैदा करने के लिए काफी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने होंगे यह बात एशिया के भारी जनसंख्या वाले देशों और सर्वाधिक अल्पविकसित देशों पर जो ज्यादातर अफ्रीका में हैं, विशेष रूप से लागू होती है।

इस प्रकार, आगामी दो दशकों में सभी देशों में मांग के स्वरूप और सामाजिक अग्रताओं में काफी परिवर्तन आने की संभावना है। प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमताओं को इन परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियां का सामना करना होगा। नई प्रौद्योगिकी का जन्म आगे भी प्राय: विकसित देशों में ही होगा और उसका इस्तेमाल पहले वहीं की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा। अत: विकासशील देशों को यथासंभव अपनी प्रौद्योगिकी का स्वयं विकास करना होगा और पूरक के रूप में बाहर से जो भी प्रौद्योगिकी लानी होगी उसे सावधानी से चुनकर तथा काफी अनुकूलित करने के बाद इस्तेमाल करना होगा।

विकास के प्रकार, उत्पादन की सामाजिक अग्रताएं, सांस्कृतिक विशेषताएँ और मूल्य प्रणालियां — ये ही वे तत्व हैं जिन पर विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के उद्भव, अर्जन तथा प्रयुक्ति की जटिल प्रक्रियाओं का निर्देशन और पुन: विन्यास मूलत: अवलम्बित है। इसके लिए बड़े ही सुबद्ध और गतिक रूप से अन्तर्जात प्रौद्योगिक क्षमताओं का सर्जन करना होगा अन्यथा विकासशील देशों के लिए एक बार फिर नई प्रौद्योगिकी के भारी पहियों के नीचे कुचल जाने का खतरा पैदा हो सकता।

['यूनेस्को दूत के साभार से']

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुटनिरपेक्षता और भारत की विदेश-नीति

■ दिवाकर कौशिक*

भारत की विदेश नीति के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को लेकर विद्वानों समीक्षकों और आलोचकों के मध्य इतना मतभेद व्याप्त हो चुका है कि आज गुटनिरपेक्षता के दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर अनेक भ्रांत धारणाएँ प्रचलित हैं। जहाँ एक ओर विदेश नीति के निर्णायक और विषय-विशेष से सम्बन्धित विशेषज्ञ आज भी अपने वक्तव्यों में गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को सर्वोपरि मानते हैं और उसके पालन हेतु कटिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक टिप्पणीकार और आलोचक बीसवीं सदी में इस अवधारणा की सार्थकता और औचित्य पर प्रश्न-चिन्ह लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता की सार्थकता और उसके विभिन्न आयामों का स्पष्टीकरण वांछनीय हो जाता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात भारत की आन्तरिक स्थिति अव्यवस्था और असंतोष द्वारा परिभाषित हो चुकी थी, उत्तरी भारत साम्प्रदायिक दंगों की आग से बुरी तरह ग्रसित था। एक ओर विरोधी दल नेहरू सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे तथा दूसरी ओर करोड़ों शरणार्थियों के रहने की समस्या के आर्थिक बोझ ने शासन तन्त्र को और भी जर्जर बना दिया था। ऐसी विकट स्थिति में भारत की प्रमुख आवश्यकता सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना करना था। लेकिन राष्ट्रीय विकास के लिए हमें विदेशी आर्थिक और तकनीकी सहायता लेना आवश्यक था और आशंका इस बात की थी कि सहायता की आड़ में बाहरी दबाव के फलस्वरूप हमें कहीं अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व और गरिमा से समझौता करने पर विवश तो नहीं होना पड़ेगा? ऐसी परिस्थिति में भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति को अंगीकार करने का निश्चय सर्वथा उपयुक्त और दूरदर्शिता पर आधारित था।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व का दो खेमों में बंट जाना स्पष्ट था और महाशक्तियों के मध्य तनाव, शीत-युद्ध के रूप में धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधिपत्य स्थापित कर रहा था, तब भारत अपनी अनेक आन्तरिक समस्याओं के समाधान में उलझा हुआ था। विस्तृत क्षेत्रफल, बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक पिछड़ापन और सैनिक अक्षमता ने भारत को विवश कर दिया था कि वह गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा भौगोलिक और सामरिक अवस्थाओं के मध्य सन्तुलन बनाते हुये अपने राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करे। यह गुटनिरपेक्षता की नीति पुराने, बलात् और वस्तुपरक राजनीति के स्थान पर संतुलित शक्ति-प्रेरित राजनीति के साथ साथ विश्व के राष्ट्रों में सामंजस्य, शांति और सहकारिता की भावना पर आधारित थी।

गुटनिरपेक्षता की शाब्दिक परिभाषा भी अत्यन्त भ्रामक है क्योंकि इसके निषेधात्मक पक्ष ने विद्वानों में काफी हद तक असंतोष और अनिश्चितता की भावना को प्रोत्साहन दिया है लेकिन भारत की दार्शनिक और वैचारिक परम्परा पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निषेधात्मक संज्ञा के प्रति भारतीय विद्वानों की विशेष अभिरूचि रही है। उन्होंने निषेधात्मक शब्दों द्वारा सार्थक भावनायें व्यक्त की हैं। उदाहरण के तौर पर 'विजय' या 'पराजय' के स्थान पर 'जय-अजय', 'बहुत' के स्थान पर 'कोई नहीं' या 'अनेक' का प्रयोग करना इसी तथ्य की पुष्टि करता है। इसी प्रकार से 'अहिंसा', 'अप्रमाद', 'अवैर' जैसे शब्द भी इस ओर इंगित करते हैं और 'गुटनिरपेक्षता' भी इस चली आ रही परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

कुछ आलोचक गुटनिरपेक्षता को एक निषेधात्मक नीति मानकर उसकी तुलना तटस्थता से करते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। भारतीय विदेश-नीति के निर्णायकों ने गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थकता प्रदान करने की चेष्टा की। उनका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उसका पालन करना था जो सामाजिक, आर्थिक विकास द्वारा देश में प्रगति लाने में निहित था। भारत को विश्व-शांति

*रिसर्च असिस्टेन्ट, राजनीति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

स्थापित करते हुए, शीत युद्ध और युद्धों की राजनीति के दुष्परिणामों से अपने आप को बचाना था।

सात सितम्बर 1947 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित नेहरू की घोषणा से भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का आरम्भ हुआ। यह नीति सार्थक और उपयोगी गतिशीलता पर आधारित थी जिसका विशेष रुझान विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने पर केन्द्रित था। इसके अनुसार भारत प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न को पहले अपने हितों और फिर उसके गुणों पर परखने के बाद निर्णय लेगा। इस प्रकार किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव से मुक्त होकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निर्णय लेकर स्वतंत्रता से कार्य करते हुए गुटनिरपेक्षता भारत के राष्ट्रीय व्यक्तित्व और पहचान बनाये रखने में एक सार्थक कदम था। गुटनिरपेक्षता का नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह न्यायिक निष्पक्षता पर आधारित है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक रेफरी और अम्पायर की हैसियत से कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वे स्वयं इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और किसी भी प्रश्न पर स्वतंत्रता से निर्णय लेने के पश्चात् उनका किसी भी एक पहलू या दल का साथ देना आवश्यक हो जाता है।

साधारणतयः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि गुटनिरपेक्षता का उद्‌भव शीत युद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था लेकिन अब जब विश्व के बहुध्रुवीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन आ चुका है तथा गुटनिरपेक्षता की दुहाई देना निरर्थक ही नहीं सर्वथा अनुपयुक्त है। यह तर्क भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि गुटनिरपेक्षता का प्रारम्भ शीत-युद्ध के दौरान हुआ था जब शीतयुद्ध के दुष्परिणामों के विरुद्ध आवाज उठाना उसके लिए प्रथम आवश्यकता बन गई थी। इसके अलावा शीतयुद्ध का गुटनिरपेक्षता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं था क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का आभास हमें शीत युद्ध से बहुत पहले सन् 1921 में ब्रूसेल्स में हुई कॉंग्रेस ऑफ आपरेस्ड नेशन्स से मिलता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, मनः स्थिति एवं दृष्टिकोण विदेश नीति के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन और अन्य तथ्यों का सम्मिलित मिश्रण है। कालान्तर में गुटनिरपेक्षता की नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद विरोध के साथ ही रंग-भेद विरोधी आदर्श इसके मुख्य अंग बन गये। सन् 1954 में पंचशील और शांतिपूर्ण सहचारिता की नीति ने गुटनिरपेक्षता के दार्शनिक पक्ष को और मजबूती प्रदान की।

गुटनिरपेक्षता शक्ति-प्रेरित राजनीति से विमुख होकर मार्गेन्थ्यू के उस दृष्टिकोण का खंडन करता है जिसके अनुसार राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है। गुटनिरपेक्षता के अनुसार बलात राजनीति भी एक प्रकार की नीति है परन्तु अन्य नीतियाँ भी शांतिपूर्ण और न्यायिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में व्याप्त शक्ति-प्रेरित राजनीति का एक विकल्प प्रस्तुत करती है। पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार गुटबन्दी युद्ध-काल की मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इन दो गुटों के बीच में संचार और विवेक के माध्यम बन कर आपसी वैमनस्य और शंका का निराकरण करेंगे। उन्हें इस बात का पूर्ण आभास था कि ये राष्ट्र अपनी आर्थिक और सैनिक अक्षमताओं के कारण महाशक्तियों पर कोई विशेष प्रभाव न डाल सकेंगे परन्तु अपने आदर्शों और दार्शनिकता द्वारा विश्व शांति में सहयोग देंगे।

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति समय समय पर संकटकालीन स्थितियों में खरी उतरी है। सन् 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान जनरल मैक आर्थर ने जब 38वें समानान्तर सीमा रेखा का उल्लंघन कर उत्तरी कोरिया पर चढ़ाई करके लड़ाई को चीन के द्वार तक पहुंचा दिया तथा चीन ने अमरीकी सैनिकों पर भीषण प्रहार शुरू कर दिया था जिसके फलस्वरूप अमरीका घबड़ा कर चीन को सबक सिखाने के लिए उस पर अणु बम का प्रयोग करने को विवश हो गया था। तब नेहरू के समझाने पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ऐटली ने अमरीका जा कर राष्ट्रपति ट्रूमैन को इस खतरनाक कदम उठाने से रोका था। यदि उस समय अमरीका चीन पर अणु बम का प्रयोग कर देता तब रूस तुरन्त चीन की सहायता के लिए आता और सम्पूर्ण संसार को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्णायकों द्वारा गुटनिरपेक्षता का समर्थन और पालन करना उनकी दूरदर्शिता और सूझ-बूझ का परिचय देता है। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए यह आवश्यक भी था कि वह प्रत्येक प्रश्न पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करे जो कि किसी भी एक गुट के समर्थक होने पर असम्भव हो जाता। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यदि हम पश्चिम के राष्ट्रों का समर्थन करते तो हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों चीन और रूस से शत्रुता मोल ले लेते और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा से असहमति होने के कारण हम रूस और चीन का साथ देने में असमर्थ थे। वस्तुपरकता की दृष्टि से भी गुटनिरपेक्षता ने हमें दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता दिलाने में काफी मदद दी। इस पृष्ठभूमि में यदि हम अब तक की भारतीय विदेश नीति का अवलोकन करें तो गुटनिरपेक्षता की सार्थकता और उपयोगिता और भी स्पष्ट हो जायेगी।

पं. जवाहर लाल नेहरू के काल में हम शीतयुद्ध को चार हिस्सों में बांट सकते हैं जिनकी पृष्ठभूमि में, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय गुटनिरपेक्षता ने अपनी सार्थकता और औचित्य का उत्तम परिचय दिया। पहला काल द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद सन् 1946 में चर्चिल के फुल्टन में दिये गये भाषण से शुरू होता है जिसके फलस्वरूप विश्व प्रतिद्वन्द्वात्मक संधियों और सम्बन्धों के चक्रव्यूह में फंस गया। दूसरा काल सन 1950 से 1954 के बीच अनेक सीमित लड़ाइयों का था। तीसरे काल की समाप्ति सन 60 में पेरिस शिखर वार्ता द्वारा हुयी और इस समय विश्व का द्विध्रुवीकरण बिखरने लगा था। नेहरू के समय में शीतयुद्ध के चौथे और अन्तिम काल में दोनों महाशक्तियों को इस बात का आभास हो चुका था कि उनकी शक्ति असीमित नहीं है और विश्व में अन्य नये शक्ति केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। शीतयुद्ध की इस पृष्ठभूमि में भारतीय गुटनिरपेक्षता का आवलोकन कुछ प्रमुख तथ्यों द्वारा किया जा सकता है।

25 जून सन् 1950 को जब कोरिया में युद्ध छिड़ा तब भारत ने बिना किसी गुट का साथ देते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाई और उस क्षेत्र में शांति की स्थापना में अपना योगदान दिया। अमरीकी दृष्टिकोण, कि कोरिया का युद्ध एक विश्व-व्यापी कम्युनिस्ट षडयन्त्र का भाग है, का खंडन करते हुए भारत ने कोरिया के दोनों भागों का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांतिपूर्ण समाधान और विलय पर जोर दिया। युद्ध-विराम और बन्दियों की वापसी में भी भारत ने एक सार्थक भूमिका निभाई और इस तरह से गुटनिरपेक्षता का पालन करते हुए बिना किसी बाहरी दबाव के, भारत ने कोरिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहायता की। इसी प्रकार से अक्टूबर 1949 में भारत का चीन में स्थापित नई सरकार को मान्यता देना, भारतीय गुटनिरपेक्षता का एक साहसिक और सार्थक कदम था क्योंकि उसका विचार था कि चीन की क्रांति राष्ट्रवादी तत्वों द्वारा उपनिवेशवादी अत्याचारों पर विजय का द्योतक है।

जून 1956 में स्वेज नहर वाले मामले में भी भारत का काम सराहनीय रहा है। उस क्षेत्र से विदेशी सैनिकों की वापसी की मांग करके साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाना और बाहरी ताकतों को उस क्षेत्र में कूदने से रोकने में भारत ने काफी सहायता दी। इसके अलावा उपनिवेशवाद के विरोध में आवाज उठाकर एक मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करके भारत ने अपनी धर्म निरपेक्षता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की पश्चिम राष्ट्रों की नीतियों का समर्थन करने की चाल का उपहास उड़ाया। अरब राष्ट्रों में गुटनिरपेक्षता की भावना के विकास को भी भारत के इस रवैये से काफी बढ़ावा मिला। सन 1956 में ही हुये हंगरी के गृह-युद्ध में भारतीय नीति से इस बात की भ्रांति हो सकती है कि हमने रूस का साथ दिया परन्तु यह गलत है क्योंकि जब अमेरिका हंगरीवासियों की मदद करता रहा हमने उसका पूर्ण समर्थन किया लेकिन जब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ हंगरी के निजी क्षेत्र में चुनाव की माँग करने लगे तो हमने उसका कड़ा विरोध किया क्योंकि काश्मीर के निजी क्षेत्र में भी हम चुनाव और बाहरी दबाव का विरोध करते चले आ रहे थे।

सन् 1960 में कांगो के मसले पर भी भारत ने निडर होकर उपनिवेशवाद का विरोध किया यहाँ तक कि उसे रूस के हितों के खिलाफ निर्णय लेना पड़ा। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुटनिरपेक्षता की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धारणा किसी दो शक्तियों के बीच समान दूरी बनाये रखने पर आधारित नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा आभास हुआ कि भारत किसी एक महाशक्ति के अधिक निकट है परन्तु भारत ने अपने निर्णय स्वतन्त्र पूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार करने के बाद लिए, न कि किसी बाहरी दबाव की विवशता के कारण।

अमेरिका के साथ भारत के राजनैतिक सम्बन्ध पूरी तौर पर मित्रता के नहीं रहे क्योंकि भारत द्वारा, कोरिया युद्ध के दौरान अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराना तथा चीन को मान्यता देना आदि अमेरिकी दृष्टिकोण के विरुद्ध था। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता देकर तथा बगदाद समझौते और सीटो (SEATO) द्वारा शीतयुद्ध को भारत के द्वार तक पहुँचा दिया था। इन तथ्यों से हमें अमेरिका से शत्रुता नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अमेरिका अपने विश्व-व्यापी निजी हितों की पूर्ति में लगा हुआ था जिसमें भारत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। सन् 1961 में केनेडी के राष्ट्रपति पद सम्भालने के उपरान्त अमरीकी-भारतीय सम्बन्धों में परिवर्तन आया जब अमेरिका ने भारतीय गुटनिरपेक्षता की सार्थकता और औचित्य को नये सिरे से समझने की चेष्टा की।

प्रारम्भ में रूस के साथ भारत के सम्बन्ध ज्यादा घनिष्ठ न थे। रूस भारत को आँग्ल-अमेरिकी कूटनीति का मोहरा समझता था लेकिन जब भारतीय गुटनिरपेक्षता से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी अमेरिका से कोई मिली-भगत नहीं है तब भारत-रूस मैत्री और दृढ़ होने लगी। स्टालिन की मृत्यु और रूस-चीन मतभेद के पश्चात भारत-रूसी सम्बन्धों में अधिक घनिष्ठता आयी जो कि कालान्तर में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक दूसरे का साथ देने के साथ साथ सन् 1971 की संधि में परिवर्तित हुयी।

चीन के साथ भारत के सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में चीन ने दक्षिण एशिया और अविकसित राज्यों का नेतृत्व करने की होड़ में, भारत के प्रति अपना रवैया बदला। हालांकि नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चीनी सरकार को मान्यता और समर्थन दिया परन्तु पंचशील और बाडुंग सम्मेलन के बाद चीन से हमारे सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये। रूस के साथ मित्रता से स्थिति और नाजुक हो गयी और सन् 1962 में, भारत पर आक्रमण करके चीन ने अपनी बदनीयती का परिचय दे डाला। आलोचकों के अनुसार चीनी आक्रमण गुटनिरपेक्षता की निरर्थकता और पतन को प्रतिबिम्बित करता है। यह सच है कि भारत उस समय चीन की तुलना में सैनिक दृष्टि से अक्षम था लेकिन चीनी आक्रमण से नेहरू का चीन के प्रति स्वप्न भंग हुआ। यह उनकी चीन के प्रति अपनाई गई नीति की विफलता का उदाहरण था न कि सम्पूर्ण गुटनिरपेक्षता का।

लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। चीनी आक्रमण के बाद रूस को इस बात का डर था कि भारतीय गुटनिरपेक्षता पर अमेरिका का साम्राज्यवादी दबाव पड़ सकता है और इसके विरोध में संतुलन बनाते हुये रूस ने भारत को सैनिक और तकनीकी सहायता दी। पाकिस्तान के साथ हुये दोनों युद्धों में जब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया तब रूस ने भारत को समर्थन दिया। शास्त्री द्वारा ताशकन्द समझौता हालांकि राजनयिक दृष्टिकोण से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल हुआ परन्तु वस्तुपरकता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण न था क्योंकि जो हम युद्ध में जीते थे वह उसे हमने समझौते से गंवा दिया।

सन् 1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं और उनके हाथों नेहरू की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता का खुल कर विकास हुआ जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को काफी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त हुआ। बांगलादेश-युद्ध और सन 74 में राजस्थान में हुए सफल परमाणु विस्फोट द्वारा यह स्पष्ट हो गया था कि भारत किसी भी राष्ट्र से सैनिक और तकनीकी उपलब्धियों में पीछे नहीं है। कुछ आलोचकों का मत है कि श्रीमती गांधी पर रूस का काफी प्रभाव पड़ा और भारत के सभी निर्णय रूस की सहमति और निर्देशों द्वारा होते थे। पर ऐसा सोचना गलत है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत और रूस का एक ही पक्ष में निर्णय लेना महज इत्तफाक नहीं बल्कि दोनों राष्ट्रों के विचारों के समन्वय पर आधारित था चाहे वह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान हो। प्रारम्भ में भारत ने दोनों महाशक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने की चेष्टा की। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एशिया में अपना मोहरा बनाकर उसकी नीतियों का समर्थन किया और उसे आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करने लगा तब इस उपमहाद्वीप में बिगड़ते हुए शक्ति-संतुलन को ठीक करने के लिए, भारत को विवश होकर रूस की तरफ देखना पड़ा। रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के मसले पर अपने वीटो द्वारा भारत से अपनी मित्रता का आभास दिलाया तथा बांगलादेश युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का संकेत दिया तथा रूस ने भारत को अपना साथ और समर्थन दिया। जिसकी परिणति सन् 1971 की संधि द्वारा हुई। लेकिन यह मैत्री भी दोनों राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहचारिता पर आधारित है और ऐसा करने में भारत ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व या गरिमा से कोई समझौता नहीं किया।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

24 मार्च 1977 को जनता पार्टी के सत्ता में आने से भारतीय विदेश नीति का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ जो अधिक दिनों तक न चल सका। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में इस बात पर अधिक जोर दिया गया था कि वे गुटनिरपेक्षता के स्थान पर वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनायेंगे जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए सहायक होगी। श्री देसाई के वक्तव्यों से इस बात की आशंका हो गयी थी कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत का रुझान रूस की तरफ से हट कर अमेरिका की ओर हो जायेगा और भारत रूस मैत्री संधि समाप्त हो जायेगी परन्तु आने वाले वक्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भावनाओं की अपेक्षा वस्तु-परकता और यथार्थ पर आधारित होते हैं क्योंकि जनता काल के दौरान भारत के रूस के सम्बन्धों में और अधिक प्रगाढ़ता आयी। जनता पार्टी की विदेश नीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा महज एक परिभाषा को परिभाषित करना एवम् एक राजनीतिक समीकरण के अलावा कुछ अधिक न था।

श्री देसाई का वक्तव्य कि हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। श्री वाजपेयी द्वारा चीन का वियतनाम पर आक्रमण करने के कारण अपनी यात्रा जल्दी समाप्त कर लौट आना। अमरीका से तारापुर के लिए किये गये वायदों का पूरा न होना आदि जनता शासन की विदेश नीति की कमियों को उजागर करता है।

चीन और पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाने का जो सिलसिला जनता काल में प्रारम्भ हुआ वह सराहनीय था। एशियाई राष्ट्रों से मित्रता एवम् विश्व-शांति की दिशा में उठाये गये कदम भी प्रशंसनीय थे। जनता काल के दौरान सबसे साहसिक कार्य तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की भारत यात्रा के दबाव में न आकर भारत ने NPT पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करके चली आ रही परम्परा को कायम रखा।

सन् 1980 के चुनावों में जब श्रीमती गांधी दोबारा सत्ता में आयीं, तब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका था और आठवें दशक की राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिये भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता के आयामों को बदलना आवश्यक हो गया था। इस दशक में जहाँ अफगानिस्तान, पोलैंड, निकारागुआ, अल-सल्वाडोर, कम्पूचिया, भारतीय महासागर आदि क्षेत्रों में बढ़ते हुए तनाव से नवीन शीतयुद्ध का आह्वान हुआ था तो दूसरी ओर भारत विश्व के चौथे बड़े सैनिक प्रतिष्ठान और दसवें बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप में निखर कर सामने आ गया था।

आज आठवें दशक में पड़ोसी राष्ट्र भारत को बड़े भाई और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखने हैं तो पश्चिमी राष्ट्र भी भारतीय राजनीति तंत्र में अव्यवस्था और असंतोष की ओर इंगित करने के बावजूद भी भारत की उभरती हुयी सैनिक और आर्थिक शक्ति को नहीं नकार सकते हैं। इसी प्रकार से तृतीय विश्व और अन्य अविकसित राष्ट्रों पर भारत की उदीयमान शक्ति की सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है।

आज के युग में गुटनिरपेक्षता ने अपने पारस्परिक दार्शनिक और नैतिक तत्वों को त्याग कर यथार्थपरकता और कूटनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर लिया है। आज भारत के सामने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला तो यह है कि वह आधुनिक हथियारों और अस्त्रों की व्यवस्था करके उपमहाद्वीप में बढ़ रहे सैनिक असंतुलन का मुकाबला करे और दूसरा कि वह अन्य राष्ट्रों से अत्यधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता द्वारा सक्षमता प्राप्त करे। श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने इसी ओर विशेष ध्यान दिया है और यूरोप जैसे फ्रांस, प. जर्मनी और तृतीय विश्व के राष्ट्र जैसे मेक्सिको, इन्डोनेशिया और सऊदी अरब से हमारी बढ़ती हुई मित्रता इस बात की द्योतक हैं। भारत यह बात अच्छी तरह से समझ गया है कि जहाँ उसके अपने क्षेत्रीय और सामरिक हितों का प्रश्न आता है वहाँ दोनों महाशक्तियां किसी अन्य राष्ट्र की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देती। काफी प्रयासों के बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 और अन्य सैनिक सहायता देना बन्द नहीं किया और न ही रूस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने का इरादा व्यक्त किया है। श्रीमती गांधी ने जहाँ एक ओर रूस से अब तक के सबसे बड़े अस्त्रों के निर्यात करने का सौदा तय किया है वहीं फ्रांस और जर्मनी से अस्त्रों और पनडुब्बियों के लिए समझौता कर लिया है। आज हम राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका के उतने निकट नहीं है फिर भी हमें उससे अधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलने की आशा है।

लेबनान, फाकलैण्ड, पोलैण्ड, अल-सल्वाडोर आदि देशों में बढ़ते हुए तनाव से यह स्पष्ट हो चुका है कि आठवें दशक की राजनीति में प्लेटो के दार्शनिक राजा का स्थान मैकियावेली के प्रिंस ने ले लिया है और ऐसी स्थिति में यदि भारत को विश्व राजनीति में अपना अस्तित्व बनाना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कसे हुए रस्से पर एक कुशल नट की तरह अपना एक एक कदम बहुत सतर्कता से रखना होगा। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ संजीत कुमार रस्तोगी*

निशस्त्रीकरण : समस्यायें तथा सम्भावनायें

तापनाभकीय शस्त्रास्त्रों, कम्पूयटरों एवम् माइक्रो इलेक्ट्रोनिक हथियारों से युक्त आधुनिक युग में युद्ध का स्वरूप अपने चरम पर पहुंच गया है। आज युद्ध की परिणति सम्पूर्ण मानवजाति के विनाश में हो सकती है। बहुधा आणविक हथियारों के विकास के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार से "भय-निवारण" द्वारा युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, किन्तु इस सिद्धान्त के असफल होने की स्थिति में मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। नाभिकीय युद्ध पर सामूहिक रोक द्वारा ही इस दुविधा की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है जो कि वास्तव में केवल नाभिकीय निशस्त्रीकरण द्वारा ही सम्भव है। इसी सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में निशस्त्रीकरण पर प्रथम विशेष सत्र की 30 जून 1978 की घोषणा उल्लेखनीय है जिसमें यह कहा गया है कि मानवता आज इतिहास के अपूर्व आत्म विनाश के संकट का सामना कर रही है जो कि तुलनात्मक रूप से विनाशक शस्त्रों के संचय करने से उत्पन्न हुई है। वर्तमान नाभिकीय हथियारों के भंडार अकेले ही जीवन के सभी चिन्हों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। यह स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को प्रतिबिम्बित करती है तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विवादों को तेज करती है, तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है, सभी राज्यों की सुरक्षा म संशय उत्पन्न करती है, असुरक्षा की भावना बढ़ाती है तथा नाभिकीय युद्ध होने के खतरे को अग्रसारित करती है।

चार वर्षों के उपरान्त इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का दूसरा विशेष सत्र निशस्त्रीकरण पर 7 जून से 10 जुलाई 1982 को आयोजित हुआ। इन विगत चार वर्षों में नाभिकीय शस्त्रों की दौड़ महाशक्तियों के मध्य कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ी है। किन्तु इसी बीच पश्चिमी यूरोप एवम् संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जन मानस प्रबल रूप से इनके विरोध में सामने आ रहा है। द्वितीय सत्र में उठाये जाने वाले मुद्दे विशेषतः निम्न थे :—नाभिकीय निशस्त्रीकरण, भविष्य में हथियारों की वृद्धि को रोकना, नाभिकीय अस्त्रों वाली महाशक्तियों की शस्त्रों का परिसीमन करना (विशेषतः अमेरीका तथा रुस), रासायनिक शस्त्रों का निषेध, नाभिकीय शस्त्र रहित क्षेत्र, सैन्य-व्यय मे कटौती, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबन्ध, निशस्त्रीकरण एवं विकास के मध्य सम्बन्ध, निशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निशस्त्रीकरण हेतु निषधात्मक व्यवस्था, निशस्त्रीकरण शिक्षा इत्यादि।

इस सत्र में 11 जून को भारत ने निशस्त्रीकरण के लिए एक पांच सूत्रीय ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने, उनके परीक्षणो पर तात्कालिक रोक लगाने एवम् ऐसे हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने, की परम्परा को आरम्भ करने की आवाहन किया गया है। भारतीय प्रधानमन्त्री के इस पांच सूत्रीय कार्यक्रम को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है :—प्रथम, सत्र को नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने हेतु वार्ताएं आयोजित करनी चाहिए। द्वितीय, वर्तमान शस्त्र भंडारो में अन्तिम कटौती हेतु प्रथम कदम के रूप में नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसमें यह भी निहित है कि भविष्य में नाभिकीय हथियारों में पूर्णतः रोक तथा आणविक हथियारों के लिए आणविक पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगनी चाहिए। तृतीय, सभी नाभिकीय हथियारों पर तात्कालिक रोक लगनी चाहिए। चतुर्थ, सत्र को सर्वमान्य रूप से एक ऐसी सन्धि करनी चाहिए

*प्रतिरक्षा अध्ययन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिसके द्वारा हम वस्तुगत रूप से निःशस्त्रीकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकें। पाँचवे, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं को नाभिकीय युद्ध द्वारा उत्पन्न खतरों के प्रति जन मानस को जागृत करना चाहिए तथा साथ ही साथ हथियारों की दौड़ का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं निशस्त्रीकरण का विकास के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करना चाहिए।

16 जून को श्री आन्द्रे ग्रोमिको ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सत्र में सोवियत राष्ट्रपति श्री लियोनिद ब्रेजनेव का प्रस्ताव पढ़ा। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ नाभिकीय हथियारों के प्रथमतया प्रयोग न करने के निश्चय पर कटिबद्ध है एवं अन्य नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों से इसी प्रकार की आशा करता है। किन्तु दूसरे दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के इस निश्चय को अप्रमाणित युद्ध के खतरे को कम करने का प्रभावकारी कदम न होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवक्ता श्री डीन फिशर ने कहा कि रूस का यह मत इस बात का कोई वचन नहीं देता है कि युद्ध में संकट के अवसर पर वास्तव में कोई आक्रमणकारी नाभिकीय हथियारों का पहल प्रयोग नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ का निशस्त्रीकरण पर यह द्वितीय विशेष सत्र नाभिकीय एवं पारम्परिक हथियारों हेतु रोक लगाने के लिए किसी प्रस्ताव के बिना ही समाप्त हो गया। 157 देशों की बैठक में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ शस्त्रों की कटौती पर कोई व्यापक कार्यक्रम तय करने में असफल रहा। इस सत्र के सभापति इराक के श्री इस्मत कट्टानी ने एक आलोचनापूर्ण वक्तव्य में कहा कि विश्व के लोगों की इच्छा और सरकारी इरादों में बड़ा फर्क है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह मसविदा निशस्त्रीकरण पर एक स्थायी समिति को यह निर्देश देकर सुपुर्द कर दिया है कि सितम्बर 1983 में राष्ट्र संघ महासभा की बैठक में मसविदा का नया स्वरूप पेश करें।

वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण की समस्या बहुत जटिल एवं विशाल है। नाभिकीय हथियारों ने इस समस्या की महत्ता को और अधिक जटिल बना दिया है। अभी तक निशस्त्रीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये। निशस्त्रीकरण का विचार सर्वथा नवीन नहीं है एवं इसे हम सुली, (Sully), विलियम पेन (William Pann), रूसो (Rousseau) तथा काण्ट (Kant) के दर्शन में पा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति हेतु सभा 1899 में तथा 1960 में हेग में आयोजित की गई थी। इसमें युद्ध के स्वरूप को नियन्त्रित करने के लिए प्रथम प्रयास किये गये। इसी की कड़ी में दूसरा गम्भीर प्रयास 1919 की वर्साय सन्धि में किया गया। इस सन्धि के अन्तर्गत मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों को निशस्त्रीकरण हेतु बाध्य किया। निशस्त्रीकरण विषयक विनिर्दिष्ट दायित्व प्रसंविदा (Covenant) के अनुच्छेद 8 द्वारा लीग ऑव नेशन्स (League of Nations) के सब सदस्यों पर भी डाले गये। इसके पश्चात विश्व निशस्त्रीकरण सभा 3 फरवरी 1932 को जनेवा में आयोजित हुई। इसमें सम्मिलित 61 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने शस्त्रों के परिसीमन की आवश्यकता पर, शस्त्रों के व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी तथा सैन्य बजट के प्रकाशन पर सहमति प्रकट की। किन्तु 14 अक्टूबर 1935 में जर्मनी द्वारा इस सभा एवं लीग ऑव नेशन्स को अपने से हटा लेने के कारण निशस्त्रीकरण की सभी आशायें धूमिल पड़ गयीं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामान्य निशस्त्रीकरण के लिए आशायें प्रबल हुयीं। युद्ध पश्चात् महाशक्तियाँ निशस्त्रीकरण हेतु मौलिक सिद्धान्तों के लिए आशावादी हो गयीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रपत्र में निशस्त्रीकरण हेतु उपबन्ध किये गये। प्रपत्र की प्रस्तावना, अनुच्छेद 11 (परिच्छेद 1), अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 47, (परिच्छेद 1) तथा अनुच्छेद 45 में निशस्त्रीकरण हेतु उपबन्ध संयुक्त किये गये। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा ने संयुक्त राष्ट्र आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की जिसके सदस्यों में सुरक्षा परिषद् के सदस्य और कनाडा सम्मिलित था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बरुख योजना (Baruch Plan) को प्रस्तुत किया, किन्तु सोवियत संघ की आपत्तियों के कारण असफल रहा। अगला प्रयास 11 जनवरी 1952 को किया गया जब छठीं महासभा में "संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग" की स्थापना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की गई, किन्तु यह प्रयास सोवियत संघ द्वारा किये गये इस प्रतिवाद के कारण असफल रहा कि किसी भी संगठन को किसी राज्य के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना के पश्चात् शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य कई बैठकें आयोजित हुई पर परिणाम निराशाजनक रहा। लम्बी युद्धत्तर निशस्त्रीकरण वार्ताओं से 1963 में एक सीमित समझौता हुआ जिसका आधार एक अमरीकी-ब्रिटिश-सोवियत संघ सन्धि थी जो "परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि" के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके अन्तर्गत वायुमण्डल, अन्तरिक्ष एवं जल के भीतर आणविक परीक्षणों पर रोक लगाई गयी।

1963 की सन्धि के पश्चात निशस्त्रीकरण सम्बंधी बहसों से यह स्पष्ट हुआ है कि विश्व शक्तियाँ इस बात में अधिक रूचि ले रही हैं कि सम्पूर्ण एवं सामान्य निशस्त्रीकरण के स्थान पर आणविक अप्रचुरण (Non-Proliferation) का प्रसार हो। इस प्रकार से पाँच मार्च 1970 को अ-प्रचुरण सन्धि अस्तित्व में आई। परन्तु भारत सहित कुछ राष्ट्रों ने इसके विरुद्ध आपत्तियाँ खड़ी की एवं नाभिकीय हथियारों को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने पर जोर दिया। इन वार्ताओं के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच स्त्रातजिक शस्त्र परिसीमन वार्ताओं का युग आता है जिन्हें साल्ट (SALT) के नाम से जाना जाता है। साल्ट प्रथम जो कि मई 1972 में हेलसिंकी में समाप्त हुई उसने एण्टी बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र (Anti Ballastic Missile) को प्रत्येक देश से हटा लेने पर सहमति प्रकट की। इसी दिशा में द्वितीय कदम साल्ट-2 की सन्धि के रूप में 1979 में श्री ब्रेजनेव एवं श्री कार्टर द्वारा पारित किया गया, किन्तु जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा समर्थन न मिल सका।

इस प्रकार से शस्त्रों की कटौती के द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य पर पहुँचने के प्रयास जारी रहे। किन्तु हथियारों की दौड़ चलती रही। अस्त्र भंडारों में नये आयुधों की वृद्धि होती रही, सैन्य बजट आसमान को छूने लगे और तनाव शैथिल्य की भावना को आपसी विवादों ने बंद कर दिया। अत्याधुनिक अनुमानों के अनुसार हथियारों की दौड़ पर विश्व में लगभग छः सौ बिलियन डालर व्यय हो रहे हैं। सन् 1980 में शस्त्रीकरण पर हुआ व्यय लगभग पाँच सौ बिलियन डालर था जो कि सभी विकासशील देशों द्वारा किये गये सम्पूर्ण खर्चे के बराबर हैं तथा सरकारी आँकड़ों के अनुसार पश्चिमी विकसित देशों द्वारा सभी विकासशील देशों को दिये गये अनुदान का 19 गुना है। इस विशाल सैन्य व्यय में औद्योगिकृत विश्व द्वारा 84 प्रतिशत एवं विकासशील देशों द्वारा लगभग 16 प्रतिशत खर्च किया जाता है। वर्तमान वर्ष में कुल सैन्य खर्च 650 बिलियन डालर होना अनुमानित किया गया है, जो कि 50 गरीब देशों के लोगों की कुल आय से भी अधिक है। पर अब इस खर्च का एक चौथाई भाग विकासशील राष्ट्रों द्वारा खर्च किया जा रहा है।

निशस्त्रीकरण के मार्ग में राष्ट्रों के विभिन्न राष्ट्रीय हित तथा कुछ अन्य कारक बाधक हैं। समस्या की महत्ता को देखते हुए मुख्य अवरोधों का सिंहावलोकन समीचीन होगा। सामान्य तथा विस्तृत निशस्त्रीकरण के मार्ग में मुख्य बाधा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। जिस अन्तर्राष्ट्रीय निकाय में कोई एक सर्वोच्च बाध्यकारी विश्व प्राधिकरण नहीं है उसमें राज्य अपने और अपने मित्रों के शस्त्र बल से अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करने का प्रयत्न करते है। दूसरे शब्दों में, वे सम्भावित शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का यत्न करते हैं। इस सिद्धान्त को राजनीतिज्ञों, सैन्य अधिकारियों एवं स्त्रातजिक विचारकों ने तार्किक स्वीकार करते हुए इसका समर्थन किया और इस प्रकार से पारम्परिक विचारधारा को नये आवरण से युक्त कर दिया। इस सम्बन्ध में इनका विशेष चरित्र यह है कि अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में, सुरक्षा की समस्या तथा राजनीतिक हितों की स्थिरता अनिश्चित है। अतएव सभी राष्ट्र अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय सम्भावित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रावधान रखते हैं वे शस्त्रीकरण, जो कि शक्ति का उपकरण है, को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार भविष्य के विषय में यह सुरक्षा की भावना निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। किसी भी प्रकार की निशस्त्रीकरण वार्ता के सफल होने के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान तथा भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना के निराकरण हेतु एक राजनैतिक समझौता हो। निशस्त्रीकरण का यह आवाहन तब तक अप्रभावकारी एवं व्यर्थ होगा जब तक कि इस विवाद को सुलझा नहीं लिया जाता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न नहीं समझा जाता।

नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राष्ट्रों का यह मत कि शान्ति बनाये रखने के लिए नाभिकीय-भय-निवारण आवश्यक है, निशस्त्रीकरण के मार्ग में दूसरी बाधा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से यह तर्क दिया जाता था कि उसको सोवियत संघ के पारम्परिक हथियारों का सामना करने के लिए नाभिकीय हथियारों की परम आवश्यकता है इसके पश्चात जब सोवियत संघ ने भी नाभिकीय शस्त्रों का विकास कर लिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध करने हेतु अपने नाभिकीय शस्त्रों के विकास की गति को बनाये रखना आवश्यक समझा, इस प्रकार से नाभिकीय-भय-निवारण का सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रथम एवं महत्वपूर्ण स्थान पा गया है (विशेषत: रूस और अमेरिका के मध्य)। जब तक कि भय-निवारण की अवधारणा पर आश्रित रहा जायेगा शस्त्रों की दौड़ इसी प्रकार बढ़ती जायेगी।

देश के अन्दर सैन्यीकरण प्रक्रिया के आन्तरिक ढांचे में हमें निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध अगला महत्वपूर्ण अवरोध मिलता है। विश्व युद्धों के दौरान सैन्यीकरण की प्रक्रिया में कई परिवर्तन हुए। शीतयुद्ध के दौरान सैन्य तकनीक में दो अवधारणाओं का परिचय हुआ, इसमें से पहली अवधारणा 'शस्त्र पद्धति' थी जिसके अन्तर्गत शस्त्र, उसका मैच एवं 'अधिकार एवं नियन्त्रण पद्धति' सम्मिलित थी। दूसरी नयी पद्धति 'अनुगमन पद्धति (Follow on System)' थी। जैसे ही एक शस्त्र पद्धति के विकास का आधा काम हो जाता है वैसे ही शोध एवं विकास (Research and Development) की प्रक्रिया में वैज्ञानिक तथा तकनीशियन नये शस्त्र पर कार्य करना आरम्भ कर देते हैं। शस्त्र प्राप्त हेतु अर्धविकसित देशों ने भी एक 'दो अवधारणाओं' के सिद्धांत को अपना लिया है। अब ये देश शस्त्र के स्थान पर पूरी 'शस्त्र पद्धति' को खरीदते हैं एवं शस्त्रों की खरीद के विषय में पुराने आदेश के पूर्ण हुए बिना ही वे नवीनतम शस्त्र पद्धति हेतु अपने आदेश प्रेषित कर देते हैं। इस प्रकार से इन देशों में 'अनुगमन पद्धति' को पूर्णतः अपना लिया है। इन सब अवधारणा के कारण शस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरणा मिलती है।

निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रों के मध्य अविश्वास की भावना मुख्य अवरोध है। राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्रों की गतिविधियों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। राष्ट्र अपने पड़ोसियों की सक्षमता को परिस्थितियों में उनके इरादों के सापेक्ष नहीं देखते हैं। यह स्थिति शस्त्र निर्माण के दौड़ को बढ़ावा देती है। इस प्रकार से राज्यों के मध्य पारस्परिक समझौतों में विश्वास का अभाव निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक मुख्य बाधा है।

एक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह की सुरक्षा प्रबन्ध तथा विश्व के अस्तित्व के बीच विश्व समुदाय द्वारा एक उचित सन्तीकरण के निर्माण की असफलता के सन्दर्भ में निशस्त्रीकरण की दुविधा को समझा जा सकता है। विकास को तृतीय आयाम के रूप में जोड़कर वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण की सम्भावनाओं को बढ़ाया गया है। अब निशस्त्रीकरण की दुविधा को सुरक्षा, उत्तरजीविका एवं विकास की त्रिकोणात्मक अवधारणा के अन्तर सम्बन्धों में देखा जा सकता है। इन तीनों के मध्य एक संतुलित सम्बन्ध द्वारा ही इस समस्या का निराकरण का ढूंढ़ा जा सकता है। इस प्रकार निशस्त्रीकरण अब भी अवधारणात्मक विवादों के पंजों की भयंकर पकड़ में है। इस विवाद के अन्तरनिहित तत्वों को समझना एवं उन्हें कम करना और इस त्रिकोणात्मक सम्बन्ध को संतुलित करना, निशस्त्रीकरण अभियान के समक्ष एक प्रबल चुनौती के रूप में है।

यद्यपि अब काफी बाद में पश्चिमी देशों में सामान्य जन के स्तर पर दृष्टिकोण में एक मूलभूत परिवर्तन आया है और आज अविरल रूप से जारी रहने वाली शस्त्रों की दौड़ के प्रति जनमानस में विक्षोभ ज्यादा है। आजकल यह मांग की जाती है कि शस्त्र नियन्त्रण एवं शस्त्र कटौती की दिशा में पहला कदम नाभिकीय हथियारों को समाप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रता है। इस परिवर्तन के पीछे दो मुख्य कारक हैं। प्रथम, औद्योगिकृत विश्व आज एक संकट के दौर से गुजर रहा है। "आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन" (Economic Co-operation & Development Organigation) देशों में लगभग 240 लाख से भी अधिक रोजगार है और यह सभी देश आर्थिक तनावों में गुजर रहे है। सस्ती ऊर्जा का युग समाप्त हो चुका है। सत्तर के दशक में विकास की दर स्पष्ट रूप से नीचे आ गई है और आगे भी अधिक बढ़े हुए प्रतिरक्षा व्यय को विकास की उच्च दर से जोड़ना सार्थक प्रतीत नहीं होता है। आजकल विभिन्न यूरोपीय देशों में अपने प्रतिरक्षा व्यय को कम करने हेतु दबाव पड़ रहा है।

दूसरे औद्योगिकृत राष्ट्रों की जनता के मध्य इस बात के प्रति जागृति बढ़ती जा रही है कि "अणु राज" (King Atom) आने वाले सभी समयों में शान्ति स्थापित करने में समर्थ न होगा और नये आणविक सिद्धान्तों की परिणति यूरोप में एक सीमित नाभिकीय युद्ध की अवधारणा में हो सकती है। नाभिकीय युग के आरम्भ होने के 37 वर्ष बाद अब विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या पहले कुछ नाभिकीय आक्रमण होने के पश्चात संचालन, नियन्त्रण तथा संचार सुचारु रूप से रह पायेंगे। विद्वानों ने इस बात की चुनौती दी है कि क्या नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राष्ट्राध्यक्षों और राज्याध्यक्षों द्वारा नाभिकीय हथियारों का संचालन प्रभावकारी एवं उचित ढंग से हो सकेगा। पश्चिमी जर्मनी, नारडिक (Nordic) देशों, हालैंड एवं ब्रिटेन में जनसामान्य इस पारम्परिक धारणा के विरुद्ध जनमत एकत्र कर रहा है कि नाभिकीय शस्त्र शान्ति स्थापित करने के लिए समर्थ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आणविक हथियारों के विरुद्ध जनमत जोर पकड़ रहा है। सीनेटर एडवर्ड केनेडी और मार्क हेटफील्ड (Mark Hatfield) ने कांग्रेस के 139 सदस्यों के साथ राष्ट्रपति रीगन महोदय की समक्ष इस बात की माँग की कि राष्ट्रपति महोदय सोवियत संघ के साथ नाभिकीय हथियारों के परिसीमन हेतु वार्ताएँ आयोजित करें। ब्रिटेन की लेबर पार्टी तथा पश्चिमी जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े घटक ने ... हथियारों के परिसीमन हेतु व्यापक वार्ताएं करने के पक्ष में अभिमत प्रकट किया है। विश्व चर्च परिषद (World Council of Church) ने नाभिकीय शस्त्रों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय जनसभा आयोजित की और पश्चिमी जर्मनी तथा अमेरिका में चर्चों ने जनसाधारण का प्रतिनिधित्व किया। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के ही चालीस से अधिक राज्यों में चिकित्सक एवं वैज्ञानिक समुदायों द्वारा आणविक युद्धों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के प्रति विचार गोष्ठियाँ आयोजित की। परमाणु युग में इससे पूर्व कभी भी पश्चिमी औद्योगिकृत देशों में जनसाधारण में नाभिकीय युद्ध एवं हथियारों की दौड़ से होने वाले खतरों के विरुद्ध इतनी संवेदनशील एवम् जागृति नहीं हुई थी।

निशस्त्रीकरण के संघर्ष में विश्व जनमत का आविर्भाव एक बड़ी उपलब्धि है। हथियारों की दौड़ प्रायः औद्योगिकृत विश्व का चरित्र है और कुछ हद तक विकासशील देश भी इस दौड़ में सम्मिलित हैं जिनको विकसित देशों द्वारा ही हथियार मिलते हैं। अतएव निशस्त्रीकरण का संघर्ष औद्योगिकृत राष्ट्रों के नागरिकों के दिलों-दिमाग से लड़ना होगा। कम शस्त्रास्त्रों वाला विश्व विकासशील राष्ट्रों की सुरक्षा एवं विकास के हित में होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव से भी यही प्रतिबिम्बित होता है जिसमें यह उद्घोषित किया गया है कि नाभिकीय हथियारों का प्रयोग एवं उनके उपयोग करने की धमकी मानवता के विरुद्ध अपराध है।

नाभिकीय शस्त्रास्त्रों के विरुद्ध जनमानस की भावना तथा अन्य कारक विद्यमान होने के बावजूद भी निशस्त्रीकरण का दूसरा विशेष सत्र किसी सार्थक निष्कर्ष में पहुँचने में असफल रहा है। पांच सप्ताह लम्बी बैठक व्यर्थ रही तथा वास्तव में इसने प्रथम विशेष सत्र की सफलताओं को भी अकृत कर दिया। विश्व समुदाय, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके पश्चिमी सहयोगियों पर एक ओर तथा सोवियत संघ पर दूसरी ओर सम्भावित हथियारों की कटौती एवं नियन्त्रण के लिए अनुशासनात्मक स्वरूप के निर्धारण हेतु दबाव डालने में असमर्थ प्रतीत हुआ है। ऐसा परिलक्षित होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस स्थिति को धारण कर लिया है कि वह

(शेष पृष्ठ 44 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

■ अपराजित

न्याय व्यवस्था प्रारम्भ से ही समाज का एक अनिवार्य अंग रही है परन्तु उसका आज का स्वरूप बहुत पुराना नहीं है। इसकी आत्मा की स्थापना तो अचेतन रूप में पुनर्जागरण व पुनरुत्थान के समय में ही हो गयी थी किन्तु यह अपने मूर्त रूप में अमेरिकी क्रान्ति के समय ही आयी जब अमेरिका में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था लागू की गयी। आज न्यायपालिका की स्वतन्त्रता शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बन गयी है।

पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी से पूर्व मानवीय सम्बन्धों व मनुष्य तथा राज्य में सम्बन्धों की एक अलग ही व्याख्या दी जाती थी। राज्य को दैवी शक्ति का प्रतिफल समझा जाता था। अतः राज्य एवं व्यक्ति के हितों में टकराहट की कोई धारणा ही नहीं थी। राज्य जो कुछ भी करता था उसे उचित व दैवी इच्छा के अनुकूल माना जाता था और यदि व्यक्ति के हित उससे टकराते भी थे तो व्यक्ति को ही गलत समझा जाता था। दूसरे शब्दों में राज्य व व्यक्ति के मध्य एक-तरफा सम्बन्ध था। व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों से तो बंधा था पर राज्य के विरुद्ध उसके पास कोई अधिकार नहीं थे जिनके लिए वह राज्य से लड़ता। अतः न्यायपालिका का कार्य मानवीय अधिकारों की राजकीय अतिक्रमण से रक्षा करना नहीं था। वह तो सिर्फ व्यक्ति व व्यक्ति के बीच के सम्बन्धों तक ही सीमित थी और उनके बीच के ही तनाव एवं संघर्षों को ही सुलझाती थी। इस चिन्तन-प्रक्रिया के फलस्वरूप न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों का एक ही हाथों में होना अनुचित नहीं समझा जाता था। कानून की व्याख्या का कार्य भी राजा के पास था क्योंकि राजा की इच्छा ही कानून थी। अतः उस समय तक एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की धारणा का विकास ही नहीं हो पाया था।

पुनर्जागरण एवं पुनरुत्थान की मुख्य देन व्यक्ति को धार्मिक चोंचलों से मुक्त करना तथा मनुष्य को सृष्टि के केन्द्र बिन्दु में बैठालना था। समाज को धार्मिक कट्टरता से मुक्त करने के साथ ही साथ इस आंदोलन ने राजा के दैवी सिद्धांत को भी ध्वस्त कर दिया। परिणामस्वरूप राज्य एक कृत्रिम संस्था समझा जाने लगा जो मनुष्य के विकास में मात्र एक साधन है। मनुष्यों को कुछ अधिकार दिये गये जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक थे और राज्य द्वारा इन अधिकारों का अतिक्रमण अनुचित समझा जाने लगा। अतः अब न्याय व्यवस्था का कार्य मनुष्यों के मध्य उठने वाले संघर्षों एवं समस्याओं तक सीमित न रह कर राज्य व व्यक्ति के मध्य तनाव व संघर्ष तक विस्तृत हो गया। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि न्यायपालिका एक स्वतन्त्र संस्था हो, जो कार्यपालिका व न्यायपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर मनुष्य के अधिकारों को सुरक्षित कर सके। संघात्मक शासन व्यवस्था ने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के महत्व को और बढ़ा दिया। संघ व राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों व शक्ति के अतिक्रमण की शिकायतों से निपटने के लिए भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता आवश्यक हो गयी।

यहाँ यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ उसकी तटस्थता नहीं है। वास्तव में कोई भी न्याय व्यवस्था तटस्थ नहीं हो सकती। वह तो सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का एक अंग होती है और इस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बनाये रखने का एक साधन होती है।

भारतीय न्याय व्यवस्था भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिये संविधान में कुछ व्यवस्थायें की गयी हैं। यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फिर भी वह नियुक्ति करते समय न्यायालय के उपयुक्त न्यायाधीशों की सलाह लेने के लिये बाध्य है। न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिये विशेष

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रक्रिया अपनाई गयी है। अर्थात् कोई भी न्यायाधीश तभी पदच्युत किया जा सकता है जबकि उसके विरुद्ध अक्षमता (Incapacity) या दुर्व्यवहार (Misbehaviour) का आरोप हो तथा राष्ट्रपति के अनुरोध पर संसद अपने कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से आरोपों को स्वीकार कर लें। न्यायाधीशों का वेतन भी निश्चित है और उसे आर्थिक आपातकाल की स्थिति में ही परिवर्तित किया जा सकता है। उनके वेतन व सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय पर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य दशाओं में न्यायाधीशों के आचरण पर ही संसद में बहस नहीं हो सकती। अवकाश प्राप्त करने के बाद न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार नहीं है। और, अन्त में न्यायालय की शक्तियों को सिर्फ सविधान में परिवर्तन करके ही प्रभावित किया जा सकता है।

न्यायालय की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने वाले इन प्रावधानों के होते हुये भी समय-समय पर यह आवाज उठायी जाती है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता खतरे में है। यह तो तय है कि किसी भी संस्था की सफलता नियमों व कानूनों पर ही निर्भर नहीं रहती। उसकी सफलता मुख्यतः उस भावना पर निर्भर करती है जिससे उसको सजाने व सँवारने का प्रयास किया जाता है। तनाव व संत्रास्त से गुजरते भारतीय समाज में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का सुरक्षित न रह पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समाज में बढ़ती हुई अस्थिरता व अव्यवस्था से निपटने में अपने को अक्षम महसूस करती कार्यपालिका धीरे-धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। फासीवाद की ओर बढ़ती हुई राजनतिक सामाजिक व्यवस्था इस शक्ति के केन्द्रीकरण के मार्ग में आने वाली सभी अड़चनों को उखाड़ फेंकने के लिये तत्पर दिखती है। न्यायपालिका इस प्रवृत्ति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। आज न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनैतिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पदोन्नति में भी समय-समय पर वरिष्ठ न्यायाधीशों की अवहेलना कर कनिष्ठ न्यायाधीशों को उच्च न्यायाधीश बनाया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों (adhoc) की नियुक्ति न्यायालय के मान-सम्मान को एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से इन न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है और फिर राजनैतिक कारणों से उनको स्थायी नहीं किया जाता या फिर थोड़े-थोड़े समय के लिये उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है वह न्यायालय की स्वतन्त्रता के पक्ष में नहीं जाता। न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से अस्थायी न्यायाधीशों से स्थानान्तरण के विषय में राय लेना या केवल उन न्यायाधीशों का स्थानान्तरण जो विरोधी दलों द्वारा नियुक्त किये गये हैं, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को खुली चुनौती देना है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की विभिन्न आयोगों या अन्य पदों पर नियुक्ति भी न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित कर रही है। न्यायाधीश भी तो व्यक्ति ही होते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य की चाह उन्हें प्रभावित तो कर ही सकती है।

तथ्यों के अलावा कानून की सहायता से भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास तब किया गया जब बयालिसवें संविधान संशोधन के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को सीमित किया गया। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न कानून पास कर न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित किया गया। एन. एस. ए. (NSA), मीसा (MISA), इस्मा (ESMA) आदि कानून इसी प्रवृति के हैं।

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सिर्फ बाहरी खतरा है। स्वयं न्यायपालिका भी एक सीमा तक इसके लिये जिम्मेदार है। प्रारम्भ से ही न्यायपालिका ने अपने को एक रूढ़िवादी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है और व्यक्ति के अधिकारों, मुख्यतः सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा के लिये समाज की गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाली बहुसंख्यक जनसंख्या की अवहेलना की है। न्यायपालिका अभी भी अहस्तक्षेप (Lesseiz faire) की मानसिकता से ग्रसित है और सभी संघर्षों को व्यक्ति व राज्य के मध्य संघर्ष के रूप में देखती है। वह यह नहीं समझ पा रही है कि एक तरफ तो वह वर्ग है जो उत्पादन साधनों पर दिनों-दिन अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और दूसरी ओर भुखमरी,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

महामारी से पीड़ित अधिकांश जनता [illegible] का अमानवीयकरण होता जा रहा है। इस असमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में इस बहुसंख्यक वर्ग के अधिकार तो नाम मात्र के रह गये हैं। वे तो उच्च वर्ग के हितों से टकराकर चकनाचूर हो गये हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है— 'Spirit giveth and the letter killeth' अर्थात जब हम किसी सिद्धांत की आत्मा को आधार मानकर चलते हैं तो उसका विकास होता है पर ज्यों ही हम उसकी आत्मा को भूलकर उसके शब्दों पर ही अपने को सीमित रखते हैं तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। हमारी न्यायपालिका के साथ बहुत कुछ ऐसा ही है। वह मूलभूत अधिकारों को तो पवित्र मानकर चलती है किन्तु संविधान की प्रस्तावना को भूल जाती है जो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की बात करती है या फिर वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भूल जाती है जो एक समतावादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का स्वप्न संजोने बैठे हैं। वह भूल जाती है करोड़ों भारतवासियों की आवाज को जो कि चुनावों तथा उससे अधिक अपनी दरिद्रता की बेंड़ी को तोड़कर उन्मुक्त होने के लिए किये गये आन्दोलनों के अन्दर से बोलती है। इस तरह हम देखते हैं कि न्यायपालिका न केवल संविधान से बल्कि समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ गयी है। वह अपने को मात्र अम्पायर समझकर तटस्थ रहने का उपक्रम कर रही है। ऐसी न्यायपालिका जो कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है, प्रतिक्रियावादी शक्तियों को ही मदद कर रही है। परिणाम स्वरूप वह स्वयं भी प्रतिक्रियावादी व यथास्थितिवादी हो गयी है। इस स्थिति में न्यायालय की स्वतन्त्रता भला कब तक सुरक्षित रह सकती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं। न्यायाधीशों समेत कुछ विद्वानों का मत है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके स्थानान्तरण का अधिकार एक स्वतंत्र संस्था को दे दिया जाय। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यही संस्था करे। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह संस्था भी राजनैतिक प्रभावों से मुक्त हो पायगी ? सम्भवतः नहीं। बहुत से विद्वान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बिल्कुल खिलाफ है। जहाँ तक पदोन्नति का प्रश्न है अधिकांश विद्वानों का मत है कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिये क्योंकि इसका उल्लंघन कर किसी कनिष्ठ न्यायाधीश की पदोन्नति करना एक तरह का दण्ड ही हुआ जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति अय्यर का मत है कि न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्त करने के बाद कोई भी लाभ का पद नहीं देना चाहिये। इसके अतिरिक्त वे न्यायाधीशों के प्रशिक्षण की बात भी करते हैं। उनका विचार है कि न्यायालय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संस्था है अतः यह आवश्यक है कि उन्हें सामाजिक आर्थिक संस्थाओं के बारे में उचित जानकारी हो। न्यायाधीश, समाजशास्त्र, विज्ञान, मेडिसिन आदि क्षेत्रों से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। स्वयं वकीलों की स्थिति भी बेहतर नहीं होती अतः न्यायाधीशों को संविधान की मुख्य धारा की पकड़ ठीक से नहीं होती। न्यायाधीशों के पास कोई शोध-साधन भी नहीं हैं जिससे वे इन चीजों को जान सकें अतः यह आवश्यक है कि उन्हें संविधान के समाज दर्शन में प्रशिक्षित किया जाय तथा सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक संस्थाओं से अवगत कराया जाय। ये सभी सुझाव अपनी जगह ठीक दिखते हैं किन्तु हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का खतरा मुख्यतया समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक तनाव से जुड़ा है अतः यह खतरा इन तनावों के दूर होने पर ही समाप्त हो सकता है। जब तक हम एक वर्गविहीन समतावादी व समाजवादी मूल्यों को लेकर चलने वाली व्यवस्था का निर्माण नहीं करते, सारे सुधार कागजी बनकर रह जायेंगे। समस्या को अलग करके देखना, स्वयं समस्या से दूर भागना है। ऐसी स्थिति में समाधान भी हमसे दूर ही भागता है। न्यायपालिका की समस्या जो कि समूची सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हैं उसको एकीकृत रूप में देखना एक अनिवार्यता है। ●

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय राजनीति में दलबदलवाद की समस्या

■ नन्द लाल † व ■ उर्मिला लाल*

[1962 के बाद से भारतीय राजनीति में दलबदलवाद की समस्या एक ऐसा नासूर साबित हो रही है जिसे समाप्त करना दुष्कर सा हो गया है क्योंकि स्वयं विभिन्न दल इस सन्दर्भ में निश्चित अवधारणा नहीं रखते हैं। 1973 और 1978 के दलबदलवाद-विरोधी विधेयकों की इतिश्री से सभी परिचित हैं। यहाँ प्रस्तुत है समस्या के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों का एक विश्लेषणात्मक आकलन]

समसामयिक भारतीय राजनीति की हाल की कुछ घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए यदि यह कहा जाय कि नेतृत्व के स्तर पर किसी विकल्प की तलाश (?) में दलबदलवाद की राजनीति एक महत्वपूर्ण ऋणात्मक भूमिका अदा कर रही है तो यह शायद अत्युक्ति न होगी। यह भी देश के लिए एक विडम्बना ही कही जायेगी कि आज वहीं लोग दलबदलवाद की राजनीति की आलोचना में सबसे आगे हैं जिन्होंने कभी इसमें अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किये हैं। क्षुद्र राजनीतिक लाभों और पदों के लिए सिद्धान्तों और निर्वाचन समूह की आशाओं एवं आकांक्षाओं को तिलाञ्जलि देने वाले नेतृत्वकर्ताओं की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है; विभिन्न आन्तरिक और बाह्य समस्याओं से जूझ रहे भारतीय लोकतंत्र के लिये इससे अधिक और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है ?

भारत में दलबदलवाद की राजनीति इस अर्थ में अन्य किसी संसदीय देश की तुलना में विशिष्ट है कि यहाँ न केवल सदस्य एक दल से दूसरे दल में प्रत्यागमन करते हैं वरन् कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही दल के सदस्यों का विघटन स्वयं में कई दलों में हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का मुख्य रूप से प्रारम्भ 1969 में कांग्रेस के विभाजन के साथ ही हुआ। पुनः फरवरी 1977 में जगजीवन राम के नेतृत्व में 'कांग्रेस फार डिमॉक्रेसी' के रूप में कांग्रेस का एक और विभाजन हुआ और शीघ्र ही के. आर. गनेश, एच. एन. बहुगुणा और नन्दिनी सत्पथी जैसे विश्रुत कांग्रेसी इसमें शामिल हो गये। ठीक इसी प्रकार जुलाई 1979 में राजनरायण, मधुलिमये और एस. एन. मिश्र ने जनता पार्टी छोड़कर जनता (सेक्यूलर) के नाम से नये दल की स्थापना की। शीघ्र ही चौधरी चरणसिंह भी इसी में शामिल हो गये और बाद में इसी जनता (एस.) का परिवर्तित रूप लोकदल के रूप में उभर कर आया। स्पष्ट है कि यदि 1967-1982 तक के भारतीय दल प्रणाली के इतिहास का सिंहावलोकन किया जाय तो अन्य दलों के सदस्य ही कांग्रेस में शामिल हुए हों ऐसी कोई बात नहीं वरन् यह प्रक्रिया द्वि-पक्षीय रही है।

किन्तु यह जानकर आश्चर्य ही होता है कि जो प्रक्रिया आज भारतीय राजनीति में इतनी गहराई से घर कर चुकी है, सैद्धान्तिक स्तर उसके अर्थ के विषय में भी एक मत नहीं है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में दलबदलवाद का का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा अपनी मूलपार्टी (जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा हो) को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाने से है। किन्तु तकनीकी रूप से इसके अतिरिक्त भी अनेक ऐसी स्थितियाँ हैं जिन्हें दलबदलवाद की संज्ञा दी जा सकती है। डा. सुभाष सी. कश्यप ने अपनी पुस्तक 'द पॉलिटिक्स ऑव डिफेक्शन' में निम्न कुछ ऐसी स्थितियों की ओर संकेत किया है—

(क) एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना।

(ख) एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना और पुनः पहले दल में लौट आना।

† प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।
* अनुसंधात्री, राजनीति विज्ञान।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ग) किसी दल को गैर-दलीय व्यक्ति (Non-Party Man) होने के लिये छोड़ना।

(घ) एक पार्टी की सदस्यता को औपचारिक रूप से छोड़ देना, यह और बात है कि दल से बाहर रहकर उसी पार्टी का समर्थन किया जाय।

(च) दूसरी पार्टी की स्थापना करने के लिये मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ना।

(छ) एक पार्टी की सदस्यता को छोड़ना, दूसरी पार्टी की स्थापना करना और पुनः नयी पार्टी के साथ मूल पार्टी में या किसी अन्य पार्टी में पार्टी में मिल जाना।

इन विभिन्न स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म रूप से दलबदलवाद का तात्पर्य किसी भी सदस्य के राजनीतिक विश्वस्सता (Allegiance) में परिवर्तन से है, भले ही इसके स्वरूप और कारण कुछ भी हो।

दलबदलवाद की एक समीचीन परिभाषा के निर्धारण के उपरान्त दूसरा मुख्य प्रश्न यह है कि भारतीय राजनीति में दलबदलवाद के विभिन्न कारक कौन-कौन से है? इस सम्बन्ध में निम्न कुछ कारकों की ओर संकेत किया जा सकता है—

(1) इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि स्वतंत्रता के बाद से और विशेषरूप से 1962 के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि यथेष्ट मात्रा में सशक्त नहीं रही है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न दलों द्वारा चुनावों के दौरान प्रत्याशियों का चयन पार्टी के कार्यक्रमों और सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में न करके प्रत्याशी की जाति, उसकी विजय की सम्भावना आदि के आधार पर किया जाता है। ठीक यही प्रक्रिया प्रत्याशी द्वारा भी अपनायी जाती है: कोई भी सदस्य उसी दल का प्रत्याशी बनना चाहता है जिसमें उसे किसी पद या आर्थिक लाभ मिलने की अधिकतम् सम्भावना हो। किन्तु बाद में जब इस प्रकार के लाभ की सम्भावना किसी अन्य दल में दिखायी देती है तो ये सदस्य बड़ी आसानी से उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों में सैद्धान्तिक संकल्पना के अभाव में दलबदलवाद ने राजनीति को यथेष्ट मात्रा में बढ़ावा दिया है।

(2) पिछले एक दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों में वैयक्तिक राजनीति (Personalized Politics) और स्वामिवाद (Bossism) के उदय ने भी सदस्यों को दल-बदलबाद के लिए प्रेरित किया है। इन दो तथ्यों का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक दल में छोटे-छोटे घटक गुटों का उदय हुआ और जब इन सदस्यों ने यह देखा कि उपरोल्लिखित दो तथ्यों के कारण सम्बन्धित दल में उनका भविष्य अंधकारमय है तो उन्होंने किसी ऐसे दल में मिलना ज्यादा अच्छा समझा जहाँ उन्हें किसी राजनीतिक पद मिलने की संभावना रही हो। यह तथ्य कांग्रेस पार्टी के संबंध में विशेष सत्य रहा है।

(3) विभिन्न राजनीतिक दलों में व्याप्त आंतरिक असंतोष और गुटबन्दी भी दलबदलवाद का एक प्रमुख कारण रही है। यह प्रक्रिया कांग्रेस और विपक्ष-दोनों में ही समान रूप से बलवती रही है। अक्सर आम-चुनावों के अवसर पर विभिन्न दलों में आंतरिक झगड़े और गुटबन्दियाँ देखी गयी हैं और कभी-कभी तो यह भी देखा गया है कि एक ही दल के सदस्य उसी दल के सदस्य का निर्वाचन के दौरान विरोध करते हैं। जनता पार्टी भी इसी आंतरिक गुटबंदी के कारण विशृंखलित हुई और शासन में आने के दो वर्षों के भीतर ही सत्ता से वंचित हो गयी।

(4) राजनीतिक मूल्यहीनता के मौजूदा दौर में नीति-सिद्धान्त, कार्यक्रमों और वैचारिक आधारों की अप्रासांगिकता के समानान्तर पद और धन का प्रलोभन और उससे वंचित किये जाने पर उत्पन्न असंतोष अब तक राजनीतिक दलबदलवाद का सबसे प्रमुख कारण रहा है क्योंकि यद्यपि दल बदलने वाले सदस्य या गुट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सैद्धान्तिक और वैचारिक मतभेद का आधार दिया जाता रहा है किन्तु वास्तविक बात हमेशा पद के प्रलोभन की रही है। 1967-68 के एक वर्ष की कालावधि में, जब दलबदलवाद की राजनीति अपनी चरमसीमा पर थी, विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा दलों के परिवर्तन के बाद दूसरे दल के तत्वावधान में प्राप्त पदों के अध्ययन के लिये किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि इस काल में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

116 सदस्यों ने अपने मूल दल का परित्याग किया। इसमें से 52 सदस्य कांग्रेस दल को छोड़कर गैर कांग्रेसी दलों में गये। इनमें से 25 सदस्यों को कैबिनेट स्तर के मंत्री, 1 को राज्य मंत्री, 14 को विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और 12 को उपाध्यक्ष के पद दिये गये। इसी प्रकार अन्य दलों से 64 सदस्य कांग्रेस अथवा कांग्रेस समर्थित सरकारों में शामिल हुए। इनमें से 35 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री, 19 को विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और 10 को उपाध्यक्ष के पद दिये गये। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में 116 सदस्यों ने अपने दल बदले और इन सभी को दूसरे दल में कोई न कोई पद अवश्य दिया गया।

(5) अन्ततः दलबदलुओं के प्रति जनता के द्वारा किसी आक्रोश अथवा भावी चुनावों में जनता के द्वारा उनके प्रति किसी निंदात्मक विरोध के अभाव में भी दलबदल-वाद की राजनीति को प्रभावित किया है।

1967 के आम चुनाव के उपरांत दलबदलवाद की समस्या भारतीय राजनीति में कहीं अधिक मुखरित हो चली थी। 1967 में शिमला में आयोजित 'सचेतक सम्मेलन' में दलबदलवाद के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए इसकी कटु निंदा की गयी और राजनीतिक दलों से सम्मिलित रूप सभी पर नैतिक रूप से बाधित नियमा-वली के निर्माण का आग्रह किया गया। इसके अनुरूप 8 दिसम्बर, 1967 को लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत कुछ ही समय बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सविधान-विशेषज्ञों को मिलाकर तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री वाई. बी. चह्वाण के नेतृत्व में दलबदलवाद की समस्या से निबटने हेतु विधि बनाने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने दलबदलवाद की परिभाषा करते हुए कहा कि, "यदि किसी दल विशेष के निर्धारित चुनाव-चिन्ह पर निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों अथवा विधान परिषद अथवा, विधान सभा का, कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से संबंधित दल के प्रति अपनी विश्वस्तता तोड़ना अथवा उससे अपना सम्बन्ध समाप्त करता है तो इसे दल बदल माना जायेगा। बशर्ते कि उसका निर्णय दल द्वारा लिये गये किसी निर्णय का परिणाम न हो।" स्पष्ट है कि समिति की परिभाषा कई अर्थों में दोषपूर्ण थी—(1) समिति ने किसी सदस्य द्वारा दल के किसी निर्णय के बाद दूसरे दल में शामिल हो जाने को दलबदल नहीं माना था। कोई भी सदस्य जो दूसरे दल में शामिल होना चाहता है, अनुशासन हीनता का आश्रय ले सकता था और बाद में दल द्वारा निष्कासन को आधार बनाकर दलबदल की परिभाषा से बाहर हो सकता था। (2) इसके अन्तर्गत एक समूह द्वारा दल बदलने या नया दल बनाने वालों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था और अन्ततः इस परिभाषा में निर्दलीय उम्मीदवारों के संदर्भ में कोई बात नहीं कही गयी थी।

चह्वाण समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिये : —

(1) अपने मूल दल का त्याग करने वाले सदस्यों को 1 वर्ष के लिये किसी भी पद से वंचित कर दिया जाना चाहिये। (2) मंत्रिमण्डल की सदस्य संख्या सदन की सम्पूर्ण संख्या का अधिकतम् 10 प्रतिशत होना चाहिये; (3) दल बदलने वाले को तब तक किसी भी मन्त्री का पद न दिया जाय जब तक या तो एक लम्बी अवधि न बीत गयी हो अथवा जब तक वह विधानमण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र देकर पुनः निर्वाचित न हो जाये। (4) मुख्य-मन्त्री तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति सदन से कदापि न की जाय। (5) स्वयं विभिन्न राजनीतिक दलों को दलबदलुओं को अपने दल में स्थान नहीं देना चाहिये।

चह्वाण समिति के प्रतिवेदन को मद्देनज़र रखते हुए 16 मई, 1973 को तत्कालीन सरकार द्वारा लोकसभा में 32 वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे गैर-दलबदल-वाद विधेयक (Anti-Defection Bill) भी कहते है, पेश किया गया। इस विधेयक की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी यदि—

(1) वह स्वेच्छा से वह दल छोड़ देता है जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था, अथवा

(2) वह दल अथवा इसके किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद या तो सदन में मतदान करता है अथवा मतदान में अनुपस्थित रहता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसमें यह भी कहा गया कि ये प्रावधान दल में किसी निश्चित विभाजन की दशा में लागू न होंगे। किसी सदस्य द्वारा दल के परित्याग की कोई घटना 'दल-बदल' के अन्तर्गत आयेगी अथवा नहीं—इस प्रकार के विवादों का निर्णय राज्यपाल (राज्यों के सम्बन्ध में) अथवा राष्ट्रपति (केन्द्र के सम्बन्ध में) द्वारा किया जायेगा, यदि इस प्रकार का कोई विवाद संबंधित पार्टी के किसी अधिकृत पदाधिकारी द्वारा उनके सामने लाया जाता है।

विधेयक की कुछ विसंगतियाँ अस्पष्ट हैं :—

(1) विधेयक में दलबदलवाद की कोई व्यापक एवं सर्वाङ्गीण परिभाषा नहीं दी गयी।

(2) किसी भी विवाद का निर्णय राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा तभी किया जायेगा जब संबंधित पार्टी के किसी अधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार का विवाद उनके सामने लाया जाय। किन्तु यदि दल स्वयं ही ऐसा न करना चाहे तब ?

(3) विभाजन की स्थिति में, विधेयक के अनुसार, किसी सदस्य द्वारा किसी घटक में शामिल होने को दल-बदल नहीं कहा जायेगा। किन्तु विधेयक में 'विभाजन' (Split) तथा 'विलय' (Merger) शब्द की निश्चित परिभाषा नहीं की गयी है।

विभिन्न संविधान-विशेषज्ञों द्वारा भी विधेयक की कटु आलोचना की गयी। नानी पालकीवाला तथा हीरेन मुकर्जी जैसे संविधान-विदों द्वारा इसे सदस्यों के 'विवेक की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात' की संज्ञा दी गयी। बाद में विधेयक को एक 60-सदस्यीय प्रवर समिति को सौंप दिया गया किन्तु 3 वर्ष से अधिक समय गुज़र जाने के बावजूद समिति अपना प्रतिवेदन न दे सकी और इसी बीच 1977 में लोकसभा का विघटन हो गया।

जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में दल-बदलवाद की अस्थिरकारी राजनीति को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने का वायदा किया था और इसी के अनुकूल अप्रैल 1978 में जनता पार्टी द्वारा 48 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक में कहा गया कि कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता से वंचित समझा जायेगा, यदि (क) वह स्वेच्छा से संबंधित दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दें अथवा (ख) वह सम्बन्धित दल अथवा इसके अधिकृत पदाधिकारी के किसी निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य का सम्बन्ध उस दल से माना जायेगा (क) जिससे टिकट पर उसने चुनाव लड़ा हो, तथा (ख) किसी अन्य स्थिति में उस दल से जिसमें वह चुनाव के बाद सबसे पहले शामिल हुआ हो। यदि इस विषय में कोई विवाद होता है तो इसको सदन के अध्यक्ष द्वारा निर्णीत किया जायेगा।

किन्तु यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ किसी भी प्रयास की आलोचना हमेशा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की गयी है जो पूर्वकाल में इसकी जोर-शोर से गुहार लगाते रहे हैं। इस मामले पर भी ऐसा ही हुआ। तत्कालीन शासक दल के मधुलिमये, राज नारायण एवं एस. एन. मिश्रा जैसे विश्रुत सदस्यों द्वारा विधेयक की कटु आलोचना की गयी। विधेयक को 'फांसीवादी प्रतिमान' की संज्ञा दी गयी और यह भय प्रकट किया गया कि शायद इससे संविधान का मूल ढांचा ही नष्ट हो जाय। यह भी तर्क दिया गया कि 'दलबदल' की परिभाषा इस प्रकार की जानी चाहिये कि यदि कोई सदस्य अपने मूल दल को किसी सैद्धान्तिक मतभेद के कारण छोड़ता है तो इसे दलबदल नहीं माना जाना चाहिये। परिणाम यह हुआ कि बाद में सरकार द्वारा विधेयक को वापस ले लिया गया।

भारतीय राजनीति में दलबदलुओं का यशकारी इतिहास काफी पुराना रहा है। 1967 के पूर्व भी आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य कृपलानी, अशोक मेहता, रफी अहमद किदवई, टी. प्रकाशन और डा. रघुवीर जैसे व्यक्तियों का नाम भी इस सूची में दर्ज है। 1967 के बाद राज्यों की राजनीति में भी दलबदलुओं ने काफी नाम कमाया है। उ. प्र में चरणसिंह एवं टी. एन. सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश में जी. एन. सिंह की सरकार, हरियाणा में राव वीरेन्द्र सिंह, पंजाब में गुरनाम सिंह, लक्ष्मण सिंह गिल और प्रकाशसिंह बादल, प. बंगाल में अजॉय मुकर्जी, बिहार में एम. पी. सिन्हा, बी. पी. मण्डल, बी. पी. शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर, उड़ीसा में आर. एन. सिंह देव और बी. एन. दास एवं केरल में ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद की सरकारें दलबदलुओं की कृपा पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ही आधारित रही हैं। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जहां एक सदस्य ने एक ही दिन में तीन बार दल बदले।

1975 के बाद तो जैसे भारतीय राजनीति में दलबदलुओं की भीड़-सी आ गयी। 1975-77 के काल में भारतीय लोकदल, जनसंघ, कांग्रेस (संगठन) और अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के दलबदलुओं की कांग्रेसी खेमें में बाढ़-सी आ गयी। ठीक इसकी विपरीत प्रक्रिया का श्रीगणेश 1977 में जगजीवनराम द्वारा 'कांग्रेस फॉर डिमाक्रेसी' की स्थापना द्वारा हुआ। बाद में जनता शासन के काल में इतने सदस्य कांग्रेस छोड़कर 'कांग्रेस फॉर डिमॉक्रेसी' में शामिल हुए कि इसे 'कांग्रेस फॉर डिफेक्टर्स' कहा जाने लगा।

वास्तव में हुआ यह कि जब जिस दल को अपनी सरकार बनानी हुयी अथवा संख्यात्मक स्तर पर व्यवस्थापिका को अपनी सदस्य-संख्या बढ़ानी हुयी, तब उसने दलबदलवाद की राजनीति को खूब बढ़ावा दिया; चाहे वह कांग्रेस रही हो अथवा विपक्ष, यह बात और है जिस दल को जब इससे नुकसान हुआ तब उसने इसकी जमकर आलोचना की। 1977 के आम चुनावों के बाद जब राज्यों के विधान सभाओं के चुनावों की तैयारी की जा रही थी उस समय दलबदलुओं को तरह-तरह के प्रलोभन देकर बुला-बुला कर जनता पार्टी में भर्ती किया गया लेकिन तब भारतीय राजनीति की 'स्वस्थ परम्परा' के तथाकथित जनता दल के हिमाइतियों में से किसी ने नैतिक आधार पर इसकी आलोचना अथवा विरोध नहीं किया। तब राज्य सभा में बहुमत प्राप्त करने का भी तर्क दिया गया। तब लोगों को यह समझाया जा रहा था कि देश की राजनीति संक्रमणकालीन दौर (Trnsitional Phase) से गुजर रही है। ऐसे समय में मुख्य आवश्यकता है उपलब्ध वैकल्पिक शक्तियों के सशक्त पुनर्गठन की, न कि दलबदल रोकने की ? वैसे भी समय-समय पर यह तर्क दिया जाता रहा है कि दलबदल के सम्बन्ध में यदि कठोर प्रतिबन्ध लगाया गया तो सदस्य की वैचारिक एवं सैद्धान्तिक स्वतन्त्रता पूर्णतया समाप्त हो जायेगी। किन्तु शायद हमारे राजनीतिज्ञ यह भूल जाते हैं कि भारतीय राजनीति में दलबदल की 99% घटनायें व्यक्तित्वों की टकराहट, सत्ता-लिप्सा या धन-लालसा के कारण होती हैं, न कि वैचारिक मतभेद के कारण।

दलबदलवाद की नवीनतम् प्रतिफल हाल में गठित हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारें हैं। हरियाणा में इंदिरा कांग्रेस को 89 में से 36 तथा हिमाचल प्रदेश में 67 में से 31 सीटें ही मिली किन्तु फिर भी दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की ही सरकार बनी। कहना न होगा कि दलबदलवाद की राजनीति को और अधिक बढ़ावा देने में राज्य के राज्यपालों का भी व्यापक योगदान रहा है। हरियाणा के राज्यपाल जी. डी. तपासे द्वारा जिस नाटकीय ढंग से इसे सम्पादित किया गया वह लोकतन्त्र पर एक काला धब्बा ही कहा जायेगा।

अब अन्तिम प्रश्न है कि दलबदलवाद की राजनीति को किस प्रकार रोका जा सकता है। क्योंकि 1977 से 1982 के काल में जिस तरह से इसका नासूर पनप रहा है, समग्र लोकतांत्रिक परम्पराओं, जिनका प्रमुख तत्व उत्तरदायित्व है, के समक्ष खतरा है। समय-समय पर विधिशास्त्रियों, संविधानवेत्ताओं तथा राजनीतिज्ञों द्वारा दलबदलवाद को रोकने के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं। इनमें प्रमुख हैं :—सदस्यों को वापस बुला सकने की जनता को सुविधा (स्विटजरलैंड की भांति), अध्यक्षात्मक प्रणाली की स्थापना, ताकि पदलिप्सा पर नियंत्रण लग सके। दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना। चुनाव-प्रणाली में सुधार और सदस्यों के चुनाव के लिये सूची पद्धति अथवा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय मतपद्धति का प्रारम्भ आदि। इसके अतिरिक्त लगभग सभी ओर से स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परायें विकसित करने की बात कही गयी है। प्रख्यात भारतीय राजनीतिक विश्लेषणकर्ता प्रो. अप्पादुराई ने दलबदल के 'सैद्धान्तिक (Principled) तथा गैर-सैद्धान्तिक (Non-Principled) तरीकों में विभेद किया है। सैद्धान्तिक दलबदल वह है जिसके अन्तर्गत वैचारिक मतभेद के कारण दलबदल किया जाय। जबकि गैर-सैद्धान्तिक दलबदल वह है जहाँ क्षुद्र राजनीतिक लाभों के लिये दल परिवर्तन किया जाता है। इसलिये प्रो. अप्पादुराई ने यह सुझाव दिया है कि प्रथम प्रकार के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दलबदल को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये जबकि दूसरे प्रकार पर एकदम नियंत्रण लगा देना चाहिये। इस संदर्भ में विद्वान प्रोफेसर ने निम्न सामान्य सुझाव दिये हैं :—

(क) दलबदल करने वाले का पुनः चुनाव लड़ना चाहिये ।

(ख) केन्द्र और राज्यों के मंत्रिमण्डल का आकार वैधानिक ढंग से नियंत्रित होना चाहिये।

(ग) दल परिवर्तन करने वाले सदस्य को 1 वर्ष तक कोई पद नहीं दिया जाना चाहिये।

(घ) अन्ततः यदि कोई दल दलबदलू को प्रवेश देता है तो एक निश्चित अवधि के लिये उसकी मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिये।

जहाँ तक स्विटजरलैण्ड की भाँति निर्वाचक मण्डल को यह अधिकार देना कि वह असंतोष की स्थिति में अपने प्रतिनिधि को वापस बुला (RECALL) सके, का प्रश्न है तो यहाँ यह कहना, कि भारत जैसे विशाल और विभिन्नताओं से आवृत देश में शायद यह व्यवस्था उतनी कारगर न हो, ही काफी होगा। दूसरे, संसदात्मक शासन पद्धति के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू करने का सुझाव भी पूर्णतया तर्कसंगत नहीं है। हाल के वर्षों में तृतीय विश्व के विकासशील एशियाई, अफ्रीकाई और लातीनी अमरीकी देशों में अध्यक्षात्मक सरकारों के प्रयोग का अनुभव काफी दुखद रहा है। क्रमशः इनका परावर्तन सैनिक सरकारों में हुआ है। अतः यह तो हो सकता है कि इससे दलबदल की राजनीति पर कुछ अंकुश लगाया जा सके, किन्तु हमारे विचार समग्र राजनीतिक तंत्र के सदर्भ में पूर्णतया उचित नहीं हैं। अध्यक्षात्मक सरकार स्वाभावतया निरंकुश और अनुत्तरदायी होती है। दल-विहीन प्रजातंत्र की कल्पना व्यावहारिक स्तर पर स्वयं एक यल्प से अधिक कुछ नहीं।

आवश्यकता है स्वस्थ राजनीतिक परम्पराओं और प्रथाओं के विकास की। प्रजातंत्र में 'उत्तरदायित्व' वैधानिक की अपेक्षा कहीं अधिक नैतिक होता है। जब तक प्रजातंत्र के कर्णधारों में स्वयं सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ता की भावना का विकास न होगा, तब तक शायद इस संदर्भ में कुछ भी ठोस उन्नयन कठिन होगा। इसके लिये सिद्धान्त-विहीन और नीति-रहित राजनीतिक प्रयत्नों के स्थान पर सिद्धान्त-बद्ध और नीतिनिष्ट राजनीतिक मूल्यों की स्थापना के लिये एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरु किया जाना चाहिये। जनता को राजनीतिक दृष्टि से भी शिक्षित किया जाना चाहिये, ताकि दलबदलुओं को स्वयं उनका निर्वाचक समूह दण्डित कर सके। भारतीय राजनीति के एक अनुभव पर्यवेक्षक की यह बात, कि "आज तो स्थिति यह है कि बीमार स्वयं तीमारदार बन जाते हैं। अतः मौजूदा भ्रष्ट राजनीति पर प्रहार किये बिना दल-बदल के रोग का इलाज हो ही नहीं सकता', पूर्णतया उचित है।●

निशस्त्रीकरण : समस्यायें (पृष्ठ 35 का शेष)

निशस्त्रीकरण स्त्रातजिक केवल अपने शर्तों के अनुसार ही स्वीकार करगा। सोवियत सघ अपने को अमेरिकी अनुक्रिया के अनुरूप ढालने हेतु इच्छुक है पर इससे एकपक्षीय निशस्त्रीकरण की आशा नहीं की जा सकती। फ्रांस अब भी नाभिकीय परीक्षणों का पूर्ण रूपेण त्याग करने के लिए अनिच्छुक है और पूर्ण नाभिकीय निशस्त्रीकरण तथा इनके प्रथमतया प्रयोग न करने की सार्वभौमिक वचनबद्धता को अव्यावहारिक तथा स्वप्नदर्शी समझता है। नाभिकीय शस्त्र उत्पादक राष्ट्र निशस्त्रीकरण हेतु केवल वार्ताएँ आयोजित करने के इच्छुक रहते हैं, न कि उनको कार्यरूप प्रदान करने के प्रति।

अतएव अब विश्व का ध्यान जनेवा की ओर आकर्षित हो जाना स्वाभाविक है जहाँ "स्त्रातजिक शस्त्र" शिथिलता वार्ताएँ (Strategie Arms Redue-tion Talks) में इस बात की प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए कठिन परिश्रम किया जा रहा है कि सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य नाभिकीय सन्तुलन हेतु क्या संभावनायें हो। सम्भवतः तृतीय विशेष निशस्त्रीकरण सत्र इस सन्तुलन के प्राप्त होने पर आयोजित किया जा सकता है।

अतिप्राचीन समय से शस्त्रों की दौड़ का कार्य अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में येनकेन प्रकारेण अपने उद्देश्य की पूर्ति करना रहा है। शस्त्रीकरण की समस्या राजनीति में एक अनुत्तरित बाधा है, विशेषतया वर्तमान युग में जब कि नाभिकीय युद्ध उत्तरजीविता की प्लाविका को निमग्न कर सकती है। अपरिमित संत्रास तथा विनाश का भय, आर्थिक भार का नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की खतरनाक स्थिति ने शस्त्रीकरण को एक अन्तरराष्ट्रीय अभिशाप और शायद क्रूर पशु प्रकृति के मनोविज्ञान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बना दिया है जिस पर मानव-समाज प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में असफल रहा है।

निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को समानता तथा समान सुरक्षा के आधार पर आधारित होना चाहिए। शस्त्रीकरण और हथियारों की दौड़ मानव-जीवन की प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, एवं मनोवैज्ञानिक रूप से निशस्त्रीकरण परम आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव नाभिकीय एवं सामान्य निशस्त्रीकरण के लिए अधिक मौलिक एवं प्रयोगात्मक प्रयासों को किये जाने की आवश्यकता है। इतिहास के किसी मोड़ पर मनुष्य को शक्ति और विवेक में चयन करना होगा अन्यथा चयन करने के लिए कोई शेष नहीं रहेगा।●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधुनिकता और समकालीन संदर्भ

■ डॉ अशोक त्रिपाठी

काल के तीन हिस्से किये गये हैं—भूत, वर्तमान और भविष्य।

भूत का सम्बन्ध अतीत से है, ऐतिहासिक बोध से है, अनुभव जन्य ज्ञान से है।

वर्तमान का सम्बन्ध आज से है, भोगे जाने वाले क्षण से है, युग-संदर्भ से है—उस युग-संदर्भ से जिस युग में हम रहे हैं।

भविष्य का सम्बन्ध आने वाले रहस्य-क्षण से है। वह रहस्य क्षण जिस क्षण के लिए हम, ऐतिहासिक बोध या अनुभव जन्य ज्ञान के सहारे वर्तमान से संघर्ष करते हुए, प्रयत्नशील हैं। यह रहस्य-क्षण कोई वायवीय कल्पना नहीं है, वह ठोस यथार्थ का क्षण है। वह रहस्य केवल इस अर्थ में हैं कि जिस बेहतर उन्मुक्त, पूर्वाग्रह मुक्त, तर्क जन्य परिणाम के लिये हम संघर्षरत हैं, हम नहीं जानते कि उसमें हमें कहाँ तक सफलता और किस सीमा तक तुष्टि मिलेगी।

तात्पर्य यह कि भूत और भविष्य को जोड़ने में वर्तमान एक सेतु का काम करता है।

इस वर्तमान में जीना ही समकालीन होना है। समकालीनता का सम्बन्ध तात्कालिकता से है—तात्कालिक युग संदर्भ से है। और समकालीन होना इसी युग-संदर्भ से संपृक्त होना है। समकालीन होना युग-सन्दर्भ का साक्षात्कार होना है, समय की पहचान होना है। एक वाक्य में कहा जाय तो कहा जा सकता है—'समकालीनता केवल कालगत पहचान है।'

आज की समकालीनता, अपने देश के संदर्भ में—अदालत में "घूस लेना और देना दोनों जुर्म है" की तख्ती लटकती रहने पर भी घूस का बाजार गर्म करना हैं; दहेज के खिलाफ मंच पर भाषण करना और घर के अन्दर दहेज की मोटी रकम ऐंठना तथा न मिलने पर मासूम बालाओं को जला देना है; जातिवाद के विरोध में भाषण उगलना तथा जाति के आधार पर ही टिकट बाँटना और आरक्षण देना है; 'गरीबी हटाओ' के नाम पर गरीबों को हटाना है; मंच पर ईश्वर और धर्म के खिलाफ जहर उगलना और घर में दिक्शूल पड़ने पर परिहार के लिये पंडित की शरण में जाना है. आफिस की महिलाओं को 'वीमेन लिव' के नाम पर रोमांस के लिए प्रोत्साहित करना और घर की महिलाओं को खिड़की से झांकने पर प्रताड़ित करना है; दावतों में खड़े-खड़े खाना है; हर तरह से पैसा ऐंठ कर तिजोरी भरना हैं; डाइनिंग टेबिल पर खाना खाना है; ड्राइंग रूम में सोफा-सेट; फ्रिज; टी. वी.; कोई मॉडर्न पेंटिंग रखना है; पॉप-म्यूजिक पर डांस करना है; अंग्रेजी गाना सुनना और गाना है; नमस्कार प्रणाम की जगह हाय! हलो! कहना है; विदेशी नस्ल के कुत्ते से मुँह चटवाना और उसे गोद में खिलाना तथा मनुष्य के बेटे को कुत्ते के समान दुत्कारना है; बंगले के गेट पर "कुत्तों से सावधान" का बोर्ड लगवाना है (जैसेकि घर में कुत्ते ही कुत्ते हों); सिगरेट और शराब पीना है; सवेरे देर से उठना; क्लबों में जाना; अंग्रेजी में गाली देना; मेहमानों को बोझ समझना; घर में मक्खी मारते रहने पर भी; आगन्तुकों को घंटों इन्तजार करवाना है।

विश्व के संदर्भ में—निशस्त्रीकरण के नाम पर शस्त्रों का भंडारण करना, विश्व शांति स्थापित करने के नाम पर एक दूसरे को युद्ध में झोंक देना तथा शक्तिशाली गुटों के आपसी संघर्ष हैं। लेकिन क्या यही आज की आधुनिकता भी है?

इस सवाल का जबाव कुछ लोग हाँ में दें, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग इन सबको ही आधुनिक होने का नुस्खा मानते हैं। हालांकि वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है—समकालीनता एक फैशन है और आधुनिकता एक दृष्टि है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समकालीनता में नये और पुराने (अर्थहीन, मूल्यहीन) दोनों तथा दोनों के संघर्ष साथ-साथ चलते रहते हैं।

ऊपर गिनाये गये आज के संदर्भों तक ही सीमित रहना समकालीन होना है, तथा इन संदर्भो से संघर्ष करते हुए इनके कारणों की तलाश करना और एक नया विकल्प देना आधुनिक होना है।

यह सही है कि समकालीन होना ही आधुनिक होना नहीं है फिर भी आधुनिकता बड़ी तीव्रता के साथ समकालीनता के प्रति सचेत रहती है। समकालीन संदर्भ किसी भी चेतना-सम्पन्न व्यक्ति के लिए सोचने की जमीन तैयार करते हैं। वह सोचने को बाध्य होता है कि आखिर ये सारी स्थितियाँ, जो मनुष्य को अमानवीय बनाती हैं, इनका कारण क्या है? वह प्रश्नाकुल हो उठता है। प्रश्नाकुल होना ही आधुनिक होने की प्रक्रिया की शुरुआत है।

हर परम्परा को कार्य-कारण सिद्धान्त पर कसना और तब उसे स्वीकृति देना ही आधुनिक होना हैं। केवल 'आस्था' या 'विश्वास' या 'ऐसा होता आया है' या 'जमाने की रफ्तार यही है' आदि के सहारे अपने आचार-विचार को सही साबित करना आधुनिक होना नहीं है। जमाने की रफ्तार की दुहाई देना, समकालीन होना मात्र है।

'इनसाइक्लोपीडिया ऑव सोशल साइंस' में आधुनिकता को एक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया हैं, एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में, जो पुरातन के प्रति प्रश्न, चिन्ह लगाती है और परिवर्तित परिवेश तथा परिवर्तित जीवन मूल्य में अपने औचित्य को प्रमाणित करने के लिए चुनौती देती है।

इस बात को हम एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे—कुछ समय पूर्व तक हम 'राष्ट्र प्रेम' या 'देश प्रेम' की भावना को सर्वोच्च महत्व देते थे। हमारा देश गलत करे या सही हमें उसका समर्थन करना ही है, यह हमारा सर्वोत्तम मूल्य था। लेकिन क्या आज भी ताजा परिस्थितियों में जबकि समूचा विश्व एक हो रहा है, एक राष्ट्र की अन्दरूनी हलचल का दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या परोक्ष असर पड़ता है; क्या हमारा यह 'राष्ट्र भक्ति' या 'देशभक्ति' का मूल्य अब भी उचित है? यह सवाल हमें कुरेदता है। यह कुरेदन ही हमें कुछ सोचने को मजबूर करती है और इस पुराने 'देश-भक्ति' या 'हमारा देश ही सही है' के मूल्य पर सवाल उठाता है, और हमारे सामने एक चुनौती प्रस्तुत करती है? निश्चय ही यह चुनौती और यह सवाल आधुनिकता की कड़ी हैं।

इस सवाल को जब हम तर्कसंगत और विवेकशील दृष्टि से सोचते हैं, तो पाते हैं कि "हमारा देश ही सही है -दूसरा गलत है" यह विचार आज कल्याणप्रद नहीं है। हमें देश की सीमा से आगे जाकर समूची मानवता के संदर्भ में सोचना होगा। अपने देश से ऊपर उठकर समूची मनुष्यता के बारे सोचना ही आधुनिक होना है।

आधुनिक होने के लिए जितना जरूरी आज के युग-संदर्भ को जानना है, तात्कालिक होना हैं, उतना ही जरूरी अतीत को भी जानना है। अतीत से तात्पर्य ऐतिहासिक बोध से है। अतीत या ऐतिहासिक बोध प्रामाणिक अनुभव का खजाना है। इसी अनुभव-जन्य ज्ञान के सहारे ही वर्तमान विरोधाभासों में से हम सामंजस्य की खोज कर सकते हैं और भविष्य के रहस्य क्षण की ओर बढ़ सकते हैं। विरोधाभासों में सामंजस्य की खोज करना ही आधुनिकता है। क्योंकि सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारे पास विवेक सम्मत ऐतिहासिक बोध से सम्पन्न वैज्ञानिक दृष्टि होगी। और आधुनिकता विवेक सम्मत वैज्ञानिक दृष्टि के अलावा कुछ नहीं है।

आधुनिकता घटना या तथ्य नहीं है यह दृष्टि है। यही कारण है कि आज की तमाम घटनाएँ या तथ्य आधुनिक नहीं हैं, जब कि पुराणकालीन या महाभारत कालीन तमाम घटनाएँ, और पात्र जब दृष्टि विशेष के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आधुनिक हो उठते हैं।

आधुनिक होना अद्यतन होना नहीं है। यदि अद्यतन होना ही आधुनिक होना होता, तो आज की तमाम साहित्यिक कृतियाँ पूर्ववर्ती कृतियों की अपेक्षा अधिक शाश्वत होतीं, क्योंकि आधुनिक होना शाश्वत होना भी है। शाश्वत होने का अर्थ है—समय की सीमा से परे होना। समय की सीमा में न बँधना।

यहीं पर एक सवाल और उठ सकता है कि शाश्वत एक होगा कि अनेक? शाश्वत एक नहीं होता शाश्वत कई हो सकते हैं। यदि शाश्वत एक होगा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह एकरस, उबाऊ और धीरे-धीरे अर्थहीन हो जायेगा। क्योंकि एक ही शाश्वत मूल्य हर युग और परिस्थिति के लिए विवेक सम्मत विकल्प नहीं हो सकता। हर युग के सवाल अलग होते हैं, उनके आयाम अलग होते हैं, इसलिए विकल्प भी अलग होते हैं और विकल्प अलग-अलग होने से आधुनिकता या शाश्वत मूल्य भी अलग-अलग होते हैं क्योंकि हर युग में परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार बँधी-बँधाई व्यवस्था, रूढ़िग्रस्त मर्यादा आदि के विरुद्ध आवाज उठती रहती है। बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, तुलसी, निराला आदि की परम्परा यही सिद्ध करती है। इन सभी युग-निर्माताओं ने सड़ी-गली परंपराओं और मानवीय कल्याण में बाधक शक्तियों के प्रति अपने-अपने ढंग से विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की थी। आधुनिकता की एक शर्त विद्रोह भी है—अनुपयोगी और अनुचित के प्रति विद्रोह।

पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त ने कहा था 'ज्ञान का उद्गम संदेह में है।" संदेह से तात्पर्य जिज्ञासा, कौतूहल, असंतोष और प्रश्न-धर्मी होना है। संदेह रहित होना-संतुष्ट होना है, प्रगतिशून्य होना है। आधुनिकता, प्रगतिशीलता का ही दूसरा नाम है। प्रगतिशील बने रहने के लिए असंतोष का अस्तित्व अनिवार्य है। वर्तमान से असंतुष्ट होना, वर्तमान को प्रश्नों के घेरे में देखना और फिर उनका उत्तर खोजना और उत्तर पर पुनः प्रश्न-चिह्न लगाना, यही आधुनिकता है। क्योंकि प्रश्नों की यह अनवरत श्रृंखला ही मनुष्य को सदैव गतिशील, कर्मशील और जीवित रखती है। कर्म-शून्य और गतिशून्य होना मृत्यु का लक्षण है। आधुनिकता मृत्यु नहीं, जीवन है। उत्तर या संतोष या प्राप्तव्य जैसा बोध आधुनिकता की भ्रूण-हत्या कर देते हैं। निरन्तर खोज का भाव ही आधुनिकता है "चरैवेति चरैवेति" ही आधुनिकता का मूल-मंत्र है।

"आधुनिक होना अतीत को नकारना, और भविष्य से मुँह मोड़ना नहीं है। अतीत को बीता हुआ कहकर और भविष्य का स्वप्न कहकर नकारा नहीं जा सकता है। आधुनिक होना दम तोड़ती हुई अतीत की सृष्टि के शेष और अतिरिक्त जीवनी-शक्ति को अनुभव करना तथा सम्भावनाओं से युक्त सृष्टि का मुकाबला करना है। आधुनिक के पीछे विगत की परंपरा है वह आकस्मिक नहीं है, न स्वयंभू.........न वह निःसन्तान मर ही सकता है।"

इसलिये कहा जा सकता है "आधुनिकता इतिहास-विरोधी मूल्य निषेधी दृष्टि नहीं है—बल्कि इतिहास के संदर्भ में ही मूल्यान्वेषण की सतत प्रक्रिया से अर्जित मानसिकता है" दूसरे शब्दों में यह वह निरन्तर विकासमान सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जो अन्याय और अमानवीय पूर्ण स्थिति के प्रति विद्रोह, सड़ी गली मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति असन्तोष और उन्हें चुनौती देने तथा एक नया विकल्प देने के संकल्प की सृष्टि है।

आधुनिकता एक वैज्ञानिक दृष्टि है। वैज्ञानिक दृष्टि से तात्पर्य उस चिन्तन दृष्टि से है, जो रूढ़ियों, परंपराओं, आप्तवाक्यों, संस्कारों से मुक्त-स्वतंत्र-निरपेक्ष, तटस्थ पूर्वाग्रह मुक्त तर्क संगत और विवेक सम्पन्न दृष्टि है। वैज्ञानिक दृष्टि वायवीयता से अलग भौतिक सत्ता और मानवीय कल्याण में विश्वास करती है। यह दृष्टि रूढ़ि परंपरा रीति-रिवाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। आस्था और विश्वास के स्थान पर बुद्धिवादी तार्किकता और विवेकशीलता को कसौटी का आधार बनाती है, जिसके मूल में मानव अस्तित्व को पूर्ण दायित्व के साथ उभारना उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, अभिव्यक्ति की सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना तथा मानव कल्याण की मंगलकारी भावना निहित है। मानव कल्याण की यह भावना लौकिक या भौतिक स्तर पर ही स्वीकार करना आधुनिकता है, किसी आध्यात्मिक या अलौकिक स्तर पर नहीं।

अतः संकुचिता के स्थान पर दृष्टि की व्यापकता, जाति के स्थान पर कर्म को श्रेष्ठता को आधार बनाना; आप्त-आस्था और अंध-विश्वास के स्थान पर बौद्धिक विवेक और विचारशीलता; भावोद्रेकता के स्थान पर वस्तुनिष्ट वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि पक्षधरता के स्थान पर पूर्वाग्रह मुक्तता; किंकर्त्तव्य-विमूढ़ता के स्थान पर विकल्प दृष्टि; संस्कार के स्थान पर तार्किकता, भ्रष्ट और कुंठित मर्यादाओं से उन्मुक्ति की आकांक्षा; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; मनुष्य को समूचे परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि, आध्यात्मिक या वायवीय सत्ता के स्थान पर लौकिक और भौतिक सत्ता पर विश्वास; वर्तमान से असंतोष और प्रश्नाकुलता तथा समूची मानव-जाति के कल्याण की अदम्य भावना ही आधुनिकता है और यही हमारा धर्म तथा यही हमारा विज्ञान है। यही हमारी मनुष्यता भी है। दूसरे शब्दों में 'मनुष्य' होना ही आधुनिक होना है। ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(पृष्ठ 7 का शेष)
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिये चलाये जा रहे आन्दोलन को दर्शाता है। (5) यह एक प्रकार का ऐसा परमाणु बम है जिसके प्रयोग करने पर मनुष्य व जीव जन्तुओं की तो मृत्यु होगी परन्तु भौतिक पदार्थों पर कोई हानि नहीं होगी। इससे परमाणु प्रदूषण की भी संभावना नहीं है। (6) जीव मंडल के सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहने के साथ ही अपने उस भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करते है जिसमें में आवास करते है। प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न जीवों के मध्य बने इस सतुलन को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है।

प्रश्न 11 (अ)—कृपया समझाइये—

(1) घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें लगे फ्यूजों का क्या उपयोग है। (2) लोहा पानी में डुब जाता है परन्तु लोहे का जहाज नहीं डुबता। (3) हैन्ड पम्प से गर्मियों में ठंडा और जाड़ों में गर्म जल क्यों प्राप्त होता है। (4) जाड़ों में जानवर अधिक क्यों खाते हैं? (5) किसी एक ही वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है।

उत्तर 11 (अ)—(1) विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाने से यह लाभ होता है कि जब विद्युत धारा निर्धारित मात्रा से अधिक फ्यूज से होकर गुजरती है तो उससे उत्पन्न गर्मी से फ्यूज का तार पिघल जाता है और विद्युत परिपथ में व्यवधान पड़ जाता है और बिजली के उपकरण को हानि नहीं हो पाती है।

(2) लोहे का घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक होता है जिसके कारण लोहे का साधारण टुकड़ा पानी में डूब जाता है क्योंकि उसकी मात्रा हटाये गये पानी की मात्रा से बहुत अधिक होती है। अब चूंकि जहाज नतोदर आकृति के इस प्रकार बनाये जाते हैं कि इनके द्वारा हटाये गये पानी का भार जहाज तथा उसमें लदे हुये सामान से अधिक होता है और इसके द्वारा हटाये गये पानी का उछाल ऊपर की ओर भी अधिक ही होगा जिसके फलस्वरूप वह डुबता नहीं और पानी पर आसानी से तैरता रहता है। (3) गर्मियों में बाहर के ताप की अपेक्षा पृथ्वी के अन्दर का ताप कम होता है, इसी प्रकार जाड़ों में बाहर का ताप पृथ्वी के अन्दर के ताप की अपेक्षा कम होता है। इसलिये हैन्ड पम्प द्वारा प्राप्त जल हमें गर्मियों में ठंडा एवं जाड़ों में गर्म प्रतीत होता है। (4) जाड़े के दिनों में जानवरों के शरीर के ताप की तुलना में बाहरी वातावरण का ताप काफी कम होता हैं। अतः जानवरों के शरीर से विकरण के कारण ऊष्मा की हानि अधिक होती है क्योंकि ऊष्मा हानि जानवर के शरीर तथा वातावरण के ताप के मध्यमान अन्तर के समानुपाती होती हैं। उर्जा की इस हानि को पूरा करने के लिये उन्हे अधिक कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है अतः वह अधिक खाते हैं जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। (5) किसी वस्तु का भार कम या अधिक उस पर पड़ने वाली पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। ध्रुव पृथ्वी के केन्द्र के करीब है वहाँ पर वस्तु पर आकर्षण शक्ति अधिक पड़ती हैं इसलिये उनका भार वहाँ पर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केन्द्र से दूर है अतः यहाँ वस्तुओं पर आर्कषण शक्ति कम पड़ती है और इसीलिये यहाँ उन्हीं वस्तुओं का भार कम होता है।

प्रश्न 11 (ब)—निम्नलिखित विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं—

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) B_{12} (6) K

उत्तर 11 (ब)—(1) रतौंधी (2) बेरी बेरी (3) स्कर्वी (4) रिकेटस (5) एनीमिया (6) रक्तस्राव

प्रश्न 11 (स)—निम्नलिखित रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं—

(1) पायरिया (2) रिकेट्स (3) दमा (4) पीलिया (5) रतौंधी (6) पोलियो (7) स्कर्वी (8) डायबिटीज

उत्तर 11 (स)—(1) दाँत व मसूढ़े (2) हड्डियां (3) फेंफड़े (4) यकृत (5) आँख (6) टाँग (7) दाँत (8) पैंक्रियाज ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

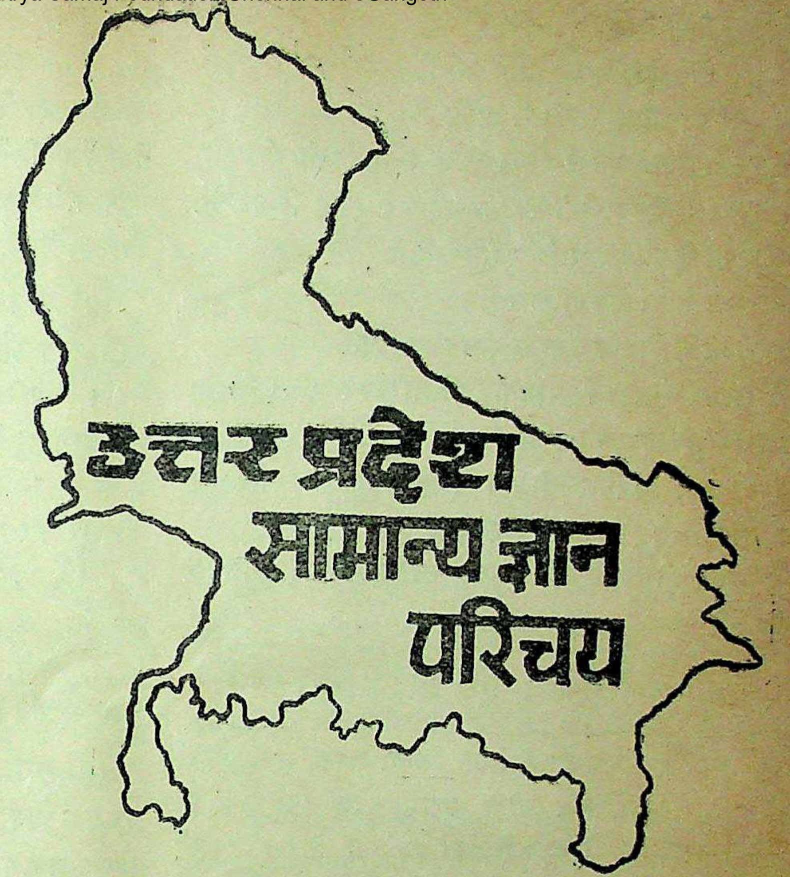

सामान्य परिचय

● वर्तमान उत्तर प्रदेश की गठन तिथि—1 नवम्बर 1956

● राजधानी—लखनऊ

● क्षेत्रफल—294,413 वर्ग किलोमीटर

● क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में स्थान--चतुर्थ

● जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार अस्थायी)--11,08,58,019

● 1971-81 के मध्य जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर—+25.49

● पुरुषों की संख्या--5,87,80,640

● स्त्रियों की संख्या--5,20,77,379

● स्त्री-पुरुष अनुपात—प्रति 1000 पुरुष 896 स्त्रियाँ

● जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर—377

● जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में स्थान--प्रथम

● वर्तमान साक्षरता प्रतिशत—27.38%

● पुरुषों की साक्षरता—38.87%

● स्त्रियों की साक्षरता—14.42%

● सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी—नन्दा देवी (25,645 फीट)

● अन्य प्रमुख पर्वत चोटियाँ—कामेत (7,756 मी.), बद्रीनाथ (7,138 मी.), त्रिशूल (7,120 मी.) और दूनागिरि (7,066 मी.)

● प्रमुख नदियाँ—गंगा, यमुना, गंडक, राम गंगा, घाघरा, गोमती

● मुख्य भाषा—हिन्दी

● कुल कमिश्नरियाँ—12

● कुल जिले—57

● सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला—मिर्जापुर (11,301 वर्ग कि. मी.)

● सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला—रामपुर (2,372 वर्ग कि. मी.)

● सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला—गोरखपुर (37,95,735)

● सबसे कम जनसंख्या वाला जिला—उत्तरकाशी (17,89,102)

● सर्वाधिक जन-घनत्व वाला जिला—लखनऊ (798 प्रति वर्ग कि. मी.)

● सबसे कम जन-घनत्व वाला जिला—उत्तर काशी (24 प्रति वर्ग कि. मी.)

● कुल नगर—325

● कुल गांव—1,12,561

● सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर—कानपुर (16,85,266)

● 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर—(1) कानपुर (2) लखनऊ

● नगर महापालिकाओं की संख्या—6 (कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ)

● उच्च न्यायालय—इलाहाबाद, लखनऊ (बेंच)

● ग्राम पंचायतों की संख्या—72,854

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- कुल विश्वविद्यालय—20
- कुल वन क्षेत्र—46,088 वर्ग किलोमीटर
- वनों का प्रतिशत —17.42%
- पक्की सड़कों का विस्तार—38,856 किलो मी.
- राज्य में रेल लाईनों की लम्बाई—8,657 किलो मी.
- राज्य से लोकसभा के स्थान—85
- राज्य से राज्यसभा के स्थान—34
- राज्य में विधान सभा के स्थान—425
- राज्य की छठीं योजना की परिव्यय धनराशि—6,200 करोड़ रूपये
- राज्य की वार्षिक योजना (82-83) की परिव्यय धनराशि—1202 करोड़ रूपये
- राज्य की सबसे बड़ी नहर—शारदा नहर (13,500 कि. मी.)

भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक विभाग

पूरब से पश्चिम तक 805 किमी. लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण 483 किमी चौड़ा उत्तर प्रदेश 23° $52'$ से 31° 18^{0} उत्तरी अक्षांशों तथा 77^{0} $3'$ से 84^{0} $38'$ पूरबी देशान्तरों के मध्य स्थित हैं। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणी से लगी हुई तिब्बत तथा नेपाल की सीमाओं को स्पर्श करती है, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान स्थित है तथा दक्षिण में इसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा पूर्व में बिहार को छूती है। राजनैतिक सीमाएँ न्यूनाधिक प्राकृतिक सीमाओं का ही अनुगमन करती है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी है।

प्राकृतिक दशा के अनुसार प्रदेश चार भागों में विभाजित है :—(1) उत्तरी पर्वतीय प्रदेश (2) भाबर और तराई प्रदेश (3) गंगा का समतल मैदान तथा (4) दक्षिण का पठारी भाग।

(1) उत्तरी पर्वतीय प्रदेश—इस विभाग के अन्तर्गत लगभग 94,340 वर्ग किमी. भूमि है। इस भाग में हिमालय की तीन श्रेणी-महान हिमालय लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय पड़ती है। इन पर्वत श्रेणियों में नन्दा देवी, कामेत जैसी पर्वत चोटियाँ भी है। इस क्षेत्र में 15000 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा होती है। इसके अन्तर्गत चकरौता, देहरादून तहसील का कुछ भाग, नैनीताल जिले की नैनीताल तहसील तथा अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जिले आते हैं।

(2) भाबर तथा तराई प्रदेश—पश्चिम से पूरब को विस्तृत यह प्रदेश उत्तरी पर्वतीय भाग तथा गंगा के मैदान के मध्य स्थित है। भाबर प्रदेश, शिवालिक श्रेणी से उतरने वाली पहाड़ी नदियां तथा नालों द्वारा अत्याधिक मात्रा में निक्षेपित कंकड तथा शैलों से बना है। भाबर को पार कर नदियां बारीक चट्टानी चूर्ण का निक्षेप करती है। इसे 'तराई प्रदेश' कहते हैं। इस पूरे विभाग के अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, खीरी, गोंड़ा, बस्ती, देवरिया तथा गोरखपुर जिलों के उत्तरी भाग पड़ते है।

(3) गंगा का समतल मैदान—राज्य के 2/3 भाग पर इस भाग का विस्तार है। हिमालय, अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निक्षेप से निर्मित प्राकृतिक विभाग उत्तर में तराई की मिट्टी तथा दक्षिण में बुन्देलखण्डीय पठार के मध्य विस्तृत है। ऊपजाऊ मिट्टी के इस मैदान की औसत गहराई 250 से 400 मीटर है।

(4) दक्षिणी पठारी प्रदेश—राज्य का दक्षिणी भाग साधारण ऊँचा पठार है जो कि मध्य प्रदेश के पठार का उत्तरी भाग तथा कैमूर की पहाड़ियों का प्रसार है। यह भाग प्राचीन शैलों से निर्मित है जिसमें नाइस तथा क्वार्टजाइट शैलों का बाहुल्य है। इस प्रदेश में जालौन, झांसी, बाँदा, हमीरपुर, मिर्जापुर आदि जिलों के भाग स्थित है।

जलवायु तथा वर्षा

यद्यपि उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबन्ध के अन्तर्गत है किन्तु समुद्रतल से विभिन्न स्थानों की अलग-अलग ऊँचाई के कारण जलवायु में बहुत अंतर आ जाता है। राज्य का ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 30^{0} सेग्रे. तथा शीतकालीन 12^{0} सेग्रे. रहता है। उत्तर-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रदेश बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं के भाग में है। प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून और सितम्बर के मध्य तथा लगभग 7% जाड़ों में होती है। उत्तरी पहाड़ी भाग और तराई के प्रदेश में तथा पूर्वी जिलों में वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा होती हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के प्रमुख भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 94 सेन्टीमीटर रहता है। नैनीताल में वर्ष भर में 250 सेन्टीमीटर वर्षा होती है, लखनऊ में 90 सेन्टीमीटर, आगरा और झाँसी में 67 सेन्टीमीटर।

वन तथा वनस्पति

यहाँ के वन 46,098 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है, राज्य के क्षेत्रफल का 17.42% भाग वनों से ढका हुआ है। इस राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में सुरक्षित वन, 5 लाख हेक्टयर में संरक्षित वन तथा 2.3 लाख हेक्टयर में अन्य वन है। उत्तरी भाग में पर्वतीय तथा तराई प्रदेश के वनों के प्रकार में अन्तर मिलता है। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में शंकुधारी वन मिलते है। 1 हजार से 2 हजार मीटर की ऊँचाई के भाग में चीड़ व साल, 1,800 से 2,400 मीटर की ऊंचाई तक देवदार और इससे ऊपर स्प्रू, फर, बर्च, जूनीपर आदि के वृक्ष मिलते है। निचले भागों में अथवा तराई प्रदेशों में साल, देवदार शीशम तथा आम्र आदि के वन है। मैदानों में बबूल पाया जाता हैं। प्रधान इमारती लकड़ी वाले वृक्ष हैं— साल, चीड़, देवदार, शीशम, सेमल, असना, बबूल, ब्लूपाइन, टीक और गुटेल आदि। अनेक छोटी वन उपजे भी है जैसे रिंगल, कत्था, बाँस, खैर आदि।

कृषि सम्पत्ति

हमारे देश की कुल कृषित भूमि का 22% भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिस पर राज्य के 75% व्यक्ति जीविकोपार्जन करते है। कृषि द्वारा राज्य की कुल आय का 68% भाग प्राप्त होता है। यहाँ 88% भाग पर खाद्यान्न बोये जाते हैं और देश के उत्पादन का 45% गन्ना, 35% आलू, 14% तिलहन तथा 18% खाद्यान्न इसी राज्य से प्राप्त होता है। यह देश का अफीम उत्पादक राज्य है। राज्य में बोयी जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

गेहूँ—उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य है। यहाँ गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र प्रदेश की कल कृषि योग्य भूमि का 24% हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलन्दशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद इस फसल के मुख्य उत्पादक जिले है।

गन्ना—देश के गन्ना उत्पादक राज्यों में प्रथम इस राज्य की कृषि योग्य भूमि के 13% पर इसकी खेती की जाती है। गोरखपुर, देवरिया एवं मेरठ प्रदेश में गन्ना उत्पादन के प्रमुख केन्द्र है।

चावल—प्रदेश की लगभग 18% भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ चावल अप्रैल-मई से सितम्बर-अक्टूबर तक पैदा किया जाता है। देहरादून, सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया इसके प्रमुख उत्पादक जिले है।

चाय—प्रदेश की गढ़वाल, कुमायूँ, नैनीताल तथा अल्मोड़ा की पहाड़ियों में इसका उत्पादन होता है। दून घाटी में भी इसके कुछ प्रमुख उद्यान पाये जाते है।

तम्बाकू—प्रदेश में मेरठ, मैनपुरी, वाराणसी, फर्रूखाबाद, बुलन्दशहर जनपद इसके प्रमुख उत्पादक हैं।

अन्य उपजें—उत्तर प्रदेश भारत में मक्का, चना एवं जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कानपुर, इटावा, एटा, मैनपुरी, बुलन्दशहर, मथुरा, अलीगढ़ कपास के प्रमुख उत्पादक जनपद हैं। नैनीताल जनपद जूट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।

मिट्टियां

पहाड़ी मिट्टी—खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त यह मिट्टी अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल एवं देहरादून जिलों में पायी जाती है।

कांप मिट्टी—इस मिट्टी के क्षेत्र गंगा और यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के प्रदेश हैं।

काली मिट्टी—यह मिट्टी प्रदेश के झांसी जिले के कुछ भागों में पायी जाती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रैतीली लाल मिट्टी—मिर्जापुर जिले में पायी जाती है।

मुख्य खनिज पदार्थ

प्रदेश में पाये जाने वाले मुख्य खनिज पदार्थ है—चूना पत्थर (देहरादून, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तथा मिर्जापुर जिलों में); डोलोमाइट (बाँदा, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून व मिर्जापुर जिलों में); मैगनेसाइट और खड़िया पत्थर (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा चमोली जिलों में); तांबा (चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल जिलों में); जिप्सम (देहरादून, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, नैनीताल, झांसी व हमीरपुर जिलों में), संगमरमर (देहरादून, मिर्जापुर व टिहरी गढ़वाल जिलों में), बाक्साइट (जिला बाँदा की कर्वी तहसील में); कोयला (मिर्जापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में); राक फास्फेट (देहरादून व टिहरी गढ़वाल जिलों में); माइका (गढ़वाल जिले में); ग्लास सैण्ड (इलाहाबाद व बाँदा जिलों में); फायर क्ले (मिर्जापुर जिले के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में); डायस्पोर-पैरोफिलाइट (झांसी, ललितपुर व हमीरपुर जिलों में); तथा निम्न श्रेणी के लौह भण्डार मिर्जापुर व ललितपुर जिलों में पाये जाते है।

उद्योग-धन्धे

इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केन्द्र कानपुर, आगरा, मोदीनगर, सहारनपुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद है। यहाँ हम संक्षेप में मुख्य उद्योग-धन्धों तथा उनके प्रमुख केन्द्रों का उल्लेख कर रहे हैं :—

● सूती वस्त्र—राज्य में छोटी-बडी 29 सूती मिलें हैं। इन मिलों का मुख्य केन्द्र कानपुर हैं। इसके अतिरिक्त हाथरस, लखनऊ, मोदीनगर आगरा, अलीगढ़ तथा नैनी (इलाहाबाद) आदि में भी इसके कारखाने हैं।

● चीनी—यहाँ चीनी के लगभग 74 बड़े कारखाने हैं जो मुख्यतः देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ शाहजहाँपुर आदि जिलों में स्थित है।

● ऊनी वस्त्र—इसका प्रमुख केन्द्र कानपुर है जहाँ का 'लाल इमली' नामक कारखाना राष्ट्र का सबसे बड़ा कारखाना है। ऊनी कालीन बनाने के प्रमुख कारखाने प्रमुख रूप से मिर्जापुर, भदोही और गोपीगंज (वाराणसी) शाहजहाँपुर तथा आगरा में स्थित है।

● जूट— राज्य में जूट उद्योग के तीन कारखाने हैं। इनमें दो कानपुर में तथा एक सहजनवा (गोरखपुर) में स्थित है।

● कांच राज्य में लगभग 32 काँच के सामान बनाने वाले तथा लगभग 90 चूड़ियां बनाने के कारखाने हैं। इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र नैनी (इलाहाबाद) बहजोई (मुरादाबाद), सासनी (अलीगढ़), शिकोहाबाद (मैनपुरी), बालावाली (बिजनौर), फिरोजाबाद (आगरा), गाजियाबाद, रामनगर (वाराणसी) तथा हिरनगऊ (आगरा) है।

● चमड़ा—कानपुर, आगरा तथा सहारनपुर इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र है।

● सीमेंट—मिर्जापुर जिले के चुर्क तथा डाला में दो राजकीय सीमेंट कारखाने हैं।

● अल्यूमीनियम—हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन का कारखाना मिर्जापुर के निकट रेणुकोट में स्थित है।

● कागज राज्य में 'स्टार पेपर मिल्स' (सहारनपुर), 'अपर इण्डिया कपूर मिल्स' (लखनऊ) नामक दो मिलें कार्यरत हैं।

● वनस्पति घी—इसके प्रमुख कारखाने कानपुर, मोदीनगर (मेरठ) तथा कानपुर है।

● साइकिल—प्रमुख केन्द्र—आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर है।

● दियासिलाई—बरेली प्रमुख केन्द्र है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद तथा लखनऊ में भी कारखाने हैं।

● रेशमी वस्त्र—वाराणसी और इटावा प्रमुख केन्द्र है।

इसके अतिरिक्त कानपुर तथा मोदीनगर में रासायनिक उद्योग, मेरठ तथा बरेली में खेल के सामान, कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद तथा मेरठ में साबुन उद्योग आदि भी उल्लेखनीय है। इंजीनियरिंग उद्योग मुख्यतः कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा तथा बरेली में केन्द्रित है। सिगरेट बनाने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का कारखाना सहारनपुर में तथा स्कूटर बनाने का कारखाना लखनऊ में स्थित है।

कुटीर उद्योग

उत्तर प्रदेश की लगभग 2.8% जनसंख्या लघु एवं कुटीर उद्योगों में व्यस्त है। राज्य के मुख्य कुटीर उद्योग तथा उनके केन्द्र इस प्रकार से हैं—(1) हथकरघे के सूती कपड़े—मगहर (गोरखपुर), मऊ व मुबारिकपुर (आजमगढ़), टांडा (फैजाबाद), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) देवबन्द (सहारनपुर) (2) कच्चा रेशम तथा रेशमी कपड़ा—वाराणसी, मिर्जापुर, संडीला (हरदोई), मऊ (3) पीतल और कलई के बर्तन-मुरादाबाद, वाराणसी हाथरस (अलीगढ), हापुड़, फर्रुखाबाद (4) कालीन—मिर्जापुर, भदोही (वाराणसी) (5) जरी चिकन तथा गोटे का काम—वाराणसी, लखनऊ, आगरा (6) मिट्टी के बर्तन—चुनार (मिर्जापुर), खुरजा (बुलन्दशहर), (7) इत्र और तेल—कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर (8) लकड़ी पर नक्काशी—नगीना (बिजनौर), सहारनपुर (9) ताले, सरौते, चाकू तथा कैंची—हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा।

यातायात

राज्य में—(1) सड़के (2) रेलमार्ग (3) हवाई-मार्ग (4) जलमार्ग (5) जलमार्ग यातायात के प्रमुख साधन हैं।

● सड़कें—राज्य में लगभग 52,483 किलोमीटर लम्बी सड़के हैं जिनमें से 38,856 किमी. पक्की तथा शेष कच्ची है। इन सड़कों में ग्रांड ट्रंक रोड एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कलकत्ता से चल कर अमृतसर तक जाता है। प्रदेश के वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, रूड़की, इलाहाबाद, मेरठ, फतेहपुर शहर इसी सड़क पर स्थित है। एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रेट दकन रोड मिर्जापुर से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर सतना, जबलपुर होता हुआ नागपुर तक गया है।

● रेल—उ. प्र. दो रेलमार्ग—उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी के अन्तर्गत आता है। उत्तरी रेलमार्ग की दो प्रधान शाखाओं में एक शाखा मुगलसराय से इलाहाबाद, कानपुर होती हुई दिल्ली तक जाती है और दूसरी शाखा मुगलसराय से वाराणसी, प्रतापगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद होती हुई सहारनपुर तक जाती है। उत्तर-पूर्वी रेलमार्ग का मुख्यालय गोरखपुर है। यह रेल लाईन नैनीताल से लखनऊ, बरेली से कासगंज, लखनऊ से गोंडा, बस्ती, गोरखपुर तथा भटनी होती हुयी बिहार की ओर चली जाती है। इसकी एक शाखा इलाहाबाद, वाराणसी होती हुई भटनी तक जाती है और दूसरी बलिया से वाराणसी को। राज्य में पश्चिमी रेलवे आगरा तथा मथुरा तक सीमित है जबकि मध्य रेलवे का विस्तार इलाहाबाद, कानपुर तथा आगरा तक है।

● वायुमार्ग—राज्य में हवाई अड्डे—बमरौली (इलाहाबाद), अमौसी (लखनऊ), चकेरी (कानपुर), बाबतपुर (वाराणसी), आगरा, गोरखपुर, बरेली, झांसी तथा सहारनपुर में है।

● जल यातायात—राज्य की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में नौ-परिवहन होता है। राज्य की कुछ नहरों में भी नौका चालन होता है।

प्रदेश के मण्डल

मण्डल	सम्मिलित जनपद
(1) मेरठ	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ गाजियाबाद, बुलन्दशहर
(2) आगरा	अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा
(3) रुहेलखंड (बरेली)	बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत
(4) इलाहाबाद	फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर देहात, कानपुर शहर
(5) झांसी	झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर बांदा
(6) वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया
(7) गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(8) कुमायूं	नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़
(9) गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, गढ़वाल, देहरादून
(10) लखनऊ	लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी
(11) फैजाबाद	फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी
(12) मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर

राज्य के जिले

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं, जिनके क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का विवरण मुख्यतः इस प्रकार से है :—

जिला	क्षेत्रफल [वर्ग किमी. में]	जनसंख्या [1981 जनगणना]
1, उत्तर काशी	8,016	1,89,102
2. चमोली	9,125	3,64,231
3. टेहरी गढ़वाल	4,421	4,93,819
4. देहरादून	3,088	7,58,241
5. गढ़वाल	5,440	6,23,617
6. पिथौरागढ़	7,217	4,79,452
7. अल्मोड़ा	7,023	7,47,557
8. नैनीताल	6,792	11,31,876
9. सहारनपुर	5,526	26,73,136
10. मुजफ्फरनगर	4,245	22,88,387
11. बिजनौर	4,852	19,25,637
12. मेरठ	5,944	27,67,101
13. गाजियाबाद	4,125	18,70,473
14, बुलन्दशहर	4,895	23,49,603
15. मुरादाबाद	5,946	31,51,294
16. रामपुर	2,372	11,77,022
17. बदायूं	5,158	19,63,832
18. बरेली	4,125	22,64,634
19. पीलीभीत	3,504	10.10,839
20. शाहजहांपुर	4,581	16.48,065
21. अलीगढ़	5,024	25,64,748

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (1981 जनगणना)
22. मथुरा	3,797	15,55,239
23. आगरा	4.816	28,61,381
24. एटा	4,449	18,37,565
25. मैनपुरी	4,254	17,23,441
29. फर्रुखाबाद	4,349	19,47,708
27. इटावा	4,327	17,47,443
28. कानपुर	—	—
29. फतेहपुर	4,168	15,65,667
30. इलाहाबाद	7,255	37,81,306
31. जालौन	4,549	9,87,432
32. झाँसी	5,027	11,37,714
33. ललितपुर	5,042	5,84,989
34. हमीरपुर	7,192	11,93,223
25. बांदा	7,645	15,37,903
26. खीरी	7,691	19,64,007
37. सीतापुर	5,738	23.36,450
38. हरदोई	6,012	22,79,919
39. उन्नाव	4,586	18,21,594
40. लखनऊ	2,528	20,17,117
41. रायबरेली	4,603	18,86,975
42. बहराइच	6,871	22,20,998
43 गोंडा	7,331	28,95,856
44. बाराबंकी	4,422	20,13,600
45. फैजाबाद	4,427	23.69,487
46. सुल्तानपुर	4,424	20,37,974
47. प्रतापगढ़	3,730	18,06,833
48. बस्ती	7,309	35,76,783
49. गोरखपुर	6,316	37,95,745
50. देवरिया	5,400	33,77,350
51. आजमगढ़	5,744	35,41,261
52. जौनपुर	4,040	25,27,492
53. बलिया	3,183	19,25,633
54. गाजीपुर	3,381	19,41,665
55. वाराणसी	5,091	36,89,908
56. मिर्जापुर	11,301	20,40,561
57. कानपुर देहात	—	—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्य की संवैधानिक प्रणाली

हमारे संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधानमंडल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय भी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण रखते है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका से सम्बन्धित कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है।

● विधान मण्डल--उत्तर प्रदेश विधान सभा में मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर 426 सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार सम्पूर्ण राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वर्तमान समय में विधान सभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। (यदि वह उससे पूर्व विघटित न कर दी जाय) विधान सभा का मुख्य कार्य अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय हेतु धन स्वीकृत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा चर्चा करके और बहस छेड़ कर तथा अविलम्ब महत्व के विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्यविधियों पर नियन्त्रण रखना है।

विधान मंडल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है और यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते है और इनमें से 1/3 प्रति दूसरे वर्ष सदस्यता निवृत हो जाते है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 है जिसमें से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है। विधान परिषद को न तो अनुदानों पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमें पुनः स्थापित किया जा सकता है, इन विधयकों के अतिरिक्त कोई भी विधयक तब तक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता है जब तक वह विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों सदनों से पारित न हो जाय। विधान सभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कहलाते है जबकि विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते है। एक महत्वपूर्ण अधिनियम के द्वारा विधान मंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता पद को मान्यता दी गयी है और इस पद को मंत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गयी है।

कार्यपालिका—लखनऊ में प्रदेश के प्रशासन में मंत्रिमण्डल के परामर्श और सहायता हेतु एक सचिवालय है। इस सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है और अन्य सचिव अपने-अपने विभागों के सचिवों के रूप में कार्य करते है। सचिव अपने विभाग से संबंधित मंत्री तथा मंत्रिमण्डल के आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। विभागों के कार्य निष्पादन की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है जो समय-समय पर इस दिशा के लिए उचित आदेश तथा निर्देश देता रहता है। सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष होते है जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और शासन द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वन करते है। सभी आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किए जाते है। सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के पश्चात शासन का महत्वपूर्ण अधिकारी कमिश्नर होता है. जो अपनी कमिश्नरी में शान्ति व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलो के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है। कमिश्नर को जिला अधिकारियों, स्वायत्तशासी सस्थाओं, नियोजन तथा विकास के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ जिले होते है जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। वह अपने जिले में शान्ति व्यवस्था के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है। उसे जिले से संबंधित राजस्व एकत्र करने और राजस्व संबंधित रिकार्डस को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त, भूमि सुधार, नियोजन और विकास संबधी कार्यों की देखभाल करनी पड़ती है। प्रशासन की सुविधा राजस्व की वसूली तथा विकास कार्यों की प्रगति की दृष्टि में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रखते हुए जिलों का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और ग्रामों मे किया गया है।

न्याय पालिका— राज्य में दीवानी और फौजवारी से संबंधित विवादों में न्यायोचित निर्णयादि हेतु इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय स्थित है, जिसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। राजस्व विवादों के लिये सबसे ऊंचा न्यायालय राजस्व परिषद् है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत हाई कोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अभिलेखा न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट को अपने अवमान के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार भी मिला है।

राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा दो भागों में विभक्त है—उत्तर प्रदेश सिविल [न्यायिक] सर्विस तथा उत्तर प्रदेश हायर जुडीशयल सर्विस। इनमें से प्रथम के अन्तर्गत मुन्सिफ तथा लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज तथा द्वितीय के अन्तर्गत एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते है। जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज अधीनस्थ न्यायिक सेवा नियंत्रक होता है। दावानी के मामलों में सबसे नीचे का न्यायालय मुन्सिफ का न्यायालय होता है, उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। फौजदारी के मामलों में मुन्सिफ को न्यायिक दण्डाधिकारी क अधिकार प्राप्त है। राजस्व के मामलों में सहायक क्लेक्टर और उनके ऊपर अतिरिक्त क्लेक्टर और क्लेक्टर होते है। इनके ऊपर मण्डलों के अतिरिक्त कमिश्नर तथा कमिश्नर हैं जो अपीलों की सुनवाई करते है। राजस्व में सबसे उच्च न्यायालय राजस्व परिषद् है। उत्तर प्रदेश पचायतराज ऐक्ट के अधीन न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कुछ उल्लिखित मामलों मे 500रूपये तक के मूल्य के वादों को सुनवाई कर सकती है। ये फौजदारी के छोटे छोटे मामलों में 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है, किंतु इस जुर्माने की अदायगी न होने पर इन्हें कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं प्राप्त है।

शिक्षा

राज्य में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा का ढाँचा विद्यमान है तथा विश्वविद्यालीय शिक्षा से पूर्व दो वर्ष की शिक्षा [पूर्व विश्वविद्यालयी/इण्टरमीडिएट] का प्रावधान है फिर भी उ प्र. में शिक्षा आयोग द्वारा सुझाया गया 10+2+3 का शैक्षणिक ढाँचा नहीं अपनाया गया है। उ. प्र. साँख्यिकी निर्देशिका [1978] के अनुसार राज्य में 20 विश्वविद्यालय, 380 डिग्री कालेज, 4953 हायर सैकेण्ड्री स्कूल, 13127 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 70292 मान्यता प्राप्त जूनियर बेसिक स्कूल शिक्षण कार्य में रत है।

राज्य के विश्वविद्यालय

प्रदेश में इस समय 20 विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम-स्थान और स्थापना वर्ष का विवरण क्रम से इस प्रकार है—1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (1887) 2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (1915) 3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (1920) 4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (1921) 5. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (1926) 6. रुड़की विश्वविद्यलय़, रुड़की (1948) 7. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (1956) 8. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय, वाराणसी (1958) 9. गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (1958) 10. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (1965) 11. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (1965) 12. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, (1973) 13. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल (1973) 14. काशी विद्यापीठ, वाराणसी (1974) 15. नरेन्द्रदेव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (1974) 16. चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (1974) 17. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (1975) 18. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (1975) 19. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (1975) 20. हरिद्वार में स्थापित गुरुकुलकाँगड़ी को 1962 में विश्वद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गयी।

स्मरणीय रहें उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में (१) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्य स्थित प्रमुख संस्थान

- इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज् —नैनी (इलाहाबाद) रायबरेली
- नरोरा परमाणु संयंत्र —नरोरा (बुलन्दशहर)
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स —रानीपुर (हरिद्वार)
- हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड —ऋषीकेश
- इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑव टेक्नॉलजी —कानपुर
- इंडियन मिलिटरी एकेडमी — देहरादून
- इन्स्टीट्यूट ऑव सोशल स्टडीज् —लखनऊ
- लालबहादुर नेशनल एकेडमी ऑव एडमिनिस्ट्रेशन —मसूरी
- पैरा ट्रूपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज —आगरा
- इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑव पेट्रोलियम —देहरादून
- सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट —लखनऊ
- नेशनल बोटैनिकल गार्डेन्स —लखनऊ
- सेन्ट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लान्ट्स ऑर्गनाइजेशन —लखनऊ
- इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑव शुगर टेक्नॉलजी —कानपुर
- नेशनल शुगर रिसर्च इन्स्टीट्यूट —कानपुर
- इन्डस्ट्रियल टॉक्सीकॉलजी-कल रिसर्च सेंटर —लखनऊ
- सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट — रुड़की (सहारनपुर)
- फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट —देहरादून
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड —गाजियाबाद
- हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड—लखनऊ
- स्कूटर इण्डिया लिमिटेड —लखनऊ
- भारी विद्युत संयन्त्र — रानीपुर
- राजकीय सीमेंट कारखाना —चुर्क एवं डाला (मिर्जापुर)
- डीजल लोकोमोटिव वर्क्स —मडुआडीह (वाराणसी)
- हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड —कानपुर
- केन्द्रीय हिन्दी संस्थान —आगरा
- राष्ट्रीय अँध केन्द्र —देहरादून
- बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट ऑव पेलियोबॉटनी —लखनऊ

राज्य की छठी योजना (1980 85)

राज्य की छठी योजना की परिव्यय धनराशि 6,200 करोड़ रू. की इसमें राज्य का योगदान 3920.96 करोड़ रू. का है। योजना हेतु शेष 2279 करोड़ रू. की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायगी। इस योजना अवधि में राज्य को अपने सामान्य संसाधनों के अतिरिक्त 100 करोड़ रू. के संसाधन की व्यवस्था करनी होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य को कम से कम 200 करोड़ रू. वार्षिक की दर से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध करना होगा। शासकीय सूत्रों के अनुसार 1980-81 की अवधि में 52.88 करोड़ रू. के अतिरिक्त संसाधनों को जुटाया गया है, यह प्रगति किसी भी सीमा तक संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

राज्य की वार्षिक योजना (1982-83)

उत्तर प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना की परिव्यय धनराशि 1202 करोड़ रू है। वार्षिक योजना के लिए निर्धारित परिव्यय के क्षेत्रावार आवंटन में कृषि, विद्युत तथा सिंचाई को विशेष स्थान दिया गया है। परिव्यय राशि के आवंटन का विवरण मुख्य रूप से इस प्रकार है: 405.16 करोड़ रू. विद्युत उत्पादन पर व्यय किये जायेंगे, 196.11 करोड़ रू. कृषि के विकास पर, 180 करोड़ रू. सिंचाई, 55.04 करोड़ रू. निजी तथा राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं, 11.30 करोड़ रू. बाढ़ नियंत्रण, 88.24 करोड़ रू. सड़कों तथा पुलों, 20.40 करोड़ रू. सड़क परिवहन, 2.92 करोड़ रू. परिवहन, 111.56 करोड़ रू. परिवहन संचार क्षेत्र,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

210.43 करोड़ रू. सामाजिक तथा समूह सेवाओं, 35.82 करोड़ रू. शिक्षा, 2.17 करोड़ रू. तकनीकी शिक्षा, 25.76 करोड़ रू. आवास, 10.90 करोड़ रू. शहरी विकास, 57.85 करोड़ रू. स्वास्थ्य एवं जलपूर्ति तथा 31.79 करोड़ रू. मेडिकल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय किये जाएंगे। इसी सन्दर्भ में ध्यान रहे कि राज्य की 1981-82 की वार्षिक योजना 1,086 करोड़ रू. की थी।

वर्ष 1982-83 का राज्य बजट

उत्तर प्रदेश के वर्ष 1982-83 के बजट में 95.28 करोड़ रूपये का शुद्ध घाटा प्रदर्शित किया गया है। बजट के इस घाटे को पूरा करने के लिये किसी भी प्रकार के कर का प्रस्ताव नहीं है। इस बजट में 3088 करोड़ रू. की कुल प्राप्तियाँ तथा 3336.87 करोड़ रू. का व्यय अनुमानित है। लोक लेखे की 119.90 करोड़ रू. की शुद्ध प्राप्तियों को लेखे में लेने के कारण 128.97 करोड़ रू. का घाटा अनुमानित है। परन्तु 82-83 के लिए 33.69 करोड़ रू. का प्रारम्भिक शेष होने के कारण वर्ष के अन्त में 95.28 करोड़ रू. के अपुरित घाटे का अनुमान है। बजट में प्रधानमंत्री के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम को विशेष बल दिया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु 78 करोड़ रू. का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु 74 करोड़ रू. व एकीकृत ग्राम्य विकास हेतु 35.40 करोड़ रू. निर्धारित किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था हेतु 15 हजार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु 40 करोड़ रू. व्यय का प्रावधान है। बजट में प्रत्येक विकास खण्ड में 600 परिवारों के लिये 8 लाख रू. की धनराशि निर्धारित की गयी है तथा निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत 15 हजार मकान बनवाने की व्यवस्था भी है।

प्रमुख योजनाएँ तथा परियोजनाएँ

● समन्वित विकास योजना—निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष समन्वित योजना चलायी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निश्चय किया गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के बहुमुखी विकास के लिए सभी विकास विभागों के सहयोग से योजनाएं तैयार की जाय तथा इससे उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाय, जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 4,320 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3,500 रुपये से कम हो। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 120 करोड़ रु. की व्यवस्था की गयी है, जिससे साढ़े चार लाख परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के चुने हुए 188 विकास खण्डों में दुकानें बनाकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 'हायर पर्चेंज' पर दी जायेगी।

● ग्रामीण रोजगार—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हमारी पंचवर्षीय योजना का अंग हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में निर्धनता की सीमा रेखा से भी निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाते हुए सामाजिक असमानता की खाई को कम करना है। इस योजना का यह भी उद्देश्य है कि शीघ्रातिशीघ्र ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों और स्त्रियों को उपयोगी रोजगार उपलब्ध हो सके, जिससे उनके रहन-सहन का स्तर उठ सके। इस योजना के अन्तर्गत फरवरी 1982 तक लगभग साढ़े छप्पन लाख मानव दिवसों के रोजगार सृजित कर 2,500 से अधिक योजनाएं पूर्ण की गयी है। वर्ष 1982-83 में इस कार्यक्रम के लिए 35.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतनी ही धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

● एकीकृत ग्राम विकास—एकीकृत ग्राम विकास योजना प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 से सभी 887 विकास खण्डों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 5.31 लाख परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के मुकाबले 5.40 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। इनमें 1.89 लाख परिवार अनुसूचित जाति के हैं।

● भारत जनसंख्या परियोजना—विश्व बैंक की सहायता से प्रथम भारत जनसंख्या परियोजना राज्य के छः जनपदों में चलायी गयी, जिस पर कुल 14.38 करोड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रुपये व्यय हुए। राज्य के अन्य छः जिलों आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, बस्ती, वाराणसी तथा मिर्जापुर में 26 जन 1980 से द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना प्रारम्भ हुई जिस पर 58.24 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस परियोजना के अन्तर्गत चुने गये 1560 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 60 ग्रामीण परिवार केन्द्र, 34 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 30 शय्याओं वाले दो प्रसूतिगृह के भवनों के निर्माण तथा परिवार कल्याण केन्द्रों की साज-सज्जा पर विशेष व्यय का प्रावधान है। परियोजना का उद्देश्य है शिशु एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के उपाय करना और लघु परिवार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।

● औद्योगिक विकास के लिए 'उद्योग बन्धु'—वर्तमान शासन द्वारा राज्य में औद्योगीकरण की तीव्र रफ्तार में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के निराकरण तथा उद्यमियों को एक ही स्थान पर सहायता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर एक 'उच्चाधिकारी समिति' तथा 'उद्योग बन्धु' की स्थापना की गयी है।

● सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना—योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्थित सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर से संप्रेषण लाइनों के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर लगभग 154 करोड़ 59 लाख रु. व्यय होने का अनुमान है। योजना के अन्तर्गत सिंगरौली विस्तार योजना की 1400 किलोवॉट बिजली उत्तरी ग्रिड में बिजली प्रेषण के भारी केन्द्रों तक पहुँचायी जा सकेगी।

● मथुरा तेल शोधन परियोजना—देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मथुरा में स्थापित की जा रही है। इस शोधनशाला की क्षमता 60 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इस शोधनशाला के लिए कच्चा तेल विदेश से प्राप्त किया जायेगा। साथ ही, बम्बई-हाई से भी पाइप लाइनों द्वारा तेल मथुरा तक पहुँचाया जायेगा।

● नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना—बुलन्दशहर जिले में नरोरा के निकट बनायी जा रही इस परमाणु शक्ति परियोजना की कुल दो ईकाईयाँ होंगी जिनकी सम्मिलित क्षमता 470 मेगावॉट होगी।

● गोविन्द वल्लभ सागर परियोजना—मिर्जापुर से 161 कि.मी. दूर पिपरी में बनायी गयी यह योजना प्रदेश की एक बड़ी योजना है। इस पर 37.5 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। मिर्जापुर के अल्यूमीनियम संयंत्र को इसी परियोजना द्वारा विद्युत प्राप्त होती है। साथ ही, इसके द्वारा सोन नदी की सिंचाई क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है।

● शारदा सहायक परियोजना—इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख कार्य हैं--घाघरा के ऊपर 1,003 मीटर का बाँध; 28 किलो मीटर की सम्पर्क नहर, शारदा पर 811 मीटर लम्बा बांध; 260 किलो मीटर लम्बी फीडर नहर; 6,450 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण एवं 2,570 कि.मी. लम्बी नहर का निर्माण।

इस परियोजना का प्रथम तथा द्वितीय चरण पूरा हो चुका है। शेष तीन चरणों पर कार्य चल रहा है।

● राजघाट बाँध परियोजना—123 करोड़ की लागत से बनायी जा रही इस परियोजना में उत्तर-प्रदेश तथा मध्यप्रदेश संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बेतवा नदी के जल का उचित उपयोग करना है।

● फूलपुर उर्वरक परियोजना—भारतीय कृषक खाद सहकारी समिति लिमिटेड (IFFCO) नेप्था-आधारित अमोनिया और यूरिया परियोजनाओं का इलाहाबाद के निकट फूलपुर में निर्माण कर रही है।

● रामगंगा परियोजना—इस बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। परियोजना के अन्तर्गत रामगंगा पर गढ़वाल जिले में 625 मीटर लम्बा तथा 125.6 मीटर ऊँचा बाँध बनाया गया है।

● गंडक परियोजना—इस परियोजना का कार्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार मिलकर कर रहे हैं। नेपाल को भी इस परियोजना से विद्युत की सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

● प्रदेश की मुख्य नदियों के उद्गम स्थल—(1) गंगा-केदारनाथ चोटी के उत्तर में गऊमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर ऊँचाई पर स्थित गंगोत्री। (2) यमुना- टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित यमनोत्री का सोता। (3) रामगंगा — हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के निकट। (4) गोमती—पीलीभीत जिला (5) घाघरा—मापचा चुंगी हिमनद (6) चम्बल—मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी।

● प्रदेश की मुख्य सिंचाई नहरें—(1) शारदा नहर—बनवासा (नैनीताल) से निकाली गयी यह 12,368 किलोमीटर लम्बी नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। इस नहर द्वारा प्रदेश की 8 लाख हेक्टेअर भूमि सिंचित की जाती है। इस नहर पर जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाला खातिमा शक्ति केन्द्र भी स्थापित हैं। (2) ऊपरी गंगा की नहर —यह नहर हरिद्वार के पास मायापुर से गंगा नदी से निकाली गयी हैं। (3) निचली गंगा नहर—यह बुलन्दशहर के नरौरा स्थान से गंगा नदी से निकाली गयी है। (4) पूर्वी यमुना नहर —यह नौरोरा स्थान पर निकाली गयी है। (5) आगरा नहर—यमुना नदी के दाहिने किनारे से ओखला नामक स्थान से निकाली गयी है।

● प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएँ—(1) रिहन्द बाँध या गोविन्द बल्लभ सागर परियोजना (2) गण्डक-परियोजना (3) माताटीला (झाँसी जनपद में) (4) रामगंगा परियोजना।

● प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत शक्ति केन्द्र—(1) गंगा विद्युत संगठन केन्द्र (2) शारदा जल विद्युत परियोजना।

● प्रदेश की प्रमुख झीलें—नैनीताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल, नौकहियाताल, मालवाताल।

● प्रदेश के जनप्रिय लोक गीत—(1) बिरहा (2) चैती (3) कजरी (4) ढीला (5) रसिया आदि

● प्रदेश के प्रमुख नृत्य गीत—(1) जौनपुर में कहारों का चौरसिया नृत्य (2) मिर्जापुर के आदिवासियों के करमा और शैला नृत्य (3) कुमाऊं के चाचरी छपेली और छोलिया नृत्य (4) गढ़वाल के पागव, थैया चौनफुल, वादी-वादिन लांग और भैला नृत्य।

● प्रदेश की प्रमुख आदिम जातियां—भोटिया, थारू, चेरी, करवाल, नट, मोक्सा।

● प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र (1) इलाहाबाद (2) गोरखपुर (3) कानपुर (4) लखनऊ (5) मथुरा (6) रामपुर (7) वाराणसी

● प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र—लखनऊ

● प्रदेश में दूरदर्शन के रिले केन्द्र—(1) मसूरी (2) कानपुर

● 'कार्बेट नेशनल पार्क' उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय एवं शिवालिक पर्वत श्रेणियों के अंचल में प्रवाहित रामगंगा के दोनों ओर स्थित है।

● कानपुर को 'उत्तरी भारत का मैनचेस्टर' कहते हैं।

● कुशीनगर (देवरिया) में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था।

● हस्तिनापुर (मेरठ) पांडवों की राजधानी थी।

● मगहर (बस्ती) में कबीरदास ने अपना शरीर छोड़ा था।

● सारनाथ (जिला वाराणसी)—यह बौद्ध तीर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुद्ध-गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बुद्ध ने मृगदाव (सारनाथ) में आकर अपना धर्मोपदेश दिया था।

● कौशाम्बी (जिला इलाहाबाद)—यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ की खुदाई में बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ मिली है।

● राजापुर (जिला बांदा)—इस स्थान को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को जन्म स्थान बताया जाता है।

● गढमुक्तेश्वर (जिला मेरठ)—यहाँ मुक्तेश्वर शिव का एक मंदिर है। यहाँ प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है।

● श्रावस्ती (जिला गोंडा) तथा देवरिया के निकट पावापुरी महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित उ.प्र. के प्रमुख स्थान हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● कपिलवस्तु (बस्ती), श्रावस्ती (जिला गोंडा) संकिसा (एटा) तथा सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थान हैं।

● पटवा डांगर—नैनीताल में एक राजकीय वैक्सीन इन्स्टीट्यूट है। इसमें डोनेज वैक्सीन का उत्पादन होता है। लखनऊ के स्टेट- हैल्थ इन्स्टीट्यूट में भी हैजा निरोधक वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है।

● उर्दू के महान साहित्यकार अमीर खुसरो, मीर तकी, 'मीर' गालिब, नजीर अकबराबादी का जन्म-स्थल उत्तर-प्रदेश में ही था।

● उत्तर प्रदेश का 1950 में 'संयुक्त प्रान्त' नाम था। ■

■ उत्तर प्रदेश सरकार ■

श्री चन्द्रेश्वर नारायण सिंह — राज्यपाल

राज्य मन्त्रिमण्डल

श्रीपति मिश्र	—सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जा, सूचना, नागरिक उड्डयन व अन्य सभी विभाग जो अभी अवितरित है।
वीर बहादुर सिंह	—सिंचाई व उद्योग
ब्रह्मदत्त	—वित्त व नियोजन
स्वरूप कुमारी बख्शी	—शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर	—जेल, मुस्लिम वक्फ व शिष्टाचार
अम्मार रिजवी	—सार्वजनिक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य व राष्ट्रीय एकता
बलदेव सिंह आर्य	—परिवहन व पर्वतीय विकास
बलराम सिंह यादव	—पंचायत राज व ग्रामीण विकास
बैजनाथ कुरील	—राजस्व
यशपाल सिंह	—कृषि
रामसिंह खन्ना	—नगर विकास व स्वायत्त शासन
लोकपति त्रिपाठी	—स्वास्थ्य व परिवार कल्याण
वासुदेव सिंह	—खाद्य व आवश्यक वस्तुएँ
विद्या भूषण	—आबकारी एवं मद्यनिषेध

राज्य मन्त्री

चन्द्र मोहन सिंह नेगी	—पर्यटन (स्वतन्त्र रूप से)
बच्चा पाठक	—सहकारिता (स्वतन्त्र रूप से)
गुलाब सिंह सेहरा	—हरिजन व समाज कल्याण (स्वतन्त्र रूप से)
संजय सिंह	—वन एवं पशुपालन (स्वतन्त्र रूप से)
सुनील शास्त्री	—श्रम (स्वतन्त्र रूप से)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा	—गन्ना विकास (स्वतन्त्र रूप से)
गोपाल राम दास	—सिंचाई
रंजीत सिंह जू देव	—सार्वजनिक निर्माण विभाग
हरिसिंह बाल्मीकि	—स्वास्थ्य
राम नरेश शुक्ल	—राजस्व एवं विधि
मोहम्मद अमीन अंसारी	—उद्योग
राम रतन सिंह	—कृषि एवं आबकारी

राज्य विधान मण्डल के प्रमुख पदाधिकारी

विधान सभा के अध्यक्ष	—रिक्त
विधान सभा के उपाध्यक्ष	—यादवेन्द्र सिंह
विधान परिषद के सभापति	—वीर बहादुर सिंह चन्देल
विधान परिषद के उप-सभापति	श्याम प्रसाद गुप्त

राज्य क अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	—न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	—दिलीप कुमार भट्टाचार्य
राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव	—लाल रावणेश्वर सिंह
राज्य सरकार के मुख्य सचिव	—राम चन्द्र टुकरू
राज्य के पुलिस महा॰ निरीक्षक	—एस. दीक्षित ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामान्य हिन्दी

पी.सी.एस. (उ. प्र.) 1982 परीक्षा हेतु मॉडल प्रश्नोत्तर

■ डॉ. दिलीप पाण्डेय, प्रवक्ता (हिन्दी), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (उ. प्र.)

[गत वर्ष उ. प्र., पी. सी. एस. परीक्षा के अनिवार्य प्रश्नपत्र 'सामान्य हिन्दी' के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किये गये थे जिनके अनुसार हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद निकाल दिया गया था। प्रस्तुत मॉडल प्रश्नोत्तर नये पाठ्यक्रम के अनुसार 1981 की परीक्षा के प्रश्नपत्र पर आधारित है।—सं.]

साहित्य व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है। जो वहाँ हैं; साहित्यकार में से पहुँचा है। यद्यपि यह याद रखना होगा कि कोई उतना ही नहीं है जितना है, जो होना चाहता है वह भी व्यक्तित्व का भाग है। हमारी विचारधाराएं, भावनाएं, उद्भावनाएं, कल्पनाएं, अभीप्साएं और हमारे स्वप्न—सभी हमारे अंग हैं। शरीर ही नहीं है हम, आत्मा भी हैं। अतः कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक अभीप्सा व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ अंश है। साहित्य में वह अंश झलके और प्रगटे बिना नहीं रह सकता। बल्कि अधिकांश वही है जो वहाँ व्यंजना पाता है। व्यवहार और कर्म में व्यक्तित्व का बहुत ही कम भाग व्यक्त हो पाता है। इसीलिये है कि सत्-साहित्य का स्रष्टा दीखने में हमको असज्जन और दुर्जन भी लग सकता है। यह नहीं कि दुर्जनता में से साहित्य का सत् प्राप्त हो सकता है; कारण केवल यह है कि जब दुर्जनता हमको दीखती है, तब शायद उसके भीतर का वह स्थल नहीं दीखता जहाँ साहित्य में विम्बित सत् का अधिष्ठान है।

प्रश्न 1—

(क) उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिये।

(ख) रेखांकित अंशों के अर्थ स्पष्ट कीजिये।

(ग) उपर्युक्त गद्यांश का एक-तिहाई सार लिखिये।

उत्तर—

(क) शीर्षक—'साहित्य में व्यक्तित्व की व्याप्ति'

(ख) रेखांकित अंशों की व्याख्या—

साहित्य व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है: व्यक्ति साहित्य का स्रष्टा होता है। अतः उसके व्यक्तित्व का प्रभाव साहित्य में विविध रूपों में परिलक्षित होता है। व्यक्ति बिल्कुल तटस्थ होकर साहित्य रचना नहीं कर सकता। साहित्य में व्यक्त चरित्र, पात्रों के विचार, घटनाएं कहीं न कहीं पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती है। हम कह सकते हैं कि साहित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप हुआ करता है।

शरीर ही नहीं हैं हम, आत्मा भी हैं—व्यक्ति केवल विविध अंगों का समूह मात्र नहीं है। बुद्धि और हृदय के कारण उसमें भावनाएं भी हैं। उसकी क्रियाएं केवल शरीर की मांग को पूरा नहीं करती बल्कि उसके विचार, उसका चिन्तन, उल्लास, उद्वेग और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी उसके व्यक्तित्व का अंग होती है। मानवीय गुणों के प्रति व्यक्ति की निष्ठा, प्राकृतिक रहस्यों के प्रति उसकी जिज्ञासा भी उसके व्यक्तित्व को अतिरिक्त गरिमा प्रदान करती है। अतः व्यक्तित्व शारीरिक सौष्ठव में निहित नहीं है वरन् उसकी सम्पूर्णता उसमें निहित मानवीय गुणों से होती है।

जब दुर्जनता हमको दीखती है, तब शायद उसके भीतर का वह स्थल नहीं दीखता जहाँ साहित्य में बिंबित सत् का अधिष्ठान है:—कहावत है कि कीचड़ में कमल खिलता है किन्तु व्यक्ति के दुर्गुणों की ओर जब हम झांकते हैं तब केवल अंधकार ही अंधकार दिखायी देता है, प्रकाश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की कोई किरण हम नहीं देख पाते क्योंकि हम दुर्जन व्यक्ति में सज्जनता के गुणों की कल्पना नहीं करते। होना इसके विपरीत है। प्रत्येक चरित्र में अनेक दुर्गुणों के पीछे भी मानवीय सत्य छिपा होता है। यदि ऐसा न होता तो दस्यु वाल्मीकि आदि कवि न बनते।

(ग) सार :—साहित्य व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को अनेक रूपों में प्रतिबिम्बित करता है। व्यक्तित्व का अदृश्य भाग भी साहित्य में व्यक्त होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व साहित्य में ही पूर्णता पाता है क्योंकि वहाँ जो वह नहीं है, वह भी व्यक्त होता है। दुर्जनता में छिपी उसकी सज्जनता, उसके सत् पक्ष का उद्घाटन केवल साहित्य द्वारा ही संभव है।

प्रश्न 2 —

(क) निम्नलिखित लोकोक्तियों-मुहावरों के अर्थ लिखिये एवं उनका समीचीन वाक्य प्रयोग कीजिये।

(i) अटकल पचे डेढ़ सौ (ii) गुड़ खाय गुलगुले से परहेज (iii) आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास (iv) ढाक के तीन पात (v) सब धान बाइस पसेरी (vi) कुएँ में भाँग पड़ना (vii) कलेजा मुँह को आना (viii) कान काटना (ix) गोटी लाल होना (x) चाँदी का जूता मारना।

उत्तर 2—(क)

(i) अटकल पचे डेढ़ सौ :—(अनुमान से कार्य करना) अटकल पचे डेढ़ सौ लिखने से परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी।

(ii) गुड़ खाय गुलगुले से परहेज :—(बनावटी परहेज करना) आप मास खाते हैं किन्तु अंडा नहीं। यह तो वही बात हुई कि गुड़ खाय गुलगुले से परहेज करे।

(iii) आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास : (महान उद्देश्य भूल कर किसी छोटे कार्य में लग जाना) मनुज बनना तो चाहता था आई. ए. एस. अधिकारी, किन्तु धन कमाई के लालच में वह केवल व्यापारी बनकर रह गया।

(iv) ढाक के तीन पात —(एक ही दशा में रहना) राधे के सभी लड़के कमाने लगे किन्तु उसके रहन-सहन में कोई अन्तर नहीं आया। ढाक के तीन पात की तरह उसकी जिन्दगी बीतती रही।

(v) सब धान बाइस पसेरी —(सभी को एक समान समझना) जो अधिकारी प्रतिभा को न समझकर सब धान बाइस पसेरी नापते हैं, वे कुशल प्रशासक कभी नहीं होते।

(vi) कुएँ में भांग पड़ना —(सबका एक सा होना) इस गोष्ठी में तो जैसे कुएँ में भांग पड़ी है, यहाँ तुम्हारी मौलिकता का कोई मूल्यांकन नहीं होगा।

(vii) कलेजा मुँह को आना —(अत्यधिक दुःखी होना) सामूहिक नरसंहार को प्रत्यक्ष देखकर पत्रकारों का कलेजा मुँह को आ गया।

(viii) कान काटना —(किसी कार्य में आगे बढ़ना) मैकनरो ने बचपन से ही टेनिस प्रतियोगिताओं में अच्छे-अच्छों के कान काटने शुरू कर दिये थे।

(ix) गोटी लाल होना—(लाभ में होना) अकाल-सूखे के समय व्यापारियों की खूब गोटी लाल होती है।

(x) चाँदी का जूता मारना —(रिश्वत देना)— आजकल बिना चांदी का जूता मारे सरकारी कार्य आगे नहीं बढ़ता।

(ख) निम्नलिखित शब्द युग्मों के अर्थभेद स्पष्ट कीजिये —

(i) अवलम्ब—अविलम्ब (ii) अली-अलि (iii) नाई-नाई (iv) तरणि – तरणी।

उत्तर 2—(ख)

(i) अवलम्ब का अर्थ है सहारा, आश्रय जबकि अविलम्ब से आशय शीघ्रता से है।

(ii) अली का अर्थ है सखी और अलि का भौंरा।

(iii) नाई का अर्थ है समान और नाई से तात्पर्य हज्जाम से है।

(iv) तरणि सूर्य के लिये है जबकि तरणी का अर्थ नौका से है।

प्रश्न 3—

(क) निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिये —

(i) उत्साहित (ii) भूगोल (iii) राग (iv) प्रफुल्ल (v) स्तुति (vi) संगम।

(ख) निम्नलिखित के तीन-तीन पर्यायवाची शब्द लिखिये —

सुन्दर, रात्रि, पक्षी, दास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ग) निम्नलिखित वाक्यों के लिये एक शब्द लिखिये—

(i) अण्डे से उत्पन्न होने वाला (ii) ओछी जाति में जन्म लेने वाला (iii) अनिश्चित जोविका (iv) जानने की इच्छा रखने वाला (v) बायें हाथ से तीर चलाने वाला।

उत्तर 3—

(क) विलोम — उत्साहित = हतोत्साहित; भूगोल = खगोल; राग = विराग, प्रफुल्ल = म्लान; स्तुति = निन्दा, जंगम = स्थावर।

(ख) पर्यायवाची शब्द —

सुन्दर = कमनीय, मनोहर, रमणीक
रात्रि = निशा, यामिनी, रजनी
पक्षी = खग, विहग, पखेरु
दास = अनुचर, सेवक, भृत्य

(ग) अनेक शब्दों के लिए एक शब्द :—

अण्डे से उत्पन्न होने वाला = अण्डज
ओछी जाति में जन्म लेने वाला = अन्त्यज
अनिश्चित जीविका = आकाशचारी
जानने की इच्छा रखने वाला = जिज्ञासु
बायें हाथ से तीर चलाने वाला = सव्यसाची

प्रश्न 4 :—

सम्पादक के नाम 250 शब्दों का एक पत्र लिखिये जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिये (पत्र में अपना नाम, पता, अनुक्रमांक किसी भी रूप में कदापि न लिखें)।

अथवा

निम्नलिखित में से किसी एक सुभाषित की व्याख्या कीजिये :—

(अ) जिन ढूंढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ
(ब) सबै दिन जात न एक समान

उत्तर 4—

• सम्पादक के नाम पत्र—

सम्पादक
नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली,

प्रिय महोदय,

मैं आपके पत्र के माध्यम से खाद्य पदार्थों में बढ़ती हुई मिलावट के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ! विश्वास करता हूँ कि आप मेरे विचारों को 'नजर अपनी-अपनी' स्तम्भ में प्रकाशित कर मुझे अनुगृहीत करेंगे।

आर्थिक क्षेत्र में चोर बाजारी और काले धन की व्याप्ति के बाद नकली वस्तुओं के उत्पादन में बाढ़ आयी है। जीवन को गति प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ भी इस कुप्रवृत्ति से नहीं बच पाये हैं। गरम मसाले में घोड़े की लीद, चावल-दाल में पत्थर, हल्दी में रंग आदि अनेक प्रकार से मिलावट के प्रयास जारी हैं। मिलावटी सामान बेचने वाली दुकान की वस्तुओं के नमूने भी नहीं लिये जाते। यदि जनता की बहुत शिकायतों पर ऐसा कोई मामला पकड़ा भी जाता है तो अपराधी बड़ी रकम देकर छूट जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव पड़ता है। लोग अपाहिज हो जाते हैं, आंखों की ज्योति खो बैठते हैं और कभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट का अपराध हत्या के अपराध से किसी भी स्थिति में कम नहीं है किन्तु कानून की दृष्टि में इसे विशेष गम्भीरता से नहीं लिया जाता। अपराधी कुछ वर्षों की कैद या कुछ हजार रुपये जुर्माना देकर पुनः अपराध करने के लिये छूट जाता है। सरकार को चाहिये वह मिलावट करने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान करे। साथ ही अपराधी घोषित होने के बाद उसकी दुकान का लायसेन्स सदैव के लिये रद्द कर दिया जाय। मिलावट पर नजर रखने वाले अधिकारियों को कठोर निर्देश दिये जाय तथा बिक्रीकर विभाग की तरह इनको भी उड़न दस्तों से सज्जित किया जाय। साथ ही यदि किसी अधिकारी के क्षेत्र में मिलावट की कोई घटना प्रकाश में आये तो उस अधिकारी को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया जाय। तभी अधिकारी भी अपने दायित्व को सजगता और ईमानदारी से निभा सकेंगे साथ ही व्यापारी वर्ग भी मिलावट करने में भयभीत रहेगा।

भवदीय
क ख ग

(शेष पृष्ठ 73 पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी० सी० एस० परीक्षा (उ० प्र०) 1982 हेतु
प्रारम्भिक गणित
का
मॉडल प्रश्नोत्तर

प्रस्तुतिः आर० एस० गुप्त

1. (अ) सरल कीजिये :—

$$\frac{6\frac{3}{5}-4\frac{1}{8}}{5\frac{1}{2}-4\frac{2}{5}}-\frac{2\frac{2}{35}\div 1\frac{11}{25}+1\frac{1}{4}-\frac{9}{13}\text{ का } 3\frac{1}{4}}{1\frac{1}{2}\times 3\frac{5}{7}-5\frac{3}{5}\div 3\frac{4}{15}}\times 13\frac{1}{2}$$

हल :— $$=\frac{\frac{33}{5}-\frac{33}{8}}{\frac{11}{2}-\frac{22}{5}}-\frac{\frac{72}{35}\div\frac{36}{25}+\frac{5}{4}-\frac{9}{13}\text{ का }\frac{13}{4}}{\frac{3}{2}\times\frac{26}{7}-\frac{28}{5}\div\frac{49}{15}}\times\frac{27}{2}$$

$$=\frac{\frac{264-165}{40}}{\frac{55-44}{10}}-\frac{\frac{72}{35}\times\frac{25}{36}+\frac{5}{4}-\frac{9}{13}\times\frac{13}{4}}{\frac{3}{2}\times\frac{26}{7}-\frac{28}{5}\times\frac{15}{49}}\times\frac{27}{2}$$

$$=\frac{\frac{99}{40}}{\frac{11}{10}}-\frac{\frac{10}{7}+\frac{5}{4}-\frac{9}{4}}{\frac{39}{7}-\frac{12}{7}}\times\frac{27}{2}$$

$$=\frac{99}{40}\times\frac{10}{11}-\frac{\frac{40+35-63}{28}}{\frac{27}{7}}\times\frac{27}{2}$$

$$=\frac{9}{4}-\frac{12}{28}\times\frac{7}{27}\times\frac{27}{2}$$

$$=\frac{9}{4}-\frac{3}{2}=\frac{9-6}{4}=\frac{3}{4}$$ $\therefore$ उत्तर $=\frac{3}{4}$

(ब) सरल कीजिये :

$$\frac{1\frac{2}{3}+\frac{1}{2}}{6\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}}\div\left(\cdot 625\text{ का }\frac{2\frac{2}{3}}{1\frac{2}{3}}\right)\times\frac{\frac{16}{45}\text{ का }.05}{\frac{7}{30}\times 2.5}\text{ का } 131.25$$

हल :— $$\frac{\frac{5}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{13}{2}\div\frac{3}{4}}\div\left(\frac{625}{1000}\text{ का }\frac{8}{3}\times\frac{3}{5}\right)\times\frac{\frac{16}{45}\text{ का }\frac{5}{100}}{\frac{7}{30}\times\frac{25}{10}}\text{ का }\frac{525}{4}$$

$$=\frac{\frac{13}{6}}{\frac{13}{2}\times\frac{4}{3}}\div\left(\frac{5}{8}\text{ का }\frac{8}{3}\times\frac{3}{5}\right)\times\frac{\frac{4}{225}}{12}\text{ का }\frac{525}{4}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$= \frac{13}{6} \times \frac{3}{26} \div (1) \times \frac{4}{525} \times \frac{12}{7}$ का $\frac{525}{4}$

$= \frac{1}{4} \times 1 \times \frac{4}{225} \times \frac{12}{7} \times \frac{525}{4}$

$= 1$ ∴ उत्तर $= 1$

2. (अ) वे दोनों संख्यायें ज्ञात करो जिनका ल० स० प० 1188 तथा म० स० प० 9 है।

हल :—माना कि दोनों संख्यायें 9 a तथा 9 b हैं; जहाँ a तथा b एक दूसरे की रूढ़ संख्यायें हैं।

∴ ल० स० प० $= 9\,a\,b = 1188$

∴ $a\,b = 132$

अब 132 के सम्भव युग्म निम्न होंगे।

$1 \times 132,\; 2 \times 66,\; 3 \times 44,\; 4 \times 33,\; 6 \times 22,\; 11 \times 12$

इसमें से (6 22) एवं (2,66) ऐसे दो युग्म हैं जो एक दूसरे के रूढ़ नहीं हैं।

अतः a तथा b के मान

$a = 1,\; b = 132;\quad a = 3,\; b = 44;\; a = 4,\; b = 33;\; a = 11,\; b = 12$

∴ उत्तर : (9,1188), (27,396); (36,297); (99,108)

(ब) एक काम पर 4 पुरुष तथा 10 लड़के लगाये गये। उन्होंने 6 दिन में उस काम का $\frac{1}{2}$ भाग कर लिया। तत्पश्चात् 2 पुरुष तथा 2 लड़के उस काम पर बढ़ा दिये गये। 3 दिन में उस काम का $\frac{1}{3}$ भाग और हो गया। यदि शेष काम को अगले 1 दिन में पूरा करना हो तो ज्ञात कीजिये कि कितने लड़के और उस काम पर लगाने चाहिये।

हल :— ∵ 6 दिन में $\frac{1}{2}$ भाग काम करते हैं = (4 पु० + 10 ल०)

∴ 1 ,, 1 ,, $= 6 \times 2$ (4 पु० + 10 ल०)

= (48 पु० + 120 ल०)

∵ तत्पश्चात् (2 पु० + 2 ल०) उस काम पर और बढ़ा दिये गये।

∴ अब काम पर (6 पु० + 12 ल०) काम पर हो गये।

∵ 3 दिन में $\frac{1}{3}$ भाग काम करते हैं = (6 पु० + 12 ल०)

∴ 1 ,, 1 ,, $= 9 \times$ (6 पु० + 12 ल०)

= (54 पु० + 108 ल०)

∴ 54 पु० + 108 ल० = 48 पु० + 120 ल०

∴ 6 पु० = 12 ल०

∵ 1 पु० = 2 ल०

∵ कुल अब तक किया गया काम $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$ काम

∴ शेष काम $= 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ काम

∵ शेष काम को अगले 1 दिन में पूरा करना है।

∵ 48 पु० + 120 ल० = 96 ल० + 120 ल०

= 216 ल०

1 दिन में 1 काम करते हैं = 21 ल०

∴ 1 ,, $\frac{1}{6}$ काम करते हैं $= 216 \times \frac{1}{6} = 36$ लड़के

परन्तु पहले से (6 पु० + 12 ल०) अर्थात् 24 लड़के काम पर लगे थे।

अतः (36—24) लड़के = 12 ल० और काम पर लगा दिये जायें।

∴ उत्तर = 12 लड़के

(स) 1 किलोग्राम चाय और 4 किलोग्राम चीनी की कीमत रु० 29.40 है, परन्तु यदि चीनी की कीमत में 50% तथा चाय की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तब उनकी कीमत रु० 38 10 हो जाती है। चाय तथा चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत बताइये।

हल :— ∵ यदि चाय तथा चीनी दोनों की कीमत में 50% की वृद्धि हुयी होती तब (1 किग्रा० चाय + 4 किग्रा० चीनी) की कीमत रु० ($29.40 \times \frac{150}{100}$) अर्थात् रु० 44.10 हो गयी होती।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

परन्तु चूँकि चाय की कीमत में केवल 10% की वृद्धि होती है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$\therefore$ 1 किग्रा० चाय की कीमत का 40% = रु० (44.10 – 38.10)

= 6 रु०

$\therefore$ 1 किग्रा० चाय की कीमत = रु० $6 \times \frac{100}{40}$ = 15 रु०

$\therefore$ 4 किग्रा० चीनी की कीमत = रु० (29.40 – 15) = रु० 14.40

$\therefore$ 1 किग्रा० चीनी की कीमत = रु० 3.60

$\therefore$ उत्तर :— 1 किग्रा० चाय की कीमत = 15 रुपया

1 किग्रा० चीनी की कीमत = 3.60 रुपया

3. (अ) एक व्यापार में राम 600 रुपया श्याम से ज्यादा लगाता है, परन्तु श्याम की पूँजी 5 माह के लिये तथा राम की पूँजी केवल 4 माह के लिये व्यापार में लगी रहती है। यदि राम को श्याम से 48 रुपयों का अधिक लाभ होता हो जब कि सम्पूर्ण लाभ 528 रुपया है, तब दोनों की पृथक्-पृथक् पूँजी ज्ञात करो।

हल :— $\because$ श्याम का कुल लाभ = $\frac{528-48}{2}$ = 240 रु०

$\therefore$ राम का कुल लाभ = (240 रु० + 48 रु०) = 288 रुपया

$\therefore$ राम का प्रति माह लाभ = $\frac{288}{4}$ रु० = 72 रु०

तथा श्याम का प्रति माह लाभ = $\frac{240}{5}$ रु० = 48 रु०

$\because$ उन दोनों के द्वारा लगायी गयी पूँजी उनके लाभ के समानुपाती होगी।

$\therefore$ राम की पूँजी : श्याम की पूँजी = 72 : 48 = 3 : 2

$\because$ जब 1 रु० दोनों की पूँजी का अन्तर है तब राम की पूँजी = 3 रु०

$\therefore$,, 600 रु० ———————————— = 3×600 = 1800 रु०

इसी प्रकार श्याम की पूँजी = 600×2 = 1200 रु०

$\therefore$ उत्तर :— राम की पूँजी = 1800 रु०

तथा श्याम की पूँजी = 1200 रु०

(ब) चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दूना हो जाता है। कितने वर्षों में यही धन 8 गुना हो जायगा।

हल :—

यदि धन को P से तथा दर को r से प्रदर्शित करें

$$\text{तब} \quad P\left(1+\frac{r}{100}\right)^4 = 2P$$

$$\therefore \quad \left(1+\frac{r}{100}\right)^4 = 2$$

दोनों ओर का घन करने पर

$$\left(1+\frac{r}{100}\right)^{12} = 2^3 = 8$$

$$\therefore \quad P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{12} = 8P$$

अतः स्पष्ट है कि धन 12 वर्ष में 8 गुना हो जायगा।

$\therefore$ उत्तर = 12 वर्ष

4 (अ) : यदि $य^2 + \frac{1}{य^2} = 27$

तो $य^3 + \frac{1}{य^3}$ का मान निकालिये।

हल :—

$$\because \quad य^2 + \frac{1}{य^2} = 27$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\therefore \text{य}^2 + \frac{1}{\text{य}^2}\ 2 = 25$$

$$\therefore \left(\text{य} - \frac{1}{\text{य}}\right)^2 = (5)^2$$

$$\therefore \left(\text{य} - \frac{1}{\text{य}}\right) = 5$$

$$\because \left(\text{य} + \frac{1}{\text{य}}\right)^2 = \left(\text{य} - \frac{1}{\text{य}}\right)^2 + 4$$

$$\therefore \left(\text{य} + \frac{1}{\text{य}}\right)^2 = 25 + 4 = 21$$

$$\because \left(\text{य} + \frac{1}{\text{य}}\right) = \sqrt{29}$$

$$\because \left(\text{य}^3 + \frac{1}{\text{य}^3}\right) = \left(\text{य} + \frac{1}{\text{य}}\right)\left(\text{य}^2 + \frac{1}{\text{य}^2} - 1\right)$$

$$= (\sqrt{29})\,(27 - 1)$$

$$= 26\sqrt{29}$$

$$\therefore \text{उत्तर} = 26\sqrt{29}$$

(ब) यदि य + र + ल = 0 हो तो सिद्ध करो कि

$$\frac{1}{\text{र}^2 + \text{ल}^2 - \text{य}^2} + \frac{1}{\text{ल}^2 + \text{य}^2 - \text{र}^2} + \frac{1}{\text{य}^2 + \text{र}^2 - \text{ल}^2} = 0$$

हल :—

$$\because \text{य} + \text{र} + \text{ल} = 0$$

$$\therefore \text{य} = -(\text{र} + \text{ल})$$

$$\therefore \text{य}^2 = (\text{र} + \text{ल})^2$$

इसी प्रकार $\text{र}^2 = (\text{य} + \text{ल})^2$

तथा $\text{ल}^2 = (\text{य} + \text{र})^2$

$$\therefore \frac{1}{\text{र}^2 + \text{ल}^2 - (\text{र} + \text{ल})^2} + \frac{1}{\text{ल}^2 + \text{य}^2 - (\text{ल} + \text{य})^2} + \frac{1}{\text{य}^2 + \text{र}^2 - (\text{य} + \text{र})^2}$$

$$\frac{1}{-2\text{र ल}} + \frac{1}{-2\text{ल य}} + \frac{1}{-2\text{ य र}}$$

$$= -\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{\text{र ल}} + \frac{1}{\text{ल य}} + \frac{1}{\text{य र}}\right\}$$

$$= -\frac{1}{2}\left\{\frac{\text{य} + \text{र} + \text{ल}}{\text{य र ल}}\right\}$$

$$\because \text{य} + \text{र} + \text{ल} = 0$$

$$\therefore = -\frac{1}{2}\left(\frac{0}{\text{य र ल}} = 0 \text{ यही सिद्ध करना था ।}\right)$$

(स) गुणनखण्ड कीजिये :

$$\text{य}^2 + \text{ख य} - (\text{क}^3 - 5\text{ क ख} + 2\text{ख}^2)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हल :—

$= {}^3 + \text{ख य} - (\text{क}^2 - 2\,\text{क ख} - \text{क ख} + 2\,\text{ख}^2)\,\text{य}^2$

$= \text{य}^2 + \text{ख य} - [\text{क}\,(\text{क} - 2\,\text{ख}) - \text{ख}\,(\text{क} - 2\,\text{ख})]$

$= \text{य}^2 + (\text{क} - \text{ख} - \text{क} + 2\,\text{ख})\,\text{य} - (\text{क} - 2\,\text{ख})\,(\text{क} - \text{ख})$

$= \text{य}^2 + (\text{क} - \text{ख})\,\text{य} - (\text{क} - 2\,\text{ख})\,\text{य} - (\text{क} - 2\text{ख})\,(\text{क} - \text{ख})$

$= \text{य}\,(\text{य} + \text{क} - \text{ख}) - (\text{क} - 2\text{ख})\,(\text{य} + \text{क} - \text{ख})$

$= (\text{य} + \text{क} - \text{ख})\,(\text{य} - \text{क} + 2\text{ख})$ उत्तर

5. (अ) य का मान निकालिये :

$$\frac{2\text{य} - 1}{\text{य} + 1} + \frac{3\text{य} + 2}{\text{य} + 2} + \frac{4\text{य} - 3}{\text{य} + 3} = 9$$

हल :—

$$\left(\frac{2\text{य} + 2 - 3}{\text{य} + 1}\right) + \left(\frac{3\text{य} + 6 - 4}{\text{य} + 2}\right) + \left(\frac{4\text{य} + 12 - 15}{\text{य} + 3}\right) = 9$$

$$= \left(2 - \frac{3}{\text{य} + 1}\right) + \left(3 - \frac{4}{\text{य} + 2}\right) + \left(4 - \frac{15}{\text{य} + 3}\right) = 9$$

$$\therefore -\frac{3}{\text{य} + 1} - \frac{4}{\text{य} + 2} - \frac{15}{\text{य} + 3} = 0$$

अर्थात् $\dfrac{3}{\text{य} + 1} + \dfrac{4}{\text{य} + 2} + \dfrac{15}{\text{य} + 3} = 0$

$$\therefore \frac{3}{\text{य} + 1} + \frac{3}{\text{य} + 3} = -4\left\{\frac{1}{\text{य} + 2} + \frac{3}{\text{य} + 3}\right\}$$

$$\therefore \frac{3\text{य} + 9 + 3\text{य} + 3}{(\text{य} + 1)\,(\text{य} + 3)} = -4\left\{\frac{\text{य} + 3 + 3\text{य} + 6}{(\text{य} + 2)\,(\text{य} + 3)}\right\}$$

$$\therefore \frac{6\text{य} + 12}{(\text{य} + 1)\,(\text{य} + 3)} = -4\left\{\frac{4\text{य} + 9}{(\text{य} + 2)(\text{य} + 3)}\right\}$$

$$\therefore \frac{3\text{य} + 6}{(\text{य} + 1)(\text{य} + 3)} = -\frac{2(\text{य} + 9)}{(\text{य} + 2)\,(\text{य} + 3)}$$

$\therefore (3\text{य} + 6)\,(\text{य} + 2) = -2(4\text{य} + 9)\,(\text{य} + 1)$

$\therefore 3\text{य}^2 + 6\text{य} + 6\text{य} + 12 = -(4\text{य}^2 + 9\text{य} + 4\text{य} + 9)$

$\therefore 3\text{य}^2 + 12\text{य} + 12 = -8\text{य}^2 - 18\text{य} - 8\text{य} - 18$

$\therefore 11\text{य}^2 + 38\text{य} + 30 = 0$

$$\therefore \text{य} = \frac{-38 \pm \sqrt{1444 - 1320}}{22}$$

$$\therefore \text{य} = \frac{-38 \pm \sqrt{124}}{22}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$\therefore$ य $= \frac{-38 \pm 2\sqrt{31}}{22}$

$\therefore$ य $= \frac{-19 \pm \sqrt{31}}{11}$

$\therefore$ उत्तर $= \frac{-19 \pm \sqrt{31}}{11}$

(ब) य, र, ल का मान निकालिये :

(य+1) (र+1) = 24 ... ...(i)

(र+1) (ल+1) = 28 ... ... (ii)

(ल+1) (य+1) = 42 ... ... (iii)

हल :—

तीनों समीकरणों का गुणा करने पर

(य+1)^2 (र+1)^2 (ल+1)^2 = 28224

$\therefore$ (य+1) (र+1) (ल+1) = ± 168.........(iv)

अब समी० (iv) में (i), (ii) तथा (iii) से भाग देने पर

ल+1 = ±7

$\therefore$ ल = 6 अथवा — 8

इसी प्रकार य+1 = ± 6

$\therefore$ य = 5 अथवा – 7

तथा र+1 = ±4

$\therefore$ र = 3, अथवा —5

$\therefore$ उत्तर : य = 5 अथवा —7

र = 3 अथवा —5

ल = 6 अथवा —8

6. (अ) एक वर्गाकार खेत की परिमाप दूसरे वर्गाकार खेत की परिमाप से 40 मीटर अधिक है। छोटे खेत के तीन गुने क्षेत्रफल से बड़े खेत का क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर कम है। उन खेतों की लम्बाइयाँ ज्ञात कीजिये।

हल :—

माना कि छोटे खेत की लम्बाई = क मी० है

$\therefore$ छोटे खेत का परिमाप = 4 क मी०

अतः प्रश्नानुसार

बड़े खेत का परिमाप = (4क+40) मी०

$\therefore$ बड़े खेत की लम्बाई = (क+10) मी०

$\therefore$ बड़े खेत का क्षेत्रफल = (क+10)^2 वर्ग मी०

$\therefore$ प्रश्नानुसार

क^2+100+20क = 3क^2—50

$\therefore$ 2क^2—20क—150 = 0

$\therefore$ क^2—10क—75 = 0

$\therefore$ क^2—15क+5क—75 = 0

$\therefore$ क (क—15)+5 (क—15) = 0

$\therefore$ (क+5) (क—15) = 0

परन्तु लम्बाई ऋणात्मक नहीं हो सकती।

अतः छोटे खेत की लम्बाई = 15 मी० } उत्तर

$\therefore$ बड़े खेत की लम्बाई = 25 मी० }

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ब) तीन अंकों की एक संख्या है। उनके इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल 32, दहाई और सैकड़े के अंकों का गुणनफल 40 और इकाई तथा सैकड़े के अंकों का गुणनफल 20 है। वह संख्या ज्ञात करो।

हल :—

माना कि संख्या के सैकड़े का अंक य
दहाई का अंक र तथा
इकाई का अंक ल है।

अतः प्रश्नानुसार

$$र\,ल = 32 \quad \cdots (i)$$
$$र\,य = 40 \quad \cdots (ii)$$
$$ल\,य = 20 \quad \cdots (iii)$$

∴ (i), (ii) तथा (iii) समीकरण का गुणा करने पर

$$य^2\,र^2\,ल^2 = 25600$$
$$\therefore य\,र\,ल = 160 \quad \cdots (iv)$$

समी० (iv) में (i), (ii) तथा (iii) समी० से भाग देने पर

$$य = 5,\ ल = 4,\ तथा\ र = 8$$

∴ उत्तर : संख्या = 584

(7) (अ) : त्रिभुज की माध्यिकायें संगामी होती हैं।

दिया है : △ क ख ग तथा भुजाओं क ग और क ख की माध्यिकाओं ख छ और ग ज का प्रतिच्छेद बिन्दु न है।

माना कि क न को मिलाकर बढ़ाने पर यह ख ग को बिन्दु च पर काटती है।

सिद्ध करना है : क च भुजा ख ग की माध्यिका है
अर्थात् ख च = च ग

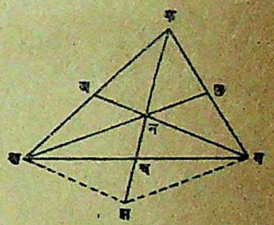

रचना : क च को बिन्दु झ तक इस प्रकार बढ़ाया कि क न = न झ
ख झ और ग झ को मिलाया।

उत्पत्ति : △ क ख झ में
रेखा ज न भुजाओं क ख और क झ के मध्यबिन्दुओं को मिलाती है।

∴ ज न और ख झ समान्तर हैं।

(चूंकि △ की दो भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समान्तर होती है)

इसी प्रकार △ क ग झ में सिद्ध किया जा सकता है कि छ न और ग झ समान्तर हैं।

∴ न ग ∥ ख झ और ख न ∥ ग झ

∴ ख झ ग न एक समान्तर चतुर्भुज है।

∴ ख च = च ग क्योंकि समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।

∴ क च भुजा ख ग की माध्यिका है।

—यही सिद्ध करना था।

अतः माध्यिकायें बिन्दु न पर संगामी हैं।

7 (ब) : एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार 4 सेमी०, आधार-कोण 60° तथा शीर्षकोण 45° दिये हुये हैं।

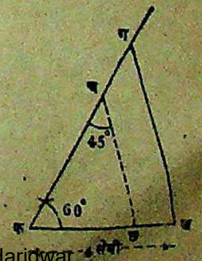

रचना : आधार क ख = 4 सेमी० खींचा।
बिन्दु क पर 60° का कोण ख क च बनाया। क च में बिन्दु च पर 45° के कोण के बराबर ∠ क च छ बनाया।
बिन्दु ख से छ च के समान्तर ख ग रेखा खींचा जो क च को ग बिन्दु में आगे बढ़ाने पर मिलती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$\triangle$ क ख ग अभीष्ट त्रिभुज है ।

8. (अ) : एक सरल रेखा के दो भाग इस प्रकार कीजिये कि एक भाग पर बना वर्ग दूसरे भाग पर बने वर्ग का दूना हो ।

रचना : सर्वप्रथम क ख एक रेखा खींचा । बिन्दु क से $22\frac{1}{2}^\circ$ का कोण बनाती हुयी एक रेखा खींचा जो ख से खींचे गये लम्ब को ग पर काटती है ।
पुनः बिन्दु ग पर $22\frac{1}{2}^\circ$ का कोण क ग घ बनाया जो क ख को बिन्दु घ पर काटता है ।
∴ क घ तथा ख घ दो अभीष्ट भाग हैं ।

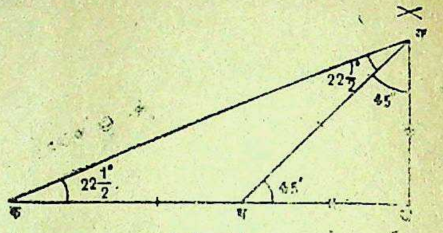

(ब) एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी तीनों माध्यिकाओं की लम्बाइयां दी हों ।

रचना: सर्वप्रथम तीनों माध्यिकाओं के $\frac{2}{3}$ भाग ज्ञात कर लेते हैं ।
फिर इन तीनों भागों की सहायता से एक $\triangle$ क ख ग की रचना करते हैं । फिर ख ग का मध्य बिन्दु छ ज्ञात किया तथा क छ को मिलाकर बिन्दु त तक इतना आगे बढ़ाया कि क छ = छ त ।
अब क त ही अभीष्ट $\triangle$ का आधार होगा । फिर ग ख को घ तक इतना बढ़ाया कि ख घ = ख ग ।
घ क और घ त को मिलाया । $\triangle$ घ क त ही अभीष्ट त्रिभुज होगा ।

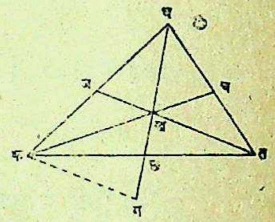

9. (अ) किसी त्रिभुज के परिवृत्त पर स्थित किसी बिन्दु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर खींचे गये लम्बों के पाद एक सरल रेखा में होते हैं ।

दिया है : $\triangle$ क ख ग के परिवृत्त पर प कोई बिन्दु है । प से त्रिभुज की भुजाओं पर प च, प छ तथा प ज लम्ब हैं ।

सिद्ध करना है : च, छ, ज एक सरल रेखा में हैं ।

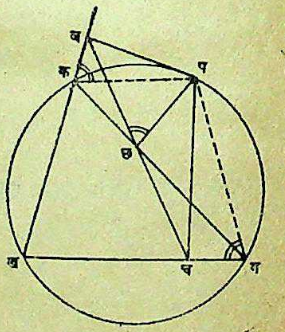

रचना :— ज छ तथा च छ को मिलाया ।
प क तथा प ग को भी मिलाया ।

उत्पत्ति; ∠प ज क + ∠प छ क = २ समकोण

∴ प छ क ज चक्रीय चतुर्भुज है । (प्रत्येक समकोण है)

इसी प्रकार प छ च ग भी चक्रीय चतुर्भुज है ।

∵ ∠प छ ज = ∠प क ज (एक ही खण्ड में है)
= ∠प क ख का संपूरक
= ∠ प ग ख (क्योंकि प क ख ग चक्रीय चतुर्भुज है)
= ∠ प ग च
= ∠ प छ च का संपूरक (क्योंकि प छ च ग भी चक्रीय चतुर्भुज है)

∴ ∠ प छ ज + ∠ प छ च = 2समकोण

∴ छ च तथा छ ज एक सीधी रेखा में है

अर्थात च, छ, ज एक ही सीधी रेखा में है ।

9. (ब) दो हुयी त्रिज्या का एक वृत्त खींचो जो दो आपस में काटती हुयी ऋजु रेखाओं को स्पर्श करे ।

रचना: यदि ख ग और ख क दो ऋजु रेखायें हैं जो एक दूसरे को ख बिन्दु पर काटती है ।
ख ग और ख क के समान्तर दी हुयी त्रिज्या की दूरी पर क्रमशः दो — ऋजु- रेखायें खींचा जो एक दूसरे को अ पर काटती हैं ।

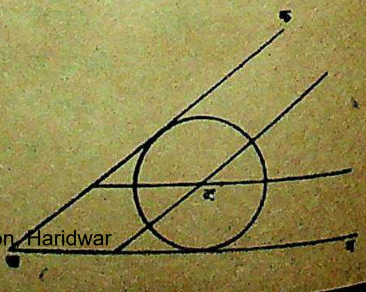

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अ, अभीष्ट वृत्त का केन्द्र होगा तथा दी हुयी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अथवा

(क) जिन ढूंढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ—व्यक्ति जो पाना चाहता है पा सकता है, बशर्ते उसमें अपने लक्ष्य के प्रति गहरी निष्ठा हो। व्यक्ति तीन प्रकार से प्रयास करते हैं। पहले वे हैं जो कार्य शुरू करने से पूर्व ही उसमें आने वाली कठिनाइयों की कल्पना करके कार्य छोड़ देते हैं। दूसरे, वे जो कार्य शुरू करके कठिनाइयों के कारण बीच में अधूरा कार्य छोड़ देते हैं। तीसरे वे जो अनेक बाधाओं के बावजूद गहरी निष्ठा से कार्य पूरा कर लेते हैं। अतः जिस गन्तव्य तक हम जाना चाहते हैं, जिन महत्वाकांक्षाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, वे हमारी संकल्प शक्ति, अनन्य निष्ठा से ही पूर्ण हो सकती है। असफलता के लिये भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। हम अपने पुरुषार्थ से भाग्य को भी अनुकूल बना सकते हैं।

(ख) सबै दिन जात न एक समान —यह एक प्राकृतिक सत्य है कि मनुष्य के जीवन की गति समान नहीं रहती। सुख-दुःख से उसका जीवन परिचालित रहता है। प्रसाद ने भी कहा है –दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। इसलिए व्यक्ति को दुःख मे निराश नहीं होना चाहिये और न ही सुख में गर्वित होना चाहिये। इस प्राकृतिक सत्य के रहस्य को यदि व्यक्ति सुख-दुःख में स्मरण रखे तो उसे कभी कष्ट न होगा। सफल जीवन के लिए वस्तुतः यही एक मूलमंत्र है लेकिन व्यक्ति जब दुःखी होता है तो जीवन में सुख की आशा बिल्कुल छोड़कर पलायनवादी और निराश हो जाता है। और, जब सुखी होता है तब यह भूल जाता है कि सुख के आगे दुःख भी है। यदि जीवन में दुःख न हो तो सुख की तीव्र अनुभूति हमें न हो। इसलिए जीवन की पूर्णता के लिये सुख-दुःख अनिवार्य हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिये —
(i) शायद वह निश्चित रूप से अपना पता बता दे। (ii) सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही बिरला होता है। (iii) हमारी नाक में दम हो गया है। (iv) पुराणों के अन्दर बहुत सी कथाएँ हैं। (v) आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमें बहुत खेद हुआ। (vi) हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। (vii) तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता। (viii) उसे चाहिये कि प्रतिदिन व्यायाम करता।

उत्तर (i) शायद वह अपना पता दे। (ii) सच्चा मित्र जीवन में कोई बिरला होता है। (iii) हमारे नाक में दम हो गया है। (iv) पुराणों में बहुत सी कथाएँ हैं। (v) आपकी बीमारी का समाचार सुनकर हमें दुःख हुआ। (vi) हिन्दी अनिवार्य कर दी जाय। (vii) तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं होता। (viii) उसे प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए।

अथवा

अधोलिखित विषय में किसी एक पर अपनी उत्तर पुस्तक के दो पृष्ठों [केवल दो पृष्ठों] में ललित भाषा में निबन्ध लिखिये: —

(1) सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी
(2) पराधीन सपनेहु सुख नाहीं
(3) राष्ट्रीय समन्वय में भाषा की भूमिका
(4) भारत में नारी का स्थान
(5) साहित्य समाज का दर्पण है

उत्तर - [पाठक निबन्ध हेतु 'प्रगति मंजूषा' के पुराने अंकों की सहायता लें]

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिये हमारे उपयोगी प्रकाशन

1.	पी सी. एस. गाइड	मूल्य 35/
2.	सैक्रिटेरियेट गाइड	मूल्य 16/
4.	सामान्य हिन्दी	मूल्य 10/
4.	प्रतियोगिता निबन्ध	मूल्य ... 12/
5.	सामान्य ज्ञान	मूल्य 10/
6	जनरल इंगलिश	मूल्य 5/
7.	सारांश लेखन	मूल्य 6/50
8.	अंकगणित हिन्दी-इंगलिश	मूल्य 8/
9.	फारेस्ट रेन्जर गाइड	मूल्य 25/
10.	फारेस्ट रेन्जर पेपर	मूल्य 6/

कृपया आर्डर के साथ 5/ अग्रिम धनराशि मनीआर्डर से अवश्य भेजें।

रवि प्रिन्टर्स व पब्लिशर्स
४६३, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद-२११००२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ रोहित नन्दन, आई. ए. एस.

सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

प्रारम्भिक परीक्षा के नतीजों की घोषणा सफल परीक्षार्थियों के लिए एक सुखद अनुभूति होती है। परन्तु उन्माद तथा उल्लास का ये अनुभव अपने गर्भ में एक समस्या को भी संजोए रहता है और वो है अत्यधिक सुख से उत्पन्न निष्क्रियता की भावना। आशाएँ तथा कल्पनाएँ कुछ समय के लिये यथार्थ को धूमिल कर देती हैं कि आखिरकार प्रारम्भिक परीक्षा इस लम्बे सफर का मात्र तिहाई और वह भी प्रारम्भिक अंश है। मुख्य परीक्षा की तैयारी का पहला चरण होता है कल्पनाओं से मुक्ति पाकर, निष्क्रियता से मुक्त होकर आने वाली चुनौती के लिए मानसिक तथा शारीरिक स्तर पर तैयार होना।

प्रारम्भिक परीक्षाफलों की घोषणा तथा मुख्य परीक्षा के आरम्भ के बीच परीक्षार्थी को करीब 90 दिनों का समय मिल पाता है। ये समय हर दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान है क्योंकि तीनों विषयों की तैयारी इन्हीं तीन महीनों में वास्तविक रूप से करनी पड़ती है विशेषकर सामान्य अध्ययन की। इस समय आवश्यकता होती है समस्या की स्पष्ट पहचान की तथा प्रत्येक पल के सर्वाधिक उपयोग की। यद्यपि मैं स्वयं कागजी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का समर्थक नहीं हूँ फिर भी इस समय एक विस्तृत टाईम-टेबल अथवा समय-सारिणी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये हो सकता है कि यह समस्या की गम्भीरता तथा समय की सीमाओं से परीक्षार्थी को परिचित करा देता है।

तैयारी का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है 'रिसोर्स मोबिलाइजेशन' का। समय की लघुता तथा कमी को दृष्टि में रखते हुए इस समय परीक्षार्थियों को अपने को कम से कम पुस्तकों तक सीमित रखना चाहिए। पुस्तकालयों में बहुमूल्य समय का अपव्यय बुद्धिमानी नहीं होगी। यदि परीक्षार्थी को विस्तृत नोट्स बनाने की आदत है तो ये कार्य प्रारम्भिक परीक्षाओं के पहले करना चाहिए इस समय नहीं। सलाह के तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि इस समय निरन्तर अपने पूर्व-लिखित नोट्स को पढ़ते रहना चाहिए अन्यथा अन्त में परेशानी महसूस हो सकती है। अत्यधिक आत्मविश्वास आई. ए. एस. के परीक्षार्थियों के सद्गुणों में से एक होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन की तैयारी एक तरह से अन्य विषयों की तुलना में अधिक समय लेने वाली तथा कठिन होती है क्योंकि इसमें तेजी से फोकस बदलने की आवश्यकता पड़ती है एक विषय से दूसरे विषय पर। सामान्य अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परीक्षार्थी सांख्यकी के मूल सिद्धान्तों से परिचित हो। पिछले वर्षों में सामान्यतः लोगों को Paper I में साधारण अंक मिले हैं। इसका कारण क्या है ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता परन्तु सांख्यकी के प्रश्न इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। अब तक मेरे परिचितों में केवल एक ने ही इस पर्चे में 194 अंक प्राप्त किये और उनका सांख्यिक का ज्ञान प्रशसनीय है।

सामान्य अध्ययन के बारे में एक अन्य तथ्य दिमाग में रखना चाहिए कि वो मात्र एक सहयोगी विषय नहीं है अन्य विषयों की तुलना में। क्योंकि तीनों विषयों के अंक बराबर हैं इसलिए तीनों को समदृष्टि से देखना चाहिए। इस विषय की तैयारी के लिए सर्वोत्तम सलाह यही है कि परीक्षार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, प्रमुख राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य तथा उपलब्धियों, भारतीय विदेश नीति पड़ोसी राष्ट्रों के सन्दर्भ में विशेषकर, तथा विज्ञान तथा टेक्नालॉजी पर विस्तृत नोट्स बना लें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के पूर्व भारत-अमरीका सम्बन्धों में तीन विवादास्पद तत्व थे; (क) पाकिस्तान को अमरीका की 3.2 बिलियन डॉलर की अद्यतन हथियारों, जिसमें F-16 जैसे घातक विध्वंसक विमान भी शामिल हैं, की आपूर्ति; (ख) तारापुर परमाणु संयंत्र को अमरीकी यूरेनियम की आपूर्ति का मसला और (ग) हिन्द महासागर को 'शांति क्षेत्र' बनाये जाने की भारत की सतत माँग।

जहाँ तक पहला प्रश्न है भारतीय प्रधानमन्त्री द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान को अमरीका हथियारों की आपूर्ति से उत्पन्न भारत की चिंता से अवगत कराया गया किन्तु एक मुख्य मुद्दे के रूप में उभर कर यह विषय दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मध्य न आ सका। वैसे भी प्रधानमन्त्री द्वारा अपनी अमरीकी यात्रा शुरू करने के पूर्व ही अमरीकी नीति निर्धारकों द्वारा यह कहा गया था कि यदि भारत इच्छुक हो तो अमरीका F-16 विमान भारत को भी बेच सकता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से वाशिंगटन द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न पर भारत से कोई विशेष बातचीत करने को इच्छुक नहीं है।

भारतीय प्रधानमन्त्री की अमरीका यात्रा की सबसे ठोस उपलब्धि तारापुर आणविक संयंत्र को परिवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति के सम्बन्ध में रही क्योंकि भारत के प्रत्यक्ष राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए यही वह तथ्य है जिसने 1974 में पोखरन परमाणु विस्फोट के पश्चात से भारत-अमरीका सम्बन्धों में यथेष्ट मात्रा में कटुता भर दी थी। नये समझौते के अन्तर्गत तारापुर आणविक संयंत्र को परिवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति फ्रांस द्वारा की जायेगी। ऐसा इस लिये किया गया है कि अब अमरीका उस किसी भी देश को यूरेनियम की आपूर्ति का इच्छुक नहीं है जो उसे अपने आणविक संयंत्रों के 'पूर्ण निरीक्षण' का अधिकार नहीं देगा। नये समझौते के अन्तर्गत भावी आपूर्ति और पूर्वकाल में आपूर्ति किये गये प्रयुक्त यूरेनियम के 'बाय प्रोडक्ट' (By Product) के निरीक्षण का अधिकार ही भारत देगा। किन्तु भारत ने अपने समस्त आणविक संयंत्र (इस समय भारत में तारापुर के अतिरिक्त कोटा और कालपक्कम में आणविक संयंत्र है) के 'पूर्ण निरीक्षण' के प्रश्न पर अपना पुराना दृष्टिकोण कायम रखा है। भारत हमेशा यह तर्क देता रहा है कि वह केवल उसी संयंत्र के निरीक्षण का अधिकार देगा जिसके लिये यूरेनियम का आयात किया गया हो और यह निरीक्षण भी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के नियमों के तहत् आयोग के अधिकारियों को है न कि किसी देश विशेष को।

1963 में भारत और अमरीका के मध्य एक 30-वर्षीय समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत अमरीका को तारापुर आणविक संयंत्र के लिये सम्बन्धित यूरेनियम की आपूर्ति करना था किन्तु कार्टर के राष्ट्रपतित्व काल में ही समझौते के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। 1978 में अमरीका द्वारा परमाणु अप्रसार अधिनियम (Nuclear Non Proliferation Act) पारित किया गया जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि अमरीका उस देश को ही परिवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति करेगा जो अपने समस्त आणविक संयंत्रों के निरीक्षण का अधिकार उसे देगा। यद्यपि रीगन प्रशासन ने इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों के प्रति अलग-अलग नीतियाँ अपनायी हैं किन्तु यहाँ इतना कहना ही काफी होगा कि एक लम्बे समय तक तारापुर का मामला खटाई में पड़े रहने के बाद इस मामले पर समझौते के बाद, भारत-अमरीकी सम्बन्धों में निश्चय ही सोहाद्रता का विकाश होगा।

तारापुर आणविक संयंत्र के सम्बन्ध में एक और प्रमुख प्रश्न आयातित यूरेनियम को 'रिप्रोसेस' (Reprocess) करने का है। श्रीमती गांधी ने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि भारत को इसका अधिकार है कि वह आयातित यूरेनियम को बिना किसी अन्य देश की सहमति के 'रिप्रोसेस' कर सकता है जबकि अमरीकी नीति निर्माता इससे सहमत नहीं हुए। फिलहाल इस मसले पर कोई सहमति नहीं हो सकी है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों द्वारा यह आशा प्रकट की गयी है कि इसे क्रमशः सुलझाया जा सकेगा।

जहाँ तक हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का प्रश्न है, रीगन प्रशासन ने एक बार पुनः अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सैनिक उपस्थिति का पुराना तर्क दिया है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और भारतीय दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर श्रीमती गांधी की अमरीका यात्रा सफल कही जा सकती है, विशेष रूप से इस अर्थ में कि पिछले एक दशक में जिस प्रकार से विश्व के दो प्रमुख देशों, जिनमें एक को सबसे पुरातन और दूसरे को सबसे वृहद लोकतन्त्र होने का श्रेय प्राप्त है, के पारस्परिक सम्बन्धों में विभिन्न घटनाक्रमों के चलते परस्पर सन्देह और कटुता का विकास हुआ है, उसे मद्देनजर रखते हुए राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर दोनों देशों के मध्य बातचीत की शुरुआत होना स्वयं में एक उपलब्धि है। वैसे भी पर्यवेक्षकों का पहले से यह विचार था कि श्रीमती गांधी की यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में रातो-रात कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आयेगा। राष्ट्रपति रीगन के दक्षिणी एशिया के मामलों के विशेष सलाहकार डा. रिचर्ड बील ने कहा कि, "श्रीमती गांधी की अमरीका यात्रा से दोनों देशों के नीति नियामकों को परस्पर समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। यात्रा से किसी 'मैजिक शो' के परिणामों की उम्मीद नहीं की जानी चाहिये।" श्रीमती गांधी की यात्रा से दोनों देशों के मध्य परस्पर समझ का वातावरण विकसित होने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। आगे चलकर विशिष्ट मुद्दों पर भी दोनों देशों के मध्य आम सहमति हो सकेगी, ऐसी आशा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक मुद्दों पर भी दोनों देशों के मध्य सहयोग की बात की गयी। अमरीकी कोष सचिव ने श्रीमती गांधी को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की 2.3 बिलियन डॉलर की तीसरे वर्ष की किस्त को प्राप्त करने में यथेष्ट सहायता का आश्वासन दिया है। अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान श्रीमती गांधी ने प्रथम दिन विश्व बैंक के अध्यक्ष क्लासेन से भी मुलाकात की जिन्होंने भारत को 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास समुदाय' से प्राप्त होने वाले ऋण में बढ़ोत्तरी के लिये यथासंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

श्रीमती गांधी की वाशिंगटन यात्रा को जितना महत्व अमरीकी नीति निर्धारकों द्वारा दिया जा रहा है, उससे एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर एकाएक अमरीका भारत में इतनी रूचि क्यों ले रहा है? पिछले दो वर्षों में एशियाई महाद्वीप में घटनाक्रम जो रूख ले रहा है, उसमें यह स्वाभाविक है। दिसम्बर 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैनिक हस्तक्षेप हुआ। सोवियत प्रसारवाद को रोकने की अपनी चिरपरिचित नीति के तहत् अमरीका ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति का सौदा निश्चित किया। पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न को लेकर यहीं कारण वाशिंगटन और इस्लामाबाद द्वारा भी बताया गया है। किन्तु साथ ही अमरीकी नीति निर्धारक इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि जनरल जिया का शासन पाकिस्तानी जनता में व्यापक रूप से अलोकप्रिय है, बलूचिस्तान में विद्रोह की अग्नि भड़क रही है; सम्पूर्ण पाकिस्तान में अमरीका विरोधी प्रचार जोरों पर है और यह किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकता है जैसा कि 1979 में हुआ था जबकि इस्लामाबाद स्थित अमरीकी दूतावास को भारी क्षति पहुँचायी गयी थी। दूसरी ओर चीन के साथ अमरीका के सम्बन्धों में वह सौहार्द्र नहीं रहा जो सातवें दशक में था। यद्यपि ताइवान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के प्रश्न पर खिंचाव के बावजूद, रीगन प्रशासन अब भी यह विश्वास करता है कि सोवियत प्रसारवाद को रोकने के लिये चीन एशिया में अमरीका का महत्वपूर्ण स्त्रातजिक मित्र है। पूर्वकाल में अपनी इसी नीति के अन्तर्गत वाशिंगटन परोक्ष रूप से भारत को इस बात के लिए प्रेरित करता रहा है कि वह चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार लाये। किन्तु अब एक तो यह कि रीगन प्रशासन चीन के साथ अपने सम्बन्धों में हमेशा बीजिंग के दृष्टिकोण से अनुशासित नहीं होना चाहता; दूसरे पाकिस्तान पर सोवियत प्रसारवाद के विरुद्ध 'फ्रंट लाईन स्टेट' के रूप में पूर्ण भरोसा करना जरा कठिन है और तीसरे यह कि चीन-सोवियत संघ सम्बन्धों में भावी सुधार की आशा इन तीन वास्तविकताओं को मद्देनजर रखते हुए अमरीका दो प्रमुख एशियाई देशों-चीन और भारत से समान आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहता है। यही तीन तथ्य अमरीकी पक्ष की ओर से भारत के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की रूचि के प्रमुख कारण हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय सामयिकी

- भारत के सातवें राष्ट्रपति : ज्ञानी जैल सिंह
- भारत-बंगलादेश वार्ता
- विदेशी धन पर रोक
- विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तीफा : एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की विवशता

भारत के सातवें राष्ट्रपतिः ज्ञानी जैल सिंह ।

25 जुलाई को ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में भारत के सातवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया । उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्र चूड ने दिलाई । किसान परिवार में जन्म लेकर अनेक राजनीतिक संघर्षों में यातनाएं सहते हुए देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले श्री जैल सिंह सिख समुदाय के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ ।

राष्ट्रपति पद के लिए 12 जुलाई को मतदान हुआ और जब 15 जुलाई को मतों की गणना की गयी तो श्री जैल सिंह ने विपक्षी दलों के उम्मीदवार अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री हंस राज खन्ना को सीधे मुकाबले में 4,71,428 मतों से पराजित कर दिया । श्री जैल सिंह को 7,54,113 और श्री खन्ना को 2,82,685 मत मिले । श्री जैल सिंह को प्राप्त मतों का प्रतिशत 72.7 और श्री खन्ना को प्राप्त मतों का प्रतिशत 27.3 था । कुल 750 संसद सदस्यों ने मतदान किया जिनमें 528 ने श्री जैल सिंह के पक्ष में और 210 ने श्री खन्ना के पक्ष में मत डाले । 12 मत अवैध घोषित किये गये जिनमें सात श्री जैल सिंह के और पांच श्री खन्ना के थे । श्री जैल सिंह के पक्ष में पड़े संसदीय मतों का कुल मूल्य 3,70,656 तथा श्री खन्ना के मतों का मूल्य 1,47,420 रहा ।

देश की 21 राज्य विधानसभाओं में श्री जैल सिंह को 3,83,457 तथा श्री खन्ना को 1,35,245 के मूल्य के बराबर मत मिले । असम विधानसभा भंग रहने के कारण उसके सदस्यों ने स्वभावतः मतदान में भाग नहीं लिया । श्री खन्ना को केवल पं. बंगाल और त्रिपुरा में श्री जैल सिंह से अधिक मत मिले । अन्य सभी विधान सभाओं में श्री जैल सिंह श्री खन्ना से काफी आगे रहे । राज्य विधान सभा के 46 सदस्यों के मत अवैध घोषित किये गये । राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 6-6 आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में पांच-पांच, पंजाब में चार, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में तीन-तीन उड़ीसा, केरल, मेघालय और नागालैंड में दो-दो तथा जम्मू-कश्मीर मध्य प्रदेश और सिक्किम में एक-एक विधायक का मत अवैध रहा । अवैध मतों का कुल मूल्य 13,986 था ।

प्रस्तुति : बच्चन सिंह, 'दैनिक जागरण' वाराणसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्री जैल सिंह को कुछ विपक्षी सदस्यों ने भी मत दिये। पश्चिम बंगाल में 3, उत्तर प्रदेश में 14, उड़ीसा में 9, मध्य प्रदेश में 5, बिहार में 19, गुजरात में 4 और हरियाणा में तीन सदस्यों के मत अपनी निजी सदस्य संख्या और उन दलों के सदस्यों की संख्या के योग से अधिक मिले जिन्होंने कांग्रेस (इ) को समर्थन करने की घोषणा की थी।

राष्ट्रपति चुनाव में श्री जैल सिंह दूसरे ऐसे प्रत्याशी रहे जिन्हें सर्वाधिक मतों से विजय भी मिली। इससे पूर्व डाक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण को (1962) 5,46,726 मतों से विजय-श्री प्राप्त हुई थी। श्री जैल सिंह को उनसे करीब 75 हजार मत कम मिले।

भू पू. राष्ट्रपति श्री संजीव-रेड्डी 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे किंतु 1969 में जब वह वराहगिरि व्यंकट गिरि से हारे थे तो जीत हार का अंतर मात्र 14,650 का था। 1974 में श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार श्री त्रिदिव चौधरी को पौने चार लाख मतों से हराया था। पहले राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 1952 में चार लाख 14 हजार और 1957 में चार लाख 57 हजार मतों से जीते थे। 1952 से 1967 तक राष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच कोई मुकाबला नहीं हुआ था। 1967 में हुए पहले मुकाबले में डाक्टर जाकिर हुसेन विपक्ष प्रत्याशी श्री के. सुब्बाराव से एक लाख सात हजार मतों से जीते थे। उल्लेखनीय है कि गत 35 वर्षों में देश की जनसंख्या के लगभग दुगने हो जाने के कारण मतों का मूल्य भी काफी बढ़ गया है।

सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के मतों के अंतर को देखते हुए ज्ञानी जैल सिंह की जीत यद्यपि सुनिश्चित थी फिर भी इस चुनाव के दौरान कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिसके चलते राष्ट्रपति पद का यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण बन गया था। यह शायद पहला अवसर था जब सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ने संभावित परिणामों को जानते हुए भी ऐसे हथकण्डे अपनाये जिसने चुनाव के माहौल को उत्तेजना से भर दिया था। दोनों ही ओर से कुछ ऐसे कदम भी उठाये गये जिन्हें लोकतंत्री प्रस्थाना की जड़ों पर, कुठाराघात माना जा सकता है।

राष्ट्रपति चुनाव की गंभीरता को क्षति पहुँचनी वहीं से शुरू हो गयी जहाँ से विपक्षी दलों ने सर्वसम्मत प्रत्याशी की बात उठायी। सर्वसम्मत प्रत्याशी का नारा देकर प्रतिपक्षी दलों ने ऐसी हड़बड़ी दिखाई कि पूरा माहौल ही टकराव में बदल गया। वे एक ओर सर्वसम्मत प्रत्याशी के लिए सत्तारूढ़ दल से आग्रह कर रहे थे दूसरी ओर कुछ नाम हवा में उछाले जा रहे थे। इससे राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का सर्वसम्मत चयन तो न हो सका, वातावरण में इतनी कटुता आ गयी कि चुनाव अभियान के दौरान दोनों ही उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछाले गये जिसकी आवश्यकता कत्तई नहीं थी। इससे भारतीय गणराज्य के इस सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची। प्रतिपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री का 'रबर स्टाम्प', 'मिट्टी का माधव' मानना एक तरह सम्पूर्ण भारतीय मेधा का अपमान ही था क्योंकि न तो अतीत का इतिहास इसकी सत्यता सिद्ध करता है और न ही भारतीय संविधान की व्यवस्थायें इसकी इजाजत देती है। इस तरह का प्रचार कुल मिलाकर विपक्षी दलों की 'हीन भावना' और आत्मविश्वास की कमी का ही द्योतक रहा।

सच तो यह है कि हमारे देश की शासन प्रणाली में न तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच टकराव की कोई गुंजाइश है और न ही मौजूदा हालात में इसकी अपेक्षा की जा सकती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में निकटतम तादात्म्य होना ही चाहिए। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन किया था जिसने राष्ट्रपति की स्वतंत्र भूमिका की रही सही संभावना भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा जनता शासन के दौरान ही श्री मोराजी देसाई के इस्तीफे के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री संजीव-रेड्डी द्वारा श्री चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करने से यह भी सिद्ध हो गया है कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति विवाद से परे होगा।

मंत्री के रूप में श्री जैल सिंह का व्यक्तित्व चाहे जितना विवादास्पद रहा हो राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और निष्कलंक राजनैतिक जीवन संदेह से परे है। उनकी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठायी जा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकती। देश के सर्वोच्च पद पर उनके आसीन होने से अल्पसंख्यक समुदाय को यह भी आश्वासन मिला है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनके हितों और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं है।

हो सकता है कि कुछ उग्रपंथी सिख ज्ञानी जैल सिंह के निर्वाचन से यह अनुमान लगा बैठें कि सत्तारूढ़ दल ने उनकी गतिविधियों से आतंकित होकर उनकी तुष्टि के लिए ही एक सिख को राष्ट्रपति पद पर आसीन किया है। अतः उन्हें कुछ और हासिल करने के लिए अपनी गतिविधियों में उग्रता लानी चाहिए। निश्चय ही यह धारणा बना लेना एक खतरनाक भूल होगी और इसका जबर्दस्त प्रतिकार वह बहुसंख्यक सिख समुदाय देगा जिसके इस सर्वोच्च पद पर प्रथम प्रतिनिधि रूप में ज्ञानी जैल सिंह आसीन हुए हैं। श्री जैल सिंह को निश्चय ही सम्पूर्ण राष्ट्र का सद्भावना और समर्थन मिलेगा।

भारत बंगलादेश वार्ता

भारत और बंगलादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर पिछले दिनों चार दिन तक जो बातचीत हुई उससे संकेत मिले कि दोनों पक्षों ने इस जटिल समस्या के समाधान के लिए आधार-भूमि तैयार कर ली है। ऐसा लगता है कि गंगाजल वितरण की समस्या के हल के लिए दोनों पक्षों ने कुछ नये सूत्रों की तलाश कर ली है और अब वह घड़ी काफी नजदीक आ गयी है जब उच्च राजनैतिक स्तर से इस प्रश्न पर दोनों देशों की सहमति की घोषणा होगी।

बंगलादेश के कृषिमंत्री श्री ओबेदुल्ला खान ने बातचीत के बाद जो बयान जारी किया है उसमे आशावादी संकेत अवश्य मिलते हैं किन्तु यह पता नहीं चलता है कि दोनों देशों ने सहमति का कौन सा मार्ग चुना है। किंतु ऐसा माना जा रहा है कि बंगलादेश ने भारत-नेपाल सीमा पर अनेक विशाल जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ताकि जरूरत पड़ने पर गंगा नदी में उतना पानी पहुँचाया जाय कि बँटवारे का प्रश्न ही न उठे। दूसरी ओर भारत का प्रस्ताव है कि गंगा और ब्रहमपुत्र नदियों को जोड़ने वाली एक विशाल नहर बना दी जाय। इस नहर के बनने पर ब्रहमपुत्र-मेघना का पानी अच्छी तरह और भरपूर मात्रा में गंगा में लाया जा सकता है। इन नदियों का सम्मिलित जल प्रवाह अप्रैल में कम से कम ढाई लाख क्यूसेक होता है जो मई के अंत में साढ़े आठ लाख क्यूसेक तक हो जाता है। जब कि अकेली गंगा का प्रवाह 55 हजार से 65 हजार क्यूसेक तक ही सीमित रह जाता है। इस प्रस्तावित नहर बनने पर बंगला देश को लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो जायेगा। लगभग इतना ही पानी भारत भी प्राप्त कर लेगा। जहाँ तक कलकत्ता बंदरगाह का प्रश्न है, उसे पूरे वर्ष 40 हजार क्यूसेक पानी आसानी से मिलता रहेगा।

जहाँ तक बंगलादेश का जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव है, उसे निम्नलिखित कारणों से व्यावहारिक नहीं माना जा सकता :—

(1) भारत और नेपाल की सीमा पर यदि जलाशय बनाये भी जांय तो उसमें अकेली गंगा नदी का कितना पानी जमा किया जा सकता है ?

(2) भारत और नेपाल की सीमा पर विशाल जलाशयों का निर्माण निहायत कठिन है क्योंकि इसके लिये समुचित भूमि नहीं मिल पायेगी।

(3) अनेक जलाशयों के निर्माण के बजाय एक नहर खोदना कम खर्चीला है।

(4) जलाशयों के निर्माण से अनावश्यक ही इस सारे मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जायेगा।

ऐसा लगता है कि बंगलादेश के कृषिमन्त्री ने उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दृष्टिकोण को समझा है और उससे सहमत हुए हैं। यदि बंगलादेश के राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी तो भारत और बंगला देश के बीच एक लम्बे विवाद का अन्त हो जायेगा और दोनों देशों के मध्य सहयोग के नये द्वार खुलेंगे।

विदेशी धन पर रोक

केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी कर (18 जुलाई) राजनैतिक गतिविधियों में शामिल 58 संगठनों के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशों से चन्दा लेने पर रोक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगा दी है। इस सम्बन्ध में जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों को कानून के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।

उक्त आदेश जिन संगठनों पर प्रभावी होगा उनमें हैं—दल खालसा, शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद, जमायते इस्लामी (जम्मू-कश्मीर), क्रिश्चियन संघर्ष समिति (चाइबासा) जय गुरुदेव की दूरदर्शी पार्टी, अफगान लिबरेशन सेन्टर, ईरानी छात्र इस्लामी संघ, लायरै मिल्लत (हैदराबाद), स्टूडेन्ट इस्लामी यूनियन, हक तुलाबा इस्लामी, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति (दार्जीलिंग), मदरसै अहेल-इहदिस (जम्मू-कश्मीर), राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय युवक कांग्रेस (इ), भारतीय युवक कांग्रेस (स), राष्ट्रीय भारतीय छात्र संगठन (इ), राष्ट्रीय भारतीय छात्र संगठन (स), युवा जनता, जनता युवा मोर्चा, क्रांतिकारी छात्र संगठन (तेलिचेरी), हिन्द मजदूर सभा और युवा लोकदल।

141 संस्थाओं पर इसी तरह का प्रतिबन्ध पहले से ही लागू है। इस उद्देश्य के लिए विदेशी चंदा (नियमन) कानून पिछले कई वर्षों से अस्तित्व में भी है। किन्तु इस कानून के तहत किसी विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं की गयी। भारतीय संस्थाओं के लिए विदेशी धन की आवक बदस्तूर जारी है और सरकार का विदेशी चन्दा (नियमन) कानून महज किताबी होकर रह गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 1979 में निर्यात से भिन्न विदेशों से मिलने वाली राशि प्रति 27 अरब 75.28 करोड़ रुपये और 1980 में 44 अरब 67.28 करोड़ रुपये के बराबर थी। इस राशि में चन्दे, सहायता या अनुदान के रूप में निजी संस्थाओं को मिलने वाली राशि भी शामिल है। पर इसका अलग से कोई विवरण नहीं प्राप्त है। विभिन्न प्रकार की पांच हजार संस्थाओं ने 1977 और 1978 में क्रमशः 2 अरब तथा 2 अरब 97 करोड़ रूपये के बराबर विदेशी धन मिलने का विवरण रिजर्व बैंक को दिया था किन्तु बैंक का कहना है कि बहुत सी संस्थायें या तो ब्योरा देती ही नहीं या देती भी हैं तो अधूरा। 1977 में महज 6 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु कर्नाटक, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक अरब 30 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी धन आयी। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनावों में विदेशी धन के इस्तेमाल का आरोप एक—दूसरे पर लगा चुकी हैं। इतना ही नहीं अमेरिकी खुफिया संस्था सी. आई. ए. तथा कुछ कुछ कम्युनिस्ट देशों पर धन के बल पर भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के आरोप भी लगाये जा चुके हैं और अब भी समय-समय पर लगाये जाते हैं।

इस आदेश से सरकार पर लगाया गया यह आरोप काफी हद तक हल्का हो गया है कि विदेशी धन के इस्तेमाल के सम्बन्धों में उसने अब तक जो कदम उठाये हैं वे भेदभाव मूलक रहे हैं। इस आदेश के अन्तर्गत साम्प्रदायिक संगठनों के साथ ही वे संगठन भी आ गये हैं जो सीधे सत्तारुढ़ दल से जुड़े हैं। किन्तु खाली आदेश जारी कर देने से ही सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब तक कि इस बात पर निगाह नहीं रखा जायेगा कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिया गया विदेशी धन कहाँ और किस प्रकार खर्च किया जाता है। विदेशी धन के आवक और खर्च का पूरा हिसाब-किताब भी लिया जाना आवश्यक है। अन्यथा जैसाकि कई अवसरों पर हुआ है विदेशी धन का उपयोग देश में साम्प्रदायिक हिंसा, जातीय विद्वेष तथा राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने में किया जाता रहेगा और सरकार का कानून पूर्व की तरह भविष्य में भी निष्प्रभावी बना रहेगा।

विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तीफा : एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की विवशता

28 जून 1982 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राज्यपाल श्री सी. पी. एन. सिंह को एक पत्र लिखकर इस्तीफा प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार हो गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस अप्रत्याशित कदम से राजनीतिक क्षेत्रों में खलबली मच गयी। स्वयं उनके दल में बेचैनी इस हद तक थी कि प्रदेश कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष श्री विश्वंभर नाथ पांडेय ने इसे अनुशासनहीनता की संज्ञा दे डाली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह बात दूसरी थी कि केन्द्रीय नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया और मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए उनके त्यागपत्र को एक उच्च परम्परा की शुरूआत बताया। केन्द्रीय नेतृत्व ने यह भी नहीं माना कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर अनुशासनहीनता दिखाई है। हाँ, हाईकमान ने इतना अवश्य कहा कि त्यागपत्र से पूर्व मुख्यमंत्री को केन्द्रीय नेतृत्व और अपने मंत्रिपरिषद को विश्वास में लेना चाहिए था। इसका उत्तर मुख्यमंत्री ने यह कह कर दिया कि जब निर्णय अन्तरात्मा की आवाज पर आधारित हो तो किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती।

डाकुओं की द्वारा नरसंहार की जिस घटना ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए विवश किया उनमें से एक कानपुर देहात जिले के दस्तमपुर नामक गांव में घटी जहां मुस्लिम गिरोह के सदस्यों ने दस यादवों को गोली से भून कर कुख्यात दस्यु मुस्तकीम के मारे जाने का बदला लिया और दूसरी मैनपुरी जिले के रामपुर गांव में घटी जहाँ डकैतों ने 6 हरिजनों की हत्या कर दी। ये दोनों घटनाएँ 26 जून की रात में घटी।

मुख्यमंत्री को जिस समय डाकुओं के नर संहार की सूचना दी गयी वह 'उद्योग बंधु' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के बाद बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपने त्यागपत्र की घोषणा की। इसके बाद राज्यपाल को औपचारिक त्यागपत्र दिया। वह राज भवन में सायं 6 से 7 बजे तक रहे। पत्रकारों के समक्ष त्यागपत्र की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सार्वजनिक जीवन को अपने वर्तमान पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्त्ता के रूप में सदैव कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री का विश्वास है कि उनके इस्तीफे से पार्टी को लाभ होगा।

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था खासतौर से डाकुओं के आतंक ने मुख्यमंत्री को पहली बार विचलित किया हो, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने पहली बार मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगों के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिया था जो स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद 18 नवम्बर 198, को मैनपुरी जिले के देहुली गांव में हुए सबसे बड़े सामूहिक हत्या कांड, जिसमें 24 हरिजनों की जानें गयी थी से क्षुब्ध होकर 24 नवम्बर को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यदि वे एक माह में देहुली के हरिजनों को न्याय नही दिला पायेंगे तो पद छोड़ देंगे। पर इस एक माह में कई डाकुओं के सफाये से संतुष्ट मुख्यमंत्री को डेढ़ माह बाद उस समय झटका लगा जब मैनपुरी जिले के ही साधपुर गांव में डाकुओं ने दस हरिजनों को मौत के घाट उतार कर सनसनी फैला दी। बहरहाल मुख्यमंत्री दस्यु उन्मूलन अभियान की सफलता से संतुष्ट थे क्योंकि इस अभियान के अन्तर्गत इस साल छविराम, अनारसिंह, महाबीरा, पोथी, रघुनाथ मल्लाह, भीमा तथा मुस्तकीम जैसे कई कुख्यात दस्यु सरगना मारे गये। राज्य में कानून व्यवस्था पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चलाये गये संघर्ष के 17 महीनों के दौरान जहाँ एक ओर कई सामूहिक हत्याकांडों में लगभग डेढ़ सौ ग्रामीण मारे जा चुके हैं, वहीं 133 पुलिसकर्मी डाकुओं से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं और लगभग सभी सूचीबद्ध दस्यु सरगनाओं सहित लगभग 1700 डाकू मारे गये हैं। पर इस बीच डाकू गिरोह ने सरकार की छवि पर कई धब्बे लगाकर उसे बिगाड़ा और इस साल 19 मार्च को मुख्यमंत्री के बड़े भाई व भतीजे की हत्या करके उन्हें व्यक्तिगत चोट पहुँचायी।

दरअसल मुख्यमंत्री ने डाकुओं के उन्मूलन को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। उनकी मानसिक स्थिति का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि डाकुओं के सवाल पर ही वह दो बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। किन्तु ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा अथवा इस्तीफे की पेशकश उनके भावावेश पर आधारित थी वास्तविकता यह थी कि उनके समक्ष इस्तीफे के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। वह राजनीतिक ईमानदारी के कायल थे जिसके आधार पर आज की छल-प्रपंच की राजनीतिक नहीं की जा सकती। यदि उन्हें जिला स्तरीय प्रशासन और पुलिस को न सुधार पाने का दुख कचोटता रहा तो इसीलिये कि राज्य की कानून-व्यवस्था पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित करने और कई समस्याओं को सूझबूझ के साथ हल करने के बावजूद वह उन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तत्वों का सफाया नहीं कर पाये जो पूरी व्यवस्था को घुन की तरह चाट रहे हैं। मुख्यमंत्री की यह राजनीतिक मजबूरी भी थी। मुख्यमंत्री इस हद तक विवश थे कि पार्टी के कई नेताओं का डाकुओं के साथ सम्बन्ध उजागर होने पर भी उनसे कुछ करते नहीं बना। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के चलते वह अपने बहुत से राजनीतिक विरोधियों को साथ लेकर नहीं चल पाये जो अन्दर ही अन्दर उनकी जड़ों में मट्ठा डालते रहे।

जो भी हो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजनीति में एक गौरवमयी परम्परा की शुरूआत की है। उनका कार्यकाल कई मामलों में अनुकरणीय रहा है। अब न तो इस परम्परा का पालन होना आसान है और न ही मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के लिये समस्यायों का समाधान।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वतन्त्रता के बाद प्रदेश के ग्यारहवें मुख्यमंत्री थे। देश के इस सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 11 मुख्यमंत्रियों में से स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने में असमर्थ रहा है। इस पद पर आसीन होने वाले अधिकतर व्यक्ति दो-तीन वर्ष तक ही कार्य कर सके। सबसे कम कार्यकाल (6 माह का) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह का था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस (इ) विधायक दल के नेता 7 जून 1980 को चुने गये। उन्होंने 9 जून 1982 को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे किये थे और इस प्रकार वह 2 वर्ष 19 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। ●

(पृष्ठ 82 का शेष)

सरकार के अन्तर्गत सिंहानुक राष्ट्रपति, संफान उपराष्ट्रपति तथा सैन को प्रधानमन्त्री का पद दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 1978 में हेंग समेरिन के नेतृत्व में वियतनाम की कठपुतली सरकार के गठन के समय से ही 'एशियान देश' (थाइलैण्ड, मलेशिया, इण्डोनीशिया, सिंगापुर एवं फिलीपीन्स) एक साझा सरकार के गठन का प्रयास करते रहे हैं ताकि कम्पूचिया में क्रमशः एक प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया जा सके।

1978 के अंत में वियतनामी सैनिकों ने चीन समर्थक सफान की सरकार को अपदस्थ करके हेंग समेरिन के नेतृत्व में कठपुतली सरकार की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक लगभग 45 महीनों में कम्पूचिया आंतरिक संघर्ष की राजनीति में जकड़ा रहा है, एक ओर हेंग समेरिन की भारी संख्या में वियतनामी सैनिकों द्वारा रक्षित कठपुतली सरकार तथा दूसरी ओर उपरोल्लिखित तीनों विद्रोही घटकों के गुरिल्ले छापामार। जुलाई 1981 में कम्पूचिया के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में न्यूयार्क में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया किन्तु 'एशियान देशों तथा चीन के परस्पर वैभिन्नकारी दृष्टिकोण तथा हेंग समेरिन की सरकार, वियतनाम व रूस द्वारा सम्मेलन के बहिष्कार के कारण ठोस परिणामों के आधार पर सम्मेलन से कुछ हासिल न हो सका।

किन्तु इस निर्वासित साझा सरकार के गठन से कम्पूचिया के निवर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम में कोई अभूतपूर्व अंतर आ सकेगा। इस बारे में संदेह है क्योंकि तीनों घटकों के पास अपनी-अपनी गुरिल्ला शक्ति है। इन तीनों में ख्मेर घटक को तो चीन का सैनिक और आर्थिक सहयोग प्राप्त है जबकि शेष दो घटकों को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। यह अवश्य है कि वियतनाम ने विश्व जनमत में अपनी इमेज सुधारने के लिये कम्पूचिया से कुछ संख्या में सैनिकों को वापस बुला लिया है। परन्तु चीन व 'एशियान' देशों ने इस कार्यवाही को मात्र प्रोपोगन्डा कहा है। वियतनाम के विदेश मन्त्री न्गुयेन को थैच ने एशियान देशों की असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिये जुलाई 82 के अन्तिम सप्ताह में सिंगापुर, मलेशिया व थाईलैण्ड की यात्रा की और काफी सीमा तक अविश्वास की भावना को दूर करने में सफलता अर्जित की।

फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में कम्पूचिया का स्थान खाली है। संयुक्त राष्ट्र के सितम्बर अधिवेशन में इस पर विचार विमर्श होना है। हो सकता है साझा सरकार के गठन से संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये हेंग समेरिन सरकार का दावा कुछ कमजोर पड़ जाय या जोर पकड़ ले किन्तु कम्पूचिया की समस्या का निकट भविष्य में कोई राजनीतिक हल निकल सकेगा – यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा। ■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

GENERAL ENGLISH

MODEL PAPER

*Precis Writing.

1. Make a precis of the following passage in about one-third of the length of the passage and also supply a heading.

"Buddhism is as much a religion of love as any on earth. As is written of the would-be Buddhist in the *Metta Sutta*, 'As a mother, even at the risk of her own life, protects her only son, so let him cultivate love without measure towards all beings. Let him cultivate towards the whole world, above, below, around and everywhere, a heart unmixed with enmity. Let a man maintain his mindfulness for all his waking hours, whether he be standing, walking, sitting or lying down.'

"In Buddhism love is a virtue to be deliberately developed and offered to the service of mankind. It is the first of the so-called *Brahma Viharas*, or Sublime State of Consciousness, which the Bikkhu and the laymen are alike encouraged to develop and practice constantly. For before the quality of loving-kindness, for example, can be 'broadcast' through the universe, it must be built in as a quality of the thinker's mind, for only then will it become an habitual attitude. This habit of sharing his spiritual treasures with his fellow-men becomes instinctive to the Buddhist; hence the phrase repeated on occasions of every kind : 'May all be happy. ! 'The power of such an attitude of mind as a solvent of all egotism, hatred, and unbrotherliness must be experienced before it can be understood." (*From* : Buddhism *by* Christmas Humphreys). (223 words approx.)

Precis—Buddhism is a religion of love. The *Metta Sutta* postulates a prospective Buddhist to develop love unbounded towards all—like a mother towards her only son—in every state of life and mind.

Buddhism is most emphatic about the importance of first experiencing and developing love within as a quality of mind. When love becomes instinctive and inherent in everybody can it be spread to make all happy. A compassionate heart imbued with love is free from all mental aberrations.

Title : Buddhism : A Religion of Love.

2. Give in your own words the central thought of the following poem adding a brief critical comment.

When in my arms your slender form
I boldly take—a priceless capture—
And words of love, impetuous, worm,
Pour out to you in joy and rapture,
In silence from my rash embrace
You free yourself, and for an instant
A smile appears upon your face,
At once mistrustful, wan and distant.
Too promptly has your memory stored
Of all my errant ways the rumour—
I speak, and you are out of humour,
I plead my cause, and you are bored....
O how I curse the sweet diversions
And pleasures of my wicked youth,
Love's nightly meetings and excursions
To some dark nook or garden path,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The verse whose sound did stimulate
And stir the blood, the fond caresses
Bestowed too soon by trusting lasses,
And their laments that came too late.
—Aleksandra Pushkin.

C. T.—The poet takes the shapely lovable girl into his arms suddenly and whispers words replete with the warmth of love to make an impress upon her. But, the verve of the poet vanishes when the girl frees herself from his arms with a mocking smile on her face. All the poet's vain eloquent implorings go unheeded. She remains completely implacable. It flashes in the poet's mind that she is already aware of his susceptibility to love. Now the poet regrets. He ruminates dismally and scorns all the moments he had fallen prey to Cupid's arrows, his temptations, his amorous rendezvous and his deceitful words of love his trusting girls believed only to grieve afterwards.

In this poem the poet depicts himself as a full-time rake, a libertine, in fact, a Don Juan. His was a cupboard-love for the satisfaction of his carnal desires. He seems to have belonged to the cult of Eros. In spite of this he looks more like an amoral than an immoral person. His better sense prevails and he is rightly stirred when scoffed at by the girl with whom he is really in love (*Aside* : In fact, the poem is addressed to Natalia Goncharova, the poet's future wife). He recalls his past 'strayings' and deplores his amorous ways. He fears he may lose his beautiful darling. He uses all his charm and eloquence to win the lady of his heart, but fails. This lady is unlike others. She is not moved by his wit or poetic expressions. Only a reformed poet could win her over.

3. Write a dialogue on Pakistan's proposal of a No War Pact with India.

OR

Write a letter to the Editor of a newspaper commenting on : The Recent Israel-Palestine Conflict.

***Letter.**

To
The Editor
The Statesman
Calcutta.

Dated : July 20, 1982

Sir,

"It is strange that the non—aligned countries have called for imposing sanctions against Israel without demanding the withdrawal of Syrian and PLO forces from Lebanon. While condemning Israeli expansionism one should remember that it is Arab and Palestinian intransigence together with periodic proclamations of resolve to exterminate the Jewish State which has driven Israel to take the stand it does. In fact, there is an article in the PLO charter proclaiming this resolve: that it must destroy to survive. Thus Israel has been forced to pursue a policy to destroy, to prevent itself from being destroyed.

An unbiased look at the last 100 years' history of the Jews vindicates the existence of Israel and it's right to exist. The nucleus of present-day Israel began in 1882 when Jews, following pogroms against them in Tsarist Russia, started massive emigration to Palestine, then a part of the Turkish empire. Their arrival was unopposed because Palestine was then virtually an uninhabited desert. After the 'acquisition' of Palestine by the British from the Turks Jews started arriving there in thousands. Palestine began to prosper where Arabs from the nearby province of Haurian came in search of jobs. The so-called Palestinians of today are chiefly the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

descendents of Haurian emigrants from Syria who arrived in today's Israel much later than the Jews. The promise of a na ional home for Jews was made in a Balfour Declaration and the mandate had not been kept. In 1922 the British illegally created Jordan out of the Palestinian mandate. Four-fifths of its territory became Arab-ruled. If the PLO seeks a Palestinian State, it ought to look to Jordan's King Hussain. But the Palestinians have no quarrel with him. Their anger and wrath are directed against Israel. By this they have only undermined their credibility.

Yours, etc.,

x y z

*(An Adaptation)

*Dialogue.

(**Aside :** Background. The diplomacy of NWP as enunciated by Pakistan is quite debateable. Past records show that it was India who came up with this idea. The idea was that both India and Pakistan should solve their mutual problems on the basis of non-aggression. Later on Shastri also tried to convey this to the military regime of Pakistan. Recently, with the Soviet armed intervention in Afghanistan it was necessary for both the countries to work for a peaceful atmosphere in the Indian sub-continent. The answer was provided by Pakistan with her No War Pact Diplomacy.)

A.—"Pakistan feels that the deteriorating regional scenario was one of the compulsions to opt for the policy of NWP. She is faced with many problems—problems regarding western borders, internal instability and political vacuum; at the same time she still apprehends that the main threat is from India. The defence and foreign policy analysts still think that India has not been reconciled to the creation of Pakistan and the division of Pakistan into two halves is a case in point. With the proposal of NWP Pakistan will be able to solve her problems with India so that she can divert her attention to other factors."

B.—"So far India is concerned one has to go into the fact about the real intention of Pakistan's proposal of NWP. First of all, Pakistan speaks of NWP and at the same time she believes in arms race, in the Indian sub-continent. The recent $ 3.9 billion US economic and military assistance to Pakistan has created problems in the region and India is very doubtful whether this arms assistence will be used against her or on Pakistan's western borders. In view of repeated efforts made by Pakistan to convince the Soviet Union that they have no fear from them, it is but logical to conclude that the American aid will be used against us as it was used in 1965, and 1971. In that case the proposal of NWP does not assume much importance.

"Secondly, the present military regime of Pakistan refuses to accept the Simla Accord of 1972. The Simla Accord was a treaty between India and Pakistan and India and Bangladesh. On the basis of the Simla Agreement both the countries agreed to solve their problems on bilateral basis in the fields of science, technology, trade, art, culture, and to evolve a peaceful, stable structure in the region. NWP, in fact, is only a minor reflection of the broader frame-work of the Simla Accord."

(Note :—1. The background is only for the readers' information. 2. Dialogue may also be written in the 'conversational' form ; here, debating technique has been used).

4. Write a paragraph on any one/two of the following.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(a) Make hay while the sun shines.

(b) It is a glorious thing to be alive in the world today.

(c) There is a divinity that shapes our end.

(d) Charity begins at home.

(e) If winter comes, can spring be far behind ?

Model. (e) Everything in this world is in a state of flux : events are in a state of flux. Whatsoever is subject to the condition of origination is also subject to the condition of cessation. So is sorrow. After the dreary days of melancholy, woe and misfortune come the days of joy and hope. The days of sorrow are not permanent; after sorrow comes happiness. One must not feel himself ruined at the sight of approaching misfortunes because the spring of pep and happiness will not be far behind. The trees shed their leaves in autumn only to burst into new greener leaves in spring. The winter of death and sorrow indicates the coming of the spring of verve and rejoicing.

5. Give the meaning of any five of the following and frame illustrative sentences.

(a) Apple-pie order
(b) Cold feet
(c) A tower of strength
(d) Boastful of
(e) To be in a fix
(f) Draw a blank
(g) Plummet
(h) Get off with
(i) Fond of
(j) To be at a loss

Ans. (a) Apple-pie order—a perfectly orderly arrangement.

*Her room is always in *apple-pie order*.

(b) Cold feet—Become afraid of doing something which requires courage.

*Shankar was going to apply for the job but he got *cold feet*.

(c) A tower of strength--a person who can be relied upon for help, comfort etc in a time of trouble or grief.

*She was a *tower of strength* to me when I lost my mother.

(d) Boastful of—to talk with too much pride.

*Abhisar has always been *boastful of* his own accomplishments.

(e) To be in a fix—trouble; a difficulty.

*She is *in a* terrible *fix* !

(f) Draw a blank—to be unsuccessful in a search, inquiry etc.

*Vikram looked for a twelve-string guitar all over town but *drew a blank*.

(g) Plummet—to fall swiftly

*This year prices have *plummeted*.

(h) Get off with—spend time intimately and romantically with.

*Anagat *got off* with his best friend's girl at the party.

(i) Fond of—having a liking for.

*Varunima seems to be *fond of* him.

(j) To be at a loss--to be very puzzled or unable to decide.

*Shriya was *at a loss* to choose finally between Anagat and Siddhartha.

Every Time You Visit Us
You Will Find Something New.
It's
Prayag Pustak Sadan
Standard Publishers & Quality Book Sellers
University Road, Allahabad.

• भूल सुधार—पाठक पृष्ठ 61 पर राजेन्द्र पाल खोसला को राम चन्द्र टुकरू के स्थान पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव के रूप में पढ़े।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी. सी. एस. परीक्षा हेतु

विशिष्ट परिशिष्ट

प्राचीन भारतीय संस्कृति

■ देवेन्द्र कुमार राय*

■ प्राचीन साहित्य : लेखक/प्रमुख कृतियाँ/काल

- अमर सिंह, अमरकोष, गुप्त काल।
- अमरुक, अमरू शतक, सातवीं शताब्दी।
- अल्बेरूनी, तहकीके हिन्द, 11 वीं शताब्दी।
- अश्वघोष, बुद्धचरित, सौन्दरानन्द, सूत्रालंकार, वज्र-सूची, प्रथम शताब्दी।
- आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक, 9 वीं शताब्दी।
- आर्यभट्ट-आर्यभटीयम्, गुप्त काल।
- ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका।
- कम्बन, रामायण (तमिल)।
- कल्हण, राजतरंगिणी, 12 वीं शताब्दी।
- कामन्दक, नीतिसार, गुप्तकाल।
- कालिदास, रघुवंश, कुमारसंभवम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम्, मेघदूत, ऋतुसंहार, गुप्तकाल।
- कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मौर्यकाल।
- कृष्ण मिश्र, प्रबोध चन्द्रोदय, 11वीं शती।
- गुणाढ्य, बृहत्कथा (प्राकृत), पहली-दूसरी शताब्दी।
- चरक, चरकसंहिता, प्रथम शती।
- जयदेव, गीत गोविन्द, प्रसन्नराघव, 12वीं शती।
- जयानक, पृथ्वीराज विजय/जीमूतवाहन, दायभाग।
- तिरुवल्लुवर, तिरुक्कुरल (तमिल), पहली-दूसरी शती ई पू.।
- तोलगाप्पियर, तोलगाप्पियम् (तमिल)।
- दण्डिन्, दशकुमारचरित, काव्यादर्श, 7 वीं शताब्दी। दामोदर, हनुमाननाटक।
- दामोदरगुप्त, कुट्टनीमतम्।
- धनपाल, तिलकमंजरी, 11 वीं शती।
- धनंजय, दशरूप।
- धनिक, दशरूपावलोक।
- धोयिक, पवनदूत, 12 वीं शती।
- नारायण पंडित, हितोपदेश।
- पतंजलि, महाभाष्य, द्वितीय शताब्दी ई पू.।
- पद्मगुप्त, नवसाहसांकचरित, 10 वीं शती।
- पाणिनि, अष्टाध्यायी, पांचवीं शताब्दी ई. पू.।
- फाहियान (फाश्यां), फो-क्वो-कि, चौथी शताब्दी।
- बाणभट्ट, कादम्बरी, हर्षचरित, सातवीं शताब्दी।
- बादरायण, ब्रह्मसूत्र।
- बिल्हण, विक्रमांकदेवचरित, चौरपञ्चाशिका, 11 वीं शताब्दी।
- भट्ट नारायण, वेणी संहार।
- भट्टि, रावण वध (भट्टिकाव्य), 7 वीं शती।
- भर्तृहरि, शृंगार शतक, नीतिशतक, वैराग्यशतक, वाक्यपदीय, 7 वीं शती।
- भर्तृमेण्ठ, हयग्रीववध, गुप्तकाल।
- भवभूति, मालतीमाधव, महावीरचरित, उत्तररामचरितम्, 8 वीं शती।
- भारवि, किरातार्जुनीयम्, छठी शताब्दी ई.।
- भास, स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, चारुदत्त।
- भास्कराचार्य, सिद्धान्तशिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, 12 वीं शती।
- मयूर, सूर्यशतक, 7 वीं सदी।
- मंख, श्रीकण्ठचरित।
- मम्मट, काव्य प्रकाश, 11 वीं सदी।
- माघ, शिशुपालवध, 7 वीं सदी।

*प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- मुरारि, अनर्घराघव।
- मेगस्थनीज इण्डिका, तृतीय शताब्दी ई. पू.।
- मेरुतुंग प्रबन्धचिन्तामणि।
- यास्क, निरुक्त उत्तर वैदिक काल।
- राजशेखर, कर्पूरमंजरी, बाल रामायण, बालभारत, काव्यमीमांसा, 10 वीं शती।
- लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पतरु (स्मृतिकल्पतरु), 12वीं शती।
- वराहमिहिर, बृहत्संहिता, पंचसिद्धान्तिका, गुप्त काल।
- वाक्पति, गौड़वहो (प्राकृत), 8 वीं शती।
- वात्स्यायन, कामसूत्र, गुप्तकाल।
- वाल्मीकि, रामायण।
- विज्जिका, कौमुदीमहोत्सव, 8 वीं-9 वीं शताब्दी ई.।
- विशाखदत्त, मुद्राराक्षस, देवीचन्द्रगुप्तम्, गुप्तकाल।
- विष्णुशर्मा, पंचतन्त्र, गुप्तकालीन।
- विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, 11 वीं शती।
- वेद व्यास, महाभारत, भगवद्गीता (महाभारत के 'भीष्म पर्व' में निबद्ध)
- शुक्र, शुक्रनीति, पूर्वमध्य काल। शूद्रक, मृच्छकटिक।
- श्रीहर्ष, नैषधचरित, खंडन-खंड-काव्य, 12वीं शती।
- सर्वनन्दिन, लोकविभाग (प्राकृत), 5 वीं शती।
- सर्ववर्मन्, कातन्त्र (प्राकृत)
- संध्याकर नन्दि, रामचरित, 12वीं शती।
- सुबन्धु, वासवदत्ता।
- सोड्ढल, उदयसुन्दरीकथा, 11 वीं शती।
- सोमदेव, ललित विग्रहराज, कथासरित्सागर कीर्ति-कौमुदी, 12वीं शती।
- सोमदेव सूरि, यशस्तिलकचम्पू, नीतिवाक्यामृत, 11 वीं शती।
- हलायुध, अभिधान-रत्न-माला 12 वीं शती।
- हेमचन्द्र, कुमारपालचरित (द्वयाश्रयकाव्य), प्रमाण मीमांसा, काव्यानुशासन, अभिधान-चिंतामणि, 7 वीं शती।
- ह्वेन सांग (वान च्वांग), सि-यु-कि, 12 वीं सदी।
- क्षेमेन्द्र, बृहत्कथामञ्जरी, 11 वीं शताब्दी।

नृपति साहित्यकार :

- अमोघवर्ष I (राष्ट्रकूट), कविराजमार्ग, प्रश्नोत्तर-मालिका, 9 वीं शताब्दी।
- अनंगहर्ष मात्रराज (कलचुरि), उदात्तराघव, तापसवत्सराज, 8 वीं सदी।
- प्रवरसेन II (वाकाटक), सेतुबन्ध, चतुर्थ शताब्दी।
- भोज (परमार), श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण समरांगण-सूत्रधार, युक्तिकल्पतरु, शब्दानुशासन, 11 वीं शती।
- महेन्द्रवर्मन् I (पल्लव), मत्तविलासप्रहसन, 7वीं शती।
- यशोवर्मन् (कन्नौज नरेश), रामाभ्युदय, 8वीं सदी।
- बल्लालसेन (सेन), दानसागर, अद्भुत सागर, 12 वीं शती।
- विग्रहराज iv वीसलदेव (चाहमान), हरकेलिनाटक, 12 वीं शती।
- हर्ष (वर्द्धन), नागानन्द, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 7वीं शती।
- हाल (सातवाहन), गाहा सतसई (गाथा सप्तशती), प्रथम शताब्दी ई. पू.।

नृपति इतिहासकार :

- सोमेश्वर III भूलोकमल्ल (पश्चिमी चालुक्य), मानसोल्लास, 12 वीं शताब्दी।

प्राचीन नगर : (नगर/स्थिति/महत्व)

- अहिच्छत्र, उत्तरी पाञ्चाल की राजधानी और बरेली स्थित रामनगर से समीकृत; समुद्रगुप्त ने यहाँ के नागवंशी नरेश अच्युत को परास्त किया।
- अरिकामेडु, दक्षिण भारत में पांडिचेरी के समीप 'पोडुके' से समीकृत, प्रथम शताब्दी में भारत-रोम व्यापार केन्द्र, मॉर्टिमर ह्वीलर द्वारा किये गये उत्खनन में एरेटाइन और रूले मृण्भांड की प्राप्ति।
- अमरावती, कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में, कला एवं संस्कृति केन्द्र, बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध जो अब ध्वस्त हो चुका है।
- अजन्ता, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 29 गुफाओं के लिए प्रसिद्ध, गुफा संख्या 1, 2, 9, 10,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

10, 16 और 17 में निर्मित भित्तिचित्रों के लिए चर्चित, बौद्ध केन्द्र।

- एलोरा, औरंगाबाद जिले में अपनी गुफाओं और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण I द्वारा निर्मित कैलाश मन्दिर के लिए प्रसिद्ध।
- कपिलवस्तु, बस्ती जिले के पिपरहवा से समीकृत, गौतम बुद्ध के पिता शाक्य नरेश शुद्धोदन की राजधानी।
- कान्यकुब्ज, फर्रुखाबाद में कन्नौज, मौखरियों की राजधानी, हर्ष के समय से लेकर 12 वीं सदी तक प्रतिष्ठा का प्रतीक।
- काञ्ची, मद्रास के निकट आधुनिक कांजीवरम, पल्लव वंश की राजधानी।
- 'सप्त पगौडा' निकटस्थ महाबलिपुरम्के (धर्मराज रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ आदि) के लिए प्रसिद्ध।
- कालीबंगन, राजस्थान के गंगानगर जिले में, श्री बी. बी. लाल और श्री बी. के. थापर द्वारा उत्खनित हड़प्पा संस्कृति का केन्द्र।
- कौशाम्बी, इलाहाबाद से 56 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम निचक्षु द्वारा स्थापित, वत्सराज उदयन की राजधानी, प्रो. जी. आर. शर्मा द्वारा किये गये उत्खनन में घोषिताराम विहार, श्येनचिति और पैलेस कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति।
- खजुराहो, म. प्र. के छतरपुर जिले में चंदेल शासकों का सांस्कृतिक केन्द्र, मन्दिर शिल्प और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध।
- गंगैकोण्डचोलपुरम्, चोल नरेश राजेन्द्र I द्वारा स्थापित राजधानी।
- गिरनार, गुजरात के जूनागढ़ जिले में, प्राचीन नाम गिरिनगर, शिलालेख और सुदर्शन तटाक के लिए प्रसिद्ध, एक ही शिलाखंड पर अशोक, महाक्षत्रप रुद्रदामन और स्कन्दगुप्त के लेख उत्कीर्ण, रुद्रदामन का लेख (150 ई.) संस्कृत में निबद्ध प्रथम लेख, सुदर्शन तटाक के निर्माण और पुनरुद्धार से क्रमशः चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कन्दगुप्त सम्बद्ध।
- ताम्रलिप्ति, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक, पूर्वी समुद्री तट का सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह।
- तक्षशिला, पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट, आम्भी के देशद्रोह, गंधार कला के केन्द्र और विश्वविद्यालय के लिये प्रसिद्ध, कनिंघम और मार्शल द्वारा उत्खनित।
- त्रिपुरी, मध्यप्रदेश में जबलपुर के निकट तेवर गांव, कलचुरि शासकों की राजधानी।
- नालन्दा, बिहार के नालंदा जनपद में राजगिरि से 10 कि. मि. उत्तर में स्थित कुमारगुप्त I (क्रमादित्य) द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और बौद्ध केन्द्र के लिए प्रसिद्ध।
- नागार्जुनीकोंड, आन्ध्र प्रदेश में बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध, इक्ष्वाकु वंश के लेखों में इसे विजयपुरी कहा गया है।
- पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी पटना, गंगा और सोन के संगम पर अजातशत्रु द्वारा 'पाटलिग्राम' के रूप में स्थापित, मौर्यों और गुप्त सम्राटों की राजधानी।
- पुरुषपुर, पाकिस्तान में पेशावर, कनिष्क की राजधानी।
- प्रतिष्ठान, औरंगाबाद से 56 कि. मी. दक्षिण स्थित आधुनिक पैठण, सातवाहन शासकों की राजधानी।
- बनवाली, हरयाणा में स्थित हड़प्पा संस्कृति का केन्द्र।
- भरहुत, मध्यप्रदेश में स्तूप के लिए प्रसिद्ध।
- भृगुकच्छ, गुजरात में नर्मदा के तट पर स्थित, पेरिप्लस में 'बैरिगाजा' के नाम से उद्धृत, पश्चिमी समुद्री तट का सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह।
- मदुरा (मदुरै), तमिलनाडु प्रान्त में वैगाइ नदी के किनारे स्थित, पांड्यों की राजधानी, संगम साहित्य का केन्द्र, मीनाक्षी मंदिर।
- माहिष्मती, मध्यप्रदेश में नर्मदा के किनारे मान्धाता, दक्षिणी अवन्ति की राजधानी।
- लोथल, गुजरात में स्थित हड़प्पा संस्कृति का केन्द्र व बन्दरगाह।
- वल्लभी, गुजरात प्रांत में स्थित जैन केन्द्र, नागार्जुन सूरि और देवर्धि के नेतृत्व में जैन संगीतियों का आयोजन, मैत्रक शासकों की राजधानी, हर्ष द्वारा विजित।
- वातापि, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित आधुनिक बादामी, चालुक्य नरेश पुलकेशिन I द्वारा राजधानी की स्थापना, मंगलेश द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध। (क्रमशः)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

VISIT WRITE OR RING 52384

ASIA BOOK CO.

9, University Road, Allahabad.

BOOKS FOR P. C. S. EXAM

1.	एम० पी० श्रीवास्तव	: प्राचीन भारतीय संस्कृति कला और दर्शन	40.00
2.	Chandhary	: English Grammer and Translation	7.50
3.	ओम प्रकाश मालवीय	: आधुनिक हिन्दी निबन्ध	15.00
4.	ओम प्रकाश मालवीय	: सामान्य हिन्दी	8.00
5.	पी० सी० एस० गाइड	: अनिवार्य विषय	25.00
6.	पी० सी० एस० गाइड	: प्राचीन भारतीय संस्कृति	20.00
7.	पी० सी० एस० गाइड	: भारतीय इतिहास I	20.00
8.	पी० सी० एस० गाइड	: भारतीय इतिहास II	20.00
9.	पी० सी० एस० गाइड	: समाजशास्त्र	20.00
10.	पी० सी० एस० गाइड	: हिन्दी साहित्य	12.00
11.	पी० सी० एस० गाइड	: राजनीतिक शास्त्र	14.00
12.	पी० सी० एस० गाइड	: विधि I	18.00
13.	पी० सी० एस० गाइड	: विधि II	15.00
14.	पी० सी० एस० गाइड	: विधि III	16.00
15.	पी० सी० एस० गाइड	: भारतीय दर्शन	20.00
16.	पी० सी० एस० गाइड	: समाज कार्य	20.00
17.	पी० सी० एस० गाइड	: प्रारम्भिक गणित	12.00
18.	P. C. S. के सभी Unsolved Papers		Each 2.00
19.	मालवीय	: सामान्य ज्ञान	21.00
20.	Malaviya	: General English	21.00

■ दो महत्वपूर्ण पुस्तकें शीघ्र प्रकाश्य—

21. ओम प्रकाश खन्ना : सामान्य दिग्दर्शन

22. ओम प्रकाश मालवीय : अभिनव निबंध

नोट : पुस्तकों के लिए आर्डर करते समय 10/- रु. अग्रिम मनीआर्डर द्वारा भेजें।

111892

Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतियोगिता परीक्षा में
परिश्रम एवं विश्वास के साथ
सफलता प्राप्त करने के लिये

उपकार प्रकाशन

का सहयोग लीजिये

उपकार गाइड मध्य प्रदेश पी० एस० सी० परीक्षा

पुस्तक
एकदम नये
आकार में
अधिक सामग्री
उपयोगिता अत्यधिक
मूल्य कम

(वर्ष 1980 व 1981 का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी व निबन्ध के हल प्रश्न पत्रों सहित)

अनिवार्य विषय

* वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान,
* सामान्य हिन्दी
* निबन्ध

लेखक
जैन एवं वर्मा
मूल्य
28/-

विशेषतायें

* म० प्र० सामान्य ज्ञान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पृथक अध्याय
* वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के उत्तरों को व्याख्यात्मक टिप्पणी,
* नवीनतम विषयों पर सरल व सुग्राह्य भाषा में निबन्ध

Indispensable-Totaly Up-to-date
Read

UPKAR GUIDE TO
Staff Selection Commission's

Inspectors of Income Tax Central Excise Etc. Examination

(Including Previous Years' Paper Fully Solved)

JUST OUT

It Contains :

- ☐ General Knowledge (Objective Type) (Including Test of Reasoning, Arithmetic & English Language)
- ☐ Solved Arithmetic
- ☐ General English

English Editions
By—Jain & Sharma Rs.35/-
By—Khanna & Verma Rs. 25/-
Hindi Edition
By—Khanna & Verma Rs. 25/-

(When ordering Direct, Add Postage Rs. 4·50)

उपकार प्रकाशन २/११-ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282002

Regd. No. R. N. 33028/77
Regd. No. AD-1?/ Licence No. W.P.-43

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Compiled
1998-2000

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar